

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

७५

१९५६

॥ श्रीः ॥

कौटिलीयम्

अर्थशास्त्रम्

हिन्दीव्याख्योपेतम्

व्याख्याकारः—

वाचस्पति गैरोला

अध्यक्ष : पाण्डुलिपि-विभाग, हिन्दी संग्रहालय,  
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग



चौरवम्बा विद्याभवन

वा रा ण सी २२१००१

प्रकाशक—

## चौखम्बा विद्याभवन

( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक )

ब्लॉक ( बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे ),

पो० बा० नं० ६९

वाराणसी २२१००१

सर्वाधिकार सुरक्षित

तृतीय संस्करण १९८४

मूल्य १२५-००

अन्य प्राप्तिस्थान—

## चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक )

के० ३७/११७, गोपाल मन्दिर लेन

पो० बा० नं० १२९

वाराणसी २२१००१

मुद्रक—

धीजी मुद्रणालय

वाराणसी

THE  
VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA  
75



ARTHA ŚĀSTRA  
OF  
KAUTILYA  
AND  
THE CĀNAKYA SŪTRA

*Edited With*

INTRODUCTION, HINDI TRANSLATION & GLOSSARY

*By*

Shri Vachaspati Gairola

*Head of the Manuscript Department*

Hindi Sangrahalaya, Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad



**CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN**

VARANASI

© CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN  
*(Oriental Booksellers & Publishers)*  
CHOWK ( Behind The Benares State Bank Building )  
Post Box No. 69  
VARANASI 221001

Third Edition  
1984

*Also can be had of*  
CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN  
*(Oriental Booksellers & Publishers)*  
K. 37/117, Gopal Mandir Lane  
Post Box No. 129  
VARANASI 221001

महामहोपाध्याय  
पं० गणपति शास्त्री  
की  
पुण्यस्मृति  
में

# भूमिका

## समिति : सभा

समिति प्राचीन भारत में शासन-व्यवस्था के परिचालन के लिए राज की भाँति सभायें तथा समितियाँ नियुक्त होती थीं। उदाहरण के लिए प्रौढों की राजसभा, जनता की सार्वजनिक सभा, व्यापारियों तथा व्यवसायियों का मण्डल ( दूग ), राज्यों का 'सभ' और कुटुम्बों ( कुतो ) की ग्रामसभायें। ये ही सभायें कानून बनाती तथा उसको जनता में क्रियान्वित करती थीं। इन सभाओं का प्रमुख कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना और राजा के निर्वाचन तथा सार्वजनिक भलाई के लिए अपनी राय देना था। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में सभा : समिति की गंभीर व्याख्या की गयी है।

यदि हम सभा : समिति के इतिहास की खोज करते हैं तो उसके बीज हमें मानव-धर्मता के मूल में बिखरे दिखायी देते हैं। मनुष्य की उदयवेला से ही उसके इतिहास का आरम्भ होता है।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमें विदित होता है कि उस समय राष्ट्रीय जीवन-सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए समिति की व्यवस्था थी। यह समिति सर्वसाधारण प्रजाजनो ( विश. ) द्वारा आयोजित तथा स्वीकृत होती थी। उसी के द्वारा राजा का चुनाव होता था। वह इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसमें सभी लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया है (ऋग्वेद १०। १७३।१, अथर्ववेद ६।८७।१ )। राजनीतिक दृष्टि से इस लोकसत्ता का दूसरा भी महत्व था, क्योंकि उसी के द्वारा राजा के अतिरिक्त राजव्यवस्था का भी संचालन होता था। यही कारण है कि ऋग्वेद ( १०।१६१।३ ) में उसकी नीति तथा मंत्रणा के लिए शुभरामना प्रवृत्त की गयी है। निर्वाचित राजा के लिए 'समिति' की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक था ( ऋग्वेद १।६२।६ )।

समिति में उपस्थित प्रत्येक वक्ता इस बात के लिए मत्नशील रहता था कि उसका भाषण ओजस्वी, सर्वप्रिय और आकाट्य सिद्ध हो ( अथर्ववेद २।२७ )। अथर्ववेद के इस वचन से यह ध्वनि निकलती है कि समिति के वक्ताओं के विभिन्न मत होते थे और उनमें विभिन्न दृष्टियों से जनहित की

चिन्तना की जाती थी। इस समिति में राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त शिक्षा और ज्ञान-संबंधी बातों पर भी वाद-विवाद हुआ करता था। मूलतः वह एक धर्मपालिका या न्यायपालिका भी होती थी।

समिति के सदस्य समाज के विभिन्न समुदायों या क्षेत्रों ( वर्गों ) के प्रतिनिधि होते थे। उस युग में प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का आदर होता था। ग्राम-सभटन के प्रतिनिधि को ग्रामणी कहा जाता था। यहाँ तक कि ग्रामणी के नाम पर ग्राम शब्द का व्यवहार हुआ ( काशिका ५।३।११२ )। इस प्रकार गाँवों, व्यापारियों, दार्शनिकों और राजनीतिकों के अपने-अपने प्रतिनिधि होते थे। ये प्रतिनिधि समिति के प्रमुख अंग थे। अथर्ववेद में इन समितियों और ग्रामों की बड़ी स्तुति की गयी है ( १२।१।५६ )। वैदिक काल के परवर्ती समाज में समिति के सभटन के मुख्य आधार ग्राम ही हुआ करते थे।

इस प्रकार की समिति की ऐतिहासिक प्राचीनता के सबंध में ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। अथर्ववेद ( ७।१२ ) में उसको अनादि और प्रजापति की कन्या कहा गया है। उसके अस्तित्व और कार्यों का प्रमाण सर्वप्रथम ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में और उसके बाद छान्दोग्य उपनिषद् में मिलता है।

ऋग्वेद ( ६।२।६।६, ६।४।६, १०।३४।६० ) के अनेक स्थलों पर समिति : सभा की विशेषताओं पर कई तरह से प्रकाश डाला गया है। वहाँ उसको एक ऐसा समुदाय बताया गया है, जिसको सामाजिक व्यवहारों तथा सार्वजनिक मामलों पर विवाद करने का पूरा अधिकार था।

सगमय सूत्रग्रन्थों के निर्माण ( ५०० ई० पूर्व ) के समय से समिति की जगह परिषद् ( पर्यत् ) ने ले ली थी ( पारस्कर गृह्यसूत्र ३।१३।४ )। इस प्रकार हमें विदित होता है कि सार्वजनिक सभटनों या सत्सभाओं के लिए समिति शब्द का प्रयोग वैदिककाल में ही होने लगा था।

सभटन समिति के अतिरिक्त वैदिककालीन सार्वजनिक सत्सभा सभा के अस्तित्व का भी पता चलता है। अथर्ववेद ( ७।१२।१-४ ) में उसको समिति की बहिन और प्रजापति की दो कन्याओं में से एक माना गया है। सायणाचार्य ने उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'नरिष्ठा' ( सभा ) बहुत से लोगों के उस निर्णय को कहते हैं, जिसका कथमपि उत्सर्जन न हो सके। उसका निर्णय अमार्ग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह समुदाय की वस्तु है और एकस्वर में कही हुई बात है।



इस सबंध में स्वर्गीय विद्वान् डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल का कथन है कि सम्भवतः वह चुने गये लोगों की एक स्थायी सस्था होनी थी और समिति के अधीन होकर कार्य करती थी ( हिन्दू राजतंत्र १, पृष्ठ २६ ) । यह सभा प्रमुखतया राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य करती थी ।

षाजतनेघी सहिता में प्रयुक्त सभाचार ( ३०।६ ) और अथर्ववेद में प्रयुक्त सभासब ( ३।१९।१, ७।१२।२, १६।५।१६ ) शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से बताया गया है, जो सभा में उपस्थित होकर न्याय करता है । महाभारत ( ५।१।२४ ) में सभास्तार का प्रयोग न्यायाधीश के लिए किया गया है । उसमें एक जगह ( ५।३।५।३८ ) यह कहा गया है कि वह सभा, सभा नहीं है, जिसमें प्रौढ लोग न हों, और वे प्रौढ, प्रौढ नहीं, जो नियम घोषित न कर सकें । अथर्ववेद ( ६।८८, ५।१० ) में उसको जनता की आवाज और न्याय का एकमात्र निदर्शन करने वाली कहा गया है । ऋग्वेद ( १०।१९।१३ ) में एक विशेष बात इस सबंध में यह भी कही गयी है कि राज्य की अभ्युन्नति के लिये राजा और सभा में भेद होना परमावश्यक है ।

इस प्रकार यद्यपि सभी प्राचीन ग्रंथों के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि समिति तथा 'सभा' के अधिकारों में कुछ अन्तर अवश्य था, किन्तु उसका संवैधानिक ढांचा लगभग एक ही था ।

## आदिम आर्यसंघों का स्वरूप

आदिम आर्य-संघों की संघटन-व्यवस्था की ओर आधुनिक लेखकों का ध्यान तब गया जब वे सर्वथा ध्वस्त हो चुके थे और उनकी जगह वर्ग शासन-सत्ता एवं नये मुद्दों ने ले ली थी, अर्थात् जब गृहयुद्ध, शासनसत्ता, कर, कानून और आचार के आन्तरिक संघटन के बनाने का प्रश्न समाज के सामने उपस्थित हुआ था । इस दृष्टि से वैदिक साहित्य में साम्य-संघ के आन्तरिक विधानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, उसमें न तो धन की चर्चा है न व्यक्तिगत अधिकारों का विवेचन और न दण्ड के लिये कोई व्यवस्था ही । उसमें ससार, मनुष्य, अग्नि, पशु, धन आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हीं प्रश्नों पर अधिकतर विचार किया गया है । ग्राहण ग्रन्थों में अवश्य ही आचार, सत्ता और व्यवहार के सम्बन्ध में जिज्ञासायें प्रगट की गयी हैं । वैदिक साहित्य की अपेक्षा महाभारत और स्मृतियों में यह बात हमें अधिक स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है कि आदिम आर्यसंघों और परवर्ती सामाजिक संघटनों में क्या अन्तर था एवं उनके संचालन का स्वरूप क्या था ।

प्रागैतिहासिक सभ्य इतिहासकारो ने प्रागैतिहासिक मानव-सभ्यता के विकास को उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर प्रस्तर, कांस्य या लौह आदि अनेक अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रागैतिहासिक मानव ने अपनी जीविकोपार्जन के साधन अन्न, वस्त्र, आश्रय-स्थान आदि के लिये प्रकृति से सघर्ष किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने जितने साधनों का उपयोग किया, जितने व्यक्ति सघटित हुए, उन व्यक्तियों की जो योग्यता, कार्यक्षमता आदि थी वे सब मिलकर उस युग की उत्पादन शक्तियाँ कहलायीं। उत्पादन की ये शक्तियाँ समाज की आवश्यकता और क्रियाशीलता के अनुसार सदा ही बदलती रहती हैं।

सबसे पहले मनुष्य जब सघटनों की ओर प्रवृत्त होकर अपने सामाजिक जीवन का निर्माण करने में अग्रसर हो रहा था, उसका परिचय इतिहासकारो ने एक जागल मानव के रूप में प्राप्त किया। कंद मूल और फल ही उसका आहार था। उसने पत्थरो के औजार तैयार किये, रगड़ से वह आग भी पैदा कर चुका था, धनुष-बाण का भी वह आविष्कार कर चुका था, वह गाँवों में बसने लग गया था, और टोकरियाँ बुनना तथा अस्त्र शस्त्र बनाना भी उसने सीख लिया था। मनुष्य की दूगरी उपजावस्था बर्बरयुग के नाम से कही गयी है। इस युग में मिट्टी की कला अधिक विकसित हुई। पशु पालन और पौधे उगाना इस युग की बड़ी विशेषताओं में हैं। मकान बनाने के लिये ईंटों और पत्थरो का प्रयोग भी इस युग में होने लगा था। इस युग में भोजन के लिये मांस तथा दूध पर्याप्त रूप में उपलब्ध था। सेसन कला का जन्म भी इसी युग में हुआ। सभ्यता के तीसरे युग में पहुँच कर मनुष्य ने सारी जागल प्रवृत्तियों और बर्बर स्वभाव को छोड़कर थम के विभाजन तथा उत्पादन की दिशा में अधिक उन्नति की। इस युग में विनिमय और उत्पादन की नयी शक्तियों ने वर्ग भेद, शोषण, दासता, विरोध और निजी संपत्ति को जन्म दिया, जिससे पूरे समाज में क्रांति हुई।

ऐतिहासिक सभ्य : मनुष्य के आर्यिक जीवन के इतिहास का आरम्भ उत्पादन की शक्तियों, वितरण की अवस्थाओं और विनिमय के माध्यमों के जन्म से होता है। आर्ययुगीन प्राग्भारतीय समाज में इन शक्तियों अवस्थाओं तथा माध्यमों का क्या स्वरूप था, इसका विवरण हमें भारत के प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय समाज की चार अवस्थाएँ बतायी गयी हैं। वृत्तयुग, वैतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। हिन्दू समाज के

इन चारों युगों का संचालक धर्म रहा है। धर्म अर्थात् रहन सहन का ढंग, शासन सत्ता के नियम, विवाह-मवध आदि। हिन्दू-साहित्य के प्राचीनतम प्रमाण वेद, धार्मिक प्रवृत्ति से परिचालित उक्त युग परिवर्तन को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसका परिचय श्री डाये के शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है 'पूरा वेद साहित्य सिर्फ एक माँग उपस्थित करता है। और उस माँग को पूरा करने के लिए उपायों को खोजता है। वह माँग धन है। इस धन के दो रूप हैं। एक है अन्न और दूसरा है प्रजा ( मनुष्य ) धन या अन्न उस समाज के उत्पादन के साधनों, आर्थिक उत्पादन की क्रियाशीलता का चेतक है जिसका सीधा संबंध प्रजा से जुड़ा है। इन दो प्रश्नों पर सभी वेद संहिताओं में बहुत मात्रा में सामग्री मिलती है" ( पृ० ७३ )।

अग्नि की उत्पत्ति आर्ययुगीन मानव के सामने पहिली समस्यायें भोजन, निवास, आग और आत्मरक्षा की थी। कृतयुग में जब कि मनुष्य नितान्त ही जंगली अवस्था में था, उसको कई कारणों से, जैसे—भोजन, रोग तथा शत्रुओं के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकना पड़ा। प्रकृति के विरोध में, आत्मरक्षा के लिए, उसने निरन्तर संघर्ष किया। धीरे धीरे उसने आग का पता लगाया, जिसका श्रेय महर्षि अगिरस को है ( ऋग्वेद १।२।८, १०३२।६, १।११।६ )। आग का पता लग जाने से तत्कालीन जन-जीवन में महान् क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उसको प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा गया। एक ओर तो उसका उपयोग पशुओं तथा मछलियों के मांस को भूनने में किया गया और दूसरी ओर उसको अनुवाधा को दूर करने तथा भूत-प्रेतादि को भगाने वाली महाशक्ति के रूप में भी पूजा जाने लगा ( ऋग्वेद ३।१५।१, )। धीरे धीरे मनुष्य ने समझा कि ये पशु, जो दूध देते हैं, जिनका मांस खाकर जीवित रहा जा सकता है, उनकी रोमयुक्त त्वचा को आँठ कर सर्दों दूर की जा सकती है और उनकी हड्डियों तथा उनके सींगों से उपयोगी औजार भी बनाये जा सकते हैं।

अग्नि की सहायता से मनुष्य की उन्नति का एक दूसरा रूप सामने आया। ज्यों ही उसको यह ज्ञात हुआ कि अग्नि के द्वारा कच्चे लोहे को पिघला कर बड़े बड़े असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, कि समाज का ढाँचा ही बदल गया, किन्तु मनुष्य की यह मूर्ख बहुत बाद की है। जागल युग से पूर्व युग में पहुँच कर, अर्थात् कृतयुग के आविष्कारों का विकास कर जब उसने त्रेतायुग में प्रवेश किया तो प्रकृति के सामने उसने अपनी जिन दुर्बलताओं को स्वीकार किया था, उन पर उसने विजय प्राप्त कर ली। उसने अपने

मायावरीय जीवन को समाप्त कर बस्तियाँ बसायीं, उसने अनियमित भोजन-व्यवस्था को नियमित बनाया, वस्त्रों के द्वारा उसने अपनी गन्तता को ढका । इस प्रकार की विकासावस्था में पहुँच कर उसने उत्पादन की नई प्रणाली, सामाजिक सघटन के नये ढंग और कला के नवीन स्वरूपों को जन्म दिया ।

यज्ञ की सृष्टि अग्नि का पता लग जाने के बाद यज्ञ की सृष्टि हुई । यज्ञ, जो कि ब्रह्म के अस्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और जिसके द्वारा भविष्य के लिए आदिम साम्यसघ के तत्त्वों का निर्माण हुआ । यज्ञ और ब्रह्म के संबन्ध में श्री डांगे का कथन है कि “आर्यों के साम्यसघ का नाम ही ब्रह्म है और यज्ञ उस समाज की उत्पादन प्रणाली है । आदिम साम्यसघ और उत्पादन की सामूहिक प्रणाली का यही रूप था । उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट् ब्रह्म के स्वरूप अथवा साम्यसघ का ज्ञान वेद है । हिन्दू-परंपरा ने इतिहास को इसी तरह से लेखबद्ध किया है, और आर्य-इतिहास के सबसे प्राचीन युग-आदिम साम्यवाद के युग को समझने के लिए यही एक कुञ्जी है” ( भारत आदिम साम्यवाद से दासप्रथा तक का इतिहास, पृ० ७८-७९ ) ।

सत्र यज्ञ में आदिम साम्यसघ के प्रचुर तत्त्व समाविष्ट हुए मिलते हैं । यह यज्ञ एक सामूहिक आयोजन के रूप में सम्पन्न होता था । इसके आयोजन में भी सामूहिक धर्म होता था और उसका फल-विभाजन भी सामूहिक रूप में हुआ करता था । जब तक कि प्राचीन आर्यसघों में व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्गभेद और शासनसत्ता का जन्म नहीं हुआ था, उनकी सामूहिक उत्पादन-प्रणाली का नाम यज्ञ था, जिनका ज्ञान वेदों में सुरक्षित है । “इस यज्ञ ने आर्यों के साम्यसघ को समुन्नत, धनवान् और वैभवशाली बनाकर उसे नष्ट होने से बचा लिया था . . . जब मानव समाज प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ा और उसने धातुओं को पिघलाना सीखकर हथिया या शुरपी बनाना सीख लिया था, तब भी आर्यों के धार्मिक विधिकर्म अपने पूर्वजों की भाँति देवताओं को प्रमन्न करने के लिए और उन्हीं की भाँति धन प्राप्त करने के लिए उन पूर्वजों के कार्यों का अनुसरण करते थे—वे उन्हीं छन्दों की गाते थे प्राचीन काल में यज्ञ एक यथार्थ था । बाद में वह मिथ्या वस्तु हो गयी थी । समाज के उत्तराधिकारियों ने इस अस्तित्वहीन यज्ञ को अपने उत्तराधिकार में पाया । इन उत्तराधिकारियों में अतीत काल की विचारधारा और उसके व्यवहार के कुछ अवशेष थे । वे उस यज्ञ को विधि रूप में और मन्त्रों के छंदों को इस आशामय विश्वास से अपने साथ लिये रहे मानो उसके

अनुकरण द्वारा धन और आनंद की उपलब्धि हो सकती है" ( भागे पृ० ६१-९२ ) ।

उत्पत्ति और श्रम का विभाजन : यद्यपि आदिम साम्यसभ्य की उत्पादन-शक्तियों में विकास हो रहा था, फिर भी श्रम की मात्रा बढ़ जाने पर भी जीवन में दरिद्रता बढ़ रही थी । सत्र श्रम के द्वारा जो श्रम विभाजन की व्यवस्था थी भी उसके द्वारा ऐसी आशा नहीं थी कि जीवन में एक ऐसी स्थिति आ सकेगी, जिससे स्थायी रूप से अधिक हिन का विकास हो सकेगा । यद्यपि इन उत्पादन के आरंभिक साधनों में विकास नहीं हो पाया था, तथापि सारे उत्पादन पर उत्पादकों का ही नियंत्रण था । उत्पादन के इन अविकसित साधनों के कारण आदिम साम्यसभ्य ( कम्यून ) में श्रम विभाजन की रीति का अभाव रहा । इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि तब तक समाज में न तो वर्ण भेद की विधायें पैदा हुई थी और समाज का आकार बहुत छोटा था । पूरे साम्यसभ्य का निर्माण विशों ( बस्ती के निवासी ) द्वारा होता था ।

आदिम साम्यसभ्य में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति और श्रम विभाजन की प्रणाली का उदय धीरे-धीरे हुआ । सत्र यज्ञों के युग में हम इतना अन्तर अवश्य पाते हैं कि जहाँ पुरुषों का कार्य शिकार करना, युद्ध करना, पशु पालन या वहाँ नारी घर का प्रबन्ध करती थी, भोजन बनाती थी, पशुओं को पालती थी और बस्ती की निकटतम भूमि में अन्न उपजाती थीं । किन्तु ये इतने अस्पष्ट प्रमाण हैं कि इनके द्वारा ठीक तरह से श्रम-विभाजन की वास्तविक रूपरेखा नहीं समझी जा सकती है ।

वस्तुतः यज्ञ के अनुयायी आर्यों का प्राचीन समाज एक गण-संघटन था । उस संघटन के सभी सदस्य कुटुम्ब से एष रक्त से संबंधित थे और उसको स्वयंचालित सशस्त्र संघटन कहा जा सकता है । इस प्रकार के प्राचीनतम दस गण थे, जिनके नाम हैं यदु, तुर्वशा, द्रुह्यु, अणु, पुरु, अग, बग, कलिंग, पुद्र और सुह्य ।

विवाह सम्बन्ध आर्य-समूहों के संघटन का एक ठोस आधार गोत्र शब्द से प्रकट होता है । हिन्दुओं की विवाह संबंधी व्यवस्था के लिए सगोत्र-असगोत्र को दृष्टि में रखना आवश्यक होता है । अपनी आदिम अवस्था में आर्य लोग अपने गोत्र के अंतर्गत ही विवाह करते थे, किन्तु बाद में, जब कि वे जनसंख्या में बढ़कर अलग-अलग क्षेत्रों में फैल चुके थे और उनका आर्थिक स्तर तथा

विचार का धरानल अग्रिक व्यापक हो गया था, तब सगोत्र विवाह निषिद्ध ठहराये जाने लगे थे, जँसा कि आज भी प्रचलित है ( डंगि, पृ० १०७ ) ।

हिन्दुओ की विवाह-व्यवस्था के सम्बन्ध मे इतिहासकारो के विचार बहुत ही उलझे हुए रहे हैं । हिन्दुओ मे बहु-पतित्व या बहु-पत्नीत्व का आधार पशुओ की यौन प्रवृत्ति को मानने वाले कुछ पूँजीवादी बुद्धिजीवी विद्वानो का कहना है कि आरम्भ मे पुरुष-नारी के बीच यौन सम्बन्ध का आधार प्राकृतिक था, किन्तु इधर नयी खोजो के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि आरम्भ मे भी पुरुष-नारी का यौन-सम्बन्ध समाज द्वारा ही नियन्त्रित होता था, उनके सम्बन्धो की नैतिकता या आचार विचार का नियन्त्रण न तो ईश्वर के हाथ मे था और न प्रकृति के हाथो मे ही ।

व्यावहारिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो हिन्दुओ मे विवाह की जो प्रणाली आज प्रचलित है, अपने प्रकृत रूप मे वह ऐसी ही नहीं थी । महाभारत ( आदिपर्व, १२२ ) मे लिखा है कि कलियुग के चारों विवाह और परिवार का स्वरूप सर्वथा नया था, जो कि कुछ आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए एक नया सामाजिक प्रयोग था और वह प्राकृतिक नहीं था । महाभारत ( शा० प० २०६, ४२-४४ ) मे युगो के अनुसार यौन-सम्बन्धो के चार रूप बताये गये हैं, जिनके नाम हैं सकल्प, सत्पत्नो, मैथुन और द्वन्द्व ।

डंगि जी ने अपनी पुस्तक ( पृ० १११ ) में इन चार प्रकार के यौन-सम्बन्धो की व्याख्या करते हुए कहा है "सञ्कल्प यौन-सम्बन्ध वे होते थे जिनमे कोई बधन नहीं था । यह सम्बन्ध किन्हीं दो व्यक्तियो मे हो सकता था, जो इसकी कामना या इच्छा करते थे । इस कामना पर कोई भी सामाजिक या व्यक्तिगत रोक नहीं थी । सत्पत्नो वह यौन-संबध था जिसमे अपने अत्यन्त निकट संबंधियों के साथ यौन-संबध स्थापित करने पर रोक लगा दी गयी थी और एक गोत्र मे विवाह करने का निषेध कर दिया गया था । उस समय भिन्न-भिन्न गोत्र आपस मे यह संबध स्थापित करते थे । प्राकृतिक वैवाहिक संबध की अन्तिम अवस्था मैथुन है । महीं से मूष-विवाह का अंत हो जाता है । जब तक पति-पत्नी की इच्छा रहती थी, तब तक वे एक कुटुम्ब मे बँधे रहते थे और दूसरे नर-नारियो से यौन संबध नहीं स्थापित करते थे । द्वन्द्व यौन-संबध का वह रूप है जो कलियुग मे प्रचलित है और जिसके अनुसार एक पति और एक पत्नी का जोडा होता है । यौन-संबध के इस रूप के अनुसार नारी, पुरुष की दासी होती है, और वह ( पुरुष ) व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार और

एकाधिपत्य की शक्ति लेकर निरन्तर नारी के हितों का विरोधी बना रहता है।”

समान वितरण जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गयी, वैसे वैसे उत्पादन की आदिम पद्धतियाँ बदलने लगीं। गण गोत्र टूटने लगे और पूरे एशिया महाद्वीप में, जहाँ जिसको सुविधा मिली, वही लोग बसने लगे। जिन स्थानों पर कोई न था वहाँ बस्तियाँ बसाई जाने लगीं और जहाँ पहिले ही से लोग बस चुके थे, वहाँ अधिकार जमाने के लिए युद्ध होने लगे। अधिकारलिप्ता की भावना ने लूट मार और युद्धों की वृद्धि कर दी थी। युद्ध में शत्रुओं को जब बंदी बनाया जाता था तो उनमें से कुछ को वीरता, सुन्दरता या कलाविद् आदि होने के कारण गण में शामिल कर दिया जाता था, जो कि पूरी तरह गण के सम्बन्धी तथा सदस्य मान लिये जाते थे, लेकिन जिनको साम्यसभ की छोटी आर्थिक अवस्था में नहीं खपाया जा सकता था उन्हें, परिश्रम द्वारा अधिक फल की प्राप्ति न होने की सम्भावना से, मार दिया जाता था। उनको साम्यसभ का शत्रु समझा जाता था और पुरुषभेद की योजना कर उन्हें अग्नि में बलिदान कर दिया जाता था। बाद में उन्हें मारा नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके बदले अग्नि में धी की आहुति देकर उन्हें छोड़ दिया जाता था या दास बना लिया जाता था। विकास की अवस्थाएँ ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गयीं, श्रम का मूल्य बढ़ने लगा। ऐसी दशा में युद्ध वदियों को आर्य लोग अग्नि में भोंक देने या भगा देने की अपेक्षा अपना दास बनाने लग गये। “व्यक्तिगत संपत्ति और वर्ग समाज के उदय होने के साथ-साथ आर्यों के समाज ने शीघ्र ही देखा कि आचारशास्त्र का एक नियम—जो सामूहिकतावादी व्यवस्था में सबके हितों को साधता हुआ भुखमरी से सबकी रक्षा करने और साम्यसभ के हर सदस्य के बीच एक समान की वितरण शर्त थी—किस प्रकार से अपने विरोधी रूप में प्रकट हुआ। किस तरह वही नियम उत्पीड़न, एकाधिपत्य, घोड़े से शोषकों के वर्ग के पास संपत्ति के संचय कराने में सहायक हुआ और बहु-संख्यक श्रमिकों, दुबैलो, रोगियों, वृद्धों, दरिद्रों तथा असह्य गरीब शूद्रस्यो, नये कलियुग की संस्कृति में दासों और चाकरों के लिए भुखमरी का कारण बन गया” ( डगि, पृ० १४१ )।

वर्ण-विभाजन : आर्यजातियों की प्रथम विकासावस्था में उत्पादन, कार्य और श्रम की अनेकता के कारण श्रम का विभाजन शुरू हुआ। इससे साम्य-सभ के सदस्यों के बीच भेद पड़ने लगा, और फलतः वे अलग-अलग कार्यों को अपना कर वर्गों में विभक्त होने लगे। लेकिन विकास की इस पहिली

स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति की भावना न होने के कारण उन वर्गों में पारस्परिक विरोध या द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ था। विकास की दूसरी अवस्था में आर्यों के विभिन्न गणों के बीच संपर्क और सघर्ष होना आरम्भ हुआ, और तभी से अतिरिक्त उत्पादन का विनिमय प्रारम्भ हुआ। इन वर्गों ने अपने को अन्य विरोधी वर्गों में बाँट लिया था और आदिम साम्यसंघ सदा के लिए ध्वस्त-भिन्न होकर उनके बीच गृहयुद्ध या वर्गयुद्ध आरम्भ हो गया।

ऐसी स्थिति में उन्नतिशील साम्यसंघ को बाध्य होकर युद्ध-संचालन और सुरक्षा संबंधी कार्यों को विशेष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के हाथ में सौंप देना पड़ा। जिन्होंने युद्ध का संचालन और सुरक्षा के अधिकारों को अपने हाथ में लिया वे क्षत्र हो गए। जिन्होंने ऋतुओं का विचार, बाढ़ तथा नदियों आदि की गति को जानने का कार्य संभाला वे ब्राह्मण कहलाये और बाकी जो लोग बच गये थे उन्हें विस या सामान्य लोग कहा जाने लगा, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी। ये लोग पशु पालन, कृषि, दस्तकारी आदि कार्य करते थे। धीरे-धीरे जब थम की सामूहिक स्थिति टूटने लगी तो विनिमय के साधन धन संपत्ति का सर्वाधिकार क्षत्र ( प्रजापतियों ) तथा ब्राह्मण ( गणपतियों ) के हाथों में संचित होने लगा। इस प्रकार समाज दो प्रमुख वर्गों में बँट गया। एक ओर तो धन-संपत्ति वाले क्षत्र तथा ब्राह्मण थे और दूसरी ओर परिश्रम करने वाले विस तथा अन्य लोग हो गये। साथ समाज अमीरों और गरीबों में बँट गया। ऐसे समाज में दास या शूद्रों के लिए कोई स्थान न था। ये दास या शूद्र आर्य थे, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था तथा दूसरों के हाथ बेचा जा सकता था। उनका न कोई परिवार था न कोई देवता।

सर्वहारा वर्ग . यज्ञ-फल के उत्पादन का उपयोग पहिले सब लोग समान-रूप से करते थे, किन्तु बाद में अकेले ब्राह्मण ही उनके स्वामी बन गये। क्षत्र सरदारों का भी यही हाल था। केवल विस ही ऐसे थे जो शूद्रों के साथ मिल कर कठार परिश्रम करके भी दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। श्री ऋषि महोदय ने अपनी पुस्तक में वैदिक युग में सर्वथा असमान समाज का स्वरूप और उसके प्रति ऋग्वेद के कवि का विक्षोभ इस प्रकार उद्घृत किया है।

“क्या ईश्वर के हाथों में मनुष्य के लिए अकेला दण्ड भूख है? अगर देवता की यह इच्छा है कि गरीब लोग भूख से मरें, तो धनी लोग अमर क्यों नहीं हैं? भूख ( धनी ) के पास भोजन का जमा होना किसी की भलाई नहीं करता। वह सिर्फ अपने आप ही खाता है, अपने दोस्तों को भोजन नहीं देता है। लोग उसकी बुराई करते हैं” ( ऋग्वेद १०।११७ )।



तत्कालीन समाज के सर्वाहारी वर्ग के प्रति शेष जनता की धारणा कितनी विषम तथा द्वेषयुक्त थी, इसका एक उदाहरण डॉ. जी. ने उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि —

“हमारे पास अनेक काम, अनेक इच्छाएँ और अनेक सकल्प हैं। बढई की कामना आरे की आवाज सुनने की है। दँध, रोगों की कराह सुनने की अभिलाषा रखता है। ब्राह्मण को मजमान की अभिलाषा है। अपनी लकड़ी, पक्षा, निहाई और भट्टी को लेकर लुहार किसी धनी की राह देख रहा है। मैं एक मायक हूँ। मेरा बाप बैध है। मेरी माँ अध कूटती है। जिस तरह से चरवाहे गावों के पीछे दौड़ते हैं, हम लोग उसी तरह से धन के पीछे दौड़ रहे हैं” ( ऋग्वेद ६।११२।१-३ ) ।

इस प्रकार सारा समाज श्रम के अभाव में दुःखी और उपयुक्त जीविका पाने के लिए विकल था। धन-संपत्ति का सारा उत्तराधिकार कुछ ही व्यक्तियों ने हथ लिया था और शेष सारा बृहत् समाज, सारे शिल्पज्ञ, कलाकार और कारीगर आजीविका के लिये तड़प रहे थे। जन सामान्य की इस सामूहिक माँग ने तत्कालीन समाज में एक नयी क्रांति को जन्म दिया।

इस क्रांति का पहला प्रभाव तो प्राचीन साम्यसंघ की एकता पर पड़ा। उसमें आत्म विरोध बढ़ते जा रहे थे और शर्न-शर्न उसके टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे। प्राचीन यज्ञ-गण-गोत्र के विरोध में उत्पादन के नये मन्बन्ध उग रहे थे। दास प्रथा के आधार पर निर्मित व्यक्तिगत-संपत्ति की व्यवस्था अब समानता और स्वाधीनता के आधार पर निर्मित नयी व्यवस्था के आगे हस्त होने लग गयी थी। आर्य-गण अब गृह-युद्ध से बुरी तरह घिर गये थे।

वर्ण व्यवस्था के कारण जिस नयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ था और जो निरन्तर ही विकसित हो रही थी उसने आर्यों की प्राचीन अखण्ड गण-व्यवस्था को पराभूत कर लिया था। अपनी स्थिति को स्थिर बनाये रखने के लिये गणों ने हवन और दान के पुराने नियमों के पालनार्थ आवाज उठायी और प्राचीन प्रथा के अनुसार उत्पादन के उपभोग, वितरण तथा उपयोग का नारा लगाया, किन्तु उनके ये उपदेश अब सफल न हो सके। यद्यपि गणों के बीच धनी और निर्धन दोनों प्रकार के लोग थे, तथापि धनी वर्ग ही लाभान्वित था। ब्रह्म सब वर्ण के संपत्तिशाली वर्ग विभो और षूद्रों के श्रम के शोषक बने हुए थे, दासों और पशुओं का एकाधिकार स्वागम्य वे पहिले ही से प्राप्त कर चुके थे। यही कारण थे, जिससे वर्ण-भेद, धर्म भेद में बदल गया और आत्मयुद्ध तथा गृह-युद्ध की भावना तेजी से उमड़ पड़ी।

व्यक्तिगत संपत्ति का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि साम्यसभ के परिवार और घर तक बिच्छिन्न हो गये । पितृसत्ता की प्रबलता ने मातृसत्ता को दबा दिया, जिसके कारण पतियों से पत्नियों का और पुत्रों से माताओं का विरोध उठ खड़ा हुआ और यद्यपि अब भी प्राचीन श्रुति को ही प्रमाणिक माना जाता रहा, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से मूलप्रयोग तथा स्मृतिप्रयोगों को ही अपनाया जाने लगा था ( शनि, पृ० १८० ) ।

विश्व लोकतन्त्र की अवस्था अब बहुत ही दयनीय हो गई थी । संपत्तिशाली ब्रह्म-सत्त परिवारों ने उनको भी चूस डाला था । वे जितना ही गरीब होते जा रहे थे, उतना ही विचित्र दासों की ओर भुक्तते जा रहे थे और ब्रह्म-सत्त वर्ग से उनके विरोध की खाई उतनी ही चौड़ी होती जा रही थी । मेहनत कर विश्व वर्ग की इस दुर्दशा ने गाँवों और नगरों के विरोध को जन्म दिया । इस स्थिति से सत्ताधारी ब्रह्म-सत्त-वर्ग भयभीत था कि कहीं मेहनतकर शूद्र और गरीब विश्व मिलाकर मारे समान को उलट न दें । सारी शासनसत्ता को, व्यक्तिगत संपत्ति को तथा पितृसत्ता को नष्टकर प्राचीन समानता की स्थापना न कर दें ।

मेहनतकर श्रमिक जनता के इस विरोध, वैमनस्य एवं क्रांति ने परवर्ती साम्राज्यों जन्म दिया । यद्यपि महाभारत-युद्ध ( ३०००-२००० ई० पू० ) से पहिले हिन्दू दास शासन व्यवस्था की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो सकी थी, फिर भी इनका स्पष्ट है कि अर्ध दास और अर्ध सामन्ती राज्यों की वृद्धि ने गणसभों का उन्मूलन करना आरम्भ कर दिया था । महाभारत-युद्ध के बाद पूर्व की ओर गया की बादी में दास राज्यों का अस्तित्व प्रकाश में आने लग गया था ।

अराजक और बँराज्य-सभ निश्चित रूप से यह बताना कि भारतीय इतिहास के परवर्ती साम्राज्यों का उदय कब हुआ था, जरा कठिन है । आर्यों की प्राचीन मन्मत्ता और सम्पत्ति का सबध बहूना अफगानिस्तान, सिन्धु नदी के मैदानों, दक्षिणस्थ हिमालय और पञ्जाब के प्रदेशों से था । यहीं पर आर्य गणों द्वारा वर्ण, संपत्ति, वर्ग और दासता को विकसित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । आदिम साम्य-युग की निम्न गण-व्यवस्था के सम्बन्ध में पहिले बताया गया है, परवर्ती समय तक यद्यपि उनमें से बहुत गण ध्वस्त तथा क्षीण हो चुके थे, तथापि उनका अस्तित्व सर्वथा किन्तु नहीं हुआ था, और इस प्रकार के दीर्घजीवी गणों में अर्षाणी, गणार्षाणी, शुवापर्षाणी, दो-रज्जणी, बी-रज्जणी और बिहद रज्जणी आदि का नाम उल्लेखनीय है, जिनका हवाला आचारारण जैनमूर्तों में देने को मिलता है ।

कोटिल्य के अर्थशास्त्र में ( पृ० ५६२-५६३ ) अराजक और वैराज्य नामक दो गणों का उल्लेख किया है । अराजक व्यवस्था से आधुनिक विद्वानों ने अराजकतावाद का अभिप्राय निकाला है, किन्तु इन गणों की वास्तविकता यह थी कि प्राचीन समय के अनुसार अभी भी वे एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ भोजन करते थे । अराजक गणसभों का जैसा चित्रण हमे अयर्वेद ( ३।३०।५-६ ) में देखने को मिलता है, ठीक वैसी ही स्थिति उक्त गणों की परवर्ती समय तक भी बनी रही । अर्थशास्त्र के उक्त प्रसंग में बताया गया है कि उनके समाज में अपने पराये की कोई द्विविधा ही पैदा नहीं हुई थी । किन्तु दास राज्यों के शक्तिसंपन्न हो जाने पर अराजक जैसे आदिम साम्य-सभों की परम्परा के गणों का निरन्तर ध्वंस होता जा रहा था ।

दूसरे प्रकार के वे गण थे, जिनकी व्यवस्था वैराज्य-पद्धति पर थी । यद्यपि इस प्रकार के गणों ने अपना कोई राज्य तथा राज्यतंत्र का विकास नहीं किया, फिर भी इनमें श्रम विभाजन, संपत्ति की विपमता और पितृसत्तात्मक दासता का विकास हो चुका था । इन वैराज्यों की लोकतंत्र व्यवस्था लोकसभा द्वारा संचालित होती थी ।

अराजक और वैराज्य गणों के अतिरिक्त जानवरों का भी एक समाज था, जिसमें लोकतंत्रवादी व्यवस्था थी, किन्तु यह लोकतंत्र आदिम गणसभों के लोकतंत्र जैसा नहीं था । उसमें त्रिवर्णों का ही शासन था; उसमें शूद्र दासों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । इस प्रकार की जानपद व्यवस्था के गणराज्य उत्तरकुश्त्रो तथा उत्तरमाद्रो के थे, जो उत्तर भारत के हिमालय प्रदेश में रहते थे । ये लोग बड़े शक्तिसंपन्न और अपने श्रम उत्कर्ष पर थे ।

पश्चिमी भारत में इसी समय गणसंघटन की एक स्वराज्य शासनप्रणाली प्रचलित थी । उसका परिचालन ज्येष्ठों की एक समिति द्वारा होता था, जो पैत्रिक हुआ करती थी और जिसका आयोजन चुनाव द्वारा होता था । यद्यपि स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ स्व-शासन प्रणाली होता है, किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था उसमें नहीं थी । उसका संचालन ज्येष्ठ द्वारा होता था, जो स्वराज्य होता था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिम साम्यसभ अपनी पुरातन विशेषताओं को छोड़कर अब व्यक्तिगत संपत्ति, वर्ग सकीर्णता, स्वामित्व, दासत्व और धनी-निर्धन के रूप में बदल गया था । उसकी प्राकृतिक लोकतंत्र व्यवस्था का अन्त होने लग गया था । अभिजातकुल अब राजकुलों में परिवर्तित हो गये थे ।

“जब गण ने व्यक्तिगत संपत्ति, वर्ण और दासता को विकसित कर लिया, तो वह राज्यम् हो गया और वह निर्वाचित नेतृत्व जो ‘शासन करने’ के लिए चुना जाता था, राजन् हो गया।” ( डगि, पृ० १६१ ) ।

वार्ताशास्त्रोपजीवी सघ कौटिल्य ने ( अर्थशास्त्र, पृ० ६६६ ) प्राचीन गण-सघों में शस्त्रोपजीवी या आयुषजीवी और राजशाब्दोपजीवी का उल्लेख किया है। इन सघों उल्लेख कौटिल्य से पूर्व वैयाकरण पाणिनि भी कर चुके थे, किन्तु उनकी समुचित व्याख्या न तो पाणिनि का भाष्य-लेखक ही कर सका और न आधुनिक विद्वानों ने ही की। यहाँ तक डा० जायसवाल जैसे प्रकाण्ड अर्थशास्त्रविद् विद्वान् ने भी उक्त सघों के सबध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। इन गणों का परिचय और उनकी पारस्परिक भिन्नता का स्पष्ट विवेचन डांगे जी ने किया है। उन्हीं के शब्दों में इस प्रसंग को यहाँ उद्धृत किया जाता है

“आयुषजीवी और शस्त्रोपजीवी सघों का अर्थ उन गणों से है, जो अब भी अपनी उस प्राचीन विशेषता को लिये हुए थे जिसके अनुसार उस गण के सभी सदस्य सशस्त्र होते थे। लेकिन सामाजिक सघटन की इसी एक विशेषता का उल्लेख क्यों किया गया? यह इसलिये कि उस समय तक गणसदस्यों ने किसी ऐसे वर्ग शासन और स्थायी वर्ग विभाजन को विकसित नहीं किया था जिसमें केवल शासकवर्ग के हाथों में, अथवा निःशस्त्र श्रमिक जनता के विरुद्ध सेना के हाथों में शस्त्र की शक्ति केन्द्रित होती थी और उसके द्वारा निःशस्त्र जनता शासित होती थी। इस विशेषता का उल्लेख इसलिए किया गया है कि उस समय तक गण का निर्वाचित नेतृत्व एक सशस्त्र पंतुक अभिजात वर्ग में परिणत नहीं हो गया था। राजतांत्रिक वर्ग शासन-सत्ता के लेखक, गण की इस विशेषता की ओर स्वभावतया आकर्षित हुए थे। यह सैनिक लोकतंत्र था। फिर भी उस आदिम साम्यसघ से इसका रूप भिन्न था, जिसमें किसी भी वर्ग की सत्ता नहीं थी। इस गण में संपत्ति भेद प्रवेश कर चुका था। कृषि (वार्त्ता) व्यापार, मुद्रा, धन तथा वितृसत्तात्मक दासता का उदय भी उन गणों में होने लगा था। लेकिन वर्गों के आत्म विरोध इतने तीव्र नहीं हो उठे थे कि निर्धन श्रमशील आर्य विशो का नाश करने की अथवा उनको निःशस्त्र करने की आवश्यकता आ जाती। गण के अन्दर सब लोग श्रम करते थे और शूद्र दासों को छोड़कर सब लोग शस्त्र धारण करते थे। उस सशस्त्र श्रमिक गण में नेतृत्व के पद पर संपत्तिशालियों को चुना जाता था। इस प्रकार के वार्ता-शास्त्रोपजीवी अथवा आयुषजीवी सघों का अस्तित्व भारत में हम ३०० वर्ष ईसा पूर्व तक पाते हैं। उन सघों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं :

“१ वृक, २ दामानि, ३ 'तथा अन्य', ( ३-८ ) छह त्रिगतों का मण्डल ( इस मंडल के छह सदस्य कौण्डोपरथ, दाण्डकी, कौष्टकी, जलमानि, ब्राह्म मुस और जानकि होते थे ), ९ यौधेय तथा अन्य, १० पार्ष्व तथा अन्य, ११ क्षुद्रक, १२ मालव, १३ कठ, १४ सौम्यति, १५ शिवि, १६ पारल, १७ भागल १८ कबोज, १९ सुराष्ट्र, २० क्षत्रिय, २१ श्रेणी, २२ ब्रह्माणक, २३ अवष्ट” ( ढागे पृ० १९३ )

इनमें से अधिकांश गणों का निवासस्थान बाहीक प्रदेश था । यह बाहीक प्रदेश सिन्धु नदी की घाटी में पंजाब से लेकर सिन्ध के दक्षिण तक फैला हुआ था । जिन छह त्रिगतों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे जम्मू के निकट हिमालय के पर्वतीय जिलों में रहते थे । इन गण-सघों में सैनिक लोकतंत्र का प्रभुत्व था और उनमें इतना दृढ़ संगठन था कि सिन्धु नदी के तट पर सिकन्दर की शक्तिशाली सेना को उनसे हार माननी पड़ी थी ।

राजशब्दोपजीवी सघ : प्राचीन गणतंत्रों के प्रसंग में कौटिल्य ने राजशब्दोपजीवी नामक एक दूतरी श्रेणी के गणों का उल्लेख किया है । ( अर्थशास्त्र, पृ० ६६९ ) । श्रेणी के गणों में लिच्छवी, मल्ल, शाक्य, मौर्य, कुकुर, माद्र, अद्यक-वृष्णी, कुरु और पांचाल आदि को रखा जा सकता है । इन गणों में संपत्ति-भेद, गण-युद्ध और लोकतंत्र की शिथिलता के कारण उनकी शासन-व्यवस्था इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि उनमें नेतृत्व का आधार पैतृक परंपरा मात्र रह गया था । उनके निर्वाचित व्यक्तियों की सभाएँ राजन्कहलाती थी । अनेक लिच्छवियों के ७,७०७ राजन् थे । ये लोग शासन सत्ता को चलाने के लिए कार्यकारिणी सभाओं, अफसरों तथा नायकों का निर्वाचन करते थे । इसी लिए कौटिल्य के इन गण सघों को, उनकी कार्य व्यवस्था के अनुरूप राजशब्दोपजीवी सघ कहा है ।

दण्डप्रधान दास-व्यवस्था की विजय और विश लोकतंत्रों के दमन के बाद उभाज में मघधर-गोषण और वार्षिक विकास का आरम्भ हुआ । विस्तृत भूमि-खंडों को कृषियोग्य बनाया गया और इतिहास में पहली बार प्रादेशिक राज्य का अस्तित्व प्रकाश में आने लगा । इस प्रकार की वर्ग-विशिष्ट राजतंत्रवादी राज्य-व्यवस्था ने पशुधन तथा स्वतंत्र प्रजा का बहिष्कार कर दिया और शांति के उद्देश्यों पर आधारित गण के साम्यसघ को समाप्त कर दिया । यही से राज्य-व्यवस्था और दण्ड-व्यवस्था का आरम्भ हुआ ।

## हिन्दु प्रजातन्त्रों की स्थापना

वैदिक युग के बाद का लोक-जीवन अपने-अपने वर्ग का स्वतंत्र शासन करने की ओर तीव्र गति से प्रवृत्त हो रहा था। वैदिक युग में प्रचलित राज-शासन की जगह बाद में प्रजातंत्र ने ले ली थी। मेगस्थनीज ने ( मेगस्थनीज, पृ० ३८, ४० ) परंपरागत, दल-कथाओं के आधार पर यही बताया है कि वैदिक काल के उत्तरवर्ती समाज न राजा के द्वारा शासन की प्रथा का अंत कर दिया था और भारत के विभिन्न भागों में प्रजातंत्र शासन की प्रतिष्ठा होने लग गयी थी।

प्राचीन भारत में प्रजातंत्र शासन-प्रणाली के परिचायक गणतंत्रों और सभाराज्यों के संबंध में हम बौद्धों के धर्मग्रन्थों में प्रचुर सामग्री देखने को मिलती है। भिक्षुओं की गणना के संबंध में महावग्ग ( रेविड्स तथा ओन्डेन-वर्ग का अनुवाद, सड १३, पृ० २६९ ) में कहा गया है कि सब भिक्षुओं को एक जगह एकत्र करके उनकी गणना या तो गण की रीति पर की जाती थी या गोटी के द्वारा मत एकत्र किये जाते थे और मताधिकार के लिए भला-काएँ ली जाती थीं। महावग्ग में एक शब्द गणपूरक ( सड १३, पृ० ८०७ ) आया है, जिसका अर्थ है गण की पूर्ति करने वाला। मनुष्य गणपूरक एक प्रधान अधिकारी होता था। डा० जायसवान ने इसी आधार पर गण शब्द का अर्थ पार्लियामेंट या सिनेट दिया है और यह माना है कि उन्हीं के द्वारा तब प्रजातंत्र राज्यों का शासन होता था ( हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ३० )।

गण शब्द के अनिश्चित सभ शब्द का भी प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख हुआ है। वैयाकरण पाणिनि ने सभ शब्द को गण के अर्थ में प्रयुक्त किया है (अष्टाध्यायी ३।३।८६)। आरम्भ में सभ से प्रजातंत्र का ही बोध होता था, इसका प्रभाव हमें मग्गिमनिकाय ( १।४।५।३५ ) में भी देखने को मिलता है। पाणिनि ने क्षुद्रक, मालव ( अष्टाध्यायी ४।२।२५ ), त्रिगर्त ( ५।३।११६ ) आद्य, वृष्णि ( ५।३।११४ ) आदि प्रजातंत्र के सभटनों का उल्लेख किया है। वे सभ दो प्रकार के थे। एक तो गण और दूसरा निकाय। गण एक राजनीतिक सभा या पचासठ थी। मद्यपि सभी वर्गों के लोग इसके सदस्य हो सकते थे, तथापि शासन करने वाला मन्त्रिमण्डल केवल क्षत्रियों का ही होता था। इसका कार्यप्रचालन बहुमत से होता था। निकाय एक अराजनीतिक समुदाय होता था, जिसमें वनपत्र भेदभाव का अभाव होता था। उसका कार्य भी बहुमत पर था। निष्कर्ष यह है कि उस समय गण और सभ प्रजातंत्र ही थे। भाष्यकार पतञ्जलि ने उक्त दोनों शब्दों की बारीकी के संबंध में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि गण शब्द तो शासन-प्रणाली का पर्यायवाची था और

सघ शब्द से राज्य का अर्थ लिया जाता था। सघ उसे इसलिए कहा गया है, क्योंकि वह एक सस्था या एक समूह था ( महाभाष्य ५।१।५९ )।

कुछ दिन पूर्व मोनियर विलियम, डा० फ्लोट, डा० थामस और डा० जायसवाल आदि विद्वानों में 'गण' शब्द की प्राचीनता तथा उसके उपयुक्त अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए बड़ा विवाद रहा। मोनियर विलियम और डा० फ्लोट ने गण को ट्राइब ( Tribe ) के अर्थ में ग्रहण किया था, जिसका प्रतिवाद डा० जायसवाल ने और उनकी प्रेरणा से डा० थामस ने किया ( जर्नल, रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९१४, पृ० ४१३, १०१०, १९१५, पृ० ५३३; १९१६, पृ० १६२ )।

गण शब्द का उपयुक्त अभिप्राय जानने के लिए जातक, महाभारत, धर्मशास्त्र, अमरकोश, अवदानशतक और जैनग्रन्थों में बिखरी हुई प्रचुर सामग्री देखने योग्य है ( हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ३५-३७ )। इन सभी ग्रन्थों में गण शब्द प्रजातंत्र का ही बोधक है।

प्राचीन भारत के सघराज्यों तथा गणराज्यों के संबन्ध में संघाकरण पाणिनि ( ५०० ई० पूर्व ) ने बहुत सी बातें बताया हैं। पाणिनि के मत से सघ शब्द राजनीतिक सघों की या गणों अथवा प्रजातंत्रों की प्रवृत्ति को प्रकट करने वाला एक पारिभाषिक शब्द है। पाणिनि यद्यपि धार्मिक सघों से परिचित था, किन्तु उसने कहीं भी जैन-बौद्ध सघों का निर्देश नहीं किया। इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि या तो वह जैन-बौद्धों के सघों से परिचित न था या तब तक वे सघ प्रकाश में नहीं आये थे। यही बात कात्यायन ( ४०० ई० पूर्व ) के दृष्टिकोण से भी प्रकट होती है। पाणिनि और कात्यायन ने बाह्योक्त ( बाह्योक्त देश का अर्थ है नदियों का देश। यह शब्द 'वह' धातु से निकला जान पड़ता है, जिसका अर्थ 'बहना' है। बाहिनी का एक अर्थ नदी भी होता था। इस बाह्योक्त देश के अतर्गत सिंध और पंजाब दोनों थे—डा० जायसवाल : हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ४६ तथा फुटनोट, सिल्वेन लेवी - इण्डियन एंटीक्वेरी, भाग ३४, पृ० १८ ( १९०६ ), महाभारत, कर्णपर्व ४४।७। ) देश के कुछ सघों का उल्लेख किया है ( ऋग्वेद अष्टाध्यायी ५।३।११५-११७, वार्तिक ४।१।१६८ ) जिससे प्रतीत होता है कि उन प्रजातंत्रमूलक सघों के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दूसरी जातियों के लोग भी हो सकते थे। पाणिनि ने उक्त सघों को आमुषजीवी अर्थात् 'आमुष के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करने वाले' बताया है। कौटिल्य ने उक्त सघों को शस्त्रोपजीवी ( अर्पशास्त्र, पृ० ६६९ ) कहा है। कौटिल्य ने शस्त्रोपजीवी सघों के विपरीत, भाव रखने

वाले राजशब्दोपजीवी दूसरे सघो का भी उल्लेख किया है ( अयंगर, पृ० ६६९ ) । डा० जायसवाल ने उक्त सघो के सवध में कहा है कि "यदि हम उपजीवी शब्द को 'मानना' या 'धर्म आदि का पालन करना' इस अर्थ में लें तो इससे यह भाव निकलता है कि जो सघ शस्त्र-अस्त्र का व्यवहार करने अथवा युद्धकला में निपुण हुआ करते थे, वे शस्त्रोपजीवी कहलाते थे, और जो सघ राजशब्दोपजीवी कहलाते थे, उनके शासक राजा की उपाधि धारण करते थे । यही बात हम दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि शस्त्रोपजीवी सघों में जो लोग होते थे, वे सब युद्धों में बहुत निपुण हुआ करते थे और राजशब्दोपजीवी सघों के शासक या प्रधान सदस्य राजा की उपाधि धारण करते थे" ( हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ४४, ८१-८२ ) । इस दृष्टि से पाणिनि द्वारा प्रोक्त आयुधजीवी सघो का अभिप्राय युद्धकलाविशारद होना ही युक्तिरूपतः जान पड़ता है ।

वैयाकरण पाणिनि ने तत्कालीन प्रजातंत्र के परिचायक ६ समाजों का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं ( १ ) मद्र, ( २ ) वृजि ( अष्टाध्यायी ४।२। १३५ ), ३. राजन्य ( ४।३।५३ ), ४. अध्वरुच्छणी ( ६।२।३४ ), ५ महा-राज और ६ भर्ग ( ४।३।९७ ) । इन सभी समाजों में प्रजातंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी ।

बुद्धकालीन धार्मिक सघ भारतीय साहित्य और पुरातन भारतीय राजनीति, दोनों के लिए महान् देन छोड़ गये हैं । इन भिक्षुसघो की रचना यद्यपि धार्मिक भावना के आधार पर हुई थी, किन्तु उनका संचालन एवं सघटन अपने समकालीन राजनीतिक सघों की प्रणाली पर सम्पन्न होता था, और वे इतने सफल सिद्ध हुए कि अल्पकाल में ही उनकी बहुश्रुति एवं लोकप्रियता धरती के कोने-कोने तक फैल गयी । उनके द्वारा एक ओर तो मानव जाति की शांति तथा प्रेम की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ और दूसरी ओर सामाजिक अभ्युन्नति के क्षेत्र में प्रजातंत्र की भावना को अधिक उभरने के लिए बल मिला । इस सम्बन्ध में डा० जायसवाल का कहना है कि "बौद्धमघ के जन्म का इतिहास सारे ससार के स्वामियों के सम्प्रदायों के जन्म का इतिहास है । इसलिए भारतीय प्रजातंत्र के सघटनात्मक गर्भ से बुद्ध के धार्मिक सघो के जन्म का इतिहास केवल इस देश वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सारे ससार के लिए भी विशेष मनोरञ्जक है" ( हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ ६१ ) ।

बौद्धकालीन प्रजातंत्र राज्यों का विस्तार पूव में गोरखपुर तथा बलिया के जिलों से भागलपुर जिले तक और मगध के उत्तर तथा हिमाचल के दक्षिण



तक था । ऐसे जनतंत्र राज्यों में शाक्य, कोलिय, लिच्छिवी, विदेह ( वृजी ), मल्ल, मोरिय, वुली और भग का नाम उल्लेखनीय है ( —डेविड्स का अनुवाद—महापरिनिब्बान सुत्तन्त, पृ० ६, २१-२७; Dialogues of the Buddha, पृ० २, १७६-६०, Buddhist India, पृ० २२-२३ ) ।

मेगस्थनीज, एरियन और कटियस आदि यूनानी विद्वानों ने भारतीय प्रजातंत्रों के सम्बन्ध में अपनी आँखों देखा प्रामाणिक वृत्तांत दिया है । उन्होंने तत्कालीन भारतीय राज्य-व्यवस्था के दो रूप बताये हैं एक तो वह जिसमें एकराजस्व शासन प्रणाली प्रचलित थी और दूसरा वह जिसमें प्रजातन्त्र शासन प्रणाली वर्तमान थी । इस प्रकार की शासन प्रणाली वाले तत्कालीन सभराज्यो, स्वतंत्रसभो और राजाधीन गणतन्त्रो में यूनानी इतिहासकारों ने कथई ( कठ ), अद्रेस्टई, सौभूति, क्षुद्रक, मालव, शिवि, अग्रश्रेणी, आर्जुनायन, अबष्ट, क्षत्रिय, मुसिकनि, ब्रचमनोई, पटल, फेजेल ( भगल ), योधेय, बरट्ट, शयेड, गेपालव और कौडिवृयस् आदि की नामावली तथा उनका इतिहास, अथ च उनमें से अधिकांश राज्यों के साथ हुए युद्धों का वर्णन दिया है । ( मेगस्थनीज, एरियन १२, एरियन : अनाबेसिस, ५, २२, २ ए, इन्वेजियन ऑफ इंडिया बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट, कटियस भाग ६, प्रक० ४, डॉ० जायसवाल . हिन्दू-राजतन्त्र १, पृ० ८३-१०८ ) ।

ऊपर कहे गये इतने अधिक सभराज्यों या गणराज्यों की उपलब्धि से हमें विदित होता है कि प्राचीन भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थी । प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रीय शासन-प्रणाली के परिचायक उक्त राज्यों के सम्बन्ध में हमें संस्कृत-साहित्य और पुरातत्त्व में प्रचुर सामग्री देखने को मिलती है । इन विभिन्न शासन-प्रणालियों का स्वरूप-दर्शन, भौज्य शासन-प्रणाली, द्वैराज्य शासन-प्रणाली, अराजक शासन प्रणाली, उग्र शासन-प्रणाली और राजन्य शासन-प्रणाली आदि में किया जा सकता है ।

शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा हो जाने के बाद यद्यपि बहुत-से पुराने प्रजातन्त्र मौर्य राजाओं की नीति को लपेट में बाँधकर मौर्य साम्राज्य में विलयित हो चुके थे, कुछ को सर्वथा नष्ट किया जा चुका था, फिर भी कुछ सुदृढ सभगत राज्य बच गये थे, जिनका अस्तित्व शुंगकाल में तथा उसके बाद तक बना रहा । ऐसे संघातों में योधेय, मद्र, मालव, क्षुद्रक, शिवि, आर्जुनायन, वृष्णि, राजन्य, महाराज, जनपद, वामरथ, शालकायन और औदुम्बर आदि का नाम उल्लेखनीय है ।

डा० जायसवाल ने, प्राचीन भारत में प्रतिष्ठित ८२ प्रजातन्त्रों की नामावली दी है ( हिन्दू-राजतन्त्र, १, पृ० २६७-२७०, परिशिष्ट ख ), जिससे भारतीय जन-जीवन में प्रजातन्त्र के प्रति अदम्य निष्ठा और आत्मोन्नयन के लिए अडिय आस्था का पता चलता है ।

जिन इतिहासकारों का यह कहना है कि भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना अधिक प्राचीन नहीं है उनको भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है । वास्तविकता यह है कि जिस युग के भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित हो चुकी थी, उस समय तक योरोप के अनेक देशों में शासन-मूत्र का आरम्भ हो ही रहा था । जहाँ तक प्रजातन्त्रात्मक शासन का प्रश्न है इसकी स्थापना तो वहाँ और भी बाद में हुई ।

सघात राज्य—आचार्य कौटिल्य ने सघात राज्यों की शासन-प्रणाली और उनके सघटन के सम्बन्ध में अनेक बातें बतायी हैं । महाबलशाली मौर्य साम्राज्य की एकराज शासन-व्यवस्था में अपने अस्तित्व को बनाये रखने की शक्ति इन्हीं सघात राज्यों में पायी गयी । ये सघात प्रजातन्त्र के पोषक थे और उन्होंने एकराज शासन का सदा बहिष्कार किया । इन प्रजातन्त्रवादी सघातों को दम में करने के लिए कौटिल्य ने साम और दान नीति को उपयुक्त बताया है, क्योंकि शक्ति और सघटन की दृष्टि से वे इतने शक्तिशाली होते थे कि उनको जीतना सर्वथा असम्भव था ।

कौटिल्य का सुमाव है कि “जित्नी सध को प्राप्त करना, जीतना, मित्रता सघादित करने या सैनिक सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक उत्तम है । जिन्होंने मिलकर अपना सध बना लिया हो, उनके साथ साम और दान की नीति का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे अजेय होते हैं । जिन्होंने अपना सध इस प्रकार का सध न बनाया हो, उन्हें दण्ड और भेद की नीति में जीतना चाहिए ।” ( अर्थशास्त्र, पृ० ६६६ )

इस विवरण से प्रतीत होता है कि जो गण या प्रजातन्त्र राज्य बलवान् होते थे और मिलकर अपना सघात बना लेते थे, मौर्यों की एकराज व्यवस्था में भी वे स्वच्छन्द रूप से रहने थे, किन्तु सघातरहित राज्य भेद या दण्ड से वश में किये जा सकते थे । यह भी पता चलता है कि उन सघात गणों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना था और आवश्यकता होने पर साम-दान के द्वारा उनसे मित्रता गाँठकर उनसे सैनिक सहायता भी प्राप्त की जाती थी । अशोक के शिलालेखों में पाये जाने वाले यौन, बबोज, माघार, राट्टिक, विठिनिक, नामक-भोज, बाध और पुलिद आदि ऐसे ही अठभुक्त

पहोसी है जिनको कि अपरात कहा गया है, प्रजातन्त्र राज्य थे, जिनमे से कुछ तो अपने मुद्द सघातों में बड़ होकर बहुत बाद तक बने रहे, जैसे कि राष्ट्रिक, भोजक आदि, और कुछ सघातरहित गणराज्यों को मौर्य साम्राज्य ने स्वायत्त कर सदा के लिए विच्छिन्न कर दिया था ।

इस प्रकार हिन्दू प्रजातन्त्र का इतिहास बहुत प्राचीन है और प्रत्येक युग की शासन प्रणाली में प्रजा की अभिरक्षियों एवं धारणियों को अधिक सम्मान के साथ अपनाया जाता रहा है । प्राचीन भारत के सघातराज्यों का अविविक्त शासन इस बात का प्रमाण है कि राज्यों के निर्माण विकास में प्रजा का कितना महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त था ।

### अर्थशास्त्र में वर्णित संघराज्यों का वृत्तान्त

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन संघराज्यों के वृत्तांत के लिए स्वतन्त्र अधिकरण ( ११ वां अधिकरण ) की रचना की है । इन संघराज्यों के वृत्त से हमें उनके मुद्द सघटन और साम्राज्य के प्रति उनकी रीति-नीति का अच्छा परिचय मिलता है । यद्यपि प्रतापी चिकन्दर के आक्रमणों ने तत्कालीन भारत के बहुत-से छोटे राज्यों को ध्वस्त कर दिया था, तथापि उससे एक बड़ा कार्य यह हुआ कि विघटित छोटे-छोटे राज्यों को एक सघटित संघराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया ।

कौटिल्य ने दो प्रकार के संघराज्यों का उल्लेख किया है . एक तो राजा उपाधि धारण करने वाले राजशासित राज्य और दूसरे बिना राजा की उपाधि धारण करने वाले संघराज्य । इन संघराज्यों की उपयोगिता के संबंध में कौटिल्य का अभिमत है कि 'दण्डलाभ और मित्रलाभ, दोनों की अपेक्षा संघलाभ उत्तम होता है । सघटित होने के कारण संघराज्यों को दलवान्-से-बलवान् शत्रु भी दबा नहीं सकता ।' ( अर्थशास्त्र, पृ० ६६६ )

राजा की उपाधि धारण करने वाले जिन संघराज्यों के सम्बन्ध में कौटिल्य ने प्रकाश डाला है उनके नाम हैं तिच्छिविक, वृजिक, महलक, मद्रक, कुकुर, कुह और पाचास । दूसरी श्रेणी के, बिना राजा की उपाधि वाले संघराज्यों को कौटिल्य ने शल्ल, व्यापार और कृषि द्वारा जीविका-निर्वाह करने वाले बताये हैं । उनके नाम हैं काबोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणी आदि ( अर्थशास्त्र, पृ० ६६६ ) । विजय की इच्छा रखने वाले राजा को किस रीति-नीति से इन संघराज्यों को स्वायत्त करना चाहिए अपवा मित्रता द्वारा

उनसे किस प्रकार लाभ उठाना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ( अर्थशास्त्र, पृ० ६६९-६७५ )।

ऐतिहासिक दृष्टि से अब हम उक्त सधराज्यो और उनकी प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली पर विचार करेंगे।

लिच्छवियों : भारतीय इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान् डा० चिन्टो स्मिथ ने लिखा है कि लिच्छवियों का सम्बन्ध तिब्बत से था। इस सम्बन्ध में पहिली दलील तो उन्होंने यह दी है कि लिच्छवियों के बीच तिब्बत में प्रचलित यह प्रथा वर्तमान थी कि वे अपने मृतको को यों ही जगल में फेंक जाते थे, और दूसरा आधार उन्होंने यह दिया है कि लिच्छवियों को न्याय प्रणाली तिब्बत में प्रचलित न्याय-प्रणाली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है (अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, तीसरा संस्करण, पृ० १५५)। इसी अभिमत को स्मिथ साहब अपने एक निबन्ध 'लिच्छवियों का तिब्बती रत-संबन्ध' में बहुत पहिले प्रकट कर चुके थे ( इण्डियन एटोक्वेरी, पृ० २३३-२३५, १६०३)। इन आधारों पर उन्होंने लिच्छवियों का मूल निवास तिब्बत बताया है।

चिन्तु डा० जामतवाल ने मस्कृत के नाटकों, सनातनी हिन्दुओं में प्रचलित सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों और मनुस्मृति में उल्लिखित प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि शव-संस्कार की उक्त प्रथा का पुरातन हिन्दुओं में व्यापक रूप से प्रचार था। इस सम्बन्ध में उन्होंने 'अटुकथा' के प्रामाणिक विवरण को भी उद्धृत करते हुए डा० स्मिथ की इस धारणा का भी खंडन किया है कि लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली, तिब्बतियों की न्याय-प्रणाली से मिलती है। लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली, को डा० जामतवाल ने महाभारत में प्रतिपादित ( शांतिपर्व, अध्याय १०७ ) गणनन्दों की न्याय-प्रणाली पर आधारित बताया है ( हिन्दू-राजतन्त्र, १, पृ० २४६-२५४ )।

व्याकरण-व्युत्पत्ति के अनुसार लिच्छु के अन्यायी या धराज लिच्छवी कहलाते हैं। यह नाम उनकी आवृत्ति के अनुसार पडा हुआ मालूम होता है। बौद्धग्रन्थ महापरिनिम्बान सुत्त ( ५।१९ ) में लिच्छवियों के पड़ोसी वाणिष्ठ मल्ल बहे गये हैं। लिच्छवियों का मूल निवास वैशाली था, जिनकी वंशपरम्परा आर्यों से संबद्ध है। वे विद्युद्ध भारतीय थे। विदेह और लिच्छवि, दोनों एक ही राष्ट्रीय नाम वृत्ति से प्रसिद्ध थे। दोनों ही एक राष्ट्र या एक जाति की दो शाखाएँ थीं ( हिन्दू-राजतन्त्र, १, पृ० २५४ )।

मल्लों के वृद्ध सभागार ( मार्जजनिक् भवन—House of Com-munal Law ) का उल्लेख महापरिनिब्बान मुत्त ( ६।२३ ) में हुआ है । इसमें लिखा गया है कि बुद्ध भगवान् के निर्वाण की सूचना देने के लिए आनन्द जब मल्लों के यहाँ पहुँचा तो उस समय उक्त सभागार में मल्ल लोग एकत्र होकर उसी विषय पर विचार कर रहे थे । जैनों के 'कल्पसूत्र' ( पृ० १२८ ) से विदित होता है कि विदेहों और लिच्छवियों ने एक सयुक्त लोग की स्थापना की थी, जिसमें नौ सदस्य मल्लों के थे ।

लिच्छवियों के प्रसंग में पहिले बताया गया है कि वे मल्लों के पड़ोसी थे । मल्लों को महापरिनिब्बान मुत्त ( ५।१६ ) में वाशिष्ठ कहा गया है, जो आर्यों का एक प्रसिद्ध गोत्र था । डा० जायसवाल का कहना है कि मौर्य राज्य की स्थापना के बाद मल्लों की प्रजासत्त शासन-प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, किन्तु ११वीं शताब्दी तथा उसके बाद तक तिरहुत तथा नेपाल में उनके मिश्र-मिश्र बग प्रतिष्ठित प्रकाशित होने रहे । गोरखपुर और आजमगढ़ में आज भी मल्लों के बगज बचे हुए हैं, जो कि व्यापार आदि से जीविकोपार्जन करते हैं (हिन्दू-राजतंत्र भाग १, पृ० ७७) ।

मद्रक मद्रकों का इतिहास बहुत प्राचीन है । यजुर्वेद ( १५।११।१३ ) और ऐनरेय ब्राह्मण ( ८।१४ ) में जिस प्रजासत्त शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है, उसमें उत्तर मद्र और उत्तर कुह भी सम्मिलित हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी में मद्रों का उल्लेख दिशा के विचार से हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके शासन के दो विभाग थे । (अष्टाध्यायी ४।२।१०८, ७।३।१३) । एक गुप्तकालीन शिलालेख ( फ्लोट . गुप्ता इन्सक्रिप्शन्स, पृ० ८ ) से विदित होता है कि पाणिनि के समय में मद्र लोगों की प्रजासत्त शासन-प्रणाली प्रचलित थी और उनकी यह स्थिति लगभग चौथी शताब्दी ई० पूर्व तक बनी रही, मद्रों के दो कूल थे एक तो उत्तर में और दूसरा दक्षिण में । दोनों की शासन प्रणाली मिश्र-मिश्र थी । इस सवध में हमें यह भी पता चलता है कि उत्तर कुहओं के प्रकाश में आने तक उत्तर मद्रों का अस्तित्व पौराणिक कोटि में बना गया था । उनका वैभव अब क्या-बहानियों भर में ही रह गया था । ( मिछिदपह्ल, खंड १, पृ० २-३ ) ।

महामारत ( कर्णपर्व, अध्याय ११, ४४ ) से हमें पता चलता है कि उत्तर मद्रों की राजधानी शाकल ( सम्भवत स्यालकोट ) थी । उन्होंने शाकल के आसपास के प्रदेश का नाम अपने नाम पर मद्र रख छोड़ा था । मिछिदपह्ल के उल्लेखानुसार दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में उक्त शाकल नगर मिनेहर

के कब्जे में चला गया था ( गुप्ता इन्सक्रिप्शन्स, पृ० ८ ) । सम्भवत उसी समय मद्र लोग उत्तर की छोड़कर दक्षिण में गये, जहाँ उस समय गुप्तों का सुल सप्त शासन स्थापित था ( हिन्दू-राजतंत्र, भाग १, पृ० १२६ ) । मद्रों की मुठभेड़ समुद्रगुप्त के साथ हुई थी । इसके बाद उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है ।

मद्रों की एक विशेषता उनके सिक्कों में दिखाई देती है । उन्होंने हस्ताक्षर युक्त सिक्के चलाये थे । उनका कोई भी ऐसा सिक्का नहीं मिला है, जिस पर किसी प्रकार का लेख न खुदा हो ।

कुकुर कौटिल्य ने जिस राजा शासित कुकुर सभ का उल्लेख किया है, वह अधिक वृष्णी के समुक्त सभ का एक अंग था । पश्चिम भारत में प्रथम शताब्दी के अंत में उपलब्ध होने वाले शिलालेखों में कुकुरों का उल्लेख मिलता है ( एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८ पृ० ४४, ६० ) । कुकुरों के सबंध में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं होता है । सम्भवत १५० ई० पूर्व के बाद रुद्र-दामन् का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर कुकुरों का अस्तित्व उसी में खो गया ।

कुहू कुहूओं का इतिहास बहुत पुराना जान पड़ता है । वैदिक युग में हिन्दू समाज के जिन विभिन्न वर्गों ( विशो ) का उल्लेख मिलता है उनमें कुहूओं का नाम भी आता है । वे स्वयं को आर्य कहा करते थे ( मेवडानल तथा कीप वैदिक इण्डेक्स ) ।

कुहूओं को कौटिल्य ने प्रजातन्त्रवादी बताया है, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण ( पृ० ८।१४ ) में कुहूओं और पांचालों को एकराजत्व शासन प्रणाली वाले सभ बताया गया है । बुद्ध के समय में उनके राज्य का अस्तित्व घुसला पड़ गया था । सम्भवत बुद्ध के बाद और कौटिल्य से पूर्व ही उन्होंने प्रजातन्त्र को अपनाया होगा ।

पांचाल पांचालों के सबंध में जैसा बताया गया है कि पहिले वे एक राजस्व शासन के पोषक रहे हैं, किन्तु कुहूओं की ही भाँति बुद्ध के निर्वाण के बाद वे भी प्रजातन्त्रवादी हो गये थे, जिस रूप उल्लेख कौटिल्य ने किया है । पांचालों का राज्य मौर्यों के उपरान्त भी बना रहा ।

काम्बोज राजा की उपाधि धारण करने वाले उक्त राजसभों के अतिरिक्त कौटिल्य ने शस्त्र, व्यापार और कृषि द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले गणतन्त्रों में काम्बोज, सुराष्ट्र, सत्रिय तथा श्रेणी आदि का उल्लेख किया है ।

काम्बोजों का मूल स्थान पूर्वी अफगानिस्तान ( काबुल नदी, आधुनिक

कबोह के तट पर ) था । अशोक के शिलालेखों में उनका उल्लेख गांधारो के बाद आया है ( पाँचवाँ अभिलेख ) । पाणिनि ने काबोजो का उल्लेख किया है ( अष्टाध्यायी ४।१।१७५ ), जिससे प्रतीत होता है कि काबोजो में जो राजा होता था वह एकराज होता था अथवा निर्वाचित शासक होता था । कौटिल्य के समय में काबोजो की शासन व्यवस्था, पाणिनि के दृष्टिकोण की अपेक्षा सर्वथा बदली हुई दिखाई देती है । कामोज का शब्दार्थ है . निकृष्ट भोज । काबोज भी उसका पर्याय है ।

शासक ( ७०० ई० पूर्व ) के कथनानुसार कामोजो की मातृभाषा संस्कृत थी, किन्तु उनकी भाषा में पड़ोसी ईरानियों की भाषा के रूप मिल गये थे ( निबन्ध २।१।३।४ ) ।

सुराष्ट्र : सुराष्ट्र लोग काठियावाड़ के निवासी थे । बलभी के ५८ ई० पूर्व के शिलालेखों ( जिनका प्रामाणिक बशक्रम डा० जायसवाल ने तैयार किया है, देखिए जे० वी० ओ० आर० एस०, १, १०१; १९१४, एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ४४ ) और रुद्रदामन् के जूनागढ़ वाले शिलालेखों ( एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ६० ), जिनकी स्थिति दूसरी शताब्दी ई० की है, से विदित होना है कि सुराष्ट्र लोग मौर्य साम्राज्य के बाद भी बने रहे । किन्तु दूसरी शताब्दी ई० के लगभग उनके सघटन का महत्व लोप हो गया था, उसके बाद उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व न रह गया था ( हिन्दू-राजतंत्र १, पृ० २१६ ) ।

क्षत्रिय श्रेणी क्षत्रियों और श्रेणियों के संघ में कहा गया है कि ये सिंध के रहने वाले, एक-दूसरे के पड़ोसी थे इरियन, भाग ६, प्रकरण १५ ) । यूरोपीय विद्वानों ने क्षत्रियों को एक विशिष्ट उपजाति ( Xathroi ) कहा है किन्तु अर्धशास्त्र से विदित होता है कि वह नाम एक विशिष्ट राजनीतिक संघ का था । श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं ( ऐशेंट इण्डिया, इटम इन्वेजन बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट, पृ० ३६७ ) । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेणी लोग कई उपजातियों में विभाजित थे और जिन श्रेणियों से सिकन्दर की मुठभेड़ हुई थी वे अथ या प्रथम श्रेणी थे । आधुनिक सिंधी खत्री, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं ।

अथ श्रेणियों के संघ में कहा गया है कि वे बड़े वीर थे । अपनी पराजय के समय उन्होंने अपने स्त्री-बच्चों को उसी प्रकार आग में जला डाला था जैसे जीह्वर के समय राजपूत अपने स्त्री-बच्चों को जला डालते थे ( इण्डियन, भाग ९

प्रक० ४, अलेक्जेंडर, पृ० २३२ ) । प्राचीन भारत के राजसभों में क्षत्रियों और श्रेणियों का अधिकता से उल्लेख पाया जाता है ।

### मंत्रिपरिषद्

प्राचीन भारत में राष्ट्र-संघटन की दृष्टि से मंत्रिपरिषद् का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसकी उत्पत्ति वैदिक युग की राष्ट्रीय सभा से हुई, किन्तु बाद में हिन्दू राज्यों के अशुद्ध तथा उन्नयन की दृष्टि से उसकी उपयोगिता निरन्तर बढ़ती गयी । धर्म, अर्थ, शासन, न्याय आदि विषयों पर लिखे गये ग्रन्थों में मंत्रिपरिषद् पर इसीलिए गंभीरता से विचार किया गया कि एक चिरस्थायी एवं सर्वांगीण साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिये उसकी पर आवश्यकता है ।

कौटिल्य ने मंत्रियों की इस सभा को 'मंत्रिपरिषद्' ही कहा है (अर्थशास्त्र, पृ० ४७) इससे पहले जातक ( खण्ड ६, पृ० ४०५, ४३१ ) महावस्तु ( खंड २, पृ० ४१६-४४२ ) और अशोक के शिलालेखों ( तीसरा, छठा ) में उसको परिषदा कहा गया है । धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय के ग्रन्थों में कहा गया है मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति तथा उसके सहयोग के बिना राजा को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए । मनु ने कहा है कि छोटे-बड़े सभी कार्य राजा को मंत्रिपरिषद् के साथ विचार करके करने चाहिए ( मनुस्मृति ७।३०-३३, ५५, ५६ ) । याज्ञवल्क्य ( याज्ञवल्क्यस्मृति १।३११ ) तथा अन्य ग्रन्थ-कारों ने भी यही बात कही है ।

कौटिल्य यद्यपि एक राज्य शासन प्रणाली का समर्थक रहा है, जिसमें राजा ही एकमात्र कर्ता-धर्ता होता है, किन्तु मंत्रिपरिषद् की अतिव्ययंता को उसने भी माना है । उसका कहना है कि राजा को अपने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद् के परामर्श से करने चाहिए और सदिग्ध या विवादग्रस्त विषयों में जो बहुमत द्वारा समर्थित हो उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए ( अर्थशास्त्र, पृ० ४७ ) । कौटिल्य ने कहा है कि इन्द्र का सहस्राक्ष बलिदान इसलिये हुआ कि उसकी मंत्रिपरिषद् में एक हजार बुद्धिमान सदस्य थे । वे ही उसके नेत्र कहे जाते थे ( अर्थशास्त्र, पृ० ४७ ) ।

संपूर्ण प्रजा, साएँ राज्य और यहाँ तक कि राजा भी मंत्रिपरिषद् पर निर्भर है । अर्थशास्त्र की दृष्टि से मंत्री के बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं है । राजा और मंत्री के पारस्परिक संबंध और राज्य के लिये उनकी क्या आवश्यकता है, इसकी खर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि राजा और



मन्त्री साम्राज्यरूपी राकट के दो पहिये हैं, जिनके बिना यह राज्य-शकट आगे नहीं बढ़ सकता है। ( अर्थशास्त्र, पृ० १९ )। मन्त्री ही राजा का ऐसा सहायक है, जो विपत्ति के समय उसकी रक्षा और प्रमाद के समय उसको सावधान करता है।

मन्त्रिपरिषद् की योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक राजकीय समस्या पर विचार करना और राज्य की उन्नति के लिये योजनाएँ बनाना। सभी राज-कार्यों की मन्त्रणा के बाद ही क्रियान्वित करने का कौटिल्य ने विधान किया है। इस मन्त्रणा को राजा एकाकी नहीं कर सकता। अकेले में विचारित कार्य-क्रमों की सफलता संदिग्ध होती है। इसलिए समुचित परामर्श के लिये मन्त्रि-परिषद् की अनिवार्यता स्वयं सिद्ध है।

कौटिल्य का कहना है कि अज्ञात विषय को जान लेना, ज्ञात विषय का निश्चय करना, निश्चित विषय को स्थायी रूप देना, मतभेद हो जाने पर सहाय का निराकरण करना, किसी विषय का आंशिक ज्ञान होने पर ही उस सारे विषय को हृदयगम्य करना ये सभी कार्य मन्त्रिपरिषद् के अधीन होते हैं। इसलिए मन्त्रियों का अत्यन्त बुद्धिमान् होना आवश्यक है ( अर्थशास्त्र, पृ० ४४ )।

किसी भी सुविचारित गुप्त विषय के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिये कौटिल्य ने बड़ा जोर दिया है। कौटिल्य का कहना है कार्यान्वित होने से पहले ही किसी गुप्त योजना का फूट जाना, राजा और मन्त्रिपरिषद् दोनों के लिये अनिष्ट का कारण हो सकती है ( अर्थशास्त्र, पृ० ४३ )। इसलिए मन्त्र की सुरक्षा के लिये पहली आवश्यकता यह है कि मन्त्रणा गृह अत्यन्त सुरक्षित हो। दूसरे में राजा तथा उसके पारिषद् इतने समीप एवं विचारवान् होने चाहिये कि उनकी किसी चेष्टा से उनके गुप्त रहस्यों का भेद प्रकट न हो सके। मन्त्र की सुरक्षा के लिये तीसरी आवश्यकता इस बात की है कि मन्त्रणा में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति मादक वस्तुओं का सेवन न करता हो ( अर्थशास्त्र, पृ० ४३-४४ )।

कौटिल्य ने मन्त्र के पाँच अंग बताये हैं कार्य आरम्भ करने का तरीका, योग्य पुरुषों का सहयोग तथा द्रव्य सचय, देश तथा काल का विचार, अन्यों से आत्मरक्षा और अपनी अभीष्ट सिद्धि का विचार।

मनु ( मनुस्मृति ७।१७ ) और कौटिल्य ( अर्थशास्त्र, पृ० ४६ ) दोनों इस बात में सहमत हैं कि राजा को चाहिये कि पहले वह सब मन्त्रियों से अलग-अलग परामर्श करे और सब उन सबको एक साथ बैठा कर उनके साथ विचार करे। बृहस्पति ( बृहस्पतिशास्त्र १।४, ५ ) का तो यहाँ तक कहना है

कि प्रत्येक ऐसा कार्य भी, जो कि सर्वथा न्यायसंगत एवं धर्मानुमोदित हो, उसको भी मन्त्रियों की समति-स्वीकृति से ही करना चाहिये ।

**मन्त्रियों की सख्या :** मन्त्रिपरिषद् की अनिवार्यता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है, किन्तु उसके सदस्यों की सख्या कितनी होनी चाहिये इस सम्बन्ध में उनकी राय एक नहीं है । मन्त्रियों की सख्या के प्रसंग में कौटिल्य ने बृहस्पति और शुक्राचार्य के मतों को उद्धृत किया है । इस प्रसंग में कौटिल्य ने न तो अपना ही अभिमत दिया है और न उक्त दो आचार्यों के अतिरिक्त किसी तीसरे पुरातन आचार्य को उद्धृत किया है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बृहस्पति और शुक्राचार्य का मत ही कौटिल्य को अभीष्ट था ।

आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों के मतानुसार मन्त्रियों की सख्या सोलह और शुक्राचार्य के समर्थक विद्वानों के अनुसार बीस बतायी गयी है । कौटिल्य ने इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि परिषद् में मन्त्रियों की सख्या इतनी होनी चाहिये कि जिससे वे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादन करते हुए राज्य की उन्नति करते रहे ।

कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद् के प्रमुख चार सदस्य बताये हैं, श्रेष्ठना के अनुसार जिनका क्रम है मन्त्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज ( अर्थशास्त्र, पृ० ३३ ) इनके अतिरिक्त पौर, जानपद आदि भी परिषद् के सदस्य होते थे ।

मन्त्रिपरिषद् वस्तुतः राष्ट्रपरिषद् थी । उसके कार्यों की सीमा मन्त्रियों तथा राजा तक ही सीमित नहीं थी, अपितु वह सारे राष्ट्र के कार्यों, विभिन्न विभागीय अध्यक्षों की रीति-नीति को निर्धारित करने वाली परिषद् थी । उसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक था ।

**मन्त्री और अमात्य :** कौटिल्य के अनुसार मन्त्री और अमात्य दो अलग-अलग पद थे । कौटिल्य ने लिखा है कि 'इस प्रकार राजा को चाहिए कि यथोचित गुण, देश, काल और कार्य की व्यवस्था को देखकर वह सर्वगुण-सम्पन्न व्यक्तियों को अमात्य बना सकता है, किन्तु सहसा ही उनको मन्त्रिपद पर नियुक्त न करे ( अर्थशास्त्र, पृ० ३३ ) ।

इससे स्पष्ट है कि मन्त्री और अमात्य, दो भिन्न भिन्न पद थे और अमात्य की अपेक्षा मन्त्री का पद बड़ा था । कदाचित् बात यह रही होगी कि मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् का सदस्य भी होता था और राजा को भी मुझाव दे सकता था, जब कि अमात्य मन्त्रिपरिषद् का सदस्य तो होता था किन्तु उसको मन्त्रिपद

प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कौटिल्य की विवेचन प्रणाली से हमें यह भी विदित होता है कि मन्त्रिपरिषद् के निर्णय बहुमत पर आधारित थे। बहुमत द्वारा स्वीकृत समर्थित कार्यों को ही कौटिल्य ने क्रियान्वित करने का विधान किया है।

राजा . कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' और उसके जीवन-सम्बन्धी ध्येयों का अध्ययन कर यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि कौटिल्य का उद्देश्य एव जैसे विराट् साम्राज्य की स्थापना करना था, जिसकी शासन सत्ता निरकुश हो और जिसके अतुल्य बल-शैभव के समक्ष किसी को भी शिर उठाने का साहस न हो, फिर भी उसकी नीति के अन्तराल में लोक कल्याण की एक व्यापक भावना विद्यमान थी, जिसका उल्लंघन उसने कभी भी नहीं किया और सम्भवतः यही एक भारी कारण रहा कि कौटिल्य की निरकुश नीति में प्रजातन्त्री विचारों का आश्रयमय समन्वय था।

कौटिल्य का निर्देश है कि राजा का पहिला कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न रखना है। वस्तुतः राजा नाम की कोई हस्ती ही कौटिल्य के सामने नहीं दिखाई देती है, प्रजा ही सब कुछ है। राजा का अपना कोई हित या सुख अथवा अभीष्ट नहीं होना चाहिए। वह तो प्रजा की सुख-सुविधाओं एव प्रजा के अभीष्टों की व्यवस्था करने वाला एक व्यवस्थापक मात्र है। उस विराट् प्रजा के कुशल धेम के लिए किन किन बातों और किन किन साधनों की आवश्यकता है, इसकी सारी जिम्मेदारी और सारा भार राजा के ऊपर निर्भर है। ( अर्थशास्त्र पृ० ६२-६३ ) कदाचित् इसी लिए विशालदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में एक बार चन्द्रगुप्त अपने परतन्त्र जीवन के लिए इतना झुंझला पड़ता है कि सारा राजपाट छोड़ देने के लिए वह उत्तेजित हो उठता है।

इसलिए राजा के चारित्रिक गुणों के सम्बन्ध में कौटिल्य ने जो सीमाएँ निर्धारित की हैं, उन तक पहुँचना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। सत्कुलोत्पन्न, दैवबुद्धि, बलवान्, धार्मिक, सत्यवादी, तत्त्ववक्ता, वृत्तज्ञ, उच्चादर्श-युक्त, उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला, समर्थ सामर्थों से युक्त, दृढ़निश्चयी और विद्या व्यसनी, राजा के चरित्र के ये प्रधान गुण हैं। ( अर्थशास्त्र, पृ० १८ ) इनके अतिरिक्त उसकी बुद्धि में शास्त्रों को सुनने की उत्सुकता, शास्त्रोपदेश को ग्रहण करने की क्षमता, तदनुसार आचरण करने का शयम और तर्क वितर्क के द्वारा तत्त्व की बात को जान लेने की निपुणता होनी चाहिए।

शौर्य, अमर्य, शीघ्रता और दक्षता, ये चार बातें उसके उत्साह में होनी चाहिये, इन बातों के साथ साथ उसमें वे सभी बातें भी होनी चाहिए, जिनके कारण वह विराट् प्रजा के उच्चादत्तों को जान सके और अपने उन्नत गुणों को प्रजा में क्रियान्वित कर सके। राजा के चरित्र की यह सम्पदा ( पूंजी ) है।

राजा के सदाचरण पर कौटिल्य ने बड़ा जोर दिया है। अपने आचरण को विशुद्ध बनाये रखने के लिए राजा को जितेन्द्रिय होना चाहिए, उसको वृद्धवनों का सहवास करना चाहिए, उसको परस्त्री, परधन और हिंसा आदि कार्यों से सदा दूर रहना चाहिए, अधिक शयन करना तथा लोभ, मिथ्या-व्यवहार, उद्धतवेष एवं अनर्थकारी कार्यों को त्याग देना चाहिए, अधर्मकारी तथा अनर्थकारी कार्यों से उसको दूर रहना चाहिए, धर्म और अर्थ को क्षति न पहुँचाने वाले काम का सेवन करना चाहिए, यदि वह धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में से किसी एक का अधिक सेवन करता है तो अपने लिए वह नाशकारी अनर्थ को पैदा करता है।

कौटिल्य का सुझाव है कि राजा के आचरण पर ही उसके कर्मचारियों का आचरण निर्भर है। यदि वह प्रमादी होगा तो उसके कर्मचारी भी प्रमाद करने लगेंगे और यह भी असंभव नहीं कि प्रमादी राजा के कर्मचारी उसके शत्रु से सन्धि करके एक दिन उसका सर्वस्व ही समाप्त कर डालेंगे। इसके विपरीत यदि राजा उदार, परिश्रमी और विवेकशील होगा तो उसका सारा भृत्यवर्ग उसके इन गुणों को अपनायेगा। इसलिए, कौटिल्य का कहना है कि, उक्त बातों पर ध्यान रखकर राजा को चाहिए कि यत्नपूर्वक सावधानी से वह अपनी उन्नति की ओर सचेष्ट रहे।

ऐसा सभी सम्भव है यदि उसकी कार्य व्यवस्था का ढंग निश्चित रूप से विचारपूर्वक संपन्न होता रहे। राजा की कार्य व्यवस्था नियमित ढंग से संचालित होती रहे, इसके लिए कौटिल्य ने रात और दिन को दो भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग को आठ आठ उप भागों में बाँट दिया है। ब्राह्ममूहूर्त में उठने के बाद रात्रि में शयनपर्यन्त राजा को किस समय क्या कार्य करना चाहिए, इसका कौटिल्य ने व्यौरेवार विवरण दिया है।

राजा के प्रमुख कर्तव्य हैं यज्ञ, प्रजापालन, न्याय, दान, शत्रु मित्र से उचित व्यवहार, विभिन्न विषयों के प्रकाश विद्वानों को उनके उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त करना। ( अर्थशास्त्र, पृ० ६३-६४ ) इसी की अच्छी नीति (मुशामन) कहा गया है और ऐसी नीति के अनुसार आचरण करने वाले राजा को सभी विघ्न-बाधाएँ दूर होकर उसकी उन्नति एवं कल्याण होता है।

प्राचीन भारत की एकराजत्व शासन-प्रणाली को दृष्टि में रखकर स्वभावतः होना तो यह चाहिये था कि सर्वसत्तामान शासक ( राजा ) ही सम्पूर्ण राज-सत्ता का एकाधिकारी व्यक्ति होता, किन्तु अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्त्र विषयक ग्रन्थों में जो नीति-नियम निर्धारित हैं उनको देखकर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक से बड़कर कुछ न थी। राजा और राजपरिवार का वेतन ( वृत्ति ) निर्धारित था, जो कि देश की आय तथा देश की स्थिति पर निर्भर था। राजमाता, पटरानी, दूसरी रानियाँ, राजकुमार और दूसरे राजपरिवार के व्यक्तियों के लिये वेतन नियत था ( अर्थशास्त्र, पृ० ४२०-४२२ )। राजा को यद्यपि स्वामी कहा जाता था, किन्तु उसके अधिकार की सीमाएँ अपराधियों के दमन तक ही सीमित थीं। सार्वजनिक बहुमत से वह बँधा रहता था। वह पौरजानपद की राष्ट्र मधटन की शक्ति के अधीन था। इस दृष्टि से उसकी स्थिति राष्ट्र के एक सेवक या भृत्य से बड़कर नहीं थी। उसका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व और उसकी कोई व्यक्तिगत शक्ति-अशक्ति नहीं हुआ करती थी। हिन्दू राजा की यह दास या भृत्य जैसी स्थिति ही वस्तुतः नैतिक दृष्टि से उसे स्वामित्व के उच्चासन पर अडिग बनाये रखी रही। राज्यरूपी वृक्ष का मूल बताते हुए शुक्रनीतिसार ( ५।१२ ) में उसकी स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। कहा गया है कि “राजा, राज्यरूपी वृक्ष का मूल है, मन्त्रि-परिषद् उसका घड या स्कंध है, सेनापति उसकी शाखाएँ हैं, सैनिक उसके पल्लव हैं, प्रजा उसके पुष्प हैं, देश की सम्पन्नता उसके फल हैं और समस्त देश उसका बीज है।”

इसलिये यदि राजा न हो तो प्रजा और राष्ट्र की क्या स्थिति हो सकती है, यह स्पष्ट हो जाता है।

हिन्दू राजनीति की दृष्टि से राज्य एक ऐसी पुनीत धाती है जो राजा की इसलिये सौंपी जाती है कि वह प्रजा की सुख-समृद्धि और कल्याण कामना के लिए सतत यत्नशील बना रहे। प्रत्येक राज्याभियेक के समय अभिषिक्त राजा को यह कह कर इस पुनीत धाती को सौंपा जाता था कि “यह राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। तुम इसके संचालक, नियामक और उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन-कर्ता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, सम्पन्नता, प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है ( शुक्लयजुर्वेद ९।२२ )।

इसलिये राजा के लिये पहिली प्रतिज्ञा राष्ट्रहित और प्रजा की हित-नामना की हुआ करती थी। हिन्दुओं की एकराजता का यह महान् आदर्श, जिसका

एकमात्र उद्देश्य प्रजा की भलाई या, ससार की तत्कालीन राजनीति के इतिहास में अपना अनन्य स्थान रखता है। वस्तुतः वह एक नागरिक राज्य था, जिसके प्रांतीय शासक या माडलिक सदा ही नागरिक हुआ करते थे। इस एकराज शासन की अनेक प्रणालियाँ प्रसिद्ध थी जैसे राज्य, महाराज्य, आधिपत्य और सार्वभौम। सार्वभौम शासन प्रणाली का विकास आगे चलकर चक्रवर्ती शासन-प्रणाली के रूप में प्रकट हुआ। कौटिल्य ने इसके अवध में कहा है कि 'सारी भूमि या भारत, देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्र तक सीधे उत्तर दक्षिण एक हजार योजन में चक्रवर्ती क्षेत्र है' ( अर्थशास्त्र, पृ० ५९० )। ये शासन प्रणालियाँ भी आगे-आगे बदलती रही, किन्तु उन सभी में प्रजा-कल्याण की भावना सदा ही बनी रही।

### शासन-व्यवस्था

वैदिक साहित्य में हमें दो प्रकार की राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतियों के दर्शन होते हैं नियंत्रित और अनियंत्रित। इन पद्धतियों के स्वामी ( राजा ) का यह दावा रहा है कि उसकी उत्पत्ति देवी है, जो या तो बिना किसी प्रकार के विरोध के देश पर अधिकार कर लेता था अथवा विरोध को दबाकर बलात् सारे शासन को स्वायत्त कर लेता था। नियंत्रण की दशा में तो वह जनता की रजामदी से ही जनता पर अधिकार करता था और दूसरी अनियंत्रित दशा में अपने बल द्वारा उस पर काबू करता था। ये दोनों प्रकार की पद्धतियाँ वंशगत थीं। अनियंत्रित राज्य बलपूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है ऐसा विद्यान हमें अथर्ववेद ( ४।२२ ) में भी देखने को मिलता है। साथ ही वैदिक ग्रंथों में हमें यह भी देखने को मिलता है कि नियंत्रित राज्यतंत्र में राजा या तो चुना जाता है या स्वीकार किया जाता था। ( देखिए ऋग्वेद १।२४।८, १०।१७५।१, अथर्ववेद ३।४।२ )।


तत्कालीन गण आधुनिक प्रजातंत्र के स्वरूप थे। उन गणों ( सभा या समूह ) का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता था। इस प्रकार के प्राचीन गणों में शाक्य, मल्ल, विज्जी, लिच्छवी, मालव, क्षुद्रक, समवस्ताई, पहला, योष्य, कुनिन्द, मित्रि, अर्जुनायन आदि प्रमुख हैं। इन सभी गणों का मुखिया ( राजा ) वंशगत होता था और उनके सार्वजनिक कार्यों का संचालन निर्वाचित सभासदों की एक कमेटी द्वारा संपन्न होता था। इनको शासनपद्धति राजतन्त्रात्मक थी, किन्तु उनकी सध-व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक थी। गौतमबुद्ध के समय तक अस्तित्व में आये गणों का उत्तम समय देविद्वय को बुद्धिस्ट इंडिया में किया गया है, जिनके नाम हैं कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार की

पहाडियों के भाग, अलकप्पा के बुली, केशपट्ट के बलामा, रामगाँव के बालया कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलिवन के भौर्य, विमिया के विदेह और वैशाली के लिच्छवी या विज्जी । इन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्यों का सचासन प्रौढ़ों की एक राजसभा, एक सार्वजनिक सभा ( सभ ) और ग्रामीणों की पचायत द्वारा हुआ करता था । सारे शासन का आधार ग्राम्यसघटन था । ग्राम का मुखिया ( ग्रामीण ) ही कर के भुगतान तथा ग्राम सम्बन्धी दूसरे शासन-प्रवधों के लिए उत्तरदायी समझा जाता था । एक प्रवधक के नियन्त्रण में पाँच से दस गाँव तक होते थे । इसे गोप ( जिला ) कहा गया है । इसी प्रकार के चार ग्राम-समूहों ( गोपो ) का समूह-पति होता था, जिसके शासक को स्थानिक और उसके ऊपर का शासक नागरिक नाम से कहा जाता था । नागरिक अर्थात् राजधानी का प्रमुख । इन सबके ऊपर देख रेख के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी उसको समाहर्ता कहा जाता था । ( अर्थशास्त्र, पृ० १९-१०२ ) ।

शासन-व्यवस्था के प्रसंग में कौटिल्य ने नगर की व्यवस्थापिका सभा ( नगर पालिका ) का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है । उसके छह विभाग बताये गये हैं । प्रत्येक विभाग का सचालन पाँच समस्याओं के हाथ में हुआ करता था । एक विभाग का कार्य कारीगरों ( कलाकारों ) की निगरानी करना था, दूसरे विभाग के हाथ में विदेशियों की देखरेख तथा उनके आवास आदि की व्यवस्था थी, तीसरा विभाग जनगणना, स्वास्थ्य तथा आय-व्यय से संबंधित था, चौथा विभाग मुद्रा तथा विनिमय, तौल, चूनी, पासपोर्ट आदि का कार्य करता था, पाँचवाँ विभाग निर्मित वस्तुओं की निगरानी के लिये नियुक्त था, और छठा विभाग केवल कर-वसूली का था ।

विभागीय अध्यक्ष : धर्म और शासन के क्षेत्र के कार्य करने वाले जिन प्रमुख विभागीय अध्यक्षों का कौटिल्य ने ( अर्थशास्त्र, पृ० ३३ ) उल्लेख किया है, उनकी सूची डा० जयसवाल ने ( हिन्दू राज्यतंत्र, भाग २, पृ० २६१-२६२ ) इस प्रकार दी है :

- १ मन्त्री
- २ पुरोहित
३. सेनापति-सेना-विभाग का मन्त्री
४. युवराज
- ५ दीवारिक-राजप्रासाद का प्रधान अधिकारी
- ६ अतर्बन्धिक-राजदश के गृहकार्यों का प्रधान अधिकारी



७. प्रशास्तृ या प्रशास्ता—कारागारों का प्रधान अधिकारी
८. समाहर्ता—माल विभाग का मंत्री
९. सन्निधाता—राजकोष का मंत्री
१०. प्रदेष्टा—राजाज्ञाओं का प्रचार करने वाला
११. नायक—सैनिकों का प्रधान अधिकारी
१२. पौर—राजधानी का प्रधान शासक
१३. व्यावहारिक—न्यायकर्ता, न्यायाधीश
१४. कामांतिक—खानों और कारखानों आदि का प्रधान अधिकारी
१५. सभ्य—मन्त्रि-परिषद् का अध्यक्ष
१६. दण्डपाल—सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी
१७. अतपाल या राष्ट्रातपाल—सीमाप्रांतों का प्रधान अधिकारी
१८. दुर्गपाल—शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाला अधिकारी

उक्त अठारह प्रकार के राज्याधिकारियों को कौटिल्य ने तीन भागों में विभक्त किया और उसी क्रम से उनका वेतन निर्धारित किया है। पहिली श्रेणी में मंत्री, पुरोहित, सेनापति और मुवराज, दूसरी श्रेणी में दीवारिक, अतर्वांगिक, प्रशास्तृ, समाहर्ता, सन्निधाता, और तीसरी श्रेणी में प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यावहारिक, कामांतिक, सभ्य, दण्डपाल, दुर्गपाल तथा अतपाल को रखा गया है। इन तीनों श्रेणियों के अधिकारियों का वेतन प्रतिदयं क्रमशः ४८००० पण ( रोप्य ), २४००० पण, और १२००० पण निर्धारित किया है ( अर्थशास्त्र, पृ० ४२०-४२२ )।

### राजदूत

राजनीति के क्षेत्र में राजदूत का आज जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, प्राचीन भारत में भी उसको ऐसा ही गौरव प्राप्त था। रामायण, महा-भारत धर्मशास्त्र और कौटिल्य द्वारा उद्धृत पुरातन अर्थशास्त्रकारों की दृष्टि में राजदूत का एक जैसा प्रतिष्ठित स्थान माना गया है। कुछ आचार्यों ने तो आज की भाँति, राजदूत को, मन्त्रि-परिषद् का एक सदस्य स्वीकार किया है। कौटिल्य ने राजदूत को राजा का मुख माना है। ( अर्थशास्त्र, पृ० ५० ) राजा का मुख उसको इसलिये कहा गया है कि अपने राष्ट्र में राजा जैसी व्यवस्था और जैसे नीति नियम निर्धारित करता है, परराष्ट्र में राजा का वही कार्य राजदूत करता है। परराष्ट्र संबंधी कार्यों में वह राजा का प्रतिनिधि माना जाता है।



मनुस्मृति ( ७।६३-६४ ) में राजदूतों की योग्यता के सबध में कहा गया है कि वह बहुश्रुत आकार तथा चेष्टाओं के विकार से हृदयस्थ भावों को पकड़ने वाला, स्मृतिमान, दर्शनीय, दक्ष, सत्कुलीन, राजभक्त, देश-काल का ज्ञाता, पवित्र आचरण करने वाला, वाग्मी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। महाभारत ( शांति० ८५।२८ ) में भी दूत के यही विशेषण गिनाये गये हैं।

राजदूतों को किस ढंग से प्रस्थान करना चाहिये और उनके आचार-व्यवहार के क्या तरीके होने चाहिए, इस सबध में कौटिल्य ने बड़ी बारीकी से विचार किया है। इस सबध में उसका कहना है कि प्राणबाधा उपस्थित हो जाने पर भी राजदूत को चाहिये कि वह अपने राजा के सदेश को अविकल रूप में दूसरे राजा के सामने पेश करे। ( अर्थशास्त्र, पृ० ५० )

राजदूत पर जहाँ एक साथ इतनी जिम्मेदारियाँ और प्राणभय तक की भारी विपत्तियाँ निर्भर हैं, वहाँ उसकी सुरक्षा तथा उसके महत्त्वपूर्ण कार्यों को दृष्टि में रखकर उसको कुछ विशेषाधिकार भी दिये गये हैं। सबसे पहिला विशेषाधिकार उसको आत्मरक्षा का दिया गया है। सभी धर्म शास्त्रकारों और राजनीति के आचार्यों ने एकमत होकर इस बात व्यवस्था दी है कि राजदूत अवध्य है। कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा है कि राजदूत भले ही चाटाल हो, वह अवध्य है, क्योंकि दूत का धर्म अपने मालिक का सदेश पहुँचाना भर है ( अर्थशास्त्र, पृ० ५० ) रामायण में भी कहा गया है कि दूत चाहे साधु हो या असाधु, वह तो दूसरे का भेजा हुआ एव दूसरे की बात को कहने वाला होता है। इसलिए दूत का वध सर्वथा निषिद्ध है ( रामायण सुन्द० सर्ग १२ श्लो० १३ )। महाभारत ( शांति० अध्या० ८५, श्लो० २७ ) में तो कहा गया है कि क्षात्रधर्मरत जो राजा सत्यवादी दूत का वध करता है उसके पितर घ्नून-हत्या के भागी होते हैं।

राजदूत के सबध में ऐसे नीति नियम निर्धारित थे, जिनको प्राचीन काल में भी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त थी। कदाचित् कोई दूत ऐसा महान अपराध कर भी बैठता था, जो वैधानिक दृष्टि से क्षम्य नहीं होता था, तब भी उसको सजा दी जाती थी, प्राणदण्ड नहीं, जैसे कि रावण के अनुरोध पर धर्मवेत्ता विभीषण ने हनुमान के लिए दण्ड निर्धारित किया था।

कौटिल्य ने दूतों की तीन श्रेणियाँ बतायीं हैं : १ निमृष्टार्थ, २ परिमितार्थ और ३ शासनहर ( अर्थशास्त्र, पृ० ४९ )। पहिली श्रेणी के दूतों का प्रमुख कार्य अपने राजा का सदेश ले जाना और अपने राजा के लिये सदेश

लाना था। उन्हे समयानुसार यह भी अधिकार प्राप्त था कि अपने राजा की कार्यसिद्धि के लिये वे स्वयं भी अपनी ओर से बात-चीत कर सकते हैं। इस श्रेणी के दूतों में अमात्य की सारी योग्यताएँ बतायी गयी हैं। दूसरी श्रेणी के परिमितार्थ दूतों के लिये अमात्य की तीन-चौथाई योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं। परिमितार्थ दूत की पहुँच कुछ निर्धारित सीमाओं तक ही रखी गई है, जिससे कि उसका ऐसा नामकरण हुआ। तीसरे शासन-दूतों का एकमात्र कार्य सदेशों का आदान प्रदान करना था।

## गुप्तचर

कौटिल्य की अर्थनीति में गुप्तचरों का स्थान बहुत ऊँचा है। गुप्तचर ( खुफिया विभाग ) का जैसा एकमात्र उद्देश्य आज अपराधों का पता लगाना मात्र माना जाता है, पुराने भारत में इस उद्देश्य को नितांत ही गौण समझा जाता रहा है। वस्तुतः गुप्तचरों की आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में इसलिए आवश्यक प्रतीत हुई जिससे शासक को प्रजा के कष्टों, बलेशो और पीडाओं का पता लग सके। प्रजा की सुख शांति में बाधा उत्पन्न करने वालों और राजकीय नियमों के पालन करने-कराने में रोक लगाने वालों का दमन कैसे हो, इसकी सूचना राजा तक पहुँचाना, गुप्तचरों का प्रमुख कार्य था।

क्योंकि समाज में अनेक वर्ग और उन वर्गों में भी अनेक उपवर्ग होते हैं। इसलिए, समाज के ओर छोर तक के छिद्रों का पता लगाने वाले गुप्तचरों के तौर-तरीकों में भी विविधता का हीना स्वाभाविक सा है। इस दृष्टि से कौटिल्य ने कार्य-भेद से गुप्तचरों के नौ विभाग किये हैं, जिनके नाम हैं ( १ ) काषटिक, ( २ ) उदास्थित, ( ३ ) गृहपतिक, ( ४ ) वैदेहक, ( ५ ) वापस, ( ६ ) सत्री, ( ७ ) तीक्ष्ण, ( ८ ) रसद और ( ९ ) भिक्षुकी।

राज्य की सुव्यवस्था, शासन का पूर्णतया पालन और प्रजा की सुख-शांति का बहुत कुछ दायित्व गुप्तचरों पर निर्भर है। ऊपर जिन नौ प्रकार के गुप्तचरों का निर्देश किया गया है, उनकी कार्य-विधि और उनके पारस्परिक सहयोग का ढंग कैसा होना चाहिए, इसका विस्तार से विवेचन एक पूरे प्रकरण में किया गया है।

इन गुप्तचरों के कार्यों का अध्ययन करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राचीन भारत की शासन-व्यवस्था का यह गुप्तचर-विभाग कितना उपयोगी और ठोस था। उनका सघटन, उनके गुप्त रहस्य और उनकी सकेत प्रणाली इतनी जटिल, किन्तु इतनी व्यवस्थित थी कि उस समय की अन्तरराष्ट्रीय

राजनीति के किस हिस्से में क्या हो रहा है, इसका ज्ञान राजा की गुप्तचरों के द्वारा ही प्राप्त होता था ।

## पुर और जनपद की स्थापना

शासन-व्यवस्था और सुख सुविधा की दृष्टि से कौटिल्य ने समग्र राष्ट्र को दो भागों में विभक्त किया है पुर और जनपद । पुर से उनका अभिप्राय नगर, दुर्ग या राजधानी से और जनपद से शेष सारे राष्ट्र से है । राष्ट्र की सात प्रकृतियों में जनपद और दुर्ग ( पुर ) को इसीलिए अलग अलग माना गया है ।

पुर ( राजधानी ) के प्रमुख अधिकारी को नागरिक कहा गया है और उसी प्रकार जनपद की शासन-व्यवस्था का दायित्व समाहर्ता पर निर्भर किया है ( अर्थशास्त्र, पृ० ९९ ) । राजधानी में शांति-सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए कौटिल्य ने नगर में प्रवेश करने वाले नवागतक व्यक्तियों की देख रैख, नगर-रक्षकों की व्यवस्था, सदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी, अग्निभय की रक्षा का प्रबन्ध, और नगरवासियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए यथोचित व्यवस्था आदि जितनी भी आवश्यक बातें हैं सबको ध्यान में रखा है ।

जनपद की स्थापना किस प्रकार की जानी चाहिए, इस सबन्ध में कौटिल्य ने विस्तार से प्रकाश डाला है । जनपद की सबसे छोटी बस्ती को ग्राम और दस ग्रामों के सघटन से सग्रहण नामक राजकीय कार्यालय की स्थापना का निर्देश किया है ( अर्थशास्त्र, पृ० ७७ ) । दस-दस ग्रामों के उक्त क्रम से दो सौ ग्रामों का सघटन करके एक क्षेत्र का निर्माण और उसमें स्टावंटक नाम की बस्ती ( शासन स्थान ) बसाये जाने की व्यवस्था दी गई है ( अर्थशास्त्र, ७७ ) । फिर चार-सौ गाँवों का सघटन कर उनके शासन के लिए द्रोणमुख की स्थापना होनी चाहिए ( अर्थशास्त्र, ७७ ) । फिर आठ-सौ गाँवों के बीच पूर्वोक्त विधि से स्थानीय नामक राजकीय कार्यालय की स्थापित करना चाहिए ( अर्थशास्त्र, ७७ ) । इसी प्रकार जनपद के सीमान्त पर अतपालों की सरसदा में दुर्गों का निर्माण करना चाहिए, जिनसे कि जनपद में शत्रुओं को न आने दिया जाय ( अर्थशास्त्र, पृ० ८५ ) । जनपद की कुछ अतपाल रहित सीमाओं पर व्याघ्र, शबर, पुलिंद, चाण्डाल और अन्य वनचर जातियों को बसा कर वहाँ की सुरक्षा का भार उन्हीं को सौंप देना चाहिए ( अर्थशास्त्र, पृ० ७७ ) ।

जनपद को ऐसी भूमि में बसाया जाना चाहिए जहाँ नदियाँ, पर्वत, वन

हों; जहाँ अल्पभ्रम से ही अधिक उपज की प्राप्ति हो, जहाँ अच्छी-अच्छी छावों, हावियों के जंगल हो; जहाँ की जलवायु नागरिकों के स्वास्थ्यलाभ के लिए उपयोगी सिद्ध हो; जहाँ तरह-तरह के पशु हो; जहाँ परित्यमी किसान हो; जहाँ की प्रजा दण्ड तथा कर को सहन करने की क्षमता रखती हो। कौटिल्य ने इसको उत्तम जनपद कहा है ( अर्थशास्त्र, पृ० ७७-८१ ) ।

शब्द : समाज के सभी वर्ग, अथ व, समस्त प्रजा अपने-अपने धर्मपालन में एकनिष्ठ रहे, इसकी देख-रेख का सारा दायित्व राजा पर निर्भर है। अपने-अपने धर्मों का सम्मत् पालन प्रजाजन सभी कर सकते हैं जब उन्हें अपने अधिकारों को भोगने और अपने बर्तव्यों को निवाहने के लिए पूरी सुविधायें प्राप्त हों। समाज निर्बाधित रूप में अपने-अपने धर्मों ( बर्तव्यों ) के प्रति निष्ठावान् बना रहे, इसकी उसके अधिकारों की पूरी सुविधायें सुलभ होंगी रहें, इसी हेतु ग्णाय को आवश्यकता हुई।

कौटिल्य जैसे प्रणाली राजनीतिज्ञ ने, जिसके जीवन का अधिकांश भाग राजनीति के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से बीता, न्याय की दिशा में बहुत ही गंभीरता से विचार किया है। न्याय-व्यवस्था को उत्तम दो भागों में बाँटा है : ( १ ) व्यवहार और ( २ ) कष्टवशोधन ।

नागरिकों के पारस्परिक क्लेशों के मूल कारणों का पता लगाकर उनकी विवेचना करना और तब निरपेक्ष होकर दोषों को दण्ड तथा निर्दोषों को मुक्ति देना, कौटिल्य की न्याय-स्थापना का यह पहिला व्यवहार पक्ष है। न्याय-व्यवस्था के दूसरे पक्ष का संबंध राज-कर्मचारियों से है; किन्तु उसके अन्तर्गत पुरोपति और दुर्जन लोगों का भी समावेश किया गया है। अर्थात् राजकर्मचारियों, व्यवसायियों और दुर्जनों से प्रजा की किस प्रकार रक्षा की जाय, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कष्टवशोधन नामक न्याय के दूसरे पक्ष की स्थापना की गयी है।

न्याय-व्यवस्था के लिए कौटिल्य ने त्रिसु व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है वह बहुत ही उपयुक्त बैठता है। आचार्य कात्यायन ने व्यवहार शब्द की निष्पत्ति करते हुए लिखा है वि=नानार्थ; अव=संदेह; और हार=हरण। इस नानार्थ संदेह के हरण माने दूर करने के उपायों का शिर्दर्शन ही व्यवहार के अन्तर्गत किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( पृ० २११-२६० ) में अपने प्रकार के व्यवहार-भागों पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया गया है।

कण्टकशोषण के लिए कौटिल्य ने जो व्यवस्था दी है उससे ऐसा अवगत होता है कि समाज में छोटे-से छोटे छिद्रों और नितासत परोक्ष रूप में घटित होने वाले शोषणों का उसने बड़ी बाजीकी से अध्ययन किया था। इन कण्टकों की तीन प्रमुख श्रेणियाँ बतायी गयी हैं। पहिली श्रेणी में तो कर्मकार ( व्यवसायी ), जैसे धावी, जुलाहे, मुनार, बँध, दूसरी श्रेणी में प्रजा को पीड़ित करने वाले दुष्ट जन और तीसरी श्रेणी में राजकर्मचारियों की लूट-खसोट, गबन तथा कूटकर्म आदि के लिए व्यवस्था दी गयी है।

न्याय की अवस्थिति दण्ड पर निर्भर है। इस हेतु वृहद् धर्मस्य अधिकरण में कौटिल्य ने दण्ड-व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था को पढ़ कर उसकी सत्त्वप्राप्ति बुद्धि का परिचय तो मिलता है, किन्तु इस उद्देश्य के प्रतिपादन में उसने इतना अधिक समय लगा दिया कि उसके द्वारा कल्पित उस निष्कण्टक साम्राज्य की सत्त्वता पर पाठक को सदेह होने लगता है और दण्ड-ही-दण्ड की एकाग्र व्यवस्था से वह भयभीत भी हो सकता है।

कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था के प्रमुख तीन अंग हैं . अर्धदण्ड, शरीरदण्ड और कारागारदण्ड। इनमें भी विकल्प दिये गये हैं। दण्ड का पहिला सिद्धांत अनराध पर आधारित है। जँसा अनराध बँसा दण्ड। फिर अपराधी के सामर्थ्य के अनुसार, अनराधी के ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण के अनुसार, अनराधी की विग्रेय परिस्थिति के अनुसार, अनेक ढंगों पर दण्ड को निर्धारित किया गया है।

अनराधियों के मुँजार और बदीदृष्टों की सुध्वदस्या पर भी कौटिल्य ने विचार किया है। बदी बनाने गये स्त्री-पुरुषों के लिए ऐसे अनेक कार्य सुन्हाये गये हैं, जिनको मोक्ष लेन के बाद कारामुक्त होने पर वे लाभदायी सिद्ध हो सकें, और अनराध की जो सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की रही है, उसकी पूर्ति हो सके।

कौटिल्य का विचार है कि प्रत्येक मनुष्य अरिपद्वयं से पराभूत है, इस-लिए उसका सर्वदा निमित्त, निशेष बना रहना सम्भव नहीं है। काम, क्रोध, मोह, मान, मद और हर्ष ये छहो मनु न जाने कब मनुष्य को उद्वेजित करके उसको अधर्म तथा दुराचरण की ओर ले जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति का शरी तो निश्चय ही समाज में मत्स्यन्याय फैल जावेगा, अर्थात् बलवान् निर्बल को निलज आवेगा। ( अर्थशास्त्र, पृ० १६ )

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने धर्म ( कर्तव्य ) का पालन करे और सदाचार में प्रवृत्त रहे, कौटिल्य की व्यवस्था का यह प्रमुख उद्देश्य है, किन्तु धर्म और सदाचार की अवरोधक प्रवृत्तियों का दमन कैसे सम्भव हो, इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी। कौटिल्य की यह दण्ड-व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक है। जिस रूप में कि मनुष्य का धर्म बना रहे और समाज में लोक कल्याण के आदर्श प्रतिष्ठित रहे, वैसे विधान से दण्ड की व्यवस्था की गयी है। इस सबध में कौटिल्य का अभिमत है कि अपराधियों के लिए ऐसा दण्ड निर्धारित होना चाहिए जो कि उद्वेगकर न हो, मृत्युदण्ड से प्रजा दण्ड देने वाले का ही तिरस्कार करने लगती है, उचित दण्ड ही कल्याणकर होता है, भली भाँति विचार करके निर्धारित किया गया दण्ड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में लगाये रखता है, ईर्ष्या, द्वेष और अज्ञान के द्वारा अविचारित दण्ड जीवनमुक्त वानप्रस्थों और परिव्राजकों तक को क्रुपित कर देता है, फिर भला गृहस्थ लोगो के सबध में तो उसकी कल्पना करना भी भयावह है। ( अर्थशास्त्र, पृ० १३ )

कौटिल्य के मतानुसार दण्ड का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि आन्वीक्षिकी, नयी, वार्ता और दण्ड, इन चारो विद्याओ में दण्डनीति ही एक ऐसी बलवती विद्या है, जिसके द्वारा शेष तीनों विद्याओ का सुविधापूर्वक संचालन किया जा सकता है। ( अर्थशास्त्र, १२ ) वस्तुतः कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था की योजना का सपूर्ण आधार लोककल्याण और लोकरक्षा के निमित्त जान पड़ता है।

### वर्णाश्रम व्यवस्था

प्राचीन वर्गों का अनुशीलन करने पर हमें तत्कालीन जन-समुदाय तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त हुआ मिलता है क्षत्र ( योद्धा ), ब्रह्मन् ( पुरोहित ) और विस ( श्रमिक )। क्षत्र लोग समाज के नेता, शासक, राजा एवं सरदार रहे, ब्रह्मन् अपनी बौद्धिक शक्ति के कारण राजा के सचिव, न्यायाधीश तथा धार्मिक नेता या अनुशासक के पदों पर अधिष्ठित थे, और विस वर्ग के लोग कृषक, व्यापारी के रूप में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग धंधों के द्वारा संपत्ति का उपार्जन करते रहे। जन समूह का यह त्रिविध वर्ग-भेद जब तक श्रम-विभाजन की दृष्टि से अपने कर्तव्यों में ईमानदार बना रहा तब तक तो उसने अच्छी उन्नति की, किन्तु जब वह अधिकार-लिप्सु तथा शोषक बन कर शेष समाज की उपेक्षा करने लगा तो स्वभावतः उसके पतन की भूमिका तैयार होने लगी थी। उनको इन पतनोन्मुख स्थितियों एवं प्रवृत्तियों पर प्रकाश

हासने से पूर्व यहाँ भारत की कुछ प्राचीन आदिम मूल जातियों का उल्लेख करना आवश्यक समझा जा रहा है ।

ऋग्वेद ( ५।७।१२९।३, ६।४।६।७ ) में जिन पाँच भूमियों (पंच स्थिति) का उल्लेख किया गया है, वे पाँच भूमियाँ वस्तुतः उन पाँच नदियों के आस-पास की भूमियाँ थीं, जिनके कारण पञ्चनद का नाम इतिहास में देखने को मिलता है । इन पाँच भूमियों में बसने वाले एक ही स्तर के लोग धीरे धीरे पाँच विभिन्न जातियों में ( पञ्चजन, ऋक् ६।१।१।४, ६।५।१।११, ७।३।२।३२, ९।६।५।३२ ) में बँट गयीं, जिनकी आजीविका खेती थी और इसीलिये जिन्हें पाँच कृषि जीवियों ( पञ्च कृषिवी ऋक् ० २।२।१०, ४।३८।१०।२ ) के नाम से स्मरण किया गया । ये पाँच जातियाँ आरम्भ में बड़ी उद्योगी थीं और नदियाँ के उर्वर तटों पर कृषि एवं चरागाहों के द्वारा जीविकोपार्जन किया करती थीं, इन्हीं के द्वारा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की व्यापक सम्पत्ता का निर्माण हुआ ( मेघसमूह इन्द्रियाः ह्वाट केन इट टीस अस, पृ० ९५-९६-१८-९९ ) । पाँच आर्य परिवारों के परिवारिक पुरुष, तुवंत्, वेदस्, अनुम् और द्रुह्यस्, इन्हीं पाँच जातियों के प्रतीक थे ।

ये पाँच जातियाँ अपने व्यावसायिक विभेदों के कारण पाँच वर्णों में विभक्त हो गये थे, जिनके नाम थे भन्वी, योद्धा, व्यापारी, दास और बाले चमडे वाले । तन्वी अवधि तक इन जातियों के बीच अतर्जातीय विवाह और सहभोज की स्थिति बनी रही । किन्तु काले चमडे वाले आर्यों ने जब यहाँ के मूल निवासी दस्तुओं ( दासों ) के साथ सेवक भावना का आचरण करना आरम्भ किया और वंश, जन्म, जाति आदि की प्रमुखता स्वीकार की जाने लगी तो सहभोज तथा अतर्जातीय विवाहों की परंपरा तो जाती ही रही, वरन् उनके बीच गहरी खाई भी पडने लग गयी थी ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जातियों के जन्मना निर्णय करने का सिद्धांत पुराणकाल तक स्वीकृत नहीं हुआ था ( विष्णुपुराण, खंड ३ अध्याय ८ ) । जातक कथाओं ( उदात्तक ४।२।९३, चाण्डाल ४।३।८८, सतवल्गम २।८२, चित्तसमूह ४।३।९० ) तथा अन्य बौद्ध ग्रंथों ( जे० आर० ए० एस० पृ० ३४६, १८६४ ) से यह बात स्पष्ट होती है कि जातियों की उच्चता तथा निम्नता का निर्णय बौद्धिक समता के आधार पर था । उदाहरण के लिये विश्वाश्विन ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अपने उन्नत कर्मों और ऊँची प्रतिभा के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था । लेकिन चारों वर्णों की भिन्नता का

सिद्धात बहुत पहिले ही से चला आ रहा था ( आर० सी० मजूमदार कार-पोरेट लाइफ इन एंशिएट इण्डिया, पृ० ३६४ ) ।

अपनी चतुर्गई और बुद्धि के प्रभाव से ब्राह्मणों ने धार्मिक तथा सामा-जिक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी । यद्यपि वे शासक नहीं रहे, फिर भी पुरोहितों, सचिवों, न्यायाधीशों के सारे शासन-संचालन संबंधी अधिकार उन्हें प्राप्त थे और उन्होंने ही चारों वर्णों के लिए एवं आश्रम संबंधी व्यवस्था के लिए नियम भी बनाये ।

श्रम के इस वंशगत विभाजन के कारण समाज में अनेक जातियाँ पनपने लगी थी । भारत की पुरातन समाज व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही उसने अनेक पराजयों को देखा था, किन्तु धीरे धीरे आपत्ति और कठिन सकट में भी एकता की भावना को उसने खोया नहीं । अनेक श्रेणियों, वर्गों, वर्णों, जातियों, भाषाओं और धर्मों के बावजूद भी भारतीय जनता की नैतिक तथा बौद्धिक शक्ति कभी भी क्षीण नहीं हुई ।

कौटिल्य ने वर्णाश्रम की व्यवस्था से मर्यादित समाज को सुखकर और मुक्तिदायी बताया है । यह मर्यादित वर्णाश्रम-व्यवस्था अपने अपने धर्म के पालन में बतायी गयी है ( अर्थशास्त्र, पृ० १३ ) ।

वर्णाश्रम की व्यवस्था का महत्त्व हिन्दू समाज में लेगभग अनादि है । प्राचीन भारत में व्यष्टि और समष्टि के क्रिया क्षेत्रों को एक दूसरे से भिन्न माना गया है; किन्तु उनकी पूर्णता पारस्परिक समन्वय में ही बतायी गयी है । कुछ व्यक्तिगत नियम ऐसे हैं, जिनका पालन करके या जिनको जीवन में उतार कर व्यक्ति अपना उत्थान कर स्वयं को इस योग्य बना पाता है कि वह दूसरे का या सारे मानव समाज का उत्थान कर सके । व्यक्ति और समष्टि के उत्थान हेतु प्राचीन भारत में जो नियम-निर्देश निर्धारित किये गये थे, उन्हीं को वर्णाश्रम नाम दिया गया ।

वर्ण-व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति को सामूहिक हित-चिन्तना की ओर ले जाता है, जब कि आश्रम-व्यवस्था उसको व्यक्तिगत उन्नयन की ओर आकर्षित करती है, जिससे कि तप तथा त्याग के द्वारा वह अपने क्लेशों एवं असन्तोषों को भस्म कर स्वयं को इस योग्य बना पाता है कि समाज के अभ्युदय में वह उपयोगी सिद्ध हो सके ।

वर्णाश्रम-व्यवस्था की इसी मर्यादा को कौटिल्य ने अपनाया है और उसी के कर्मणमय स्वरूप को उन्होंने यों रखा है ।



गृहस्थ-जीवन के दायित्व से निवृत्ति प्राप्त करने के सबध में हमारे पूर्व-चार्यों ने विशेष नियम निर्धारित किये हैं। सामान्यतया गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से ५० वर्ष की आयु के बाद छुटकारा पाया जा सकता है, किन्तु उससे पूर्व कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक बताया गया है। मनु ( ६।१ ) ने कहा है कि 'द्विज को चाहिए कि दूध प्रतिज्ञ होकर इन्द्रियो को वश में करके वह वन में निवास करे।' साथ ही उसने अवकाश ग्रहण करने के सबध में कहा है ( ६।२ ) कि 'जब शरीर की त्वचा में सिकुड़न पड़ जाय और बाल फूलने लगें, तब उस व्यक्ति को गृहस्थ से अवकाश ले लेना चाहिए।' ( अर्यशास्त्र, पृ० ८० ) ने कहा है कि 'जो व्यक्ति मैथुन-भोग्य अवस्था का पार कर जाता है, वह अपनी सपत्ति का सम्यक् वितरण करने साधु हो सकता है।'

सन्यास या वानप्रस्थ-जीवन ग्रहण करने से पूर्व एक बात यह भी कही गई है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को नहीं देख लेता, वह अवकाश ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। इसका आशय यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र को इस योग्य बना देना चाहिए कि वह परिवार और समाज की भलाई के लिए गृहस्थ के कर्तव्यों का भार वहन के सर्वथा योग्य हो सके। कौटिल्य ने इस शर्त का उल्लेख करने वाले व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया है और कहा है 'यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के भरण पोषण का प्रबध किये बिना तपस्वी का जीवन ग्रहण कर लेता है तो वह दण्ड का भागी है।'

समाज और परिवार की उन्नति को दृष्टि में रखकर अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वाह करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति वानप्रस्थ और उसके बाद पवित्र संन्यास-जीवन धारण कर सकता है। हिन्दुओं की धर्म-व्यवस्था में वैयक्तिक आत्मोन्नति की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि पहिले वह नैतिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन की मज्जियों को ब्रमश, पार कर उनके बाद वानप्रस्थ या संन्यास का ऊँचा जीवन बिता सकता है।

समाज की अभ्युन्नति और जीवन में सदाचार एवं नैतिकता बनाये रखने के लिए हिन्दुओं की धर्म-व्यवस्था में आदि से ही विवाह को एक श्रेष्ठ आदर्श के रूप में ग्रहण किया गया है। हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों में विवाह के लिए भिन्न भिन्न शर्तों की व्यवस्था पर बड़ा जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पति और

पत्नी के विभिन्न रक्तों ( गोत्रों ) का समिश्रण होकर अच्छी सतति को पैदा किया जा सके । इस व्यवस्था ने समाज में विभिन्न परिवारों को सघटित करने में बड़ी सहायता की । विवाह के लिए सम-स्वभाव के दम्पती को ही आवश्यक बताया गया है । सम-स्वभाव अर्थात् ऐसे परिवार जो व्यवसाय, आर्थिकस्तर, धर्म और विचारों में एकता रखने हों । एकता की इसी भावना ने पहिले तो विचित्र व्यक्ति-समूहों को कुछ विशिष्ट जातियों में एकत्र किया और बाद में भी उन्हीं सघटित जातियों के द्वारा वृद्ध राष्ट्र की नींव पठी ।

### न्याय और व्यवस्था

प्राचीन भारत की राज्य-व्यवस्था में धर्म का सर्वोच्च स्थान रहा है । समाज के सभी वर्गों और गारी कार्यों प्रणाली के मूल में धर्म के नीति निर्देश समन्वित थे । समाज का सबसे बड़ा व्यवस्थापक राजा भी धर्म के बन्धन से इस प्रकार बंधा था कि इस दिशा में कोई सत्कार-संशोधन करने का उसे कोई अधिकार ही नहीं था । धर्मग्रन्थों और मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में राजा को धर्म का ही एक अंग माना गया है । हिन्दू राज्य-व्यवस्था में त्रिस युग में राजा को सभी अधिकार प्राप्त थे तब भी राजा से धर्म को उच्च स्थान प्राप्त था । मनुस्मृति में तो राजा को अर्षदण्ड देने तक की बात कही गई है ( ८।३।३६ ) । अर्षशास्त्र में तो राजा को इतनी छूट दी गई है कि वह कानून बना सकता है, किन्तु धर्मशास्त्र में वह बात भी नहीं है । अर्षशास्त्र ( अर्षशास्त्र, पृ० २५९ ) में साथ ही यह भी कहा गया है कि राजा ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो धर्म के विरुद्ध हो और जिससे राजा को मन-माना अधिकार प्राप्त हो सके ।

प्राचीन भारत में, जब कि हिन्दू-शासन-प्रणाली सर्वथा एक राजत्व पर आधारित थी, न्याय विभाग, शासन विभाग से अलग रखा जाता था । उस समय राजनीति के प्रकाण्ड विद्वान् तथा श्रेष्ठ नैतिक आचरण वाले पुरोहित, राजनीतिज्ञ और ब्राह्मण लोग मंत्री नियुक्त किये जाते थे और वही न्यायाधीश भी हुआ करते थे । धर्म संबंधी सारी शासन-व्यवस्था पुरोहितों के हाथ में थी । उस पुरोहित न्यायाधीश पर राजा का कोई अकुश नहीं होता था ।

इस प्रकार की कानूनी अदालत का नाम सना था, जिसमें न्यायाधीशों की सहायता के लिए समाज के लोगों को एक स्वतन्त्र सस्था भी हुआ करती थी । मनु के मतानुसार तीन पंच, न्यायाधीशों की सहायता के लिए हुआ करते थे ( मनुस्मृति ८।१० ) और जो कानून पारित किया जाता था, उसका ठीक

तरह से अर्थ बताने के लिए एक विद्वान् ब्राह्मण हुआ करता था ( ७।२० ) । किन्तु कौटिल्य ने लिखा है कि न्याय व्यवस्था का सारा भार राज्य के अर्थ-शास्त्रविद् तीन सदस्यों और तीन अमात्यो के ऊपर निर्भर होना चाहिए ।

मुकदमों की निष्पक्ष जांच हो और न्याय की दिशा में किसी प्रकार का दोष न आने पावे, इसका निरीक्षण करने के लिए वृद्धों की व्यवस्था थी । ये वृद्ध आजकल के ज्यूरियों जैसे थे । इस प्रकार के लगभग ७, ५ या ३ ज्युरी होते थे ( शुक्लनीतिसार ४।५।३६-३७ ) । राजा अपनी परिषद् के साथ मुकदमा सुनता था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी हुआ करते थे । किसी भी मामले की अपील करने के लिए उच्च न्यायालय होता था ( नारद, प्रस्ता० १।७, बृहस्पति १।२९, याज्ञवल्क्य २।३० ) । जिन मुकदमों को राजा सुनता था, उनका फंसला वह अपनी परिषद् तथा जजों के परामर्श से करता था । सभी न्यायों का निर्णय राजा के नाम से होता था ।

उच्च न्यायालय के सर्वप्रधान न्यायाधीश को प्राड्विवाक कहा जाता था । वही न्याय विभाग का मंत्री भी हुआ करता था । धर्मशास्त्र विभाग का अलग मंत्री था, जिसको पंडित ( धर्माधिकारी ) कहा जाता था । दोनों के कार्य अलग अलग थे । न्याय की दिशा में प्राड्विवाक का कार्य ज्युरी का बहुमत जानकर धर्म या कानून के अनुसार यह बतलाना होता था कि अभियुक्त वास्तव में दोषी है कि नहीं, और तब उसके बाद राजा को परामर्श देना था । 'हित' या धर्माधिकारी का यह कार्य होता था कि लोक में जिन-जिन धर्मों का व्यवहार किया जा रहा है, वे धर्मशास्त्रसमत हैं या नहीं और तब राजा से वह ऐसे कानून बनवाने की सिफारिश करता था जो लोक को हितकारी सिद्ध हो ।

इस प्रकार न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से राजा सर्वदा ही प्राड्विवाक और धर्माधिकारी के अधीन हुआ करता था । समाज में जहाँ भी जिस दिशा में ऐसी आशका होती कि धर्म और न्याय के द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ के लिये वह प्रजा को इस बात के लिए सावधान करता था कि वह प्राड्विवाक तथा धर्माधिकारी की आज्ञाओं पर चले ।

न्याय व्यवस्था की शरण में जाने या मुकदमों के लिए मनु ने १८ कारण गिनाये हैं ( मनुस्मृति ८।४-७ ) जिनके नाम हैं ऋण और धरोहर का भुगतान न करना, बिना स्वामित्व का विक्रय करना, सामीदारो के सबंध में गटबढी हो जाना, दान दी हुई वस्तु को पुन वापिस लेना, पारित्यगिक का

भुगतान न करना, समझौते को भंग करना, द्रव्य-विक्रय की व्यवस्था का उल्लंघन करना, स्वामी तथा भृत्य के बीच विवाद पैदा होना, सीमा सबधी अडचन का उपस्थित होना, किसी को मारना, किसी का अपमान करना, किसी की चोरी करना, हिंसा तथा ब्यभिचार करना, वैयक्तिक कर्तव्यों को न निभाना, पैतृक सम्पत्ति के बँटवारे में मतभेद हो जाना, और जुआ तथा पासा आदि खेलना ।

इस प्रकार के किसी भी विवाद के उपस्थित हो जाने पर कौटिल्य का कहना है कि न्यायाधीश को चाहिये कि वह किसी भी वादी प्रतिवादी को न धमकाये, या अपमान करे, या न्यायालय से बाहर निकाले । किसी मामले में व्यक्तिगत दबाव नहीं डालना चाहिए । मुकदमे का लेखक वादी-प्रतिवादी के बयानों में न तो अस्पष्ट बयानों को टाले और न ही स्पष्ट कही हुई बातों को अन्यथा या सदिग्ध रूप में लिखे । प्रधान न्यायाधीश का कर्तव्य था कि वह प्रत्येक निर्णीत मुकदमे का पुनर्निरीक्षण करे और उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह से देखे । न्याय की प्रभावशाली व्यवस्था का परिचय हमें कौटिल्य के उस वाक्य से मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि "जब राजा किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड देता है तो उस क्रिये गये अर्थदण्ड का तीस गुना द्रव्य राजा को वरुण देवता के निमित्त जल में फेंकना पड़ता है, जो कि बाद में ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता है ( अर्थशास्त्र, पृ० ४०२ ) । इससे पता चलता है कि पूरी सावधानी रखने के बावजूद भी न्याय में त्रुटि रह जाने की संभावना थी और राजा तक उस सर्वोच्च न्याय व्यवस्था से नियमित था । अर्थशास्त्र में उद्धृत अपराधों और अपराधियों की सूची को देखकर पता चलता है कि न्याय की दशा में कौटिल्य के विचार कितने परिष्कृत और कितने ठोस थे ।

कौटिल्य की कानून व्यवस्था के अनुसार राज्य के सभी व्यक्ति एकसमान माने गये हैं । यहाँ तक कि जिस ब्राह्मण के प्रति पक्षपात का दोषारोपण किया जाता है, अपराध के आगे वह भी अन्य जातियों के समान दण्डभागी माना गया है । स्वयं राजा के लिये दण्ड-व्यवस्था निर्धारित करके कौटिल्य को न्याय-व्यवस्था में जनतन्त्र की भावना को सर्वोपरि स्वीकार किया गया है । एक सामाजिक व्यक्ति का परिवार के प्रति, माता पिता, पति-पत्नी पुत्र, शासक, शासित, नौकर, श्रमिक, व्यापारी, कलाकार, धोबी, ग्वाला और ग्राहक आदि के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी भी व्यापक व्याख्या कौटिल्य ने की है ।

बसात्कार, व्यभिचार जैसे सामाजिक तथा नैतिक पतन के कार्यों के लिए कौटिल्य ने कठोर दण्ड निर्धारित किये हैं। चरित्र सम्बन्धी ऊँचाई के लिए कौटिल्य की न्याय-व्यवस्था बड़ी ही उपयोगी है।

### राज्य की आर्थिक आय के साधन

कौटिल्य की साम्राज्य व्यवस्था का आर्थिक ढाँचा औद्योगिक आधार भूमि पर खड़ा है। कौटिल्य की अर्थ नीति के प्रमुख सिद्धान्त तीन हैं। पहिले सिद्धांत के अन्तर्गत ऐसे उद्योगो ( Industries ) को रखा गया है, जिन पर राज्य का स्वामित्व हो और जो राज्य के द्वारा ही संचालित एवं सघटित हो। इन उद्योगो की पूंजी ( Capital ), श्रम ( Labour ) और प्रबन्ध ( Management ) का दायित्व राज्य पर ही निर्भर रहे। इस प्रकार की औद्योगिक अर्थनीति का परोक्ष उद्देश्य एक सशक्त, आत्म निर्भर और सर्वसाधनसंपन्न राज्य की प्रतिष्ठा करना था। इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण उद्योगो ( Key Industries ) में सोना, चाँदी, गिलाजीत, ताँबा, शीशा, टिन, सोहा, मणि, स्वर्ण आदि आकर उद्योगो ( Industry of mines ) का प्रमुख स्थान है।

दूसरे प्रकार के उद्योगो का सम्बन्ध जनता से है। इस श्रेणी के उद्योग राज्य के नागरिकों की निजी सम्पत्ति ( Private Property ) के रूप में माने गये हैं। उनके सघटन, संचालन और पूंजी, श्रम एवं प्रबन्ध का दायित्व भी नागरिकों पर ही निर्भर है। उन पर जनता का ही पूर्ण स्वामित्व है। ऐसे उद्योगो में खेती मूल, शिल्प, गो पालन, भ्रश्व पालन, हस्ति पालन, सुरा, मांस, बेरयालय और नट नर्तक गायक वादक आदि की गणना की जा सकती है।

कौटिल्य की अर्थनीति का तीसरा सिद्धांत समाज में ऐसी सुध्ववस्था बनाये रखने से सबद्ध है जिसके अनुसार राज्य के समस्त उत्पादन ( Production ) वितरण ( Distribution ) और उपभोग ( Consumption ) पर शासन सत्ता का नियन्त्रण बना रहेगा।

उक्त सभी उद्योगो तथा व्यवसायों पर राज्य का स्वामित्व ( State Ownership ) इसलिए माना गया है कि राज्य का अर्थबल सशक्त बना रहे और समाज के सभी वर्ग क्रियाशील बने रहे।

धर्म-दर्शन, काव्य, कला और अर्थ आदि साहित्य के जितने भी अंग हैं, उनमें धर्म-अर्थ-नाम एवं मोक्ष, इस वर्गचतुष्टय की उपयोगिता पर अनेक प्रकार से विचार किया गया है। अर्थशास्त्र, क्योंकि ऐहिक जीवन से सबद्ध क्रिया व्यापारों की ही विवेचना प्रस्तुत करता है, अतः उसमें मोक्ष को छोड़कर

त्रिवर्ग के सबध में ही प्रकाश डाला गया है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का पारस्परिक सबध बताते हुए कौटिल्य ने यह स्वीकार किया है कि उनमें प्रमुखता अर्थ की है और शेष दोनों धर्म तथा काम, अर्थ पर ही निर्भर हैं। इसी लिए त्रिवर्ग की समुचित उपलब्धि के लिए अर्थ की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। यही अर्थ जब राज्यकर के रूप में या रक्षा के पुरस्कार हेतु अथवा सेवा के प्रतिदान के निमित्त शासन को प्राप्त होकर एक सरक्षित स्थान पर एकत्र कर रखा जाता है तब उसी को राजकोष के नाम से कहा जाता है।

राष्ट्र की समुन्नति और सुरक्षा के निमित्त जितने भी उपाय तथा साधन बताये गये हैं, उनमें कोष का प्रमुख स्थान है। इसी हेतु कोष विभाग के कर्मचारियों से लेकर कोष की सुरक्षा, उसकी वृद्धि के उपाय, उसकी आय के साधन और उसके क्षय के कारणों पर कौटिल्य ने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है।

अर्थ विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को समाहर्ता कहा गया है। वह समाज के विभिन्न वर्गों पर, राष्ट्र की विभिन्न वस्तुओं पर, गाँवों, नगरों तथा घरों पर, व्यावसायियों तथा शिल्पियों पर और भूमि पर जो राज्यास निर्धारित है उसका सचय करता है तथा उसका पूरा व्यौरा अपनी निबन्ध-युक्तक ( Sealed Register ) में अंकित रखता है।

अर्थ विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों में सन्निधाता ( भंडारों का अधिकारी ), स्थानिक ( जनपद के चतुर्थांश का अधिकारी ), गोप ( गाँवों का अधिकारी ), प्रदेश ( स्थानिक तथा गोप का सहायक अधिकारी ) अक्षपटलाध्यक्ष ( अकाउंट जनरल ), क्रोयाध्यक्ष, अर्थकारणिक ( मुख्य अकाउंटेंट ) कार्मिक ( अर्थकारणिक का अधीनस्थ कर्मचारी ), गणनिबन्ध ( जिलों का हिसाब किताब रखने वाले कर्मचारी ), साख्यानक ( गणना करने वाले ), लेखक ( क्लर्क ), नीवीप्राहक, गोपालक, अपयुक्त, निधानक, निबन्धक, प्रतिप्राहक, दायक और भन्निबन्धावृत्त्यक आदि का नाम उल्लेखनीय है।

राजकोष के सचय के साधनों में, जिन्हें कि कौटिल्य ने आयशरीर कहा है, दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु वन, वन और वणिक्पथ प्रमुख हैं।

राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर ही उसकी उन्नति के सभी जरिये निर्भर हैं। इसलिए राजकोष के उक्त आय स्रोतों के अलावा अर्थदण्ड सम्बन्धी पीतव कर ( नाप तौल का कर ), नागरिकों द्वारा प्राप्त राज्यास, कृषिकर, उपज का

अस, बलि कर, घासिक कर, वणिक कर और श्वावसायिक वस्तुओं के आयात-निर्यात से जो आमदनी होती थी उसको भी राजकोष में जमा कर दिया जाता था ।

### राजकर

हिन्दुओं की राज्य व्यवस्था के इतिहास में राजकर का मौलिक महत्त्व माना गया है । क्योंकि राजकर का सम्बन्ध प्रजा से होता था, इस दृष्टि से राजकर को निर्धारित करने के सारे नीति नियम यद्यपि धर्म-ग्रन्थों द्वारा निर्धारित किये जाते थे, तथापि उसको लागू करने से पूर्व उस पर समाज की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता था । इस प्रकार धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित और समाज द्वारा स्वीकृत जो राजकर होता था, शासन-व्यवस्था चाहे जैसी भी रहे, किन्तु राजकर के नियमों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आने पाता था । यही कारण था कि राजकर के सम्बन्ध में राजा-प्रजा के बीच कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ । कई ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि राजकर के सम्बन्ध में जो धर्म द्वारा प्रतिपादित नियम थे, उनका अतिक्रमण करने का साहस बड़े से-बड़े शासक भी नहीं कर सके थे ।

अर्थशास्त्र के एक प्रसंग ( अर्थशास्त्र, पृ० ४१४-४१९ ) में कहा गया है कि सेल्युकस के आक्रमण के समय जब प्राप्त राजकर से कार्य न सध पाया था तो चन्द्रगुप्त के महामात्य कौटिल्य ने प्रजा से धन सग्रह करने में अपना सारा बुद्धिबल लगा दिया था । इसके लिए उन्हें बड़े वित्क्षण उपायों का आश्रय लेना पड़ा था । अन्त में चन्द्रगुप्त ने अपनी प्रजा से अनुग्रह की भिक्षा माँगते हुए कहा था 'आप लोग मुझ पर अपना प्रेम सूचित करने के लिए धन दें ।' उसने इस विपत्ति से रक्षा के लिए देव-मन्दिरों तक से धन वसूल किया था ।

राज्य की सारे आय-व्यय पर मन्त्रि-परिषद् का अधिकार होता था । राजा और राजकर के सम्बन्ध में महाभारत ( शांति० ७१।१० ) एक सुन्दर प्रसंग उपस्थित करता है । उसमें लिखा है कि 'षष्ठांश बलिकर ( आयात-निर्यात ), अपराधियों से मिलने वाला जुरमाना और उनके द्वारा अपहृत धन, जो कृच्छ भी न्यायत प्राप्त हो, वह सब तुम्हारे वेतन के रूप में होगा, और वही तुम्हारी आय के द्वार या राजकर होगा ।' नारदस्मृति ( १८।४८ ) में लिखा हुआ है कि 'राजाओं को पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार जो धन प्राप्त हो और भूमि की उपज का जो षष्ठांश प्राप्त हो, वह सब राजकर होगा,

और प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार स्वरूप वह राजा को मिलेगा ।' अपनी रक्षा के फलस्वरूप प्रजा का प्रतिनिधि पुरोहित राज्याभिषेक के समय 'राजा से यह कहता था कि 'हम तुम्हारे निर्वाह के लिए तुम्हारा उचित अंश (भाग) तुम्हें दिया करेंगे' ( शुक्रनीतिसार १।१८८ ) ।

इन सभी उल्लेखों से हमें राजकर की सुव्यवस्था के संबंध में कितनी आस्थापूर्ण विचारधारा का पता लगता है ।

राजकर सम्बन्धी नियमों के प्रसंग में दूसरी अनेक बातों के अतिरिक्त महाभारत ( १२।८८।४ ) में एक महत्व की बात यह कही गयी है कि 'राजकर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा पर भारस्वरूप सिद्ध न हो, राजा को अपना आचरण उस मधुमवल्ली के समान रखना चाहिए जो वृक्षों को बिना कण्ट पहुँचाये उनसे मधु एकत्र करती है ।' ( अर्थशास्त्र, पृ० ४१९ ) कुछ निरर्थक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 'जो वस्तुएँ राष्ट्र के लिए दुःखदायक हों, जो निरर्थक और केवल शोक के लिए हों, उन पर अधिक कर लगा करके उनका आयात कम करना चाहिए ( अर्थशास्त्र, पृ० ४१२-४१९ ) । इनके अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जिनका निर्यात विजित था और देश में जिनका अधिक आयात करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, यथा अस्त्र-शस्त्र आदि, धातु; सेना के काम में आने वाले रथ आदि अप्राप्य या दुर्लभ पदार्थ, अनाज और पशु आदि; ( अर्थशास्त्र वही ) । कुछ अवस्थाओं में विशेष कर लगाने का भी नियम था । इस सम्बन्ध में कहा गया है कि जो लोग विदेश से अच्छी सुरायें आदि लाते थे अथवा घर में अरिष्ट आदि बनाते थे उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता था जिससे राज्य में बिकने वाली ऐसी चीजों की कम बिक्री का हरजाना निकल आये ( अर्थशास्त्र वही ) ।

### आधुनिक समाजवाद

अठारहवीं शताब्दी के जितने भी महान् दार्शनिक हुए उन्होंने भी संसार की सारी वस्तुओं को विवेक की कसौटी पर परखा ।

आधुनिक समाजवाद की उत्पत्ति में प्रमुख दो कारण हैं - एक तो पूँजी-पतियों तथा श्रमिकों का श्रेणी-विरोध और दूसरा उत्पादन में व्याप्त अराजकता । बुद्धि और तर्क के द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना ही समाजवादी क्रांति को जन्म देने वाले, महापुरुषों का ध्येय रहा है । समाज और राज्य का जो बासीपन था, परम्परा की जो रुढ़ियाँ थी, अंध-



विश्वासों की जो मिथ्याएँ थीं, उनकी जगह सच्चाई, प्रकाश, न्याय और समानता ने ले ली थी। समाजवाद के दम्पुदय का यह अठारहवीं शताब्दी का स्वरूप था। इस नयी क्रांति के बाद पहिले तो उस समय के सामन्ती ठाकुरों तथा पूँजीवादियों के बीच सघर्ष हुआ और इसी बीच शोषकों तथा शोषितों का सघर्ष भी जारी था। यह सघर्ष था पूँजीवादी वर्ग का और मजदूर वर्ग का ( ऐडरिच एग्लिस, समाजवाद : वैज्ञानिक और कान्पनिक, पृ० ६ )।

१८वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाजवादी क्रांति के पोषक हुए भोरेसी, मैन्नीही, सेंट साइमन, फूरिये और ओवेना। इनमें सेंट साइमन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। फ्रांसीसी क्रांति के समय यद्यपि उसकी अवस्था तीस साल से भी कम थी, फिर भी उसका दृष्टिकोण इतना व्यापक और व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली था कि उसके बाद जितने भी बर्षशास्त्री हुए हैं, उनके विचारों में जितनी बातें देखने को मिलती हैं उन सबका मूल साइमन की रचनाओं में है।

फूरिये ने सामाजिक विकास के पूरे इतिहास को जापल, बवंर, मिनृतता-त्मक और सभ्य—इन चार भागों में विभक्त किया है। अपने समसामयिक दार्शनिक होने की ही भांति फूरिये ने भी इन्द्रवाद की प्रपाश्री का वायय लेकर यह दर्शाया है कि अत में जाकर मनुष्य जाति का भी नाग हो जायेगा। उसने पूँजीवादी प्रवृत्तियों के समर्पक लेखकों की बड़ी क्षिन्ती उठाई है। वह एक सिद्धहन्त व्यव्यकार भी था और उसने तत्कालीन समाज में व्याप्त धोखे-बाजी तथा व्यावसायिक मनोवृत्ति का बहा ही सजीव रूप उजाग है ( वही, पृ० १६ )। फूरिये के विचारों के अनुसार समाज की उक्त बुच्छपा को सुधारने का महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करना, रावट बोवेन ने। उसने समाज की पूर्ण साम्यवादी रूप से सघटन की दिशा में भी यत्न किया ( वही, पृ० २० )।

अब तक समाजवाद का उद्देश्य था एक शोषरहित समाज-व्यवस्था का निर्माण करना किन्तु अब उसका उद्देश्य हो गया है पूँजीपति और मजदूर वर्गों के और उनके पारस्परिक सघर्षों के आधिक घटनाक्रमों के इतिहास का अध्ययन करना। इस समीक्षित सिद्धांत के द्वारा यह पता लग सका है कि अतीत का सारा इतिहास वर्ग-सघर्षों का इतिहास रहा है और वर्गों के उदय के मूल में एक मात्र कारण रही है, व्यापिक परिस्थितियाँ ( वही, पृ० २७-२८ )।

अब तक दार्शनिकों ने इतिहास को अतिभौतिकवादी, इन्द्रवादी, आधुनिक-

वादी ढग से परखने का यत्न किया और यह स्वीकार किया कि मनुष्य की चेतना ही उसकी सत्ता का आधार रही है, किन्तु अब भौतिकवादी ढग से इतिहास की गवेषणा करने पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की सत्ता को उसकी चेतना का आधार प्राप्त है। अब आवश्यकता इस बात को दिखाने की है कि ऐतिहासिक विकास की एक निश्चित अवस्था में पूंजीवाद का उत्पन्न होना अनिवार्य है, और इसलिए उस अवस्था के परिपक्व हो जाने पर उसका पतन भी निश्चित है।

इतिहास-सबधी इस भौतिकवादी धारणा का महान् आविष्कारक था, मार्क्स। मार्क्स ने यह सिद्ध किया है कि उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय ही समाज व्यवस्था का आधार रहा है। इस आधार पर सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रातियों का पता लगाने के लिए हमें न तो सत्य, न्याय एवं विचारों की खोज करनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उस युग की उत्पादन तथा विनियम-प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन हुए। यह एक बहुत बड़ा सत्य अर्थशास्त्रियों ने खोज निकाला है कि किसी युग की ठोक परिस्थितियों का सही ज्ञान, उस युग की दार्शनिक विचारधारा से प्राप्त न होकर उस युग की आर्थिक परिस्थितियों से उपलब्ध हो सकता है।

उत्पादन और विनिमय का तुमुल सघर्ष आज भी पूरी शक्ति पर है। भारत जैसे देश में, जहाँ कि समाजवादी व्यवस्था का आगमन एक नये युग के समान माना जायेगा और जिसके आगमन की माँग दिनों दिन बढ़ रही है, उत्पादन तथा विनिमय का माध्यम बहुत ही असतुलित है। इस असतुलन एवं असंगति को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि .

“सर्वहारा वर्ग राजसत्ता पर अधिकार कर ले। इस सत्ता के सहारे उत्पादन के साधनों को पूंजीवादियों के दुर्बल हाथों से छीन करके उन्हें सार्वजनिक सम्पत्ति बना दिया जाय। इस कार्य द्वारा उत्पादन के साधनों को पूंजी के बन्धनों से बंध मुक्त कर देगा और अपने सामाजिक स्वरूप की प्रतिष्ठा करने का उन्हें सु अवसर देगा। उस अवस्था में समाज का उत्पादन पहिले से बनी योजना के अनुसार सम्भव हो सकेगा। उत्पादन का विकास हो जाने से समाज में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व अनावश्यक और निरर्थक बन जायेगा। जैसे-जैसे सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र से अराजकता दूर होगी, वैसे ही वैसे राज्य के राजनीतिक अधिकारों का भी अन्त हो जायेगा। मनुष्य अपने सामाजिक सघटन का स्वामी बन जायेगा, अतः वह प्रकृति का

और अपने आपका भी स्वामी बन जायेगा । इतिहास में पहिली बार मनुष्य पूर्णत स्वतन्त्र होगा ।" ( वही, पृ० ४८ )

एंगेल्स के अतिरिक्त मार्क्स, लेनिन और स्टालिन का भी दृष्टिकोण यही रहा है, और आज भी यही स्थिति हमारे सामने विचारणीय है । १८५३ ई० में कोलोन में कम्युनिस्ट लीग के सदस्यों के सजा पाने के बाद मार्क्स राजनीति के आंदोलन से दूर हो गये । उसके बाद दस वर्ष तक उन्होंने ब्रिटिश म्युत्रियम में अर्थशास्त्र पर उपलब्ध विपुल सामग्री का अध्ययन किया । उनका यह अध्ययन १८५९ ई० में अर्थशास्त्र की समालोचना ( भाग १ ) पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसमें मूल्य और मुद्रा सम्बन्धी मार्क्सिय सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है । अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक दास कापोटल, क्रिटीक देर बोलीटीशन ईकोनोमी, एस्टॉर चाट का प्रथम खण्ड १८६७ ई० में हाम्बुर्ग से प्रकाशित हुआ । यह पुस्तक युगप्रवर्तक के रूप में सिद्ध हुई । इस पुस्तक में समाजवादी दृष्टिकोण से पूँजीवादी उत्पादन और उसके फलफल की विस्तृत व्याख्या की गयी है ।

विज्ञान के इतिहास में मार्क्स ने जिन महत्त्वपूर्ण बातों का पता लगाकर अपने यम को अमर बनाया उनमें से 'पहिली ठो बह जाति है, जो ससार के इतिहास को देखने-परखने के दृष्टिकोण से उन्होंने की है । मार्क्स ने यह निष्कर्ष दिया है कि अब तक का सारा इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है, अब तक के सीधे और जटिल, सभी राजनीतिक संघर्षों की जड़ में सामाजिक वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक शासन की समस्या ही रही है । समस्या यह रही है कि पुराने वर्ग अपनी मिलिक्यत बनाये रखें या नये पनपते हुए वर्ग इस मिलिक्यत पर होंकी हो जाय ।"

इन बातों पर गम्भीरता से विचार किये जाने पर मार्क्स के अनुसंधान से "इतिहास की पहिली बार अपना वास्तविक आधार मिला । यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य था, जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया था । यानी यह कि मनुष्य को सबसे पहिले खाना, पीना, कपड़ा पहनना और घर में रहना होता है । इसलिए उसे काम भी करना होता है । इसके हल हो जाने पर ही प्रधानता पाने के लिए मनुष्य एक-दूसरे में भगद सक्ते हैं और राजनीति, धर्म, दर्शन आदि को अपना समय दे सकते हैं । अतः इस स्पष्ट सत्य को अपना ऐतिहासिक आधार प्राप्त हुआ ।"

“मार्क्स ने जिस दूसरी महत्वपूर्ण बात का पता लगाया है, वह पूँजी और श्रम के सम्बन्ध की निश्चित व्याख्या है। दूसरे शब्दों में उसने यह दिखा दिया कि वर्तमान समाज में उत्पादन की जो पूँजीवादी पद्धति चालू है, उसके द्वारा किस तरह पूँजीपति, मजदूर का शोषण करता है। जब एक बार अर्थशास्त्र ने यह सिद्धांत बना लिया कि सभी तरह की संपत्ति और मूल्य का मूलस्रोत श्रम ही है तो, यह प्रश्न भी अनिवार्य रूप से सामने आता है कि इस सिद्धान्त से हम इस तथ्य का मेल कैसे करें कि मजदूर अपने श्रम से जिस मूल्य का निर्माण करता है वह सब उसे नहीं मिलता, वरन् उसका एक अंश उसे पूँजीपति को दे देना पड़ता है” ( फ्रेडरिक एंगेल्स फाल्स मार्क्स और उनके सिद्धांत पृ० ८-१०, डा० रामविलास शर्मा का अनुवाद )।

समाजवादी दृष्टिकोण से इतिहास की इन नयी धारणाओं का परिणाम महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इनमें पता लगा कि पहिले इतिहास की गति वर्ग-विरोध और वर्ग-संघर्षों के बीच रही है, शासक और शासित, शोषक और शोषित का अस्तित्व बराबर बना रहा है। मार्क्स से पूर्व की समूची ऐतिहासिक प्रगति विशेषाधिकार प्राप्त एक अल्पसंख्यक समुदाय पर निर्भर थी। मार्क्स के विवेचन के बाद समाज की वे उत्पादक शक्तियाँ, जो पूँजीवादी नियंत्रण की सीमाओं को लाँघ चुकी हैं, अब उस संघटित सर्वहारा वर्ग की ताक में हैं जिससे उस पर अधिकार कर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि जन-साधारण का उत्पादन में ही भाग न हो, बल्कि, सामाजिक संपत्ति के वितरण और उसके संचालन में भी उसका हाथ रहे, जिससे कि उत्पादक शक्तियों और उत्पादन, दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

मार्क्स के बाद एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन आदि अर्थशास्त्रियों एवं क्रांतिकारी राजनीतिज्ञों ने भी आज के वैज्ञानिक समाजवाद का मूल आधार यही माना है।

मानव इतिहास में विकास के नियम की पहिली खोज मार्क्स ने की थी। उसने एक अभूतपूर्व सत्य का उद्घाटन किया कि किसी भी युग में जीविका के तात्कालिक भौतिक साधनों का उत्पादन ही समाज के आर्थिक विकास का मूल कारण रहा है। उसने बताया कि कला, धर्म, विज्ञान, राजनीति, साहित्य आदि के लिए समय देने से पूर्व यह आवश्यक है कि मनुष्य जाति के लिए रोटी, रोजी, वस्त्र और रहने के साधन सुलभ हो।

मार्क्स के विचारों में सच्चाई, आत्मबल, विश्वास और विश्लेषण की जो

अनेक बातें एक साथ दिखायी देती हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि वे अपने युग के सबसे साहित्य और प्रताडित व्यक्ति थे। उनकी वाणी में अनुभव और अध्ययन की छाप थी। मार्क्स और एंगेल्स के सह-यत्न में प्रस्तुत और कम्युनिस्ट लीग ( बुन्दवेर कम्युनिस्टेन ) के दूसरे अधिवेशन में ( सदन, नव० १८४७ ) में पढ़ा गया कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र संसार के साम्यवादी इतिहास में अपना नाम रखता है। इस घोषणा-पत्र में संसार के आगे एक नयी रूपरेखा यह प्रस्तुत की कि गतिमूलक द्वन्द्ववाद विकास का सबसे व्यापक और आधारभूत सिद्धान्त है। मार्क्स ने जर्मनी का प्राचीन दर्शन, इग्लैंड का पुरातन ( क्लैसिकल ) अर्थशास्त्र और फ्रांस का समाजवाद, इन १९वीं शताब्दी की तीन सैद्धांतिक विचारधारा की एक सूत्र में गूँथ कर मार्क्सवाद को जन्म दिया, जिसको आज वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है।

**मार्क्स का भौतिक दर्शन :** मार्क्स ने दार्शनिक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। मार्क्स के अनुसार संसार की एकता उसके अस्तित्व में न होकर उसकी भौतिकता में है। भूत या प्रकृति के अस्तित्व की पद्धति का नाम ही गति है। गति के बिना भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। विचार और चेतना मानव-मस्तिष्क की उपज है, और मानव-प्रकृति की उपज है, जिसका विकास उसके साथ-साथ हुआ। इस दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि मार्क्स का श्रेय प्रकृति से कोई विरोध नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क, प्रकृति की उपज होने के कारण श्रेय प्रकृति के साथ उसका साम्य ही स्वीकार करते हैं।

**हेगेल के द्वन्द्ववाद का समर्थन :** मार्क्स और एंगेल्स, दोनों ने हेगेल के द्वन्द्ववाद को जर्मनी के पुरातन दर्शन की सबसे महत्त्वपूर्ण देन बताई है, क्योंकि उसमें विकास के व्यापक सिद्धान्त और प्रसार के लिये गभीर तत्त्व वर्तमान है। मार्क्स के मतानुसार द्वन्द्ववाद की कसौटी प्रकृति है और यह मानना होगा कि आधुनिक प्रकृति-विज्ञान ने इस कसौटी के लिए बहुत-सी सामग्री और दिन-पर-दिन बढ़ने वाली सामग्री दी है ( लेनिन का लेख 'कार्ल मार्क्स और उनकी देन; कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांत, पृ० २० )।

हेगेल के दर्शन में एक क्रांतिकारी पहलू था। उसके द्वन्द्ववादी भौतिकवाद के लिये ऐसे दर्शन की कतई आवश्यकता-अपेक्षा नहीं समझी गयी है जो विज्ञान से शून्य या परे हो। वस्तुतः द्वन्द्ववादी दर्शन के लिए कुछ भी अतिम, त्रिकाल सत्य और पवित्र नहीं है। उसकी दृष्टि से हरेक वस्तु में क्षण-भंगुरता है।

आवागमन के अबाधक्रम को छोड़कर निरंतर नीचे से ऊपर की ओर अविराम गति से अप्रसर होना ही चिरतन है। चितनशील मस्तिष्क में द्विदात्मक दर्शन इसी को उत्क्रांत करता है ( वही, पृ० २१, तथा एंगेल्स रूरिंग का मत-सडन, पृ० ३१ )।

वर्ग-सघर्ष • इतिहास से हमें विदित होता है कि जातियों और समाजों के सघर्ष से ही क्रांति का बीजारोपण हुआ है। आज का समाज दो प्रमुख हिस्सों में बँटा है पूंजीवादी और श्रमजीवी। पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध जितने भी वर्ग सँटे हैं उनमें मजदूर वर्ग ही एक ऐसा है, जिसने वास्तविक क्रांति को जन्म दिया है। निम्न मध्य वर्ग में छोटे कारखानेदार, दूकानदार, दस्तकार आदि जितने भी हैं उन्होंने भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पूंजी-पति वर्ग से ही सघर्ष किया है, किन्तु उनके सघर्ष में क्रांति के सत्त्व न होकर रूढ़िवादिता अधिक है। बल्कि मार्क्स ने उनको प्रतिक्रियावादी कहा है, क्योंकि वे इतिहास के पहियों को पीछे की ओर घुमाने की कोशिश करते हैं ( देखिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र )। संयोगवश उनके सघर्ष में यदि क्रांति का आभास भी मिलता है तब भी वे अपने वर्तमान हितों की अपेक्षा अपने भविष्य के स्वार्थों की ही रक्षा करते हैं।

आधुनिक समाजवाद की यही रूपरेखा है और मार्क्स तथा एंगेल्स प्रभृति अर्थशास्त्रियों ने मानवता के सुख चैन और कल्याण के लिए इसी को एक मात्र साधन स्वीकार किया है।

### आचार्य कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र

आचार्य कौटिल्य का महाव्यक्तित्व एक पारगत राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य के विपुल यश के साथ एकप्राण होकर, एक ओर तो भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी कीर्ति कथा को अमर बनाये है और दूसरी ओर अपनी अतुलनीय, अदभुत कृति के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपने विषय का एकमात्र विद्वान् होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। इन असाधारण सूत्रियों के कारण ही आचार्य कौटिल्य के नाम-माहात्म्य की कथाएँ पुराणों से लेकर काव्य, नाटक और कोप ग्रन्थों में सर्वत्र परिव्याप्त हैं। कौटिल्य द्वारा नद वंश का विनाश और मौर्य वंश की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित विष्णुपुराण में एक कथा आती है

'महाभदन्त तथा उसके नौ पुत्र १०० वर्ष तक राज्य करेंगे। अन्त में कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण उस राज्य परम्परा के अंतिम उत्तराधिकारी नदवंश

का विनाश करेगा । नद वंश के समूल विनष्ट हो जाने के उपरान्त उसकी जगह मौर्य वंश के पहले प्रतापी शासक चन्द्रगुप्त का कौटिल्य राज्याभियेक करेंगे । उसका पुत्र बिन्दुसार और बिन्दुसार का पुत्र अशोक होगा । ( महारभदन्त तत्पुत्राश्चैक वर्षशतमवतीपतयो भविष्यन्ति । नवैव । साप्र-  
न्दान् कौटिल्यो ब्राह्मण समुद्धरिष्यति । तेषामभावे मौर्याश्च पृथ्वी भोक्ष्यन्ति ।  
कौटिल्य एव चन्द्रगुप्त राज्येऽभियेक्ष्यति । तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति ।  
तस्याप्यशीश्वर्षन ) ।

इस पुराण प्रोक्त विवरण से दो मोटी बातों का पता लगता है कि मगध के राज्य सिंहासन पर पहले नन्द वंश का अधिकार था और उसके बाद कौटिल्य के कौशल से मगध की राज सत्ता छिन कर मौर्य-वंश के हाथों में आयी । इस दृष्टि से मौर्य वंश की सत्यता पर आधारित आचार्य कौटिल्य के सही व्यक्तित्व का पता लगाने के लिये नद वंश की प्रामाणिक जानकारी उससे भी पूर्व मगध की शासन परम्परा से परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है ।

### मगध की शासन परम्परा

मगध या मागध भारतीय इतिहास का एक सुपरिचित अति प्राचीन नाम है । वेदों से लेकर पुराणों तक सर्वत्र मागध भूमि और मगध वंश की चर्चाएँ उल्लिखित हैं । पुराणों से यह भी विदित होता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व मगध में बार्हद्रथों का राज्य स्थापित हो चुका था और चेदि नरेश उपरिचर के पुत्र बृहद्रथ सर्वप्रथम मगधनरेश की उपाधि से विभूषित भी हो चुके थे । इनके पुत्र जरासन्ध और पौत्र सहदेव महाभारत युद्ध के समकालीन व्यक्ति थे । इनकी २३ वी पीढ़ी के बाद मगध के राजसिंहासन पर अबन्तिनरेश चन्द्र-उद्योत का अधिकार हुआ । तदनन्तर गिरिद्रज का शिशुनागवंश मगध पर अधिष्ठित हुआ, जिसके उत्तराधिकारियों की ऐतिहासिक परम्परा है शिशुनाग, काकवर्ण, क्षेत्रधर्मन्, छत्राजीत और बिम्बसार । इनमें बिम्बसार ही सर्वाधिक प्रतापी नरेश था, जो कि तीर्थंकर महावीर स्वामी एव गौतम बुद्ध का समकालीन हुआ ।

बिम्बसार से मगध राज वंश की परंपरा क्रमशः अजातशत्रु, दर्शक, उदयाश्व ( उदायी ), नटिवर्धन् तक पहुँच कर अन्त में महानदि के हाथों में आयी । महानदि इस वंश का अन्तिम एव महाबलशाली सम्राट हुआ, जिससे एक शूद्रा स्त्री द्वारा नद नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इसी शूद्रा पुत्र नद ने मगध की राजगद्दी पर नद-वंश की प्रतिष्ठा की ।

ऐतिहासिक खोजों से विदित है कि ५८५-३१५ वि० पूर्वं ( ६३२-३७२ ई० पू० ) तक मगध की शासन सत्ता शिशुनाग वंश के अधीन रही और तदनन्तर नन्द-वंश उत्तराधिकारी हुआ जिसका प्रथम यशस्वी सम्राट महापद्म-नन्द था । ८८ वर्ष राज्योपरान्त वह दिवंगत हुआ । तदनन्तर लगभग २२ वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का अस्तित्व बने रहने के बाद मगध की राज्य-लक्ष्मी मौर्यों के अधीनस्थ हुई । चन्द्रगुप्त मौर्य वंश का पहला सम्राट् हुआ, जिसको पचनद की ओर से नद वंश के विरोध में उभाड़ कर स्वाभिमानी ब्राह्मण पुत्र चाणक्य मगध की ओर लाया ।

भारतीय इतिहास का उदीयमान नक्षत्र और मौर्य वंश के महाप्रतापी सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त नामक एक अद्भुत कुटिल मति राजनीतिज्ञ ब्राह्मण की सहायता से मगध के नन्द वंश को विनष्ट कर तथा शक्तिशाली यवनराज सिकन्दर के सम्पूर्ण प्रयत्नों को विफल कर लगभग ३२१ ई० पूर्वं में एक विराट् साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको इतिहासकारों ने मौर्य-साम्राज्य के नाम से पुकारा । चन्द्रगुप्त सामान्य क्षत्रिय-वंश से प्रसूत था । लगभग २४ वर्ष तक मगध की राजगद्दी पर उसका एकछत्र शासन रहा ।

शोक सेनापति सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज की अनुपलब्ध कृति इण्डिका के अन्यत्र उद्धृत अंशों से और चन्द्रगुप्त के महामात्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य एक असाधारण दिग्विजयी सम्राट् हुआ है और उसने अपने राज्यकाल में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति के लिए अविरल प्रयत्न किये ।

## कौटिल्य के नाम का निराकरण

मगध की शासन-परम्परा में नन्द वंश और तदनन्तर मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात् आचार्य कौटिल्य के नाम-निराकरण की बात सामने आती है । आचार्य कौटिल्य की ख्याति दूमरे ही नामों से है । उनका एक लोक-विश्रुत नाम चाणक्य भी है । चाणक्य उन्हें चणक का पुत्र होने के कारण और कौटिल्य उन्हें कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण कहा जाता है । वे दोनों नाम उनके पितृ प्रदत्त न होकर वंश-नाम या उपाधि नाम हैं ।

कौटिल्य का वास्तविक पितृ प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था । कौटिल्य के इस विष्णुगुप्त नाम का हवाला आचार्य कामन्दक के नीतिसार में उपलब्ध होता है, जिसकी रचना ४०० ई० के लगभग हुई । आचार्य कामन्दक कृत नीतिसार



के आरम्भिक अंश में हमें चार बातों की जानकारी होती है। पहली बात तो यह कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, दूसरी बात यह कि कामानन्दक के नीति ग्रन्थ का आधारभूत वही अर्थशास्त्र था, तीसरी बात यह कि कौटिल्य ने नन्द-वंश का उन्मूलन कर उसकी जगह मौर्य-वंश को प्रतिष्ठित किया और चौथी बात यह कि कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। नीतिसार का सारांश इस प्रकार है

नीतिसार उसी विद्वान् के ग्रन्थ का आधार है, जिसके वज्र ने पर्वत की तरह अविचल, अडिग नन्द वंश को उखाड़ फेंका था, जिसने चन्द्रगुप्त को पृथ्वी का स्वामित्व दिया और जिसने अर्थशास्त्र रूपी महार्णव से नीतिशास्त्र रूपी नवनीत का दोहन किया, ऐसे उस महामति विष्णुगुप्त नामक विद्वान् को नमस्कार है।

नीतिशास्त्रामृत धीमानर्थशास्त्र महोदधे ।  
समुदधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेद्यसे ॥  
—नीतिसार

विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यश्चाणक्यो द्रामिलो गुल ।  
वात्स्यायनो मल्लनाग पाक्षिलस्वामिनावपि ॥  
वात्स्यायनो मल्लनाग कौटिल्यश्चणकात्मज ।  
द्रामिल पाक्षिल स्वामी विष्णुगुप्तो गुलश्च स ।  
—हेमचन्द्र

वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणक ।  
द्रामिल पाक्षिल स्वामी मल्लनागो बलोऽपि च ॥  
—मादवप्रकाश वैजयन्ती

कात्यायनो वररुचिर्मपेक्षिच्य पुनर्वंसु ।  
कात्यायनस्तुकौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणक ॥  
द्रामिलपाक्षिल स्वामी मल्लनागो गुलोऽपि च ।  
—भोजराज नाममल्लिका

नीतिसार के अतिरिक्त सञ्चृत के कतिपय कोप-ग्रन्थों से भी आचार्य विष्णुगुप्त के पर्यायवाची नामों का पता लगता है, जिनमें कौटिल्य और चाणक्य के अतिरिक्त अनेक अप्रचलित नाम देखने को मिलते हैं। ये नाम प्राचीन और मध्यकालीन सभी ग्रन्थों में मिलते हैं। विभिन्न कौप्य ग्रन्थों की इस नामावली की उपलब्धि से आचार्य कौटिल्य के वास्तविक नाम और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले दूसरे नामों का स्वतः ही निराकरण हो जाता है।

## अर्थशास्त्र का प्रणेता

कामन्दकीय नीतिसार के पूर्वोक्त प्रमाणों से सुनिश्चित है कि अर्थशास्त्र का निर्माण आचार्य कौटिल्य ने किया। कुछ दिन पूर्व विदेशी विद्वानों के एक वर्ग ने यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि अर्थशास्त्र एक जाली ग्रन्थ है और जिसके नाम को उसके साथ जोड़ा गया है, वह कौटिल्य भी एक कल्पित नाम है। विदेशी विद्वानों की इन भ्रात धारणाओं को व्यर्थ सिद्ध करने वाली नयी खोजों का सविस्तार उल्लेख आगे किया जायेगा। यहाँ तो इतना ही बता देना यथेष्ट है कि अर्थशास्त्र का प्रणेता विष्णुगुप्त कौटिल्य ही था।

अर्थशास्त्र में समाप्ति-सूचक एक श्लोक आता है, जिसका निष्कर्ष है कि इस ग्रन्थ की रचना उसने की, जिसने की शास्त्र, शास्त्र और नन्द राजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया—

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः ।

अमर्षणोद्घृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

—अर्थशास्त्र, पृ० ७७१

अर्थशास्त्र के इस श्लोक में वर्णित नन्दराज द्वारा शासित राजसत्ता को विनष्ट कर उसकी जगह मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा करने वाले अद्भुत राजनीति-विशारद आचार्य कौटिल्य का निर्देश पुराण और नीति ग्रन्थों के अनुसार पहिले किया जा चुका है। इससे प्रमाणित है कि अर्थशास्त्र का निर्माता कौटिल्य ही था। उक्त श्लोक में कौटिल्य की अहंवादिता का आभास मिलता है, जो कि सर्वथा युक्त है। ऐसा विदित होता है कि आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के निष्णात पंडित तो थे ही, साथ ही दूसरे शास्त्रों और शस्त्र-विद्याओं में भी कुशल थे।

अर्थशास्त्र और कौटिल्य के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व जो विवाद चल पड़ा था, आधुनिकतम अनुसन्धानों ने उसको सर्वथा व्यर्थ सिद्ध कर अन्तिम रूप से यह प्रमाणित कर दिया है कि अर्थशास्त्र का निर्माता आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ही था।

## अर्थशास्त्र का उद्धार

अर्थशास्त्र और उसके निर्माता कौटिल्य के सम्बन्ध में जितना विवाद रहा, उससे कहीं अधिक भ्रमपूर्ण धारणाएँ उसके स्थिति-काल के सम्बन्ध में प्रचारित हुईं। आचार्य कौटिल्य की जीवन-सम्बन्धी जानकारी और उनके अद्भुत ग्रन्थ अर्थशास्त्र की छान-बीन करने में विदेशी विद्वानों का बर्षों तक

धोर विवाद चलता रहा। इस वर्ष वितक और बाद विवाद की परंपरा में जिन देशी विदेशी विद्वानों का भरपूर हाथ रहा उनमें प० शामशास्त्री, महामहोपाध्याय प० गणपतिशास्त्री, श्री काशीप्रसाद जायसवाल, श्री नरेन्द्रनाथ लाहा, श्री राधाकुमुद मुकर्जी, श्री देवदत्त रामकृष्ण भट्टारकर, श्री रमेश मजूमदार, श्री उपेन्द्र घोपाल, श्री प्राणनाथ विद्यालकार, श्री विनयकुमार सरकार और श्री जयचन्द विद्यालकार प्रमुख हैं। इसी प्रकार विदेशी विद्वानों में श्री हिलेब्राट, श्री हर्टेल, याकोबी साहब, श्री विसेंट स्मिथ, श्री ओटो स्टाइन, डा० जोली, डा० विटरनिल और डा० कीष के नाम उल्लेखनीय हैं।

कौटिल्य अर्थशास्त्र के उद्धारक के रूप में प० शामशास्त्री का नाम अर्थशास्त्र की महानता के साथ अमर हो चुका है। श्री शास्त्री जी ने मैसूर राज्य से प्राप्त कर इस महाग्रन्थ के कुछ अंशों को पहले पहल १९०५ ई० में इण्डियन एण्टीक्वेरी में सानुवाद प्रकाशित किया और बाद में १९०९ ई० में सम्पूर्ण ग्रन्थ को बड़ी शुद्धता के साथ प्रकाशित भी किया। प० शामशास्त्री ने ग्रन्थ के विस्तृत उपोद्घात में बड़े पाण्डित्यपूर्ण प्रमाणों के आधार पर अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में तीन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहली बात तो उन्होंने यह बताया कि आचार्य कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य के आमात्य थे, दूसरी बात उन्होंने यह दिखायी कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की ही कृति है और तीसरा निराकरण उन्होंने यह भी किया है कि अर्थशास्त्र का यही प्रामाणिक मूलपाठ है। प० शामशास्त्री ने अर्थशास्त्र के जिस अनुवाद को प्रकाशित किया था, ट्रावनकोर राज्य से प्रकाशित कामन्दकीय नीतिसार की टीका में उद्धृत अर्थशास्त्र के अंशों से उनका मिलान ठीक नहीं बैठता है।

### अर्थशास्त्र विषयक विवाद

प० शामशास्त्री की दो बातों का, कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की ही कृति है और वह अपने मूलरूप में उपलब्ध है, समर्थन हिलब्राट, हर्टेल, याकोबी ( १९१२ ई० ) और स्मिथ ने भी किया। श्री विसेंट स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया के तीसरे संस्करण ( १९१४ ई० ) में शास्त्री जी की उक्त स्थापनाओं की मान्यता देकर उन पर अपने समर्थन की अन्तिम मुहर लगायी।

स्मिथ साहब के उक्त इतिहास-ग्रन्थ के लगभग आठ वर्षों बाद विदेशी विद्वानों के एक वर्ग ने कौटिल्य, उनके अर्थशास्त्र और उसकी प्रामाणिकता एवं रचना-काल के बारे में अविश्वास की नयी मान्यताओं को स्थापित किया। उनके मतानुसार कौटिल्य, ग्रन्थकार का वास्तविक नाम न होकर

एक कल्पित नाम है एव अर्षशास्त्र तीसरी शती का रचा हुआ एक जाली ग्रन्थ है। ओटोस्टाइन महोदय ने मेगस्पनीज ऐण्ड कौटिल्य नामक अपनी तुलनात्मक पुस्तक में मेगस्पनीज और कौटिल्य के सम्बन्ध में पारस्परिक विरोध दिखाने की चेष्टा की है। ओटोस्टाइन के बाद डा० जौली ने इस क्षेत्र को सभाला और उन्होंने जिन नयी सूझों की उद्घाटना की वे आज भी हमारे सामने हैं।

१९२३ ई० में डा० जौली की, पंजाबी संस्कृत सीरीज, साहौर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका नाम है—अर्षशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अपनी इस पुस्तक की प्रस्तावना में डाक्टर साहब ने यह सिद्ध किया कि अर्षशास्त्र तीसरी सदी में लिखा गया एक जाली ग्रन्थ है। उसके रचयिता कौटिल्य को डा० जौली ने एक कल्पित राज-मन्त्री कहा है।

डा० जौली के उक्त मत को अतर्क्य कहकर डा० विटरनित्स ने अपने ग्रन्थ ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर ( १९२७ ई० ) में जौली साहब के मत की ही पुष्टि की। इसके पश्चात् डा० कोय ने १९२८ ई० में सर आशुतोष स्मारक ग्रन्थ के प्रथम भाग में एक लेख लिखकर भरपूर शब्दों में यह सिद्ध किया कि अर्षशास्त्र की रचना ३०० ई० से पहले की कदापि नहीं हो सकती है। इससे भी आगे बढ़कर उक्त लेख में एक नयी बात उन्होंने यह भी जोड़ दी कि सम्पूर्ण अर्षशास्त्र एक अप्रामाणिक रचना है।

डा० जौली के भ्रमपूर्ण प्रचार और प्रस्तावना में उद्धृत उनके तर्कों को डा० जायसवाल ने खंडित किया और प्रामाणिक आधारों को साक्षी रखकर स्पष्ट किया कि अर्षशास्त्र जैसा संस्कृत साहित्य का महान् ग्रन्थ जाली नहीं है। उसका रचयिता कौटिल्य एक कल्पित व्यक्ति न होकर सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य का महामात्य था। अर्षशास्त्र उसी की कृति है, जो प्रामाणिक रूप में संप्रति उपलब्ध है और जिसकी रचना ४०० ई० पू० में हुई ( विस्तृत विवरण के लिए डा० जायसवाल—हिन्दू राजतन्त्र परिशिष्ट 'ग' 'पहिले खण्ड के अतिरिक्त नोट' पृ० ३२७-३६७ )।

इसी प्रकार श्री जयचंद विद्यालकार ने डा० कोय द्वारा अपने निबन्ध में उपस्थित किये गये तर्कों एवं उनकी युक्तियों की विस्तृत आलोचना करके दूसरे इतिहासकारों की इस राय से कि कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य ( ३२५-२७३ ई० पूर्व ) के राजमन्त्री थे और अर्षशास्त्र उन्हीं की कृति है, जो अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, अपना अभिमत कौटिल्य अर्षशास्त्र के ३०० ई० पू० के लगभग रचे जाने के समर्थन में पेश किया ( चन्द्रगुप्त विद्यालकार भारतीय इतिहास की रूपरेखा २, पृ० ५४७, ६७३-७०० )।

## अर्थशास्त्र का व्यापक प्रभाव

संस्कृत-साहित्य के कतिपय ग्रन्थकारों की कृतियों पर अर्थशास्त्र का पर्याप्त प्रभाव है, जिससे उसकी सार्वभौम मान्यता का सहज में ही पता चलता है। इसी पूर्व प्रथम शताब्दी में वर्तमान संस्कृत के सुपरिचित महाकवि कालिदास से लेकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन, विष्णुशर्मा, विशाखदत्त तथा बाण प्रभृति महाकवियों, स्मृतिकारों, गद्यकारों और नाटककारों की सातवीं शताब्दी ई० तक की रची गयी कृतियाँ अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं। वैसे भी स्वतन्त्र रूप से अर्थशास्त्र का दाय लेकर अनेक तद्विषयक कृतियाँ संस्कृत में निमित्त हुईं, किन्तु दूसरे विषय के जिन ग्रन्थों में कौटिल्य अर्थशास्त्र का महत्त्व एव उसकी शैली का अनुकरण है, उनकी संख्या भी पर्याप्त है।

महाकवि कालिदास ( १०० ई० पू० ) के रघुवश, कुमारसम्भव और शाकुन्तल अत्यधिक रूप से अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य-स्मृति ( १५० ई० ) भी अर्थशास्त्र के प्रभाव से बछूती नहीं। आचार्य वात्स्यायन ( ३०० ई० ) ने तो अपने कामसूत्र का एकमात्र आधार कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्वीकार किया है और इसी हेतु इन दोनों का प्रकरण-विभाजन भी एक जैसा है। ( मिलाइये, अर्थशास्त्र २।१, १०।७, १७।५५, १०।७३, १।१, ७।१५, १।२, ८।३ क्रमशः रघुवश १।५।९, कुमारसम्भव ६।७३, रघुवश १७।४९, १२।५५, १७।५६, १७।७६, १७।८९, १८।५० तथा शाकुन्तल २।५ कामसूत्रमिदं प्रणीतम् । तस्याय प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः; कामसूत्र १।१ )।

संस्कृत के जन्तु-विषयक कथाओं का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ पञ्चतन्त्र मप्रति अपने मूल में उपलब्ध नहीं है, जिसकी रचना ३०० ई० पू० मानी जाती है और अपने विषय का जिसे दुनिया के जन्तु-कथा काल्पों में पहिला स्थान प्राप्त है, तथापि उसके विभिन्न छायारूपों में विष्णु शर्मा कृत पञ्चतन्त्र ही प्रधान माना जाता है, जिनकी रचना कथमपि ३०० ई० के बाद की नहीं है। इस कथा-ग्रन्थ में चाणक्य के अर्थशास्त्र को मनुस्मृति और कामसूत्र की भाँति अपने विषय का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ कह कर स्मरण किया गया है। ( ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि, अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि ।) पञ्चतन्त्र के प्रथम अध्याय में एक दूसरे स्थल पर अर्थशास्त्र को 'नयशास्त्र' नाम से भी अभिहित किया गया है।

संस्कृत-साहित्य का एक नाटक मुद्राराक्षस है, जिसके रचयिता विशाख-दत्त ६०० ई० के लगभग हुए। यह नाटक एक प्रकार से आचार्य कौटिल्य

की आशिक जीवनी है। मुद्राराक्षस से महामति कौटिल्य के अतुल व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

विशाखदत्त के समकालीन कथाकार एवं काव्यशास्त्री आचार्य दण्डी ने कौटिलीय दण्डनीति के अध्ययन पर जोर दिया ही है, वरन् उस दण्डनीति के स्वरूप के सम्बन्ध में भी एक ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है। दण्डी का कथन है कि 'आचार्य विष्णुगुप्त निर्मित उस दण्डनीति का अध्ययन करो, जिसको उन्होंने मौर्य ( चन्द्रगुप्त ) के लिये छ हजार श्लोकों में सक्षिप्त किया था। जो भी इस उत्तम ग्रन्थ को पढ़ेगा उसको उत्तम फल मिलेगा।' (अधोष्ठ्य तावद्दण्डनीतिम्। तदिदमिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौर्याधिपद्भिः श्लोकसहस्रैः सक्षिप्ता। संश्लेषमधीत्य सम्यगनुद्गीयमानयोक्तकार्यक्षमेति)।

कादम्बरी जैसे बृहत्कथा काव्य के निर्माता बाणभट्ट ( ७०० ई० ) ने कौटिल्य शास्त्र का उल्लेख तो किया है, किन्तु मालूम नहीं किस दृष्टि से उन्होंने उसको निकृष्ट शास्त्र की संज्ञा दी है। बाण का कथन है कि 'उन लोगों के लिये क्या कहा जाय जो अति नृशंस कार्य को उचित बताने वाले कौटिल्य के शास्त्र को प्रमाण मानते हैं'। ( किं वा तेषां साप्रत येषामतिनृशंसप्रयोपदेशो कौटिल्यशास्त्रप्रमाणम् )।

### अर्थशास्त्र और उसकी परंपरा

बृहद् हिन्दू जाति के राजनीतिशास्त्र विषयक साहित्य का निर्माण लगभग ६५० ई० पूर्व में ही हुआ था। यह कल्पसूत्रों की रचना का समय था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के सैकड़ों शब्दों में एव उसकी लेखन-शैली पर कल्पसूत्रों की शब्दावली एवं उनकी रचना शैली का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ( प्रो० प्राणनाथ विद्यालकार, कौटिल्य अर्थशास्त्र की प्रस्तावना )।

इससे प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थों का निर्माण कल्पसूत्रों ( ७०० ई० पूर्व ) के बाद और विशेष रूप से बौधायन-धर्मसूत्र ( ५०० ई० पूर्व ) के बाद होना आरम्भ हो गया था। बौद्ध धर्म के प्राण-सर्वस्व जातक-ग्रन्थों का रचनाकाल तथागत बुद्ध से पूर्व अर्थात् लगभग ६०० ई० पूर्व बीटता है। इन जातकों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय तक अर्थशास्त्र को एक प्रमुख विज्ञान के रूप में परिगणित किया जाने लगा था। ( फास्बोल जातक, जिल्द २, पृष्ठ ३०, ७४ )।

सूत्रकाल की समाप्ति ( २०० ई० पूर्व ) के लगभग अर्थशास्त्र एक प्रामाणिक शास्त्र के रूप में समाहित हो चुका था। सूत्र-ग्रन्थों में अर्थशास्त्र विषयक चर्चाओं को देख कर उसकी मान्यता का सहसा अनुमान लगाया जा सकता है

( व्याप्तव-धर्मसूत्र २, ५, १०, १४ ) । गृह्यसूत्र में तो आदित्य नामक एक अर्थशास्त्रविद् आचार्य का उल्लेख तक मिलता है ( व्याख्येयान् गृह्यसूत्र ३, १३, १६ ) । महाभारत में हिन्दू राजनीतिशास्त्र का मिलानिनेवार इतिहास मिलता है और इस परंपरा के कृत्रिय प्राचीन आचार्यों की सूची भी उसमें उल्लिखित है ( महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ५८, ५६ ) ।

अर्थशास्त्र की प्राचीन परंपरा का अध्ययन करते समय इस सम्बन्ध में एक बात जानने योग्य यह है कि आरम्भ में दण्डनीति और शासन-सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र के लिए ही होता था, किन्तु कौटिल्य के बाद अर्थशास्त्र से केवल जनपद-सम्बन्धी कार्यों का ही विधान होना लगा था । अर्थ की व्याख्या करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 'अर्थ का अर्थशास्त्र है मनुष्यों की बस्ती, अर्थात् वह प्रदेश जिसमें मनुष्य बसते हों । अर्थशास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं, जिसमें राज्य की प्राप्ति और उसके पालन के उपायों का वर्णन हो ।' ( अर्थशास्त्र, पृ० ७६५ ) । आचार्य उप्पर के राजनीतिशास्त्र विषयक ग्रन्थ को दण्डनीतिसाह ( विशाखदत्त मुद्राराक्षस १।७ ) और आचार्य बृहस्पति के ग्रन्थ को अर्थशास्त्र ( वात्स्यायन कामसूत्र १ ) इसी लिए कहा जाने लगा था । इसी परंपरा के अनुसार महाभारतकार ने भी प्रजापति के ग्रन्थ को राजशास्त्र कहकर स्मरण किया है ( महाभारत, शांतिपर्व, अ०५९ ) । इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो ग्रन्थकार ऐतिहासिक व्यक्ति माने गये हैं, वे शांतिपर्व में देवी विभूति तथा पौराणिक रूप में स्मरण किये गये हैं ( व्याख्यान हिन्दू-राजशास्त्र १, पृ० ६ का फुटनोट ) ।

समस्त पूर्ववर्ती आचार्य-परंपरा के सिद्धान्तों और उनकी वे कृत्रियाँ, जो कि सम्प्रति अनुपलब्ध हैं, उन सब का एक साथ निष्कर्ष हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं । कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्ती समग्र अठारह-उन्नीस अर्थशास्त्रविद् आचार्यों का उल्लेख किया है, जिनसे विचार ग्रहण कर उन्होंने अपने अद्भुत ग्रन्थ का निर्माण किया । इस प्राचीन आचार्य-परंपरा के परिवर्ष से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र का निर्माण बहुत पहले से होने लगा था और विभिन्न ग्रन्थों में आदर के साथ उल्लेख किया जाना लगा था, जिसकी व्यापक व्याख्या हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं ।

ई० पूर्व ५०० के अनन्तर और ४०० के बीच में रहे गये अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थों में सर्वत्र ही हमें अर्थशास्त्र की विस्तृत चर्चाएँ और प्राचीन अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों का उल्लेख देखने को मिलता है । किन्तु ये सभी चर्चाएँ विस्तरी हानत में उपलब्ध होती हैं । आचार्य कामन्दक ने ४०० ई० के लगभग एक

पञ्चमय ग्रन्थ नीतिसार लिखा, जो कि आचार्य गुरु कृत शुक्रनीतिसार का संस्करण मात्र था और आधुनिक विद्वानों ने कामन्दकीय नीतिसार के उन उद्धरणों को, जिनको कि मध्ययुग के बाद वाले स्मृतिशास्त्र के टीकाकारों ने उद्धृत किया है, मिलान करने पर पता लगाया कि कामन्दक के नीतिसार का १७वीं शताब्दी के लगभग पुनः संस्करण हुआ ।

ईसा की छठी और सातवीं शताब्दी में विरचित अग्नि और मत्स्य आदि पुराणों में भी यद्यपि अर्थशास्त्र सम्बन्धी चर्चाएँ और तत्सम्बन्धी कुछ आचार्यों के नाम उपलब्ध होते हैं, तथापि वे विशेष महत्त्व के नहीं हैं । नवम-दशम शताब्दी के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । पहिले अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थ बृहस्पतिस्मृतिको डा० एफ० डब्ल्यू० थामस ने खोज कर सम्पादित एवं प्रकाशित किया । यह ग्रन्थ अपने मूलरूप में बहुत प्राचीन था, किन्तु जिस रूप में आज वह उपलब्ध है, वह नवम दशम शताब्दी का पुनः संस्करण है । इसी प्रकार दूसरा ग्रन्थ दसवीं शताब्दी में विरचित सूत्रात्मक शंखी का नीतिवाक्यामृत है, जिसके रचयिता का नाम सोमदेव था । यह सोमदेव क्यासरिस्तामर का रचयिता ११वीं शताब्दी के काश्मीर देशीय सोमदेव से पूयक् व्यक्ति था ।

तदनन्तर १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक की कोई कृति उपलब्ध नहीं होती । अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थों की निर्माण परम्परा लगभग १८वीं शताब्दी तक पहुँचती है । अर्थशास्त्र का यह अन्तिम समय नितान्त अवनति का रहा है । १४वीं से १८वीं शताब्दी तक के ग्रन्थकारों में चन्द्रशेखर, मित्रमिश्र और नीलकण्ठ प्रमुख हैं, जिनके ग्रन्थों का नाम क्रमशः राजनीति रत्नाकर ( जायसवाल, बिहार, उड़ीसा, रिसेर्च सोसाइटी ), धीरमित्रोदय ( चोखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से प्रकाशित ) और राजनीतिमयूख ( स्व० बा० गोविन्ददास, वाराणसी के पुस्तकालय में सुरक्षित ) है । चन्द्रशेखर के ग्रन्थ में दो अन्य अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के नाम उद्धृत हैं, जिनमें से एक ग्रन्थ राजनीतिरत्नपत्र के रचयिता का नाम लक्ष्मीधर और दूसरे विलुप्त नामक ग्रन्थकार का राजनीतिकामधेनु है ।

इस प्रकार आचार्य कौटिल्य, उनका अर्थशास्त्र और उस परम्परा का आकण्ठ अध्ययन करने के पश्चात् हमें विदित होता है कि संस्कृत साहित्य की अमिद्वद्धि में अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण योग रहा है और आचार्य कौटिल्य काल्पनिक व्यक्ति न होकर एक युगविधायक महारथी के रूप में संस्कृत भाषा की महानताओं के साथ अजर एवं अमर हो चुके हैं ।



## प्रस्तुत संस्करण

‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ के साथ डॉ० शाम शास्त्री और महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री का नाम अमर है। डॉ० शाम शास्त्री का अंग्रेजी अनुवाद और म० म० गणपति शास्त्री का संस्कृतानुवाद इस विषय की सर्वांगीण, शोधपूर्ण और प्रामाणिक कृतियाँ हैं।

‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ का प्रस्तुत संस्करण म० म० गणपति शास्त्री के संस्करण पर आधारित है। स्व० शास्त्री जी ने ‘अर्थशास्त्र’ का गम्भीर अध्ययन करने के उपरान्त उसके मूल भाग को विषय और प्रसङ्ग के अनुसार अलग-अलग वर्गों, वाक्यों और वाक्यखण्डों में विभाजित किया है। उनकी यह स्वतन्त्र देन है।

प्रत्येक सूत्र के आगे सख्या डालने की अवैज्ञानिक पद्धति स्व० शास्त्री जी के संस्करण में नहीं अपनायी गयी है। बल्कि उन्होंने मूल पाठ के प्रत्येक पैराग्राफ को इस ढङ्ग से संयोजित किया है कि अर्थसङ्गति की दृष्टि से वह भ्रमरतया विच्छिन्न न होने पावे। डॉ० शाम शास्त्री का दृष्टिकोण भी यही रहा है।

प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद के प्रत्येक पैराग्राफ पर सख्या का उल्लेख इसलिये किया है कि नीचे उसका अनुवाद पढ़ने में सुगमता हो। अधिकरण, प्रकरण और अध्याय का जो क्रम सभी संस्करणों में है वही इस संस्करण में भी देखने को मिलेगा।

पुस्तक के अन्त में चाणक्य-सूत्रों को भी जोड़ दिया गया है। आचार्य कौटिल्य के नाम पर चाणक्य सूत्रों को जोड़ना ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि असङ्गत है, किन्तु अध्येताओं की सुविधा के लिये उनका समावेश करना भी आवश्यक समझा गया है।

डॉ० शाम शास्त्री और म० म० गणपति शास्त्री के संस्करणों के अतिरिक्त उदयवीर शास्त्री के हिन्दी अनुवाद से भी मैंने सहायता ली है। इस हेतु इन सभी महानुभावों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। श्रेय श्री रामचन्द्र झा के सत्वरामशौ के लिये मैं अनुग्रहीत हूँ।

—वाचस्पति गैरोला

# विषय-सूची

## ( १ ) विनयाधिकारिक : पहला अधिकरण

विषय	पृष्ठ
प्रकरण और अधिकरण का निरूपण	१
१ विद्या विषयक विचार आन्वीक्षिकी	८
२ विद्या विषयक विचार त्रयी	१०
३ विद्या विषयक विचार वार्ता और दण्डनीति	१२
४ : वृद्धजनों की सगति	१४
५ काम क्रोधादि छह शत्रुओं का परित्याग	१६
६ साधु स्वभाव राजा की जीवनचर्या	१८
७ अमात्यों की नियुक्ति	२०
८ मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति	२३
९ गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा	२५
१० गुप्तचरों की नियुक्ति ( स्थायी गुप्तचर )	२९
११ गुप्तचरों की नियुक्ति ( भ्रमणशील गुप्तचर )	३२
१२ अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा	३७
१३ शत्रु-देश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना	४०
१४ मन्त्राधिकार	४३
१५ सन्देश देकर राजदूतों को शत्रुदेश में भेजना	४९
१६ राजपुत्रों से राजा की रक्षा	५३
१७ नजरबन्द राजकुमार और राजा का पारस्परिक व्यवहार	५८
१८ राजा के कार्य-व्यापार	६१
१९ : राज भवन का निर्माण और राजा के कर्तव्य	६५
२० आत्मरक्षा का प्रबन्ध	६९

## ( २ ) अध्यक्षप्रचार : दूसरा अधिकरण

१ जनपदों की स्थापना	७७
२ उत्तर भूमि को उपयोगी बनाने का विधान	८२
३ दुर्गों का निर्माण	८५
४ दुर्ग से सम्बन्धित राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों का निर्माण	९१
५ कोष गृह का निर्माण और कोषाध्यक्ष के कर्तव्य	९५

विषय	पृष्ठ
६ समाहर्ता का कर समूह काय	९९
७ अक्षपटल में गणनिक के कार्यों का निरूपण	१०३
८ अध्यक्षों द्वारा भवन किये गये धन की पुन प्राप्ति	१०९
९ राजकीय उच्चाधिकारियों के चालचलन की परीक्षा	११४
१० शासनाधिकार	११६
११ कोष में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा	१२५
१२ खान एवं सनिज पदार्थों की पहिचान और उनके विक्रय की व्यवस्था	१३६
१३ अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष के काय	१४३
१४ राजकीय स्वणकारों के कतव्य	१५०
१५ कोष्ठागार का अध्यक्ष	१५७
१६ पण्य का अध्यक्ष	१६४
१७ कुप्य का अध्यक्ष	१६७
१८ आयुधागार का अध्यक्ष	१७०
१९ तौल और माप का अध्यक्ष	१७४
२० देश और काल का मान	१८०
२१ शुल्क का अध्यक्ष	१८५
२२ कर वसूली के नियम	१८९
२३ सूत व्यवसाय का अध्यक्ष	१९२
२४ कृषि विभाग का अध्यक्ष	१९५
२५ आबकारी विभाग का अध्यक्ष	२००
२६ बध-स्थान का अध्यक्ष	२०५
२७ वेदशालाओं का अध्यक्ष	२०७
२८ नौकाध्यक्ष	२१२
२९ पशुविभाग का अध्यक्ष	२१६
३० अश्वविभाग का अध्यक्ष	२२२
३१ गजशाला का अध्यक्ष	२२६
३२ हाथियों की श्रणियाँ तथा उनके काय	२३२
३३ रथसेना तथा पैदल सेना के अध्यक्षों और सेनापति के कार्यों का निरूपण	२३६
३४ भुदाविभाग और चारागाह विभाग के अध्यक्ष	२३९
३५ समाहर्ता और गुमचरो के कार्यों का निरूपण	२४१
३६ नागरिक के काय	२४५

## ( ३ ) धर्मस्थीय : तीसरा अधिकरण

विषय	पृष्ठ
१ : शर्तनामो का लेखन-प्रकार और तत्सम्बन्धी विवादों का निर्णय	२५५
२ : विवाह-सम्बन्ध : (१) धर्म-विवाह : स्त्री का धन : स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार : पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार	२६१
३ : विवाह-सम्बन्ध : (२) स्त्री की परिवरिषा : कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : पति-पत्नी का द्वेष : पति-पत्नी का अतिचार . अतिचार पर प्रतिषेध	२६६
४ : विवाह-सम्बन्ध : (३) परिणीता का निष्पतन : पर पुरुष का अनुसरण : पुनर्विवाह की स्थिति	२७०
५ : दाय-विभाग : उत्तराधिकार का सामान्य नियम	२७५
६ : दाय-विभाग : पौत्रक क्रम से विशेषाधिकार	२७९
७ : दाय-विभाग : पुत्रक्रम से उत्तराधिकार	२८२
८ : वास्तुक : गृह-निर्माण	२८६
९ : वास्तुक : मकान बेचना : सीमा-विवाद . खेतों की सीमाएँ : मिश्रित विवाद : कर की छूट	२८९
१० : वास्तुक : रास्तों का रोकना . गावों का बन्दोबस्त : चारागाहों का प्रबन्ध : सामूहिक कार्यों में शामिल न होने का मुआवजा	२९४
११ : श्रृण लेना	२९९
१२ : धरोहरसम्बन्धी नियम	३०५
१३ : दास और श्रमिक सम्बन्धी नियम	३११
१४ : मजदूरी के नियम और साभोदारी का हिस्सा	३१६
१५ : ऋण-विक्रय का बयाना	३२०
१६ : दान किये हुये धन को न देना; अस्वामि-विक्रय, स्व-स्वामि-सम्बन्ध	३२३
१७ : साहस	३२८
१८ : वाक्पाहण्य	३३१
१९ : दण्डपाहण्य	३३४
२० : दूत-समाह्वय और प्रकीर्णक	३३९

## ( ४ ) कण्टक-शोधन : चौथा अधिकरण

१ : शिल्पियों से प्रजा की रक्षा	३४५
२ : व्यापारियों से प्रजा की रक्षा	३५२
३ : दैवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के उपाय	३५६

विषय	पृष्ठ
४ : गुप्त पद्म्यन्त्रकारियों से प्रजा की रक्षा के उपाय	३६१
५ : सिद्धवेपथारी गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन	३६४
६ : शक्ति पुरुषों की पहिचान, चोरी के माल की पहिचान और चोर की पहिचान	३६७
७ : आशुमृतक की परीक्षा	३७२
८ : जाँच और यातना के द्वारा चोरी को अगीकार करना	३७६
९ . सरकारी विभागों और छोटे-बड़े कर्मचारियों की निगरानी	३८०
१० . एकाग वध अथवा उसकी जगह द्रव्य-दण्ड	३८६
११ . शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड	३८६
१२ : कुंवारी कन्या से सभोग करने का दण्ड	३९३
१३ . अतिचार का दण्ड	३९८

### ( ५ ) योग-वृत्त : पाँचवाँ अधिकरण

१ . राजद्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में दण्ड-व्यवस्था	४०५
२ : कोष का अधिकाधिक संग्रह	४१२
३ . भृत्यों का मरण-पोषण	४२०
४ . राजकर्मचारियों का राजा के प्रति व्यवहार	४२५
५ . व्यवस्था का यथोचित पालन	४२८
६ . विपत्तिकाल में राज-पुत्र का अभिषेक और एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा	४३२

### ( ६ ) मण्डल-योनि : छठा अधिकरण

१ . प्रकृतियों के गुण	४४१
२ . शान्ति और उद्योग	४४५

### ( ७ ) पाङ्गुण्य : सातवाँ अधिकरण

१ . छह गुणों का उद्देश्य और क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय	४५३
२ . बलवान् का आश्रय	४५८
३ : सम, हीन तथा बलवान् राजाओं के चरित्र और हीन राजा के साथ सम्बन्ध	४६१
४ : विपद् करके अस्त्र और यान का अवलम्बन	४६६
५ : यान सम्बन्धी विचार, प्रकृतिमण्डल के साथ, लोभ तथा विराग के हेतु और सहयोगी समवायिकों का हिस्सा	४७०
६ . सामूहिक प्रयाण और देय, काल तथा कार्य के अनुसार सधियाँ	४७७

विषय	पृष्ठ
७ द्वैधीभाव सम्बन्धी सन्धि और विक्रम	४८४
८ यालव्य सम्बन्धी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्रति कर्तव्य	४८९
९ मित्र-सन्धि और हिरण्य-सन्धि ( सन्धिविचार १ )	४९३
१० भूमि-सन्धि ( सन्धि विचार २ )	५००
११ अनवसित सन्धि ( सन्धि विचार ३ )	५०५
१२ कर्म-सन्धि ( सन्धि विचार ४ )	५११
१३ पाणिप्राह-चिन्ता	५१६
१४ दुर्बल विजिगीषु के लिये शक्तिसचय के साधन	५२२
१५ बलवान् शत्रु और विजित शत्रु के साथ व्यवहार	५२७
१६ अधीनस्थ राजाओं के प्रति विजेता विजिगीषु का व्यवहार	५३२
१७ सन्धि कर्म और सन्धि मोक्ष	५३७
१८ मध्यम, उदासीन और मण्डलचरित	५४४

### ( ८ ) व्यसनाधिकारिक : आठवाँ अधिकरण

१ प्रकृतियों के व्यसन और उनका प्रतीकार	५५५
२ राजा और राज्य के व्यसनो पर विचार	५६२
३ सामान्य पुरुषों के व्यसन	५६६
४ पौडनवर्ग, स्तम्भवर्ग और कोपसङ्गवर्ग	५७३
५ सेना व्यसन और मित्र व्यसन	५८१

### ( ९ ) अभियास्यत्कर्म : नौवाँ अधिकरण

१ शक्ति देश, काल, बल अबल का ज्ञान और आक्रमण का समय	५८९
२ सैन्य-संग्रह का समय, सैन्य-संगठन और शत्रुसेना से मुकाबला	५९५
३ पश्चात्कोपचिन्ता और बाह्याभ्यन्तर प्रकृति के कोप का प्रतीकार	६०२
४ क्षय, व्यय और लाभ का विचार	६०६
५ बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ	६१३
६ राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ	६१७
७ अर्थ, अनर्थ तथा सशय सम्बन्धी आपत्तियाँ और उनके प्रतीकार के उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ	६२५

### ( १० ) साङ्ग्रामिक : दसवाँ अधिकरण

१ छावनी का निर्माण	६३७
२ छावनी प्रयाण और आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा	६४०
३ कूट-युद्ध के भेद अपनी सेना का प्रोत्साहन और अपनी तथा पराई सेना का प्रयोग	६४४

विषय	पृष्ठ
४ युद्धयोग्य भूमि और पदाति अथ रथ तथा हाथी आदि सेनाओं के काम	६११
५ पक्ष कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना व परिणाम के अनुसार 'यूह विभाग सार तथा फल्गु बलो का विभाग और चतुरङ्ग सेना का ग्रह	६५५
६ प्रकृतिव्यूह विकृतिव्यूह और प्रतिव्यूह की रचना	६९२
( ११ ) वृत्तसंघ ग्यारहवाँ अधिकरण	
१ भेदक प्रयोग और उपायुद्ध	६९९
( १२ ) आवलीयस्य बारहवाँ अधिकरण	
१ दूतकर्म	६७९
२ मन्त्र-युद्ध	६८३
३ सेनापतियों का वध और राजमण्डल की सहायता	६९८
४ शस्त्र अग्नि तथा रसों का गूढ़ प्रयोग और चौबघ आसार तथा प्रसार का नाश	६९२
५ कपट उपायो या दण्ड प्रयोगों द्वारा और आक्रमण के द्वारा विजयोपलब्धि	६९६
( १३ ) दुर्गालम्भोपाय तेरहवाँ अधिकरण	
१ उपजाप	७०५
२ कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना	७०६
३ गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास	७१५
४ शत्रु के दुर्ग को घेरकर अपने अधिकार में करना	७२२
५ विजित देश में शांति की स्थापना	७३१
( १४ ) औपनिषदिक चौदहवाँ अधिकरण	
१ शत्रु-वध के प्रयोग	७३७
२ प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन	७४४
३ प्रलम्भन योग में औपधि तथा मन्त्र का प्रयोग	७५१
४ शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार	७६०
( १५ ) तन्त्रयुक्ति पन्द्रहवाँ अधिकरण	
१ अपशास्त्र की युक्तियाँ	७६५
घाणक्य-सूत्र	७७५
पारिभाषिक शब्दकोश	८०१
शब्द-सूची	८१७

॥ श्री ॥

कौटिलीयम्

# अर्थशास्त्रम्

ॐ

नम शुक्रवृहस्पतिभ्याम् ।

(१) पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यथशास्त्राणि पूर्वाचार्ये प्रस्था-  
पितानि प्रायशस्तानि सहस्र्येकमिदमर्थशास्त्रं कृतम् ।

(२) तस्याय प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः ।

कौटिल्य का

## अर्थशास्त्र

ॐ

शुक्राचार्य और बृहस्पति के लिए नमस्कार है ।

( १ ) पृथिवी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया उन सबका सार-सकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है ।

( २ ) इस अर्थशास्त्र के प्रकरणों और अधिकरणों का निरूपण इस प्रकार है



(१) विद्यासमुद्देशः ॥ १ ॥ बृद्धसंयोगः ॥ २ ॥ इन्द्रियजयः ॥ ३ ॥ अमात्योत्पत्तिः ॥ ४ ॥ मन्त्रिपुरोहितोत्पत्तिः ॥ ५ ॥ उपधाभिः शौचा-शौचज्ञानममात्यानाम् ॥ ६ ॥ गूढपुरुषोत्पत्तिः ॥ ७ ॥ गूढपुरुषप्रणिधिः ॥ ८ ॥ स्वविषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षणम् ॥ ९ ॥ परविषये कृत्याकृत्यपक्षो-पग्रहः ॥ १० ॥ मन्त्राधिकारः ॥ ११ ॥ दूतप्रणिधिः ॥ १२ ॥ राजपुत्र-रक्षणम् ॥ १३ ॥ अवरुद्धवृत्तम् ॥ १४ ॥ अवरुद्धे च द्युतिः ॥ १५ ॥ राजप्रणिधिः ॥ १६ ॥ निशान्तप्रणिधिः ॥ १७ ॥ आत्मरक्षितकम् ॥ १८ ॥ इति विनयाधिकारिकं प्रथममधिकरणम् ।

(२) जनपदविनिवेशः ॥ १ ॥ भूमिच्छिद्रविधानम् ॥ २ ॥ दुर्गविधा-नम् ॥ ३ ॥ दुर्गविनिवेशः ॥ ४ ॥ संनिघातृनिचयकर्म ॥ ५ ॥ समाहृतं-समुदयप्रस्थापनम् ॥ ६ ॥ अक्षपटलेगाणनिव्याधिकारः ॥ ७ ॥ समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम् ॥ ८ ॥ उपयुक्तपरीक्षा ॥ ९ ॥ शासनाधिकारः ॥ १० ॥ कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा ॥ ११ ॥ आकरकर्मान्तप्रवर्तनम् ॥ १२ ॥ अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः ॥ १३ ॥ विशिखायां सौवर्णिकप्रचारः ॥ १४ ॥ कोष्ठागाराध्यक्षः ॥ १५ ॥ पण्याध्यक्षः ॥ १६ ॥ कुप्याध्यक्षः ॥ १७ ॥ आयुधागाराध्यक्षः ॥ १८ ॥ तुलामानपीतवम् ॥ १९ ॥ देशकालमानम्

### पहला अधिकरण : विनयाधिकारिक-( राजवृत्ति )-निरूपण

( १ ) १ विद्या-विषयक विचार, २. बृद्धजनों की संगति, ३. इन्द्रियजय, ४. अमात्यो की नियुक्ति, ५. मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति, ६. गुप्त उपायो से अमात्यो के आचरणो की परीक्षा, ७. गुप्तचरो का निरूपण, ८ गुप्तचरो की कार्यों पर नियुक्ति, ९ अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा, १०. शत्रुदेश में कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना, ११. मन्त्राधिकार, १२. दूतों की कार्यों पर नियुक्ति, १३. राजपुत्र की रक्षा, १४ नजरबन्द राजकुमार का व्यवहार, १५. नजरबन्द ( राज-कुमार ) के प्रति राजा का व्यवहार, १६ राजा के कार्य-व्यापार, १७. राजभवन का निर्माण, १८. आत्मरक्षा का प्रबन्ध ।

### दूसरा अधिकरण : अध्यक्षो का निरूपण

( २ ) १ जनपदों की स्थापना, २. भूमि को उपयोगी बनाने का विधान, ३ दुर्गों का निर्माण, ४. दुर्गविनिवेश, ५. संनिघाता के कार्य, ६ समाहृतों का कर-संग्रह कार्य, ७ अक्षपटल में गणनिक के कार्य, ८. गवन किए गये राजघन को पुनः प्राप्त करना ९. उपयुक्त परीक्षा, १०. शासनाधिकार, ११. कोष में रखने योग्य रत्नों को परीक्षा, १२. खान के कार्यों का संचालन, १३. अक्षशाला में स्वर्णाध्यक्ष का कार्य, १४. विशिखा में सौवर्णिक का व्यापार, १५. कोष्ठागार का अध्यक्ष, १६. पण्य का अध्यक्ष, १७. कुप्य का अध्यक्ष, १८. आयुधागार का अध्यक्ष,

॥ २० ॥ शुल्काध्यक्षः ॥ २१ ॥ सूत्राध्यक्षः ॥ २२ ॥ सीताध्यक्षः ॥ २३ ॥  
 मुराध्यक्षः ॥ २४ ॥ सूनाध्यक्षः ॥ २५ ॥ गणिकाध्यक्षः ॥ २६ ॥ नाव-  
 ध्यक्षः ॥ २७ ॥ गोऽध्यक्षः ॥ २८ ॥ अश्वाध्यक्षः ॥ २९ ॥ हस्त्यध्यक्षः  
 ॥ ३० ॥ रथाध्यक्षः ॥ ३१ ॥ पत्यध्यक्षः ॥ ३२ ॥ सेनापतिप्रचारः ॥ ३३ ॥  
 मुद्राध्यक्षः ॥ ३४ ॥ विवीताध्यक्षः ॥ ३५ ॥ समाहर्तृप्रचारः ॥ ३६ ॥  
 गृहपतिर्वंदेहकतापसव्यञ्जनाः प्रणिधयः ॥ ३७ ॥ नागरिकप्रणिधिः ॥ ३८ ॥  
 इत्यध्यक्षप्रचारो द्वितीयमधिकरणम् ।

(१) व्यवहारस्थापना ॥ १ ॥ विवादपदनिबन्धः ॥ २ ॥ विवाह-  
 सयुक्तम् ॥ ३ ॥ दायविभागः ॥ ४ ॥ वास्तुकम् ॥ ५ ॥ समयस्यानपाकर्म  
 ॥ ६ ॥ ऋणादानम् ॥ ७ ॥ औपनिधिकम् ॥ ८ ॥ दासकर्मकरकल्पः  
 ॥ ९ ॥ संभूयसमुत्थानम् ॥ १० ॥ विक्रीतक्रीतानुशयः ॥ ११ ॥ दत्त-  
 स्यानपाकर्म ॥ १२ ॥ अस्वामिविक्रयः ॥ १३ ॥ स्वस्वामिसंबन्धः ॥ १४ ॥  
 साहसम् ॥ १५ ॥ वाक्पाख्यम् ॥ १६ ॥ दण्डपाख्यम् ॥ १७ ॥ द्यूतसमा-  
 ह्वयम् ॥ १८ ॥ प्रकीर्णकानि ॥ १९ ॥

इति धर्मस्थीय तृतीयमधिकरणम् ।

(२) कारककरणम् ॥ १ ॥ वंदेहकरणम् ॥ २ ॥ उपनिपातप्रतीकारः

१६ तोल-माप का निश्चय, २०. देश और काल का मान, २१. शुल्क का अध्यक्ष,  
 २२. सूत का अध्यक्ष, २३. कृषि का अध्यक्ष, २४. आवकारी का अध्यक्ष, २५.  
 वधस्थान का अध्यक्ष, २६. वेश्यालयो का अध्यक्ष, २७ परिवहन का अध्यक्ष, २८.  
 पशुओ का अध्यक्ष, २९ अश्वशाला का अध्यक्ष, ३०. गजशाला का अध्यक्ष, ३१.  
 रथसेना का अध्यक्ष, ३२ पैदल सेना का अध्यक्ष, ३३ सेनापति का कार्य, ३४. मुद्रा-  
 विभाग का अध्यक्ष, ३५ चरागाह का अध्यक्ष, ३६. समाहर्ता का कार्य, ३७. गृह-  
 पति, वंदेहक तथा तापस के वेप मे गुप्तचर, और ३८. नागरिक के कार्य ।

तीसरा अधिकरण : न्याय का निरूपण

(१) १ व्यवहार की स्थापना, २ विवाद पदों का विचार, ३ विवाह-सम्बन्धी  
 विचार, ४. दाय-विभाग, ५. वास्तुक, ६. समय ( प्रतिज्ञा ) का न छोड़ना, ७. ऋण  
 लेना, ८ धरोहर सम्बन्धी नियम, ९. दास और श्रमिकों के नियम, १०. साझेदारी  
 का हिस्सा, ११. क्रय-विक्रय-सम्बन्धी बयाना, १२ देने का वचन देकर फिर न देना,  
 १३. अस्वामि-विक्रय, १४ स्व-स्वामि सम्बन्ध, १५ साहस, १६ वाक्पाख्य; १७.  
 दण्डपाख्य, १८ द्यूत-समाह्वय, और १९ प्रकीर्णक ।

चौथा अधिकरण : कण्टक-शोधन

(२) १. शिल्पियों से देश की रक्षा, २ व्यापारियों से देश की रक्षा, ३ देवी

॥ ३ ॥ गूढाजीविना रक्षा ॥ ४ ॥ सिद्धव्यञ्जनैर्माणवप्रकाशनम् ॥ ५ ॥  
शङ्कात्पकर्माभिग्रहः ॥ ६ ॥ आशुमृतवपरीक्षा ॥ ७ ॥ वाक्यकर्मानुयोगः  
॥ ८ ॥ सर्वाधिकरणरक्षणम् ॥ ९ ॥ एकाङ्गवधनिष्पन्नयः ॥ १० ॥ शुद्ध-  
श्चित्रश्च दण्डकल्पः ॥ ११ ॥ कन्याप्रकर्म ॥ १२ ॥ अतिचारदण्डः ॥ १३ ॥

इति कण्टकशोधन चतुर्यमधिकरणम् ।

(१) दण्डकर्मिकम् ॥ १ ॥ कोशामिसहरणम् ॥ २ ॥ मृत्युभरणीयम्  
॥ ३ ॥ अनुजीविवृत्तम् ॥ ४ ॥ सामयाचारिकम् ॥ ५ ॥ राज्यप्रतिसंधान-  
नम् ॥ ६ ॥ एकैश्वर्यम् ॥ ७ ॥

इति योगवृत्तं पञ्चममधिकरणम् ।

(२) प्रकृतसम्पद. ॥ १ ॥ जमव्यापामिकम् ॥ २ ॥

इति मण्डलयोनिः षष्ठमधिकरणम् ।

(३) पाङ्गुप्यसमुद्देशः ॥ १ ॥ क्षयस्थानवृद्धिनिश्चयः ॥ २ ॥ संश्रय-  
वृत्तिः ॥ ३ ॥ समहीनज्यायसां गुणामिनिवेशः ॥ ४ ॥ हीनसधयः ॥ ५ ॥  
विगृह्यासनम् ॥ ६ ॥ सधायसनम् ॥ ७ ॥ विगृह्यासनम् ॥ ८ ॥ सधाय-  
यानम् ॥ ९ ॥ सभूयप्रयाणम् ॥ १० ॥ यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता  
॥ ११ ॥ क्षयलोमविरागहेतवः प्रकृतीनाम् ॥ १२ ॥ सामवायिकविपरि-

आपत्तियों का प्रतीकार, ४ गुप्त पद्यों-नकारियों से देश की रक्षा, ५ सिद्ध पुरुषों के  
बहाने प्रलोभन विद्याओं का प्रकाशन, ६. सन्देह, दस्तु और वार्य के द्वारा चोरों को  
पकटना, ७ आशुमृत की परीक्षा, ८ वाक्यवर्मानुयोग, ९. सभी राजकीय विभागों  
की रक्षा, १०. एक अङ्ग का वध या उसकी जगह द्रव्यदण्ड, ११. गूढदण्ड और  
चित्रदण्ड, १२. कुंवारी कन्या से सम्भोग करने का दण्ड, और १३. अतिचार  
का दण्ड ।

पाँचवाँ अधिकरण : योगवृत्त-निर्हण

(१) १ दण्डव्यवस्था, २. कोश का सग्रह, ३. मृत्यों का भरण-पोषण, ४ राज्य-  
वर्माचारियों का व्यवहार, ५. व्यवस्था का यथोचित पालन, ६ राज्य का प्रतिस्धान  
और ७ एकैश्वर्य ।

छठा अधिकरण : प्रकृतियों का निरूपण

(२) १ प्रकृतियों के गुण, और २ क्षति तथा उद्योग ।

सातवाँ अधिकरण : छह गुणों का निरूपण

(३) १. छह गुणों का उद्देश्य, २. क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निरूपण, ३. बल-  
वान् का आपस, ४ सम, हीन तथा बलवान् आदि राजाओं का चरित, ५. हीन  
मधि, ६. विग्रह कर के आसन, ७. सधि कर के आसन, ८. विग्रह कर के आसन,  
९. सधि कर के आसन, १०. सामूहिक प्रयाण, ११ यातव्य और शत्रु के प्रति मान का

मर्शः ॥ १३ ॥ सहितप्रपाणिकम् ॥ १४ ॥ परिपणितापरिपणितापसृताश्च  
संघयः ॥ १५ ॥ द्वंद्वीभाविकाः सधिविक्रमाः ॥ १६ ॥ यातव्यवृत्तिः  
॥ १७ ॥ अनुप्राह्यमित्रविशेषाः ॥ १८ ॥ मित्रहिरण्यभूमिकर्मसंघय ॥ १९ ॥  
पार्ष्णिप्राहचिन्ता ॥ २० ॥ हीनशक्तिपूरणम् ॥ २१ ॥ बलवता विगृह्यो-  
परोधहेतवः ॥ २२ ॥ दण्डोपनतवृत्तम् ॥ २३ ॥ दण्डोपनायिवृत्तम् ॥ २४ ॥  
सधिकर्म ॥ २५ ॥ सधिमोक्षः ॥ २६ ॥ मध्यमचरितम् ॥ २७ ॥ उदासीन-  
चरितम् ॥ २८ ॥ मण्डलचरितम् ॥ २९ ॥

इति षाड्गुण्य सप्तममधिकरणम् ।

(१) प्रकृतिव्यसनवर्गः ॥ १ ॥ राजराज्ययोर्व्यसनचिन्ता ॥ २ ॥ पुरप-  
व्यसनवर्गः ॥ ३ ॥ पीडनवर्गः ॥ ४ ॥ स्तम्भनवर्गः ॥ ५ ॥ कोपसङ्गवर्गः  
॥ ६ ॥ बलव्यसनवर्गः ॥ ७ ॥ मित्रव्यसनवर्गः ॥ ८ ॥

इति व्यसनाधिकारिकमष्टममधिकरणम् ।

(२) शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानम् ॥ १ ॥ यात्राकालाः ॥ २ ॥ बलो-  
पादानकालाः ॥ ३ ॥ संताहयुगाः ॥ ४ ॥ प्रतिबलकर्म ॥ ५ ॥ पश्चात्कोप-  
चिन्ता ॥ ६ ॥ बाह्याभ्यन्तरप्रकृतिकोपप्रतीकारः ॥ ७ ॥ क्षयव्ययलाभ-  
विपरिमर्शः ॥ ८ ॥ बाह्याभ्यन्तराश्रापदः ॥ ९ ॥ द्वयशत्रुसमुक्ताः ॥ १० ॥

निर्णय, १२ प्रकृतियों के क्षय, लोभ और विराग के हेतु, १३ सामवायिक राजाओं  
का विचार, १४ मिलकर आक्रमण, १५ परिपणित, अपरिपणित और अपसृत  
सधि, १६ द्वंद्वीभाव-सम्बन्धी सन्धि और विक्रम, १७ यातव्य-सम्बन्धी व्यवहार,  
१८ अनुप्राह्य मित्रविशेष, १९ मित्रसधि, हिरण्यसधि, भूमिसधि और कर्मसधि, २०  
पार्ष्णिप्राह-चिन्ता, २१ दुर्बल का शक्ति-संचय, २२ बलवान् से विरोध कर के दुर्ग-  
प्रवेश के कारण, २३ दण्डोपनतवृत्त, २४ दण्डोपनायिवृत्त, २५ सन्धिकर्म, २६ सन्धि-  
मोक्ष, २७ मध्यम का चरित, २८ उदासीन का चरित, और २९ राजमण्डल  
का चरित ।

आठवाँ अधिकरण : व्यसनों का निरूपण

(१) १ प्रकृतियों के व्यसन, २ राजा और राज्य के व्यसनों पर विचार,  
३ सामान्य पुरषों के व्यसन, ४ पीडनवर्ग, ५ स्तम्भनवर्ग, ६ कोपसंगवर्ग, ७  
बलव्यसनवर्ग और ८ मित्रव्यसनवर्ग ।

नवाँ अधिकरण : आक्रमण का निरूपण

(२) १- शक्ति, देश और काल के बलाबल का ज्ञान, २ आक्रमण का समय,  
३ सेनाओं के तैयार होने का समय, ४ सैन्य-संगठन ५ शत्रुसेना से मुकाबला, ६-  
पश्चात्कोपचिन्ता, ७- बाह्य और आभ्यन्तर प्रकृति के कोप का प्रतीकार, ८- क्षय,  
व्यय और लाभ का विचार, ९ बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ, १०- राजद्रोही

अर्थनिर्धसंशययुक्ताः ॥ ११ ॥ तासामुपायविकल्पजाः सिद्धयः ॥ १२ ॥

इत्यभियास्यत्कर्म नवममधिकरणम् ।

(१) स्कन्धावारनिवेशः ॥१॥ स्कन्धावारप्रयाणम् ॥२॥ बलव्यसनावस्कन्दकालरक्षणम् ॥ ३ ॥ कूटयुद्धविकल्पाः ॥ ४ ॥ स्वसैन्योत्साहनम् ॥ ५ ॥ स्वबलान्यबलव्यायोगः ॥ ६ ॥ युद्धभूमयः ॥ ७ ॥ पत्यश्वरथहस्तिकर्माणि ॥ ८ ॥ पक्षकक्षौरस्याना बलाग्रतो व्यूहविभागः ॥ ९ ॥ सारफल्गुबलविभागः ॥ १० ॥ पत्यश्वरथहस्तियुद्धानि ॥ ११ ॥ दण्डभोगमण्डलासहतव्यूहव्यूहनम् ॥ १२ ॥ तस्य प्रतिव्यूहसस्थापनम् ॥ १३ ॥

इति साङ्ग्रामिक दशममधिकरणम् ।

(२) भेदोपादानानि ॥ १ ॥ उपायुदण्डः ॥ २ ॥

इति सङ्घवृत्तमेकादशमधिकरणम् ।

(३) दूतकर्म ॥ १ ॥ मन्त्रयुद्धम् ॥ २ ॥ सेनामुख्यवधः ॥ ३ ॥ मण्डलप्रोत्साहनम् ॥ ४ ॥ शस्त्राग्निरसप्रणिधयः ॥ ५ ॥ विवधासारप्रसारवधः ॥ ६ ॥ योगातिसधानम् ॥ ७ ॥ दण्डातिसधानम् ॥ ८ ॥ एकविजयः ॥ ९ ॥

इत्याबलीयस द्वादशमधिकरणम् ।

और शत्रुजन्य आपत्तियाँ, ११ अर्थ, अनर्थ तथा सहायसवधी आपत्तियाँ, १२ उन आपत्तियों के प्रतिकारों के उपायों से प्राप्त होनेवाली सिद्धियाँ ।

दसवाँ अधिकरण : सग्राम का निरूपण

(१) १ छावनी का निर्माण, २ छावनी का प्रयाण, ३. आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा, ४ कूटयुद्ध के भेद, ५. अपनी सेना को प्रोत्साहन, ६. अपनी और पराई सेना का प्रयोग, ७ युद्ध के योग्य भूमि, ८ पदाति, अश्व, रथ तथा हार्थी आदि सेनाओं के कार्य, ९ पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिमाण के अनुसार व्यूहविभाग, १०. मार तथा फल्गु बलों का विभाग, ११ चतुरंग सेना का युद्ध १२ दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलव्यूह, असंगतव्यूह और उनके प्रकृतिव्यूह तथा विकृतिव्यूह की रचना, १३ उक्त दण्डादि व्यूहों के प्रतिव्यूहों की रचना ।

ग्यारहवाँ अधिकरण : संघवृत्त-निरूपण

(२) १ भेदकप्रयोग, २. उपायुदण्ड ।

बारहवाँ अधिकरण : आबलीयस का निरूपण

(३) १ दूतकर्म, २. मन्त्रयुद्ध, ३ सेनापतियों का वध, ४ राजमण्डल की सहायता, ५. शस्त्र, अग्नि और रथों का गूढ प्रयोग, ६ विवध, आसार और प्रसार का नाश, ७. योगातिमधान, ८ दण्डातिमधान, ९. एकविजय ।

(१) उपजापः ॥ १ ॥ योगवानम् ॥ २ ॥ अपसर्पंप्रणिधिः ॥ ३ ॥  
पर्युपासनकर्म ॥ ४ ॥ अवमर्दः ॥ ५ ॥ लब्धप्रशमनम् ॥ ६ ॥

इति दुर्गलम्भोपायस्त्रयोदशमधिकरणम् ।

(२) परघातप्रयोगः ॥ १ ॥ प्रलम्भनम् ॥ २ ॥ स्वबलोपघात-  
प्रतीकारः ॥ ३ ॥

इत्यौपनिषदं चतुर्दशमधिकरणम् ।

(३) तन्त्रयुक्तयः ॥ १ ॥

इति तन्त्रयुक्तिः पञ्चदशमधिकरणम् ।

(४) शास्त्रसमुद्देशः पञ्चदशाधिकरणानि सपञ्चाशदध्यायशतं साशी-  
तिप्रकरणशतं षट् श्लोकसहस्राणीति ।

(५) सुखग्रहणविज्ञेयं तत्त्वार्थपदनिश्चितम् ।

कौटिल्येन कृतं शास्त्रं विमुक्तग्रन्थविस्तरम् ॥

इति प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः ।

### तेरहवाँ अधिकरण : दुर्गप्राप्ति का निरूपण

(१) १. उपजाप, २ योगवामन, ३. गुप्तचरो का शत्रुदेश में निवास, ४ शत्रु के दुर्ग को घेरना, ५ शत्रु के दुर्ग को तोड़ना, ६ जीते हुए दुर्ग में शांति कायम करना ।

### चौदहवाँ अधिकरण : औपनिषदिक-निरूपण

(२) १ शत्रुबध के प्रयोग, २ प्रलम्भन योग, ३ शत्रुद्वारा अपनी सेना पर किये गए घातक प्रयोगों का प्रतीकार ।

### पन्द्रहवाँ अधिकरण : तन्त्रयुक्ति का निरूपण

(३) तन्त्रयुक्तियाँ ।

(४) इस प्रकार सम्पूर्ण कौटिलीय अर्थशास्त्र में पन्द्रह अधिकरण, एक सौ पचास अध्याय, एक सौ अस्थी प्रकरण और छह हजार श्लोक हैं ।

[ उक्त श्लोकसंख्या अक्षरों की गणना से दी गई है । बत्तीस अक्षरों का एक अनुष्टुप् छन्द होता है । यदि इस कौटिलीय अर्थशास्त्र के अक्षरों को अनुष्टुप् छन्द में बाँध दिया जाय तो छह हजार श्लोक बनते हैं । ]

(५) इस अर्थशास्त्र में तत्त्वार्थ और पदों का प्रयोग किया गया है । व्यर्थ विस्तार से यह ग्रन्थ सर्वथा मुक्त है । सरलमति बालक भी इस ग्रन्थ को सुखपूर्वक समझ सकते हैं । इस अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने बनाया है ।

प्रकरण एवं अधिकरण का निरूपण समाप्त ।

## विद्यासमुद्देशः आन्वीक्षकीस्थापना

- ( १ ) आन्वीक्षकी त्रयो वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः ।  
 ( २ ) त्रयो वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः । त्रयोविशेषो ह्यान्वीक्षकीति ।  
 ( ३ ) वार्ता दण्डनीतिश्चेति बाह्यस्पत्याः । संवरणमात्रं हि त्रयो लोक-  
 यात्राविद इति ।  
 ( ४ ) दण्डनीतिरेका विद्येत्यीशनसाः । तस्यां हि सर्वविद्यारम्भाः प्रति-  
 बद्धा इति ।  
 ( ५ ) चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः । तामिधर्मार्थो यद्विद्यात्तद्विद्यानां  
 विद्यात्वम् ।  
 ( ६ ) साह्यचं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षकी । धर्माधर्मौ त्रय्यामर्थानर्थौ  
 वार्तायां नयापनयौ दण्डनीत्याम् । बलाबले चंतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा-

### विद्या-विषयक विचार : आन्वीक्षकी

- ( १ ) आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति—ये चार विद्यायें हैं ।  
 ( २ ) मनु सम्प्रदाय के अनुयायी आचार्य त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, इन तीन  
 विद्याओं को मानते हैं । उनका मत है कि आन्वीक्षकी का समावेश त्रयी के अन्तर्गत  
 हो जाता है ।  
 ( ३ ) आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वान् केवल दो ही विद्यायें मानते हैं ।  
 वार्ता और दण्डनीति । उनके मतानुसार त्रयी तो दुमियादार ( लोकयात्राविद् ) लोगों  
 की लाजीविका का साधन मात्र है ।  
 ( ४ ) शुक्राचार्य के अनुयायी विद्वानों ने तो केवल दण्डनीति को ही विद्या माना  
 है, और उगी को सम्पूर्ण विद्याओं का स्थान एव कारण स्वीकार किया है ।  
 ( ५ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त चारों विद्याओं को मानते हैं और उनकी  
 यथावन्ता धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बतारते हैं ।  
 ( ६ ) साह्य, योग और लोकायत ( नास्तिक दर्शन ), ये आन्वीक्षकी विद्या के  
 अन्तर्गत हैं । इसी प्रकार त्रयी में धर्म-अधर्म का, वार्ता में अर्थ-अनर्थ का और दण्ड-  
 नीति में मुशासन-दु शासन का ज्ञान प्रतिपादित है । त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता-

न्वीक्षकी लोकस्योपकरोति; व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति; प्रज्ञा-  
वाक्यक्रियावैशारद्यं च करोति ।

(१) प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षकी मता ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे विद्यासमुद्देशे  
आन्वीक्षकीस्थापना नाम प्रथमोऽध्यायः ।

— ० —

अप्रधानता ( बलाबल ) को, भिन्न-भिन्न युक्तियों से, निर्धारित करती हुई आन्वीक्षकी  
विद्या लोक का उपकार करती है, सुख दुःख से बुद्धि को स्थिर रखती है, और  
सोचने, विचारने, बोलने तथा काय करने में सक्षम बनाती है ।

( १ ) यह आन्वीक्षकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्यों  
का साधन और सब धर्मों का आश्रय मानी गई है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।

— ० —



(१) कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता । धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टि-  
प्रदानादौपकारिकी । तथा स्वपक्षं परपक्षं च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम् ।

(२) आन्वीक्षकीत्रयीवार्ताना योगक्षेमसाधनो दण्डः । तस्य नीति-  
दण्डनीतिः । अलब्धलाभार्था; लब्धपरिरक्षणी; रक्षितविवर्धनी; वृद्धस्य  
तीर्थेषु प्रतिपादनी च ।

(३) तस्यामायत्ता लोकयात्रा । तस्माल्लोकयात्रार्थी नित्यमुद्यतदण्डः  
स्यात् । न ह्येवंविधं वशोपनयनमस्ति भूतानां यथा दण्ड इत्याचार्याः ।

(४) नेति कौटिल्यः । तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः । भृदुदण्डः  
परिभूयते । यथाहं दण्डः पूज्यः । सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थ-  
कामैर्योजयति ।

### विद्या-विषयक विचार : वार्ता और दण्डनीति

( १ ) कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ताविद्या के विषय हैं । यह विद्या, धान्य, पशु, हिरण्य, ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर-चाकर आदि की देने वाली परम उपकारिणी है । इसी विद्या से उपाजित कोश और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में कर लेता है ।

( २ ) आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता, इन सभी विद्याओं की सुख-समृद्धि दण्ड पर निर्भर है । दण्ड ( शासन ) को प्रतिपादित करने वाली नीति ही दण्डनीति कहलाती है । वही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है, रक्षित वस्तुओं की वृद्धि करती है और वही सर्वाङ्गित वस्तुओं को समुचित कार्यों में लगाने का निर्देश करती है । उसी पर सत्तार की सारी लोकयात्रा निर्भर है । इसलिए लोक को समुचित मार्ग पर ले चलने की इच्छा रखने वाला राजा सदा ही उद्यतदण्ड ( दण्ड देने के लिए प्रस्तुत ) रहे ।

( ३ ) पुरातन आचार्यों का अभिमत है कि 'दण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिससे सभी प्राणियों को सहज ही वश में किया जा सके' ।

( ४ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य इस युक्ति से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि 'कठोर दण्ड देने वाले राजा ( निष्ठुर शासक ) से सभी प्राणी उद्विग्न हो उठते

(१) दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्दानप्रस्थपरिव्राजकानपि कोपयति, किमङ्ग पुनर्गृहस्थान् । अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्गावयति । बलीयानबल हि प्रसते दण्डधराभावे । तेन गुप्तः प्रभवतीति ।

(२) चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः ।  
स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वेश्मसु ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे विद्यासमुद्देशे  
वार्तास्थापना दण्डनीतिस्थापना च तृतीयोऽध्याय ।

— ० —

है, किन्तु दण्ड में ढिलाई कर देने से भी लोक, राजा की अवहेलना करने लगता है । इसलिए राजा को समुचित दण्ड देने वाला होना चाहिए ।'

( १ ) भली भाँति मोच समझ कर प्रयुक्त दण्ड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है । काम क्रोध के बशीभूत होकर अज्ञानतापूर्वक अनुचित रीति से प्रयुक्त किया हुआ दण्ड, वानप्रस्थ और परिव्राजक जैसे निःस्पृह व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है, फिर गृहस्थलोगों पर ऐसे दण्ड की क्या प्रतिक्रिया होगी, सोचा ही नहीं जा सकता है । इसके विपरीत, यदि दण्ड से व्यवस्था सर्वथा ही तोड़ दी जाय तो उसका कुप्रभाव यह होगा कि जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, वैसे ही बलवान् व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति का रहना दूभर कर देगा । दण्ड व्यवस्था के अभाव में सर्वत्र ही अराजकता फैल जाती है और निर्बल को बलवान् सताने लगता है, किन्तु दण्डधारी राजा से रक्षित दुर्बल भी बलवान् बना रहता है ।

(२) राजाकी दण्ड व्यवस्था से रक्षित चारों वर्ण आश्रम, सारा लोक, अपने-अपने धर्मकर्मों में प्रवृत्त होकर निरन्तर अपनी अपनी मर्यादा पर बने रहते हैं ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) तस्माद्दण्डमूलास्तिस्रो विद्याः । विनयमूलो दण्डः प्राणभृतां योगक्षेमावहः ।

(२) कृतकं स्वाभाविकञ्च विनयः । क्रिया हि द्वयं विनयति नाद्र-  
द्यम् । शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्वाभिनिविष्टबुद्धिं विद्या  
विनयति नेतरम् ।

(३) विद्याना तु यथास्वमाचार्यंप्रामाण्याद्विनयो नियमश्च ।

(४) वृत्तचौलकर्मा लिपि संख्यान चोपयुञ्जीत । वृत्तोपनयनस्त्रयी-  
मान्वीक्षकी च शिष्टेभ्यः, वात्तमिध्यक्षेभ्यः, दण्डनीतिं ववृतृप्रयोक्तृभ्यः ।

(५) ब्रह्मचर्यं चापोडशाद्वर्षात् । अतो गोदानं दारुवर्त्म च । अस्य  
नित्यञ्च विद्यावृद्धसंयोगो विनयवृद्धयर्थं तन्मूलत्वाद्विनयस्य ।

### वृद्धजनों की संगति

( १ ) यही कारण है कि आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता, इन तीनों विद्याओं का अस्तित्व दण्डनीति पर आधारित है । शास्त्रविहित उचित रीति से प्रयुक्त दण्ड प्रजा के योगक्षेम का साधक होता है ।

( २ ) विनय ( शिक्षा ) दो प्रकार का होता है १ कृतक ( कृत्रिम, बनाबटी, नैमित्तिक ) और २ स्वाभाविक ( स्वतः सिद्ध ) । शिक्षा सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं । विद्या से वही योग्य हो सकते हैं, जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान उहापोह ( तर्क वितर्क ) में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं ।

( ३ ) विभिन्न विद्याओं के विभिन्न आचार्यों के मतानुसार ही शिक्षा का शिक्षण और नियमन होना चाहिए ।

( ४ ) मुष्कन सस्कार के बाद वर्णमाला और अङ्कमाला का अभ्यास करे । उप-  
नयन के बाद सदाचारशील विद्वान् आचार्यों से त्रयी तथा आन्वीक्षकी, विभागीय  
अध्यक्षों से वार्ता और वक्ता प्रयोक्ता विशेषज्ञों (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्विधीभाव  
आदि के आचार्यों) से दण्डनीति की शिक्षा ग्रहण करे ।

( ५ ) मोदह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करे । तदनन्तर समावर्तन सस्कार  
( वेदान्त धर्म ) और विवाह करे । विवाह के बाद अपने विनय ( शिक्षा ) की वृद्धि

(१) पूर्वमहर्षिणां हस्त्यश्वरथप्रहरणविद्यासु विनयं गच्छेत् । पश्चिम-  
मितिहासश्रवणे । पुराणमितिबृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं  
चेतीतिहासः । शेषमहोरात्रभागमपूर्वग्रहणं गृहीतपरिचयं च कुर्यात् ।  
अगृहीतानामाभीक्ष्ण्यश्रवणं च ।

(२) श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते; प्रज्ञाया योगो योगादात्मवत्तेति विद्या-  
सामर्थ्यम् ।

(३) विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः ।

अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे  
बुद्धसंयोग चतुर्थोऽध्यायः ।

— . ० . —

के लिए सदा ही विद्याबुद्ध पुष्टयो का सहवास करे, क्योंकि सारा विनय जन्ही पर निर्भर है ।

( १ ) दिन का पहिला भाग हाथी, घोडा, रथ, अस्त्र शस्त्र आदि विद्याओ की शिक्षा मे बिताये । दिन के दूसरे भाग को इतिहास सुनने मे लगावे । पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण (मीमांसा), धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सभी विषय इतिहास हैं । दिन और रात के बाकी बचे समय मे नये ज्ञान का अर्जन और अधीत ज्ञान का मनन-चिन्तन करे । जो विषय एक घार सुनने मे बुद्धिस्थ न हो सके, उसको बार-बार सुने ।

( २ ) क्योंकि शास्त्र श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, उससे योगशास्त्रो मे रुचि और योग से आत्मबल प्राप्त होता है । यही विद्या का सुपरिणाम है ।

( ३ ) जो विद्वान् राजा प्राणिमात्र की हितकामना मे लगा रहता है और प्रजा के शासन तथा शिक्षण मे तत्पर रहता है, वह विरकाल तक पृथिवी का निर्बाध शासन करता है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण मे चौथा अध्याय समाप्त ।

— . ० . —

## इन्द्रिय-जयः अरिपडुवर्गत्यागः

(१) विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः; कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागा-  
त्कार्यः । कर्णंत्वर्गाक्षिजिह्वाघ्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेष्वविप्रति-  
पत्तिरिन्द्रियजयः ।

(२) शास्त्रार्थानुष्ठानं वा । कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः । तद्वि-  
द्वद्वृत्तिरवश्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति । यथा दाण्डव्यो  
नाम भोजः कामाद् ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः सवन्धुराष्ट्रो विननाश ।  
करालश्च वैदेहः । कोपाज्जनमेजयो ब्राह्मणेषु विक्रान्तस्तालजङ्घुश्च भृगुषु ।  
लोभादेलश्चातुर्वर्ण्यं मत्याहारयमाणः सौवीरश्चाजविन्दुः । मानाद्रावणः  
परदारानप्रयच्छन् । दुर्योधनो राज्यादंशं च । मदाद् डम्भोद्भ्रुवो भूताव-

### काम-क्रोधादि छह शत्रुओं का परित्याग

( १ ) विद्या और विनय का हेतु इन्द्रियजय है, अतः काम, क्रोध, लोभ, मान,  
मद और हर्ष के त्याग से इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । कान, त्वचा,  
नेत्र, जीभ और नासिका को उनके विषयो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में  
प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है ।

( २ ) अथवा शास्त्रों में प्रतिपादित कर्तव्यों के सम्यक् अनुष्ठान को ही इन्द्रियजय  
कहते हैं । सारे शास्त्रों का मूल कारण इन्द्रियजय है । शास्त्रविहित कर्तव्यों के विपरीत  
आचरण करने वाला इन्द्रिय-लोलुप राजा सारी पृथिवी का अधिपति होता हुआ भी  
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । उदाहरणस्वरूप भोजवशीय दाण्डव्य नामक राजा काम-  
वश ब्राह्मणकन्या का अपहरण करने के अपराध में, उसके पिता के शाप से, सप-  
त्निकार एव साराष्ट्र विनष्ट हो गया । यही गति विदेह देश के राजा कराल की भी  
हुई । क्रोधवश राजा जनमेजय भी ब्राह्मणों से बलह कर बैठा और वह भी उनके  
शाप से नष्ट हो गया । इसी प्रकार भृगुवशिष्यो से बलह करने पर तालजघ की भी  
दुर्गति हुई । लोभामिभूत होकर इला का पुत्र पुरूरवा, चारों वर्णों से अत्याचारपूर्वक  
घन का अपहरण करने के कारण, उनके अभिशाप से मारा गया । यही हाल सौवीर  
देश के राजा अजविन्दु का भी हुआ । अभिमानी रावण पर-पत्नी के अपहरण के  
अपराध से और दुर्योधन अपने भाइयों को राज्य का भाग न देने के अन्याय से मारे

मानी हैहयश्वाजुनः । हर्षाद्वातापिरगस्त्यमत्यासादयन्वृष्णिसंघश्च द्वैपायन-  
मिति ।

( १ ) एते चान्ये च बहवः शत्रुपङ्कगंमाश्रिताः ।  
सबन्धुराण्ड्रा राजानो विनेमुरजितेन्द्रियाः ॥  
शत्रुपङ्कगंमुत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः ॥  
अम्बरीषश्च नाभागो बुभुजाते चिर महोम् ॥

इति कौटिलीयार्यशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमेऽधिकरणे इन्द्रियजये  
अरिपङ्कगत्याग पञ्चमोऽध्याय ।

— ० —

गये । मदीन्मत्त राजा डम्भोदभव अपनी प्रजा का तिरस्कार करता रहा, अन्त में नर-नारायण के साथ युद्ध करते हुए वह भी विनाश को प्राप्त हुआ । इसी कारण हैहयराज अर्जुन, परशुराम के हाथ से मारा गया । हर्ष के वशीभूत होकर वातापि नाम का असुर, अगस्त्य ऋषि के साथ प्रवचन करते हुए और यादवसभ, द्वैपायन ऋषि के साथ कपट के अपराध में शापवश मृत्युमुख में जा पहुँचे ।

( १ ) कामादि छह शत्रुओं के वश में होकर, ऊपर गिनाये गए राजाओं के अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से राजा, सबन्धु-बान्धव एवं सराज्य नष्ट हो गये । किन्तु जामदग्न्य ( परशुराम ), अम्बरीष और नाभाग ( नभाग का पुत्र ) जैसे जितेन्द्रिय राजाओं ने चिरकाल तक इस पृथिवी का निष्कण्ठक राज्य भोगा ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) तस्मादरिषड्वर्गात्यागेनेन्द्रियजयं कुर्वीत । वृद्धसंयोगेन प्रजां, चारेण चक्षुरुत्यानेन योगक्षेमसाधनं, कार्यानुशासनेन स्वधर्मस्यापनं, विनयं विद्योपदेशेन, लोकप्रियत्वमर्थसंयोगेन, हितेन वृत्तिम् ।

(२) एवं वश्येन्द्रियः परस्त्रीद्वय्याहिंसाश्च वज्रयेत् । स्वप्नं लौल्यमनूत्-मुद्धतवेपत्वमनर्थसंयोगं च; अधर्मसंप्रुक्तमानर्थसंयुक्तं च व्यवहारम् ।

(३) धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत । न निःसुखः स्यात् । समं वा त्रिवर्गमन्योन्यानुबन्धम् । एको ह्यत्यासेवितो धर्मार्थकामानामात्मानमितरौ च पीडयति ।

### साधु-स्वभाव राजा की जीवनचर्या

( १ ) इसलिए, काम-क्रोधादि छहों शत्रुओं का सर्वथा परित्याग करके इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करे । विद्वान् पुरुषों की सङ्गति में रहकर बुद्धि का विकास करे । गुप्तचरों द्वारा स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र के वृत्तान्त को अवगत करे । उद्योग के द्वारा राज्य के योग-क्षेम का सम्पादन करे । राजकीय नियमों द्वारा अपने-अपने धर्म पर दृढ़ बने रहने के लिए प्रजा पर नियन्त्रण रखे । शिक्षा के प्रचार-प्रसार से प्रजा को विनम्र और शिक्षित बनावे । प्रजाजनों को धन-सम्मान प्रदान कर अपनी लोक-प्रियता को बनाये रखे । दूसरों का हित करने में उत्सुक रहे ।

( २ ) इस प्रकार इन्द्रियो को वश में रखता हुआ वह ( राजा ) पराई स्त्री, पराया धन और हिंसाप्रवृत्ति को सर्वथा त्याग दे । कुसमय शयन करना, चञ्चलता, झूठ बोलना, अविनीत वृत्ति बनाये रखना, इस प्रकार के आचरणों को और इस प्रकार के आचरण वाले लोगों की सङ्गति को वह छोड़ दे । उसको चाहिए कि वह अधर्माचरण और अनर्थकारी व्यवहार का भी परित्याग कर दे ।

( ३ ) काम का भी वह सेवन करे, किन्तु उससे धर्म और अर्थ को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे । सर्वथा सुखरहित जीवन-यापन न करे । परस्पर अनुबद्ध धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का सन्तुलित उपभोग करे । इस त्रिवर्ग का असन्तुलित उपभोग बड़ा दुःखदायी सिद्ध होता है ।

- (१) अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः; अर्थमूलौ हि धर्मकामाविति ।  
 (२) मर्यादां स्थापयेदाचार्यानिमात्यान् वा । य एनमपायस्थानेभ्यो वारयेयुः । छायानालिकाप्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः ।  
 (३) सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते ।  
 कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्तेषां च शृणुयान्मतम् ॥

इति कौटिलीयायंशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे इन्द्रियजये  
 राजर्षिवृत्त षष्ठोऽध्याय ।

—: ० .—

( १ ) आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि 'धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ प्रधान है, धर्म और काम अर्थ पर निर्भर हैं' ।

( २ ) गुरुजन और अमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें । वे ही राजा को अनर्थकारी कार्यों से रोकते रहे । यदि वह एकान्त में प्रमाद करता हुआ बेसुध हो तो समय-सूचक यन्त्र द्वारा अथवा घटा आदि बजाकर उसको उद्बुद्ध करें ।

( ३ ) एक पहिये की गाड़ी की भाँति राजकाज भी बिना सहायता-सहयोग से नहीं चलाया जा सकता है । इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यो की नियुक्ति कर उनके परामर्शों को हृदयगम करे ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में छठवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० .—



(१) सहाध्यायिनोऽमात्यान् कुर्वीत, दृष्टशौचसामर्थ्यत्वादिति भारद्वाजः । ते ह्यस्य विश्वास्या भवन्तीति ।

(२) नेति विशालाक्षः । सहक्रीडितत्वात् परिभवन्त्येनम् । ये ह्यस्य गुह्यसधर्माणस्तानमात्यान् कुर्वीत, समानशीलव्यसनत्वात् । ते ह्यस्य मर्मज्ञमयान्नापराध्यन्तीति ।

(३) साधारण एष दोष इति पराशरः । तेषामपि मर्मज्ञमयाकृताकृतान्यनुवर्तेत ।

(४) यावद्भूयो गुह्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुषाधिपः ।  
अवशः कर्मणा तेन वश्यो भवति तावताम् ॥

### अमात्यो की नियुक्ति

( १ ) आचार्य भारद्वाज का अभिमत है कि 'राजा, अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है; उनकी कार्यक्षमता को भी वह जान चुका होता है । ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वासपात्र होते हैं' ।

( २ ) आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि 'ऐसा उचित नहीं । एक साथ खेलने, तथा उठने बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं । इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो कि गुप्तकार्यों में राजा का साथ देते रहे हों । समान शील और समान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से, राजा का अपमान नहीं करते हैं' ।

( ३ ) आचार्य पराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की युक्तियाँ दोषपूर्ण हैं । पराशर का कहना है कि यह बात तो दोनों ही पक्षों पर एक समान चरितार्थ होती है । ऐसा करने से यह भी तो सम्भव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्य की कठपुतली बन जाय । क्योंकि :

( ४ ) राजा जिन लोगों से जितना ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है, उतना ही शक्ति से क्षीण होकर वह उनके वश में हो जाता है ।

(१) य एनमापत्सु प्राणाबाधयुक्तास्वनुगृह्णीयुस्तानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टानुरागत्वादिति ।

(२) नेति पिशुनः । भक्तिरेषा न बुद्धिगुणः । संख्याताथेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थं सविशेष वा कुर्युस्तानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टगुणत्वादिति ।

(३) नेति कौणपदन्तः । अन्यैरमात्यगुणैरयुक्ता ह्येते । पितृपैतामहानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टापदानत्वात् । ते ह्येनमपचरन्तमपि न त्यजन्ति, सगन्धत्वात् । अमानुषेष्वपि चैतद् दृश्यते—गावो ह्यसगन्धं गोगणमतिक्रम्य सगन्धेष्वेवावतिष्ठन्ते इति ।

(४) नेति वातव्याधिः । ते ह्यस्य सर्वमपगृह्य स्वामिवत् प्रचरन्तीति । तस्माभ्येतिविदो नवानमात्यान् कुर्वीत । नवास्तु यमस्थाने दण्डघरं मन्यमाना नापराध्यन्तीति ।

( १ ) इसलिए जो पुत्र्य राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करें, उनकी अमात्य नियुक्त करना चाहिए । उनके अनुराग की परीक्षा राजा कर चुका होता है ।

( २ ) आचार्य पिशुन इसको भक्ति कहते हैं । उनका कहना है कि 'प्राणों की चिन्ता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवाधर्म है, वह बुद्धि का प्रमाण नहीं; जो कि अमात्य का सर्वोच्च गुण है । इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दें, क्योंकि इस ढंग पर उनके बुद्धि वैशिष्ट्य की परीक्षा हो जाती है' ।

( ३ ) आचार्य कौणपदन्त उक्त मत को नहीं मानते । उनका कहना है कि 'ऐसे लोग अमात्योचित गुणों से शून्य होते हैं । अमात्यपद जिनको वश-परम्परा से उपलब्ध रहा हो, उन्हीं को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए । वे ही उसकी सम्पूर्ण रीति-नीति में सुपरिचित होते हैं । यही कारण है कि वे अपना अयकार होने पर भी, परम्परागत सम्बन्ध के कारण राजा को नहीं छोड़ते । यह बात पशु-पक्षियों तक में देखी जाती है - गाय, अपरिचित गोष्ठ को छोड़कर परिचित गोष्ठ में ही जाकर ठहरती है' ।

( ४ ) आचार्य वातव्याधि, आचार्य कौणपदन्त के अभिमत के समर्थक नहीं हैं । उनकी मान्यता है कि 'इस प्रकार के अमात्य, राजा के सर्वस्व को अपने अधीन करके, राजा के समान स्वतन्त्र वृत्ति वाले हो जाते हैं । इसलिए भीतिकुशल राजा नये व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे । नये अमात्य, दण्डधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समझ कर, उसकी कभी भी अवमानना नहीं करते हैं ।'

(१) नेति बाहुदन्तीपुत्रः । शास्त्रविददृष्टकर्मा कर्मसु विपादं गच्छेत् ।  
अभिजनप्रज्ञाशौचशौर्यानुरागयुक्तानमात्यान् कुर्वीत, गुणप्राधान्यादिति ।

(२) सर्वमुपपन्नमिति कौटिल्यः । कार्यसामर्थ्याद्धि पुरुषसामर्थ्यं कल्प्यते  
सामर्थ्यतश्च ।

(३) विमज्यामात्यविभवं देशकालौ च कर्म च ।

अमात्याः सर्वे एवैते कार्याः स्फुर्न तु मन्त्रिणः ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणेऽमात्योत्पत्तिनामकं सप्तमोऽध्यायः ।

— ० —

( १ ) आचार्य बाहुदन्तीपुत्र ( इन्द्र ) के मत से यह भी ठीक नहीं है । वे कहते हैं 'नेतिशास्त्रपारगत, किन्तु त्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता है । इसलिए जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपान, वीर और राज-भक्त हों, उनको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए । उनमें गुणों की प्रधानता होती है ।'

( २ ) आचार्य कौटिल्य के मतानुसार, भारद्वाज से लेकर बाहुदन्तीपुत्र तक की विचार-परम्परा, अपने-अपने स्थान पर ठीक है । 'किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता पर निर्भर है, और उसकी यह कार्यसमता उसकी विद्या बुद्धि के बल पर ही आँकी जा सकती है ।' इसलिए

( ३ ) राजा को चाहिए कि वह सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना न करे । उसके लिए वह परमावश्यक है कि वह विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, दोष, देश, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे, किन्तु उन्हें अपना मन्त्री वदापि न बनाये ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० :—

## मन्त्रि-पुरोहितयोर्नियुक्तिः

(१) जानपदोऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशिल्पश्चक्षुष्मान् प्राज्ञो धारयि-  
ष्णुर्दक्षो वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साहप्रभावयुक्तः क्लेशसहः शुचिर्भ्रू-  
दृढभक्तिः शीलबलारोग्यसत्त्वसंयुक्तः स्तम्भचापत्यवर्जितः संप्रियो  
वैराणामकर्तृत्यमात्यसंपत् । अतः पादार्यगुणहीनो मध्यमावरौ ।

(२) तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परोक्षैत, समानविद्येभ्यः शिल्पं  
शास्त्रचक्षुष्मतां च; कर्मारम्भेषु प्रज्ञां धारयिष्णुतां दाक्ष्यं च; कथायोगेषु  
वाग्मित्वं प्रागल्भ्यं प्रतिभानवत्त्वं च; आपद्युत्साहप्रभावौ क्लेशसहत्वं च;  
संव्यवहाराच्छौचं मैत्रतां दृढभक्तित्वं च; संवासिभ्यः शीलबलारोग्यसत्त्व-  
योगमस्तम्भमचापत्यं च; प्रत्यक्षतः संप्रियत्वमवैरित्वं च ।

### मन्त्री और पुरोहित को नियुक्ति

मन्त्री की योग्यता :

( १ ) स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, अवगुणशून्य, निपुण सवार एवं ललितकलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान्, बुद्धिमान्, स्मरणशक्तिसम्पन्न, चतुर, वाक्पटु, प्रगल्भ ( दबंग ), प्रतिवाद तथा प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ, स्वामिभक्त, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, धैर्यवान्, निरभिमानो, स्थिरप्रकृति, प्रियदर्शी और द्वेषवृत्तिरहित पुरुष प्रधानमन्त्री पद के योग्य है । जिनमें इसके एक-चौथाई या आधी योग्यताएँ हो उन्हें मध्यम या निम्न मन्त्री समझना चाहिए ।

( २ ) मन्त्री नियुक्त करने से पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रामाणिक, सत्य-  
वादी एवं आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवासस्थान तथा उनकी आर्थिक स्थिति का,  
सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रप्रवेश का, नये-नये कार्यों में  
नियुक्त कर उनकी बुद्धि, स्मृति तथा चतुराई का, व्याख्यानोँ एवं सभाओं के माध्यम  
से उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता एवं प्रतिभा का, आपत्तियों से उनके उत्साह, प्रभाव  
तथा सहिष्णुता का, व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं दृढ स्वामिभक्ति का,  
सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, शौर्य, अपमान  
तथा स्थिरवृत्ति का पता लगाये और उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेषरहित  
प्रकृति की परीक्षा स्वयं राजा करे ।

(१) प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजवृत्तिः । स्वयंदृष्टं प्रत्यक्षं, परोपदिष्टं परोक्षं, कर्मसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमेयम् । योगपद्यात्तु कर्मणामनेकत्वादाने-  
कस्थत्वाच्च देशकालात्ययो मा भूदिति परोक्षममात्यैः कारयेदित्यमात्य-  
कर्म ।

(२) पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडङ्गे वेदे दंवे निमित्तं दण्डनीत्यां  
चाभिविनीतमापदां दंभमानुषोणाम् अथर्वभिरुपायंश्च प्रतिकर्तारं कुर्वीत ।  
तमाचार्यं शिष्यः, पितरं पुत्रो, भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत ।

(३) ब्राह्मणेर्नैधितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्रामिमन्त्रितम् ।

जपत्यजितमत्पन्तं शास्त्रानुगतशास्त्रितम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे मन्त्रिपुरोहितयोर्नियुक्तिर्नामाष्टमोऽध्यायः ।

—: ० :—

( १ ) प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय, राजा के व्यवहार की ये तीन विधियाँ हैं । स्वयं देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरो के माध्यम से जाना हुआ परोक्ष और सम्पादित कार्यों से किये जाने वाले कार्यों का अनुमान करना ही अनुमेय कहलाता है । कार्यों की विधियाँ और उनके विधान एक जैसे नहीं हैं । राजा उन कार्यों को अकेला नहीं कर सकता है । जिससे कार्यों के सम्पादन में देश-काल का अतिक्रमण न हो, एतदर्थ, अमात्यो के द्वारा परोक्षरूप से राजा उन कार्यों को कराये । इसी हेतु अमात्यो की नियुक्ति और परोक्षा के लिए ऊपर वैसा विधान किया गया है ।

**पुरोहित की योग्यता :**

( २ ) षडङ्गकूलोत्पन्न, शील-गुणसम्पन्न; वेद-वेदाङ्गो का भाता, ज्योतिषशास्त्र, शकुनशास्त्र, दण्डनीति में पारङ्गत, अथर्ववेद में निर्दिष्ट उपायो द्वारा दैवी तथा मानुषी विपत्तियो का प्रतिकार करने वाला, इन योग्यताओ से सम्पन्न पुरोहित को नियुक्त करना चाहिए । जैसे आचार्य के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र और स्वामी के पीछे भृत्य चलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित का अनुगामी होना चाहिए ।

( ३ ) इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित से सर्वाधित, सर्वगुणसम्पन्न योग्य मन्त्रियो के परामर्श से अभिरक्षित और शास्त्रोक्त अनुष्ठानो का आचरण करने वाला राजकुल युद्ध के बिना भी अजेय एवं अलभ्य वस्तुओं को सहज ही में स्वायत्त कर लेता है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।

## उपधाभिः शौचाशौचज्ञानममात्यानाम्

(१) मन्त्रिपुरोहितसखः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वाऽमात्यानुपधाभिः शोधयेत् ।

(२) पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियुक्तममृष्यमाणं राजावक्षिपेत् । सत्रिभिः शपथपूर्वमेकैकममात्यमुपजापयेत्—अधार्मिकोऽयं राजा, साधु धार्मिकमन्यमस्य तत्कुलीनमवरुद्ध कुल्यमेकप्रग्रहं सामन्तमाटविकमौपपादिकं वा प्रतिपादयामः । सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्याख्याने शुचिरिति धर्मोपधा ।

(३) सेनापतिरसत्प्रतिग्रहणावक्षिप्तः सत्रिभिरेकैकममात्यमुपजापयेत्—लोभनीयेनार्थेन राजविनाशाय—सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्याख्याने शुचिरित्यर्थोपधा ।

### गुप्त उपायो से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा

( १ ) सामान्य पदों पर अमात्यों की नियुक्ति करके, मन्त्री और पुरोहित के सहयोग से राजा, गुप्त उपायो के द्वारा उनके आचरणों की परीक्षा करे ।

( २ ) धर्मोपधा से राजा, पुरोहित को किसी नीच जाति के यहाँ यत्न करने तथा पढ़ाने के लिए नियुक्त करे । जब पुरोहित इस कार्य के लिए निषेध करे तो राजा उसको उसके गब से च्युत कर दे । वह पदच्युत पुरोहित गुप्तचर छी-पुरयो के माध्यम से शपथपूर्वक प्रत्येक अमात्य को राजा से भिन्न करावे । वह कहे 'यह राजा बड़ा अधार्मिक है । हमें चाहिए कि उसके स्थान पर, उसके ही वंशज किसी श्रेष्ठ पुरुष को, किसी धार्मिक व्यक्ति को, समीप के किसी सामन्त को, अथवा किसी जंगल के स्वामी को, या जिसको भी एकमत होकर हम निश्चित कर लें, उसको, नियुक्त करें । मेरे इस प्रस्ताव को सब ने स्वीकार कर लिया है । बताओ, तुम्हारी क्या राय है ?' पुरोहित की यह बात सुनकर यदि अमात्य उसको स्वीकार न करे तो उसे पवित्र हृदय वाला समझना चाहिए । गुप्त धार्मिक उपायो द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को 'धर्मोपधा' कहते हैं ।

( ३ ) अर्थोपधा से राजा, किसी निन्दनीय या अप्रयुज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए, सेनापति को आदेश दे । राजा की इस बात से जब सेनापति रष्ट हो जाय

(१) परिव्राजिका लब्धविश्वासान्त.पुरे कृतसत्कारा महामात्रमेकैक-मुपजपेत्—राजमहिषी त्वा कामयते । कृतसमागमोपाया महानर्थश्चते भविष्यतीति । प्रत्याख्याने शुचिरिति कामोपघा ।

(२) प्रवहणनिमित्तमेकोऽमात्यः सर्वानमात्यानावाहयेत् । तेनोद्वेगेन राजा तानवरुन्ध्यात् । कापटिकच्छात्रः पूर्वविरुद्धस्तेषामर्थमानावक्षिप्तमेकैक-ममात्यमुपजपेत्—असत्प्रवृत्तोऽय राजा, सहस्रं हत्वाऽन्यं प्रतिपादयामः । सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्याख्याने शुचिरिति भयोपघा ।

(३) तत्र धर्मोपघाशुद्धान् धर्मस्थीयकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्, अर्थो-

तो राजा उसको भी पदच्युत कर दे । वह पदच्युत अपमानित सेनापति गुप्तभेदियों द्वारा अमात्य को घन का प्रलोभन देकर उसे पूर्वोक्त विधि से राजा के विनाश के लिए उकसाये । वह बड़े 'मरी इस युक्ति को मभी ने स्वीकार कर लिया है । वताओ, तुम्हारी क्या सम्मति है ? सेनापति की यह बात सुनकर अमात्य यदि उसका विरोध करे तो समझ लेना चाहिए कि वह पवित्र हृदय वाला है । गुप्त आधिक उपायो द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को ही 'अर्थोपघा' कहते हैं ।

( १ ) कामोपघा से राजा किसी सन्यासिनी का वेप धारण करने वाली विशेष गुप्तचर स्त्री को अन्त पुर में ले जाकर उसका अच्छा स्वागत-सत्कार करे और फिर वह एक-एक अमात्य के निकट जाकर कहे 'महामात्य, महारानी जी आप पर बासक्त हैं । आपके समागम के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है । इससे आपको यथेष्ट धन भी प्राप्त होगा ।' अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसे पवित्रचित्त समझना चाहिए । गुप्त कामसम्बन्धी उपायो द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को ही 'कामोपघा' कहते हैं ।

( २ ) भयोपघा से नौका विहार के लिए एक अमात्य दूसरे अमात्यो को बुलाये, उस प्रस्ताव पर राजा उत्तेजित होकर उन सब को दण्डित कर दे । तदनन्तर राजा द्वारा पहले अपकृत द्वारा कपट वेपधारी छात्र ( छात्र के वेश में गुप्तचर ) उस तिरस्कृत एवं दण्डित अमात्य के निकट जाकर उससे कहे 'यह राजा बहुत ही बुरा है । इसका बध करके हम किसी दूसरे राजा को उसके स्थान पर नियुक्त करें । सभी अमात्यो को यह स्वीकृत है । बहिए, आपकी क्या राय है ?' अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसको शुचिचित्त समझना चाहिए । गुप्तमय सम्बन्धी उपायो द्वारा अमात्य की शुचिता की परीक्षा को ही 'भयोपघा' कहते हैं ।

परीक्षित अमात्यो की नियुक्ति

( ३ ) जो अमात्य धर्मपरीक्षा में सरे उतरें उन्हें धर्मस्थानीय (दीवानी कचहरी)

पधाशुद्धान् समाहर्तृसन्निधातृनिचयकर्मसु, कामोपधाशुद्धान् बाह्याभ्यन्तर-  
विहाररक्षासु, भयोपधाशुद्धानासन्नकार्येषु राज्ञः । सर्वोपधाशुद्धान् मन्त्रिणः  
कुर्यात् । सर्वत्राशुचीन् खनिद्रव्यहस्तिवनकर्मन्तेषूपयोजयेत् ।

- (१) त्रिवर्गभयसंशुद्धानमात्यान् स्वेषु कर्मसु ।  
अधिकुर्याद् यथाशौचमित्याचार्या व्यवस्थिताः ॥
- (२) न त्वेव कुर्यादात्मानं देवीं वा लक्ष्मीश्वरः ।  
शौचहेतोरमात्यानामेतत् कौटिल्यदर्शनम् ॥
- (३) न दूषणमदुष्टस्य विषेणेवाम्भसश्वरेत् ।  
कदाचिद्धि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम् ॥
- (४) कृता च कलुषा बुद्धिरुपधाभिश्चतुर्विधा ।  
नागत्वाऽन्तर्निवर्तेत स्थिता सत्त्ववता धृती ॥

तथा कण्टकशोधन ( फौजदारी कचहरी ) सम्बन्धी कार्यों में नियुक्त करना चाहिए । अर्थपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यो को समाहर्ता ( टैक्स कलक्टर ) तथा सन्निधाता ( कोषाध्यक्ष ) के पदो पर रखना चाहिए । कामोपधा में परीक्षित अमात्यो को बाहरी विलास-स्थानो ( विहारो ) तथा भीतरी अन्त पुर सम्बन्धी रक्षा का व्यवस्था भार सौंपना चाहिए । भयपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यो को राजा अपना अङ्गरक्षक नियुक्त करे । इनके अनिर्दिष्ट जो अमात्य सभी परीक्षाओ में खरे उतरे हो उन्हें मन्त्रिपद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, और सभी परीक्षाओ में असफल अमात्यो को खदानो, हाथियो और जङ्गलो आदि की परिश्रम साध्य व्यवस्था का भार सौंपना चाहिए ।

( १ ) सभी पुरातन अर्थशास्त्रविद् आचार्यों का यही अभिमत है कि 'धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र अमात्यो को, उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपना चाहिए ।'

( २ ) किन्तु, इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का एक सशोधन यह है कि 'अमात्यो की परीक्षा अवश्य ली जाय, पर उस परीक्षा का माध्यम राजा अपने को तथा रानी को न बनाये ।

( ३ ) क्योंकि कभी-कभी किसी निर्दोष अमात्य को छल-प्रपञ्चयुक्त इन गुप्त-रीतियो से ठगा जाना, पानी में विष घोल देने के समान हो जाता है । सम्भव हो सकता है कि उक्त रीतियो से विगडा हुआ अमात्य फिर कभी भी सुधर न सके । क्योंकि -

( ४ ) छल-द्वन्द्व जैसे कपट उपायो के द्वारा ठगे गये चरित्रवान् पुरुष की बुद्धि



(१) कर्षको वृत्तिकोणः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिकव्यञ्जनः । स कृषि-  
कर्मप्रदिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेण ।

(२) वाणिजको वृत्तिकोणः प्रज्ञाशौचयुक्तो वैदेहकव्यञ्जनः । स  
वाणिककर्मप्रदिष्टाया भूमाविति समानं पूर्वेण ।

(३) मुण्डो जटिलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यञ्जनः । स नगराभ्यासो  
प्रभूतमुण्डजटिलान्तेवासी शाकं यवसमुष्टिं वा मासद्विमासान्तरं प्रकाश-  
मश्नीयात्, गूढमिष्टमाहारम् । वैदेहकान्तेवामिनश्चरन्तं समिद्धयोगैरचंपेयुः ।  
शिष्याश्चास्यावेदयेयुः—असौ सिद्धः सामेधिक इति । समेधाशास्तिभिश्चा-  
भिगतानामङ्गविद्यया शिष्यसन्नाभिश्च कर्माप्यभिजनेऽवसितान्यादिशेदल्प-  
लाभमग्निदाहं चौरभयं दूष्यवद्यं तुष्टिदानं विदेशप्रवृत्तिज्ञानम् इदमद्य श्रो-  
वा भविष्यतीदं वा राजा करिष्यतीति ।

हा जाना । दूसरे मन्वासी भी अपन-अपन संप्रदाय के मन्वाश्रियो को इसी प्रकार  
समझा-बुझा दें ।

( १ ) बुद्धिमान्, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेप में रहने वाले गुप्तचर  
का 'गृहपतिक' कहत है । वह कृषिकार्य के लिए नियुक्त भूमि में जाकर 'उदास्यित'  
गुप्तचर के ही समान कार्य करे ।

( २ ) बुद्धिमान्, पवित्र हृदय, गरीब, व्यापारी के वेप में रहने वाला गुप्तचर  
'वैदेहक' है । वह व्यापारकारों के लिए नियुक्त भूमि में जाकर 'उदास्यित' गुप्तचर  
की भांति कार्य करता हुआ रहे ।

( ३ ) बौद्धिक के लिए सिर मुँडाने या जटा धारण विषे हुए, राजा का कार्य  
करने वाला गुप्तचर ही 'तापस' है । वह कहीं नगर के समीप ही बहुत से मुठ या  
जटिल विद्यास्थलों का लेकर रहे और महीने को महीने तक लोगों के सामने हरा  
शाक या मुट्ठीभर अनाज छाता रहे, बैस छिप तौर पर अपनी इच्छानुसार मुस्तादु  
भोजन करता रहे । वैदेहक तथा उसके अनुचर 'तापस' गुप्तचर की पूजा-अर्चना करें ।  
गिन्यमहती भूम भूम कर यह प्रचार करे कि यह तपस्वी पूर्ण सिद्ध, भविष्य-वत्ता  
और लौकिक शक्तियों से संपन्न है । अपना भविष्य-फल जानने की इच्छा से आये हुए  
लोगों की पारिवारिक पहिचान, उनके शारीरिक चिह्नों के माध्यम से तथा अपने  
गिन्यों के सूक्तों के अनुसार बतावे । ऐसा भी बतावे कि इन-इन कार्यों से शोका  
साम का योग है । इसका अतिरिक्त वह, वाग लगने, चोरी हो जाने, दुष्ट लोगों के  
व्यग्रमध्य इनमें देन, देन विदेग के फल, यह कार्य आज होगा या कल, या इस  
कार्य को राजा करगा, आदि बातें भी उसको बतावे ।

(१) तदस्य गूढाः सत्रिणश्च संवादयेयुः । सत्त्वप्रज्ञावाक्यशक्तिसम्पन्नाना राजभाव्यमनुव्याहरेन्मन्त्रिसयोग च । मन्त्री चैषा वृत्तिकर्मभ्या विद्यतेत ।

(२) ये च कारणादभिरुद्धास्तानथंमानाभ्या शमयेत्, अकारणरुद्धान् तूर्णोदण्डेन राजद्विष्टकारिणश्च ।

(३) पूजिताश्चार्थमानाभ्या राज्ञा राजोपजीविनाम् ।  
जानीयुः शौचमित्येताः पञ्च संस्थाः प्रकीर्तिताः ॥

इति कौटलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे  
गूढपुरुषोत्पत्तौ सस्थोत्पत्तिर्नाम दशमोऽध्याय ॥

— ० —

( १ ) इस प्रश्नोत्तर प्रसंग में 'तापस' गुप्तचर की दूसरे सत्री आदि गुप्तचर सहायका करें । प्रश्नकर्ताओं में यदि धीर, बुद्धिमान्, चतुर लोग हों तो उनसे वह, राजा की ओर से, धन प्राप्त होने की बात कहे, मन्त्री के साथ भी उनकी मुलाकात का संयोग बताये । जब मन्त्री से इन लोगों की मुलाकात हो तो उचित यह होगा कि ऐसे लोगों को मन्त्री धन तथा आजीविका आदि देकर, गुप्तचर की भविष्यवाणी को सच्ची सिद्ध कर दे ।

( २ ) जो लोग किसी कारणवश क्रुद्ध हो गए हों उन्हें धन एवं सम्मान देकर सलुप्त किया जाय । जो बिना कारण ही क्रुद्ध हो तथा राजा से द्वेष रखते हों, उनका चुपचाप बध करवा डाले ।

( ३ ) इस प्रकार धन और मान से राजा द्वारा सम्मानित गुप्तचर तथा अमात्य आदि राजोपजीवी पुरुषों के सद्व्यवहारों को भली-भाँति जान लें । पाँच प्रकार के गुप्तचर पुरुषों की नियुक्ति और उनके कार्यों के विवरण का यही विधान है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) ये चास्य सम्बन्धिनोऽवश्यमर्तव्यास्ते लक्षणमङ्गविद्यां जम्भक-  
विद्या मायागतमाश्रमधर्मं निमित्तमन्तरचक्रमित्यधीयानाः सत्रिणः  
ससर्गविद्या वा ।

(२) ये जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्याल वा द्रव्यहेतोः प्रति-  
योधयेयुस्ते तीक्ष्णाः ।

(३) ये बन्धुषु नि.स्नेहाः क्रूराश्चालसाश्च ते रसदाः ।

(४) परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा श्रगल्भा ब्राह्मण्यन्तःपुरे  
कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत् । एतया मुण्डावृषली व्याख्याताः ।  
इति सञ्चाराः ।

### गुप्तचरो की नियुक्ति ( भ्रमणशील गुप्तचर )

( १ ) जो राजा के सबधी न हो, किन्तु जिनका पालन-पोषण करना राजा के  
लिए आवश्यक हो, जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण आदि अगो का शुभाशुभ  
फल बताने वाली विद्या, वशीकरण, इन्द्रजाल, धर्मशास्त्र, शकुनशास्त्र, पक्षिशास्त्र,  
कामशास्त्र तथा तत्सबधी नाचने गाने की कला में निपुण हो वे 'सत्री' कहलाते हैं ।  
[ १०वें अध्याय में जिन गुप्तचरो का वर्णन किया गया है वे एक ही स्थान पर रहकर  
कार्य करने के कारण 'सत्या' कहलाते हैं । इस अध्याय में वर्णित गुप्तचर 'सचार'  
कहलाते हैं, जो कि घूम घूम कर कार्य करते हैं । ]

( २ ) अपने देश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति, जो द्रव्य के लिए अपने प्राणों की  
भी परवाह न करके हाथी, बाघ और साँप से भी भिड़ जाते हैं, उन्हें 'तीक्ष्ण'  
कहते हैं ।

( ३ ) अपने भाई-बधुओं से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूरप्रकृति और आलसी  
स्वभाव वाले व्यक्ति 'रसद' ( जहर देने वाला ) कहलाते हैं ।

( ४ ) आजीविका की इच्छुक, दरिद्र, शोड, विधवा, दबंग ब्राह्मणी, रनिवास  
में समानित, प्रधान अमात्यो के घर में प्रवेश पानेवाली 'परिव्राजिका' ( सन्यासिनी  
के वेश में खुफिया का काम करने वाली ) नाम की गुप्तचरी कहलाती है । इसी  
प्रकार मुडा ( मुडित बौद्ध भिक्षुणी ) और वृषली ( शूद्र ) आदि नारी गुप्तचरियो  
को भी जान लेना चाहिए । ये सभी 'सचार' नामक गुप्तचर हैं ।

( १ ) तान् राजा स्वविषये मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजदौवारिकान्तर्वशिकप्रशास्तृसमाहर्तृसन्निधातृप्रदेष्टृनायकपौरव्यावहारिककामार्गिकमन्त्रिपरिषदध्यक्षदण्डदुर्गान्तपालाटविकेषु श्रद्धेयदेशवेपशिल्पभाषाभिजनापदेशान् भक्तितः सामर्थ्ययोगाच्चापसर्पयेत् ।

( २ ) तेषां बाह्यं चारं छत्रभृङ्गारव्यजनपादुकासनयानवाहनोपग्राहिणस्तीक्ष्णा विद्युः । तं सत्त्रिणः संस्थास्वर्पयेयुः ।

( ३ ) सूदारालिकस्नापकसंवाहकास्तरककल्पकप्रसाधकोदकपरिचारकारसदाः कुब्जवामनकिरातमूकबधिरजडान्धच्छद्धानो नटनर्तकगायनवादकवाग्जीवनकुशीलवाः स्त्रियश्चाभ्यन्तरं चारं विद्युः । तं भिक्षुवपः संस्थास्वर्पयेयुः ।

( १ ) राजा को चाहिए कि वह, इन सत्री आदि गुप्तचरो को मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ड्योडीदार, अन्त पुररक्षक, छावनी-रक्षक, फलवटर, कोषाध्यक्ष, कमिश्नर, हवलदार, नगरमुखिया, खदान-निरीक्षक, मन्त्रि-परिषद् का अध्यक्ष, सेना-रक्षक, दुर्गरक्षक, सीमारक्षक और अटवीपाल आदि अधिकारियों के समीप, वेप, बोली, कौशल, भाषा तथा कुलीनता के आधार पर उनकी भक्ति और उनके सामर्थ्य की परीक्षा करके, तब रवाना करे ।

( २ ) उनमे से तीक्ष्ण नामक गुप्तचर का कर्तव्य है कि वह छत्र, चामर, व्यजन, पादुका, आसन, शिविका ( पालकी ) और घोडे आदि बाहरी उपकरणों की देख-रेख करता हुआ अमात्य आदि की सेवा करे और उनके व्यवहारो को जाने । तीक्ष्ण गुप्तचर द्वारा जानी हुई बातों को सत्री नामक गुप्तचर स्वानिक कापटिक आदि गुप्तचरो को बता दे ।

( ३ ) मूद ( रसोद्भया ), आरालिक ( मास पकाने वाला ), स्नापक ( नहलाने वाला ), संवाहक ( हाथ-पैर दवाने वाला ), आस्तरक ( विस्तर विछाने वाला ), कल्पक ( नाई ), प्रसाधक ( शृंगार करने वाला ) और उदक-परिचारक ( जल भरने वाला ) आदि विभिन्न रूप-नामों मे रह कर रसद नामक गुप्तचर, मन्त्री आदि उच्च अधिकारियों के भेदों का पता लगाये । इसी प्रकार कुबडे, बौने, किरात ( जङ्गली आदमी ), गूंगे, बहरे, मूर्ख, अन्धे आदि के वेप मे गुप्तचर और नट, नाचने-गाने-बजाने वाले, कहानी कहने वाले, कूद-फ़ौद कर खेल दिखाने वाले, आदि के वेप मे स्त्री गुप्तचर सब रहस्यों का पता लगा ले । भिक्षुकी वेप धारण करने वाली गुप्तचर महिला को चाहिये कि वह रसद आदि पुरुष गुप्तचरो से प्राप्त समाचारों को कापटिक आदि गुप्तचरो तक पहुँचा दे ।

(१) संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिभिश्चारसञ्चारं कुर्युः । न चान्योन्यं संस्थास्ते वा विलुः ।

(२) भिक्षुकीप्रतिषेधे द्वाःस्थपरम्परा मातापितृव्यञ्जनाः शिल्पकारिकाः कुशीलवा दास्यो वा गीतपाठघवाद्यभाण्डगूढलेख्यसङ्गाभिर्वा चारं निहारियेयुः । दीर्घरोगोन्मादाग्निरसदिसर्गेण वा गूढनिर्गमनम् ।

(३) त्रयाणामेकवाक्ये सम्प्रत्ययः । तेषामभीक्ष्णविनिपाते तूष्णीदिण्डः प्रतिषेधो वा ।

(४) कण्टकशोघनोक्ताश्रापसर्पाः परेषु कृतवेतना वसेयुः सम्पातनिश्चारार्थं, त उभयवेतनाः ।

( १ ) संस्थाओ ( कापटिक आदि गुप्तचरो ) के विद्यार्थी अपनी विशिष्ट सन्त-लिपि द्वारा उस सूचना को राजा तक पहुँचावें । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संस्था-गुप्तचरो को सचार गुप्तचर और सचार-गुप्तचरो को संस्था-गुप्तचर विलकुल न जानने पावें ।

( २ ) यदि अमात्य आदि के घरों में भिक्षुकी का अत प्रवेश निषिद्ध हो तो वह समाचार द्वापालों के माध्यम से बाहर भिक्षुकी तक पहुँचे । यदि इसमें भी कुछ आशङ्का या असम्भव जान पड़े तो अत पुर के नौकरो के माता पिता बनने का वहाना करके वृद्धा स्त्री-गुरूप भीतर प्रवेश करके रहस्य का पता लगायें । या तो रानियो के बाल सर्कारने वाली या नाचने-गाने वाली स्त्रियो अथवा दासियो द्वारा, अथवा तिजी सकेतो वाले गीतो, शूको, प्रार्थनाओ, या तो बाजो, बर्तनो, टोकरियो में गुप्त लेख रखकर, अथवा अन्य विधियो से, जैसा भी समय के अनुसार अपेक्ष्य हो, अत पुर के समाचारो को बाहर लाया जाय । यदि इन युक्तियो से भी सफलता न मिले तो गुप्तचर को चाहिए कि वह किसी भयङ्कर बीमारी अथवा पाणलपन के बहाने से आग लगाकर या किसी को जहर देकर ( जिससे अत पुर में कोलाहल मच जाये ) चुपचाप बाहर निकल आवे ।

( ३ ) परस्पर अपरिचित तीन गुप्तचरो द्वारा लाये गये समाचार यदि एक ही तरह से मिलें तो उन्हें ठीक समझना चाहिए । यदि वे परस्पर विरोधी समाचारो को लायें तो उन्हें या तो नौकरी से अलग कर दिया जाय अथवा चुपचाप पिटवाया जाय ।

( ४ ) उक्त गुप्तचरो के अतिरिक्त 'कण्टकशोघन' प्रकरण में आगे बताये गए गुप्तचरो को भी नियुक्त करना चाहिये । ऐसे गुप्तचर विदेशो में जाकर वहाँ की सरकार के वेतनमोगी नौकर बनें और उनके गुप्त रहस्यो को ममर्कें । ये गुप्तचर मित्र-पक्ष और शत्रु पक्ष दोनों ओर में वेतन लें ।

- (१) गृहीतपुत्रदारांश्च कुर्यादुभयवेतनान् ।  
ताश्चारिप्रहितान् विद्यात् तेषां शौचं च तद्विधं ॥
- (२) एवं शत्रौ च मित्रे च मध्यमे चावपेक्षरान् ।  
उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वपि ॥
- (३) अन्तर्गृहचरास्तेषां कुब्जवामनपण्डकाः ।  
शिल्पदत्तयः स्त्रियो भूकाश्चित्राश्च म्लेच्छजातयः ॥
- (४) दुर्गेषु वणिजः संस्था दुर्गान्ते सिद्धतापसाः ।  
कर्पकोदास्थिता राष्ट्रै राष्ट्रान्ते वज्रवासिनः ॥
- (५) वने वनचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः ।  
परप्रवृत्तिज्ञानार्थाः शीघ्राश्चारपरम्पराः ॥
- (६) परस्य चंते बोद्धव्यास्नादृशंरेव तादृशाः ।  
चारसञ्चारिणः संस्था गूढाश्चागूढसज्जिताः ॥

( १ ) उभयवेतनभोगी इस प्रकार के गुप्तचरो के सम्बन्ध में विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह उनके स्त्री वचो को सत्कारपूर्वक अपने आधीन रखे । शत्रु की ओर से नियुक्त इस प्रकार के उभयवेतनभोगी गुप्तचरो की भी राजा जानकारी रखे और उनके माध्यम से अपने उभयवेतनभोगी गुप्तचरों की पवित्रता की भी परीक्षा करता रहे ।

( २ ) इस प्रकार विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन राजाओं और उनके मन्त्री, पुरोहित, भेनापति आदि अठारह प्रकार के अधीनस्थ कर्मचारियों के निकट, सभी स्थानों पर, अपने गुप्तचरो को नियुक्त करे ।

( ३ ) इसके अतिरिक्त उन शत्रु, मित्र, मध्यम आदि राजाओं के घरों तथा उनके मन्त्री, पुरोहित आदि के घरों में भी काम करने वाले कुबडे, बीने, नपुंसक, कारीगर स्त्रियाँ, गूंगे तथा दूसरे-दूसरे प्रकार के बहानों को लेकर म्लेच्छ जाति के पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ।

( ४ ) किलो में व्यापार करने वाले लोगों को, किले की सीमा पर सिद्ध तपस्वियों को, राज्य के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर कृपक तथा उदासित पुरुषों को और राज्य की सीमा पर चरवाहों को, गुप्तचर वेध में नियुक्त करना चाहिये ।

( ५ ) जगल में शत्रु की प्रत्येक गति-विधि का पता लगाने के लिए चतुर, वान-प्रस्थी और जगली लोगों को गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए ।

( ६ ) इस प्रकार, प्रकट रूप से सामान्य स्थिति में रहते हुए ये गुप्तचर, शत्रु की ओर से नियुक्त सभी, तीक्ष्ण, कापटिक, उदासित आदि गुप्तचरो को अपने वर्ग के अनुसार ही चीन्हे ।

(१) अकृत्यान् कृत्यपक्षीर्येर्दशितान् कार्यहेतुभिः ।  
परापसर्पज्ञानार्यं मुख्यानन्तेषु वासयेत् ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे गूढपुरुषोत्पत्ती  
सञ्चारोत्पत्ति , गूढपुरुषप्रणिधिर्नाम एकादशोऽध्यायः ॥

—: ० :—

( ४ ) शत्रु के किसी प्रलोभन या बहकावे में न फँसने वाले अपने विश्वस्त पुरुषों को, शत्रु के गुप्तपुरुषों का पता लगाने के लिए, राज्य की सीमा पर नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें शत्रुपक्ष के लोगों को स्ववश करने के उपाय भी बता देने चाहिए ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— . ० . —

(१) कृतमहामात्पापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेत् ।

(२) सत्त्रिणो द्वन्द्विनस्तोर्यंसभाशालापूगजनसमवायेषु विवादं कुर्युः—सर्वगुणसम्पन्नश्चायं राजा श्रूयते । न चास्य कश्चिद् गुणो दृश्यते यः पौर-जानपदान् दण्डकराभ्या पीडयति इति ।

(३) तत्र येऽनुप्रशंसेषुः, तानितरस्तं च प्रतिषेधयेत्—मात्स्यन्याया-भिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वत राजान चक्रिरे । धान्यपद्भागं पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासुः । तेन भृता राजानः प्रजानां योग-क्षेमवहाः । तेषा किल्बिषं दण्डकरा हरन्ति, योगक्षेमवहाश्च प्रजानाम् ।

अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा

( १ ) राजा को चाहिए कि महामनो, मन्त्री, पुरोहित आदि के समीप गुप्तचर नियुक्त करने के पश्चात् वह अपने प्रति प्रजाजनो तथा नगरनिवासियों का अनुराग-द्वेष जानने के लिए वहाँ भी गुप्तचरो की नियुक्ति करे ।

( २ ) पहिले तो गुप्तचर आपस में ही लडने-भगडने लगे, और बाद में वे तोर्यस्यानो, सभा-सोसाइटियो, खाने-पीने की दूकानो, राजकर्मचारियो के बीच, तथा नाना प्रकार के लोगो में यह कहकर बाद विवाद करें कि 'यह राजा तो सर्वगुण-संपन्न सुना जाता है, किन्तु इसमें कोई भी सद्गुण नहीं दिखाई दे रहा है । उल्टा वह नगरवासियो को दण्ड देकर एव कर वसूली करके पीडा पहुँचा रहा है ।'

( ३ ) उसके बाद सुनने वालो की उचित अनुचित प्रतिक्रिया को ताडता हुआ दूसरा गुप्तचर उसके विरोध में यो कहे—'देखो, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, पुराकाल में वैसे ही बलवान लोगो ने निर्बल लोगो का रहना दूभर कर दिया था । इस अन्याय से बचने के लिए प्रजा ने मिलकर विवस्वान् के पुत्र मनु को अपना राजा नियुक्त किया, और तभी से खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार की आमदनी का दसवाँ भाग तथा थोडा-सा सुवर्ण राजा के लिए कर रूप में निर्धारित भी कर दिया था । प्रजा के द्वारा निर्धारित भाग को पाकर राजाओ ने प्रजा के योगक्षेम का सारा दायित्व अपने ऊपर लिया । इस प्रकार ये निर्धारित दण्ड एव कर प्रजा के उत्पीडनो को दूर करने में सहायक होते हैं, और प्रजा की भलाई एव कल्याण के कारण सिद्ध होते हैं । यही कारण है कि जगनो में एकान्त जीवन बिताने



तस्माद्दुष्पथङ्गभागमारण्यका अपि निवपन्ति—तस्यैतद् भागधेयं योऽस्मान् गोपायतीति । इन्द्रयमस्थानमेतद् राजानः प्रत्यक्षहेडप्रसादाः । तानवमन्यमानं देवोऽपि दण्डः स्पृशति । तस्माद् राजानो वावमन्तव्याः इति क्षुद्रकान् प्रतिषेधयेत् ।

( १ ) किवदन्तीं च विद्युः ।

( २ ) ये चास्य धान्यपशुहिरण्यान्याजोवन्ति, तैरुपकुर्वन्ति व्यसने अभ्युदये वा, कुपितं बन्धुं राष्ट्रं वा व्यावर्तयन्ति, अभिन्नमाटविकं वा प्रतिषेधयन्ति, तेषां मुण्डजटिलव्यञ्जनास्तुष्टातुष्टत्वं विद्युः ।

( ३ ) तुष्टान् भूयः पूजयेत् । अतुष्टास्तुष्टिहेतोस्त्यागेन साम्ना च प्रसादयेत् । परस्पराद्वा भेदयेदेनान् सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धेभ्यश्च । तथाप्यतुष्यतो दण्डकरसाधनाधिकारेण वा जनपदविद्वेषं ग्राहयेत् । विद्विष्टानुपांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साधयेत् । गुप्तपुत्रद्वारानाकरकर्मन्तिषु वा वासयेत् परेषामास्पदभयात् ।

वाले अपि मुनि भी दाना-दाना करके बीने हुए अन्न का छठा भाग राजा को देते हैं, यह जानकर कि राजा का इस पर सनातन हक है, जिसके बदले में वह हमारी रक्षा करता है । इन्द्र और यम के समान ये राजा लोग भी प्रजाजनो का प्रत्यक्ष निग्रह एव उनपर अनुग्रह करने वाले होते हैं । इसलिए जो उनका तिरस्कार करता है, निश्चित ही, उस पर ईवी विपत्तियाँ टूटती हैं । यही कारण है, जिनको दृष्टि में रख कर राजा का अपमान नहीं करना चाहिए ।' इत्यादि बातों को कह कर राजा की निन्दा करने वालों को रोक दें ।

( १ ) गुप्तचरो के लिए आवश्यक है कि वे अफवाहो पर भी ध्यान दें ।

( २ ) जो लोग धान्य, पशु हिरण्य आदि से राजा की सेवा करते हैं, विपत्ति और अभ्युन्नति के समय उसकी सहायता करते हैं, राजा के प्रति क्रुद्ध भाई तथा कुपित प्रजा को जो शान्त कर देते हैं, उनकी प्रसन्नता और उनके कोप पर भी मुण्ड एव जटिल गुप्तचर निगाह रखें ।

( ३ ) जो लोग राजा से सन्तुष्ट हो उन्हें धन और मान द्वारा और भी सन्तुष्ट करना चाहिए । जो किसी कारण अप्रमन्न हैं, उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए धन आदि देना चाहिए, सान्त्वना भी देनी चाहिए, न हो तो इन असन्तुष्ट व्यक्तियों में आपसी कलह करा दे, सामन्त, आटविक एव उनके सम्बन्धियों से भी इनकी फूट डाल दे । इन उपायों के बावजूद भी यदि वे असन्तुष्ट ही बने रहे तो राजा को चाहिए कि अपने दण्डसम्बन्धी या करसम्बन्धी अधिकारो द्वारा वह सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ उनका द्वेष करा दे । जब तारा जनपद उनका द्वेषी ही जाय तब या तो चुपचाप

(१) क्रुद्धबुद्धभोतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः । तेषां कार्तान्तिक-  
नैमित्तिकमौहृतिकव्यञ्जनाः परस्पराभिसम्बन्धम् अमित्रप्रतिसम्बन्धं  
वा विद्ध्यः ।

(२) तुष्टानर्थमानाभ्यां पूजयेत् । अतुष्टान् सामदानभेददण्डैः साधयेत् ।

(३) एवं स्वविषये कृत्यान्कृत्यांश्च विचक्षणः ।

परोपजापात् संरक्षेत् प्रधानान् क्षुद्रकानपि ॥

इति कौटलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे स्वविषये  
कृत्याकृत्यपक्षरक्षण नाम द्वादशोऽध्याय ॥

— ० —

ही उनका बध करवा दिया जाय अथवा असन्तुष्ट जनपद से ही उनका दमन करा दिया जाय ।

( १ ) इन लोगों के दमन के लिए एक दूसरा तरीका यह भी है कि राजा उनके स्त्री-बच्चों को अपने अधिकार में करले और उन्हें खदान के कार्य में भेज दिया जाय । क्योंकि ऐसा भी संभव है कि ये असन्तुष्ट लोग शत्रुपक्ष में जाकर मिल जाय । प्रायः ऐसा देखा गया है कि क्रोधी, लोभी, डरपोक और अपमानित लोग सहज ही शत्रु के वश में हो जाते हैं ।

( २ ) जो व्यक्ति सन्तुष्ट हो, राजा उन्हें और भी धन मान से सत्कृत करे । किन्तु असन्तुष्ट व्यक्तियों को साम, दाम, दण्ड, भेद जैसे भी बन् पड़े, अपने वश में करे ।

( ३ ) इस प्रकार बुद्धिमान् राजा को चाहिए कि अपने राज्य के छोटे बड़े कृत्य अकृत्य लोगों को बह, किसी भी प्रकार, शत्रु के पक्ष में जाने से रोके ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः स्वविषये व्याख्यातः परविषये वाच्यः ।

(२) सश्रुत्यार्यान् विप्रलब्धः, तुल्यकारिणोः शिल्पे दोषकारे वा विमानितः, बल्लभावरुद्धः, समाहूय पराजितः, प्रवासोपतप्तः, कृत्वा व्यय-मलब्धकार्यः, स्वधर्माद् दायाद्याद् दोषरुद्धः, मानाधिकाराभ्यां भ्रष्टः, कुल्यैरन्तर्हितः, प्रसभामिमृष्टस्त्रीकः, कारामिन्यस्तः, परोक्तदण्डितः, मिथ्याचारवारितः, सर्वस्वमाहारितः, बन्धनपरिक्लिष्टः, प्रवासितबन्धु-रिति ऋद्धवर्गः ।

(३) स्वयमुपहतः, विप्रकृतः, पापकर्माभिख्यातः, तुल्यदोषदण्डेनो-द्विग्नः, पर्याप्तभूमिः, दण्डेनोपहतः, सर्वाधिकरणस्थः, सहसोपचितार्यः, तत्कुलीनोपाशांसुः, प्रद्विष्टो राज्ञा, राजद्वेषी चेति भीतवर्गः ।

### शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना

( १ ) अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष को किस प्रकार सुरक्षित अथवा सगठित रखना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया जा चुका है । शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को किस प्रकार अपने वश में करना चाहिए, अब इसका वर्णन किया जाता है ।

( २ ) जिसको धन देने की प्रतिज्ञा करके धन न दिया गया हो, किसी शिल्प या उपकार सम्बन्धी कार्यों को समान रूप से करने वाले दो व्यक्तियों में से एक का तो सम्मान किया गया हो और दूसरे की अवमानना की गई हो, राजा के विश्वस्त कर्मचारियों ने जिसको राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया हो, स्वयं बुलाकर जिसका तिरस्कार किया गया हो, राजाज्ञा से प्रवासित होने के कारण दूषित, व्यय करके भी जिसका अभीष्ट कार्य पूरा न हुआ हो, जिसको अपने धर्म तथा अधिकार से रोका गया हो, सम्मानित तथा अधिकारपूर्ण पद से जिसको ह्युत किया गया हो, राजपुरुषों द्वारा जिसकी बदनाम किया गया हो, जिसकी स्त्री को जबरदस्ती छीन लिया गया हो, जिसको जेल में ठूस दिया गया हो, दूसरे के कहने मात्र से जिसको दण्ड दिया गया हो, भूठा इलाजाम लगाकर जिस पर धार्मिक प्रनिबन्ध लगा दिया हो, जिसका सर्वस्व अपहरण किया गया हो, अशक्त कार्यों पर नियुक्त करके जिसको पीड़ित किया गया हो और जिसके बन्धु बान्धवों को देश निकाला दिया गया हो—इस प्रकार के सभी लोग 'ऋद्धवर्ग' कहलाते हैं ।

( ३ ) किसी लोभ के कारण हिंसा करके जो दूषित हो चुका हो, पाप कर्मों को करने में जो कुर्यात् हो, अपने समान अपराधी को दण्डित हुआ देखकर जो

(१) परोक्षीणोऽप्यात्तस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहितव्यवहारश्चेति लुब्धवर्गः ।

(२) आत्मसम्भावितो मानकामः शत्रुपूजार्मापितो नीचैरुपहितस्तीक्ष्णः साहसिको भोगेनासन्तुष्ट इति मानिवर्गः ।

(३) तेषां मुण्डजटिलव्यञ्जनैर्यो यद्भक्तिः कृत्यपक्षीयस्तं तेनोपजापयेत् ।

(४) यथा मदान्धो हस्तो मत्तेनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत् सर्वं प्रमृद्गात्येवमयमशास्त्रचक्षुरन्धो राजान्धेन मन्त्रिणाऽधिष्ठितः, पौरजानपदवधायाभ्युत्थितः । शब्यमस्य प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेनापकर्तुम् । अमर्यः क्रियताम्—इति क्रुद्धवर्गमुपजापयेत् ।

(५) यथा लीनः सर्पो यस्माद् भयं पश्यति तत्र विषमुत्सृजत्येवमय राजा जातदोषाशङ्कस्त्वयि पुरा क्रोधविषमुत्सृजति । अन्यत्र गम्यताम्—इति भीतवर्गमुपजापयेत् ।

घबड़ा गया हो, भूमि का अपहरण करने वाला, जो दण्ड के द्वारा वश में किया गया हो, सभी राजकीय विभागों पर जिसका अधिकार हो, अपनी कार्यक्षमता से जिसने भ्रमूत धन एकत्र कर लिया हो, जो राजा के किसी वंशज हिस्सेदार के निकट कुछ कामना से रहता हो, जिससे राजा शत्रुता रखता हो और जो राजा से शत्रुता रखता हो—इस प्रकार से सभी लोग 'भीतवर्ग' कहलाते हैं ।

( १ ) जिसका सब धन वैभव नष्ट हो गया, जो कायर, व्यसनी और अपव्ययी हो, वह 'लुब्धवर्ग' कहलाता है ।

( २ ) अपने को महान् समझनेवाला, आत्मश्लाघी, शत्रु के सम्मान को महन न करनेवाला, नीच लोगों द्वारा प्रशंसित, तीक्ष्णप्रकृति, साहसी और भोग्य पदार्थों से कभी सन्तुष्ट न होनेवाला वर्ग ही 'मानिवर्ग' कहलाता है ।

( ३ ) उक्त क्रुद्ध, लुब्ध, भीत आदि कृत्यपक्ष के लोगों में से जिस मुण्ड या जटिल गुप्तचर के जो-जो भक्त हो उसको वही गुप्तचर अपने वश में करे ।

( ४ ) गुप्तचर, क्रुद्धवर्ग के लोगों को उनके स्वामी से यह कह कर फोटे, 'देखो, जैसे उन्मत्त पीलवान से चलाया गया मतवाला हाथी अपने सामने जो कुछ भी देखता है, उसे कुचल डालता है, उसी प्रकार शास्त्ररूपी आँखों से हीन, अपने अधे मंत्री के साथ रहता हुआ यह राजा राष्ट्र और प्रजा को नष्ट करने के लिए उद्यत है । ऐसी अवस्था में इस राजा से शत्रुता रखने वाले लोगों को उभाड़ देने से उसका अपकार किया जा सकता है । इस राजा के प्रति तुम्हें कुपित होना चाहिए ।' यह कहकर क्रुद्धवर्ग को राजा से फोड़ दे ।

( ५ ) भीतवर्ग को अपने वश में करने के लिए गुप्तचर ऐसा कहे—'देखो, जैसे डरा हुआ साँप जिससे भय खाता है उसी पर अपना विष उगल देता है, उसी प्रकार यह राजा भी तुमसे शक्ति है और सर्वप्रथम यह तुम्हारे ऊपर क्रोधरूपी विष उगलने

(१) कृतस्वपक्षपरपक्षोपग्रहः कार्यारम्भाश्चिन्तयेत् । मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्भाः ।

(२) तदुद्देशः संवृतः कथानामनिःस्त्रावी पक्षिभिरप्यनालोक्यः स्यात् । श्रूयते हि शुक्रशारिकार्थिमन्त्रो भिन्नः श्वभिरन्यंश्च तिर्यग्योनिभिः । तस्मान्मन्त्रोद्देशमनायुक्तो नोपगच्छेत् । उच्छिद्येत मन्त्रभेदो ।

(३) मन्त्रभेदो हि दूतामात्यस्वामिनामिङ्गिताकाराभ्याम् । इङ्गित-मन्यथावृत्तिः । आकृतिग्रहणमाकारः ।

(४) तस्य संवरणम् आयुक्तपुरुषपरक्षणमाकार्यकालादिति । तेषां हि

### मन्त्राधिकार

( १ ) अपने देश और शत्रुदेश के कृत्य अकृत्य पक्ष को वश में करने के उपरान्त विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह अपने देश में दुर्ग आदि तथा शत्रुदेश के सम्बन्ध में सधि विग्रह आदि कार्यों पर विचार करे । इस प्रकार के सभी कार्यों को गम्भीर विचार-विनिमय के अनन्तर ही आरम्भ करना चाहिए ।

( २ ) जिस स्थान पर बैठकर मन्त्रणा की जाय वह चारों ओर से इस प्रकार बन्द होना चाहिए कि जिससे वहाँ पक्षी तक न झाँक सके और कोई शब्द बाहर न सुनाई दे, क्योंकि अनुश्रुति है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मन्त्रणा को तोना और मैना ने सुनकर बाहर प्रकट कर दिया था । इसी प्रकार कुत्ते तथा अन्य पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में भी सुना जाता है । इसलिए राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में मन्त्रणास्थल पर न जावे । यदि गुप्त मन्त्रणा के भेद को कोई फोड़ दे तो तत्काल ही उसको मरवा देना चाहिए ।

( ३ ) कभी-कभी बिना कहे ही दूत, अमात्य तथा राजा के हाव-भाव एव मुद्रा द्वारा भी गुप्त भेद प्रकट हो जाते हैं । स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएँ 'इंगित' कहलानी हैं । चेष्टाओं को प्रकट करनेवाले अंग 'आकार' या 'आकृति' कहलाने हैं ।

( ४ ) इसलिए विजिगीषु राजा को चाहिए कि जब तक विचारित कार्यों के आरम्भ करने का समय नहीं आता तब तक अपने गुप्त भावों को दबाकर रखे ।

प्रमादमदसुप्तप्रलापकामादिरुत्सेकः प्रच्छन्नोऽवमतो वा मन्त्रं भिनत्ति ।  
तस्माद् रक्षेन्मन्त्रम् ।

( १ ) मन्त्रभेदो ह्ययोगक्षेमकरो राजस्तदायुक्तपुरुषाणां च । तस्माद्  
गुह्यमेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः । मन्त्रिणामपि हि मन्त्रिणो भवन्ति ।  
तेषामप्यन्ये । संधा मन्त्रिपरम्परा मन्त्रं भिनत्ति ।

( २ ) तस्मान्नास्य परे विद्युः कर्म किञ्चिच्चिकीर्षितम् ।

आरब्धारस्तु जानीयुरारब्धं कृतमेव वा ॥

( ३ ) नैकस्य मन्त्रसिद्धिरस्तीति विशालाक्षः । प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि  
राजवृत्तिः । अनुपलब्धस्य ज्ञानमुपलब्धस्य निश्चयबलाघानमर्थद्वैधस्य  
संशयच्छेदनमेकदेशदृष्टस्य शेषोपलब्धिरिति मन्त्रिसाध्यमेतत् । तस्माद्  
बुद्धिवृद्धेः सार्धमासीत मन्त्रम् ।

मन्त्रियो की असावधानी के कारण या भ्रष्टपान की वेहोशी में अथवा सोते समय आक-  
स्मिक प्रलाप द्वारा या विषय भोग की लालसा से अथवा अभिमान के भाव से गुप्त  
मन्त्रणाएँ समय से पहिले ही प्रकट हो जाती हैं । आड में छिपकर सुननेवाले अथवा  
मन्त्रणाकाल में मूर्ख कहकर अपमानित हुआ व्यक्ति भी मन्त्र के भेद को फोड़ देता  
है । इसलिए इन सभी बातों की दृष्टि में रखकर राजा को चाहिए कि वह अपने गुप्त  
रहस्यों की सावधानी से रक्षा करे ।

( १ ) आचार्य भारद्वाज का सुझाव है कि 'मन्त्र के प्रकट हो जाने पर राजा  
और उसके सलाहकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है । इसलिए इस प्रकार की  
गुप्त मन्त्रणाओं पर राजा अकेला ही विचार करे, क्योंकि मन्त्रियों के भी अपने  
सलाहकार होते हैं । उनके भी दूसरे लोग परामर्शदाता होते हैं इसलिए इस मन्त्रि-  
परम्परा के कारण गुप्त बातों के प्रकट हो जाने का भय बना रहता है ।

( २ ) 'इसलिए गुप्त मन्त्रणाओं को राजा के अतिरिक्त कोई न जानने पावे ।  
केवल कार्यारम्भ करनेवाले व्यक्ति ही उसके आभास को जान सकें और उन्हें भी  
उसका परिणाम कार्य की समाप्ति के बाद ही ज्ञात हो ।'

( ३ ) आचार्य विशालाक्ष कुछ समोधन के साथ अपना विचार प्रकट करते हैं ।  
उनका कहना है कि 'एक ही व्यक्ति द्वारा सोचा विचार हुआ मन्त्र सिद्धिदायक नहीं  
हो सकता । सभी राजकार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के होते हैं, उनके लिए  
मन्त्रियों की अपेक्षा होती है । न जाने हुए कार्य को जानना, जाने हुए कार्य का निश्चय  
करना, निश्चित कार्य को दृढ़ करना, किसी कार्य में सन्देह उत्पन्न हो जाने पर  
विचार-विमर्श द्वारा उस संशय का निराकरण करना, आशिक कार्य को पूरी तरह

(१) न कश्चिदवमन्येत सर्वस्य शृणुयान्मतम् ।  
बालस्याप्यर्थवद् वाक्यमुपयुञ्जीत पण्डितः ॥

(२) एतन्मन्त्रज्ञानं नैतन्मन्त्ररक्षणमिति पाराशराः । यदस्य कार्य-  
मभिप्रेतं तत्प्रतिरूपकं मन्त्रिणः पृच्छेत्—कार्यमिदमेवमासीदेवं वा यदि  
भवेत् तत् कथं कर्तव्यमिति । ते यथा ब्रूयुः तत् कुर्यात् । एव मन्त्रोपलब्धिः  
संवृतिश्च भवतीति ।

(३) नेति पिशुनः । मन्त्रिणो हि व्यवहितमर्थं वृत्तमवृत्तं वा पृष्ट-  
मनादरेण ब्रुवन्ति प्रकाशयन्ति वा । स दोषः । तस्मात् कर्मसु ये येष्वभि-  
प्रेतास्तैः सह मन्त्रयेत् । तंमन्त्रयमाणो हि मन्त्रबुद्धिं गुप्तिं च लभत इति ।

विचारना इत्यादि सभी बातें मन्त्रियो मे सहयोग से ही पूरी की जा सकती है । इस-  
लिए विजिगीषु राजा को अत्यन्त बुद्धिमान् और पर्याप्त अनुभवी व्यक्तियों के साथ  
बैठकर विचार करना चाहिए ।

( १ ) 'राजा को चाहिए कि सलाह करते समय वह किसी को अवमानित न  
करे, सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, यहाँ तक कि बालक की भी सारगर्भित बात  
को ग्रहण करे ।'

( २ ) आचार्य पराशर के मतानुसारी विद्वानो का कहना है कि 'आचार्य विशा-  
लाक्ष के उक्त कथन से मन्त्र का ज्ञान भले ही हो सकता है, मन्त्र की रक्षा नहीं ।  
इसलिए राजा को जिस कार्य के लिए सलाह लेनी हो उस कार्य के समान ही दूसरे  
कार्य के सम्बन्ध में वह मन्त्रियों से पूछे । राजा किसी ऐतिहासिक घटना का हवाला  
देकर कहे कि अमुक कार्य इस ढंग से किया गया था, इसी कार्य को यदि इस  
ढंग से करना होता तो कंभे किया जाना चाहिए था । इसपर मन्त्री जो राय दें उसके  
अनुसार ही तत्समान अपने अभीष्ट कार्य को सम्पन्न करे । ऐसा करने से मन्त्र का  
ज्ञान भी हो जाता है और मन्त्र की रक्षा भी ।'

( ३ ) आचार्य पिशुन ( नारद ) इस मन्तव्य को नहीं मानते । उनकी स्थापना  
है 'क्योंकि इस तरह प्रकारान्तर से मन्त्रियो के सम्मुख किसी बात को रख देने से वे  
समझने लगते हैं कि राजा हमारी सलाह नहीं मानता और उसका हम पर विश्वास  
नहीं है । इसलिए वे पूर्वघटित एव अघटित विषय पर लापरवाही से उत्तर देते हैं  
और उस बात को प्रकाशित भी कर देते हैं । यह तो मन्त्र के लिए बड़ा दोष है ।  
इसलिए राजा को यही उचित है कि जो लोग जिन-जिन कार्यों पर नियुक्त एव जिन-  
जिन विचारो के लिए उपयुक्त हैं उन्हीं के साथ वैसी सलाह करे । ऐसा करने से  
मन्त्रणा में अधिक परिमार्जन हो जाता है और उसकी सुरक्षा भी हो जाती है ।

(१) नेति कीटिल्यः । अनवस्था ह्येषा । मन्त्रिमिस्त्रिमिश्रतुमिर्वा सह मन्त्रयेत । मन्त्रयमाणो ह्येकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत् । एकश्च मन्त्री यथेष्टमनवग्रहश्चरति । द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यामवगृह्यते, विगृहीताभ्यां विनाशयते । त्रिषु चतुर्षु वा नैकान्तं कृच्छ्रेणोपपद्यते महादोषम् । उपपन्नं तु भवति । ततः परेषु कृच्छ्रेणार्थनिश्चयो गम्यते, मन्त्रो वा रक्षयते ।

(२) देशकालकार्यवशेन त्येकेन सह द्वाभ्यामेको वा यथासामर्थ्यं मन्त्रयेत ।

(३) कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपदु देशकालविभागः विनिपात-प्रतीकारः कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्गो मन्त्रः । तानेकैकशः पृच्छेत् समस्तांश्च । हेतुमिश्रं वा मतिप्रविद्येकान् विद्यात् । अवाप्तार्थः कालं नातिक्रामयेत् । न दीर्घकालं मन्त्रयेत् । न च तेषां पक्षयैषामपकुयति ।

( १ ) आचार्य कीटिल्य उक्त मत से अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि 'नारदमुनि की बताई हुई युक्तियों के अनुसार मन्त्र व्यवस्थित नहीं हो सकता । इसलिए तीन या चार मन्त्रियों को साथ बैठकर राजा को मन्त्रणा करनी चाहिए । क्योंकि एक ही मन्त्री से सलाह करता हुआ राजा किसी कठिनतम कार्य के अड जाने पर उचित समाधान नहीं कर पाता और मन्त्री प्रतिद्वन्द्वी के रूप में मनमाना करने लगता है । दो मन्त्रियों के साथ बैठकर भी वह सलाह करता है तो कोई असम्भव नहीं कि वे दोनों मिलकर राजा को अपने वश में कर लें अथवा दोनों लड़ने लग जायें तो सारी मन्त्रणा ही धूल में मिल जायगी । यदि तीन या चार मन्त्री सलाहकार होयें तो उस अवस्था से इस प्रकार के अनर्थकारी महान् दोष के उत्पन्न हो जाने की सम्भावना नहीं है । कोई भी दोष उसमें सहसा ही नहीं आ सकता है । यदि चार से अधिक मन्त्री हो जायें तो कार्य का निश्चय करना कठिन हो जाता है और उस दशा में मन्त्र की सुरक्षा में भी सन्देह हो जाता है ।'

( २ ) इसलिए देश, काल और कार्य के अनुसार एक या दो मन्त्रियों के साथ भी राजा मन्त्रणा करे ; अपनी विचार-शक्ति के अनुसार वह अकेला बैठकर कुछ कार्यों का स्वयं ही निर्णय करे ।

( ३ ) मन्त्र के पाँच अंग होने हैं १. कार्यारम्भ करने का उपाय, २. पुरुष तथा द्रव्य मपत्ति, ३. देश-काल का विभाग, ४. विघ्न-प्रतीकार और ५. कार्यसिद्धि । मन्त्र के विषय में राजा एक-एक मन्त्री से अथवा एक साथ सभी मन्त्रियों से परामर्श कर सकता है । मन्त्रियों के भिन्न-भिन्न अभिप्रायों को वह युक्तियों के द्वारा समझे । भली-



(१) मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वतिति मानयाः ।

(२) षोडशेति बार्हस्पत्याः ।

(३) विशतिमित्यौशनसाः ।

(४) यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः ।

(५) ते ह्यस्य स्वपक्ष परपक्षं च चिन्तयेयुः । अकृतारम्भमारब्धानुष्ठानमनुष्ठितविशेषं नियोगसम्पद च कर्मणा कुर्युः । आसन्नैः सह कार्याणि पश्येत् । अनासन्नैः सह पत्रसम्प्रेषणेन मन्त्रयेत् । इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषदृषोणा सहस्रम् । स तच्चक्षुः । तस्मादिदं द्व्यक्षं सहस्राक्षमाहुः ।

(६) आत्ययिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदं चाहूय ब्रूयात् । तत्र यद् भूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकर वा ब्रूयुस्तत् कुर्यात् । कुर्वंतश्चः—

भाति समझ-बूझ जाने पर अविलव ही वह अपने निश्चय को कार्यरूप में परिणत कर दे । किसी कार्य को अधिक समय तक विचारते रहना उचित नहीं है । जिन लोगों का कभी अपकार किया हो, उनके साथ या उनके सहयोगियों के साथ कभी भी मत्रणा नहीं करनी चाहिए ।

### ( मन्त्रि-परिषद् का विचार )

( १ ) मनु के अनुयायी अथंशास्त्रविदो का इस सम्बन्ध में कहना है कि 'मन्त्रि-परिषद् में बारह अमात्यो की नियुक्ति की जानी चाहिए ।'

( २ ) बृहस्पति के अनुयायी विद्वान् 'सोलह मन्त्रियो के पक्ष में हैं ।

( ३ ) शुक्राचार्य-पक्ष के आचार्य मन्त्रियो की सख्या 'बीस' रखना अधिक उपयुक्त समझते हैं ।

( ४ ) आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'कार्य करने वाले पुरुषो के सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी सख्या नियत होनी चाहिए ।'

( ५ ) वे निर्धारित मन्त्री विजिगीषु राजा के और उसके शत्रु राजा के सम्बन्ध में विचार करें । जो कार्य प्रारम्भ न किये गए हो उन्हें प्रारम्भ करायें, प्रारम्भ किये कार्यों को पूरा करावें और जो कार्य पूरे हो चुके हो उनमें आवश्यकतानुसार सशोधन-समाजर्जन करें । निष्कर्ष यह कि विभागीय अध्यक्ष अपने अपने कार्यों को अत तक अधिकाधिक निपुणता से सम्पन्न करें । जो मन्त्री राजा के सन्निकट हो, उनको साथ लेकर राजा उनके कार्यों का स्वयं ही निरीक्षण करे । किन्तु जो दूर हो, उनसे पत्र द्वारा परामर्श करता रहे । इन्द्र की मन्त्रि परिषद् में एक हजार ऋषि थे, जो कि उसके कार्यों के निर्देशक थे । इसीलिए तो दो नेत्रो वाले इन्द्र को हजार आँखो वाला ( सहस्राक्ष ) कहा गया है ।

( ६ ) अत्यावश्यक कार्य के आ जाने पर राजा, मन्त्रि परिषद् का आयोजन कर

- ( १ ) नास्य गुह्यं परे विद्युश्छिद्रं विद्यात् परस्य च ।  
 गूहेत् कूर्मं इवाङ्गानि यत्स्याद् विवृतमात्मनः ॥
- ( २ ) यथा ह्यश्रोत्रियः श्राद्धं न सतां भोक्तुमर्हति ।  
 एवमश्रुतशास्त्रार्थो न मन्त्रं श्रोतुमर्हति ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे  
 मन्त्राधिकारो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥

— ० —

उससे परामर्श करे । उनमें से बहुमर्णित तथा शीघ्र ही कार्यसिद्धि कर देने वाली राय के अनुसार कार्य सम्पादन करे ।

( १ ) इस ढंग से कार्य करते हुए राजा के गुप्त रहस्यों को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान पाता है, प्रत्युत वह दूसरों के दोषों की भी जान लेता है । राजा को चाहिए कि वह अपने गुप्त भावों को उसी प्रकार अपने मन में छिपाये रखे जिस प्रकार कि कछुआ अपने अंगों को छिपाये रखता है ।

( २ ) जिस प्रकार वेदाध्ययन से शून्य ब्राह्मण किमी श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ थाढ़ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रज्ञान से शून्य व्यक्ति मन्त्र को सुरक्षित नहीं रख पाता है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में मन्त्राधिकार नामक  
 चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० :—

(१) उद्धृतमन्त्रो दूतप्रणिधिः । अमात्यसम्पदोपेतो निसृष्टार्यः, पाद-  
गुणहीनः परिमितार्थः, अर्धगुणहीनः शासनहरः ।

(२) सुप्रतिविहितयानवाहनपुरुषपरिवापः प्रतिष्ठेत । शासनमेवं  
वाच्यः परः, स वक्ष्यत्येवं, तस्येवं प्रतिवाक्यम्—एवमतिसन्धातव्यमित्य-  
धीयानो गच्छेत् । अटव्यन्तपालपुरराष्ट्रमुद्यंश्च प्रतिसंसर्गं गच्छेत् । अनी-  
कस्थानयुद्धप्रतिग्रहापसारभूमोरात्मनः परस्य चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रमाणं  
सारवृत्तिगुप्तिच्छिद्राणि चोपलभेत । पराधिष्ठानमनुजातः प्रविशेत् ।  
शासनं च यथोक्तं ब्रूयात् प्राणावाधेर्जपि दृष्टे । परस्य वाचि वक्त्रे दृष्ट्यां  
च प्रसादं वाक्यपूजनमिष्टपरिप्रशनं गुणकथासङ्गमासन्नमासनं सत्कार-

### संदेश देकर राजदूतों को शत्रु-देश में भेजना

(१) गुप्त मन्त्रणा के निश्चित हो जाने पर ही दूत को शत्रुदेश की ओर  
भेजना चाहिए । दूत तीन प्रकार के होते हैं १. निसृष्टार्य, २. परिमितार्थ और  
३. शासनहर । अमात्य के पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न निसृष्टार्य, उनमें एक चौथाई गुण-  
हीन परिमितार्थ और आधा गुणहीन शासनहर कहलाता है ।

(२) पालकी आदि सवारी, घोड़े आदि वाहन, नौकर चाकर और सोने-  
विद्याने आदि सामग्री की भली-भांति व्यवस्था करके दूत को शत्रुदेश की ओर  
प्रस्थान करना चाहिये । दूत को पहिले ही से यह सोच विचार कर लेना चाहिये  
कि 'मैं अपने स्वामी का संदेश इस ढंग से कहूंगा, उसका यह उत्तर होगा तो मेरे  
प्रत्युत्तर की विधि इस प्रकार होगी; या किन किन विधियों से उस शत्रु राजा को  
बश में करना होगा ।' आदि-आदि । राजदूत को चाहिए कि वह शत्रुदेश के वनरक्षक,  
सीमारक्षक, नगरवासियों तथा जनपदवासियों से मित्रता गांठे । साथ ही वह उभयपक्ष  
की सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध-भूमि और सयोग आने पर अपनी सेना के भाग सकने  
योग्य उपयुक्त स्थानों तथा रास्तों का भी निरीक्षण करे । साथ ही शत्रुपक्षी राजा  
के दुर्ग, उसके राज्य की सीमाएँ, आमदनी, उपज, आजीविका के साधन, राष्ट्ररक्षा  
के तरीके, वहाँ के मुख्य भेद एव वहाँ की बुराइयों का पता लगाना भी दूत का ही  
कर्तव्य है । किसी शत्रु राजा के राज्य में प्रवेश करने से पूर्व दूत, उस राजा की  
आज्ञा प्राप्त कर ले । प्राणान्क परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर भी वह अपने  
स्वामी का संदेश अविकल रूप में कहे । यदि शत्रु राजा की याणी में, मुलमुद्रा में,  
दृष्टि में प्रसन्नता झलकती हो; वह दूत की बातों की आदरपूर्वक सुन रहा हो, दूत

मिष्टेषु स्मरणं विश्वासगमनं च लक्षयेत् तुष्टस्य । विपरीतमतुष्टस्य । तं  
 द्रूयात्—दूतमुखा वं राजानस्त्वं चान्ये च । तस्मादुद्यतेष्वपि शस्त्रेषु यथोक्तं  
 वक्तारः तेषामन्तावसायिनोऽप्यवध्याः, किमङ्ग पुनर्वाह्यणाः । परस्यैतद्  
 वाक्यमेव दूतधर्मः इति ।

(१) वसेदविसृष्टः; प्रपूजया नोत्सिक्तः; परेषु बलित्वं न मन्येत;  
 वाक्यमनिष्टं सहेत; स्त्रियः पानं च वर्जयेत्; एकः शयीत; सुप्तमत्तयोर्हि  
 भावज्ञानं दृष्टम् । वृत्त्यपक्षोपजापमकृत्यपक्षे गूढप्रणिधानं रागापरागौ  
 भर्तरि रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसर्वदेहकव्यञ्जनाभ्यामुपलभेत । तयोर्न्ते-  
 वासिभिश्चिस्त्सकपापण्डव्यञ्जनोभयवेतनैर्वा, तेषामत्तम्भाषायां याचक-

को स्वेच्छया प्रश्न करने या अभीष्ट को प्रकट करने की स्वतन्त्रता हो, दूत के स्वामी  
 राजा का कुशल-धेम तथा उसके गुणों के प्रति शत्रु राजा की उत्सुकता हो, दूत को  
 वह आदरपूर्वक समीप ही बैठाये, राजकीय उत्सवों पर दूत को भी स्मरण करे और  
 दूत के प्रत्येक कार्य पर शत्रु राजा का विश्वास हो, तो दूत को समझना चाहिए कि  
 वह मुझ पर प्रसन्न है । यदि इसके विपरीत आचरण देखे, तो समझ ले कि शत्रु  
 राजा उस पर रष्ट है । इस प्रकार के दृष्ट हुए राजा से दूत कहे 'स्वामिन्, आप हो,  
 अथवा दूसरे कोई भी राजा हो, दूत सभी का मुख होता है । उसी के माध्यम से राजा  
 लोग पारस्परिक वार्ता विनिमय करते हैं । इसलिए प्राणघातक स्थिति के आ जाने  
 पर भी दूत सहो संदेश ही निवेदित करते हैं । कोई चाण्डाल भी इस काये पर नियुक्त  
 किया गया हो तो राजधर्म के अनुसार वह भी अवध्य है, उसी स्थान पर यदि  
 ग्राहण हो तो उसके वध के सम्बन्ध में तो सोचा भी नहीं जा सकता है । दूसरे की  
 कही हुई बात को ही दुहरा देना मात्र दूत का कार्य होता है ।'

( १ ) जब तक शत्रुराजा उसे अपने राज्य से जाने की आज्ञा न दे तब तक वह  
 वहीं रहे । शत्रुराजा द्वारा प्राप्त सम्मान पर वह गर्व न करे । शत्रुओं के बीच रहता  
 हुआ अपने को यह बलवान् न समझे । किसी के कृपावच को भी वह पी ले । स्त्री-  
 प्रसंग और मद्यपान को वह सर्वथा त्याग दे । अपने स्थान में एकाकी ही शयन करे ।  
 मद्य पीने तथा दूसरों के साथ शयन करने से प्रमादवश या स्वप्नावस्था में मन के  
 गुप्त रहस्यों के प्रकट हो जाने का भय बना रहता है । दूत को चाहिये कि वह शत्रु-  
 देश के कृत्यपक्ष को फोड़ देने का कार्य तथा अकृत्यपक्ष को वश में कर देने का कार्य  
 अपने गुप्तचरों द्वारा जानें । राजा और अमात्य आदि उच्चधिकारियों का पारस्परिक  
 राग-द्वेष तथा राजा की बुराइयों का भेद वह तापस, वैदेहक आदि गुप्तचरों के द्वारा  
 अवगत करे । अथवा तापस, वैदेहक आदि के शिष्यों, चिकित्सक तथा पाषण्डी के  
 वेश में रहने वाले गुप्तचरों या उभयवेतनभोगी गुप्तचरों के द्वारा वह शत्रुराजा के  
 रहस्यों का पता करता रहे । यदि इन गुप्तचरों से भी काम बनता न देखे तो,  
 भिक्षुक, मत्त, जन्मत्त तथा सोते में प्रलाप करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से शत्रु के

मत्तोन्मत्तसुप्तप्रलापैः पुण्यस्थानदेवगृहचित्रलेख्यसंज्ञाभिर्वा चारमुपलभेत । उपलब्धस्योपजापमुपेयात् । परेण धौक्तः स्वासां प्रकृतीनां परिमाणं नाचक्षीत । सर्वं वेद भवानिति ब्रूयात्, कार्यसिद्धिकरं वा ।

(१) कार्यस्य सिद्धावुपरुध्यमानस्तकंयेत् । किं भर्तुर्मे व्यसनमासन्नं पश्यन्, स्वं वा व्यसनं प्रतिकर्तुकामः, पाणिग्राहसारावन्तः—कोपमाटविकं वा समुत्थापयितुकामः, मित्रमाक्रन्दं वा व्यापादयितुकामः, स्वं वा परतो विग्रहमन्तःकोपमाटविकं वा प्रतिकर्तुकामः, संसिद्धं मे भर्तुर्यात्राकालमभिहन्तुकामः, सस्यकुप्यपण्यसङ्ग्रहं दुर्गकर्मं बलसमुत्थानं वा कर्तुकामः, स्वसंन्यानां वा व्यापामदेशकालावाकाङ्क्षमाणः, परिभवप्रमदाभ्यां वा, संसर्गानुबन्धार्थी वा मामुपहृणद्धीति ज्ञात्वा वसेदपसरेद्वा । प्रयोजन-

कार्यों का पता लगाला रहे । तीर्थस्थानों, देवालयों, गृहचित्रों तथा लिपिकेतों द्वारा भी वह वहाँ के वृत्तान्त जाने । ठीक-ठीक समाचार अवगत हो जाने पर वह तदनुसार भेदरूप उपायों का प्रयोग करे । दूत को चाहिए कि शत्रु के पूछे जाने पर भी वह अपने मन्त्रिपरिषद् का ठीक ठीक परिचय न दे । 'आप तो सर्वज्ञ हैं' इतना कहकर बात को टाल दे । यदि इतना बताने पर भी शत्रुराजा को सन्तोष न हो तो उतना मात्र परिचय देना चाहिये, जितने से अपने कार्य की सिद्धि हो जाय ।

( १ ) कार्य मिद्ध हो जाने पर भी यदि शत्रुराजा दूत को अपने ही यहाँ रोके रखना चाहता है, तो दूत को, राजा की इस अप्रत्याशित नीति के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । उसको विचार करना चाहिए कि 'क्या शत्रुराजा को मेरे स्वामी पर आनेवाली किसी सन्निकट विपत्ति का पता लग गया है । या कि वह मेरे जाने से पूर्व ही अपने किसी व्यसन का प्रतीकार करना चाहता है । अथवा वह पाणिग्राह ( स्वामिराजा का शत्रु एवं शत्रुराजा का मित्र ) तथा आसार ( शत्रुराजा के मित्र का मित्र ) को मेरे स्वामी के विरोध में युद्ध करने के लिए तो नहीं उकसाना चाहता । या उमका इरादा मेरे स्वामी के अमात्य आदि को उससे कुपित करने का तो नहीं है । या कि वह किसी आटविक को भिड़ाने की साजिश तो नहीं रच रहा है । उसकी योजना ऐसी तो नहीं है कि वह मित्र ( स्वामिराजा के सम्मुख प्रदेश का मित्रराजा ) तथा आक्रन्द ( स्वामिराजा के पृथुप्रदेश का मित्र राजा ) आदि मित्रराष्ट्रों के राजाओं को मरवाना चाहता हो । या अपने ऊपर किये गये आक्रमण का, अपने अमात्य आदि के कोप का तथा अपने आटविक का प्रतीकार तो नहीं करना चाहता है । या कि वह मेरे स्वामी के इस प्रस्तुत आक्रमण को टालने तथा रोकने का यत्न तो नहीं कर रहा है । अथवा वह युद्ध की तैयारी के लिए धातुमग्न, किलाबन्दों तथा सैन्य सग्रह तो नहीं कर रहा है । या वह सैन्य-शिक्षण तथा उचित देश-काल की आकाशा में तो नहीं है । अथवा किसी प्रकार के तिरस्कार, प्रीति, विवाह-सम्बन्ध, दाय-वैमनस्य आदि के लिए तो वह मुझे नहीं रोक रहा है ।'

मिष्टमवेक्षेत वा । शासनमनिष्टमुक्त्वा श्मन्धवधभयादविसृष्टोऽप्यपगच्छेत् ।  
अन्यथा नियम्येत ।

- (१) प्रेषण सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसङ्ग्रहः ।  
उपजापः सुहृद्भेदो दण्डगूढातिसारणम् ॥  
बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञान पराक्रमः ।  
समाधिमोक्षो दूतस्य कर्म योगस्य चाश्रयः ॥
- (२) स्वदूतः कारयेदेतत् परदूताश्च रक्षयेत् ।  
प्रतिदूतापसर्पाभ्या दृश्यादर्श्याश्च रक्षिभिः ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे  
दूतप्रणिधिनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥

इस प्रकार के रहस्यो, कारणो और उद्देश्यों के सम्बन्ध में दूत अच्छी तरह से ध्यान-  
वीन करे । रोके जाने के कारणों का ठीक-ठीक पता लग जाने पर वह उचित समझे  
तो रुके अन्यथा वहाँ से चल दें । अपने स्वामी की अभीष्ट सिद्धि लिये वह चाहे तो  
उसी नगर में दृक्कर, गुप्त पुष्टियों के द्वारा राजा तक सूचनाएँ पहुँचा कर, उनका  
प्रतीकार करवावे । अपने स्वामी का ऐसा सदेश, जिसको सुनकर शत्रुराजा क्रोधित हो  
उठे, सुनाने पर, दूत को बिना अनुमति लिये ही वहाँ से बूच कर देना चाहिए  
अन्यथा उसका पकड़ा जाना निश्चित है ।

( १ ) शत्रुप्रदेश में अपने स्वामी का सदेश लेकर जाना, शत्रुराजा का सदेश  
लाने के लिए जाना, सन्धिभाव को बनाये रखना, समय आने पर अपने पराक्रम को  
दिखाना, अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु के कृत्यपक्ष के पुष्टियों को फोड़ देना,  
शत्रु के मित्रों को उससे विमुख कर देना, तीक्ष्ण, रसद आदि गुप्तचरो एवं अपनी  
सेना को भगा देना, शत्रु के बाघवो एवं रत्नों का अपहरण ( स्वायत्त ) कर लेना,  
शत्रु के देश में रहकर गुप्तचरो के कार्यों का निरीक्षण करना, समय आने पर परा-  
क्रम दिखाना, सन्धि की चिरस्थिति के निमित्त जमानत-रूप में रखे हुए राजकुमार  
को मुक्त कराना और मारण, मोहन, उन्चाटन आदि का प्रयोग करना, ये सभी दूत  
के कार्य हैं ।

( २ ) राजा को चाहिये कि वह उपर्युक्त सभी कार्य दूतों के द्वारा करवाये और  
शत्रुओं के पीछे अपने दूतों या गुप्तचरो को लगाये रखे । अपने देश में तो वह शत्रु-  
दूतों के कार्यों का पता प्रकट रूप से लगाये, किन्तु शत्रुदेश में उनकी सूचनाएँ गुप्त-  
रूप से ग्रहण करवाये ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दूतप्रणिधि नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

(१) रक्षितो राजा राज्यं रक्षन्वासन्नेभ्यः परेभ्यश्च । पूर्वं दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च ।

(२) दाररक्षणं निशान्तप्रणिशौ वक्ष्यामः ।

(३) पुत्ररक्षणं जन्मप्रभृति राजपुत्रान् रक्षेत् । ककंटकस्यर्माणो हि जनकमया राजपुत्रा ।

(४) तेषामज्ञानस्नेहे पितर्युपाशुदष्टः श्रेयानिति भारद्वाजः ।

(५) नृशतमदृष्टबधः क्षत्रविनाशश्चेति विशालाक्षः । तस्मादेकस्यानावरोधः श्रेयानिति ।

(६) अहिमयमेतदिनि पाराशराः । कुमारो हि विक्रममयान्मां पिता रुपाद्धीति ज्ञात्वा तमेवाङ्घ्रे कुर्वात् । तस्मादन्नपालदुर्गे वानः श्रेयानिति ।

(१) औरभ्रकं भयमेतदिति पिशुनः । प्रत्यापत्तेहि तदेव कारणं ज्ञात्वान्तपालसख स्यात् । तस्मात् स्वविषयादपकृष्टे सामन्तदुर्गे वासः श्रेयानिति ।

(२) वत्सस्थानमेतदिति कोणपदन्तः । वत्सेनेव हि धेनुं पितरमस्य सामन्तो दुह्यात् । तस्मान्मातृबन्धुषु वासः श्रेयानिति ।

(३) ध्वजस्थानमेतदिति वातव्याधिः । तेन हि ध्वजेनादितिकौशिकवदस्य मातृबान्धवा मिक्षोरन् । तस्माद् ग्राम्यधर्मत्वेनमवसृजेयुः । मुखोपरुद्धा हि पुत्राः पितर नामिदुह्यन्तीति ।

(४) जीवन्मरणमेतदिति कौटिल्यः । काष्ठमिव हि घुणजग्धं राज-

उसी प्रकार पुत्र को कैद में रखना भी भयप्रद है क्योंकि राजकुमार को जब यह पता चल जायगा कि पिता ने अपने वध के भय में उसे कैद में डाल रखा है, तो वह पिता के घर में रहना दुबारा सरलता से उसके वध की योजना तैयार कर सकता है । इसलिए राज्य की सीमा के दूरस्थ दुर्ग में ही राजकुमार को रखना श्रेयस्कर है ।

( १ ) आचार्य पिशुन ( नारद ) इस युक्ति से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि दूरस्थ दुर्ग में राजपुत्र को रखना उसी प्रकार भयावह है, जैसे आक्रमण करने से पूर्व मेढा कुछ पीछे हट जाता है और पुन दुगुने वेग से भपट पड़ता है । राजकुमार को जब अपने कैद होने का कारण विदित हो जायगा तो वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए दुर्गपाल को मित्र बनाकर, उसकी सहायता से अपने पिता पर आक्रमण कर सकता है । इसलिए राजकुमार को, राज्य की सीमा से बाहर किसी पड़ोसी ( मित्र ) राजा के दुर्ग में रखना ही अधिक उपयुक्त है ।

( २ ) आचार्य कोणपदत की कुछ दूसरी ही स्थापना है । उनकी स्थापना है कि 'राजकुमार को परराज्याश्रित करने का परिणाम यह होगा कि जैसे गाय का बछड़ा दूसरे के हाथ में सौंप देने से इच्छानुसार वह कभी भी गाय को दुह सकता है, वैसे ही राजकुमार का भरक्षक पड़ोसी राजा, राजकुमार को अपने वश में करके उचित-अनुचित रीति से इच्छानुसार विजिगीषु से धन आदि ले सकता है । इसलिए राजकुमार को ननिहाल में रख देना ही उचित जान पड़ता है ।'

( ३ ) आचार्य वानव्याधि इस सलाह पर भी आपत्ति प्रकट करते हैं । उनका परामर्श है कि 'राजकुमार को उसके भानुकुल में रखना एक ध्वजा के समान है, जिसको भानुकुल वाले अपनी आमदनी का वैसा ही साधन बनाकर उपयोग कर सकते हैं जैसा कि अदिति नाम की भिक्षुणी और कौशिक नाम के संपेरे जीविका-निर्वाह के लिए अपने पेशेवर कौतुको को दिखाते पितते हैं । इसलिए राजकुमार को, उसकी इच्छानुसार विषय भोग में निपत रहने देना चाहिए, क्योंकि विषय वासनाओं में उलझे हुए राजकुमारों को पिता में टोह करने का अवकाश ही नहीं मिलता है ।'

( ४ ) आचार्य कौटिल्य इस सिद्धान्त को, जीते-जी राजपुत्रों की हत्या कर देने



कुलमविनीतपुत्रमभिपुवतमात्रं भज्येत । तस्माद्वृतुमत्पां महिष्याम् ऋत्वि-  
जश्चरुमैन्द्रबार्हस्पत्यं निर्वपेयुः । आपन्नसत्त्वायां कौमारभृत्यो गर्भमर्मणि  
प्रजने च विपतेत । प्रजातायाः पुत्रसंस्कारं पुरोहितः कुर्यात् । समर्थ  
तद्विदो विनयेयुः ।

(१) सत्रिणामेकश्र्वनं मृगयाद्यूतमद्यस्त्रीभिः प्रलोभयेत्—पितरि  
विक्रम्य राज्यं गृहाणेति । तदन्यः सत्री प्रतिषेधयेद् इत्याम्भोयाः ।

(२) महादोषमबुद्धबोधनमिति कीटिल्यः । नवं हि द्रव्यं येन येनार्थ-  
जातेनोपदिह्यते तत्तदाचूर्षति । एवमयं नवबुद्धिर्यद्यदुच्येत तत्तच्छास्त्रोप-  
देशमिवाभिजानाति । तस्माद् धर्ममर्थं चास्योपदिशेन्नाधर्ममनर्थं च ।

(३) सत्रिणस्त्वेनं तव स्म इति वदन्तः पालयेयुः । यौवनोत्सेकात् पर-  
स्त्रीषु मनः कुर्वाणमार्याव्यञ्जनाभिः स्त्रीभिरमेध्याभिः शून्यागारेषु रात्रा-

के समान अनर्थकारी बताते हैं । उनका कहना है 'राजकुमारों को इस प्रकार विषय-  
भोग में फँसाना उन्हें जीते ही मृत्यु के मुख में दे देना है । जिस प्रकार घुन लगी  
लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजकुमारों का कुल बिना  
युद्ध आदि के ही विनष्ट हो जाता है । इसलिए राजा को चाहिए कि जब रानी  
श्वेतुमती हो, तो ( सतति की ) ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि के निमित्त ऋत्विक्, इंद्र और  
वृहस्पति आदि देवताओं के लिये हविदान किया जाय । जब महारानी गर्भवती हो  
जाय तो कौमारभृत्य अंग के ज्ञाता शिशु-चिकित्सकों के निर्देशानुसार गर्भ की पुष्टि  
तथा उसके सुखपूर्वक प्रजनन के लिए यत्न किया जाय । राजकुमार के पैदा हो जाने  
पर विद्वान् पुरोहित विधिपूर्वक उमका संस्कार करें । जब वह समझते योग्य हो जावे  
तो विभिन्न विषयों के पारंगत विद्वान् उसको शिक्षा दें ।'

( १ ) आचार्य आभ के मतानुयायियों का कहना है कि 'सत्रियों ( गुप्तचरो )  
में से कोई एक सत्री राजकुमार को मृगया, द्यूत, मद्य और स्त्रियों का प्रलोभन दे ।  
यह भी ब्रह्मे कि पिता पर आक्रमण करके तुम राज्य को ले लो, फिर मौज करो ।  
इस पर दूसरा सत्री कहे ऐसा करना बहुत बुरा है ।'

( २ ) आचार्य कीटिल्य के मतानुसार राजकुमार के भीतर यह कुबुद्धि जगाना  
बहुत ही अनिष्टदायी है । उनका तर्क एव सुभाव है कि 'सरलमति बालको में ऐसी  
कुबुद्धि पैदा करना महादोष कहा जायगा । जैसे मिट्टी का नया वर्तन घों, तेल आदि  
जिस भी नये द्रव्य का स्पर्श पाकर उसी को चूस लेता है, ठीक जैसे हो, अपरिपक्व  
बुद्धिवाले बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसको वह शास्त्र-उपदेश की  
भांति अमिट रूप से बुद्धि में जमा लेता है । इसलिये सरलमति बालको को धर्म, अर्थ  
का ही उपदेश देना चाहिए, अधर्म, अनर्थ का नहीं ।'

( ३ ) सत्री लोग 'हम आपके ही हैं' इस अपनत्व को दर्शित करते हुए, राजपुत्र  
का पालन करें । यदि राजकुमार का धुवा मन परस्त्री के लिए बेचैन हो उठता है

बुद्धेजयेयुः । मद्यकामं योगपानेनोद्धेजयेयुः । द्यूतकामं कापटिकंः पुरुरैरुद्धेजयेयुः । मृगयाकाम प्रतिरोधकव्यञ्जनैस्त्रासयेयुः । पितरि विक्रमबुद्धि तथेत्यनुप्रविश्य भेदयेयुः । अप्रार्थनीयो राजा, विपन्ने घातः, सम्पन्ने नरकपातः, संक्रोशः प्रजाभिरेकलोष्टवधश्चेति ।

(१) विरागं प्रियमेकपुत्रं वा बध्नीयात् । बहुपुत्रः प्रत्यन्तमन्यविपयं वा प्रेषयेद्यत्र गर्भः पण्यं डिम्बो वा न भवेत् । आत्मसम्पन्नं संनापत्ये यौवराज्ये वा स्थापयेत् ।

(२) बुद्धिमानाहार्यंबुद्धिर्दुर्बुद्धिरिति पुत्रविशेषाः । शिष्यमाणो धर्माथविपलभते चानुतिष्ठति च बुद्धिमान् । उपलभमानो नानुतिष्ठत्याहार्यबुद्धिः । अपायनित्यो धर्मार्थद्वेषी चेति दुर्बुद्धिः ।

तो उस समय उसके सरक्षको को चाहिए कि आर्यवेश धारण की हुई अपवित्र, घृष्य स्त्रियो को रात्रि के एकात मे राजकुमार के निकट भेज कर उसके मन मे ऐसी घृणा तथा खिन्नता पैदा कराये कि परस्त्री की चाह से उसका मन सर्वथा फिर जाय । यदि वह मद्य पीने की इच्छा करे तो मद्य मे कोई ऐसा पदार्थ मिलाकर उसको दिया जाय, जिससे कि मद्य के लिए उसकी अरुचि हो जाय । यदि वह जुआ खेलने की कामना करे तो छली-बपटी लोगो के साथ बैठकर उसको इतना उद्विग्न किया जाय कि आगे से वह जुआ खेलने का नाम भी न ले । यदि वह शिकार खेलना चाहता है तो बपटवेश धारण किये हुए राजपुरुष बेचैन करके उधर से उसके मन को खिन्न कर दें । यदि वह पिता पर आक्रमण करने की इच्छा रखता है तो पहिले तो उसे बढावा दिया जाय किन्तु ऐन मौके पर उससे बहे 'देखो, राजा के साथ कभी द्वेष नही करना चाहिए । यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हारी मृत्यु अवश्यभावी है और जीत भी गए तो पितृघातक होने के कारण तुमको घोर नरक भोगना पडेगा, सारी प्रजा तुमको बानत देगी और कोई असंभव नही कि एकमत होकर प्रजा तुम्हारा प्राणान्त कर दे । इसलिए तुम्हे इस भयकर पाप-कर्म से बचना चाहिए ।'

( १ ) यदि एक ही राजपुत्र हो, और वह भी पितृद्रोही निकले तो उसे कंद कर देना चाहिए । यदि पुत्र अधिक हो तो उस द्रोही पुत्र को सीमांत प्रदेश अथवा किसी दूसरे देश मे प्रवासित कर देना चाहिए, जहाँ कि उचित अन्न-वस्त्र प्राप्त न हो और जहाँ की प्रजा की उसके प्रति कोई सहानुभूति न हो । इसके विपरीत जो राजपुत्र आत्मगुणसंपन्न हो, उसको सेनापति या युवराज के उच्च पद पर नियुक्त किया जाय ।

( २ ) राजपुत्रो की तीन श्रेणियाँ हैं : १. बुद्धिमान्, २. आहार्यंबुद्धि और ३. दुर्बुद्धि । जो धर्म और अर्थविषयक उपदेश को उचित रीति से ग्रहण करके तदनुसार आचरण करता है, वह 'बुद्धिमान्' है । जो धर्म और अर्थ को समझ तो लेता है,

(१) स यद्येकपुत्रः पुत्रोत्पत्तावस्य विपतते । पुत्रिकापुत्रानुत्पादयेद्वा ।  
बृद्धस्तु व्याधितो वा राजा मातृबन्धुकुल्यगुणवत्सामन्तानामन्यतमेन क्षेत्रे  
बीजमुत्पादयेत् । न चैकपुत्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत् ।

(२) बहूनामेकसंरोधः पिता पुत्रहितो भवेत् ।  
अन्यत्रापद ऐश्वर्यं ज्येष्ठभागि तु पूज्यते ॥

(३) कुलस्य वा भवेद्राग्यं कुलसङ्घो हि दुर्जयः ।  
अराजव्यसनाबाधः शश्वदावसति क्षितिम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे राजपुत्ररक्षण नाम  
षोडशोऽध्याय ॥

— ० —

किन्तु तदनुसार अपना आचरण नहीं बना पाता उसे 'आहार्यदुर्द्धि' कहते हैं । जो  
दुराइयो में लीन तथा धर्म और अर्थ से द्वेष रखता है वह 'दुर्द्धि' है ।

( १ ) यदि राजा का एक ही पुत्र हो और वह भी दुर्द्धि निकले तो राजा उस  
दुर्द्धि राजकुमार में ऐसा पुत्र पैदा कराने का यत्न करे, जो राजा बनने के योग्य  
हो । यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो अपनी पुत्रों के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकार  
सँभालने के योग्य बनाये । यदि राजा बूढ़ा हो गया हो, या सदैव हृण ही रहता हो,  
तो अपने किसी ममेरे भाई अथवा अपने ही कुल के किसी बधु से या किसी गुणवान  
सामत से अपनी स्त्री में नियोग कराकर पुत्र पैदा करवावे । किन्तु अयोग्य अशिक्षित  
पुत्र को राज्यभार न सौंपे ।

( २ ) यदि अनेक पुत्रों में एक पुत्र दुर्द्धि हो तो उसे किसी दूसरे देश में भेज  
कर रोक रहे । वैसे राजा को चाहिए कि सर्वदा ही वह अपने पुत्रों की कल्याण-  
कामना करता रहे । यदि सभी पुत्र राजा को एक समान प्रिय हो, तो उस अवस्था  
में वह ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनावे ।

( ३ ) अथवा वे सभी भाई मिलकर राज्य को सँभालें, क्योंकि यदि राज्य का  
संचालन सामुदायिक ढंग से हुआ तो निश्चित ही वह राज्य दुर्जय होता है । सामु-  
दायिक राज्य-व्यवस्था से एक बड़ा लाभ यह भी है कि एक व्यक्ति के व्यसनग्रस्त हो  
जाने पर दूसरे व्यक्ति उसके कार्य को सँभाल लेते हैं और इस प्रकार सर्वदैव प्रजा  
की सुखमय अवस्था पृथ्वी पर बनी रहती है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में राजपुत्ररक्षण  
नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

## अवरुद्धवृत्तम्, अवरुद्धे च वृत्तिः

(१) राजपुत्र. कृच्छ्रवृत्तिरसदृशे कर्मणि नियुक्तः पितरमनुवर्तेत, अन्यत्र प्राणाबाधकप्रकृतिकोपपातकेभ्यः । पुण्यकर्मणि नियुक्तः पुरुषमधिष्ठातारं याचेत् । पुरुषाधिष्ठितश्च सविशेषमादेशमनुतिष्ठेत् । अभिरूपं च कर्मफलमौपायनिकं च लाभं पितरुपनाययेत् ।

(२) तथाऽप्यनुष्यन्तमन्यस्मिन् पुत्रे दारेषु वा स्निह्यन्तमरण्याय आपृच्छेत् । बन्धवधभयाद् वा यः समन्तो न्यायवृत्तिर्धार्मिकः सत्यवागविसंवादकः प्रतिग्रहीता मानयिता चाभिपन्नानां तमाश्रयेत् । तत्रस्थः कोशदण्डसम्पन्नः प्रवीरपुरुषकन्यासम्बन्धमटवीसम्बन्धं कृत्यपक्षोपग्रहं वा कुर्यात् ।

### नजरबन्द राजकुमार और राजा का पारस्परिक व्यवहार

#### नजरबन्द राजकुमार का व्यवहार

( १ ) अपनी हैसियत से निम्न कार्य पर नियुक्त एव कठिनाई से जीवन यापन करने वाले राजपुत्र को चाहिए कि अपने पिता के आदेशों का वह पूर्णतः पालन करे । परन्तु किसी कार्य को करने में यदि प्राणभय, अमात्य आदि प्रकृतियों के कुपित होने का भय अथवा पातकभय हो तो राजपुत्र को चाहिए कि वह पिता के आदेशों का कदापि पालन न करे । किसी पुण्यकार्य में नियुक्त राजपुत्र अपने लिए एक सरक्षक ( अधिष्ठाता ) की माँग करे और उसके निर्देशानुसार वह राजा की आज्ञाओं का पालन करे । कार्य के अनुसार उसको जो कुछ फल प्राप्त हो और प्रजाजनों से उसको जो कुछ भी उपहार मिलें, उनको वह पिता के पास भिजवा दे ।

( २ ) इस पर भी यदि राजा सतुष्ट न हो और दूसरे पुत्रों तथा स्त्रियों के साथ विशेष स्नेह-प्रेम प्रदर्शित करता रहे तो राजपुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता की आज्ञा लेकर तपस्या आदि करने के लिए जंगल में चला जाय । अथवा ऐसा करने पर यदि उसको गिरफ्तार होने या मारे जाने का भय हो तो वह ऐसे राजा की शरण में चला जाय, जो न्यायपरायण, धार्मिक, सत्यवादी, घोसा न देनेवाला, शरणागत की रक्षा करनेवाला और आश्रय में आये हुए व्यक्ति का स्वागत-सत्कार करनेवाला हो । वहाँ रहकर वह धन-बल से संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की कन्या से विवाह कर ले और तब अपने पिता के आटविक लोगों से मित्रता कर वहाँ के कृत्यपक्ष को अपने साथ मिलाने का यत्न करे ।

(१) एकचरः सुवर्णपाकमणिरागहेमरूप्यपण्याकरकर्मान्तानाजीवेत् । पापण्डसङ्घद्रव्यमश्रोत्रियभोग्यं देवद्रव्यमाढ्यविधवाद्रव्यं वा गूढमनुप्रविश्य सार्थयानपात्राणि च मदनरसयोगेनातिसन्धापावहरेत् । पारप्रामिकं वा योगमातिष्ठेत् । मातुः परिजनोपग्रहेण वा चेष्टेत् । कारुशिल्पिकुशीलवचिकित्सकवाजीवनपापण्डच्छद्यभिर्वा नष्टरूपस्तद्वचञ्जनसखशिष्टे प्रविश्य राज्ञः शस्त्ररसाभ्यां प्रहृत्य ब्रूयात्—अहमसौ कुमारः, सहभोग्यमिदं राज्यमेको नार्हति भोक्तुं, तत्र ये कामयन्ते भतुं तानहं द्विगुणेन भक्तवेतनेनोपस्थास्य इति, इत्यवरुद्धवृत्तम् ।

(२) अवरुद्धं तु मुख्यपुत्रमपसर्पाः प्रतिपाद्यानयेयुः, माता वा प्रतिगृहीता । त्यक्तं गूढपुरुषाः शस्त्ररसाभ्या हन्युः । अत्यक्तं तुल्यशीलाभिः स्त्रीभिः पानेन मृगयया वा प्रसज्य रात्रावुपगृह्यान्तयेयुः ।

( १ ) यदि राजपुत्र को घन बल की उपलब्धि न हो तो वह रासायनिक कर्मों के द्वारा मणि, मुक्ता, सुवर्ण, चाँदी आदि विक्रीय पदार्थों को बनाकर उनके अथवा दूसरे सन्निक पदार्थों के व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाये। अथवा पाखण्डी, अधर्मि पुरुषों की सचिंत कमाई को श्रोत्रिय के अतिरिक्त दूसरे लोगों के भोग्य द्रव्य को, देव निमित्तक द्रव्य को या किसी घन सम्पन्न विधवा के द्रव्य को चोरी करके अपना जीविकोपाजन करे। या जहाजी व्यापारियों को औषधि आदि से बेहोश कर उन्हें धोखा देकर उनके घन का अपहरण करे। अथवा विजिगीषु राजा जब किसी दूसरे गाँव को चला जाय, तब उसके यहाँ से घन का अपहरण करे, अथवा अपनी माता के परिजनो को अपने अनुकूल बनाकर उनके द्वारा अपने उद्धार की चेष्टा करे। अथवा बड़ई, लुहार, नेट, वैद्य, भाट, कथावाचक, पाखण्डी आदि पुरुषों के साथ अपने वेश को छिपाकर, किन्तु उनके सदृश न बनकर, अपने पिता के दोषों का पता लगाकर उन्हीं को पकड़ कर शस्त्र या जहर के द्वारा राजा को मारकर फिर अमात्य आदि से वह इस प्रकार कहे 'मैं ही असली राजकुमार हूँ, साँके मे भोगे जाने वाले राज्य को कोई भी अकेले नहीं भोग सकता है, जो राजकर्मचारी पूर्ववत् शान्ति से अपने पदों पर बने रहना चाहते हैं, उन्हें मैं दुगुना वेतन दूँगा।' यहाँ तक नजरबन्द राजकुमार के व्यवहार का निरूपण किया गया।

### राजकुमार के प्रति राजा का व्यवहार

( २ ) अमात्य आदि मुख्य पुरुषों के पुत्र गुरुरूप में जाकर नजरबन्द राजकुमार को यह दिलासा देकर मना से आवें कि राजा उसको अवश्य ही मुबराज बनायेगा। या राजा से सत्कृत राजपुत्र की माता ही उसको मना ले आवे। यदि वह राजपुत्र किसी भी तरीके से राजा का कहना न माने तो उस दशा में राजा को यही उचित

(१) उपस्थितं च राज्येन मद्रुध्वंमिति सान्त्वयेत् ।  
एकस्थमथ संरुन्ध्यात् पुत्रवान् वा प्रवासयेत् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणेऽवरुद्धवृत्तमवरुद्धे च  
वृत्तिर्नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥

— ० :—

हे कि उस सर्वथा परित्याग्य राजपुत्र को वह गुप्तचरो से शस्त्र या विष आदि के द्वारा मरवा डाले । यदि अभी तक राजा ने उसका परित्याग न किया हो तो ऐसी स्थिति में समान स्वभाव वाली स्त्रियो के द्वारा मद्य आदि पिलाकर या शिकार आदि के बहाने रात में गिरफ्तार कर उसको राजा के सामने लाये जाने का यत्न किया जाय ।

( १ ) अपने पाम लाये जाने पर राजा उस राजकुमार से कहे कि 'मेरे बाद इस राज्य के स्वामी तुम्ही बनोगे' ऐसा कहकर सतुष्ट करे । यदि वह एक ही पुत्र हो और अघातिक साक्षित हो तो उसे बन्दी बनाकर रखे और यदि अनेक पुत्र हो तो उसको देशनिकाला दे दे या मरवा डाले ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में अवरुद्धवृत्त नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) राजानमुत्तिष्ठमानमनूत्तिष्ठन्ते भृत्याः । प्रमाद्यन्तमनुप्रमाद्यन्ति । कर्माणि चास्य भक्षयन्ति । द्विषद्भिश्चातिसन्धीयते । तस्मान्दुत्थानमात्मनः कुर्वीत । नाडिकाभिरहरष्टधारात्रिं च विभजेत्; छायाप्रमाणेन वा । त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरङ्गुला च छाया मध्याह्न इति चत्वारः पूर्वे दिवसस्याष्टभागाः । तैः पश्चिमा व्याख्याताः ।

(२) तत्र पूर्वे दिवसस्याष्टभागे रक्षाविधानमायव्ययौ च शृणुयात् । द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत् । तृतीये स्नानभोजन सेवेत;

### राजा के कार्य-व्यापार

( १ ) राजा के उन्नतिशील होने पर ही उसका सारा भृत्यवर्ग उन्नतिशील होता है । इसके विपरीत राजा के प्रमादी होने पर सारा भृत्यवर्ग प्रमाद करने लगता है । उस दशा में वह प्रमादित भृत्यवर्ग राज्यकार्यों को चुपचाप पी जाता है । ऐसा राजा शत्रुओं के घेरे में आ जाता है । इसलिए राजा को उचित है कि वह अपने आपको सदा ही उन्नतिशील बनाये रखे । राजकार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए वह दिन और रात को आठ आठ घड़ियों में बांट दे । अथवा पुरुष की छाया में भी वह समय का विभाजन कर सकता है । सूर्योदय से लेकर जब तक पुरुष की छाया तिगुनी लंबी रहे, वह दिन का पहला आठवाँ हिस्सा है । इस छाया को 'त्रिपौरुषी' छाया कहते हैं । इसी प्रकार यह छाया जब एक पुरुष के बराबर लंबी रह जाय तो, वह दिन का दूसरा भाग है । उसको 'एकपौरुषी' छाया कहते हैं । तदनंतर वही 'एकपौरुषी' छाया घटकर जब चार अंगुल मात्र रह जाय तो वह दिन का तीसरा भाग है । उसको 'चतुरगुली' छाया कहते हैं ; उसके बाद का समय मध्याह्न कहलाता है । दिन का यह चौथा भाग है । मध्याह्न के उपरांत इसी क्रम से त्रिपौरुषी, पौरुषी, चतुरगुला और दिनात, ये चार भाग हैं । इस प्रकार दिन के ये आठ भाग हुए ।

( २ ) पूर्वार्द्ध के प्रथम भाग में राजा रक्षा-संबंधी कार्यों का निरीक्षण करे और बीते हुए दिन के आय व्यय की जाँच करे । दूसरे भाग में वह पुरवासियों तथा जनपदावासियों के कार्यों का निरीक्षण करे । तीसरे भाग में स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय

स्वाध्याय च कुर्वीत । चतुर्थे हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षाश्च कुर्वीत । पञ्चमे मन्त्रिपरिषदा पत्रसम्प्रेषणेन मन्त्रयेत; चारगुह्यबोधनीयानि च बुद्धयेत् । षष्ठे स्वैरविहार मन्त्र वा सेवेत । सप्तमे हस्त्यभरयायुधीयान् पश्येत् । अष्टमे सेनापतिसखो विक्रम चिन्तयेत् । प्रतिष्ठितेऽहनि सन्ध्यामुपासीत ।

(१) प्रथमे रात्रिभागे गूढपुरुषान्पश्येत् । द्वितीये स्नानभोजनं कुर्वीत स्वाध्याय च । तृतीये तूर्पघोषेण सविष्टश्चतुर्थपञ्चमौ शयीत । षष्ठे तूर्पघोषेण प्रतिबुद्धः शास्त्रभित्कर्तव्यता च चिन्तयेत् । सप्तमे मन्त्रमध्यासीत; गूढपुरुषाश्च प्रेषयेत् । अष्टमे ऋत्विगाचार्यपुरोहितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिगृह्णीयात्; चिकित्सकमाहानसिकमौहृतिकाश्च पश्येत् । नवमे घेनुं वृषभ च प्रदक्षिणीकृत्योपस्थान गच्छेत् ।

(२) आत्मबलानुकूल्येन वा निशाहभागान् प्रविमज्य कार्याणि सेवेत ।

करे और चौथे भाग में बीते दिन की अवशिष्ट आगदनी को संभाले तथा उसी भाग में विभिन्न कार्यों पर अध्यक्ष आदि की नियुक्ति भी करे । उत्तरार्ध के पाँचवें भाग में वह मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से पत्र भेजे तथा आवश्यक कार्यों के सबध में विचार-विनिमय करे । इसी समय वह गुप्तचरो के कार्यों एवं गुप्त बातों के सबध में जाने-सुने । छठे भाग में वह स्वतंत्र होकर स्वेच्छया विहार तथा विचार करे । सातवें भाग में वह हाथी, घोड़े, रथ तथा अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करे । अंतिम आठवें भाग में वह सेनापति के साथ युद्ध आदि के सबध में विचार विमर्श करे । दिनात के बाद वह सधोपासन करे ।

( १ ) इसी प्रकार रात्रि के पहिले भाग में वह गुप्तचरो को देसे । दूसरे भाग में स्नान, भोजन, स्वाध्याय, तीसरे भाग में संगीत सुनता हुआ शयन करे और चौथे पाँचवें भाग तक सोता रहे । रात्रि के छठे भाग में संगीत के द्वारा जागा हुआ वह अर्थशास्त्रसंबंधी तथा दिन में संपादित किये जाने योग्य कार्यों पर विचार करे । सातवें भाग में गुप्त मनना करे और गुप्तचरो को यथास्थान भेजे । रात्रि के अंतिम आठवें भाग में ऋत्विक्, आचार्य तथा पुरोहित के साथ स्वस्तिवाचन-सहित आशीर्वाद ग्रहण करे । इसी समय वह वैद्य, प्रधान रमोइयाँ और ज्योतिषी आदि से भी तत्संबंधी बातों पर परामर्श करे । इन सब कार्यों से निवृत्त हो वह बछटे वाली गाय और बैल की प्रदक्षिणा करके राज दरवार में प्रवेश करे ।

( २ ) ऊपर का काल विभाग सामान्य दृष्टि से निरूपित किया गया है, वैसे शक्ति तथा अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार स्वेच्छया राजा अपनी कार्य व्यवस्था को स्वयं भी निर्धारित कर सकता है ।



(१) उपस्थानगतः कार्याधिनामद्वारासङ्गं कारयेत् । दुर्दर्शो हि राजा कार्याकार्यविपर्ययसमासन्नैः कार्यते । तेन प्रकृतिकोपपरिवशं वा गच्छेत् । तस्माद्देवताश्रमपापण्डश्रोत्रियपशुपुण्यस्थानानां बालवृद्धव्याधित-व्यसन्यनाथानां स्त्रीणां च क्रमेण कार्याणि पश्येत्; कार्यगौरवादात्ययिक-वशेन वा ।

(२) सर्वमात्ययिकं कार्यं शृणुयान्नातिपातयेत् ।  
कृच्छ्रसाध्यमतिक्रान्तमसाध्यं वा विजायते ॥

(३) अग्नयगारगतः कार्यं पश्येद्द्वैद्यतपस्विनाम् ।  
पुरोहिताचार्यसखः प्रत्युत्थायाभिवाद्य च ॥

(४) तपस्वितां तु कार्याणि त्रैविद्यैः सह कारयेत् ।  
मायायोगविदां चैव न स्वयं कोपकारणात् ॥

( १ ) राजा जब दरवार में हो तो प्रत्येक कार्यार्थी को वह बिना रोक टोक प्रवेश करने की अनुमति दे दे । क्योंकि जो राजा कठिनाई से प्रजा को दर्शन देता है, उसके समीप रहने वाले कर्मचारी उसके कार्यों को उलट-पलट कर देते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि राजा के अमात्य आदि उससे क्रुपित हो जाते हैं, राजकार्य शिथिल पड़ जाते हैं, राजा अपने शत्रुओं के अधीन हो जाता है । इसलिए राजा को उचित है कि देवालय, ऋषि-आश्रम, घूर्तपाखण्डियों के केंद्र, वेदपाठी ब्राह्मणों के संस्थान, पशुशाला आदि स्थानों का और बाल, वृद्ध, रुग्ण, दुखित, अनाथ तथा स्त्रियों से सबद्ध कार्यों का स्वयमेव विधिपूर्वक निरीक्षण करे । इनमें से यदि कोई कार्य अत्यावश्यक है, अथवा उसकी अवधि बीत रही है तो उसी का निरीक्षण राजा पहिले करे ।

( २ ) राजा को चाहिए कि पहिले वह उस कार्य को देखे, जिसकी मियाद बहुत बीत चुकी है । उसको देखने में वह अधिक विलंब न करे । क्योंकि इस प्रकार अवधि बीत जाने पर कार्य या तो कष्टसाध्य हो जाता है अथवा सर्वथा असाध्य हो जाता है ।

( ३ ) राजा को चाहिए कि पुरोहित एवं आचार्य के साथ यज्ञशाला में उपस्थित होकर उन विद्वानों और तपस्वियों के कार्यों को खड़े ही खड़े अभिवादन-पूर्वक देखे ।

( ४ ) तपस्वियों तथा मायावी लोगों के कार्यों का निर्णय राजा, अकेला न करके वेदविद् विद्वानों के साथ बैठकर करे । अकेले वह उन लोगों के कोप का कारण न बने ।

- (१) राज्ञो हि व्रतमुत्थान यज्ञः कार्यानुशासनम् ।  
दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम् ॥
- (२) प्रजामुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।  
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥
- (३) तस्माद्वित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम् ।  
अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः ॥
- (४) अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानगगतस्य च ।  
प्राप्यते फलमुत्थानात्लभते चार्थसम्पदम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे राजप्रणिधिर्नामाष्टादशोऽध्यायः ।

— ० —

( १ ) उद्योग करना, यज्ञ करना, अनुशासन करना, दान देना, शत्रु और मित्रों में—उनके गुण-दोषों के अनुसार समान व्यवहार करना, दीक्षा समाप्त कर अभिषेक करना, ये सब राजा के नैमित्तिक व्रत हैं ।

( २ ) प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है । अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं, बल्कि उसका हित तो प्रजाजनो को अच्छे लगने वाले कार्यों के संपादन करने में है ।

( ३ ) इसलिए राजा को चाहिए कि उद्योगशील होकर वह व्यवहार सबधी तथा राज्य-सबधी कार्यों को उचित रीति से पूरा करे । उद्योग ही अर्थ का मूल है, और इसके विपरीत, उद्योगहीनता ही अनर्थों को देने वाली है ।

( ४ ) राजा यदि उद्योगी न हुआ तो उसके प्राप्त अर्थों और प्राप्तव्य अर्थों, दोनों का ही नाश हो जाता है, किंतु जो राजा उद्योगी है, वह धीमे उद्योग का मधुर फल पाता है और इच्छित सुख संपदा का उपभोग करता है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में अट्ठारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —



प्रकरण १५

अध्याय १९

निशान्तप्रणिधिः

(१) वास्तुकप्रशस्ते देशे सप्राकारपरिखाद्वारमनेककक्ष्यापरिगत-  
मन्तःपुरं कारयेत् ।

(२) कोशगृहविधानेन वा मध्ये वासगृहं, गूढभित्तिसञ्चारं मोहन-  
गृहं तन्मध्ये वा वासगृहं, भूमिगृहं वाऽऽसन्नकाष्ठचैत्यदेवतापिधानद्वारम-  
नेकमुहङ्गासञ्चारं प्रासादं वा गूढभित्तिसोपानं, सुखिरस्तम्भप्रवेशापसारं  
वा, वासगृहं यन्त्रवद्धतलावपातं कारयेद् आपत्प्रतीकारार्थम् । आपदि वा  
कारयेत् । अतोऽन्यथा वा विकल्पयेत्; सहाध्यायिभयात् ।

(३) मानुषेणाग्निना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तःपुरमग्निरन्यो न

### राजभवन का निर्माण और राजा के कर्तव्य

( १ ) वास्तुविद्या के विशेषज्ञ ( इंजीनियर ) जिस स्थान को उपयुक्त बतायें,  
उसी स्थान पर ऐसे अन्त पुर का निर्माण करना चाहिये, जिसके चांगे ओर परकोटा  
एव साईं ओर जिसमें अनेक ड्यौदियाँ हो ।

( २ ) या कोशागार-निर्माण के विधानानुसार अन्त पुर के बीच में राजा अपना  
महल बनवावे, या ऐसा मकान बनवाये, जिसकी दीवालें तथा गलियों ( रास्तों )  
का पता न लगे, ऐसे मकान को मोहनगृह ( भूलभुलैया ) कहते हैं, उसके बीच में  
राजा अपने रहने का मकान बनवाये, या भूमि को खुदवा कर उसमें घर बनवाये,  
उस भूमिगृह के दरवाजे पर, समीप ही किसी देवता की मूर्ति स्थापित करवाये,  
उसमें जाने आने के लिए गुप्त सुरगें हों, या तो फिर ऐसा महल बनवाये, जिसकी  
दीवारों के भीतर गुप्त मार्ग हो, अथवा पोले खम्भों के भीतर आने-जाने तथा चढ़ने-  
उतरने का रास्ता हो, अथवा आपत्तिकाल के निवारण के लिए यन्त्रों के आधार पर  
ऐसा वासगृह बनवाये जिसको इच्छानुसार नीचे ऊपर तथा इधर-उधर हटाया जा  
सके, अथवा आपत्तिकाल के उपस्थित हो जाने पर ऐसे भवन का निर्माण करवाये ।  
यदि राजा को इस बात की आज्ञा हो कि उसके समान ही दूसरा शत्रु राजा भी  
नीति-निपुण वास्तुकलाविद् है और वह गुप्तभवन-निर्माणसम्बन्धी सभी रहस्यों को  
जानता है तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दे ।

( ३ ) मनुष्य की हड्डी में दास के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि का स्पर्श, यदि अथर्व-  
५ कौ०

दहति; न चात्रान्योऽग्निज्वलति; वैद्युतेन भस्मना मृत्संयुक्तेन कनकवारिणाज्वलिप्तं च ।

( १ ) जीवन्तीश्वेतामुष्ककपुष्पवन्दाकामिरक्षीवे जातस्याश्वत्यस्य प्रतानेन वा युप्तं सर्पा विपाणि वा न प्रसहन्ते । मार्जारमयूरनकुलपृषतोत्सर्गः सर्पान्मिक्षयति । शुक्रः शारिका भृङ्गराजो वा सर्पविपशङ्कायां क्रोशति । श्रौञ्चो विषाभ्याशे माद्यति; ग्लायति जीवञ्जीवकः; म्रियते मत्तकोकिलः; चकोरस्याक्षिणी विरज्येते । इत्येवम् अग्निविपसर्पेभ्यः प्रतिकुर्वीत ।

( २ ) पृष्ठतः कक्ष्याविभागे स्त्रीनिवेशो गर्भव्याधिवर्धप्रत्याख्यातसंस्था वृक्षोदकस्थानं च । बहिः कन्याकुमारपुरम् । पुरस्तादलङ्कारभूमिर्मन्त्रभूमिरुपस्थानं कुमाराद्यक्षस्थानं च । कक्ष्यान्तरेऽप्यन्तर्वेशिकसंन्यं तिष्ठेत् ।

वेद के मन्त्रोच्चारण के साथ-साथ बाईं ओर से तीन परिक्रमा करते हुए, कराया जाय तो उस अत पुर को आग नहीं जला सकती, और न दूसरी अग्नि ही वहाँ जल सकती है । बिजली के गिरने से जले हुए पेड़ की राख लेकर उसमें उतनी ही मिट्टी मिला दी जाय और दोनों को धतूरे के पानी के साथ गूँथकर यदि उसका दीवारों पर लेपन किया जाय तब भी वहाँ दूसरी अग्नि बसर नहीं कर सकती है ।

( १ ) गिलोय, शलपुष्पी, कालीपादरी और करौंदे के पेड़ पर लगे हुए बड़े की माला आदि के रख देने, अथवा सहिजन ( संजन ) के पेड़ के ऊपर पँदा हुए पीपल के पत्तों के बदनवार बाँध देने से अत पुर में सर्प, विच्छल आदि विषैले जंतुओं तथा दूसरे विषों का कोई प्रभाव नहीं होता है । बिल्ली, भौंर, नेवला और मृग आदि भी साँपों को खा जाते हैं । अन्न आदि में सर्प-विष की आशका होने पर तोता, मैना और बड़ा भौंरा चिल्लाने लगते हैं । विष के समीप होने पर क्राँव पक्षी बिह्वल हो जाता है । जीवजीव ( चकोर के समान एक पक्षी ) नामक पक्षी अहर् को देखकर मुरझा जाता है । कोयल विष को देखकर मर जाती है । विष को देखकर चकोर की आँखें लाल हो जाती हैं । इन सब उपायों के द्वारा राजा अपने आप को तथा अत पुर को अग्नि, सर्प और विष के भय से बचा कर रखे ।

( २ ) राजमहल के पीछे कक्ष्याभाग में रनिवास, उसके समीप ही प्रसूता, बीमार तथा असाध्य रोगिणी स्त्रियों के लिए अलग-अलग तीन आवास बनवाये जायें और उन्हीं के साथ छोटे-छोटे उद्यान तथा सरोवरों का निर्माण किया जाय । बाहर की ओर राजकुमारियों और युवक राजकुमारों के लिए स्थान बनवाये जायें । राजमहल के आगे हरी-हरी घास और फूलों से सजे हुए उपवन होने चाहिए । उसके

(१) अन्तर्गृहगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धा देवीं पश्येत् । न काञ्चिदभि-  
गच्छेत् । देवीगृहे लीनो हि भ्राता भद्रसेनं जघान; मातुः शय्यान्तर्गतश्च  
पुत्रः कारुशम् । लाजान् मधुनेति विषेण पर्यस्य देवो काशिराजं, विषदिग्धेन  
नूपुरेण वरन्त्य, मेखलामणिना सौवीरं, जालूथमादर्शन, वेण्या गूढं शस्त्रं  
कृत्वा देवीं विदूरथं जघान । तस्मादेतान्यास्पदानि परिहरेत् ।

(२) मुण्डजटिलकुहकप्रतिसर्गं बाह्याभिश्च दासीभिः प्रतिषेधयेत् ।  
न चानाः कुल्याः पश्येयुरन्यत्र गभंभ्याधिसंस्थाभ्यः । रूपाजीवाः स्नान-  
प्रधर्षशुद्धशरीराः परिवर्तितवस्त्रालङ्काराः पश्येयुः । आशीतिकाः पुहपाः  
पञ्चाशत्काः स्त्रियो वा मातापितृव्यञ्जनाः स्थविरवर्षवराभ्यागारिकाश्चा-  
वरोधानां शौचाशौचं विद्युः, स्थापयेयुश्च स्वामिहिते ।

बाद मन्त्रसभा का स्थान, फिर दरबार और तदनन्तर युवक राजकुमार, समाहर्ता-  
सन्निधाता आदि अग्र्यसो के प्रधान कार्यालय होने चाहिए । कक्ष्याओ के बीच-बीच में  
कबुकी तथा अल पुररक्षको की उपस्थिति रहे ।

( १ ) रनिवास के अंदर जाकर राजा किसी विश्वस्त बूड़ी परिवारिका के साथ  
महारानी से मिले । अकेला किसी रानी के पास न जाये, क्योंकि ऐसा करने में कभी  
कभी बड़ा धोखा हो जाता है । कहा जाता है कि पहले कभी भद्रसेन नामक राजा  
के भाई वीरसेन ने उसकी रानी से मिलकर छिपे में भद्रसेन राजा को मार डाला  
था । इसी प्रकार माता की शय्या के नीचे छिपे हुए राजकुमार ने अपने पिता कारुश  
को मार डाला था । इसी प्रकार काशीराज को रानी ने घान की खोलो में मधु के  
बहाने विष मिलाकर अपने पति को मार डाला था । इसी भाँति विष में बुझे नूपुर  
के द्वारा वरन्त्य राजा को और विष-बुझी करधनी की मणि से सौवीर राजा को,  
शीशे के द्वारा जालूथ राजा को और अपनी वेणी में शस्त्र छिपाकर विदूरथ राजा  
को, उनकी रानियों ने धोखे में मार डाला था । इसलिए रानियों से मिलते समय,  
राजा को इस प्रकार की अदृष्ट विपत्तियों से सावधान रहना चाहिए ।

( २ ) राजा को चाहिए कि वह मुडी, जटी इसी प्रकार के अन्य धूर्त और  
बाहर की दासियों के साथ रानियों का संपर्क न होने दे । रानियों के सगे सवधी भी  
उन्हे प्रसव या बीमारी की अवस्था के अतिरिक्त न देखने पावे । स्नान, उदटन के  
बाद सुदर वस्त्रामूयणों से अलंकृत होकर बेश्याएँ राजा के निकट जायँ । अस्त्री वर्ष  
की अवस्था के पुरुष तथा पचास वर्ष की बूड़ी स्त्रियाँ माता पिता की भाँति रानियों  
के हितचिंतन में रत रहे । अल पुर के दूसरे वृद्ध तथा नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र  
का ध्यान रखें और उनको राजा की हितकामना में लगाये रखे ।

- (१) स्वभूमौ च वसेत् सर्वं परभूमौ न सञ्चरेत् ।  
न च बाह्येन ससर्गं कश्चिदाभ्यन्तरो व्रजेत् ॥
- (२) सर्वं चावेक्षितं द्रव्यं निबद्धागमनिर्गमम् ।  
निर्गच्छेदधिगच्छेद्वा मुद्रासक्रान्तभूमिकम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे निशान्तप्रणिधि-  
नमिन्नोन्विशोऽध्याय ॥ १९ ॥

— ० —

( १ ) अतः पुर के सभी परिचारक परिचारिकायें अपने अपने स्थानों पर ही रहे, एक दूसरे के स्थान पर न जाने पावें । इसी प्रकार भीतर का कोई भी आदमी बाहर के आदमियों से न मिलने पावे ।

( २ ) जो भी वस्तु महल से बाहर आवे तथा महल में जावे उसका माली भाँति निरीक्षण कर और उसके सवध के सारे विवरण रजिस्टर में लिख देने चाहिए । राजमहल के बाहर और भीतर जाने आने वाली प्रत्येक वस्तु पर राजकीय मुहर लग जानी चाहिए ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) शयनाद्बुद्धियतः स्त्रीगणंधन्विभिः परिगृह्येत; द्वितीयस्यां कक्ष्यायां कञ्चुकोष्णीपिभिर्वर्षवराभ्यागारिकैः, तृतीयस्यां कुब्जवामनकिरातैः, चतुर्थ्यां मन्त्रिभिः सम्बन्धिभिर्दौवारिकैश्च प्रासपाणिभिः ।

(२) पितृपैतामहं महासम्बन्धानुबन्धं शिक्षितमनुरक्तं कृतकर्मणं जनमासन्नं कुर्वीत; नान्यतोदेशीयमकृतार्थमानं स्वदेशीयं वाप्यपकृत्योपगृहीतम् । अन्तर्बशिकसैन्यं राजानमन्तःपुरं च रक्षेत् ।

(३) गुप्ते देशे माहानसिकः सर्वमास्वादबाहुल्येन कर्म कारयेत् । तद्राजा तथैव प्रतिभुञ्जीत, पूर्वमग्नये वयोभ्यश्च बलिं कृत्वा ।

### आत्मरक्षा का प्रबंध

( १ ) प्रातः काल राजा के विस्तर से उठते ही, घनुष-बाण लिये खियाँ उन्हे घेर लें । शयनकक्ष से उठकर राजा जब दूसरे कक्ष में प्रवेश करे तो वहाँ कुर्ती, पगडी पहिने हुए तपुसक तथा दूसरे सेवक राजा की देख रेख के लिए उपस्थित रहें । तीसरे कक्ष में कुबडे, बीने एव निम्न जाति के परिजन राजा को रक्षा करें । चौथे कक्ष में मंत्रियो, सबधियो और हाथ में भाला लिये द्वारपालों द्वारा राजा की रक्षा होनी चाहिए ।

( २ ) वक्ष परपरा से अनुगत, उच्चकुलोत्पन्न, शिक्षित, अनुरक्त और प्रत्येक कार्य को भली भाँति समझने वाले पुरुषो को राजा अपना अग्ररक्षक नियुक्त करे । किंतु धन-समान-रहित विदेशी व्यक्ति को तथा एक बार पृथक् होकर पुन नियुक्त स्वदेशीय व्यक्ति को भी राजा अपना अग्ररक्षक कदापि नियुक्त न करे । राजमहल की भीतरी सेना राजा और रनिवास की रक्षा करे ।

( ३ ) माहानसिक ( पाकशाला का अध्यक्ष या निरीक्षक ) को चाहिए कि वह किसी एकांत स्थान में भोज्य पदार्थों का स्वाद ले-लेकर उन्हे मुस्वाडु तथा सुरक्षा से तैयार कराये । भोजन के तैयार हो जाने पर राजा पहिले अग्नि तथा पक्षियो को बलि प्रदान कर, फिर स्वयं खावे ।

(१) अग्नेर्ज्वालाधूमनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्य, वयसां विपत्तिश्च । अन्नस्योष्मा मयूरग्रीवामः शैत्यमाशु विलिप्तस्येव वैवर्ण्यं सोदकत्वमक्लिन्नत्वं च । व्यञ्जनानामाशुशुष्कत्वं च ष्वाथः श्यामफेन-पटलविच्छिन्नभावो गन्धस्पर्शरसवधश्च । द्रवेषु हीनातिरिक्तच्छायादर्शनं फेनपटलसीमान्तोर्ध्वराजीदर्शनं च । रसस्य मध्ये नीला राजी, पयसस्ताम्रा, मद्यतोपयोः काली, दध्नः श्यामा, मधुनः श्वेता च । द्रव्याणामाद्राणा-माशुप्रम्लानत्वमुत्पक्वभावः ष्वाथनीलश्यामता च । शुष्काणामाशुशततनं वैवर्ण्यं च । कठिनानां भृदुत्वं मृदूनां कठिनत्वं च । तदभ्याशे क्षुद्रसत्त्व-वधश्च । आस्तरणप्रावरणानां श्याममण्डलता तन्तुरोमपक्ष्मशततनं च । लोहमणिमयानां पङ्कमलोपवेहता स्नेहरागगौरवप्रभाववर्णस्पर्शवधश्च । इति विषयुक्तलिङ्गानि ।

### विषमिश्रित पदार्थों की पहिचान

( १ ) जिस अन्न में विष मिला हो उसे अग्नि में डालने से अग्नि और तपट, दोनो नोले रंग के हो जाते हैं तथा उसमें चट-चट का शब्द होता है । विषमिश्रित अन्न के खाने पर पक्षियों की भी मृत्यु हो जाती है । विषयुक्त अन्न की भाँफ मयूर-ग्रीवा जैसे रंग की होती है, वह भोजन शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, हाथ के स्पर्श या तोड़ने-भोड़ने से उसका रंग बदल जाता है, उसमें गाँठ सी पड़ जाती है, और वह अन्न बघ्नपका ही रह जाता है । विष मिली दाल जल्दी ही सूख जाती है, फिर से आँच पर रखा जाय तो मट्ठे की तरह वह फट जाती है, उसकी भाँग काली तथा वह अलग-अलग हो जाती है, और उसका स्वाद, स्पर्श, उसकी सुगंध आदि सब जाते रहते हैं । विषयुक्त रसेदार तरकारी विरगी-विकृत हो जाती है, उसका पानी अलग तैरता रहता है, और उसके ऊपर रेखा-सी खिच जाती है । यदि घी, तेल आदि रसिक पदार्थों में विष मिला हो तो उनमें नोले रंग की रेखाएँ तैरने लगती हैं, विष-मिश्रित दूध में ताम्रवर्ण की, शराव तथा पानी में काले रंग की, दही में श्यामवर्ण की और शहद में सफेद रंग की रेखाएँ दिखाई देती हैं । आम, अनार आदि द्रव्यों में विष मिला हो तो वे सिकुड़ जाते हैं, उनमें सड़ाघ आने लगती है, और पकाने पर उनका वर्ण कुछ कालापन एवं भूरापन लिये होता है । यदि सूखे हुए पदार्थों में विष मिला हो तो वे छूते ही चूर-चूर होकर विवर्ण हो जाते हैं । विषमिश्रित ठोस पदार्थ मुलायम और मुलायम पदार्थ ठोस हो जाता है । विषमय वस्तु के समीप रखने वाले छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं । ओठने बिछाने के कपड़े पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो उनमें स्यान-स्यान पर धब्बे पड़ जाते हैं । यदि कपड़ा सूती हुआ तो उसका सूत और ऊनी हुआ तो उसकी रस्माँ उड़ जाती है । सोने, चाँदी,



(१) विपप्रवस्य तु शुष्कश्यामवक्त्रता वाक्सङ्गः स्वेदो विजृम्भणं चातिमात्रं वेपथुः प्रस्खलनं वाक्व्यविप्रेक्षणमावेशः कर्मणि स्वभूमौ चानवस्थानमिति ।

(२) तस्मादस्य जाङ्गलीविदो भिपजश्चासन्नाः स्युः ।

(३) भिपभैषज्यागारादास्वादविशुद्धमौषधं गृहीत्वा पाचकपोषकाभ्यामात्मना च प्रतिस्वाद्य राज्ञे प्रयच्छेत् । पानं पानीयं औषधेन व्याख्यातम् ।

(४) कल्पकप्रसाधकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणमन्तवैशिकहस्तादादाय परिचरेयुः ।

(५) स्नापकसंवाहकास्तरकरजकमालाकारकर्म वास्यः कुर्युः;

स्फटिक मणि आदि धातुओं पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो उनकी आभा पंकिल दिखाई देती है, उनकी चमक, भारीपन और पहिचान आदि सब जाते रहते हैं । यहाँ तक विषमिश्रित पदार्थों के पहिचान की विधियों का निरूपण किया गया है ।  
**विष देने वाले की पहिचान**

( १ ) विष देने वाले का मुँह सूख जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, बात-चीत करते हुए उसकी वाणी लडखडाने लगती है, उसको पसीना, कपकपी तथा जभाई आने लगती है, बेचैन होकर वह गिर पड़ता है, सदेहवश दूसरो की बातें वह ध्यानपूर्वक सुनने लगता है, बात-बात में वह आवेश करने लगता है; अपने कार्य और अपने स्थान पर उसका मन स्थिर नहीं रह पाता है ।

( २ ) इसलिए विषविद्या के जानकार और वैद्य राजा के समीप अवश्य रहे ।

( ३ ) वैद्य को चाहिए कि औषधालय में स्वयं खाकर परीक्षा की हुई औषधि को वह राजा के सामने लाकर उसमें से कुछ को पकाने-पीसने वाले लोगों को और कुछ स्वयं भी खाकर पुनः राजा को दे । इसी प्रकार जल तथा मद्य को भी, परीक्षा करने के उपरांत, राजा को देना चाहिए ।

### परिजनों के कर्तव्य

( ४ ) दाढी-भूँछ बनाने वाले नाई तथा वस्त्रालकरण धारण कराने वाले परिचारकों को चाहिए कि वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किये हाथों को अच्छी तरह धोकर राजमहल के अंदर रहने वाले कंचुकी आदि से मुहर लगे हुए उस्तरा और वस्त्राभूषण को लेकर राजा की परिचर्या करें ।

( ५ ) राजा को स्नान कराना, उसके अंगों को दवाना, बिस्तर विछाना, कपड़े

ताभिरधिष्ठिता वा शिल्पिनः । आत्मचक्षुषि निवेश्य वस्त्रमाल्यं दद्युः ; स्नानानुलेपनप्रघर्षचूर्णवासस्नानीयानि स्ववक्षोवाहुषु च । एतेन परस्मादागतक व्याख्यातम् ।

(१) कुशीलवाः शस्त्राग्निरसवर्जं नर्मयेयुः । आतोद्यानि चंपामन्तस्तिष्ठेयुः, अश्वरथद्विपालङ्काराश्च ।

(२) मौलपुरुषाधिष्ठित यानवाहनमारोहेत्; नात्रं चाप्तनदिकाधिष्ठिताम् । अन्यनौप्रतिबद्धा वातवेगवशा च नोपेयात् । उदकाग्ने संन्यमासीत् । मत्स्यप्राह्विशुद्धमवगाहेत् । व्यालप्राहपरिशुद्धमुद्यानं गच्छेत् ।

(३) सुव्यक्तैः श्वर्गणभिरपास्तस्तेनव्यालपराबाधभयं चल्लक्षपरिचयार्थं मृगारण्य गच्छेत् ।

(४) आप्तशस्त्रप्राहाधिष्ठितः सिद्धतापस परयेत्; मन्त्रिपरिषदा सामन्तद्वृतम् । सन्नद्धोऽश्व हस्तिन रथ वाऽऽरूढः सन्नद्धमनीकं गच्छेत् ।

धोना और माला बनाना आदि कार्यों को दासियों ही करें, अपवा दासियों की देख-रेख में उस कार्य के जानकार लोग करें । दासियों को चाहिए कि अपनी आँखों से देखकर ही वे राजा को वस्त्रालकरण पहिनावे । स्नान के समय उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं जैसे—उदक, चदन, सुगन्धित चूर्ण ( पाउडर ) तथा पटवास आदि को, दासियाँ पहिने अपनी छाती एवं बाँह पर लगाकर अजमा लें और तदनंतर राजा पर उनका प्रयोग करें । यही बात दूसरे स्थान से आई हुई वस्तुओं के संबंध में भी जान लेनी चाहिए ।

( १ ) खेल दिखाने वाले नट नर्तक, हथियार, आग, विष आदि के अतिरिक्त दूसरे खेलों को ही राजा के सामने दर्शित करें । नट नर्तकों के उपयोग में आने वाली सामग्री, जैसे—बादन, वस्त्र, घोड़े, अलंकरण आदि, राजमहल से ही दी जानी चाहिए ।

( २ ) विश्वस्त प्रधान पुरुष के साथ होने पर ही राजा पालकी तथा घोड़े आदि यान वाहनों पर चढ़े । विश्वस्त नाविक के रहने पर ही नौका पर चढ़े । दूसरी नाव पर बधी एवं वायु से चालित नाव पर वह कदापि न बैठे । राजा जब नौका बिहार करे तो, सुरक्षा के लिए, नदी के दोनों तटों पर सेना तैनात रहनी चाहिए । मछुओं द्वारा भलीभाँति जाँच किए गए घाट पर ही वह स्नान करे । इसी प्रकार मपेरो द्वारा परिशोधित उद्यान में ही वह भ्रमण करे ।

( ३ ) चोर तथा व्यग्र आदि से रहित, कुत्ते रखने वाले निकाहियों के साथ राजा चलते हुए लक्ष्य पर निशाना साधने के उद्देश्य से जंगल में जाय ।

( ४ ) दर्शनार्थ आये हुए किसी सिद्ध या तपस्वी से मिलते समय राजा, अपने विश्वस्त सशस्त्र पुरुष को साथ ले ले । अपने मन्त्रि-परिषद् के साथ ही वह सामंत

(१) निर्याणोऽभियाने च राजमार्गमुभयतः कृतारक्षं दण्डभिरपास्त-  
शस्त्रहस्तप्रव्रजितव्यङ्गं गच्छेत् । न पुरुषसम्बाधमवगाहेत । यात्रासमाजो-  
त्सवप्रवहणानि च दशवर्गिकाधिष्ठितानि गच्छेत् ।

(२) यथा च योगपुरुषैरन्यान् राजाऽधिष्ठति ।  
तथाऽयमन्यवाधेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे आत्मरक्षितक विशोऽध्याय ।

— ० —

राजा के दूत से मिले । घोड़े, हाथी या रथ पर सवार युद्ध के लिए प्रस्थान करने  
वासी सेना का वह युद्धोचित कवच आदि पहिन कर सैनिक वेश में निरीक्षण करे ।

( १ ) बाहर जाते या बाहर से आते समय राजा, हाथ में दण्ड लिये रक्षको  
द्वारा दोनों ओर से सुरक्षित मार्ग पर चले । ऐसा प्रवध हो कि रास्ते भर में कहीं  
भी राजा को शस्त्ररहित पुरुष, सन्यासी या लूता लगडा, अपना व्यक्ति न दिखाई दे ।  
पुरुषों की भीड़ में भी वह कदापि न घुसे । किसी देवालय, सभा, उत्सव तथा पार्टी  
आदि में वह शामिल होने जाय तो कम से कम दस सिपाही तथा सेनानायक उसके  
साथ उपस्थित रहे ।

( २ ) विजय की इच्छा रखने वाला राजा जैसे अपने गुप्तचरों द्वारा दूसरों को  
कष्ट पहुँचाता है, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा दिये गए कष्टों से भी वह अपनी  
रक्षा करे ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में बीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

दूसरा अधिकरण

•

अध्यक्ष-प्रचार

(१) भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशामिष्यन्द्-  
वमनेन वा निवेशयेत् ।

(२) शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं ग्रामं क्रोशद्विक्रोश-  
सीमानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत् । नदीशैलवनगृष्टिदरीसेतुबन्धशाल्मली-  
शमीक्षीरवृक्षानन्तेषु सीम्नां स्थापयेत् ।

(३) अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानीयं, चतुशतग्राम्या द्रोणमुखं,  
द्विशतग्राम्याः कार्वटिकं, दशग्रामीसङ्ग्रहेण सङ्ग्रहणं स्थापयेत् ।

(४) अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि, जनपदद्वाराण्यन्तपालाधिष्ठितानि  
स्थापयेत् । तेषामन्तराणि वागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयः ।

(५) ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेभ्यो ब्रह्मदेयान्यदण्डकराण्यभि-

### जनपदों की स्थापना

( १ ) राजा को चाहिए कि दूसरे देश के मनुष्य को बुलाकर अथवा अपनी  
देश की आवादी को बढाकर वह पुराने या नये जनपद को बसाये ।

( २ ) प्रत्येक जनपद में कम से कम सौ घर और अधिक से अधिक पाँच सौ घर  
वाले, ऐसे गाँव बसाये जायें जिसमें प्रायः शूद्र तथा किसान अधिक हों । एक गाँव  
दूसरे गाँव से कोस भर या दो कोस की दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे  
अवसर आने पर वे एक दूसरे की मदद कर सकें । नदी, पहाड़, जंगल, बेर के वृक्ष,  
खाई, तालाब, सेंमल के वृक्ष, शमी के वृक्ष और बरगद आदि के वृक्ष लगाकर उन  
बसाये हुए गाँवों की सीमा निर्धारित करे ।

( ३ ) आठ सौ गाँवों के बीच में एक स्थानीय; चार सौ गाँवों के समूह में  
एक द्रोणमुख, दो सौ गाँवों के बीच में एक कार्वटिक और दस गाँवों के समूह में  
संग्रहण नामक स्थानों की विशेष रूप से स्थापना करे ।

( ४ ) राज्य की सीमा पर अतपाल नामक दुर्गरक्षक के संरक्षण में एक दुर्ग की  
भी स्थापना करे । जनपद की सीमा पर अतपाल की अध्यक्षता में ही द्वारभूत स्थानों  
का भी निर्माण करे । उनके भीतरी भागों की रक्षा व्याघ्र, शबर, पुलिन्द, चाण्डाल  
आदि वनचर जातियों के लोग करे ।

( ५ ) राजा को चाहिए कि वह ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय आदि  
ब्राह्मणों के लिए भूमिदान करे, किन्तु उनसे कर आदि न ले और उस भूमि को

रूपदायकानि प्रयच्छेत् । अध्यक्षसङ्घचायकादिभ्यो गोपस्थानिकानीकस्य-  
चिकित्साश्वदमकजङ्घाकरिकेभ्यश्च विक्रयाधानवर्जम् ।

(१) करदेभ्यः कृतक्षेत्राण्यंकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत् । अकृतानि कर्तु-  
भ्यो नादेयात् ।

(२) अकृपतामाच्छिद्यान्येभ्यः प्रयच्छेत् । ग्राममृतकवंदेहका वा  
कृषेयुः । अकृपन्तोऽपहीनं दद्युः । धान्यपशुहिरण्यंश्चानानुगृह्णीयात् ।  
तान्यनु सुखेन दद्युः ।

(३) अनुग्रहपरिहारौ चंभ्यः कोशवृद्धिकरौद्बधात् । कोशोपघातिकौ  
वर्जयेत् । अल्पकोशो हि राजा पौरजानपदानेव प्रसते । निवेशसमकालं  
ययगगतकं वा परिहारं दद्यात् । निवृत्तपरिहारान् पितेवानुगृह्णीयात् ।

वापिस भी न ले । इसी प्रकार विभागीय अध्यक्षों, सख्यायको ( क्लकों ), गोपो  
( दस-दस गाँवों के अधिकारियों ), स्थानिको ( नगर के अधिकारियों ), अनीकस्यो  
( हस्तशिक्षको ), वैद्यो, अश्वशिक्षको और जघाकरिको ( दूर देश में जीविकोपार्जन  
करने वाले लोगों ) आदि अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रजाजनों के लिए भी  
राजा भूमि-दान करे । किन्तु इस प्रकार पायी हुई जमीन को बेचने या गिरवी रखने  
के लिए वर्जित कर दे ।

( १ ) खेती के उपयोगी जो भूमि लगान पर जिस भी किसान के नाम दर्ज की  
जाय, उसके मर जाने के बाद राजा को अधिकार है कि वह उस भूमि को मृतक  
किसान के पुत्र आदि को दे या न दे ।

( २ ) किन्तु ऐसी ऊसर या बजर जमीन जिसको किसान ने अपने धर्म से खेती  
योग्य बनाया है, राजा को चाहिए कि उसे कभी भी वापिस न ले, ऐसी जमीन पर  
किसानों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए । यदि कोई किसान किसी खेती योग्य  
भूमि को बिना जोते बोये परती ही डाले रहता है तो राजा को चाहिए कि ऐसे  
किसान से उस भूमि को छीन कर किसी जरूरतमंद दूसरे किसान को दे दे । ऐसे  
जरूरतमंद किसान के न मिलने पर गाँव का मुखिया या व्यापारी उस जमीन पर  
खेती करे । खेती करने की शर्त पर यदि कोई जमीन को ले और उसमें खेती न करे  
तो उससे उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए । राजा को चाहिए कि वह अन्न, बीज,  
बैल और धन आदि देकर किसानों की सहायता करता रहे और किसानों को भी चाहिए  
कि फसल कट जाने पर सुविधानुसार धीरे धीरे वे उधार ली हुई वस्तुओं को राजा  
को वापिस कर दें ।

( ३ ) किसानों की स्वास्थ्य-वृद्धि और रक्षणता निवारण के लिए राजा उन्हें  
परिमित धन देता रहे, जिससे कि वे धन-धान्य की वृद्धि करके राजकोष को समृद्ध  
बनावें । किन्तु इस प्रकार की सहायता से यदि राजकोष को कोई हानि पहुँचे, तो

(१) आकरकमन्तिद्रव्यहस्तिवनव्रजवणिवपथप्रचारान्वारिस्थलपथ-  
पण्यपत्तनानि च निवेशयेत् ।

(२) सहोदकमाहार्योदकं वा सेतुं बन्धयेत् । अन्येषां वा बध्नतां  
भूमिमार्गवृक्षोपकरणानुग्रहं कुर्यात्; पुण्यस्थानारामाणां च सम्भूय सेतु-  
बन्धादपनामतः कर्मकरबलीवर्दाः कर्म कुर्युः । व्ययकर्मणि च भागी  
स्यात् । न चांशं लभेत ।

(३) मत्स्यग्लवहरितपण्यानां सेतुषु राजा स्वाम्यं गच्छेत् । दासा-  
हितकबन्धननुभृष्वतो राजा विनयं ग्राहयेत् । बालबुद्धव्याधितव्यसन्य-  
नायांश्च राजा विभृयात्; स्त्रियमप्रजाता प्रजातायाश्च पुत्रान् ।

राजा उसको बन्द कर दे, क्योंकि कोय के कम हो जाने पर राजा, नगर और जनपद-  
निवासियों को सताने लगता है । किसी नये कुल को बसाये जाने के लिए प्रतिभात  
घन राजा को अवश्य देना चाहिए । अथवा राजकोष की आय के अनुसार स्वास्थ्य-  
सुधार के लिए राजा घन अवश्य खर्च करता रहे । यदि नगर और जनपद निवासी  
राजा के द्वारा स्वास्थ्य सुधार के लिए खर्च किए गए घन को चुका दें, तो पिता के  
समान राजा उन पर अनुग्रह करे ।

( १ ) राजा को चाहिए कि वह आकर ( खान ) से उत्पन्न सोना-चाँदी आदि  
के विक्रय-स्थान, चदन आदि उत्तम काष्ठ के बाजार, हाथियों के जंगल, पशुओं की  
वृद्धि के स्थान, आयात-निर्यात के स्थान, जल-यत्न के मार्ग और बड़े-बड़े बाजारों या  
बड़ी बड़ी मण्डियों की भी व्यवस्था कराये ।

( २ ) भूमि की सिंचाई के लिए राजा को चाहिए कि नदियों पर बड़े-बड़े बाँध  
बँधवाये, अथवा वर्षा ऋतु के जल को भी बड़े-बड़े जलाशयों में भरवा दे । यदि  
प्रजाजन ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो राजा को चाहिए कि उन्हें जलाशय के लिए  
भूमि, नहर के लिए रास्ता और आवश्यकतानुसार लकड़ी आदि सामान देकर उनका  
उपकार करे । देवालय और बाग बगीचे आदि के लिए भी राजा, प्रजा की भूमिदान  
आदि से सहायता करे । गाँव के जो मनुष्य अन्य आवश्यक कार्यों के आ जाने पर  
उस सहकारी उद्योग में सम्मिलित न हो सकें तो वे अपने स्थान पर नौकर तथा बैल  
भेज कर सहयोग दें । यदि वे ऐसा भी न कर सकें तो अनुपात के अनुसार उनसे  
उनके हिस्से का सारा खर्च लिया जाय और कार्य समाप्त होने पर न तो उन्हें उसका  
साम्रीदार समझा जाय और न ही उनका लाभ उठाने दिया जाय ।

( ३ ) इस प्रकार के बड़े बड़े जलाशयों में उत्पन्न होने वाली मछली, प्लव पक्षी  
( बतख की भाँति एक जलचर पक्षी ) और कमलदड आदि व्यापार-योग्य वस्तुओं  
पर राजा का ही अधिकार रहे । यदि नौकर-चाकर, भाई, पुत्र, आदि अपने मालिक  
की आज्ञा का उल्लंघन करे तो राजा उन्हें उचित शिक्षा दे । राजा को चाहिए कि

- (१) बालद्रव्यं ग्रामवृद्धा वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात्; देवद्रव्यं च ।  
 (२) अपत्यदारान् मातापितरौ घ्रातृनप्राप्तव्यवहारान्मगिनीः  
 कन्या विधवाश्चाक्षिभ्रतः शक्तिमतो द्वादशपणो दण्डोऽन्यत्र पतितेभ्यः;  
 अन्यत्र मातुः ।  
 (३) पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रव्रजतः पूर्वः साहसदण्डः; स्त्रियं च  
 प्रव्राजयत । लुप्तव्यवायः प्रव्रजेदापृच्छद्य धर्मस्थान्, अन्यथा नियम्येत ।  
 (४) वानप्रस्थादन्यः प्रव्रजितभावः, सुजातादन्यः सङ्घेः, सामुत्था-  
 यकादन्यः समयानुबन्धो वा नास्य जनपदमुपनिविशेत ।  
 (५) न च तत्रारामा विहारार्थाः शालाः स्युः । नटनर्तनगायन-

बह बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्तिपीडित और अनाथ व्यक्तियों का भरण-पोषण करे। सतानहीन ( बन्ध्या ) और पुत्रवती अनाथ स्त्रियों तथा उनके बच्चों की भी रक्षा करे।

( १ ) नाबालिग बच्चे की सम्पत्ति पर गाँव के वृद्ध पुरुषों का अधिकार रहे। उसको वे बढ़ाते रहे और बालिग हो जाने पर उसकी सम्पत्ति को उसे वापिस कर दें। इसी प्रकार देव-सम्पत्ति पर भी ग्राम-वृद्धों का ही अधिकार हो, जो कि उसकी वृद्धि में तत्पर रहे।

( २ ) जब कोई पुरुष समय होने पर भी, अपने लड़के बच्चों, स्त्रियों, माता-पिता, नाबालिग भाई, अविवाहित तथा विधवा बहिन आदि का भरण पोषण न करे तो राजा उसे बारह पणों ( सोने का भिक्का ) का दंड दे। किन्तु ये लड़के, स्त्री आदि यदि किसी कारण से पतित हो गए हों तो सम्बन्धी उनका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह निषेध माता के सम्बन्ध में नहीं, माता यदि पतिता भी हो गई हो तो उसका भरण-पोषण और उसकी रक्षा करनी चाहिए।

( ३ ) पुत्र तथा स्त्री के जीवन निर्वाह का उचित प्रबन्ध किये बिना ही यदि कोई पुरुष, सन्यास ग्रहण कर ले तो राजा को उसे प्रथम साहस दंड देना चाहिए। यही दंड उस पुरुष को भी दिया जाना चाहिए जो अपनी स्त्री को सन्यासिनी हो जाने को प्रेरित करे। जब मनुष्य के मंथुन सम्बन्धी कामबिकार शत हो जाय तब उसे धर्माधिकारी पुरुषों की अनुमति लेकर सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, इस राज्य-नियम का उल्लङ्घन करने वाले व्यक्ति को कारागार में बंद कर दिया जाय।

( ४ ) वात्रप्रस्थ के अतिरिक्त कोई दूसरा सन्यासी जनपद में न रहना चाहिए, इसी प्रकार राजभक्त जनमघ के अतिरिक्त तथा स्थानीय सहाकारी सस्थाओं के अतिरिक्त कोई दूसरी सस्था या दूसरा सध राज्य में न बनने पावे, जो श्रेष्ठ या फूट फैलाने वाला सिद्ध हो।

( ५ ) गाँवों में कोई भी नाट्यएह, विहार तथा क्रीडा शालाएँ नहीं होनी



वादकवाग्जीवनकुशीलवा वा न कर्मविघ्नं कुर्युः । निराश्वयत्वाद् ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाच्च पुरुषाणां कोशविष्टिद्रव्यधान्यरसवृद्धिर्भवतीति ।

- (१) परचक्राटवीप्रस्तं व्याधिदुर्भिक्षपीडितम् ।  
देशं परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाश्च वारयेत् ॥
- (२) दण्डविष्टिकराबाधः रक्षेदुपहतां कृषिम् ।  
स्तेनव्यालविषग्राहैर्व्याधिभिश्च पशुव्रजान् ॥
- (३) वल्लभः कार्मिकः स्तेनैरन्तपालंश्च पीडितम् ।  
शोधयेत्पशुसङ्घैश्च क्षीयमाणं वणिक्प्रथम् ॥
- (४) एवं द्रव्यद्विपवनं सेतुबन्धमथाकरान् ।  
रक्षेत्पूर्वकृतान् राजा नवाश्चाभिप्रवर्तयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे जनपदनिवेश प्रथमोऽध्यायः ,

आदित एकविंश ॥

— ० —

चाहिए । नट, नर्तक, गायक, वादक, भाण और कुशीलव आदि गाँवों में अपना खेल दिखा कर कृषि आदि कार्यों में विघ्न उत्पन्न न करें । क्योंकि गाँवों में नाट्यशालाएँ आदि न होने से ग्रामवासी अपने-अपने कृषिकर्म में सलग्न रहते हैं, जिससे वि-राज-कोप की अभिवृद्धि होती है और सारा देश धन-धान्य से समृद्ध होता है ।

( १ ) राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं, जगली लोगों, व्याधियों एवं दुर्भिक्षों से अपने देश को बचावे । वह उन क्रीडाओं का भी बहिष्कार करावे जो धन का अप-व्यय और विलासप्रियता को बढ़ाने वाली हो ।

( २ ) राजा को चाहिए कि दण्ड, विष्टि ( बेगार ), कर ( टैक्स ) आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करे । इसी प्रकार चोर, हिंसक जतु, विष प्रयोग तथा अन्य कष्टों से भी किसानों के पशुओं की रक्षा करे ।

( ३ ) वल्लभ ( राजप्रिय ), कार्मिक ( राज-कर वसूल करने वाले ), चोर, अंतपाल ( सीमारक्षक ) और व्याघ्र आदि, राजपुरुषों, लुटरो एवं हिंसक जतुओं से घस्त व्यापार-भागों का भी राजा परिशोधन करे । अर्थात् अपने देश से इन सब आपत्तियों को दूर करे ।

( ४ ) इस प्रकार राजा प्रथम तो लकड़ी के जगल, हाथियों के जगल, सेतुबन्ध तथा खानों की रक्षा करे और तदुपरान्त आवश्यकतानुसार नये जगल, सेतुबन्ध आदि का निर्माण करवाये ।

अध्यक्ष-प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में प्रथम अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) अकृष्याया भूमौ पशुभ्यो विदीतानि प्रयच्छेत् । प्रदिष्टामय-  
स्थावरजङ्गमानि च ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मसोमारण्यानि, तपोवनानि च तपस्वि-  
भ्यो गोस्तपराणि प्रयच्छेत् । तावन्मानमेकद्वारं छातगुप्त स्वादुफलगुल्म-  
मुच्छमकण्टकिद्रुममुत्तानतोयाशय दान्तमृगचतुष्पदं भग्नखड्गदृव्याल  
मार्गायुकहस्तिहस्तिनीकलम मृगवन विहारार्थं राज्ञः कारयेत् ।

(२) सर्वातिथिमृग प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवन भूमिवशेन वा निवेशयेत् ।

(३) कुप्यप्रदिष्टाना च द्रव्याणामेकं कशो वा वनं निवेशयेत्; द्रव्य-  
वनकमन्तानटवीश्च द्रव्यवनापाध्याः ।

(४) प्रत्यन्ते हस्तिवनमटव्यारक्ष्यं निवेशयेत् । नागवनाध्यक्ष पार्वतं

### ऊसर भूमि को उपयोगी बनाने का विधान

( १ ) ऊसर भूमि में पशुओं के लिए चरागाह बनवानी चाहिए । जिस भूमि को वृक्ष-लता एवं मृग आदि के लिए छोड़ दिया गया हो, ऐसे दो कोस तक फैल हुए जंगल को वेदाध्यायी ब्राह्मणों को वेदाध्ययन एवं सोमयाग के लिए दे देना चाहिए, इसी प्रकार के तपोवनों को तपस्वियों के लिए दे देना चाहिए । ऐसे ही दो कोस परिमाण के मृगवन को राजा अपने विहार के लिए तैयार कराये । उस विहारवन के दो दरवाजे हों, उसके चारों ओर खुदी हुई खाई हों, उसमें स्वादिष्ट फल, लता, गुल्म एवं वृक्ष हों, वह कटिदार पेटों से रहित हो, उसमें कम गहरे सरोवर हों, मनुष्यों से परिचित मृग हों, मृगया के लिए वहाँ ऐसे व्याघ्र, हाथी, हथिनी तथा उनके बच्चे रखे गये हों, जिनके नल्ल एवं दाँत न हों ।

( २ ) उसके ही समीप एक दूसरा मृगवन ऐसा तैयार कराया जाय, जिसमें देश-देशांतरों के जानवर लाकर रखे गये हों ।

( ३ ) कुप्याध्यक्ष प्रकरण में निर्दिष्ट चंदन, पलाश, अशोक आदि लकड़ी के लिए अलग-अलग वन बसाये जाय । लकड़ी के जंगलों की सम्पूर्ण व्यवस्था, जंगलों के अध्यक्ष तथा जंगलों पर जीवन वितरण वाले पुरुष करें ।

( ४ ) जनपद की सीमा पर जंगल व अध्यक्षों के संरक्षण में एवं हस्तिवन भी स्थापित करना चाहिए । हस्तिवन के अध्यक्षों को आवश्यक है कि वे स्वयं तथा

नादेयं सारसमानूपं च नागवनं विदितपर्यन्तप्रवेशनिष्कसनं नागवनपालैः पालयेत् । हस्तिघातिनं हन्तुः । दन्तयुगं स्वयं मृतस्याहरतः सपादचतुष्पणो लाभः ।

(१) नागवनपाला हस्तिपकपादपाशिकसैमिकवनचरकपारिकमिक-सखाहस्तिमूत्रपुरीषच्छन्नगन्धा भल्लातकीशाखाप्रतिच्छन्नाः पञ्चभिः सप्त-भिर्वा हस्तिबन्धकीभिः सह चरन्तः शय्यास्थानपद्यालण्डकूलपातोद्देशेन हस्तिकुलपर्यग्रं विद्युः ।

(२) यूथचरमेकचरं निर्यूथं यूथपाति हस्तिनं व्यालं मत्तं पोतं बद्ध-मुक्तं च निबन्धने विद्युः । अनीकस्थप्रमाणं प्रशस्तव्यञ्जनाचारान्हस्तिनो गृह्णीयुः । हस्तिप्रधानो हि विजयो राज्ञाम् । परानीकव्यूहदुर्गस्कन्धावार-प्रमर्दना ह्यतिप्रमाणशरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति ।

अपने सहयोगी बनपालो के सहयोग से पर्वत, नदी, जलाशय तथा किसी जलमय स्थान से होकर हस्तिवनो के अंदर जाने वाले मार्गों की भली-भाँति देख-रेख रखे । हाथियों को मारने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राणदण्ड की सजा मिलनी चाहिए । मृतक हाथी के दाँतो को उखाड़कर जो स्वयं ही राजपुरुषो के मुपुर्द कर दे, उसे सवा चार पण पुरस्कार स्वरूप दिया जाना चाहिए ।

( १ ) हस्तिवन के रक्षको को चाहिए कि वे हस्तिपक ( महावत ), पादपाशिक ( हाथियों को जाल में फँसाने वाला ), सैमिक ( सोमारक्षक ) वनचरक ( जगली मनुष्य ) और पारिकमिक ( हाथियों की परिचर्या में निपुण ) आदि पुरुषो को साथ लेकर जगल में हाथियों के समूह का पता लगाये । अपने साथ वे हाथी के मल मूत्र के गध के समान किसी वस्तु को, हाथियों को बश में करने वाली पाँच सात हथिनियों को भी साथ में लेकर और स्वयं को भल्लातकी ( मिलावे ) की शाखा में छिपाये हुए, हाथियों के पडाव, उनके पैरो के निशान, उनके मल-मूत्र त्यागने की जगह और उनके द्वारा गिराये गए नदी-कगारो आदि का सुराग लेकर हस्तिसमूहो का पता लगायें ।

( २ ) भुड के साथ घूमने वाले, अकेले विचरण करने वाले, भुड से फूटे हुए, भुडप्रमुख, दुष्टप्रकृति, उन्मत, शिशुहस्ति, बध्नमुक्त आदि हाथियों से सबधित जितने भी विवरण हैं, उनकी जानकारी, हस्तिवनरक्षक अपनी गणनापुस्तक ( स्टाकबुक ) से प्राप्त करें । हस्तिविद्या में निपुण पुरुषो के निर्देशानुसार श्रेष्ठ लक्षणो से युक्त हाथियों को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि हाथी ही राजा की विजय के प्रधान साधन है । भारो भरकम हाथी ही शत्रुसेना, उसकी व्यूह रचना, उसके दुर्ग तथा उसकी छावनियों को कुचलने वाले और उसके प्राणो तक को ले लेने वाले होते हैं ।

- (१) कलिङ्गाङ्गजाः श्रेष्ठाः प्राच्याश्चेति कुरुशजाः ।  
दाशाणशिकापरान्ताश्च द्विपाना मध्यमा मताः ॥
- (२) सौराष्ट्रिकाः पाञ्चनदाः तेषां प्रत्यवरा स्मृताः ।  
सर्वेषां कर्मणा वीर्यं जवस्तेजश्च वर्धते ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे भूमिच्छिद्रविधानं द्वितीयोऽध्यायः,  
आदितो द्वाविंशतिः ॥

— ० —

( १ ) कलिंग, अंग और पूर्वोक्त कुरु देश के हाथी सर्वोत्तम गिने जाते हैं ।  
दाशाण तथा पश्चिम देश के हाथी मध्यम माने जाते हैं ।

( २ ) गुजरात और पंजाब के हाथी अधम कहे जाते हैं । इस पर भी, प्रत्येक  
हाथी के बल, विक्रम, वेग और तेज का सर्वधन आदि उसको दी जाने वाली समुचित  
शिक्षा पर निर्भर है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) चतुर्विंशं जनपदान्ते साम्परायिकं देवकृतं दुर्गं कारयेत्; अन्त-  
द्वीपं स्थलं वा निम्नावरुद्धमौदकं, प्रास्तरं गुहा वा पार्वतं, निरुदकस्तम्ब-  
मिरिणं वा धान्वनं, खञ्जनोदकं स्तम्भगहनं वा वनदुर्गम् । तेषां नदीपर्वत-  
दुर्गं जनपदारक्षस्थानं धान्वनवनदुर्गमटवीस्थानम् आपद्यपसारो वा ।

(२) जनपदमध्ये समुदयस्थानं स्थानीयं निवेशयेद् । वास्तुकप्रशस्ते  
देशे नदीसङ्गमे ह्रदस्य वा विशोपस्याङ्गे सरसस्तटाकस्य वा वृत्तं दीर्घं  
चतुरश्रं वा वास्तुकवशेन प्रदक्षिणोदकं पण्यपटुमेदनमंसवारिपथाम्बामु-  
पेतम् । तस्य परिखास्तिस्त्रो दण्डान्तराः कारयेत् । चतुर्दश दशोति

### दुर्गों का निर्माण

( १ ) जनपद-सीमाओं की चारों दिशाओं में राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करवाये । दुर्ग चार प्रकार के हैं—१. औदक २. पार्वत ३. धान्वन और ४. वनदुर्ग । चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू के समान गहरे तालाबों में आवृत स्थल-प्रदेश औदकदुर्ग कहलाता है । बड़ी बड़ी चट्टानों अथवा पर्वत की कन्दराओं के रूप में निर्मित दुर्ग पार्वतदुर्ग कहलाता है । जल तथा घास आदि से रहित अथवा सर्वथा ऊसर भूमि में निर्मित दुर्ग धान्वनदुर्ग है । इसी प्रकार चारों ओर दलदल से घिरा हुआ अथवा कटिदार सघन झाड़ियों से परिवृत दुर्ग वनदुर्ग कहलाता है । इनमें औदक तथा पार्वतदुर्ग आपत्तिकाल में जनपद की रक्षा के उपयोग में लाये जाते हैं । धान्वन और वनदुर्ग वनपालों की रक्षा के लिए उपयोगी होते हैं । अथवा आपत्ति के समय इन दुर्गों में भागकर राजा भी अपनी रक्षा कर सकता है ।

( २ ) राजा को चाहिए कि धनोत्पादन के मुख्य केन्द्र बड़े-बड़े स्थानीय नगरों का निर्माण करवाये । वास्तुविद्या के विद्वान् जिस प्रदेश को श्रेष्ठ बतायें, वही पर नगर बसाना चाहिए, अथवा किसी नदी के संगम पर, बड़े-बड़े तालाबों के किनारे, या कमलयुक्त जलाशयों के तट पर भी नगर बसाये जा सकते हैं । नगर का निर्माण सर्व-धित भूमि के अनुसार गोल, लंबा अथवा चौकोर, जैसा भी उचित हो, होना चाहिए । उसके चारों ओर छोटी-छोटी नहरों द्वारा पानी का प्रबन्ध अवश्य रहे । उसके इधर-उधर की भूमि में पैदा होने वाली विक्री योग्य वस्तुओं का सग्रह तथा उनके विक्रय

दण्डान् विस्तीर्णाः विस्तारादवगाधाः पादोनमर्धं वा त्रिभागमूला मूले चतुरश्राः पाषाणोपहिताः पाषाणेष्टकावद्धपाश्वा वा तोषान्तिकीरागन्तु-तोषपूर्णा वा सपरिवाहाः पद्मग्राहवतोः ।

(१) चतुर्दण्डावकृष्ट परिखायाः षड्दण्डोच्छ्रितमवरुद्धं तद्विगुण-विष्कम्भं खातादृप्र कारयेत्; ऊर्ध्वचयं मञ्चपृष्ठं कुम्भकुक्षिकं वा हस्ति-भिर्गोभिश्च क्षृण्व कण्टकिगुल्मविषवल्लीप्रतानवन्तम् । पासुरोषेण वास्तु-च्छिद्रं वा पूरयेत् ।

(२) वप्रस्योपरि प्राकारं विष्कम्भद्विगुणोत्सेधमैष्टकं द्वादशहस्ता-दूर्ध्वमोजं युग्म वा आचतुर्विंशतिहस्तादिति कारयेत् । रथचर्यासञ्चारं

का प्रवृत्त भी वहाँ होना चाहिए । नगर में आने-जाने के लिए जलमार्ग और स्थल-मार्ग दोनों की सुविधा होनी चाहिए । नगर के चारों ओर एक-एक दण्ड ( चार हाथ ) की दूरी पर तीन खाइयाँ खुदवानी चाहिए । वे खाइयाँ ब्रमण, चौदह, बारह और दस दण्ड चौड़ी होनी चाहिए । जिनकी वे चौड़ी हो उससे चौपाई अथवा बाधी गहरी होनी चाहिए । अथवा चौड़ाई का तीसरा हिस्सा गहरी भी हो सकती है । उन खाइयों की ललहटी बराबर चौरस एवं मजबूत पत्थरो से बँधी हो । उनकी दीवारों पत्थर अथवा ईंटों से मजबूत बनी हुई हो । कहीं-कहीं खाइयाँ इतनी कम गहरी हो कि जहाँ में जल बाहर की ओर छलकने लगे अथवा किसी नदी के जल से इन्हें भरा जा सके । उनमें जल के निकलने का मार्ग अवश्य रहना चाहिए । कमल के पूव तथा घडियान आदि जलचर भी उनमें रहे ।

( १ ) लाई से चार दण्ड की दूरी पर छह दण्ड ऊँचा, सब ओर से मजबूत और ऊपर की चौड़ाई से दुगुनी नीच वाला एक बड़ा वप्र ( प्राकार या पमील ) बनवाया जाय । इसके बनवाने में वही मिट्टी काम में लाई जाय, जो खाई से खोदकर बाहर फेंकी गई है । प्राकार ( वप्र ) तीन प्रकार का होना चाहिए—१ ऊर्ध्वचय, २ मञ्चपृष्ठ और ३ कुम्भकुक्षिक, अर्थात् ब्रमण ऊपर पतला, नीचे चपटा और बीच में कुम्भाकार । इन प्राकारों को बनवाते समय, इनकी मिट्टी को हाथी और बैलों से अच्छी तरह रौंदवाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी बैठकर मजबूत हो जाय । इनके चारों ओर बाँटेदार विपैली झाडियाँ लगी होनी चाहिए । प्राकार बन जाने पर यदि मिट्टी बची रह जाय तो उसे उन्हीं गड्ढों में भर देना चाहिए, जहाँ से उसको खोदा गया है, अथवा उस अवशिष्ट मिट्टी से, प्राकार के जो छिद्र रह गए हों, उन्हें भरवा देना चाहिए ।

( २ ) वप्र बन जाने पर उससे ऊपर दीवार बनवानी चाहिए । वह दीवार चौड़ाई में दुगुनी ऊँची हो, कम-से-कम बारह हाथ से लेकर चौदह, सोलह, अठाह

तालमूलमुरजकैः कपिशीर्षकैश्चाचिताग्रं पृथुशिलासंहितं वा शैलं कारयेत्;  
न त्वेव काष्ठमयम् । अग्निरवहितो हि तस्मिन्वसति ।

(१) विष्कम्भचतुरश्रमट्टालकमुत्सेधसमावक्षेपसोपानं कारयेत्,  
त्रिशद्वण्डान्तरं च ।

(२) द्वयोरट्टालकयोर्मध्ये सहर्म्यद्वितलामध्यधायिमा प्रतोलीं कारयेत् ।

(३) अट्टालकप्रतोलीमध्ये त्रिधानुष्काधिष्ठानं सापिधानच्छिद्रफलक-  
संहितमितीन्द्रकोश कारयेत् ।

(४) अन्तरेषु द्विहस्तविष्कम्भ पार्श्वे चतुर्गुणायाममनुप्राकारम् अष्ट-  
हस्तायतं देवपथ कारयेत् ।

(५) दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वाचार्याः कारयेद्; अग्राह्ये देशे प्रधा-  
वितिकां निष्कुहद्वारं च ।

सम सख्याओ मे, अथवा पन्द्रह, सत्रह आदि विषम सख्याओ मे, अधिक-से अधिक चौबीस हाथ तक ऊँची होनी चाहिए। प्राकार का ऊपरी भाग इतना चौड़ा होना चाहिए जिस पर एक रथ आसानी से चलाया जा सके। ताड़ वृक्ष की जड़ के समान, मृदग बाजे के समान, बदर की खोपड़ी के समान आकार वाले ईंट-पत्थरों की ककरीटों से अथवा बड़े-बड़े शिलाखंडों से प्राकार का निर्माण करवाना चाहिए। लकड़ी का प्राकार कभी भी न बनवाना चाहिए, क्योंकि उसमें सदा आग लगने का भय बना रहता है।

(१) प्राकार के आगे एक ऐसी अट्टालिका बनवाये जिसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई प्राकार के बराबर हो। ऊँचाई के अनुपात से उस पर सीढियाँ भी बनवानी चाहिए। ये अट्टालिकाएँ एक-दूसरी से तीस दंड की दूरी पर हो।

(२) दो अट्टालिकाओं के बीच, चौड़ाई से डेढ़गुना लम्बा प्रतोली नाम का एक धर बनवाना चाहिए, जिसकी दूसरी मजिल में जनानखाना रहे।

(३) अट्टालिका और प्रतोली के बीच में इन्द्रकोप नामक एक विशिष्ट स्थान बनवाया जाय। वह इतना ही बड़ा हो जिसमें तीन धनुर्धारी सतरी आसानी से बैठ सकें। उसके आगे छिद्रयुक्त एक ऐसा तख्ता लगा रहना चाहिए, जिससे धनुर्धारी बाहर की वस्तु देख सकें और भीतर से ही निशाना बाँध सकें, किन्तु बाहर के लोग उन्हें न देख सकें।

(४) प्राकार के साथ ही एक ऐसा देवपथ (गुप्तमार्ग या सुरग) बनवाना चाहिए जो अट्टालक, प्रतोली तथा इन्द्रकोप के बीच में दो हाथ चौड़ा और प्राकार के पास आठ हाथ चौड़ा हो।

(५) इसी प्रकार एक दंड या दो दंड की दूरी पर चार्या अर्थात् प्राकार आदि पर चढ़ने उतरने का स्थान बनवाना चाहिए। प्राकार के ऊपर ही जिस स्थान को

(१) बहिर्जानुमञ्जनीत्रिशूलप्रकरकूपकूटावपातकण्ठकप्रतिसराहि-  
पृष्ठतालपत्रशृङ्गाटकश्वदंष्ट्रागर्गलोपस्कन्दनपादुकाम्बरीपोदपानकैः छन्न-  
पथं कारयेत् ।

(२) प्राकारमुभयतो मण्डपकमध्यर्धदण्डं कृत्वा प्रतोलीपट्टलान्तरं  
द्वारं निवेशयेत्; पञ्चदण्डादेकोत्तरवृद्धचाष्टदण्डादिति चतुरश्रम् । द्विदण्डं  
वा । षड्भागमायाभादधिकमष्टभागं वा ।

(३) पञ्चदशहस्तादेकोत्तरमष्टादशहस्तादिति तुलोत्सेधः ।

(४) स्तम्भस्य परिक्षेपाः षडायामा द्विगुणो निखातः चूलिकाया-  
श्चतुर्भागः ।

(५) आदितलस्य पञ्च भागाः शाला वापी सीमागृहं च । दशभागिकी

कोई न देख सके, प्रधावितिका तथा उसके पाम ही निष्कुहद्वार भी बनवाने  
चाहिए। बाहर से छोड़ गये बाण आदि से सुरक्षित रहने के लिए छिपने योग्य आठ  
को प्रधावितिका कहते हैं। उसमें मिशाना मारने के लिए जो छिद्र बनाया जाता  
है, उसको निष्कुहद्वार कहा जाता है।

( १ ) प्राकार की बाहरी भूमि में शत्रुओं के घुटनों को तोड़ देने वाले खूँटे,  
त्रिशूल, अँगूरे गद्दे, लौह-कटक के डेर, सौँप के बटि, ताड़पत्रों के समान बने हुए  
लोहे के जाल, तीन नोकवाले नुकीले बटि, कुत्ते की दाढ़ के समान लोहे की तीक्ष्ण  
कीलें, बड़े बड़े लट्टे, कीचड़ से भरे हुए गढ़े, आग और जहरीले पानी के गढ़े आदि  
बनाकर दुर्ग के मार्ग को पाट देना चाहिए।

( २ ) ज़िम स्थान पर किले का दरवाजा बनवाना हो, वहाँ पहिले प्राकार के  
दोनों भागों में डेढ़ दण्ड लम्बा-चौड़ा मण्डप ( चतुरस्र ) बनाया जाय। तदनन्तर  
उसके ऊपर प्रतोली के समान छह खम्भे खड़े करके द्वार का निर्माण करवाया जाय।  
द्वार का निर्माण पाँच दह परिधि से करना चाहिए, और तदनन्तर एक-एक दह  
बढ़ाने हुए अधिक से अधिक आठ दह तक उसकी परिधि होनी चाहिए, अथवा, कुछ  
विद्वानों के मत से दरवाजा दो दह का हो। या नीचे के आधार के परिमाण से छठा  
तथा आठवाँ हिस्सा अधिक ऊपर का दरवाजा बनवाया जाय।

( ३ ) दरवाजे के खम्भों की ऊँचाई पन्द्रह हाथ से लेकर अठारह हाथ तक  
होनी चाहिए।

( ४ ) खम्भों की मोटाई उसकी ऊँचाई से छठा हिस्सा होती चाहिए। मोटाई  
से दुगुना भाग भूमि में गाड़ दिया जावे और चौथाई भाग खम्भे के ऊपर चूल के  
लिए छोड़ दिया जावे।

( ५ ) प्रतोलिका के तीन तल्लों में से पहिले तल्ले के पाँच हिस्से किए जाय।



समतत्वारणौ द्वौ प्रतिमञ्चौ अन्तरम् आनिः । हर्म्यं च समुच्छ्रयाद्यंतलं  
स्थूणावबन्धश्च । आर्धवास्तुकमुत्तमागारं त्रिभागान्तरं वा, इष्टकावबद्ध-  
पाद्वं, वामतः प्रदक्षिणसोपानं गूढभित्तिसोपानमितरतः ।

(१) द्विहस्तं तोरणशिरः, त्रिपञ्चभागिकी द्वौ कवाटयोगौ, द्वौ द्वौ  
परिधौ, अरत्निरिन्द्रकीलः, पञ्चहस्तमणिद्वारं, चत्वारो हस्तिपरिधाः ।

(२) निवेशार्धं हस्तिनखः मुखसमः । सत्रमोऽसंहायौ वा भूमिमयो वा  
निरदके ।

(३) प्राकारसमं मुखमत्रस्याप्य त्रिभागगोधामुखं गोपुरं कारयेत्;  
प्राकारमध्ये कृत्वा वापौ पुष्करिणीद्वारं, चतुःशालमध्यर्धान्तराणिकं

उनमें से बीच के हिस्से में बावड़ी बनवाई जाय, उसके दायें-बायें शाला और शाला  
के छोरो पर सीमागृह बनवाये जाय । शाला के किनारों पर भी आमने-सामने छोटे-  
छोटे दो चबूतरे बनवाये जाय जिन पर दुर्जे भी हो । शाला और सीमागृह के बीच  
में आनि ( एक छोटा दरवाजा ) होना चाहिए । मकान की दूसरी मजिल की  
ऊँचाई पहिली मजिल की ऊँचाई में आधी होनी चाहिए, उसकी छत के नीचे सहारे  
के लिए छोटे छोटे खम्भे भी होने चाहिए । मकान की तीसरी मजिल को उत्तमागार  
कहते हैं, उसकी ऊँचाई डेढ़ दंड होनी चाहिए । उत्तमागार परिमाण द्वार का तृतीयांग  
होना चाहिए । उसके पाद्वं भाग पक्की ईंटों में मजबूत होने चाहिए । उसकी बाईं  
और घुमावदार सीटियाँ और दाहिनी ओर गुप्त सीटियाँ होनी चाहिए ।

( १ ) किले के दरवाजे का ऊपरी दुर्जे दो हाथ लम्बा होना चाहिए । दोनों  
फाटक तीन या पाँच तल्लों की पतं के बने हों । किवाड़ों के पीछे दो-दो अँगलाएँ  
होनी चाहिए । किवाड़ों को दन्द करने के लिए एक अरत्नी परिमाण ( एक हाथ )  
की इन्द्रकील ( चटखनी ) होनी चाहिए । फाटक के बीच में पाँच हाथ का एक छोटा  
सा दरवाजा जुड़ा होना चाहिए । पूरा दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें  
चार हाथी एक साथ प्रवेश कर सकें ।

( २ ) द्वार की ऊँचाई का आधा, हाथी के नाखून के आकार प्रकार का, मजबूत  
लकड़ी का बना हुआ ऐसा मार्ग होना चाहिए जिससे मघा अवसर किले में टहला जा  
सके । जहाँ जल है जहाँ से जहाँ सिंही का ही मार्ग बनना चाहिए ।

( ३ ) प्राकार की ऊँचाई जितना कि तु उसके तृतीयांग जितना, गोह के मुँह के  
आकार का एक नगरद्वार भी बनवाना चाहिए । प्राकार के बीच में एक बावड़ी  
बनाकर उससे संबद्ध एक द्वार भी बनवाने । उस द्वार को पुष्करिणी कहते हैं ।  
जिस दरवाजे के आसपास चार शालाएँ बनाई जाय और उस दरवाजे में पुष्करिणी  
द्वार से बंधोटा दरवाजा लगा हो । उसका नाम कुमारीपुरद्वार है । जो दरवाजा

कुमारीपुरं, मुण्डहर्म्यं द्वितलं मुण्डकद्वारं, भूमिद्वयवशेन वा । त्रिभागा-  
धिकायामा भाण्डवाहिनीः कुल्याः कारयेत् ।

(१) तासु पाषाणकुद्दालकुठारोकाण्डकल्पनाः ।  
मुसुण्डमुद्गरा दण्डचक्रयन्त्रशतघ्नयः ॥  
कार्याः कार्मारिकाः शूला वेधनाप्राश्त्र वेणवः ।  
उष्ट्रघ्नोव्योऽग्निसंयोगाः कुम्पकल्पे च यो विधिः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे दुर्गविधान नाम तृतीयोध्यायः,  
आदितस्त्रयोविशः ॥

— • —

दुर्गजिला हो एव जिस पर कगूरे आदि न लगे हों, उमें मुण्डकद्वार कहते हैं । इस प्रकार राजा अपनी भूमि और संपत्ति के अनुसार जैसा उचित समझे, कुछ परिवर्तन करके दरवाजों को बनवाये । किले के अन्दर की नहरें सामान्य नहरों से तिगुनी चौड़ी बनवाये, जिनके द्वारा हर प्रकार का सामान अन्दर और बाहर ले जाया लाया जा सके ।

( १ ) पत्थर, कुदाली, कुल्हाड़ी, बाण, हाथियों का सामान, गदा, मुद्गर, लाठी, चक्र, मनीषे, तोपें, लोहारों के औजार, लोहे का बना सामान, नुकीले भाले, बांस, ऊँट की गर्दन के आकार वाले हथियार, अग्निबाण आदि सामान नहर के द्वारा लाया और ले जाया जाता है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।

— • —

(१) त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभागः । स द्वादशद्वारो युक्तोदकभूमिच्छन्नपथः ।

(२) चतुर्दण्डान्तरा रथ्याः । राजमार्गद्रोणमुखस्थानीयराष्ट्रविवीत-पथाः संयानीयव्यूहश्मशानग्रामपथाश्चाष्टदण्डाः । घतुर्दण्डः सेतुवनपथः । द्विदण्डो हस्तिक्षेत्रपथः । पञ्चारत्नयो रथपथश्चत्वारः पशुपथो द्वौ क्षुद्रपशुमनुष्यपथः ।

(३) प्रवोरे वास्तुनि राजनिवेशश्चातुर्वर्ण्यसमाजीवे । वास्तुहृदयादु-त्तरे नवभागे यथोक्तविधानमन्तःपुरं प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वा कारयेत् । तस्य

### दुर्ग से संबन्धित राजभवनों तथा नगर के

#### प्रमुख स्थानों का निर्माण

( १ ) वास्तुविद्याविशेषज्ञों के निर्देशानुसार जिस भूमि को नगर-निर्माण के लिए चुना जाय उसमें पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले तीन-तीन राजमार्ग हो । इन छह राजमार्गों में नगर-निर्माण या गृह निर्माण की भूमि का विभाग करना चाहिए । चारों दिशाओं में कुल मिलाकर बारह द्वार हो, जिसमें जल, धूल तथा गुप्त मार्ग बने हो ।

( २ ) नगर में चार दण्ड ( २४ फीट ) चौड़ी रथ्याएँ ( छोटी गलियाँ ) हो । राजमार्ग, द्रोणमुख ( चार सौ गाँवों का मुख्य केन्द्र ), स्थानीय ( आठ सौ गाँवों का मुख्य केन्द्र ) राष्ट्र, चरागाह, संयानीय ( व्यापारी मंडियाँ ), सैनिक छावनियाँ, श्मशान और गाँवों की ओर जाने वाली सभी सड़कों की चौड़ाई आठ दण्ड ( १६ गज ) होनी चाहिये । जलाशयों तथा जंगलों की ओर जाने वाली सड़कों की चौड़ाई चार दण्ड होनी चाहिये । हाथियों के आने-जाने का मार्ग और खेतों को जाने वाला रास्ता दो दण्ड चौड़ा होना चाहिये । रथों के लिए पाँच अरत्ति ( दस गज ) और पशुओं के चलने का रास्ता दो गज चौड़ा होना चाहिये । मनुष्य तथा भेड़-बकरी आदि छोटे पशुओं के लिए एक गज चौड़ा रास्ता होना चाहिए ।

( ३ ) नगर के मुद्दूद भूमिभाग में राजभवनों का निर्माण कराना चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि चारों वर्णों की आजीविका के लिए

पूर्वोत्तरं भागमाचार्यपुरोहितेज्यातोपस्थानं मन्त्रिणश्चावसेयुः । पूर्वदक्षिणं भाग महानस हस्तिशाला कोष्ठागार च । ततः पर गन्धमाल्यधान्यरस-पण्याः प्रधानकारव क्षत्रियाश्च पूर्वा दिशमधिवसेयुः । दक्षिणपूर्व भागं भाण्डागारमक्षपटल कर्मनिपद्याश्च । दक्षिणपश्चिमं भाग कुप्यगृहमायुधा-गारं च । ततः पर नगरधान्यव्यावहारिककार्मान्तिकबलाध्यक्षाः पक्वान्न-सुरामासपण्या रूपाजीवास्तालावचरा वंश्याश्च दक्षिणा दिशमधिवसेयुः । पश्चिमदक्षिण भाग खरोष्ट्रगुप्तिस्थानं कर्मगृहं च । पश्चिमोत्तरं भागं यानरथशाला । ततः पर ऊर्णामूत्रवेणुचर्मवर्मशस्त्रावरणकारवः शूद्राश्च पश्चिमा दिशमधिवसेयुः । उत्तरपश्चिम भाग पण्यमैपज्यगृहम्, उत्तरपूर्व भागं कोशो गवाश्वं च । ततः परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो ब्राह्मणा-श्चोत्तरा दिशमधिवसेयुः । वास्तुच्छिद्रानुलासेषु श्रेणीप्रवहणिकनिकाया आवसेयुः ।

उपयोगी हो । गृह भूमि के बीच से उत्तर की ओर नवें हिस्से में, निशात-प्रणिधि प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, अंत पुर का निर्माण कराना चाहिये, जिसका द्वार पूरब या पश्चिम की ओर हो । अन्त पुर के पूर्वोत्तर भाग में आचार्य, पुरोहित के भवन, यज्ञशाला, जनाशय और मंत्रियों के भवन बनवाये जाय । अन्त पुर के पूर्व-दक्षिण भाग में महानस ( रणोईधर ), हस्तिशाला और कोष्ठागार ( भंडार ) हो । उसके आगे पूरब दिशा में इन, तेल, पुष्पहार, अन्न, धी, तेल की दुकानों और प्रधान कारीगरों एवं क्षत्रियों के निवासस्थान होने चाहिए । दक्षिण पूरब में भांडागार, राजकीय पदार्थों के आय व्यय का स्थान और सोने-चाँदी की दुकानें होनी चाहिए । इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा में शस्त्रागार तथा सोने चाँदी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को रखने का स्थान होना चाहिये । उससे आगे, दक्षिण दिशा में नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, खदानों तथा कारखानों के निरीक्षक, सेनाध्यक्ष, भोज-नालय, शराब एवं मांस की दुकानें, वेश्या, नट और वेश्य आदि के निवासस्थान होने चाहिए । पश्चिम-दक्षिण भाग में ऊँटों एवं गधों के गुप्ति स्थान ( तवेले ) तथा उनके व्यापार के लिए एक अस्थायी घर बनवाया जाय । पश्चिम-उत्तर की ओर रथ तथा पालकी आदि सवारियों को रखने के स्थान होने चाहिए । उसके आगे, पश्चिम दिशा में ही ऊन, मूत, बाँस और चमड़े का कार्य करने वाले, हथियार और उनके म्यान बनवाने वाले और शूद्र लोगों के घर बनावे जाने चाहिए । उत्तर-पश्चिम में राजकीय पदार्थों को देखने-खरीदने का बाजार और औषधालय होने चाहिए । उत्तर-पूरब में कोषगृह और गाय, बैल तथा घोड़ों के स्थान बनवाने चाहिए । उसके आगे, १८ दिशा की ओर नगरदेवता, कुलदेवता, लुहार, मनिहार और ब्राह्मणों के स्थान

(१) अपराजिताप्रतिहतजयन्तवैजयन्तकोष्ठकान् शिववैश्रवणाश्विश्ची-  
मदिरागृहं च पुरमध्ये कारयेत् । कोष्ठकालयेषु यथोद्देशं वास्तुदेवताः  
स्थापयेत् । ब्राह्मैन्द्रयाम्यसैनापत्यानि द्वाराणि । बहिः परिखायाः धनुश-  
तावकृष्ठाश्रैत्यपुण्यस्थानवनसेतुबन्धाः कार्याः, यथादिशं च दिग्देवताः ।

(२) उत्तरः पूर्वो वा श्मशानवाटः, दक्षिणेन वर्णोत्तमानाम् । तस्या-  
तिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।

(३) पायण्डचण्डालानां श्मशानान्ते वासः ।

(४) कर्मान्तक्षेत्रवशेन वा कुटुम्बिनां सीमानं स्थापयेत् । तेषु पुष्प-  
फलवाटषण्डकेदारान्दान्यपण्यनिचर्यांश्चानुज्ञाताः कुर्युः, दशकुलीवाटं कूप-  
स्थानम् । सर्वस्नेहधान्यक्षारलयणभैषज्यशुष्कशाकयवसवल्सूरतृणकाष्ठ-

वनवाये जायें । नगर के ओर-छोर जहाँ खाली जगह छूटी है, घोबी, दर्जी, जुलाहे  
और विदेशी व्यापारियों को बसाया जाय ।

( १ ) दुर्गा, विष्णु, जयत, इन्द्र, शिव, वरुण, अश्विनीकुमार, लक्ष्मी और  
मदिरा, इन देवताओं की स्थापना नगर के बीच में करनी चाहिये । कोष्ठागार आदि  
में भी कुलदेवता या नगरदेवता की स्थापना करनी चाहिये । प्रत्येक दिशा के मुख्य  
द्वार पर उसके अधिष्ठाता देवता की स्थापना की जाय । उत्तर का देवता ब्रह्मा, पूर्व  
का इन्द्र, दक्षिण का यम और पश्चिम का सेनापति ( कुमार ) होता है । नगर की  
परिखा से बाहर दो-सौ गज को दूरी पर वैत्य, पुण्यस्थान, उपवन और सेतुबद्ध आदि  
स्थानों की रचना और यथास्थान दिग्देवताओं की भी स्थापना की जाय ।

( २ ) नगर के उत्तर या पूरब में श्मशान होना चाहिए । दक्षिण दिशा में  
छोटी जाति वाले लोगों का श्मशान होना चाहिए । जो भी इस नियम का उल्लंघन  
करे उसे प्रथम साहस-दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) कापालिकों और चाण्डालों का निवासस्थान श्मशानों के ही समीप  
बनवाया जाय ।

( ४ ) नगर में बसने वाले परिवारों को उनके अध्ववसाय तथा उनके योग्य  
भूमि की गुञ्जायश देखकर ही, बसाया जाय । उन खेतों में फूल, फल, साग-सब्जी,  
कमल आदि का बजारिया बनाई जायें । राजा तथा राजपुरुषों का आज्ञा प्राप्त कर  
उनमें अनाज तथा विक्रय योग्य वस्तुएँ पैदा की जायें । दशकुलीवाट ( बीस हलों  
से जोती जाने योग्य भूमि ) के बीच सिचाई के लिए एक कुआँ होना चाहिए । घी,  
तेल, इत्र, हार, नमक, दवा, सूखे साक, भूसा, सूखा मास, घास, लकड़ी, लोहा,  
चमड़ा, कोयला, ताँत, विप, सीग, बाँस, छाल, चन्दन या देवदारु की लकड़ी, हथि-  
यार, कबच और पत्थर, इन सभी वस्तुओं को दुर्ग के अन्दर इतनी तादात में जमा

लोहघर्माङ्गारस्नायुविषविषाणवेणुवत्कलसारदारुप्रहरणायर्णरिभनिचपान-  
नेकवर्षोपभोगसहान् कारयेत् । नवेनानव शोधयेत् ।

( १ ) हस्त्यश्वरथपादातमनेकमुह्यमवस्थापयेत् । अनेकमुह्य हि  
परस्परभयात् परोपजाप नोपैतीति ।

( २ ) एतेनान्तपालदुर्गसंस्कारा व्याप्याताः ।

( ३ ) न च बाहिरिकान्कुर्यात्पुरराष्ट्रोपघातकान् ।

क्षिपेज्जनपदस्यान्ते सर्वान्वादापयेत्करान् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे दुर्गनिवेशश्चतुर्थोऽध्याय ,  
आदितश्चतुर्विंश ॥

— ० —

होना चाहिये कि कई वर्षों तक उपयोग में लाने के लिए वे पर्याप्त हों । उनमें पुरानी  
वस्तु की जगह नई वस्तु रख देनी चाहिए ।

( १ ) हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन चारों प्रकार की सेनाओं को अनेक  
सुयोग्य सेनाध्यक्षों के सरक्षण में रखा जाना चाहिए । क्योंकि अनेक सेनाध्यक्षों की  
नियुक्ति से पहिला लाभ तो यह है कि पारस्परिक भय के कारण वे शत्रु में जाकर  
नहीं मिल पाते और दूसरा लाभ यह है कि एक अध्यक्ष के फूट जाने पर दूसरा  
अध्यक्ष उसका कार्य सम्भाल सकता है ।

( २ ) इन नगरदुर्गों के निर्माण के नियमों के अनुसार ही जनपद की सीमा के  
दुर्गों और उनके भ्रमण का विधान समझ लेना चाहिये ।

( ३ ) राजा को चाहिए कि वह नगर में ऐसे लोगों को न बसने दे, जिनके  
कारण राष्ट्र तथा नगर का नैतिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय स्तर गिरता हो । यदि  
इनको बसाना ही हो तो सीमा-प्रान्त में बसाया जाय और उनसे राग्यकर वसूल  
किया जाय ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) सन्निधाता कोशगृहं पण्यगृहं कोष्ठागारं कुप्यगृहमायुधागारं बन्धनागारं च कारयेत् ।

(२) चतुरश्रां वापीमनुदकोपस्नेहां खानयित्वा पृथुशिलाभिरुभयतः पार्श्वं मूलं च प्रचित्य सारदारुपञ्जरं भूमिसमत्रितलमनेकविधानं कुट्टिम-  
देशस्यानतलमेकद्वारं यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं भूमिगृहं कारयेत् ।  
तस्योपर्युभयतोनिषेधं सप्रग्रीवमैष्टकं भाण्डवाहिनीपरिक्षिप्तं कोशगृहं  
कारयेत्, प्रासादं वा । जनपदान्ते ध्रुवनिधिमापदर्थमभित्यक्तः पुरुषः  
कारयेत् ।

(३) पक्वेष्टकास्तम्भं चतुःशालमेकद्वारमनेकस्थानतलं विवृतस्तम्भा-

### कोपगृह का निर्माण और कोपाध्यक्ष के कर्त्तव्य

( १ ) सन्निधाता ( कोपाध्यक्ष ) को चाहिए कि वह कोपगृह, पण्यगृह ( राज-  
कीय विक्रीय वस्तुओं का स्थान ), कोष्ठागार ( भाण्डारगृह ), कुप्यगृह ( अन्नागार ),  
शस्त्रागार और कारागार का निर्माण करवाये ।

( २ ) सीलरहित स्थान में बावडी के समान एक चौरस गढ़ा खुदवाकर चारों  
ओर से उनकी दीवारों और उसके फर्श को मोटी मजबूत शिलाओं से चुनवाना  
चाहिए । उसके बीच में मजबूत लकड़ियों से बने हुए पिंजरे के समान अनेक कोठ-  
रियाँ हों, उसमें तीन मजिलें हों, तीनों मजिलों में बढिया दरवाजे तथा सुन्दर फर्श  
हो, ऊपर-नीचे चढ़ने उतरने के लिए उसमें लिफ्ट लगा हो, उसके दरवाजों पर  
देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हों, इस प्रकार का एक भूमिगृह ( तहखाना, अण्डर-  
ग्राउण्ड ) बनवाना चाहिए । उस भूमिगृह के ऊपर एक कोपगृह ( खजाना ) बनवाना  
चाहिए, उस पर भीतर-बाहर से बन्द की जाने वाली अर्गलाएँ हों, एक बरामदा हो,  
पक्की ईंटों से उसको बनाया गया हो, एब वह चारों ओर अनेक पदार्थों से भरे हुए  
मकानों से घिरा हो । जनपद के मध्यभाग में प्राणदण्ड पाप्य पुरुषों के द्वारा, आपत्ति  
में काम आने वाला एक ध्रुवनिधि ( गुप्त खजाना ) बनवाना चाहिए ।

पण्यगृह और गोष्ठागार

( ३ ) पक्की ईंटों से चुना हुआ, चार भवनों से परिकृत, एक दरवाजे वाला,

पसारमुभयतः पण्यगृहं, कोष्ठागारं च, दीर्घं बहुलशालं कक्ष्यावृतकुड्य-  
मन्तः कुप्यगृहं, तदेव भूमिगृहयुक्तमायुधागारं, पृथग् ।

(१) धर्मस्थीयं महामात्रीयं विभक्तस्त्रीपुरुषस्थानमपसारतः सुगुप्त-  
कक्ष्यं बन्धनागारं कारयेत् ।

(२) सर्वेषां शालाखातोदपानवच्च स्नानगृहाग्निविषत्राणमाजरी-  
नकुलारक्षाः स्वदेवपूजनयुक्ताः कारयेत् ।

(३) कोष्ठागारे वर्षमानमरत्निमुखं कुण्डं स्थापयेत् ।

(४) तज्जातकरणाधिष्ठितः पुराणं नवं च रत्नं सारं फल्गु कुप्य वा

अनेक कक्षो एव मजिलो से युक्त और चारो ओर खुले हुए खम्भो वाले चबूतरे से घिरा हुआ पण्यगृह ( विक्रीय वस्तुओ को रखने का घर ) तथा कोष्ठागार ( कोठार ) बनवाना चाहिए ।

### कुप्यगृह और शस्त्रागार

अनेक लम्बे दालानो से युक्त, चारो ओर अनेक कोठरियो से घिरी हुई दीवालो वाला, भीतर की ओर कुप्यगृह बनवाना चाहिए । उसी मे एक तहखाना बनवाकर शस्त्रागार बनवाया जाय ।

### कारागृह

( १ ) धर्मस्थ ( न्यायाधीश ) और महायगम ( तन्त्रिघाता, समाहर्ता आदि ) से सजा पाये हुए लोगो को कारागृह मे रखना चाहिए । कारागृह मे स्त्री पुरुषो के लिए अलग-अलग स्थान होने चाहिए । उसके बहिर्भाग तथा चारो ओर की अच्छी तरह रखा होनी चाहिए ।

( २ ) उक्त सभी कोशगृह आदि स्थानो मे शाला, परिखा और कूओ की तरह स्नानागार भी बनवाने चाहिए । अग्नि और विष से भी उनकी रक्षा की जानी चाहिए । विष की रक्षा के लिए बिल्ली और नेबला आदि को पालना चाहिए । इन स्थानो की भलीभाति रक्षा की जानी चाहिए । उनके अधिष्ठित देवताओ जैसे, कोप-गृह का कुबेर, पण्यगृह तथा कोष्ठागार की श्री, कुप्यगृह का विश्वकर्मा, शस्त्रागार का यम और बन्दीगृह का वरुण आदि की पूजा करवानी चाहिए ।

( ३ ) वर्षाजल को भापने के लिए कोष्ठागार मे एक ऐसा कुण्ड बनवाया जाना चाहिए जिसके मुँह का घेरा एक अरत्नि ( चौबीस अंगुल ) हो ।

( ४ ) कोष्ठागाराध्यक्ष, प्रत्येक वस्तु के विशेषज्ञो की सहायता से नये और पुराने का भेद समझकर रत्न, चन्दन, वस्त्र, लकडी, चमडा, दाँस आदि उपयोगी वस्तुओ का संग्रह करे । यदि कोई व्यक्ति असली रत्न की जगह नकली रत्न दे और



प्रतिगृह्णीयात् । तत्र रत्नोपधावुत्तमो दण्डः कर्तुः कारयितुश्च, सारोपधौ मध्यमः, फल्गुकुप्पोपधौ तच्च तावच्च दण्डः ।

(१) रूपदर्शकविशुद्धं हिरण्यं प्रतिगृह्णीयाद्, अशुद्धं छेदयेत् । आहर्तुः पूर्वः साहसदण्डः ।

(२) शुद्धं पूर्णमभिनवं च धान्यं प्रतिगृह्णीयात् । विपर्यये मूलद्विगुणो दण्डः ।

(३) तेन पण्यं कुप्यमायुधं च व्याख्यातम् ।

(४) सर्वाधिकरणेषु युक्तोपयुक्ततत्पुरुषाणां पणद्विपणचतुष्पणाः, परमपहारेषु पूर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः ।

(५) कोशाधिष्ठितस्य कोशावच्छेदे घातः । तद्व्यावृत्त्यकाराणामर्थ-दण्डः । परिभाषणमविज्ञाते । चोराणामभिप्रधर्षणे चित्रो घातः ।

छल से असली रत्न का अपहरण कर ले जाय तो अपहरण करने वाले और कराने वाले, दोनों को उत्तम साहसदण्ड दिया जाय । चन्दन आदि वस्तुओं में कपट करने पर मध्यम साहसदण्ड दिया जाना चाहिए । वस्त्र, लकड़ी और चमड़ा जैसे पदार्थों में छल करने वाले व्यक्ति से बँसी ही दूसरी वस्तु ले ली जाय या उसका मूल्य ले लिया जाय और उतना ही उससे दण्डरूप में वसूल कर लिया जाय ।

( १ ) सिक्को के पारखी पुरुषों द्वारा स्वर्णमुद्रा का सग्रह किया जाना चाहिए । सिक्को में से जो नकली मालूम हो उसको तत्काल ही काट दिया जाय, जिससे उसको व्यवहार में न लाया जा सके । नकली सिक्को को लाने वाले पुरुष भी प्रथम साहस-दण्ड के अपराधी हैं ।

( २ ) धान्याधिकारी पुरुष को चाहिए कि वह शुद्ध, पूरा तथा नया अन्न ले । यदि वह ऐसा न करे तो उससे दुगुना दण्ड वसूल किया जाय ।

( ३ ) इसी प्रकार पण्य, कुप्य और आयुध के सम्बन्ध में भी नियम समझने चाहिए ।

( ४ ) प्रत्येक अधिकारी पुरुष को, उसके सहकारियों को तथा उन दोनों के बीच काम करने वाले पुरुषों को, पहली बार किसी वस्तु का अपहरण करने पर क्रमशः एक पण, दो पण और चार पण का दण्ड दिया जाना चाहिए । यदि वे फिर भी अपहरण करें तो क्रमानुसार उन्हें प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । इस पर भी वे न मानें तो उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय ।

( ५ ) कोषाध्यक्ष यदि सुरंग आदि उपाय से कोष का अपहरण करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय । इसमें अधीनस्थ लोगों को उसका बाधा दण्ड दिया जाय । यदि कोष का अपहरण करने में अधीनस्थ लोगों का हाथ न हो तो उन्हें दण्ड न

- (१) तस्मादाप्तपुरुषाधिष्ठितः सन्निधाता निचयावनुतिष्ठेत् ।  
 (२) बाह्यमाभ्यन्तरं चायं विद्याद्वयंशतादपि ।  
 यथा पृष्टो न सज्येत व्ययक्षेपं च दर्शयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सन्निधातृनिचयकर्म पञ्चमोऽध्याय ,  
 आदित पञ्चविंश ॥

— . ० . —

दिया जाय । केवल उनकी निंदा तथा उपहास कर उनको दुत्कारा जाय । यदि चोर सेंध लगाकर चोरी करें तो उन्हें चित्रवध का दण्ड ( कष्टकर प्राणदण्ड ) दिया जाय ।

( १ ) इसलिए कोषाध्यक्ष को चाहिए कि विश्वासी पुरुषों के सहयोग से ही वह धन-संग्रह आदि का कार्य करे ।

( २ ) कोषाध्यक्ष को चाहिए कि वह जनपद तथा नगर से होने वाली आय को अच्छी तरह से जाने । इस सम्बन्ध में उसे इतनी जानकारी होनी चाहिए कि यदि उससे सौ वर्ष पीछे की आय का लेखा-जोखा पूछा जाय तो तत्काल ही वह उसकी समुचित जानकारी दे सके । बचे हुए धन को वह सदा फोप में दिखाता रहे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सन्निधातृनिचयकर्म नामक  
 पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) समाहर्ता दुर्गं राष्ट्रं खनिं सेतुं वनं व्रजं वणिक्पथं चावेक्षेत ।

(२) शुल्कं दण्डः पौतवं नागरिको लक्षणाध्यक्षो मुद्राध्यक्षः सुरासूनासूत्रं तैलं घृतं क्षारः सौवर्णिकः पण्यसंस्था वैश्या द्यूतं वास्तुकं कारुशिल्पिगणो वैवताध्यक्षो द्वारवाहिरिकादेयं च दुर्गम् ।

(३) सीता भागो बलिः करो वणिक् नदीपालस्तरो नावः पट्टनं विव्रीतं वर्तनी रज्जूश्चोररज्जूश्च राष्ट्रम् ।

(४) सुवर्णरजतवज्रमणिमुक्ता-प्रवालशङ्ख-लोहलवणभूमि-प्रस्तररस-घातवः खनिः ।

### समाहर्ता का कर-संग्रह कार्य

( १ ) समाहर्ता ( कलक्टर जनरल ) को चाहिये कि वह १ दुर्ग, २. राष्ट्र, ३. खनि, ४. सेतु, ५. वन, ६. व्रज और ७. व्यापार सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण करे ।

( २ ) दुर्ग : शुल्क ( चुङ्गी ), दण्ड ( जुर्माना ), पौतव ( तराजू-बाट ), नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष ( पटवारी, कानूनगो, अमीन ), मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष ( आबकारी अधिकारी ), सूनाध्यक्ष ( फांसी देने वाला ), सूत्राध्यक्ष, तेल-धी आदि का विक्रेता, सुवर्णाध्यक्ष, दुकान, वैश्या, द्यूत, वास्तुक ( शिल्पी ), बढई, लुहार, सुनार, मन्दिरों के निरीक्षक, द्वारपाल और नट-नर्तक आदि से लिया जाने वाला धन दुर्ग कहलाता है ।

( ३ ) राष्ट्र : सीता ( खेती ), भाग ( धान्य का पट्टाश ), बलि ( उपहार ), कर ( फल, वृक्ष आदि का टैक्स ), वणिक् ( व्यापारकर ), नदीपालस्तर ( नदी पार होने का टैक्स ), नाव का कर, पट्टन ( कस्बों की आय ), विव्रीत ( चरगाहों की आय ), वर्तनी ( मार्गकर ), रज्जू ( भूमि निरीक्षकों द्वारा प्राप्तव्य धन ) और चोर रज्जू ( चोरों को पकड़ने के लिये ग्रामवासियों से मिला धन ) आदि आय के साधन राष्ट्र नाम से कहे जाते हैं ।

( ४ ) खनि : सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा, शंख, लोहा, लवण, भूमि, पत्थर और खनिज पदार्थ खनि कहे जाते हैं ।

(१) पुष्पफलवाटपण्डकेदारमूलवापाः सेतुः ।

(२) पशुमृगद्रव्यहस्तिवनपरिग्रहो वनम् ।

(३) गोमहिषमजाविकं खरोष्ट्रमश्वारवतराश्च व्रजः ।

(४) स्थलपथो वारिपथश्च वणिक्पथः ।

(५) इत्यापशरीरम् । मूलं भागो व्याजी परिधः बल्लप्तं रूपिकमत्यय-  
श्चायमुद्धम् ।

(६) देवपितृपूजादानार्थं स्वस्तिवाचनमन्तःपुरं महान्तं द्रुतप्रवर्तितं  
कोष्ठागारमायुधागारं पण्यगृहं कुप्यगृहं कर्मान्तो विष्टिः पत्पश्वरथद्विप-  
परिग्रहो गोमण्डलं पशुमृगपक्षिव्यालघाटाः काष्ठतृणवाटश्चेति व्यय-  
शरीरम् ।

(७) राजवर्षे मासः पक्षो दिवसश्च व्युष्टम् । वपहिमन्तप्रोष्माणां  
तृतीयसप्तमा दिवसोनाः पक्षाः, शोषाः पूर्णाः । पृथगधिमासक इति कालः ।

( १ ) सेतु फूल, फल, केला, सुपारी, अन्न के खेत, अदरक और हल्दी के खेत इन सबको सेतु कहा जाता है ।

( २ ) वन हरिण आदि पशु, लकड़ी आदि द्रव्य और हाथियों के जंगल को वन कहा जाता है ।

( ३ ) व्रज गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊँट, घोड़ा, लकड़र आदि जानवर व्रज नाम से कहे जाते हैं, क्योंकि वे अपने गोष्ठ ( व्रज ) में रहते हैं ।

( ४ ) वणिक्पथ : स्थलमार्ग और जलमार्ग, व्यापार के इन दो मार्गों को वणिक्पथ कहा जाता है ।

( ५ ) ये सभी आमदनी के साधन हैं । इनके अतिरिक्त मूल ( अनाज, साग, सब्जी आदि को बेचकर एकत्र किया गया धन ), भाग ( पैदावार का पट्टाश ), व्याजी ( कपटी व्यापारियों से दण्ड रूप में वसूल किया गया धन ), परिध ( लावारिस का धन ), बल्लत ( नियत कर ), रूपिक ( नमककर ), अत्यय ( जुरमाने का धन ), आदि भी आमदनी के साधन हैं ।

( ६ ) देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्तिवाचन आदि धार्मिक कृत्य, अन्त पुर, रसोईघर, द्रुत प्रैपण, कोष्ठागार, शस्त्रागार, पण्यगृह, कुप्यगृह का व्यय कर्मान्त ( कृषि, व्यापार ), विष्टि ( बेगारी का व्यय ), पैदल, हाथी, घोड़ा तथा रथ आदि चारों प्रकार के सेना-सग्रह का व्यय, गाय, भैंस, बकरी आदि उपयोगी पशुओं का व्यय, हरिण, पक्षी तथा अन्य हिंसक जंगली जानवरों की रक्षा के लिए किया गया व्यय और स्थान, लकड़ी, घास आदि के जंगलों की सुरक्षा के लिए किया गया व्यय, ये सभी व्यय के स्थान कहलाते हैं ।

( ७ ) राजा के राज्याभिषेक के बाद, उसके प्रत्येक कार्य में 'श्युष्ट' नाम से कहे

(१) करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नीवी च ।

(२) संस्थानं प्रचारः शरीरावस्थापनमादानं सर्वसमुदयपिण्डः सञ्जातमेतत्करणीयम् ।

(३) कोशापित राजहरः पुरव्ययश्च प्रविष्टं, परमसंवत्सरानुवृत्तं शासनमुक्तं मुखाज्ञप्तं चापातनीयम्, एतत्सिद्धम् ।

(४) सिद्धिप्रकर्मयोगः दण्डशेषमाहरणीयं, बलात्कृतप्रतिस्तब्धमवसृष्टं च प्रशोध्यम्, ऐतच्छेषमसारमल्पसारं च ।

(५) वर्तमानः पर्युपितोऽन्यजातश्चाय. । दिवसानुवृत्तो वर्तमानः । परमसावत्सरिकः परप्रचारसंक्रान्तो वा पर्युपितः । नष्टप्रस्मृतमायुक्तदण्डः पार्श्वं पारिहीणिकमौपायनिकं डमरगतकस्वमपुत्रकं निधिश्चान्यजातः । विक्षेपव्याधितान्तरारम्भशेषश्च व्ययप्रत्यायः । विक्रये पण्यानामर्घ्यवृद्धिरुपजा मानोन्मानविशेषो व्याजी क्रयसङ्घर्षे वा वृद्धिरित्यायः ।

जाने वाले वर्ष, मास, पक्ष और दिन इन चारों बातों का उल्लेख होना चाहिये, राजवर्ष के तीन विभाग हैं - १. वर्षा २ हेमन्त और ३. ग्रीष्म, इन तीनों विभागों में प्रत्येक के आठ-आठ पक्ष होते हैं, प्रत्येक पक्ष पन्द्रह दिन का होता है, प्रत्येक ऋतु के तीसरे तथा सातवें पक्ष में एक एक दिन कम माना जाय, शेष छहों पक्ष पन्द्रह-पन्द्रह दिन के माने जाय, इसके अतिरिक्त एक अधिमास ( मलमास ) भी माना जाय, यही काल-विभाजन राजकीय कार्यों में प्रयुक्त किया जाना चाहिये ।

( १ ) समाहर्ता को चाहिये कि वह करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय तथा नीवी आदि कार्यों को उचित रीति से सम्पन्न करे ।

( २ ) करणीय ६ प्रकार का होता है १ संस्थान २ प्रचार ३. शरीरावस्थान ४. आदान ५. सर्वसमुदयपिण्ड और ६ सजात ।

( ३ ) सिद्ध भी ६ प्रकार का होता है १. कोशापित २ राजहार ३. पुरव्यय ४ परसवत्सरानुवृत्त ५ शासनमुक्त और ६. मुखाज्ञप्त ।

( ४ ) शेष के भी ६ भेद हैं १. सिद्धप्रकर्मयोग ३. दण्डशेष ३ बलात्कृत प्रतिस्तब्ध ४ अवसृष्ट ५. असार और ६. अल्पसार ।

( ५ ) आय तीन प्रकार की है १. वर्तमान २. पर्युपित और ३. अन्यजात । प्रतिदिन की आमदनी को 'वर्तमान' आय कहा जाता है, पिछले वर्ष का बकाया अथवा शत्रुदेश से प्राप्त धन 'पर्युपित' आय है, भूले हुए धन की स्मृति, अपराध-स्वरूप प्राप्त धन, कर के अतिरिक्त अन्य उपायों या प्रभुत्व से प्राप्त धन, काजी-हाउस से प्राप्त धन, भेंटस्वरूप प्राप्त धन, शत्रुसेना से अपहृत धन और लावारिस का धन 'अन्यजात' आय कहलाती है । इसके अतिरिक्त सैनिक खर्च से बचा हुआ धन, स्वास्थ्य-विभाग के व्यय से बचा हुआ धन और इमारतों के बनवाने से बचा

(१) नित्यो नित्योत्पादिको लाभो लाभोत्पादिक इति व्ययः । दिवसानुवृत्तो नित्यः । पक्षमाससंबत्सरलाभो लाभः । तयोस्तपन्नो नित्योत्पादिको लाभोत्पादिक इति ।

(२) व्ययसञ्जातादायव्ययविशुद्धा नीवी प्राप्ता चानुवृत्ता चेति ।

(३) एवं कुर्यात्समुदयं वृद्धिं चायस्य दर्शयेत् ।  
ह्रासं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेच्च विपर्ययम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे समाहर्तृसमुदयप्रस्थापनं षष्ठोऽध्यायः,  
आदित षड्विंश ॥

— ० —

हुआ धन व्ययप्रत्याय' कहलाता है । यह भी एक प्रकार की आय है । विक्री के समय वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने से, निषिद्ध वस्तुओं के बेचने से, बाट-तराजू आदि की बेईमानी से तथा खरीदारों की प्रतिस्पर्धा से प्राप्त धन भी आमदनी का धन है ।

( १ ) व्यय चार प्रकार का होता है : १. नित्य २. नित्योत्पादिक ३ लाभ और ४. लाभोत्पादिक । प्रतिदिन के नियमित व्यय को 'नित्य' व्यय कहते हैं । पाक्षिक, मासिक तथा वार्षिक आय के लिए व्यय किया गया धन 'लाभ' कहलाता है । नियमित व्यय से अधिक खर्च हो जानेवाले धन को 'नित्योत्पादिक' तथा 'लाभोत्पादिक' कहा जाता है ।

( २ ) सब तरह के आय-व्यय का भली-भाँति हिसाब करके भी बचत रूप में निकलने वाला धन 'नीवी' कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है १ प्राप्त और २ अनुवृत्त । प्राप्त वह, जो खजाने में जमा हो और अनुवृत्त वह, जो खजाने में जमा किया जानेवाला हो ।

( ३ ) समाहर्ता को चाहिए कि वह ऊपर निर्दिष्ट विधियों, साधनों एवं मार्गों से राजकीय धन का सग्रह करे और अथ व्यय में बचत-हानि का लेखा-जोखा ठीक रखे । यदि किसी अवस्था में भविष्य की विशेष आय की आशा में पहिले अधिक व्यय भी करना पड़े तो वैसा करके आय को बढ़ाये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में समाहर्तृसमुदयप्रस्थापन नामक छठा अध्याय समाप्त ।

— ० —

## अक्षपटले गाणनिक्याधिकारः

(१) अक्षपटलमध्यक्षः प्राङ्मुखं वा विभक्तोपस्थानं निबन्धपुस्तकस्थानं कारयेत् ।

(२) तत्राधिकरणानां संख्याप्रचारसञ्जाताग्रं, कर्मन्तानां द्रव्यप्रयोगे वृद्धिक्षयव्ययप्रयामव्याजीयोगस्थानवेतनविष्टिप्रमाणं, रत्नसारफलगुक्प्यानामर्घप्रतिवर्णकप्रतिमानमानोन्मानभाण्डं, देशग्रामजातिकुलसञ्चानां धर्मव्यवहारचारित्रसंस्थानं, राजोपजीविनां प्रग्रहप्रदेशभोगपरिहारमत्तवेतनलाभं, राजश्च पत्नीपुत्राणां रत्नभूमिलाभं निर्देशोत्पादिकप्रतीकारलाभं, मित्रामित्राणां च सन्धिविभ्रमप्रदानादानं निबन्धपुस्तकस्थं कारयेत् ।

### अक्षपटल में गाणनिक के कार्यों का निरूपण

( १ ) आय-व्यय का निरीक्षक ( एकाउण्ट्स सुपरिण्टेण्डेण्ट ), अक्षपटल ( एकाउण्टेण्ट्स ऑफिस ) का निर्माण करावे, उसका दरवाजा पूरव या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिये, उसमें लेखको ( क्लर्क ) के बैठने के लिए कक्ष और आय-व्यय की निबन्ध-पुस्तको ( एकाउण्ट बुक्स ) को रखने के लिये नियमित व्यवस्था होनी चाहिये ।

( २ ) उसमें विभिन्न विभागों की नामावली, जनपद की पैदावार एवं उसकी आमदनी का विवरण, खान तथा कारखानों के आय-व्यय का हिसाब, कर्मचारियों की नियुक्ति, अन्न एवं सुवर्ण आदि का उपयोग, प्रयास ( अनाज के गोदाम ), व्याजी ( कम तोलने के कारण व्यापारियों से दण्डरूप में हुई आमदनी ), योग ( अच्छे-बुरे द्रव्य की मिलावट ), स्थान ( गाँव ), वेतन, विष्टि ( बेगार ), आदि का ब्यौरा, रत्नसार एवं कुप्प आदि पदार्थों के मूल्य, उनका गुण, तौल, उनकी लम्बाई-चौड़ाई, ऊँचाई, एवं असली मूलघन का उल्लेख, देश, ग्राम, जाति, कुल समा-सोसाइटियों के धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा परिस्थितियों का उल्लेख, राजकीय सहायता से जीवित रहनेवाले प्रग्रह ( देवालय, मंत्री, पुरोहित का सम्मान ), निवासस्थान, भेंद, परिहार ( कर आदि का न लेना ), एवं वेतन आदि का उल्लेख, महारानी तथा राजपुत्रों द्वारा रत्न एवं भूमि आदि की प्राप्ति का विवरण, राजा, महारानी तथा राजपुत्रों को नियमित रूप से दिये जानेवाले धन के अतिरिक्त दिया हुआ धन, उसको तथा

(१) ततः सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययो नीवीं उपस्थानं प्रचारचरित्रसंस्थानं च निबन्धेन प्रयच्छेत् । उत्तममध्यमावरेषु च कर्मसु तज्जातिकमध्यक्षं कुर्यात् । सामुदायिकेष्ववलम्बितं यमुपहत्य न राजानुत्पेत् ।

(२) सहप्राहिणः प्रतिभुवः कर्मोपजीविनः पुत्रा भ्रातरो भार्या दुहितरो भृत्याश्वास्य कर्मच्छेदं वहेयुः ।

(३) त्रिशतं चतुःपञ्चाशच्चाहोरात्राणां कर्मसंवत्सरः । तमापाढीपर्यवसानमूनं पूर्णं वा दद्यात् । करणाधिष्ठितमधिमासकं कुर्यात् । अपसर्पाधिष्ठितं च प्रचारम् । प्रचारचरित्रसंस्थानान्यनुपलभमानो हि प्रकृतः समुदयमज्ञानेन परिहापयति । उत्थानवलेशासहत्वाद्वालस्येन, शब्दादिष्वि-

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारो से प्राप्त धन का उल्लेख और मित्र राजाओ तथा शत्रु राजाओ के साथ सधि-विग्रह आदि के निमित्त प्राप्त हुआ अथवा खर्च हुए धन का विवरण आदि सभी ऐसे विषय हैं जिनका उल्लेख निबन्धपुस्तक ( एकाउण्ड बुक्स ) में किया जाना चाहिये ।

( १ ) इसके बाद सभी उत्पत्ति-केन्द्रो एव विभागो के लिए किए जानेवाले, किए गए तथा बचे हुए आय, व्यय, नीवी, कार्यकर्ताओ की उपस्थिति, प्रचार, चरित्र और सस्थान आदि सब बातों को रजिस्टर में दर्ज करके राजा को दे देना चाहिए । उत्तम, मध्यम और निम्न जैसे भी कार्य हों उनके अनुसार ही उनके अध्यक्ष नियुक्त किये जाने चाहिए । एक ही कार्य को करनेवाले अनेक व्यक्तियों में उसी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए जो निपुण गुणी, यशस्वी हो और जिसे दण्ड देने के पश्चात् राजा को पश्चात्ताप न करना पड़े ।

( २ ) यदि कोई अध्यक्ष राजकीय धन का गबन करके उसको बर्बाद करने में असमर्थ हो तो वह धन क्रमशः उसके हिस्सेदार, उसके जामिन, उसके अधीनस्थ कर्मचारी, उसके पुत्र एवं भाई, उसकी स्त्री एवं लड़की अथवा उसके नौकर बर्बाद करें ।

( ३ ) तीन सौ-चौवन दिन-रात का एक कर्मसंवत्सर होता है । उसकी समाप्ति आपाढी पूर्णिमा को समझनी चाहिए । इसी वर्ष-गणना के हिसाब से प्रत्येक अध्यक्ष का वेतन दिया जाना चाहिए । यदि अध्यक्ष को नियुक्ति वर्ष के मध्य में हुई है तो उसको कम वेतन और यदि उसने पूरे वर्ष कार्य किया है तो उसे पूरा वेतन दिया जाना चाहिए । प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का व्यौरा उपस्थिति रजिस्टर से देखना चाहिए । अध्यक्ष को चाहिए कि वह जनपद के समस्त कार्यालयों की कार्य-व्यवस्था का ज्ञान गुप्तचरो से प्राप्त करे । यदि वह ऐसा नहीं करता तो अपनी अज्ञानता के



न्द्रियायें प्रमादेन, संक्रोशाघमनिर्यभीहर्भयेन, कार्याधिष्वनुग्रहबुद्धिः कामेन हिंसाबुद्धिः कोपेन, विद्याद्रव्यवल्लभापाश्रयाद् दर्पेण, तुलामानतर्क-गणिकान्तरोपधानात् लोभेन ।

(१) तेषामानुपूर्व्या यावानर्थोपघातः तावानेकोत्तरो दण्ड इति मानवाः । सर्वत्राष्टगुण इति पाराशराः । दशगुण इति बार्हस्पत्याः । विश-तिगुण इत्यौशनसाः । यथापराधमिति कौटिल्यः ।

(२) गाणनिक्यान्यापाढीमागच्छेयुः । आगतानां समुद्रपुस्तभाण्डनीवी-कानामेकत्रासम्भाषावरोधं कारयेत् । आयव्ययनीवीनामप्राणि श्रुत्वा

कारण वह घनोत्पादन में हानिकर सिद्ध होता है । १ अज्ञान २ आलस्य ३. प्रमाद ४. काम ५. क्रोध ६ दर्प ७ लोभ, ये घनोत्पादन में बिघ्न डालने वाले दोष हैं । अधिक परिश्रम से कतराने के कारण आलस्य के द्वारा, गाना-वजाना तथा स्त्रियों में आसक्त रहने के कारण प्रमाद के द्वारा, निन्दा, अघर्म तथा अनर्थ के कारण भय द्वारा, किसी कार्यार्थी पर अनुग्रह करने के कारण काम द्वारा, किसी क्रूरता के कारण क्रोध द्वारा, विद्या, धन एवं राजप्रिय होने के कारण दर्प द्वारा, और नाप-तौल तर्कना तथा हिंसा में गड़बड़ कर देने के कारण लोभ के द्वारा, कर्मचारी लोग आमदनी में बाधा डाल देते हैं ।

( १ ) आचार्य मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'जो कर्मचारी ऊपर निर्दिष्ट दोषों के बशीभूत होकर जितना अपराध करे उसको उसी क्रम से दण्ड दिया जाना चाहिये' अर्थात् यदि वह अज्ञान के कारण अपराध करता है तो उसे उतना ही दण्ड दिया जाना चाहिए जितने का कि उसने नुकसान किया है, यदि वह आलस्य के कारण नुकसान करता है तो दुगुना, प्रमाद के कारण नुकसान करता है तो तिगुना दण्ड दिया जाना चाहिए । आचार्य पराशर के मतानुयायियों का कहना है कि 'अपराध करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अठगुना दण्ड देना चाहिये, क्योंकि सभी अपराध एक समान हैं ।' आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों का मत है कि 'सभी अपराधियों को दसगुना दण्ड दिया जाना चाहिए ।' शुकाचार्य के अनुयायी कहते हैं कि 'सबको बीसगुना दण्ड मिलना चाहिए ।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि जो जितना अपराध करे तदनुसार ही उसे दण्ड दिया जाना चाहिए ।'

( २ ) सभी कार्यालयों के अध्यक्ष ( विभिन्न जिलों के एकाउण्टेंट्स ) आयाद के महीने में वर्ष की समाप्ति पर प्रधान कार्यालय में आकर हिंसा का मिलान करें । उन आये हुए लोगों को तब तक एक-दूसरे से बातचीत न करने दी जाय तथा मिलने न दिया जाय, जब तक कि उनके पास राजकीय मोहर लगे रजिस्टर तथा व्यय से बचा हुआ धन मौजूद हैं । सर्व प्रथम आय-व्यय को सुनकर उसके पास जो बचत

नीमीमवहारयेत् । यच्चाप्रादायस्यान्तरवर्षे नोव्या वर्धते, व्ययस्य वा यत् परिहापयेत्, तदण्टगुणमध्यक्षं दापयेत् । विपर्यये तमेव प्रति स्यात् ।

(१) यथाकालमनागतानामपुस्तनीवीकानां वा देयदशबन्धो दण्डः । कार्मिके चोपस्थिते कारणिकस्याप्रतिबध्नतः पूर्वं साहसदण्डः । विपर्यये कार्मिकस्य द्विगुणः ।

(२) प्रचारसम महामात्राः समग्राः श्रावयेयुरधिपममात्राः । पृथग्भूतो मिथ्यावादी चंदामुत्तमदण्डं दद्यात् ।

(३) अकृताहोरूपहरं मासमाकाङ्क्षेत । मासाद्दूर्ध्वं मासद्विरातोत्तरं दण्डं दद्यात् । अल्पशेधनीविकं पञ्चरात्रमाकाङ्क्षेत ततः परम् ।

शेष हो उमे ले लिया जाय । अध्यक्ष की बताई हुई आय-राशि से यदि रजिस्टर का हिसाब अधिक निकले और उसी प्रकार बताए हुए व्यय की अपेक्षा रजिस्टर में उससे कम निकले तो अध्यक्ष पर, उसके द्वारा बताई गई कम अधिक रकम का आठगुना जुर्माना किया जाय । यदि आमदनी से अधिक अथवा व्यय से कम रकम रजिस्टर में चढ़ी हो तो ऐसी दशा में अध्यक्ष को दण्ड न दिया जाय, बरन् आय-व्यय की जो कमी-बेसी हुई है वह उसी को दे दी जाय ।

( १ ) जो अध्यक्ष निश्चित समय में अपने रजिस्टर तथा शेष धन आदि को लेकर प्रधान कार्यालय में उपस्थित नहीं होता उसके हिसाब में जितना बाकी निकले उसका दसगुना जुर्माना उस पर किया जाना चाहिए । यदि प्रधान अध्यक्ष ( एका-उत्स सुपरिन्टेण्डेंट ) निर्धारित समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुँच जाय और वहाँ के विभागीय अध्यक्ष कार्यालय का हिसाब-किताब दिखाने में असमर्थ हो तो उन्हें प्रथम साहस-दण्ड दिया जाना चाहिये । इसके विपरीत यदि प्रधान अध्यक्ष निर्धारित समय पर न पहुँच पावे तो उसे दुगुना प्रथम साहस-दण्ड देना चाहिये ।

( २ ) राजा के महामात्र आदि प्रधान कर्मचारी आय-व्यय तथा नीवीसम्बन्धी सारी राजकीय व्यवस्थाएँ प्रजाजनों को समझार्थें बुझायें । यदि उनमें से कोई भ्रूठ प्रचार करे तो उसे उत्तम साहस-दण्ड दिया जाना चाहिये ।

( ३ ) द्रव्य की वसूली करनेवाला राजकर्मचारी यदि निर्धारित समय पर द्रव्य-वसूली न कर सके तो उसे एक मास का और समय दिया जाय । यदि फिर भी वह द्रव्य सग्रह करके राजकोष में न पहुँचा सके तो उस पर प्रति मास के हिसाब से दो-सौ रुपया जुर्माना कर देना चाहिये । जिस अध्यक्ष के पास थोड़ा राजदेय धन बाकी हो, निर्धारित समय से केवल पाँच दिन तक उसकी प्रतीक्षा की जाय । तदनन्तर उसे भी दंडनीय समझा जाय ।

(१) कोशपूर्वमहोरूपहरं धर्मव्यवहारचरित्रसंस्थानसङ्कलननिर्वर्तनानुमानचारप्रयोगरवेक्षेत ।

(२) दिवसपञ्चरात्रपक्षमासचातुर्मास्यसंवत्सरंश्च प्रतिसमानयेत् । व्युष्टदेशकालमुखोत्पत्त्यनुवृत्तिप्रमाणदायकदापकनिबन्धनप्रतिग्राहकंश्चायं समानयेत् । व्युष्टदेशकालमुखलाभकारणदेययोगपरिमाणाज्ञापकोद्धारकनिघातृकप्रतिग्राहकंश्च व्ययं समानयेत् । व्युष्टदेशकालमुखानुवर्तनरूपलक्षणपरिमाणनिक्षेपभाजनगोपायकंश्च नीवीं समानयेत् ।

(३) राजार्थे कारणिकस्याप्रतिबध्नतः प्रतिषेधयतो वाजा निबन्धादायव्ययमन्यथा चापि कल्पयतः पूर्वः साहसदण्डः ।

( १ ) कोषघन और कोपररजिस्टर सानेवाले अध्यक्ष की परीक्षा पहिले धर्म के द्वारा ली जाय, अर्थात् उसे देखा जाय कि वह धर्मात्मा है या दम्भी, फिर उसके व्यवहार को देखा जाय, तदनन्तर उसके आचार-विचार, उसकी पूर्वस्थिति, उसके कार्य एव हिसाब-किताब, और अन्त मे उसके कार्यों का पारस्परिक मिलान करके उसको परीक्षा ली जाय, गुप्तचरो द्वारा भी उसके भेद जाने जाय ।

( २ ) अध्यक्ष को चाहिये कि वह प्रतिदिन, प्रति पाँच दिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, प्रति चार मास और प्रतिवर्ष के क्रम से राजकीय आय-व्यय एव नीवी का लेखा-जोखा साफ-सुधरे ढंग में रखे । अर्थात् बर्यारभ से, पहिले एक दिन का हिसाब, फिर एक साथ पाँच दिन का हिसाब, फिर एक साथ पन्द्रह दिन का हिसाब, फिर एक साथ एक मास का हिसाब, और अन्त मे एक साथ पूरे एक वर्ष का हिसाब करके रखे । आय का लेखा निर्दोष और साफ रहे, एतथं रजिस्टर मे राजवर्ष ( मास, पक्ष, दिन ), देश, काल, मुख ( आयमुख, आयशरीर ), उत्पत्ति ( आयवृद्धि ), अनुवृत्ति ( स्थानान्तर ) प्रमाण, कर देनेवाले का नाम, दिलानेवाले अधिकारी का नाम, लेखक का नाम और लेनेवाले का नाम, इस प्रकार के स्तम्भ ( साने ) बने होने चाहिए । व्यय का लेखा तैयार करने के लिए रजिस्टर मे इस प्रकार के खाने होने चाहिए - व्युष्ट, देश, काल, मुख, लाभ ( पक्ष, मास, वर्ष के क्रम से ) व्यय का कारण, देय वस्तु का नाम, मिलावटी द्रव्य मे अन्ध्राई बुराई का उल्लेख, तौल, किसकी आज्ञा से व्यय किया गया, किसको दिया गया, भाण्डागारिक और लेनेवाले का पूरा विवरण । इसी प्रकार नीवी ( शेष घन ) का लेखा, व्युष्ट, देश, काल, मुख, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य की विशेषता, तौल, जिस पात्र मे द्रव्य रखा जाय और द्रव्य का सरक्षक, आदि विवरणो के आधार पर तैयार करना चाहिए ।

( ३ ) यदि कारणिक ( क्लर्क ) अर्थलाभ को रजिस्टर मे दर्ज नहीं करता है, राजकीय वाजा का उल्लघन करता है, अथवा आय-व्यय के सन्ध मे विपरीत कल्पनाएँ भी करता है तो उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।

(१) क्रमावहीनमुत्क्रमविज्ञातं पुनरुक्तं वा वस्तुकमवलिखतो द्वादश-  
पणो दण्डः ।

(२) नीवीमवलिखतो द्विगुणः, भक्षयतोऽष्टगुणः, नाशयतः पञ्चबन्धः  
प्रतिदानं च । मिथ्यावादे स्तेयदण्डः । पश्चात् प्रतिज्ञाते द्विगुणः प्रस्मृतो-  
त्पन्ने च ।

(३) अपराधं सहेतालपं तुप्येदल्पेऽपि चोदये ।  
महोपकारं चाध्यक्षं प्रग्रहेणामिपूजयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे अक्षपटले गाणनिक्याधिकार-

सप्तमोऽध्याय, आदित सप्तविंश ॥

—: ० .—

( १ ) क्रम के विरुद्ध, उलट-मलट कर विपरीत लिख देना, किसी वस्तु को बिना समझे-शुझे ही लिख देना और एक वस्तु को दुबारा चढा देना, ऐसी गडबडी करनेवाले कर्मचारी को बारह पण का दण्ड दिया जाय ।

( २ ) यदि नीवी ( बचत घन ) के सम्बन्ध में लेखक की ऐसी गडबडी पायी जाय तो चौबीस पण दण्ड, उसका गबन करे तो छियानवे पण दण्ड और उसका अपव्यय करे तो साठ पड दण्ड दिया जाना चाहिए । झूठ बोलनेवाले को चौर जितना दण्ड देना चाहिये । हिसाब-किताब के सम्बन्ध में पीछे से किसी बात को स्वीकार करने पर चोरी से दुगुना दण्ड और पूछे जाने पर किसी बात का उत्तर न देकर वाद में उसका उसका उत्तर देने पर भी यही दड देना चाहिए ।

( ३ ) राजा को चाहिए कि वह अपने अध्यक्ष के छोटे अपराध को क्षमा कर दे और यदि वह पूर्वापेक्षया आमदनी में थोडी भी वृद्धि कर लेता है तो उसके प्रति प्रसन्नता एवं सन्तोष प्रकट करे । महान् उपकार करनेवाले अध्यक्ष का कृतज्ञ हीकर राजा को सदैव उसका सम्मान करना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अक्षपटल में गाणनिक्याधिकार नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० .—

## समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम्

(१) कोषपूर्वा. सर्वाः रम्भाः । तस्मात् पूर्वं कोषमवेक्षेत ।

(२) प्रचारसमृद्धिश्चरित्रानुग्रहश्चोरग्रहो युक्तप्रतिषेधः सस्यसम्पत् पण्यबाहुल्यमुपसर्गप्रमोक्ष. परिहारक्षयो हिरण्योपायनमिति कोषवृद्धिः ।

(३) प्रतिबन्ध प्रयोगो व्यवहारोऽवस्तारः परिहापणमुपभोगः परिवर्तनमपहारश्चेति कोषक्षयः ।

(४) सिद्धीनामसाधनमनवतारणमप्रवेशनं चा प्रतिबन्धः । तत्र दश-  
बन्धो दण्डः ।

(५) कोषद्रव्याणां वृद्धिप्रयोगः प्रयोगः ।

अध्यक्षो द्वारा गबन किये गये धन की पुनः प्राप्ति

( १ ) सारे कार्य कोष पर निर्भर हैं । इसलिए राजा को चाहिए कि सबसे पहिले कोष पर ध्यान दे ।

( २ ) राष्ट्र की सम्पत्ति को बढाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरो पर निगरानी रखना, राजकीय अधिकारियो को रिखत लेने से रोकना, सभी प्रकार के अन्नोत्पादन को प्रोत्साहित करना, जल-स्थल मे उत्पन्न होनेवासी प्रत्येक व्यापार-योग्य वस्तुओ को बढाना, अग्नि आदि के भय से राज्य की रक्षा करना, ठीक समय पर यथोचित कर वसूल करना और हिरण्य आदि की भेंट लेना, ये सब कोषवृद्धि के उपाय हैं ।

( ३ ) कोषक्षय के आठ कारण है . १. प्रतिबन्ध, २. प्रयोग, ३. व्यवहार, ४ अवस्तार, ५. परिहायण, ६. उपभोग, ७ परिवर्तन और ८ अपहार ।

( ४ ) राजकर को वसूल करना, वसूल करके उसे अपने अधिकार मे न रखना, और अधिकार मे करके भी उसे खजाने मे जमा न कना, यह तीन प्रकार का प्रति-  
बन्ध है । जो अध्यक्ष इन माध्यमो से कोष का क्षय करे, उस पर दस राशि से दश-  
गुना जुरमाना करना चाहिए ।

( ५ ) कोषधन का स्वय ही लेन-देन करके वृद्धि का यत्न करना प्रयोग कह-  
साता है । ऐसे अधिकारी पर दुगुना जुरमाना करना चाहिए ।

(१) पण्यव्यवहारो व्यवहारः । तत्र फलद्विगुणो दण्डः ।

(२) सिद्धं कालमप्राप्तं करोत्यप्राप्तं प्राप्तं चैत्यवस्तारः । तत्र पञ्च-  
बन्धो दण्डः ।

(३) क्लृप्तमायं परिहापयति व्ययं वा विवर्धयतीति परिहापणम् ।  
तत्र हीनचतुर्गुणो दण्डः ।

(४) स्वयमन्यं वा राजद्रव्याणामुपभोजनमुपभोगः । तत्र रत्नोपभोगे  
घातः, सारोपभोगे मध्यमः साहसदण्डः, फल्गुकुप्योपभोगे तच्च तावच्च  
दण्डः ।

(५) राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवर्तनं, तद् उपभोगेन  
व्याख्यातम् ।

(६) सिद्धमायं न प्रवेशयति निबद्धं व्ययं न प्रयच्छति, प्राप्तां नीवीं  
विप्रतिजानीत इत्यपहारः । तत्र द्वादशगुणो दण्डः ।

( १ ) कोष के द्रव्य से स्वय ही व्यापार करना व्यवहार कहलाता है । ऐसा करने पर भी दुगुना दण्ड देना चाहिए ।

( २ ) राजकर बसूल करनेवाला अधिकारी, नियत समय से कर-बसूली न करके रिश्वत लेने की इच्छा से, मियाद बीत जाने का भय देकर प्रजा को तग करके जो धन एकत्र करता है उसे अवस्तार कहते हैं । ऐसा करने पर उसे नुकसान की राशि से पाँचगुना दण्ड देना चाहिए ।

( ३ ) जो अध्यक्ष अपने कुप्रवृत्त के कारण कर की आय को कम कर देता और व्यय की राशि को बढा देता है, उस क्षय को परिहापण कहते हैं । ऐसा करने पर अध्यक्ष को क्षय से चौगुना दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) राजकोष के द्रव्य को स्वय भोग करना तथा दूसरों को भोग कराना 'उपभोग' क्षय है । इसके अपराध में अध्यक्ष को, यदि वह रत्नों का उपभोग करता है तो प्राणदण्ड, सारद्रव्यों का उपभोग करता है तो मध्यम साहस दण्ड, और फल्गु एव कुप्य आदि पदार्थों का उपभोग करता है तो, उससे द्रव्य वापिस लेकर उसकी लागत का दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( ५ ) राजकोष के द्रव्यों को दूसरे द्रव्यों से बदल लेना परिवर्तन कहलाता है । इस कार्य को करने वाले अध्यक्ष के लिए भी उपभोग-क्षय के समान ही दण्ड दिया जाय ।

( ६ ) प्राप्त आय को रजिस्टर में न चढाना, नियमित व्यय को रजिस्टर में चढाकर भी खर्च न करना और प्राप्त नीवी के सम्बन्ध में मुकर जाना, यह तीन

(१) तेषां हरणोपायाश्चत्वारिंशत्—पूर्वं सिद्धं पश्चादवतारितम्, पश्चात् सिद्धं पूर्वमवतारितम्, साध्यं न सिद्धम्, असाध्यं सिद्धम्, सिद्धम-सिद्धं कृतम्, असिद्धं सिद्धं कृतम्, अल्पसिद्धं बहुकृतम्, बहुसिद्धमल्पं कृतम्, अन्यत् सिद्धमन्यत् कृतम्, अन्यतः सिद्धमन्यतः कृतम्, देयं न दत्तम्, अदेयं दत्तम्, काले न दत्तम्, अकाले दत्तम्, अल्पं दत्तं बहु कृतम्, बहु दत्तमल्पं कृतम्, अन्यद् दत्तमन्यत् कृतम्, अन्यतो दत्तमन्यतः कृतम्, प्रविष्टमप्रविष्टं कृतम्, अप्रविष्टं प्रविष्टं कृतम्, कुप्यमदत्तमूल्यं प्रविष्टम्, दत्तमूल्यं न प्रविष्टम्, संक्षेपो विक्षेपः कृतः, विक्षेपः संक्षेपो वा, महार्घमल्पार्घेण परिवर्तितम्, अल्पार्घं महार्घेण वा, समारोपितोऽर्घः, प्रत्यवरोपितो वा,

प्रकार का अपहार है। अपहार के द्वारा कोषक्षय करनेवाले अध्यक्ष को हानि से वारहगुना दण्डित करना चाहिये।

( १ ) अध्यक्ष, चालीस प्रकार के उपायो से राजद्रव्य का अपहरण कर सकते हैं। पहिली फसल में प्राप्त हुए द्रव्य को दूसरी फसल आने पर रजिस्टर में चढाना, दूसरी सफल की आमदनी का कुछ हिस्सा पहिली फसल के रजिस्टर में चढा देना, राजकर को रिश्वत लेकर छोड देना, राजकर में मुक्त देवालय, ब्राह्मण आदि से कर वसूल करना, कर देने पर भी उसको रजिस्टर में न चढाना, कर न देने पर भी उसको रजिस्टर में भर देना, कम प्राप्त हुए धन को रिश्वत लेकर पूरा दर्ज कर देना पूरे प्राप्त हुए धन को अधूरा कह कर लिख देना, जो द्रव्य प्राप्त हुआ है, उसकी जगह दूसरा ही द्रव्य भर देना, एक पुरुष से प्राप्त हुए धन को रिश्वत लेकर, दूसरे के नाम दर्ज कर देना, देने योग्य वस्तु को न देना, जो वस्तु देने योग्य नहीं है, उसको दे देना, समय पर किसी वस्तु को न देना, रिश्वत लेकर असमय में ही उस वस्तु को दे देना, थोडा देकर भी बहुत लिख देना, बहुत देकर भी थोडा लिख देना, अभीष्ट वस्तु की जगह दूसरी ही वस्तु दे देना, जिस व्यक्ति को देने के लिए कहा गया है, उसके बदले में किसी दूसरे को ही दे देना, राजधन को वसूल करके उसे खजाने में जमा न करना, राजकर को वसूल न करके, रिश्वत लेकर, उसे जमा-रजिस्टर में चढा देना, राजाज्ञा से वस्त्रादि क्रय करके तत्काल ही उनका मूल्य चुकता न करके एकात में कुछ कम रकम देना, अधिक मूल्य में क्रीत वस्तुओं की रकम कम करके रजिस्टर में लिखना, सामूहिक करवसूली को अलग-अलग व्यक्ति से लेना, अलग-अलग व्यक्ति से लिये जानेवाले कर को सामूहिक रूप में वसूल करना, बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य की वस्तु से बदल देना, अल्पमूल्य की वस्तु को बहुमूल्य वस्तु में बदलना, रिश्वत लेकर बाजार में वस्तुओं को कीमत बढा देना, वस्तुओं का भाव घटा देना, दो दिन का वेतन दिया हो तो चार दिन बढाकर लिख देना, चार दिन का

रात्रयः समारोपिताः, प्रत्यवरोपिता वा, संबत्सरो मासविषमः कृतः, मासो दिवसविषमो वा, समागमविषमः, मुखविषमः, धार्मिकविषमः, निर्वर्तनविषमः, पिण्डविषमः, वर्णविषमः, अर्घविषमः, मानविषमः, मापनविषमः, भाजनविषम इति हरणोपायाः ।

(१) तत्रोपयुक्तनिघायकनिबन्धकप्रतिघाटकदायकदापकमन्त्रिवैयावृ-  
त्यकरानेकैकशोऽनुयुञ्जीत । मिथ्यावादे चंयां युक्तसमो दण्डः ।

(२) प्रचारे चावघोषयेत्—अमुना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयन्त्विति ।  
प्रज्ञापयतो यथोपघात दापयेत् । अनेकेषु चाभियोगेऽवपव्ययमानः सकृदेव  
परोक्तः सर्वं भजेत । वयम्ये सर्वानुयोगं दद्यात् । महत्यर्यापहारे चात्पे-  
नापि सिद्धः सर्वं भजेत ।

वेतन दिया हो तो दो दिन घटाकर लिये देना, मलमासरहित सबत्सर को मलिमास  
युक्त बता देना, महीने के दिन घटा बढ़ाकर लिये देना, नौकरों की सख्या बढ़ाकर  
लिये देना एक जरिये में हुई आमदनी को दूसरे जरिये से दर्ज कर देना, ब्राह्मणादि  
को स्वीकृत धन में से कुछ स्वयं ले लेना, कुटिल उपाय से अतिरिक्त धन वसूल  
करना, सामूहिक वसूली में से ग्नुनाधिक्य रूप में धन लेना, वर्णविषमता दिखाकर  
धन का अपहरण कर लेना, जहाँ मून्ध निर्धारित न हो, वहाँ दाम बढ़ाकर लाभ  
उठाना, सोल में कमी-वेशी करके उपार्जन करना, नाप में विषमता पैदा करके धन  
कमाना, और घृन से भरे हुए सो बड़े घडों की जगह छोटे घडे दे देना, राजकीय  
धन को अपहरण करने के ये चालीम तरीके हैं ।

( १ ) यदि किसी अध्यक्ष के सम्बन्ध में राजा को यह सन्देह हो जाय कि उसने  
अनुचित उपायो से राजकीय धन का अपहरण किया है तो राजा को चाहिये कि उस  
विभाग के प्रधान निरीक्षक, कोषाध्यक्ष, लेखक ( क्लर्क ), कर लेनेवाले और कर  
दिलानेवाले सलाहकारों को अलग अलग बुलाकर यह पूछे कि उनके अध्यक्ष ने गवन  
क्रिया है या नहीं । यदि उनमें से कोई भूठ बोले तो उसे गवन करनेवाले अपराधी  
के समान ही दण्ड दिया जाय ।

( २ ) अपने सारे राज्य में राजा यह घोषणा करा दे कि अपराधी अध्यक्ष ने  
जिस जिसका गवन किया है, उसकी सूचना राजदरवार को भेज दी जाय । इस  
प्रकार सूचना मिलने पर राजा, प्रजा की उस हानि को पूरा करे । यदि अध्यक्ष के  
विद्वद् एक साथ ही अनेक शिकायतें हो और उनमें से वह किसी को भी स्वीकार न  
करे तो उसका एक भी अपराध साबित हो जाने पर, सभी शिकायतों का अभियोग  
उस पर लगाया जाय । यदि अभियुक्त कुछ अपराधों को स्वीकार करता है और कुछ  
से मुकर जाता है, तो उससे पूरे सबूत मांगे जाय । गवन किये गये बहुत से धन के



(१) कृतप्रतियातावस्थः सूचको निष्पन्नार्थः षष्ठमंशं लभेत, द्वादश-  
मंशं भृतकः । प्रभूताभियोगादल्पनिष्पत्तौ निष्पन्नस्यांशं लभेत । अनिष्पन्ने  
शारीरं हैरण्यं वा दण्डं लभेत, न चानुप्राहः ।

(२) निष्पत्तौ निक्षिपेद्वादमात्मानं वापवाहयेत् ।  
अभियुक्तोपजापात्तु सूचको वधमाप्नुयात् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे समुद्यम्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयन-  
मष्टमोऽध्यायः, आदित अष्टाविंश ॥

— . ० . —

सम्बन्ध में पूरे सबूत नहीं मिलते, कुछ ही घन के सम्बन्ध में सबूत मिल पाते हैं, तो उस पर पूरे गबन का अभियोग लगाना चाहिए ।

( १ ) यदि कोई निष्पक्ष, राजहितेच्छु व्यक्ति किसी अध्यक्ष के गबन की सूचना देता है, तो अपराध सिद्ध हो जाने पर, उस अपहृत घन का छठा भाग सूचना देने-  
वाले को दिया जाना चाहिये । यदि सूचना देनेवाला व्यक्ति राजकर्मचारी हो तो उसे बारहवाँ भाग दिया जाना चाहिये । यदि अभियोग बहुत से घन का सिद्ध हो चुका है, किन्तु मिला कुछ ही घन है तो सूचना देनेवाले व्यक्ति को उस प्राप्त घन में से ही हिस्सा देना चाहिये । यदि अपराध सिद्ध न हो सके तो सूचना देनेवाले व्यक्ति को उचित शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिये । किसी भी अपराधी को क्षमा न किया जाय ।

( २ ) अभियोग साबित हो जाने पर सूचना देनेवाला व्यक्ति अदाभत से अपने को बरी करा सकता है, किन्तु रिश्वत लेकर यदि वह अपराधी के पक्ष में हो जाता है, और सच्चा बयान नहीं देता है तो उसे प्राणदण्ड दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अपहृतप्रत्यानयन नामक  
आठवाँ अध्याय समाप्त ।

— . ० . —

(१) अमात्यसम्पदोपेताः सर्वाध्यक्षाः शक्तितः कर्मसु नियोज्याः । कर्मसु चैवा नित्यं परीक्षां कारयेत्, चित्तानित्यत्वान्मनुष्याणाम् । अश्व-सधर्माणो हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वन्ते ।

(२) तस्मात् कर्तारं कारणं देशं कालं कार्यं प्रक्षेपमुदयं चैषु विद्यात् । ते यथासन्देशमसंहता अविगृहीताः कर्माणि कुर्युः । संहता भक्षयेयुः । विगृहीता विनाशयेयुः । न चानिवेद्य भर्तुः किञ्चिदारम्भं कुर्युरन्यत्रापत्प्रतीकारेभ्यः । प्रमादस्थानेषु चैषामत्ययं स्थापयेद् दिवसवेतनव्यय-द्विगुणम् ।

### राजकीय उच्चधिकारियों के चाल-चलन की परीक्षा

( १ ) राजकीय उच्चपदस्य कर्मचारियों को अमात्य के गुणों से युक्त होना चाहिए, योग्यता एवं कार्यक्षमता के आधार पर ही उन्हें भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए । उपयुक्त पदों पर नियुक्त किए जाने के अनन्तर समय-समय पर राजा उनके चाल-चलन की निगरानी कराता रहे, क्योंकि मनुष्यों की चित्त वृत्तियाँ सदा एक जैसी नहीं रहती हैं । देखा यह जाता है कि कभी-कभी मनुष्य भी घोड़े की भाँदत जैसा आचरण करने लगते हैं । अर्थात् घोड़ा जैसे अपने स्थान पर बँधा हुआ शान्त दिखाई देता है, किन्तु रथ आदि में जोड़ते ही वह विगड पडता है, वैसे ही स्वभाव से शांत दिखाई देने वाला मनुष्य भी कार्य पर नियुक्त हो जाने के बाद उद्वेग हो जाता है ।

( २ ) इसलिए राजा को चाहिए कि अध्यक्षों के सम्बन्ध में वह कारण ( अधीनस्थ कर्मचारी ), देश, काल, कार्य, वेतन और लाभ, इन बातों की जानकारी रखे । उच्चपदस्य कर्मचारियों को भी चाहिए कि वे राजा के आदेशानुसार एक-दूसरे से द्वेष न करते हुए जुदा-जुदा रह कर ही अपने कार्यों में तत्पर रहे । यदि वे आपस में मिल जायेंगे तो राजधन का अपहरण करेंगे और परस्पर द्वेष करेंगे तो राजकार्यों को नष्ट कर देंगे । कर्मचारियों को चाहिए कि राजा की आज्ञा प्राप्त किए बिना वे किसी भी नये कार्य का आरम्भ न करें, किन्तु आपत्तियों का प्रतिकार करने के लिए किये जाने योग्य कार्यों को वे राजा की अनुमति प्राप्त किए बिना भी आरम्भ कर

(१) तस्मादस्य यो यस्मिन्नधिकरणे शासनस्यः स तस्य कर्मणो याथातथ्यमायव्ययी च व्याससमासाभ्यामाचक्षीत ।

(२) मूलहरतादात्विककदर्याश्च प्रतिषेधयेत् । यः पितृपंतामहमयंमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः । यो यद्यदुत्पद्यते तत्तद् भक्षयति स तादात्विकः । यो भृत्यात्मपीडाभ्यामुपचिनोत्यर्थं स कदर्यः । सः पक्षवांश्चेदनादेयः । विपर्यये पर्यादातव्यः ।

(३) यो महत्यर्थसमुदये स्थितः कदर्यः सन्निघत्ते, अवनिघत्ते, अवस्त्रावयति वा—सन्निघत्ते स्ववेश्मनि, अवनिघत्ते पौरजानपदेषु अवस्त्रावयति परविषये—तस्य सत्री मन्त्रिमित्रभृत्यबन्धुपक्षमागतिं गतिं च द्रव्याणांमुपलभेत ।

(४) यश्चास्य परविषये सञ्चारं कुर्यात्तमनुप्रविश्य मन्त्रं विद्यात् । सुविदिते शत्रुशासनापदेशेनं घातयेत् ।

(५) तस्मादस्याध्यक्षाः संख्यायकलेखकरूपदर्शकनीवीग्राहकोत्तराध्यक्षसखाः कर्माणि कुर्युः ।

( १ ) इसलिए प्रत्येक राजकीय अधिकारी का कर्तव्य है कि अपने कार्य को यथार्थता और तत्सम्बन्धी आय-व्यय का विवरण वह सक्षेप में तथा विस्तार से राजा के समुख प्रस्तुत करे ।

( २ ) उसका यह भी कर्तव्य है कि वह मूलहर, तादात्विक तथा कदर्य पुरुषों पर भी अकुश रखे । अपनी वशानुगत संपत्ति का उपभोग जो अन्याय से करता है वह मूलहर है । जो पुत्र जितना उत्पन्न करता है उतना ही व्यय भी कर लेता है, वह तादात्विक कहलाता है । जो अपने को और अपने नौकरों को कष्ट देकर धनो-पार्जन करता है । वह कदर्य कहा जाता है । यदि निषेध करने पर भी ये मूलहर आदि अपने कार्यों को न छोड़ें तो ( यदि उनके बहुबाधव न हो ) उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाय और बहु-बाधव हो तो उन्हें पदच्युत कर दिया जाय ।

( ३ ) जो कदर्य ( कजूस ) पदाधिकारी गहरी आमदनी करता है, धन को भूमि में गाड़ता है, उसको किसी के पास छिपाकर रखता है, शत्रुदेश में भेजकर किसी के पास जमा करता है, उस अधिकारी के परमशंदाता, मित्र, नौकर, बहु बाधव और श्राय व्यय आदि का पता गुप्तचर प्राप्त करें ।

( ४ ) गुप्तचर को चाहिए कि वह कदर्य अधिकारी के धन की शत्रुदेश में ले जानेवाले पुरुष से मिलकर अथवा उसके सेवक बनकर, उसके रहस्य का पता लगावे । गुप्तचर द्वारा राजा को जब इस भेद की सही जानकारी प्राप्त हो जाये तो वह शत्रु के आदेश का बहाना बनाकर उस कदर्य अधिकारी को मरवा डाले ।

( ५ ) इसलिए प्रत्येक विभाग के सभी अध्यक्षों को चाहिये कि वे सस्यानक

(१) उत्तराध्यक्ष हस्त्यश्वरथारोहाः । तेषामन्तेवासिनः शिल्पशौच-  
युक्ताः सङ्घचालकादीनामपसर्पाः ।

(२) बहुमुख्यमनित्यं चाधिकरणं स्थापयेत् ।

(३) यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्यं जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा ।  
अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः स्वल्पोऽप्यनास्वादयितुं न शक्यः ॥

(४) मत्स्या यथान्तःसलिले चरन्तो ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः ।  
युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ॥

(५) अपि शक्या गतिर्जातुं पततां खे पतत्रिणाम् ।  
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः ॥

(६) आल्लावयेच्चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु ।  
यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा ॥

( गणक ), लेखक ( बलकं ), रूपदर्शक ( मुद्राओ तथा मणि मुक्ताओ का पारखी ),  
नीवीप्राहक ( बचत रकम को संभालनेवाला ) और उत्तराध्यक्ष ( प्रधान अधिकारी ),  
इन सबके सहयोग से ही कार्य करें ।

( १ ) उत्तराध्यक्ष ( प्रधान अधिकारी ) उनको नियुक्त किया जाय, जो हाथी,  
घोड़े और रथों की सवारी में निपुण हो । उनके अधीनस्थ ऐसे आज्ञाकारी, कुशल,  
पवित्र एवं सदाचरणशील कार्यकर्ता हो, जो सङ्घपानक आदि राजकीय कर्मचारियों  
की प्रवृत्तियों का पता लगाने में गुप्तचरों का कार्य करें ।

( २ ) प्रत्येक विभाग में अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी  
चाहिए, किन्तु उन्हें एक ही विभाग में रहने दिया जाय ।

( ३ ) जैसे जीभ में रखे हुए मधु अथवा विष का स्वाद लिए बिना नहीं रहा  
जा सकता, उसी प्रकार अर्थाधिकार कार्यों पर नियुक्त पुरुष, अर्थ का थोडा भी स्वाद  
न लें, यह असंभव है ।

( ४ ) जिस प्रकार पानी में रहनेवाली मछलियाँ पानी पीती नहीं दिखाई देती  
हैं, उसी प्रकार अर्थकार्यों पर नियुक्त कर्मचारी भी धन का अपहरण करते हुए नहीं  
जाने जा सकते हैं ।

( ५ ) आकाश में उड़नेवाले पक्षियों की गति विधि का पता लगाया जा सकता  
है, किन्तु धन का अपहरण करनेवाले कर्मचारियों की गति-विधि से पार पाना  
कठिन है ।

( ६ ) राजा, जब ऐसे अध्यक्षों का पता लगा ले, तो वह उन धनसंपन्न अधि-  
कारियों की सारी संपत्ति को छीन ले और उन्हें उनके उच्चपदों से गिराकर निम्न

- (१) न भक्षयन्ति ये त्वर्यान् न्यायतो वर्धयन्ति च ।  
नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे उपयुक्तपरीक्षा नवमोऽध्याय ,  
आदित एकोनत्रिंश ॥

— ० —

पदों पर नियुक्त कर दे, जिससे भविष्य में गवर्न न कर सके एवं अपने गवर्न को स्वयं ही उगल दें ।

( १ ) जो अध्यक्ष राज्यघन का अपहरण नहीं करते, वरन्, न्यायपरायण होकर राजा की समृद्धि में यत्नशील रहते हैं और प्रिय समझकर राजा का हित करते रहते हैं, ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को सदा सम्मानपूर्वक उच्चपद पर बनाये रखना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में उपयुक्तपरीक्षा नामक  
नीचा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) शासने शासनमित्याचक्षते । शासनप्रधाना हि राजानः, तन्मूलत्वात् । सन्धिबिग्रहयोः ।

(२) तस्मादमात्यसम्पदोपेतः सर्वसमयविदाशुग्रन्थश्चावक्षरो लेखवाचनसमर्थो लेखकः स्यात् । सोऽप्यग्रमता राज्ञः सन्देशं श्रुत्वा निश्चितार्थं लेखं विदध्याद्, देशैश्वर्यवंशनामधेयोपचारमीश्वरस्य, देशनामधेयोपचारमनीश्वरस्य ।

(३) जाति कुलं स्थानवयःश्रुतानि कर्मद्विशीलान्यथ देशकालौ ।

यौनानुबन्धं च समोक्ष्य कार्यं लेखं विदध्यात् पुण्यानुहपम् ॥

(४) अर्थक्रमः, सम्बन्धः, परिपूर्णता, माधुर्यमौदार्यं, स्पष्टत्वम्, इति लेखसम्पत् ।

### शासनाधिकार

(१) राजा की ओर से पत्र आदि पर लिखित आज्ञा या प्रतिज्ञा का नाम 'शासन' है । राजा लोग शासन ( लिखित बात ) पर ही विश्वास करते हैं, मौखिक बात पर नहीं । मधि, विग्रह आदि पाद्गुण्य सबधी राजकीय कार्यं शासनमूलक ( लिखित ) होने पर ही ठीक समझे जाते हैं ।

(२) इसलिए राजकीय शासन को लिखनेवाले लेखक को अमात्य की योग्यताओं वाला, आचार विचार का ज्ञाता, शीघ्र ही सुंदर वाक्य-योजना में निपुण, सुलेखक और विभिन्न लिपियों को पढ़ने लिखने वाला होना चाहिए । वह लेखक प्रकृतित्व होकर राजा के सदेश को सुने और पूर्वापर प्रसंगों को दृष्टि में रखकर स्पष्ट बहिर्प्राय प्रकट करनेवाले लेख को लिखे । लेख यदि किसी राजा से सबद्ध हो तो, उसमें देश, ऐश्वर्य, वंश और नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि उसका सबद्ध किसी अमात्य से हो तो उसमें केवल उसके देश और नाम का ही उल्लेख किया जाय ।

(३) लेख यदि राजकार्य-सबधी हो तो उसमें जाति, कुल, स्थान, आयु, योग्यता, कार्य, धन-संपत्ति, सदाचार, देश, काल, वैवाहिक सबध आदि बातों का मत्तो-भाति विचार करके, प्राप्तकर्ता पुरुषों की श्रेष्ठता, निकृष्टता आदि का भी अवश्य उल्लेख करे ।

(४) उस लेखक में १ अर्थक्रम, २. सबध, ३ परिपूर्णता, ४. माधुर्य, ५. औदार्य और ६. स्पष्टता आदि छह प्रकार की योग्यताएँ होनी चाहिए ।

(१) तत्र यथावदनुपूर्वक्रिया प्रधानस्यायंस्य पूर्वमभिनिवेश इत्ययंस्य क्रमः ।

(२) प्रस्तुतस्यार्थस्यानुपरोधादुत्तरस्य विधानमासमातेरिति सम्बन्धः ।

(३) अर्थपदाक्षराणामन्यूनातिरिक्तता हेतुदाहरणदृष्टान्तरथोपवर्णना-  
श्रान्तपदतेति परिपूर्णता ।

(४) सुखोपनीतचार्वर्थशब्दाभिधानं माधुर्यम् ।

(५) अप्राम्यशब्दाभिधानमौदार्यम् ।

(६) प्रतीतिशब्दप्रयोगः स्पष्टत्वमिति ।

(७) अकारादयो वर्णास्त्रिपष्टिः ।

(८) वर्णसञ्ज्ञातः पदम् । तच्चतुर्विधं नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चेति ।  
तत्र नाम सत्वामिधायि । अविशिष्टलिङ्गमाख्यातं क्रियावाचि । क्रिया-  
विशेषकाः प्रादय उपसर्गाः । अव्ययाश्चादयो निपाताः ।

(९) पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ । एकपदावरस्त्रिपदपरः परपदा-  
र्थानुरोधेन वर्गः कार्यः । लेखपरिसहरणार्थं इतिशब्दो वाचिकमस्येति च ।

( १ ) प्रधान अर्थ और अप्रधान अर्थ पूर्वापर यथानुक्रम मे रखना ही अर्थक्रम कहलाता है ।

( २ ) लेख की समाप्ति पर्यन्त अगला अर्थ, प्रस्तुत अर्थ का बाधक न होनेपर अर्थसम्बन्ध कहलाता है ।

( ३ ) अर्थपद तथा अक्षरो का न्यूनाधिक्य न होना, हेतु उदाहरण तथा दृष्टान्त सहित अर्थ का निरूपण करना और प्रभावहीन शब्दो का प्रयोग न करना परिपूर्णता कहलाता है ।

( ४ ) सरल सुबोध शब्द का प्रयोग करना माधुर्य है ।

( ५ ) शिष्ट शब्दो का प्रयोग करना औदार्य कहलाता है ।

( ६ ) सुप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करना ही स्पष्टता है ।

( ७ ) अकार आदि त्रैसठ वर्ण होते हैं ।

( ८ ) वर्णों के समूह को पद कहते हैं । पद चार प्रकार का होता है १ नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग और ४ निपात । जाति, गुण और द्रव्य को बताने वाला पद नाम कहलाता है । स्त्री-पुरुष आदि विशेष लिङ्गो से रहित क्रियावाचक पद को आख्यात कहते हैं । क्रियाओ के विशेष अर्थों का द्योतन करने वाले उनके आरभ मे लगे हुए प्र, परा, आदि पद उपसर्ग कहलाते हैं । च आदि अव्ययो को निपात कहते हैं ।

( ९ ) सम्पूर्ण अर्थ को कहने वाले पदसमूह का नाम वाक्य है । कम से कम एक पद पर और अधिक से-अधिक तीन पद पर मुख्य पद के अनुसार विराम करना चाहिये । लेख की समाप्ति को बताने के लिए अन्त मे इति शब्द लिख देना चाहिये,

- (१) निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानमथार्थना ।  
प्रत्याख्यानमुपालम्भः प्रतिषेधोऽथ चोदना ॥  
सान्त्वमभ्यवपत्तिश्च भर्त्सनानुनयो तथा ।  
एतेष्वर्थाः प्रवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः ॥

(२) तत्राभिजनशरीरकर्मणां दोषवचनं निन्दा । गुणवचनमेतेषामेव प्रशंसा । कथमेतदिति पृच्छा । एवम् इत्याख्यानम् । देहीत्यर्थना । न प्रयच्छामीति प्रत्याख्यानम् । अननुरूपं भवत इत्युपालम्भः । मा कार्षीः इति प्रतिषेधः । इदं क्रियतामिति चोदना । योऽहं स भवान्, मम यद् द्रव्यं तद्भवतः इत्युपग्रहः सान्त्वम् । व्यसनसाहाय्यमभ्यवपत्तिः । सदोषमायति-प्रदर्शनमभिभर्त्सनम् ।

(३) अनुनयस्त्रिविधोऽर्थकृतावतिक्रमे पुरुषादिव्यसने चेति ।

(४) प्रज्ञापनाज्ञापरिदानलेखास्तथा परीहारनिसृष्टिलेखौ ।  
प्रावृत्तिकश्च प्रतिलेख एव सर्वत्रगश्चेति हि शासनानि ॥

यदि लेख में पूरी बातें न लिखी गई हो तो अन्त में वाचिकमस्य ( शेष अंश पत्र-वाहक के मुँह से सुन लीजिए ), इस प्रकार लिख देना चाहिए ।

( १ ) निन्दा, प्रशंसा, पृच्छा, आख्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालम्भ, प्रतिषेध, चोदना, सान्त्वना, अभ्यवपत्ति, भर्त्सना और अनुनय इन्हीं तेरह बातों में से ही किसी बात को प्रकट किया जाता है ।

( २ ) किसी के वंश, शरीर और कार्य में दोषारोपण करना निन्दा है । उन्हीं बातों के सम्बन्ध में गुणगान करना प्रशंसा है । 'यह कैसा हुआ ?' इस प्रकार पूछना ही पृच्छा है । 'इसको इस प्रकार करना चाहिये' ऐसा कहना आख्यान है । 'दीजिए' इस प्रकार माँगना अर्थना है । 'नहीं देता हूँ' इस प्रकार निषेध करना ही प्रत्याख्यान है । 'यह कार्य आपने अपने अनुरूप नहीं किया' इस प्रकार का वचन उपालम्भ है । 'ऐसा मत करो' यह प्रतिषेध है । 'ऐसा करना चाहिये' इस प्रकार की प्रेरणा चोदना है । 'जो मैं हूँ वही आप है, जो मेरा घन है वही आपका भी है' इस प्रकार की तसल्ली देना सान्त्वना है । आपत्ति के समय सहायता करना अभ्युपपत्ति है । दोष देकर घमकी देना भर्त्सना है ।

( ३ ) अनुनय तीन प्रकार का होता है । १ अर्थकरणनिमित्तक, २. अतिक्रम निमित्तक और ३. पुरुषादिव्यसननिमित्तक । किसी आवश्यक कार्य को करने के लिए अनुनय किया जाना ही अर्थकरणनिमित्तक है, किसी क्रुपित पुरुष को शान्त करने के लिए अनुनय करना अतिक्रमनिमित्तक है, और किसी आत्मीय की मृत्यु के कारण आई हुई विपत्ति में अनुनय करना पुरुषादिव्यसननिमित्तक है । अनुनय कहते हैं अनुग्रह को ।

( ४ ) १. प्रज्ञापना, २. आज्ञा, ३. परिदान, ४. परीहार, ५. निसृष्टि ६. प्रावृत्तिक ७. प्रतिलेख और ८. सर्वत्रग, लेख के ये आठ भेद और हैं ।



- (१) अनेन विज्ञापितमेवमाह तद्दीयतां चेद्यदि तत्त्वमस्ति ।  
राज्ञः समीपे वरकारमाह प्रज्ञापनं पा विविधोपदिष्टा ॥
- (२) भर्तुराज्ञा भवेद् यत्र निग्रहानुग्रहौ प्रति ।  
विशेषेण तु ऋत्येषु तदाज्ञालेखलक्षणम् ॥
- (३) यथार्हगुणसंयुक्ता पूजा यत्रोपलक्ष्यते ।  
अप्याधौ परिदाने वा भवतस्तावुपग्रहौ ॥
- (४) जातेविशेषेषु पुरेषु चैव ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु ।  
अनुग्रहो यो नृपतेर्निदेशात्तज्ज्ञः परीहार इति व्यवस्येत् ॥
- (५) निसृष्टिस्थापना कार्यकरणे वचने तथा ।  
एष वाचिकलेखः स्याद्भूवेन्नंसृष्टिकोऽपि वा ॥
- (६) विविधां देवसंयुक्तां तत्त्वज्ञां चैव मानुषीम् ।  
द्विविधां तां व्यवस्यन्ति प्रवृत्तिं शासनं प्रति ॥
- (७) दृष्ट्वा लेखं यथातत्त्वं ततः प्रत्यनुमाप्य च ।  
प्रतिलेखो भवेत् कार्यो यथा राजवचस्तथा ॥

( १ ) यदि कोई महामात्र राजकीय धन का संग्रह करके अपने पास रख लेता है और गुप्तचर से उसकी सूचना पाकर राजा जब उस महामात्र से राजकीय धन को राजसौंप में जमा करने की आज्ञा देता है और जब महामात्र धन देना स्वीकार कर लेता है तब जो लिखा-पढी होती है, उस लेख-पत्र का नाम ही प्रज्ञापना है ।

( २ ) जिस लेख-पत्र में राजा की ओर से निग्रह या अनुग्रह की आज्ञा हो और विशेषरूप से जो नौकरों के सम्बन्ध में लिखा जाय उसे आज्ञा कहते हैं ।

( ३ ) जिस लेख-पत्र में समुचित गुणों से सत्कार का भाव प्रकट किया जाता है उसे परिदान कहते हैं । यह दो प्रकार से लिखा जाता है । १. जब नौकरों का कोई आत्मीय मर जाता है जिसके कारण वे व्यथित हैं, २. जब राजा उनकी रक्षा के लिए दयाभाव प्रकट करता है ।

( ४ ) विशेष जातियों नगरो, ग्रामो और देशो पर राजा की आज्ञा के अनुसार जो अनुग्रह किया जाता है, विशेषज्ञ लोग उसी को परीहार कहते हैं ।

( ५ ) किसी कार्य के करने तथा कहने में किसी आत्मवचन का प्रमाण देना ही निसृष्टि है, उसके वाचिक और नैमृष्टिक दो भेद होते हैं ।

( ६ ) अनेक प्रकार की दैवी, पारमार्थिक और मानुषी आपत्तियों की सूचना को प्रावृत्तिक कहते हैं । वह शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है ।

( ७ ) दूसरे के भेजे हुए लेख को भली-भाँति देखने और पढ़ने के अनन्तर, फिर राजा के सामने पढ़कर, राजा की आज्ञा के अनुसार उसका जो उत्तर लिखा जाय उसको प्रतिलेख कहते हैं ।

(१) यथेश्वरांश्चाधिकृतांश्च राजा रक्षोपकारी पथिकार्यमाह ।  
सर्वत्रगो नाम भवेत् स मार्गं देशे च सर्वत्र च वेदितव्यः ॥

(२) उपायाः सामोपप्रदानभेददण्डाः ।

(३) तत्र साम पञ्चविधं—गुणसंकीर्तनं, सम्बन्धोपाख्यानं, परस्परो-  
पकारसन्दर्शनं, आमायतिप्रदर्शनं, अमात्मोपनिधानमिति ।

(४) तत्राभिजनशरीरकर्मप्रकृतिश्रुतद्रव्यादीना गुणागुणग्रहणं प्रशंसा  
स्तुतिर्गुणसङ्कीर्तनम् ।

(५) जातियौनमौखल्यौवकुलहृदयमित्रसंकीर्तनं सम्बन्धोपाख्यानम् ।

(६) स्वपक्षपरपक्षयोरन्योन्योपकारसंकीर्तनं परस्परोपकारसन्दर्शनम् ।

(७) अस्मिन्नेवं कृत इदमावयोर्भवतीत्याशाजननमायतिप्रदर्शनम् ।

(८) योऽहं स भवान्, यन्मम द्रव्यं तद्भवता स्वकृत्येषु प्रयोज्यताम्  
इत्यात्मोपनिधानमिति ।

(९) उपप्रदानमर्थोपकारः ।

(१०) शङ्काजननं निर्मत्स्यं च भेदः ।

( १ ) जिस लेखपत्र मे राजा राहगीरो की रक्षा और उनके उपकार के लिए अपने अधिकारियों को आदेश देता है वह सर्वत्रग है, क्योंकि वह मार्ग मे, देश मे तथा राष्ट्र मे सब जगहो पर लिखा जाता है ।

( २ ) उपाय चार है १. साम, २. दान, ३. दण्ड और ४. भेद ।

( ३ ) उनमे साम पाँच प्रकार का होता है १. गुणसंकीर्तन, २. सम्बन्धो-  
पाख्यान, ३. परस्परोपकारसदर्शन, ४. आयतिप्रदर्शन और ५. आत्मोपनिधान ।

( ४ ) वंश, शरीर, कार्य, स्वभाव, विद्वत्ता, हाथी-घोडे-रथ आदि के गुणो और अवगुणो को जानकर उनकी प्रशंसा करना ही गुणसंकीर्तन कहलाता है ।

( ५ ) समानकुल, विवाह, गुरु-शिष्य, पुरोहित-यजमान, वंशपरपरागत, हादिक  
और मैत्रीभाव आदि सात प्रकार के सम्बन्धो मे से किसी एक का कथन करना  
सम्बन्धोपाख्यान है ।

( ६ ) परस्पर एक दूसरे द्वारा किये गये उपकार का कथन करना परस्परो-  
पकारसदर्शन कहलाता है ।

( ७ ) 'इस कार्य के करने मे हम दोनो को ऐसा फल प्राप्त होगा, ऐसी आशा  
करना आयतिप्रदर्शन है ।

( ८ ) 'जो मैं हूँ वही आप है तथा मेरा धन ही आपका धन है, उसे आप  
इच्छानुसार अपने कार्य मे लगा सकते हैं ।' इस आत्मसमर्पण की भावना को  
आत्मोपनिधान कहते हैं ।

( ९ ) धन आदि के द्वारा उपकार करना दान या उपप्रदान है ।

( १० ) शत्रु के हृदय मे शका पैदा कर देना भेद है ।

- (१) वधः परिकलेशोऽयंहरणं दण्ड इति ।
- (२) अकान्तिव्याघातः पुनरुक्तमपशब्दः संप्लव इति लेखदोषाः ।
- (३) तत्र कालपत्रकमचारवियमविरागाक्षरत्वमकान्तिः ।
- (४) पूर्वेण पश्चिमस्यानुपपत्तिव्याघातः ।
- (५) उक्तस्याविशेषण द्वितीयमुच्चारणं पुनरुक्तम् ।
- (६) लिङ्गवचनकालकारकाणामन्यथाप्रयोगोऽपशब्दः ।
- (७) अवर्गे वर्गकरणं वर्गे चावर्गक्रिया गुणविपर्यासः संप्लव इति ।
- (८) सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च ।  
कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः ॥

इत्यध्यासप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शासनाधिकार नाम दशमोऽध्यायः,  
आदित त्रिंशः ।

—: ० :—

( १ ) उसे मार देना, उसको पीटा पहुँचाना या उसके धन का अपहरण करना दण्ड कहलाता है ।

( २ ) पत्रलेख के पाँच दोष हैं—१. अकान्ति, २. व्याघात, ३. पुनरुक्त ४. अपशब्द और ५. संप्लव ।

( ३ ) स्याही पड़े कागज पर लिखना, मलिन कागज पर लिखना, भद्दे अक्षर लिखना, छोटे-बड़े अक्षर लिखना और फीकी स्याही से लिखना अकान्ति नामक दोष है ।

( ४ ) पहले लेख से पिछले लेख का विरोध हो जाना अथवा पहिले लेख से पिछले लेख की बाधा हो जाना व्याघात दोष है ।

( ५ ) जो बात पहिले कही गई है उसे ही दुहरा देना पुनरुक्त दोष है ।

( ६ ) लिङ्ग, वचन, काल और कारक का विपरीत प्रयोग करना अपशब्द दोष है ।

( ७ ) लेख में विराम आदि चिह्नों की, अर्थक्रम के अनुसार योजना न करना, संप्लव दोष है ।

( ८ ) आचार्य कौटिल्य ने सम्पूर्ण शास्त्रों का विधिबद्ध अध्ययन करके और उनके प्रयोगों को अच्छी तरह परीक्षा करके ही राजा के लिए इस शासनविधि की रचना की है ।

अध्यासप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में शासनाधिकार नामक  
दसवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) कोपाध्यक्षः कोपप्रवेश्यं रत्नं सारं फल्गु कुप्यं वा तज्जातकरणाधिष्ठितः प्रतिगृह्णीयात् ।

(२) ताम्रपर्णिकं, पाण्ड्यकवाटकं, पाशिक्यं, कौलेयं, चौर्ण्यं, माहेन्द्रं कार्दमिकं खौतसीयं, ह्लादीयं, हैमवतं, च मौक्तिकम् ।

(३) शङ्खः शुक्तिः प्रकीर्णकं च योनयः ।

(४) मसूरकं त्रिपुटकं कूर्मकमर्धचन्द्रं कञ्चुकितं यमकं कर्तकं खरकं सिक्क्यकं कामण्डलुकं श्यावं नीलं दुर्विद्धं चाप्रशस्तम् ।

### कोप में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा

( १ ) कोपाध्यक्ष को चाहिए कि वह विशेषज्ञों को सहमति से ही रत्न, सार, फल्गु और कुप्य आदि मूल्यवान् द्रव्यों को राजकोष के लिए लेना स्वीकार करे ।

( २ ) मोतियों के दस उत्पत्ति स्थान हैं . १. ताम्रपर्णिक ( पाण्ड्यदेश की ताम्रपर्णी नदी के सगम पर उत्पन्न ), २. पाण्ड्यकवाटक ( मलयकोटि नामक पर्वत पर उत्पन्न ), ३. पाशिक्य ( पाटलिपुत्र के समीप पाशिका नामक नदी में उत्पन्न ), ४. कौलेय ( सिंहलद्वीप की कुला नामक नदी में उत्पन्न ), ५ चौर्ण्य ( केरल की चूर्णी नामक नदी में उत्पन्न ), ६. माहेन्द्र ( महेंद्रगिरि के निकटवर्ती समुद्रतट में उत्पन्न ), ७. कार्दमिक ( फारस की कर्दमा नामक नदी में उत्पन्न ), ८. खौतसीय ( बवंर के समीप खौतसी नामक नदी में उत्पन्न ), ९ ह्लादीय ( बवंर के समीप समुद्र-तटवर्ती श्रीघण्ड नामक झील में उत्पन्न ) और १० हैमवत ( हिमालय पर्वत पर उत्पन्न ) ।

( ३ ) मोतियों की उत्पत्ति के तीन कारण हैं शुक्ति, शंख और प्रकीर्णक ( गजमुक्ता तथा सर्पमणि ) ।

( ४ ) दूषित मोतियों के तेरह प्रकार होते हैं । १ मसूरक ( मसूर की तरह का ), २. त्रिपुटक ( तीन छूट वाला ), ३. कूर्मक ( कछुये के समान ), ४. अर्धचन्द्रक ( अर्धचन्द्र की भाँति ), ५. कञ्चुकित ( मोटे छिलके वाला ), ६. यमक ( जुड़ा हुआ ), ७. कर्तक ( कटा हुआ ), ८. खरक ( खुरदुरा ), ९. सिक्क्यक ( दागवाला ), १०. कामण्डलुक ( कमण्डलु के समान ), ११. श्याव ( भूरे रङ्ग का ), १२. नील ( नीले रङ्ग का ) और १३. दुर्विद्ध ( अस्थान विधा मोती ) ।

(१) स्थूलं वृत्तं निस्तूलं भ्राजिष्णु श्वेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम् ।

(२) शीर्षकमुपशीर्षकं प्रकाण्डकमवघाटकं तरलप्रतिबन्धं चेति यष्टिप्रभेदाः ।

(३) यष्टीनामष्टसहस्रमिन्द्रच्छन्दः । ततोऽर्धं विजयच्छन्दः । शतं देवच्छन्दः । चतुष्पष्टिरर्धंहारः । चतुष्पञ्चाशद्रश्मिकलापः । द्वात्रिंशद्गुच्छः । सप्तविंशतिर्नक्षत्रमाला । चतुर्विंशतिरर्धगुच्छः । विंशतिर्माणवकः । ततोऽर्धमर्धमाणवकः । एत एव मणिमध्यास्तन्माणवका भवन्ति । एकशीर्षकः शुद्धो हारः । तद्वच्छेपाः । मणिमध्योऽर्धमाणवकस्त्रिफलकः फलकहारः पञ्चफलको वा । सूत्रमेकावली शुद्धा । संव मणिमध्या यष्टिः ।

( १ ) मोटा, गोल, तलरहित, दीप्तिमान, श्वेत, बजनी, चिकना और स्थान पर विद्या मोती उत्तम कोटि का है ।

( २ ) यष्टि अर्थात् मोतियों की माला के कई नाम हैं, शीर्षक ( जिसमें दो छोटे मोतियों के बीच में एक बड़ा मोती पिरोया गया हो ), उपशीर्षक ( जिसमें दो छोटे मोतियों के बाद एक बड़ा मोती हो ), प्रकाण्डक ( जिसमें चार छोटे मोतियों के बाद एक बड़ा मोती हो ), अवघाटक ( जिस माला के बीच में एक बड़ा मोती और उसके दोनों ओर उत्तरोत्तर छोटे छोटे मोती हों ) और तरलप्रतिबन्ध ( जिसमें सभी मोती एक समान लगे हो ) ।

( ३ ) एक हजार आठ लडों की माला को इन्द्रच्छन्द, उससे आधी पाँच सौ चार लडों की माला को विजयच्छन्द, सौ लडों की माला को देवच्छन्द, बीसठ लडों की माला को अर्धंहार, चौवन लडों की माला को रश्मिकलाप, बत्तीस लडों की माला को गुच्छ, सत्ताईस लडों की माला को नक्षत्रमाला, चौबीस लडों की माला को अर्धगुच्छ, बीस लडों की माला को माणवक, और उससे आधा दस लडों की माला को अर्धमाणवक कहा जाता है । इन्हीं मालाओं के बीच में यदि मणि पिरो दी जाय तो उनके नाम के आगे माणवक शब्द जुड़ जाता है । यदि इन्द्रच्छन्द आदि मालाओं में सभी मोती शीर्षक के समान पिरोये जाते हैं तो उनका नाम इन्द्रच्छन्दशीर्षक शुद्धहार, विजयच्छन्दशीर्षक शुद्धहार कहा जाता है । इसी प्रकार यदि इन्द्रच्छन्द आदि में सभी मोती उपशीर्षक के समान पिरोये गए हों तो उसे इन्द्रच्छन्दोपशीर्षकशुद्धहार कहा जाता है । यदि इन शुद्धहारों के बीच में मणि पिरो दी जाय तो, बजाय शुद्धहार के वे अर्धमाणवक कहलाते हैं और तब उनका पूरा नामकरण होता है इन्द्रच्छन्दशीर्षकार्धमाणवक । इसी प्रकार उपशीर्षक आदि के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । दस लडियों की माला में यदि सोने के तीन या पाँच दाने पिरो दिए गए हों तो उसे फलकहार कहा जाता है । एक ही लडों की मोती की माला का नाम सूत्र है । यदि उसके बीच में मणि पिरो दी जाय तो उसे ही

हेममणिचित्रा रत्नावली । हेममणिमुक्तान्तरोऽपवर्तकः । सुवर्णसूत्रान्तरं सोपानकम् । मणिमध्यं वा मणिसोपानकम् ।

(१) तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः ।

(२) मणिः कौटो मालेयकः पारसमुद्रकश्च ।

(३) सौगन्धिकः पद्मरागः अनवद्यरागः पारिजातपुष्पकः बालसूर्यकः ।

(४) वैदूर्यः—उत्पलवर्णः शिरोपपुष्पक उदकवर्णो वंशरागः, शुक्रपत्रवर्णः पुष्यरागो गोमूत्रको गोमेदकः ।

(५) नीलावलीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवाभो जीमूतप्रभो नन्दकः स्वन्मध्यः ।

यष्टि कहा जाता है । सोने के दाने और मणियों से पिरोई गई मोती की माला रत्नावली कहलाती है । यदि किसी माला में सोने के दाने, मणि और मोती क्रमशः पिरो दिये गये हैं तो उस माला को अपवर्तक कहते हैं । यदि अपवर्तक माला में मणि न लगी हो तो उसका नाम सोपानक है । यदि बीच में मणि लगा दी जाय तो उसे मणिसोपानक कहते हैं ।

( १ ) इसी प्रकार शिर, हाथ, पैर और कमर की भिन्न-भिन्न मालाओं के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( २ ) मणियों के तीन उत्पत्ति-स्थान हैं १. कौट ( मलयसागर के समीप कोटि नामक स्थान में उत्पन्न ) २. मालेयक ( मलय देश के कर्णोवन नामक पर्वत में उत्पन्न ) और ३. पारसमुद्रक ( समुद्र पार सिहल आदि स्थानों में उत्पन्न ) ।

( ३ ) मणियों में पाँच प्रकार के मणिक्य होते हैं : १. सौगन्धिक ( सायकाल खिलने वाले सौगन्धिक नामक नीलवर्णयुक्त कमल के समान ), २. पद्मराग ( पद्म नामक कमल के समान ), ३. अनवद्यराग ( केशर के समान ), ४. पारिजात पुष्पक ( हरसिमार पुष्प के समान ) और ५. बालसूर्यक ( उदय होते सूर्य के समान ) ।

( ४ ) वैदूर्य मणि आठ प्रकार की होती है १. उत्पलवर्ण ( लाल कमल के समान ) २. शिरोपपुष्पक ( शिरीष पुष्प की भाँति ), ३. उदकवर्ण ( जल के समान ), ४. वंशराग ( बाँस के पत्ते के समान ), ५. शुक्रपत्रवर्ण ( तोते के पक्ष की तरह ), ६. पुष्यराग ( हल्दी के समान ), ७. गोमूत्रक ( गोमूत्र के समान ) और ८. गोमेदक ( गोरोंचल के समान ) ।

( ५ ) इन्द्रनीलमणि भी आठ प्रकार की होती है १. नीलावलीय ( नीली धारियों वाली ), २. इन्द्रनील ( मोरपक्ष के समान ), ३. कलायपुष्पक ( मटर पुष्प के समान ), ४. महानील ( गहरे काले रंग की ), ५. जाम्बवाभ ( जामुन के समान ), ६. जीमूतप्रभ ( मेघ के समान ), ७. नन्दक ( भीतर से श्वेत तथा बाहर से नीली ) और ८. स्वन्मध्य ( जनप्रवाह के समान तरलित किरणों वाली ) ।

(१) शुद्धस्फटिक मूलाटवण शीतवृष्टि सूयकान्तश्चेति मणय ।

(२) षडश्रश्चतुरश्रो वृत्तो वा, तीव्रराग सस्थानवानच्छ स्निग्धो गुरुराच्चमानतगतप्रभ प्रभानुलेपी चेति मणिगुणा ।

(३) मन्दरागप्रभ सशकर पुष्पच्छिद्र खण्डो दुर्विद्धो लेखाकीर्ण इति दोषा ।

(४) विमलक सस्यकोऽञ्जनमूलक पित्तक सुलभकोऽलोहिताक्षो मृगारमको ज्योतीरसको मैलेयक आहिच्छन्नक कूर्पं प्रतिकूर्पं सुगन्धि कूप क्षीरपक शुक्तिचूणक शिलाप्रवालक पुलक शुक्रपुलक इत्यन्तर जातय ।

(५) शेषा काञ्चमणय ।

( १ ) स्फटिक मणि चार प्रकार की होती है १ शुद्धस्फटिक (स्वच्छ श्वेत) २ मूलाटवण ( मक्खन निकाले हुए मटठे की भाँति ) ३ शीतवृष्टि ( चन्द्रमा के किरणों से पिघलने वाली ) और ४ सूयकान्त ( सूय किरणों का स्पश पाकर आग उगलने वाली ) ।

( २ ) मणियों में ग्यारह प्रकार के गुण होते हैं १ षडज ( छह कोनों वाली ) २ चतुरस्र ( चार कोनों वाली ) ३ वृत्त ( गोलाकार ) ४ गहरे रंगवाली चमकदार ५ आभूषण में लगाने योग्य ६ निमल ७ चिकनी ८ भारी ९ दौलियुक्त १० चञ्चलकार्तिव्युक्त और ११ अपनी काँति से पास की वस्तु को प्रकाशित कर देने वाली ( प्रभानुलेपी ) ।

( ३ ) मणियों में सात प्रकार के दोष पाये जाते हैं १ हलके रंग वाली २ हलकी प्रभावाली ३ खुरदरी ४ छोटे छिद्र वाली ५ कटी हुई ६ उपयुक्त स्थान पर न बेधी हुई और ७ विभिन्न रेखाओं वाली ।

( ४ ) मणियों की अठारह प्रकार की उपजातियाँ हैं—१ विमलक ( श्वेत हरित वर्णों से मिश्रित ) २ सस्यक ( नीली ) ३ अञ्जनमूलक ( नील श्याम वर्ण मिश्रित ) ४ पित्तक ( गाय के पित्त के समान ) ५ सुलभक ( श्वेत ) ६ लोहिताक्ष ( किनारों पर लाल और केंद्र में श्याम ) ७ मृगारमक ( श्वेत-अरुण मिश्रित ) ८ ज्योतीरसक ( श्वेत अरुण मिश्रित ) ९ मैलेयक ( शिगरफ की भाँति ) १० आहिच्छन्नक ( फीके रंग वाली ) ११ कूप ( खुरदरी ) १२ प्रतिकूप ( दागी ) १३ सुगन्धिकूप ( मूंग-वर्णी ) १४ क्षीरपक ( दुग्ध घवल ) १५ शुक्तिचूणक ( अनेक रंगों वाली ) १६ शिलाप्रवालक ( मूंगे के समान ) १७ पुलक ( केंद्र में काली ) और १८ शुक्रपुलक ( केंद्र में श्वेत ) ।

( ५ ) इनके अतिरिक्त जो मणियाँ हो वे काञ्च के समान निम्न कोटि की होती है ।

(१) सभाराष्ट्रकं मध्यमराष्ट्रकं कास्तीरराष्ट्रकं श्रीकटनकं मणिमन्त-  
कमिन्द्रवानकं च वज्रम् ।

(२) खनिः स्रोतः प्रकीर्णकं च योनयः ।

(३) मार्जारक्षकं च शिरीषपुष्पकं गोमूत्रकं गामेदकं शुद्धस्फटिकं  
मूलाटोपुष्पकवर्णं मणिवर्णानामन्यतमवर्णमिति वज्रवर्णाः ।

(४) स्थूलं स्निग्धं गुरु प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखि तर्कुध्रामि  
ध्राजिष्णु च प्रशस्तम् ।

(५) नष्टकोण निरश्रिपाश्र्वपिवृत्तं च अप्रशस्तम् ।

(६) प्रवालकं आलकन्दकं वैवर्णिकं च रक्तं पद्मरागं च करटर्गभिणि-  
कावर्जमिति ।

(७) चन्दनम्—सातनं रक्तं भूमिगन्धि । गोशीर्षिकं कालताम्रं मत्स्य-

( १ ) हीरा के छह उत्पत्ति स्थान हैं १ सभाराष्ट्रक ( बरार, बम्बई प्रदेश में उत्पन्न ), २- मध्यमराष्ट्रक ( कोशल देश में उत्पन्न ), ३. कास्तीरराष्ट्रक ( कास्तीर देश में उत्पन्न ), ४. श्रीकटनक ( श्रीकटन पर्वत पर उत्पन्न ) ५. मणि-मतक ( उत्तरस्थ मणिमत पर्वत में उत्पन्न ) और ६. इन्द्रवानक ( कर्लिंग देश में उत्पन्न ) ।

( २ ) इनके अतिरिक्त खदान, विशेष जलप्रवाह और हाथी दाँत की जड़ आदि भी हीरा के उत्पत्तिस्थान हैं । खान और जलप्रवाह आदि के अन्य स्थानों में उत्पन्न हीरा को प्रकीर्णक रहते हैं ।

( ३ ) हीरा के अनेक आकार प्रकार हैं बिलाव की आँख के समान, शिरीष पुष्प की आकृति का, गोमूत्र के समान, गोरोचन की भाँति, सर्वथा स्वच्छ, श्वेत, मुलहठी के फूल जैसा, और मणिपों की आकृति का ।

( ४ ) मोटा, बजनी, घन की चोट सहने वाला, समकोण पानी से भरे पीतल के बर्तन में उसको हिलाने से लकीरें डाल देने वाला, चर्खों में लगे तक्रुवे के तरह घूमने वाला और चमकदार हीरा उत्तम कोटि का है ।

( ५ ) नष्टकोण, नुकीले कोनों से रहित और छोटे बड़े कोनों वाला हीरा दूषित समझा जाता है ।

( ६ ) प्रवाल ( मूंगा ) के दो उत्पत्ति स्थान हैं—१. आलकन्दक ( अलकन्द नामक स्थान से उत्पन्न ) और २. वैवर्णिक ( यूनान के समीपवर्ती विवर्ण नामक समुद्रतल में उत्पन्न ) । प्रवाह के दो रंग होते हैं १- रक्त और २. कमल । वह कीड़े का खाया हुआ तथा बीच में मोटा या उठा हुआ नहीं होना चाहिए ।

( ७ ) चन्दन के सोलह उत्पत्ति स्थान, नौ रंग, छह गन्ध और चारह गुण होते हैं । उत्पत्तिस्थान—१. सातन देश में उत्पन्न चन्दन लाल रंग का होता है और



गन्धि । हरिचन्दनं शुक्रपत्रवर्णमात्रगन्धि । तार्णसं च । ग्रामेरुक्तं रक्तं रक्त-  
कालं वा वस्तमूत्रगन्धि । देवसभेयं रक्तं पद्मगन्धि । जावकं च । जोङ्गकं  
रक्तं रक्तकालं वा स्निग्धम् । तोरुपं च । मालेयकं पाण्डुरक्तम् । कुचन्दनं  
कालवर्णकं गोमूत्रगन्धि । कालपर्वतकं रूक्षमगुरुकालं रक्तं रक्तकालं वा ।  
कोशकारपर्वतकं कालं कालचित्रं वा । शीतोदकीयं पद्मामं कालस्निग्धं  
वा । नागपर्वतकं रूक्षं शैलवर्णं वा । शाकलं कपिलमिति ।

(१) लघु स्निग्धमश्यानं सर्पिः स्नेहलेपि गन्धसुखं त्वगनुसार्यं नुत्बण-  
मविराग्युष्णसहं दाहप्राहि सुखस्पर्शनमिति चन्दनगुणाः ।

उसमे धरती की सोध होती है, २. गोशीर्षं देश मे उत्पन्न चन्दन कालिमा एव लाली  
लिए होता है और उसमे मछनी की जैसी गन्ध होती है, ३. हरि नामक देश मे उत्पन्न  
चन्दन तोते के पक्ष के समान हरे रंग का और उसमे आम की जैसी महक होती है,  
४. वृणसा नामक नदी के किनारे उत्पन्न होने वाला चन्दन भी हरिचन्दन के ही  
समान होता है, ५. ग्रामेरु प्रदेश मे उत्पन्न चन्दन या तो लाल रंग का अथवा लाल-  
काले मिले हुए रंग का होता है और उसमे बकरे की पेशाब जैसी गन्ध होनी है,  
६. देवसभा नामक स्थान मे उत्पन्न चन्दन लाल रंग का और पद्म के समान सुगन्धि  
वाला होता है, ७. जावक देश का चन्दन भी देवसभा चन्दन की भाँति होना है,  
८. जोग देश मे उत्पन्न चन्दन या तो लाल रंग का अथवा लाल-काला रंग का  
चिकना होता है और वह भी पद्म के समान सुगन्धित होता है, ९. तुरुप देश का  
चन्दन भी जोगरु की भाँति होता है, १०. माल देश मे उत्पन्न चन्दन का रंग लाल-  
पीला होता है, उसमे पद्म के समान सुगन्ध होती है, ११. कुचन्दन काले रंग का  
तथा गोमूत्र के समान गन्ध वाला होता है, १२. काल पर्वत पर उत्पन्न चन्दन खुर-  
दुरा, अगर के समान काला या लाल या लाल-काला होता है और उसमे भी गोमूत्र  
जैसी गन्ध होती है, १३. कोशकार पर्वत पर उत्पन्न चन्दन काला अथवा चितकबरा  
होता है, १४. शीतोदक देश में उत्पन्न चन्दन पत्र के रंग का या काला अथवा स्निग्ध  
होता है, १५. नाग पर्वत पर उत्पन्न चन्दन रूखा और सेवार के रंग जैसा होता है,  
१६. शाकल देश मे उत्पन्न चन्दन पीला-लाल ( कपिल ) वर्ण का होता है ।

( १ ) चन्दन मे प्यारह गुण होते हैं—१. तपु २. स्निग्ध ३. बहुज विन्ने मे  
सूखने वाला, ४. शरीर मे घी के समान लगने वाला, ५. सुगन्धित, ६. त्वचा के भीतर  
ठडक पहुँचाने वाला, ७. बिना फटा, ८. स्थायी वर्ण एव गन्ध वाला, ९. गर्मी शात  
करने वाला, १०. सस्ताप की दूर करने वाला और ११. सुखकर स्पर्श वाला ।

(१) अगुरु—जोङ्गकं कालं कालचित्रं मण्डलचित्रं वा । श्यामं दोङ्गकम् । पारसमुद्रकं चित्ररूपम् । उशीरगन्धि नवमालिकागन्धि वेति ।

(२) गुरु स्निग्धं पेशलगन्धि निर्हारि अग्निसहमसंप्लुतधूमं समगन्धं विमर्दसहम् इत्यगुरुगुणाः ।

(३) तैलपर्णिकम्—अशोकग्रामिकं मांसवर्णं पद्मगन्धि । जोङ्गकं रक्तपीतकमुत्पलगन्धि गोमूत्रगन्धि वा ग्रामेरुकं स्निग्धं गोमूत्रगन्धि । सौवर्णकुड्यकं रक्तपीतं मातुलुङ्गगन्धि । पूर्णकद्वीपकं पद्मगन्धि नवनीतगन्धि वेति ।

(४) भद्रश्रीयम्—पारलीहित्यकं जातीवर्णम् । आन्तरवत्यमुशीरवर्णम् । उभयं कुष्ठगन्धि चेति ।

(५) कालेयकः—स्वर्णभूमिजः स्निग्धपीतकः । औत्तरपर्वतको रक्तपीतकः इति साराः ।

( १ ) अगर का निरूपण इस प्रकार है—जोगल नामक अगर तीन तरह का होता है काला, चितकबरा और काले-सफेद दागो वाला । दोगक नामक अगर काला होता है, जोगक और दोगक दोनों आसाम में पैदा होते हैं । समुद्र पार पैदा होने वाला अगर, चित्र रूप का होता है, जिसकी गन्ध खश और चमेली जैसी होती है ।

( २ ) भारी, स्निग्ध, सुगन्धित, दूर तक सुगन्ध फैकने वाला, अग्नि को सहन करने वाला, जिसका धुआँ व्याकुल न कर दे, जलते समय एक जैसी गन्ध देने वाला और बख़ आदि पर पोछ देने से गन्ध बनी रहना, ये अगर के गुण हैं ।

( ३ ) असम में पैदा होने वाला तैलपर्णिक चन्दन मास के रङ्ग का और पद्म के समान गन्ध वाला होता है । असम में ही पैदा होने वाला दूसरा तैलपर्णिक चन्दन लाल-पीले रङ्ग का और कमल अथवा गोमूत्र की गन्ध का होता है । ग्रामेरु प्रदेश में पैदा होने वाला चन्दन चिकना और गोमूत्र की गन्ध का होता है । असम के सुवर्णकुड्य नामक स्थान में पैदा होने वाला चन्दन लाल-पीला और नीबू की गन्ध का होता है । पूर्णक द्वीप में उत्पन्न चन्दन पद्म अथवा मखन की गन्ध का होता है ।

( ४ ) भद्रश्रीय नामक चन्दन दो प्रकार का होता है - १. पारलीहित्य और २. आन्तरवत्य । पारलीहित्य असम में पैदा होता है और उसका रङ्ग चमेलीपुष्प जैसा होता है, आन्तरवत्य चन्दन भी असम में ही पैदा होता है, उसका रङ्ग खस की भाँति होता है । इन दोनों की गन्ध कूट औषधि की तरह होती है ।

( ५ ) कालेयक नामक चन्दन स्वर्णभूमि में पैदा होता है और वह स्निग्ध एव पीले रङ्ग का होता है । हिमालय पर पैदा होने वाला कालेयक लाल-पीले रङ्ग का होता है । यहाँ तक सार वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

(१) पिण्डववायधूमसहमविरागि योगानुविधायि च । चन्दनागरवच्च  
तेषां गुणाः ।

(२) कान्तनावकं प्रैयकं चोत्तरपर्वतकं चर्म । कान्तनावकं मयूर-  
ग्रीवाभम् । प्रैयकं नीलं पीतं श्वेतं लेखाबिन्दुचित्रम् । तदुभयमष्टाङ्गुला-  
यामम् ।

(३) बिसी महाबिसी च द्वादशप्रापीये । अव्यक्तरूपा दुहिलिका चित्र  
वा बिसी । परुषा श्वेतप्राया महाबिसी । द्वादशाङ्गुलायाममुभयम् ।

(४) श्यामिका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजाः ।  
कपिला बिन्दुचित्रा वा श्यामिका । कालिका कपिला कपोतवर्णा वा ।  
तदुभयमष्टाङ्गुलायाम् । परुषा कदली हस्तायता । सर्व चन्द्रचित्रा चन्द्रो-  
त्तरा । कदलीत्रिभागा शाकुला कोठमण्डलचित्रा कृतकर्णिकाजिनचित्रा  
चेति ।

( १ ) तैलपर्णिक, भद्रधीय और कालेयक, इन तीनों में पीसने पर, पकाने पर,  
आग में जलाने पर किसी प्रकार का विकार पैदा न होना, दूसरी वस्तु के साथ  
मिलाने पर तथा देर तक रखे रहने पर उनकी गन्ध में किसी प्रकार का फर्क न  
आना, ये गुण पाये जाते हैं । पूर्वोक्त चन्दनों में जो गुण बताये गए हैं, वे भी इन  
तीनों में पाये जाते हैं ।

( २ ) फल्गु पदार्थों में पहिला स्थान चमड़े का है, जिसकी लगभग पन्द्रह  
जातियाँ होती हैं, १. कान्तनावक और २. प्रैयक दोनों का चमड़ा हिमालय में पैदा  
होता है । उनमें कान्तनावक मयूरग्रीवा का कान्ति वाला और प्रैयक नीले-पीले तथा  
सफेद रेखाओं अथवा दागों से युक्त होता है । इन दोनों का विस्तार आठ अंगुल  
होता है ।

( ३ ) हिमालय में स्थित म्लेच्छों के बारह गावों में ३ बिसी और ४. महा-  
बिसी नामक चमड़ा पैदा होता है । बिसी बहुरङ्ग, बालों वाला एवं चितकबरा, और  
महाबिसी कठोर तथा श्वेत होता है । इन दोनों का विस्तार बारह-बारह अंगुल  
होता है ।

( ४ ) हिमालय के आरोह नामक स्थान में पैदा होने वाला चमड़ा पाँच प्रकार  
का होता है : ५. श्यामिका, ६. कालिका ७. कदली ८. चन्द्रोत्तरा और ९. शाकुला ।  
कपिल और चितकबरे रङ्ग का चमड़ा श्यामिका है । कपिल अथवा कबूतरी रङ्ग  
का चमड़ा कालिका कहलाता है । इन दोनों का विस्तार आठ आठ अंगुल होता है ।  
कदली नामक चमड़ा कठोर तथा खुदुरा होता है, जिसकी लम्बाई एक हाथ मानी  
गई है । कदली नामक चमड़े पर यदि चन्द्रबिन्दु अंकित हों तो वह चन्द्रोत्तरा कह-  
लाता है । रङ्ग में ये दोनों कालिका के समान होते हैं । कदली से तीन गुणा बड़ा

(१) सामूरं चीनसी सामूली च बाह्ववेयाः । षट्त्रिंशदङ्गुलमञ्जन-  
वर्णं सामूरम् । चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली वा । सामूली गोधूमवर्णेति ।

(२) सातिना नलतूला वृत्तपुच्छा औद्राः । सातिना कृष्णा । नलतूला  
नलतूलवर्णा । कपिला वृत्तपुच्छा च । इति चर्मजातयः ।

(३) चर्मणां मृदु स्निग्धं बहुलरोमं च श्रेष्ठम् ।

(४) शुद्धं शुद्धरक्तं पक्षरक्तं च आविकम् । खचितं वानचित्रं खण्ड-  
सङ्घात्यं तन्तुविच्छिन्नं च ।

(५) कम्बलः केचलकः कलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं  
तच्छिलकं वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं च आविकम् ।

(६) पिच्छलमार्द्रमिव च सूक्ष्मं मृदु च श्रेष्ठम् ।

( तीन हाथ का ) या कदली का तीसरा हिस्सा ( आठ अंगुल ) शाकुला नामक  
चमड़ा होता है, जिसमें लाल धब्बे और कुछ गूठे पड़ी होती हैं ।

( १ ) हिमालय के बाह्वव नामक प्रदेश में तीन प्रकार का चमड़ा होता है :  
१०. सामूर, ११. चीनसी और १२. सामूनी । सामूर चमड़ा अञ्जन के समान काले  
रङ्ग का और छत्तीस अंगुल का होता है । चीनसी चमड़ा लाल-काला अथवा पीला-  
काला रङ्ग का होता है । सामूली गेहूँए रङ्ग का होता है । ये दोनों छबीस-छबीस  
अंगुल के होते हैं ।

( २ ) उद्र नामक जलचर प्राणी की खाल तीन प्रकार होती है १३. सातिना  
१४. नलतूला और १५. वृत्तपुच्छा । सातिना काले रङ्ग की होती है । नलतूला,  
नरसल के समान सफेद होती है । वृत्तपुच्छा लाल-पीले रङ्ग की होती है । चमड़े की  
ये पन्द्रह प्रकार की भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं ।

( ३ ) मुलायम, चिकना और अधिक बालों वाला चमड़ा उत्तम समझा  
जाता है ।

( ४ ) भेड़ की ऊन के चमड़े प्रायः सफेद और सफेद-लाल अथवा दूसरे रंग के  
भी होते हैं । इनके चार भेद हैं : १. खचित ( बेल-बूटेदार ), २. वानचित्र ( बुनाई  
के समय जिनमें तरह-तरह के फूल चित्रित हो ) ३. सण्डसघात्य ( तरह तरह की  
बुनावट के छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ ) और ४. तन्तु-विच्छिन्न ( जालीदार कपड़ा ) ।

( ५ ) इनके अतिरिक्त १. कम्बल, २. केचलक, ३. कलमितिका, ४. सौमि-  
तिका, ५. तुरगास्तरण, ६. वर्णक, ७. तच्छिलक, ८. वारवाण, ९. परिस्तोम और  
१०. समन्तभद्रक, ये दस भेद बने हुए ऊनी वस्त्रों के और होते हैं ।

( ६ ) चिकना, चमकदार बारीक डोरे का और मुलायम कम्बल उत्तम समझा  
जाता है ।

(१) अष्टप्लोतिसञ्चाल्या कृष्णा भिङ्गिसी वर्षवारणम्, अपसारक इति नैपालकम् ।

(२) संपुटिका चतुरश्रिका लम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलिकेति मृगरोम ।

(३) बाङ्गकं श्वेतं स्निग्धं दुकूलं, पौण्ड्रकं श्मामं मणिस्निग्धं, सौवर्ण-कुड्यकं सूर्यवर्णम् । मणिस्निग्धोदकवानं चतुरश्रवानं व्यामिश्रवानं च ।

(४) एतेषामेकाशुकमध्यर्धद्वित्रिचतुरंशुकमिति ।

(५) तेन काशिकं पौण्ड्रकं च क्षीमं व्याख्यातम् ।

(६) मागधिका पौण्ड्रिका सौवर्णकुड्यका च पत्रोर्णाः नागवृक्षो

( १ ) काले रंग के आठ टुकड़ों को जोड़कर भिंगिसी बनाई जाती है, जो कि वर्षा में भीगने से बचाती है । इसी तरह एक ही साबूत कपड़े का बना अपसारक कहलाता है । ये कपड़े नैपाल देश में बनते हैं ।

( २ ) मृग के बालों से छह प्रकार का कपड़ा बनाया जाता है - १. सपुटिका, ( जाधिया या सुथनी ), २. चतुरश्रिका, ३. लम्बरा, ४. कटवानक, ५. प्रावरक और ६. सत्तलिका ।

( ३ ) दुशाला देश भेद से तीन प्रकार का होता है : १ बागक, २ पौण्ड्रक ३ सौवर्णकुड्यक । बागक अर्थात् बङ्गाल में बना हुआ दुशाला सफेद एवं चिकना होता है, पौण्ड्रक अर्थात् पुडु देश में बना हुआ दुशाला काला एवं मणि के समान स्निग्ध होता है, और असम के सुवर्णकुड्य नामक स्थान में बना हुआ दुशाला सूर्य के समान चमकदार होता है । इन दुशालों की बुनावट तीन प्रकार की होती है १. दुशाले बनाने के साधनभूत तन्तु पहिले पानी में भिगो दिए जाय, फिर मणिबन्ध में रगड़कर उन्हें मजबूत बना दिया जाय २ ताना और बाना दोनों का तागा एक-सा बारीक हो, इस प्रकार की बुनावट ३ कपास, रेशम, ऊन आदि मिले हुए तन्तुओं से रगीन बुनावट करना ।

( ४ ) जिसके ताने और बाने में एक जैसे बारीक तन्तु हो, वह उत्तम दुशाला है, इनसे डबोड़े, दुपने, तिगुने आदि मोटे तन्तुओं के होने पर उत्तरोत्तर वह दुशाला कम कीमत का समझा जाता है ।

( ५ ) इसी प्रकार काशी तथा पुडु आदि में बनने वाले रेशमी वस्त्रों की उत्कृष्टता-निकृष्टता के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए, अर्थात् रेशम के तन्तु जितने बारीक और एक सूत के होंगे, रेशम उतना ही उत्तम होगा और तन्तुओं के मोटे होने पर उत्तरोत्तर वह निकृष्ट समझा जायगा ।

( ६ ) मगध, पुडु और सुवर्णकुड्यक, इन तीन देशों में पत्रोर्णा नाम की ऊन होती है । वह नागकेसर, बडहर, मौलसरी और बरगद, इन चार पेड़ों से पैदा

लिकुचो बकुलो बटश्च योनयः । पीतिका नागवृक्षिका, गोधूमवर्णा लंकुची,  
श्वेता वाकुली, शेषा नवनीतवर्णा ।

(१) तासां सौवर्णकुड्यका श्रेष्ठा । तथा कौशेयं चीनपट्टाश्च चीन-  
भूमिजा व्याख्याताः ।

(२) माधुरमापरान्तकं कालिङ्गकं काशिकं वाङ्गकं वात्तकं माहिषकं  
च कार्पासिकं श्रेष्ठमिति ।

(३) अतः परेषां रत्नानां प्रमाणं मूल्यलक्षणम् ।

जरीत रूपं च जानीयान्निधानं नवकर्म च ॥

(४) पुराणप्रतिसंस्कारं कर्मगुह्यमुपस्करान् ।

देशकालपरीभोगं हिस्त्राणां च प्रतिक्रियाम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे कोशप्रवेन्द्यरत्नपरीक्षा नाम  
एकादशोऽध्याय, आदि उक्त्वा ।

—: ० :—

होती है । नागकेसर के पेड़ से निकाली जाने वाली पत्रोर्णा पीली होती है । बड़हर  
पर देहूँए रंग की होती है । मौलसरी की सफेद होती है । बरगद तथा अन्य वृक्षों  
की पत्रोर्णा मक्खन के रंग की होती है ।

( १ ) उनमें सुवर्णकुड्यक ( असम ) की पत्रोर्णा उत्तम समझी जाती है ।  
इसी प्रकार दूसरे रेशम और चीन में उत्पन्न होने वाले चीनपट्ट में सम्बन्ध में भी  
धन्य लेना चाहिए ।

( २ ) मधुरा ( मडुरा ), अपरातक ( कोरुण ), कलिंग, काशी, बंग, बल्ल  
और माहिषक ( मैसूर ), इन देशों में पैदा होने वाली कपास के कपड़े सर्वोत्तम  
समझे जाते हैं ।

( ३ ) कोशाध्यक्ष को चाहिए कि वह, मोती से लेकर कपास तक जिन रत्न,  
सार और फल्यु आदि पदार्थों का निरूपण किया गया है तथा जिनका निरूपण आगे  
किया जायगा, इसके अतिरिक्त रत्नों के प्रमाण, मूल्य, लक्षण, जाति, रूप, निधान  
और मस्कार-गुद्धि आदि विषयों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करे ।

( ४ ) पुराने रत्नों का पुनः संस्कार, उनको छीलना, उनका रंग बदलना, उनको  
साफ करना, देशकाल के अनुसार उनका उपयोग करना, कृमि-कीटों से उनको  
पुरसा का प्रबन्ध करना आदि कार्य भी कोशाध्यक्ष को जानकारों से सम्बद्ध हैं ।

अध्यक्षप्रचार नामक दूसरे अधिकरण में कोशप्रवेन्द्यरत्नपरीक्षा नामक  
स्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्त्ररसपाकमणिरागजस्तग्जसखो वा तज्जातकर्मकरोपकरणसम्पन्नः किट्टमूषाङ्गारभस्मलिङ्गं वाकरं भूतपूर्वम-  
भूतपूर्वं वा भूमिप्रस्तररसधातुमत्यर्थवर्णगौरवमुपगन्धरसं परीक्षेत ।

(२) पर्वतानामभिज्ञातोद्देशानां बिलगुहोपत्यकालयनगूढखातेष्वन्तः-  
प्रस्यन्दिनो जम्बूघृततालफलपखहरिद्राभेदहरितालक्षौरहिङ्गुलकपुण्डरीक-  
शुकमयूरपत्रवर्णाः स्वर्णोदकौषधिपर्यन्ताश्रिवकणा विशदा भारिकाश्र  
रसाः काञ्चनिकाः ।

(३) अप्मु निष्ठघृतास्तंलवद्विसपिणः पङ्कमलप्राहिणश्च ताम्ररूप्ययोः  
शतादुपरि वेद्वारः ।

### खान एवं खनिज की पहिचान और उनके विक्रय की व्यवस्था

( १ ) आकर ( खान ) के अध्यक्ष को चाहिये कि वह शुल्बशास्त्र, धातुशास्त्र, रसायन, पाकविधि और मणिराग आदि के विषयो मे निपुणता प्राप्त करे अथवा उन विषयो के विशेषज्ञ पुरुरो तथा उन वस्तुओ के व्यापारियो के साथ रहकर, कुल्हाड़े, धौवनी, सन्सी आदि आवश्यक सामग्री को साथ लेकर, बीटी, मूषा, राख आदि लक्षणो को देखकर पुरानी खान की परीक्षा करे, यदि मिट्टी, पत्थर, पानी आदि मे धातु मिली हुई जान पड़े या उनका रंग चमकदार मालूम हो या वे बजनदार लगे अथवा उनमे तेज गन्ध आती हो तो इन लक्षणो से समझ लेना चाहिए कि उस स्थान पर खान है ।

( २ ) परिचित पहाडो के गड्ढो, गुफाओ, तराइयो, पथरीले स्थानो एव शिलाओ से ढके हुए छेदो द्वारा बहने वाले जल से, जिसका रङ्ग जामुन, आम, ताड का फल, पक्की हल्दी, हरताल, मैनसिल, शहद, शिगरफ, कमल, तोता, मोर-पख आदि के रङ्ग का हो और अपने समान रङ्ग के पानी तथा औषधि तक बहने वाले चिक्ने भारी जल को देखकर सोने की खान का अनुमान करना चाहिए ।

( ३ ) इस प्रकार के जल को यदि दूसरे जल मे मिलाया जाय और वह तेल की तरह फैलने लगे, या निराबसी फल के समान पानी को साफ करता हुआ नीचे

(१) तत्प्रतिरूपकमुप्रागन्धरसं शिलाजतु विद्यात् ।

(२) पीतकास्ताम्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तरघातवो भिन्ना नील-  
राजीमन्तो मुद्गमापकृसरवर्णा वा दधिबिन्दुपिण्डचित्रा हरिद्राहरीतकी-  
पद्मपत्रशैवलयकृस्फ्लीहानवद्यवर्णा भिन्ना श्वश्रुवालुकालेखाबिन्दुस्वस्तिक-  
वन्तः सगुलिका अचिध्मन्तस्ताप्यमाना न भिद्यन्ते बहुफेनधूमाश्च सुवर्ण-  
घातवः प्रतीवापार्यास्ताम्ररूप्यवेधनाः ।

(३) शङ्ख कर्पूरस्फटिकनवनीतकपोतपारावतविमलकमयूरग्रीवावर्णाः  
सस्यकयोमेदकगुडमत्स्यण्डिकावर्णाः कोविदारपद्मपाटलीकलायक्षीमातसी-  
पुष्पवर्णाः ससीसाः साञ्जनाः विस्त्रा भिन्ना श्वेताभाः कृष्णाः कृष्णाभाः  
श्वेताः सर्वे वा लेखाबिन्दुचित्रा मृदवो ध्यायमाना न स्फुटन्ति बहुफेन-  
धूमाश्च रूप्यघातवः ।

(४) सर्वघातूनं गौरववृद्धौ सत्त्ववृद्धिः । तेषामशुद्धा मूढगर्भा वा

बैठ जाय अथवा सौ पल लौंवा या चाँदी उसके ऊपर डालकर यदि यह उसको एक पल जल मुनहरा बना दे तो समझना चाहिए कि इस पल स्रोत के नीचे अवश्य ही सोने की खान है ।

( १ ) यदि किसी स्थान पर उसी के समान केवल तेज गन्ध या उग्र रस की समाधान हो तो समझना चाहिए कि वहाँ पर शिलाजीत का उत्पत्तिस्थान है ।

( २ ) पीले या लौंवे अथवा दोनों रङ्गों की मिट्टी और पत्थर जिनके तोड़ने पर बीच में नीली रेखायें या मूँग उड़द, तिल आदि के समान या वही के छोटे-छोटे कणों के समान छोटी छोटी बूँदों वाला, हल्दी, हरीतकी, कमलपत्र, सेदार, पकृत, प्लोहा तथा केसर के समान या तोड़ने पर बारीक रेत की रेखाओं, बूँदों, स्वस्तिक चिह्नों, मोटे रेत के कणों के समान, कान्ति युक्त और तपाये जाने पर न फटने वाली तथा बहुत भ्रग एव धुआँ देने वाली सुवर्ण धातु होती है । इस प्रकार की मिट्टी और पत्थर से लौंवा तथा चाँदी को सोना बनाया जा सकता है ।

( ३ ) शंख, कर्पूर, स्फटिक मणि, मक्खन, जङ्गली कबूतर, पालतू कबूतर, सफेद तथा लाल रङ्ग की मणि, मयूर ग्रीवा, नील मणि, गोरोचन, गुड, शक्कर, कचनार, कमल, पाटली, मटर, अलसी आदि के समान रङ्ग वाले, सीसा, अजन, दुर्गन्ध से युक्त, तोड़ने पर बाहर से सफेद भातूम होने वाले किन्तु भीतर तथा बाहर से काले और भीतर से सफेद प्रतीत होने वाले अथवा हर प्रकार की रेखाओं तथा बूँदों से युक्त, मृदु, तपाये जाने पर जो फटे नहीं किन्तु बहुत भाग और धुआँ उगलें, इस प्रकार की धातु रूप्यधातु कही जाती हैं ।

( ४ ) इन सभी धातुओं के सम्बन्ध में यह समझना चाहिए कि उनमें जितना



तीक्ष्णमूत्रक्षारभाविता राजवृक्षवटपीलुगोपित्तरोचनामहिषखरकरममूत्र-  
लण्डपिण्डबद्धास्तप्रतीवापास्तदवलेपा चा विशुद्धाः स्रवन्ति ।

(१) यवभापतिलपलाशपीलुक्षारंगोक्षीराजक्षीर्वा कदलीवज्रकन्दप्रती-  
वापो मार्दवकरः ।

(२) मधुमधुकमजापयः सतलं घृतगुडकिण्वयुतं सकन्दलीकम् ।

यदपि शतसहस्रधा विभिन्नं भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निषेकः ॥

(३) गोदन्तशृङ्गप्रतीवापो मृदुस्तम्भनः ।

(४) भारिकः स्निग्धो मृदुश्च प्रस्तरघातुभूमिभागो वा पिङ्गलो हरितः  
पाटलो लोहितो वा ताम्रघातुः ।

(५) काकमेधकः कपोतरोजनावर्णः श्वेतराजिनद्धो वा विलः  
सीसघातुः ।

ही भारीपन होगा वे उतनी ही उत्तम कोटि के सिद्ध होगी । इनमे जो धातु अयुद्ध हो अथवा मूल जम जाने के कारण जिसके गुण-दोषों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पा रहा हो उसका शोधन कर लिया जाय । शोधन के प्रकार ये हैं . तीक्ष्णमूत्र ( मनुष्य हाथी-घोडा, गाय, गधा, बकरा आदि में से किसी का मूत्र ), तीक्ष्णक्षार, अमलतास, वरगद, पीलु, गोरोचन, भैमे का मूत्र, बालक का मूत्र तथा उनके पुरीष, ( मल ) आदि वस्तुओं में कई बार घातुओं की भावनाएँ देने से वे विशुद्ध हो जाती हैं, अमल-तास आदि के चूर्ण से अथवा उनके लेप से भी घातु का मूल नष्ट होकर वे अपने असली रूप में आ जाती हैं ।

( १ ) जो उडद, तिल, ढाक, पीलु, वृक्ष का क्षार और गाय तथा बकरी के दूध में केला एवं सूरण को एक साथ मिलाकर यदि उनमें सोने-चाँदी की भावना दी जाय तो वे नर्म हो जाते हैं ।

( २ ) शहद, मुलहठी, बकरी का दूध, तेल, घी, गुड की शराब और छादर में पैदा होने वाले झाड़ आदि सब को मिलाकर, उनमें तीन बार सोने-चाँदी की भावना दी जाय तो वे चाहे जितने भी कटे-फटे खुरदरे नषों न हो, मुलायम हो जाते हैं ।

( ३ ) यदि पिघले हुए सोने-चाँदी के ऊपर गाय के दाँत तथा सींग का चूर्ण बुरक दिया जाय तो सोना-चाँदी ठोस हो जाते हैं ।

( ४ ) जहाँ पापाणघातु, भूमिघातु, और ताम्रघातु, इन तीन प्रकार के पत्थर तथा मिट्टी के चिकने एवं मृदु भू-भाग हो, वहाँ तंबे की खान होती है । तंबा चार प्रकार का होता है : १. पिङ्गल २. हरित ३. पाटल और ४. लोहित ।

( ५ ) जो भूमि-भाग कौए के समान काला, कबूतर तथा गोरोचन की आकृति वाला, सफेद रेखाओं से युक्त और दुर्गन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसा की खान समझनी चाहिए ।

- (१) ऊपरकर्बुरः पबवलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातुः ।
- (२) कुरुम्बः पाण्डुरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्ष्णधातुः ।
- (३) काकाण्डभुजपत्रवर्णो वा वैकृन्तकधातुः ।
- (४) अच्छः स्निग्धः सप्रभो घोषवान् शीततीव्रस्तनुरागश्च मणिधातुः ।
- (५) धातुसमुत्थं तज्जातकर्मन्तेषु प्रयोजयेत् ।
- (६) कृतभाण्डव्यवहारेमेकमुखम्, अत्ययं चाग्यत्रकर्तृक्रेतृविकेतृणां

स्थापयेत् ।

(७) आकरिकमपहरन्तमष्टगुणं दापयेदन्यत्र रत्नेभ्यः ।

(८) स्तेनमनिसृष्टोपजीविनं च बद्ध्वा कर्म कारयेद्, दण्डोप-  
कारिणं च ।

( १ ) जो भूमि-भाग ऊसर जमीन की भाँति कुछ सफेदी लिये हो, अथवा पके हुए डेले के रंग का हो, वहाँ सफेद सीसे की खान समझनी चाहिए ।

( २ ) जो भूमि भाग चिकने पत्थरो वाला, कुछ सफेदी एव लाली लिये हो, अथवा उसकी आकृति निर्गुण्टी के पुष्प से मिलती हो, वहाँ लोहे की खान समझनी चाहिए ।

( ३ ) जो भूमि-भाग कौवे के अण्डे या भोजपत्र की आकृति का हो, वहाँ इस्पाती लोहे की खान समझनी चाहिए ।

( ४ ) जो भूमि-भाग, इतना स्वच्छ हो कि जिसमें परछाई दिखाई दे, जो चिकना, दीप्त, शब्द देने वाला, अत्यन्त शीतल और फीके रंग वाला हो, वहाँ मणियों की खान जाननी चाहिए ।

( ५ ) खान से प्राप्त सुवर्ण आदि के लाभ को पुन खान के कार्यों में लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए ।

( ६ ) किसी एक नियत स्थान में ही सुवर्ण आदि धातुओं की बिक्री की व्यवस्था करनी चाहिए, उससे अन्यत्र बेचने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिए ।

( ७ ) धातुओं की चोरी करने वाले व्यक्ति पर, चोरी का आठ गुना दण्ड करना चाहिए, किन्तु यदि वह रत्नों की चोरी करता है तो उसको प्राणदण्ड दिया जाना चाहिए ।

( ८ ) जो व्यक्ति चोरी करे अथवा राजा की अनुमति के बिना धातुओं का व्यापार करे, उसे पकड़कर खान के कार्य में लगा देना चाहिए, और जिस व्यक्ति को न्यायालय ने प्राणदण्ड की सजा दी हो, किन्तु कारणवश वह उस दण्ड को पूरा न कर सके तो, ऐसे व्यक्ति को भी खान में लगा देना चाहिए ।

(१) व्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रकथयेण वा दद्यात्, लाघविक-  
मात्मना कारयेद् ।

(२) लोहाध्यक्षः ताम्रसीसत्रपुर्वकृन्तकारकूटवृत्तकंसताललोहकर्मि-  
न्तान् कारयेत्, लोहभाण्डव्यवहारं च ।

(३) लक्षणाध्यक्षः चतुर्भागताम्रं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्जनानाम-  
न्यतमापयोजयुक्तं कारयेत् पणम्, अर्घपणं पादमष्टभागमिति । पादाजीवं  
ताम्ररूपं मापकमर्घमापकं काकणीमर्घकाकणीमिति ।

(४) ह्यपदर्शकः पणयात्रां व्यावहारिकीं कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत् ।

( १ ) यदि खान पर लोगो का कर्जा चढ गया हो और उस कर्जा को चुकता कर देने पर ही लाभ निर्भर हो तो, खान के अध्यक्ष को चाहिए कि वह थोड़ी-थोड़ी रिस्तो मे उस कर्जे को चुकता कर दे अथवा राजा से, कुछ शीतर देकर, एक मुस्त रकम देकर, वह उस कर्जे को सर्वथा चुकता कर दे । यदि थोड़ी पूंजी या थोड़े श्रम से कार्य पूरा हो सकता है तो, अध्यक्ष स्वय ही वैसा कर दे ।

( २ ) अध्यक्ष को चाहिए कि वह ताँबा, सीसा, त्रपु, वैकुण्ठक, आरकूट, वृत्त, कस और ताल आदि अन्य प्रकार के लोहो का कार्य अपनी देख-रेख के कराये । लोहे की बनी वस्तुओ एव तत्सम्बन्धी कार्य-व्यवहार को भी वह अपनी निगरानी मे करवावे ।

( ३ ) टक्काल के अध्यक्ष ( लक्षणाध्यक्ष ) को चाहिए कि वह पण, अर्घपण, पादपण तथा अष्टभागपण नामक चार चाँदी के सिक्को को विधिपूर्वक ढलवावे । १६ माप का एक पण होता है । उसमे ४ माप ताँबा, लोहा, रौगा, सीसा तथा अजन, इनमे से कोई भी एक माप, बाकी ११ माप चाँदी होनी चाहिए । इसी हिसाब से अर्घपण ( अठन्नी ), पादपण ( चवन्नी ) और अष्टभागपण ( दुअन्नी ) आदि को ढलवावे । पण के चौथे हिस्से को व्यवहार मे लाने के लिए ताँबे का एक अलग सिक्का होना चाहिए, जिसमे चौथाई हिस्सा चाँदी एक हिस्सा लोहा, सीसा आदि मे से कोई एक और ग्यारह माप ताँबा होना चाहिए, इस सिक्के का नाम मापक है, जिसका वजन सोलह माप होता है, इसका भी अर्धमापक सिक्का तैयार करवाना चाहिए, इसके पादमापक तथा अष्टभागमापक के लिए 'काकणी' तथा 'अर्घकाकणी' नामक सिक्को को बनवाना चाहिए ।

( ४ ) सिक्को के विशेषज्ञ को इस बात की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि कौन-सा सिक्का चलाया जाय और कौन-सा सिक्का सज्जाने मे जमा किया जाय । सी पण पर जो आठ पण राज्यभाग जनता से लिया जाता है, उसका नाम रूपिक है;

रूपिकमष्टक शतं, पञ्चकं शतं व्याजीं, पारीक्षिकमष्टभागिकं शतम् ।  
पञ्चविंशतिपणमत्ययं चान्यत्र कर्तृक्रेतृविक्रेतृपरीक्षितृभ्यः ।

(१) खन्यध्यक्षः शङ्खवज्रमणिमुक्ताप्रवालक्षारकमन्तान् कारयेत्,  
पणनव्यवहारं च ।

(२) लवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभाग प्रकयं च यथाकालं सगृह्णीयाद्,  
विक्रयाच्च मूल्य रूपं व्याजीं च ।

(३) आगन्तुलवण पङ्कभाग दद्यात् । दत्तभागविभागस्य विक्रयः ।  
पञ्चक शत व्याजीं, रूप, रूपिक च । क्रेता शुल्क, राजपण्यच्छेदानुरूप च  
वैधरण दद्यात् । अन्यत्रक्रेता पङ्कतमत्ययं च ।

(४) विलवणमुत्तम दण्ड दद्यात्, अनिसृष्टोपजीवी च । अन्यत्र वान-  
प्रस्थेभ्यः । श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टयश्च भक्तलवण हरेयुः ।

सौ पण पर पांच पण राज्यभाग व्याजी और सौ पण पर आठ पण राज्यभाग पारीक्षिक कहलाता है । यदि कोई पारीक्षिक का अपहरण करे तो उसे पच्चीस पण दण्ड दिया जाय, यदि अधिक अपहरण करे तो, अपहृतधन के हिसाब से, उस पर द्गुना, चौगुना दण्ड नियत करना चाहिए । किन्तु सिक्को को बनाने, बेचने, खरीदने और परीक्षा करने वाले अधिकारियों के लिए दण्ड विधान की व्यवस्था कुछ दूसरी ही है ।

( १ ) खान के अध्यक्ष को चाहिए कि वह शङ्ख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल तथा सभी तरह के क्षारों की उत्पत्ति और उनके क्रय-विक्रय की सुव्यवस्था करे ।

( २ ) लवण के अध्यक्ष को चाहिए कि वह विक्री के लिए तैयार नमक को और किसी दूसरी खान से कुछ शतों के आधार पर नियत मात्रा में उपलब्ध होने वाले नमक को ठीक समय से सग्रह कर ले, उसको चाहिए कि वह उसके विक्रय का, विक्री से प्राप्त होने वाले मूल्य का और रूप एव व्याजी का सुप्रबध करे ।

( ३ ) विदेश से विक्री के लिए आये हुए नमक का छठा भाग राजकर के रूप में देना चाहिए । जो व्यक्ति समुचित राजकर एव तोल का टैक्स अदा करे वही उसको बेचने का अधिकारी है, और उसे पांच प्रतिशत व्याजी, रूप तथा रूपिक भी राजकर के रूप में अदा करना चाहिए । उस भाग को खरीदने वाला व्यक्ति भी राजकर अदा करे, उसकी छीजन भी वह पूरी करे । राजकीय बाजार का कोई व्यापारी यदि बाहर से नमक मँगाता है तो उससे छह प्रतिशत राजकर के अतिरिक्त जुर्माना भी अदा किया जाय ।

( ४ ) घटिया या मिलावटी नमक बेचने वाले व्यापारी को उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए । इसी प्रकार जो राजाशा के विरुद्ध नमक को बनाता है या उसका

- (१) अतोऽन्यो लवणक्षारवर्गः शुल्कं दद्यात् ।  
 (२) एवं मूल्यं विभागं च व्याजीं परिघमत्ययम् ।  
 शुल्कं वैधरणं दण्डं रूपं रूपिकमेव च ॥  
 खनिभ्यो द्वादशविधं धातुं पण्यं च संहरेत् ।  
 एवं सर्वेषु पण्येषु स्थापयेन्मुखसंग्रहम् ॥  
 (३) आकरप्रभवः कोषः कोषादण्डः प्रजायते ।  
 पृथिवी कोषदण्डाभ्यां प्राप्यते कोषभूषणा ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे आकरकर्मान्तप्रवर्तनं नाम  
 द्वादशोऽध्यायः, आदितः द्वाविंशः ।

— • —

व्यापार करता है, उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । किन्तु यह नियम वानप्रस्थियों पर लागू नहीं होता है । श्रोनिय, बेगार ढोने वाले और तपस्वी लोग बिना कीमत दिये भी अपने उपयोग के लायक नमक ले जा सकते हैं ।

( १ ) इनके अतिरिक्त, नमक और क्षार का उपयोग करने वाले सभी लोग नमक के अध्यक्ष और क्षार के अध्यक्ष को शुक्ल अदा करें ।

( २ ) इस प्रकार मूल्य, विभाग, व्याजी, परिघ, अत्यय, शुल्क, वैधरण, दण्ड, रूप, रूपिक, खनिज पदार्थ और भिन्न-भिन्न प्रकार के विक्रीय पदार्थों का संग्रह करना चाहिए । राज्यभर की सभी मण्डियों में प्रमुख विक्रीय वस्तुएँ विक्री के लिए रखी जानी चाहिए ।

( ३ ) कोष की उन्नति खात पर निर्भर है, कोष की समृद्धि से शक्तिशाली सेना तैयार की जा सकती है । इस कोषगर्भा पृथिवी को कोष और सेना से ही प्राप्त किया जा सकता है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में आकरकर्मान्तप्रवर्तन नामक  
 बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: • —

(१) सुवर्णाध्यक्षः सुवर्णरजतकर्मन्तानामसम्बन्धावेशनचतुःशाला-  
मेकद्वारामक्षशालां कारयेत् । विशिखामध्ये सौवर्णिकं शिल्पवन्तमभिजातं  
प्रात्ययिकं च स्थापयेत् ।

(२) जाम्बूनदं शातकुम्भं हाटकं वणवं शृङ्गिशुक्तिजं, जातरूपं रस-  
विद्धमाकरोद्गतं च सुवर्णम् ।

(३) किञ्जल्कवर्णं मृदु स्निग्धमनादि भ्राजिष्णु च श्रेष्ठं, रक्तपीतकं  
मध्यमं, रक्तमवरं थोष्ठानाम् ।

(४) पाण्डु श्वेतं चाप्राप्तकम् । तथेनाप्राप्तकं तच्चतुर्गुणेन सीसेन

### अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष के कार्य

( १ ) सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि वह सोने-चाँदी के प्रत्येक कार्य को करने के  
लिए एक अक्षशाला का निर्माण करवावे, उसमें एक ही प्रधान द्वार होना चाहिए,  
उसके चारों ओर, एक दूसरे से अलग, चार बड़े भवन होने चाहिए । विशिखा  
(सर्पाका बाजार) में चतुर, कुलीन, विश्वस्त और पारसी सर्पियों को बसाया जाय ।

( २ ) सोना पांच प्रकार का होता है, उसके रङ्ग भी पांच होते हैं : १- जाम्बू-  
नद ( मेरु पर्वत से निकलने वाली जम्बू नदी से उत्पन्न जाम्बूनी रङ्ग का ), २- शात-  
कुम्भ ( शतकुम्भ पर्वत से उत्पन्न, कमलरज के समान ), ३- हाटक ( सोने की खान  
से उत्पन्न, सेवतीपुष्प की भाँति ), ४ वणव ( वेणु पर्वत पर उत्पन्न कणिकारपुष्प  
की आकृति का ) और ५ शृङ्गिशुक्तिज ( स्वर्णभूमि में उत्पन्न, मँतसिल के रङ्ग  
का ) । सुवर्ण के तीन प्रकार : १- जातरूप ( स्वयं शुद्ध ), २- रसविद्ध ( रसायन  
क्रियाओं द्वारा निर्मित ) और ३- आकारोद्गत (अशुद्ध, खानों से निकाला हुआ) ।

( ३ ) कमलरज की आकृति का, मृदु, स्निग्ध, शब्दरहित और चमकदार सोना  
सर्वोत्तम, लाल-पीत वर्ण मिश्रित सोना मध्यम, और केवल लाल वर्ण का निवृष्ट  
होना है ।

( ४ ) उत्तम बोटि के सुवर्ण में से जिसमें कुछ पीलाई एवं सफेदी हो वह  
अप्राप्तक कहलाता है । उस सोने में जितना मैल मिला हो, उससे चौगुना सीसा  
मिलकर उसे शुद्ध करना चाहिए । सीसा मिला देने से यदि वह फटने लगे तो उसे

शोधयेत्, सीसान्वयेन भिद्यमानं शुष्कपटलैर्धर्मापयेत्, रुक्षत्वाद्भिद्यमानं तैलगोमये निपेचयेत् ।

(१) आकरोद्गत सीसान्वयेन भिद्यमानं पाकपत्राणि कृत्वा गण्डिकासु कुट्टयेत्, कन्दलीवज्रकन्दकल्के वा निपेचयेत् ।

(२) तुत्योद्गतं गौडिक काम्बुक चाक्रवालिकं च हृष्यम् । श्वेतं स्निग्धं मृदु च श्रेष्ठम् । विपर्यये स्फोटनं च दुष्टम् । तत्सीसचतुर्भागेन शोधयेत् ।

(३) उद्गतचूलिकमच्छं भ्राजिष्णुं दधिवर्णं च शुद्धम् ।

(४) शुद्धस्यंको हारिद्रस्य सुवर्णो वर्णकः । ततः शुल्बकाकण्युत्तराप-  
सारिता आ चतुःसीमान्तादिति षोडश वर्णकाः ।

(५) सुवर्णं पूर्वं निकल्प्य पश्चाद्द्वर्णिकां निकल्पयेत् । समरागलेखमनि-  
म्नोम्लते देशे निकल्पितम् । परिमृदित परिलीढं नखान्तराद्वा गैरिकेणाव-

जगसी कण्डो की आग म तपाना चाहिए । यदि शुद्ध करते समय रुखापन आ जाने से वह फटने लगे तो तेल और गोबर को मिलाकर बार-बार उसमें भावना देनी चाहिए ।

( १ ) खान से निकाले हुए सोने को भी सीसा मिलाकर शुद्ध किया जाना चाहिए । यदि सीसा मिलाने से वह फटने लगे तो उसके साथ पके हुए पत्ते मिला लिए जाय और तब उसको लकड़ी के तख्ते पर रखकर खूब बूटा जाना चाहिए । बयबा कन्दलीलता, थीवेर और कमलजड का क्वाथ बनाकर तब तक उस सुवर्ण को उसमें भिगोया जाय, जब तक कि उसका फटना दूर नही होता है ।

( २ ) चाँदी चार प्रकार की होती है १. तुत्योद्गत ( तुत्य नामक पर्वत से उत्पन्न, चमेली पुष्प के समान ), २ गौडिक ( असम में उत्पन्न, तगरपुष्प की व्याकृति की ), ३ कावुक ( कावु पर्वत से उत्पन्न ) और ४ चाक्रवालिक ( चाक्रवाल खान से उत्पन्न, कन्दपुष्प के समान ) । श्वेत, स्निग्ध और मुलायम चाँदी सर्वोत्तम समझी जाती है । इनके विपरीत काली, रुक्ष, खरखरी और फटी हुई चाँदी खराब होती है । खराब चाँदी में चौथाई सीसा डालकर उसको शुद्ध करना चाहिए ।

( ३ ) जिसमें बुदबुदे उठे हों, जो स्वच्छ, चमकदार और दही के समान श्वेत हों, वह शुद्ध चाँदी होती है ।

( ४ ) हल्दी के समान स्वच्छ, शुद्ध सुवर्ण का सोलह माप का वर्णक, शुद्ध वर्णक कहलाता है । उसमें चतुर्थांश ताँबा मिला दिया जाय और उतना ही हिस्सा सुवर्ण कम कर दिया जाय, इसी तरह सोने का हिस्सा कम करके और ताँबे का हिस्सा मिलाकर सोलह वर्णक बन जाते हैं । ये सोलहो मिश्र वर्णक कहलाते हैं और उनमें शुद्ध वर्णक को जोड़ दिया जाय तो सत्रह वर्णक हो जाते हैं ।

( ५ ) वर्णक की परीक्षा करने से पूर्व सुवर्ण की परीक्षा कर लेनी चाहिए, सोने को पहिले कसौटी पर धिसना चाहिये और तत्पश्चात् वर्णक को धिसने के बाद

चूर्णितमुर्षधि विद्यात् । जातिहिङ्गुलकेन पुष्पकासीसेन वा गौमूत्रमावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्टं सुवर्णं श्वेतीभवति ।

(१) सकेसरः स्निग्धो मृदुभ्राजिष्णुश्च निकपरागः श्रेष्ठः ।

(२) कालिङ्गकस्तापीपायाणो वा मुद्गवर्णो निकपः श्रेष्ठः । समरागो विक्रयक्रयहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागो विक्रयहितः । स्थिरः परवो विद्यमवर्णश्चाप्रतिरागो क्रयहितः ।

(३) द्वेदश्चकणः समवर्णः श्लक्ष्णो मृदुभ्राजिष्णुश्च श्रेष्ठः ।

(४) तापे बहिरन्तश्च समः किञ्जल्कवर्णः कुरण्डकपुष्पवर्णो वा श्रेष्ठः । श्यावो नीलश्चाप्राप्तकः ।

उनमे समान वर्ण तथा समान रेखाएँ दिखाई दें, घिसने से ऊँचा-नीचा न हो तो वर्णक को ठीक समझना चाहिए । १. यदि विक्रेता वर्णक को उत्कृष्ट बताने के उद्देश्य से कसौटी को उस पर जोर से रगड़ दें, या २. विक्रेता उसकी हीनता बताने के लिए कसौटी को धीरे से रगड़े, अथवा ३. नाखून में मेह आदि कोई लाल-पीली वस्तु छिपाकर सोने के साथ कसौटी पर रेखा बना दे, तो इस प्रकार से यह तीनों प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार कहा जाता है । कपटी सर्राफ सोने को घटिया सिद्ध करने के लिए गो मूत्र में भावना दिये गये एक विशेष प्रकार के सिगरफ के साथ कुछ पीले रङ्ग के हरताल के साथ लिपटे हुए लेप को हाथ के अग्रभाग के स्पर्श से सोने का रङ्ग फीका कर देते हैं ।

( १ ) केसर के समान रङ्ग वाली, स्निग्ध, मृदु और चमकदार रेखा जिस कसौटी पर खिचे, उसे सर्वोत्तम समझना चाहिए ।

( २ ) कलिङ्ग देश के महेन्द्र पर्वत से अथवा तापी नदी से उत्पन्न, भूंग के समान आकृति वाली कसौटी सर्वोत्तम समझनी चाहिए । सोने के रङ्ग को ठीक तरह से ग्रहण करने वाली कसौटी क्रेता-विक्रेता, दोनों के लिए उचित है । हस्तिचर्म के समान खरखरी, हरे रङ्ग की और विपरीत रङ्ग को बताने वाली कसौटी सोना बेचने वालों के हक में अच्छी है । इसी प्रकार ठोस, कठोर, खरखरी, तरह-तरह के रङ्गों वाली और असली रङ्ग को न बताने वाली कसौटी सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी नहीं है ।

( ३ ) चिकना, बाहर-भीतर एक रङ्ग वाला, स्निग्ध, मृदु और चमकदार, सोने का टुकड़ा श्रेष्ठ समझा जाता है ।

( ४ ) यदि सोने का टुकड़ा, तपाये जाने पर, बाहर भीतर एक ही रङ्ग दे या वह कमलरज के समान दिखाई दे या वह कुण्ड के फूल की भाँति हो जाय तो उसे



(१) तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः । तेनोपदेशेन रूप्यसुवर्णं दद्यादाददीत च ।

(२) अक्षशालामनायुक्तो नोपगच्छेत् । अभिगच्छन्नुच्छेद्यः आयुक्तो वा सहृष्यसुवर्णस्तेनैव जीयेत । विचितवस्त्रहस्तगुह्याः काञ्चनपृषतत्वष्टृतपनीयकारवो ध्मायकचरकपासुधावकाः प्रविशेषुनिष्कसेषुश्च । सर्वं चंपामुपकरणमनिष्ठिताश्च प्रयोगास्त्रैवावतिष्ठेरन् । गृहीतं सुवर्णं धृतं च प्रयोगं करणमथ्ये दद्यात् । सायं प्रातश्च लक्षितं कर्तृकारयितृमुद्राभ्यां निदध्यात् ।

(३) क्षेपणो गुणः क्षुद्रकमिति कर्माणि । क्षेपणः काचापंगादीनि । गुणः सूत्रवानादीनि । धनं सुषिरं पृषतादियुक्तं क्षुद्रकमिति ।

भी श्रेष्ठ सम्भना चाहिए । यदि तपाने से उसमें फर्क पड जाय, उस पर नीतिमा छा जाये तो सम्भना चाहिए कि वह खोटा है ।

( १ ) सोना-चाँदी तौलने का विधान आगे चलकर 'पौतवाध्यक्ष' प्रकरण में कहा जायगा । उस प्रकरण में निर्दिष्ट तौल के अनुसार ही सोना-चाँदी देने और लेने चाहिएँ ।

( २ ) अक्षशाला में वे ही व्यक्ति प्रवेश करें, जो वहाँ कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं । निषेध करने पर भी यदि कोई प्रवेश करते हुए पकडा जाय तो उसका सर्वस्व अपहरण कर लेना चाहिए । अक्षशाला में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने साथ सोना चाँदी ले जाता हुआ पकडा जाय तो उसे भी यथायोग्य दण्ड देना चाहिए । रसप्रयोग से सोना बनाने वाले, छोटी छोटी गोली बनाने वाले, बड़े बड़े पात्र बनाने वाले, तरह तरह के आभूषण बनाने वाले, भाङ देने वाले तथा अन्य परिचारक, अपनी-अपनी बर्दी पहिने तलाशी देकर अक्षशाला में प्रवेश करें और बाहर निकलें । इन कारीगरों के ओजार एव आधे बनाये हुए आभूषण आदि अक्षशाला में ही रहें, बाहर कदापि न जाने पावें । भाङागार से तौल कर लिया गया सोना तथा उससे बने हुए आभूषण आदि, कार्य करने के अनन्तर, भाङागार के लेखक को भली भाँति तौल कर सौंप देना चाहिए और विधिवत् उसको रजिस्टर में दर्ज करवा देना चाहिए । साय और प्रात प्रतिदिन, काम खत्म होने और शुरू होने पर सौवर्णिक तथा सुवर्णाध्यक्ष से मुहर लगाकर भण्डार का लेखक उस सुवर्ण को भण्डार में बन्द करके रख दे ।

( ३ ) आभूषण सम्बन्धी कार्य तीन प्रकार के होते हैं : १. क्षेपण, २. गुण और ३. क्षुद्रक । आभूषणों पर मणियों के जोड़ने को क्षेपण कहते हैं । सोने के बारीक मूनो को जोड़ने के लिए भुण कहा जाता है । ठोस तथा पोले, छोटी छोटी बूदो या गोलियों से बने आभूषण सम्बन्धी कार्य को क्षुद्रक कहते हैं ।

(१) अर्पयेत् काचकर्मणः पञ्चभागं काञ्चनं दशभागं कटुमानम् । ताम्रपादयुक्तं रूप्यं रूप्यपादयुक्तं वा सुवर्णं संस्कृतक तस्माद्रक्षेत् ।

(२) पृषतकाचकर्मणस्त्रयो हि भागाः परिभाण्ड द्वौ वास्तुकम् । चत्वारो वा वास्तुकं त्रयः परिभाण्डम् ।

(३) त्वष्टृकर्मणः । शुल्बभाण्ड समसुवर्णेन संपूहयेत् । रूप्यभाण्ड घनं घनसुपिरं वा सुवर्णाधेन अवलेपयेत् । चतुर्भागसुवर्णं वा बालुकाहिङ्गुलकस्य रसेन चूर्णेन वा वासयेत् ।

(४) तपनीयं ज्येष्ठं सुवर्णं सुरागं, समसोसातिकान्तं पाकपत्रपक्वं सन्धविकयोज्ज्वालितं नीलपीतश्वेतहरितशुकपोतवर्णानां प्रकृतिर्भवति ।

( १ ) मणियो की जुडाई सम्बन्धी कार्य को काचकर्म कहते हैं । मणि के पाँचवें हिस्से को सोने से पिरो दे, मणि इधर-उधर न होने पावे, उसके लिए चारो ओर से सोने की पट्टी लगी रहती है उसको कटुमान कहा जाता है । मणि का जितना हिस्सा सोने में पिरो दिया जाय उसका आधा हिस्सा ( दसवाँ भाग ) कटुवान का होना चाहिए, स्वर्णकार शुद्ध किए हुए सोने में मिलावट कर सकते हैं, चाँदी की जगह ताँबा और सोने की जगह चाँदी भर कर वे उतने अंश को हड़प कर सकते हैं, यह मिलावटी सोना चाँदी शुद्ध ही जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को पूरी निगरानी रखनी चाहिए ।

( २ ) मिश्रित काचकर्म के सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए कि पहिले गुटिका आदि से मिश्रित काचकर्म के लिए जितना सुवर्ण निर्धारित हो उसके पाँच भाग किए जाय, उनमें तीन भाग पय, स्वस्तिक आदि बनाने के लिए और दो भाग उसका आधारपीठ बनाने के लिए होता है, यदि मणि बड़ी हो तो सुवर्ण के सात हिस्से करने चाहिए । जिनमें चार हिस्से आधार के लिए और शेष तीन हिस्से स्वस्तिक आदि के लिए काम में लाये जाय ।

( ३ ) ताँबे तथा चाँदी के घनपात्र की विधि इस प्रकार है जितना ताँबे का पात्र हो उतना ही सोने का पत्र उमके ऊपर चढ़वा देना चाहिए, चाँदी का पात्र चाहे ठोस हो या पोला हो, उस पर उसके भार से आधे, सोने का पानी चढ़वा दे, अथवा चौथा हिस्सा मोना लेकर उसे बालू और शिगरफ के चूर्ण एवं रस के साथ मिलाकर भूसी अग्नि में फिजलाकर शक्ती की तरह चढ़वा दे ।

( ४ ) आभूषण आदि के लिए प्रस्तुत, कमलरज के समान स्वच्छ, स्निग्ध और चमकदार सोना उत्तम किस्म का है । वह शुद्ध सोना नील, पीन, श्वेत, हरित और शुकपोत ( ताँबे का बच्चा ) आदि रङ्ग के आभूषणों के योग्य होता है । अशुद्ध सुवर्ण में उसके परिमाण का सीसा डालकर उसे शुद्ध किया जाय, अथवा उसके पतले-पतले पत्र बनाकर फिर अरणे के कण्डो की तपन से उसको शुद्ध किया जाय,

तीक्ष्णं चास्य मयूरग्रीवाभं श्वेतमङ्गं चिमिन्निमायितं पीतचूर्णितं काक-  
णिकः सुवर्णरागः ।

(१) तारमुपशुद्धं वा । अस्थितुत्थे चतुः, समसीसे चतुः, शुष्कतुत्थे  
चतुः, कपाले त्रिगोमये द्विः, एवं सप्तदशतुत्थातिक्रान्तं सन्धविकयोज्ज्वा-  
लितम् । एतस्मात्काकण्युत्तरापसारिता । आ द्विमापादिति सुवर्णं देयं,  
पश्चाद्भागयोगः । श्वेततार भवति ।

(२) त्रयोऽंशाः तपनीयस्य द्वात्रिंशद्भागश्वेततारमुच्छ्रितं तत् श्वेत-  
लोहितकं भवति । तान्नं पीतकं करोति ।

(३) तपनीयमुज्ज्वाल्य रागत्रिभागं दद्यात् । पीतरागं भवति ।

(४) श्वेततारभागौ द्वावेकस्तपनीयस्य मुद्गवर्णं करोति ।

या सिद्धदेश की मिट्टी के साथ घिसकर उसे शुद्ध किया जाय । इस सुवर्ण के साथ  
इस्पाती लोहा भी नील, पीत आदि आभूषणों के योग्य होता है । इस्पाती लोहा  
मोर की गर्दन के समान आकृति का और काटने पर श्वेत, चमकता हुआ होना  
चाहिये । यदि गरम करके उसका चूर्ण बनाया जाय और उसको एक काकिणी सोने  
में मिला दिया जाय तो सोने का रङ्ग खिल उठता है ।

( १ ) लोहे के स्थान पर शुद्ध चाँदी भी मिलाई जा सकती है । हड्डी के चूर्ण  
के साथ मिली हुई मिट्टी से बनी हुई घरिया में चार बार, मिट्टी और सीसे से बनी  
घरिया में चार बार, शुद्ध मिट्टी से बनी घरिया में तीन बार और गोबर में तीन  
बार—इस प्रकार सत्रह बार घरिया में बदलने के बाद सिद्धदेश की खारी मिट्टी में  
रगड़ देने से श्वेतवर्ण की शुद्ध रूप्यधातु तैयार हो जाती है । उसमें से एक काकिणी  
चाँदी सोने में मिलाई जा सकती है । इस प्रकार दो माप तक चाँदी मिलाकर उतना  
सोना निकाला जा सकता है । इस प्रकार सोने में चाँदी मिला देने से और तदनन्तर  
उसको चमका देने वाली चीजों के सहयोग से सुवर्ण भी चाँदी की तरह चमकने  
सगता है ।

( २ ) बत्तीस भागों में विभक्त साधारण सोने में तीन भाग निकालकर उनकी  
जगह तीन भाग शुद्ध सोना और शेष चाँदी को एक साथ मिलाकर घरिया में उलटने-  
पुलटने से उसका रङ्ग श्वेत-लाल मिश्रित रङ्ग का हो जाता है । यदि पूर्वोक्त रीति  
से चाँदी के साथ या तबि को सोने में मिला दिया जाय तो वह उसके रङ्ग को पीला  
बना देता है ।

( ३ ) साधारण सोने को खारी मिट्टी से चमका कर उसमें शुद्ध सोने का  
तीसरा भाग मिला दिया जाय तो उसका रंग लाल-पीला हो जाता है ।

( ४ ) दो भाग शुद्ध चाँदी में एक भाग सोने को मिला कर भादना देने से  
उसका रङ्ग भूंग के समान हो जाता है ।

(१) कालापसत्यार्धभागाम्यक्तं कृष्णं भवति । प्रतिलेपिना रसेन द्विगुणाम्यक्तं तपनीयं शुकपत्रवर्णं भवति । तस्यारम्भे रागविशेषेषु प्रतिवर्णिकां गृह्णीयात् ।

(२) तीक्ष्णताम्रसंस्कारं च बुध्येत । तस्माद्ब्रह्मणिमुक्ताप्रवाल-हृषाणामपनेयिमानं च रूप्यसुवर्णभाण्डबन्धप्रमाणानि चेति ।

(३) समरानं समद्वन्द्वमशक्तं पृथक्तं स्थिरम् ।

सुप्रमृष्टमसंपीतं विभक्तं धारणे सुखम् ॥

अभिनीतं प्रभायुक्तं संस्थानमधुरं समम् ।

मनोनेत्राभिरामं च तपनीयगुणाः स्मृताः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे अक्षशालाया सुवर्णाध्यक्ष नाम त्रयोदशोऽध्यायः, आदितस्त्वयन्त्रिंशत् ।

— ० —

( १ ) सोने का घटा हिस्सा लोहा मिला देने से उसका रंग काला ही जाता है । पिघले हुए लोहे तथा शुद्ध चाँदी से मिला हुआ दुगुना सोना सुवापसी रंग का हो जाता है । इसी प्रकार पूर्वोक्त नील, आदि रङ्गों के भेद को जानने के लिए प्रत्येक वर्णक को ग्रहण करना चाहिए ।

( २ ) सोने का रङ्ग बदलने के लिए उपयोग में आने वाले लोहे, ताँबे को शुद्ध करना आवश्यक है, इसलिए उनके शुद्ध करने की विधि भली भाँति जान लेनी चाहिए । जिससे ब्रह्मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि उत्तम रत्नों में मिलावट न हो सके और सोने चाँदी आदि के आभूषण में कोई न्यूनाधिक्य मेल करके गडबडी न कर सके, इसके लिए उत्तम रत्नों और सोना-चाँदी आदि के आभूषणों के सवध में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

( ३ ) १. एक सा रङ्ग होना, २. वजन तथा रूप में समान होना, ३ बीच में गाँठ आदि का न होना, ४ टिकाऊ होना, ५ अच्छी तरह चमकाया हुआ होना, ६. ठीक तरह बना हुआ होना, ७. अलग-अलग हिस्सों वाला, ८. पहनने में सुखकर, साफ सुधरा, १० कानिमान, ११. अच्छा दिखाई देने वाला, १२. एक जैसी बनावट का, १३. अयुक्त छिद्रों से रहित और १४. मन तथा आँखों को अच्छा लगने वाला, ये चौदह गुण सोने के आभूषणों में होते हैं ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

## विशिखायां सौवर्णिक प्रचारः

(१) सौवर्णिकः पौरजानपदाना रूप्यसुवर्णभावेशनिभिः कारयेत् । निर्दिष्टकालकार्यं च कर्म कुर्युः, अनिर्दिष्टकालं कार्यापदेशम् ।

(२) कालातिपातने पादहीन वेतनं तद्विगुणश्च दण्डः । कार्यस्यान्यथाकरणे वेतननाशः, तद्विगुणश्च दण्डः ।

(३) यथावर्णप्रमाण निक्षेपं गृह्णीयुस्तथाविधमेवाप्येयुः, कालान्तरादपि च तथाविधमेव प्रतिगृह्णीयुरन्यत्र क्षीणपरिशीर्णाभ्याम् ।

(४) आवेशनिभिः सुवर्णपुद्गललक्षणप्रयोगेषु तत्तज्जानीयात् ।

### राजकीय स्वर्णकारो के कर्तव्य

( १ ) सौवर्णिक ( राज्य का प्रधान आभूषण व्यापारी ) को चाहिए कि वह नगरवासियों और जनपदवासियों के सोने चाँदी के आभूषणों का कार्य गिल्पशाला में बैठकर काम करने वाले मुनारों द्वारा कराये । मुनारों को चाहिए कि वे समय और वेतन को नियत करके ही कार्य करें, यदि कार्य की अधिकता हो या वायदे की अवधि बीत रही हो, तो उन्हें नियत समय से भी अधिक कार्य करना चाहिए ।

( २ ) यदि कोई मुनार वायदे के अनुसार कार्य पूरा न करे तो उसके वेतन का चौथाई भाग जप्त करके उसे वेतन का दुगुना दण्ड दिया जाय । यदि कोई मुनार अभीष्ट जेवर को न बनाकर दूसरा ही जेवर बनाकर दे, तो उसकी मजदूरी जप्त कर उसे नियत वेतन का दुगुना दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) मुनारों को चाहिए कि वे जिस प्रकार और जितने वजन का सोना आदि आभूषण बनाने के लिए लें, उसी प्रकार और उतने ही वजन का आभूषण बना कर वापिस करें । मुनार के परदेश चले जाने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यदि मुनार के घर सोना बहुत दिनों तक पड़ा रह जाय तो उसके उत्तराधिकारियों से वह सोना वापिस ले लेना चाहिए । यदि सोना नष्ट हो गया हो या छीन गया हो तो मुनार से उसका मुआवजा भी लेना चाहिए ।

( ४ ) सौवर्णिक को चाहिए कि वह मुनारों के द्वारा किए जाने वाले पुद्गल तथा लक्षण आदि कपट प्रयोगों के सवध में भी अच्छी जानकारी रहे ।

(१) तप्तकलघौतकयोः काकणिकः सुवर्णं क्षयो देयः । तीक्ष्णकाकणी रूप्यद्विगुणो रागप्रक्षेपस्तस्य षड्भागः क्षयः ।

(२) वर्णहीने मायावरे पूर्वः साहसदण्डः, प्रमाणहीने मध्यमः, तुलाप्रतिमानोपधावृत्तमः, कृतमाण्डोपधौ च ।

(३) सौवर्णिकेनादृष्टमग्न्यत्र वा प्रयोग कारयतो द्वादशपणो दण्डः, कर्तुद्विगुणः सापसारश्चेत् । अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत । कर्तुश्च द्विशतो दण्ड पणच्छेदनं वा ।

(४) तुलाप्रतिमानमाण्डं पौतवहस्तात्कीणीयुः । अन्यथा द्वादश-पणो दण्डः ।

(५) घनं घनमुपिरं संपूह्यमवलेप्यं सद्भात्यं वासितकं च कारुकर्म ।

( १ ) यदि खोटे सोने-चाँदी के आभूषण बनाने के लिए दिए जाँय तो सुनार को एक काकणी ( ३ माप ) छीजन देनी चाहिए । सोने का रङ्ग बदलने के लिए एक काकणी लोहा और दो काकणी चाँदी उसमें मिलानी चाहिए । एक काकणी लोहा और दो काकणी चाँदी का छटा भाग छीजन के लिए निकाल लेना चाहिए ।

( २ ) यदि अपनी अज्ञानता के कारण सुनार एक माप सुवर्ण को कातिहीन कर दे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाता चाहिए, तौल में कम करे तो मध्यम साहस दण्ड, और तराजू-बाट में कपट करे तो उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए, इसी प्रकार सोने-चाँदी के बने हुए पात्र में यदि कोई व्यक्ति हेंर-पेंर करे तो उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( ३ ) सौवर्णिक की अनुमति प्राप्त कर या न प्राप्त कर यदि कोई व्यक्ति शिल्प-शाला ( विशिखा ) से बाहर किसी सुनार से आभूषण बनवाये तो उसे बारह पण दण्ड देना चाहिए, और जेवर बनाने वाले सुनार को चौबीस पण । उनके लिए यह दण्ड-व्यवस्था उसी दशा में है यदि उन पर चोरी की आशका न हो तो और यदि उन पर चोरी किए जाने की आशका हो तो उन्हें कण्टकशोधक ( प्रवेष्ट ) के पास न्याय के लिए ले जाना चाहिए । यदि अपराध मिद्ध हो जाय तो सुनार पर दो-सौ पण दण्ड निर्धारित किया जाय और इतना घन देने से यदि वह इन्कार करे तो उसकी उर्गलियाँ कटका देने चाहिए ।

( ४ ) सुनारो को चाहिए कि वे सोना-चाँदी तौलने के बाट-तराजू कही से न खरीद कर पौतवाध्यक्ष के यहाँ से ही खरीदें । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन पर बारह पण का दण्ड कर देना चाहिए ।

( ५ ) सुनारो के १. घन ( टोस गहना ), २. घनमुपिर ( ऊपर से टोस तथा भीतर से पोले कडा आदि गहने ), ३. संपूह्य (ऊपर से मोटा पत्ता चढाये आभूषण),

(१) तुलाविषममपसारणं विस्रावणं पेटकः पिङ्गश्चेति हरणोपायाः ।

(२) सन्नमिन्पुत्कीर्णिका भिन्नमस्तकोपकण्ठी कुशिकया सकटुकक्ष्या वारिवेल्म्यस्कान्ता वा दुष्टतुलाः ।

(३) रुप्यस्य द्वी भागावेकः शुल्बस्य त्रिपुटकम् । तेनाकरोद्गत-मपसार्यते तत्रिपुटकापसारितं, शुल्बेन शुल्बापसारितं, वेल्केन वेल्का-पसारितं, शुल्बाधंसारेण हेम्ना हेमापसारितम् ।

(४) मूकमूषा पूतिकिट्टः करटकमुखं नाली सन्दंशो जोङ्गनी सुवचि-

४. अवलेप्य ( उपर से पतला पत्ता चढाये आभूषण ) ५. सघात्य ( जुड़े आभूषण तगड़ी, जजीर आदि ) और ६ वासितक ( रस आदि से वासित आभूषण ), ये छह प्रकार के कार्य होते हैं ।

( १ ) १ तुलाविषम, २ अपसारण, ३. विस्रावण, ४. पेटक और ५. पिङ्ग, ये पांच तरीके सुनारों के चोरी करने के हैं ।

( २ ) कटि या तराजू का बढा-घटा होना, जिससे ठीक तरह न तोला जा सके, तुलाविषम कहलाता है । ऐसे कटि आठ प्रकार के होते हैं . १. समामिनी ( हलके लोहे से बने, जिसको उङ्गली लगाने में सहज ही इधर-उधर झुकाया जा सकता है ), २ उत्कीर्णिका ( जिसके भीतर छेदों में लोहे का चूर्ण भरा हो ), ३ भिन्नमस्तका ( जिसके आगे के हिस्से में छेद हो, जिससे हवा का रुख पाते ही वह झुक जाय ), ४. उपकठी ( जिसमें बहुत सी गांठें पडी हो ), ५ कुशिकया ( जिसका पतला दूपित हो ), ६. सकटुकक्ष्या ( जिसकी डोरी अच्छी न हो ), ७, वारिवेल्म्य ( जो हिलती रहे ) और ८ आयस्काता ( जिसकी अण्डों में आयस्कात मणि लगी हो ) ।

( ३ ) नकली द्रव्य को मिलाकर असली द्रव्य को चुरा लेना अपसारण कहलाता है । वह चार प्रकार का होता है १. दो हिस्सा चांदी और एक हिस्सा तांबा मिला कर जो घोल तैयार किया जाय उसको त्रिपुटक कहते हैं । शुद्ध सोने में यह त्रिपुटक मिला कर उतना सोना निकाल दिया जाय और किसी के खोदा बताने पर कहा जाय कि वह तो खान से ही ऐसा निकला है, इस चोरी नाम त्रिपुटकापसारित है । २ जिस सोने में तांबा मिला कर चोरी की जाय उसको शुल्बापसारित कहते हैं । ३. तोहा-चांदी के मिश्रित घोल को वेल्क कहते हैं; उस वेल्क को मिलाकर सोने की जो चोरी की जाती है उसको वेल्कापसारित कहते हैं । ४. तबि के साथ आधा सोना मिलाकर उसके बदले में जो चोरी की जाती है उसे हेमापसारित कहते हैं ।

( ४ ) अपसारण के ढङ्ग इस प्रकार हैं : मूकमूषा ( बन्द घरिया ), पूतिकिट्ट ( लोहे का पैल ), करटकमुख ( सोना बतरने की कंची ), नाली ( नाल ), सदश

कालवणम् । तदेव सुवर्णमित्यपसारणमार्गाः । पूर्वंप्रणिहिता वा पिण्ड-  
बालुका मूषाभेदादग्निष्ठा उद्ध्रियन्ते ।

(१) पश्चाद्वन्धने आचितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवर्तनं  
विस्रावणम्, पिण्डबालुकानां लोहपिण्डबालुकाभिर्वा ।

(२) गाढश्राभ्युद्धार्यश्च पेटकः स्यूहावलेप्यसङ्घात्येषु क्रियते ।  
सीसरूपं सुवर्णपत्रेषावलिप्तमभ्यन्तरमष्टकेन बद्धं गाढपेटकः । स एव  
पटलसम्पुटेष्वभ्युद्धार्यः । पत्रमाश्लिष्टं यमकपत्रं वावलेप्येषु क्रियते । शुल्बं  
तारं वा गभ्रं: पत्राणाम् । संघात्येषु क्रियते शुल्बरूपं सुवर्णपत्रसंहतं  
प्रमृष्टं सुपार्श्वम् । तदेव यमकपत्रसंहतं प्रमृष्टम् । ताम्रताररूपं चोत्तर-  
वर्णकः ।

( सन्ती ), जोगनी ( लोहे की छड़ ) सुर्चिका ( शोरा ) और नमक । उनसे जब  
कहा जाय कि उन्होंने सोना खोटा कर दिया है, तो भट्ट ये कह देते हैं कि यह आप  
का दिया हुआ सोना है, यह खान से ही ऐसा निकला है । ये अपसारण के तरीके  
हैं । या पहिले ही से आग में बारीक बालुका सो डाल दी जाती है और फिर मूषा  
को अग्नि में रख कर मूषा को टूट जाने का बहाना करता है और तब मालिक के  
सामने उस बालुका को सोने में मिला दिया जाता है और उतना ही सोना वह  
होशियारी से मार लेता है ।

( १ ) किसी बनी हुई वस्तु को पीछे से जोड़ते समय या पात्रों की परीक्षा करते  
समय खरे सोने की जगह खोटा सोना जोड़ देना विस्रावण कहलाता है । सोने की  
खान में उत्पन्न बालुका को लोहे की खान में उत्पन्न बालुका से बदल देना भी  
विस्रावण कहलाता है ।

( २ ) पेटक दो प्रकार का होता है : १ गाठ और १ अभ्युद्धार्य, इसका प्रयोग  
स्यूहा, अवलेप्य तथा सघात्य कर्षों में किया जाता है । सीसे के पत्ते को सोने के पत्ते  
से मड़ कर बीच में लाल से जोड़ देना ही गाठपेटक कहलाता है ; वही बन्धन यदि  
सरलता से खुलने योग्य हो तो उसे अभ्युद्धार्यपेटक कहते हैं । अवलेप्य क्रियाओं में  
एक ओर या दोनों ओर सोने का पतला सा पत्रा जोड़ कर सोने को चुराया जा  
सकता है । अथवा बाहर पत्रा लगाने की बजाय सुवर्ण पत्रों के बीच में तांबे या  
चाँदी का पत्रा लगाने पर भी सोना चुराया जाता है । सघात्य क्रियाओं में तांबे की  
वस्तु को एक ओर से सोने के पत्ते से मड़कर उस हिस्से को खूब चमकदार एवं  
सुन्दर बना दिया जाता है । उसी तांबे की वस्तु को दोनों ओर से इसी प्रकार  
चमकदार एवं सुन्दर सोने के पत्तों से मड़कर उतना ही असली सोना हड़प लिया  
जाता है ।



(१) तदुभयं तापनिकषाम्भ्यां निशब्दोत्तेजनाभ्यां वा विद्यात् । अभ्युद्धार्यं बद्धराम्ले लवणोदके वा सादयन्ति इति पेटकः ।

(२) घनसुषिरे वा रूपे सुवर्णमृन्मालुकाहिङ्गुलुकवल्को वा तप्तोऽवतिष्ठते । दृढवास्तुके वा रूपे बालुकामिश्रजतुगान्धारपङ्को वा तप्तोऽवतिष्ठते । तयोस्तपनमवध्वंसनं वा शुद्धिः । सपरिभाण्डे वा रूपे लवणमुल्कया कटुशर्करया तप्तमवतिष्ठते । तस्य ववायन शुद्धिः । अन्नपटलमष्टकेन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते । तस्यापिहितकाचकस्योदके निमज्जत एकदेशः सीदति । पटलान्तरेषु वा सूच्या भिद्यते । मणयो ह्यप्यं सुवर्णं वा घनसुषिराणां पिङ्कः । तस्य तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिः । इति पिङ्कः ।

(३) तस्माद्ब्रजमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गल-लक्षणान्युपलभेत ।

( १ ) इन दोनों प्रकार के पेटको की शुद्धता जांचने के लिये उन्हें अग्नि में तपाये, कसीटी पर घिसवाये या हल्की चोट देकर या रेखा खींचकर या किसी तीक्ष्ण वस्तु से निशान देकर उनकी परीक्षा करे । अभ्युद्धार्यं पेटक बेरी के कसते रस में जबदा नमक के पानी में डालकर जाना जाय । ऐसा करने से उसका रङ्ग कुछ क्षाल-सा हो जाता है ।

( २ ) ठोस या पोले गहनों में सुवर्णमृत्, सुवर्णमालुका ( दोनों विशेष धातुएँ ) और शिगरफ का चूर्ण अग्नि में तपाकर लगा दिया जाता है और उतना ही शुद्ध सोना निकाल दिया जाता है । जिस आभूषण का आधार मजबूत हो उसमें साधारण धातुओं की बालुका की लाख और सिन्दूर का घोल आग में तपाकर लगा दिया जाता है और उसके बराबर का सोना निकाल दिया जाता है । इस प्रकार के ठोस तथा पोले गहनों को आग में तपाकर उन पर चोट देने से उनकी परीक्षा करनी चाहिए । बुदेदार मणिबन्ध जैसे गहनों को, नमक की छोटी डलियों के साथ, लपट देने वाली आग में तपाने से उनकी शुद्धि हो जाती है । बेरी के अम्ल रस में उबालकर भी उनकी शुद्धता को जांचा जा सकता है । अन्नक को उसके दुग्ने सुवर्ण में लाख आदि से जोड़कर भी असली सोना रख लिया जाता है । उसकी परीक्षा के लिए अन्नक लगे गहनों को बेरी के अम्ल जल में छोड़ देना चाहिये, अन्नक लगा हिस्सा पानी में तैरता रहेगा । यदि अन्नक की जगह तांबा मिलाया गया हो तो सुई से छेदकर उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए । ठोस या पोले गहनों में चाँचमणि, चाँदी और छोटा सोना मिलाकर पिय नामक उपाय द्वारा शुद्ध सोना चुराया जा सकता है । उसको आग में तपाना तथा उसपर हथौड़े की चोट करना ही उसकी शुद्धता का उपाय है ।

( ३ ) इसलिये सौवर्णिक को चाहिए कि वह, बज्र, मणि, मुक्ता और प्रवाल की

(१) कृतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे वा चत्वारो हर-  
णोपायाः—परिकुट्टनमवच्छेदनमुल्लेखनं परिमर्दनं वा । पेटकापदेशेन  
पृपतं गुणं पिटका वा यत् परिशातयन्ति तत् परिकुट्टनम् । यद् द्विगुण-  
वास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं प्रक्षिप्याभ्यन्तरमवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम् ।  
यद्धनानां तीक्ष्णेनोल्लिखन्ति तदुल्लेखनम् । हरितालमनःशिलाहिङ्गुलक-  
चूर्णानामन्यतमैर्न कुरुविन्दचूर्णेन वा वस्त्रं संपूह्य यत् परिमृद्नन्ति तत्  
परिमर्दनम् । तेन सौवर्णराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते । न चैषां किञ्चिद-  
वरुण भवति ।

(२) भग्नखण्डघृष्टानां संपूह्यानां सदृशेनानुमानं कुर्यात् । अवले-  
प्यानां यावदुत्पाटितं तावदुत्पाटयानुमानं कुर्यात् । विरूपाणां वा । तापन-  
मुदकपेषण च बहुशः कुर्यात् ।

(३) अवक्षेपः प्रतिमानमग्निगण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः सूत्रं

जाति, उनके रूप, गुण, प्रमाण, पुद्गल और लक्षण आदि को भली-भाँति जाने,  
जिससे कोई व्यक्ति उनका अपहरण न कर सके ।

( १ ) पात्र और आभरण आदि के तैयार हो जाने पर, उनकी परीक्षा करते  
समय भी सोने आदि का चार प्रकार से अपरहण किया जा सकता है : १. परिकुट्टन  
से, २. अवच्छेदन से, ३. उल्लेखन से और ४ परिमर्दन से । पूर्वोक्त पेटक ढग से  
परीक्षा करने के बहाने जो छोटे टुकड़े या छोटी गोली सुनार काट लिया करते हैं  
उसे ही परिकुट्टन कहते हैं । पत्रों से जुड़े आभूषणों में सोने मड़े हुये कुछ सीसा के  
पत्ते मिलाकर और भीतर से काटकर सोना निकाल लेना ही अवच्छेदन कहलाता  
है । ठोस गहनों को तेज औजार से खोद देना ही उल्लेखन है । हरताल, मिगरफ,  
मैनसिल और कुरुविन्द पत्थर के चूर्ण को कपड़े के साथ सातकर, उससे आभूषणों  
को रगडा जाना ही परिमर्दन कहलाता है । ऐसा करने से आभरण घिस जाते हैं;  
किन्तु उनपर किसी प्रकार की खरोच या चोट नहीं दिखाई देती है ।

( २ ) परिकुट्टन अवच्छेदन आदि कपट उपायों से जितने सुवर्ण का अपहरण  
किया गया हो, उसका व्योरा, उसके समानजातीय शेष अवयवों से प्राप्त करना  
चाहिए । जिन आभूषणों पर अवलेप्य का प्रयोग किया गया हो, उस पर से कटे  
सोने के टुकड़े को देखकर उसकी क्षति का अनुमान किया जाय । जिन आभूषणों में  
अधिक छोटा माल मिला दिया गया हो उनकी हानि का परिमाण, उनके सदृश  
दूसरे आभूषणों को तोलकर जाना जाय । उनको बाग में तपाकर पानी में छोड़  
दिया जाय और तब हथौड़े से चोट करके उनकी शुद्धता को जाँचा जाय ।

( ३ ) अपहरण के और भी तरीके हैं . १. अवक्षेप ( हाथ की सफाई से खरे

चेल्लं बोल्लनं शिर उत्सङ्गो मक्षिका स्वकायेक्षा वृतिरुदकशोरावमग्निष्ठ-  
मिति काचं विद्यात् ।

(१) राजतानां विस्रं मलप्राहि पदपं प्रस्तोतं विवर्णं वा दुष्टमिति  
विद्यात् ।

(२) एवं नवं च जीर्णं च विरूपं चापि भाण्डकम् ।  
परीक्षेतात्ययं चेथा ययोद्दिष्टं प्रकल्पयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे विशिखाया सौवर्णिकप्रचारो नाम  
चतुर्दशोऽध्यायः, आदितश्चतुस्त्रिंशः ।

— • —

माल को लेकर छोटा माल भिडा देना, ) २. प्रतिमान ( बदली करके चुरा लेना ),  
३. अग्नि के बीच से चुरा लेना, ४. गाण्डिका ( पीटने के बहाने ), ५. भण्डिका  
( घरिया में रखने के बहाने ), ६. अधिकरणी ( लोहे के पात्र में रखने के बहाने ),  
७. पिच्छ ( मोर-पंख से चुराना ), ८. सूत्र ( काटे की डोरी के बहाने ), ९. चेल्ल  
( बख में छिपा लेना ), १०. बोल्लन ( कोई किस्सा छेड़कर ) ११. उत्संग ( गोद  
या गुप्त अंग में छिपाकर ), १२. मक्षिका ( मक्खी उड़ाने के बहाने पिघली हुई धातु  
को अपने अङ्ग में लगा देना ) तथा १३. पसीना, १४. धोकनी, १५. जल का  
शकोरा और १६. आग में डाले हुये छोटे माल आदि के बहाने से सोना-चाँदी चुराया  
जा सकता है ।

( २ ) मिलावटी चाँदी के आभूषणों में पाँच प्रकार के दोष होते हैं : १. विस्र  
होना ( दुर्गन्ध ), २. मलिन हो जाना, ३. कठोर हो जाना, ४. खुरदुरा हो जाना  
और ५. रङ्ग बदल जाना ।

( १ ) इस प्रकार नये और पुराने विरूप हुए पात्रों या आभूषणों की भली-भाँति  
परीक्षा कर लेनी चाहिए, और फिर मिलावट के अनुसार ही अपराधियों पर दण्ड  
की व्यवस्था करनी चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में विशिखा में सौवर्णिक-प्रचार नामक  
चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

— • —

(१) कोष्ठागाराध्यक्षः सीताराष्ट्रक्रियमपरिवर्तकप्रामित्यकापमित्यक-  
सिंहनिकान्यजातव्ययप्रत्यायोपस्थानान्युपलभेत् ।

(२) सौध्यक्षोपनीतः सस्यवर्णकः सीता ।

(३) पिण्डकरः, षड्भागः सेनाभक्तः, बलिः, करः, उत्सङ्गः, पार्श्वः,  
पारिहीणिकम्, औपायनिकं, कौष्ठेयकं च राष्ट्रम् ।

(४) धान्यमूल्यं कौशनिर्हारः प्रयोगप्रत्यादानं च क्रियमम् ।

(५) सस्यवर्णानामर्घान्तरेण विनिमयः परिवर्तकः ।

### कोष्ठागार का अध्यक्ष

(१) कोष्ठागार (कोठार) के अध्यक्ष (कोठारी) को चाहिए कि वह  
१. सीता, २. राष्ट्र, ३. क्रियम, ४. परिवर्तक, ५. प्रामित्यक, ६. आपमित्यक,  
७. सिंहनिका, ८. अन्वजात, ९. व्ययप्रत्याय और १०. उपस्थान, इन दस बातों के  
सबध में अच्छी जानकारी प्राप्त करे ।

(२) राजकीय कर के रूप में एकत्र धान्य को सीता कहा जाता है; उसको  
एकत्र करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते हैं । कोष्ठागार के अध्यक्ष को  
चाहिए कि वह शुद्ध एवं पूरा सीता लेकर उसको व्यवस्था से रखे ।

(३) राष्ट्र के दस भेद होते हैं १. पिण्डकर (गाँवों से वसूल किया जाने  
वाला नियत राजकीय कर) २. षड्भाग (राजा को दिया जाने वाला अन्न का छठा  
भाग), ३. सेनाभक्त (युद्धकाल में विशेष रूप से निर्धारित कर), ४. बलि (छठे  
भाग के अतिरिक्त कर), ५. कर (जलाशयों और जंगलों का कर), ६. उत्सग  
(राजकुमार के जन्मोत्सव पर दी जाने वाली भेंट), ७. पार्श्व (नियत कर के  
अतिरिक्त कर) ८. पारिहीणिक (गाय बन्धियों के नुकसान पर डंड रूप में प्राप्त  
धन), ९. औपायनिक (भेंट स्वहृत्प प्राप्त धन) और १०. कौष्ठेयक (राजधन से  
बने हुए तालाबों तथा बगीचों का कर) ।

(४) क्रयिक तीन प्रकार का होता है १. धान्यमूलक (धान्य को बेच कर  
प्राप्त हुआ धन), २. कौशनिर्हार (धन देकर खरीदा हुआ अन्न) और ३. प्रयोग-  
प्रत्यादान (ब्याज आदि से प्राप्त धन) ।

(५) एक अनाज देकर उसके बदले दूसरा अनाज लेना परिवर्तक  
कहलाता है ।

- (१) मस्ययाचनमन्यतः प्रामित्यकम् ।
- (२) तदेव प्रतिदानार्थमापमित्यकम् ।
- (३) कुट्टकरोचकसक्तुशुक्तपिष्टकर्म तज्जीवनेषु तैलपीडनमौरघ्न-  
चात्रिकैष्विक्षूणा च क्षारकर्म सिंहनिका ।
- (४) नष्टप्रस्मृतादिरन्यजातः ।
- (५) विक्षेपव्याधितान्तरारम्भशेषं च व्ययप्रत्यायः ।
- (६) तुलामानान्तरं हस्तपूरणमुत्करो व्याजी पर्यूपितं प्राजितं चोप-  
स्थानमिति ।
- (७) धान्यस्नेहक्षारलवणानाम् ।
- (८) धान्यकल्पं सीताध्यक्षे वक्ष्यामः । सर्पिस्तैलवसामज्जानः स्नेहाः ।
- (९) फाणितगुडमत्स्यण्डिकाखण्डशर्कराः क्षारवर्गः ।

( १ ) किसी मित्र आदि से सहायता रूप में ऐसा अन्न लेना, जो फिर लौटाया न जाय, प्रामित्यक कहलाता है ।

( २ ) व्याज सहित पुनः लौटा देने के वायदे पर लिया हुआ अन्न आदि कर्ज । आपमित्यक कहलाता है ।

( ३ ) कुट पीस कर, छान घोल कर, सतू पीस कर, गन्ना आदि को पीर कर, साटा पीस कर, तिलो का तेल निकाल कर, भेड़ों के बाल काट कर और गुड, राव, शक्कर आदि पर आजीविका निर्भर करने वाले लोगो से जो कर लिया जाता है उसे सिंहनिका कहते हैं ।

( ४ ) नष्ट हुए तथा भूले हुए धन का नाम अन्यजात है ।

( ५ ) व्ययप्रत्याय तीन प्रकार का होता है १, विक्षेपशेष ( सेना के व्यय से बचा हुआ धन ), २, व्यधितशेष ( औपघालय के व्यय से बचा धन ) और ३, अन्तरारम्भशेष ( दुर्ग आदि की मरम्मत से बचा हुआ धन ) सब व्ययप्रत्याय धन है ।

( ६ ) बाट-तराजू की पसथा से, तोलने के बाद मुट्ठी-दो-मुट्ठी दिया हुआ अधिक अन्न, तीली या गिनी हुई वस्तु में कोई दूसरी ही वस्तु मिला देना, धीजन के रूप में ली हुई वस्तु, पिछले वर्ष का बकाया और चतुराई से उपार्जित धन उपस्थान कहलाता है ।

( ७ ) अब इसके उपरान्त धान्य, स्नेह, क्षार और लवण का निरूपण किया जाता है ।

( ८ ) इनमें धान्यवर्ग के पदार्थों का विस्तृत विवरण थावे 'सीताध्यक्ष' नामक प्रकरण में किया जावेगा । घी, तेल, बसा और मज्जा, ये चार प्रकार के स्नेह पदार्थ हैं ।

( ९ ) गन्ने से बने : राभ, गुड, गुडसाड, खाड और शक्कर में क्षारवर्ग के पदार्थ हैं ।

- (१) सैन्धवसामुद्रविडयवक्षारसौवर्चलोद्भेदजा लवणवर्गः ।
- (२) क्षौद्रं माद्रीकं च मधु ।
- (३) इक्षुरसगुलमधुफाणितजाम्बवपनसानामन्यतमो भेषशृङ्गीपिप्पलीववाथाभियुतो मासिकः पाण्मासिकः सांवत्सरिको वा चिद्भिटोर्वाह्केक्षुकाण्डाग्रफलामलकावसुतः शुद्धो वा शुक्तवर्गः ।
- (४) वृक्षाम्लकरमर्दाभ्रविदलामलकमातुतुङ्गकोलवदरसौवीरकपरूपकादिः फलाम्लवर्गः ।
- (५) दधिधान्याम्लादिद्रवाम्लवर्गः ।
- (६) पिप्पलीमरिचशृङ्गिवेराजाजीकिराततिक्तगौरसर्यपकुस्तुम्बुरुचोरकदमनकमरुचकशियुकाण्डादिः कटुकवर्गः ।
- (७) शुष्कमत्स्यमासकन्दमूलफलशाकादि च शाकवर्गः ।
- (८) ततोर्ध्वमापदर्थं जानपदानां स्थापयेत् । अर्धमुपयुञ्जीत । नवेव चानवं शोधयेत् ।

( १ ) लवण छह प्रकार का होता है १. सेंधा, २. समुद्री, ३. विड, ४. जवाक्षार, ५. सग्जीखार और ६. लोना मिट्टी से बना ।

( २ ) शहद दो प्रकार का होता है क्षौद्र ( मक्खियो द्वारा एकत्र ) और २. माद्रीक ( मुनक्का तथा दाख के रस से बनाया हुआ ) ।

( ३ ) सिरका शुक्तवर्ग का पदार्थ है । ईख का रस, गुड, शहद, राव, जामुन का रस, कटहल का रस, इनमे से किसी एक को भेडासिगी और पीपल के ववाय के साथ मिलाकर एक मास, छह मास तथा वर्ष भर बन्द करके रखा जाय, और उसके बाद मीठी ककडी, कडी ककडी, ईख, आम का फल एव आवला, ये पांचो चीजें उसमे डाल दी जाय या न भी डाली जाय, इस विधि से जो रस तैयार होगा उसे सिरका कहते हैं । एक मास का सिरका निकृष्ट, छह मास का मध्यम और साल भर का उत्तम कहा जाता है ।

( ४ ) इमली, करोंदा आम, अनार, आवला, खट्टा नीबू, भरवेर वेर, प्योदी वेर, उन्नाव और फालसा आदि खट्टे रस के फल अम्लवर्गीय हैं ।

( ५ ) दही, कांजी, मट्ठा आदि पनीली खट्टी चीजें द्रववर्गीय है ।

( ६ ) पीपल, मिर्च, बदरख, जीरा, बिरायना, सफेद सरसो, घनियाँ, चोरक, दमनक, मँतफल और सँजन आदि कठुवे पदार्थ कटुकवर्गीय है ।

( ७ ) सूखी मछली, सूखा मास, कन्द, मूल, फल आदि शाकवर्गीय पदार्थ है ।

( ८ ) स्नेहवर्ग से लेकर शाकवर्ग तक जितने पदार्थ गिनाये गये हैं, राजा को चाहिए कि, उन सब की उपज का आधा भाग आपत्तिकाल में जनपद की सुरक्ष

(१) क्षुण्णघटपिष्टमृष्टानामाद्रंशुष्कसिद्धानां च धान्यानां वृद्धिक्षय-  
प्रमाणानि प्रत्यक्षीकुर्वीत ।

(२) क्रोद्धवन्नीहीणामर्घं सारः, शालीनामष्टभागोनः, त्रिभागोनो  
वरककाणाम् त्रिषड्गुणामर्घं सारो नवभागवृद्धिश्च । उदारकस्तुल्यः । पवा  
गोधूमाश्च क्षुण्णाः ।

(३) तिला पवा मुद्गमापाश्च घृष्टाः । पञ्चभागवृद्धिर्गोधूमः सक्तवश्च ।  
पादोना कलायचमसी । मुद्गमापाणामर्घपादोना । शम्बानामर्घं सारः ।  
त्रिभागोने मसूराणाम् ।

(४) पिष्टमामं कुल्माषश्चाध्यर्घ्ययुणः । द्विगुणो यावकः । पुलाकः  
पिष्टं च सिद्धम् ।

(५) क्रोद्धवरकोदारकप्रियङ्गुणां, त्रिगुणमन्नं, चतुर्गुणं व्रीहीणाम्,  
पञ्चगुणं शालीनाम्, तिमितमपरान्नं द्विगुणमर्घाधिकं विरूढानाम् ।

के लिए सुरक्षित रखे । आधी उपज का उपयोग स्वयं कर ले । इसी प्रकार नई फसल  
या नया सामान आ जाने पर पुराने स्टॉक को उपयोग में ले लिया जाय और उसकी  
जगह नया स्टॉक भर दिया जाय ।

( १ ) कोष्ठगार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह कूटा हुआ, साफ किया हुआ,  
पीसा हुआ, भूना हुआ, भीगा हुआ, सुखाना हुआ और पकाया हुआ, जितना भी धान्य  
है, अपने सामने तुलवाकर उसकी घट-बढ़ की जांच करे ।

( २ ) उनकी घट-बढ़ का नियम इस प्रकार है : कोदो और धान में आधी  
भूसी निकल जाती है, बडिया धान का भी आधा भाग भूसी में निकल जाता है,  
लोभिया आदि अनाजों में तीसरा हिस्सा चोकर का निकल जाता है । काकुन में  
प्रायः आधा हिस्सा भूसी निकल जाती है, किन्तु कभी-कभी उसका नवाँ हिस्सा भी  
बढ़ जाता है । मोटे चावल में आधा ही भाग बन पाता है, जो और गेहूँ में कूटने  
पर छीजन नहीं होती है ।

( ३ ) तिल, जौ, मूँग और उड़द भी दलने पर बराबर बने रहते हैं गेहूँ और  
भुने हुए जौ पीसने पर पञ्चमाश बढ़ जाते हैं । मटर पीसने पर चौथाई हिस्सा कम  
हो जाती है । पीसने पर मूँग और उड़द का आठवाँ हिस्सा कम हो जाता है । ज्वार  
की फलियों में आधा चोकर निकल जाता है । दलने पर मसूर का तीसरा हिस्सा  
कम हो जाता है ।

( ४ ) पीसे हुए कच्चे गेहूँ तथा मूँग और उड़द आदि पकाये जाने पर ड्योढ़े  
हो जाते हैं । पकाये जाने पर चावल और सूजी भी दुगुने हो जाते हैं ।

( ५ ) कोदो, लोभिया, उदारक और कागनी पकाये जाने पर तिगुने हो जाते

(१) पञ्चभागवृद्धिभृष्टानाम् । कलायो द्विगुणः लाजा भरुजाश्च । पट्कं तैलमतसीनाम् । निम्बकुशात्रकपित्यादीनां पञ्चभागः । चतुर्भागिकास्तिलकुसुम्भमधुकेङ्गुदीस्नेहाः ।

(२) कार्पासक्षीमाणां पञ्चपले पलसूत्रम् ।

(३) पञ्चद्रोणे शालीना द्वादशाढकं तण्डुलानां कलभभोजनम्, एकादशकं व्यालानां, दशकमौषबाह्यानाम्, नवकं सान्नाह्यानाम्, अष्टकं पत्तीनां, सप्तकं मुहयानां, पट्कं देवीकुमाराणाम्, पञ्चकं राज्ञाम् । अखण्डपरिशुद्धानां वा तण्डुलानां प्रस्थः ।

(४) चतुर्भागः सूपः, सूपषोडशो लवणस्यांशः, चतुर्भागः सर्पिषः तैलस्य वा, एकमार्यभक्तम् । प्रस्थषड्भागः सूपः अर्घस्नेहमवराणाम् । पादोनं स्त्रीणाम् । अर्घं बालानाम् ।

हैं । पकाये जाने पर विरञ्जफूल चावल और बासमती पचगुने हो जाते हैं । खेत से अर्घकच्ची हालत में काटा गया अन्न और ब्रीहि धान पकाने पर दुगुने ही बढ पाते हैं । उन्हें कुछ अच्छी अवस्था में खेत से काटा जाय तो वे ढाई गुना भी बढ सकते हैं ।

( १ ) यदि ये भूने जाय तो उनका पचमाश बढ जाता है । भुने हुए मटर, धान और जौ दुगुने हो जाते हैं । पेरने पर अलसी में छटा भाग ही तेल निकलता है । निवौरी, कुशा, आम की गुठली और कंधे में पाँचवाँ हिस्सा ही तेल निकलता है । तिल, कुसुम्भ, महुआ और इगुदी में चौथा हिस्सा हो तैल निकलता है ।

( २ ) पाँच पल कपास और रेशम में एक पल सूत तैयार होता है ।

( ३ ) पाँच द्रोण ( २० आढक ) धान में से कूट-छाटकर जब बारह आढक चावल शेष रह जाता है तब वह हाथी के बच्चों के खाने योग्य होता है । वही बीस आढक धान अधिक साफ कर देने पर जब ग्यारह आढक बचा रह जाय तो उन्नत हाथियों के खाने योग्य, जब दसवाँ हिस्सा रह जाय तो राजसवारी के हाथियों के खाने योग्य, जब नवाँ हिस्सा रह जाय तो युद्धोपयोगी हाथियों के खाने योग्य, आठवाँ हिस्सा रह जाय तो पंदल सेना के भोजन योग्य; जब सातवाँ हिस्सा रह जाय तो प्रधान सेनापति के योग्य, जब छठा हिस्सा रह जाय तो रानियों एवं राजकुमारों के भोजन योग्य और जब साफ करते-करते बीस आढक में से पाँच आढक ही बचा रह जाय तो वह राजाओं के भोजन योग्य होता है । अथवा उस बीस आढक में से साफ और साबूत एक प्रस्थ दाना निकालकर राजा के उपयोग के लिए लेना चाहिए ।

( ४ ) प्रस्थ का चौथा हिस्सा दाल, दाल का सोलहवाँ हिस्सा नमक, दाल का चौथा हिस्सा घी या तेल, इतना एक आर्य को भोजन-सामग्री है । छोटी स्थिति



(१) मांसपर्वविशत्या स्नेहाद्यं कुडुवः, पल्लिको लवणस्यांशः, क्षार-पल्लयोगः, द्विघरणिकः कटुकयोगः, दध्नश्चाद्यप्रस्थः ।

(२) तेनोत्तरं व्याख्यातम् । शाकानामध्यर्धगुणः, शुष्काणां द्विगुणः, स चैव योगः ।

(३) हस्त्यश्वयोस्तदध्यक्षे विद्याप्रमाणं वक्ष्यामः । बलीवर्दानां भाष-द्रोणं यवानां वा पुलाकः । शेषमश्वविधानम् । विशेषो—घाणपिण्याकतुला कणकुण्डकं दशाढक वा ।

(४) द्विगुणं महिषोष्ट्राणाम् । अर्धद्रोणं खरपृषतरोहितानाम् । आढ-कमेणकुरङ्गाणाम् । अर्धाढकमजलकवराहाणां द्विगुणं वा कणकुण्डकम् । प्रस्थौदनः शुनाम् । हंसकौञ्चमपूरणामर्धप्रस्थः । शेषाणामतो मृगपशुप-क्षिव्यालानामेकभक्तादनुमानं ग्राहयेत् ।

के नौकरो के लिए प्रस्थ का पष्ठमाश दाल, प्रस्थ का अष्टमाश घी या तेल और बाकी सामग्री पहिले जैसी होनी चाहिए। उसमें चौथाई भाग कम जिरों के लिए और उसका आधा हिस्सा सामान बालको के लिए होना चाहिए।

( १ ) मास पकाने के लिए बीस पल मास में आधी कुडुव घी या तेल, एक पल नमक या नमक की जगह एक पल सज्जीक्षार या जवाक्षार, दो घरण मसाला, और आधा प्रस्थ ( दो कुडुव ) दही डालना चाहिए।

( २ ) इससे कम-ज्यादा मास पकाना हो तो उक्त अनुपात से ही उसमें सामान डालना चाहिए। हरे शाक में, मास के लिए ऊपर जो अनुपात बताया गया है, उसकी डोहोड़ी मात्रा उपयोग में लानी चाहिए। सुखे शाक अथवा सूखे मांस में वही सामग्री दुगुनी करके डालनी चाहिए।

( ३ ) हाथी और घोड़े की खुराक का वर्णन आगे चलकर 'अश्वध्यक्ष' तथा 'हस्त्यध्यक्ष' प्रकरण में किया जाएगा। बैलो के लिए एक द्रोण उडद तथा उतने ही अण्ड उवले जौ देने चाहिए। बाकी खुराक उनकी घोड़ों की खुराक जैसी है। घोड़ों की अपेक्षा बैलो को सूखे तिलों के कल्क के सौ पल और दस आढक चावलों की बनी भूसी अधिक देनी चाहिये।

( ४ ) भैंसों और उँटों के लिए बैलो से दुगुनी खुराक होनी चाहिए। गधा और हिरणों को वही सामग्री आधा द्रोण ( दो आढक ) देनी चाहिए। एण और कुरग जाति के हिरणों को वही भोजन एक आढक देना चाहिए। वही खुराक बकरी भेड़ तथा सूअरों को आधा आढक; अथवा चावल की कनकी और भूसी मिलाकर एक आढक खुराक देनी चाहिए। कुत्तों को एक प्रस्थ भात देना चाहिए। हंस, कौच और मोरों की आधा प्रस्थ खुराक है। इनके अतिरिक्त जगली या पालतू जितने भी पशु

(१) अङ्गारास्तुपान् लोहकमन्तिभित्तिलेप्यान्ता हारयेत् । कणिकाः दासकर्मकरसूपकाराणाम् । अतोऽन्यदीदनिकापूपिकेभ्यः प्रयच्छेत् ।

(२) तुलामानभाण्ड रोचनीदूपन्मुसलोलूखलकुट्टकरोचकयन्त्रपत्र-कशूर्पबालनिकाकण्डोलीपिटकसम्मार्जन्यश्रोपकरणानि ।

(३) मार्जकारक्षकधारकमापकमापकदायकदापकशलाकाप्रतिप्राहक-दासकर्मकरवर्गंश्च विष्टिः ।

(४) उच्चैर्धान्यस्य निक्षेपो मूताः क्षारस्य संहताः ।

मृत्काष्ठकोष्ठा. स्नेहस्य पृथिवी लवणस्य च ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरण कोष्ठागाराध्यक्षो नाम पञ्चदशोऽध्याय ,  
आदित पञ्चत्रिंश ।

— ० —

पसी हैं, उनको एक दिन खिलाकर, उसी अनुपात से उनकी सुराक निर्धारित कर लेनी चाहिए ।

( १ ) कोयला, चोकर और भूसी आदि सामग्री लुहारो तथा मकान पोतने वालो को दे देनी चाहिए । चावलो की कनकी क्रीतदासो, दूसरे कर्मकरो तथा रसोइयो को दे देनी चाहिए । इसके अतिरिक्त जो कुछ बचे, वह साधारण अन्न पकाने वालो तथा पकवान बनाने वाले नौकरो मे वितरित कर देना चाहिए ।

( २ ) भोजनालय मे नियमित रूप से उपयोग मे आनेवाली सामग्री की तालिका इस प्रकार है तराजू, बाट, चक्की, सिल लोढा, मूसल, ओखली, घान कूटने का मूसल, आटा पीसने की चक्की, सूप, छलनी, कडी, पिटारी और भाडू ।

( ३ ) भाडू लगाने वाला, कोष्ठागार का रक्षक, तौलने वाला, तुलवाने वाला अधिकारी, समान देने वाला, देने वाला अधिकारी, धोभ उठाने वाला, क्रीतदास और चाकर, ये सब विष्टि कहलाते हैं ।

( ४ ) अनाज को जमीन के स्पर्श से ऊपर रखना चाहिए, गुड और रास आदि चीजें ऐसी जगह रखनी चाहिए, जहाँ सील न पहुँच सके, घी और तेल के रखने के लिए मृतदान या लकड़ी के पात्र होने चाहिये, और नमक को जमीन पर किसी बर्तन पर रख लेना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण मे कोष्ठागाराध्यक्ष नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) पण्याध्यक्ष स्थलजलजाना न.नाविधानां पण्यानां स्थलपथ-  
वारिपथोपयताना सारफलवर्धन्तरं प्रियाप्रियता च विद्यात् । तथा  
विक्षेपसक्षेपक्रयविक्रयप्रयोगकालान् ।

(२) यच्च पण्यं प्रचुर स्यात्तदेकीकृत्यार्धमारोपयेत् । प्राप्तेऽर्धे वार्धा-  
न्तरं कारयेत् ।

(३) स्वभूमिजाना राजपण्यानामेकमुख व्यवहारं स्थापयेत्, परभूमि-  
जानामनेकमुखम् । उभय च प्रजानामनुग्रहेण विक्रापयेत् । स्थूलमपि च  
लाभ प्रजानामौपघातिक वारयेत् । अजस्रपण्याना कालोपरोर्धं संकुलदोषं  
वा नोत्पादयेत् ।

### पण्य का अध्यक्ष

( १ ) पण्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह स्थल जल में उत्पन्न तथा स्थल-  
जलमार्ग से विक्री के लिए आई हुई अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं अल्पमूल्य वस्तुओं  
के तारतम्य और उनकी लोकप्रियता ( मांग ) तथा अप्रियता ( अरुचि ) आदि  
के सबध में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करे । उसको इस बात का भी पता होना  
चाहिए कि कम चीज को बढ़ाने, बड़ी हुई को घटाने, बेची जाने योग्य वस्तु को  
खरीदने एवं खरीदी हुई वस्तु को बेच देने का उपयुक्त समय कौन है ।

( २ ) जो विक्रीय वस्तु अत्रिक तादात में उपलब्ध हो, पण्याध्यक्ष को चाहिए  
कि, उसे एकत्र कर व्यापार कौशल से पहिले तो उसका दाम बड़ा दे और जब  
समझ ले कि उसमें उचित लाभ हो गया है, तो फिर उसका भाव कम करके  
उसको बेचे ।

( ३ ) अपने राज्य में उत्पन्न सरकारी वस्तुओं की विक्री का प्रबध एक ही  
जगह किसी नियत स्थान पर करना चाहिए । दूसरे देश में उत्पन्न वस्तुओं का विक्रय  
अनेक स्थानों में करना चाहिए । स्वदेश और परदेश की वस्तुओं की विक्री का ऐसा  
प्रबध करना चाहिए, जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो । यदि किसी  
वस्तु में अधिक लाभ की समावना हो, किन्तु उससे प्रजा को कष्ट पहुँचता हो, तो  
राजा को वह कार्य तत्काल रुकवा देना चाहिए । जल्दी ही विक्र जाने योग्य वस्तुओं  
को रोके रखना अथवा उनको बेचने का ठेका किसी एक व्यक्ति को देकर पुन लोभ-  
बध वह ठेका दूसरे को देना, सर्वथा अनुचित है ।

(१) बहुमुखं वा राजपण्यं वंदेहकाः कृताद्यं विक्रीणीरन् । छेदानुरूपं च वंदरणं दद्युः ।

(२) षोडशभागो मानव्याजी । विशतिभागस्तुलामानम् । गण्य-पण्यानामेकादशभागः ।

(३) परभूमिजं पण्यमनुग्रहेणावाहयेत् । नाविकसार्थवाहेभ्यश्च परिहार-मायतिक्षमं दद्यात् । अनभियोगश्चाथिष्वागन्तूनामन्यत्रसभ्योपकारिभ्यः ।

(४) पण्याधिष्ठातारः पण्यमूल्यमेकमुखं काष्ठद्वोण्यामेकच्छिद्रापि-धानायां निदध्युः । अह्लश्चाष्टमे भागे पण्याध्यक्षस्यापयेयुः इदं विक्रीतमिदं शेषमिति । तुलामानभाण्डकं चार्पयेयुः । इति स्वविषये व्याख्यातम् ।

(५) परविषये तु—पण्यप्रतिपण्ययोरर्धं मूल्यं च आगम्य शुक-वर्तन्यातिवाहिकगुल्मतरदेयभक्तभाटकाव्ययशुद्धमुदयं पश्येत् । असत्पुदये भाण्डनिर्वहणेन पण्यप्रतिपण्यार्धेण वा लाभं पश्येत् । ततः सारपादेन स्थल-व्यवहारमध्वना क्षेमेण प्रयोजयेत् । अटव्यन्तपालपुरराष्ट्रमूह्यैश्च प्रति-संसर्गं गच्छेदनुग्रहार्थम् ।

( १ ) अनेक स्थानों पर विकने वाली राजकीय वस्तुओं को सभी व्यापारी एक ही भाव से बेचें । यदि बेचते-बेचते मूल्य में कुछ कमी हो जाये तो उस कमी को व्यापारी ही पूरा करें ।

( २ ) गोदाम में सुरक्षित माल का सोलहवां भाग कर रूप में राजा को देना चाहिए, उसे व्याजी या मानव्याजी कहा जाता है । तीले जाने वाले माल का बीसवां भाग और गिने जाने वाले माल का ग्यारहवां भाग राजा के लिए कर में देना चाहिए ।

( ३ ) विदेशी माल को मँगाने में कर आदि की कुछ रियायत होनी चाहिए । नाव तथा जहाज आदि से माल मँगाने वाले व्यापारियों पर राजकर की छूट होनी चाहिए । विदेश से आये व्यापारियों को भी राजा बिना ही अभियोग ( प्रतिषेध ) के श्रृण देने की व्यवस्था करे, किन्तु विदेशी व्यापारियों के सहयोगियों पर अभियोग होना चाहिए ।

( ४ ) राजकीय वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारी, सायकाल आठवें पहर में पण्याध्यक्ष के पास विक्री का सब रूपया, लफंडी को एक बंद सद्कची में रख कर उपस्थित हो, और बतायें कि इतना माल बिक गया है यथा इतना बाकी है । माप तौल के बाँटों को भी पण्याध्यक्ष के सुपुर्द कर दें । यहाँ तक अपने राज्य की विक्रीय वस्तुओं के सबध में कहा गया है ।

( ५ ) परदेश में किस रीति से व्यापार किया जाता है, उसका विधान इस प्रकार है . निर्यात-व्यापार के सबध में पण्याध्यक्ष को पहिली बात तो यह समझनी चाहिए कि स्वदेश तथा विदेश में बेची जाने वाली किन् चीजों के मूल्य में परस्पर न्यूनाधिक्य है; इसके अतिरिक्त विक्रीकर, भीमात अधिकारी का टैक्स, सुरक्षा के

(१) आपदि सारमात्मान वा मोक्षयेत् । आत्मनो वा भूमिमप्राप्तः सर्वदेयविशुद्धं व्यवहरेत् ।

(२) वारिपथे च यानभाटकपष्यदनपष्यप्रतिपष्यार्धप्रमाणयात्राकाल-भयप्रतीकारपष्यपत्तनचारित्राप्युपलभेत् ।

(३) नदीपथे च विज्ञाय व्यवहार चरित्रतः ।

यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभं परिवर्जयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे पष्याध्यक्षो नाम षोडशोऽध्यायः,  
आदित पटत्रिंशत् ।

— ० —

लिए पुलिस को मागकर, जंगल के रक्षक का कर, नदी पार करने का कर, अपने भोजनादि का व्यय और भाडा आदि निकाल कर कितना बच सकेगा, इस पर भी विचार करे। इस प्रकार हिसाब लगाने पर कुछ बचत न दोख पड़े तो अपने माल को विदेश में ले जाकर, भविष्य में लाभ की प्रतीक्षा करते हुए, उसके विद्यय की व्यवस्था करे अथवा अपने माल से वहाँ के लोकप्रिय माल को बदल कर उस रूप में अपने लाभ की बात सोचे। यदि विचारित योजना सफल होती दिखाई दे तो लाभ का चौथा भाग व्यय करके सुरक्षित स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करना आरम्भ कर दे। जंगल तथा सीमा के रक्षकों से, नगर-प्रधान और राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरुषों से घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए, जिन्से कि व्यापार में कोई बाधा न आने पावे।

( १ ) विदेश में व्यापार करते हुए यदि आपत्ति आ पड़े तो सर्वप्रथम रत्नों की और अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि दोनों की रक्षा समभव न हो तो रत्नों का लोभ छोड़ कर वह अपने को बचाये। जब तक वह अपने देश में न लौट आवे तब तक वहाँ के जो सरकारी टैक्स हों उनको नियमपूर्वक अदा करते हुए अपने व्यापार को सभाले रखे।

( २ ) जल मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी को यानभाटक ( नाव तथा जहाज का किराया ), पष्यदन ( मार्ग में खाने पीने का खर्च ), पष्य तथा प्रतिपष्य के मूल का प्रमाण ( अपनी तथा पराई विक्रीय वस्तु के मूल्य का तारतम्य ), यात्रा-काल ( किस ऋतु में यात्रा करनी चाहिए, उसकी अवधि ), भयप्रतीकार ( चोर आदि से सुरक्षा के उपाय ), और गतव्य देश के आचार-व्यवहारों की जानकारी आदि के सबध में बारीकी से विचार करने के अनन्तर ही यात्रा करनी चाहिए।

( ३ ) इसी प्रकार नदी मार्ग के सबध में भी उक्त बातों को ध्यान में रखकर, गतव्य देश के आचार विचार, चरित्र आदि का ज्ञान प्राप्त कर, जिस मार्ग से अधिक लाभ की संभावना हो उसी का अनुसरण करे, जहाँ लाभ की आशा न हो, और कष्ट भी अधिक मिले, उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में पष्याध्यक्ष नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालैः कुप्यमानाययेत् । द्रव्यवनकर्मान्तांश्च प्रयोजयेत् द्रव्यवनच्छिदा च देयमत्ययं च स्थापयेदन्यत्रापद्रुचः ।

(२) कुप्यवर्गः—शाकतिनिशधन्वनार्जुनमधुकतिलकसालाशिशपारिमे-  
दराजादनशिरोषखदिरसरलतालसर्जाश्वकर्णसोमबल्ककशाश्रप्रियकधवादिः  
सारदाहवर्गः ।

(३) उटजचिमियत्रापवेणुवंशसातीनकण्टकभाल्लूकादिवेणुवर्गः ।

(४) वेत्रशीकबल्लीवाशीश्यामलतानामलतादिवल्लीवर्गः ।

### कुप्य का अध्यक्ष

( १ ) कुप्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह जगल की रक्षा में नियुक्त पुरुषों द्वारा बढ़िया बढ़िया लकड़ी मगवाये । लकड़ी से बनने योग्य दूसरे कार्यों को भी बही करवाये । लकड़ी काटकर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों को वह वेतन पर नियुक्त कर ले और आज्ञा का उल्लंघन करने पर उनके लिए दण्ड भी निर्धारित कर ले, किन्तु किसी आपत्ति के कारण कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाय तो उन्हें दण्ड न दिया जाय ।

( २ ) कुप्यवर्ग में सर्वप्रथम सारदाह वर्ग ( सर्वोत्तम लकड़ी ) का निरूपण किया जाता है । शाक ( सागून ), तिनिश ( सँहुआ ), धन्वस ( पीपल ), अर्जुन, मधुक ( महुआ ), तिलक ( फरास ), साल, शिशपा ( शोशम ), अरिमेद ( दुर्गन्धित खैर ), राजादन ( खिरनी ), शिरीष ( सिरसा ), खदिर ( खैर ), सरल ( देवदाह ) ताल ( ताड ), सर्ब ( साल ), अश्वकर्ण ( बडा साल ), सोमबल्क ( सफेद खैर ), कश ( बबूल ), आम, प्रियक ( कदव ), धव ( गूलर ) आदि सर्वोत्तम लकड़ों सारदाहवर्ग के अन्तर्गत हैं ।

( ३ ) उटज ( खोखला ), चिमिय ( ठोस ), चाप ( कुछ पोला और ऊपर से खुदरा ), वेणु ( चिकना, पोला ), वश ( लबी पोरियो वाला ), सातीन, कटक ( दोनों कटिदार ) और भाल्लूक ( मोटा, लंबा, कटकरहिन ), ये सब भाँसों के भेद हैं ।

( ४ ) वेत्र ( बेंत ), शीकबल्ली ( हसबल्ली ), वाशी ( सफेद फूलों की लता ), श्यामलता ( काली लता ), नागलता, ( नागबल्ली ) आदि सब लताओं के भेद हैं ।

( १ ) मालतीमूर्वाकंशणगवेथुकातस्यादिवल्कवर्गः ।

( २ ) मुञ्जबल्बजादि रज्जुभाण्डम् । तालीतालभूर्जानां पत्रम् ।  
किशककुसुम्भकुडकुमानां पुष्पम् ।

( ३ ) कन्दमूलफलादिरोषधवर्गः ।

( ४ ) कालकूटवत्सनामहालाहलमेपशृङ्गमुस्ताकुष्ठमहाविषवेल्लितक-  
गौराद्रंवालकमार्कंटहैमवतकालिङ्गकदारदकाङ्गोलसारकोष्ठकादीनि वि-  
षाणि ।

( ५ ) सर्पाः कीटाश्च । त एव कुम्भगताः । विषवर्गः ।

( ६ ) गोधासेरकट्टीपिशिशुमारसिहव्याघ्रहस्तिमहिषचमरसुमरखड्ग-  
गोमृगवयानां चर्मास्थिपित्तस्नाय्वस्थि-( ? )-दन्तशृङ्गखुरपुच्छानि  
अन्येषां चापि मृगपशुपक्षिव्यालानाम् ।

( ७ ) कालायसताम्रवृत्तकांस्यसीसत्रपुवंकृन्तकारकूटानि लोहानि ।

( १ ) मालती ( चमेली ), मूर्वा ( मरोरफली ), अकं ( आक ), शण ( सन ),  
गवेथुका ( नागबला ) और अतसी ( अलसी ), आदि बल्कवर्ग के हैं ।

( २ ) मुञ्ज ( मूँज ), बल्बज ( लवा घास ), ये रज्जु, अर्थात् रस्सी बनाने  
बनाने की घासें हैं । ताली ( ताड़ का एक भेद ), ताल ( ताड़ ), भूर्ज ( भोजपत्र ),  
इनका पत्ता लिखने के काम में आता है । किशुक ( पलाश के फूल ), कुसुम्भ  
( कुसुम के फूल ), और वकुम ( केसर ), ये सब बल्ल आदि रगने के साधन हैं ।

( ३ ) कद ( बिदारो, सूरण आदि ), मूल ( अनतमूल, कामराज, खस आदि ),  
और फल ( आंवला, हर्षा, बहेडा आदि ), ये सब औषधवर्ग हैं ।

( ४ ) कालकूट, वत्सनाभ, हलाहल, मेपशृङ्ग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेल्लि-  
तक, गौराद्रं, बालक, मार्कंट, हैमवत, कालिगक, दारदक, अङ्गोलसारक और कुष्ठक  
इत्यादि सब विष हैं ।

( ५ ) घारीदार साँप, मेंढक तथा छिपकली आदि को सीसे के घटे में बन्द  
करके आगे आने वाले 'औपनिषदिक' प्रकरण में लिखी गई विधि के अनुसार जब  
संस्कार किया जाता है तो वह भी विष बन जाते हैं ।

( ६ ) गोधा ( गोह ), सेरक ( सफेद गोह ) द्वीपी ( वधेरा ), जिशुमार ( बड़ी  
जाति की मछली ), सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंसा, चमरगाय, साँभर, गँडा, गाय, हरिण  
और नीलगाय इनकी खाल, हड्डी, दाँत पित्ता, नसें, सींग, खुर और पूँछ आदि  
सभी उपयोग में आने वाली चीजें सग्रह-योग्य हैं; इनके अतिरिक्त अन्य मृग, पशु-पक्षी,  
साँप आदि जानवरों के चर्म का भी सग्रह करना चाहिए ।

( ७ ) काला लोहा, ताँबा, काँसा, सोसा, राँगा, इस्पात और पीतल, ये सब  
लोहे के भेद हैं ।

- (१) विदलमृतिकामयं भाण्डम् ।  
 (२) अङ्गारतुपमस्मानि मृगपशुपक्षिव्यालवाटाः काष्ठतृणवाटाश्चेति ।  
 (३) बहिरन्तरश्च कर्मान्ता विभक्ताः सर्वभाण्डिकाः ।  
 आजीवपुररक्षार्याः कार्याः कुप्योपजीविना ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे कुप्याध्यक्षो नाम सप्तदशोऽध्याय ,  
 आदितो सप्तविंश ।

— ० —

( १ ) पात्र दो प्रकार के होते हैं एक विदलमय ( पिटारी, टोकरी आदि )  
 और दूसरे मृतिकामय ( घड़े, शकोरे आदि ) ।

( २ ) कोयला, राख, मृग, पशु पक्षी तथा अन्य जगली जानवर, लकड़ी और  
 घास-फूस आदि का ढेर भी कुप्य होने के कारण सग्रह-योग्य हैं ।

( ३ ) कुप्य के अध्यक्ष को और उसके सहायको का चाहिए कि वे बाहर जगलो  
 के पास जनपद और दुर्ग आदि में गाडा तथा लकड़ी आदि से बनी हुई चीजें या  
 सवारियों, सब तरह के बर्तन आदि को और अपनी आजीविका तथा नगर, जनपद  
 की रक्षा के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी सग्रह करे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में कुप्याध्यक्ष सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —



(१) आयुधागाराध्यक्ष. साङ्ग्रामिकं दौर्गमिकं परपुराभिघातिक यन्त्रमायुधमावरणमुपकरण च तञ्जातकारुशिल्पिभिः कृतकर्मप्रमाणकाल-वेतनफलनिष्पत्तिभिः कारयेत् । स्वभूमौ च स्थापयेत् । स्थानपरिवर्तन-मातपप्रवातप्रदान च बहुशः कुर्यात् । ऊष्मोपस्नेहक्रिमिभिरुपहन्यमान-मन्यथा स्थापयेत् । जातिरूपलक्षणप्रमाणागममूल्यानिर्दोषैश्चोपलभेत ।

(२) सर्वतोभद्रजामदग्न्यबहुमुखविश्वासघातिसङ्घाटीयानकपदजंघक-बाहूध्वबाह्विर्धबाहूनि स्थितयन्त्राणि ।

### आयुधागार का अध्यक्ष

( १ ) आयुधागार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह, युद्धोपयोगी सामग्री तैयार कर ले वाले कारीगरों एवं कुशल शिल्पियों के द्वारा युद्ध में काम देने वाले, दुर्ग की रक्षा के योग्य शत्रु के नगर को विध्वंस कर देने वाले सर्वतोभद्र ( मशीनगन ), जामदग्न्य आदि यन्त्र, शक्ति, घनुप आदि हथियार कवच और सवारी आदि जितने भी साधन हैं, उनका निर्माण करवाये, उन कारीगरों से कितने समय में कितनी मजदूरी देकर कितना काम कराया जाय इत्यादि बातों को वह पहिले ही से निश्चित कर ले । तैयार हुए सामान को उसके उपयुक्त स्थान में रखवा दिया जाय अथवा अपने ही कदमों में रखा जाय । अध्यक्ष को चाहिए कि जिससे समान पर धक आदि न लगे, उसको धूप हवा भी दिलाता रहे, गर्मी, सील और धुन आदि के कारण जो हथियार खराब हो रहे हों उन्हें वहाँ से उठवा कर किसी ऐसे स्थान में रखवा दे, कि वे अधिक खराब न होने पावें, उन हथियारों के जाति स्वरूप, लक्षण, लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई प्रातिस्थान मूल्य और उपयुक्त स्थान आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक बात को अच्छी तरह से समझ-बूझ ले ।

( २ ) दश प्रकार के स्थितयन्त्र होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है १ सर्वतोभद्र ( मशीनगन ), २ जामदग्न्य ( जिसमें बीच के छेद से बड़े बड़े गोले निकलें ), ३ बहुमुख ( किले की दीवारों में ऊँचाई पर बनाये गये वे स्थान, जहाँ से सैनिक गोलीबर्षा कर सकें ), ४ विश्वासघाती ( नगर के बाहर तिरछी बनावट का एक ऐसा यन्त्र, जिसको छू लेने से ही प्राणान्त हो जाय ), ५ सघाटि ( लक्रे-ऊँचे बाँसों से बना हुआ वह यन्त्र, जो महलों के ऊपर रौशनी फेंके ), ६ यानक

(१) पञ्चालिकदेवदण्डसूकरिकामुसलयष्टिहस्तिवारकतालवृन्तमुद्गर-  
द्रुघणगदास्पृक्तलाकुहालास्फोटिमोद्धाटिमोत्पाटिमशतघ्नीत्रिशूलचक्राणि  
चलयन्त्राणि ।

(२) शक्तिप्रासकुन्तहाटकभिण्डिपालशूलतोमरधराहकर्णकणपकर्पण-  
त्रासिकादीनि च हलमुखानि ।

( पहियो पर रखा जाने वाला लम्बा यन्त्र ), ७ पर्जन्यक ( बहणास्र, फायर त्रिगेड ),  
८ बाहुयन्त्र ( पर्जन्यक की भाँति, किन्तु उसका आधा ), ९ ऊर्ध्वबाहु ( ऊपर  
स्तम्भ की आकृति का नजदीक की भार करने वाला यन्त्र ) और १० अर्धबाहु  
( ऊर्ध्वबाहु का आधा ) ।

( १ ) चलयन्त्र भी अनेक हैं, जिनका व्योरा इस प्रकार है १ पाञ्चलिक  
( बढिया लकड़ी पर तेज धार का बना यन्त्र, जो परकोटे के बाहर जल के बीच में  
शत्रु को रोकने के काम में आता है ), २ देवदण्ड ( कील रहित बड़ा भारी स्तम्भ,  
जो परकोटे के ऊपर रखा रहता है ), ३ सूकरिका ( सूत और चमड़े की या बाँस  
और चमड़े की बनी मशकरी, जो परकोटे तथा अट्टालक के ऊपर टक कर रखी  
जाती है ), ४ मुसलयष्टि ( खैर की मूसल का बना हुआ डडा, जिसके आगे शूल  
लगा हो ), ५ हस्तिवारक ( त्रिशूल या त्रिशूल ढण्डा ), ६ तालवृन्त ( चारों ओर  
घूमने वाला यन्त्र ), ७ मुद्गर, ८ द्रुघण ( मुद्गर के ही समान यन्त्र ), ९ गदा,  
१० स्पृक्तला ( काँटेदार गदा ), ११ कुहाल, १२ आस्फोटिम ( चमड़े से बना  
हुआ चार कोना वाला, मिट्टी के ढेले या पत्थर फेंकने वाला यन्त्र ), १३ उद्घाटिम  
( मुद्गर की आकृति का यन्त्र ), १४ उत्पाटिम ( खभे आदि को उडा देने वाला  
यन्त्र ), शतघ्नी ( कीले की दीवार के ऊपर रखा जाने वाला बड़े स्तम्भ की आकृति  
का यन्त्र ), १५ त्रिशूल और १६ चक्र, ये सोलह प्रकार के चलयन्त्र हैं ।

( २ ) हलमुख ( भाले की तरह ) हथियारों के नाम इस प्रकार हैं . १ शक्ति  
( कनेर के पत्तों की आकृति का लोहे का बना हथियार ), १ प्रास ( चौबीस अगुल  
लम्बा, दुधारा हथियार, जिसकी मूठ बीच में लकड़ी की बनी हो ), ३ कृत ( सात  
हाथ का उत्तम, छह हाथ का मध्यम और पाँच हाथ का निकृष्ट ), ४ हाटक ( कृत  
के समान तीन काँटों वाला हथियार ), ५ भिण्डिपाल ( मोटे फल वाला, कुन्त के  
समान ), ६ शूल ( तेज मुख वाला हथियार ), ७ तोमर ( बाण के समान तेज  
मुख वाला, जो चार हाथ का अधम, साढे चार हाथ का मध्यम और पाँच हाथ का  
उत्तम समझा जाता है ), ८ वराहकर्ण ( एक प्रकार का प्रास, जिसका मुख सुअर  
के कान के समान होता है ), ९ कणप ( लोहे का बना हुआ, दोनों ओर तीन तीन  
काँटों से युक्त, चौबीस, बाईस और बीस अगुल का क्रमश उत्तम, मध्यम एवं  
अधम ), १० कर्पण ( तोमर के समान, हाथ से फेंका जाने वाला बाण ), ११

- (१) तालचापदारवशाङ्गिणि कार्मुककोदण्डद्रूणा घनूपि ।
- (२) भूर्वाकंशणगवेधुवेणुस्नायूनि ज्या. ।
- (३) वेणुशरशलाकादण्डासननाराचाश्च इपवः । तेषा मुखानि छेदन-  
भेदनताडनान्यायसास्थिदारवाणि ।
- (४) निस्त्रिशमण्डलाप्राप्तियष्टय खड्गाः । खड्गमहिपवारणवि-  
पाणदारुवेणुमूलानि त्सरव ।
- (५) परशुकुठारपट्टसखनित्रकुहालककचकाण्डच्छेदना क्षुरकल्पाः ।
- (६) यन्त्रगोष्पणमुष्टिपापाणरोचनीदृपदश्रायुधानि ।
- (७) लोहजालजालिकापट्टकवचसूत्रकङ्कुटशिशुमारकखड्गधेनुकहस्ति-  
गोत्रमंखुरशृङ्गसघात वर्माणि । शिरस्त्राणकण्ठत्राणकूर्पासकञ्चुक्वारवाण-

आसिका ( प्रास जितनी, सम्पूर्ण लोहे की बनी ) ये सब हथियार हलमुख कहलाते हैं क्योंकि इन सभी का अग्रभाग हल के अग्रभाग की तरह तेज होता है ।

( १ ) घनूप चार प्रकार से बनाये जाते हैं १ ताल ( ताड का बना हुआ ), २ चाप ( अच्छे बाँस का बना हुआ ) ३ दारव ( मजबूत लकड़ी का बना हुआ ) और ४ शाङ्ग ( सींगों का बना हुआ ), आकृति और त्रिपा-भेद से इनके कार्मुक, कोदण्ड और द्रूण, आदि नाम हैं ।

( २ ) भूर्वा आस सन, गवेधुवावेणु ( रामबाँस ) और तांत, इनसे मजबूत घनूप की डोरी बनती है ।

( ३ ) बाण के भी अनेक भेद हैं, जिनके प्रकार हैं १ वेणु ( बाँस ), २ शर ( नरसल ), ३ शालाका ( मजबूत लकड़ी ) ४ दण्डासन ( आधा लोहा और आधा बाँस ) और ५ नाराच ( सम्पूर्ण लोहे का ) । इन बाणों के अग्रभाग में लोहे, हड्डी तथा मजबूत लकड़ी की बनी नोक छेदने, काटने, आघात पहुँचाने वाला रक्त-सहित एव रक्त-रहित घाव करने के लिए सगी रहती है ।

( ४ ) खड्ग ( तलवार ) तीन प्रकार के होते हैं १ निस्त्रिश ( जिसका अगला भाग काफी टेढ़ा हो ), २ मण्डलाग्र ( जिसका अगला हिस्सा कुछ गोलाकार हो ) और ३ असियष्टि ( जिसका आकार पतला एवं लम्बा हो ) । खड्ग के लिए गैडा, भँस की सींग, हाथीदाँत, मजबूत लकड़ी और बाँस की जड़ की मूठ बनवानी चाहिए ।

( ५ ) फरसा, कुल्हाड़ा, द्विमुखी त्रिशूल, फावड़ा, कुदाल, बारा और गंडासा, ये सब छुरे की धार की भाँति तेज होने के कारण क्षुरकल्प या क्षुरवर्ग के हथियार कहलाते हैं ।

( ६ ) यन्त्रपापाण, गोष्पणपापाण, मुष्टिपापाण, रोचनी और दृपद, ये सब आयुध कहलाते हैं ।

( ७ ) कवच छह प्रकार से बनाये जाते हैं, जिनके तरीके इस प्रकार हैं १ लोहजाल ( सिर से पैर तक ढकने वाला ), २ लोहजालिका सिर के अलावा सारे

पट्टनागौदरिकाः । पेटोचर्महस्तिकर्णतालमूलधमनिकाकवाटकिटिकाप्रति-  
हतबलाहकान्ताश्रावरणानि ।

(१) हस्तिरथवाजिना योग्याभाण्डमालङ्कारिक सन्नाहकल्पनाश्रोप-  
करणानि । ऐन्द्रजालिकमौपनिषदिक च कर्म ।

(२) कर्मन्ताना च,

इच्छामारम्भनिर्घृति प्रयोग व्याजमुद्दयम् ।

क्षयव्ययो च जानीयात् कुप्यानामायुधेश्वरः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे आयुधागाराध्यक्षो नाम अष्टादशोऽध्याय ,

आदितोऽष्टचत्वारिणः ।

— ० —

शरीर को ढकने वाला ) ३ लोहपट्ट ( बाहों को छोड़ सारे शरीर को ढक देने  
वाला ), ४ लोहकवच ( केवल पीठ तथा छाती को ढक देने वाला ), ५ सूत्रककण  
( सूत्र का बना कवच ) और ६ मछली, गैडा, नीलगाय, हाथी तथा बिल, इन पाँचों  
के चमड़े, खुर एव सींगों को मिलाकर बनाया हुआ कवच । इनके अतिरिक्त शिरस्त्राण  
( सिर को ढक देने वाला ), कठवाण ( गले को ढक देने वाला ) कूर्पास ( आधी  
बाँहों को ढक देने वाला ), कचुक ( घुटनों तक शरीर को ढक देने वाला ), वार-  
वाण ( सारी देह को ढक देने वाला ), पट्ट ( बिना बाँहों एव बिना लोहे का कवच ),  
नागोदरिका ( केवल हाथ की उँगलियों की रक्षा करने वाला ), ये सात प्रकार के  
आवरण ( कवच ) देह पर धारण किए जाने योग्य हैं । चमड़े की पेटो, मुँह ढकने  
का आवरण, लकड़ी की पेटो, मून की पेटो, लकड़ी का पट्टा, चमड़ा एव बाँस को  
कूट कर बनाई गई पेटो, पूरे हाथों को ढकने वाला आवरण और किनारों पर लोहे  
के पत्तों से बंधा आवरण, आदि अनेक प्रकार के होते हैं ।

( १ ) हाथी, घोड़ा, रथ आदि की शिक्षा एव सजावट के साधन, अकुश, कोड़े,  
पताका, कवच और शरीर की रक्षा करने वाले अन्य आवरण, ये सब उपकरण  
कहलाते हैं । ऐन्द्रजालिक और औपनिषदिक आदि जादू एव प्रयोग क्रियायें भी  
उपकरण कहलाती हैं ।

( २ ) बुद्ध के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पिछले दो अध्यायों में निर्दिष्ट द्रव्य-  
व्यापारों से सम्बद्ध कार्यों का आरम्भ एव उनकी समाप्ति राजा को इच्छा तथा रुचि  
के अनुसार ही करे, उन विषयों और कार्यों की उपयोगिता, तथा हानि लाभ को भी  
वह मलीभाँति समझे, आयुधागार के अध्यक्ष के लिए भी इन बातों का जानना  
आवश्यक है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में आयुधागाराध्यक्ष नामक

अठारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

- (१) पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मन्तान् कारयेत् ।  
 (२) घान्यमाषा दश सुवर्णमापक । पञ्च वा गुञ्जाः । ते षोडश सुवर्णः कर्षो वा । चतुष्कर्षं पलम् ।  
 (३) अष्टाशीतिगौरसर्पपा रूप्यमापकः । ते षोडश धरणम् । शंभ्यानि वा विशतिः ।  
 (४) विशतितण्डुलं वज्रधरणम् ।

### तोल और माप का अध्यक्ष

- ( १ ) पौतवाध्यक्ष ( तोल-माप की जाँच करने वाला सरकारी अफसर ) को चाहिये कि वह शास्त्रोक्त विधि से तोलने मापने के साधन तराजू, बाट आदि बनवाये ।  
 ( २ ) दस उडद के दाने अथवा पाँच रत्ती परिमाण का एक सुवर्णमापक होता है । सोलह माप का एक सुवर्णं या एक कर्षं होता है । चार कर्षं का एक पल होता है, अर्थात्

### सोने का तोल

१० उदं के दाने ५ रत्ती	} = १ सुवर्णमापक
१६ माप ४ कर्षं	= १ सुवर्णं या १ कर्षं = १ पल

- ( ३ ) अष्टासी सपेद सरसो परिमाण का एक रूप्यमापक होता है । सोलह रूप्यमापक या बीस मूली के बीज परिमाण का एक धरण होता है, जैसे .

### चाँदी का तोल

८८ सपेद सरसो	= १ रूप्यमापक
१६ रूप्यमापक २० मूली के बीज	} = १ धरण

- ( ४ ) बीस चावल परिमाण का एक वज्रधरण होता है .

### हीरे का तोल

२० चावल	= १ वज्रधरण
---------	-------------

(१) अर्धमापकः, मापकः, द्वौ, चत्वारः, अष्टौ मापकाः, सुवर्णो, द्वौ, चत्वारः, अष्टौ सुवर्णाः, दश, विशति, चत्वारिंशत्, शतमिति ।

(२) तेन धरणानि व्याख्यातानि ।

(३) प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलशैलमयानि, यानि वा नोदक-प्रदेहाभ्या वृद्धिं गच्छेयुरूपणेन वा ह्रासम् ।

(४) षडङ्गुलाद्दूर्ध्वमष्टाङ्गुलोत्तरा दश तुलाः कारयेल्लोहपलाद्दूर्ध्व-कपलोत्तराः । यन्त्रमुभयत शिष्य वा ।

(५) पञ्चविंशत्पललोहा द्विसप्तत्यङ्गुलायामा समवृत्तां कारयेत् । तस्या. पञ्चपलिक मण्डल वद्ध्वा समकरण कारयेत् । ततः कर्पोत्तरं पल, पलोत्तर दशपल, द्वादश पञ्चदश विंशतिरिति पदानि कारयेत् । तत आ शताद् दशोत्तर कारयेत् । अक्षेपु नद्घोपिनद्ध कारयेत् ।

( १ ) तोलने के बाटो ( प्रतिमानो ) का निर्माण इस क्रम से होना चाहिए आधा मापक, मापक, दो मापक, चार मापक, आठ मापक, सुवर्ण, दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण, सौ सुवर्ण, सोना तोलने के लिए ये १४ बाट होने चाहिए ।

( २ ) इसी क्रम से चाँदी तोलने के लिए धरण एव रूपमापक बाटो का भी निर्माण करवाना चाहिए, अर्थात् धरण, दो धरण, चार धरण, आठ धरण, दस धरण, बीस धरण, तीस धरण, चालीस धरण और सौ धरण, एव अर्ध मापक, मापक, दो मापक, चार मापक, आठ मापक, आदि १४ बाटो का क्रम है ।

( ३ ) तोलने के बाट लोहे के बनने चाहिए या मगध तथा मेकल देश के पत्थर के होने चाहिए, या ऐसी-वस्तुओं के बनने चाहिए, जो पानी पडने तथा लेप लगने से बजनी न हो जाय और गर्मी के प्रभाव से हलके न पड जाय ।

( ४ ) सोना चाँदी तोलने के लिये छोटी-बड़ी दस तुलाएँ बनवानी चाहिए, जिनका क्रम इस प्रकार है १ छह अगुल की, २ चौदह अगुल की, ३ बाईस अगुल की, ४ तीस अगुल की ५ अडतीस अगुल की, ६ छियालीस अगुल की, ७ चौवन अगुल की, ८ चासठ अगुल की, ९ सत्तर अगुल की और १० अठहत्तर अगुल की, उनका वजन क्रमश एक पल से १० पल तक होना चाहिए, उनके दोनों ओर पलडे ( शिष्य ) लगे होने चाहिए ।

( ५ ) सोना चाँदी के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को तोलने के लिए जो तुलाएँ बनवायी जाय, उनका आकार प्रकार इस तरह होना चाहिए, पैतीस पल लोहे से बनी हुई, तीन हाथ लंबी समवृत्ता ( गोलाकार ) नामक तुला अन्य पदार्थों को तोलने के लिए बनवानी चाहिए । उसके बीच में पाँच पल का काँटा लगाकर ठीक मध्य में एक चिह्न भी करवा देना चाहिए । उसके बाद काँटे की गोलाकार परिधि में उस चिह्न से क्रमश एक कर्प, दो कर्प, तीन कर्प, चार कर्प, एक पल, दो पल,

(१) द्विगुणलोहा तुलामतः पण्णवत्यङ्गुलायामां परिमाणो कारयेत् । तस्याः शतपदाद्दुध्वं विशतिः, पञ्चाशत्, शतमिति पदानि कारयेत् ।

(२) विशतित्तोलिको भारः ।

(३) दशधरणिकं पलम् । तत्पलशतमायमानो ।

(४) पञ्चपलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजनी च ।

(५) तासामर्धधरणावरं पलम् । द्विपलावरमुत्तरलोहम् । षडङ्गुलावराश्रायामाः ।

इस प्रकार दस पल तक, दस पल के बाद बारह पल, पन्द्रह पल और बीस पल के चिह्न लगवाये जायें । फिर बीस पल के आगे दस-दस पल का अन्तर देकर सौ पल तक के चिह्न होने चाहिए । प्रत्येक पाँच पल के बाद, मोटी जानकारी के लिये, लम्बी रेखा बनवा देनी चाहिए ।

( १ ) उक्त समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे ( सत्तर पल परिमाण ) से बनी छिया-नवे अंगुल लम्बी तुला का नाम परिमाणी है । उस पर भी समवृत्ता नामक तुला के ही अनुसार सौ पल तक चिह्न लगाने के बाद एक सौ बीस, एक सौ पचास और दो सौ पल तक के चिह्न और लगने चाहिए ।

( २ ) सौ पल परिमाण की एक तुला और बीस तुला परिमाण का एक भार होता है, यथा

$$१०० \text{ पल} = १ \text{ तुला}$$

$$२० \text{ तुला} = १ \text{ भार}$$

( ३ ) दस धरण का एक पल और सौ पल परिमाण की आयमानी नामक तुला होती है, आयमानी अर्थात् आमदनी की वस्तुओं को तोलनेवाली तुला । जैसे :

$$१० \text{ धरण} = १ \text{ पल}$$

$$१०० \text{ पल} = १ \text{ आयमानी}$$

( ४ ) आयमानी से पाँच पल कम ( १५ पल ) परिमाण की तुला का नाम व्यावहारिकी ( क्रय-विक्रय में व्यवहार योग्य ) है, उससे पाँच पल कम ( १० पल ) की तुला का नाम भाजनी ( भृत्यों को द्रव्य देने योग्य ), और उससे भी पाँच पल कम ( ५ पल ) परिमाण की तुला का नाम अन्त पुरभाजनी ( रानी एवं राज-कुमारों को द्रव्य देने योग्य ) है, अर्थात्

$$१५ \text{ पल} = १ \text{ व्यावहारिकी}$$

$$१० \text{ पल} = १ \text{ भाजनी}$$

$$५ \text{ पल} = १ \text{ अन्त पुरभाजनी}$$

( ५ ) व्यावहारिकी, भाजनी और अन्त पुरभाजनी, इन तीनों तुलाओं में उत्तरोत्तर आधा-आधा धरण कम हो जाता है । अर्थात् आयमानी तुला में दस धरण का एक पल होता है तो व्यावहारिकी का ६३ धरण का एक पल भाजनी का ६ धरण का एक पल और अन्त पुरभाजनी का ६३ धरण का एक पल होना चाहिए । इसी प्रकार इन तुलाओं के बनाने में सोहा भी उत्तरोत्तर दो-दो पल कम लगना

- (१) पूर्वयोः पञ्चपलिकः प्रयामो मांसलोहलवणमणिवर्जम् ।  
 (२) काष्ठतुला अष्टहस्ता पदवती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठाना ।  
 (३) काष्ठपञ्चविंशतिपलं तण्डुलप्रस्थसाधनम् । एष प्रदेशो बह्वल्पयोः ।

(४) इति तुलाप्रतिमानं व्याख्यातम् ।

(५) अथ धान्यमापद्विपलशतं द्रोणमायमानम् । सप्ताशीतिपलशत-मर्घपलं च व्यावहारिकम् । पञ्चसप्ततिपलशतं भाजनीयम् । द्विषष्टिपल-शतमर्घपलं चान्तःपुरभाजनीयम् ।

चाहिए अर्थात् आयमानी तुला यदि पैंतीस पल लोहे की बनाई जाय तो व्यावहारिकी तुला तैंतीस पल की, भाजनी इकत्तीस पल की, और अन्त पुरभाजनी उन्नीस पल की बनायी जाय । इनकी लम्बाई भी पूर्वापेक्षया उत्तरोत्तर छ-छ अङ्गुल कम होनी चाहिए, यदि आयमानी तुला बहत्तर अङ्गुल लम्बी बनाई जाय तो व्यावहारिकी छियासठ अङ्गुल की, भाजनी साठ अङ्गुल की और अन्त पुरभाजनी चौवन अङ्गुल की ही हो ।

( १ ) परिमाणी और आयमानी तुलाओ मे मास, लोहा, नमक और मणियों को छोड़ कर अन्य वस्तुओ को तोलने पर पाँच पल अधिक तोला जाता है, इसी को प्रयाम कहते हैं ।

( २ ) लकड़ी की तुला आठ हाथ की होनी चाहिए, जिसमे एक, दो, तीन आदि गिनती के चिह्न बने होने चाहिए, इसके बाट पत्थर के और इसका आकार मोर के पैरो जैसा होना चाहिए ।

( ३ ) एक प्रस्थ चणवली को पकाने के लिए पञ्चोस पल लकड़ी पर्याप्त है । इसी हिसाब से कम ज्यादा लकड़ी का उपयोग करना चाहिए ।

( ४ ) यहाँ तक सोलह प्रकार की तुलाएँ और चौदह प्रकार के बाटो का निरूपण किया गया है ।

( ५ ) इसके आगे द्रोण, आढक आदि मापने के साधनो का निरूपण किया जाता है —दो-सौ पल धान्यमाप परिमाण का एक आयमान द्रोण ( राजकीय आय को मापने योग्य ) होता है । एक-सौ साढे सत्तासी पल का एक व्यावहारिक ( सर्वसामान्य के उपयोगी ) द्रोण होता है । एक-सौ पचहत्तर पल का एक भाजनीय द्रोण ( भृत्योपयोगी ) होता है, और एक सौ साढे-बासठ पल का अन्त पुरभाजनीय द्रोण ( अन्त पुर के उपयोगी ) कहा जाता है, अर्थात् ,

२०० पल धान्यमापक	=	१ आयमानद्रोण
१८७½ पल "	=	१ व्यावहारिकद्रोण
१७५ पल "	=	१ भाजनीयद्रोण
१६२ ¾ पल "	=	१ अन्त पुरभाजनीय द्रोण



(१) तेषामाढकप्रस्थकुडवाश्चतुर्भागवराः ।

(२) षोडशद्रोणा खारी, विंशतिद्रोणिकः कुम्भः, कुम्भदंशभिवंहः ।

(३) शुष्कसारदारुभयं समं चतुर्भागशिखं मानं कारयेत् । अन्तः-  
शिखं वा । रसस्य तु ।

(४) सुरायाः पुष्पफलयोः तुपाङ्गाराणां सुधायाश्च शिखामानं द्विगु-  
णोत्तरा वृद्धिः ।

(५) सपादपणो द्रोणमूल्यम् । आढकस्य पादोनः । पणमापकाः  
प्रस्थस्य । मापकः कुडवस्य ।

(६) द्विगुणं रसादीना मानमूल्यम् ।

(७) विंशतिपणा. प्रतिमानस्य । तुलामूल्यं त्रिभागः ।

( १ ) द्रोण का चौथाई आढक, आढक का चौथाई प्रस्थ और प्रस्थ का चौथाई कुडव होता है ।

( २ ) सोलह द्रोण की एक खारी, बीस द्रोण का एक कुम्भ और दस कुम्भ परिमाण का एक वह होता है, यथा

१६ द्रोण = १ खारी

२० द्रोण } = १ कुम्भ  
१२ खारी }

१० कुम्भ = १ वह

( ३ ) अनाज मापने के लिए बढिया मूली लकड़ी का ऐसा मान बनवाया जाय, कि जितना अनाज उसमें समा सके, उसका चतुर्थांश उसकी गर्दन में आ जाय, अथवा गर्दन बनाकर ऊपर से नीचे तक उसकी एक अंसी बनावट रहे, उसका मुँह खुला रहना चाहिए । घी तेल मापने के लिए भी ऐसा ही मान बनवाया जाय ।

( ४ ) शराब, पन, फूल, भूसी, कोयला, और चूना-बलई, इन छह पदार्थों को मापने के लिए जो बर्तन बनवाया जाय उसके ऊपर का हिस्सा, नीचे के हिस्से से दुगुना चौड़ा होना चाहिए और उस पर गर्दन भी बनी होनी चाहिए ।

( ५ ) लकड़ी के बने एक द्रोण परिमाण बर्तन का मूल्य सवा पण होना चाहिए । इसी प्रकार एक आढक परिमाण के बर्तन की कीमत पौन पण, एक प्रस्थ के बर्तन की छह मापक और एक कुडव परिमाण वाले बर्तन की कीमत एक मापक होती चाहिए ।

( ६ ) घी-तेल आदि द्रव पदार्थों को मापने वाले बर्तनों की कीमत अनाज मापने वाले बर्तनों से दुगुनी होनी चाहिए ।

( ७ ) चौदह प्रकार के सम्पूर्ण बाटो की कीमत बीस पण और सम्पूर्ण तुलाओं की कीमत उसके तिहाई अर्थात् ६३ पण होती है ।

( १ ) चातुर्मासिकं प्रातिवेधनिकं कारयेत् । अप्रतिविद्वस्यात्ययः सपादः सप्तविंशतिपणः । प्रातिवेधनिकं काकणिकमहरहः पौतवाध्यक्षाय दद्युः ।

( २ ) द्वात्रिंशद्भागस्तप्तव्याजी सर्पिषश्चतुःषष्टिभागस्तैलस्य । पञ्चाशद्भागो मानस्त्रावो द्रवाणाम् ।

( ३ ) कुडवाधंचतुरष्टभागानि मानानि कारयेत् ।

( ४ ) कुडवाश्चतुराशीतिवारिकः सर्पिषो मतः ।

चतुःषष्टिस्तु तैलस्य पादश्च दटिकानयोः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे तुलामानपौतव नामैकोनविंशोऽध्यायः,  
आदित एकोनचत्वारिंश ।

— ० —

( १ ) पौतवाध्यक्ष को चाहिए कि हर चौथे मास वह तुला, बाट, द्रोण आदि का निरीक्षण करे । जो व्यापारी निर्धारित समय पर जाँच न करवावे उसे सवा सत्ताईस पण जुर्माना देना चाहिए । व्यापारियों को चाहिए कि वे एक काकणी प्रति-दिन के हिसाब से चार मास की एक-सौ बीस काकणी निरीक्षण कर के रूप में पौतवाध्यक्ष को दें ।

( २ ) यदि गरम धी खरीदा जाय तो उसका बत्तीसवाँ हिस्सा और तेल खरीदा जाय तो उसका चौसठवाँ हिस्सा छीजन के रूप में अधिक ( व्याजी ) लेना चाहिए । द्रव पदार्थों में पाँचवाँ हिस्सा छीजन होती है ।

( ३ ) छोटी तौल के लिए एक कुडव, आधा कुडव, चौथाई कुडव तथा आठवाँ हिस्सा कुडव, ये चार प्रकार के बाट और माप बनवाने चाहिए ।

( ४ ) धी तोलने के लिए चौरासी कुडव परिमाण का एक वारक और तेल तोलने के लिए चौसठ कुडव का एक वारक माना गया है । इक्कीस कुडव की एक घृतघटिका और सोलह कुडव की एक तैलघटिका होती है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तुलामानपौतव नामक  
उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

- (१) मानाध्यक्षो देशकालमानं विद्यात् ।  
 (२) अष्टौ परमाणवो रथचक्रविप्रुट् । ता अष्टौ लिखा । ता अष्टौ यूकामध्यः । ते अष्टौ यवमध्यः । अष्टौ यवमध्याः अङ्गुलम् ।  
 (३) मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमया अङ्गुल्या मध्यप्रकर्षो वाङ्गुलम् ।  
 (४) चतुरङ्गुलो धनुर्ग्रहः । अष्टाङ्गुला धनुर्मुष्टिः ।  
 (५) द्वादशाङ्गुला वितस्तिः, छायापौरुषं च । चतुर्दशाङ्गुलं शमः शलः परिरयः पदं च । द्विवितस्तिररत्निः प्राजापत्यो हस्तः ।  
 (६) सधनुर्ग्रहः पौतवविवीतमानम् । सधनुर्मुष्टिः किष्कुः कंसो वा ।

### देश और काल का मान

( १ ) पौतवाध्यक्ष को चाहिए कि वह देश और काल का मान भी अच्छी तरह से जान ले । उसकी जानकारी के सूत्र इस प्रकार हैं :

- ( २ ) ८ परमाणु = १ धूलकण  
 ८ धूलकण = १ लिखा  
 ८ लिखा = १ यूकामध्य  
 ८ यूकामध्य = १ यवमध्य  
 ८ यवमध्य = १ अंगुल

( ३ ) अथवा मध्यम कोटि के पुरुष की मध्यमा की मोटाई का माप एक अंगुल बराबर होता है ।

- ( ४ ) ४ अंगुल = १ धनुर्ग्रह  
 ८ अंगुल } = १ धनुर्मुष्टि  
 २ धनुर्ग्रह }  
 ( ५ ) १२ अंगुल } = १ वितस्ति या १ छायापुरुष  
 ३ धनुर्ग्रह }  
 १३ धनुर्मुष्टि }  
 १४ अंगुल = १ शम, शल परिरय या पद ( पैर )  
 २ वितस्ति = १ अरत्नि, प्राजापत्य हाथ  
 ( ६ ) २८ अङ्गुल = १ हाथ ( विवित और पौतव मापने के लिये )  
 ३२ अङ्गुल = १ किष्कु या कंस

(१) द्विचत्वारिंशदङ्गुलस्तक्ष्णः फ्राकचिककिष्कुः स्कन्धावारदुर्ग-  
राजपरिग्रहमानम् । चतुःपञ्चाशदङ्गुलः कुप्यवनहस्तः ।

(२) चतुरशीत्यङ्गुलो व्यामो रज्जुमानं खातपौरुषं च ।

(३) चतुररत्निदण्डो धनुर्नालिका पौरुषं च ।

(४) गार्हपत्यमष्टशताङ्गुलं धनुः पथिप्रकारमानम् । पौरुषं च  
अग्निचित्यानाम् ।

(५) षट्कंसो दण्डो ब्रह्मदेयातिथ्यमानम् । दशदण्डा रज्जुः ।  
द्विरज्जुकः परिदेशः । त्रिरज्जुकं निवर्तनम् ।

(६) एकतो द्विदण्डाधिको बाहुः द्विधनुःसहस्रं गोरुतम् । चतुर्गोस्तं  
योजनम् । इति देशमानम् ।

(७) कालमानमत ऊर्ध्वम् । तुटो लवो निमेषः काष्ठा कला नालिका

( १ ) ४२ अङ्गुल = १ हाथ ( छावनी आदि में बढ़ई के उपयोगार्थ )  
३२ अङ्गुल = १ किष्कु या कस ( छावनी आदि में लकड़ी चीरने  
के लिये )

५४ अङ्गुल = १ हाथ ( जगली लकड़ी और यदार्य नापने के लिये )

( २ ) ८४ अङ्गुल = १ हाथ ( रस्सी, खाई और कुर्मा नापने के लिए )

( ३ ) ४ अरत्नि = १ दण्ड, धनु, नालिका, पौरुष

( ४ ) १०८ अङ्गुल = १ गार्हपत्यधनु ( विश्वकर्मा द्वारा निश्चित, सड़क,  
किला एवं परकोटा नापने के लिए )

१०८ अङ्गुल = १ पौरुष ( यज्ञसम्बन्धी कार्यों के लिए )

( ५ ) ६ कस } = १ दण्ड ( ब्राह्मण आदि को भूमिदान देने के लिए )  
८ हाथ }

१० दण्ड } = १ रज्जु  
४ अरत्नि }

२ रज्जु = १ परिदेश

३ रज्जु } = १ निवर्तन  
१३ परिदेश }

{ ६ } ३० + ३२ दण्ड = १ बाहु ( मूरा हाथ )

६६३ निवर्तन } = १ गोरुत ( १ कोश )  
२००० धनु }

४ गोरुत = १ योजन

यहाँ तक देश-मान का निरूपण किया गया है ।

( ७ ) इसके बाद काल-मान का निरूपण किया जाता है । तुट, लव, निमेष,

मुहूर्तः पूर्वापरभागौ दिवसो रात्रिः पक्षो मास ऋतुरयनं संवत्सरो युग-  
मिति कालाः ।

(१) निमेषचतुर्भागस्तुटः ।

(२) द्वौ तुटौ लवः ।

(३) द्वौ लवौ निमेषः ।

(४) पञ्च निमेषाः काष्ठाः ।

(५) त्रिंशत् काष्ठाः कला ।

(६) चत्वारिंशत् कला नाडिका ।

(७) सुवर्णमापकाश्चत्वारश्चतुरंगुलायामाः कुम्भच्छिद्रकाढकमम्भसो  
वा नालिका ।

(८) द्विनालिको मुहूर्तः । पञ्चदशमुहूर्तौ दिवसो रात्रिश्च चंत्रे  
मास्याश्वपुजे च मासि भवतः । ततः परं त्रिभिर्मुहूर्ते रन्यतरः पञ्चमासं वर्धते  
ह्यसते चेति ।

(९) छायायामष्टपौरुष्यामष्टादशभागच्छेदः, षट्पौरुष्यां चतुर्दश-

काष्ठा, कला, नालिका, मुहूर्त, पूर्वाह्न, अपराह्न, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन,  
संवत्सर और युग, काल के ये सत्रह विभाग हैं ।

( १ ) निमेष = पलक मारने तक का समय, तुटि = निमेष वा चौथा हिस्सा

( २ ) २ तुटि = १ लव

( ३ ) २ लव = १ निमेष

( ४ ) ५ निमेष = १ काष्ठा

( ५ ) ३० काष्ठा = १ कला

( ६ ) ४० कला = १ नालिका

( ७ ) अथवा एक घटे में चार सुवर्णमापक के बराबर चौड़ा और चार अंगुल लम्बा छेद बनाकर इतने ही परिमाण की एक नली घटे में लगा दी जाय, उस घटे में एक आड़क जल भर दिया जाय । वह जल उस नली के द्वारा जितने समय में बाहर निकले, उतने समय को नालिका कहते हैं ।

५ नालिका = १ मुहूर्त

१५ मुहूर्त = १ दिन या १ रात

( ८ ) इस मान के दिन और रात केवल चंद्र तथा आश्विन मास में होते हैं । इसके बाद छह मास तक दिन बढ़ता और रात्रि घटती है, दूसरे छह महीने तक रात्रि बढ़ती है और दिन घटता रहता है ।

( ९ ) जब घूपघड़ी की छाया ९६ अङ्गुल लम्बी हो तो दिन का अठारहवाँ भाग समाप्त हुआ समझना चाहिए, ७२ अङ्गुल छाया रहने पर दिन का चौदहवाँ भाग,

भागः, चतुष्पौष्ट्यामष्टभागः, द्विपौष्ट्यां षड्भागः, पौष्ट्यां चतुर्भागः, अष्टाङ्गुलायां त्रयोदशभागाः, चतुरङ्गुलायाम् अष्टभागाः, अच्छायो मध्याह्न इति ।

( १ ) परावृत्ते दिवसे शेषमेव विद्यात् ।

( २ ) आपाढे मासि नष्टच्छायो मध्याह्नो भवति । अतः परं श्रावणादीनां षण्मासानां द्व्यङ्गुलोत्तरा माघादीनां द्व्यङ्गुलावरा छाया इति ।

( ३ ) पञ्चदशहोरात्राः पक्षः । सोमाप्यायनः शुक्लः सोमावच्छेदनो बहुलः ।

( ४ ) द्विपक्षो मासः । त्रिंशदहोरात्रः प्रकर्ममासः । सार्धः सौरः । अर्धन्यूनश्रान्द्रमासः । सप्तविंशतिर्नक्षत्रमासः । द्वात्रिंशद् मलमासः । पञ्चत्रिंशदशववाहायाः । चत्वारिंशद्विंशतिवाहायाः ।

( ५ ) द्वौ मासावृतुः । श्रावणः प्रोष्ठपदश्च वर्षाः । आश्वयुजः कार्तिकश्च

४८ अङ्गुल लम्बी रहने पर आठवाँ हिस्सा, २४ अङ्गुल लम्बी रहने पर छठा हिस्सा, १२ अङ्गुल लम्बी रहने पर चौथा हिस्सा, ८ अङ्गुल लम्बी रहने पर दिन के दस भागों में तीसरा हिस्सा, चार अङ्गुल लम्बी रह जाने पर आठ भागों में तीसरा हिस्सा और जब छाया बिल्कुल न रहे तो मध्याह्न समझना चाहिए ।

( १ ) मध्याह्न अर्थात् बारह बजे के बाद उक्त छाया-मान के अनुसार दिन का शेष भाग समझना चाहिए ।

( २ ) आपाढ के महीने की दोपहरी ( मध्याह्न ) छायारहित होती है । श्रावण से पौष तक मध्यराह में दो अङ्गुल छाया अधिक रहती है, और फिर माघ से ज्येष्ठ तक दो अङ्गुल कम हो जाती है ।

( ३ ) पन्द्रह दिन-रात का एक पक्ष होता है । जिस पक्ष में चन्द्रमा बढता रहता है उसे शुक्लपक्ष और जिस पक्ष में चन्द्रमा घटता है उसे कृष्ण ( बहुल ) पक्ष कहते हैं ।

( ४ ) दो पक्ष का एक महीना होता है । बेतन देने के लिए तीस दिन-रात का एक महीना माना जाता है । साढे तीस दिन-रात का एक सौर मास होता है । साढे उनतीस दिन-रात का एक चान्द्रमास होता है । सत्ताईस दिन-रात का एक नक्षत्र-मास होता है । बत्तीस दिन-रात का एक मलीमास होता है । पैंतीस दिन रात का महीना घोड़ों के सईसों को बेतन देने के उपयोग में लाया जाता है । हाथियों की सेवा में नियुक्ति कर्मचारियों का एक महीना, चात्तीस दिन-रात का होता है ।

( ५ ) दो मास की एक ऋतु होती है । श्रावण-भादों में वर्षा ऋतु होती है । आश्विन-कार्तिक में शरद ऋतु होती है । मार्गशीर्ष-पौष में हेमन्त ऋतु होती है ।

शरत् । मार्गशीर्षः पौषश्च हेमन्तः । माघः फाल्गुनश्च शिशिरः । चैत्रो  
वैशाखश्च वसन्तः । ज्येष्ठामूलौष आषाढश्च ग्रीष्मः ।

(१) शिशिराद्युत्तरायणम् । वर्षादि दक्षिणायनम् ।

(२) द्व्ययनः संवत्सरः । पञ्चसंवत्सरो युगमिति ।

(३) दिवसस्य हरत्यर्कः षष्टिभागमृतौ ततः ।

करोत्येकमहश्छेदं तर्षवकं च चन्द्रमाः ॥

एवमर्धतृतीयानामध्वानामधिमासकम् ।

ग्रीष्मे जनयतः पूर्वं पञ्चाब्दान्ते च पश्चिमम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे देशकालमानं नाम विशोऽध्याय ,  
आदितश्चत्वारिंशः ।

— . ० : —

माघ-फाल्गुल मे शिशिर ऋतु होती है । चैत्र-वैशाख मे वसन्त ऋतु होती है । ज्येष्ठ-  
आषाढ मे ग्रीष्म ऋतु होती है ।

( १ ) शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म उत्तरायण और वर्षा, शरद् तथा हेमन्त  
दक्षिणायन कहलाते हैं ।

( २ ) उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों का एक संवत्सर होता है । पाँच  
संवत्सरो का एक युग होता है ।

( ३ ) प्रतिदिन सूर्य एक घटिका छेद करता है, इस क्रम से वह एक वर्ष में छह  
दिन, दो वर्ष में बारह दिन और ढाई वर्ष में पन्द्रह दिन अधिक बना लेता है । इसी  
प्रकार चन्द्र भी प्रत्येक ऋतु में एक-एक दिन कम करता जाता है, जिससे ढाई वर्ष  
में पन्द्रह दिन कम हो जाते हैं । इस दृष्टि से सूर्य और चन्द्रमा की गति के अनुसार  
एक महीने की कमी वेशी हो जाती है । इस गणना के अनुपात से प्रति ढाई वर्ष  
बाद ग्रीष्म ऋतु में प्रथम मलिमास और प्रति पाँच वर्ष के बाद हेमन्त ऋतु में दूसरा  
मलिमास, सूर्य तथा चन्द्रमा बनाते हैं । यही मलिमास अधिकमास कहलाता है, जो  
ढाई वर्ष में एक महीने के अन्तर को पूरा कर देता है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में दशकालमान नामक  
बीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— : ० ' —

- (१) शुल्काध्यक्षः शुल्कशालां ध्वजं च प्राङ्मुखम् उदङ्मुखं वा महाद्वाराभ्यांशे निवेशयेत् ।
- (२) शुल्कादायिनश्चत्वारः पञ्च वा सार्थोपयातान् घणितो लिखेयुः—के कुतस्त्याः कियत्पण्याः क्व चामिज्ञानमुद्रा वा कृतेति ।
- (३) अमुद्राणामत्ययो देयद्विगुणः ।
- (४) कूटमुद्राणां शुल्काष्टगुणो दण्डः ।
- (५) भिन्नमुद्राणामत्ययो घटिकाः स्थाने स्थानम् ।
- (६) राजमुद्रापरिवर्तने नामकृते सपादपणिकं बहनं वापयेत् ।
- (७) ध्वजमूलोपस्थितस्य प्रमाणमर्घं च वैदेहकाः पण्यस्य ब्रूयुः—एतत्प्रमाणेनार्घेण पण्यमिदं कः क्रेतेति । त्रिरुद्योपितमर्थिभ्यो दद्यात् । क्रेतृसंघर्षे मूल्यवृद्धिः । सशुल्का कोशं गच्छेत् ।

### शुल्क का अध्यक्ष

- ( १ ) शुल्क का अध्यक्ष शुल्कशाला ( चुगीघर ) का निर्माण करवावे, उसके पूर्व तथा उत्तर की ओर, प्रधान द्वार के पास, शुल्कशाला को पहिचान के लिए एक पताका लगवा दे ।
- ( २ ) शुल्कशाला में चार-पाँच कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो माल को लाने ले जाने वाले व्यापारियों का नाम, उनकी जाति, उनका निवास स्थान, माल का विवरण और उस पर कहाँ-कहाँ की मुहर लगी है, इसका विवरण लिखें ।
- ( ३ ) जिन व्यापारियों के माल पर मुहर न लगी हो, उनको जितनी चुगी ( शुल्क ) देनी चाहिए, उन पर उसका दुगुना जुर्माना किया जाय ।
- ( ४ ) जिन व्यापारियों ने अपने माल पर नकली मुहर लगाई है उन पर चुगी का आठ गुना जुर्माना ठोकना चाहिए ।
- ( ५ ) जो व्यापारी मुहर लगाकर उसको मिटा दे, उन्हें तीन घड़ी तक ( ढाई घड़ी का एक घटा ) ऐसे स्थान पर बैठाया जाय, जहाँ पर कि आने-जाने वाले सभी व्यापारी उनके अपराध को जान सकें ।
- ( ६ ) माल का नाम बदलने वाले व्यापारी पर सवापण दण्ड करना चाहिए ।
- ( ७ ) शुल्कशाला की ध्वजा के नीचे एकत्र होकर व्यापारी लोग अपने माल का नाम, उसकी कीमत और उसका वजन आदि की बोली बोलें । तीन बार आवाज



(१) शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्य वा हीनं श्रुवतस्तदतिरिक्तं राजा हरेत् । शुल्कमष्टगुण वा दद्यात् ।

(२) तदेव निविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्घापक्यंणे सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुर्यात् ।

(३) प्रतिश्रेतृभयाद्वा पण्यमूल्यादुपरि मूल्य वर्धयतो मूल्यवृद्धिं राजा हरेत् । द्विगुण वा शुल्क कुर्यात् ।

(४) तदेवाष्टगुणमध्यक्षस्य छादयतः ।

(५) तस्माद्विक्रयः पण्याना द्यूतो मितो गणितो वा कार्यः । तर्कः फल्गुभाण्डानामानुप्राहिकाणा च ।

(६) ध्वजमूलमतिक्रान्ताना चाकृतशुल्काना शुल्कादष्टगुणो दण्डः । पयिकोत्पयिकास्तद्विद्युः ।

लगाने पर जो भी खरीद दे, उस माल दे देना चाहिए, यदि खरीदने वालों में होड़ लग जाय तो माल का मूल्य बढ़ा कर बोली बोली जाय और निर्धारित आमदनी से अधिक मूल्य एव उसकी चुन्नी राजकीय कोष में जमा कर दी जाय ।

( १ ) अधिक चुगी देने के डर से जो व्यापारी अपने माल और उसके मूल्य को कम करके बताये, उस अनिश्चित माल को राजा ले ले, अथवा व्यापारी से आठ गुना शुल्क वसूल किया जाय ।

( २ ) यही दण्ड उस व्यापारी को भी देना चाहिए जो कि बढ़िया माल की जगह, उसी प्रकार की दूसरी पेटो आदि में घटिया माल रख कर उसका मूल्य कम कर दे अथवा जो व्यापारी नीचे के हिस्से में अच्छा माल भर कर ऊपर से सस्ता माल भर दे और उसी के अनुसार चुगी दे ।

( ३ ) प्रतिद्वन्द्विता के कारण जो ग्राहक किसी चीज का मूल्य बढ़ा दे, उस बढ़े हुए मूल्य को राजा ले ले अथवा उस मूल्य बढ़ाने वाले खरीददार से दुगुनी चुंगी वसूल कर ली जाय ।

( ४ ) मित्रता या रिश्ते के कारण यदि अध्यक्ष किसी अपराधी व्यापारी को माफ कर दे तो अपराध के अनुरात से आठगुना दण्ड अध्यक्ष को दिया जाय ।

( ५ ) इसलिए माल की वज्री तौल कर अथवा गिन कर भली भाँति करनी चाहिए, जिससे छल-कपट न हो सके । कोयला, नमक आदि कम चुगी वाली वस्तुओं पर अन्दाज से ही कर लेना चाहिए, उन्हें तौलने की आवश्यकता नहीं है ।

( ६ ) जो व्यापारी छिपकर या किसी छल से चुगी दिए बिना ही चुगीपर को लॉभ कर चले जाय उन्हें नियत शुल्क से आठ गुना अधिक शुल्क देना चाहिए । अतली रास्ता छोड़ कर झर-उधर से निकल जाने वाले लकड़हारे और ग्वाले आदि पर भी निगरानी रखनी चाहिए ।

(१) वैवाहिकमन्वायनमौपायनिकं यज्ञकृत्यप्रसवर्नमित्तिकं देवेज्या-  
चौलोपनयनगोदानव्रतदक्षिणादिषु क्रियाविशेषेषु भाण्डमुच्छुल्कं गच्छेत् ।

(२) अन्यथावादिनः स्तेयदण्डः ।

(३) कृतशुल्केनाकृतशुल्कं निर्वाहयतो द्वितीयमेकमुद्रया भिस्त्वा  
पण्यपुटमपहरती वैदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः ।

(४) शुल्कस्थानाद्गोमयपलालं प्रमाणं कृत्वा अपहरत उत्तमः  
साहसदण्डः ।

(५) शस्त्रवर्मकवचलोहरधरत्नधान्यपशूनामन्यतमानिर्वाह्यं निर्वाह-  
यतो यथावधुपितो दण्डः पण्यनाशश्च ।

(६) तेषामन्यतमस्थानयने बहिरेवोच्छुल्को विक्रयः ।

(७) अन्तपालः सपादपणिकां वर्तनीं गृह्णीयात् पण्यवहनस्य, पणिका-  
मेकमुखरस्य, पशूनामर्धपणिकां, क्षुद्रपशूना पादिकाम्, असभारस्य मापि-  
काम् । नष्टापहतं च प्रतिविदध्यात् ।

( १ ) विवाहसबधी, विवाह मे प्रात, सदावर्त या क्षेत्रो के दिये दिया गया दान, यज्ञकर्म एव जन्मोत्सव के लिए भेजा हुआ देवपूजा, मुडन, जनेऊ, गोदान और व्रत आदि धार्मिक कार्यों से संबद्ध माल पर चुंगी न ली जानी चाहिए ।

( २ ) किन्तु चुंगी के भय से जो व्यक्ति अपने माल का संबंध उक्त कार्यों से बताये तो उसे चोरी का दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) यदि कोई व्यापारी चुंगी दिए माल के साथ बिना चुंगी दिए माल को निकाल ले जाय या इसी प्रकार बिना मुहर लगे माल को निकाल ले जाय, अथवा चुंगी दिए माल में बिना चुंगी का माल मिला दे, उस व्यापारी का वह बिना चुङ्गी का माल जब्त कर लिया जाय और उस पर उतना ही दण्ड निर्धारित किया जाय ।

( ४ ) जो व्यापारी चुङ्गी देने के भय से अपने अच्छे माल को घटिया बताकर घोड़े से निकाल ले जाने की चेष्टा करे, उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( ५ ) शस्त्र, कवच, लोहा, रथ, रत्न, अन्न और पशु आदि किसी भी प्रतिबन्ध लगी वस्तु को लाने-ले जाने वाले व्यापारी को पूर्व निर्धारित दण्ड दिया जाय और उसकी उस वस्तु को जब्त कर लिया जाय ।

( ६ ) इनमें से कोई वस्तु यदि बाहर लायी जाये तो वह बिना चुङ्गी दिये भी नगर-सीमाओं के बाहर बेची जा सकती है ।

( ७ ) सीमा रक्षक अन्तपाल को चाहिए कि वह माल ढोने वाली प्रति गाडी से मार्गरक्षा-कर ( वर्तनी ) के रूप में १३ पण कर वसूल करे । घोड़े, खच्चर, गधे आदि एक खुर वाले पशुओं की गाडी पर एक पण, बैल आदि पशुओं पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि छोटे पशुओं पर चौथाई पण और कधे पर भार ढोने वाले व्यक्तियों पर एक माप ( तावे का सिक्का ) कर लेना चाहिए । यदि किसी व्यापारी की कोई

(१) वंदेश्यं सार्यं कृतसारफल्गुभाण्डविचयनमभिज्ञानं मुद्रां च दत्त्वा प्रेषयेदध्यक्षस्य ।

(२) वंदेहकव्यञ्जनो वा सार्यप्रमाणं राज्ञः प्रेषयेत् । तेन प्रदेशेन राजा शुल्काध्यक्षस्य सार्यप्रमाणमुपदिशेत्सर्वज्ञत्वव्यापनार्थम् । ततः सार्य-मध्यक्षोऽभिगम्य ब्रूयात्—'इदममुष्यामुष्य च सारभाण्डं च निगूहत्वव्ययम्, एष राज्ञः प्रभावः' इति ।

(३) निगूहतः फल्गुभाण्डं शुल्काष्टगुणो दण्ड, सारभाण्डं सर्वापहारः ।

(४) राष्ट्रपोडाकरं भाण्डमुच्छिन्द्यादफलं च यत् ।

महोपकारमुच्छुल्कं कुर्याद्वीजं तु दुर्लभम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शुल्काध्यक्षो नाम एकविंशोऽध्यायः,  
आदित एकचत्वारिंशः ।

— ० :—

वस्तु गुप्त हो गई हो या चोरी गई हो तो अन्तपाल उसका पता लगावे । नष्ट हुई वस्तु मिल जाय तो दे दे, अन्यथा अपने ही पास रख दे ।

( १ ) अन्तपाल को चाहिए कि वह विदेशी व्यापारियों के माल की मली-भांति जाँच कर उस पर मुहर लगाये और रमणा काटकर उन्हें चुड़ड़ी के अध्यक्ष ( शुल्काध्यक्ष ) के पास भेज दे ।

( २ ) उन विदेशी व्यापारियों के साथ गुप्त व्यापारी का भेष धारण किये राजा का खुफिया व्यापारियों के सम्बन्ध की सारी सूचनाएँ पहिले ही राजा तक पहुँचा दे । इस सूचना को तथा व्यापारियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी राजा, शुल्काध्यक्ष के पास भेज दे, जिससे कि राजा की जानकारी पर विश्वास किया जा सके और राजा की बात की विश्वासपूर्वक कहा जा सके । तदनुसार शुल्काध्यक्ष व्यापारियों से कहे 'आप लोगो में से अमुक-अमुक व्यापारी के पास इतना घटिया और इतना बढ़िया माल है, आप लोगो को कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए । देखिये, राजा का इतना प्रभाव है कि उससे कोई बात छिपी नहीं रह सकती है ।'

( ३ ) जो व्यापारी घटिया माल को छिपाने का यत्न करे, उस पर चुड़ड़ी से आठ गुना जुर्माना और जो बढ़िया माल को छिपाये उसका सारा माल जन्त कर लेना चाहिए ।

( ४ ) राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाले विष या फल आदि माल को राजा नष्ट कर दे और यदि प्रजा का उपकार करने वाला तथा कठिनाई से प्राप्त होने वाला धान्य आदि माल हो तो उस पर चुड़ड़ी न लगाई जाय, जिससे उस माल का अपने देश में अधिक आयात हो ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० :—

(१) शुल्कव्यवहारो बाह्यमाभ्यन्तरं चातिथ्यम्; निष्क्राम्यं, प्रवेश्यं च शुल्कम् ।

(२) प्रवेश्यानां मूल्यपञ्चभागः ।

(३) पुष्पफलशाकमूलकन्दवल्लिव्यबीजशुष्कमत्स्यमांसानां षड्भागं गृह्णीयात् ।

(४) शंखवज्रमणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुषैः कारयेत्, कृत-कर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः ।

(५) क्षौमदुकूलक्रिमितानकङ्कटहरितालमनःशिलाहिङ्गुलुकलोहवर्ण-धातूनां चन्दनागुल्कटुककिण्वावराणां सुरादन्ताजिनक्षौमदुकूलनिकरास्तरणप्रावरणक्रिमिजातानामजलकस्य च दशभागः, पञ्चदशभागो वा ।

### करवसूली के नियम

( १ ) शुल्कव्यवहार ( उपयुक्त कर-वसूली ) के तीन प्रकार हैं . १ बाह्य ( अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं की चुङ्गी ), २ आभ्यन्तर ( राजमहल तथा राज-घरानों के भीतर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की चुङ्गी ) और ३. आतिथ्य ( विदेश से आने वाले माल की चुङ्गी ) । इनके दो भाग हैं १ निष्क्राम्य और २ प्रवेश्य । बाहर जाने वाले माल पर लगाई गई चुङ्गी को निष्क्राम्य और बाहर से आने वाले माल पर लगाई चुङ्गी को प्रवेश्य कहते हैं ।

( २ ) आयात माल पर सामान्यतः उसकी लागत का पाँचवाँ हिस्सा चुङ्गी ली जानी चाहिए ।

( ३ ) फूल, फल, साग, गाजर, मूल, शकरकन्द, घान्य, सूखी मछली और मांस, इन वस्तुओं पर उनकी लागत का छठा हिस्सा चुङ्गी लेनी चाहिए ।

( ४ ) शंख, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रवाल और हार, इन मूल्यवान् वस्तुओं की चुङ्गी उनके विशेषज्ञों, पारखियों अथवा विशिष्ट रूप से नियत समय के लिए नियत वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित करनी चाहिए ।

( ५ ) मोटे तथा महीन रेशमी कपड़ों, कीमत्ताब, सूती कवच, हरताल, मँत-सिल, हिङ्गुल, लोहा, गेरू, चन्दन, अगर पीपल, ( कटुक ), मादक बीजों से निकाला

(१) वस्त्रचतुष्पदद्विपदसूत्रकार्पासगन्धभंज्यकाष्ठवैणुबल्कचर्ममृद्भाण्डाना धान्यस्नेहक्षारलवणमद्यपक्वात्रादीनां च विशतिभागः पञ्चविंशति-भागो वा ।

(२) द्वारादेय शूलकपञ्चभागः आनुप्राहिकं वा यथादेशोपकारं स्थापयेत् ।

(३) जातिभूमिषु च पण्यानामविक्रयः ।

(४) खनिभ्यो धातुपण्यादाने षट्छतमत्ययः ।

(५) पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।

(६) वण्डेभ्यः शाकमूलकन्दादाने पादोनं द्विपञ्चाशत्पणः ।

(७) क्षेत्रेभ्यः सर्वसस्यादाने त्रिपञ्चाशत्पणः, पणोऽध्वर्घपणश्च सीतात्ययः ।

गया द्रव्य, शराब, हायदान, मृगचर्म, रेशमी तागे, विछौना, ओदना, अन्य रेशमी वस्त्र और दकरी तथा भेड की ऊन के बने कपड़ों आदि पर उनके मूल्य का पन्द्रहवाँ हिस्सा चुङ्गी ली जानी चाहिए ।

( १ ) मामूली मूती कपड़ों, चौपायों, दुपायों, मून, कपास, दवाई, लकड़ी, बाँस, छाल, वैल आदि का चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, अनाज, धी, तेल, खारा नमक, शराब और पके हुए अनाजों पर उनकी कीमत का बीसवाँ या पच्चीसवाँ भाग चुङ्गी लेनी चाहिए ।

( २ ) द्वारपाल को चाहिए कि वह, नगर के प्रधान द्वार से प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर, उनके नियत कर का पाँचवाँ हिस्सा टैक्स वसूल करे । हर प्रकार का कर इस ढंग से नियत करना चाहिए, जिससे देश का उपकार हो ।

( ३ ) जिन प्रदेशों में जो चीजें पैदा होती हैं वहीं उनको बेचना नहीं चाहिए ।

( ४ ) खानों में तैयार किया हुआ कच्चा माल खरीदने-बेचने वालों को ६०० पण दण्ड देना चाहिए ।

( ५ ) फूल-फल के बगीचों में ही फूल-फल खरीदने-बेचने वालों को ५४ पण दण्ड देना चाहिए ।

( ६ ) साक-भाजी के खेतों में ही साक, भाजी, तथा कन्द-मूल खरीदने-बेचने वालों को ५२ ३/४ पण दण्ड देना चाहिए ।

( ७ ) इसी प्रकार अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने वालों को ५३ पण दण्ड देना चाहिए और अनाज को खेत से ही खरीदने-बेचने वालों को क्रमशः एक पण तथा षेड पण दण्ड देना चाहिए ।

(१) अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः ।  
पण्यानां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शुल्कव्यवहारो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ,  
आदितो द्विचत्वारिंशः ।

— ० —

---

( १ ) इसलिए राजा को चाहिए कि वह देश, जाति तथा आचार के अनुसार नये एव पुराने हर पदार्थों पर कर की व्यवस्था करे, और उनमें जहाँ से नुकसान की सम्भावना हो, उसके लिए उचित दण्ड की व्यवस्था भी करे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में शुल्कव्यवहार नामक  
बाइसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

- (१) सूत्राध्यक्षः सूत्रवर्मवस्त्ररज्जुव्यवहारं तज्जातपुर्यः कारयेत् ।  
 (२) ऊर्णावल्ककार्पासतूलशणक्षौमाणि च विधवान्यङ्गाकन्याप्रव-  
 जितादण्डाप्रतिकारिणीभौ रूपाजोवामातृकाभिवृद्धराजदासोभिव्युपरतोप-  
 स्थानदेवदासोभिश्च कर्तयेत् ।  
 (३) श्लक्ष्णस्यूलमध्यतां च सूत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत् । बहु-  
 ल्पतां च । सूत्रप्रमाणं ज्ञात्वा तंलामलकोद्धतंनरेता अनुगृह्णीयात् ।  
 (४) तिथिषु प्रतिपादनमानंश्च कर्म कारयितव्याः । सूत्रह्लासे वेतन-  
 ह्लासो द्रव्यसारात् ।  
 (५) कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः कारुभिश्च कर्म कारयेत्,  
 प्रतिसंसर्गं च गच्छेत् ।

### सूत-व्यवसाय का अध्यक्ष

- ( १ ) सूत व्यवसाय के अध्यक्ष ( सूत्राध्यक्ष ) को चाहिए कि वह सूत, कवच, कपडा और रस्ती आदि के कातने, बुनने तथा बटने वाले निपुण कारीगरो से उनके इन कार्यों की जानकारी प्राप्त करे ।  
 ( २ ) ऊन, बल्क, कपास, सँमल, सन और जूट आदि को कतवाने के लिए विधवाओ, अङ्गहीन स्त्रियो, कन्याओ, सन्यासिनो, सजायापता स्त्रियो, वेश्याओ की सख्ताओ, बूढी दासियो और मन्दिर की दासियो को नियुक्त करना चाहिए ।  
 ( ३ ) सूत की एकक्षरता, मोटाई और मध्यमता की अच्छी तरह जाँच करने के बाद उक्त-महिलाओ की मजदूरी नियत करनी चाहिए । कम ज्यादा सूत कातने वाली स्त्रियो को उनके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिए । सूत का वजन अथवा लम्बाई को जानकर पुरस्कार रूप में उन्हें तेल, अँवला और उबटन देना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर अधिक कार्य करें ।  
 ( ४ ) त्यौहारो और छुट्टी के दिनों में उन्हें भोजन, दान या संमान देकर उनसे कार्य करवाना चाहिए । निर्धारित मात्रा से सूत कम काता जाय तो, सूत के मूल्य के अनुसार उनका वेतन काटना चाहिए ।  
 ( ५ ) नियत कार्य-काल और निश्चित वेतन के अनुसार ही कारीगरो को नियुक्त

(१) क्षौमदुकूलक्रिमितानराङ्गवकापसिसूत्रवानकर्मन्तांश्च प्रयुञ्जानो गन्धमाल्यदानं रन्व्यंश्चौपप्राहिकं राराधयेत् । वस्त्रास्तरणप्रावरणविकल्पानुत्थापयेत् ।

(२) कंकटकर्मन्तांश्च तज्जातकारुशिल्पिमिः कारयेत् ।

(३) याश्चानिष्कासिन्यः प्रोषितविधवा व्यङ्गाः कन्यका वाऽऽत्मानं विभृयुस्ताः स्वदासीभिरनुसार्यं सोपग्रहं कर्म कारयितव्याः ।

(४) स्वयमागच्छन्तीनां वा सूत्रशालां प्रत्युपसि भाण्डवेतनविनिमयं कारयेत् । सूत्रपरीक्षार्थमात्रः प्रदापः ।

(५) स्त्रिया मुखसन्दर्शनेऽन्यकार्यसम्भाषाया वा पूर्वः साहसदण्डः । वेतनकालातिपातने मध्यमः, अकृतकर्मवेतनप्रदाने च ।

(६) गृहीत्वा वेतनं कर्माकुर्वत्याः अङ्गुष्ठसन्दर्शनं दापयेत् । भक्षितापहृतावस्कन्दिताना च । वेतनेषु च कर्मकराणामपराधतो दण्डः ।

किया जाना चाहिए और उनसे सम्पर्क बनाये रखना चाहिए, जिससे कि कार्य में किसी प्रकार का कपट न होने पावे ।

( १ ) अध्ययन को चाहिए मोटे-महीन रेशमी कपड़े, चीनी रेशम, रकु मृग की ऊन ( राकव ) और कपास का सूत कातने-बुनने वाले कारीगरो को इत्र, फुल्ल तथा अन्य पारितोषिक देकर सदा प्रसन्न चित्त रहे । उनसे वह ओढ़ने, बिछाने एवं पहनने के डिजाइनदार वस्त्र बनवाये ।

( २ ) निपुण कारीगरो से मोटे महीन सूत के कवच बनवाने चाहिए ।

( ३ ) जो स्त्रियाँ परदानसीन हो, जिनके पति परदेश गए हो, विधवा हो, जो लूली-लगडी हो, जिनका विवाह न हुआ हो, जो आत्म निर्भर रहना चाहती हो, ऐसी स्त्रियों के सम्बन्ध में अध्ययन को चाहिए कि वह दासियों द्वारा सूत भेज कर उनसे कतवाये और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे ।

( ४ ) घर पर काते हुए सूत को लेकर जो स्त्रियाँ स्वयं या दासियों को साथ लेकर प्रातः काल ही पुतलीघर ( सूत्रशाला ) में उपस्थित हो, उन्हें यथोचित मजदूरी दी जानी चाहिए । सूत्रशाला में अधिक सबेरा होने के कारण यदि कुछ अन्धेरा हो तो वहाँ उतना ही प्रकाश किया जाय, जिससे सूत अच्छी तरह देखा जा सके ।

( ५ ) स्त्री का मुख देखने या कार्य के अलावा इधर-उधर की बात करने वाले परीक्षक को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । उन्हें उचित समय पर वेतन या मजदूरी न दी जाय तो मध्यम साहस दण्ड और कार्य न करने पर भी यदि वेतन दिया जाय तब भी मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए ।

( ६ ) जो स्त्री वेतन लेकर भी कार्य न करे उसका अगूठा कटवा देना चाहिए ।



(१) रज्जुवत्तंकंश्चर्मकारंश्च स्वयं समृजयेत् । भाण्डानि च वरत्रादीनि वृत्तयेत् ।

(२) सूत्रवल्कमयी रज्जूर्वरत्रा वंशवणवी ।  
साम्नाह्या बन्धनीयाश्च यानयुग्यस्य कारयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सूत्राध्यक्षो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ,  
आदितस्त्वयश्चत्वारिंशः ।

— ० —

यही दण्ड उसको भी देना चाहिए जो माल को चुराये, खो दे अथवा लेकर भाग जाय । प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( १ ) सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह रस्सी बटकर जीविकोपार्जन करने वाले तथा घमड़े का कार्य करने वाले कारीगरों से सम्पर्क बनाये रखे । उनसे वह गाय आदि बाँधने के लिए रस्सी तथा हर तरह का घमड़े आदि का सामान बनवाता रहे ।

( २ ) सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह सूत, सन आदि की रस्सियाँ और कवच बनाने तथा घोड़ा बाँधने के उपयोगी बेल एव घोस की रस्सियाँ बनवाये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सूत्राध्यक्ष नामक  
तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) सीताध्यक्षः कृषितन्त्रशुल्बवृक्षायुर्वेदज्ञस्तज्ज्ञसखो वा सर्वधान्य-  
पुष्पफलशाककन्दमूलवाल्लिवयक्षौमकार्पासबीजानि यथाकालं गृह्णीयात् ।

(२) बहुहलपरिकृष्टाया स्वभूमौ दासकर्मकरदण्डप्रतिकर्तृभिर्वापयेत् ।

(३) कण्ठयन्त्रोपकरणबलीवर्द्धश्रैयामसङ्गं कारयेत् । कारुमिश्र  
कमरिकुट्टाकमेदकरज्जुवर्तकसर्पप्राहादिभिश्च ।

(४) तेषां कर्मफलविनिपाते तत्फलहानं दण्डः ।

(५) षोडशद्रोणं जागलानां वर्षप्रमाणमध्यर्धमानूपानाम् । देशवापा-  
नाम् । अर्धत्रयोदशशर्मकानां, त्रयोविंशतिरवन्तीनाम्, अमितमपरान्तानाम्,  
हैमन्यानां च कुल्यावापानां च कालतः ।

### कृषि विभाग का अध्यक्ष

( १ ) कृषि-विभाग के अध्यक्ष ( सीताध्यक्ष ) को यह आवश्यक है कि वह  
कृषिशास्त्र, शुल्बशास्त्र ( पैमाइस ) और वृक्ष विज्ञान की पूरी जानकारी हासिल  
करें, अथवा इन सभी विद्याओं के विशेषज्ञों को अपना सहायक बनाकर यथासमय  
अन्न, फूल, फल, शाक, कद, मूल, सन, जूट और कपास आदि के बीजों का सग्रह करे ।

( २ ) उन सग्रह किए हुए बीजों को वह क्रीतदासों, नौकरों और सपरिश्रम  
सजायाफ्ता कैदियों के द्वारा ऐसी भूमि में बुवाये, जो कई बार जोती गई हो ।

( ३ ) खेत जोतने बोनो के साधन हल-धूल आदि से उनका कोई स्थायी सम्बन्ध  
न रखा जाय । इसी प्रकार कारीगरों, बढइयों, छाईं खोदने वालों, रस्ती बटने वालों  
और सपेरो से उन कर्मचारियों का कोई स्थायी ससर्ग न होने दिया जाय ।

( ४ ) यदि इन कारीगरों तथा बढईं आदि कर्मचारियों से खेती आदि में कोई  
नुकसान हो तो उसकी हानि उन्हीं से पूरी की जाय ।

( ५ ) वर्ष-जल को मापने के लिए बनाये हुए एक हाथ मुँह वाले कुण्ड में यदि  
सोलह द्रोण पानी भर जाय तो समझना चाहिये कि रेतीली जमीन फसल बोनो के  
योग्य हो गई है । इसी प्रकार जल बरसने वाले प्रदेशों के लिए चौबीस द्रोण पानी,  
दक्षिणी प्रदेशों के लिए साठे तेरह द्रोण पानी, मालव प्रदेश के लिए तेइस द्रोण पानी,  
पश्चिमी प्रदेशों के लिए अधिक-से-अधिक और हिमालय प्रदेशों तथा नहरी प्रातरो के  
लिए समय-समय का पानी, फसल बोनो के लिए उचित है ।

(१) वर्षत्रिभागः पूर्वपश्चिममासयोः, द्वौ त्रिभागौ मध्यमयोः सुधमारूपम् ।

(२) तस्योपलब्धिर्बृहस्पतेः स्थानगमनगर्भाधानेभ्यः शुक्रोदयास्तमपचारेभ्यः सूर्यस्य प्रकृतिर्बहुताच्च ।

(३) सूर्याद्वीजसिद्धिः । बृहस्पतेः सस्यानां स्तम्बकारिता । शुक्राद्बृष्टिरिति ।

(४) त्रयः साप्ताहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः ।

षष्टिरातपमेघानामेघा वृष्टिः समाहिता ॥

(५) वातमातपयोग च विभजन् यत्र वर्षति ।

त्रीन् कर्षकांश्च जनयस्तत्र सस्यागमो ध्रुवः ॥

(६) ततः प्रभूतोदकमल्पोदकं वा सस्यं वापयेत् ।

(७) शालिव्रीहिकोद्रवतिलप्रियङ्गुदारकवरकाः पूर्ववापाः । मुद्गमायशम्ब्या मध्यवापाः । कुसुम्भमसूरकुलत्थयवगोधूमकलायातसीसर्षपाः पश्चाद्वापाः ।

( १ ) वार्षिक के अनुपात से यदि एक हिस्सा श्रावण-कालिक में और दो हिस्सा भाद्रपद-आश्विन में पानी बरसे तो वह वर्ष फसल के लिए लाभदायी समझना चाहिए।

( २ ) अच्छे वर्ष के आसार इन बातों पर निर्भर हैं जब बृहस्पति मेघ राशि से वृष राशि पर सङ्गम करें, जब गर्भाधान अर्थात् मार्गशीर्ष आदि छह महीनों में कोहरा, वर्षा, बादल आदि देखे जाय, जब शुक्र ग्रह की उदयास्त गति आपाड की पचमी आदि नौ तिथियों में संचारित हो, और जब सूर्य के चारों ओर मंगल दिखाई दे, ये सभी अच्छी वर्षा के लक्षण हैं।

( ३ ) यदि सूर्य के चारों ओर मङ्गल पडा हो तो अनाज के अच्छे दाने का अनुमान करना चाहिए। यदि बृहस्पति वृष राशि का हो तो अच्छी फसल का अनुमान करना चाहिए। यदि शुक्र की उदयास्त गति कारण हो तो अच्छी वृष्टि का अनुमान करना चाहिए।

( ४ ) लगातार सात दिन में तीन बार वर्षा उत्तम है, सारी वर्षाश्रुतु में अस्सी बार बूंदों की वर्षा भी उत्तम है, यदि साठ बार धूप खिल कर फिर बार-बार वर्षा होती रहे तो वह वर्षा अति उत्तम मानी गई है।

( ५ ) बीच-बीच में हवा के चलने और धूप के खिलने का अन्तर छोड़कर यदि वर्षा हो और तीन-तीन दिन हल चलाने का अवसर देकर यदि वर्षा हो तो उत्तम फसल होने का अनुमान करना चाहिए।

( ६ ) वर्षा के अनुपात से ही बीज बोना चाहिए।

( ७ ) साठी या धान ( शालि ), गेहूँ-जौ-ज्वार ( व्रीहि ), कोदा, तिल, कागनी ( प्रियगु ) और लोभिया आदि को वर्षा शुरू होने के पहिले ही बो देना चाहिए। मूँग, उडद और छोमो आदि को वर्षा के मध्य में बोना चाहिए। कुगुबी, मसूर,

(१) ययर्तुवशेन वा बीजवापाः ।

(२) वापातिरिक्तमर्धसीतिकाः कुर्युः । स्ववीर्योपजीविनो वा चतुर्य-  
पञ्चमागिकाः । यथेष्टमनवसितभागं दद्यु रन्यत्र कृच्छ्रेभ्यः ।

(३) स्वसेतुभ्यो हस्तप्रार्वातितममुदकभागं पंचमं दद्युः । स्कन्दप्रार्वातमं  
चतुर्यम् । स्रोतोपन्त्रप्रार्वातमं च तृतीयम् ।

(४) चतुर्यं नदीसरस्तटाककूपोद्घाटम् ।

(५) कर्मोदकप्रमाणेन कंदारं हैमनं प्रथिमकं वा सस्यं स्यापयेत् ।

(६) शाल्यादि ज्येष्ठम् । षण्डो मध्यमः । इक्षुः प्रत्यवरः । इक्षवो हि  
बह्वाबाधा व्ययग्राहिणश्च ।

(७) फेनाघातो वल्लीफलानाम्, परीवाहान्ताः पिप्पलीमृद्वीकेक्षूणाम्,  
कूपपर्यन्ताः शाकमूलानाम्, हरिणिपर्यन्ता हरितकानाम्, पाल्यो लवानां

कुल्थी, जी, गेहूँ, मटर, अलसी और सरसो आदि अन्नो को वर्षा के अन्त में बोना चाहिए ।

( १ ) अथवा इन सभी अन्नो को श्रुतु के अनुसार, जैसा उचित हो बोना चाहिए ।

( २ ) जो खेत बोये न गये हो, उन्हें सीताप्यस आधी कटाई पर दूसरे किसानो को बोने के लिए दे दे । अथवा जो लोग शारीरिक धम पर ही जीवित हैं, उनको यह जमीन दे दी जाय और उस जमीन की पैदावार का चौथा या पाचवां भाग उन्हें दिया जाय या स्वामी की इच्छानुसार ही उनको दिया जाय, किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि उन्हें उस प्रदत्त भाग को स्वीकार करने में कोई कष्ट न हो ।

( ३ ) अपने धन और बहुबल से बनाये गए तालाबो से यदि सिचाई की जाय तो उस उपज का पाँचवां हिस्सा राजा को देना चाहिए । अपने कन्धो पर जल लाकर यदि वह खेतो की सिचाई करता है तो उसे चौथाई हिस्सा राजा को देना चाहिए । यदि वह नहर या नालियाँ बना कर खेतो को सींचता है तो उसे पैदावार का तीसरा ही हिस्सा देना चाहिए ।

( ४ ) अपने धन और धम से यदि नदी, भोल और कुओ पर रहट लगाकर खेत की सिचाई की जाय तो पैदावार का चौथा भाग राजा को देना चाहिए ।

( ५ ) श्रुतु के अनुसार तथा पानी की सुविधा देखकर ही खेतो में बीज बोना चाहिए ।

( ६ ) धान, गेहूँ आदि की फसल उत्तम मानी गई है । कंदली आदि की फसल मध्यम कीटि की है । ईख की फसल बोछी मानी गई है, क्योंकि इसके बोने में बड़ा धम करना पड़ता है और अनेक बाधाओ से उसकी रक्षा करनी पड़ती है ।

( ७ ) नदी के कछारो एव किनारो की जमीन का पेठा, कद्दू, ककड़ी तथा तरबूज आदि बोने के लिए उपयुक्त है, पीपल और ईख आदि बोने के लिए वह जमीन उपयुक्त है, जहाँ पर नदी का जल एक बार घूम गया हो, साग-भाजी बोने के

गन्धभैषज्योशीरह्रीबेरपिण्डालुकादीनाम् । यथास्त्वं भूमिषु च स्थूल्याश्रानूप्याश्रौषधीः स्थापयेत् ।

(१) तुषारपायनमुष्णशोषणं चासप्तरात्रादिति धान्यबीजानां, त्रिरात्रं पंचरात्रं वा कौशौधान्यानां, मधुघृतसूकरवसाभिः शकृद्युक्ताभिः काण्डबीजानां छेदलेपो मधुघृतेन कन्दानाम् । अस्थिवीजानां शकृदालेपः । शाखिनां गर्तदाहो गोऽस्थिशकृद्भिः काले दौहदं च ।

(२) प्ररूढांश्चाशुष्ककटुमत्स्यांश्च स्नुहिक्षीरेण पाययेत् ।

(३) कार्पासिसारं निर्मोकं सर्पस्य च समाहरेत् ।

न सर्पास्तत्र तिष्ठन्ति धूमो यत्रैष तिष्ठति ॥

(४) सर्वबीजानां तु प्रथमवापे सुवर्णोदकसंप्लुतां पूर्वमुष्टिं वापयेत् अमुं च मन्त्रं श्रूयात्—

‘प्रजापतये कारयपाय देवाय नमः सदा ।

सीता मे ऋध्यतां देवो बीजेषु च घनेषु च’ ॥

लिए कुए के आस-पास की जमीन उपयुक्त है, जई आदि बोने के लिए भील तथा तालाबो के किनारे की गीली जमीन उपयुक्त है, धनिया, जीरा, रास, नेत्रवाला तथा कचालू आदि बोने के लिए ऐसे खेत उपयुक्त हैं जिनके बीच में तालाब बने हो, सूखी ओर गीली, जमीन में जिन-जिन अनाजों की अधिक उपज हो उनको समझ कर बोना चाहिए ।

( १ ) धान के बीजों को सात दिन तक रात की ओस और दिन की धूप में रखना चाहिए मूँग, उड़द आदि के बीजों को इसी प्रकार तीन दिन-रात या पाँच दिन-रात ओस और धूप में रखना चाहिए, बोए जाने वाले ईख के पोरों की कटो हुई जगहों में शहद, घी या सुअर की चर्बी के साथ गोबर मिला कर लगा देना चाहिए, सूरज, शकरबन्द आदि कन्दफलों के कटे हुए स्थानों पर गोबर-शहद का लेप अथवा घी का लेप लगा देना चाहिए, कपास आदि के बीजों को गोबर आदि से सपेट कर बोना चाहिए, आम, कटहल आदि वृक्षों के बीजों को किसी गद्दे में डाल कर कुछ गर्मी दी जाने के बाद उन्हें गाय की हड्डी और गोबर के साथ मिलाकर रखा जाना चाहिए, निष्कर्ष यह कि इन सब प्रकार के बीजों का यथाविधि संस्कार करने फिर इनको खेत में बोना चाहिए ।

( २ ) बीज बोने के बाद जब उनमें अकुर निकल जाय तब उनमें छोटी मकलियों की खाद छुड़वा देनी चाहिए और उन्हें सेहूड के दूध से सींचना चाहिए ।

( ३ ) साँप की कंबुली और बिनोलो को एक साथ मिलाकर जला दिया जाय, जहाँ तक उसका घुआ फैलेगा वहाँ तक कोई भी साँप नहीं ठहर सकता ।

( १ ) बोने से पहिले हरेक बीज को सुवर्ण से स्पर्श हुए जल में भिगोना चाहिए और तब बोने समय बीज की पहिली मुट्टी भरकर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए ;

(१) षण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्तं कुर्यात् । सपादपरिणक मासं दद्यात् । कर्मानुहपं कारुभ्यो भक्तवेतनम् ।

(२) प्रशीर्णं पुष्पफलं देवकार्यार्थं श्रीहियवमाप्रयणार्थं श्रोत्रियास्तप-स्विनश्चाहरेयुः । राशिमूलमुच्छ्वृतयः ।

(३) यथाकालं च सस्यादि जातं जातं प्रवेशयेत् । न क्षेत्रे स्थापयेत् किञ्चित् पलालमपि पण्डितः ॥

(४) प्रकराणां समुच्छ्रायान् बलभीर्वा तथाविधाः । न सहतानि कुर्वीत न तुच्छानि शिरांसि च ॥

(५) खलस्य प्रकरान् कुर्यान्मण्डलान्ते समाधितान् । अनग्निकाः सोदकाश्च खले स्युः परिकर्मणः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सीताध्यक्षो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः,  
आदितश्चतुस्त्वारिंश ।

— . ० . —

‘प्रजापति, सूर्यपुत्र और मेघ, तुम्हारी सदैव हम बन्दना करते हैं, हे धरती माता, हमारे बीजों और अनाजों में मदा वृद्धि होती रहे’ ।

( १ ) खेतों की रखवाली करने वाले ग्वाले, दास और नौकर आदि प्रत्येक को उनकी मेहनत के अनुसार भोजन-वस्त्र आदि दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिमास सवा पण नियत वेतन मिलना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे कारीगरो को भी उनके परिधम के अनुसार भोजन, वस्त्र और वेतन आदि दिया जाना चाहिए ।

( २ ) पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फल-फूलों को देवकार्य के लिए, तथा गेहूँ जौ आदि अन्नो को इष्ट देवता को भोग लगाने के लिए श्रोत्रिय और तपस्वी लोग उठा लें । खलिहान उठ जाने पर जो अन्न के दाने पड़े रह जाँय उन्हें सीता बोनकर गुजर करने वाले लोग उठा लें ।

( ३ ) ठीक समय पर तैयार हुई फसल को सुरक्षित स्थान में रखवा देना चाहिए, पुआल और भूसा आदि असार वस्तुओं को भी उठाकर ले जाना चाहिए ।

( ४ ) अनाज रखने का स्थान ( प्रकर ) कुछ ऊँची जगह में बनवाना चाहिए, उसी प्रकार के मजबूत तथा घिरे हुए अनागारों को बनवाना चाहिए, उनके ऊपरी हिस्से न तो आपस में मिले हुए हो और न वे खाली हो ।

( ५ ) कटे हुए अनाज को रखने की जगह ( खलिहान ) और दौड़ लेने की जगह ( मण्डल ) दोनों आस-पास होने चाहिए । खलिहान में काम करने वाले व्यक्ति अपने पास आग न रखें किन्तु उनके पास जल का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— . ० . —

(१) सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान् दुर्गो जनपदे 'स्कन्धावारे वा तज्जातसुराकिण्वव्यवहारिभिः कारयेदेकमुखमनेकमुखं वा, विक्रयत्रयवशेन वा । पट्टतमत्ययमन्यत्र कर्तृक्रेतृविक्रेतृणा स्यापयेत् । ग्रामादनिर्णयनमसम्पात च सुरायाः, प्रमादमयात् कर्मसु निर्दिष्टानां मर्यादातिक्रममया-दार्पाणाम् । उत्साहमयाच्च तोक्षणानाम् ।

(२) लक्षितमल्पं वा चतुर्भागमर्घंकुडुवं कुडुवमर्घंप्रस्थं प्रस्थ वेति ज्ञातशौचा निहंरेयुः ।

(३) पानागारेषु वा पिबेयुरसञ्चारिणः ।

(४) निक्षेपोपनिधिप्रयोगापहृतावीनामनिष्टोपगतानां च द्रव्याणा ज्ञानार्थमस्वामिक कुप्य हिरण्य चोपलभ्य निक्षेप्तारमन्यत्र व्यपदेशेन ग्राहयेत् । अतिव्ययकर्तारमनायतिव्यय च ।

### आबकारी विभाग का अध्यक्ष

( १ ) आबकारी विभाग के अध्यक्ष ( सुराध्यक्ष ) को चाहिए कि वह दुर्ग, जनपद, अथवा छावनी आदि में सुरा के व्यापार का प्रबन्ध, शराब के बनाने वाले तथा बेचने वाले निपुण व्यक्तियों के द्वारा करवाये, शराब का ठेका एक बड़े व्यापारी को दिया जाय या अनेक छोटे छोटे व्यापारियों को, अथवा क्रय विक्रय की जैसी व्यवस्था उचित जेंचे, तदनुसार ही उसकी विक्री का प्रबन्ध किया जाय । ठेको के अलावा अन्यत्र शराब बनाने, बेचने और खरीदने वालो पर ६०० पण जुर्माना किया जाय । शराब तथा शराबी को गाँव से बाहर, एक घर से दूसरे घर, अथवा भीड़ में न जाने दिया जाय, क्योंकि ऐसा करने से एक तो राजकीय कर्मचारी कार्यों की हानि करने लगेंगे, दूसरे में आम लोग अपनी मर्यादा को भंग कर सकते हैं, और तीसरे में तेज मिजाज सैनिक हथियारो का भी प्रयोग कर सकते हैं ।

( २ ) सुविदित आचार-व्यवहार वाले लोग चौथाई कुडव, आधा कुडव, एवं कुडव, आधा प्रस्थ या एक प्रस्थ मुहरबन्द शराब साथ भी ले जा सकते हैं ।

( ३ ) जिन लोगों को शराब साथ ले जाने की आज्ञा न हो वे मदिरालय में ही बैठकर शराब पीयें ।

( ४ ) यदि कोई व्यक्ति धरोहर, गिरवी, चोरी-डाका आदि का घन और सोना-चाँदी आदि वस्तुओ को शराबखाने में गिरवी रख कर शराब पीये तो उसको वहाँ

(१) न चानर्घेण कालिकां वा सुरां दद्यादन्यत्र दुष्टसुरायाः । तामन्यत्र विक्रापयेत् । दासकर्मकरेभ्यो वा वेतनं दद्यात् । वाहनप्रतिपानं सूकरपोषणं वा दद्यात् ।

(२) पानागाराष्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोद्देशानि गन्धमाल्योदकवन्ति ऋतुसुखानि कारयेत् ।

(३) तत्रस्था. प्रकृत्योत्पत्तिकौ व्ययी मूढा विद्युरागन्तुंश्च ।

(४) ऋतूणां मत्तसुप्तानामलङ्काराच्छादनहिरण्यानि च विद्युः । तन्नाशे षणिजस्तच्च तावच्च दण्डं दद्युः ।

(५) षणिजस्तु संवृतेषु कक्ष्याविभागेषु स्वदासीभिः पेशलहपाभिरागन्तूनां वास्तव्यानां च आर्यरूपाणां मत्तसुप्तानां भावं विद्युः ।

(६) मेदकप्रसन्नासवारिष्टमैरेयमधूनाम् ।

से बाहर कर किसी दूसरे बहाने से नगराध्यक्ष के हवाले करा देना चाहिए । इसी प्रकार जो व्यक्ति आमदनी से अधिक या बिना आमदनी के ही फजूल खर्च करे उसे भी गिरफ्तार करा देना चाहिए ।

( १ ) थोड़ी कीमत पर, उधार या व्याज सहित अदा होने के मूल्य पर बढ़िया शराब न बेचनी चाहिए, बल्कि ऐसे खरीददारों को घटिया शराब देनी चाहिए । घटिया शराब को बढ़िया शराब को दुकान से न बेचना चाहिए । घटिया शराब या तो दास जैसे छोटे कर्मचारियों को वेतन के रूप में दे देनी चाहिए, अथवा बैल-ऊँट की सवारी हँकने वालों तथा सूअर का पालन-पोषण करने वालों को दे देनी चाहिए ।

( २ ) शराबखानों में अनेक ड्योढ़ियाँ होनी चाहिए, लेटने तथा बैठने के लिए अलग-अलग कमरे होने चाहिए, शराब पीने के लिए अलग स्थान होने चाहिए, उनमें सुगन्धित द्रव्यों एवं पानी आदि का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए, ये सभी स्थान ऐसे बने हों, जो मौसम में सुखद हों ।

( ३ ) सरकारी गुप्तचर को चाहिए कि वह प्रतिदिन शराब की खपत तथा खर्च का हिसाब रखे और यह भी निगरानी रखे कि बाहर से कौन-कौन व्यक्ति वहाँ आते हैं ।

( ४ ) शराब के नशे में बेहोश हो जाने वाले लोगों के जेवर, वस्त्र और नकदी का भी गुप्तचर ध्यान रखे । यदि बेहोश हालत में शराबियों की कोई चीज चोरी हो जाय तो उसको ठेकेदार ही अदा करे, वरन्, वह उतनी ही लागत का जुर्माना राजा को भी अदा करे ।

( ५ ) ठेकेदार को चाहिये कि वह चतुर एवं सुन्दरी दासियों के द्वारा, अलग-अलग कमरों में बेहोश उन बाहर से आये या नगर के रहने वाले, ऊपर से आर्य लगने वाले, शराबियों के भीतरी भावों का पता लगाये ।

( ६ ) शराब कई प्रकार की होती है : १ मेदक, २. प्रसन्ना ३ आसव ४. अरिष्ट ५ मैरेय और ६ मधु ।



(१) उदकद्रोणं तण्डुलानामर्धाढिकं त्रयः प्रस्थाः किण्वस्येति मेदकयोगः ।

(२) द्वादशाढिकं पिष्टस्य पञ्च प्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वक्फलयुक्तो वा जातिसम्भारः प्रसन्नायोगः ।

(३) कपित्थतुला फाणितं पञ्चतौलिकं प्रस्थो मधुन इत्यासवयोगः । पादाधिको ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठः ।

(४) चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशो विकाराणामरिष्टाः ।

(५) मेघशृङ्गीत्वक्कवाथाभिपुतो गुलप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसम्भारस्त्रिफलायुक्तो वा मैरेयः । गुलयुक्तानां वा सर्वेषां त्रिफलासम्भारः ।

(६) मृद्वीकारसो मधु । तस्य स्वदेशे व्याख्यानं कापिशायनं हारहूरकमिति ।

(७) मापकलनोद्रोणमामं सिद्धं वा त्रिभागाधिकतण्डुलं मोरटादीनां कार्पिकभागयुक्तं किण्वराबन्धः ।

( १ ) एक द्रोण जल, आधा आढक चावल और तीन प्रस्थ सुराबीज (किण्व), इनके मेल से जो शराब बनाई जाती है उसका नाम मेदक है ।

( २ ) बारह आढक चावल की पिट्टी, पाँच प्रस्थ सुराबीज ( किण्व ) अथवा उसकी जगह पुत्रक ( वृक्ष ) की छाल तथा फलो सहित जाति-सम्भार मिलाकर प्रसन्ना शराब तैयार की जाती है ।

( ३ ) सौ पल कैशफल का सार, पाँच सौ पल राव और एक प्रस्थ शहद को एक साथ मिलाकर आसव शराब बनाई जाती है । उक्त वस्तुओं के योग को यदि सवापण कर दिया जाय तो उत्तम आसव और पीना कर दिया जाय तो घटिया आसव कहा जाता है ।

( ४ ) प्रत्येक रोग का अरिष्ट उसी प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि रोग के अनुसार वैद्य बतलाये ।

( ५ ) मेढासिगी की छाल का बवाष बनाकर उसमें गुड, पीपल और मिर्च का चूर्ण या पीपल, मिर्च की जगह त्रिफला का चूर्ण मिलाया जाय तो मैरेय शराब तैयार हो जाती है । गुड वाली सभी शराबों में त्रिफला का चूर्ण मिलाना आवश्यक है ।

( ६ ) दाख या अमूर के रस से जो शराब बनाई जाती है उसी का नाम मधु है । अपने देश में उसके दो नाम हैं : कापिशायन और हारहूरक ।

( ७ ) एक द्रोण उदक का कल्क, उसका तीसरा भाग ( १/३ ) चावल और एक-एक कर्ष मोरटा आदि वस्तुएँ एक साथ मिलाकर किण्व सुरा बनती है, उसी को मद्यबीज या सुराबीज भी कहते हैं ।

(१) पाठालोघ्रतेजोवत्येलाबालुकमधुमधुरसाप्रियङ्गुदाहहरिद्रामरि-  
चपिप्पलीना च पञ्चकार्षिकः सम्भारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाश्च । मधुक-  
निर्यह्युक्ता कटशर्करा वर्णप्रसादनी च ।

(२) चोचचित्रकविलङ्गगजपिप्पलीनां च कार्षिकः क्रमुकमधुकमुस्ता-  
लोघ्राणा द्विकार्षिकश्चासवसम्भारः दशभागश्रृंषां बीजबन्धः ।

(३) प्रसन्नायोगः श्वेतसुरायाः ।

(४) सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा सम्भारिकी वा ।

(५) तासा मोरटापलाशपत्तूरमेपशृङ्गीकरञ्जक्षीरवृक्षकषायभावित  
दग्धकटशर्कराचूर्णं लोघ्रचित्रकविडङ्गपाठामुस्ताकलिङ्गयवदाहहरिद्रेन्दी-  
वरशतपुष्पापामार्गसप्तपर्णनिम्बास्फोटकल्कार्धमुक्तमन्तर्नखो मुष्टिः कुम्भी  
राजपेया प्रसादयति । फणितः पञ्चपलिकश्चात्र रसवृद्धिर्द्वयः ।

( १ ) पाठा, लोघ, गजपीपल, इलाइची, इत्र, मुलहटी, दूब, केशर, दाहहल्दी, मिर्च और पीपल, इन सब चीजों का पाँच-पाँच कर्ष मिला देने से सम्भारयोग तैयार होता है, जो मेदक और प्रसन्ना सुरा में मिलाया जाता है । मुलहटी के काढ़े में रवादार शक्कर मिलाकर यदि मेदक तथा प्रसन्ना में छोड़ दिया जाय तो उनका रङ्ग निखर आता है ।

( २ ) दालचीनी, चीता, वायविडङ्ग और गजपीपल का एक एक कर्ष, सुपारी, मुलहटी मोथा तथा लोघ का दो-दो कर्ष लेकर इन सब को आपस में मिला दिया जाय तो आसव सुरा का मसाला बन जाता है । दालचीनी आदि उक्त वस्तुओं का दसवाँ भाग बीजबन्ध कहलाता है ।

( ३ ) प्रसन्ना नामक सुरा का जो योग बताया गया है वही श्वेतसुरा का भी समझना चाहिए ।

( ४ ) सुरा के चार भेद हैं १ सहकारसुरा ( साधारण शराब में आम का रस या तेल डालकर बनती है ), २. रसोत्तरा ( गुड़ की चाशनी छोड़कर बनाई जाती है ), ३ बीजोत्तरा ( बीजबन्ध द्रव्यों को छोड़कर बनाई जाती है ), इसी को महासुरा भी कहते हैं, और ४ सम्भारिकी ( अधिक मसाले छोड़कर बनाई जाती है ) ।

( ५ ) इन सभी शराबों की सफाई एव निखार का तरीका इस प्रकार है मरोरफली, पलाश, लोहमारक ( पत्तूर औषध ), मेढासिणी, करञ्जवा तथा क्षीर-  
वृक्ष ( वरगद, गुलर आदि ) के काढ़े में भावना दिया गया गर्म रवादार शक्कर का चूरा, उसका आधा लोघ, चीता, वायविडङ्ग, पाठा, मोथा कलिंगज जी, दाह हल्दी, कमल, सौंफ, चिरचिडा, सप्तपर्ण, नीव और आखे का फूल, इन सबका पिसा हुआ चूर्ण एकत्र करके यदि उसकी एक मुट्ठी, एक सारी परिमाण शराब में डाल दी जाय तो

(१) कुटुम्बिनः कृत्येषु श्वेतसुरामौषधार्थं शारिष्टमन्यद्वा कर्तुं लभेरन् ।

(२) उत्सवसमाजयान्नासु चतुरहः सौरिको देयः । तेष्वननुजातानां प्रवहणान्तं दैवसिकमत्ययं गृह्णीयात् ।

(३) सुराकिण्वविचयं स्त्रियो बालाश्च कुर्युः ।

(४) अराजपण्या पञ्चकं शतं शुल्कं दद्युः । सुरकामेदकारिष्टमघु-  
फलाम्लशीघ्रना च ।

(५) अह्नश्च विक्रयं व्याजो ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः ।

तथा बंधरणं कुर्याद्विचितं चानुवर्तयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सुराध्यसो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः,  
आदित पञ्चचत्वारिंशः ।

— ० —

शराव का रग इतना निस्तर उठता है कि वह राजाओं तक को मोहित कर लेती है। स्वाद बढ़ाने के लिये उसमें पाँच पल राव अत्रिन् मिला देनी चाहिए।

( १ ) नगर तथा जनपद के निवासी विवाह आदि उत्सवों में श्वेतमुख और दबाई के लिए आसव अथवा मंदक आदि सुरा अपने घर में बना सकते हैं।

( २ ) उत्सवों में, मित्र-बन्धुओं के समाज में और तीर्थयात्रा के अवसर पर, सुरा के अध्यस का चार दिन तक सुरा पीने को इजाजत दे देनी चाहिए। यदि इन उत्सवों में कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा प्राप्त किये शराव पिये पकड़ा जाय तो उत्सव समाप्त होन पर उसको यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए।

( ३ ) सुरा को बनान एव उसका मसाला तैयार करने के लिये स्त्रियों और बालकों को निवृत्त करना चाहिए।

( ४ ) बिना राजाज्ञा के जो व्यक्ति उत्सवों के अवसर पर शराव बेचने के साधारण शराव, मंदक, अरिष्ट, मधु, ताडी और रश्मोत्तरा आदि सुराओं का पाँच प्रतिशत शुल्क वदा करें।

( ५ ) इस शुल्क वसुयमो के अतिरिक्त सुराध्यस दैनिक विक्री और तोल-माप की उचित जानकारी प्राप्त कर नाप-तोल पर झोतहवाई हिस्सा और नकद आमदनी पर बीसवाँ हिस्सा टैक्स बसूल करे, किन्तु उनके साथ सदा ही उचित व्यवहार बर्ताव बनाये रहे।

अध्यक्षप्रचारे नामक द्वितीय अधिकरण में सुराध्यस नामक  
पञ्चीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

राजचकोरमत्तकोकिलमयूरशुकमदनशारिका विहारपक्षिणो मङ्गल्याश्रा-  
ज्येऽपि प्राणिनः पक्षिमृगा हिंसाबाधेभ्यो रक्षयाः । रक्षातिक्रमे पूर्वः साहस-  
दण्डः ।

(१) मृगपशूनामनस्थि मांसं सद्योहतं विक्रीणीरन् । अस्थिमत्तः प्रति-  
पातं दद्युः । तुलाहीने हीनाष्टगुणम् ।

(२) वत्सो वृषो घेनुश्चैवामवध्याः । घ्नतः पञ्चाशत्को दण्डः ।  
विलिष्टघातं घातयतश्च ।

(३) परिसूनमशिरःपादास्थि विगन्धं स्वयंमृतं च न विक्रीणीरन् ।  
अन्यथा द्वादशपणो दण्डः ।

(४) दुष्टाः पशुमृगव्याला मत्स्याश्रामयचारिणः ।

अन्यत्र गुप्तिस्थानेभ्यो बधबन्धमवाप्नुयुः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सूनाध्यक्षो नाम षड्विंशोऽध्यायः ,

आदितो पट्चत्वारिंशः ।

— ० . —

भृङ्गराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मदन मना और बुलबुल, तीतर, बटेर  
तथा मुर्गा आदि क्रीडायोग्य पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। इनको कोई मारे,  
पकड़े तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।

( १ ) मृग और पशुओं का हड्डी-रहित ताजा मांस बाजार में बेचना चाहिए।  
मांस यदि हड्डी सहित हो तो हड्डी के वजन का अधिक मांस दिया जाना चाहिए।  
यदि मांस तोलने में कष्ट किया जाय तो तोलने वाले से आठ गुना भास दण्डरूप में  
वसूल करना चाहिए, जिसमें आठवाँ हिस्सा खरोददार का और बाकी सात हिस्से  
सूनाध्यक्ष के हैं।

( २ ) पशुओं में मृग, बछड़ा, साँड और गाय, इन्हें कभी न मारना चाहिए।  
जो व्यक्ति उनमें से किसी एक को भी मारे वह पचास पण का दण्डभागी है। दूसरे  
पशुओं को यातना देकर मारने वाले व्यक्तियों पर भी पचास पण जुर्माना करना  
चाहिए।

( ३ ) कसाईखाने से बाहर मारे हुए जानवरों का मांस, शिर, पैर तथा हड्डी-  
रहित मांस, बदबू वाला मांस, रोग आदि के कारण स्वयं मरे हुए जानवर का मांस  
बाजारों में न बेचा जाय। जो इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाय उस  
पर बारह पण जुर्माना कर दिया जाय।

( ४ ) राज-रक्षित जङ्गलों के हमलावर जानवर, नीलगाय, पशु, मृग और  
मछली आदि बन्धन-जलचर प्राणी यदि सुरक्षित जङ्गलों से बाहर चले जाय तो  
उनको मारा या पकड़ा जा सकता है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में छत्रवीसवाँ अध्याय समाप्त।

—: ० :—

( १ ) गणिकाध्यक्षो गणिकान्वयामगणिकान्वया वा हृष्यौवनशिल्प-सम्पन्ना सहस्रेण गणिका कारयेत् । कुटुम्बाधेन प्रतिगणिकाम् ।

( २ ) निष्पतिताप्रेतयोर्दुहिता भगिनी वा कुटुम्ब्य भरेत् । तन्माता वा प्रतिगणिका स्थापयेत् । तासामभावे राजा हरेत् ।

( ३ ) सौभाग्यालङ्कारवृद्ध्या सहस्रेण वार कनिष्ठ मध्यममुत्तम वारो-पयेत् । छत्रभृद्भारव्यजनशिबिकापीठिकारथेषु च विशेषार्थम् ।

( ४ ) सौभाग्यमङ्गो मातृका कुर्यात् ।

### वेश्यालयो का अध्यक्ष

( १ ) वेश्यालयो की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि रूप, यौवन से सम्पन्न एवं गायन वादन में निपुण स्त्री को, चाहे वह वेश्याकुल से सबद्ध हो या न हो, एक हजार पण देकर गणिका ( वेश्या ) के कार्य पर नियुक्त करे । इसी प्रकार दूसरी गणिकाओं को नियुक्त किया जाय, और एक सहस्र पण में से आधा उन्हें तथा आधा उनके परिवार को दे दिया जाय ।

( २ ) यदि कोई गणिका दूसरी जगह चली जाय या मर जाय तो उसकी जगह उसकी लड़की या बहिन नियुक्त होकर परिवार का पोषण करे । अथवा उसकी माता उसकी जगह किसी दूसरी गणिका को नियुक्त करे । यदि ऐसा भी सम्भव न हो सके तो उसकी सपति को राजा ले ले ।

( ३ ) वेश्याओं की तीन श्रेणियाँ हैं । १ कनिष्ठ, २. मध्यम और ३ उत्तम । सौन्दर्य तथा सजावट में कमसल कनिष्ठ वेश्या का वेतन एक हजार पण, सौन्दर्य तथा सजावट में उससे अच्छी मध्यम वेश्या का वेतन दो हजार पण, और हर एक बात में चतुर उत्तम वेश्या का वेतन तीन हजार पण होता है । कनिष्ठ वेश्या छत्र तथा इन्द्रदान लेकर राजा की सेवा करे, मध्यम वेश्या पालकी के साथ रहकर राजा को व्यजन करे, और उत्तम वेश्या राजसिंहासन तथा रथ आदि के निकट रह कर राजा की परिचर्या करे ।

( ४ ) जब गणिकाओं का सौन्दर्य जाता रहे और उनकी जबानी ढल जाय, तब उन्हें खाला ( मातृका ) के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए ।

(१) निष्कृत्यश्चतुर्विंशतिसाहस्रो गणिकायाः । द्वादशसाहस्रो गणिका-  
पुत्रस्य । अष्टवर्षात्प्रभृति राज्ञः कुशीलवकर्म कुर्यात् ।

(२) गणिकादाती भग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कर्म कुर्यात् ।  
अविशन्ती सपादपणमवरुद्धा मासवेतनं दद्यात् ।

(३) भोगं दायमायं व्ययमार्याति च गणिकाया निबन्धयेत् । अति-  
व्ययकर्म च वारयेत् ।

(४) मातृहस्तादन्यत्रामरणन्यासे सपादचतुष्पणो दण्डः । स्वापतेयं  
विक्रयमाधानं नयन्त्याः सपादपञ्चाशत्पणो दण्डः ।

(५) चतुर्विंशतिपणो वाक्पारुष्ये । द्विगुणो दण्डपारुष्ये । सपादपञ्चा-  
शत्पण. पणोऽर्घपणश्च कर्णच्छेदने ।

(६) अकामायाः कुमार्या वा साहसे उत्तमो दण्डः । सकामायाः पूर्वः  
साहसदण्डः ।

( १ ) जो गणिकाएँ राजवृत्ति से अपने को मुक्त करना चाहें, वे राजा को चौबीस हजार पण देकर स्वतन्त्र हो सकती हैं । यदि वेश्यापुत्र राजसेवा से निवृत्त होना चाहे तो वह बारह पण अदा करे । यदि वह मुक्त होने का मूल्य ( निष्कृत्य ) अदा करने में असमर्थ हो तो आठ वर्ष तक राजा के यहाँ चारण वा कार्य कर अपने आप को मुक्त कर सकता है ।

( २ ) वेश्या की दासी जब बूढ़ी हो जाये तो उसे कोष्ठागार या रसोई के कार्य में नियुक्त कर देना चाहिए । यदि वह काम न करना चाहे और किसी पुरुष की स्त्री बन कर रहना चाहे, वह प्रतिमास उस गणिका को सवा पण वेतन दे ।

( ३ ) गणिकाध्यक्ष को चाहिए कि वह वेश्याओं के भोगधन ( सम्भोग से प्राप्त हुई आमदनी ), माता से मिला धन ( दायभाग ), सम्भोग के अतिरिक्त आमदनी ( आय ) और भावी प्रभाव ( आयति ) आदि को रजिस्टर में दर्ज करता रहे, और उन्हें अधिक खर्च करने से रोकता रहे ।

( ४ ) यदि गणिका अपने आभूषणों को अपनी माता के सिवा किसी दूसरे के हाथ सौंपे तो उसे सवा चार पण दण्ड दिया जाय । यदि वह अपने गहने, कपड़े, वर्तन आदि को बेचे या गिरवी रखे तो उस पर सवा पचास पण का दण्ड किया जाय ।

( ५ ) यदि वह किसी के साथ कठोरता का बर्ताव करे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय । यदि वह हाथ, पैर, लाठी आदि से प्रहार करे तो दुगुना ( अठतालीस पण ) दण्ड दिया जाय । यदि वह किसी का कान, हाथ काट ले तो उसे पौने बावन पण का दण्ड दिया जाय ।

( ६ ) यदि कोई पुरुष कामनारहित कुमारी पर बलात्कार करे तो उसे उत्तम

(१) गणिकामकामा रुन्धतो निष्पातयतो वा व्रणविदारणेन वा रूप-मुपघ्नतः सहस्रदण्डः । स्थानविशेषेण वा दण्डवृद्धिरानिष्कयद्विगुणात् पणसहस्रं वा दण्डः ।

(२) प्राप्ताधिकारा गणिका घातयतो निष्कयात्त्रिगुणो दण्डः । मातृ-कादुहितृकारूपदासीना घात उत्तमः साहसदण्डः ।

(३) सर्वत्र । प्रथमेऽपराधे प्रथमः, द्वितीये द्विगुणः, तृतीये त्रिगुणः, चतुर्थे यथाकामी स्यात् ।

(४) राजाज्ञया पुरुषमनभिगच्छन्ती गणिका शिफासहस्रं लभेत, पञ्चसहस्रं वा दण्डः ।

(५) भोग गृहीत्वा द्विषत्या भोगद्विगुणो दण्डः । वसतिभोगापहारे भोगमष्टगुणं दद्यात्, अन्यत्र व्याधिपुरुषदोषेभ्यः ।

साहस्र दण्ड देना चाहिए । जो इच्छा करने वाली कुमारी के साथ सम्भोग करे उसे भी प्रथम साहस्र दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( १ ) जो पुरुष किसी कामनारहित वेश्या को जबरदस्ती अपने घर में रोक कर रखे या कोई चोट तथा धाव कर उसके रूप को क्षति पहुँचाये उस पुरुष को एक हजार पण से दण्डित करना चाहिए । शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों को चोट पहुँचाने पर, उन-उन स्थानों की विशेषताओं के अनुसार अधिक दण्ड दिया जा सकता है, यह दण्ड-राशि बड़तालीस हजार पण तक ली जा सकती है ।

( २ ) राजा की सेवा में नियुक्त वेश्याओं को मारने वाले व्यक्ति पर बहत्तर हजार पण दण्ड किया जाय । खाला, वेश्यापुत्री और वेश्या को मारने-पीटने वाले को उत्तम साहस्र दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) पूर्वोक्त सारी दण्ड व्यवस्था एक बार अपराध करने वालों के लिए निर्दिष्ट है । यदि कोई अपराधी उसी अपराध को दुहराये तो दुगुना दण्ड, तिहराये तो त्रिगुना दण्ड, और चौथी बार भी उसी अपराध को करे तो चौगुना दण्ड अथवा सर्वस्वहरण, देश निकाला आदि जो भी उचित हो, उसे दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) राजा की आज्ञा होने पर यदि कोई वेश्या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने से इनकार कर दे तो उस पर एक हजार कोड़े लगवाये जाय अथवा उस पर पाँच हजार पण जुर्माना किया जाय ।

( ५ ) यदि कोई वेश्या सम्भोग शुल्क ( भाग ) लेकर धोखा कर दे तो उस पर सम्भोग शुल्क से दुगुना जुर्माना करना चाहिए । यदि पूरी रात का शुल्क लेकर गणिका किस्सा कहानियो या दूसरे बहानों में ही सारी रात टाल दे तो उसपर शुल्क का आठ गुना दण्ड किया जाना चाहिए, किसी किसी सक्रामक रोग या किसी दोष

- (१) पुरुषं घनत्याश्रिताप्रतापोऽप्सु प्रवेशनं वा ।  
 (२) गणिकामरणमयं भोग वाज्यहरतोऽष्टगुणो दण्डः । गणिका भोगभार्याति पुरुष च निवेदयेत् ।  
 (३) एतेन नटनर्तकगायकवाद्यकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौमिकचारणस्त्रीव्यवहारिणा स्त्रियो मूढाजीवाश्च व्याख्याताः ।  
 (४) तेषां तूर्धमागन्तुक पञ्चपण प्रेक्षावेतन इच्छात् ।  
 (५) रूपाजीवा भोगद्वयगुणं माम दद्युः ।  
 (६) गीतवाद्यपाठधनूत्तनाटद्याजरचित्रवीणावेणुमृदङ्गपरचित्तज्ञानगन्धमाल्यसपूहनसम्पादनसवाहनवैशिककलाज्ञानानि गणिका दासी रङ्गोपजीविनीश्च ग्राह्यनो राजमण्डलादाजीव कुर्यात् ।

के कारण गणिका यदि सभोग करान का तैयार न हा तो उसे अपराजिनी न समझा जाय ।

( १ ) यदि कोई गणिका सभोग मुन्व लेकर किसी पुरुष को भरवा डाने तो गणिका को उस पुरुष क साथ जीवित ही चित्त में जला देना चाहिए, अथवा उसके गले में पत्थर बाँधकर उसको पानी में डुबो देना चाहिए ।

( २ ) यदि कोई पुरुष किसी गणिका क वस्त्र, आभरण या सभोग से प्राप्त धन को चुरा ले तो उसे उस धन का आठ गुना दण्ड दिया जाय । गणिका का चाहिए कि वह अपने सभोग, अपनी आमदनी और अपने साथ रहनेवाले पुरुष की मूचना गणिकाध्यक्ष को बराबर देती रह ।

( ३ ) यही दण्ड-विधान और यही व्यवस्था उन लोगों के लिये भी है जो नट, नर्तक, गायक, वाद्यक, क्यादाचक, कुशीलव, प्लवक, जादूगर, चारण हैं तथा जो कोई भी स्त्रियो द्वारा जीविका-निर्वाह करते हैं, और वे स्त्रियो को छिपकर व्यभिचार करती हैं ।

( ४ ) बाहर से आई हुई नट-मण्डनी प्रत्येक तेल पर पाँच पण राजकर के रूप में बदा करे ।

( ५ ) रूप से जीविका कमाने वाली केश्या अपने मासिक आमदनी के हिसाब से दो दिन की कमाई कर रूप में राजा को दे ।

( ६ ) गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, लिखना, चित्रकारी करना, बीणावेणु-मृदग बजाना, दूसरे के मन को पहिचानना, मुगन्धित द्रव्या को बनाना, माना मूँघना, पैर दबाना, शरीर सजाना आदि कार्यों में निपुण लोगों की और गणिका, दासी तथा नर्तकिया को कलाओं का ज्ञान देने वाले व्याचार्यों की, बात्री-विका का प्रबन्ध नगरा तथा गाँवों न आन बानी आय द्वारा किया जाना चाहिए ।



(१) गणिकापुत्रान् रंगोपजीविनश्च मुख्यान् निष्पादयेयुः सर्वतालाव-  
चराणां च ।

(२) संज्ञामापान्तरजाश्च स्त्रियस्तेषामनात्मसु ।  
चारघातप्रमादार्थं प्रयोज्या बन्धुवाहनाः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गणिकाध्यक्षो नाम सप्तविंशोऽध्यायः,  
आदित सप्तचत्वारिंशः ।

—: ० :—

( १ ) वेश्यापुत्रों, नाचने-गाने वालों और इसी प्रकार के अन्य लोगों को वेश्याओं का शिक्षक नियुक्त करना चाहिए ।

( २ ) नट-नर्तक आदि पुरुषों को धन का लालच देकर राजा अपने वश में कर ले और तब, अनेक भाषायें बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने वाली उनकी स्त्रियों को शत्रु के गुप्तचरों का वध करने अथवा उनको विषयवाहनाओं में फँसाने के लिये नियुक्त कर दे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में गणिकाध्यक्ष नामक  
सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) नावध्यक्ष समुद्रसमाननदीमुखतरप्रचारम् देवसरोविसरोतदी तराश्च स्थानीयादिष्वेक्षेत ।

(२) तद्वेलाकूलप्रामा वल्प्त दद्यु ।

(३) मत्स्यबन्धका नौकाभाटक पङ्माग दद्यु । पत्तनानुवृत्त शुल्क भाग षणिजो दद्यु । यात्रावेतन राजनौभि सम्पतन्त शखमुक्ताप्राहिणो नौभाटक दद्यु , स्वनौभिर्वा तरेयु ।

(४) अध्यक्षश्चैषा खन्यध्यक्षेण व्याख्यात ।

(५) पत्तनाध्यक्षनिबन्ध पण्यपत्तनचारित्र नावध्यक्ष पालयेत् ।

(६) मूढवाताहता ता पितेवानुगृह्णीयात् । उदकप्राप्त पण्यशुल्कमद्य शुल्क वा कुर्यात् ।

### नौकाध्यक्ष

( १ ) नौका परिवहन के अधिकारी ( नौकाध्यक्ष ) को चाहिये कि वह समुद्र तट की समीपवर्ती नदी को समुद्र के नौका मार्गों को, भौलो तालाबों और गाव के छोटे छोटे जलीय मार्गों को भली भाँति देखता रहे ।

( २ ) समुद्र भौल तथा नदियों के किनारों पर बसे हुए ग्रामीणों को चाहिए कि वे राजा को नियत कर दें ।

( ३ ) मछुओं को चाहिए कि वे अपनी आमदनी का छठा हिस्सा कररूप में राजा को दें । समुद्रतट के व्यापारी बन्दरगाहों के नियमानुसार माल के मूल्य का पाचवाँ या छठा भाग टैक्स दें । सरकारी नौकाओं द्वारा माल लाने लेजाने का भाड़ा वे अलग से दें । इसी प्रकार शक्क और मोती लेजाने वाले व्यापारी नाव का भाड़ा अलग से दें अथवा सरकारी नौकाओं का उपयोग न कर वे निजी नौकाओं से पार उतरें ।

( ४ ) मछली मोती और शक्क आदि सामुद्रिक वस्तुओं के सम्बन्ध में खानों के अध्यक्ष की ही भाँति नाव का अध्यक्ष भी प्रवृत्त करे या उसी व्यवस्था को लागू करे ।

( ५ ) नगराध्यक्ष द्वारा नियत किये गये बन्दरगाह सम्बन्धी नियमों को नावध्यक्ष भली भाँति पालन करें ।

( ६ ) दिशाओं का अज्ञान न रह जाने के कारण या तूफान में फँस जाने के कारण डूबती हुई नौका को अध्यक्ष पित्त के समान अनुग्रह करके बचाये । पानी

(१) यथानिर्दिष्टाश्रंताः पण्यपत्तनयात्राकालेषु प्रेषयेत् । संयान्तीर्णवः क्षेत्रानुगताः शुल्कं याचेत् । हिल्सिका निर्घातयेद्, अमित्रविषयातिगाः पण्यपत्तनचारित्रोपघातिकाश्च ।

(२) शासकनियामकदात्ररश्मिग्राहकोत्सेचकाधिष्ठिताश्च महानावो हैमन्तधीष्मतार्यासु महानदीषु प्रयोजयेत् । क्षत्रिकाः क्षुद्रिकासु वर्धा-स्त्राधिणीषु ।

(३) बद्धतीर्थाश्रंताः कार्याः राजद्विष्टकारिणां तरणभयात् । अकाले-स्तीर्थे च तरतः पूर्वः साहसदण्डः ।

(४) अकालेस्तीर्थे चानिसृष्टतारिणः पादोनसप्तविंशतिपणस्तरात्पयः ।

(५) कर्तव्यकाष्ठतृणभारपुष्पफलवाटपण्डगोपालकानामनत्ययः सम्भाव्यदूतानुपातिनां च सेनाभाण्डप्रचारप्रयोगाणां च । स्वतरणस्तरताम् । बीजभक्तद्रव्योपस्कराश्चानूपप्रामाणां तारयताम् ।

लग जाने के कारण नुकसान हुए माल का टैक्स माफ कर देना चाहिए या नुकसान को देखते हुए आधा ही टैक्स लेना चाहिए ।

( १ ) नि शुल्क या आधे शुल्क वाली नौकाओं को बन्दरगाहों की ओर यात्रा करने के समय में भेज दिया जाय या छोड़ दिया जाय । चलती हुई नौकाएँ जब चुगी पर पहुँच जायें तब उनकी चुगी बसूल की जाय । चोर डाकुओं को नौकाओं को नष्ट कर दिया जाय । जो नौकाएँ शत्रुदेश की ओर जाती हों या जो व्यापार-नियमों का उल्लंघन करती हों, उन्हें भी तहस-नहस कर दिया जाय ।

( २ ) नाव का कप्तान ( शासक ), नावचालक ( नियामक ), लगड डालने वाला ( दात्रग्राहक ), रस्ती या पतवार पकड़ने वाला ( रश्मिग्राहक ), और नौका में भरे हुए पानी को उलीचने वाला ( उत्सेचक ), इन पाँच कर्मचारियों के रहने पर ही बड़ी-बड़ी नौकाओं को गर्मी तथा सर्दियों में समान रूप से बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों में चलाने की आज्ञा देनी चाहिए । बरसाती नदियों में चलाने के लिये अलग नौकाएँ होनी चाहिए ।

( ३ ) इन बड़ी नौकाओं को ठहरने के लिये नियत बन्दरगाह होने चाहिए और उन पर पूरी निगरानी रखी जानी चाहिए, जिससे किसी शत्रु राजा के गुप्तचर उनमें प्रवेश न कर सकें ।

( ४ ) कोई भी नाव वाला यदि अनिश्चित समय में ही अनियमित मार्ग से घाट के आर-पार जाये तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त ठीक समय पर और नियत घाट से बिना आज्ञा नाव पार करने वाले व्यक्ति पर पौने सत्ताईस पण दण्ड निर्धारित किया जाय ।

( ५ ) धीवर, लकड़हारे, घसियारे, माली, कुजड़े, घेतों के रखवाले, चोर की डर से पीछे जाने वाले, राजदूत के पीछे शेष कार्य को पूरा करने के लिए जाने वाली

(१) ब्राह्मणप्रव्रजितबालवृद्धव्याधितशासनहरगमिष्यो नावध्यस-  
मुद्रामिस्तरेयुः ।

(२) कृतप्रवेशाः पारविपयिकाः सार्यप्रमाणाः विशेषुः ।

(३) परस्य भार्या कन्या वित्तं वापहरन्त शंकितमाविग्नमुद्गाण्डीकृतं  
महामाण्डेन भूधिन भारेणावच्छादयन्तं सद्योगृहीतलिङ्गिनमलिङ्गिनं वा  
प्रव्रजितमलक्ष्यव्याधित भयविकारणं गूढसारभाण्डशासनशस्त्राग्नियोगं  
विषहस्त दीर्घपथिकममुद्र चोपग्राहयेत् ।

(४) क्षुद्रपशुर्मनुष्यश्च सभारो मापकं दद्यात् । शिरोभारः कायभारो  
गवाश्वं च द्वौ । उष्ट्रमहिषं चतुरः । पञ्च लघुपानम् । षड् गोलिङ्गम् ।  
सप्त शकटम् । पण्यभारः पादम् ।

सेना, सैनिक सामग्री और गुप्तपुरषा को बिना समय एव बिना आज्ञा ही नदी पार करने पर कोई दण्ड न दिया जाना चाहिए । अपनी नाव से नदी पार करने वाले व्यक्तियों पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । बीज, कर्मचारियों की भोजन-सामग्री, फल, फूल, शाक और मसाला ( उपस्कर ) आदि सामान को पार ले जाने वाले व्यक्ति भी दण्ड से मुक्त समझे जाय ।

( १ ) ब्राह्मण, सन्यासी, बालक, बीमार, राजदूत या हलकारा और गर्भवती स्त्री को नौकाध्यक्ष की मुहर देखकर ही, बिना भाडा के पार कर देना चाहिए ।

( २ ) जिन परदेशियों को पासपोर्ट मिल गया हो अथवा पासपोर्ट प्राप्त व्यापारियों के साथ जिन जिन व्यक्तियों को आने की अनुमति मिल गई हो, वे ही देश में प्रवेश कर सकते हैं ।

( ३ ) किसी की स्त्री, कन्या या किसी का धन चुरा कर भागने वाले व्यक्ति को आगे बताये हुए लक्षणों से पहिचान कर फौरन गिरफ्तार करवा देना चाहिए । वे लक्षण इस प्रकार हैं यदि वह चौकन्ना-सा नजर आये, ताकत से अधिक बोझ उठाये हो, सिर पर इस प्रकार घास फूस फैलाये हो कि शकल न दिखाई दे, नवलो सन्यासी का वेप बनाये हो, सन्यासी वेग बदल कर मादा वेप धारण कर ले, बيمारी का कोई चिह्न न होने पर भी अपने को बीमार जैसा लगाये, डर से मुख की रीतक उतरी हुई हो, बहुमूल्य वस्तुओं को छिपाये हो, गुप्त कागजातों को रखे हो, हथियार छिपाकर रखे हो, जहर आदि को रखे हो, अग्नियोग को छिपाये हो, दूर का सफर करता हो और पासपोर्ट प्राप्त किए बिना ही यात्रा करता हो ।

( ४ ) भेड़, बकरी आदि छोटे जानवरों का और जिस मनुष्य के पास हाथ में उठाने भर का बोझ हो, एक मापक भाडा दे । जिस पुरुष के पास सिर अथवा पीठ से उठाने योग्य बोझ हो और गाय, घोडा आदि पशुओं का, दो मापक भाडा दिया जाय । ऊँट और भैस का चार मापक भाडा दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार

( १ ) तेन भाण्डभारो व्याख्यातः । द्विगुणो महानदीषु तरः ।

( २ ) कल्पतमानूपग्रामा भक्तवेतन दद्युः ।

( ३ ) प्रत्यन्तेषु तरा. शुल्कमातिवाहिक वर्तनीं च गृह्णीयुः । निर्गच्छ-  
तश्चामुद्रस्य भाण्ड हरेयुः । अतिभारेणावेलायामतीर्थे तरतश्च ।

( ४ ) पुरुषोपकरणहीनायामसस्कृताया वा नावि विपन्नाया नावध्यक्षो  
नष्टं विनष्टं वाभ्यावहेत् ।

( ५ ) सप्ताहवृत्तामापाठीं कार्तिकीं चान्तरा तरः ।

कार्मिकप्रत्ययं दद्यान्नित्यं चार्हिकमावहेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे नावध्यक्षो नाम अष्टाविंशोऽध्यायः,  
आदितोऽष्टपञ्चाश ।

— ० —

छोटी गाडी का पाँच मापक, मझौली गाडी छह मापक, और बड़ी बेलगाडी का सात  
मापक भाडा देना चाहिए । बीस तुला बोझ का ३ पण भाडा निर्धारित है ।

( १ ) इसी हिसाब से भंस या ऊँट आदि पर ढोये जाने वाले बोझा का भाडा  
समझ लेना चाहिए । बड़ी-बड़ी नदिया की उतराई इससे दुगुनी होनी चाहिए ।

( २ ) नदियों के किनारे बसे हुए लोग सरकारी टैक्स के अतिरिक्त कुछ निर्धा-  
रित भत्ता या वेतन भी मल्लाहो को दे ।

( ३ ) पार उतारने वाले राजकीय मल्लाह सीमाप्रदेशो मे व्यापारियों से भार्यं  
का टैक्स और अन्तपाल को दिया जाने वाला शुल्क भी क्षदा करें । जो व्यापारी  
बिना मुहर के माल को निकालते पकडा जाय उसका सारा माल जब्त कर लिया  
जाय । जो व्यक्ति, अनिमियत बोझा असमय और बिना घाट के ही पार उतारने की  
कोशिश करे उसका भी सारा माल जब्त कर लिया जाय ।

( ४ ) मल्लाहो की असावधानी, अन्य आवश्यक साधनो से हीन और बिना  
मरम्मत की सरकारी नौका यदि डूब जाय तो मात्रियों का सारा हर्जाना नौकाध्यक्ष  
पूरा करे ।

( ५ ) आपाठी पूर्णिमा से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा के एक सप्ताह बाद तक की  
अवधि के बीच बरसाती नदियों मे नौका-कर लिया जाना चाहिए ( किन्तु सदा बहने  
वाली नदियों मे तो हमेशा ही टैक्स लेना चाहिए ) । प्रत्येक मल्लाह को चाहिए कि  
वह प्रतिदिन के कार्य का विवरण और दैनिक भाग नौकाध्यक्ष के सुपुर्द कर दे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण मे नौकाध्यक्ष नामक

अष्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) गोऽध्यक्षो वेतनोपग्राहिकं करप्रतिकरं भग्नोत्सृष्टकं भागानुप्रविष्टकं व्रजपर्यग्रं नष्टं विनष्टं क्षीरघृतसञ्जातं चोपलभेत ।

(२) गोपालकपिण्डारकदोमन्यकलुब्धकाः शतं शतं घेनूनां हिरण्य-भृताः पालयेयुः । क्षीरघृतभृता हि वत्सानुपहन्धुरिति वेतनोपग्राहिकम् ।

(३) जरद्गुधेनुगभिणीपठोहीवत्सतरीणां समविभागं रूपशतमेकः पालयेत् । घृतस्पाष्टौ वारकान् पणिकं पुच्छं अङ्गुचर्म च वार्षिकं दद्यादिति करप्रतिकरः ।

(४) व्याधितान्यङ्गानन्यदोहीदुदोहापुत्रघ्नीनां च समविभागं रूपशतं पालयन्तस्तज्जातिकं भागं दद्यादिति भग्नोत्सृष्टकम् ।

### पशुविभाग का अध्यक्ष

( १ ) गो, भैंस आदि पालतू पशुओं की देख-रेख में नियुक्त अधिकारी (गोऽध्यक्ष) को चाहिए कि वह १. वेतनीपग्राहिक, २. करप्रतिकर, ३. भग्नोत्सृष्टक ४. भागानु-प्रविष्टक ५. व्रजपर्यग्र, ६. नष्ट, ७. विनष्ट और ८. क्षीरघृतसञ्जात, इन आठों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करे ।

( २ ) गायो को पालने वाले ( गोपालक ), भैंसों को पालने वाले (पिण्डारक), गाय, भैंस को दुहने वाले ( दोहक ), दही को मयने वाले ( मयक ) और हिंसक पशुओं से गाय, भैंस की रक्षा करने वाले ( लुब्धक ), ये पाँच-पाँच व्यक्ति मिलकर सौ-सौ गाय, भैंसों का पालन करें । वेतन के रूप में इनको या तो नगद रकम दिया जाय अथवा अन्न-वस्त्र दिये जाय; दूध, दही आदि में इनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध, दही में इनका हिस्सा होने के कारण ये लोग बछड़ों को मार देते हैं । गाय, भैंस आदि की रक्षा के इस उपाय का नाम वेतनोपग्राहिक है ।

( ३ ) बूढ़ी, दूध देने वाली, गामिन, पठोरी और बछिया, इन पाँच प्रकार की गायों को बीस बीस के क्रम से सौ बनाकर उन्हें किसी चरवाहे को ठेके पर दिया जाय । इसके बदले में चरवाहा गौओं के मालिक को आठ वारक धी, एव-एक पशु के पीछे एक-एक पण, और सरकारी मुहर से मुक्त मरे हुए पशु का एक अदद चमड़ा प्रतिवर्ष दिया करे, रक्षा के इस उपाय को करप्रतिकर कहते हैं ।

( ४ ) बीमार, कानी, लगड़ी, एवहयी ( अनन्यदोही ), मुषिकल से दुही जाने

(१) परचनाटवीभयादनुप्रविष्टानां पशूनां पालनघर्मेण दशभागं दद्युरिति भागानुप्रविष्टकम् ।

(२) वत्सा वत्सतरा दम्या वहिनो वृषा उक्षाणश्च पुंगवा ।

(३) युगवाहनशकटवहा वृषभाः सूनामहिषाः पृष्ठस्कन्धवाहिनश्च महिषाः ।

(४) वत्सिका वत्सतरी प्रष्टीही गर्मिणी घेनुश्चाप्रजाता वन्ध्याश्च गायो महिष्यश्च । मासद्विमासजानास्तासामुपजा वत्सा वत्सिकाश्च । मासद्विमासजातानङ्कुयेत् । मासद्विमासपर्युपितमङ्कुयेत् । अङ्कु विह्वं वर्णं मृङ्गान्तरं च लक्षणम्, एवमुपजा निबन्धयेदिति व्रजपर्यग्रम् ।

(५) चोरहतमन्यपूयप्रविष्टमबलीन वा नष्टम् ।

योग्य और बच्चो को खाने वाली ( पुत्रिणी ), इन पाँच प्रकार की गायों को भी पूर्ववत्, सौ बनाकर, किसी व्यक्ति को ठेके पर पालने के लिए दिया जाय । गोपालक को चाहिए कि वह स्थिति के अनुसार घी आदि का आया या तिहाई हिस्सा मालिक को दे दिया करे, इस उपाय का नाम भग्नाल्लुष्टक है ।

( १ ) शत्रुओ अपवा चोरो के डर से जो गोपालक अपनी गायो को सरकारी चरागाह मे ही बन्द करके रहे, उनको चाहिए कि वह, गायो की कामदती का दसवां भाग राजा को अन्न करे, गाय आदि की रक्षा के इस तौर-तरीके को भागानु-प्रविष्टक कहते हैं ।

( २ ) दूध पीने वाला बछड़ा, बड़ा बछड़ा, कृषियोग्य बछड़ा ( दम्य ), बोनटा दोने योग्य साँड ( वहिनो ), बिना बरिया किया हुआ साँड और हल जोड़ने योग्य बैल, ये छह प्रकार के बैल होते हैं ।

( ३ ) जुवा, हल, गाड़ी आदि मे जोड़े जाने योग्य भैंसा, साँड ( वृषभा ), मास के उपयोग मे आने वाले ( सूनामहिषा ) और बोनटा दोने योग्य, ये चार प्रकार के भैंसे होते हैं ।

( ४ ) दूध पीने वाली बड़िया, पठोरो ( प्रष्टीही ), गर्मिन, दूध देने वाली, अघेड और बान्ठ, ये सात प्रकार की गाय भैंसे हैं । उनके दो महीने या एक महीने के पैदा हुए बछड़ो को उपजा ( लयेरु ) कहते हैं । उन लयेरु बछड़ो को लोहे के पनं छत्रो से दाग देना चाहिए । दो मास तक सरकारी चरागाह मे रहने वाली गाय-भैंसो को भी दाग देना चाहिए, उनके स्वामियो का पत्रा लगे या न लगे । राजकीय मुहर अपवा छन्ले आदि से अङ्कित गाय-भैंसों तथा लयेरु बछड़ो के रङ्ग, सींग आदि विशेष चिह्नो का उल्लेख रजिस्टर में किया जाय । गायों की रक्षा के इस उपाय को व्रजपर्यग्र कहते हैं ।

( ५ ) नष्ट गोपत्र तीन प्रकार का होता है . १ चोरों द्वारा अपहृत २. दूधरे गोठों मे विलसित और ३. अपने गोठ से भ्रष्ट, इसी अवस्था को नष्ट कहते हैं ।

(१) पङ्कवियमव्याधिजरातोयाहारावसन्नं वृक्षतटकाष्ठशिलाभिहतमी-  
शानव्यालसर्पग्राहदावाग्निविपन्नं विनष्टम् । प्रमादादभ्यावहेयुः ।

(२) एवं रूपाग्रं विद्यात् ।

(३) स्वयं हन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च वध्यः । परपशूनां राजा-  
ङ्कन परिघतयिता रूपस्य पूर्वं साहसदण्डं दद्यात् ।

(४) स्वदेशीयानां चोरहतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत् । परदेशीयानां  
मोक्षयितार्थं हरेत् ।

(५) बालवृद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुर्युः ।

(६) लुब्धकश्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपरबाधभयमृतुविभक्तमरण्यं  
चारयेयुः ।

(७) सर्पव्यालत्रासनाथं गोचरानुपातज्ञानार्थं च त्रस्नूनां घण्टातूर्यं च  
वघ्नीयुः ।

( १ ) दल-दल में फँसी, गढे में गिरी, बीमार, बूढ़ी, पानी तथा आहार के  
अभाव में नष्ट, वृक्ष तले दबी, चट्टान या शिलाओं से जख्मी, बिजली गिर जाने से  
नष्ट, हिंसक जानवरों से आक्रान्त, साँप, नाक या जगली आग से नष्ट, गायों को  
विनष्ट कहते हैं । यदि इस प्रकार गाय आदि का विनाश गायों की असावधानी  
के कारण होवे तो उस हानि को वे स्वयं पूरा करें ।

( २ ) अध्यक्ष को चाहिए कि वह इन सभी बातों की पूरी जानकारी रखे ।

( ३ ) यदि कोई ग्वाला गाय को मारे, या किसी से मरवावे, उसकी चोरी करे,  
या करवावे, तो उसे प्राणदण्ड दिया जाना चाहिए । जो गाय-भैंस सरकारी नहीं हैं उन  
पर राजकीय चिह्न कर उनके रूप को बदल देने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड  
दिया जाय ।

( ४ ) चोरो से चुराये गये अपने देश के पशुओं को जो व्यक्ति उनके वास्तविक  
स्वामिधो को वापिस कर दे, मालिक से वह प्रति पशु के पीछे एक पण वसूल कर  
ले । चोरो से छुड़ाये गये परदेश के पशुओं का आधा हिस्सा मालिक का और आधा  
हिस्सा छुड़ाने वाले का होता है ।

( ५ ) गोपालको को चाहिए कि वे, बछड़ों, बीमार और बूढ़े पशुओं की उचित  
परिचर्या करें ।

( ६ ) गोपालको को चाहिए कि वे शिकारियों, बहेलियों, चोरो, हिंसकों और  
शत्रु की बाधाओं आदि से सावधान रह कर ऋतु के अनुसार सुरक्षित जगहों में  
गायों को चरायें ।

( ७ ) सर्प एवं हिंसक पशुओं को डराने के लिए, चरागाह में गाय की पहिचान  
के लिए और घबड़ाने वाले पशुओं की गर्दन में लोहे की घटी बाँध देनी चाहिए ।



(१) समव्यूढतीर्यमकदंमग्राहमुदकमवतारयेयुः पालयेयुश्च । स्तेन-  
व्यालसर्पग्राहगृहीत व्याधिजरावसन्न च आवेदयेयुरन्यथा रूपमूल्यं भजेरन् ।

(२) कारणमृतस्याङ्गुचर्म गोमहिषस्य कर्णलक्षणमजाविकाना पुच्छ-  
मङ्गुचर्म चाश्वखरोष्ट्राणा बालचर्मवस्तिपित्तस्नायुदन्तधुरभृङ्गास्थीनि  
चाहरेयुः ।

(३) मासमाममाद्रं शुष्कं वा विक्रीणीयुः । उदश्वित् श्वचराहेभ्यो दद्युः ।  
कूर्चिकां सेनामक्तार्थमाहरेयुः । किलाटो घाणपिण्याकवलेदार्यः ।

(४) पशुविक्रेता पादिक रूप दद्यात् ।

(५) वर्षाशरद्धेमन्तानुभयतः कालं दुह्युः । शिशिरवसन्तग्रीष्मानेक-  
कालम् । द्वितीयकाले दोगधुरङ्गुष्ठच्छेदो दण्डः ।

(६) दोहनकालमतिक्रामतस्तत्फलहानं दण्डः ।

( १ ) पशुओं को पानी पिलाने एवं नहलाने के लिए ऐसे स्थान में उतारना चाहिए, जहाँ चौरस घाट बने हो और दलदल एवं हिंसक जलचर जन्तु दोनों न हो, गोपालक पूरी सावधानी से उनकी रक्षा करता रहे। गोपालको का कर्तव्य है कि वे चोर, व्याध्र, साँप एवं नाकव आदि से आक्रान्त और बीमारी तथा बुटापे से मरे हुए पशुओं की सूचना अध्यक्ष को दें, अन्यथा मृतपशु के नुकसान का दायित्व उन पर समझा जायगा ।

( २ ) यदि भैंस मर गई हो तो उसका दगा हुआ चमड़ा, बकरी तथा भेड़ के चिह्नित कान, और घोड़ा, गधा एवं ऊँट की पूंछ लाकर ग्वाला, अध्यक्ष के सामने पेश करे, साथ ही वह मरे हुए पशु के बाल, चमड़ा, मूत्राशय, पित्ता, आंत, दाँत, खुर, सींग और हड्डी, इन सब चीजों का सग्रह करके रख ले ।

( ३ ) गोलें या सूखे मांस को बेच देना चाहिए । मठा की कुत्तों और सूअरों में वितरित कर देना चाहिए । काँजी को सैनिकों के लिए देनी चाहिए । फटे हुए दूध को गाय भैंसों की सानी में डाल देना चाहिए ।

( ४ ) पशुओं का व्यापारी प्रत्येक पशु के पीछे, उसकी लागत का चतुर्थांश अध्यक्ष को दे ।

( ५ ) ग्वालियों को चाहिए कि वे सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मागंशीर्ष और पौष महीनों में गाय-भैंसों को दो समय दुहे । माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ में केवल सायंकाल ही दुहें ।

( ६ ) इन छह महीनों में गाय भैंसों को दोनो समय दुहने वाले व्यक्ति का अग्रूठा काट देना चाहिए । जो ग्वाला ठीक समय पर न दुहे, उसे उस दिन का वेतन न दिया जाय ।

(१) एतेन नस्यदम्ययुगपिङ्गनवर्तनकाला व्याख्याताः ।

(२) क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थः । पञ्चभागाधिको महिषीणाम् । द्विभागाधिकोऽजावीनाम् । मन्थो वा सर्वेषां प्रमाणं, भूमितृणोदकविशेषाद्धि क्षीरघृतवृद्धिर्भवति ।

(३) सूयवृषं वृषेणावपातयतः पूर्वंः साहसदण्डः, घातयत उत्तमः ।

(४) वर्णाविरोधेन दशतीरक्षाः । उपनिवेशदिग्विभागो गोप्रचाराद् बलान्वपतो वा गवां रक्षासामर्थ्याच्च । अजावीनां पाण्मासिकोमूर्णां ग्राहयेत् । तेनाश्वखरोष्ट्रवराहवजा व्याख्याता ।

(५) बलीवर्दानां नस्याश्वभद्रगतिवाहिनां यवसस्यार्धमारः, तृणस्य द्विगुणं, तुला घाणपिण्याकस्य, दशाढकं कणकुण्डकस्य, पञ्चपलिकं मुखलवणं, तैलकुडुबो नस्यं, प्रस्थः पानम् । मांसतुला, दध्नश्चाढकं, यवद्रोणं, मायाणां वा पुलाकः । क्षीरद्रोणमर्धाढकं वा सुरायाः, स्नेहप्रस्थः क्षारदशपलं शृङ्गिवेरपलं च प्रतिपानम् ।

( १ ) इसी प्रकार जो व्यक्ति ठीक समय पर बैलो को न नाये, ठीक समय पर नये बैलो को बाण पर न लगाये, नौसिलिये तदा पूरे बैल को एक साथ जोते, और बैलो को ठीक समय पर न सिलाये, उन्हे भी उस दिन का वेतन नहीं देना चाहिए ।

( २ ) एक द्रोण गाय के दूध मे एक प्रस्थ घी निकलता है । यदि एक द्रोण भैंस का दूध हो तो उसमे पाँच प्रस्थ घी निकलता है । बकरी और भेड के एक द्रोण दूध मे ३ घी निकलता है । किसी भी पशु के दही को मयकर ही उसमे निकलने वाले घी का ठीक परिमाण निर्धारित किया जा सकता है । भूमि, घास, पानी आदि की अधिक सुविधा के ऊपर ही दूध-घी की वृद्धि निर्भर है ।

( ३ ) यदि कोई व्यक्ति गोष्ठ के साँड को किसी दूसरे साँड से लडाये तो उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए, उसको मारे तब भी उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) एक रग की दस गाएँ, इस प्रकार की दस वर्णों की सौ गाएँ करके किसी श्वाले को रक्षा के लिए दे देनी चाहिएँ । गायो के रहने और चरने की नियमित व्यवस्था, उनको तादात को एव उनकी सुरक्षा को देखकर ही करनी चाहिए । बकरी और भेड की ऊन छद्द मान वाद उतार लेनी चाहिए । गाय, भैंसो के अनुसार ही घोडे, गधे, जँट और सूजरो की भी यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

( ५ ) नये हुए बैलो और घोडो के रथ पर जुते जाने वाले श्रेष्ठ बैलो को आधा मार ( दस तुला ) हरी घास, उससे दुगुनी भूसी, दस आढक सानी, पाँच पल नमक, एक कुडव तेल नाक मे, एक प्रस्थ तेल पीने के लिये देना चाहिए, इसके अतिरिक्त

(१) पादोनमश्वतरगोखराणां, द्विगुणं महिषोष्ट्राणां कर्मकरबलीवर्दानाम् । पायनार्थं च घेनूनाम् । कर्मकालतः फलतश्च विधानम् । सर्वेषां तृणोदकप्राकाम्यम् । इति गोमण्डलं व्याख्यातम् ।

(२) पञ्चर्षभं खराश्वानामजावीना दशर्षभम् ।  
शक्यं गोमहिषोष्ट्राणा यूथं कुर्याच्चतुर्वयम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गोऽध्यक्षो नाम एकोनत्रिंशोऽध्याय ,  
आदित एकोनपञ्चाश ।

— ० —

सो पल मांस एक आढक दही, एक द्रोण जौ या उडद, इन सब चीजों का साँदा बनाकर भी दिया चाहिए, एक द्रोण दूध या आधा आढक सुरा, एक प्रस्थ तेल या घी, दस पल गुड और एक पल सोठ, इन सबको एकत्र करके बैलों को देना चाहिए ।

( १ ) बैलों की इस खुराक का चतुर्थांश कम खुराक खच्चरो तथा गधों को, बँलों की दुगुनी खुराक भँसों, ऊँटों एव खेतों में काम करने वाले बैलों को, दूध देने वाली गायों को, देनी चाहिए । काम करने वाले बैलों और दूध देने वाली गायों की खुराक उनके कार्य एव दूध के औसत के अनुसार ही दी जानी चाहिए । सभी पशुओं को उनकी इच्छानुसार भरपेट घास-पानी देना चाहिए । यहाँ तक गो आदि पशुओं की आहार-व्यवस्था बताई गई ।

( २ ) एक सौ गधही तथा घोड़ियों के भ्रुण्ड पाँच घोड़े, सौ भेड़-बकरियों में दस बकरे, सौ सौ गाय, भँस तथा ऊँटों के भ्रुण्डों में चार-चार साँड, छोड़ने चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में गोऽध्यक्ष नामक  
उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) अश्वाध्यक्ष. पण्णागारिक क्रयोपागतमाहवल्बधभाजातं साहाय्यागत पणस्थित यावत्कालिकं वाश्वपर्यग्रं कुलवयोवर्णचिह्नकर्मवर्गागमैल्लेखयेत् ।

(२) अग्रशस्तन्यङ्गव्याधितारश्चावेदयेत् ।

(३) कोशकोष्ठागाराभ्या च गृहीत्वा मासलाभमश्वबाहश्चिन्तयेत् ।

(४) अश्वविभवेनापतामश्वामाभद्विगुणविस्तारा चतुर्द्वारोपावर्तनमध्यां सप्रप्रोवा प्रद्वारासनफलकयुक्ता वानरमयूरपृपतनकुलचकोरशुकशारिकाभिराकीर्णां शाला निवेशयेत् ।

(५) अश्वायामचतुरश्रलक्षणफलकास्तार सखादनकोष्ठकं समूत्रपुरोपोत्सर्गमेकैकशः प्राङ्मुखमुङ्मुखं वा स्थानं निवेशयेत् । शालावरोन वा दिग्बिभागं कल्पयेत् । बडबावृषकिशोराणाम् एकान्तेषु ।

### अश्वविभाग का अध्यक्ष

( १ ) अश्वशाला के अध्यक्ष को चाहिए कि वह, भेटस्वरूप प्राप्त, खरीदे हुए, युद्ध में मिले हुए, अपने यहाँ पैदा हुए, बदले में प्राप्त, रेंहन रखे हुए और कुछ समय के लिए सहायतार्थ प्राप्त, इन सभी प्रकार के घोड़ों को उनकी नस्ल, उम्र, रंग, चिह्न, समूह, कर्म और कहाँ से वे मिले हैं, इन सभी बातों का विवरण अपने रजिस्टर में दर्ज करे ।

( २ ) बुरी नस्ल वाले, लगड़े-जूते और बीमार घोड़ों को बदल देना चाहिए या उनका उचित इलाज करना चाहिए ।

( ३ ) कोष और कोष्ठागार से एक महीने का पूरा खर्च लेकर साईस को चाहिए कि वह सावधानीपूर्वक घोड़ों की टहल-सेवा करे ।

( ४ ) घोड़ों को रखने के लिये ऐसी घुडसाल बनवाई जाय, जो घोड़ों की सख्या के अनुसार लम्बी और घोड़ों की लम्बाई से दुगुनी चौड़ी हो, उसमें चार दरवाजे, काफी फँलाव, बड़ा बरामदा, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे हो और जो बन्दर, मोर, नेवला, चकोर, तोता तथा मैना आदि से घिरी हुई हो ।

( ५ ) घोड़े की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार एक समतल चौकोर तख्ता बिछा होना चाहिए । इसके अतिरिक्त घास भूसा खाने के लिए लकड़ी की नाँद, पेशाब

(१) बडबायाः प्रजातायास्त्रिरात्रं घृतप्रस्थपानम् । अत ऊर्ध्वं सक्तु प्रस्थः स्नेहभक्ष्यप्रतिपान दशरात्रं, ततः पुलाको यवसमातंश्चाहारः ।

(२) दशरात्रादूर्ध्वं किशोरस्य घृतचतुर्भागः सक्तुकुडवः क्षीरप्रस्थश्चाहार आ यण्मासादिति । ततः परं मासोत्तरमर्धवृद्धियवप्रस्थ आत्रिवर्षाद्, द्रोण आ चतुर्वर्षादिति । अत ऊर्ध्वं चतुर्वर्षः पंचवर्षा वा कर्मण्यः पूर्णप्रमाणः ।

(३) द्वार्तिशदङ्गुल मुखमुत्तमाश्वस्य, पञ्चमुखान्यायामः, विशत्यङ्गुला जङ्घा, चतुर्जङ्घ उत्सेधः । त्र्यङ्गुलावरं मध्यमावरयाः । शताङ्गुलः परिणाहः । पञ्चभागावरं मध्यमानरयोः ।

(४) उत्तमाश्वस्य द्विद्रोण शालिव्रीहियवप्रियङ्गूणामर्धशुष्कमर्धसिद्धं

तथा लीद रखने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए, घुडसालो के दरवाजे पूरब तथा उत्तर की ओर होने चाहिए, घोडो को बांधने के लिए अलग-अलग खूँटे होने चाहिए। घुडसाल, या तो राजमहल के उत्तर-पूरब में होनी चाहिए, यदि ऐसा सम्भव न हो तो सुविधानुसार उचित दिशाओ की ओर उनके दरवाजे बना दिए जाय। प्रसवा घोडियो, साँड, घोडो और छह मास से तीन वर्ष तक के बछेडो को बांधने के लिए अलग-अलग स्थान होने चाहिए।

( १ ) जब घोडी ब्याये तो उसे तीन दिन तक एक प्रस्थ घी पीने के लिए दिया जाना चाहिए। तदनन्तर दस दिन तक उसे एक प्रस्थ सक्तू और चिकनाई में मिली दवा पीने के लिए दी जानी चाहिए। उसके बाद उसे अघपके जो का साँदा, घास और शतु के अनुसार आहार देना चाहिए।

( २ ) नये पैदा हुए घोडो के बछेडे को दस दिन बाद एक कुडव सक्तू में चौथाई घी मिला कर देना चाहिए। छह महीने तक उसे एक प्रस्थ दूध प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। तदनन्तर उसको जो का एक प्रस्थ और उसमें उत्तरोत्तर प्रतिमास आधा प्रस्थ बढ़ाकर तीन वर्ष तक यही आहार देना चाहिए। उसके बाद पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन उसे एक द्रोण आहार मिलना चाहिए। तब जाकर चार या पाँच वर्ष में वह पूरी तरह काम लेने लायक होता है।

( ३ ) जिस घोडे की खाँब बत्तीस अगुल, लम्बाई एक-सौ साठ अगुल, जघा बीस अगुल और ऊँचाई अस्सी अगुल हो वह उत्तम होता है। उससे तीन अगुल कम परिमाण का घोडा मध्यम और उससे भी तीन अगुल कम परिमाण को घोडा अधम कोटि का समझना चाहिए। उत्तम घोडे की मोटाई सौ अगुल, मध्यम घोडे की मोटाई अस्सी अगुल और अधम घोडे की मोटाई चौंसठ अगुल होती है।

( ४ ) उत्तम घोडो को साठी, चावल, रोहूँ, जो, काकुन आदि में से कोई भी दो

वा मुद्गमापाणां वा पुलाकः । स्नेहप्रस्थश्च । पञ्चपलं लवणस्य । मांसं पञ्चाशत्पलिकम् । रसस्याढकं द्विगुणं चा दध्नः पिण्डक्लेदनार्थम् । क्षार-पञ्चपलिकः सुरायाः प्रस्थः पयसो वा द्विगुणः प्रतिपानम् । दीर्घपथमार-बलाग्नानां च खादनार्थं स्नेहप्रस्थोऽनुवासनम् । कुडुबो नस्यकर्मणः । यव-सस्यार्थमारः, तृणस्य द्विगुणः, पडरत्निपरिक्षेपः पुञ्जोलप्रहो वा ।

( १ ) पादावरभेतन्मध्यमावरयाः । उत्तमसप्तो रम्यो वृषरच मध्यमः । मध्यमसप्तमश्चावरः पादहीनं बडवाना पारशमानां च । अतोर्ध्वं किशोराणां च । इति विद्यायोगः ।

( २ ) विद्यापाचकमूत्रप्राहकचिकित्सकाः प्रतिस्वादमाजः ।

( ३ ) युद्धव्याधिजराकर्मक्षीणाः पिण्डगोघरिकाः स्युः । असमरप्रयो-ज्याः पौरजानपदानामर्थेन वृषा बडवास्वायोज्याः ।

द्रोण धान्य अथपका या अथमूला, मूराव मे देना चाहिए; अथवा इतना ही मूंग या उदद का साँदा बनाकर देना चाहिए । इसके अतिरिक्त एक प्रस्थ घी या तेल, पाँच पल नमक पचास पल मास एक आढक शोरवा या दो आढक दही मे भीगी हुई सानी, पाँच पल गुड के साथ एक प्रस्थ शराव अथवा दो प्रस्थ दूध, प्रतिदिन तीसरे पहर पीने के लिये दिया जाना चाहिए । लम्बा मुफर और अधिक बोम्हा उठाने के कारण पके हुये घोडे को एक प्रस्थ घी या तेल और साथ ही उतने ही परिमाण की भकावट को दूर करने वाली दवाइयो का मिश्रण ( अनुवासन ) पिलाना चाहिए । एक कुडव घी या तेल उसके नाक मे छोडना चाहिए, खाने के लिये उसको दस तुला भूसा, बीस तुला हरी घास या जई आदि देना चाहिए ।

( १ ) उत्तम घोडे की उक्त खूराक का चौथाई हिस्सा कम मध्यम घोडे की और उसमे से भी चौथाई हिस्सा कम अथम घोडे की खूराक है । जो मध्यम घोडा रथ मे जाँता जाय तथा जो साँड घोडी पर छोडा गया हो उनको भी उत्तम घोडे का आहार देना चाहिये । इसी प्रकार जो अथम घोडे रथ मे जाँते जाय या साँड छोडे जाँ उनको मध्यम घोडे का आहार देना चाहिए । इस आहार से चौथा हिस्सा कम घोडी और खच्चरो का आहार है । उसका बाग आहार बछडो को देना चाहिए । यही घोडो के आहार का विधान है ।

( २ ) घोडों की परिचर्या करने वाले साँसों और उनकी चिकित्सा करने वाले वैद्यों को भी घोडे के आहार मे से कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए ।

( ३ ) जो घोडे युद्ध के कारण, बीमारी, बुडापे और भार डोने के कारण, असाक्त तथा बेकार हो चुके हैं, उन्हें उतना ही आहार दिया जाय कि वे भूखे न मर सकें । जो घोडे हृष्ट-मुष्ट होकर भी युद्धोपयोगी न हों, उन्हें नगर तथा अनपद के निवासियों की घोडियों मे नस्ल पैदा करने के लिए साँड बना दिया जाय ।

(१) प्रयोग्यानामुत्तमाः कान्बोजकसन्धवारट्टजवानायुजाः । मध्यमा बाल्हीकपापेयकसौवीरकतैतलाः । शेपाः प्रत्यवराः ।

(२) तेषां तीक्ष्णमद्रमन्दवशेन सान्नाह्यमौपवाह्यकं वा कर्म प्रयोजयेत् । चतुरस्रं कर्मश्वस्य सान्नाह्यम् ।

(३) बल्गनो नीचैर्गतो लघनो घोरणो नारोष्ट्रश्चौपवाह्याः ।

(४) तत्रौपवेणुको वर्धमानको यमक आलीढप्लुतः ( पृथ ? पूर्व ) - गस्त्रिकचाली च बल्गनः ।

(५) स एव शिरःकर्णविशुद्धो नीचैर्गतः, षोडशमार्गो वा । प्रकीर्णकः प्रकीर्णोत्तरो निपण्णः पार्श्वानुवृत्त ऊर्मिमार्गः शरमक्रीडितः शरमप्लुतः

( १ ) चाल एव कबायद मे प्रवीण युद्धयोग्य घोडो मे काबुल, सिंध, आरट्ट और अरब देशो के घोडे उत्तम श्रेणी के हैं । व्यास, सतलज के मध्यवर्ती प्रदेश (बाल्हीक), पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ( पापेयक ), राजस्थान और तितल देशो मे उत्पन्न घोडे मध्यम कोटि के होते हैं । इनके अतिरिक्त सभी घोडे अधम कोटि मे आते हैं ।

( २ ) तेज, मध्यम और मन्द गति के अनुसार ही घोडो को युद्धकार्यो और साधारण सवारी आदि कार्यों मे प्रयुक्त करना चाहिये । विशेषज्ञों द्वारा युद्ध-सम्बन्धी हर प्रकार की चालो की शिक्षा दिलाना ही घोडे का सान्नाह्य कर्म कहलाता है ।

( ३ ) सवारी या खेलो मे प्रयुक्त किए जाने वाले घोडो की चाल के पांच भेद हैं : १. बल्गन, २. नीचैर्गत, ३ लघन, ४ घोरण और ५. नारोष्ट्र ।

( ४ ) मण्डलाकार चक्कर लगाने को बल्गन कहते हैं । वह छह प्रकार का होता है : १. औपवेणुक ( एक हाथ के गोल घेरे मे घूमना ), २. वर्धमानक ( उतने ही घेरे मे कई बार घूमना ), ३. यमक ( बराबर के दो घेरो मे एक साथ घूमना ), ४. आलीढप्लुत ( एक पैर को समेट कर और दूसरे पैर को फैलाकर छत्ताग मारना और तत्काल ही घूम जाना ) ५ पूर्वग ( शरीर के अगले हिस्से के सहारे घूमना ) और ( ६ ) त्रिकचाली ( पुट्टी और पिछली दो टांगों के सहारे घूमना ) ।

( ५ ) शिर और कान में किसी प्रकार की कपन पैदा किए बिना ही गोल घेरे मे चक्कर लगाना ही नीचैर्गत कहलाता है; उसके सोलह प्रकार हैं - १. प्रकीर्णक ( सभी चालें एक साथ मिली हुई होना ), २. प्रकीर्णोत्तर ( सभी चालें एक साथ मिली हुई होने पर भी एक चाल का मुख्य होना ), ३. निपण्ण ( पीठ पर कपन किये बिना ही किसी विशेष चाल को निकालना ), ४. पार्श्वानुवृत्त ( एक ही ओर तिरछी चाल चलना ) ५. ऊर्मिमार्ग ( सहरो जैसी ऊँची-नीची चाल चलना ), ६ शरमक्रीडित ( तरुण हाथो की तरह क्रीडा करते हुए चलना ), ७ शरमप्लुत ( तरुण हाथो की तरह कूद कर चलना ), ८. त्रिताल ( तीन पैरो से चलना ), ९. वाह्यानु-

त्रिनालो बाह्यानुवृत्तः पञ्चपाणिः सिंहायतः स्वाघृतः क्लिष्टः श्लिङ्गितो  
वृहितः पुष्पामिकीर्णश्चेति नीचगंतमार्गाः ।

(१) कपिप्लुतो भेक्प्लुत एणप्लुत एकपादप्लुतः कोक्लिसञ्चार्य-  
रस्यो वक्चारी च लङ्घनः ।

(२) काङ्क्षो वारिकाङ्क्षो मायूरोऽर्धमायूरो नाकुलोऽधनाकुलो वारा-  
होऽर्धवाराश्चेति धोरणः ।

(३) सज्ञाप्रतिकारो नारोष्ट्र इति ।

(४) पण्णव द्वादशेति योजनान्यध्वा रथ्यानाम् । पञ्च योजनान्य-  
र्धाष्टमानि दशेति पृष्ठवाह्यानामश्वानामध्वा ।

वृत्त ( दायें बायें घेरा बनाकर चलना ), १०. पञ्चपाणि ( पहिले तीन पैरों को एक साथ रखकर फिर एक पैर को दो बार रख कर चलना ), ११ सिंहायत ( मोर के समान लम्बी चाल भरना ), १२. स्वाघृत ( लम्बी कूद भरना ), १२. त्रिपट ( बिना सवार के ही चलना ), १४ त्रिगित ( शरीर के अगले हिस्से को झुका कर चलना ), १५ वृहित ( शरीर के अगले हिस्से को ऊँचा करके चलना ) और १६. पुष्पामि-  
कीर्ण ( टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना ) ।

( १ ) कूद कर चलने वाली चाल का नाम लङ्घन है, उसके सात प्रकार हैं : १. कपिप्लुत ( बन्दर की तरह कूद कर चलना ), २ भेक्प्लुत ( मेढक की तरह उछल कर चलना ), ३. एणप्लुत ( हरिण की तरह छत्राग मारकर चलना ), ४. एकपादप्लुत ( तीन पैरों को समेट कर एक पैर से ही छत्राग मार कर चलना ), ५. कोक्लिसचारी ( कोरल की तरह छुदक कर चलना ), ६. उरस्य ( पैरों को समेट कर छानी के बल कूदकर चलना ) और ७. वक्चारी ( बगुले की तरह बीच में धीरे धीरे चलकर सहसा एक साथ कूदकर चलना ) ।

( २ ) धीरे धीरे चलकर सहसा सरपट चान से चलना धोरण गति कहलाती है, उसके आठ प्रकार हैं १. वाक् ( बगुले की चान चलना ), २. वारिकाङ्क्ष ( बत्ख की चाल चलना ), ३. मायूर ( मोर की चाल चलना ), ४. अर्धमायूर ( आधी चाल मोर की चलना ), ५. नाकुल ( नेवले की चान चलना), ६. अर्धनाकुल ( आधी चान नेवले की चलना ), ७. वराह ( मुन्नर की चाल चलना ) और ८. अर्धवराह ( आधी चाल मुन्नर की चलना ) ।

( ३ ) सिन्धवे हृथ इक्षारों पर चलना नारोष्ट्र चाल कहलाती है ।

( ४ ) रथ में जाने जाने योग्य अथम घोड़ों को छद्म योजन, मध्यम घोड़ों को नी योजन और उत्तम घोड़ों को बारह योजन चलाये जाने के बाद विश्राम देना चाहिये, अथम, मध्यम और उत्तम किस्म के भार दोन वाले घोड़ों को इसी क्रम से पाँच, साठ सत और दस योजन चञ्चान के बाद विश्राम देना चाहिए ।



- (१) विक्रमो मद्राशवासो भारवाह्य इति मार्गाः ।
- (२) विक्रमो वल्गितमुपकण्ठमुपजवो जवश्च धाराः ।
- (३) तेषां बन्धनोपकरणं योग्याचार्याः प्रतिदिशेषुः । साद्रग्रामिकं रयाश्वालङ्कारं च सूताः । अश्वानां चिकित्सकाः शरीरह्वासवृद्धिप्रतीकार-मृतुविमक्तं चाहारम् ।
- (४) सूत्रप्राहकारश्वबन्धकयावसिकविद्यापाचकस्थानपालकेशकारजाङ्गलीविदश्च स्वकर्मभिरश्वानाराधयेयुः ।
- (५) कर्मातिक्रमे चैषां दिवसवेतनच्छेदनं कुर्यात् । नीराजनोपहृद्धवाहयतश्चिकित्सकोपरुद्धं वा द्वादशपणो दण्डः ।
- (६) क्रियाभंगज्यसङ्गेन व्याधिवृद्धौ प्रतीकारद्विगुणो दण्डः । तदपराधेन बंलोम्ये पञ्चमूल्यं दण्डः ।

{ १ } उक्त तीनों कोटि के घोड़ों की गति तीन प्रकार की होती है, यथा, १. मन्दगति, २. मध्यगति और ३. तीव्रगति ।

{ २ } मन्दगति से चलना, मध्यम गति से चलना, तीव्र गति से चलना, चौकचा होकर चलना, कूद-फाँदकर चलना, दायें बायें होकर चलना, तेज तेज चलना, इन सब तरह की चालों का नाम धारा है, धारा अर्थात् ढग या क्रम ।

{ ३ } घोड़ों के विभिन्न अवयवों को किस प्रकार के आभूषणों से सजाना चाहिए, इसकी विधि, योग्य आचार्य बतलायें । युद्धोपयोगी घोड़ों और रथों को सजाने की सारी क्रिया का निर्देश सारथी करे । ऋतु के अनुसार घोड़ों का क्या-क्या आहार होना चाहिये एवं उनके मोटा होने या तग होने का तरीका क्या है, इसका निर्देश अश्व-चिकित्सक करे ।

{ ४ } लगाम पहिना कर घोड़ों को टहलाने वाला नौकर, लगाम तथा जीन आदि चढाने वाला कर्मचारी, घास खिलाने वाला नौकर, उनके लिये उदद भूया एवं चावल पकाने वाला रसोइया, घुडसाल की सफाई करने वाला व्यक्ति, घोड़ों के बाल तथा खुरें ठीक करने वाला नौकर और अश्वचिकित्सक, ये सभी नौकर-चाकर अपने-अपने कार्यों को नियत समय पर पूरा करते हुए घोड़ों की यथोचित परिचर्या करें ।

{ ५ } इनमें से जो भी कर्मचारी अपने कार्य को उचित रीति में न करे उसका उस दिन का वेतन काट लेना चाहिए । कुशल-क्षेम एवं बल-वृद्धि के लिए और चिकित्सा के लिए रोकें गये घोड़ों को काम पर लगाने वाले व्यक्ति से बारह पण दण्डरूप में वसूल किए जायें ।

{ ६ } घोड़ों की यथासमय चिकित्सा न करने के कारण यदि उनकी बीमारी बढ जाय तो इलाज में जितना व्यय हो, उसका दुगुना दण्ड अश्वशाला के अध्यक्ष

- (१) तेन गोमण्डलं खरोष्ट्रमहिपमजाविकं च व्याख्यातम् ।  
 (२) द्विरह्नः स्नानमश्वाना गन्धमाल्यं च दापयेत् ।  
 कृष्णसन्धिषु भूतेज्याः शुबलेषु स्वस्तिवाचनम् ॥  
 (३) नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमेऽहनि ।  
 यात्रादाववसाने वा व्याधौ वा शान्तिके रतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणेऽश्वार्थ्यधो नाम त्रिशोऽध्याय ,  
 आदित पञ्चाश ।

— ० —

पर करना चाहिए । यदि चिकित्सा और दवाई के दोष के कारण घोड़ा मर जाय तो जितनी कीमत का घोड़ा हो उतना दण्ड अश्वशाला के अध्यक्ष पर किया जाय ।

( १ ) घोड़ों की परिचर्या और चिकित्सा के लिए ऊपर जो नियम बताये गये हैं, गाय, बैल, गधा, ऊँट, भैंस और भेड़-बकरियों को परिचर्या चिकित्सा के सम्बन्ध में भी वही नियम समझने चाहिए, इनके सम्बन्ध में भी वही दण्ड-व्यवस्था है ।

( २ ) शरद और ग्रीष्म, दोनों ऋतुओं में घोड़ों को दो दो बार नहलाना चाहिये । गन्ध और मालाएँ उन्हें प्रतिदिन दी जानी चाहिए । अमावस्या को घोड़ों के निमित्त भूतों को बलि देनी चाहिए । और पूर्णमासी को उनके कुशल क्षेम के लिये स्वस्तिवाचन पढ़ा जाना चाहिए ।

( ३ ) आश्विन मास की नवमी को घोड़ों के स्वस्थ-नोरोग रहने के लिये नीराजना सस्कार करना चाहिए । यात्रा के आगे और यात्रा की समाप्ति पर और घोड़ों में कोई सक्रामक रोग फैलने पर भी नीराजना सस्कार करना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अश्वार्थ्यधो नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) हस्त्यध्यक्षो हस्तिवनरक्षां दम्यकर्मक्षान्तानां हस्तिहस्तिनीकल-  
भानां शालास्थानशय्याकर्मविधायवसप्रमाणं कर्मस्वायोगं बन्धनोपकरणं  
साङ्गामिकमलङ्कारं चिकित्सकानीकस्थोपस्थायुकवर्गं चानुतिष्ठेत् ।

(२) हस्त्यायामद्विगुणोत्सेधविष्कम्भायामो हस्तिनीस्थानाधिकां  
सप्रग्रीवां कुमारीसङ्ग्रहां प्राङ्मुखीमुदङ्मुखीं वा शालां निवेशयेत् ।

(३) हस्त्यायामचतुरश्रभ्रूक्षणालानस्तम्भफलकान्तरकं मूत्रपुरीषो-  
त्सर्गस्थानं निवेशयेत् । स्थानसमशय्यामर्धापाश्रयां दुर्गो साल्नाह्योपवाह्यानां  
बहिर्दम्यव्यालानाम् ।

### गजशाला का अध्यक्ष

( १ ) गजशाला के अध्यक्ष को चाहिए कि वह हाथियों के जगल की रक्षा  
करे; सिखाये जाने योग्य हाथी-हथिनी और उनके बच्चों के लिए वह गजशाला,  
बाँधने, उठने-बैठने के यथोचित स्थान बनवाये, वही युद्ध-सम्बन्धी कार्य, पका हुआ  
भोजन और हरी घास-भूसा आदि के तौल का निर्णय करे, हाथियों को हर तरह की  
चाल चलना सिखाये; हाथियों के अम्बारी, अकुश आदि साजो और युद्धसम्बन्धी  
आभूषणों का प्रबन्ध करे, हाथियों के चिकित्सक और उनकी सेवा-टहल करने वाले  
कर्मचारियों पर भी अध्यक्ष नजर रखे ।

( २ ) हाथी के लिए उसकी लम्बाई से दुगुनी ऊँची, दुगुनी चौड़ी और दुगुनी  
लम्बी गजशाला बनवानी चाहिए, हथिनी के रहने की गजशाला उससे छह हाथ  
अधिक लम्बी होनी चाहिए, गजशाला के आगे बरामदा, उसमें बाँधने के लिये तराजू  
के आकार के खूँटे (कुमारी) और उसके दरवाजे पूर्व या उत्तर की ओर होने चाहिए ।

( ३ ) हाथी की लम्बाई जितना, चौकोर, चिकना एक खूँटा वहाँ गाड़ा जाय,  
खूँटा एक तह्ते के बीच में लगाकर गाड़ा जाय, जिससे ऊपर की जमीन ढकी रहे  
और खूँटे को उखाड़ा न जा सके; पाखाना और पेशाब के लिए पीछे की ओर ढलवाँ  
स्थान बनवाना चाहिए । हाथी के सोने-बैठने के लिए एक चबूतरा-सा बनवाया जाय,  
जिसकी ऊँचाई साढ़े चार हाथ होनी चाहिए । युद्ध तथा सवारों के उपयोगी हाथियों  
की शय्या किले के भीतर ही बनवाई जाय, जो हाथी अभी सिखाया या बनते हो उन्हें  
किले के बाहर ही रखना चाहिए ।

(१) प्रथमसप्तमावष्टमभागावह्नः स्नानकालो, तदनन्तरं विधायाः । पूर्वाह्ने व्यायामकालः, पश्चादह्नः प्रतिपानकालः । रात्रिभागो द्वौ स्वप्नकालो, त्रिभागः संवेशनोत्थानिकः ।

(२) प्रीष्मे ग्रहणकालः । विशतिवर्षो ग्राह्यः ।

(३) विक्को मूढो मत्कुणो व्याधितो गर्भिणी घेनुका हस्तिनी चाप्राह्याः ।

(४) सप्तारत्निरुत्सेधो नवायामो दशपरिणाहः । प्रमाणतश्चत्वारिशद्वर्षो भवत्युत्तमः । त्रिंशद्वर्षो मध्यमः । पञ्चविंशतिवर्षोऽवरः ।

(५) तपोः पादाधरो विधाविधिः ।

(६) अरत्नी तण्डुलद्रोणः । अर्धाढकं तैलस्य । सर्पिषस्त्रयः प्रस्थाः । दशपलं लवणस्य । मांसं पञ्चाशत्पलिकम् । रसस्याढकं द्विगुणं वा दध्नः पिण्डवलेदनार्थम् । क्षारं दशपलिकम् । मद्यस्य आढकं द्विगुणं वा पयसः प्रतिपानम् यात्रावसेकस्तैलप्रस्थः शिरसोऽष्टभागः प्रादीपिकश्च । यवसस्य द्वौ भारौ सपादौ शष्पस्य शुष्कस्यार्धतृतीयो भारः । कडङ्गारस्यानियमः ।

( १ ) एक दिन के, बराबर आठ भागो मे पहिला तथा सातवां भाग हाथी के स्नान करने के लिये होना चाहिए । स्नान के बाद ( अर्थात् दूसरे और आठवें भाग मे ) उन्हे पका खाना खिलाना चाहिए, दोपहर से पहिले उन्हे कवामद सिखानी चाहिए, दोपहर के बाद पीने के लिये देना चाहिए । रात के बराबर तीन भागो मे से दो भाग सोने के लिए और एक भाग उठने-बैठने के लिए होना चाहिए ।

( २ ) गर्मी के मौसम मे ही हाथियो को पकडना चाहिए । बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का हाथी पकडने योग्य है ।

( ३ ) दूध पीने वाला हाथी ( विक्क ), हृथिनी के समान दातो वाला ( मूढ ), जिसके दाँत न निकले हो ( मत्कुण ) बीमार हाथी और गर्भिणी तथा दूध चुराने वाली हृथिनी को न पकडना चाहिये ।

( ४ ) सात हाथ ऊँचा, नौ हाथ लम्बा और दस हाथ मोटा, चालीस वर्ष उम्र वाला हाथी सर्वोत्तम समझा जाता है । तीस वर्ष का मध्यम; और पच्चीस वर्ष का अधम माना गया है ।

( ५ ) उत्तम हाथी को जितना आहार दिया जाय उससे चौथाई हिस्सा कम मध्यम को और उससे भी चौथाई हिस्सा कम अधम को दिया जाना चाहिए ।

( ६ ) सात हाथ ऊँचे उत्तम हाथी को एक द्रोण चावल, आधा आढक तेल, तीन प्रस्थ घी, दम पल नमक, पचास पल मास, एक आढक शोरवा या दो आढक दही मे सना हुआ दाना दस पल गुड, दोपहर के बाद पीने के लिए एक आढक घराब या उससे दुगुना दूध, शरीर के मनने के लिए एक प्रस्थ तेल, शिर में लगाने के लिए आधा कुडव तेल, इतना ही तेल रात को लगाने के लिए, चालीस तुला तृण, पचास

- (१) सप्तारत्निना तुल्यभोजनोऽष्टारत्निरत्यरालः ।  
 (२) यथाहस्तमवशेषः पडरत्निः पञ्चारत्निश्च ।  
 (३) क्षीरयावसिको विवकः क्रीडार्थं ग्राह्यः ।  
 (४) सञ्जातलोहिता प्रतिच्छन्ना सलिप्तपक्षा समकक्ष्या व्यतिकीर्ण-  
 मांसा समतल्पतला जातद्रोणिकेति शोभाः ।

(५) शोभावशेन व्यायाम भद्रं मन्दं च कारयेत् ।

मृगसङ्कीर्णलिङ्गं च कर्मस्वतुवशेन वा ॥

इत्यष्ट्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे हस्त्यष्ट्यक्षो नामैकत्रिंशोऽध्यायः ,

आदित एकश्चाशः ।

— ० —

तुला हरी घास, साठ तुला रूखी घास और भूसा तथा पत्तियाँ जितना खा सके, खिलाना चाहिए ।

( १ ) आठ हाथ ऊँचे अत्यराल नामक हाथी को सात हाथ ऊँचे उत्तम हाथी के ही बराबर खाना दिया जाय ।

( २ ) छह हाथ ऊँचे हाथी मध्यम कोटि के हैं, उनका आहार उत्तम हाथी के आहार से चौथाई हिस्सा कम होना चाहिए, इसी प्रकार पाँच हाथ ऊँचे अधम श्रेणी के हाथियों के आहार मध्यम हाथियों के आहार से चौथाई हिस्सा कम होना चाहिए ।

( ३ ) दूध पीने वाले बच्चों को केवल क्रीडाकौतुक के लिए पकड़ा जाय और दूध, हरी घास या जई आदि के छोटे छोटे टास देकर उनका पालन पोषण किया जाय ।

( ४ ) अवस्थानुसार हाथियों की सात प्रकार की शोभा मानी गई है, १. जब हाथियों के शरीर में केवल हड्डी, चमड़ा हो रह जाय, फिर धीरे-धीरे खूब सचरने लगे, इस शोभा को सजातलोहिता कहते हैं, २. जब मांस बढ़ने लगे, उस अवस्था की शोभा को प्रतिच्छन्ना कहते हैं, ३ जब दोनों ओर मांस भरने लगे, उस अवस्था को सलिप्तपक्षा कहते हैं, ४ जब सारे अवयवों में मांस भरने लगे, उस समय की शोभा को समकक्ष्या कहते हैं, ५. जब शरीर पर कहीं ऊँचा कहीं नीचा मांस दिखाई दे, उस शोभा को व्यतिकीर्णमांसा कहते हैं, ६. जब रीढ़ की हड्डी के बराबर मांस चढ़ जाय, उस अवस्था की शोभा को समतल्पतला कहते हैं, और ७. जब मांस रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ जाय, उस शोभा का नाम जातिद्रोणिका है ।

( ५ ) इस प्रकार अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हाथियों को कवायद सिखायी जाय । जिन हाथियों में उत्तम, मध्यम आदि साकयें लक्षण प्रकट हो, उनको युद्ध-सम्बन्धी कार्यों में लगाना चाहिए, अथवा ऋतुओं के अनुसार ही उन्हें युद्ध आदि कार्यों में लगाया जाय ।

अष्ट्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में एकतीसवाँ अध्याय समाप्त ।

(१) कर्मस्कन्धाः चत्वारः—दम्यः साम्राह्य औपवाह्यो व्यालश्च ।

(२) तत्र दम्यः पञ्चविधः—स्कन्धगतः स्तम्भगतो वारिगतोऽवपात-  
गतो भ्रूयगतश्चेति । तस्योपचारो विदककर्म ।

(३) साम्राह्यः सप्तक्रियापथः—उपस्थान संवर्तनं संयानं वघावधो  
हस्तियुद्धं नागरायणं साङ्ग्रामिक च । तस्योपविचारः कक्ष्याकर्म ग्रैवेयकर्म  
भ्रूयकर्म च ।

### हाथियो की श्रेणियाँ तथा उनके कार्य

( १ ) कार्य-भेद से हाथियों की चार श्रेणियाँ होती हैं . १. दम्य ( गिझा देने योग्य ), २. साम्राह्य ( युद्ध के योग्य ), ३. औपवाह्य ( सवारी के योग्य ) और ४. व्याल ( घातक वृत्तिवाला ) ।

( २ ) उनमें दम्य हाथी पाँच प्रकार का होता है : १. स्कन्धगत ( जो सूंड का सहारा देकर सवार को अपने ऊपर बैठा ले ), २. स्तम्भगत ( जो हाथी सूँट पर बँधा रह सके ), ३. वारिगत ( हाथियों की फँसाने वाली भूमि पर आ जाने वाला ), ४. अवपातगत ( हाथियों को फँसाने के लिए जंगलों में बनाये गये घास फूस के गडों में आये हुये ) और ५. भ्रूयगत ( जो हथिनियों के साथ विहार करने के व्यसनी हों ) । दम्य हाथी की परिचर्या हाथी के बच्चे के समान करनी चाहिए ।

( ३ ) साम्राह्य हाथी कार्य-भेद से सात प्रकार के होते हैं १. उपस्थान ( अगे-पीछे के अङ्गों को ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा करने वाला तथा रस्सी, बाँस, ध्वजा आदि को साँधने वाला ), २. संवर्तन ( सो जाने, बैठ जाने तथा कूदने फाँदने वाला ), ३. संयान ( सीधी-बिचड़ी, गोलाकार चालों को समझने वाला ), ४. वघावध ( सूँड, दाँत आदि से प्रहार करने या पकड़ देने वाला ), ५. हस्तियुद्ध ( हर प्रकार के हाथियों से लड़ने वाला ), ६. नागरायण ( नगर आदि को नष्ट करने वाला ) और ७. साङ्ग्रामिक ( खुले आम युद्ध करने वाला ) । साम्राह्य हाथी को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये कि वह रस्सी बाँधने, गले में फन्दा डालने और भ्रूषट के अनुकूल कार्य करने में चतुर हो जाय ।

(१) औपवाह्योऽष्टविधः—आचरणः, कुञ्जरीपवाह्यः, धोरणः, आधानगतिकः, यष्टघुपवाह्यः, तोत्रोपवाह्यः, शुद्धोपवाह्यः, मार्गायु-कश्चेति । तस्योपविचारः—शारदकर्म हीनकर्म तारोष्ट्रकर्म च ।

(२) व्याल एकक्रियापथः । तस्योपविचार आयुर्म्यंकरक्षः कर्मशङ्क-तोऽवरोद्धो विपमः प्रभिन्नः प्रभिन्नविनिश्चयः मदहेतुविनिश्चयश्च ।

(३) क्रियाविपन्नो व्यालः । शुद्धः सुव्रतो विपमः सर्वदोषप्रदुष्टश्च ।

(४) तेषां बन्धनोपकरणमनीकस्थप्रमाणम् । आलानप्रवेयकक्षयापा-रायणपरिक्षेपोत्तरादिक बन्धनम् । अंकुशवेणुयन्त्रादिकमुपकरणम् । वंज-

( १ ) औपवाह्य हाथी आठ प्रकार के होते हैं : १. आचरण ( उठने, बैठने, झुकने, मुड़ने आदि अनेक प्रकार की गतियों को जानने वाला ), २ कुञ्जरीपवाह्य ( दूसरे हाथियों के साथ चाल चलने वाला ), ३ धोरण ( एक ही ओर से अनेक प्रकार की चाल दिखाने वाला ), ४ आधानगतिक ( अनेक प्रकार की चाल चलने वाला ), ५. यष्टघुपवाह्य ( साइने पर भी कार्य न करने वाला ), ६ तोत्रोपवाह्य ( बरछी मारने पर भी कार्य न करने वाला ), ७ शुद्धोपवाह्य ( बिना तोड़े, पैर के इशारे से ही कार्य करने वाला ) और ८ मार्गायुक्त ( शिकार सम्बन्धी कार्यों में निपुण ) । उनको शिक्षा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हाथी अधिक मोटे हों उन्हें दुबला बनाया जाय, जो स्वस्थ हों उनकी रक्षा की जाय, जो मेहनत न करता हों उससे मेहनत करवाई जाय, इसी प्रकार प्रत्येक हाथी को हर प्रकार के इशारों की शिक्षा दी जानी चाहिए ।

( २ ) घातक ( व्याल ) हाथी से कार्य लेने का एक ही मार्ग है कि उसको बांध कर रखा जाय या डण्डे के जोर पर उसे काबू में रखा जाय । उसके उपद्रवों से सावधान रहा जाय । उसके उपद्रव हैं : कवापद के समय बिगाड़ जाना, कार्य की सापरवाही कर देना, मनमानी करना, उन्मत्त हो जाना, मद तथा जाहार के लिए बेचैन हो जाना, और जिसके विगड़ने का कारण पता ही न लगे ।

( ३ ) कार्य बिगाड़ देने वाले दुष्ट हाथी को व्याल कहते हैं । उसके चार भेद हैं : १. शुद्ध ( जो केवल मारने वाला हो ), २. सुव्रत ( जो ठीक से न चलता हो ), ३. विपम ( जो मारता भी हो और ठीक सट्ट से चलता भी न हो ) और ४. सर्वदोषप्रदुष्ट ( जिसमें सभी बुराईयाँ हो ) ।

( ४ ) हाथियों पर कसी जाने वाली सारी सामग्री की व्यवस्था, चतुर हस्ति-शिक्षको की राय में करनी चाहिए । हाथियों पर कसने के लिए खूँटा ( आलान ), पने की जंजीर ( प्रवेयक ), काँस में बाँधने की रस्सी ( कक्ष्या ), चढ़ते समय सहारा देने वाली रस्सी ( परायण ), हाथी के पैर में बाँधने की जंजीर ( परिक्षेप ) और

यन्तीक्षुरप्रमालास्तरणकुथादिकं भूयणम् । वर्मतोमरशरावापयन्त्रादिकः  
सांग्रामिकालङ्कारः ।

(१) चिकित्सकानोक्तस्थारोहकाधोरणहस्तिपकौचारिक विधापाचक-  
यावसिकपादपाशिककुटीरक्षकीपशायिकादिरोपस्थायिकवर्गः ।

(२) चिकित्सककुटीरक्षविधापाचकाः प्रस्थोदनं स्नेहप्रसृति क्षार-  
लवणयोश्च द्विपलिकं हरेयुः । दशपलं मांसस्थान्यत्र चिकित्सकेभ्यः ।

(३) पथिव्याधिकर्ममदजराभितप्तानां चिकित्सकाः प्रतिकुर्युः ।

(४) स्थानस्थाशुद्धिर्व्यसस्याग्रहणं स्थले शायनभभागे घातः परा-  
रोहणमकाले यानमभूमावतीर्थोऽवतारणं तरुण्ड इत्यत्ययस्थानानि । तमेपां  
भक्तवेतनादाददीत ।

उसके गले में बाँधने की रस्सी ( उत्तर ) । अकुश, बाँस का डंडा और अम्बारी  
( यन्त्र ) आदि उसके लिए अन्य उपकरण हैं । इसके अतिरिक्त बैजयन्ती ( हाथी के  
ऊपर लगाये जाने वाली पताका ), क्षुरप्रमाला ( उसको पहनाने की माला ), आस्त-  
रण ( अबारी के नीचे का गद्दा ) और पुथ ( झूला ), यह सामग्री हाथियों को  
सजाने के लिए है । हाथियों के संग्राम-संबन्धी अलङ्कारण हैं : कवच, सोमर, तूषीर  
और भिन्न-भिन्न प्रकार के हथियार ।

( १ ) गजवैद्य, गजशिक्षक, गजारोही, गजसदन्धी शास्त्रोक्त विधियों का ज्ञाता,  
गजरक्षक, नहलाने-धुलाने वाला, खाना बनाने वाला, धारा देने वाला, बाँधने वाला,  
गजशाला का रक्षक और हाथी के सोने की जगह का प्रबन्ध करने वाला, ये सब  
हाथी की परिचर्या करने वाले कर्मचारी हैं ।

( २ ) गजवैद्य, गजशाला का रक्षक और हाथियों का रमोइया, ये तीनों हाथी  
के आहार में से एक प्रस्थ अन्न, आधी अञ्जली तेल या घी तथा दो पल मुड एवं नमक  
ले लिया करे । गजवैद्य को छोड़ कर बाकी दोनों सेवक दस-दस पल मास भी ले लें ।

( ३ ) रास्ता चलने से, बीमारी के कारण, अधिक कार्य करने से, भद के कारण  
तथा बुढ़ापे की वजह से हाथियों को कोई भी कष्ट हो जाय तो गजवैद्य सावधानी से  
उनकी चिकित्सा करें ।

( ४ ) हाथी के स्थान की सफाई न करता, उसे खाना न देना, उसको खाली  
जगह मुला देना, उसके नाजुक स्थानों पर चोट मारना, किसी अनधिकारी व्यक्ति को  
उस पर चढ़ाना, बेगमय हाथी को चलाना, बिना घाट के ही उतार देना, घने पेड़ों  
के बीच हाथी को ले जाना, हाथियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वाले  
प्रत्येक कर्मचारी को दण्डित किया जाना चाहिए । यह दण्ड उनके भत्ते और वेतन में  
से काट लिया जाय ।



- (१) तिस्रो नीराजनाः कार्याश्रातुर्मास्यृतुसन्धिषु ।  
भूतानां कृष्णसन्धीज्या सेनान्यः शुनलसन्धिषु ॥
- (२) दन्तमूलपरीणाहृद्विगुण प्रोज्जघ कल्पयेत् ।  
अब्दे द्वचर्धे नदीजाना पञ्चाब्दे पर्वतौकसाम् ॥

इत्यध्वक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे हस्तिप्रचारो नाम द्वानिगोऽध्याय ,  
आदित द्विपञ्चाशत् ।

— ० :—

( १ ) हाथियों की दल वृद्धि और उनके कुशल क्षेम के लिए चार मास बाद श्रुतु-सन्धि की तिथि पर वर्ष में तीन बार नीराजना कर्म कराया जाय, प्रत्येक अमावास्या पर भूतबलि और प्रत्येक पूर्णमासी पर स्कन्दपूजा भी करवाई जाय ।

( २ ) हाथी का दाँत जड़ में जितना मोटा हो, उतने दुगुना हिस्सा छोड़कर, बागे का बाकी हिस्सा कटा देना चाहिए । जो हाथी नदीचर हो, उनके दाँत ढाई वर्ष के बाद और जो हाथी पर्वतों के रैवासी हों उनके दाँत पाँच वर्ष के बाद और कटवाने चाहिए ।

अध्वक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में हस्तिप्रचार नामक  
बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

## रथाध्यक्षः पत्यध्यक्ष सेनापतिप्रचारः

- (१) अश्वध्यक्षेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः ।
- (२) स रथकर्मन्तान् कारयेत् ।
- (३) दशपुरुषो द्वादशान्तरो रथः । तस्मादेकान्तरावरा आ पङ्क्त-  
रादिति सप्त रथाः ।
- (४) देवरथपुष्परथसाङ्ग्रामिकपारियाणिकपरपुराभियानिकवैनयि-  
कश्च रथान् कारयेत् ।
- (५) इष्वस्त्रप्रहरणावरणोपकरणकल्पनाः सारथिरथिकरथ्यानां च

### रथसेना तथा पंदलसेना के अध्यक्षों और सेनापति के कार्यों का निरूपण

( १ ) रथसेना के अध्यक्ष के कार्य : पिछले प्रकरण में अश्वशाला के अध्यक्ष के जो-जो कार्य बताये गये हैं, उन्हीं के अनुसार रथ का अध्यक्ष भी अपनी जुम्मेदारी के कार्यों की व्यवस्था करे ।

( २ ) उसको चाहिए कि वह नये-नये रथ बनवाये और जीर्ण हा जाने पर उनकी मरम्मत करवाये ।

( ३ ) एक सौ बीस अगुल ऊँचा और उतना ही लम्बा रथ उत्तम कोटि का माना जाता है । सबसे बड़ा रथ बारह बित्ता लम्बा होता है, उसमें एक एक बित्ता कम करके अन्त में सबसे छोटा रथ छह बित्ते का होता है । रथ सात प्रकार के होते हैं ।

( ४ ) रथाध्यक्ष को चाहिए कि वह विभिन्न कार्यों के उपयोगी देवरथ ( यात्रा, उत्सव आदि के लिए ), पुष्परथ ( विवाह आदि कार्यों के लिए ), साम्राजिक ( युद्ध आदि कार्यों के लिए ), पारियाणिक ( सामान्य यात्रा के लिए ), परपुराभियानिक ( शत्रु के दुर्ग को ढाहने के लिए ) और वैनयिक ( घोड़े आदि को सिंसाने के लिए ) आदि अलग-अलग रथों का निर्माण करवाये ।

( ५ ) रथाध्यक्ष को चाहिए कि वह बाण, तूणीर, धनुष, अस्त्र, तोमर, गदा, रथ के झूलो, और लगाम आदि सामग्री के सम्बन्ध में तथा सारथि, रथ बनाने

कर्मस्वायोगं विद्यात् । आ कर्मभ्यश्च भक्तवैतनं भृतानामभृतानां च योग्यारक्षानुष्ठानमर्थमानकर्म च ।

(१) एतेन पत्यध्यक्षो व्याख्यातः । स मौलभृतश्रेणिमित्रामित्राटवोबलाना सारफल्गुता विद्यात् । निम्नस्थलप्रकाशकूटखनकाकाशदिवारात्रियुद्धव्यायामं च विद्यात् । आयोगमयागं च कर्मसु ।

(२) तदेव सेनापति सर्वयुद्धप्रहरणविद्याविनीतो हस्त्यश्वरथचर्यासंधुष्टश्चतुरङ्गस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात् ।

(३) स्वभूमि युद्धकालं प्रत्यनीकमभिन्नभेदनं भिन्नसन्धानं संहतभेदनं भिन्नवधं दुर्गवधं यात्राकालं च पश्येत् ।

वाला, रथ के घोड़े आदि के कार्यों की पूरी जानकारी रखे । रथाध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि वह नियमित रूप से कार्य करने वाले तथा अस्यायी रूप से कार्य करने वाले कारीगरों एवं कर्मचारियों के उचित वेतन भत्ता तथा निर्वाहयोग्य धन की व्यवस्था करे एवं उनका आदर-सत्कार करे ।

( १ ) पैदल सेना के अध्यक्ष के कार्य रथाध्यक्ष के ही समान पत्यध्यक्ष की आरम्भिक कार्य व्यवस्था को भी समझना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह राजधानी की रक्षा करने वाली सेना ( मौलबल ), वेतनभोगी सेना ( भृतबल ), विभिन्न प्रदेशों में रखी गई सेना ( श्रेणिवल ), मित्रराजा की सेना ( मित्रबल ), शत्रुराजा की सेना ( अमित्रबल ) और जङ्गल की सुरक्षा के लिये नियुक्त सेना ( अटवीबल ) के सामर्थ्य-असामर्थ्य की पूरी जानकारी रखे । इसके अतिरिक्त वह, जङ्गल, तराई, मोर्चाबिंदी, छल-कपट, छाई, हवाई, दिन और रात आदि सभी प्रकार के युद्धों की जानकारी प्राप्त करे । देश-काल की दृष्टि से सेनाओं की उपयोगिता और अनुपयोगिता का भी वह ज्ञान रखे ।

( २ ) सेनापति के कार्य सेनापति को चाहिये कि वह अश्वाध्यक्ष से लेकर पत्यध्यक्ष तक के सम्पूर्ण कार्य व्यापार को भली भाँति समझे, सेनापति को हर प्रकार के युद्ध करने, हथियार चलाने और आन्वेषिकी आदि शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, हाथी, घोड़े और रथ चलाने की भी पूरी योग्यता उसमें होनी चाहिए, चतुरङ्गिणी सेना के कार्य और स्थान की भी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

( ३ ) इसके अतिरिक्त उसमें, अपनी भूमि, युद्धकाल, शत्रुसेना, शत्रुव्यूह का तोड़ना, बिखरी हुई सेना को समेटना, बिखरी हुई शत्रुसेना का मर्दन करना, दुर्ग तोड़ना और उचित समय पर युद्ध के लिये प्रस्थान करना, इन सभी बातों को समझने-करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए ।

(१) तूर्यध्वजपताकाभिर्व्यूहसंज्ञाः प्रकल्पयेत् ।  
स्थाने याने प्रहरणे सैन्यानां विनये रतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे रथाध्यक्षप्रत्यध्यक्ष-सेनापतिप्रचारो नाम  
त्रयस्त्रिंशोऽध्याय , आदितस्त्रिपञ्चाशः ।

— ० —

( १ ) सेनापति को चाहिये कि युद्धकाल में अपनी सेना को संचालित करने के लिये वह चढाई करने, कूच करने एव घावा बोलने के लिये बाजे, ध्वजा तथा भण्डियों के द्वारा ऐसे इशारों का प्रयोग करे, जिन्हें शत्रुसेना न समझ सके ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में रथाध्यक्ष प्रत्यध्यक्ष सेनापति-  
प्रचार नामक तैतीसवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

## मुद्राध्यक्षः विवीताध्यक्षः

- (१) मुद्राध्यक्षो मुद्रां मापकेण दद्यात् ।
- (२) समुद्रो जनपदं प्रवेष्टुं निष्कमितुं वा लभेत् ।
- (३) द्वादशपणममुद्रो जानपदो दद्यात् । कूटमुद्रायां पूर्वः साहसदण्डः । तिरोजनपदस्योत्तमः ।
- (४) विवीताध्यक्षो मुद्रां पश्येत् ।
- (५) भयान्तरेषु च विवीतं स्थापयेत् । चोरव्यालभयाग्निन्नारण्यानि शोधयेत् ।

### मुद्राविभाग और चारागाहविभाग के अध्यक्ष

( १ ) मुद्रा-विभाग का अध्यक्ष मुद्रा-विभाग के अध्यक्ष को चाहिए कि वह जनपद में आनेवाले और नगर से जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय मुहर लगा हुआ पासपोर्ट दे तथा बदले में एक मापक टैक्स वसूल करे ।

( २ ) जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट हो वही जनपद में प्रवेश कर सकता है और वही जनपद से बाहर जा सकता है ।

( ३ ) अपने जनपद में रहनेवाला कोई पुरुष बिना पासपोर्ट के यदि प्रवेश करे या बाहर जाये तो उस पर ब्रारह पण दण्ड किया जाना चाहिए । अपने ही राज्य का कोई व्यक्ति यदि जाली पासपोर्ट लेकर आना-जाना चाहे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए, यदि दूसरे देश का व्यक्ति ऐसा करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए ।

( ४ ) चारागाह-विभाग का अध्यक्ष : विवीताध्यक्ष का कार्य है कि जो व्यक्ति बिना पासपोर्ट या जाली पासपोर्ट लेकर छिपे तौर से जङ्गलों के रास्ते होकर सफर करते हुए पकड़ा जाय उसको गिरफ्तार कर लें ।

( ५ ) जिन स्थानों से चोर, शत्रु या शत्रु के गुप्तचर आदि के आने-जाने की संभावना हो, ऐसे स्थानों पर चारागाह ( विवीत ) स्थापित किये जाय । चोर और हिंसक जानवरों के संभावित घने जंगलों में भी साइर्या और गुफाएँ बनाकर निगरानी रखनी चाहिए ।

( १ ) अनुदके कूपसेतुबन्धोत्सान् स्थापयेत्, पुष्पफलवाटांश्च ।

( २ ) लुब्धकश्वगणिनः परिग्रजेयुररण्यानि । तस्करामित्राभ्यागमे शंखदुन्दुभिःशब्दमग्राह्याः कुर्युः शैलवृक्षाधिरूढा वा शीघ्रवाहना वा ।

( ३ ) अमित्राटवीसंचारं च राज्ञो गृहकपोतं मुद्रामुक्तं हारियेषुः घ्नमानि-परम्परया वा ।

( ४ ) द्रव्यहस्तिवनाजीवं वर्तनीं चोररक्षणम् ।

सार्यातिवाह्यं गोरक्ष्यं व्यवहारं च कारयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे मुद्राध्यक्ष-विवीताध्यक्षो नाम  
चतुस्त्रिंशोऽध्यायः, आदितश्चतुष्पञ्चाशः ।

— . ० :—

( १ ) जिस जगह पानी का अभाव हो वहाँ पक्के कुएँ, पक्के तालाब, फूल तथा फलों के बगीचे और प्याऊ आदि की व्यवस्था की जाय ।

( २ ) शिकारी और बहेलिये निरन्तर जगलो में घूमते रहें । उन्हें चाहिए कि वे चोर या शत्रुओं के आने की सूचना पहाड़ पर या वृक्ष पर चढ़कर अथवा शंख-दुन्दुभी बजाकर अन्तपाल को पहुँचायें, अथवा शीघ्रगामी घोड़ों पर चढ़कर वे इस सूचना को अन्तपाल तक पहुँचावें ।

( ३ ) यदि जगल में शत्रु आ जाय तो मुहर लगे पालतू कबूतरों के द्वारा उसका समाचार राजा तक पहुँचाया जाय, यदि रात को शत्रु जगल में प्रवेश करें तो आग जलाकर और दिन में धुआँ लुझ करके सूचित करें ।

( ४ ) विवीताध्यक्ष का कार्य है कि वह द्रव्यवनो और हस्तिवनो के घास, लकड़ी तथा कोयले आदि का भी प्रबन्ध करें, दुर्ग के रास्ते जाने का टैंकस, चोरो से की हुई रक्षा का टैंकस, गोरखा का टैंकस तथा इन सभी वस्तुओं के खरीद फरोक्त का प्रबन्ध भी विवीताध्यक्ष ही करवाये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में मुद्राध्यक्ष-विवीताध्यक्ष नामक  
चौत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) समाहर्ता चतुर्धा जनपदं विभज्य ज्येष्ठमध्यमकनिष्ठविभागेन प्रामात्रं परिहारकमायुधीयं धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रतिकरमिदमेतावदिति निबन्धयेत् ।

(२) तत्प्रदिष्टः पञ्चग्रामीं दशग्रामीं वा गोपश्चिन्तयेत् ।

(३) सीमावरोधेन प्रामात्रं कृष्णाकृष्णस्थलकेदारारामण्डवाटवन-वास्तुचैत्यदेवगृहसेतुबन्धश्मशानसन्नप्रपापुण्यस्थानविवीतपथिसंहयानेनक्षेत्रात्रं, तेन सीम्नां क्षेत्राणां च मर्यादारण्यपथिप्रमाणसम्प्रदानविक्रयानुग्रहपरिहारनिबन्धान् कारयेत् । गृहाणां च करदाकरदसंख्यानेन ।

### समाहर्ता और गुप्तचरो के कार्यों का निरूपण

( १ ) समाहर्ता ( रेव्यू कलक्टर ) को चाहिए कि वह सारे जनपद को चार हिस्सों में बाँटकर उन्हें श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ के क्रम से उनकी गणना, उपज, भौगोलिक परिस्थिति उनका नकशा, खसरा एवं रकबा आदि को अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले, जो गाँव नियमित रूप से सैनिक जवानों को दें तथा जो गाँव बन्न, पशु, सोना, चाँदी, नौकर-चाकर आदि को नियमित रूप से दें, उनका व्योरा भी रजिस्टर में दर्ज कर ले ।

( २ ) समाहर्ता के आदेशानुसार पाँच-पाँच या दस-दस गावों का एक-एक केन्द्र बनाकर उसका प्रबन्ध शोष नामक अधिकारी करे ।

( ३ ) नदी, पहाड़, जंगल, दीवाल आदि के द्वारा गाँवों की सरहदबन्दी करके उसको रजिस्टर में चढ़ाया जाय, खेतों का व्योरा चढ़ाने वाले रजिस्टर में इतनी बातें दर्ज रहनी चाहिये, खेती योग्य जमीन, खेतों के अयोग्य या पयरीली जमीन, ऊँची-नीची जमीन, साठी-गेहूँ योग्य जमीन, वाग-जमीने योग्य जमीन, केले के योग्य जमीन, ईस के योग्य जमीन, जंगल के योग्य जमीन, आवादी के योग्य जमीन, चैत्य, देवालय, तालाब, श्मशान, अन्नक्षेत्र, प्याऊ, तीर्थस्थान, चरागाह, और रप-गाड़ी तथा पैदल मार्ग के योग्य जमीन । इसी प्रकार नदी, पर्वत आदि सरहद और खेतों की लम्बाई-चौड़ाई का भी उल्लेख होना चाहिए । इन बातों के मलावा ऐसे जंगल,

- (१) तेषु चैतावच्छातुर्वर्ण्यभेतावन्तः कर्षकगोरक्षकवन्देहकारकमंकर-  
दासाश्रंतावच्चद्विपदचतुष्पदमिदं च हिरण्यविष्टिशुल्कदण्डं समुत्तिष्ठतीति ।  
: (२) कुलानां च स्त्रीपुरुषाणां बालवृद्धकर्मचरित्राजीवव्ययपरिमाणं  
विद्यात् ।  
(३) एवञ्च जनपदचतुर्भागं स्थानिकः चिन्तयेत् ।  
(४) गोपस्थानिकस्थानेषु प्रदेष्टारः कार्यंकरणं बलिप्रग्रहं च कुर्युः ।  
(५) समाहर्तृप्रदिष्टाश्च गृहपतिकव्यञ्जना येषु गामेषु प्रणिहितास्तेषां  
ग्रामाणां क्षेत्रगृहकुलार्थं विद्युः । मानसञ्जाताभ्यां क्षेत्राणि भोगपरिहा-

जो ग्रामवासियों के काम न आते हों, खेतों में जाने आने के रास्ते, उनकी नाप, किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कौन खेत जोतने लिए दिया है, बिक्री का व्योरा, तकाबी, मुलतबी और धूट आदि का भी उल्लेख होना चाहिए । साथ ही रजिस्टर में यह भी दर्ज होना चाहिए कि वहाँ कितने घर, जमीन की किस्त तथा मकानों का किराया देने वाले हैं और कितने नहीं हैं ।

( १ ) रजिस्टर में इस बात का उल्लेख किया जाय कि उन घरों में इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य और इतने शूद्र रहते हैं, इसी प्रकार वहाँ के किसान, खाले, व्यापारी, कारीगर, मजदूर, और दासों की संख्या भी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिये, फिर सारे मनुष्यों और सारे पशुओं का जोड़ अलग-अलग लिया जाय, अन्त में इनसे इतना सोना, इतने नौकर, इतना टैक्स और इतना दण्ड राजा को प्राप्त हुआ, यह भी जोड़ देना चाहिए ।

( २ ) गोप नामक अधिकारी को चाहिए कि वह प्रत्येक परिवार के स्त्री पुरुष, बालक तथा वृद्ध की गणना और उनके कार्य, चरित्र, आजीविका एवं व्यय आदि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखे ।

( ३ ) इसी प्रकार जनपद के चौथे हिस्से का प्रबन्ध स्थानिक नामक अधिकारी करे ।

( ४ ) गोप और स्थानिक के कार्यक्षेत्र में प्रदेष्टा ( कण्टक शोधनाधिकारी ) नामक अधिकारी राज्य के शत्रुओं का दमन करें । गोप और स्थानिक टैक्स न देने वालों से टैक्स बमूल करें । राज्य के बलवान् व्यक्ति यदि शासन में विघ्न बाधा उपस्थित करें तो उनका भी वे दमन करें ।

( ५ ) गृहस्थ ( गृहपति ) के वैश में रहने वाले गुप्तचर, समाहर्ता की आज्ञानुसार अपने क्षेत्र के गाँवों का रकबा, घर और परिवारों की तादात को अच्छी तरह से जानें । वे गुप्तचर यह नोट रखें कि कौन खेत कितने बड़े हैं और उनकी उपज क्या है, किस घर से कर बमूल किया जाता है और कौन घर छोड़ा जाता है, यह



राभ्या गृहाणि वर्णकर्मभ्या कुलानि च । तेषा जङ्घाप्रमापव्ययौ च विद्युः ।  
प्रस्थितागताना च प्रवासावासकारणमनर्थ्याना च स्त्रीपुरुषाणा चारप्रचार  
च विद्युः ।

(१) एव वैदेहकव्यञ्जना स्वभूमिजाता राजपण्याना खनिसेतुवन-  
कर्मन्तिकेत्रजाना परिमाणमर्घ्यं च विद्युः । परभूमिजाताना वारिस्थलपथो-  
पयाताना सारफल्गुपण्याना कर्मसु च, शुल्कवर्तन्यातिवाहिकगुल्मतरदेय-  
भागभक्तपण्यागारप्रमाणं विद्युः ।

(२) एव समाहर्तृप्रदिष्टास्तापसव्यञ्जना- कर्षकगोरक्षकवैदेहकानाम-  
ध्यक्षाणा च शौचाशौचं विद्युः । पुराणचोरव्यञ्जनाश्रान्तेवासिनश्चैत्य-  
चतुष्पथशून्यपदोदपाननदीनिपानतीर्थार्थितनाश्रमारण्यशैलवनगहनेषु स्तेना-  
मित्रप्रवीरपुरुषाणा च प्रवेशनस्थानगमनप्रयोजनान्युपलभेरन् ।

परिवार ब्राह्मणों का है या क्षत्रियों का और वे क्या-क्या कार्य करते हैं । वे गुप्तचर  
यह भी जाने कि उन परिवारों के प्राणियों ( मनुष्यों तथा पशुओं ) का सख्या कितनी  
है और उनकी आमदनी खर्च के जरिये क्या है । एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने-  
आने वाले लोगों और अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह बस जाने वाले लोगों के  
सम्बन्ध में, राजा से सम्बन्ध न रखने वाली नर्तकियों, जुआरियों, भांडों आदि के  
आवास प्रवास पर भी वे गुप्तचर निगरानी रखें और यह भी जानें कि शत्रुओं के  
गुप्तचर कहीं-कहीं पर रहकर क्या क्या कार्य कर रहे हैं ।

( १ ) इसी प्रकार व्यापारी के वेप में रहने वाले गुप्तचर ( वैदेहक ) समाहर्ता के  
आदेशानुसार अपने अधिकार-क्षेत्र में उत्पन्न और बेची जाने वाली सरकारी वस्तुओं,  
खनिज पदार्थों, तालाबों, जंगलों तथा कारखानों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की  
तौल एवं कीमत को अच्छी तरह से समझें । विदेशी व्यापारियों ने चुङ्गी, सीमाकर,  
मार्गरक्षा का कर, नाव कर, अन्तपाल का टैक्स, साम्रदायी का हिस्सा, भत्ता, भोजन-  
व्यय और बाजार आदि का टैक्स कितना दिया है यह भी वे जानें ।

( २ ) इसी प्रकार तापस्वी के वेप में रहने वाले गुप्तचर ( तापस ), समाहर्ता  
की आज्ञानुसार, अपने क्षेत्र में रहने वाले किसान, ग्वाले, व्यापारी और अध्वर्यों की  
ईमानदारी तथा बेईमानी के रहस्यों को जानें । पुराने चोरों के वेप में रहने वाले उन  
तापस गुप्तचरों के शिष्य ( पुराणचोर ) देवालय, चौराहा, निर्जन स्थान, तालाब,  
नदी, कुओं के समीपस्थ जलाशय, तीर्थस्थान, आश्रम, जंगल, पहाड़ और घना जंगल  
आदि स्थानों में ठहर कर चोरों, शत्रुओं, शत्रुओं के भेजे हुए तीक्ष्ण तथा रसद आदि  
गुप्तचरों का ठीक ठीक पता लगायें ।

(१) समाहर्ता जनपदं चिन्तयेद्वैश्वदेवमुत्थितः ।  
चिन्तयेद्युश्च सस्यास्ताः संस्याश्चान्याः स्वयोनयः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गृहपतितापसव्यञ्जनप्रणिधिर्नाम पञ्चविंशोऽध्यायः, आदितः पञ्चपञ्चाशः ।

—: ० :—

( १ ) इस प्रकार अपने कार्यों में तत्पर समाहर्ता जनपद की रक्षा का प्रबन्ध करें और उसकी आज्ञा से कार्य करने वाले गुप्तचर एवं उनके विभिन्न संध, सस्या आदि जनपद के प्रबन्ध में तत्पर रहें ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में गृहपतितापसव्यञ्जन प्रणिधि पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) समाहृतं वन्नागरिको नगरं चिन्तयेत्, दशकुलीं गोपो, विशति-कुलीं चत्वारिंशत्कुलीं वा । स तस्यां स्त्रीपुरुषाणां जातिगोत्रनामकर्मभिः जङ्घाप्रमायव्ययो च विद्यात् ।

(२) एवं दुर्गचतुर्भुजं स्थानिकश्चिन्तयेत् ।

(३) धर्मावसथिनः पाषण्डिपथिकानावेद्य वासयेयुः । स्वप्रत्ययाश्च तपस्विनः श्रोत्रियांश्च ।

(४) काशशिल्पिनः स्वकर्मस्थानेषु स्वजनं वासयेयुः । वंदेहकाश्चान्योन्यं स्वकर्मस्थानेषु । पण्यानामदेशकालविक्रोतारमस्वकरणं च निवेदयेयुः ।

(५) शौण्डिकपाववनांसिकौदनिकरूपजीवाः परिज्ञातमावासयेयुः । अतिव्ययकर्तारमत्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः ।

### नागरिक के कार्य

( १ ) समाहर्ता की तरह नागरिक अधिकारी भी नगर के प्रबन्ध की चिन्ता करे । उत्तम दस कुली, मध्यम बीस कुली और अधम चालीस कुली का प्रबन्ध गोप नामक अधिकारी करे । उन कुली के स्त्री पुरुषों के वर्ण, गोत्र, नाम, कार्य, उनकी संख्या और उनके आय-व्यय के सम्बन्ध के वह भली भाँति जाने ।

( २ ) इसी प्रकार दुर्ग के चौथे हिस्से का प्रबन्ध, अर्थात् दुर्ग में रहने वाले स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में उक्त जातकारी स्थानिक नामक अधिकारी प्राप्त करे ।

( ३ ) धर्मशाला के प्रबन्धक को चाहिए कि वह, धूर्त पाषण्डी मुसाफिरों को गोप की अनुमति से ही टिकाये, किन्तु जिन तपस्वियों या श्रोत्रियों को वह स्वयं जानता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर भी टिका रक्ता है ।

( ४ ) मोटे तथा महीन कार्य को करने वाले सुपरिचित एवं विश्वस्त कारीगर को अपने कार्य करने के स्थानों में ठहराया जा सकता है । व्यापारी लोग अपने जान-पहिचान वाले व्यापारियों को अपनी-अपनी दूकानों में ठहरा सकते हैं, किन्तु देश-काल के विपरीत व्यापार करने वाले या दूसरे के सामान को अपने व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति की सूचना नागरिक को कर देनी चाहिए ।

( १ ) मद्य-मांस बेचने वाले, होटल वाले और वैश्यायें अपने अपने परिचितों

(१) चिकित्सकः प्रच्छन्नद्रव्यप्रतीकारयितारमपथ्यकारिणं च गृहस्वामी च निवेद्य गोपस्थानिकयोर्मुच्यते । अन्यथा तुल्यदोषः स्यात् ।

(२) प्रस्थितागतौ च निवेदयेत् । अन्यथा रात्रिदोषं भजेत् । क्षेम-  
रात्रिषु त्रिपण दद्यात् ।

(३) पथिकोत्पथिकाश्च बहिरन्तश्च नगरस्य देवगृहपुण्यस्थानवनरम-  
शानेषु सत्रणमनिष्टोपकरणमुद्ग्राण्डीकृतमाविग्ममतिस्वप्नमध्वबलान्तमपूर्वं-  
वा गृह्णीयुः ।

(४) एवमभ्यन्तरे सून्यनिवेशावेशनशौण्डिकौदनिकपाववमांसिकद्यूत-  
पापण्डावासेषु विचयं कुर्युः ।

(५) अग्निप्रतीकार च प्रीष्मे मध्यमयोरह्णश्चतुर्भागयोः । अष्टभागो-  
ऽग्निदण्डः । बहिरधिध्वयणं वा कुर्युः ।

को अपने घर ठहरा सकते हैं । जो व्यक्ति अधिक खर्चीला दीसे या अधिक शराब पीता हो, उसकी सूचना गोप अथवा स्थानिक के पास भेज देनी चाहिए ।

( १ ) जो व्यक्ति हथियार लगे अपने घावों का इलाज छिपा कर करता है और रोग या महामारी आदि फैलाने वाले द्रव्यों का छिपे तौर से उपयोग करता है, उसका इलाज करने वाला ब्रह्म यदि उसके इन कार्यों की सूचना गोप या स्थानिक को दे देता है तो वह अदण्ड्य है, किन्तु यदि वह सूचना न दे तो अपराधी के समान ही उसको भी दण्ड दिया जाना चाहिए जिस घर में ऐसे कार्य किए जाते हो उस घर का मालिक यदि गोप या स्थानिक को सूचित कर देता है तो वह क्षम्य है, अन्यथा उसको भी अपराधी के समान दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( २ ) घर के मालिक को चाहिए कि वह घर से जाने वाले या घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना गोप को दे । अन्यथा वे लोग रात्रि में यदि किसी की चोरी आदि करें तो गृहस्वामी उसके लिए उत्तरदायी समझा जायगा । वे लोग भले ही कुछ भी अपराध न करें, किन्तु सूचना न देने के अपराध में गृहस्वामी प्रतिरात्रि तीन पण दण्ड का भागी है ।

( ३ ) व्यापारियों के बेश में बड़े-बड़े मार्गों पर घूमने वाले, ग्वाले तथा लकड़-  
हारे के बेश में रास्ता छोड़कर जगलो में घूमने वाले, नगर के भीतर या बाहर बने हुए मन्दिरों, तीर्थों, जगला या श्मशानों, कहीं भी, हथियार से घायल, हथियार तथा विष को लिये हुए, सामर्थ्य से अधिक भार उठाये हुए, थरे हुए, घबड़ाये हुए, धोर निद्रा में सोये हुए थके हुए या इसी प्रकार का कोई अजनबी पन किये हुये, इस प्रकार के सन्दिग्ध व्यक्ति को पकड़कर नागरिक के सुपुर्द कर देना चाहिए ।

( ४ ) इसी प्रकार नगर के खडहरो में, कल-कारखानों में, शराब की दूकानों में, होटलों में, मास बेचने वाली दूकानों में, जुआघरों में, पालकियों के अड्डों में कोई सन्दिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो, गुप्तचर उसको पकड़ कर नागरिक को सौंप दें ।

( ५ ) गर्मों की ऋतु में मध्याह्न के चार भागों में आग जलाने की मनाही कर

(१) पादः पञ्चघटीनाम् । कुम्भद्रोणीनिःश्रेणीपरशुशूर्पाङ्गिकुशकच-  
ग्रहणीदृतीनां चाकरणे ।

(२) तृणकटच्छन्नान्यपनयेत् । अग्निजीविन एकस्थान् वासयेत् ।  
स्वगृहद्वारेषु गृहस्वामिनो वसेयुरसम्पातिनो रात्रौ । रथ्यासु कुट्टवजाः  
सहस्र तिष्ठेयुः, चतुष्पथद्वारराजपरिग्रहेषु च ।

(३) प्रदीप्तमनभिधावतो गृहस्वामिनो द्वादशपणो दण्डः । पट्पणो-  
ऽवक्रियणः । प्रमादाद्दीप्तेषु चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।

(४) प्रादीपिकोऽग्निना वध्यः ।

(५) पांसुन्यासे रथ्यायामष्टभागो दण्डः । पङ्कोदकसन्निरोधे पादः ।  
राजमार्गे द्विगुणः ।

देनी चाहिए । जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसे एक पण का आठवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय । अथवा ( यदि आवश्यक ही हो तो ) घास-फूसके मकानो के बाहर खुली जगह में आग जलाई जाय ।

( १ ) यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध समय में पाँच घड़ी तक आग जलावे तो उसे चौथाई पण दण्ड दिया जाय और उस व्यक्ति को भी यही दण्ड दिया जाय, जो गर्मी के मौसम में अपने घर के सामने पानी से भरे घटे, पानी से भरी नाँद, सीढ़ी, कुल्हाड़ा, सूप, छाज, काँचा, फूस आदि को निकालने के लिए लम्बा लट्टु, और चमड़े की मशक आदि वस्तुओं का इन्तजाम करके न रखे ।

( २ ) गर्मी की मौसम में फूस और चटाई के बने मकानों को एकदम उठा देना चाहिए । बढई और लुहार आदि को किसी एक जगह में ही बसाया जाना चाहिए । घरों के स्वामियों को रात को अपने ही दरवाजों पर सोना चाहिए । गलियों तथा बाजारों में पानी से भरे हुए एक हजार घड़ों का हर समय प्रबन्ध रहना चाहिए । इसी प्रकार चौराहों, नगर के प्रधान द्वारों, खजानों कोष्ठागारों, गजशालाओं और अश्वशालाओं में भी पानी के भरे हजार हजार घड़ों का हर समय इतजाम रहना चाहिए ।

( ३ ) यदि गृहस्वामी घर में लगी हुई आग को बुझाने का प्रवृत्त न करे तो उसे पर बारह पण दण्ड कर देना चाहिए । उस घर में रहने वाला किरायेदार भी यदि ऐसा ही करे तो उसे छह पण दण्ड दिया जाना चाहिए । यदि धोखे से अपने घर में ही आग लग जाय तो गृहस्वामी को चौवन पण दण्ड देना चाहिए ।

( ४ ) मकान में आग लगाने वाला व्यक्ति यदि पकड़ लिया जाय तो उसे प्राण दण्ड की सजा देनी चाहिए ।

( ५ ) सड़क पर मिट्टी या कूड़ा-करकट डालने वाले व्यक्ति को पण का आठवाँ हिस्सा ( १ पण ) दण्ड दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति गाड़ी, कीचड़ या पानी से सड़क को रोके उसे ३ पण दण्ड दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति राजमार्ग को इस प्रकार गन्दा करे या रोके उसे दुगुना दण्ड दिया जाना चाहिए ।

(१) पुण्यस्थानोदकस्थानदेवगृहराजपरिग्रहेषु पणोत्तरा दिष्ठादण्डाः ।  
मूत्रेष्वर्धदण्डाः ।

(२) मंत्रज्यव्याधिभयनिमित्तमदण्डघाः ।

(३) मार्जारिश्वनकुलसंप्रेतानां नगरस्यान्तरत्तर्गे त्रिपणो दण्डः ।  
खरोष्ट्राश्चतराश्वपशुसंप्रेतानां षट्पणः । मनुष्यसंप्रेतानां पञ्चाशत्पणः ।

(४) मार्गं विपर्याप्ते शब्दद्वारादन्यतः शब्दनिर्णयने पूर्वं साहसदण्डः ।  
द्वाःस्थानां द्विशतम् । श्मशानादन्यत्र न्याते दहने च द्वादशपणो दण्डः ।

(५) विषण्णालिकमुभयतोरत्रं यामतूर्यम् । तूर्यशब्दे राज्ञो गृहाम्बाशे  
सपादपणमक्षणताडनं प्रथमपश्चिमयामिकम् । मध्यमयामिकं द्विगुणम् ।  
बहिरचतुर्गुणम् ।

( १ ) राजमार्ग पर मल-त्याग करने वालों को एक पण, पवित्र तीर्थस्थानों पर मल-त्याग करने वालों को दो पण, जलाशयों पर मल-त्याग करने वालों पर तीन पण, देवालय में मल-त्याग करने वालों पर चार पण, और छजाना, कोष्ठागार आदि स्थानों पर मलत्याग करनेवाले व्यक्तियों पर पाँच पण दण्ड किया जाना चाहिए। इन्हीं स्थानों में यदि कोई व्यक्ति पेशाब करे तो उस पर इसका आधा दण्ड किया जाना चाहिए।

( २ ) यदि जुनाब लेने के कारण या अविचार, प्रमेह आदि बीमारियों के कारण अथवा किसी डर से, उक्त स्थानों में कोई व्यक्ति मल-मूत्र त्याग करे तो उसे दण्ड नहीं देना चाहिए।

( ३ ) मरे हुए बिल्ली, कुत्ता, नेवला और साँप को यदि कोई व्यक्ति नगर के पास या नगर के बीच में डाल आवे तो उस पर तीन पण दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि गधा, ऊँट, खच्चर तथा घोड़ा आदि को इस प्रकार छोड़ दिया जाय तो छोड़ने वाले को छह पण दण्ड दिया जाय। मनुष्य की लाश इस प्रकार छोड़ी जाने पर पचास पण दण्ड दिया जाना चाहिए।

( ४ ) मुर्दों को ले जाने के लिए जो रास्ता नियत है उसको छोड़ कर और जो द्वार नियत है, उसको छोड़कर दूसरी ही ओर से मुर्दा ले जाने वालों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। द्वार का रक्षक पुरुष यदि उन मुर्दा ले जाने वालों को न रोके तो उसे दो-सौ पण दण्ड दिया जाना चाहिए। श्मशान भूमि के अन्यत्र मुर्दा जलाने और गाड़ने वालों पर बारह पण दण्ड करना चाहिए।

( ५ ) रात की पहिली छह घड़ी बीत जाने पर और रात के अन्तिम छह घड़ी बाकी रह जाने पर, दोनों समय भोषू देना चाहिये। उस रात्रि-शोष के बीच यदि कोई व्यक्ति राजमहल के पास गुजरता हुआ दिखाई दे तो उसे सवा पण दण्ड दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रिशोष के ठीक मध्यकाल में आता-जाता पकड़ा जाय, उसे ढाई पण दण्ड देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नगर के बाहर इस प्रकार आता-जाता पकड़ा जाय तो उस पर पाँच दण्ड कर देना चाहिए।

(१) शङ्कनीये देशे लिङ्गे पूर्वापदाने च गृहीतमनुपुञ्जीत ।

(२) राजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यमः साहसदण्डः ।

(३) सूतिकाचिकित्सकप्रेतप्रदोपयाननागरिकतूर्यप्रेक्षाग्निनिमित्त

द्रामिशचाप्राह्याः ।

(४) चाररात्रियु प्रच्छन्नधिपरीनवेपाः प्रव्रजिता दण्डशस्त्रहस्ताश्च मनुष्या दोषतो दण्ड्याः ।

(५) रक्षिणामवायं वारयता वायं चावारयनामक्षणद्विगुणो दण्डः ।  
स्त्रियं दासीमधिमेहयता पूर्वः साहसदण्डः, अदासीं मध्यमः, कृतावरोघा-  
मुत्तमः, कुलस्त्रिय वधः ।

(६) चेतनाचेतनिक रात्रिदोषमशंसतो नागरिकस्य दोषानुरूपो दण्डः,  
प्रमादस्याने च ।

( १ ) उक्त रोक लगे समय में यदि कोई व्यक्ति बगीचा में छिप हुये पाय जाय, या जिनके पास ऐसा सामान पाया जाय कि उन पर चोर-डाकू होने का शक किया जा सके, अथवा जो पहिले से ही बदनाम हा और इस प्रकार घूमने हुए मिल जाय तो उनसे पूछा जाना चाहिए 'तुम कौन हो ? कहां से आये हो ? कहां जाओगे ? क्या कार्य करते हो ? यहां तुम क्या आये हो ?' यदि वे सन्तुष्टजनक उत्तर दें तो उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए ।

( २ ) यदि इस प्रकार का कोई शक्ति व्यक्ति सरकारी इमारतों या नगर-रक्षा के लिए बने सफ़ीला अथवा दुर्गों के ऊपर चटता हुआ पकड़ा जाय तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( ३ ) यदि उक्त रोक लगे समय में प्रभूता स्त्री, वैद्य हकीम, मुर्दाफ़रोह, उजाता लिए, सूचनायं आवाज करते हुए, नाटक निरमा देखने, आग बुझाने आदि के लिए और जिनके पास राजकीय अनुमतिपत्र हो, आवे-जाते पकड़ निय जायें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए ।

( ४ ) विनोय उत्सवों के समय रात्रि में रोक हटा दी जाने पर जो व्यक्ति मुँह ढँककर अथवा वेप बदलकर तथा सन्धासी के वेप में दण्ड या हथियार लिए पकड़े जाय, उन्हें अपराय के अनुमार दण्ड देना चाहिए ।

( ५ ) जो पहरेदार रोके जान योग्य व्यक्तियों को न रोक लें तो उन्हें, रोक लगे समय के अनराय से दुगुना अर्थात् दार्द पण दण्ड देना चाहिए । जो पुष्य दूसरे की स्त्री तथा दासी के साथ बलात्कार करे, उसे प्रथम साहस दण्ड देना चाहिए । दासी आदि के अलावा किसी वेश्या के साथ बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए । यदि कोई दासी या वेश्या किसी की पत्नी बन चुकी हो और तब उसके साथ कोई बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । जो पुष्य कुलीन स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे उसको प्राणदण्ड की सजा देनी चाहिए ।

( ६ ) जान-बूझकर या अनजाने में, रात को किये गये अपरायों की सूचना

(१) नित्यमुदकस्थानमार्गभूमिच्छन्नपथवप्रप्राकाररक्षावेक्षणं नष्टप्र-  
स्मृतापसृताना च रक्षणम् ।

(२) बन्धनागारे च बालवृद्धव्याधितानायानां जातनक्षत्रपौर्णमासीपु  
विसर्गः । पुष्यशीला समयानुबद्धा वा दोषनिष्कृत्यं दद्युः ।

(३) दिवसे पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान् विशोधयेत् ।  
कर्मणा कायदण्डेन हिरण्यानुग्रहेण वा ॥

(४) अपूर्वदेशाधिगमे युवराजाभिषेचने ।  
पुत्रजन्मनि वा मोक्षो बन्धनस्य विधीयते ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे नागरिकप्रणिधिर्नाम षड्त्रिंशोऽध्यायः ,  
आदित षड्पञ्चाशत् ।

समाप्तमिदमध्यक्षप्रचारो नाम द्वितीयमधिकरणम् ।

— . ० . —

यदि कोई नगरवासी अध्यक्ष को न पहुँचाये तो अपराध के अनुसार उसके लिए दण्ड नियत होना चाहिए । उन पहरेदारों को भी उनके अपराध के अनुसार यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पहरा देने में किसी प्रकार का प्रमाद किया हो ।

( १ ) नगर-अधिकारी ( नागरिक ) को चाहिए कि वह जल-स्थल मार्ग, सुरग मार्ग, सफ़ील, परकोटा, खाई तथा बुज आदि की अच्छी तरह देख भाल करें, और उन सभी खोये हुए, भूले हुए, छूटे हुए, आभूषण, सामान या प्राणियों को तब तक अपने संरक्षण में रखे, जब तक कि उनके असली मालिक का पता न लग जाय ।

( २ ) जेल में बन्द हुए बूढ़े, बच्चे बीमार और अनाथ कैदियों को राजा की वर्ष गाँठ आदि अच्छे उत्सवों या पूर्णिमा आदि पर्वों पर छोड़ देना चाहिए । छोले में यदि कोई घमाँसमा पुरुष अपराधी बनाकर कैद में डाला गया हो तथा ऐसे व्यक्ति, जो भविष्य में अपराध न करने की प्रतिज्ञा करते हों, उन्हें अपराध के बदले में धन लेकर छोड़ देना चाहिए, उन्हें फिर जेल में न रखा जाना चाहिए ।

( ३ ) प्रतिदिन या प्रति पाँचवें दिन, ऐसा नियम बना दिया जाय कि उस दिन धन लेकर, शारीरिक दण्ड देकर या कार्य कराकर ( निष्क्रय ) कुछ कैदी छोड़ दिये जाय । धनदण्ड, शारीरिक दण्ड या कार्यदण्ड, इन तीनों में से जो कैदी आसानी से जिस दण्ड को भुगत सके वही दण्ड उसको दिया जाय ।

( ४ ) किसी नये देश की जीतने पर, युवराज का राज्याभिषेक होने पर और राजपुत्र के जन्मोत्सव पर कैदियों को छोड़ देना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में नागरिकप्रणिधि नामक

छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।



दूसरा खण्ड

तीसरा अधिकरण

•

धर्मस्थोय

## व्यवहारस्थापना विवाहपदनिबन्धाश्चः

(१) धर्मस्थास्त्रपस्त्रयोऽमात्या जनपदसन्धिसंग्रहणद्रोणमुखस्थानीयेषु व्यावहारिकानर्थान् कुर्युः ।

(२) तिरोहितान्तरगारनक्कारण्योपध्युपह्वरकृतांश्च व्यवहारान् प्रतिषेधयेयुः । कर्तुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः । श्रोतृणामेकैकं प्रत्यर्धदण्डाः । श्रद्धेयाना तु द्रव्यव्यपनयः ।

(३) परोक्षेणाधिकर्णग्रहणमवक्तव्यकरा वा तिरोहिताः सिद्धयेयुः ।

(४) दायनिक्षेपोपनिधिबिवाहसयुक्ताः स्त्रीणामनिष्कासिनोनां व्याधितानां चामूढसंज्ञानामन्तरगारकृताः सिद्धयेयुः ।

(५) साहसानुप्रवेशकलहविवाहराजनियोगयुक्ताः पूर्वरात्रव्यवहारिणां च रात्रिकृताः सिद्धयेयुः ।

### शर्तनामों का लेखन प्रकार और तत्संबंधी विवादों का निर्णय

( १ ) दो राज्यों या गांवों की सीमा ( जनपद-संधि ) पर, दस गांवों के केन्द्र ( सग्रहण ) में, चार सौ गांवों के केन्द्र ( द्रोणमुख ) में और आठ सौ गांवों के केन्द्र ( स्थानीय ) में तीन-तीन न्यायाधीश ( धर्मस्थ ) एक साथ रह कर इकरारनामा, शर्तनामा आदि व्यवहार-संबंधी कार्यों का प्रबंध करें ।

( २ ) नियम-विरुद्ध शर्तनामों : उन शर्तनामों को न्याय-विरुद्ध घोषित किया जाय, जो छिप कर, घर के अंदर, रात में, जंगल में, छल-कपट से और एकांत में किए गए हैं । ऐसा नियम विरुद्ध कार्य करने वालों और कराने वालों, दोनों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । इस प्रकार के व्यवहारों में सुनकर गवाही देने वालों को आधा साहस दण्ड, और श्रद्धा सहानुभूति रखने वालों को अर्धदण्ड दिया जाय ।

( ३ ) जिस व्यवहार को गुप्त रूप से किसी दूसरे ने सुन लिया हो तथा जिसको नियम विरुद्ध-साबित न किया जा सके, ऐसा व्यवहार यदि छिपा कर भी किया गया हो तो उसे गैर कानूनी करार न दिया जाय ।

( ४ ) पर्दानशीन महिलाओं तथा चंचल रोगियों के द्वारा दायभाग, अमानत, धरोहर और विवाहसंबंधी घर के अंदर किए हुए व्यवहार भी नियमविरुद्ध न समझे जाय ।

( ५ ) डाका ( साहस ), चोरी ( अनुप्रवेश ), भगडा, विवाह तथा सरकारी

(१) सार्थव्रजाश्रमव्याघचारणमध्येष्वरण्यचरणामारण्यकृताः सिद्ध-  
धेयुः ।

(२) गूढाजीविषु चोपधिकृताः सिद्धधेयुः ।

(३) मिथ्य समवाये चोपह्वरकृताः सिद्धधेयुः ।

(४) अतोऽन्यथा न सिद्धधेयुः । अपाश्रयवद्भिश्च कृताः, पितृमता  
पुत्रेण, पित्रा पुत्रवता, निष्कुलेन भ्रात्रा, कनिष्ठेनाविभक्ताशेन, पतिमत्या  
पुत्रवत्या च स्त्रिया, दासाहितकाम्याम्, अप्राप्तातीतव्यवहाराभ्याम्,  
अभिशास्तप्रव्रजितव्यङ्गव्यसनिभिश्चान्यत्र निसृष्टव्यवहारेभ्यः ।

(५) तत्रापि क्रुद्धेनात्तेन मत्तेनोन्मत्तेनावगृहीतेन वा कृता व्यवहारा न  
सिद्धधेयुः कर्तृकारयितृश्रोतृणा पृथग् यथोक्ता दण्डाः ।

(६) स्वे स्वे तु वर्गे देशे काले च स्वकरणकृताः सम्पूर्णचाराः शुद्धदेशा  
दृष्टरूपलक्षणप्रमाणगुणाः सर्वव्यवहाराः सिद्धधेयुः ।

दुःख और रात के प्रथम पहर में वेश्यासबधी व्यवहार यदि रात के समय में भी किए  
जाय तो उन्हें गैरकानूनी नहीं माना जाय ।

( १ ) व्यापारी, ग्वाले, आश्रमवासी, शिकारी और गुप्तचर आदि जमलो में  
रहने वाले तथा घूमने वाले के द्वारा जंगल में किए गए व्यवहार भी वैध समझे  
जाय ।

( २ ) गुप्तरूप से जीविका चलाने वाले द्वारा किए गए छल-कपट सबधी व्यव-  
हार भी नियमानुकूल समझे जाय ।

( ३ ) आपसी समझौते से एकात में किए गए व्यवहार भी नियमसंगत हैं ।

( ४ ) इस प्रकार की विधेय परिस्थितियों के अतिरिक्त स्वीकार किए गए सभी  
व्यवहार गैरकानूनी समझे जाय । निराश्रित व्यक्ति, जिसका पिता जीवित हो, जिसका  
पुत्र जीवित हो, बिरादरी से बहिष्कृत भाई, जिसकी सपति का बंटवारा न हुआ हो,  
जिस स्त्री का पति या पुत्र जीवित हो, दास, नाबालिग, बहुत बूढ़ा, समाज में निर्दित,  
संन्यासी, लूले लगटे और बीमार आदि व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहार भी जायज  
न समझे जाय, किन्तु उन व्यवहारों को वैध समझा जाय जो कि उन्हें राजा की ओर  
से प्राप्त हो चुके हो ।

( ५ ) क्रोधी, दुःखी, मत्त, उन्मत्त, पागल आदि व्यक्तियों के द्वारा किये गये  
व्यवहार भी वैधानिक न समझे जाय । जो भी व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार करे या  
करायें तथा सुनें उन्हें पूर्वोक्त दण्ड देने चाहिएँ ।

( ६ ) परीक्षा अपनी-अपनी जाति में उचित देश काल और प्रकृति के अनु-  
सार किए गए दोषरहित सभी व्यवहार वैध समझे जाय, वशत कि उनकी सूचना

(१) पश्चिमं चंपा करणमादेशाधिवर्जं श्रद्धेयम् । इति व्यवहार-स्थापना ।

(२) संवत्सरमृतुं मास पक्षं दिवसं करणमधिकरणमृणं वेदकावेदकयोः कृतसमर्थावस्थयोर्देशग्रामजातिगोत्रनामकर्माणि चाभिलिख्य वादिप्रतिवादि-प्रश्नानर्थानुपूर्व्यां निवेशयेत् । निविष्टांश्रावेक्षेत ।

(३) निबद्धं पादमुत्सृज्यान्वयं पाद सङ्क्रामति । पूर्वोक्तं पश्चिमेनार्थेन नाभिसन्धत्ते । परवाक्यमनभिग्राह्यमभिग्राह्यावतिष्ठते । प्रतिज्ञाय देशं 'निदिश' इत्युक्ते न निदिशति । निदिष्टाद् देशादन्यं देशमुपस्थापयति । उपस्थिते देशेऽर्थवचनं 'नैवम्' इत्यपव्ययते । साक्षिमिरवधृतं नैच्छति । असम्भाष्ये देशे साक्षिभिर्मिथः सम्भाषत । इति परोत्तहेतवः ।

(४) परोक्तदण्डः पञ्चबन्धः । स्वयंवादिदण्डो दशबन्धः । पुरुषभृति-रण्टाशः । पथिभक्तमर्धविशेषतः । तदुभयं नियम्यो वद्यात् ।

दी गई हो और उनके रूप, लक्षण, प्रमाण तथा गुण की अच्छी तरह परीक्षा की गई हो ।

( १ ) बलात्कार जैसे व्यवहारो को छोड़ कर उनके सभी व्यवहार न्याय सम्मत माने जाय । यहाँ तक व्यवहार की स्थापना बताई गई ।

( २ ) अपने-अपने पक्ष की सहायत के लिए उपस्थित हुए मुद्दाला ( वेदक ) और मुद्दई ( आवेदक ) के देश, गाँव, जाति, गोत्र, नाम और व्यवसाय आदि को पहिले लिखा जाय, फिर कर्जा लेने या चुकाने का वर्ष, ऋतु, पक्ष, महीना, दिन, स्थान और गवाही आदि को लिखा जाय, बन्त में मुद्दई तथा मुद्दाला के बयान क्रमपूर्वक लिखे जाय । तब जाकर उन पर विचार किया जाय ।

( ३ ) पराजय के लक्षण : बयान देते समय जो व्यक्ति प्रसङ्ग की बात न कहकर इधर-उधर की हाँकने लगता है, जिसके बयानो में कोई सिलसिला न हो, दूसरे की अमान्य बात को पकड़ कर उस पर डट जाता है, कर्जा लेने के स्थान पर हलफ़ देकर भी पूछने पर नहीं बतलाता या उसकी जगह किसी दूसरे ही स्थान को बतलाता है स्थान ठीक बताने पर ऋण लेने से मुकर जाता है, गवाहो की बात को स्वीकार नहीं करता, और निषिद्ध स्थान में गवाहो से मिल कर बात करता है, उसको हारा हुआ समझना चाहिए ।

( ४ ) पराजय का दण्ड : ऐसे हारे हुए व्यक्ति को ऋण की रकम का पाँचवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय । बिना गवाह के अपनी ही बात को जो बार बार ठीक कहता जाय उसको ( देय रकम ) का दसवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय । इसके अतिरिक्त हजनि के रूप में हारे हुए अपराधी से नौकरो के वेतन का आठवाँ हिस्सा और रास्ते का भोजन-भत्ता भी अदा कर लिया जाय ।

(१) अभियुक्तो न प्रत्यभियुञ्जीत, अन्यत्र कल्हसाहससार्यसमवाये भ्य । न चाभियुक्तेऽभियोगोऽस्ति ।

(२) अभियोक्ता चेत् प्रत्युक्तस्तदहरेव न प्रतिब्रूयात्, परोक्त स्यात् । कृतकायविनिश्चयो ह्यभियोक्ता, नाभियुक्त ।

(३) तस्याप्रतिब्रुवतस्त्रिरात्र सप्तरात्रमिति । अत ऊर्ध्वं त्रिपणा वराध्यं द्वादशपणपर दण्ड कुर्यात् । त्रिपक्षादूर्ध्वमप्रतिब्रुवत परोक्तदण्ड कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि स्युस्ततोऽभियोक्ता प्रतिपादयेदन्यत्र प्रत्युपकरणेभ्य । तदेव निष्पततोऽभियुक्तस्य कुर्यात् । अभियोक्तुनिष्पातसमकाल परोक्तभाव । प्रेतस्य व्यसनिनो वा साक्षिवचना सारम् । अभियोक्ता दण्ड दत्त्वा कम कारयेत् । आर्ध वा स काम प्रवेशयेत् । रक्षोघ्नरक्षित वा कमणा प्रतिपादयेदन्यत्र ब्राह्मणादिति ।

( १ ) फौजदारी डाका व्यापारियो और लिमिटेड कम्पनियो के ऋणडो को छोडकर अभियुक्त अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा नही चला सकता है । अभियुक्त भी पहिली बात को लेकर अभियोक्ता पर पुन मुकदमा नही चला सकता है ।

( २ ) जवाबतलबी जवाबतलब किये जाने पर तत्काल ही वादी यदि उत्तर नही देता तो उसको पराजित समझा जाय । क्योकि पूरे सोच विचार के बाद ही अभियोक्ता दावा दायर करता है जब कि अभियुक्त ऐसी स्थिति मे नही रहता है ।

( ३ ) मुहलत इसलिए अभियुक्त यदि फौरन ही जवाब न दे सके तो उसे तीन से सात रात तक की मुहलत दी जाय । इतनी मुहलत मिलने पर भी यदि वह उत्तर नहीं दे पाता तो उस पर तीन से चारह पण तक का दण्ड किया जाय । यदि डेढ महीने की मुहलत के बाद भी वह अपने अभियोग की सफाई पेश नही कर पाता तो उसको देय घन का पाँचवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय और उसकी सम्पत्ति मे से जितना भी यायासमत हो उतना हिस्सा अभियोक्ता को दिलाया जाय सारी सम्पत्ति को दिये जाने के बाद भी यदि कुछ कर्जा बाकी रह जाय तो अभियुक्त के जीवन निर्वाह योग्य अन्न वस्त्र बतन बिस्तर आदि सामान अभियोक्ता को नही दिलाया जाय । यदि अभियोक्ता अपराधी सिद्ध हो जाय तब उपयुक्त सारे अधिकार अभियुक्त को दिये जायें किन्तु अभियुक्त ही यदि अपराधी साबित हो जाय तो उसको सफाई पेश करने की मुहलत न दी जाय बल्कि तत्काल ही पूर्वोक्त दण्ड दिया जाय । यदि बीच ही मे अभियुक्त मर जाय या किसी भारी विपदा मे फस जाय तो उससे गवाहो की सहायत के अनुसार अदालत अपराधी अभियोक्ता को यथोचित दण्ड देकर उससे काम ले । नियत समय तक यायालय उसको अपने अधिकार मे रखे अथवा उससे जन कल्याण सम्बन्धी कार्यों को कराये । यदि अभियोक्ता ब्राह्मण हो तो उससे ऐसे कार्य न करवाय जायें ।

- (१) चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात् ।  
नश्यता सर्वधर्माणा राजधर्मं प्रवर्तकः ॥
- (२) धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम् ।  
विवादाथंश्चतुष्पादः पश्चिम. पूर्वबाधकः ।
- (३) अत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु ।  
चरित्र सद्ग्रहे पुसा राज्ञामाज्ञा तु शासनम् ॥
- (४) राज्ञः स्वधर्मं स्वर्गायि प्रजा धर्मेण रक्षितुः ।  
अरक्षितुर्वा क्षेप्तुर्वा मिथ्यादण्डमतोज्यथा ॥
- (५) दण्डो हि केवलो लोक पर चेमं च रक्षति ।  
राज्ञा पुत्रे च शत्रौ च यथादोष सम धृत ॥
- (६) अनुशासद्धि धर्मेण व्यवहारेण सत्यया ।  
न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्ता महीं जयेत् ॥
- (७) सस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्र वा व्यवहारिकम् ।  
यस्मिन्नथ विरुद्धचेत धर्मैणार्थं विनिर्णयेत् ॥
- (८) शास्त्र विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित् ।  
न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति ॥

( १ ) राजाज्ञा . चारो वर्ण, चारो आश्रम, सम्पूर्ण लोकाचार और नष्ट होते हुए सभी धर्मों का रक्षक राजा है, इसीलिये उसे धर्म का प्रवर्तक माना जाता है ।

( २ ) धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा, ये विवाद के निर्णायक साधन होने के कारण राष्ट्र के चार पैर माने जाते हैं, इन्हीं पर सारा राज्य टिका है । इनमें भी धर्म से व्यवहार, व्यवहार से चरित्र और चरित्र की अपेक्षा राजाज्ञा श्रेष्ठ है ।

( ३ ) उनमें धर्म सच्चाई में, व्यवहार साक्षियों में चरित्र समाज के जीवन में और राजाज्ञा राजकीय शासन में स्थित रहती है ।

( ४ ) धर्मपूर्वक प्रजा पर शासन करना ही राजा का निजी धर्म है, वही उसको स्वर्ग तक ले जाता है । इसके विपरीत प्रजा की रक्षा न कर उसको पीडा पहुँचाने वाला राजा कभी भी सुखी नहीं रहता है ।

( ५ ) पुत्र और शत्रु को उनके अपराध के अनुसार समानरूप से राजा द्वारा दिया हुआ दण्ड ही लोक और परलोक की रक्षा करता है ।

( ६ ) धर्म, व्यवहार, चरित्र और न्यायपूर्वक शासन करता हुआ राजा सारी पृथ्वी का स्वामित्व प्राप्त करे ।

( ७ ) जहाँ भी चरित्र तथा लोकाचार का धर्मशास्त्र के साथ विरोध की बात उपस्थित हो, वहाँ धर्मशास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए ।

( ८ ) किन्तु, किसी बात पर यदि राजा के धर्मानुकूल शासन का धर्मशास्त्र के

- (१) इष्टदोषः स्वयंवादः स्वपक्षपरपक्षयोः ।  
 अनुयोगार्जवं हेतुः शपथश्रायंसाधकः ॥  
 (२) पूर्वोत्तरार्यव्याघाते साक्षिवक्तव्यकारणे ।  
 चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे विवादपदनिबन्धो नाम प्रथमोऽध्यायः,  
 आदितो सप्तपञ्चाशः ।

— ० :—

साथ विरोध पैदा हो जाय, तो वहाँ राज-शासन को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धर्मशास्त्र का पाठ मात्र ही नष्ट होता है ।

( १ ) निर्णय के हेतु : मुकदमे का फैसला देने से पूर्व कुछ बातें आवश्यक हैं, जैसे १. जिसका अपराध देख लिया गया हो, २ जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया हो, ३. सरलता से जिरह, ४. सरलता से कारणों का पता लग जाना और २ कसम दिलाना, ये पाँचो बातें सच्चाई को सिद्ध करने में सहायक होती हैं ।

( २ ) यदि उक्त पाँच हेतुओं के माध्यम से भी वादी-प्रतिवादी की पारस्परिक विरुद्ध दलीलों का उचित समाधान न हो सके तो साक्षियों और गुप्तचरों के द्वारा मामले की छान-बीन कराकर अपराध का फैसला देना चाहिए ।

\* धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में विवादपदनिबन्ध नामक पहला अध्याय समाप्त ।

—: ० :—



- (१) विवाहपूर्वो व्यवहारः ।
- (२) कन्यादानं कन्यामलङ्कृत्य ब्राह्मो विवाहः ।
- (३) सहधर्मचर्या प्राजापत्यः ।
- (४) गोमिथुनादानादार्यः ।
- (५) अन्तर्वेद्यामृत्विजे दानाद् दैवः ।
- (६) मिथस्समवायाद् गान्धर्वः ।
- (७) शुल्कादानादासुरः ।
- (८) प्रसह्यादानाद् राक्षसः ।

### विवाह सम्बन्ध

धर्मविवाह : स्त्री का धन : स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार :

पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार

- ( १ ) धर्मविवाह : विवाह के बाद ही सारे सांसारिक व्यवहार आरम्भ होते हैं ।
- ( २ ) वस्त्र-आभूषण आदि से सजाकर विधिपूर्वक-कन्यादान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है ।
- ( ३ ) कन्या और वर, दोनों सहधर्म पालन करने की प्रतिज्ञा कर जिस विवाह बन्धन को स्वीकार करते हैं, उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं ।
- ( ४ ) वर से गऊ का जोड़ा लेकर जो विवाह किया जाता है उसे आप्त विवाह कहते हैं ।
- ( ५ ) विवाह वेदी में बैठकर ऋत्विक् को जो कन्यादान दिया जाता है उसे दैव विवाह कहते हैं ।
- ( ६ ) कन्या और वर का आपसी सलाह से किया गया विवाह गान्धर्व विवाह ( Love marriage ) कहलाता है ।
- ( ७ ) कन्या के पिता को धन देकर जो विवाह किया जाता है उसे आसुर विवाह कहते हैं ।
- ( ८ ) किसी कन्या से बलात्कार करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है ।

(१) सुप्तादानात् पंशाचः ।

(२) पितृप्रमाणाश्रित्वारः पूर्वं धर्म्याः । मातापितृप्रमाणाः शेयाः ।  
तौ हि शुल्कहरो बुहितुः । अन्यतराभावेऽन्यतरो वा ।

(३) द्वितीयं शुल्कं स्त्री हरेत् । सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिपिद्धम् ।

(४) वृत्तिरावन्ध्यं वा स्त्रीधनम् । परद्विसाहस्रा स्थाप्या वृत्तिः ।  
आवन्ध्यानियमः ।

(५) तदात्मपुत्रस्नुयामर्मणि प्रवासाप्रतिविधाने च भार्याया भोक्तु-  
मदोषः । प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षमयप्रतीकारे धर्मकार्ये च पत्युः । सम्भूय  
वा दम्पत्योर्मिथुनं प्रजातयोस्त्रिवर्षोपभुक्तं च धर्मिष्ठेषु विवाहेषु नानुयु-  
ञ्जीत । गान्धर्वासुरोपभुक्तं सवृद्धिकमुभयं दाप्येत । राक्षसपंशाचोपभुक्तं  
स्तेयं दद्यात् । इति विवाहधर्मः ।

( १ ) सोई हुई कन्या को हरण करके विवाह करना पंशाच विवाह कहलाता है ।

( २ ) उक्त आठ प्रकार के विवाहों में पहिले चार प्रकार के विवाह पिता की सलाह से होने के कारण धर्मानुकूल विवाह है । बाकी चार विवाह माता-पिता दोनों की सलाह से होते हैं, क्योंकि वे दोनों लड़की को देकर उसके बदले में धन लेते हैं । उस धन को यदि पिता न हो तो माता ले सकती है और माता न हो पिता ले सकता है ।

( ३ ) इसके अतिरिक्त प्रीतिवश दिया हुआ दूसरे प्रकार का धन उस कन्या का है जिसके साथ विवाह किया गया हो । सभी प्रकार के विवाहों में स्त्री-पुष्ट्य में परस्पर प्रीति का होना आवश्यक है ।

( ४ ) स्त्री का धन : स्त्री का धन दो प्रकार का होता है : १. वृत्ति और २. आवन्ध्य । स्त्री का वृत्ति धन वह है जो स्त्री के नाम से बैंक आदि में जमा किया गया हो । उसकी रकम कम-से-कम दो हजार तक होनी चाहिए । गहना या जेवर आदि आवन्ध्य धन कहलाते हैं, जिनकी तादाद का कोई नियम नहीं है ।

( ५ ) किसी स्त्री का पति प्रदेश चला जाय और उसकी ( स्त्री की ) जीविका निर्वाह के लिए कोई जरिया न हो तो वह स्त्री अपने पुत्र और अपनी पतोहू के जीवन-निर्वाह के लिए अपने निजी धन को खर्च कर सकती है । किसी विपत्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष या इसी तरह के आकस्मिक सकट से बचने के लिए और किसी धर्म-कार्य में पति भी यदि स्त्री के निजी धन को खर्च करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं । इसी प्रकार दो सन्तान पैदा होने पर स्त्री-पुष्ट्य दोनों मिलकर यदि उस धन को खर्च करें तब भी कोई दोष नहीं, और ऐसे पति-पत्नी जिनका विवाह धर्मानुकूल हुआ हो, कोई सन्तान पैदा न होने पर तीन वर्ष तक उस धन को खर्च कर सकते हैं । जिन्होंने गान्धर्व या आसुर विवाह किया हो और आपसी सलाह से वे स्त्री धन को खर्च कर डालें तो उनसे व्याजसहित मूलधन जमा कर लिया जाय । जिन्होंने

(१) मृते भर्तरि धर्मकामा तदानीमेवास्थाप्याभरणं शुल्कशेषं च लभेत । लब्ध्वा वा विन्दमाना सबृद्धिकमुभयं दाप्येत् । कुटुम्बकामा तु श्वशुरपतिदत्तं निवेशकाले लभेत । निवेशकालं हि दीर्घप्रवासे व्याख्यास्यामः ।

(२) श्वशुरप्रातिलोभ्येन वा निविष्टा श्वशुरपतिदत्तं जीयेत । ज्ञातिहस्तादभिमृष्टाया ज्ञातयो यथागृहीतं दद्युः ।

(३) न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत् ।

(४) पतिदायं विन्दमाना जीयेत । धर्मकामा भुञ्जीत ।

(५) पुत्रवती विन्दमाना स्त्रीधनं जीयेत । तत्तु स्त्रीधनं पुत्रा हरेयुः ।

(६) पुत्रभरणार्थं वा विन्दमाना पुत्रार्थं स्फातोऽकुर्यात् ।

राक्षस तथा पैशाच विधि से विवाह किया हो ऐसे पति-परनी यदि स्त्री धन को खर्च कर डालें तो उन्हें चोरी का दण्ड दिया जाय । यहाँ तक विवाह धर्म का निरूपण किया गया है ।

( १ ) स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार : पति के मर जाने पर स्त्री यदि अपने धर्म-कर्म पर रहना चाहती हो तो उसे अपने दोनों प्रकार के निजी धन तथा प्रीति धन ले लेना चाहिए । उस धन को ले लेने के बाद यदि वह दूसरा पति कर ले तो व्याज सहित सारे मूलधन को वह वापिस कर दे । यदि वह परिवार की इच्छा से दूसरा विवाह करना चाहती हो तो अपने मृत पति और श्वशुर के दिए हुए धन को विवाह के समय में ही पा सकती है, उसके पहिले नहीं । इस प्रकार के पुनर्विवाह का विस्तृत विवेचन आगे दीर्घप्रवास प्रकरण में किया जाएगा ।

( २ ) यदि विधवा स्त्री अपने ससुर की इच्छा के विरुद्ध पुनर्विवाह करना चाहे तो ससुर और मृत-पति का धन उसे नहीं मिलेगा । यदि विरादरी वालों के हाथ से उसके पुनर्विवाह का प्रबन्ध हो तो विरादरी वाले ही उसके लिये हुए धन को वापिस करें ।

( ३ ) न्यायपूर्वक प्राप्त हुई स्त्री की रक्षा करने वाला पुरुष ही उसके धन की भी रक्षा करे । पुनर्विवाह की इच्छा करने वाली स्त्री अपने मृत पति के उत्तराधिकार को नहीं पा सकती है ।

( ४ ) यदि वह धर्मपूर्वक जीवन-निर्वाह करने की इच्छा करे तो वह अपने मृत पति के उत्तराधिकार को भोग सकती है ।

( ५ ) यदि पुत्रवती स्त्री पुनर्विवाह करना चाहे तो वह निजी स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं हो सकती । उस स्त्री के निजी धन के उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही होंगे ।

( ६ ) यदि कोई विधवा स्त्री अपने पुत्रों के भरण-पोषण के लिए पुनर्विवाह करना चाहे तो उसे अपनी निजी सम्पत्ति अपने लड़कों के नामजद कर देनी पड़ेगी ।

- (१) बहुपुरुषप्रजातां पुत्राणां यथापितृवत्तं स्त्रीधनमवस्थापयेत् ।  
 (२) कामकारणीयमपि स्त्रीधनं विन्दमाना पुत्रसंस्थं कुर्यात् ।  
 (३) अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती पुरुषसमीपे स्त्रीधनम् आ आयुःक्षयाद्  
 मञ्जीत, आपदर्थं हि स्त्रीधनम् । ऊर्ध्वं दायार्थं गच्छेत् ।  
 (४) जीवति भर्तारि भृतायाः पुत्रा दुहितरश्च स्त्रीधनं विभजेरन् ।  
 अपुत्राया दुहितरः । तदभावे भर्ता ।  
 (५) शुल्कमन्वाधेयमन्यद् वा बन्धुभिर्दत्तं वाग्धवा हरेयुः । इति  
 स्त्रीधनकल्पः ।

(६) वर्षाभ्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां बन्ध्यां चाकाङ्क्षेत; दश विन्दु,  
 द्वादश कन्याप्रसविनीम् ।

(७) ततः पुत्रार्थं द्वितीया विन्देत । तस्यातिश्रमे शुल्कं स्त्रीधनमर्धं  
 चाधिदेदैनिक दद्यात् । चतुर्विंशतिपणपरं च दण्डम् ।

( १ ) यदि किसी स्त्री के कई पुत्र कई पतियो के द्वारा पैदा हुए हों तो उसे चाहिए कि जिस पिता वा जो पुत्र हो उसी के नाम उसके पिता की सम्पत्ति नाम-जद करे ।

( २ ) अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए प्राप्त हुए धन को भी वह पुनर्विवाह करने से पूर्व अपने पुत्रों के नाम लिख दे ।

( ३ ) पुत्रहीन विधवा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई गृह के सरक्षण में रहकर जीवन पर्यन्त अपने स्त्रीधन का उपभोग कर सकती है । स्त्रीधन आपत्तिकाल के लिए ही होता है । उसके मरने के बाद उसका बचा हुआ धन उसके उचित उत्तराधिकारियों को मिलना चाहिए ।

( ४ ) पति के रहते हुए यदि स्त्री मर जाय तो उसके निजी धन को उसकी सन्तानें आपस में बाँट लें । यदि लड़के न हों तो धन को लड़कियाँ ही बाँट लें । यदि लड़कियाँ भी न हों तो उसका पति उस धन को ले ले ।

( ५ ) बन्धु-बान्धवों ने जो धन विवाह के समय दहेज के रूप में या दूसरे रूप में उस स्त्री को दिया है उसे वे वापस ले सकते हैं । यहाँ तक स्त्री धन विषयक नियमों पर विचार किया गया ।

( ६ ) पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार : यदि किसी स्त्री की सत्तान न होती हो या उसके अन्दर सन्तान पैदा करने की शक्ति न हो, तो पति को चाहिए कि वह आठ वर्ष तक सन्तान होने की प्रतीक्षा करे । यदि स्त्री मरे हुए बच्चे ही जने तो दश वर्ष तक और यदि उसको कन्याएँ ही पैदा होती हो तो पति को बारह वर्ष तक इन्तजार करना चाहिए ।

( ७ ) उसके बाद पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है । जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, स्त्रीधन,

(१) शुल्कं स्त्रीघनमशुल्कस्त्रीधनायास्तत्प्रमाणमाधिबेदनिकमनुरूपां च वृत्तिं दत्त्वा बह्वोरपि बिन्देत् । पुत्रार्था हि स्त्रियः । तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढा जोवत्पुत्रा वा पूर्वं गच्छेत् ।

(२) तीर्थगूहनागमने यण्णवतिर्दण्डः । पुत्रवतीं धर्मकामा बन्ध्या बिन्दुं नीरजस्का वा नाकामामुपेयात्, न चाकामः पुरुषः । कुष्ठिनीमुन्मत्ता वा गच्छेत् । स्त्री तु पुत्रार्थमेवभूतं वोपगच्छेत् ।

(३) नीचत्व परदेश वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी ।

प्राणामिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपि वा पतिः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयोऽधिकरणे विवाहसमुक्त नाम द्वितीयोऽध्यायः,  
आदितोऽष्टपञ्चाशः ।

— ० —

अतिरिक्त धन अपनी पहली स्त्री के गुजारे के लिए देना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह चौबीस पण तक का जुर्माना सरकार को अदा करे ।

( १ ) जिस स्त्री के विवाह में न तो दहेज मिला है और न उसके पास अपना निजी धन है, उसको दहेज तथा स्त्री धन के बराबर धन देकर और उसके जीवन-निर्वाह के पर्याप्त सम्पत्ति देकर कोई भी पुरुष जितनी ही स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है । क्योंकि स्त्रियाँ पुत्र पैदा करने के लिए ही होती हैं । यदि एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ एक ही साथ रजस्वला हो तो पति को चाहिए कि वह सबसे पहिले विवाहिता पत्नी के पास समागम के लिए जाय अथवा उस पत्नी के पास जाय जिसका कोई पुत्र जीवित हो ।

( २ ) यदि कोई पुरुष श्चतु-काल को छिपाकर अपनी स्त्री से ससर्ग नहीं करता तो उसको सरकार की ओर में छिपाने पण दंड दिया जाय । किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह पुत्रवती, पवित्र जीवन वाली, बन्ध्या, मृतपुत्रा और मासिकधर्मरहित स्त्री के साथ सब तक सभोग न करे जब तक सभोग के लिए वह स्वयं राजी न हो । सभोग की इच्छा होते हुए भी कोठिन या पागल स्त्री से सभोग नहीं करना चाहिए, किन्तु, पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री किसी भी कोठे या उन्मत्त पुरुष के साथ ससर्ग कर सकती है ।

( ३ ) किसी भी नीच, प्रवासी, राजद्रोही, धातक, जाति तथा धर्म से गिरे हुए और नपुंसक पति से स्त्री विवाह विच्छेद कर सकती है ।

• धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में विवाहसमुक्त नामक

दूसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

## विवाहसंयुक्तं; शुश्रूषाभर्मपारुष्य- द्वेषातिचारोपकारव्यवहारप्रतिषेधाश्च;

(१) द्वादशवर्षा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति, षोडशवर्षः पुमान् । अत ऊर्ध्वमशुश्रूषायां द्वादशवर्षः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः ।

(२) भर्मण्यायामनिर्दिष्टकालायां प्राप्ताच्छादनं वाधिकं यथापुरुष-परिधापं सविशेषं दद्यात् । निर्दिष्टकालायां तदेव सद्दद्यात् । बन्ध च दद्यात् । शुल्कस्त्रीधनाधिभेदनिकानामनादाने च ।

(३) श्वशुरकुलप्रविष्टायां विभक्तायां वा नाभियोग्यः पतिः । इति भर्म ।

(४) नग्ने, विनग्ने, न्यङ्गौ, अपितृके, अमातृके, इत्यनिर्देशेन विनय-ग्राहणम् । वेणुदलरञ्जुहस्तानामन्यतमेन वा पृष्ठे त्रिराघातः । तस्यातिक्रमे वाग्दण्डपारुष्यदण्डाभ्यामर्धदण्डाः ।

### विवाह सम्यग्ध

स्त्री की परवरिश : कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : पति-पत्नी का

द्वेष : पति पत्नी का अतिचार : और अतिचार पर प्रतिषेध

( १ ) बारह वर्ष की लड़की और सोलह वर्ष का लड़का कानूनन बालिग माने जाते हैं । इस उम्र के बाद यदि वे राज-नियम का उल्लंघन ( अशुश्रूषा ) करें तो लड़की को बारह पण और लड़के को चौबीस पण का दण्ड दिया जाय ।

( २ ) स्त्री की परवरिश : यदि कितनी स्त्री के भरण-पोषण ( भर्म ) की अवधि नियत न हो तो पुरुष को चाहिए कि वह उस स्त्री के वस्त्र, भोजन और व्यय का यथोचित प्रबन्ध करे, अथवा अपनी आमदनी के अनुसार उसको अतिरिक्त सुख-सुविधा भी दे, किन्तु जिस स्त्री के भरण-पोषण का समय नियत हो और जिस स्त्री ने दहेज, स्त्री धन तथा अतिरिक्त धन लेना स्वीकार न किया हो, पति को चाहिए कि अपनी आमदनी के अनुसार उसको वैधी हुई रकम देता जाय ।

( ३ ) यदि स्त्री अपने मायके में रहती हो या स्वतन्त्र रह कर गुजारा करती हो, तो उसके भरण पोषण के लिए पति को बाध्य नहीं किया जा सकता है । यहाँ तक स्त्री की परवरिश पर विचार किया गया ।

( ४ ) कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : दाम्पत्य-नियमों का उल्लंघन करने

(१) तदेव स्त्रिया भर्तरि प्रसिद्धमदोषाया ईर्ष्याया बाह्यविहारेषु द्वारेषु अत्ययो यथानिर्दिष्टः । इति पाठ्यम् ।

(२) भर्तरि द्विपती स्त्री सप्तार्तवान्यमण्डयमाना तदानीमेव स्थाप्या-  
भरणं निधाय भर्तारम् अन्यया सह शयानमनुशयीत ।

(३) मिश्रकथन्वाधिजातिकुलानामन्यतमे वा भर्ता द्विपन् स्त्रियमे  
कामनुशयीत ।

(४) दृष्टलिङ्गे मैथुनापहारे सवर्णापसर्पोपगमे वा मिथ्यावादी द्वादश-  
पणं दद्यात् ।

(५) अमोक्ष्या भर्तुरकामस्य द्विपती भार्या, भार्यायाश्च भर्ता । परस्परं  
द्वेषान्मोक्षः ।

(६) स्त्रीविप्रकाराद् वा पुरुषश्चेन्मोक्षमिच्छेद्, यथागृहीतमस्यं दद्यात् ।

वाली स्त्री को पहिले 'नगी, अघनगी, लूनी-लैगडी, बाप-मरी, मा-मरी' आदि गालियाँ न देकर उसको भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखानी चाहिए। यदि इससे कार्य न सधे तो उसकी पीठ पर बाँस की छपाची, रस्सी या डप्पण से तीन बार चोट करे। फिर भी वह सीधी राह पर न आवे तो उसे वाक्पाह्य तथा दण्डपाह्य का आघात दण्ड दिया जाय।

( १ ) यही दण्ड उस स्त्री को भी दिया जाय जो अकारण ही निर्दोष पति से बुरा व्यवहार करती हो और पति के दरवाजे पर या बाहर किसी प्रकार की इशारे-बाजी या ऐयाशी करे। इस प्रकार के नियम-विरुद्ध आचरण करने वाली स्त्री के लिए इसी प्रकरण में दण्ड का निर्देश किया गया है। यहाँ तक कटु-भाषिणी स्त्री के व्यवहार पर विचार किया गया।

( २ ) पति-पत्नी का द्वेष : अपने पति के साथ द्वेष रखने वाली स्त्री यदि सात ऋतुकाल तक दूसरे पुरुष के साथ समागम करती रहे तो उसे चाहिए कि वह अपने दोनो प्रकार के स्त्री घन पति को सौंपकर पति को भी दूसरी स्त्री के साथ समागम करने की अनुमति दे दे।

( ३ ) यदि पति, स्त्री से द्वेष करता हो तो उसको चाहिए कि वह अपनी स्त्री को सन्यासिनी तथा भाई-बन्धुओं साथ अकेली रहने से न रोके।

( ४ ) पराई स्त्री के साथ सभोग करने के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि कोई पुरुष इनकार कर दे या किसी प्रेमिका के साथ सभोग करके साफ मुकर जाय तो उसको बारह पण का दण्ड दिया जाय।

( ५ ) पति से द्वेष-वैमनस्य रखनेवाली स्त्री, पति की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं दे सकती है। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है। दोनो में परस्पर समान दोष होने पर ही तलाक संभव है।

( ६ ) पत्नी में कुछ बुराईयाँ आ जाने के कारण यदि पति उसका परित्याग

पुरुषविप्रकाराद् वा स्त्री चेन्मोक्षमिच्छेत्, नास्ये मथागृहीतं दद्यात् ।  
अमोक्षो धर्मविवाहानाम् । इति द्वेषः ।

(१) प्रतिपिद्धा स्त्री दपंमद्यक्रीडायां त्रिपणं दण्डं दद्यात् । विवा  
स्त्रीप्रेक्षाविहारगमने षट्पणो दण्डः । पुरुषप्रेक्षाविहारगमने द्वादशपणः ।  
रात्रौ द्विगुणः ।

(२) सुप्तमत्तप्रव्रजने भर्तुरदाने च द्वारस्य द्वादशपणः । रात्रौ निष्का-  
सने द्विगुणः ।

(३) स्त्रीपुंसयोर्मथुनाथेऽनङ्गविचेष्टायां रहोश्लीलसम्भाषायां वा  
चतुर्विंशतिपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः ।

(४) केशनीवीदन्तेनखावलम्बनेषु पूर्वः साहसदण्डः, पुंसो द्विगुणः ।

(५) शङ्कितस्थाने सम्भाषायां च पणस्थाने शिफादण्डः । स्त्रीणां

करना चाहे तो, जो धन उसको स्त्री की ओर से मिला है उसे भी वह स्त्री को लौटा  
दे । यदि इसी कारण कोई स्त्री अपने पति से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे तो पति से  
पाये हुए धन को वह पति को न लौटाये । किन्तु चार प्रकार के धर्म विवाहों में किसी  
भी दशा में तलाक नहीं हो सकता है । यहाँ तक पति-पत्नी के द्वेष-वैमनस्य पर  
विचार किया गया ।

( १ ) पति-पत्नी का अतिचार . मना किए जाने पर भी यदि कोई स्त्री दपं-  
वश मद्यपान और विहार करे तो उस पर तीन पण, पति के मना करने पर यदि  
दिन में सिनेमा देखे तो छह पण और यदि किसी पुरुष के साथ सिनेमा देखे तो बारह  
पण जुर्माना किया जाय । यदि यही अपराध वह रात में करे तो उसको दुगुना दण्ड  
दिया जाय ।

( २ ) यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए अपने पति को छोड़कर घर से  
बाहर चली जाय अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर दे तो  
उसको बारह पण दण्ड देना चाहिए । यदि कोई स्त्री अपने पति को रात में घर से  
बाहर कर दे तो उस स्त्री पर चौबीस पण का दण्ड किया जाय ।

( ३ ) परपुरुष या परस्त्री परस्पर मंथुन के लिए यदि इशारेवाजी करें या  
एकान्त में अश्लील बातचीत करें तो स्त्री पर चौबीस पण और पुरुष पर अड़तालीस  
पण का जुर्माना किया जाय ।

( ४ ) यदि वे परस्पर केश, तथा कमर पकड़े एक दूसरे को चूमे, दाँत काटें या  
नाखून गडावे तो इस अपराध में स्त्री को पूर्व साहस दण्ड और पुरुष को उससे दुगुना  
दण्ड दिया जाय ।

( ५ ) किसी सकेत स्थान में यदि वे परस्पर बातचीत करें तो आधिक दंड की  
जगह उन पर कोड़े लगाये जाय । इस प्रकार की अपराधिनी स्त्री के किसी एक ही



ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरे पञ्चशिखा दद्यात् । पणिकं वा प्रहारं मोक्षयेत् । इत्यतिचारः ।

(१) प्रतिपिद्धयोः स्त्रीपुंसयोरन्योन्योपकारे क्षुद्रकद्रव्याणां द्वादशपणो दण्डः, स्थूलकद्रव्याणां चतुर्विंशतिपणः, हिरण्यमुवर्णयोश्चतुष्पञ्चाशत्पणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः । त एवागम्ययोरधं दण्डाः ।

(२) तथा प्रतिपिद्धपुरुषव्यवहारेषु च । इति प्रतिषेधः ।

(३) राजद्विष्टातिचाराम्यामात्मापक्रमणेन च ।  
स्त्रीधनानीतशुल्कानामस्वाम्यं जायते स्त्रियाः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवाहमुक्तप्रकरणे शुभ्रूपा-भ्रमंपाठ्य-  
अतिचार उपकारव्यवहारप्रतिषेधो नाम तृतीयोऽध्यायः,  
आदित एकोनपञ्चाशः ।

— ० —

बङ्ग पर गांव के चंडाल द्वारा पांच कोड़े लगवाये जाँय । पण दंड बढ़ा करने पर प्रहार दंड कम कर दिया जाय । यहाँ तक अतिचार के विषय में कहा गया ।

( १ ) अतिचार पर प्रतिषेध वर्जित करने पर यदि कोई स्त्री तथा पुरुष छोटी-मोटी उपहार की वस्तुएँ देकर परस्पर व्यवहार करें तो छोटे उपहार पर स्त्री को चारह पण और बड़े उपहार पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय । यदि उपहार में वह सोने की कीमती चीजें दे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय । इन अपराधों को यदि पुरुष करे तो उस पर स्त्री से दुगुना दण्ड किया जाय । यदि वे स्त्री-पुरुष बिना मुलाकात किए ही उपहार की चीजें लेते-देते रहे तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उन्हें दिया जाय ।

( २ ) इसी प्रकार निपिद्ध पुरुषों के सम्बन्ध में भी दण्ड आदि का नियम समझना चाहिए । यहाँ तक प्रतिषेध के विषय में कहा गया ।

( ३ ) राज्य के प्रति वगावत करने पर, आचार का उल्लंघन करने पर और आबारा गर्द होने पर कोई भी स्त्री अपना स्त्री धन, दूसरी शादी करने पर निर्वाह के लिए प्राप्त हुआ धन ( आनीत ) और देहेज में मिला हुआ धन, आदि की अधिका-रिणी नहीं हो सकती ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।

— ० :—

## विवाहसंयुक्तं; निष्पतनं; पथ्यनुसरणं; हस्वप्रवासो; दीर्घप्रवासश्च;

(१) पतिकुलाग्निष्पतितायाः स्त्रिया. षट्पणो दण्डोऽन्यत्र विप्रकारात् । प्रतिपिद्धाया द्वादशपणः । प्रतिवेशगृहातिगतायाः षट्पणः ।

(२) प्रातिवेशिकमिक्षुकवैदेहकानामवकाशमिक्षापण्यादाने द्वादशपणो दण्डः, प्रतिपिद्धाना पूर्वः साहसदण्डः । परगृहातिगतायाश्चतुर्विंशतिपणः ।

(३) परमार्यावकाशदाने शत्रो दण्डोऽन्यत्रापद्भूचः । वारणाज्ञान-योर्निर्दोषः ।

(४) प्रतिविप्रकारात् पतिज्ञातिसुखावस्थग्रामिकान्वाग्निमिक्षुकीज्ञाति-कुलानामन्यतममपुरुष गन्तुमदोष, इत्याचार्याः ।

### विवाह सम्बन्ध

परिणीता का निष्पतन : परपुरुष का अनुसरण : पुनर्विवाह की स्थिति

( १ ) स्त्रियो का घर से बाहर जाना : पतिघर से भागी हुई स्त्री पर दण्ड पण का दण्ड दिया जाय, किन्तु यदि वह किसी भय के कारण भागे तो अदण्डप समझी जाय । पति के रोकने पर भी यदि कोई स्त्री घर से भाग निकले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि वह पड़ोसी के ही घर में चली जाय तो उसे दण्ड पण का दण्ड दिया जाय ।

( २ ) पति की आज्ञा के बिना पड़ोसी को अपने घर में पनाह देने, मिखारी को भीख देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने वाली स्त्री को बारह पण दण्ड दिया जाय । यदि कोई स्त्री विपिद्ध व्यक्तियों के साथ गृही व्यवहार करे तो उसे प्रथमसाहस दण्ड दिया जाय । यदि वह निर्दिष्ट सीमा के घरों से बाहर जाये तो उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) विपत्तिरहित किसी परपत्नी को अपने घर में पनाह देने वाले पर सौ पण का दण्ड किया जाय । यदि कोई स्त्री गृहस्वामी के रोकने पर या छिपकर उसके घर में घुस जाय तो उस स्थिति में गृहस्वामी निरपराध समझा जाय ।

( ४ ) कुछ आचार्यों का अभिमत है कि पति से तिरस्कृत कोई स्त्री यदि अपने पति के सम्बन्धी पुरुषरहित घर में जाय या मुख-सपत्र, गाँव के मुखिया, अपने धन

( १ ) सपुरुषं वा ज्ञातिकुलम्; कुतो हि साध्वीजनस्यच्छलं, सुखमे-  
तदवबोद्धुम्, इति कौटिल्यः ।

( २ ) प्रेतव्याधिव्यसनगर्भनिमित्तमप्रतिपिद्धमेव ज्ञातिकुलगमनम् ।

( ३ ) तन्निमित्तं वारयतो द्वादशपणो दण्डः । तत्रापि गूहमाना स्त्रीधनं  
जीयेत्, ज्ञातयो वा छादयन्तः शल्कशेषम् । इति निष्पतनम् ।

( ४ ) पतिकुलान्निष्पत्य ग्रामान्तरगमने द्वादशपणो दण्डः स्थाप्याभरण-  
लोपश्च । गम्येन वा पुसा सह प्रस्थाने चतुर्विंशतिपणः, सर्वधर्मलोपश्चान्यत्र  
भर्मदानतीर्थगमनाभ्याम् । पुंस पूर्वः साहसदण्डः तुल्यश्रेयसः, पापीयसो  
मध्यमः । वन्धुरदण्डचः । प्रतिपेधेऽर्धदण्डः ।

में निरीक्षक, भिक्षुको या अपने किसी सम्बन्धी के पुरुषरहित घर में प्रवेश करे तो  
उसको दोषी नहीं समझा जाना चाहिए ।

( १ ) इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का मत है कि ऊपर कही गई अवस्थाओं  
में कोई भी साध्वी स्त्री अपने उन सम्बन्धियों या परिवारजनों के घरों में भी जा  
सकती है, जहाँ पुरुष विद्यमान हों, क्योंकि उसके छलपूर्ण व्यवहार उसके पति तथा  
सम्बन्धियों से छिपे नहीं रह सकते हैं ।

( २ ) मृत्यु, बीमारी, विपत्ति और प्रमद काल में स्त्री अपने सम्बन्धियों के  
यहाँ जा सकती है ।

( ३ ) ऊपर कहे गए अवसरों पर यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को अपने सम्ब-  
न्धियों के यहाँ जाने से रोके तो वह बारह पण दण्ड का अपराधी है । यदि कोई स्त्री  
जाकर भी अपने जाने की बात को छिपाये तो उसका स्त्री-धन जब्त कर लिया  
जाय । यदि सम्बन्धी लोग लेने-देने के डर से ऐसे अवसरों की सूचना न दें तो उनको  
वर की ओर से अवशिष्ट देय धन न दिया जाय । यहाँ तक स्त्रियों के घर से बाहर  
जाने ( निष्पतन ) के सम्बन्ध में विचार किया जाय ।

( ४ ) रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री का चलना पतिघर से भाग  
कर सट्टर गाँव में जाने वाली स्त्री को बारह पण का दण्ड दिया जाय, और उसके  
नाम से जमा पूँजी तथा उसके आभूषण आदि जब्त कर लिये जाँय । यदि वह मँथुन  
के लिए किसी पुरुष का सहवास करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और  
यज्ञयागादि धर्मकार्यों में उसको सहधर्मिणी के अधिकार से वंचित किया जाय, किन्तु  
यदि वह घर के भरण पोषण या दूसरी जगह में रहने वाले पति के समीप ऋतुगमन  
के लिए जाय तो उसे अपराधिनी न माना जाय । यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति इस  
अपराध को करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, और निम्न वर्ण के व्यक्ति को  
मध्यम साहस दण्ड । भाई यदि इस अपराध को करे तो दण्डनीय नहीं होता । यदि  
निषेध किए जाने के बाद वह इस अपराध को करे तो उसे आधा दण्ड दिया जाय ।

(१) पथि व्यन्तरे गूढदेशाभिगमने मैथुनार्थेन शङ्कितप्रतिपिढ्याम्या वा पथ्यनुसारेण सङ्ग्रहणं विद्यात् ।

(२) तालावचरधारणमत्स्वबन्धकलुब्धकगोपालकशौण्डिकानामन्येषां च प्रसृष्टस्त्रीकाणां पथ्यनुसरणमदोषः । प्रतिपिढ्ये वा नयतः पुंसः स्त्रियो वा गच्छन्त्यास्त एवार्धदण्डाः । इति पथ्यनुसरणम् ।

(३) ह्रस्वप्रवासिनां शूद्रवैश्यक्षत्रियब्राह्मणानां भार्याः संवत्सरोत्तरं कालमाकाङ्क्षेरन् अप्रजाताः, संवत्सराधिकं प्रजाताः प्रतिविहिताः द्विगुणं कालम् । अप्रतिविहिताः सुखावस्था बिभृयुः, परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ वा जातयः । ततो यथादत्तमादाय प्रमुञ्चेयुः ।

(४) ब्राह्मणमधीयानं दशवर्षाण्यप्रजाता, द्वादश प्रजाता । राजपुरुषं आ आयुःक्षयादाकाङ्क्षेत । सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत ।

( १ ) यदि कोई स्त्री मार्ग, जगल या किसी गुप्त स्थान में अथवा किसी सदिग्ध या वर्जित पुरुष के साथ मैथुन के लिए घर से भाग निकले तो गिरफ्तार कर अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाय ।

( २ ) गाने-बजाने वाले नट-नर्तक, भाट, मछियारे, शिकारी, कलवार तथा इसी प्रकार के वे पुरुष जो स्त्रियो को साथ रखते हैं, उनके साथ जाने में स्त्री को कोई दोष नहीं । मना करने पर भी यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को साथ ले जाय या स्त्री ही स्वयं किसी पुरुष के साथ चली जाय, तो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय । यहाँ तक रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री के जाने ( पथ्यनुसरण ) के सम्बन्ध में विचार किया गया ।

( ३ ) स्त्रियो को पुनर्विवाह का अधिकार : जिन शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियो के पति कुछ समय के लिए विदेश गए हो वे एक वर्ष तक, और पुत्रवती स्त्रियाँ इससे अधिक समय तक अपने पतियों के आने की इन्तजारी करें । यदि पति, उनके भरण-पोषण का पूरा इन्तजाम करके गए हो तो इससे दुगुने समय तक पतियाँ उनकी इन्तजारी करें । जिनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध न हो, उनके बन्धु बान्धवों को चाहिए, कि चार वर्ष या इससे अधिक आठ वर्ष तक, वे उनका प्रबन्ध करें । इसके बाद पहिले विवाह में दिए गए धन को वापस लेकर वे उस स्त्री को दूसरी शादी करने की छूट दे दें ।

( ४ ) अध्ययन के लिए विदेश गए ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियाँ दस वर्ष तक और पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक, अपने पतियों के आने प्रतीक्षा करें । किसी राजकार्य से बाहर गए पतियों की प्रतीक्षा उनकी स्त्रियाँ आयु पर्यन्त करें । पति के प्रवासकाल में यदि किसी समानवर्ष पुरुष से किसी स्त्री का बच्चा पैदा हो जाय तो निन्दनीय नहीं है ।

(१) कुटुम्बाद्विलोपे वा सुखावस्थैर्विमुक्ता यथेष्टं विन्देत जीवितार्थ-  
मापद्गता वा ।

(२) धर्मविवाहात् कुमारी परिग्रहीतारमनाख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं  
सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत, संवत्सरं श्रूयमाणम् । आख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं  
पञ्चतीर्थान्याकाङ्क्षेत, दश श्रूयमाणम् । एकदेशदत्तशुल्कं त्रीणि तीर्थान्या-  
श्रूयमाणम्, श्रूयमाणं सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत । दत्तशुल्कं पञ्च तीर्थान्य-  
श्रूयमाणम्, दश श्रूयमाणम् । ततः परं धर्मैर्विसृष्टा यथेष्टं विन्देत ।  
तीर्थोपरोधो हि धर्मबंधं इति कौटिल्यः ।

(३) दीर्घप्रवासिनः प्रव्रजितस्य प्रेतस्य वा भार्या सप्त तीर्थान्याका-  
ङ्क्षेत, संवत्सरं प्रजाता । ततः पतिसौदर्यं गच्छेत् । बहुषु प्रत्यासन्नं धार्मिकं

( १ ) कुटुम्बक्षय या समृद्ध बंधु-प्राप्तियों के छोड़े जाने के कारण या विपत्ति की  
मारी हुई कोई भी प्रोषितपति का जीवन-निर्वाह के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार,  
दूसरा विवाह कर सकती है ।

( २ ) चार प्रकार के धर्म-विवाहों के अनुसार जिस कुमारी का विवाह हुआ  
हो, और यदि उसका पति उसने बिना कहे ही परदेश चला जाय तो सात मासिक  
धर्म तक वह अपने पति की प्रतीक्षा करे । यदि उसकी कोई सूचना मिल गई हो तो  
एक वर्ष तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे । यदि कहकर पति विदेश जाय और उसकी  
कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और मिल जाय तो दस मासिक धर्म  
तक उसकी इन्तजारी करे । विवाह के समय प्रतिज्ञात धन में से जिसने अपनी पत्नी  
को थोड़ा ही धन दिया हो और विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो तीन  
मासिक धर्म पर्यन्त, यदि खबर मिल जाय तो सात मासिक धर्म तक पत्नी उसकी  
प्रतीक्षा करे । जिस पति ने विवाह में प्रतिज्ञात सभी धन पत्नी को चुकता कर दिया  
हो, विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और खबर  
मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक उसकी प्रतीक्षा की जाय । इन सभी अवस्थाओं के  
बीत जाने पर कोई भी स्त्री धर्माधिकारी से आज्ञा लेकर अपनी इच्छा से अपना  
दूसरा विवाह कर सकती है । इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का कथन है 'क्योकि  
ऋतुकाल में स्त्री को पुरुष का सहवास न मिलना, धर्म का नाश हो जाने के बराबर,  
अमङ्गलकारी है' ।

( ३ ) जिस स्त्री का पति सन्यासी हो गया हो या मर गया हो, उसकी स्त्री  
सात मासिकधर्म तक दूसरा विवाह न करे । यदि उसकी कोई सन्तान हो तो वह  
एक वर्ष तक ठहर जाय । उसके बाद वह अपने पति के सगे भाई के साथ विवाह  
कर ले । यदि ऐसे सगे भाई बहुत हो तो वह, पति के पीछे पीछे पैदा हुए धार्मिक

भ्रमंसमर्थं कनिष्ठमभार्यं वा । तदभावेऽप्यसोदर्यं सपिण्डं कुल्यं वा । आसन्न-  
मेतेषाम् । एष एव क्रमः ।

( १ ) एतानुत्क्रम्य दायादान् वेदने जातकर्मणि ।  
जारस्त्रीदातृवेत्तारः सम्प्राप्ताः सङ्ग्रहात्ययम् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवाहसमुक्ते निष्पतन पथ्यनुसरण  
ह्रस्वप्रवासदीर्घप्रवासो नाम चतुर्योऽध्याय ,  
आदित पश्चितम् ।

— . ० :—

एव भरण पोषण मे समर्थ भाई के साथ विवाह कर ले, या जिम भाई की पत्नी न हो उसके साथ विवाह कर ले । यदि पति का कोई सगा भाई न हो तो समान गोत्र वाले उसके किसी पारिवारिक भाई साथ विवाह कर ले । कम से पति का जो नजदीक-से नजदीक का भाई हो, उसके साथ विवाह कर ले ।

( १ ) अपने पति की सम्पति के हकदार पुरुषो को छोडकर यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला पुरुष, वह स्त्री, उस स्त्री को देने वाला, उस विवाह मे शामिल होने वाले, ये सभी लोग, स्त्री को बहकाने या अनुचित ढग से उसको अपने काबू मे करने के जुर्मदार समझे जाय और उनको यथोचित दण्ड दिया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण मे चौथा अध्याय समाप्त ।

— : ० :—

(१) अनीश्वराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पुत्राः । तेषाम् ऊर्ध्वं पितृतो दायविभागः पितृद्रव्याणाम् । स्वयमर्जितमविभाज्यम् अन्यत्र पितृद्रव्यादुत्थितेभ्यः ।

(२) पितृद्रव्यादविभक्तोपगतानां पुत्राः पौत्रा वा आ चतुर्थादित्यंश-भाजः । तावदविच्छिन्नः पिण्डो भवति । विच्छिन्नपिण्डाः सर्वे समं विभजेरन् ।

(३) अपितृद्रव्या विभक्तपितृद्रव्या वा सहजीवन्तः पुनर्विभजेरन् । यतश्चोत्तिष्ठेत स द्व्यंशं लभेत ।

(४) द्रव्यमपुत्रस्य सोदर्या भ्रातरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्याश्च ।

### दाय विभाग

#### उत्तराधिकार का सामान्य नियम

( १ ) माता पिता या केवल पिता के जीवित रहते लड़के सपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं । उनके न रहने पर लड़के आपस में सपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं, जो सपत्ति किसी लड़के ने स्वयं अर्जित की है उसका बंटवारा नहीं होता है, यदि वह सपत्ति पिता का धन खर्च करके उपार्जित हो तो उसका बंटवारा हो सकता है ।

( २ ) सयुक्त परिवार में रहने वाले पुत्रों के पुत्र-पौत्र आदि चौथी पीढ़ी तक अविभाजित पैतृक सपत्ति के बराबर के हकदार हैं । किन्तु यह जरूरी है कि उनकी वश-परपरा खडित न हुई हो । यदि वश-परपरा खडित हो गई हो तो उस दशा में सभी मौजूद भाई पैतृक सपत्ति का बराबर हिस्सा करें ।

( ३ ) जिन भाइयों को पिता की सपत्ति प्राप्त न हुई हो, अथवा जो भाई बंटवारा हो जाने के बाद भी एक साथ खाते-बनाते हों, वे फिर से सपत्ति का विभाग कर सकते हैं । जिस भाई के कारण सपत्ति की अधिक वृद्धि हुई हो वह बंटवारे के समय दो हिस्सा ले सकता है ।

( ४ ) जिसके कोई पुत्र न हो उसकी सपत्ति उसके सगे भाई या साथी ले सकते हैं, और विवाहादि के लिए जितने धन की अपेक्षा हो, कन्यायें उतना धन अपनी पैतृक संपत्ति में से ले लें ।

(१) रिक्थं पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः । तदभावे पिता धरमाणः, पित्रभावे भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च ।

(२) अपितृका बहवोऽपि च भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च पितुरेकमंशं हरेयुः ।

(३) सोदर्याणामनेकपितृकाणां पितृतो दायविभागः ।

(४) पितृभ्रातृपुत्राणां पूर्वं विद्यमाने नापरमवलम्बन्ते, ज्येष्ठे च कनिष्ठमर्यंप्राहिणः ।

(५) जीवद्विभागे पिता नैकं विशेषयेत् । न चैकमकारणान्निविमजेत् । पितुरसत्यर्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठाननुगृह्णीयुः, अन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः ।

(६) प्राप्तव्यवहाराणां विभागः । अप्राप्तव्यवहाराणां देयविशुद्धं मातृबन्धुषु ग्रामवृद्धेषु वा स्थापयेद्युर्ध्वंवाहारप्रापणात्; प्रोपितस्य वा ।

( १ ) सुवर्ण, आभूषण एवं नकदी आदि जो भी रिक्थ धन है उसके अधिकारी लडके हैं, लडको के अभाव में वे लडकियाँ रिक्थ धन की अधिकारिणी हैं, जो धर्म-विवाहो से पैदा हुई हैं । लडकियों के अभाव में मृतक पुरुष का जीवित पिता, पिता के अभाव में पिता के सगे भाई, और उनके अभाव में भी उनके पुत्र उस संपत्ति के हकदार हैं ।

( २ ) मृतक पिता के यदि बहुत से भाई और उन भाइयों के भी कई पुत्र हो तो वे पिता की संपत्ति का बराबर बँटवारा करें ।

( ३ ) एक ही माता से अनेक पिताओं द्वारा पैदा हुए लडको का दाय विभाग पिता के क्रम से होना चाहिए ।

( ४ ) मृतक के भाइयों के पुत्रों में यदि उनका पिता जीवित हो और कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए कर्जा लिया हो तो उस कर्ज को वही चुकता करे, उसके अभाव में बड़ा पुत्र और उसके अभाव में छोटा पुत्र कर्जा अदा करे ।

( ५ ) पिता अपने जीते-जी यदि अपनी संपत्ति का बँटवारा करना चाहे तो वह किसी एक पुत्र को अधिक हिस्सा न दे । उसे चाहिए कि अकारण ही किसी लडके को वह हिस्सेदारी से वंचित न करे । पिता अपने धीछे यदि कुछ भी संपत्ति न छोड़ जाय तो बड़े भाई को चाहिए कि वह छोटे भाइयों का भरण-पोषण करे, किन्तु छोटे भाई यदि आचार-व्यवहार-भ्रष्ट हो जाय तो उसकी रक्षा के दायित्व से अपने को वह बरी समझे ।

( ६ ) पुत्रों के बालिग ( प्राप्तव्यवहार ) हो जाने पर ही संपत्ति का बँटवारा करना चाहिए । नाबालिग ( अप्राप्तव्यवहार ) पुत्र जब तक बालिग न हो जाय और विदेश गए पुत्र जब तक वापिस न लौट आएँ तब तक उनके हिस्से की सम्पत्ति को उनके माना या याँव के किसी वृद्ध विन्वासी पुरुष के पास सुरक्षित रख देना चाहिए ।



(१) सन्निविष्टसममसन्निविष्टेभ्यो नैवेदानिकं दद्युः । कन्याभ्यश्च प्रादानिकम् ।

(२) ऋणरिक्थयोः समो विभागः ।

(३) उदपात्राप्यपि निष्किञ्चना विभजेरन्, इत्याचार्याः । छलमेतदिति कौटिल्यः । सतोऽर्थस्य विभागो नासतः ।

(४) एतावानर्थं सामान्यस्तस्यैतावान् प्रत्यंशः, इत्यनुभाष्य ब्रुवन् साक्षिषु विभागं कारयेत् । दुर्विभक्तमन्योन्यापहृतमन्ताहितमविज्ञातोत्पन्नं वा पुनर्विभजेरन् ।

(५) अदायादकं राजा हरेत् स्त्रीवृत्तिप्रेतकार्यवर्जमम्, अन्यत्र श्रोत्रियद्रव्यात् । तत् त्रैविद्येभ्यः प्रयच्छेत् ।

(६) पतितः पतिताज्जातः क्लीबश्चानंशः, जडोन्मत्तान्धकुण्ठिनश्च । सति भार्यार्थे तेषामपत्यमतद्विधं भागं हरेत् । प्रासाच्छादनमितरे पतितवर्जाः ।

( १ ) विवाहित बड़े भाइयो का कर्तव्य है कि वे अपने छोटे अविवाहित भाइयो के विवाह के लिए खर्च दें और अपनी छोटी बहिनो के विवाह में दहेज आदि के लिए यथोचित धन दें ।

( २ ) सभी भाइयो को चाहिए कि वे ऋण और आभूषण तथा नगदी आदि रिक्थ धन को आपस में बराबर बाँट लें ।

( ३ ) प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'दरिद्र लोग अपने पानी पीने आदि के बर्तनो को भी आपस में बाँट लें', किंतु आचार्य कौटिल्य के मत से 'ऐसा करना छलकपट है,' क्योंकि उनके मत से, 'विद्यमान सपत्ति ही बँटवारे के योग्य होती है अविद्यमान सपत्ति नहीं ।'

( ४ ) 'सारी सपत्ति इतनी है और प्रत्येक भाई का इतना इतना हिस्सा है', यह बात साक्षियो के सामने स्पष्ट करके बँटवारा कराया जाय । यदि बँटवारा ठीक न हुआ हो, या उस सपत्ति में से किसी हिस्सेदार ने कुछ चुरा लिया हो, या बँटवारे के समय कोई चीज रह गई हो, अथवा बँटवारे के बाद अकस्मात् ही कोई चीजें अधिक आ गई हो, तो उस सपत्ति का फिर से बँटवारा किया जाना चाहिए ।

( ५ ) जिस सपत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो उसे राजा ले ले, उस सपत्ति में से वह मृतक की विधवा के भरण-भोषण योग्य तथा मृतक के श्राद्धकर्म आदि के योग्य धन छोड़ दे । श्रोत्रिय के धन को राजा कदापि न ले, बल्कि उस सपत्ति को वह वेदविद् ब्राह्मणो में वितरित कर दे ।

( ६ ) पतित को, पतित से पैदा हुई सपत्ति को और नपुंसक को दाय-भाग नहीं मिलता है । मूर्ख, उन्मत्त, अघा और कोढ़ी आदि भी दाय भाग के अधिकारी नहीं हैं । मूर्ख, कोढ़ी आदि की भली सतान को उनकी माता की सपत्ति का उत्तराधिकार

(१) तेषां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने सति ।  
सृजेयुर्बान्धवाः पुत्रांस्तेषामंशान् प्रकल्पयेत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे दायक्रमो नाम  
पञ्चमोऽध्यायः, आदित एकपद्यितमः ।

—: ० :—

दिया जाना चाहिए । पतितो को छोड़ कर दूसरे सभी मूर्ख आदि को केवल भोजन-  
वस्त्र के लिए उस सपति मे से दिया जाना चाहिए ।

( १ ) यदि उक्त पतित, मूर्ख आदि पुरुषो की स्त्रियाँ ही, किन्तु अशक्त होने से  
उनसे वे सतान पैदा न कर सके, तो उनके बधु-बाधव उनकी ( मूर्ख आदि की )  
पत्नियो से सतान पैदा करें । वे सतान अपनी परपरायत सपति के उत्तराधिकारी  
माने जाने चाहिए ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण मे दायविभाग-दायक्रम नामक  
पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

— . ० —

## दायविभागे अंशविभागः

(१) एकस्त्रीपुत्राणां ज्येष्ठांशः ब्राह्मणानामजाः, क्षत्रियाणामश्वः, वैश्यानां गावः, शूद्राणामवयः ।

(२) काणलिङ्गास्तेषां मध्यमांशः, भिक्षवर्णाः कनिष्ठांशः ।

(३) चतुष्पदाभावे रत्नवर्जानां दशानां भागं द्रव्याणामेकं ज्येष्ठो हरेत् । प्रतिमुक्तस्वधापाशो हि भवति इत्यौशनसो विभागः ।

(४) पितुः परिवापाद्यानमाभरणं च ज्येष्ठांशः, शयनासनं मुक्तकांस्थं च मध्यमांशः, कृष्णधान्यायसं गृहपरिवापो गोशकटं च कनिष्ठांशः । शेषद्रव्याणामेकद्रव्यस्य वा समो विभागः ।

(५) अदायादा भगिन्यः मातुः परिवापाद्मुक्तकांस्याभरणभागिन्यः ।

### दाय विभाग

#### पंतुक क्रम से विशेषाधिकार

( १ ) यदि एक स्त्री के कई पुत्र हो तो उनमें से सबसे बड़े पुत्र को वर्ण क्रम से इस प्रकार हिस्सा मिलना चाहिए : ब्राह्मणपुत्र को बकरियाँ, क्षत्रिय पुत्र को घोड़े, वैश्यपुत्र को गायें और शूद्रपुत्र को भेड़ें ।

( २ ) उन पशुओं में जो कान्हे हो वे मझले पुत्र को और जो रङ्ग-बिरङ्गे पशु हो वे सबसे छोटे पुत्र को दिए जाय ।

( ३ ) यदि पशु न हो तो, होरे-जवाहरात को छोड़ कर बाकी सारी सम्पत्ति का दसवाँ हिस्सा बड़े लडके को अधिक दिया जाय, क्योंकि बड़ा लडका ही पितरों का पिडदान एव श्राद्ध करता है ।' अश-विभाग के सम्बन्ध में यह उचना (शुक्राचार्य) के अनुयायियों का मत है ।

( ४ ) मृतक पिता की सम्पत्ति में से सवारी और आमूषण बड़े लडके को, सोने विछाने और पुराने बर्तन मझले लडके को और काला अन्न, लोहा तथा बैलगाडी आदि अन्य घरेलू सामान छोटे लडके को मिलना चाहिए । बाकी सभी द्रव्यो या एक द्रव्य की बराबर बाँट होनी चाहिए ।

( ५ ) दाय भाग की अनधिकारिणी बहिने, माता की सम्पत्ति में से पुराने बर्तन तथा जेवरात से लें ।

(१) मानुषहीनो ज्येष्ठस्तृतीमंशं ज्येष्ठांशल्लभेत, चतुर्थमन्या-  
वृत्तिनिवृत्तधर्मकार्यो वा । कामचारः सर्वं जीयेत ।

(२) तेन मध्यमकनिष्ठो व्याख्यातौ । तयोर्मानुषोपेतो ज्येष्ठांशादर्थं  
लभेत ।

(३) नानास्त्रीपुत्राणां तु संस्कृतासंस्कृतयोः कन्याकृतक्रियोरभावे  
च, एकस्याः पुत्रयोर्मयोर्वा पूर्वजन्मना ज्येष्ठभावः ।

(४) सूतमागधद्वात्परथकाराणामेश्वर्यतो विभागः, शेपास्तमुप-  
जीवेयुः । अनोश्वराः समविभागा इति ।

(५) चातुर्वर्ण्यपुत्राणां ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोऽंशान् हरेत्, क्षत्रियापुत्र-  
स्त्रीनंशान्, वैश्यापुत्रो द्वावंशौ, एकं शूद्रापुत्रः ।

(६) तेन त्रिवर्णद्विवर्णपुत्रविभागः क्षत्रियवैश्ययोर्व्याख्यातः ।

( १ ) बड़ा लडका यदि नपुसक हो तो उसे अपने हिस्से में से तीसरा हिस्सा, यदि वह चरित्रहीन हो तो चौथा हिस्सा और यदि धर्मवायों से दूर रहता हो तथा स्वेच्छाचारी हो तो पैतृक सम्पत्ति का उसे कुछ भी उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए ।

( २ ) ऐसी अवस्था में मझले और छोटे लडको के सम्बन्ध में यही नियम सम-  
झना चाहिए । इन दोनों में यदि एक नपुसक न हो तो वह बड़े भाई के हिस्से में से  
आधी बाँट ले ले ।

( ३ ) अनेक स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों में उसी के पुत्रको बड़ा समझा जाय, जो अवि-  
वाहित स्त्री के मुकाबले में, विधिपूर्वक ब्याह करके लाई गई है, भले ही उसका पुत्र  
पीछे पैदा हुआ हो, यदि एक स्त्री कन्या की अवस्था में ही पत्नी बनी और दूसरी स्त्री  
दूसरी द्वारा भोगी जाने पर पत्नी बनी, तो उनमें से पहिली का लडका ही बड़ा  
समझा जाय । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के जुड़वाँ बच्चे पैदा हो जायें, तो उनमें  
वही बड़ा माना जाय जो पहिले पैदा हुआ है ।

( ४ ) सूत, मागध, द्रात्य और रथकारों की सम्पत्ति का विभाग उनके ऐश्वर्य  
के अनुसार होना चाहिए, अर्थात् जो लडका उनमें अधिक प्रभावशाली है वह पैतृक  
सम्पत्ति को ले ले और उसके बाकी भाई उस पर आश्रित रहकर जीवित रहे । यदि  
उनमें से कोई एक अधिक प्रभावशाली न हो तो वे सम्पत्ति का बराबर-बराबर  
बाँट करें ।

( ५ ) यदि किसी ब्राह्मण की चारों वर्णों की पत्नियाँ हो तो ब्राह्मणी से पैदा  
हुए पुत्र को चार भाग, क्षत्रिया स्त्री के पुत्र को तीन भाग, वैश्या पत्नी के लडके को  
दो भाग और शूद्रा में उत्पन्न हुए पुत्र को एक भाग मिलना चाहिए ।

( ६ ) इसी प्रकार यदि किसी क्षत्रिय की क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा, तीन पत्नियें

( १ ) ब्राह्मणस्यानन्तरापुत्रस्तुल्यांशः । क्षत्रियवैश्ययोरर्धांशः । तुल्यांशो वा मानुषोपेतः ।

( २ ) तुल्यातुल्ययोरेकपुत्रः सर्वं हरेद् बन्धुंश्च विभृयात् ।

( ३ ) ब्राह्मणानां तु पारशवस्तृतीयमंशं लभेत । द्वावंशी सपिण्डः कुल्यो वासन्नः स्वधादानहेतोः । तदभावे पितुराचार्योऽन्तेवासी वा ।

( ४ ) क्षेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षेत्रजं सुतम् ।

मातृबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत् प्रदिशेद् धनम् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे अशविभागो नाम षष्ठोऽध्यायः, आदितो द्विपष्टितमः ।

—: ० :—

हो, तथा वैश्य की बँस्या और शूद्रा, दो ही पत्नियाँ हो तो उनके पुत्रों का दायविभाग भी उक्त विधि से ही समझ लेना चाहिए ।

( १ ) यदि किसी के ब्राह्मणी और क्षत्रिया से दो ही पुत्र पैदा हुए हो तो तो वे दोनों सम्पत्ति को बराबर बाँट लें । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के घर में नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के, समान वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के के हिस्से में से आधो बाँट ले ले । जिसमें पौष्ट्य हो वह बराबर का ही हिस्सा ले ।

( २ ) समान या असमान, किसी भी वर्ण की स्त्री से यदि लड़का पैदा हुआ हो तो वही पिता की सारी सम्पत्ति को ले ले, और अपने बन्धु-बाधवों का भरण-पोषण करे ।

( ३ ) ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण की सम्पत्ति के तीसरे हिस्से को प्राप्त करे । यदि किसी मातृकुल की या निकट के खानदान की स्त्री से लड़का उत्पन्न हुआ हो तो वह दो भाग ले ले, जिससे कि वह मृत पिता का पिण्डदान कर सके । इन सब के न होने पर मृतक का आचार्य अथवा शिष्य उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है ।

( ४ ) अथवा मृतक की स्त्री से नियोग द्वारा पैदा हुआ पुत्र या उसके मातृकुल के भाई अथवा समीप के रिश्तेदार, मृतक की सम्पत्ति के अधिकारी हैं ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दायविभाग-अशविभाग नामक

छठा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

( १ ) परपरिग्रहे बीजमुत्सृष्टं क्षेत्रिणः, इत्याचार्याः ।

( २ ) माता भस्त्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यम्, इत्यपरे ।

( ३ ) विद्यमानमुभयम्, इति कोटिल्यः ।

( ४ ) स्वयंजातः कृतक्रियायामौरसः । तेन तुल्यः पुत्रिकापुत्रः । सगोत्रे-  
णान्यगोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रजः पुत्रः । जनयितुरसत्यन्यस्मिन्  
पुत्रे स एव द्विपितृको द्विगोत्रो वा द्वयोरपि स्वधारिक्यभाग् भवति । तत्स-  
धर्मा बन्धूनां गृहे गूढजातस्तु गूढजः । बन्धुनोत्सृष्टोऽपविद्धः संस्कर्तुः पुत्रः ।  
कन्यागर्भः कानीनः । सगर्भोढाया सहोढः । पुनर्भूतार्याः पौनर्भवः ।

### दाय विभाग

#### पुत्रक्रम से उत्तराधिकार

( १ ) पुरातन आचार्यों का मत है कि 'किसी पुरुष से किसी पराई स्त्री में पैदा हुआ पुत्र उस पराई स्त्री की सपत्ति है' ।

( २ ) किन्तु दूसरे आचार्यों का कहना है कि 'जो बच्चा जिसके बीर्य से पैदा हो वह उसी का समझा जाना चाहिए' ।

( ३ ) आचार्य कोटिल्य की स्थापना है कि 'वे दोनों ही उस बालक के पिता समझे जाय' ।

( ४ ) विधिपूर्वक विवाहित स्त्री से उसके पति द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र औरस कहलाता है । उसी के समान लडकी का लडका भी समझा जाता है । समानगोत्र अथवा भिन्नगोत्र स्त्री से उसके पति द्वारा पैदा किया गया लडका क्षेत्रज कहलाता है । यदि मृतक पिता का कोई लडका न हो तो बही, ( दो पिता या दो गोत्र वाला लडका ही ) उन दोनों के पिंडदान और सपत्ति, का उत्तराधिकारी होता है । क्षेत्रज पुत्र की ही तरह जो बच्चा छिपे तौर पर स्त्री के किसी भाई बन्धु के घर पैदा हो वह गूढज कहलाता है । यदि बन्धु-बान्धव उस बच्चे को अपने यहाँ न रखना चाहे और मारकर कहीं डाल दें या फेंक दें, उस दशा में जो उस बच्चे का पालन-पोषण करे वह पुत्र उसी का माना जाता है । अविवाहित कन्या के गर्भ से जो बच्चा पैदा हो उसे कानीन कहते हैं । गर्भवती स्त्री का विवाह होने पर जो बच्चा पैदा हो वह सहोढ कहलाता है । दुबारा व्याहता स्त्री से जो बच्चा पैदा हो उसे पौनर्भव कहते हैं ।

(१) स्वयंजातः पितृबन्धूनां च दायदाः । परजातः संस्कतुरेव न बन्धूनाम् ।

(२) तत्सधर्मा मातृपितृभ्यामिद्भूदन्तो दत्तः ।

(३) स्वयं बन्धुभिर्वा पुत्रभावोपगत उपगतः ।

(४) पुत्रत्वेऽधिकृतः कृतकः । परिक्रौतः क्रीत इति ।

(५) औरसे तूत्पन्ने सवर्णास्तृतीयाशहराः । असवर्णा ग्रासाच्छादन-भागिनः ।

(६) ब्राह्मणक्षत्रिययोरनन्तरा पुत्राः सवर्णाः, एकान्तरा असवर्णाः ।

(७) ब्राह्मणस्य वैश्यायामम्बष्ठः, शूद्रायां निषादः पारशवो वा । क्षत्रियस्य शूद्रायामुग्रः ।

(८) शूद्र एव वैश्यस्य ।

{ १ } पिता या बन्धुजो से स्वयं उत्पन्न किया हुआ शब्द उनकी सपत्ति का उत्तराधिकारी होता है । जो पुत्र गूढज पुत्र के समान दूसरे से पैदा हुआ हो, वह अपने पालन-पोषण करने वाले की सपत्ति का ही उत्तराधिकारी होता है, बन्धु बान्धवों की सपत्ति का नहीं ।

{ २ } उक्त बालक के ही समान जो बालक माता पिता के द्वारा, हाथ में जल लेकर, किसी दूसरे को दे दिया जाय वह दत्त कहलाता है, और पालन करने वाले की सपत्ति का वह उत्तराधिकारी होता है ।

{ ३ } जो स्वयं या बन्धुओं द्वारा पुत्र भाव से प्राप्त हुआ हो, वह उपगत कहलाता है ।

{ ४ } जो पुत्रभाव से स्वीकार किया जाय वह कृतक कहलाता है । जो स्वीकार कर पुत्र बनाया जाय उसको क्रीत पुत्र कहते हैं ।

{ ५ } औरस पुत्र के उत्पन्न होने पर अन्य सवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र, पिता को जायदाद के तीसरे हिस्से के अधिकारी होते हैं । असवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र केवल भोजन-वस्त्र के ही अधिकारी हैं ।

{ ६ } ब्राह्मण और क्षत्रिय के अनन्तर ( ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय और क्षत्रिय के लिए वैश्य ) जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र सवर्ण और एक जाति के व्यवधान से, अर्थात् ब्राह्मण से वैश्या में या क्षत्रिय से शूद्रा में, उत्पन्न पुत्र असवर्ण समझे जाते हैं ।

{ ७ } ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ कहलाता है । ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र निषाद या पारशव कहलाता है । क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र उग्र कहलाता है ।

{ ८ } वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र शूद्र ही माना जायेगा ।

- (१) सवर्णासु चंपामचरितप्रतेभ्यो जाता द्यात्याः । इत्यनुलोमाः ।  
 (२) शूद्रादायोगवक्षत्तुचण्डालाः ।  
 (३) वैश्यान्मागधवैदेहकौ ।  
 (४) क्षत्रियात् सूतः ।  
 (५) पौराणिकस्त्वग्न्यः सूतो मागधश्च; ब्रह्मक्षत्राद्विशेषतः ।  
 (६) त एते प्रतिलोमाः स्वधर्मातिक्रमाद् राज्ञः सम्भवन्ति ।  
 (७) उपान्तपाद्यां कुक्कुटकः, विपर्यये पुलकसः । वैदेहिकायामम्ब-  
 ष्ठाद् वंणः, विपर्यये कशीलवः । क्षत्तायामुग्राच्छ्वपाकः । इत्येतेऽन्ये  
 चान्तरालाः । कर्मणा वंण्यो रथकारः ।  
 (८) तेषां स्वयोनी विवाहः । पूर्वावरगामित्वं द्युत्तानुद्युत्तं च स्वधर्मान्  
 स्थापयेत् । शूद्रसधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेभ्यः ।

( १ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा सवर्णा स्त्रियो मे उत्पन्न पुत्रो वा यदि यथासमय विधिपूर्वक उपनयन एवं ब्रह्मचर्य आदि सस्कार न किया जाय तो वे द्यात्य हो जाते हैं । ये सब अनुलोम विवाहो से पैदा होते हैं ।

( २ ) शूद्र द्वारा वैश्या, क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी स्त्रियो मे उत्पन्न पुत्र क्रमशः आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल कहलाते हैं ।

( ३ ) वैश्य द्वारा क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी मे उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध और वैदेहक कहलाते हैं ।

( ४ ) क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी मे उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता है ।

( ५ ) किन्तु पुराणो मे वर्णित सूत और मागध इनसे सर्वथा भिन्न हैं और वे ब्राह्मण तथा क्षत्रियो से भी श्रेष्ठ हैं ।

( ६ ) राजा जब धर्मभ्रष्ट हो जाता है तभी ये प्रतिलोम वर्णसंकर सन्तानें पैदा होती हैं ।

( ७ ) क्षत्रिय-शूद्रा से उत्पन्न उग्र पुरुष द्वारा निषाद जाति की स्त्री मे उत्पन्न बालक कुक्कुट कहलाता है । निषाद पुरुष से उग्रा स्त्री मे उत्पन्न पुत्र पुलकस कहलाता है । अम्बुय पुरुष से वैदेहिका स्त्री मे उत्पन्न पुत्र वंण कहलाता है । वैदेहक पुरुष से अम्बुया स्त्री मे उत्पन्न पुत्र कुशीलव कहलाता है । इसी प्रकार उग्र दाता से श्वापाक आदि अवान्तर संकर जातियो के सम्बन्ध मे समझना चाहिए । वंण्य; कर्म करने से रथकार कहा जाता है ।

( ८ ) उक्त संकर वर्णों का विवाह अपनी ही जाति मे होता है । पूर्वापरगामी होने तथा धर्म का निर्णय करने मे वे अपने पूर्वजो का अनुगमन करें । अपना चाण्डालों को छोड़कर सभी संकर जातियो का धर्म, शूद्रों के ही समान समझना चाहिये ।



- ( १ ) केवलमेवं वर्तमानः स्वर्गमाप्नोति राजा नरकमन्यथा ।
- ( २ ) सर्वेषामन्तरालानां समो विभागः ।
- ( ३ ) देशस्य जात्याः सङ्घस्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः ।  
उचितस्तस्य तेनैव दायधर्मं प्रकल्पयेत् ॥

इति धर्मसूत्रेण तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे  
पुत्रविभागो नाम मतमाख्याय ,  
वादित्रिभिरद्विभक्तोऽख्यानः ।

—: ० :—

( १ ) प्रजा की मुन्ववन्था का यही एकमात्र विधान है, जिसका करने पर राजा स्वर्ग जाता है, अन्यथा उसको नरक होता है ।

( २ ) इन सभी सङ्घ जातियों में आपदा का बराबर-बराबर हिस्सा होना चाहिए ।

( ३ ) देश, जाति, मय और गाँव के लिए जैसा धर्मोचित एवं श्रेयस्कर हो, उसी के अनुसार वहाँ का दाय-विभाग करना चाहिए ।

धर्मसूत्रीय नामक तृतीये अधिकरण में दायविभाग-पुत्रविभाग नामक  
छानवाँ अख्यान समाप्त ।

— ० —

- (१) सामन्तप्रत्यया वास्तुविवादाः ।  
 (२) गृहं क्षेत्रमारामः सेतुबन्धस्तटाकमाधारो वा वास्तुः ।  
 (३) कर्णकीलायससम्बन्धोऽनुगृहं सेतुः । यथासेतुमोगं धेशम् कारयेत् ।  
 (४) अभूतं वा परकुडघादपक्रम्य द्वावरत्नी त्रिपदी पादे बन्धं कारयेत् ।  
 (५) अवस्करं भ्रममुदपानं वा न गृहोचितमन्यत्र अन्यत्र सूतिका-  
 कूपादानिर्दशाहादिति । तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।  
 (६) तेनेन्धनावघातनकृतं कल्याणकृत्येष्ववाचामोदकमार्गाश्च व्या-  
 ह्यताः ।

### वास्तुक

#### गृह-निर्माण

( १ ) गाँव के मुखियाओ ( सामन्तो ) को चाहिए कि वे वास्तु-विषयक झगडों का फैसला करें ।

( २ ) घर, धेत, बाग-वगीचे, सीमावध, तालाब और बाँध आदि सब वास्तु कहलाते हैं ।

( ३ ) प्रत्येक घर के चारो ओर चारो कोनो पर लोहे के छोटे खम्भे गाडकर उनमे जो तार खींच दिया जाता है, उसी का नाम सेतु ( सीमा ) है । सीमा ( सेतु ) के अनुसार ही मकान बनवाना चाहिए ।

( ४ ) दूसरे की दीवार के सहारे मकान न बनवाया जाय । मकान की नींव मे सवा फुट या तीन पद ( दो अरत्ली ) ककरीट भरवानी चाहिए ।

( ५ ) दस दिन के लिए बनाये जाने वाले सूतिकागृह को छोडकर, बाकी सब मकानों मे पास्ताना, पाइप, कुर्बा, पाकशाला और भोजनशाला अवश्य बनवाने चाहिए । इस नियम का उल्लंघन करने वाले को पूर्व साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।

( ६ ) इसी प्रकार उत्सवों के समय कुल्ले का पानी बाहर निकालने के लिए नालियो और भट्टियों का प्रबन्ध भी हर मकान मे रहना चाहिए ।

( १ ) त्रिपदीप्रतिनान्तमध्यर्धमरत्नि वा प्रवेश्य गाढप्रसृतमुदकमार्गं प्रस्रवणप्रपातं वा कारयेत् । तस्यातिक्रमे चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।

( २ ) एकपदीप्रतिनान्तमरत्नि वा चक्रिचतुष्पदस्यानमग्निष्ठमुदञ्जरस्यानं रोचनीं कुट्टनीं वा कारयेत् । तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणो दण्डः ।

( ३ ) सर्ववास्तुकयोः प्राक्षिप्तयोर्वा शालयोः किष्कुरन्तरिका त्रिपदी वा । तयोश्चतुरङ्गुल नौप्रान्तर समाहृदकं वा । किष्कुमात्रमाणिद्वारमन्तरिकाया खण्डकुल्लायंमसम्पात कारयेत् । प्रकाशायंमल्पमूर्ध्वं वातायनं कारयेत् । सम्भूय वा गृहस्वामिनो यथेष्टं कारयेयुरनिष्टं वारयेयुः ।

( ४ ) वानलटचाश्रोर्ध्वंमावार्यभाग कटप्रच्छन्नमवमर्शाभिर्त्ति वा कारयेद् वर्षवाद्यभयात् । तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।

( ५ ) प्रतिलोमद्वारवातायनवाद्यायां च, अन्यत्र राजमार्गरथ्याभ्यः ।

( ६ ) छातसोपानप्रणालीनिश्रेण्यवस्करमार्गंर्वाहिवाद्याया भोगनिग्रहे च ।

( १ ) प्रत्येक मकान पर सवा फुट ( तीन पद ) का गहरा, प्लेन तथा साफ-सुपरा पतनाला पानी के बहने के लिए दीवार के साथ-साथ अथवा दीवार से अलग बनवाया जाय । इस नियम का उल्लघन करने वाले पर पचास पण दण्ड किया जाय ।

( २ ) घर के बाहर एक तरफ चार खम्भों से सज्जित एक यज्ञशाला बनवाई जाय, जिसमें एक पद गहरा पानी बाहर निकलने की नाली हो, यज्ञशाला की दूसरी ओर आटा पीसने की चक्की और अनाज कटने के लिए ओखनी बनवाई जाय । ऐसा प्रबन्ध न करने वाले को चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) साधारणतया दो मकानों के बीच में एक हाथ ( तीन पद ) का फासला होना चाहिए, छज्जे वाले या उगारे वाले मकानों में भी इतना फासला अवश्य रहना चाहिए । प्रत्येक दो मकानों की छतों में चार अगुल का अन्तर हो या वे आपस में मिली भी रहें । गली की ओर एक हाथ ( एक किष्कु ) नाप की खिडकी बनाई जाय, जो मजबूत हो और जिसकी यथावसर खोला जा सके । रोगनी आने के लिए खिडकी में ऊपर छोटे-छोटे रोगनदान बनवाये जाय । अन्तिम मकान के रोगनदान पर छाया के लिए टिन आदि लगवा देना चाहिए । अथवा पास-पड़ोस के रहने वाले आपसी समझौते से अपनी इच्छानुसार मकान बनवा लें, जिससे एक-दूसरे को कोई कष्ट न हो ।

( ४ ) वर्षाशत्रु के लिए स्थायी रूप से घास-भूस की एक छत बनवा लेनी चाहिए । ऐसा न करने पर पूर्व साहस दण्ड दिया जाय ।

( ५ ) जो व्यक्ति बाहर की ओर दरवाजा या खिडकी बनवाकर पड़ोसियों को कोई तकलीफ दे उसको भी पूर्व साहस दण्ड दिया जाय । यदि वे दरवाजे या खिडकियां शाही सडक या बाजार की ओर खुलें तो कोई हर्ज नहीं है ।

( ६ ) गड्ढा, जीना, सीढ़ी और पाक्षाना आदि के द्वारा जो मकान मानिक

(१) परकुडचमुदकेनोपघ्नतो द्वादशपणो दण्डः । मूत्रपुरीषोपघाते द्विगुणः ।

(२) प्रणालीमोक्षो वर्पति, अन्यथा द्वादशपणो दण्डः ।

(३) प्रतिपिद्धस्य च वसतः । निरस्पतश्चावक्रयणम्, अन्यत्र पारुष्यस्ते-  
यसाहससङ्ग्रहणमिष्याभोगेभ्यः । स्वयमभिप्रस्थितो वर्षावक्रयशेषं दद्यात् ।

(४) सामान्ये वेश्मनि साहाय्यमप्रयच्छतः सामान्यमुपरुन्धती भोगं  
च गृहे द्वादशपणो दण्डः, विनाशयतस्तद्विगुणः ।

(५) कौष्ठकाङ्गणवर्जानामग्निकुट्टनशालयोः १

विवृतानां च सर्वेषां सामान्यो भोग इष्यते ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयऽधिकरणे वास्तुके गृहवास्तुक नाम अष्टमोऽध्यायः ,  
आदितश्चतुष्पष्टितमः ।

—: ० :—

अपने पडोसियो को कष्ट पहुँचाये, सहन को रोके और पानी निकालने का ठीक प्रबन्ध  
न करे तो वह भी पूर्व साहस दण्ड का भागीदार है ।

( १ ) पानी आदि से जो दूसरे की दीवाल को नुकसान पहुँचाये उसे बारह पण  
दण्ड दिया जाय । पेशाब और पाखाने की रुकावट करने वाले को चौबीस पण दण्ड  
दिया जाय ।

( २ ) कूड़ा करकट बहने के लिये वर्षा-ऋतु में हरेक नाली खुली रहनी चाहिए,  
अन्यथा उसको बारह पण दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) मालिक मकान के बना करने पर भी जो किरायादार मकान खाली न  
करे और किराया देने पर भी जो मकान मालिक किरायेदार को निकाले, उन्हें बारह  
पण दण्ड दिया जाय, बशर्त कि उनके सम्बन्ध में कठोर भाषण, चोरी, डाका, व्यभि-  
चार तथा धोखादेही का कोई मामला न हो । यदि किरायेदार स्वच्छा से मकान को  
छोड़ दे तो साल भर का किराया मालिक को अदा करे ।

( ४ ) धर्मशाला आदि पचायती घरों में सहायता न देने वाले व्यक्ति को तथा  
उन घरों का उपयोग करने में बाधा डालने वाले व्यक्ति को बारह पण दण्ड दिया  
जाय । यदि कोई उन पचायती घरों की क्षति करे तो उस पर चौबीस पण जुर्माना  
किया जाय ।

( ५ ) कोठा और आँगन को छोड़कर अग्निशाला, कुट्टनशाला ( मोहली )  
तथा दूसरे सभी खुले स्थानों का सब लोग उपयोग कर सकते हैं ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) ज्ञातिसामन्तघनिकाः क्रमेण भूमिपरिग्रहान् क्रेतुमभ्यामवेयुः ।  
ततोऽन्ये बाह्याः ।

(२) सामन्तचत्वारिंशत्कुल्या गृहप्रतिमुखे वेश्म श्रावयेयुः । सामन्त-  
श्राववृद्धेषु क्षेत्रमारामं सेतुबन्धं तटाकभाघारं वा मर्यादासु यथासेतुमोगम् ।  
'अनेनार्घेण कः क्रेता' इति त्रिराघुषितमव्याहृतं क्रेता क्रेतुं लभेत ।

(३) स्पर्धया वा मूल्यवर्धने मूल्यवृद्धिः सशुल्का कोशं गच्छेत् । विक्रय-  
प्रतिक्रोष्टा शुल्कं दद्यात् ।

(४) अस्वामिप्रतिक्रोशे चतुर्विंशतिपणो दण्डः । सप्तरात्राद्दूध्वंमनमि-

### वस्तुक

मकान बेचना, सीमाविवाद, खेतों की सीमाएँ,

मिश्रित विवाद, कर की छूट

( १ ) मकान बेचना—यदि मकान बेचना हो तो मकान मालिक को चाहिए कि क्रमशः वह अपने कुटुम्बी, गाँव का मुखिया और घनाढ्य से पूछे । यदि वे खरी-  
दने से इनकार कर दें तब बाहर के लोगों से बातचीत चलायी जाय ।

( २ ) दूसरे गाँवों के मुखिया तथा उनके चाभीस कुल तक के पुरुषों को, मकान के सामने ही मकान की कीमत सुनाई जाय । गाँव के मुखिया तथा अन्य बृद्ध पुरुषों के सामने खेत, बाग, सीमबन्ध, तालाब और हौज आदि की मर्यादा के अनुसार कीमत निर्धारित करे 'इस मकान की इतनी कीमत है; इसको कौन खरीदना चाहता है ?' इस प्रकार तीन बार आवाज लगाने पर जो भी खरीददार बोली बोले, उसको बेरोक-टोक मकान बेच देना चाहिए ।

( ३ ) खरीददारों की होड़ के कारण बोली बढ जाय तो वह बढा हुआ मूल्य शुल्क सहित सरकारी सजाने में जमा किया जाय । बेचने वाले से वह शुल्क वसूल किया जाय ।

( ४ ) मकान मालिक की अनुपस्थिति में उसके मकान का नीलाम करले वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय । सूचना देने पर भी सात दिन के भीतर यदि

सरतः प्रतिक्रुष्टो विक्रीणीत । प्रतिक्रुष्टातिक्रमे वास्तुनि द्विशतो दण्डः,  
अन्यत्र चतुर्विंशतिपणो दण्डः । इति वास्तुविक्रयः ।

(१) सीमाविवादं ग्रामयोः सामन्ता पञ्चप्रामी दशप्रामी वा  
सेतुभिः स्यावरं कृत्रिमैर्वा कुर्यात् ।

(२) कर्षकगोपालवृद्धकाः पूर्वभुक्तिका वा, अबाह्याः सेतूनामभिजा  
बहव एको वा निर्दिश्य सीमसेतून् विपरीतवेधाः सीमानं नयेयुः । उद्दिष्टानां  
सेतूनामदर्शने सहस्रदण्डः । तदेव नीते सीमापहारिणां सेतुच्छिदां च कुर्यात् ।

(३) प्रनष्टसेतुभोगं वा सीमानं राजा यथोपकारं विमजेत् ।

(४) क्षेत्रविवादं सामन्तप्रामवृद्धाः कुर्युः । तेषां द्वैधीभावे यतो बहवः  
शुचयोऽनुमता वा ततो नियज्ज्ञेयुः । मध्यं वा गृह्णीयुः । तदुभयं परोक्तं  
वास्तु राजा हरेत् प्रनष्टस्वामिक च । यथोपकारं वा विमजेत् ।

मकान मालिक उपस्थित न हो तो उसकी अनुपस्थिति में ही नीलाम करने वाला  
मकान बेच दे । बोली बोल देने के बाद यदि कोई व्यक्ति मकान लेने से मुकर जाय तो  
उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । मकान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध  
में चौबीस पण दण्ड किया जाय । यहाँ तक मकान बेचने के सम्बन्ध में कहा गया ।

( १ ) सीमा-विवाद—दो गाँवों के झगड़ों को उन गाँवों के मुखिया या आस-  
पास के पाँच-पाँच, दस दस गाँवों के मुखिया आपस में मिलकर निबटायें, दो गाँवों  
के बीच वे स्थायी या अस्थायी हृदवन्दी कायम कर दें ।

( २ ) गाँव के किसान, खाले, वृद्ध तथा बाहर के धन्य अनुभवी, एक या अनेक  
पुरुष, जो शरहद की ठयेवन्दी से परिचित न हो, अपना वेश बदल कर वे सीमा के  
चिह्नों का पता लगायें और तब सीमाएँ निर्धारित करें । निर्णय किये हुए या बताये  
गए सीमा चिह्नों के न देखे जाने पर अपराधी पर एक हजार पण दण्ड किया जाय ।  
जो सीमा की भूमि का अपहरण करे या उसके चिह्नों को काटे, उसे भी यही दण्ड  
दिया जाय ।

( ३ ) जहाँ पर कि सीमा के चिह्न सर्वथा मिट गए हो और निर्णय के लिए  
कोई आधार नजर न आये, वहाँ पर राजा स्वयं इस प्रकार का सीमा-विभाग करे,  
जिससे कि किसी भी ग्रामवासी को कोई हानि न उठानी पड़े ।

( ४ ) खेतों की सीमाएँ—खेतों के झगड़े का निबटारा गाँव के मुखिया तथा  
वृद्ध पुरुष करें । यदि उनका आपस में मतभेद हो जाय तो वे धार्मिक पुरुष उसका  
निर्णय करें, जिनको प्रजा स्वीकार करती हो या किसी दूसरे को मध्यस्थ बना कर  
निर्णय किया जाय । यदि इन दोनों अवस्थाओं में भी कुछ निर्णय न हो सके तो उन  
विवादग्रस्त खेतों को राजा अपने कब्जे में ले ले और उस सम्पत्ति को भी राजा ले

(१) प्रसह्यादाने वास्तुनि स्तेयदण्डः । कारणादाने प्रयासमाजीवं च परिसह्यचाय वन्धं दद्यात् । मर्यादापहरणे पूर्वः साहसदण्डः । मर्यादाभेदे चतुर्विंशतिपणः ।

(२) तेन तपोवनविबोतमहापथश्मशानदेवकुलयजनपुण्यस्थानविवादा व्याख्याताः । इति मर्यादास्थापनम् ।

(३) सर्व एव विवादाः सामन्तप्रत्ययाः । विबोतस्थलकेदारपण्डखल-वेश्मवाहनकोष्ठाना पूर्वं पूर्वमाबाधं सहेत ।

(४) ब्रह्मसोमारण्यदेवयजनपुण्यस्थानवर्जाः स्थलप्रदेशाः ।

(५) आधारपरिवाहकेदारोपभोगः परक्षेत्रकृष्टबीर्जाहिंसायां यथोप-घातं मूल्यं दद्युः । केदारारामसेतुबन्धाना परस्परहिंसायां हिंसाद्विगुणो दण्डः ।

ले, जिसका कोई वारिस न हो । या जनता को लाभ की दृष्टि से उनका यथोचित विभाग कर दे ।

( १ ) जो व्यक्ति मकान, भूमि आदि अचल सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करे उसे चोरी का दण्ड किया जाय । किन्तु, यदि ऋण आदि के बदले कब्जा करे तो कब्जेदार को चाहिए कि वह सम्पत्ति के मालिक के शारीरिक धर्म का फल और कर्ज की अपेक्षा सम्पत्ति का जो अधिक मूल्य बँटे, उसका हिसाब मालिक को अदा कर दे । सीमाबन्दी को सरकाने पर प्रथम साहस दण्ड और सीमा-चिह्नो को मिटाने पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।

( २ ) इसी प्रकार तपोवन, चारागाह, बड़ी सड़कें, श्मशान, देवालय, यज्ञस्थान और दूसरे पुण्यस्थानो के विवादास्पद विषयो का भी निर्णय करना चाहिए । यहाँ तक सीमाविषयक विवाद पर निर्णय का विधान वर्णन किया गया ।

( ३ ) मिश्रित विवाद—सब तरह के विवादो का निर्णय मुखिया ( सामन्त ) लोगो को करना चाहिए । चरागाह, खेती योग्य जमीन, खलिहान, मकान और घुड़-साल, इनके सम्बन्ध मे विवाद उपस्थित होने पर क्रमश पहिले को प्रधानता देते हुए निर्णय किया जाय ।

( ४ ) ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यज्ञस्थान और अन्य पुण्यस्थानो को छोड़कर आवश्यकता होने पर सभी जगह खेती करायी जा सकती है ।

( ५ ) जलाशय, क्यारी तथा नाली बनाते समय यदि किसी के बीज बोये खेत का नुकसान हो जाय तो हानि के अनुसार उसका मूल्य चुका देना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति खेत, बाग-बगीचा और सीमाबन्ध आदि को एक-दूसरे के बदले मे नुकसान पहुँचायें तो उन्हें नुकसान का दुगुना दण्ड देना चाहिए ।

(१) पश्चान्निविष्टमघरतटाकं नोपरितटाकस्य वेदारमुदकेनाप्लावयेत् । उपरि निविष्टं नाघरतटाकस्य पूरात्वावं वारयेद् अन्यत्र त्रिबर्षोपरतकर्मणः । तस्यातिक्रमे पूर्वंः साहस्रदण्डस्तटाकवाननं च ।

(२) पञ्चदशोपरतकर्मणः सेतुबन्धस्य स्वाम्यं लुप्येतान्यत्रापद्भ्यः ।

(३) तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तने पाञ्चवर्षिकः परिहारः । भग्नोत्सृष्टानां चातुर्वर्षिकः समुपाह्वानां त्रैवर्षिकः । स्थलस्य द्वैवर्षिकः । स्वात्माधाने विक्रये च ।

(४) छातप्रावृत्तिमनदीनिबन्धापननतटाकवेदारारामपण्डवापानां तस्यवर्षमागोत्तरिकम्, अन्येभ्यो वा ययोपकारं दद्युः ।

(५) प्रक्याविक्रयाधिभागभोगनिसृष्टोपभोक्तारश्चैषा प्रतिकुर्युः । अप्रतीकारे हीनद्विगुणो दण्डः ।



## वास्तुके विवीतक्षेत्रपथहिंसा समयस्यानपाकर्म च

- (१) कर्मोदकमागंभुचितं रुग्णतः कुर्वतोऽभुचितं वा पूर्वः साहसदण्डः ।  
 (२) सेतुकूपपुण्यस्थानचैत्यदेवायतनानि च परभूमौ निवेशयतः पूर्वा-  
 नुवृत्तं धर्मसेतुमाधानं विश्रयं वा नयतो नापयतो वा मध्यमः साहसदण्डः  
 श्रोतृणामुत्तमः अन्यत्र भग्नोत्सृष्टात् ।  
 (३) स्वाम्यभावे ग्रामाः पुण्यशीला वा प्रतिकुर्युः ।  
 (४) पथिप्रमार्णं दुर्गनिवेशे व्याख्यातम् । क्षुद्रपशुमनुष्यपथं रुग्णतो  
 द्वादशपणो दण्डः । महापशुपथं चतुर्विंशतिपणः । हस्तिक्षेत्रपथं चतुष्पञ्चा-  
 शत्पणः । सेतुवनपथं षट्छतः । श्मशानग्रामपथं द्विसप्ततः । द्रोणमुखपथं  
 पञ्चशतः । स्थानीयराष्ट्रविवीतपथ साहस्रः । अतिकर्पणे चंपां दण्डचतुर्य  
 दण्डाः । कर्पणे पूर्वोक्ताः ।

### वास्तुक

रास्तो का रोकना, गावो का बन्दोवस्त, चरागाहो का प्रबन्ध,  
 सामूहिक कार्यों मे शामिल न होने का मुआवजा

(१) जो लोग खेतों की सिंचाई के लिए पानी के उचित रास्तों को रोकें और  
 अनुचित रास्तों से जल को ले जायें उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

(२) जो लोग दूसरे की जमीन में सीमा, पुण्यस्थान, चैत्य और देवालय बन-  
 वायें अथवा पहिले से धर्मार्थ बने हुए स्थानों को गिरवी रखें, बेचें या विकवायें उन्हें  
 मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । जो लोग इन कार्यों में सहायक या साक्षी बनें उन्हें  
 उत्तम साहस दण्ड दिया जाय, किन्तु, यदि मकान टूट-फूट गया हो और उसको  
 मालिक ने छोड़ दिया हो तो उसको बेचने, गिरवी रखने में कोई हानि नहीं है ।

(३) मकान मालिक के न होने पर ग्रामवासी तथा अन्य धार्मिक लोग उस  
 टूटे-फूटे धर्मार्थ मकान की मरम्मत कर सकते हैं ।

(४) रास्तों का रोकना—आने-जाने के लिए रास्ता कितना चौड़ा होना  
 चाहिए, इसका निरूपण 'दुर्ग-निवेश' प्रकरण में कर दिया गया है । जो भी व्यक्ति  
 छोटे-छोटे जानवरों और मनुष्यों के रास्तों को रोकें उस पर बारह पण दण्ड किया  
 जाय । बड़े-बड़े पशुओं का मार्ग रोकने पर चौबीस पण, हाथी का तथा खेतों का  
 रास्ता रोकने पर धौवन पण, सेतु एवं जङ्गल का रास्ता रोकने पर छह-सौ पण,  
 श्मशान तथा गाँव का रास्ता रोकने पर दो-सौ पण, द्रोणमुख का रास्ता रोकने पर

(१) क्षेत्रिकस्याक्षिपतः क्षेत्रमुपवास्य वा त्यजतो बीजकाले द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र दोषोपनिपाताविषहोभ्यः ।

(२) करदाः करदेष्वाधानं विक्रयं वा कुर्युः । ब्रह्मदेयिका ब्रह्मदेयिकेषु, अन्यथा पूर्वं साहसदण्डः; करदस्य वाऽकरदग्रामं प्रविशतः ।

(३) करदं तु प्रविशतः सर्वद्रव्येषु प्राकाम्यं स्यादन्यत्रागारात् । तदप्यस्मै दद्यात् ।

(४) अनादेयमकृषतोऽन्यः पंचवर्षाण्युपभुज्य प्रयासनिष्क्रयेण दद्यात् ।

(५) अकरदाः परत्र वसन्तो भोगमुपजीव्येयुः ।

पाँच-सौ पण और स्थानीय, राष्ट्र तथा चरागाह का रास्ता रोकने पर एक हजार का दण्ड दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति इन रास्तों को खोदने या जोतने के अलावा कोई हानि पहुँचाये तो उस पर ऊपर बताये गये दण्डों का चौथाई दण्ड दिया जाय । खोदने या जोतने पर पूर्वोक्त सभी दण्ड दिये जाने चाहिए ।

( १ ) गाँव में रहने वाला किसान यदि बीज बोने के समय बीज न बोये या खेत को ही छोड़ दे, तो उसे बारह पण दण्ड दिया जाय, किन्तु खेत के किसी दोष के कारण या किसी आकस्मिक आपत्ति के कारण अथवा असमर्थ होने के कारण यदि वह ऐसा करता है तो वह अदण्ड्य है ।

( २ ) गाँवों का बन्दोबस्त—लगान देने वाले किसान, लगान देने वालों के यहाँ ही अपनी जमीन गिरबी रख सकते हैं अथवा बेच सकते हैं । जिनको बिना लगान की धर्मार्थ भूमि दी गई है, वे अपने समान लोगों के ही हाथ अपनी जमीन गिरबी रख सकते हैं या बेच सकते हैं । इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यही दण्ड उस व्यक्ति को भी दिया जाय, जो लगान देने वाले गाँव के निवास को छोड़कर लगान न देने वाले गाँव में बस जाने की इच्छा से प्रवेश करे ।

( ३ ) यदि वह पुनः लगान देने वाले गाँव में ही बसने लगे, तो उसे मकान के अलावा सभी बातों की छूट दी जाय । अथवा उचित हो तो मकान भी उसको दे दिया जाय ।

( ४ ) जो किसान अपनी जमीन को नहीं जोते उसको दूसरा किसान बिना लगान दिये ही जोत सकता है और वह पाँच वर्ष तक उसका उपयोग कर उस जमीन को उसके मालिक को सौंप दे, किन्तु उस जमीन को ठीक करने में उसका जो खर्चा और मेहनत लगी हो, उसका मूल्य वह मालिक से वसूल कर ले ।

( ५ ) जिनके पास बिना लगान की धर्मार्थ जमीन है, दूसरी जगह रहते हुए भी, वे अपनी उस जमीन के पूरे अधिकारी हैं ।

(१) ग्रामार्थेन ग्रामिकं व्रजन्तमुपवासाः पयसिणानुगच्छेयुः । अननु-  
गच्छन्तः पशार्घपणिकं योजनं दद्याः ।

(२) ग्रामिकस्य ग्रामादस्तेनपारदारिकं त्रिरस्यतश्चतुर्विंशतिपणौ  
दण्डः । ग्रामत्योत्तमः ।

(३) निरस्तस्य प्रवेशो ह्यधिगमेन व्याख्यातः ।

(४) स्तम्भः समन्ततो ग्रामाद्दनुःशतापकृष्टमुपतारुं कारयेत् ।

(५) पशुप्रचारायं विव्रोतमालवनेनोपजीवयेयुः ।

(६) विव्रोतं भक्षयित्वापसृतानामुष्ट्रमहिषाणां पादिकं ह्यं गृह्णीयुः ।  
गवाश्वखराणां चार्घपादिकम् । क्षुद्रपशूनां षोडशमार्गिकम् ।

(७) भक्षयित्वा नियन्त्रानामेत एव द्विगुणा दण्डाः । परिवसतां चतु-  
र्गुणाः । ग्रामदेववृषा वा अनिर्देशाहा वा घेनुरक्षणां गोवृषाश्चादण्डघाः ।

- ( १ ) सस्यभक्षणे सस्योपघातं निष्पत्तितः परिसंबन्धाय द्विगुणं दापयेत् ।  
 ( २ ) स्वामिनश्चानिवेद्य चारयतो द्वादशपणो दण्डः । प्रमुञ्चतश्चतुर्विंशतिपणः । पालिनामर्घदण्डः । तदेव पण्डभक्षणे कुर्यात् । वाटभेदे द्विगुणः । वेशमखलबलयगतानां च धान्यानां भक्षणे । हिंसाप्रतीकारं कुर्यात् ।  
 ( ३ ) अभयवनमृगाः परिगृहीता वा भक्षयन्तः स्वामिनो निवेद्य यथाऽवध्यास्तया प्रतिपेद्व्याः ।  
 ( ४ ) पशवो रश्मिप्रतोदाभ्यां वारयितव्याः । तेषामन्यथा हिंसायां दण्डपाठ्यदण्डाः । प्रार्थयमाना दृष्टापराधा वा सर्वोपार्थनियन्तव्याः । इति क्षेत्रपर्यहिंसा ।  
 ( ५ ) कर्षकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुर्वतो ग्राम एवात्यये हरेत् । कर्माकरणे कर्मवेतनाद् द्विगुणं, हिरण्यादाने प्रत्यंशद्विगुणं, भक्ष्यपेयादाने च प्रहवणेषु द्विगुणमंशं दद्यात् ।

{ १ } यदि किसी का जग्गदर किसी की सज्जी छेती के चर जाय तो जग्ग के नुकसान का दुगुना दाम खेत के मालिक को दिताया जाय ।

{ २ } लुका-झिपा कर यदि कोई अपने पशु से दूसरे का खेत चरवाये उसको बारह पण दण्ड दिया जाय । जो अपने पशु को किसी के खेत में घरने के लिए छोड़ दे उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय । इस प्रकार खेतों का नुकसान होने पर खेतों के रखवालों को पूर्वोक्त दण्डों का आधा दण्ड दिया जाय । यदि खेत को कोई साँड चर जाय तब भी रखवाले पर इतना ही जुर्माना किया जाय । खेत की बाड़ टूट जाने पर रखवाले पर दुगुना दण्ड किया जाय । घर, खलिहान और बाड़ी हुई जगहों का अन्न यदि पशु खा जाय तो हानि के बराबर मूल्य देना चाहिए ।

{ ३ } यदि आश्रमों के मृग खेतों को चरते हुए पकड़े जायें तो रखवाला इसकी खबर अपने मालिक को कर दे और उन मृगों को इस प्रकार खेतों से बाहर करे, जिससे उन पर कोई चोट न लगे या वे मरने न पावें ।

{ ४ } पशुओं को रस्ती या कोठे से हटाना चाहिए । यदि उनको कोई अनुचित ढङ्ग से मारे या हटाये तो उनमें 'दण्डपाठ्य' प्रकरण के अनुसार यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए । किन्तु जो हटाने वालों का मुकाबला करें या पहिले कभी किसी को मारते हुए देखे यद्ये हों उनको अनुचित ढङ्ग से भी मारा या हटाया जा सकता है । यहाँ तक खेतों और रास्तों के नुकसान के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

{ ५ } सामूहिक कार्यों में शामिल न होने का मुआवजा—यदि कोई किसान गाँव में आकर पञ्चायती या खेती आदि का कार्य न करे तो गाँव उससे यथोचित जुर्माना वमूल कर ले । यदि कोई व्यक्ति कार्य न करे तो कार्य के वेतन से दुगुना, पञ्चायती कार्यों में चन्दा न दे तो चन्दे का दुगुना और सामूहिक खान-पान के अवसर पर शरीक न हो तो उसका दुगुना, दण्ड उससे वमूल किया जाय ।

(१) प्रेक्षायामनंशवः सस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्नश्ववर्षेक्षणे च सर्वहिते च कर्मणि निग्रहेण द्विगुणभंशं दद्यात् ।

(२) सर्वहितमेकस्य भ्रुवतः कुर्युरात्नाम् । अकरणे द्वादशपणो दण्डः । तं चेत्सम्मूय वा हन्युः पृथगेषामपराघद्विगुणो दण्डः । उपहन्युषु विशिष्टः ।

(३) ब्राह्मणतश्चर्षां ज्यैष्ठ्यं नियम्येत । प्रवहणेषु चर्षां ब्राह्मणेन-  
कामाः कुर्युः । अश च लभेरन् ।

(४) तेन देशजातिकुलसंधानां समयस्यानपाकर्म व्याख्यातम् ।

(५) राजा देशहितान् सेतून् कुर्वतां पथि संक्रमान् ।

ग्रामशोभाश्च रक्षाश्च तेषां त्रिपहितं चरेत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे वास्तुके प्रकरणे दशमोऽध्यायः ,

आदितः षट्षष्टितमः ।

— ० —

( १ ) यदि कोई ग्रामवासी गाँव के सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यों में अपने हिस्से का चन्दा न दे तो सपरिवार उसको उत्सव में प्रवेश न करने दिया जाय । यदि वे छिपकर समाशा देखें या सुनें, और जो गाँव के सार्वजनिक हितकारी कार्यों में भाग न ले उससे दुगुना हिस्सा बसूल किया जाय ।

( २ ) जो व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण का सुझाव दे उसकी बात को सभी ग्राम-वासी मानें । उसका तिरस्कार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि गाँव के लोग मिलकर उस व्यक्ति को मारें-पीटें तो प्रत्येक ग्रामीण पर अपराध से दुगुना दण्ड बसूल किया जाय । जो लोग घातक प्रहार करें उन पर विशेष दण्ड किया जाय ।

( ३ ) उन मारने वालों में यदि ब्राह्मण या उससे भी प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति हो तो उसे सबसे अधिक दण्डित किया जाय । यदि किसी सार्वजनिक कार्य में ब्राह्मण शामिल न हो सके तो गाँव के लोग ही उसके अभाव को पूरा कर दें, किन्तु अनु-पस्थित रहने का जो भुआनजा ब्राह्मण की ओर निकले, उसे गाँव वाले अपसन्न बसूल कर लें ।

( ४ ) इसी प्रकार देश, जाति, कुल और दूसरे समुदायों की व्यवस्था को समझ लेना चाहिये ।

( ५ ) जो लोग मिलकर जनता के आराम के लिए रास्तों पर मकान बनाते हैं, जो व्यक्ति गाँवों को सजाने-सुधारने और उनकी रक्षा करने के लिए यत्नशील रहते हैं उनके सहयोग और कल्याण की ओर राजा का ध्यान रहना चाहिए ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दसवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० : —

(१) सपादपणा धर्म्या मासवृद्धिः पणशतस्य । पञ्चपणा व्यावहा-  
रिकी । दशपणा कान्तारगणाम् । विंशतिपणा सामुद्राणाम् ।

(२) ततः परं कर्तुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः । श्रोतृणामेकैकं  
प्रत्यर्घदण्डः ।

(३) राजन्ययोगक्षेमवहे तु धनिकारणिकयोश्चरित्रमवेक्षेत ।

(४) धान्यवृद्धिः सस्यनिष्पत्तावुपाधा, परं मूल्यकृता वर्धेत । प्रक्षेप-  
वृद्धिरुदयादधम् । सन्निधानसन्ना वार्षिकी देया ।

(५) चिरप्रवासः संस्तम्भप्रविष्टो वा मूल्यद्विगुण दद्यात् । अकृत्वा  
वृद्धि साधयतो वर्धयतो वा मूल्यं वा वृद्धिमारोप्य श्रावयतो बन्धचतुर्गुणो

### ऋण लेना

( १ ) व्याज के नियम—सामान्यतया सौ-पण पर सवा-पण व्याज प्रतिमास  
लिया जाना चाहिए । इसी सौ पण पर व्यापारी लोगो से पाँच पण, जगल मे रहने  
या वहाँ व्यापार करने वालो से दस पण और समुद्र के व्यापारियो से बीस पण व्याज  
लेना चाहिए ।

( २ ) इससे अधिक व्याज लेने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । उसमे  
जिन्होंने गवाही भरी हो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) यदि ऋण देने वाले ( धनिक ) और ऋण लेने वाले ( धारण ) के  
आपसी सौदे पर राज्य की भलाई होती हो तो सरकार को उनके चरित्र पर निग-  
रानी रखनी चाहिए ।

( ४ ) यदि अन्नसम्बन्धी व्याज फसल के समय पर चुकता करना हो तो वह  
मूलधन को आधा रकम से अधिक न होना चाहिए । गोदाग के इकट्ठे बेचे हुए माल  
पर उसके लाभ वा आधा व्याज होना चाहिए । इस प्रकार के लेन-देन का हिसाब-  
किताब वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए ।

( ५ ) यदि विदेश मे चले जाने के कारण या जान-बूझकर सरीददार अपने  
माल को नहीं निकालता तो वह माल के मूलधन का दुगुना मूल्य बेचने वाले को अदा  
करे । अवधि से पहिले ही जो व्याज माँगे, अथवा व्याज को मूलधन के साथ जोड़कर  
उतना रुपया माँगे, उसे माँगे हुए धन का, चौगुना दण्ड देना चाहिए । थोडा धन

दण्डः । तुच्छश्रावणायामभूतचतुर्गुणः । तस्य त्रिभागमादाता दद्यात्, शेषं प्रदाता ।

(१) दीर्घसंप्रव्याधिगुरुकुलोपरुद्धं बालमसारं वा नर्णमनु वर्धेत । मुख्यमानमृणमप्रतिगृह्यतो द्वादशपणो दण्डः । कारणापदेशेन निवृत्तवृद्धिकमन्यत्र तिष्ठेत् ।

(२) दशवर्षोपेक्षितमृणमप्रतिप्राह्यमन्यत्र बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रोपितदेशत्यागराज्यविघ्नमेभ्यः ।

(३) प्रेतस्य पुत्राः कुसीदं दद्युः । दायादा वा रिक्थहराः सहप्राहिणः प्रतिभुवो वा । न प्रातिभाव्यमन्यत् । असारं बालप्रातिभाव्यम् । असंख्यातदेशकालं तु पुत्राः पौत्रा दायादा वा रिक्थं हरमाणा दद्युः ।

(४) जीवितविवाहभूमिप्रातिभाव्यमसंख्यातदेशकालं तु पुत्राः पौत्रा वा वहेयुः ।

को अधिक कहा जाय और जब गवाहियाँ ली जाय, उस समय गवाह जितना धन बतायें, उसका चौगुना दण्ड अधमर्ण और उत्तमर्ण दोनों को दिया जाना चाहिए । उसमें से तीन भाग अधमर्ण ( ऋण लेने वाला ) और बाकी उत्तमर्ण ( ऋण देने वाला ) अदा करे ।

( १ ) लम्बी अवधि तक यज्ञकार्य में लगे हुए, व्याधिग्रस्त, गुरुकुल में अध्ययन करने वाले, बालक और अशक्त आदि व्यक्तियों के ऋण पर ध्याज नहीं जोड़ा जाना चाहिए । यदि कर्जदार अपने कर्ज की अन्तिम रकम को अदा करें और धनिक उसको न ले तो, धनिक पर बारह पण का दण्ड दिया जाना चाहिए । यदि न लेने का कोई विशेष कारण हो तो वह रकम बिना सूद के कही और जमा कर दी जानी चाहिए ।

( २ ) यदि कोई उत्तमर्ण दस वर्ष के अन्दर अपना कर्जा बसूल नहीं कर पाता तो उस धन पर उसका फिर कोई अधिकार नहीं रहता है । यदि वह कर्ज का धन बाल, बूढ़े, बीमार, आपद्ग्रस्त, प्रवासी, देशत्यागी या राजकाज से बाहर गए किसी व्यक्ति का हो तो वह दस वर्ष बाद भी उस धन का अधिकारी माना जायेगा ।

( ३ ) यदि ऋण लेने वाला ( अधमर्ण ) मर जाय तो उसका पुत्र ऋण को चुकता करे । अथवा उसके वारिस या उसके साथ काम करने वाले जामिन हिस्सेदार उसके ऋण को अदा करें । इनके अतिरिक्त ऐसे मृतक अधमर्ण के ऋण का जामिन दूसरा न माना जाय, बालक जामिन होने का अधिकारी नहीं है । जिस ऋण का स्थान तथा समय निश्चित नहीं है, उसको कर्जदार के पुत्र, पौत्र या दूसरे दाय-भागी अदा करें ।

( ४ ) जो कर्जा आजीविका, विवाह और जमीन के लिए लिया गया हो उसको

(१) नानर्णसमवाये तु नैकं द्वौ युगपदभिवदेयाताम् अन्यत्र प्रतिष्ठमानात् । तत्रापि गृहीतानुपूर्व्या राजश्रोत्रियद्वयं वा पूर्वं प्रतिपादयेत् ।

(२) दम्पत्योः पितापुत्रयोश्चात्तृणां चाविभक्तानां परस्परकृतमृणमसाध्यम् ।

(३) अग्राह्याः कर्मकालेषु कर्षका राजपुरुषाश्च । स्त्री वाऽप्रतिश्राविणी पतिकृतमृणमन्यत्र गोपालकार्ध्वंसीतिकेभ्यः ।

(४) पतिस्तु ग्राह्यः स्त्रीकृतमृणमप्रतिविधाय प्रोषित इति । सम्प्रतिपत्तावुत्तमः । असम्प्रतिपत्ती तु साक्षिणः प्रमाणम् । प्रात्ययिकाः शुचयोऽनुमतो वा त्रयोऽवराऽर्थाः । पक्षानुमती वा द्वौ ऋणं प्रति, न त्वेवैकः ।

तथा जामिन के द्वारा चुकता किये जाने योग्य ऋण को केवल उनके पुत्र, पौत्र ही अदा करें ।

( १ ) एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियों का कर्जा : यदि एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियों का कर्जा हो तो उस पर एक साथ अनेक कर्जा देने वाले मुकदमा नहीं चला सकते हैं, किन्तु यदि वह कर्जदार कहीं विदेश को जा रहा हो तो उस पर एक साथ अनेक मुकदमे चलाये जा सकते हैं । मुकदमों का फैसला हो जाने के बाद ऋण का भुगतान उसी क्रम से होगा चाहिए, जिस क्रम से उसको लिया गया है । यदि उसमें राजा या ब्राह्मण का कर्जा निकले तो उसका भुगतान सबसे पहिले होना चाहिए ।

( २ ) भार्या, पति, पिता, पुत्र और एक साथ रहने वाले भाई परस्पर कर्जा लें-दें तो उनके कर्जे का मुकदमा अदालत में नहीं चलाया जा सकता ।

( ३ ) कर्जा लेने वाले किसान और राज-कर्मचारी यदि काम पर लगे हो तो ऋण के सम्बन्ध में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है । पति के कर्ज लिए हुए ऋण को यदि उसकी स्त्री चुकाना मजूर नहीं करती तो उस पर किसी प्रकार का जोर-दबाव नहीं डाला जा सकता है, किन्तु ग्वाला आदि कार्यों की कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों की स्त्रियाँ अपने पति की अनुपस्थिति में अपने पति का कर्जा चुकता करने की जिम्मेदार हैं ।

( ४ ) साक्षियों की गवाह : यदि पत्नी कर्जा ले तो उसको अदा करने के लिए उसके पति को विवश किया जा सकता है । स्त्री के ऋण को न चुकाने की नौबत से बच कर या बहाना करके यदि कोई पुरुष विदेश चला जाय और उसकी यह बात साबित हो जाय तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि कारण सिद्ध न हो सके तो साक्षियों की गवाही के अनुसार निर्णय किया जाय । दोनों पक्षों से अनुमत कम-से-कम तीन गवाह होने चाहिए । जो विश्वास योग्य और चरित्रवान् हो । अपना दोनों पक्षों की राय से दो गवाह भी हो सकते हैं । किन्तु कर्जे के मामले में एक गवाह कदापि न होना चाहिए ।



(१) प्रतिपिद्धाः स्यात्सहायान्वार्याघनिकधारणिकवैरिन्यङ्घृतदण्डाः । पूर्वं चाव्यवहार्याः । राजश्रोत्रियप्रामृतककुष्ठिन्नगिनः पतितचण्डालकुत्सित-कर्मणोऽन्धबधिरमूकाहंवादिनः स्त्रीराजपुरुषाश्च । अन्यत्र स्ववर्गेष्व्यः ।

(२) पारुष्यस्तेयसंप्रहणेषु तु वैरिस्थालसहायवर्जाः । रहस्यव्यवहारे-  
ष्वेका स्त्री पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्याद्वाजतापसवर्जम् ।

(३) स्वामिनो भृत्यानामृत्विगाचार्याः शिष्याणां मातापितरौ पुत्राणां चानिप्रहेण साक्ष्यं कुर्युः । तेषामितरे वा । परस्परामियोगे चंपामुत्तमाः परोक्ता दशवन्धं दद्युरवराः पञ्चवन्धम् । इति साक्ष्यधिकारः ।

(४) ब्राह्मणोदकुम्भाम्निसकाशे साक्षिणः परिगृह्णीयात् । तत्र ब्राह्मणं ब्रूयात्—सत्यं ब्रूहीति । राजन्यं वैश्यं वा—मा तवेष्टापूरतफलं, कपालहस्तः शत्रुकुलं निक्षार्यो गच्छेरिति । शूद्रं—जन्ममरणान्तरे यद् वः पुण्यफलं तद्

( १ ) साला, सहायक, क्रीतदास ( अन्वर्थी ), ऋण देने वाला ( घनिक ), कर्जादार ( धारणिक ), दुश्मन, अंगहीन और राज्य से सजा पाये पुरुष गवाह नहीं हो सकते हैं । विश्वासी, चरित्रवान् और दोनो पक्षों से अनुमत व्यक्ति भी यदि व्यवहारकुशल न हो तो वे भी गवाह होने के योग्य नहीं हैं । राजा, वेदपाठी ब्राह्मण, गाँव का मुखिया, कोठी, दागयुक्त शरीर वाला, पतित, चाण्डाल, नीच कार्य करने वाला, अधा, बहरा, गूंगा, घमण्डी, स्त्री और राजकर्मचारी ये सब अपने-अपने वर्गों को छोड़कर अन्यत्र गवाह नहीं हो सकते हैं ।

( २ ) परन्तु पारुष्य, चोरी और व्यभिचार के मामलों में शत्रु, साला और सहायक को छोड़कर पूर्वोक्त बाकी सभी लोग गवाह हो सकते हैं । गुप्त मामलों में स्त्री, राजा और तपस्वी को छोड़कर सुनने-देखने वाला अकेला व्यक्ति भी गवाह हो सकता है ।

( ३ ) नौकरों के मालिक, शिष्यों के आचार्य, पुत्रों के माता-पिता और मालिकों के नौकर आदि परस्पर खुले तौर पर गवाह हो सकते हैं । आपसी मुकदमों में यदि मालिक, आचार्य तथा माता-पिता पराजित हो जायें तो नौकर, शिष्य आदि को वे पराजय का दसवाँ भाग दें, यदि नौकर आदि हार जायें तो अपने स्वामी आदि को वे हारे हुए घन का पाचवाँ हिस्सा दण्ड रूप में दें । यहाँ तक साक्षी के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

( ४ ) शपथ : पानी से भरे घड़े के पास या काण के पास ब्राह्मण को शपथ के लिए ले जाया जाय, यदि ब्राह्मण गवाह हो तो उसे 'सच बोलो' इतनी भर शपथ दिलाई जाय । यदि गवाही देने वाला क्षत्रिय और वैश्य हो तो उससे 'तुमको यज्ञ आदि इष्ट का और कुआँ, घमंशाला आदि परोपकार का फल न मिले, तुम अपनी

राजानं गच्छेत् । राज्ञश्च किल्विषं युष्मानन्यथावादे । दण्डश्चानुबन्धः । पश्चादपि ज्ञायेत यथादृष्टश्रुतम् । एकमन्त्राः सत्यमवहरतेति ।

(१) अनवहरता सप्तरात्रादूर्ध्वं द्वादशपणो दण्डः त्रिपक्षादूर्ध्वमभियागं दद्युः ।

(२) साक्षिभेदे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो नियच्छेयुः । मध्यं वा गृह्णीयुः । तद्वा द्रव्यं राजा हरेत् । साक्षिणश्चेदभियोगादूनं ब्रूयुरतिरिक्तस्याभियोक्ता बन्धं दद्यात् । अतिरिक्तं वा ब्रूयुस्तदतिरिक्तं राजा हरेत् । वालिश्यादभियोक्तुर्वा दुःश्रुतं दुर्लिखितं प्रेताभिनिवेशं वा समीक्ष्य साक्षिप्रत्ययमेव स्यात् ।

(३) साक्षिबालिश्येष्वेव पृथगनुयोगे देशकालकार्याणां पूर्वमध्यमोत्तमा दण्डा इत्यौशनसाः ।

शत्रु सेना को जीतकर भी हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगते फिरो, यदि भूठ बोली तो' इस प्रकार शपथ दिलाई जाय । यदि गवाह शूद्र हो तो उसके सम्मुख कहा जाय 'देखो यदि सच न बोलो तो जन्म-जन्मान्तर का तुम्हारा सारा पुण्य राजा को प्राप्त हो, यदि तुमने भूठ बोला तो तुम्हें निश्चित ही दण्ड मिलेगा, बाद में भी सुनकर देखकर मामले की जांच पड़ताल की जायेगी, इसलिए तुम सब लोगों को मिलकर सही-सही कहना चाहिए' इस प्रकार कहा जाय ।

( १ ) इतना कहने पर भी सात दिन तक यदि वे सही-सही बारदात न बतायें तो उनमें प्रत्येक को बारह-बारह पण दण्ड दिया जाय । यदि वे डेढ़ मास तक भी कुछ भेद न खोलें तो उनके विरुद्ध मुकदमे का फैसला किया जाय ।

( २ ) यदि किसी मुकदमे में गवाहों का आपसी मतभेद हो जाय तो उनमें जिस बात को बहुसंख्यक, चरित्रवान्, विश्वासी तथा अनुमत गवाह कहे, उसी के आधार पर फैसला कर दिया जाय अथवा किसी को मध्यस्थ बनाकर फैसला किया जाय । यदि किसी भी युक्ति से फैसला न हो सके तो उस विवादग्रस्त सपत्ति को राजा ले ले । कर्ज की जो रकम कर्जा देने वाले ने बताई है, गवाह यदि उससे कम रकम बताये तो अभियोक्ता उस अधिक बताई रकम का पाँचवाँ हिस्सा राजा को दे दे । यदि गवाह अधिक बताये तो उस अधिक रकम को राजा ले ले । अभियोक्ता यदि भ्रूख हो, ठीक तरह न सुन पाये, ठीक न लिख सके, अथवा पागल हो, तो गवाहों के आधार पर ही ऐसे मामलों का फैसला दिया जाय ।

( ३ ) आचार्य उशना ( शुक्राचार्य ) के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'देश, काल और कार्यों के ठीक-ठीक बताये जाने के कारण अदालत में यदि गवाहों की मूर्खता सिद्ध हो जाय तो उनको उनके अपराध के अनुसार यथोचित प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।'

(१) कूटसाक्षिणो यमर्थमभूतं वा कुर्युर्भूतं वा नाशयेयुस्तद्दशगुणं दण्डं दद्युरिति मानवाः ।

(२) बालिश्याद्वा विसंवादयता चित्रो घात इति बार्हस्पत्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । ध्रुवा हि साक्षिणः श्रोतव्याः । अभृष्वतां चतुर्विंशतिपणो दण्डः, ततोऽर्धमध्रुवाणाम् ।

(४) देशकालाविद्वूरस्यान् साक्षिणः प्रतिपादयेत् ।  
दूरस्थानप्रसारान् वा स्वामिवाक्येन साद्येत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे ऋणग्रहण नाम एकादशोऽध्यायः,  
आदितो सप्तपष्ठितम ।

— ० —

( १ ) आचार्य मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'अकारण ही जो छनी, प्रपञ्ची गवाह मुकदमा खटा करवा कर घन का नाश कराये, उन्हें उस नष्ट हुए घन का दस गुना दण्ड दिया जाय ।'

( २ ) आचार्य बृहस्पति के मतानुयायी विद्वानों का अभिमत है कि 'अपनी मूर्खता से परस्पर विरुद्ध बोलने वाले गवाहों का, मातना देकर, बध किया जाय ।'

( ३ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य ऐसा बराना उचित नहीं मानते हैं । उनका कथन है कि 'साक्षियों की सुनी हुई बात सभी ठीक होती है । जो साक्षी किसी बात को ठीक तरह से हृदयपत्र न करके गवाही देने को लठे हो जाते हैं उनको बीबीस पण दण्ड दिया जाय । इसका आधा दण्ड उन्हें दिया जाय जो गवाह मामले को ठीक-ठीक नहीं बता पाते ।

( ४ ) अभियोक्ता को चाहिए कि देश-काल के अनुसार अधिक पास रहने वाले व्यक्ति को ही गवाह बनाये । अथवा न्यायाधीश की आज्ञा प्राप्त कर वह सुगमता से न आ सकने वाले दूर-देशस्थ गवाहों को भी अदालत में हाजिर करे ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में ऋणग्रहण नामक  
ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) उपनिधिः ऋणेन व्याख्यातः ।

(२) परचक्राटविकाम्या दुर्गराष्ट्रविलोपे वा, प्रतिरोधकैर्वा ग्रामसायं-  
ब्रजविलोपे, चक्रयुक्ते नाशे वा, ग्राममध्याग्न्युदकाबाधे वा, किञ्चिदमोक्ष-  
यनाथे कुप्यमनिर्हार्यवर्जमेकदेशमुक्तद्रव्ये वा, ज्वालावेगोपरुद्धे वा, नावि  
निमग्नाया मुषिताया वा स्वयमुपरुद्धो नोपनिधिमभ्याभवेत् ।

(३) उपनिधिभोक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात् । द्वादशपणं  
च दण्डम् । उपभोगनिमित्तं नष्टं विनष्टं वाम्यावहेत्, चतुर्विंशत्पणश्च  
दण्डः । अन्यथा वा निष्पतने । प्रेतं व्यसनगतं वा नोपनिधिमभ्यावहेत् ।

### धरोहर सम्बन्धी नियम

( १ ) ऋण सम्बन्धी नियमो के अनुसार ही उपनिधि सम्बन्धी नियमो को भी समझना चाहिए ।

( २ ) धरोहर : शत्रु के पडपत्र और जगलवासियो के आक्रमण से दुर्ग तथा राष्ट्र का नाश हो जाने पर, या डाकू-चोरों के द्वारा गाँव, व्यापारिक कम्पनियाँ तथा पशुओं का नाश हो जाने पर, या भीतरी पड़्यन्त्रों के कारण नाश हो जाने पर, गाँव में आग लग जाने या बाढ़ के कारण नष्ट हो जाने पर, अग्नि या बाढ़ से नष्ट होने वाले ताँबा, लोहा आदि कुप्य वस्तुओं के शेष रह जाने पर, अग्नि से घिर जाने पर, नाव के डूब जाने पर, या नाव के माल की चोरी हो जाने पर, अपना बचाव हो जाने पर भी उपनिधि ( धरोहर ) पाने के लिए कोई व्यक्ति किसी पर मुकदमा नहीं चला सकता है ।

( ३ ) जो व्यक्ति उपनिधि को अपने उपयोग में लाये, देश काल के अनुसार वह उपयोग का बदला ( भोगवेतन ) चुका दे और दण्डरूप में बारह पण अदा करे । उपभोग के कारण उपनिधि को नष्ट कर देने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाय, और चौबीस पण दण्ड किया जाय । किसी भी प्रकार से उपनिधि के नष्ट हो जाने पर यही नियम लागू किया जाय । यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को लेकर भाग जाय या विपत्ति में फँस जाय तो उस पर न तो अभियोग चलाया जा सकता है और न ही दण्ड किया जा सकता है ।

(१) आघानविक्रयापव्ययनेषु चास्य चतुर्गुणपञ्चबन्धो दण्डः । परिवर्तने निष्पातने वा मूल्यसमः ।

(२) तेन आधिप्रणाशोपभोगविक्रयाधानापहारा व्याख्याताः ।

(३) नाधिः सोपकारः सीदेत् । न चास्य मूल्यं वर्धेत । निरूपकारः सीदेन्मूल्यं चास्य वर्धेतान्यत्र निसर्गत् ।

(४) उपस्थितस्याधिमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः । प्रयोजकासन्निधाने वा ग्रामवृद्धेषु स्थापयित्वा निष्क्रयमार्गं प्रतिपद्येत । निवृत्तवृद्धिको वाधिस्तत्कालकृतमूल्यस्तत्रैवावतिष्ठेत, अनाशविनाशकरणाधिष्ठितो वा । धारणकसन्निधाने वा विनाशमयादुद्गतायै धर्मस्थानुजातो विक्रीणीत । आधिपालप्रत्ययो वा ।

( १ ) यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को वही गिरवी रख दे, बेच दे या अन्य किसी तरह में उसका अपव्यय कर दे, उस पर उपनिधि का चौगुना पञ्चबन्ध दण्ड किया जाय । यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को बदले या किसी भी प्रकार से नष्ट करे उससे उपनिधि की कीमत वसूल कर ली जाय ।

( २ ) गिरवी : उपनिधि के समान ही आधि ( गिरवी रखी हुई वस्तु ) के नाश हो जाने, उपयोग में लाने, बेचने, गिरवी रखने और बदलने आदि के सम्बन्ध में भी नियम समझना चाहिए ।

( ३ ) यदि गिरवी रखी हुई वस्तु सोने चांदी के आभूषण ( सोपकार ) हो तो वे नष्ट नहीं होते और उन पर व्याज नहीं लिया जाता है । इनके अतिरिक्त आधि के नष्ट हो जाने का भी व्यय रहता है और उस पर व्याज भी लगता है ।

( ४ ) यदि गिरवी रखने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु को लेना चाहे और व्याज आदि के लोभ से उत्तमर्ण उसको देना न चाहे तो उस पर वारह पण दण्ड किया जाय । यदि अद्यमर्ण को उत्तमर्ण उसके स्थान पर न मिले, तो वह आधि के बदले में लिए धन को उस गाँव के बृद्ध पुरुषों के पास रखकर अपनी गिरवी रखी हुई वस्तु को वापिस ले सकता है । यदि अद्यमर्ण अपनी आधि को बेचकर अपना कर्जा चुकाना चाहे तो उसी समय उसकी लागत निश्चित करके उस वस्तु को उत्तमर्ण के पास रहने दिया जाय, उसके बाद उत्तमर्ण उस आधि पर व्याज नहीं ले सकता है । आधि के रखने में उत्तमर्ण का लाभ हो रहा या हानि हो रही है, किन्तु त्रिकट भविष्य में यदि उसके नष्ट हो जाने की आशंका हो, अथवा उसकी लागत से कर्जा की समस्या अधिक हो रही हो, ऐसी अवस्था में, अद्यमर्ण की अनुपस्थिति में भी, न्यायाधीश ( धर्मस्थ ) की आज्ञा लेकर उत्तमर्ण उस आधि को बेच दे । न्यायाधीश की अनुपस्थिति में आधिपाल ( न्यायविभाग का अधिकारी ) से आज्ञा ली जा सकती है ।

(१) स्यावरस्तु प्रयासभोग्यः फलभोग्यो वा । प्रक्षेपवृद्धिमूल्यशुद्ध-  
माजीवममूल्यक्षयेणोपनयेत् ।

(२) अनिसृष्टोपभोक्ता मूल्यशुद्धमाजीवं बन्धं च दद्यात् । शेषमुप-  
निधिना व्याख्यातम् ।

(३) ऐतेनादेशोऽन्वाधिश्च व्याख्यातौ । सार्येनान्वाधिहस्तो वा प्रदिष्टं  
भूमिमप्राप्तश्चौरं भंग्नोत्सृष्टो वा नान्वाधिमभ्यावहेत् । अन्तरे वा मृतस्य  
दायादोऽपि नान्वावहेत् । शेषमुपनिधिना व्याख्यातम् ।

(४) याचितकमवक्रीतकं वा यथाविधं गृह्णीयुस्तथाविधमेव अपयेयुः ।  
अयोपनिपाताभ्या देशकालोपरोधि दत्तं नष्टं विनष्टं वा नाभ्यामवेयुः ।  
शेषमुपनिधिना व्याख्यातम् ।

(५) वैयापृत्यविक्रयस्तु—वैयापृत्यकरा यथादेशकालं विक्रीणानाः पण्यं  
यथाजातं मूल्यमुदयं च दद्युः । शेषमुपनिधिना व्याख्यातम् ।

( १ ) जो स्यामी सपति परिश्रम या बिना ही परिश्रम फल देती हो अथवा  
उपभोग करने योग्य हो, उसे बेचा नहीं जा सकता है, जिस आधि को उत्तमर्ग  
व्यापार मे लगाये उसका लाभ अधमर्ग को दिया जाना चाहिए ।

( २ ) जो व्यक्ति बिना आज्ञा या शर्त के आधि का उपभोग करे, उससे आधि के  
अच्छी हालत का मूल्य वसूल किया जाय और अलग से उस पर जुर्माना किया जाय ।  
आधि के सम्बन्ध में शेष नियम उपनिधि के समान हैं ।

( ३ ) आदेश और अन्वाधि : आदेश ( आज्ञा ) और अन्वाधि ( गिरवी  
रखी हुई वस्तु को वापिस मँगाना ) के सम्बन्ध मे उपर्युक्त नियम समझने चाहिए ।  
व्यापारी यदि किसी की गिरवी रखी वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं दूसरी  
जगह भेजे और बीच ही मे उस वस्तु की चोरी हो जाय तो उसे ले जाने वाले पर  
आधि विषयक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । यदि किसी कारण वह बीच  
रास्ते मे ही मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियो पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा  
सकता है । बाकी सब नियम उपनिधि के समान हैं ।

( ४ ) उधार ली गई वस्तु को लौटाना - उधार या किराये पर ली गई  
वस्तु जिस दशा मे लायी जाय ठीक उसी दशा मे वापिस करनी चाहिए । यदि देश,  
काल, दोष या आकस्मिक आपत्ति के कारण उस वस्तु मे कोई खराबी आ जाय या  
सर्वथा वह नष्ट हो जाय, तो उस वस्तु के सम्बन्ध मे मुकदमा नहीं चलाया जा  
सकता है । शेष नियम उपनिधि के समान समझने चाहिए ।

( ५ ) फुटकर वस्तुओं को बेचने का नियम : फुटकर वस्तुओं को बेचने  
वाले व्यापारियो को चाहिए कि वे देश, काल के अनुसार अपनी वस्तुओं को बेचते

(१) देशकालातिपातने वा परिहीणं संप्रदानकालिकेन अर्घेण मूल्य-मुदयं च दद्युः ।

(२) यथासम्भाषितं वा विक्रीणाना नोभयमधिगच्छेयुः । मूल्यमेव दद्युः । अर्घपतने वा परिहीणं यथापरिहीणं मूल्यमूनं दद्युः ।

(३) सांध्यवहारिकेयु वा प्रात्ययिकेष्वराजवाच्येषु श्रेयोपनिपाताभ्यां नष्टं विनष्टं वा मूल्यमपि न दद्युः । देशकालान्तरितानां तु पण्यानां क्षय-व्ययविशुद्धं मूल्यमुदयं च दद्युः । पण्यसमवायाना च प्रत्यंशम् । शेषमुप-निधिना ध्याट्यातम् । एतेन वैयापृत्यविक्रयो व्याख्यातः ।

(४) निक्षेपश्चोपनिधिना । तमन्येन निक्षिप्तमन्यस्वार्पयतो हीयेत । निक्षेपापहारे पूर्वापदानं निक्षेप्तारश्च प्रमाणम् ।

हुए थोक व्यापारियो को यथोचित मूल्य और व्याज दें । शेष नियम उपनिधि के समान हैं ।

( १ ) यदि देश, काल के अनुसार पहिले खरीद कर रसी हुई वस्तुओ का मूल्य गिर जाय तो वर्तमान में दिए जाने वाले मूल्य के अनुसार ही उसका मूल्य और व्याज थोक व्यापारियो को दिया जाय ।

( २ ) यदि थोक व्यापारियो का बडे व्यापारियो के साथ यह तय हो चुका हो कि वे किसी निमत मूल्य पर ही माल बेचेंगे तो उसी मूल्य पर बेचते हुए छोटे व्यापारी, बडे व्यापारियो को केवल मूल्य दे, व्याज नहीं । यदि भाव गिर जाय तो उसी के अनुसार मूल्य दिया जाय ।

( ३ ) बिना कानूनी कार्यवाही के व्यावहारिक विश्वास पर होने वाले सौदे में यदि किसी प्रकार के दोष या आपत्ति के कारण खराबी आ जाय माल सर्वथा ही नष्ट हो जाय तो थोक व्यापारी उसका मूल्य न दें । किन्तु दूसरे स्थान और दूसरे समय में बेचे जाने वाले माल का छोड़न ( क्षय ) और खर्च ( व्यय ) के हिसाब से उचित मूल्य और व्याज दिया जाय । स्टेशनरी ( पण्यसमवाय ) में कुछ अंश छोड़न का निकाल लिया जाय । इसके शेष नियम उपनिधि के समान समझने चाहिएँ । ये ही नियम फुटकर विक्री के भी हैं ।

( ४ ) निक्षेप धन : निक्षेप, अर्थात् दिखाकर या गिनकर रखी जाने वाली धरोहर वस्तु के नियम उपनिधि के समान हैं । किसी के निक्षेप को यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दे दें, तो देने वाले को यथोचित दण्ड दिया जाय । निक्षेप रखने वाला व्यक्ति यदि उसे दबा दे या नष्ट कर दे तो पूर्वस्थिति को जांच करके, इस सम्बन्ध में धरोहर रखने वाला ( निक्षेप ) जैसी गवाही दे तदनुसार ही मामले का फैसला किया जाय ।

(१) अशुचयो हि कारवः, नैषां करणपूर्वो निक्षेपधर्मः । करणहीनं निक्षेपमपव्ययमानं गूढमितिन्यस्तान् साक्षिणो निक्षेप्ता रहस्यप्रणिपातेन प्रज्ञापयेत्, वनान्ते वा मद्यप्रह्वणविभासेन ।

(२) रहसि वृद्धो व्याधितो वा वैदेहकः कश्चित् कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत् । तस्य प्रतिदेशेन पुत्रो भ्राता वाभिगम्य निक्षेपं याचेत् । दाने शुद्धिः । अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।

(३) प्रव्रज्याभिमुखो वा श्रद्धेयः कश्चित् कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्य प्रतिष्ठेत् । ततः कालान्तरागतो याचेत् । दाने शुचिरन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।

(४) कृतलक्षणेन वा द्रव्येण प्रत्यानयेदेनम् । बालिशजातीयो वा रात्रौ राजदायिकांक्षणभीतः सारमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत् । स एनं बन्धनागारगतो याचेत् । दाने शुचिः अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।

(५) अभिज्ञानेन चास्य गृहे जनमुभयं याचेत् । अन्यतरादाने यथोक्तं पुरस्तात् ।

( १ ) शिल्पी लोग प्रायः ईमानदार नहीं होते हैं । उनके यहाँ जो निक्षेप रखा जाता है, उसका वे लोग कोई लिखित प्रमाण ( कारणपूर्व ) नहीं देते हैं । यदि वे लोग ऐसे अलिखित निक्षेप का अपव्यय करें तो निक्षेपता को चाहिए कि वह छिपे तौर पर दीवारों की ओर से साक्षियों को उनके ( शिल्पियों के ) गुप्त भेद बता दे । अथवा जगल में नाव में या एकान्त में विश्वास से साक्षियों को बता दे ।

( २ ) कोई बीमार या वैदेहक किसी चिह्नित वस्तु को शिल्पी के हाथ में देकर चला जाय । बाद में निक्षेपता के कहने पर उसका लडका या भाई शिल्पी के पास आकर उस चिह्नित निक्षेप को माँगे । यदि वह दे दे तो उसको ईमानदार समझा जाय और न दे तो उससे निक्षेप वसूल कर उसे चोरी की सजा दी जाय ।

( ३ ) अथवा कोई विश्वासी व्यक्ति सन्यासी का वेप बनाकर किसी चिह्नित वस्तु को शिल्पी के हाथ में सौंप कर चल जाय । फिर कुछ समय बाद वह उस वस्तु को माँगे । उस वस्तु को वापिस कर देने पर शिल्पी को ईमानदार समझा जाय और न दे तो निक्षेप वसूल कर उसे चोरी की सजा दी जाय ।

( ४ ) अथवा चिह्नित वस्तु के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जाय । अथवा कोई व्यक्ति रात में पुलिस से डरा-सा, भूख की शक्ल बनाकर शिल्पी के हाथ में द्रव्य को सौंप कर चलता बने । वह फिर जेल में जाकर शिल्पी से अपना धन माँगे । दे दे तो ईमानदार, अन्यथा धन वसूल कर उसको चोरी का दण्ड दिया जाय ।

( ५ ) शिल्पी के घर में माल की शिनास्त करने के बाद घर के दो आदमियों



(१) द्रव्यभोगानामागमं चात्यानुयुञ्जीत । तस्य चार्यस्य व्यवहारोप-  
लिङ्गनमभियोक्तुश्चार्यंसामर्थ्यम् ।

(२) एतेन मियस्समवायो व्याख्यातः ।

(३) तस्मात्साक्षिमदच्छन्नं कुर्यात्सम्पत्त्विभाषितम् ।  
स्वे परे वा जने कार्यं देशकालाप्रवर्णतः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे औपनिधिक नाम द्वादशोऽध्यायः,  
आदितोऽष्टसप्ततितमः ।

—: ० :—

से अलग-अलग उस माल को मांगा जाय । यदि दोनों ही देने से इन्कार करें तो पूर्वोक्त नियम का उपयोग किया जाय ।

( १ ) अदालत में शिलपी से पूछा जाय कि 'यह जो तुम धन के कारण मौज उड़ा रहे हो, यह तुम्हें कहां से मिला है ?' इसके अतिरिक्त उस धन के व्यवहार एवं चिह्नो के सम्बन्ध में भी उससे तथा अभियोक्ता की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में भी जाँच-पड़ताल की जाय ।

( २ ) इसी के अनुसार परस्पर व्यवहार करने वाले सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में समझना चाहिए ।

( ३ ) इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने तथा पराये के व्यवहार में गवाह के सामने ही लेन-देन के सभी कार्यों की क्हा-मुनी तथा लिखा-पढ़ी करे और साथ ही स्थान एवं समय का विशेष रूप से उल्लेख कर दे ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में औपनिधिक नामक  
बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) उदरदासवर्जंभार्यंप्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रं विक्रयाधानं नयतः स्वजनस्य द्वादशपणो दण्डः । वैश्यं द्विगुणः । क्षत्रियं त्रिगुणः । ब्राह्मणं चतुर्गुणः । परजनस्य पूर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः ऋतृश्रोतृणा च ।

(२) म्लेच्छानामदोषः प्रजां विक्रेतुमाघातुं वा । न त्वेवार्यस्य दास-भावः ।

(३) अथवार्यमाघाय कुलबन्धन आर्याणामापदि निष्कृत्यं चाधिगम्य बालं साहाय्यदातारं वा पूर्वं निष्क्रीणीरन् ।

(४) सकृदात्माघाता निष्पतितः सोदेत् । द्विरन्येनाहितकः । सकृदुभौ परविषयाभिमुखौ ।

### दास और श्रमिक सम्बन्धी नियम

( १ ) उदरदास को छोड़कर आर्यों के प्राणभूत नाबालिग शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को यदि उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उन-पर क्रमशः बारह पण, चौबीस पण, छत्तीस पण और अठतालीस पण का दण्ड किया जाय । यदि इन्ही नाबालिग शूद्र आदि को यदि कोई दूसरा व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उक्त क्रम से उनको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस और प्राणवध का दण्ड दिया जाय । यही दण्ड सरीददारो और इस मामले में गवाही देने वालो को भी दिया जाय ।

( २ ) म्लेच्छ लोग अपनी सन्तान को बेच और गिरवी रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, परन्तु आर्यजाति किसी हालत में भी गुलाम नहीं बनाई जा सकती है ।

( ३ ) यदि सारा परिवार गिरफ्तार हो गया हो या बहुत सारे आर्यों पर विपत्ति आ पड़ी हो तो उस दशा में आर्य को गिरवी रखा जा सकता है और जब छुड़ाने योग्य धन प्राप्त हो जाय तो पहिले बालक को या सहायक को मुक्त करना चाहिए ।

( ४ ) जो व्यक्ति अपने आपको गिरवी रखा चुका हो, यदि एक बार भी वह वहाँ से भाग निकले तो उसे आजीवन गुलाम बनाकर रखा जाय । जो व्यक्ति दूसरो के द्वारा गिरवी रखा गया हो, यदि वह दो बार भाग जाय तो उसे सदा के लिए दास

(१) वित्तापहारिणो वा दासस्यायंभावमपहरतोऽर्धदण्डः । निष्पतित-  
प्रेतव्यसनिनामाघाता मूल्यं भजेत् ।

(२) प्रेतविष्मूत्रोच्छिष्टग्राहणमाहितस्य' नग्नस्नापनं दण्डप्रेषणमति-  
क्रमणं च स्त्रीणां मूल्यनाशकरम् । धात्रीपरिचारिकार्थंसीतिकोपचारिकाणां  
च मोक्षकरम् । सिद्धमुपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम् ।

(३) धात्रीमाहितिका वाकामां स्ववशमधिगच्छतः पूर्वः साहस दण्डः,  
परवशां मध्यमः । कन्यामाहितिकां वा स्वयमन्येन वा दूषयतः मूल्यनाशः  
शुल्कं तद्विगुणश्च दण्डः ।

(४) आत्मविक्रयिणः प्रजामार्यां विद्यात् । आत्माधिगतं स्वामिकर्मा-  
विरुद्धं लभेत, पित्र्यं च दापम् । मूल्येन चार्थत्वं गच्छेत् । तेनोदरदासाहित-  
कौ व्याख्यातौ ।

बनाकर रखा जाय । ये दोनो दास यदि किसी दूसरे देश में चले जाने का इरादा करें  
तब भी उन्हें जीवन पर्यन्त के लिए दास बनाया जाय ।

( १ ) धन का अपहरण करने वाले तथा किसी आर्य को दास बनाने वाले व्यक्ति  
को आधा दण्ड दिया जाय । गिरवी रखे हुए व्यक्ति यदि भाग जायें, मर जाय या  
बीमार हो जाय तो गिरवी रखने वाला ही उनका मूल्य दे ।

( २ ) जो स्वामी अपने पुरुष गुलामों से मुर्दा, मल-मूत्र या जूठन उठवावे,  
और महिला गुलामों को अनुचित दण्ड दे, उनके सतीत्व को नष्ट करे, नग्नतावस्था में  
उसके पास जाय या नङ्गा कराके उनको अपने पास बुलावे तो उसका धन जब्त कर  
लिया जाय । यदि यही व्यवहार दाई, परिचारिका, अर्द्धसीतिका ( जिस जाति में  
पुरुषों का जीवन-निर्वाह स्त्रियों पर निर्भर रहता है ) और भीतरी दासी ( उप-  
चारिका ) आदि के साथ किया जाय तो उन्हें दासकार्य से मुक्त कराया जाय । यदि  
उच्चकुलोत्पन्न दास से उक्त कार्य कराये जायें तो वह दास कर्म को छोड़कर जा  
सकता है ।

( ३ ) अपनी दासी या गिरवी रखी हुई किसी स्त्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध  
अपने वश में करने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय किन्तु उनको यदि  
दूसरे व्यक्ति के वश में करने की कोशिश करे तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया  
जाय । गिरवी में आई कन्या को यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा दूषित  
करे तो उसका बदले में दिया धन जब्त कर लिया जाय, जुर्माने के तौर पर कुछ  
धन वह कन्या को दे और उससे दुगुना दण्ड सरकार को अदा करे ।

( ४ ) अपने आपको बेच देने वाले आर्य पुरुष की सन्तान भी आर्य ही समझी  
जाय । वह अपने मालिक की आज्ञानुसार कमाये हुए धन को अपने पास रख सकता  
है और पिता की सम्पत्ति का भी उत्तराधिकारी हो सकता है । बाद में अपनी वीमत

(१) प्रक्षेपानुरूपश्चास्य निष्क्रयः ।

(२) दण्डप्रणीतः कर्मणा दण्डमुपनयेत् ।

(३) आर्यप्राणो ध्वजाहृतः कर्मकालानुरूपेण मूल्याघेन वा विमुच्येत ।

(४) गृहजातदायागतलब्धश्रीतानामन्यतमं दासमूनाष्टवर्षं विबन्धु-  
मकामं नीचे कर्मणि विदेशे दासी वा सगर्भाप्रतिविहितगर्भमण्या विक्र-  
याधानं नयतः पूर्वः साहसदण्डः, ऋतुश्रोतृणां च ।

(५) दासमनुरूपेण निष्क्रयेणार्यमकुर्वतो द्वादशपणो दण्डः । संरोध-  
श्चाकारणात् । दामद्रव्यस्य ज्ञातयो दायदाः । तेषाम् अभावे स्वामी ।

(६) स्वामिनः स्वस्या दास्या जात समातृकमदासं विद्यात् । गृह्या  
चेत् कुटुम्बार्थचिन्तनी, माता भ्राता भगिनी चास्या अदासाः स्युः ।

को चुकता कर वह आर्यश्रेणी में आ सकता है । इसी प्रकार उदरदास ( आजीवन दास ) और आहितक दास ( गिरवी रखा हुआ दास ) के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ।

( १ ) गिरवी रखने के अनुसार ही उनके छुड़ाने का मूल्य भी होना चाहिए ।

( २ ) जिस व्यक्ति को दण्ड का धन भुगतान न करने के कारण दास बनना पड़ा हो, वह किसी तरह का कार्य कर उस धन का भुगतान करके स्वतन्त्र हो सकता है ।

( ३ ) आर्य जाति का कोई व्यक्ति यदि युद्ध में पराजित होने पर दास बनाया गया हो तो वह अपने कार्य के बल पर या समय के अनुसार या अपने पकड़े जाने का आघात मूल्य देकर छुटकारा पा सकता है ।

( ४ ) अपने ( स्वामि के ) घर में पैदा हुए, दाय-भाग के समय अपने हिस्से में आये या स्वयं खरीदे हुए, बन्धु-बान्धवों से रहित, आठ वर्ष से कम उम्र के दास को उसकी इच्छा के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति नीच कार्य के लिए किसी विदेशी के हाथ बेचे या गिरवी रखे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, इसी प्रकार यदि कोई स्वामी गर्भिणी दासी को, उसके गर्भ की रक्षा का कोई प्रबन्ध न करके दूसरे के हाथ बेचे या गिरवी रखे तो उसको भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । इनके अतिरिक्त उनके खरीदने वालों और गवाहों को भी यही दण्ड दिया जाय ।

( ५ ) जो व्यक्ति उचित मूल्य पाने पर भी किसी को दासता से मुक्त नहीं करता, उस पर बाहर पण दण्ड किया जाय । यदि मुक्त न करने का कोई कारण न हो तो उसको कारवास का दण्ड दिया जाय । दास की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके बन्धु-बाधव एवं कुटुम्बी लोग होते हैं । उनके न होने पर दास का स्वामी ही उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है ।

( ६ ) यदि स्वामी द्वारा अपनी दासी से सन्तान पैदा हो जाय तो वह सन्तान

(१) दासं दासी वा निष्क्रीय पुनर्विक्रयाधानं नयतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र स्वयंवादिभ्यः । इति दासकल्पः ।

(२) कर्मकरस्य कर्मसम्बन्धमासत्रा विद्युः । यथासम्भाषितं वेतनं लभेत । कर्मकालानुरूपमसम्भाषितवेतनम् । कर्षकः सस्यानां, गोपालकः सर्पिणां, वैदेहकः पण्यानामात्मना व्यवहृतानां दशभागमसम्भाषितवेतनो लभेत । सम्भाषितवेतनस्तु यथासम्भाषितम् ।

(३) काहशिल्पकुशीलवचिकित्सकवाग्जीवनपरिचारकादिरासाकारिकवर्गस्तु यथान्यस्तद्विधः कुर्यात् । यथा वा कुशलाः कल्पयेयुः तथा वेतनं लभेत । साक्षिप्रत्ययमेव स्यात् । साक्षिणामभावे यतः कर्म ततोऽनुयुञ्जीत ।

(४) वेतनादाने दशबन्धो दण्डः, षट्पणो वा । अपव्ययमाने द्वादशपणो दण्डः, पंचबन्धो वा ।

और उसकी माता, दोनों को दासता से मुक्त कर दिया जाय । यदि वह स्त्री सद्गृहिणी बनकर स्वामी के घर में ही उसकी पत्नी बनकर रहना चाहे तो उसकी माँ, बहिन और भाइयों को दासता से मुक्त कर दिया जाय ।

( १ ) एक बार मुक्त हुए दास दासी को यदि फिर कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । किन्तु दास-दासी ही यदि स्वयं बिकने और गिरवी रखे जाने को कहें तो किसी को दोष न दिया जाय । यहाँ तक दास-दासियों के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

( २ ) नौकर का वेतन : पास-भड़ोस के रहने वालों की जानकारी में ही नौकर को नियुक्ति की जाय । जिसका वेतन तय हो गया हो वह उसी पर कार्य करे; किन्तु जिसका वेतन पहिले तय न हुआ हो वह अपने कार्य और समय के अनुसार अपना वेतन ले । किसान का नौकर अनाज का, खाले का नौकर धी का और बनिये का नौकर अपने द्वारा व्यवहार की हुई वस्तुओं का दसवाँ हिस्सा ले; यद्यत् कि उसका वेतन तय न हुआ हो । यदि वेतन पहिले से तय है तो उसी पर नौकरी करे ।

( ३ ) कारीगर, नट, नर्तक, चिकित्सक, वकील ( वाग्जीवन ) और नौकर-चाकर आदि मेहनताने की आशा से कार्य करने वाले ( आशाकारिक ) व्यक्तियों को वैसे ही वेतन दिया जाय, जैसा अन्यत्र दिया जाता हो, अथवा जो भी वेतन कुशल पुष्ट्य नियत कर दे तदनुसार दिया जाय । इस विषय पर विवाद होने पर साक्षियों के अनुसार ही निर्णय दिया जाय । यदि साक्षी न हो तो जैसा कार्य किया हो, उसी के अनुसार फैसला किया जाय ।

( ४ ) उनका वेतन न देने पर वेतन का दसवाँ हिस्सा या छह पण दण्ड किया जाय । अपव्यय करने पर उसका पाँचवाँ हिस्सा या बारह पण दण्ड किया जाय ।

(१) नदीवेगज्वालास्तेनव्यालोपरुद्धः सर्वस्वपुत्रदारात्मदानेनार्त-  
स्त्रातारमाहूय निस्तोर्णः कुशलप्रदिष्टं वेतनं दद्यात् । तेन सर्वत्रार्तदानानु-  
शया व्याख्याताः ।

(२) लभेत पुंश्र्वली भोगं सङ्गमस्योपलिङ्गनात् ।  
अतियाच्चा तु जीयेत दौर्मत्याविनयेन वा ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे स्वाम्यधिकारो नाम त्रयोदशोऽध्याय ,  
आदित एकोनसप्ततितम ।

— ० —

( १ ) नदी के प्रवाह में बहता हुआ या अग्नि, चोर, साँप और हिंसक पशुओं से घिरा हुआ कोई व्यक्ति यदि जान बचाने की गरज से किसी को अपना सर्वस्व, स्त्री, पुत्र धन आदि, देने का वायदा कर आपत्ति से बच जाय तो उस पर तत्कालीन चतुर व्यक्ति जो भी निर्णय दे दें उसी के अनुसार रक्षक को दिया जाय । इसी प्रकार आपद्भुक्त लोगों के दूसरे प्रणों के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिए ।

( २ ) वेश्या को चाहिए कि वह सभोग शुल्क को पहिले ही ले ले । यदि वह बुरी नियत से या डरा धमका कर अनुचित तरीके से अधिक धन लेना चाहे तो उसे वह कदापि न दिया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में स्वाम्यधिकार नामक  
तेरहवाँ अध्याय समाप्त

— ० —

(१) गृहीत्वा वेतनं कर्म अकुर्वतो भृतकस्य द्वादशपणो दण्डः । संरोध-  
श्राकारणात् ।

(२) अशक्तः कुत्सिते कर्मणि व्याधौ व्यसने वा अनुशयं लभेत, परेण  
वा कारयितुम् । तस्य व्ययकर्मणा लभेत, भर्ता वा कारयितुम् ।

(३) नान्यस्त्वया कारयितव्यो मया वा नान्यस्य कर्तव्यमित्यवरोधे  
भर्तुरकारयतो भृतकस्याकुर्वतो वा द्वादशपणो दण्डः । कर्मनिष्ठापने भर्तु-  
रन्यत्र गृहीतवेतनो नासकामः कुर्यात् ।

(४) उपस्थितमकारयतः कृतकेव विद्यादित्याचार्याः ।

(५) नेति कौटिल्यः । कृतस्य वेतनं, नाकृतस्यास्ति । स चेदल्पमपि  
कारयित्वा न कारयेत्, कृतमेवास्य विद्यात् । देशकालातिपातनेन कर्मणा-

### मजदूरी के नियम और साझीदारी का हिस्सा

( १ ) वेतन लेकर जो नौकर कार्य न करे उस पर बारह पण दण्ड किया जाय ।  
यदि अकारण ही वह कार्य न करे तो उसे कारावास में बन्द कर दिया जाय ।

( २ ) किसी अशक्त, कुत्सित कार्य के आ जाने पर, बीमारी में या किसी  
आपत्ति में फँस जाने के कारण नौकर आकस्मिक छुट्टी ( अनुशय ) ले सकता है,  
अथवा अपनी एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर छुट्टी ले सकता है । स्थानापन्न  
नौकर की मजदूरी उसके कार्य से ही पूरी की जाय अथवा मालिक ही किसी दूसरे  
से कार्य ले ।

( ३ ) 'न तो आप किसी से कार्य करवायेंगे और न मैं ही किसी का कार्य  
करूँगा' इस प्रकार के आपसी समझौते को यदि मालिक भंग करे तो बारह पण  
दण्ड और यदि नौकर भंग करे तो भी बारह पण दण्ड दिया जाय । यदि किसी मज-  
दूर ने दूसरी जगहों से अधिक वेतन ले लिया हो, तो पहिले मालिक का कार्य पूरा  
करने पर ही, वह दूसरी जगह जा सकता है ।

( ४ ) कुछ आचार्यों का अभिमत है कि हाजिर हुआ मजदूर यदि कुछ कार्य न  
भी करे तो हाजिरी मात्र से ही उसका कार्य समझ लिया जाय ।

( ५ ) परन्तु आचार्य कौटिल्य ऐसा नहीं मानते हैं । उनका कथन है कि वेतन  
कार्य करने का दिया जाता है, खाली बैठने का नहीं । यदि मालिक थोड़ा ही काम

मन्यथाकरणे वा नासकामः कृतमनुमन्येत । सम्भाषितादधिकक्रियायां प्रयासं न मोघं कुर्यात् ।

(१) तेन संघभृता व्याख्याताः । तेषामाधिः सप्तरात्रमासीत् । ततोऽन्यमुपस्थापयेत्; कर्मनिष्पाकं च । न चानिवेद्य भर्तुः संघः कंचित्परिहरे-दुपनयेद्वा । तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणो दण्डः । संघेन परिहृतस्यार्घदण्डः । इति भृतकाधिकारः ।

(२) संघभृताः सम्भूयसममुत्थातारो वा यथासम्भाषितं वेतनं समं वा विभजेरन् ।

(३) कर्षकर्वदेहका वा सस्यपण्यारम्भपर्यवसानान्तरे सन्नस्य यथा-कृतस्य कर्मणः प्रत्यंशं दद्युः । पुह्योपस्थाने समप्रमंशं दद्युः । संसिद्धे तूद्-घृतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंशं दद्युः । सामान्या हि पथि सिद्धिश्चा-त्तिद्धिश्च ।

कराके फिर न कराये तो नौकर का पूरा काम किया हुआ समझा जाय । मालिक के आज्ञानुसार ठीक स्थान और समय पर काम न करने से या कार्यों को उलटा कर देने से नौकर काम किया हुआ न समझा जाय । मालिक जितना काम बताये नौकर यदि उससे अधिक कार्य कर डाले तो वह अतिरिक्त मेहनत व्यर्थ समझनी चाहिए ।

( १ ) मिस्र, कारखाना और कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी यही नियम समझना चाहिए । ठीक तरह से कार्य न करने वाले मजदूरों की सात दिन की मजदूरी दबाये रखनी चाहिए, इतने पर भी यदि वे ठीक तरह से कार्य न करें तो वह कार्य दूसरे को दे देना चाहिए, और उस कार्य को ठीक कराकर दूसरे को उचित मजदूरी दे देनी चाहिए । मजदूरों को चाहिए कि मालिक को बिना सूचित किये वे न तो किसी वस्तु को नष्ट करें और न ले जाय । इस नियम का उल्लंघन करने पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय यदि सभी मजदूर मिलकर ऐसा करें तो उनको आधा दण्ड दिया जाय । यहाँ तक मजदूरों ( भृतकों ) के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

( २ ) संघ से एक मुष्ट मजदूरी पाने वाले या मिलकर ठेके आदि पर काम करने वाले मजदूर पहले से तय की हुई मजदूरी आपस में बराबर बराबर बाँट लें ।

( ३ ) किसान को चाहिए कि वह फसल के आरम्भ से अन्त तक और खरीद-फरोक्त करने वाले व्यापारी को चाहिए कि माल खरीदने से लेकर बेचने तक वे अपने सामीदार को उसके कार्य के अनुसार हिस्सा दें । यदि कोई सामीदार अपनी एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को नियत कर दे तब भी उसका पूरा हिस्सा दिया जाय, माल बिक जाने पर दुकान उठने से पहिले ही सामीदार को उसका हिस्सा भी दिया जाय; क्योंकि आगे कार्य करने सफलता और असफलता समान है ।



(१) प्रकान्ते तु कर्मणि स्वस्यस्यापक्रामतो द्वादशपणो दण्डः । न च प्राकाम्यमपक्रमणे ।

(२) चोर त्वमयपूर्वं कर्मणः प्रत्यशेन ग्राहयेद्, दद्यात्प्रत्यशममयं च । न पुनस्स्तेये प्रवामनमन्यत्र गमने च । महापराधे तु दूध्यवदाचरेत् ।

(३) याजकाः स्वप्रचारद्रव्यवर्जं ययासम्मापित वेतनं समं विभजेरन् ।

(४) अग्निष्टोमादिषु च ऋतुषु दीक्षणादूर्ध्वं याजकः सप्तः पंचममशं लभेत । सोमवित्रयादूर्ध्वं चतुर्यमशम् । मध्यमोपसदः प्रवर्ग्योद्वासनादूर्ध्वं तृतीयमशम् । माध्यादूर्ध्वमर्धमशम् । सुत्ये प्रातस्सवनादूर्ध्वं पादोनमशम् । माध्यन्दिनात् सवनादूर्ध्वं समग्रमशं लभेत । नीता हि दक्षिणा भवन्ति । बृहस्पतिसवनवर्जं प्रति सवनं हि दक्षिणा दीयन्ते । तेनाहर्गणदक्षिणा व्याख्याताः ।

( १ ) कार्यं चानू रूते हुए यदि कोई स्वस्य व्यक्ति कार्यं को छोड़कर चला जाय तो उसे बारह पण दण्ड दिया जाय, क्योंकि इस प्रकार काम छोड़कर चले जाना किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होता ।

( २ ) यदि कोई साम्नीदार चोरी कर ले तो उसको क्षमाकर उससे सच-सच बात बतला देने एव उसका पूरा हिस्सा देन के लिए कहा जाय, और यदि वह सच-सच बतला दे तो उसको पूरा हिस्सा देकर माफ किया जाय । यदि वह फिर भी चोरी करे और यदि दूसरे देश में जाकर के चोरी करे तो उसे साम्नीदारों से अलग कर देना चाहिए, यदि वह कोई बड़ा अपराध करे तो उससे साथ राजकीय अपराधी जैसा व्यवहार किया जाय ।

( ३ ) याज्ञिकों का दंडवारा यज्ञ करने वाले नित्री उपयोग में आने वाली वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारे वेतन को पूर्वं निश्चय के अनुसार या बराबर-बराबर बांट लें ।

( ४ ) अग्निष्टोम आदि यज्ञों में दीक्षा के बाद ही यदि अक्स्मात् याज्ञक बीमार पड़ जाय तो उसे पूर्वं निश्चित सामग्री वेतन आदि का पाँचवाँ हिस्सा दिया जाय । यदि याज्ञक सोम वित्रय के बाद बीमार पड़े तो चौथा हिस्सा, मध्यमापसद सम्बन्धी प्रवर्ग्योद्वासन ( सोम तैयार करन सम्बन्धी क्रिया ) के बाद बीमार पड़े तो दूसरा हिस्सा, मध्यमोपसद के बाद बीमार पड़े तो आधा हिस्सा, साम के अभिषेक काल में प्राप्त सवन के बाद बीमार पड़े तो तीन हिस्से, और माध्यन्दिन सवन के बाद बीमार पड़े तो सम्पूर्ण दक्षिणा ले ले, क्योंकि यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा पूरी हो जाती है । बृहस्पति सवन को छोड़कर शेष सभी सवनों में दक्षिणा दी जाती है । इसी प्रकार अहर्गण आदि में दी जाने वाली दक्षिणायात्रा व सम्बन्ध में भी समझना चाहिये ।

(१) सन्नानामा दशाहोरात्राच्छेषभृताः कर्म कुर्युः । अन्ये वा स्व-  
प्रत्ययाः ।

(२) कर्मण्यसमाप्ते तु यजमानः सीदेत्, ऋत्विजः कर्म समाप्य  
दक्षिणां हरेयुः ।

(३) असमाप्ते तु कर्मणि याज्यं याजकं वा त्यजतः पूर्वंः साहसदण्डः ।

(४) अनाहिताग्निः शतगुरपज्वा च सहस्रगुः ।

सुरापो वृषलीभर्ता ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥

असत्प्रतिग्रहे युक्तः स्तेनः कुत्सितयाजकः ।

अदोषस्त्यक्तुमन्योन्यं कर्मसंकरनिश्चयात् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे कर्मकरविधि मन्भूयममुत्थान नाम चतुर्दशोऽ-  
ध्याय , आदित सप्ततितम ।

— ० —

( १ ) बीमार हुए याजको की जगह दक्षिणा लेकर कार्य करने वाले याजक दस दिन तक इस कार्य को पूरा करें अथवा दूसरे याजक अपनी स्वतंत्र दक्षिणा लेकर उस अधूरे कार्य को पूरा करें ।

( २ ) यज्ञ कार्य समाप्त होने से पहिले ही यदि यजमान बीमार पड जाय तो ऋत्विजो को चाहिए कि वे यज्ञ पूरा होने के बाद ही दक्षिणा लें ।

( ३ ) यज्ञ की समाप्ति के पूर्व ही यजमान यदि याजक को छोड दे अथवा याजक ही यजमान को छोड दें तो छोडने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) सौ गायों को रखते हुए भी अग्न्याधान न करने वाला, हजार गायो को रखते हुए भी यजन न करने वाला, शराधी, शूद्रा को घर मे रखने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, कुत्सित दान लेने वाला, चोरों तथा कुकर्मियो के यहाँ यज्ञ करने वाला, याजक अथवा यजमान, यज्ञकर्म की पवित्रता बनाये रखने के लिए, यज्ञ समाप्ति के पूर्व ही, एक दूसरे को छोड सकता है ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण मे कर्मकरविधि नामक

चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र दोषोपनिपाताविषह्येभ्यः ।

(२) पण्यदोषो दोषः । राजचोरान्गुदकबाध उपनिपातः । बहुगुणहीनमातङ्कत वाऽविषह्यम् ।

(३) वंदेहकानामेकरात्रमनुशयः । कर्पकाणां त्रिरात्रम् । गोरक्षकाणां पञ्चरात्रम् । व्यामिश्राणामुत्तमाना च वर्णानां वृत्तिविक्रये सप्तरात्रम् ।

(४) आतिपातिकाना पण्यानामन्यत्राविक्रयेमित्यविरोधेनानुशयो देयः । तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणो दण्डः, पण्यदशभागो वा ।

(५) क्रीत्वा पण्यमप्रतिगृह्यतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र दोषोपनिपाताविषह्येभ्यः । समानश्चानुशयो विक्रेतुरनुशयेन ।

### क्रय विश्रय का बयाना

( १ ) सौदा बेचने के बाद जो सौदागर देने से मुकर जाय उस पर बारह पण दण्ड किया जाय, सौदागर यदि किसी दोष, उपनिपात अथवा अविषह्य के कारण बेची हुई वस्तु को नहीं देता तो वह निर्दोष है ।

( २ ) बेची हुई वस्तु में किसी प्रकार की खराबी आ जाना दोष कहलाता है । बेची हुई वस्तु में राजा, चोर, अग्नि तथा जल आदि के द्वारा हुई बाधा उपनिपात है । बेची हुई वस्तु का अत्यधिक गुणहीन या दुसदाई होना अविषह्य कहलाता है ।

( ३ ) क्रय-विक्रय करने वाले ध्यापारियों द्वारा खरीदे गये माल का बयाना एक दिन तक लौटाया जा सकता है । इसी प्रकार किसानों का विक्रय तीन दिन तक, ग्वालो का विक्रय पाँच दिन तक और सद्दुर जाति तथा उत्तम वर्णों के जीवन निर्वाह के आधारभूत भूमि आदि का विक्रय सात दिन तक वापिस किया जा सकता है ।

( ४ ) अल्पायु ( आतिपातिक ) वस्तुओं का बयाना ( अनुशय ) इस शर्त पर दिया जाय कि वह उसको किसी दूसरे के हाथ न बेचेगा । इस नियम का उल्लङ्घन करने वाले को चौबीस पण या बिक्री हुई वस्तु का दसवाँ हिस्सा दण्ड किया जाय ।

( ५ ) किसी वस्तु को खरीद कर उसको लेने से यदि खरीददार मुकर जाय तो

(१) विदाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वर्णानां पाणिग्रहणासिद्धमुपावर्तनम् । शूद्राणां च प्रकर्मणः । वृत्तपाणिग्रहणयोरपि दोषमौपशायिकं दृष्ट्वा सिद्धमुपावर्तनम् । न त्वेवामिप्रजातयोः ।

(२) कन्यादोषमौपशायिकमनाख्याय प्रयच्छतः यष्णवतिदण्डः । शुल्कस्त्रीघनप्रतिदानं च ।

(३) वरयितुर्वा वरदोषमनाख्याय विन्दतो द्विगुणः । शुल्कस्त्रीघननाशश्च ।

(४) द्विपदचतुष्पदानां तु कुष्ठव्याधिताशुचीनामुत्साहस्वास्थ्यशुचीनामाख्याने द्वादशपणो दण्डः ।

(५) आ त्रिपक्षादिति चतुष्पदानामुपावर्तनम् । आ संवत्सरादिति मनुष्याणाम् । तावता हि कालेन शव्यं शौचाशौचे ज्ञातुमिति ।

उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि दोष, उपनिषात और अविपह्य आदि कारणों से ऐसा किया गया हो तो खरीददार निर्दोष है । खरीदने वाले के लिए भी बयाना देने का वही नियम है, जो बेचने वाले के लिए बताया गया है ।

( १ ) विवाह सम्बन्धी शर्तें . ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों में विवाह के बाद स्त्री पुरुष के किसी प्रकार का उलट-फेर नहीं हो सकता है । शूद्रों में प्रथम संयोग हो जाने पर स्त्री-पुरुष एक दूसरे को छोड़ सकते हैं । ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में विवाह के बाद सुहागरात के समय यदि पति-पत्नि को एक-दूसरे में कोई योनिलिङ्गज दोष जान पड़े तो सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है । सन्तान हो जाने पर किसी भी तरह सम्बन्ध-विच्छेद सम्भव नहीं है ।

( २ ) कन्या के किसी गुप्त दोष को छिपाकर उसका विवाह करने वाले व्यक्ति पर छियानवे पण दण्ड किया जाय और उसे जो शुल्क तथा स्त्री घन दिया है वह वापिस लिया जाय ।

( ३ ) इसी प्रकार जो वर के दोषों को छिपा कर विवाह करता है, उस पर दुगुना अर्थात् १९२ पण दण्ड किया जाय और उसको दिया हुआ शुल्क तथा स्त्री घन भी जन्त कर लिया जाय ।

( ४ ) पशुओं की विक्री कोठी, बीमार तथा व्यधिग्रस्त मनुष्यों और पशुओं को स्वल्प-सुदर बताने वाले व्यक्ति पर बारह पण जुर्माना किया जाय ।

( ५ ) चौपाये पशु डेढ़ मास तक और मनुष्य साल भर तक लौटाये जा सकते हैं क्योंकि इस अवधि में इनकी अच्छाई-बुराई का भली भाँति अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

( १ ) दाना प्रतिग्रहीना च स्याना नोपहनौ यथा ।  
दाने ऋये वानुशय तथा कुर्युः समासदः ॥

इति धर्मस्योप तृतीयोऽधिकरणे विक्रीतविक्रीतानुशयो नाम पचदशोऽध्यायः,  
अद्वित एकमतवित्तम ।

— • —

( १ ) धर्मस्य ( समासद ) भाषों को चाहिए कि वे लेन-देन और ब्रह्म विक्रय के अनुशय में ऐसी व्यवस्था करें कि किसी का कोई नुकसान न उठाना रहे ।

धर्मस्योप नामक तृतीय अधिकरण में विक्रीतविक्रीतानुशय नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

— • —

## दत्तस्यानपाकर्म, अस्वामिविक्रयः, स्वस्वामिसम्बन्धश्च

(१) दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यानम् ।

(२) दत्तमव्यवहार्यमेकत्रानुशये वर्तते । सर्वस्वं पुत्रदारमात्मानं प्रदा-  
यानुशयिन प्रयच्छेत् । धर्मदानमसाद्युषु, कर्मसु चौपघातिकेषु वा । अर्थ-  
दानमनुपकारिषु अपकारिषु वा । कामदानमनर्हेषु च । यथा च दाना  
प्रतिग्रहीता च नोपहतौ स्याता तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः ।

(३) दण्डभयादाक्रोशभयादनर्थभयाद्वा भयदानं प्रतिगृह्यतः स्नेयदण्डः ।  
प्रयच्छतश्च । रोषदानं परहितायाम् । राज्ञामुपरि दण्डदानं च । तत्रोत्तमो  
दण्डः ।

दान किये हुए धन को न देना, अस्वामि-विक्रय, स्व-स्वामि संबंध

( १ ) दान किये हुए धन को न देना, कजा न देन के समान ही समझना  
चाहिए ।

(१) प्रातिभाष्यं दण्डशुल्कशेषमादिकं सौरिकं कामदानं च नाकामः पुत्रो दायादो वा रिक्थहरो दद्यात् । इति दत्तस्यानपाकर्म ।

(२) अस्वामिविक्रयस्तु । नष्टापहृतभासाद्य स्वामी धर्मस्थेन ग्राहयेत्, देशकालातिपत्तौ वा स्वयं गृहीत्वोपहरेत् । धर्मस्यश्च स्वामिनमनुपुञ्जीत-कुतस्ते लब्धमिति । स चेदाचारक्रम दर्शयेत्, न विक्रेतार, तस्य द्रव्यस्या-तिसर्गेण मुच्येत । विक्रेता चेद्दृश्येत, मूल्यं स्तेयदण्डं च । स चेदपसारम-धिगच्छेदपसरेदापसारक्षयादिति । क्षये मूल्यं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।

(३) नाष्टिकं च स्वकरणं कृत्वा नष्टप्रत्याहृतं लभेत । स्वकरणामावे पञ्चबन्धो दण्डः । तच्च द्रव्यं राजधर्म्यं स्यात् ।

(४) नष्टापहृतमनिवेद्योत्कर्षतः स्वामिनः पूर्वं साहसदण्डः ।

( १ ) व्ययं का ऋण, दण्डशेष ( जुरमाना ), शुल्कशेष ( दहेज का धन ), जुए मे हारा धन, शराबखोरी मे लिया हुआ ऋण और बेपया को दिया जाने वाला धन आदि को, मृत पुष्ट्य का कोई भी वारिस यदि न देना चाहे तो कानूनन उसको वाध्य नहीं किया जा सकता है । यहाँ तक प्रतिज्ञात वस्तु को न दिए जाने के सबध में कहा गया ।

( २ ) अस्वामि-विक्रय किसी वस्तु का स्वामी न होते हुए भी जो व्यक्ति उस वस्तु को बेच दे उसका दण्ड विधान इस प्रकार है अपनी खोई हुई या चोरी गई वस्तु को उसका मालिक जिस व्यक्ति के पास देखे उसको धर्मस्थ के द्वारा गिरफ्तार करा दे । यदि देश या काल उसमे बाधक हो तो स्वय ही पकड़ कर उस व्यक्ति को धर्मस्थ के हवाले कर दे । धर्मस्थ उससे पूछे कि 'तुम्हें यह कहाँ मिली ?' यदि वह प्राप्त वस्तु के सबन्ध में पूरा विवरण बताकर बहे कि उसको वह वस्तु वहीं पढी हुई मिली है और उस वस्तु को उसके असली मालिक को लौटा दे, तो उसे बरी कर दिया जाय । यदि वह उस वस्तु के बेचने वाले व्यक्ति का नाम बताये, तो उस विज्ञेता से उस वस्तु का मूल्य खरीदने वाले को दिलाया जाय और वह वस्तु उसके असली मालिक को सौंप दी जाय और बेचने वाले को चोरी का दण्ड दिया जाय । यदि वह भी किसी दूसरे विक्रेता का नाम ले, वह भी किसी दूसरे को बताये, इस प्रकार जो भी उसका पहला विज्ञेता सिद्ध हो वही उस वस्तु का मूल्य और चोरी का जुरमाना अदा करे ।

( ३ ) खोई हुई वस्तु को उसका मालिक प्रमाणरूप में लेख तथा साक्षी दिखा-कर ही प्राप्त कर सकता है । यदि वह पुष्ट्य उस वस्तु को अपनी सिद्ध न कर सके तो उसके मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा जुरमाना भरे और वह वस्तु धर्मानुमार राजा के अधिकार में दे दी जाय ।

( ४ ) अपनी खोई हुई वस्तु को किसी के पास देखकर बिना धर्मस्थ को सूचित

(१) शुल्कस्थाने नष्टापहतोत्पन्नं तिष्ठेत् । त्रिपक्षादूर्ध्वमनमिसारं राजा हरेत्, स्वामी वा स्वकरणेन ।

(२) पञ्चपणिकं द्विपदरूपस्य निष्क्यं दद्यात्; चतुष्पणिकमेकखुरस्य; द्विपणिकं गोमहिषस्य; पादिकं क्षुद्रपशूनाम् । रत्नसारफलगुकुप्यानां पञ्चकं शतं दद्यात् ।

(३) परचक्राटवीहृतं तु प्रत्यानीय राजा यथास्वं प्रयच्छेत् । चोर-हृतमविद्यमानं स्वद्रव्येभ्यः प्रयच्छेत्, प्रत्यानेतुमशक्तो वा । स्वयंप्राहेणाहृतं प्रत्यानीय तन्निष्क्यं वा प्रयच्छेत् ।

(४) परविषयाद्वा विक्रमेणानीतं यथाप्रदिष्टं राजा भुञ्जीतान्यत्रार्य-प्राणद्रव्येभ्यो देवग्राह्यणतपस्विद्रव्येभ्यश्च । इत्यस्वामिविक्रयः ।

किये ही, यदि उसका मालिक स्वय ही छीनने लगे तो उमको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

( १ ) किसी का खोया हुआ या चोरी गया माल मिल जाय तो वह चुगीघर में जमा कर दिया जाय । डेढ़ महीने तक यदि उसका मालिक उमको न ले तो उसको सरकारी माल में जमाकर दिया जाय, अथवा साक्षी आदि के द्वारा मालिक अपना स्वत्व सिद्ध करके उस माल को ले ले ।

( २ ) नष्ट या अपहृत दास-दासी को छुड़ाने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पाँच पण, छुड़ाने वाला, जमा करे । इमी प्रकार घोड़े, गधे आदि को छुड़ाने के लिए चार पण, गाय, भैंस आदि को छुड़ाने के लिए दो पण, छोटे-छोटे पशुओं को छुड़ाने के लिए ३ पण, रत्न आदि बहुमूल्य, टिकाऊ वस्तुओं, रसहीन ( फलुगु ) वस्तुओं और लौहा आदि धातुओं को छुड़ाने के लिए पाँच पण सरकारी टैक्स ( निष्क्य ) छुड़ाने वाला जमा करे ।

( ३ ) दूसरे राजा के द्वारा या जगलियों द्वारा अपहरण किये हुए दास, दानी या चौपाया आदि को राजा स्वय लाकर उनके स्वामियों को दे । चोरों द्वारा चुराई गई वस्तु यदि नष्ट हो जाय या राजा भी उसको लौटा कर न ला सके तो, राजा को चाहिए कि अपने द्रव्यों में से उम वस्तु को उसके स्वामी को दे । चोरों को पकड़ने के लिए नियुक्त हुए राजपुष्पों द्वारा लायी गयी वस्तु उसके मालिक को दे दी जाय, यदि ऐसा संभव न हो तो उस खोई हुई वस्तु का मूल्य उसके स्वामी को दे दिया जाय ।

( ४ ) दूसरे देश से जीत कर लाए हुए धन का उपभोग, राजा की आज्ञा प्राप्त कर किया जाय, किन्तु वह धन यदि भार्यों, देवताओं, ब्राह्मणों और तपस्वियों का हो तो उमका उपभोग न कर, प्रत्युत उसको लौटा दिया जाय । यहाँ तक अस्वामि-विक्रय के सम्बन्ध में कहा गया ।



(१) स्वस्वामिसम्बन्धस्तु भोगानुवृत्तिश्छिन्नदेशाना यथास्वं  
द्रव्याणाम् ।

(२) यत्स्व द्रव्यमन्यंभुज्यमानं दशवर्षाण्युपेक्षेत, हीयेतास्य । अन्यत्र  
बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रोपितदेशत्यागराज्यविभ्रमेभ्यः ।

(३) विशतिवर्षोपेक्षितमनुवसितं वास्तु नानुपुञ्जीत ।

(४) ज्ञातयः श्रोत्रियाः पापण्डा वा राज्ञामसन्निधौ परवास्तुषु विव-  
सन्तो न भोगेन हरेयुः; उपनिधिर्माधिर्निधिर्निक्षेपं स्त्रियं सीमान राजश्रो-  
त्रियद्रव्याणि च ।

(५) आश्रमिणः पापण्डा वा महत्यवकाशे परस्परमबाधमाना वसेयुः ।  
अल्पा बाधा सहेरन् । पूर्वागतो वा वासपर्याय दद्यात् । अप्रदाता निरस्येत ।

(६) वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणामाचार्यशिष्यधर्मभ्रातसमानतीर्थारि-  
व्यभाजः क्रमेण ।

( १ ) स्वस्वामि-सम्बन्ध : जिस संपत्ति को कोई व्यक्ति लगातार भोगता  
आ रहा हो । उसके सबध में कोई साक्षी न मिलने पर भी, उस संपत्ति पर भोग करने  
वाले का ही अधिकार माना जाय ।

( २ ) जो व्यक्ति, दस वर्ष तक दूसरे के उपभोग में लायी गयी, अपनी संपत्ति  
की खोज खबर नहीं करता, उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह  
जाता है । किन्तु वह संपत्ति यदि ऐसे व्यक्तियों की हो, जो बाल, बूढ़े, बीमार,  
आपद्ग्रस्त, परदेश गये, देश त्यागी और राजकीय कार्य के लिए बाहर गये हो, तो  
दस वर्ष बाद भी अपनी संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहता है ।

( ३ ) यदि कोई किरायादार मालिक मकान की रजामदों से बीस वर्ष तक  
उसके मकान पर रहे तो उस मकान पर किरायेदार का अधिकार हो जाता है ।

( ४ ) बहु-बाधक, श्रोत्रिय और पाण्डु आदि व्यक्ति राजा से दूर दूसरे के  
मकानों में रहते हुए भी उनके मालिक नहीं सकते हैं । इसी प्रकार उपनिधि, आधि,  
निधि, निक्षेप, स्त्री, सीमा, राजा और श्रोत्रिय की वस्तुओं पर कोई भी व्यक्ति अधि-  
कार नहीं कर सकता है ।

( ५ ) आश्रमवासी और पाण्डु ( अर्द्धिक एव व्रत-उपवास करने वाले ) एक-  
दूसरे को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाते हुए निवास करें । यदि एक दूसरे को वे  
घोड़ी सी हानि पहुँचायें तो सहन कर लें । पहिले से रहने वाला व्यक्ति, बाद में आये  
व्यक्ति को स्थान दे दे, यदि स्थान न दे उसे बाहर कर दिया जाय ।

( ६ ) वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारियों की संपत्ति के उत्तराधिकारी क्रमशः  
उनके आचार्य, शिष्य और धर्म भाई या सहपाठी होते हैं ।

(१) विवादपदेषु चंपां यावन्तः पणा दण्डाः तावती रात्रीः क्षपणा-  
भियेकाग्निकायंमहाकृच्छ्रवर्धनानि राजश्वरेषुः । अहिरण्यमुवर्णाः पायण्डाः  
साधवः । ते यथास्वमुपवासव्रतैराराधयेयुः । अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाहससंग्रह-  
णेभ्यः । तेषु यथोक्ता दण्डाः कार्याः ।

(२) प्रव्रज्यासु वृथाचारान् राजा दण्डेन वारयेत् ।  
धर्मो ह्यधर्मोपहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दत्तस्यानपाकर्म-अस्वामिविक्रय-स्वस्वामिसम्बन्धो  
नाम षोडशोऽध्यायः, आदितो द्विसप्ततितमः ।

— ० —

( १ ) इन लोगों में परस्पर झगडा हो जाने के कारण अपराधी को जितना  
पण दण्ड किया जाय, उतनी ही रात्रि वह राजा के कल्याण के लिए उपवास, स्नान,  
अग्निहोत्र और कठिन चाद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करे । हिरण्य-मुवर्ण आदि रखने  
वाले धर्मशील पाखंडी भी दण्डित होने पर राजा की कल्याण-कामना के लिए यथोचित  
व्रत-आदि करें । यदि वे मार-पीट, चोरी, डाका और व्यभिचार करें तो उन्हें सहज  
ही में न छोडा जाय बल्कि अपराध के अनुसार उनको पूर्वोक्त सभी प्रकार के दण्ड  
दिये जायें ।

( २ ) सन्यासियों के बीच होने वाले मिथ्या आचार-विचारों को राजा दण्ड के  
द्वारा ही दूर करे क्योंकि अधर्म से दबाया और उपेक्षा किया हुआ धर्म शासन करने  
वाले राजा को नष्ट कर देता है ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दानविक्रय सम्बन्ध नामक  
सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) साहसमन्वयवत्प्रसन्नकर्म । निरन्वये स्तेयमपव्ययने च ।

(२) रत्नसारफलगुक्प्यानां साहसे मूल्यसमो दण्डः, इति मानवाः ।  
मूल्यद्विगुण इत्यौशनसाः । यथापराध इति कौटिल्यः ।

(३) पुष्पफलशाकमूलकन्दपत्रवाप्लचर्मवेणुमृद्भाण्डादीनां क्षूद्रकद्रव्याणां  
द्वादशपणावरश्चतुर्विंशतिपणपरो दण्डः ।

(४) कालायसकाष्ठरज्जुद्रव्यक्षुद्रपशुपटादीनां स्थूलकद्रव्याणां चतु-  
र्विंशतिपणावरोऽष्टचत्वारिंशत्पणपरो दण्डः । ताम्रवृत्तकंसकाचदन्त-  
भाण्डादीनां स्थूलकद्रव्याणामष्टचत्वारिंशत्पणावरः पण्णवतिपरः पूर्वः  
साहसदण्डः । महापशुमनुष्यक्षेत्रगृहहिरण्यसुवर्णसूक्ष्मवस्त्रादीनां स्थूलक-  
द्रव्याणां द्विशतावरः पंचशतपरः मध्यमः साहसदण्डः ।

### साहस

( १ ) खुले आम बलात्कार करना, डाके डालना तथा मारघाब करना साहस कहलाता है । छिपकर किसी वस्तु का अपहरण करना या किसी वस्तु को लेकर देने से मुकर जाना चोरी कहलाता है ।

( २ ) मनु के मतानुयायी विद्वानों का कथन है कि 'रत्न, बहुमूल्य टिकाऊ वस्तुओं, रसहीन वस्तुओं तथा ताँबा आदि धातुओं पर डाका डालने वाले व्यक्ति को, उनकी कीमत के बराबर दण्ड दिया जाय' । औशनस संप्रदाय के विद्वानों की राय है कि मूल्य के बराबर नहीं 'मूल्य से दुगुना दण्ड दिया जाय ।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि उन्हें 'अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाय ।'

( ३ ) फूल, फल, शाक, मूल, कद्दू, पका अन्न, चमड़ा, बाँस और मिट्टी के बर्तन आदि छोटी-छोटी वस्तुओं का अपहरण करने वाले पर बारह पण से लेकर चौबीस पण तक का दंड किया जाय ।

( ४ ) इसी प्रकार लोहा, लकड़ी, रस्सी, छोटे पशु और वस्त्र आदि वस्तुओं के अपहरण में चौबीस से अठतालीस पण तक का दण्ड किया जाय । ताँबा, पीतल, काँसा, काँच और हाथीदाँत आदि की बनी हुई वस्तुओं पर डाका डालने वाले पर

(१) स्त्रियं पुरुषं वाभिपह्य बध्नतो बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतः पंच-शतावरः सहस्रपर उत्तमः साहसदण्ड इत्याचार्याः ।

(२) यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुण दद्यात् । यावद्विरण्य-मुपयोक्षयते तावद्दास्यामीति स चतुर्गुणं दद्यात् । य एतावद्विरण्यं दास्यामीति प्रमाणमुद्दिश्य कारयति स यथोक्तं हिरण्य दण्डं च दद्याद् इति बार्हस्पत्याः ।

(३) स चेत्कोपं भवं मोहं वापदिशेद्यत्, यथोक्तवदण्डमेनं कुर्यात्, इति कौटिल्यः ।

(४) दण्डकर्मसु सर्वेषु रूपमष्टपणं शतम् ।  
शतावरेषु ध्याजीं च विद्यात्पञ्चपणं शतम् ॥

बढतालीस से छियानवे पण तक का जुमाना किया जाय, इसी को प्रथम साहस दण्ड कहते हैं । बडे पशु, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सोना और बडी कीमत के बस्त्र आदि द्रव्यो पर डाका डालने वाले को दो सौ पण से पाँच सौ पण तक का दंड दिया जाय, इसी का नाम मध्यम साहस दण्ड है ।

( १ ) स्त्री पुरुष को जबदंस्ती बाँधने, बंधवाने वाले और राजाशा से बंधे हुए स्त्री पुरुष को अनधिकार जबदंस्ती छोड़ने या छुडवाने वाले व्यक्ति को पाँच-सौ पण लेकर हजार पण तक का दंड दिया जाय, प्राचीन आचार्यों के मतानुसार यही उत्तम साहस दण्ड कहलाता है ।

( २ ) जो व्यक्ति जान-बूझ कर या सूचना देकर डाका ( साहस ) डालता है, उसे दुगुना दंड दिया जाय । जो व्यक्ति किसी को डाका डालने के लिए यह कह कर प्रेरित करे कि 'तुम्हारे छुडाने पर जितना खर्च होगा, उतना मैं लाऊँगा' उसे चौगुना दंड दिया जाय । जो व्यक्ति 'तुम्हें इतना सुवर्ण दूँगा' इस प्रकार धन की तादाद का प्रलोभन देकर डाका डलवाये, उससे उतना ही सुवर्ण बसूल किया जाय और इसके अतिरिक्त उसे यथोचित दंड दिया जाय, आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों का ऐसा निर्देश है ।

( ३ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'इस प्रकार साहस कार्य कराने वाले व्यक्ति को यदि वह इसका कारण क्रोध, उन्माद या अज्ञानता बताये तो वही दंड दिया जाय, जो साहस आदि कर्म करने वालो के लिए बताया गया है ।'

( ४ ) सब दंडों में प्रति सैंकडा आठ पणरूप ( सरकारी टैक्स ) और दंड की रकम सौ से कम होने पर प्रति सैंकडा पाँच पण व्याजी ( सरकारी टैक्स ) समझना चाहिए ।

( १ ) प्रजाना दोषबाहुल्याद्वाजा वा भावदोषतः ।  
रूपव्याजावधर्मिष्ठे धर्म्या तु प्रकृतिः स्मृता ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे साहस नाम सप्तदशोऽध्यायः ,  
अदितञ्जितुसप्ततितमः ।

— ० —

( १ ) प्रजा के दोषो अपराधो की अधिकता होने पर या राजा के मन में बेई-  
मानी की नियत आ जाने से रूप तथा व्याजो नामक सरकारी टैक्स धर्मानुकूल नहीं  
माने जाते हैं । इसलिए शास्त्रो में विधान किये गए दंड ही धर्मानुकूल माने गये हैं ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में साहस नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) वाक्पारुष्यमुपवादः कुत्सनमभिभर्त्सनमिति ।

(२) शरीरप्रकृतिधृतवृत्तिजनपदानां शरीरोपवादेन काणखञ्जादिभिः सत्ये त्रिपणो दण्डः । मिथ्योपवादे षट्पणो दण्डः ।

(३) शोभनाक्षिदन्त इति काणखजादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादशपणो दण्डः ।

(४) कुष्ठोन्मादक्लेशादिभिः कुत्साया च सत्यमिथ्यास्तुतिनिन्दासु द्वादशपणोत्तरा दण्डास्तुत्येषु । विशिष्टेषु द्विगुणः । हीनेष्वर्धदण्डः । परस्त्रीषु द्विगुणः । प्रमादमदमोहादिभिरर्धदण्डाः ।

#### वाक्पारुष्य

( १ ) गाली-गलीज, निन्दा और धमकाना आदि वाक्पारुष्य नामक अपराध के अन्तर्गत हैं । वाक्पारुष्य के पाँच भेद हैं १ शरीर, २ प्रकृति, ३ धृत, ४ वृत्ति और ५ देश ।

( २ ) शरीर : इनमें शरीर को लक्ष्य करके यदि कोई व्यक्ति काण, गजे, सगडे, लूले को काणा, गजा, सगडा, लूला कहकर पुकारे तो उस पर तीन पण दण्ड किया जाय । यदि झूठी निन्दा करे तो छह पण दण्ड किया जाय ।

( ३ ) यदि कोई व्यक्ति किसी काण, सगडे आदि की व्याजस्तुति के भाव से यह कहे कि 'वाह तुम्हारी आँखें आदि कितनी सुन्दर हैं' तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय ।

( ४ ) किसी व्यक्ति की कोठी, पागल या नपुंसक आदि कहकर निन्दा करने वाले पर भी बारह पण दण्ड किया जाय । यदि कोई व्यक्ति अपने बराबर वाली की सच्ची, झूठी तथा व्याजस्तुति से निन्दा करे तो उस पर क्रमशः बारह, चौबीस और छत्तीस पण दण्ड किया जाय । यदि अपने से बड़ों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो उस पर दुगुना दण्ड किया जाय । अपने से छोटों के साथ ऐसा करने पर आधा दण्ड किया जाय । दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसा करने वाले पर भी दुगुना दण्ड किया जाय । यदि ऐसी निन्दा पागलपन, मद या किसी मोह के कारण की गई हो तो उस पर भी आधा दण्ड किया जाय ।

(१) कुष्ठोन्मादयोश्चिकित्सकाः । संनिवृष्टाः पुमास्तश्च प्रमाणम् । प्लीयमावे स्थियः मूत्रफेनं क्षुप्सु विष्ठानिमज्जनं च ।

(२) प्रकृत्युपवादे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्य त्रिपणोत्तरा दण्डाः । पूर्वणापरस्य द्विपणाधराः । कुम्भाह्मणादिभिश्च कुत्सायाम् ।

(३) तेन श्रुतोपवादो धाज्जीवनानां, कारकुशीलवानां वृत्त्युपवादः, प्राग्घृणकगान्धारादीनां च जनपदोपवादा व्याख्याताः ।

(४) यः परम् 'एवं त्वां करिष्यामि' इति करणेनामिमत्संयेवकरणे, यस्तस्य करणे दण्डस्ततोऽर्धदण्डं दद्यात् ।

(५) अशक्तः कोपं मवं मोहं चाऽपदिशेत् द्वादशपणं दद्यात् ।

(६) जातवराशयः शक्तश्चापकर्तुं यावज्जीविकावस्यं दद्यात् ।

( १ ) किसी को कौट्टी पागल सिद्ध करने के लिए उनके चिकित्सक या साथ रहने वाले ही प्रमाण माने जाय । पेशाब में झाग न उठना और पानी में बिठ्ठा का डूब जाना नपुंसक स्त्री का प्रमाण समझना चाहिए ।

( २ ) प्रकृति : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज जातियों ( प्रकृतियों ) में यदि पूर्व-पूर्व के एक दूसरे की निन्दा करें तो अन्त्यज को तीन पण, छह पण, भी पण और बारह पण दंड दिया जाय । इसी प्रकार ब्राह्मण निन्दा करे तो दो पण, चार पण, छह पण और आठ पण उसको दंड दिया जाय । इसी प्रकार कुम्भाह्मण, महाब्राह्मण आदि निन्दित वाक्य कहने वाले को भी यही दंड दिया जाय ।

( ३ ) श्रुति : पढ़ाई, विद्वत्ता, योग्यता आदि विषयों को लेकर वाग्जीवी, व्यक्ति यदि एक दूसरे को निन्दा करें तो उन्हें भी यही दंड दिया जाय ।

वृत्ति . गिल्ली, कुशीसव ( नट, नर्तक, गायक ) आदि यदि एक दूसरे की जाजीविका की निन्दा करें तो उन्हें भी यही दंड दिया जाय ।

देश : भिन्न-भिन्न देशों के रहने वाले यदि एक दूसरे के देश की निन्दा करें तो उन्हें भी उक्त दंड दिया जाय ।

( ४ ) यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहकर कि 'मैं तुम्हें पीटूंगा या तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करूंगा' धमकाये, पर मारे-पीटे नहीं तो उसे पूर्वोक्त दंड से आधा दंड दिया जाय; किन्तु जो धमकाने के साथ-साथ मारे-पीटे भी उसको आगे 'दण्डपाठ्य' प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार दंड दिया जाय ।

( ५ ) यदि कोई निर्वैत व्यक्ति, किसी को डराये धमकाये, ब्रोध, उन्माद या पागलपन प्रकट करे तो उसपर बाहर पण दंड किया जाय ।

( ६ ) यदि यह बात साबित हो जाय कि किसी ने शत्रुतावश किसी दूसरे

(१) स्वदेशप्रामयोः पूर्वं मध्यमं जातिसंघयोः ।  
आक्रोशाद्देवर्चत्यानामुत्तमं दण्डमर्हति ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे वाक्पाठ्य नाम अष्टादशोऽध्याय ,  
आदितश्चतुस्सप्ततितम ।

— ० —

व्यक्ति के हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी है और वह ऐसा करने में समर्थ भी है, तो उसे उसकी आमदनी तथा हैमियत के अनुसार यथोचित दंड दिया जाय ।

( १ ) यदि कोई व्यक्ति अपने देश या गाँव की निन्दा करे तो उसे प्रथम साहस दंड, अपनी जाति तथा समाज की निन्दा कर तो उसे मध्यम साहस दंड और देवालयों की निन्दा करे तो उसे उत्तम साहस दंड दिया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में वाक्पाठ्य नामक  
अठारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —



- (१) दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवगूणं प्रहतमिति ।  
 (२) नाभेरघःकायं हस्तपङ्कमस्मपामुभिरिति स्पृशतस्त्रिपणो दण्डः ।  
 (३) तंरेवामेघ्यं पादण्ठीविकाभ्यां च पट्पणः । छदिसूत्रपुरीषादि-  
 मिर्द्वादशपणः नामेरुपरि द्विगुणाः । शिरसि चतुर्गुणाः समे७५ ।  
 (४) विशिष्टेषु द्विगुणाः । हीनेषु अर्धदण्डाः । परस्त्रीषु द्विगुणाः ।  
 प्रमादमदमोहादिभिरर्धदण्डाः ।  
 (५) पादवस्त्रहस्तकेशाथलम्बनेषु पट्पणोत्तरा दण्डाः ।  
 (६) पीडनावेष्टनाञ्जनप्रकर्षणाध्यासनेषु पूर्वः साहसदण्डः । पात-  
 यित्वाऽपक्रमतोऽर्धदण्डः ।

दण्डपारुष्य

- ( १ ) किसी को छूना, पीटना या हाथ उठाना और चोट पहुँचाना दण्डपारुष्य है ।  
 ( २ ) नाभि से नीचे के हिस्से पर हाथ, कीचड़, राख और धूल डालने वाले व्यक्ति को तीन पण दण्ड दिया जाय ।  
 ( ३ ) यदि किसी को अपवित्र हाथ से छू दिया जाय, पैर से छू दिया जाय तो उस पर छह पण का दण्ड करना चाहिए । यही हरकतें यदि नाभि के ऊपर के हिस्से से की जाय तो उसे दुगुना दण्ड दिया जाय । यदि शिर पर की जाय तो चौगुना दण्ड दिया जाय ।  
 ( ४ ) यदि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय तो उसे दुगुना दण्ड दिया जाय । अपने से छोटे के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाय तो आधा दण्ड दिया जाय । दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसी हरकतें करने पर भी दुगुना दण्ड दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति प्रमाद, उन्माद या अज्ञानतावश ऐसा करे तो उसे आधा दण्ड दिया जाय ।  
 ( ५ ) पैर, वस्त्र, हाथ और बालों को पकड़ने वाले व्यक्ति पर क्रमशः छह, बारह, अठारह और चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।  
 ( ६ ) किसी को पकड़ने पर, बाँधने पर, कानिष्ठ पोतने पर, घसीटने पर और नीचे पटक उसके ऊपर चढ़ बैठने पर प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । किसी को जमीन पर पटक कर भाग जाने वाले को प्रथम साहस का आधा दण्ड दिया जाय ।

(१) शूद्रो येनाङ्गेन ब्राह्मणमभिहन्यात् तदस्य छेदयेत् । अवगूर्णो निष्क्रयः स्पर्शोऽर्धदण्डः । तेन चण्डालाशुचयो व्याख्याताः ।

(२) हस्तेनावगूर्णो त्रिपणावरो द्वादशपणपरो दण्डः । पादेन द्विगुणः । दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूर्वः साहसदण्डः । प्राणावधिकेन मध्यमः ।

(३) काष्ठलोष्टपापाणलोहदण्डरज्जुद्रव्याणामन्यतमेन दुःखमशोणित-मुत्पादयतश्चतुर्विंशतिपणो दण्डः । शोणितोत्पादने द्विगुणः । अन्यत्र दुष्ट-शोणितात् ।

(४) मृतकल्पमशोणित घ्नतो हस्तपादपारश्विकं वा कुर्वतः पूर्वः साहसदण्डः । पाणिपाददन्तमङ्गे कर्णनासाच्छेदने व्रणविदारणे च अन्यत्र दुष्टव्रणेभ्यः ।

(५) सक्थिग्रीवाभञ्जने नेत्रभेदने वा वाक्यचेष्टाभोजनोपरोधेषु च मध्यमः साहसदण्डः । समुत्थानव्ययश्च । विपत्तौ कण्टकशोधनाय नीयेत् ।

( १ ) शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर प्रहार करे उसका वह अंग काट देना चाहिए । शूद्र यदि ब्राह्मण का हाथ या पैर भटक दे तो उस पर यथोचित दंड किया जाय और केवल छू दे तो उक्त दंड का आधा दंड किया जाय । इसी प्रकार चाण्डाल आदि नीच जातियों के सम्बन्ध में दंड-व्यवस्था समझनी चाहिए ।

( २ ) हाथ से ढकेलने या भटकने पर तीन पण से बारह पण तक का दंड होना चाहिए । पैर से प्रहार करने पर दुगुना दंड दिया जाय । काँटा, सूई आलपीन आदि चुभा देने पर प्रथम साहस दंड और प्राणघातक वस्तु द्वारा चोट पहुँचाने पर मध्यम साहस दंड दिया जाय ।

( ३ ) लकड़ी, डेला, पत्थर, लोहे की छड़ तथा रस्ती आदि किसी एक वस्तु से मारने पर यदि खून न निकले तो चौबीस पण और खून निकले तो अठतालीस पण दंड दिया जाय । यदि वह खून कोढ़, फोड़ा, फुसी आदि के कारण निकला हो तो दुगुना दंड न दिया जाय ।

( ४ ) यदि बिना खून निकाले ही मारते-मारते किसी को अघमरा कर दिया जाय या उसके हाथ पैरों के जोड़ तोड़ दिये जाय तो मारने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । हाथ, पैर तथा दाँत तोड़ देने पर कान तथा नाक काट देने पर और घावों को फाड़ देने पर भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । किन्तु वे घाव यदि फोड़े, फुसी आदि के कारण न हुए हों, उसी दशा में प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ५ ) गोड़ या गर्दन तोड़ने पर आँख फोड़ने पर, जीभ, हाथ, पैर और मुँह आदि को काट देने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाय और अपराधों को चाहिए कि तब तक वह उस अपग ध्यक्ति की दवा-दारु, खाने-पीने तथा आवश्यक ध्यय का

- (१) महाजनस्यैकं घनतः प्रत्येकं द्विगुणो दण्डः ।  
 (२) पर्युषितः कलहोऽनुप्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचार्याः । नास्त्यप-  
 कारिणो मोक्ष इति कौटल्यः ।  
 (३) कलहे पूर्वागतो जयति, अक्षममाणो हि प्रधावति । इत्याचार्याः ।  
 (४) नेति कौटल्यः । पूर्वं पश्चाद्वागतस्य साक्षिणः प्रमाणम् । असाक्षिके  
 घातः कलहोपलिङ्गन वा ।  
 (५) घाताभियोगमप्रतिब्रुवत, तदहरेव पश्चात्कारः ।  
 (६) कलहे द्रव्यमपहरतो दशपणो दण्डः ।  
 (७) क्षुद्रकद्रव्याहिसाया तच्च तावच्च दण्डः ।

इन्तजाम कर जब तक वह पूर्ण स्वस्थ न हो जाय । यदि अपराधी को इस प्रकार का दंड देने में देश-काल बाधक सिद्ध हो तो उसे कटक शोधन अधिकरण में बताये गए नियमों के अनुसार दंड दिया जाय ।

( १ ) यदि बहुत-से आदमी मिलकर एक आदमी को मारें तो उनमें से प्रत्येक आदमी को उससे दुगुना दंड दिया जाय, जितना दंड एक आदमी द्वारा मारने पर दिया जाता है ।

( २ ) पुरातन आचार्यों का कहना है कि 'बहुत पुराने भगडे तथा चोरियों पर मुकदमा दायर न किया जाय ।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि 'अपकारी व्यक्ति को कभी भी न छोड़ा जाय ।'

( ३ ) पुरातन आचार्यों का अभिमत है कि 'फौजदारी के मामले में जो व्यक्ति पहिले अदालत में दरखास्त दे, उसी की जीत समझी जाय क्योंकि दूसरे से सताने जाने के कारण, दुख को बरदास्त न करके ही वह पहिले अदालत की शरण में आता है ।'

( ४ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'यह उचित नहीं है, अदालत में कोई आगे आये या पीछे, साक्षियों के कथनानुसार ही मुकदमे का फैसला दिया जाय । यह साक्षी न हो तो चोट आदि से और चोट भी यदि भीतरी हो तो अन्य लक्षणों से भगडे की असलियत जानकर फैसला करना चाहिये ।'

( ५ ) फौजदारी के मामलों में यदि प्रतिवादी उसी दिन जवाब न दे तो उसकी हार समझी जाय ।

( ६ ) दो आदमियों को भगडे में फँसा हुआ जानकर उनकी वस्तुओं को यदि कोई तीसरा ही व्यक्ति उड़ाकर ले जाय तो उसे दस पण दंड दिया जाय ।

( ७ ) यदि भगडे में कोई किसी की छोटी-छोटी वस्तुओं को नष्ट कर दे तो वह उसका मूल्य मालिक को दे और उतना ही दंड राजकोष में जमा करे ।

- (१) स्थूलकद्रव्याहिसायां तच्च द्विगुणश्च दण्डः । ( )  
 (२) वस्त्राभरणहिरण्यसुवर्णभाण्डाहिसाया तच्च पूर्वश्च साहसदण्डः ।  
 (३) परकुडचमभिघातेन क्षोभयतस्त्रिपणो दण्डः । छेदनभेदने पट्-  
 पणः । पातनमञ्जने द्वादशपणः प्रतीकारश्च ।  
 (४) दुःखोत्पादनं द्रव्यमन्यवेशमनि प्रक्षिपतो द्वादशपणो दण्डः ।  
 प्राणाबाधिकं पूर्वः साहसदण्डः ।  
 (५) क्षुद्रपशूना काष्ठादिभिर्दुःखोत्पादने षणो द्विपणो वा दण्डः ।  
 शोणितोत्पादने द्विगुणः ।  
 (६) महापशूनामेतेष्वेव स्थानेषु द्विगुणो दण्डः, समुत्थानव्ययश्च ।  
 (७) पुरोपवनवनस्पतीना पुष्पफलच्छायावता प्ररोहच्छेदने पट्पणः ।  
 क्षुद्रशाखाच्छेदने द्वादशपणः । पीनशाखाच्छेदने चतुर्विंशतिपणः । स्कन्धवधे  
 पूर्वः साहसदण्डः । समुच्छिन्नो मध्यमः ।  
 (८) पुष्पफलच्छायावद्गुल्मलतास्वर्धदण्डः । पुण्यस्थानतपोवनशमशान-  
 द्रुमेषु च ।

( १ ) यदि इसी प्रकार भगड़े में बड़ी बड़ी वस्तुएँ नष्ट हो जायें तो उनकी कीमत मालिक को और मूल्य का दुगुना दंड सरकार को दिया जाय ।

( २ ) यदि कोई वस्त्रो आभूषणो और हिरण्य तथा सुवर्ण के बने बर्तनो को नष्ट करे तो वह मालिक को उनकी पूरी कीमत चुकाये और सरकार की ओर से उसे प्रथम साहस दंड दिया जाय ।

( ३ ) दूसरे की दीवार को धक्का देकर या चोट मारकर हिलाने वाले व्यक्ति को तीन पण दंड दिया जाय, दीवार को तोड़ने-फोड़ने पर छह पण तथा गिराने पर बारह पण दंड और नुकसान का मुआवजा लिया जाय ।

( ४ ) यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में कोई घातक वस्तु फेंके तो उसे बारह पण दंड दिया जाय, यदि प्राण घातक वस्तु फेंके तो प्रथम साहस दंड दिया जाय ।

( ५ ) छोटे छोटे जानवरों को लकड़ी, बाँस आदि से मारने पर एक या दो पण दंड दिया जाय । यदि मारने पर जानवर के खून निकल जाय तो दुगुना दंड किया जाय ।

( ६ ) गाय, भैंस आदि बड़े पशुओं की इसी प्रकार की चोट पहुँचाने पर दुगुना दंड किया जाय और अपराधी से दवा दारू के लिए भी खर्च लिया जाय ।

( ७ ) नगर के बाग-बगीचों में लगे हुए फल फूल तथा छायादार पेड़ों के पत्तों आदि तोड़ने पर छह पण, छोटी छोटी शाखाओं की टहनियाँ तोड़ने पर बारह पण, मोटी मोटी शाखाओं को काटने पर चौबीस पण, तने के उपरी स्कन्ध को काटने पर प्रथम साहस दंड, और पेड़ को जड़ से काटने पर मध्यम साहस दंड दिया जाय ।

( ८ ) फली फूली छायादार झाड़ियों तथा सताओं को काटने पर ऊपर कहे गए २२ कौ०

( १ ) सीमवृक्षेषु चंत्येषु द्रुमेष्वालक्षितेषु च ।  
त एव द्विगुणा दण्डा कार्या राजवनेषु च ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दण्डपाठ्य्य नाम एकोनविंशोऽध्यायः,  
आदित पञ्चसप्ततितमः ।

— • —

दण्ड का आघात दण्ड दिया जाय । तीपंस्यानों, तपोवनों और श्मशानों के वृक्षों को काटने वाले पर भी आघात दण्ड किया जाय ।

( १ ) सीमा के पेड़ मन्दिरों के पेड़ों, राजा की ओर से मुहर लगे पेड़ों और सरकारी जंगलों के पेड़ों को काटने पर दुगुना जुर्माना किया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दण्डपाठ्य्य नामक  
उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।

— • —

(१) द्यूताध्यक्षो द्यूतमेकमुखं कारयेत् । अन्यत्र दीव्यतो द्वादशपणो दण्डः शूद्राज्जीविज्ञापनार्थम् ।

(२) द्यूताभियोगे जेतुः पूर्वं साहसदण्डः । पराजितस्य मध्यमः । बालिशजातीयो ह्येव जेतुकामः पराजयं न क्षमत इत्याचार्याः । नेति कौटिल्यः । पराजितश्चेद्द्विगुणदण्डः क्रियेत न कश्चन राजानमभिसरिष्यति । प्रायसो हि कितवाः कूटदेविनः ।

(३) तेषामध्यक्षाः शुद्धाः काकणोरक्षांश्च स्थापयेयुः ।

(४) काकण्यक्षाणामन्योपधाने द्वादशपणो दण्डः । कूटकर्मणि पूर्वं साहसदण्डः, जितप्रत्यादानम् । उपघां स्तेयदण्डश्च ।

### द्यूत समाह्वय और प्रकीर्णक

( १ ) द्यूत समाह्वय : द्यूताध्यक्ष का चाहिए कि वह किसी एक नियत स्थान में जुआ खेलने का प्रबन्ध करे । उस नियत स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जुआ खेलने वाले पर बारह पण दण्ड किया जाय, ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे ठगी, धोखेबाज लोगों का पता लग सके ।

( २ ) 'जुए के मुकदमों में जीतने वाले को प्रथम साहस दण्ड, और हारने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय, क्योंकि हारने वाला मूर्ख जीतने की इच्छा से जुआ खेलता है और हार जाने पर अपनी हार को सहन न कर जीतने वाले से भगडा कर बैठता है ।' ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है । परन्तु आचार्य कौटिल्य इस बात को नहीं मानते हैं । उनका कहना है कि 'यदि हारने वाले को जीतने वाले से दुगुना दण्ड दिया जायगा तो फिर कोई भी हारने वाला जुआरी अदालत की शरण में न जा सकेगा, और उसका नतीजा यह होगा कि धूर्त लोग कपट से जुआ खेलते रहेंगे ।'

( ३ ) द्यूताध्यक्षों को चाहिए कि वे जुआघर में साफ कौड़ी और पाँसे रखवा दें ।

( ४ ) यदि कोई जुआरी उन कौड़ियों और पाँसों को बदले तो उसपर बारह पण दण्ड दिया जाय । यदि कोई छल-कपट से जुआ खेले तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय और उसके जीते हुए धन को छीन लिया जाय तथा रखवाये गए पाँसों में कुछ तब्दीली करके दूसरे को धोखा देने के अभियोग में चोरी का दण्ड दिया जाय ।

(१) जितद्रव्यादध्यक्षः पञ्चकं शतमाददीत, काकण्यक्षारलाशलाकाव-  
क्रयमुदकभूमिकर्मश्रयं च । द्रव्याणामाधानं विक्रयं च कुर्यात् । अक्षभूमि-  
हस्तदोषाणा चाप्रतिषेधने द्विगुणो दण्डः ।

(२) तेन समाह्वयो व्याख्यातः अन्यत्र विद्याशिल्पसमाह्वयादिति ।

(३) प्रकीर्णकं तु । याचितकापनीतकाहितकनिक्षेपकारणा यथादेश-  
कालमदाने, यामच्छायासमुपवेशसस्थितोना वा देशकालातिपातने, गुल्म-  
तरदेयं ब्राह्मण साधयतः प्रतिवेशानुवेशयोरुपरि निमन्त्रणे च द्वादशपणो  
दण्डः ।

(४) सन्दिष्टमर्थमप्रयच्छतो, भ्रातृभार्या हस्तेन लङ्घयतो, रूपाजीवा-  
मन्योपरुद्धां गच्छतः, परवक्तव्य पण्य श्रीणानस्य, समुद्रं गृहमुद्भिन्दतः,  
सामन्तचत्वारिंशत्कुल्याबाधामाचारतश्चाष्टचत्वारिंशत्पणो दण्डः ।

(५) कुलनौबीप्राहकत्यापव्ययने, विधवा छन्दवासिनीं प्रसह्याधि-

( १ ) जीउने वाले जुआरी से छूताध्यक्ष पाँच प्रतिशत सरकारी कर ले और कौडी, पैसे, बरल ( पैसे फेंके जाने के लिए चमड़े की चौकी ), शलाका, जल तथा जमीन का किराया भी वसूल करे जुआरियों को चीजें बेचने और गिरवी रखने को इजाजत भी दे दे । यदि अध्यक्ष, जुआरियों को पैसे, जमीन, हाथ की सफाई आदि से न रोके तो जितना धन वह जुआरियों से वसूल करे, उससे दुगुना जुरमाना उस पर किया जाय ।

( २ ) यही नियम उन लोगों के सम्बन्ध में भी समझने चाहिए, जो मुर्गा, तीतर, भेड़ आदि को लड़ाई में बांधी लगाते हैं, किन्तु विद्या और शिल्प की बाजी लगाने वाले जुआरियों के लिए ये नियम नहीं हैं ।

( ३ ) प्रकीर्णक इस प्रसंग में जिन विषयों के सम्बन्ध में कहना शेष रह गया है उन विषयों को प्रकीर्णक कहते हैं । यदि कोई पुस्तक उधार ली हुई ( याचितक ), किराये पर ली हुई ( अवक्रीतक ) और घरोंहर के तौर पर रखी हुई ( आहितक ) वस्तु एव जेवर बनाने के लिए सुवर्ण आदि को ठीक स्थान तथा ठीक समय पर वापिस न करे, निश्चित समय एव स्थान का बायदा कर फिर न मिले, बेडा आदि के द्वारा पार कराके ब्राह्मण से किराया मागे, पड़ोसी श्रोत्रिय को छोड़कर बाहरी श्रोत्रिय को निमन्त्रण दे, तो उन पर बारह पण दण्ड किया जाय ।

( ४ ) बायदा किए धन को न देने वाले, भौजाई का हाथ पकड़कर भटका देने वाले, दूसरे की रखेल वेश्या के यहाँ जाने वाले, दूसरे के हाथ बिके पदार्थ को खरीदने वाले, सरकारी बिहू से युक्त मकान को गिराने वाले और सामन्तों के चालीसों कुलो तक बाध प्रहृचाने वाले, व्यक्ति पर अडतालेंस पण दण्ड किया जाय ।

( ५ ) जो व्यक्ति बशानुकुम से भोगी जाने वाली सर्वसाधारण सम्पत्ति का

चरतः, चण्डालस्यार्या स्पृशतः, प्रत्यासन्नभापद्यनभिधावतो, निष्कारण-  
मभिधावनं कुर्वतः, शाक्यजीवकादीन् वृषलप्रव्रजितान् देवपितृकार्येषु  
भोजयतः शत्यो दण्डः ।

(१) शपथवाक्यानुयोगमनिसृष्टं कुर्वतो, युक्तकर्म चायुक्तस्य, क्षुद्रपशु-  
वृषाणां पुंस्त्वोपघातिनो, दास्या गर्भमौषधेन पातयतश्च पूर्वः साहसदण्डः ।

(२) पितापुत्रयोर्दम्पत्योर्भ्रातृभगिन्योर्मातुलभागिनेययोः शिष्याचार्य-  
योर्वा परस्परमपतितं त्यजतः सार्थाभिप्रयातं ग्राममध्ये वा त्यजतः पूर्वः  
साहसदण्डः । कान्तारे मध्यमः । तन्निमित्तं श्रेष्यत उत्तमः । सहप्रस्था-  
यिष्वन्येष्वर्धदण्डः ।

(३) पुरुषमबन्धनीयं बध्नतो बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतो बालमप्राप्त-  
व्यवहारं बध्नतो बन्धयतो वा सहस्रदण्डाः । पुरुषापराधविशेषेण दण्ड-  
विशेषः कार्यः ।

(४) तीर्थंकरस्तपस्वी व्याधितः क्षुत्पिपासाध्वक्लान्तस्तिरोजनपदो  
दण्डखेदो निष्किञ्चनश्चानुप्राह्याः ।

अपव्यय करे; स्वतन्त्र रहनेवाली विधवा के साथ बलात्कार करे, चाण्डाल होकर  
आर्या स्त्री को छूए; पड़ोसी की आपत्ति पर सहायता न करे, बिना कारण पड़ोसी के  
यहाँ जाये आये और बौद्ध भिक्षुओं तथा शूद्रा सन्यासिनो को यज्ञादि देवकर्मों तथा  
थाडादि पितृकर्मों में भोजन कराये; उस पर सौ पण दण्ड दिया जाय ।

( १ ) न्यायाधीश ( धर्मस्थ ) की आज्ञा के बिना ही साक्षी के तौर पर शपथ  
खाने वाले, अनधिकारी को अधिकार देने वाले, छोटे छोटे पशुओं को बधिया बना  
देने वाले और दवा देकर दासी के गर्भ को गिरा देने वाले, व्यक्ति को प्रथम साहस  
दण्ड दिया जाय ।

( २ ) पिता-पुत्र, भाई-बहिन, मामा-भांजा और गुरु-शिष्य आदि में से कोई भी  
किसी को बिना पतित हुए त्याग दे, या किसी व्यापारी काफिले का मुखिया अपने  
साथ के किसी बीमार व्यक्ति को रास्ते के किसी गाँव में ही छोड़ दे, उनको प्रथम  
साहस दण्ड दिया जाय । यदि किसी बीहड़ वन में छोड़ दे तो मध्यम साहस दण्ड  
दिया जाय और यदि मार डाले तो उस व्यापारी को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय  
तथा उसके साथ जितने लोग हों, उन पर इन्हीं अपराध में आधा दण्ड किया जाय ।

( ३ ) जो व्यक्ति किसी बेगुनाह व्यक्ति को बाँधे या बँधवाये, अथवा किसी कैदी  
को छोड़ दे या किसी नाबालिग बच्चे को बाँधे, बँधवाये उस पर हजार पण दण्ड  
किया जाय । निष्कर्ष यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के अनुसार ही दण्ड  
दिया जाना चाहिए ।

( ४ ) दानी, तपस्वी, बीमार, भूखा, प्यासा, रास्ते का थका, परदेशी, अनेक  
बार दण्ड पाने से दुःखी और निर्बल-निर्धन व्यक्तियों पर सदा अनुग्रह रखना चाहिए ।



(१) देवब्राह्मणतपस्विस्त्रीबालवृद्धव्याधितानामनाथानामनमिसरतां धर्मस्थाः कार्याणि कुर्युः । न च देशकालमोगच्छलेनातिहरेयुः ।

(२) पूज्या विद्याबुद्धिपौरुषाभिजनकर्मातिशयतश्च पुरुषाः ।

(३) एवं कार्याणि धर्मस्थाः कुर्युरच्छलदर्शिनः ।

समाः सर्वेषु भावेषु विश्वास्या लोकसम्प्रियाः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे द्यूतसमाह्वयप्रकीर्णक नाम विशोऽध्याय,  
आदित पदसप्ततितम ।

समाप्तमिदं धर्मस्थीयं तृतीयमधिकरणम् ।

— ० :—

( १ ) धर्मस्थ अधिकारियों को चाहिए कि वे देव, ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बालक, वृद्धा, बीमार और अपने दु खों को कहने के लिए न जाने वाले अनाथों का कार्य खुद ही कर दिया करें । स्थान तथा समय का बहाना लगाकर उनके धन का अपहरण न किया जाय, अथवा देश, काल के बहाने उनको तग न किया जाय ।

( २ ) जो व्यक्ति विद्या, बुद्धि, पौरुष, कुल और सत्कार्यों के कारण आदरयोग्य हो, उनको सदा प्रतिष्ठा की जाय ।

( ३ ) इस प्रकार धर्मस्थ अधिकारियों को चाहिए कि द्यूत-कपट से विलग होकर वे अपने कार्यों को सम्पन्न करें और सबको एक समान निगाह में रखकर एव जनता के विश्वासपात्र बनकर लोकप्रियता प्राप्त करें ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में द्यूतसमाह्वयप्रकीर्णक नामक  
तीसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

चौथा अधिकरण

•

कण्टकशोधन

(१) प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयोऽमात्याः कण्टकशोधनं कुर्युः ।

(२) अर्थ्यप्रकाराः कारुशासितारः सन्निकेष्टारः स्ववित्तकारवः श्रेणी-प्रमाणा निक्षेपं गृह्णीयुः । विपत्तौ श्रेणी निक्षेपं भजेत । निर्दिष्टदेशकाल-कार्यं च कर्म कुर्युः । निर्दिष्टदेशकालकार्यापदेशम् ।

(३) कालातिपातने पादहीनं वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः । अन्यत्र श्रेयो-पनिपाताभ्या नष्टं विनष्ट वाभ्यावहेयुः । कार्यस्यान्यथाकरणे वेतननाश-स्तद्द्विगुणश्च दण्डः ।

### शिल्पियों से प्रजा की रक्षा

( १ ) सामान्य कारीगर . तीन कमिश्नर ( प्रदेष्टा ) या तीन मंत्री प्रजा-पीडक व्यक्तियों से प्रजा की रक्षा ( कटक शोधन ) करें ।

( २ ) अच्छे स्वभाववाले शिल्पियों के मुखिया, सबके सामने लेन-देन का कार्य करने वाले, अपने ही धन से गहने आदि बनाने वाले और सांभोदारो में विश्वसनीय, शिल्पी लोग ही किसी के धन को गिरवी ( निक्षेप ) रख सकते हैं । गिरवी रखने वाला यदि मर जाय या विदेश चला जाय तो उसके सांभोदार मिस-जुल कर उस गिरवी रखे हुए धन को अदा करें । कारीगर लोग स्थान, समय और कार्य आदि का निश्चय करके ही किसी कार्य को आरम्भ करें । कोई बहाना बनाकर समय और कार्य आदि का निश्चय न करके किसी कार्य को आरम्भ न करें ।

( ३ ) जो शिल्पी ठीक समय पर काम पर हाजिर न हो उनका चौथाई वेतन काट लिया जाय और उन पर उससे दुगुना जुरमाना किया जाय । किन्तु किसी हिंसक प्राणी द्वारा बाधा उत्पन्न हो जाने या किसी आकस्मिक आपत्ति के आ जाने के कारण यदि वह ठीक समय से काम पर हाजिर न हो सका हो तो उसे अपराधी न समझा जाय । यदि कारीगर से कोई कार्य बिगड़ जाय तो वह उसके नुकसान को भरे, किन्तु किसी विपत्ति के कारण यदि ऐसा हुआ हो तो उसको अपराधी न समझा जाय । यदि कारीगर काम बिगाड़ दें तो उनको मजदूरी न दी जाय, बल्कि उन पर वेतन का दुगुना जुरमाना किया जाय ।

(१) मुकुलावदातं शिलापट्टशुद्धं घृतसूत्रवर्णं प्रमृष्टश्वेतं चंकरात्रोत्तरं दद्युः ।

(२) पञ्चरात्रिकं तनुरागं, षड्रात्रिकं नीलं, पुष्पलाक्षामञ्जिष्ठारक्तं, गुरुपरिकर्म यत्नोपचार्यं जात्यं वासः सप्तरात्रिकम् । ततः परं वेतनहार्तिं प्राप्नुयुः ।

(३) श्रद्धेया रागविवादेषु वेतन कुशलाः कल्पयेयुः ।

(४) परार्ध्यानां पणो वेतन मध्यमानामर्धपणः, प्रत्यवराणां पादः ।

(५) स्थूलकाना मापद्विमायकं द्विगुण रक्तकानाम् । प्रथमनेजने चतुर्भागः क्षयः । द्वितीये पञ्चभागः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।

(६) रजकस्तुत्रवाया व्याख्याताः ।

(७) सुवर्णकाराणामशुचिहस्ताद्रूप्य सुवर्णमनाख्याय सख्यं क्षीणतां

धोबी धुलाई के कपडों को बेचे, किराये पर दे या गिरवी रखे उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । कपडा बदल जाने पर वह कपडे के मूल्य का दुगुना दण्ड और कपडा भी वापस दे ।

( १ ) धोबी को चाहिए कि वह अधखिली पुष्पकली के समान स्वच्छ श्वेत कपडे को धोकर एक दिन में ही वापस करे, शिलापट्ट के समान स्वच्छ कपडे को दो दिन में, धुले हुए सूत की तरह श्वेत कपडे को तीन दिन में और अत्यंत श्वेत कपडे को चार दिन में धोकर वापस करे ।

( २ ) इसी प्रकार हलके रंग वाले कपडे को पांच दिन में, नीले, गाढे रंग के, हर-सिंगार, लाख तथा मजीठ आदि में रंगे कपडे को छह दिन में, रेशम, पशम, बेल-बूटेदार जैसे कठिनाई से धुले जाने योग्य उत्तम कपडों को सात दिन में धोकर वापस करे । इसके बाद वापस करने पर उसकी धुलाई न दी जाय ।

( ३ ) यदि रगीन कपडों की धुलाई देने में भगडा हो जाय तो उसका फंसला रणो को ठीक-ठीक समझने वाले कुशल व्यक्ति करें ।

( ४ ) बढिया रगीन कपडों की धुलाई एक पण, मध्यम दर्जे के रगीन कपडों की धुलाई आधा पण और मामूली रगीन कपडों की धुलाई चौथाई पण दी जानी चाहिए ।

( ५ ) इसी प्रकार मोटे कपडों की धुलाई एक या दो माप और रंगे हुए कपडों की धुलाई इससे दुगुनी देनी चाहिए । कपडे की पहिली धुलाई में उसकी चौथाई कीमत कम हो जाती है । दूसरी धुलाई में शेष मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा कम हो जाता है, और तीसरी धुलाई में उस शेष मूल्य का छठा हिस्सा कम हो जाता है ।

( ६ ) धोबियों के समान दर्जियों ( तुनवाय ) के नियम भी समझ लेना चाहिए ।

( ७ ) सुनार : यदि सुनार निम्नकोटि के नौकर-चाकरों ( अशुचिहस्त ) के हाथ

द्वादशपणो दण्डः, विरुपं चतुर्विंशतिपणः, चोरहस्तादष्टचत्वारिंशत्पणः ।  
प्रच्छन्नविरुपमूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदण्डः । कृतभाण्डोपघौ च । १ ।

( १ ) सुवर्णमापकमपहरतो द्विशतो दण्डः । रूप्यधरणान्मापकमप-  
हरतो द्वादशपणः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।

( २ ) वर्णोत्कर्षमसाराणां योगं वा साधयतः पञ्चशतो दण्डः । तयोरप-  
घरणे रागस्यापहारं विद्यात् ।

( ३ ) मापको वेतनं रूप्यधरणस्य । सुवर्णस्याष्टभागः । शिक्षाविशेषेण  
द्विगुणा वेतनवृद्धिः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।

( ४ ) ताम्रवृत्तकंसर्वकृन्तकारकूटानां पञ्चकं शतं वेतनम् । ताम्रपिण्डो  
दशभागक्षयः । पलहीने हीनद्विगुणो दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।

से, सोने-चाँदी के बने हुए जेवर ( सरूप ), सुवर्णाभ्यक्ष को सूचित किए बिना ही  
खरीद ले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय, यदि बिना गहने की सोना-चाँदी  
खरीदे तो चौबीस पण, चोर के हाथ से खरीदे तो अठतालीस पण और दूसरे से  
छिपाकर गहने आदि को तोड़-मरोड़ कर थोड़ी कीमत में खरीदे तो उसको चोरी का  
दण्ड दिया जाय । बनाये हुए माल को बदल देने वाले सुनार को भी चोरी का दण्ड  
दिया जाय ।

( १ ) यदि सुनार सोने में से एक माप सोना चुरा ले तो उस पर दो-सौ पण  
दण्ड किया जाय । यदि एक धरण चाँदी में से एक माप चाँदी चुरा ले तो उस पर  
बारहपण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार अधिकाधिक चोरी के अनुसार अधिकाधिक  
दण्ड की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए ।

( २ ) यदि कोई सुनार छोटे सोने-चाँदी पर नकली रंग चढ़ा दे या कुछ सोना-  
चाँदी में नकली धातु मिला दे तो उस पर पाँच सौ पण दण्ड किया जाय । सोने-चाँदी  
के खरे-खोटे की जाँच आग में तपाकर करनी चाहिए ।

( ३ ) एक धरण मान चाँदी के गहने आदि की बनवाई एक मापक दी जानी  
चाहिए । जितने तौल की सोने की चीज बनवायी जाय उतना आठवाँ हिस्सा बनवाई  
देनी चाहिए । विशेष कारीगरी के लिए दुगुनी बनवाई देनी चाहिए । इसी के अनुसार  
अधिक कार्य करवाने की भ्रष्टदूरी समझनी चाहिए ।

( ४ ) ताँबा, सीसा, काँसा, लोहा, राँगा और पीतल इनकी बनवाई पाँच प्रति  
संकड़ा दी जानी चाहिए । ताँबे का दसवाँ हिस्सा, बनाते समय छीजन के लिए  
छोड़ देना चाहिए । इससे एक पल भी कम हो जाने पर नुकसान का दण्ड देना  
चाहिए । इसी प्रकार अधिक हानि के अनुपात से दण्ड का विधान समझना  
चाहिए ।

- (१) सीसत्रपुपिण्डो त्रिशतिभागक्षयः । काकणी चास्य पलवेतनम् ।
- (२) कालायसपिण्डः पञ्चभागक्षयः । काकणीद्वयं चास्य पलवेतनम् । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
- (३) रूपदर्शकस्य स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः कोप्यामकोपयतो द्वादशपणो दण्डः ।
- (४) व्याजीपरिशुद्धा पणयात्रा । पणान्मायकमुपजीवतो द्वादशपणो दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
- (५) कूटरूपं कारयतः प्रतिगृह्यतो निर्यापयतो वा सहस्रं दण्डः । कोशे प्रक्षिपतो घघः ।
- (६) सरकपांसुधावकाः सारत्रिभागं लभेरन् । द्वौ राजा रत्नं च । रत्नापहार उत्तमो दण्डः ।
- (७) खनिरत्ननिधनिवेदनेषु यष्टमंशं निवेत्ता लभेत । द्वादशमंशं भृतकः ।

( १ ) सीसे और रागे की चीजों में बीसवाँ हिस्सा छीजन में निकल जाता है । इनके एक पल की बनवाई का एक काकडी वेतन देना चाहिए ।

( २ ) कलायस ( काला लोहा ) की चीजों में पाँचवाँ हिस्सा छीजन में निकल जाता है । उसकी बनवाई दो काँकडी वेतन देना चाहिए । इसी अनुपात से बनवाई देनी चाहिए ।

( ३ ) यदि सिक्को का पारखी ( रूपदर्शक ) चलते हुए खरे पण खोटा और स्रोटे पण को खरा बताये तो उन पर बारह पण जुर्माना किया जाय ।

( ४ ) पाँच प्रति सैकड़ा टैक्स ( व्याजी ) सरकार को देकर पण चलिया जा सकता है । एक पण के चलाने के लिए मायक रिश्वत लेने वाले लक्षणाग्रक्ष को बारह पण दंड किया जाय । इसी क्रम से इसका दण्ड-विधान समझना चाहिए ।

( ५ ) यदि छिपकर कोई जाली सिक्के बनवाये या जाली सिक्को को स्वीकार करे यद्यवा उनका निर्यात करे, उस पर एक हजार पण दण्ड किया जाय । खजाने में अच्छे सिक्को की जगह जाली सिक्के रखने वाले को मृत्यु दण्ड दिया जाय ।

( ६ ) खान से निकले हुए रत्नों को साफ करने वाले कर्मचारी, टूटे-फूटे सारभूत माल का तीसरा हिस्सा ले लें । बाकी दो हिस्से तथा रत्नों को राजकोष के लिए रखा जाय । रत्न चुराने वाले कर्मचारी को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ७ ) जो व्यक्ति राजा को रत्नों की खान तथा गढ़े हुए खजाने का पता दे उन व्यक्ति को उसमें से छठा हिस्सा दिया जाय । यदि वह इसी कार्य के लिए राजा की ओर से नियुक्त हो तब उसे बारहवाँ हिस्सा दिया जाय ।

(१) शतसहस्रादूर्ध्वं राजशामी निधिः । ऊने षष्ठमंशं दद्यात् ।

(२) पूर्वपौरुषिक निधि जानपदः शुचिः स्वकरणेन समग्रं लभेत । स्वकरणाभावे पचशतो दण्डः । प्रच्छन्नादाने सहस्रम् ।

(३) भिपजः प्राणात्वाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वः साहसदण्डः । कर्मापराधेन विपत्तौ मध्यमः । नर्मवेद्यवैगुण्यकरणे दण्ड-पारुष्यं विद्यात् ।

(४) कुशीलवा वपरिरात्रिकस्या वसेयुः । कामदानमतिमात्रमेक-स्यातिवादं च वर्जयेयुः । तस्यातिक्रमे द्वादशपणो दण्डः । कामं देशजाति-गोत्रचरणमैथुनापहाने नर्मयेयुः ।

( १ ) गडा हुआ खजाना यदि एक लाख पण से अधिक निकले तब उसका स्वामी राजा होता है । अन्यथा वह पता देने वाले व्यक्ति को ही दिया जाय, किन्तु उनमे से छठा हिस्सा वह राजा को अवश्य दे ।

( २ ) साक्षी और लेख आदि के प्रमाण से यदि यह साबित हो जाय कि खजाना पाने वाले व्यक्ति के पूर्वजो का है, यदि वह व्यक्ति सदाचारी है तो उस खजाने का स्वामी वही समझा जाय । यदि वह साक्षी और लेख आदि के बिना ही उस खजाने पर अधिकार जमाने लगे तो उसपर पाँच-सौ पण दण्ड किया जाय । यदि कोई छिपकर चुपचाप ही अपना बन्जा कर ले तो उस पर एक हजार पण दण्ड किया जाय ।

( ३ ) वैद्य . राजा को बिना सूचित किये यदि कोई वैद्य किसी ऐसे रोगी का इलाज करे, जिसके मरने की संभावना है, और दवा देने के दौरान में ही उसकी मृत्यु हो जाय तो उस वैद्य को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यदि इलाज में भूल हो जाने के कारण मृत्यु हुई हो तो माध्यम साहस दण्ड दिया जाय । शरीर के किसी विशेष अङ्ग का गलत ऑपरेशन होने के कारण यदि रोगी का वह अंग जाता रहे, या दूसरी तरह की हानि हो जाय तो वैद्य को दण्ड-पारुष्य प्रकरण के अनुसार यथोचित दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) नट-नर्तक : वर्षा ऋतु में नट नर्तक आदि एक ही स्थान पर निवास करें । उनकी कला से प्रसन्न होकर यदि कोई व्यक्ति उन्हें उचित मात्रा से अधिक पुरस्कार दे तो वे उसे स्वीकार न करें, अपनी अधिक शारीक को भी वे सक्तन्द न करें । इस नियम का उल्लंघन करने पर बारह पण दण्ड दिया जाय । किसी खास देश, जाति, गोत्र या चरण के भजाक या निन्दा को छोड़कर तथा मंथुन सबन्धी कर्तव्यों को छोड़कर नट लोग जो चाहे अपने इच्छानुसार सेल दिखाकर दर्शकों को चुश कर सकते हैं ।

(१) कुशीलवैश्वारण भिक्षुकाश्च व्याख्याताः । तेषामपश्यूलेन यावतः  
पणानभिव्देयुः, तावन्तः शिफाप्रहारा दण्डाः ।

(२) शेषाणां कर्मणां निष्पत्तिवितनं शिल्पिनां कल्पयेत् ।

(३) एवं चोरानचोराख्यान् वणिक्काहकुशीलवान् ।  
भिक्षुकान् कुहकांश्चान्यान् धारयेद्देशपीडनात् ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे काटकरक्षण नाम प्रथमोऽध्याय ,  
आदित सप्तसप्ततितमः ।

— ० :—

( १ ) नटों के ही अनुसार नाचने गाने वाली और भिञ्जुकी के नियम समझने चाहिए । दूसरों के मर्म को पीडा पहुँचाने पर इन लोगों को अपराध के अनुसार जितना पण दण्ड दिया जाय, यदि वे उसको बढ़ा न कर सकें तो उनपर उतने ही कोठे लगवाये जाय ।

( २ ) जो कार्य पहिले बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त कार्यों की मजदूरी, अन्दाज से लगा लेनी चाहिए ।

( ३ ) इस प्रकार बनावटी साधु, बनिये, कारीगर, नट, भित्तारी और ऐंद्रजा-  
लिक आदि चोरों को तथा इसी प्रकार के अन्य पुरुषों को देश में पीडा, पहुँचाने से रोका जाय ।

कंटकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में काटक रक्षण नामक  
पहला अध्याय समाप्त ।

—: ० :—



(१) संस्थाध्यक्षः पण्यसस्थायां पुराणभाण्डानां स्वकरणविशुद्धानामा-  
धानं विक्रय वा स्थापयेत् । तुलामानभाण्डानि चावेक्षेत, पीतवापचारात् ।

(२) परिमाणीद्रोणयोरर्धपलहीनातिरिक्तमदोषः । पलहीनातिरिक्ते  
द्वादशपणो दण्डः । तेन पलोत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।

(३) तुलायाः कर्षहीनातिरिक्तमदोषः । द्विकर्षहीनातिरिक्ते षट्पणो  
दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।

(४) आढकस्यार्धकर्षहीनातिरिक्तमदोषः । कर्षहीनातिरिक्ते त्रिपणो  
दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।

(५) तुलामानविशेषाणामतोऽन्येषामनुमानं कुर्यात् ।

### व्यापारियो से प्रजा की रक्षा

( १ ) बाजार के अध्यक्ष ( सस्थाध्यक्ष ) को चाहिए कि वह, पुराने अन्न आदि के तथा दुकानदारों के स्वाधिकृत ( स्वकरण विशुद्ध ) माल के आयातनिर्यात का यथोचित प्रवन्ध करे । उसका यह भी बर्तव्य है कि तराजू, बाट और माप के बर्तनों का भी वह अच्छी तरह निरीक्षण करे, जिससे माप-तौल में कोई गड़बड़ी न होने पावे ।

( २ ) परिमाणी और द्रोण में यदि आधा पल कम, ज्यादा हो जाय तो कोई बात नहीं, किन्तु एक पल कम-ज्यादा होने पर बारह पण दण्ड दिया जाय । पल की कमी-ज्यादा के अनुसार ही दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

( ३ ) तराजू में यदि एक कर्ष कम ज्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं । यदि दो कर्ष कम-ज्यादा निकले तो छह पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार कर्ष के अनुपात से दण्ड वृद्धि समझनी चाहिए ।

( ४ ) आढक में यदि आधे कर्ष की कमी बेशी हो तो कोई बात नहीं । यदि कमीबेशी एक कर्ष की तो तीन पण दण्ड दिया जाय । इसी अनुपात से दण्ड बढ़ाया जाय ।

( ५ ) जिस तुला तथा माप की कमी-बेशी के संबन्ध में नहीं कहा गया है उनकी भी यही दण्ड-व्यवस्था समझनी चाहिए ।

(१) तुलामानाभ्यामतिरिक्ताभ्यां क्रीत्वा हीनाभ्यां विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डः ।

(२) गण्यपण्येष्वष्टभागं पण्यमूल्येष्वपहरतः पण्यवतिर्दण्डः ।

(३) काष्ठलोहमणिमयं रज्जुचर्ममृन्मयं सूत्रवल्करोममयं वा जात्य-मित्यजात्यं विक्रयाधानं नयतो मूल्याष्टगुणो दण्डः ।

(४) सारभाण्डमित्यसारभाण्डं, तज्जातमित्यतज्जातं, राढापुक्त-मुपधिपुक्तं समुद्गपरिवर्तितं वा विक्रयाधानं नयतो हीनमूल्यं चतुष्पञ्चा-शत्पणो दण्डः, पणमूल्यं द्विगुणः, द्विपणमूल्यं द्विशतः । तेनार्धवृद्धौ दण्ड-वृद्धिर्व्याप्त्याता ।

(५) काष्ठशिल्पिनां कर्मगुणापकर्षमाजीवं विक्रयक्रयोपघातं वा सम्भूय समुत्यापयतां सहस्रं दण्डः ।

(६) वैदेहकानां वा सम्भूय पण्यमवरुन्धतामनर्घेण विक्रीणतां क्रीणतां वा सहस्रं दण्डः ।

( १ ) जो बनिया अधिक वजन के तराजू-बाट से माल खरीद कर हल्के तौल से उसे बेचे उसको दुगुना २४ पण दण्ड दिया जाय ।

( २ ) गिनकर बेची जाने वाली चीजों में बनिया यदि आठवाँ हिस्सा चुरा ले तो उस पर छियानवे पण जुरमाना किया जाय ।

( ३ ) जो बनिया लकड़ी, लोहा, मणि, रस्सी, चमड़ा, मिट्टी, सूत, धाल और ऊन से बने हुए घटिया माल को बढ़िया कह कर रखता या बेचता हो उस पर वस्तु की कीमत का आठ गुना जुरमाना किया जाय ।

( ४ ) बनावटी कस्तूर, कपूर आदि वस्तुओं को असली कह कर, दूसरे देश में पैदा हुई कमसल वस्तु को असली देश की बताकर, चमकदार बनावटी मोती को को; मिलावटी वस्तु को, अच्छे माल की पेट्टी को दिखाकर रही माल की पेट्टी को देने पर, व्यापारी को चौवन पण दण्ड दिया जाय । यदि वह माल एक पण मूल्य का हो तो पहिले से दुगुना दण्ड और दो पण कीमत का हो तो दो-सौ पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार अधिक मूल्य के माल पर अधिक दण्ड किया जाय ।

( ५ ) जो लुहार, बडई आदि कारीगर आर्डर के अनुसार कार्य न करें, एक पण का जगह दो पण मजदूरी लें, किसी वस्तु को बेचते समय अधिक दाम और खरीदते समय कम दाम कहकर खरीद फरोस्त में विघ्न डालें, उनमें से प्रत्येक को एक-एक हजार पण दण्ड दिया जाय ।

( ६ ) जो व्यापारी आपस में मिलकर किसी वस्तु को बेचने से रोक दें और फिर उसी वस्तु को अनुचित मूल्य पर बेचें या खरीदें उनमें प्रत्येक को एक एक हजार पण जुरमाना किया जाय ।

(१) तुलामानान्तरभर्घवर्णान्तरं वा । धरकस्य मायकस्य वा पणमूल्या-  
दण्डभागं हस्तदोषेणाचरतो द्विशतो दण्डः । तेन द्विशतोत्तरा दण्डवृद्धि-  
व्याख्याता ।

(२) धान्यस्नेहक्षारलवणगन्धभेषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने द्वादश-  
पणो दण्डः ।

(३) यन्निसृष्टमुपजीवेयुः, तदेषां दिवससञ्जातं सङ्घाय वणिक्  
स्थापयेत् । ऋतृविक्रैत्रोरन्तरपतितमदायादन्यं भवति । तेन धान्यपण्य-  
निचयाश्रानुज्ञाताः कुर्युः । अन्यथानिघितमेषा पण्याध्यक्षो गृह्णीयात् । तेन  
धान्यपण्यविक्रये व्यवहरेतानुग्रहेण प्रजानाम् ।

(४) अनुज्ञातक्रयादुपरि चैवा स्वदेशीयाना पण्यानां पञ्चकं शतमाजीवं  
स्थापयेत् । परदेशीयाना दशकम् । ततः परमर्धं वर्धयतां क्रये विक्रये वा  
भगवयता पणशते पञ्चपणाद् द्विशतो दण्डः । तेनार्धवृद्धौ दण्डवृद्धिव्या-  
ख्याता ।

( १ ) तुला, बाट और मूल्य में अन्तर हो जाने के कारण जो लाभ हो उसे बही-  
खाते में दर्ज कर लिया जाय । तोलने वाला या मापने वाला अपने हाथ की सफाई  
से यदि एक पण मूल्य की वस्तु में आठवाँ हिस्सा कम कर दे तो उस पर दो-सौ पण  
दण्ड किया जाय । इसी प्रकार अधिक हिस्सा कम कर देने पर अधिक दण्ड की  
व्यवस्था की जाय ।

( २ ) अनाज, तेल, खार, नमक, गन्ध और दवाइयों में कम कीमत की वस्तुओं  
को मिलाकर बेचने वाले पर बारह पण दण्ड किया जाय ।

( ३ ) दूकानदारों को प्रतिदिन जितना लाभ हो उसे बाजार का चौधरी ( सस्था-  
ध्यक्ष ) अपनी बही में गिनकर दर्ज कर ले । जिस वस्तु की खरीद-फरोस्त की  
व्यवस्था सस्थाध्यक्ष स्वयं करता है उसका लाभ राजकोष में जमा किया जाय । इस  
दृष्टि से व्यापारियों को उचित है कि वे सस्थाध्यक्ष की आज्ञा से ही धान्य आदि  
विक्रीय वस्तुओं का सचय करें । अनुमति न लेने पर सस्थाध्यक्ष को अधिकार है कि  
वह अनधिकृत वस्तुओं को अपने कब्जे में कर ले । सस्थाध्यक्ष को चाहिए कि वह  
सश्रुत वस्तुओं के विक्रय की ऐसी सुव्यवस्था करे, जिससे प्रजा का उपकार होता रहे ।

( ४ ) सस्थाध्यक्ष जिन वस्तुओं को बेचने की अनुमति दे, यदि वे वस्तुएँ स्वदेशी  
हो तो, उन पर व्यापारी नियत मूल्य से प्रति सैकड़ा पाँच पण लाभ से सचता है ।  
यदि वे विदेशी हो तो प्रति सैकड़ा दस पण लाभ ले । इससे अधिक मूल्य बढ़ाने तथा  
अधिक लाभ लेने पर दो सौ पण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार अधिकाधिक लाभ  
पर अधिकाधिक दण्ड दिया जाय ।

(१) सम्भूयक्रये चंपामविक्रीते नान्यं सम्भूयक्रयं दद्यात् । पण्योपघाते चंपामनुग्रहं कुर्यात् पण्यबाहुल्यात् ।

(२) पण्याध्यक्षः सर्वपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत । तेष्वविक्रीतेषु नान्ये विक्रीणीरन् । तानि दिवसवेतनेन विक्रीणीरन् अनुग्रहेण प्रजानाम् ।

(३) देशकालान्तरिताना तु पण्याना—

प्रक्षेपं पण्यनिष्पत्तिं शुल्कं वृद्धिमवक्रयम् ।

ध्ययानन्याश्चसंख्याय स्थापयेदर्धमर्घवित् ॥

इति कण्कशोधने चतुर्थेऽधिकरणे वैदेहकरक्षण नाम द्वितीयोऽध्याय,  
आदितोऽष्टमस्तितम ।

—: ० :—

( १ ) यदि सस्याध्यक्ष से थोक भाव कर खरीदा हुआ माल न बिके तो दूसरे व्यापारियो को थोक भाव पर माल न दिया जाय । यदि आकस्मिक आपात के कारण किसी व्यापारी का माल नष्ट हो जाय तो सस्याध्यक्ष दूसरा माल देकर उसकी सहायता करे ।

( २ ) सस्याध्यक्ष को चाहिए कि वह सारी विक्रीय वस्तुओ को किसी एक व्यापारी द्वारा बिकवाये । यदि एक व्यापारी के द्वारा वह न बिक सके तो अन्य व्यापारी उस तरह का माल न बेचें । उन वस्तुओ को दैनिक मजदूरी देकर इस ढंग से बिकवाया जाय, जिससे प्रजा का हित हो ।

( ३ ) सस्याध्यक्ष को चाहिए कि वह दूसरे देश तथा दूसरे समय में उत्पन्न होने वाली वस्तुओ का मूल्य, बतवाई का समय, वेतन, व्याज, भाडा, और इसी प्रकार के ऊपरी खर्चों को जोड़ कर ऐसा भाव तय करे, जिससे वे बिक जाय ।

कटकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में वैदेहकरक्षण नामक  
दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० .—

(१) देवान्यष्टौ महामयानि—अग्निरुदकं व्याधिर्दुर्भिक्षं मूपिका व्यालाः सर्पा रक्षासीति । तेभ्यो जनपदं रक्षेत् ।

(२) ग्रीष्मे बहिरधिश्चयणं ग्रामाः कुर्युः । दशकुलीसंग्रहेणाधि-  
ष्ठिता वा ।

(३) नागरिकप्रणिधावग्निप्रतिषेधो व्याख्यातः । निशान्तप्रणिधौ राज-  
परिग्रहे च ।

(४) बलिहोमस्वस्तिवाचनं : पर्वसु चाग्निपूजाः कारयेत् ।

(५) वर्षारित्रमनूपग्रामाः पूरवेलामुत्सृज्य वसेयुः । काष्ठवेणुनावश्चाव-  
गृह्णीयुः ।

(६) उह्यमानमलाबुद्धृतिप्लवगण्डिकावेणिकाभिस्तारयेयुः । अनभि-  
सरतां द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र प्लवहीनेभ्यः ।

### देवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के उपाय

( १ ) देवयोग से होने वाली आठ महाविपत्तियों के नाम हैं : १ अग्नि, २. जल ३. बीमारी, ४. दुर्भिक्ष, ५. चूहे, ६. व्याघ्र, ७ साँप और ८. राक्षस । राजा को चाहिए कि इन महाविपदाओं से वह प्रजा की रक्षा करे ।

( २ ) आग से रक्षा : ग्रामवासियों को चाहिए कि गरमी की श्रुतु में वे भोजन आदि की व्यवस्था घर से बाहर करें । अथवा दशकुली का रक्षक गोप नामक अधिकारी जिस स्थान को उपयुक्त बताये वही पर भोजन आदि की व्यवस्था करें ।

( ३ ) आग से बचने के उपाय नागरिक प्रणिधि नामक प्रकरण में बताये गये हैं । राजपरिग्रह के अन्तर्गत निशात प्राणिधि नामक प्रकरण में भी अग्नि-रक्षा के उपाय बताये गए हैं ।

( ४ ) अग्नि-रक्षा के लिए पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों पर बलि, होम और स्वस्तिवाचन द्वारा अग्नि की पूजा कराई जाय ।

( ५ ) पानी से रक्षा : नदी के किनारे बसे हुए ग्रामवासियों को चाहिए कि वर्षा श्रुतु की रातों में वे घरों को छोड़कर दूर जा बसें । लकड़ी, बाँस के वेड़े और नाव आदि साधन हर समय वे संग्रह करके रखें ।

( ६ ) नदी के प्रवाह में बहते या डूबते हुए आदमी को सूखी ( अलावु ), मक्क

(१) पर्वसु च नदीपूजाः कारयेत् ।

(२) मायायोगविदो वेदविदो वर्षमभिचरेयुः ।

(३) वर्षावग्रहे शचीनाथगङ्गापर्वतमहाकच्छपूजाः कारयेत् ।

(४) व्याधिभयभौपनिषदिकैः प्रतीकारैः प्रतिकुर्युः । औषधैश्चिकित्सकाः

शान्तिप्राप्यश्चित्तैर्वा सिद्धतापसाः ।

(५) तेन मरको व्याख्यातः । तीर्थामिषेचनं महाकच्छवर्धनं गवां श्मशानावदोहनं कबन्धदहनं देवरात्रिं च कारयेत् ।

(६) पशुव्याधिभरके स्थानान्यर्थनीराजनं स्वर्देवतपूजनं च कारयेत् ।

(७) दुर्भिक्षे राजा बीजभक्तोपग्रहं कृत्वाऽनुग्रहं कुर्यात् । दुर्गसेतुकर्म वा भक्तानुग्रहेण । भक्तसंविभागां वा । देशनिक्षेप वा । मित्राणि वा व्यपाथयेत् । कर्शनं वमनं वा कुर्यात् ।

( दृति ), तमेड ( प्लव ), लकड या लकडी के बेटे से बचाया जाय । जो व्यक्ति डूबते हुए आदमी को बचाने का यत्न न करे उसे बारह पण दण्ड दिया जाय, किन्तु उसके पास यदि तैरने के उक्त साधन न हों तो उसको अपराधी न समझा जाय ।

( १ ) पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों में नदियों की पूजा करायी जाय ।

( २ ) मन्त्रविद् एव अथर्व वेद के ज्ञाताओं से अतिवृष्टि की शान्ति के लिए जप, होम, यज्ञ आदि अनुष्ठान कराये जाय ।

( ३ ) वर्षा के शान्त हो जाने पर इन्द्र, गंगा, पर्वत और समुद्र की पूजा करायी जाय ।

( ४ ) बीमारी से रक्षा : औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा कृत्रिम बीमारियों को रोका जाय । अकृत्रिम बीमारियों को वैद्य लोग विकिस्ता द्वारा और सिद्ध एव तपस्वी लोग शान्तिकर्म, व्रत, उपवास आदि अनुष्ठानों से दूर करें ।

( ५ ) हैजा, प्लेग, चेचक आदि सक्रामक व्याधियों को दूर करने के लिए भी इसी प्रकार के उपाय किये जायें । इसके अलावा गंगास्नान, समुद्रपूजन, श्मशान में गाधों का दोहन, चावल तथा सत्तू से बने सिर रहित पुतले का श्मशान में दाह और रात्रि जागरण करके ग्राम देवता की पूजा आदि का उपाय किये जाय ।

( ६ ) यदि पशुओं में बीमारी या महामारी फैल जाय तो गाँव-गाँव में रोगनाति के लिए शांतिकर्म करवाये जायें और पशुओं के अधिष्ठाता देवता, जैसे हाथी के सुब्रह्मण्य, घोडा के अश्विनी, गी के पशुपति, भैंस के वरुण तथा बकरी के अग्नि आदि देवताओं की पूजा करायी जाय ।

( ७ ) दुर्भिक्ष से रक्षा : राज्य में दुर्भिक्ष पड जाने पर राजा की ओर से बीज और अन्न वितरण करके जनता पर अनुग्रह किया जाय । अथवा दुर्भिक्षपीडितों को

(१) निष्पन्नसस्यमन्यविषयं वा सजनपदो यायात् । समुद्रसरस्त-  
टाकानि वा संश्रयेत् । धान्यशाकमूलफलावापान् सेतुपु कुर्वीत । मृगपशु-  
पक्षिव्यालमत्स्यारम्भान् वा ।

(२) मूषिकभये माजरिनकुलोत्सर्गः । तेषां ग्रहणहिंसाया इदशपणो  
दण्डः । शुनामनिग्रहे च अन्यत्रारण्यचरेभ्यः ।

(३) स्नुहीक्षीरलिप्तानि धान्यानि विसृजेत् । उपनिषद्योगपुक्तानि  
वा । मूषिककरं वा प्रयुञ्जीत । शान्तिं वा सिद्धतापसाः कुर्वुः । पर्वसु च  
मूषिकपूजाः कारयेत् ।

(४) तेन शलभपक्षिकृमिभयप्रतीकारा व्याख्याताः ।

(५) व्याघ्रभये मदनरसयुक्तानि पशुशवानि प्रसृजेत् । मदनकोद्व-  
पूर्णान्यौदर्याणि वा ।

उचित वेतन देकर उनसे दुर्ग या सेतु आदि का निर्माण कराया जाय । काम करने में  
असमर्थ लोगो को केवल अन्न दिया जाय; अथवा उनको समीप के दूसरे दुर्भिक्ष रहित  
देश तक पहुँचाने का प्रबन्ध कर दिया जाय । अथवा मित्र राजा से सहायता ली  
जाय । अपने देश के घनवान् व्यक्तियो पर विशेष कर लगाकर तथा उनसे एकमुस्त  
रकम लेकर आपनि का प्रतीकार किया जाय ।

( १ ) या तो जो देश घन-धान्य सपन्न दीखे वही प्रजा सहित चला जाय । अथवा  
समुद्र के किनारे या बड़े-बड़े तालाबों के पास जाकर बसा जाय, जहाँ पर कि धान्य,  
शाक, मूल, फल आदि की खेती की जा सके । अथवा मृग, पशु, पक्षी, व्याघ्र और  
मछली आदि का शिकार कर प्राण-रक्षा की जाय ।

( २ ) चूहों से रक्षा : चूहों का उत्पात बढ़ जाने पर जगह-जगह बिल्ली और  
नेवला छोड़ दिए जायें । जो उनको पकड़े या मारे उस पर बारह पण दण्ड किया  
जाय । उन लोगो पर भी बारह पण दण्ड किया जाय, जो दूसरो का नुकसान करने  
वाले पालतू कुत्तो को रोक कर न रखें । जगली कुत्तो को न पकड़ने पर कोई अप-  
राध न माना जाय ।

( ३ ) चूहों के प्रतीकार के लिए सेंहुड के दूध में साने हुए अनाज को या औप-  
निषदिक अधिकरण में निर्दिष्ट औषधियों से मिले हुए अनाज को इधर-उधर बखेर  
दिया जाय । अथवा चूहादानी द्वारा चूहों को पकड़ने का प्रबन्ध किया जाय । अथवा  
सिद्ध या तपस्वियो द्वारा चूहों को नष्ट करने के लिए शान्तिकर्म करवाये जाय । पर्व  
तिथियो पर मूषक-पूजा कराई जाय ।

( ४ ) इसी के अनुसार कीट, पतङ्ग, पक्षी आदि द्वारा उत्पन्न उत्पातों का प्रती-  
कार कराया जाय ।

( ५ ) व्याघ्र से रक्षा : व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं का भय बढ़ जाय तो औप-

(१) लुब्धकाः श्वगणिनो वा कूटपञ्जरावपातेश्चरेयुः । आवरणिनः शस्त्रपाणयो ध्यालानभिहन्युः । अनभिसर्तुर्द्वादशपणो दण्डः । स एव लाभो ध्यालघातिनः ।

(२) पर्वसु च पर्वतपूजाः कारयेत् । तेन भृगपक्षिसङ्घग्राहप्रतीकारा व्याख्याताः ।

(३) सर्पभये मन्त्रं रोपधिभिश्च जाङ्गलीविदश्चरेयुः । सम्भूय वोप-सर्पान् हन्युः । अथर्ववेदविदो वाभिचरेयुः । पर्वसु च नागपूजाः कारयेत् । तेनोदकप्राणिभयप्रतीकारा व्याख्याताः ।

(४) रक्षोभये रक्षोघ्नान्यथर्ववेदविदो मायायोगविदो वा कर्माणि कुर्युः । पर्वसु च विर्तादिच्छत्रोल्लोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारेश्चैत्यपूजाः कारयेत् । चरुं वश्चराम इत्येवं सर्वभयेष्वहोरात्रं चरेयुः ।

नियतिक अधिकरण मे निर्दिष्ट मदनसयुक्त मृत-पशुओं की लाशें जङ्गल मे छुडवा दी जायें । अथवा धतूरा और जङ्गली कोदो ( कोह्व ) को मिलाकर पशुओं की लाशों मे भर कर उन्हें जङ्गल मे रखवा दिया जाय ।

( १ ) व्याघ्र-विपत्ति को दूर करने के लिए शिकारी और बहेलिये गडो मे छिप-कर उनको मारें । कबच पहिन कर हथियारों से बाघ को मारा जाय । बाघ आदि हिंसक पशुओं से घिरे हुए आदमी की जो सहायता न करे उसको बारह पण दण्ड किया जाय । जो व्याघ्र आदि का शिकार करे उसे बारह पण इनाम दिया जाय ।

( २ ) व्याघ्र आदि से रक्षा के लिए पर्व तिथियो पर पर्वतों की पूजा कराई जाय । अन्य जङ्गली पशु-पक्षियों के प्रतीकार के लिए भी यही नियम समझने चाहिएँ ।

( ३ ) साँप से रक्षा : मन्त्र तथा जडी-बूटियों को जानने वाले विपबैद्यो को चाहिए कि वे सर्प-भय का प्रतीकार करे । अथवा नगरवासी जहाँ भी साँप देखें उसको मार डालें । अथवा अथर्व वेद के ज्ञाता अभिचार क्रियाओं द्वारा साँपो को मार डालें । सर्प-भय से बचने के लिए पर्व तिथियो पर उनकी पूजा की जाय । इसी प्रकार जलचर जीवो द्वारा होने वाले भयों का प्रतीकार समझना चाहिए ।

( ४ ) राक्षसों से रक्षा : राक्षसों का भय पैदा हो जाने पर तन्त्र और अथर्व वेद के ज्ञाता अभिचारक तथा मायायोग क्रियाओं द्वारा उसका प्रतीकार करें । कृष्ण चतुर्दशी तथा अष्टमी आदि पर्व तिथियो पर वेदों, छाता, खाद्य सामग्री, छोटी ऋठी और बलि के लिए बकरा लेकर शमशान भूमि मे राक्षसों की पूजा करायी जाय । प्रत्येक भय पर 'हम तुम्हारे लिए हवि पकाते हैं' ( चरु वश्चराम. ), इस प्रकार कहते हुए दिन-रात घूमे ।



- (१) सर्वत्र चोपहतान् पितेवानुगृह्णीयात् ।  
 (२) मायायोगविदस्तस्माद्विषये सिद्धतापसा ।  
 वसेयु पूजिता राजा दैवापत्प्रतिकारिण ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे उपनिषातप्रतीकारो नाम तृतीयोऽध्यायः,  
 आदित एकोनाशीतितमः ।

— ० —

( १ ) इस प्रकार के भयों के उपस्थित होने पर सब तरह से राजा, प्रजा की रक्षा अपनी सन्तान की तरह करे ।

( २ ) इसलिए राजा को चाहिए कि वह दैवी विपदाओं का प्रतीकार करने वाले अथर्व वेद के ज्ञाता तान्त्रिकों सिद्धों और तपस्विनों को अपने देश में सम्मानपूर्वक रखे ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में उपनिषातप्रतीकार नामक तीसरा अध्याय समाप्त

— ० —

- (१) समाहर्तृप्रणिधी जनपदरक्षणमुक्तम् । तस्य कण्टकशोधनं वक्ष्यामः।  
 (२) समाहर्ता जनपदे सिद्धतापसप्रव्रजितचक्रचरणकुहकप्रच्छन्द-  
 ककार्तान्तिकर्ममित्तिकमौहृतिकचिकित्सिकोन्मत्तमूकबधिरजडान्धधंदेहक-  
 कारुशिल्पिकुशीलववेशशौण्डिकापूपिकपाववमांसिकौदनिकव्यञ्जनान् प्रणि-  
 दध्यात् । ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शौचाशौचं विद्युः । यं चात्र गूढाजीविनं  
 शङ्केत, सत्रिसवर्णेनापसर्पयेत् । धर्मस्थं प्रदेष्टारं वा विश्वासोपागतं सत्री  
 ब्रूयात्—'असौ मे बन्धुरभियुक्तः, तस्यायमनर्थः प्रतिक्रियताम् । अयं चार्थः  
 प्रतिगृह्यताम्' इति । स चेत् तथा कुर्यात्, उपग्राहक इति प्रवास्येत ।  
 (३) तेन प्रदेष्टारो व्याख्याताः ।  
 (४) ग्रामकूटमध्यक्षं वा सत्री ब्रूयात्—'असौ जालमः प्रभूतद्रव्यः,

### गुप्त पडयंत्रकारियो से प्रजा की रक्षा के उपाय

- ( १ ) जनपद की रक्षा के उपाय समाहर्तृ प्रचार नामक प्रकरण मे बताये जा चुके हैं । अब जनपद मे गुप्त कण्टको के प्रतीकार का उपाय बताया जा रहा है ।  
 ( २ ) समाहर्ता को चाहिए कि वह गुप्त पडयत्र कार्यों को जानने के लिए सारे देश मे सिद्ध, तपस्वी, सन्यासी, परिव्राजक, भाट, जादूगर, स्वेच्छाचारी, यमपट को को दिखाकर जीविका चलाने वाले, शकुन बताने वाले, ज्योतिषी, वैद्य, उन्मत्त, गूमे, बहरे, मूर्ख, व्यापारी, कारीगर, नट, भांड, कलवार, हलवाई, पक्का मांस बेचने वाले और रसोइया आदि के वेप मे गुप्तचरो को नियुक्त करे । उन गुप्तचरो को चाहिए कि वे ग्रामीणो तथा ग्राम-प्रधानो की ईमानदारी और बेईमानी का पता लगाएँ । जिन्हे वे गूढाजीवी समझे उन्हे सत्री नामक गुप्तचर के साथ न्यायाधीश ( धर्मस्थ ) के पास भेज दें । विश्वस्त धर्मस्थ से सत्री यो कहे 'यह मेरा भाई है इसने ऐसा अपराध किया है । इसके इस अपराध को माफ कर दीजिए और इसके बदले मे इतना धन ले लीजिए' । यदि न्यायाधीश उस धन को लेकर अपराधी को छोड दे तो उस पर घूस-खोरी का जुर्म लगाकर उसे बसति किया जाय ।  
 ( ३ ) यही नियम प्रदेष्टा ( कण्टकशोधन का कमिश्नर ) के सबध मे भी समझने चाहिए ।  
 ( ४ ) गाँव के लोगो से या गाँव के मुखिया से सत्री कहे कि 'यह पापी बडा सम्पत्तिशाली है; इस समय इस पर ऐसी आपत्ति आई है इसलिए चलो आपत्ति के

तस्यायमनर्थः । तेनैवमाहारयस्व' इति । स चेत्तथा कुर्यादुत्कोचक इति प्रवास्येत ।

( १ ) कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणोऽभिज्ञातानर्थवर्षुत्येन आरभेत । ते चेत्तथा कुर्युः, कूटसाक्षिण इति प्रवास्येरन् ।

( २ ) तेन कूटश्रावणकारका व्याख्याताः ।

( ३ ) यं वा मन्त्रयोगमूलकर्मभिः श्माशानिकैर्वा संवननकारकं मन्येत, तं सत्री ब्रूयात्—'अमुष्य भार्या स्नुषां दुहितरं वा कामये । सा मां प्रतिकामयताम्, अयं चार्यः प्रतिगृह्यताम्' इति । स चेत्तथा कुर्यात्, संवननकारक इति प्रवास्येत ।

( ४ ) तेन कृत्याभिचारशीलो व्याख्यातो ।

( ५ ) यं वा रसस्य वक्तारं क्रेतारं विक्रेतारं भंपज्याहारव्यवहारिणं वा रसवं मन्येत, तं सत्री ब्रूयात्—'असौ मे शत्रुस्तस्योपघातः क्रियताम्, अयं चार्यः प्रतिगृह्यताम्' इति । स चेत्तथा कुर्याद्, रसद इति प्रवास्येत ।

वहाने इसकी सारी सम्पत्ति छूट लें ।' यदि गाँव के लोग या मुखिया वैसा ही करें तो उन्हें उत्कोचक ( जनता को कष्ट देकर अपहरण करने वाला ) समझकर प्रवासित कर दिया जाय ।

( १ ) वनावटी तौर पर अभियुक्त बना हुआ सत्री सदिग्ध गवाहों को बहुत सा धन देने का लोभ देकर अपनी ओर से उन्हें झूठी गवाही देने के लिए पुरुषलायें । यदि वे लोभ में आ जायें तो उन्हें झूठा साक्षी समझकर प्रवासित किया जाय ।

( २ ) यही नियम मूठे दस्तावेज आदि बनाने वालों के सम्बन्ध में भी समझने चाहिएँ ।

( ३ ) जिसको यह समझ लिया जाय कि यह व्यक्ति मन्त्रो, औषधियों या श्मशान की त्रियाओ द्वारा वशीकरण का कार्य करता है, उससे सत्री इस प्रकार कहे कि 'मैं अमुक व्यक्ति की स्त्री' पुत्रवधू या लटकी से प्रेम करता हूँ, इसलिए ऐसा उपाय बताओ कि जिससे वह मेरे वश में हो जाय बदले में इतना धन ले लो ।' यदि वह लोभवश वैसा करने को तैयार हो जाय तो उसे वशीकरण करने वाला समझकर प्रवासित कर दिया जाय ।

( ४ ) यही नियम उन लोगों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए जो अपने ऊपर देवी देवता, भूत प्रेत-पिशाच आदि को बुलाकर प्रजा को कष्ट देते हैं और तन्त्र-मन्त्र आदि प्रयोगों द्वारा लोगों को मारते हैं ।

( ५ ) विष के बनाने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले तथा औषधियों एवं भोग्य सामग्री का व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति पर यदि किसी को विष देने का सन्देह हो जाय तो सत्री उससे कहे कि 'अमुक पुरुष मेरा शत्रु है उसे आप विष देकर मार डालिये और बदले में इतना धन ले लीजिए' । यदि वह पुरुष ऐसा ही करे तो उसे विष देने के अभियोग में प्रवासित कर दिया जाय ।

(१) तेन मदनयोगव्यवहारी व्याख्यातः ।

(२) यं वा नातालोहधारणामङ्गारभस्त्रासन्दशमुष्टिकाधिकरणी-  
बिम्बटङ्कूमूपाणामभीक्षणं क्रैतारं मधीभस्मधूमविग्धहस्तवस्त्रलिङ्गं कर्मा-  
रोपकरसंवर्गं कूटरूपकारकं मन्येत, तं सत्री शिष्यत्वेन संव्यवहारेण चानु-  
प्रविश्य प्रज्ञापयेत् । प्रज्ञातः कूटरूपकारक इति प्रवास्येत ।

(३) तेन रागस्यापहर्ता कूटसुवर्णव्यवहारी च व्याख्यातः ।

(४) आरब्धारस्तु हिंसाया गूढाजीवास्त्रयोदश ।

प्रवास्या निष्क्रयार्थं वा दद्युदौपविशेषतः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थोऽधिकरणे गूढाजीविना रक्षा नाम  
चतुर्थोऽध्याय , अदितोऽशीतितम ।

—: ० —

( १ ) यही नियम उन व्यापारियों के सबन्ध में भी ममभूने चाहिएँ जो बेहोश करने वाली दवाइयों को बेचते हैं ।

( २ ) जो व्यक्ति अनेक प्रकार का लोहा, खाद, कायला, धौंकनी, सनसी, ह्यूडी निहाई (अधिकरणी), तस्वीर, छेनी और मूपा आदि पदार्थों को अधिक सख्या में खरीदे, जिसके हाथ या कपड़ों पर स्याही, राख तथा धूएँ के चिह्न हो, जो लोहार तथा सोनार के सभी औजार रखता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि छिपकर जाली सिक्का बनाने का सन्देह पैदा हो जाय तो सत्री उसका शिष्य बनकर एव उससे अच्छी तरह मेल-जोल बढ़ाकर उसके रहस्यों की धूरी जानकारी राजा को दे । इस बात का निश्चय हो जाने पर कि वह छिपकर जाली सिक्का बनाता है, उसे प्रवासित कर दिया जाय ।

( ३ ) सोने आदि का रंग उड़ा देने वाले तथा बनावटी सोने के सबन्ध में भी यही नियम समझने चाहिएँ ।

( ४ ) घर्मस्य, प्रदेष्टा, गाँव का मुखिया, गाँव का अध्यक्ष, कूट साक्षी, कूट धावक, बशीकरण कर्ता, क्रियाशील अभिचारशील, विप देने वाला, मदनयोग व्यापारी, कूटरूप कर्ता और कूट सुवर्ण व्यापारी, ये तेरह प्रकार के लोक के उपद्रव करने वाले गूढजीवी ऊपर बताए गये हैं । इन्हें देशनिकाला दिया जाय या अपराध के अनुसार दण्डित किया जाय ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में गूढजीवियोंकी रक्षा नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) सत्रिप्रयोगाद्द्वं सिद्धव्यञ्जना माणवा माणवविद्याभिः प्रलोभ-  
येयुः । प्रस्वापनान्तर्घनिद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोधकान्, संवननमन्त्रेण पार-  
तल्पिकान् ।

(२) तेषां कृतोत्साहानां महासंघमादाय रात्रावन्यं ग्राममुद्दिश्यान्व्यं  
ग्रामं कृतकस्त्रीपुष्ट्यं गत्वा ब्रूयुः—'इहैव विद्याप्रभावो दृश्यताम् । कृच्छ्रः  
परग्रामो गन्तुम्' इति । ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वाराण्यपोह्य 'प्रविश्यताम्'  
इति ब्रूयुः । अन्तर्घनिमन्त्रेण जाप्रतामारक्षिणां मध्येन माणवानतिक्राम-  
येयुः । प्रस्वापनमन्त्रेण प्रस्वापयित्वा रक्षिणः शय्याभिर्माणवैः संचारयेयुः ।  
संवननमन्त्रेण भार्याव्यञ्जनाः परेषां माणवैः संमोदयेयुः ।

(३) उपलब्धविद्याप्रभावाणां पुरश्चरणाद्यादिशेषुरभिज्ञानार्थम् ।

### सिद्धवेशधारी गुप्तचरो द्वारा दुष्टों का दमन

(१) गुप्तचरो के प्रयोग के बाद सिद्धों के देश में रहने वाले गूढ़ पुरुष चोरो,  
व्यभिचारियों के समूहों में रहकर सम्मोहनी विद्याओं के द्वारा प्रजा की कष्ट देने  
वाले दुष्टों को प्रलोभन दे, छिपाने, सवेत से दरवाजा खोलने आदि के मायिक  
प्रयोगों से चोरो को और बशीकरण मंत्रों के प्रयोगों से व्यभिचारियों को  
अपने काबू में करें ।

(२) चोरो और व्यभिचारियों के बड़े भारी समूह को उत्साहित कर, पहिले  
से रात में जिस गाँव को जाने का प्रोग्राम बनाया हो, उससे दूसरे ही गाँव में जहाँ  
लोगों को पहिले से समझा-बुझा दिया है, चोरो, व्यभिचारियों को ले जाकर सिद्ध-  
वेशधारी गुप्त पुरुष उनसे कहें 'आप लोग यहीं पर आज हमारी विद्या का प्रभाव देखें,  
आज दूसरे गाँव जाना तो सम्भव न हो सकेगा ।' इसके बाद द्वारापोह मंत्र से दरवाजों  
को खोलकर उन चोरो को भीतर घुस जाने को कहें; अन्तर्घनि मन्त्र के द्वारा जागते  
पहरेदारों के बीच से चोरों को निकाल दें, प्रस्वापन मन्त्र पढ़ने का अभिनय कर  
पहरेदारों को मुजावर उनकी चारपाइयों के पास से ही चोरो को ले जाँव और अन्त  
में बशीकरण मन्त्र का दिखावा कर दूसरो की बनावटी क्रिया के साथ उनको संभोग  
मुख दिलावें ।

(३) जब उन चोरो-व्यभिचारियों को सिद्ध पुरुषों की मन्त्रविद्या पर पूरा  
भरोसा हो जाय तब उन्हें मन्त्रों के पुरश्चरण ( प्रयोग ) के लिए प्रेरित करें ।

(१) कृतलक्षणद्रव्येषु वा वेशमसु कर्म कारयेयुः । अनुप्रविष्टान् वैकत्र प्राहयेयुः ।

(२) कृतलक्षणद्रव्यक्रयविक्रयाधानेषु योगसुरामत्तान् वा प्राहयेयुः । गृहीतान् पूर्वपदानसहायाननुयुञ्जीत ।

(३) पुराणचोरव्यञ्जना वा चोराननुप्रविष्टास्तथैव कर्म कारयेयुर्प्राहयेयुश्च ।

(४) गृहीतान् समाहर्ता पौरजानपदानां दर्शयेत्—‘चोरग्रहर्णो विद्यामघोते राजा; तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः, भूयश्च ग्रहीष्यामि । वारयितव्यो वा स्वजनः पापाचार’ इति ।

(५) यं चात्रापसर्पोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहर्तारं जानीयात्तमेपां प्रत्यादिशेद्—एष राज्ञः प्रभाव, इति ।

(६) पुराणचोरगोपालकव्याधश्वगणिनश्च, वनचोराटविकाननुप्रविष्टाः प्रभूतकूटहिरण्यकुप्यभाण्डेषु सार्थव्रजग्रामेष्वेनानभिजोययेयुः । अभियोगे

( १ ) फिर जिन घरों में पहिले ही से चिह्न लगी वस्तुएँ रखी गई हो वहाँ उनको चोरी करने के लिए भेजें । अन्त में किसी एक घर में घुसे हुए उन सबको एक साथ गिरफ्तार करवा लें ।

( २ ) अथवा चिह्नित वस्तुओं को बेचते खरीदते, गिरवी रखते ममय या मद्यपान की बेमुद्य दशा में उन्हें गिरफ्तार करा लें । तब उनके द्वारा पहिले की चोरियो तथा चोरी करने में सहायता देने वाले लोगों के सम्बन्ध में पता लगाया जाय ।

( ३ ) अथवा पुराने अनुभवी चोरो का वेश बनाकर गुप्तचर उनकी भण्डली में मिल जायें और उनसे चोरी कराकर उन्हें धोखे में गिरफ्तार करा दें ।

( ४ ) समाहर्ता को चाहिए कि वह उन गिरफ्तार किए गए चोरो को नगरवासियों के सामने खडा कर उनसे कहे ‘राजा, चोरो को पकडने की विद्या में बहुत निपुण थे । उसी की आज्ञा से इन चोरो को पकडा गया है । जो भी ऐसा कार्य करेंगे उनको मैं इसी तरह गिरफ्तार करूँगा । इसलिए तुम लोग अपने अपने स्वजनो को ताकीद कर दो कि वे ऐसा आचरण कदापि न करें ।’

( ५ ) गुप्तचरो की कारामात से गिरफ्तार किये छुरपी, रस्सी, सैल आदि कृषि योग्य छोटी छोटी वस्तुओं को चुराने वालो से जनता के सामने कहा जाय ‘देखो, राजा का ही यह प्रभाव है कि इतनी छोटी-छोटी वस्तुओं की चोरी भी उससे छिपी नहीं रह सकती है ।’

( ६ ) पुराने चोर, शिकारी, बहेलिये एव चरवाहे के वेश में गुप्तचर, जगली चोरो और कोलभीलो के समूह में घुल-मिल जायें, तब उन्हें ऐसे गाँव में डाका

गूढबलंघातयेषुः, मदनरसमुक्तेन वा पध्यादनेन । अनुगृहीतलोप्त्रभाराना-  
यतगतपरिश्रान्तान् प्रस्वपतः प्रह्वणेषु योगसुरामत्तान् वा प्राहयेषुः ।

(१) पूर्ववच्च गृहीत्वैनान् समाहर्ता प्रह्वयेत् ।  
सर्वज्ञस्यापनं रातः कारयन् राष्ट्रवासिषु ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे सिद्धव्यञ्जनैर्माणवप्रकाशनम् नाम  
पञ्चमोऽध्यायः, आदित एकाशीतितमः ।

— ० —

डालने का सुझाव दें जहाँ पर जाली मोना, चाँदी तथा ताँबा आदि का समान तैयार करने वाले व्यापारी रहते हैं । जब ये लोग चोरी के लिए घुसों कि तत्काल ही पहिले से छिपी हुई सेना इनका काम हमाम कर दे । या रात में विपाक्त भोजन देकर इन्हें मार डाला जाय, या चोरी का माल ढोने के कारण थक कर सोये हुए, अथवा भोजन के साथ बढ़िया मदिरा पीने के कारण बेहोश हुए, इनको गिरफ्तार किया जाय ।

( १ ) जब उनको गिरफ्तार किया जाय तब समाहर्ता को चाहिए कि वह पहिले की तरह उन्हे जनता के सामने खडा कर राजा की सर्वज्ञता की घोषणा करे ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में सिद्धव्यञ्जन से भाणवप्रकाशन नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) सिद्धप्रयोगादूर्ध्वं शङ्कारूपकर्माभिग्रहः ।

(२) क्षीणदायकुटुम्बमल्पनिर्वेशं विपरोतदेशजातिगोत्रनामकर्मापदेशं प्रच्छन्नवृत्तिकर्माणं मांससुरामक्षयभोजनगन्धमाल्यवस्त्रविभूषणेषु प्रसक्त-  
मतिव्ययकर्तारं पुंश्र्लोद्यूतशौण्डिकेषु प्रसक्तमभोक्षण प्रवासिनमविज्ञात-  
स्थानगमनमेकान्तारप्यनिष्कुटविकालचारिणं प्रच्छन्ने सामिपे वा देशे बहु-  
मन्त्रसन्निपातं सद्यः क्षतघ्नानां गूढप्रतिकारयितारमन्तर्गृहनित्यमम्यधि-  
गन्तारं कान्तापरं परपरिग्रहाणां परस्त्रीद्वयवेश्मनामभोक्षणप्रष्टारं कुस्ति-  
कर्मशस्त्रोपकरणसंसर्गं विरात्रे छन्नकुडचच्छायासचारिणं विरूपद्वय्याणा-

शंकित पुरुषों को पहिचान; चोरी के माल को पहिचान;  
और चोर को पहिचान

( १ ) सिद्धवेश गुमचरो के कार्यों के बाद अब शका, रूप और कर्म के द्वारा चोरो को पकडने की युक्तियों का विधान किया जाता है ।

( २ ) शंकित पुरुषो की पहिचान उन ध्यक्तियों पर चोर, डाकू, हत्याघ तथा प्रजा-पीडक होने की शका की जा सकती है जिनकी चाप-दादो की सम्पत्ति, खेती-बारी आदि धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही हो, जिनको माने और खर्च के लिए पर्याप्त वेतन न मिलता हो, जो लोग अपना देश, जाति, गोत्र, नाम और अपने अध्य-  
वसाय का ठीक-ठीक पता न देते हो, जो लोग जीविका के लिए छिपे तौर पर कार्य करते हो, जिन्हे मद्य, मास, इत्र, फुलेल, बढिया वस्त्र और बनाव शृंगार का शौक हो, अति स्वर्चस्ति, वेश्याओं, जुआरियों और शरावियों के बीच रहने वाले, बार-बार विदेश जाने वाले किन्तु जिनके गन्तव्य स्थान का कुछ पता न हो, जो एकात जगलो या सधन बगीचों में कुसमय जाते हो, जो धनवानो के घरों के बास पास छिपे तौर पर चक्कर लगाते हो, जो अपने शरीर के धावों की मरहम पट्टी छिपकर कराते हो, जो सदा ही घर में घुसे रहते हो, जो किसी पुरुष को सामने आते देखकर अचानक ही लौट पडते हो, जो स्त्रियों में अति आसक्त हो, दूसरे के घर का हालचाल, स्त्री, द्रव्य आदि के सम्बन्ध में बार-बार पूछने वाले, चोरी, कुक्कों, शस्त्र अस्त्रों तथा इस प्रकार के दूसरे साधनो को जानने वाले, जो आधीरात में छिप कर दीवारों की छाया



मदेशकालविश्रेतारं जातवराशय हीनकर्मजातिं विगूह्यमानरूप लिङ्गेना-  
लिङ्गिनं लिङ्गिन वा भिन्नाचार पूर्वकृतापदानं स्वकर्मभिरपदिष्टं नागरिक-  
महामात्रदर्शने गूहमानमपसरन्तमनुच्छ्वासोपवेशितमाविन्नं शुष्कमिन्द्र-  
स्वरमुखवर्णं शस्त्रहस्तमनुष्यसम्पातत्रासिन हिंस्रस्तेननिधिनिक्षेपापहारवर-  
प्रयोगगूढाजीविनामन्यतम शङ्कतेति शङ्कामिग्रहः ।

(१) रूपाभिग्रहस्तु । नष्टापहतमविद्यमानं तज्जातव्यवहारियु निवेद-  
येत् । तच्चेन्निवेदितमासाद्यप्रच्छादयेयुः, साचिव्यकरदोषमाप्नुयुः । अजा-  
नन्तोऽस्य द्रव्यस्वातिसर्गणं मुच्येरन् । न चानिवेद्य संस्थाध्यक्षस्य पुराण-  
भाण्डानामाधान विक्रयं वा कुर्युः ।

(२) तच्चेन्निवेदितमासाद्येत, रूपाभिगूहीतमागमं पृच्छेत्—कुतस्ते

मे चुपके-चुपके चलते हो, जो गहने आदि की शकन को विगाह कर उनकी अनुचित  
बिक्री करते हो, शत्रुता रखने वाले, नीचकर्म करने वाले, नीच जाति में उत्पन्न,  
अपनी असली शूरत को छिपा कर रखने वाले, जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी  
ब्रह्मचारियों के वेश में रहते हुए भी नियमों का ठीक ठीक पालन न करते हो, जिन  
पर पहिले चोरी का अभियोग लग चुका हो, जो अपने बुरे कर्मों के लिए प्रसिद्ध हो,  
जो नगर के पहरेदारों तथा अन्य राजकीय कर्मचारियों से छिपें तथा भाग जाय, जो  
छिपकर एकान्त में बैठते हों, भयभीत, सूसे मुँह, मुरभाये चेहरे, और भर्राई आवाज  
वाले, हाथ में हथियार लेकर चलने वाले पुरुष से डर जाने वाले, इत्यादि पुरुषों पर  
यह शका की जा सकती है, या तो वह हत्यारा है, या चोर है, या डाकू है, या  
क्रोधावेश में उसने किसी के ऊपर हथियार चलाया है अथवा वह प्रजा को कष्ट देने  
वाला प्रजाकण्टक है । यह शक्ति पुरुषों की पहिचान का निरूपण किया गया ।

( १ ) चोरी के माल की पहिचान : यदि असावधानी के कारण कोई चीज  
खो जाय या चोरी चली जाय और खोजने पर जल्दी न मिले तो उस चीज की पूरी  
हुनिया लिखकर उसी चीज के व्यापारी के यहाँ भेज दी जाय कि इस प्रकार की  
चीज उसके यहाँ विकने को आवे तो वह ध्यान रखे । यदि ऐसी वस्तुओं के आ जाने  
पर भी व्यापारी उसकी सूचना हुलिया देने वाले को न पहुँचाये तो उन्हें वही दण्ड  
दिया जाय, जो चोरी में सहायता देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है । यदि उन्हें इस  
बात का पता न हो तो उस वस्तु के वापिस कर देने पर उन्हें अपराध से बरी किया  
जाय । सस्थाध्यक्ष को सूचित किए बिना कोई भी माल न तो गिरवी रखा जाय  
और न बेचा जाय ।

( २ ) यदि कोई सोई हुई वस्तु किसी व्यापारी के यहाँ आ जाय तो उस वस्तु  
के लाने वाले व्यक्ति से पूछा जाय 'तुम्हें यह वस्तु कहाँ से मिली है ?' यदि वह फहे

लब्धमिति । स चेद् ब्रूयात्—दायाद्यादवाप्तममुष्माल्लब्धं, क्रीतं कारित-  
माधिप्रच्छन्नम्, अयमस्य देशः कालश्चोपसंप्राप्तः, अयमस्यार्घः प्रमाणं  
लक्षणं मूल्य चेति । तस्यागमसमाधौ मुच्येत ।

(१) नाष्टिकश्चेत्तदेव प्रतिसंदध्यात्, यस्य पूर्वं दीर्घश्च परिभोगः  
शुचिर्वा देशस्तस्य द्रव्यमिति विद्यात् । चतुष्पदानामपि हि रूपलिङ्गसा-  
मान्यं भवति, किमङ्गपुनरेकयोनिद्रव्यकर्तृप्रसूतानां कुप्याभरणभाण्डानाम्-  
इति ।

(२) स चेद् ब्रूयात्—याचितकमवक्रीतकमाहितकं निक्षेपमुपरिनिधिं  
वैयापृत्यमर्म वाऽमुच्येति, तस्यापसारप्रतिसन्धानेन मुच्येत ।

(३) नैवमित्यपसारो वा ब्रूयात्, रूपाभिगृहीतः परस्य दानकारण-  
मात्मनः प्रतिग्रहकारणमुपलिङ्गन वा दायकदापकनिबन्धकप्रतिग्राहकोप-  
देष्टृभिरुपश्रोतृभिर्वा प्रतिसमानयेत् ।

कि 'मुझे यह बपौती से मिली है मैंने इसको अमुक व्यक्ति से लिया है अथवा मैंने  
इसको खरीदा या बनवाया है या अभी तक गिरबी रखने के कारण यह वस्तु छिपी  
रही, यह वस्तु मैंने अमुक स्थान पर अमुक समय में खरीदी है, इसका असली मूल्य  
यह है, इसके यह लक्षण हैं, यह प्रमाण है, आजकल इसकी इतनी कीमत है' इस  
प्रकार उसका ठीक-ठीक वृत्तान्त बता देने पर उसको अपराधी न समझा जाय ।

( १ ) यदि कोई गई या चोरी गई वस्तु का मालिक उक्त वस्तु को अपनी  
बताये तो उन दोनों में से उस वस्तु का असली मालिक उसी व्यक्ति को माना जाय,  
जो वस्तु का अधिक दिनों से उपभोग करता आ रहा हो और जिसके साक्षी विश्वस्त  
एव सच्चे हो । क्योंकि बहुधा यह देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न योनियों में पैदा हुए  
चौपायो तक में अविकल साम्य होता है, ऐसी स्थिति में कोई असम्भव नहीं कि एक  
ही कारीगर द्वारा एक ही द्रव्य से बनी हुई वस्तुओं में परस्पर साम्य न हो ।

( २ ) यदि उस वस्तु को लाने वाला व्यक्ति ऐसा कहे कि 'यह वस्तु मैं अमुक  
व्यक्ति से भाँग कर लाया हूँ, या किराये पर लाया हूँ, या मेरे पास इसको गिरबी  
रखा गया है, या कुछ वस्तु बनाने के लिए मेरे पास रखा गया है, या मेरे पास सुरक्षा  
के लिए दे गया है, या अमुक व्यक्ति से वेतन रूप में मैंने इसको पाया है, तो उस  
असली व्यक्ति को बुलाया जाय । यदि वह कहे कि 'जो कुछ इसने कहा है वह ठीक  
है' तो उस वस्तु को लाने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया जाय ।

( ३ ) यदि वह कहे 'इसने ठीक नहीं कहा है' तो वस्तु के लाने वाले व्यक्ति  
को अदालत में पेश किया जाय और वहाँ यह इस बात को सिद्ध करे कि 'यह वस्तु  
मैंने इसी से ली है ।' साथ ही वह उस वस्तु के देने वाले, दिलाने वाले, लिखने वाले,  
लेने वाले, लिखाने वाले तथा साक्षियों को अदालत में पेश करे ।

(१) उज्जितप्रनष्टनिष्पतितोपलब्धस्य देशकाललाभोपलिङ्गनेन शुद्धिः । अशुद्धस्तच्च तावच्च दण्डं दद्यात् । अन्यथा स्तेपदण्डं भजेत इति रूपाभिग्रहः ।

(२) कर्माभिग्रहस्तु मुषितवेशमनः प्रवेशनिष्कसमनद्वारेण, द्वारस्य सन्धिना बीजेन वा वेधम्, उत्तमागारस्य जालवातायननीप्रवेधम्, आरोहणावतरणे च कुड्यस्य वेधम्, उपखननं वा गूढद्रव्यनिक्षेपग्रहणोपायमुपदेशोपलभ्यम्, अभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमर्दोपकरणमभ्यन्तरकृतं विद्यात् । विपर्यये बाह्यकृतम् । उभयत उभयकृतम् ।

(३) अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्नं ध्यसनिनं क्रूरसहायं तत्स्करोपकरणसंसर्गं स्त्रियं वा दरिद्रकुलामन्यप्रसक्तं वा परिचारकजनं वा तद्विधाचारमतिस्वप्नं निद्राक्लान्तमाधिव्लान्तमाविग्नं शुष्कभिन्नस्वरमुखवर्णमनवस्थितमतिप्रलापिनमुच्चारोहणसंरब्धगात्रं विलूननिघृष्टमिन्नपाटितशरीरवस्त्रं

( १ ) यदि अभियोक्ता अपनी भूली हुई, खोई हुई या चोरी गई वस्तु के मिल जाने पर उसके देश, काल तथा अपने हक को साबित कर दे तो वह वस्तु उसी की समझी जाय । यदि साबित न कर सके तो उतनी ही कीमत की वैसी ही दूसरी वस्तु उससे ली जाय और उतना ही उसको दण्ड दिया जाय । या तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय । यहाँ तक चोरी गये माल के सम्बन्ध में कहा गया ।

( २ ) चोर की पहिचान - यदि चोरी हुए घर में चोर पीछे के दरवाजे से घुसे हो, या दरवाजे के जोड़ों से अथवा नीचे से तोड़ कर घुसे हो, या दीवार के चढ़ने के लिए ईंटें निकाल कर अथवा खोद कर जगह बनाई गई हो, या खिड़की तथा रोशनदान तोड़े गए हो, या जहाँ पर धन रखा गया है ठीक उमी जगह दीवार तथा जमीन खोदी गई हो और मकान के भीतर खोदी गई मिट्टी को लापता कर दिया गया हो, तो समझना चाहिए कि इस चोरी में किसी अन्दरूनी व्यक्ति का हाथ है । यदि इससे विपरीत लक्षण दीखें तो बाहरी व्यक्ति की करामात समझनी चाहिए, और दोनों तरह के लक्षण मिले तो दोनों तरह की चोरी समझनी चाहिए ।

( ३ ) यदि चोरी में किसी अन्दरूनी व्यक्ति का हाथ होने का संदेह हो तो घर के भीतर या आस पास के व्यक्तियों को पूछ कर उसकी जाँच पड़ताल इस प्रकार की जाय, जो जुआरी, शराबी, कुमार्गी हो, क्रूर व्यक्तियों तथा चोरों की सगत करने वाला हो, दरिद्र हो, परामे प्रेम में फँसी हुई स्त्री हो, दूसरों की स्त्रियों पर आसक्त नौकर धाकर हो, बहुत सोने वाला हो, आलसी लगे, मानसिक कष्टों से दुःखी हो, डरा या धबकाया हुआ हो, जिसकी आवाज भर्राई हुई हो, चंचल, बकवादी हो, ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों की सहायता ले, जिसके शरीर एवं वस्त्रों में रगड़ने के निशान

जातकिणसंरब्धहस्तपादं पांसुपूर्णकेशानखं विलूनमुग्गकेशानखं वा सम्यवस्ना-  
तानुलिप्तं तैलप्रमृष्टगात्रं सद्योघौतहस्तपादं वा पांसुपिच्छिलेषु तुल्यपाद-  
पदनिक्षेपं प्रवेशनिष्कसनयोर्वा तुल्यमाल्यमद्यगन्धवस्त्रच्छेदविलेपनस्वेदं  
परीक्षेत । चोरं पारदारिकं वा विद्यात् ।

( १ ) सगोपस्थानिको बाह्यां प्रवेष्टा चोरमार्गणम् ।  
कुर्यान्नागरिकश्चान्तर्दुर्गे निर्दिष्टहेतुभिः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे शंकारूपकर्माभिप्रहो नाम  
पठोऽध्याय, आदितो द्वयशोतितम ।

— ० :—

हो, जिसके हाथ-पैरो मे टेक पडी हो, जिसके बाल तथा नाखून बड़ हुए हो, स्नान  
करके जिसके चन्द्रन का या सुगन्धित तेल का शरीर पर लेप कर दिया हो, मानिश  
करके जिसने तत्काल ही हाथ-पैर धो दिए हो, धूल या कीचड़ मे जिसके पैरो के  
निशान मिल जायें, जिस पर चोरी गये माल की जैसी गन्ध आती हो, जिसके कपडे  
फटे हो, चन्दन लगाने से भी जिस पर पसीना चू रहा हो, इस तरह के पुरपो से पूछ  
लेने के बाद ही चोर या व्यभिचारी का पता लगाया जाय ।

( १ ) यदि चोर बाहरी हो तो गोप और स्थानिक की सहायता से प्रवेष्टा उनका  
पता लगाये । नागरिक भी अपने तरीको मे चोर का पता लगायें ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण मे शंकारूपकर्माभिप्रह नामक  
छठा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

- (१) तंलान्यक्तमाशुमृतकं परीक्षेत ।
- (२) निष्कोर्णमूत्रपुरीषं घातपूर्णकोष्ठत्वक्कं शूनपादपाणिमुन्मोलितार्शं  
सव्यञ्जनकण्ठं पीडननिस्सोच्छ्वासहतं विद्यात् ।
- (३) तमेव सकुचितबाहुसन्धियमुद्गघृतं विद्यात् ।
- (४) शूनपाणिपादोदरमपगताभमुद्बृत्तनाभिमवरोपितं विद्यात् ।
- (५) निस्तब्धगुदांशं सन्दष्टजिह्वमाश्रमातोदरमुदकृतं विद्यात् ।
- (६) शोणितानुसित्तं भग्नभिन्नगात्रं काष्ठं रश्मिभिर्वा हृतं विद्यात् ।
- (७) सम्भग्नस्फुटितगात्रमवक्षिप्तं विद्यात् ।
- (८) श्यावपाणिपाददन्तनखं शिथिलमांसरोमचर्मणं फेनोपदिग्धमुखं  
विपहतं विद्यात् ।

( १ ) तमेव सशोणितदश सपंकीटहत विद्यात् ।

( २ ) विक्षिप्तवस्त्रगात्रमतिवार्तिविरिक्त मदनयोगहत विद्यात् ।

( ३ ) अतोऽन्यतमेन कारणेन हत हत्वा वा दण्डमयादुद्बन्धनिकृत्तकण्ठ विद्यात् ।

( ४ ) विपहतस्य भोजनशेष पयोभि परीक्षेत । हृदयादुद्धृत्याग्नौ प्रक्षिप्त चिटचिदायदिन्द्रघनुर्वणं वा विपयुक्त विद्यात् । दग्धस्य हृदयमदग्ध दृष्ट्वा वा ।

( ५ ) तस्य परिचारकजन वा वाग्दण्डपारुष्यातिलब्ध मार्गेत । दु खो-  
पहतमन्यप्रसक्त वा स्त्रीजन, दायनिवृत्तिस्त्रीजनाभिमन्तार वा बन्धुम् ।  
तदेव हतोद्बद्धस्य च परीक्षेत ।

पद गये हो और मुख से माग निकलता हो तो समझना चाहिए कि उसको जहर देकर मारा गया है ।

( १ ) यदि यही हालत हो और किसी कटे हुए स्थान से खून निकल रहा हो तो समझना चाहिए कि उसे साँप से या किसी जहरीले कीड़े से कटवा कर मारा गया है ।

( २ ) जिसका शरीर एव जिसके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो और जिसको कं दस्त हुए हो तो समझना चाहिए कि उसे धतुरा या ऐमी ही उमादक वस्तुओं को खिना कर मारा गया है ।

( ३ ) इन उक्त कारणों में से किसी एक कारण से मरे हुए व्यक्ति की परीक्षा की जाय अथवा कोई व्यक्ति किसी हत्या या फौजी के भय से स्वय ही फाँसी लगाकर या आत्महत्या करके मर सकता है इसको भी परीक्षा की जाय ।

( ४ ) विप से मरे हुए व्यक्ति के पेट से अन्न निकाल कर उसकी रासायनिक क्रिया से परीक्षा की जाय । यदि पेट में अन्न न हो तो उसके हृदय का एक अश काट कर भाग में छोड़ा जाय यदि उसमें चिट चिट की आवाज निकले या इद्र धनुष के समान लाल पीला धुआँ निकले तो उसे विप द्वारा मारा गया समझना चाहिए । अथवा जलाये हुए व्यक्ति के अघ्रजले हृदय को देख कर परीक्षा करनी चाहिए ।

( ५ ) अथवा मृतक व्यक्ति के उन नीकर चाकरो से विप देने वाले का पता लगाया जाय जिन्हें वाक्पारुष्य और दण्डपारुष्य से तज्ञ किया गया हो । दु खित तथा परपुरुष यामिनी स्त्री से मृतक की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने वाले व्यक्तियों से और जो व्यक्ति मृतक की विधवा स्त्री को अपनी स्त्री बनाने की इच्छा रखते हो उनसे मृतक व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछ ताछ की जाये । इसी प्रकार किसी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर देने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी पूछ ताछ की जाय ।

(१) स्वयमुद्धृद्धस्य वा विप्रकारमयुक्तं मार्गैत ।

(२) सर्वेषां वा स्त्रीदायाद्यदोषः कर्मस्पर्धा प्रतिपक्षद्वेषः पण्यसंस्था समवायो वा विवादपदानामन्यतमं वा रोपस्थानम् । रोपनिमित्तो घातः ।

(३) स्वयमादिष्टपुरुषैर्वा चोरैरर्थनिमित्तं सादृश्यादन्यैरिभिर्वा हतस्य घातमासन्नेभ्यः परीक्षेत । येनाहृतः सहस्थितः प्रस्थितो हतभूमि-मानीतो वा तमनुयुञ्जीत । ये चास्य हतभूमावासन्नचरास्तानेकैकशः पृच्छेत्—केनापमिहानीतो हतो वा, कः सशस्त्रः सद्गूहमान उद्विग्नो वा युष्माभिर्दृष्ट इति । ते यथा ब्रूयुस्तथानुयुञ्जीत ।

(४) अनायस्य शरीरस्यमुपभोगं परिच्छदम् ।

वस्त्रं धेपं विभूषां वा दृष्ट्वा तद्वचवहारिणः ॥

अनुयुञ्जीत संयोगं निवासं वासकारणम् ।

कर्म च व्यवहारं च ततो मार्गणमाचरेत् ॥

( १ ) स्वय ही फाँसी लगाकर आत्महत्या कर देने वाले व्यक्ति के कष्टों और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जाय ।

( २ ) सामान्यतया हत्या और आत्महत्या का कारण क्रोध है, और क्रोध के भी स्त्री, दायभाग, राजकुलो में हुकूमत के लिए सघर्ष, शत्रुता, व्यापार में पारस्परिक हानि की इच्छा और सध सम्बन्धी विवाद, आदि अनेक कारण हैं । क्रोध के बढ जाने पर ही हत्याएँ और आत्महत्याएँ होती हैं ।

( ३ ) जिसने आत्मघात किया हो या जिसको नौकरो से मरवाया गया हो, या जिसको लुटेरो ने धन के लोभ से मारा हो, या किसी व्यक्ति ने रूप-रङ्ग की एकता जानकर अपना शत्रु होने के धोखे में मारा हो, इस प्रकार की हत्याओं के सम्बन्ध में मृतक के पड़ोसियों से पूछ-ताछ की जाय । जिसने उसको बुलाया हो और जो मृत्यु-स्थान पर इधर-उधर घूमते हो, उन सबसे भी पूछताछ की जाय । उनमें से एक एक को पूछा जाय 'इस व्यक्ति को यहाँ कौन लाया है ? किसने इसको मारा है ? तुम लोगो ने किमी हथियार बन्द आदमी को लुक-छिप कर, भयभीत, इधर-उधर जाते-आते हुए तो नहीं देखा है ?' इन पर वे जैसा कहें तदनुसार मामले को आगे बढ़ाया जाय ।

( ४ ) मृतक के कपडे, छाता, जूता, माला, बेश ( गृहस्थ या सन्यासी ) और आभूषण आदि को मली-भाँति देखकर उन वस्तुओं के व्यापारियों से यह पता लगाया जाय कि 'उस शक्ति का मेल-जोल किस-किस से था, किसके साथ वह कारोबार करता था, उसका बर्ताव-व्यवहार कैसा था इत्यादि, इन सब बातों का ठीक-ठीक पता लग जाने के बाद हत्यारे की खोज की जाय ।

- (१) रज्जुशस्त्रविषेर्वापि कामक्रोधवशेन यः ।  
घातयेत्स्वयमात्मानं स्त्री वा पापेन मोहिता ॥  
रज्जुना राजमार्गं तां चण्डालेनापकर्षयेत् ।  
न श्मशानविधिस्तेषां न सम्बन्धिक्रियास्तथा ॥
- (२) वनधुस्तेषां तु यः कुप्यतिप्रेतकार्यक्रियाविधिम् ।  
तद्गतिं स चरेत्प्रश्नात्स्वजनाद्वा प्रमुच्यते ॥
- (३) संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन् ।  
याजनाध्यापनाद्यौनात्तेश्रान्योऽपि समाचरन् ॥

इति कष्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे आशुमृतकपरीक्षा नाम समोऽध्यायः,  
आदितस्व्यशीतितम ।

—: ० :—

( १ ) जो व्यक्ति काम या क्रोध के वशीभूत होकर, फाँसी लगाकर या अस्त्र द्वारा आत्महत्या करे और इसी प्रकार जो स्त्री दुराचार के कारण आत्महत्या करे, चाण्डाल उनकी लाशों रस्सी से बाँधकर बाजार में घसीटता हुआ ले जाय । ऐसे व्यक्तियों के लिए दाहादि संस्कार एवं तिलाजलि आदि संस्कार वर्जित हैं ।

( २ ) ऐसे व्यक्तियों का जो कोई भी भाई-बन्धु उनका दाहादि संस्कार करता है, मरने के बाद उसकी भी वही गति प्राप्त होती है और जीवितावस्था में उसे जातिष्युत कर दिया जाता है ।

( ३ ) पतित पुण्यो के साथ जो भी व्यक्ति भजन, अध्यापन और विवाह आदि करता है वह भी एक वर्ष के भीतर पतित हो जाता है, और फिर उसके साथ व्यवहार करने वाले लोग भी एक वर्ष में पतित हो जाते हैं ।

कष्टकशोधन नामक चतुर्थे अधिकरण में आशुमृतकपरीक्षा नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—



(१) भुषितसन्निधौ बाह्यानामभ्यन्तराणां च साक्षिणमभिशास्तस्य देशजातिगोत्रनामकर्मसारसहायनिवासानुपुञ्जीत । ताश्चापदेशः प्रति-समानयेत् । ततः पूर्वस्याह्नः प्रचारं रात्रौ निवासं च आप्रहणादिति अनुपु-ञ्जीत । तस्यापचारप्रतिसन्धाने शुद्धः स्यात् । अन्यथा कर्मप्राप्तः ।

(२) त्रिरात्रादूर्ध्वमग्राह्यः शङ्कितकः पृच्छाभावादन्यत्रोपकरण-दर्शनात् ।

(३) अचोरं 'चोर' इत्यभिव्याहरतश्चोरसमो दण्डः, चोरं प्रच्छाद-यतश्च ।

(४) चोरेणाभिशास्तो चैरद्वेषाम्यामपविष्टकः शुद्धः स्यात् । शुद्धं परिवारसयतः पूर्वं साहसदण्डः ।

### जाँच और यातना के द्वारा चोरी को अंगीकार कराना

( १ ) जिसकी चोरी हुई हो उसके सामने और बाहर-भीतर के दूसरे लोगों के सामने गवाह से, चोरी के सन्देह में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का देश, जाति, गोत्र, नाम, वाम, सम्पत्ति, मित्र और निवासस्थान के सम्बन्ध में पूछा जाय । तदनन्तर जिरह ( उपदेष्ट ) में उसके बयानों की आलोचना की जाय । गवाह के बयानों की आलोचना हो जाने के बाद गिरफ्तार हुए व्यक्तियों से उनका पिछला कार्य, रात का निवास और जिस समय वह पकड़ा गया है उस समय तक के सब कार्यों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जाय । यदि वह निर्दोष साबित हो जाय तो उसको बरी कर दिया जाय, अन्यथा उसको सजा दी जाय ।

( २ ) चोरी के तीन दिन बाद सन्दिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाय, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के कारण उससे सही बातें मालूम नहीं हो सकती है । किन्तु किसी के पास यदि चोरी के सबूत मिल जाय तो उसे तीन दिन के बाद भी गिरफ्तार किया जाय ।

( ३ ) जो व्यक्ति साधु पुरुष को ( चोर ) बताया उसे चोरी का दण्ड दिया जाय और यही दण्ड उसे भी दिया जाय जो चोर को छिपाने का यत्न करे ।

( ४ ) यदि चोर व्यक्ति दुश्मनी के कारण किसी सज्जन पुरुष को पकड़वाये और यह बात सिद्ध हो जाय तो उसे अपराधी न समझा जाय । जो अधिकारी ( प्रदेष्टा ) निरपराध को दण्ड दे उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

(१) शङ्खानिष्पन्नमुपकरणमन्त्रिसहायरूपव्यापृत्यकरान् निष्पादयेत् । कर्मणश्च प्रवेशद्वय्यादानांशविभागः प्रतिसमानयेत् ।

(२) एतेषां कारणानामनभिसन्धाने विप्रलपन्तमचोरं विद्यात् । दृश्यते ह्यचोरोऽपि चोरमार्गं यदृच्छया सन्निपाते चोरवेषशस्त्रभाण्डसामान्येन गृह्यमाणो दृष्टश्चोरभाण्डस्योपवासेन वा यथा हि भाण्डव्यः कर्मव्लेश-भयादचोरः 'चोरोऽस्मि' इति ब्रुवाणः । तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत् ।

(३) मन्दापराधं बालं वृद्धं व्याधितं मत्तमुग्धं क्षुत्पिपासाध्वक्लान्त-मत्याशितमामकाशितं दुर्बलं वा न कर्म कारयेत् ।

(४) तुल्यशीलपुंश्रुलीप्रावादिककथावकाशभोजनदातृभिरसपंयेत् । एवमतिसन्दध्यात् । यथा वा निक्षेपापहारे व्याख्यातम् ।

(५) आप्तदोषं कर्म कारयेत् । न त्वेव स्त्रियं गर्भिणीं सूतिकां वा भासावरप्रजाताम् । स्त्रियास्त्वर्धकर्म । वायानुयोगो वा ।

( १ ) सदेह पे गिरफ्तार हुए व्यक्ति से चोरी करने के उपाय, उसके सलाहकार सहायक वस्तुएँ, चोरी का माल और उमकी मजदूरी के सबध में विस्तार से पूछ-ताछ की जाय । उसमें यह भी पूछा जाय कि चोरी करते समय मकान के भीतर कौन-कौन गया था, क्या-क्या माल हाथ लगा और किस-किस को कितना-कितना हिस्सा मिला ?

( २ ) जो व्यक्ति चोरी सिद्ध करने वाले उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में तो कुछ न कहे, बल्कि डर के मारे अट-सट बके तो, उसको चोर न समझा जाय । क्योंकि व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि चोर न होते हुए भी, चोरो के रास्ते से जाता हुआ, चोर के समान शकल, हथियार और माल लिए हुए राहगीर को भी चोर समझ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसी प्रकार चोरी के माल के पास सड़ा निर्दोष व्यक्ति भी गिरफ्तार होते लोक में देखा गया है । उदाहरण के लिए माण्डव्य चोर न होते हुए भी मार के भय से 'मैं चोर हूँ' यह कहते हुए पकड़ा गया था । इसलिए इस प्रकार के मामलो में सूब सोच-विचार करके ही अपराधी को दण्ड देना चाहिए ।

( ३ ) छोटे अपराधी, बालक, बूढ़ा, बीमार, पागल, जन्मादी, मूखा, प्यासा, थका, अति भोजन किये, अजीर्णरोगी और निर्बल आदि व्यक्तियों को फोटे आदि शारकर शारीरिक दण्ड न दिया जाय ।

( ४ ) समान स्वभाव वाली वेश्याओ, दूतियों, कृत्यों, सरायो और होटलों आदि के द्वारा छिपे तौर पर बुरा कर्म करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाय । पहले कही गई युक्तियों से उन्हें धोखा दिया जाय, अथवा निक्षेप चुराने के सबन्ध में जो उपाय बताये गये हैं उन्ही को काम में लाया जाय ।

( ५ ) जिसका अपराध साबित हो उसी को दण्ड दिया जाय, किन्तु गर्भिणी और

(१) ब्राह्मणस्य सत्रिपरिग्रहः श्रुतवतस्तपस्विनश्च । तस्यातिक्रम उत्तमो दण्डः । कर्तुः कारयितुश्च कर्मणा व्यापादनेन च ।

(२) व्यावहारिक कर्मचतुष्कम्-पङ्क दण्डाः, सप्त कशाः, द्वावुपरि निबन्धौ, उदकनालिका च ।

(३) पर पापकर्मणां नववेत्रलताद्वादशकं, द्वावृखेष्टौ, विशतिनंक्त-माललताः, द्वात्रिंशत्तलाः, द्वौ वृश्चिकबन्धौ, उल्लम्बने च द्वे, सूचीहस्तस्य, यवाग्नूपीतस्थाप्रस्त्रावः, एकपर्वदहनमगुल्याः, स्नेहपीतस्य प्रतापनमेकमहः, शिशिररात्रौ बल्यजाग्रशय्या चेत्यष्टादशकं कर्म ।

(४) तस्योपकरणं प्रमाणं प्रहरणं प्रधारणमवधारणं च खरपट्टादाग-मयेत् ।

(५) दिवसान्तरमेककं कर्म कारयेत् ।

और एक महीने से कम प्रसूता स्त्री को हर्गिज दण्ड न दिया जाय । पूर्वोक्त अपराधी में जो दण्ड पुरुषों के लिए कहे गए हैं उनका आधा दण्ड स्त्रियों को दिया जाय, अथवा उनको केवल वामदण्ड ( बाणी से ताडना ) ही दिया जाय ।

( १ ) ब्राह्मण, वेदज्ञ और तपस्वी को इतना मात्र दण्ड दिया जाय कि सिपाही उनको इधर-उधर दौड़ा फिरा दे । जो लोग इन नियमों का उल्लङ्घन करें या कराये तथा अपराधी से काम करायें या उसको मारें, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।

( २ ) लोक व्यवहार में चार प्रकार के दंड प्रसिद्ध हैं १ छद्म डंडे मारना, २. सात कोड़े मारना, ३ हाथ पैर बाँधकर उलटा लटका देना और ४ नाक में नमक का पानी डालना ।

( ३ ) इनके अतिरिक्त पापाचारों पुरुषों के लिए इतने दण्ड और हैं नौ हाथ-लम्बी बेंत से बारह बेंत लगाना, दोनों टाँगों को बाँधकर करञ्ज की छड़ी से बीस छड़ी मारना, बत्तीस थप्पड़ मारना, बायें हाथ को पीछे बायें पैर से और दायें हाथ को पीछे दायें पैर से बाँधना, दोनों हाथ आपस में बाँधकर लटका देना, हाथ के नाखून में सूई चुभाना, लस्सी पिलाकर पेशाब न करने देना, अगुली की एक पोर जला देना, धी पिलाकर पूरे दिन अग्नि या धूप में बँडाना, जाडों की रात में भीगी हुई खाट पर सुलाना, इस प्रकार कुल मिलाकर ये अठारह प्रकार के ( ४ + १४ ) दण्ड हुए ।

( ४ ) इस प्रकार के दण्डकर्म के लिए रस्ती, डंडे, कोठे आदि की सम्बन्धि, दण्डनीय व्यक्ति को खडा आदि करने का तरीका और शरीर आदि के अनुकूल दण्ड-व्यवस्था आदि के सबध में आचार्य खरपट्ट के दण्डशास्त्र विषयक ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिए ।

( ५ ) कठिन शारीरिक श्रम के कार्यों को एक-एक दिन का अन्तर देकर कराया जाय ।

(१) पूर्वकृतापदानं, प्रतिज्ञापापहरन्तम्, एकदेशदृष्टद्रव्यम्, कर्मणा रूपेण वा गृहीतम्, राजकोशमस्तृणन्तम्, कर्मवध्यं वा राजवचनात्समस्तं व्यस्तमभ्यस्तं वा कर्म कारयेत् ।

(२) सर्वापराधेष्वपीडनीयो ब्राह्मणः । तस्यामिशस्ताड्यो ललाटे स्याद्व्यवहारपतनाय । स्तेपे श्वा, मनुष्यवधे कबन्धः, गुरुतल्पे भगम्, सुरापाने मद्यध्वजः ।

(३) ब्राह्मणं पापकर्माणमुद्घुष्याड्ढुतत्रणम् ।  
कुर्यान्निर्विषयं राजा वासपेदाकरेषु वा ॥

इति कष्टकरोधने चतुर्थोऽधिकरणे वाक्यकर्मानुयागा नाम अष्टमोऽध्याय,  
आदितश्चतुरशोऽतिनम ।

- (१) समाहृतं प्रदेष्टारः पूर्वमध्यक्षानामध्यक्षपुरुषाणां च नियमनं कुर्युः।
- (२) धनिसारकर्मन्तेभ्यः सारं रत्नं वापहरतः शुद्धवधः।
- (३) फल्गुद्रव्यकर्मन्तेभ्यः फल्गुद्रव्यमुपस्करं वा पूर्वं साहसदण्डः।
- (४) पष्यभूमिभ्यो राजपष्यं मापमूल्याद्दूर्ध्वमापाद्मूल्यादित्यपहरतो द्वादशपणो दण्डः। आ द्विपादमूल्यादिति चतुर्विंशतिपणः। आ त्रिपादमूल्यादिति षट्त्रिंशत्पणः। आ पणमूल्यादित्यष्टचत्वारिंशत्पणः। आ द्विपणमूल्यादिति पूर्वं साहसदण्डः। आ चतुष्पणमूल्यादिति मध्यमः। आ अष्टपणमूल्यादित्युत्तमः। आ दशपणमूल्यादिति वधः।
- (५) कोष्ठपष्यकुष्यायुधागारेभ्यः कुष्यभाण्डोपस्करापहारेष्वर्धमूल्येष्वेत एव दण्डाः।

### सरकारी विभागों और छोटे-बड़े कर्मचारियों की निगरानी

- (१) समाहृता और प्रदेश अधिकारियों को बाहिए कि पहिले वे विभागीय अध्यक्षों तथा उनके अर्थात्स्य कर्मचारियों पर निगरानी रखें।
- (२) जो व्यक्ति छानो या कारखानों से हीरे-जवाहरात आदि बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करे उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय।
- (३) जो व्यक्ति मूत या लकड़ी के कारखानों से सारहीन वस्तुओं की चोरी करे उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (४) जो व्यक्ति राजकीय क्षेत्रों से एक माप से चार माप कीमत की जोरा, बन्नवापन आदि वस्तुओं को चुराये, उस पर बारह पण दण्ड किया जाय, और जो आठ माप कीमत तक की वस्तुओं को चुराये उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय। इसी प्रकार बारह माप तक की वस्तु चुराने पर छत्तीस पण और सोलह माप तक की चुराने पर अठ्ठावीस पण दण्ड किया जाय। यदि दस पण मूल्य तक की वस्तु चुराये तो प्रथम साहस, चार पण मूल्य तक की चुराने तो मध्यम साहस, आठ पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और दस पण मूल्य तक की चुराये तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय।
- (५) जो व्यक्ति गोशाल से, दुकान से, कारखाने से या शस्त्रागार से आधा माप

आ विंशतिपणमूल्यादिति द्विशतः । आ त्रिंशत्पणमूल्यादिति पञ्चशतः । आ चत्वारिंशत्पणमूल्यादिति साहस्रः । आ पञ्चाशत्पणमूल्यादिति षडः ।

(१) प्रसह्य दिवा रात्रौ वान्तर्यामिकमपहरतोऽर्घ्यमूत्येध्वेत एव द्विगुणा दण्डाः । प्रसह्य दिवा रात्रौ वा सशस्त्रस्यापहरश्चतुर्भागमूत्येध्वेत एव द्विगुणा दण्डाः ।

(२) कुटुम्बिकाध्यक्षमुख्यस्वामिनां कूटशासनमुद्राकर्मसु पूर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः, यथापराधं वा ।

(३) धर्मस्थश्चेद्विदमानं पुरुषं तर्जयति, भर्त्सयत्यपसारयति, अभिग्रसते वा, पूर्वमस्मै साहस्रदण्डं कुर्यात् । वाक्पारुष्ये द्विगुणम् ।

(४) पृच्छत्यं न पृच्छति, अपृच्छत्यं पृच्छति, पृष्ट्वा वा विसृजति, शिक्षयति, स्मारयति पूर्वं ददाति धेति, मध्यममस्मै साहस्रदण्डं कुर्यात् । देयं

जाय । पाँच पण कीमती वस्तु के लिए अठतालीस पण दण्ड, दस पण कीमती वस्तु के लिए प्रथम साहस्र दण्ड, बीस पण कीमती वस्तु के लिये दो सौ पण दण्ड, तीस पण तक की वस्तु के लिए पाँच सौ पण दण्ड, चालीस पण तक की वस्तु के लिए एक हजार पण दण्ड और पचास पण मूल्य की वस्तु चुराने वाले को प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।

( १ ) किसी रक्षित वस्तु पर दिन या रात में जबरदस्ती डाका डालने पर आधा माप से दो माप तक की वस्तु के लिए छह पण दण्ड दिया जाय । यदि चोर हथियारबन्द हो तो ३ माप मूल्य की वस्तु पर ही छह पण दण्ड किया जाय ।

( २ ) यदि जन-साधारण जाली दस्तावेज या जाली नोट अथवा जाली मुद्राएँ बनायें तो उन्हें प्रथम साहस्र दण्ड दिया जाय, यदि सुवर्णाध्यक्ष आदि ऐसा कार्य करें तो उन्हें मध्यम साहस्र दण्ड, यदि गाँव का मुखिया करे तो उसे उत्तम साहस्र दण्ड और यदि समाहर्ता ही कर बैठे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय, अथवा अपराध के अनुसार यथोचित दण्ड निर्धारित किया जाय ।

( ३ ) यदि न्यायाधीश ( धर्मस्थ ) अदालत में किसी अभियोक्ता या अभियुक्त को डराये, धमकाये या घुड़के या बाहर निकाल दे, या उससे रिश्वत ले तो उसे प्रथम साहस्र दण्ड दिया जाय । यदि न्यायाधीश भाली दे तो इससे दुगुना दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) यदि न्यायाधीश, साक्षी से पूछने योग्य बातों को न पूछकर न पूछी जाने योग्य बातों को पूछे या बिना ही उत्तर पाये बात को छोड़ दे या गवाह को सिखाये या याद दिलाये या उसकी अश्लील बात को स्वयं ही पूरी कर दे, तो उसे मध्यम दण्ड दिया जाय । यदि किसी विचारणीय वस्तु के सबंध में उपयोगी बातों को न पूछ

देशं न पृच्छति, अदेयं देशं पृच्छति, कार्यमदेशेनातिवाहयति, छलेनातिहरति, कालहरणेन श्रान्तमपवाहयति, मार्गपित्रं वाक्यमुत्क्रमयति, मति-साहाय्यं साक्षिभ्यो ददाति, तारितानुशिष्टं कार्यं पुनरपि गृह्णाति, उत्तम-मस्य साहसदण्डं कुर्यात् । पुनरपराधे द्विगुणं, स्थानाद्वचवरोपणं च ।

(१) लेखकश्चेदुक्तं न लिखति अनुक्तं लिखति, दुरुक्तमुपलिखति, सूक्त-मुल्लिखति, अर्थोत्पत्तिं वा विकल्पयतीति पूर्वमस्मै साहसदण्डं कुर्यात् । यथापराधं वा ।

(२) धर्मस्थः प्रदेष्टा वा हैरण्यमदण्डं क्षिपति, क्षेपद्विगुणमस्मै दण्डं दद्यात् । हीनातिरिक्ताष्टगुणं वा । शारीरदण्डं क्षिपति, शारीरमेव दण्डं भजेत । निष्क्रयद्विगुणं वा । यं वा भूतमर्थं नाशयत्यभूतमर्थं करोति, तदष्ट-गुणं दण्डं दद्यात् ।

(३) धर्मस्थोयाच्चारकान्निःसारयतो बन्धनागाराच्छय्यासनभोजनो-च्चारसञ्चारं रोधबन्धनेषु त्रिपणोत्तरा दण्डाः कर्तुः कारयितुश्च ।

कर अनुपयोगी बातें पूछे, यदि बिना गवाह के किसी मामले का निर्णय दे दे, यदि सच्चे साक्षी को कपट की बातों में डालकर झूठा बना दे, यदि व्यर्थ की बातों में साक्षी को उलझाये रखने के बाद छोड़ दे, यदि साक्षी के कथन के क्रम को उलट-पुलट कर लिखे, यदि बीच-बीच में साक्षियों की सहायता करे, यदि निर्णय मामले को फिर से जिरह में रखे, ऐसे न्यायाधीश को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । दुबारा भी वह यही अपराध करे तो इससे दुगुना दण्ड दिया जाय और उसको पदच्युत किया जाय ।

( १ ) मुहरिर ( लेखक ) यदि बयागो को सही सही न लिखे, न कही हुई बात को लिखे, बुरी बात को अच्छी तथा अच्छी बात को बुरी तरह लिखे या बात के अभिप्राय को ही बदल कर लिखे, उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय या अपराध के अनुसार उसको यथोचित दण्ड दिया जाय ।

( २ ) धर्मस्थ या प्रदेष्टा यदि किसी निरपराधी को सुवर्ण दण्ड दें तो उन पर उससे दुगुना दण्ड किया जाय । यदि वे दण्ड में कमी बेशी करें तो उनसे उसका आठ गुना दण्ड वसूल किया जाय । यदि वे किसी निरपराधी को शारीरिक दण्ड दें तो उनको उससे दुगुना शारीरिक दण्ड दिया जाय । यदि वे शारीरिक दण्ड का जगह अर्पदंड करे तो उनसे उसका दुगुना अर्पदंड वसूल किया जाय । न्यायोचित धन को नष्ट करने और अन्यायपूर्ण धन का संग्रह करने वाले धर्मस्थ या प्रदेष्टा को उस धनराशि का अठगुना दंड दिया जाय ।

( ३ ) न्यायाधीश द्वारा हवालात में बंद कैदी को यदि कोई जेल का कर्मचारी

(१) चारकादभिपुक्तं भुञ्चतो निष्पातयतो वा मध्यमः साहसदण्डः, अभियोगदानं च । बन्धनागारात्सर्वस्वं वधश्च ।

(२) बन्धनागाराध्यक्षस्य संरुद्धकमनाख्याय चारयतश्चतुर्विंशतिपणो दण्डः । कर्मकारयतो द्विगुणः स्थानान्यत्वं गमयतोऽनपानं वा रुन्धतः पणवतिदण्डः । परिवलेशयत उत्कोचयतो वा मध्यमः साहसदण्डः । घ्नतः साहस्र ।

(३) परिगृहीता दासीमाहितिकां वा संरुद्धिकामधिस्रतः पूर्वंः साहसदण्डः । चोरडामरिकभार्या मध्यमः । संरुद्धिकामार्यामुत्तमः । संरुद्धस्य वा तत्रैव घातः । तदेवाध्यक्षेण गृहीतायार्यायां विद्यात् । दास्या पूर्वंः साहसदण्डः ।

(४) चारकमभित्वा निष्पातयतो मध्यमः । भित्वा वधः । बन्धनागारात्सर्वस्वं वधश्च ।

घूम लेकर घूमने, फिरने, पानी पीने, सोने, बैठने, खाने, पीने और मल मूत्र त्यागने की स्वतंत्रता दे या दिलाये तो उस पर उत्तरोत्तर तीन पण अधिक दंड किया जाय ।

( १ ) यदि कोई राजपुरुष किसी अपराधी को हवालात से छोड़ दे या उसको प्रेरित करे, उसे मध्यम साहस दंड दिया जाय और साथ ही अपराधी को जितना देना था उसका भुगतान भी उसी राजपुरुष से किया जाय । यदि कोई प्रदेश ऐसा करे तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाय और उसको प्राणदंड दिया जाय ।

( २ ) जेलर की आज्ञा के बिना यदि कैदी बाहर धूमे तो उस पर चौबीस पण दंड दिया जाय और ऐसा कराने वाले व्यक्ति पर अठतालीस पण दंड किया जाय । यदि कोई जेल का कर्मचारी कैदी की जगह बदले, उसके खानेपीने में बाधा डाले, उस पर छियानवे पण दंड, जो किसी कैदी को कोड़े मारे या रिश्वत दिलावे, उसको मध्यम साहस दंड और जो कोई कैदी का वध कर डाले उस पर एक हजार पण दंड किया जाय ।

( ३ ) खरीदी हुई या गिरवी रखी दासी यदि किसी कारण हवालात में बंद कर दी जाय और तब यदि कोई राजपुरुष उसके साथ व्यभिचार करे तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाय । चोर और अकम्मात् विनष्ट पुरुष ( डामरिक ) की पत्नी के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करने वाले राजपुरुष को मध्यम साहस दंड, और बैंद में बंद किसी आर्या स्त्री के साथ ऐसा करने पर उत्तम साहस दंड दिया जाय । यदि कोई कैदी ही ऐसा करे तो उसे प्राणदंड दिया जाय । सुवर्णाध्यक्ष यदि किसी कुलीन स्त्री के साथ दुराचार करे तो उसे भी प्राणदंड दिया जाय । दासी के साथ ऐसा करने पर प्रथम साहस दंड दिया जाय ।

( ४ ) यदि जेलखाने को बिना तोड़े ही कोई कैदी को बाहर निकाल दे तो उसे



(१) एवमयंचरान् पूर्वं राजा दण्डेन शोधयेत् ।  
शोधयेयुश्च शुद्धास्ते पौरजानपदान् दमैः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे सर्वाधिकरणरक्षण नामानवमोऽध्याय  
आदित पञ्चाशीतितम ।

— ० —

मध्यम साहस दंड यदि तोड़कर निकाले तो प्राणदंड दिया जाय । यदि प्रदेष्टा ऐसा करे तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर उसे प्राणदंड की सजा दी जाय ।

( १ ) इस प्रकार राजा को चाहिए कि पहिले वह अपने कर्मचारियों को दंड से शुद्ध करे । फिर वे विदुद्ध हुए राजकर्मचारी दंड व्यवस्था के द्वारा नगर तथा प्रदेश की जनता को सही रास्ते पर लायें ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थे अधिकरण में सर्वाधिकरणरक्षण नामक  
नवां अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) तीर्थघातप्रन्थिभेदोर्ध्वकराणां प्रथमेऽपराधे सन्दंशच्छेदनं चतुष्पञ्चाशत्पणो वा दण्डः । द्वितीये छेदनं पणस्य शत्यो वा दण्डः । तृतीये दक्षिणहस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः । चतुर्थे यथाकामो वधः ।

(२) पञ्चविंशतिपणावरेषु कुक्कुटनकुलमाज्जरिभ्रूसूकरस्तेषु हिंसायां वा चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः, नासाप्रच्छेदनं वा । चण्डालारण्यचरणामर्ध-दण्डाः ।

(३) पाशजालकूटावपातेषु बद्धानां मृगपशुपक्षिव्यालमत्स्थानामावाने तच्च तावच्च दण्डः ।

(४) मृगद्रव्यवनान्मृगद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः । बिम्बविहारमृगपक्षि-स्तेषु हिंसायां वा द्विगुणो दण्डः ।

### एकांग वध अथवा उसकी जगह द्रव्य-दण्ड

( १ ) तीर्थस्थानों में रहने वाले उठाईगीर ( तीर्थघात ), गिरहकट ( ग्रन्थिभेद ) और छत फोड़ने वाले ( ऊर्ध्वकर ) व्यक्तियों का अगूठा तथा कनिष्ठिका उंगली कटवा दी जाय, अथवा उन पर चौवन पण दण्ड किया जाय । दूसरी बार अपराध करने पर उनकी सब उंगलियाँ कटवा दी जाय अथवा उन पर सौ-पण जुर्माना किया जाय । तीसरी बार यदि वे अपराध करें तो उनका दाहिना हाथ कटवा दिया जाय या उन पर चार सौ पण दण्ड किया जाय । चौथी बार भी वे अपराध कर बैठें तो उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय ।

( २ ) यदि कोई व्यक्ति पचचीस पण से कम कीमत के मुर्गे, नेबने, बिल्ली, कुत्ते और मुअर की चोरी करे या उन्हें मार डाले तो उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय या उसकी नाक का अगला हिस्सा काट दिया जाय । यदि वे मुर्गे आदि किसी चाण्डाल के अथवा जगली हो तो उक्त दण्ड से आधा दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) जो व्यक्ति फाँस कर, जाल बिछाने और घास फूस से डके गढ़े द्वारा सर-क्षित राजकीय मृग तथा अन्य पशु, पक्षी, हिमक जीव और मछली आदि पकड़े, उसमें उनकी कीमत समूझी जाय और उतना ही उस पर जुर्माना किया जाय ।

( ४ ) जो व्यक्ति सुरक्षित जंगल के जानवरों तथा लकड़ी आदि की चोरी करे उस पर सौ पण जुर्माना किया जाय । रंग बिरंगी मुदर बिडियाओं, पालतू हरिणों तथा तोतो का पकड़ने वाले या मारने वाले व्यक्ति पर दो सौ पण दण्ड किया जाय ।

(१) कारशिल्पिकुशीलवतपस्विनां क्षुद्रकद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः । स्थूलकद्रव्यापहारे द्विशतः । कृपिद्रव्यापहारे च ।

(२) दुर्गमकृतप्रवेशस्य प्रविशतः प्राकारछिद्राद्वा निक्षेपं गृहीत्वाऽपसरतः कन्धरावधो द्विशतो वा दण्डः ।

(३) चक्रयुक्तां नावं क्षुद्रपशुं वापहरत एकपादवधः त्रिशतो वा दण्डः ।

(४) कूटकाकण्यक्षारलाशलाकाहस्तविषमकारिण एकहस्तवधः, चतुःशतो वा दण्डः ।

(५) स्तेनपारदारिकयोः साच्चिव्यकर्मणि स्त्रियाः संगृहीतायाश्च कर्णनासाद्धेदनं पञ्चशतो वा दण्डः । पुंसो द्विगुणः ।

(६) महापशुमेकं दासं दासीं वापहरतः प्रेतभाण्डं वा विक्रीणानस्य द्विपादवधः, षट्छतो वा दण्डः ।

(७) वर्णोत्तमानां गुह्यां च हस्तपादलंघने राजयानवाहनाद्यारोहणे चैकहस्तपादवधः सप्तशतो वा दण्डः ।

( १ ) जो व्यक्ति बड़हथो, छोटे कारीगरो, कत्यको और तपस्वियो की छोटी-छोटी चीजों की चोरी करे उस पर सौ पण दण्ड किया जाय और बड़ी बड़ी चीजों की चोरी करे तो दो-सौ पण दण्ड किया जाय । सेती के साधन हल आदि चुराने वाले पर भी दो सौ पण दण्ड किया जाय ।

( २ ) यदि अनधिकारी व्यक्ति किले में प्रवेश करे अथवा परकोटे की दीवार तोड़ कर माल उडा ले जाय तो उसके पैर के पीछे की दो मुख्य नसें कटवा दी जाय, या उस पर दो सौ पण दण्ड किया जाय ।

( ३ ) चक्रयुक्त ( धन, शस्त्र या यंत्र युक्त ) नाव को अथवा छोटे छोटे पशुओं की चोरी करने वाले का एक पैर कटवा दिया जाय या उस पर तीन-सौ पण दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) जो व्यक्ति जाली कौडी, पाँसें, अरला और शलाका आदि जुआ सबधो सामान बनाये, तथा जो व्यक्ति इसी प्रकार की अन्य नूट-कपट की चीजें बनाये, उसका एक हाथ काट दिया, या उस पर चार सौ पण जुरमाना किया जाय ।

( ५ ) चोरो और व्यभिचारियो की दूतियो के नाक, कान काट लिये जाय या उन पर पाँच सौ पण दण्ड किया जाय । यदि पुरुष ऐसा दूतकर्म करें तो उन पर दुगुना ( एक हजार पण ) दण्ड दिया जाय ।

( ६ ) गाय, भैंस आदि पशुओं, एक दास, एक दासी को चुराने वाले अथवा मुर्दे के कपडे बेचने वाले पुरुष के दोनो पैर काट लिये जाय या उस पर छह-सौ पण दण्ड दिया जाय ।

( ७ ) जो व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषों या गृहजनों को हाथ पैर से मारे या राजा की सवारी एव घोड़े पर चढ़ उसका या तो एक हाथ और एक पैर काट दिया जाय अथवा उस पर सात-सौ पण दण्ड दिया जाय ।

(१) शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यमवस्तृणतो राजद्विष्टमादिशतो द्विनेत्रभेदिनश्च योगाञ्जनेनान्घत्वमष्टशतो वा दण्डः ।

(२) चोरं पारदारिकं वा मोक्षयतो राजशासनमूनमतिरिक्तं वा लिखतः कन्या दासी वा सहिरण्यमपहरतः कूटव्यवहारिणो विभासवित्रयिणश्च वामहस्तद्विपादवधो नवशतो वा दण्डः । मानुषमांसविक्रये वधः ।

(३) देवपशुप्रतिमामनुष्यक्षेत्रगृहहिरण्यसुवर्णरत्नसत्यापहारिण उत्तमो दण्डः शुद्धवधो वा ।

(४) पुष्ट्यं चापराधं च कारणं गुह्यलाघवम् ।  
अनुबन्धं तदात्वं च देशकालौ समीक्ष्य च ॥  
उत्तमावरमध्यत्व प्रदेष्टा दण्डकर्मणि ।  
राजश्च प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरा स्थितः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्योऽधिकरणे एकाञ्जवधनिष्क्रयो नाम  
दशमोऽध्यायः, आदितः पञ्चशीतितमः ।

— ० —

( १ ) जो शूद्र अपने को ब्राह्मण बताये और देव निमित्त द्रव्य का अपहरण करे तथा ज्योतिषी बनकर जो राजा के भावी अनिष्ट को बताये अथवा बगावत करे या किसी की दोनो आँखें फोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को औपधियो का सुरमा लगा कर अघा कर दिया जाय अथवा उस पर आठ सौ पण जु्रमाना विया जाय ।

( २ ) चोर या व्यभिचारी को छोड देने वाले, राजा की आज्ञा को घटा बडा कर लिखने वाले, आपभूणो सहित कन्या या दासी का अपहरण करने वाले, छल-कपट का व्यवहार करने वाले, अमदय पशुओ का मांस बेचने वाले, पुष्ट्य का बार्या हाय और दोनो पैर काट दिये जाय, या उस पर नौ सौ पण दण्ड किया जाय । आदमी का मांस बेचने वाले को प्राण दण्ड की सजा दी जाय ।

( ३ ) देवता के निमित्त पशु, प्रतिमा, मनुष्य, खेत, घर, हिरण्य, सोना, रत्न और अन्न, इन नौ चीजो की जो भी व्यक्ति चोरी करे उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय या उसको पीडारहित प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।

( ४ ) राजा और आमात्यो को साथ लेकर प्रदेष्टा को चाहिए कि वह दण्ड देते समय अपराध को, अपराध के कारणो को, अपराधी की हैसियत को, वर्तमान तथा भावी परिणामो को और देश-काल की स्थिति को भली-भाँति सोच समझ ले, तदनन्तर ग्याय के अनुसार प्रथम, मध्यम तथा उत्तम आदि दण्डो की सजा सुनाये ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्यं अधिकरण मे एकाञ्जवधनिष्क्रय नामक  
दशवां अध्याय समाप्तः ।

— ० —

## शुद्धश्चित्रश्च दण्डकल्पः

(१) कलहे घ्नतः पुरुषं चित्रो घातः । सप्तरात्रस्यान्तः मृते शुद्धवधः पक्षस्यान्तश्चतुस्रः । मासस्यान्तः पञ्चशतः समुत्थानव्ययश्च ।

(२) शस्त्रेण प्रहरत उत्तमो दण्डः । मदेन हस्तवधः । मोहेन द्विशतः । वधे वधः ।

(३) प्रहारेण गर्भं पातयत उत्तमो दण्डः । भ्रंषज्येन मध्यमः । परिवलेशेन पूर्वः साहसदण्डः ।

(४) प्रसभं स्त्रीपुरुषघातकाभिसारकनिघ्राहकावधोपकावस्कन्दकोपवेधकान् पथि वेश्मप्रतिरोधकान् राजहस्त्यश्वरथानां हिंसकान् स्तेनान् वा शूलानारोहयेयुः ।

### शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड

( १ ) कोई व्यक्ति यदि लडाई-भगड़े में किसी व्यक्ति को जान से मार डाले तो उसको कष्टपूर्वक प्राणदण्ड ( चित्रघात ) की सजा दी जाय । झगडा होने के बाद चोट खाया व्यक्ति यदि सात दिन बाद मरे तो मारने वाले को शुद्ध प्राणदण्ड ( कष्टरहित वध ) दिया जाय । यदि पन्द्रह दिन बाद मरे तो उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । एक महीने के बाद मरे तो पाँच-सौ पण जुरमाना और साय ही मृतक की दवाई-दारू का सारा व्यय भी मरने वाले से वसूल किया जाय ।

( २ ) किसी शस्त्र द्वारा चोट पहुँचाने पर उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि बल के घमड से चोट पहुँचाये तो उसका हाथ काट दिया जाय । यदि क्रोधवैश मे प्रहार करे तो उस पर दो सौ पण दण्ड दिया जाय । यदि जान से मार डाले तो उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।

( ३ ) जो व्यक्ति प्रहार द्वारा गर्भ गिराये उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । औपध द्वारा गर्भ गिराने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । कठोर काम कराकर गर्भ गिराने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) यदि कोई व्यक्ति बलात्कार से किसी स्त्री या पुरुष की हत्या कर डाले, बलात्कार से किसी स्त्री को अपहरण कर ले जाय, बलात्कार से किसी स्त्री की नाक-

(१) यश्चैनान् दहेदपनपेद्वा स तमेव दण्डं लभेत, साहसमुत्तमं वा ।

(२) हिंस्रस्तेनानां भक्तवासोपकरणाग्निमंत्रदानवैयापृत्यकर्मसूक्तभो दण्डः । परिभाषणमविज्ञाने । हिंस्रस्तेनानां पुत्रदारमसमंत्रं विसृजेत्, समंत्र-माददीत ।

(३) राज्यकामुकमन्तःपुरप्रधर्षकमटव्यमित्रोत्साहकं दुर्गराष्ट्रदण्ड-कोपकं वा शिरोहस्तप्रादीपिकं घातयेत् ।

(४) ब्राह्मणं तमः प्रवेशयेत् ।

(५) मातृपितृपुत्रभ्रात्राचार्यंतपस्विघातकं वात्वविष्टरःप्रादीपिकं घात-येत् । तेषामाक्रोशे जिह्वाच्छेदः । अङ्गामिरदने तदङ्गाम्भोच्यः ।

कान बाट ले, घमकी देकर हत्या, चोरी की घोषणा करने वाला, बलात्कार से नगर तथा गाँवों का घन ले जाने वाला, भीत तोड़कर सँघ लगाने वाला, रास्ते की घम-शानाभो तथा प्याउभो को चारी करने वाला और राजा के हाथी, घोड़े तथा रथों को नष्ट करने, मारने या चुराने वाला, इन सभी प्रकार के अपराधियों को शूली पर लटका दिया जाय ।

( १ ) इन लोगों को जो दाह सस्कार या क्रिया-कर्म करे या उनको उठा कर गंगा-प्रवाह आदि के लिए ले जाय उसको भी शूली पर चढाया जाय या उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।

( २ ) जो लोग हत्यारो को खाना, रहना, वस्त्र, आग और सलाह दें तथा उनके यहाँ नौकरी करें उन्हें भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । जिन्हें यह पता नहीं है कि धे हत्यारे या चोर हैं, उन्हें बाक् ताडना दी जाय । हत्यारो और चोरों के स्त्री पुत्र यदि हत्या-चोरी में शामिल न हो तो उन्हें छोड़ दिया जाय, यदि उन्होंने भी किसी प्रकार की महायता की हो तो उन्हें गिरफ्तार कर यथोचित दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) राजसिंहासन को हथियाने की इच्छा रखने वाले, अत पुर में व्यय का भ्रमेला खडा कर देने वाले, आटवी एव पुलिंद आदि शत्रु राजाभो को उभाडने वाले, किले की सेना तथा बाहर की सेना में बगावत फैला देने वाले, पुरणों के सिर और हाथ में आग लगाकर उनको कत्ल किया जाय ।

( ४ ) यदि ऐसा दुष्कर्म करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसे आजीवन के लिए काल-कोठरी में बंद कर दिया जाय ।

( ५ ) जो व्यक्ति माता, पिता, पुत्र, भाई, आचार्य और तपस्वी को हत्या कर डाले, उसके शिर की खान उतरवा कर उसमें आग लगायी जाय और तब उसको कत्ल कराया जाय । माता पिता को गाली देने वाले की जीभ कटवा दी जाय । माता-पिता के किसी अंग को कोई जिस अंग से नोचे-खसोटे उसका वही अंग कटवा दिया जाय ।

(१) यदृच्छाघाते पंसः, पशुयूथस्तेये च शुद्धवधः । दशावरं च यूथं विद्यात् ।

(२) उदकधारण सेतु मिनन्दतस्तत्रैवाप्सु निमज्जनम् । अनुदकमुत्तमः साहसदण्डः । भग्नोत्सृष्टकं मध्यमम् ।

(३) विषदायक पुरुषं स्त्रिय च पुरुषघ्नीमपः प्रवेशयेदगभिणीम् । गर्भिणीं मासावरप्रजाताम् ।

(४) पतिगुरुप्रजाघातिकामग्निविषदां सन्धिच्छेदिका वा गोभिः पादयेत् ।

(५) विवीतक्षेत्रखलवेशमद्रव्यहस्तिवनादीपिकमग्निना दाहयेत् ।

(६) राजाक्रोशकमन्त्रभेदकयोरनिष्टप्रवृत्तिकस्य ब्राह्मणमहानसावले-  
हिनश्च जिह्वामुत्पाटयेत् ।

(७) प्रहरणावरणस्तेनमनायुधीयमिपुभिर्घातयेत् । आयुधीयस्योत्तमः ।

( १ ) जो व्यक्ति किसी दूसरे को अचानक ही मार डाले या पशुओं के झुंड की तथा घोड़ों की चोरी करे उसको शुद्ध प्राणदण्ड दिया जाय । कम-से कम दस पशुओं का एक झुंड समझना चाहिए ।

( २ ) जो व्यक्ति पानी के बाँध को तोड़े, उसको वही जल में डुबा कर मार दिया जाय । यदि जल-बाँध में पानी न हो तो तोड़ने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि वह पहिले ही से टूटा फूटा हो और तब उसे ताड़ा जाय तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) विष देकर किसी की हत्या करने वाले स्त्री पुरुष को जल में डुबाकर खरम कर दिया जाय बशर्ते कि वह स्त्री गर्भिणी न हो । यदि गर्भिणी हो तो बच्चा पैदा होने के एक मास बाद उसका ऐसा ही प्राणांत किया जाय ।

( ४ ) अपने पति, गुरु और बच्चों की हत्या करने वाली, आग लगाने वाली, विष देने वाली, सेंध लगाकर चोरी करने वाली, स्त्री को गायों के पैरों के नीचे कुच लवा कर मारा जाय ।

( ५ ) जो व्यक्ति चारागाह, खेत, खलिहान घर और लकड़ियों तथा हथियारों से सुरक्षित जगल में आग लगा दे उसको आग में ही जला दिया जाय ।

( ६ ) जो व्यक्ति राजा को गाली दे, गुप्त रहस्य को खोल दे राजा के अनिष्ट को फैलाये और ब्राह्मण की भोजनशाला से जबरदस्ती अन्न लेकर खाने लगे उसकी जिह्वा काटवा दी जाय ।

( ७ ) जो आयुधजीवी न होकर भी हथियार और कबच आदि चुराये, उसे मामने खड़ा करके बाणों से मरवा दिया जाय । यदि वह आयुधजीवी हो तो उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।

- ( १ ) मेढूफलोपघातिनस्तदेव छेदयेत् ।  
 ( २ ) जिह्वानासोपघाते सन्दंशवधः ।  
 ( ३ ) एते शास्त्रेष्वनुगताः बलेशदण्डा महात्मनाम् ।  
 अबिलष्टाना तु पापाना धर्म्यः शुद्धवधः स्मृतः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्योऽधिकरणे शुद्धचित्रदण्डकल्पो नाम  
 एकादशोऽध्याय आदितो समाशीतितम ।

— ० —

( १ ) यदि कोई व्यक्ति किसी का लिंग और अण्डकोश काट डाले उसका भी लिंग और अण्डकोश कटवा दिया जाय ।

( २ ) किसी की जीभ और नाक काट देने वाले व्यक्ति की कनिष्ठिका और अगूठा कटवा दिया जाय ।

( ३ ) इस प्रकार के जठोर मृत्युदण्ड भनु आदि महात्माओं के धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थो मे प्रतिपादित हैं । इनसे हलके पापकर्मों के लिए शुद्ध प्राणदण्ड ही धर्मानुकूल समझना चाहिए ।

कण्टकशोधक नामक चतुर्य अधिकरण मे शुद्धचित्रदण्ड नामक  
 ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० —



(१) सवर्णमिप्राप्तफलां कन्यां प्रकुर्वतो हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः ।  
मृतायां वधः ।

(२) प्राप्तफलां प्रकुर्वतो मध्यभाप्रदेशिनीवधो द्विशतो वा दण्डः ।  
पितुश्चावहीनं दद्यात् ।

(३) न च प्राकाम्यमकामायां लभेत । सकामायां चतुष्पञ्चाशत्पणो  
दण्डः । स्त्रियास्त्वर्धदण्डः ।

(४) परशुल्कावृद्धायां हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः शुल्कदानं च ।

(५) सप्तार्तवप्रजातां वरणादूर्ध्वमलभमानां प्रकृत्य प्राकामो स्यात्,  
न च पितुरवहीनं दद्यात् । ऋतुप्रतिरोधिभिः स्वाम्यादपक्रामति ।

### कुंवारी कन्या से संभोग करने का दण्ड

( १ ) जो व्यक्ति अपनी जाति की रजोधर्म रहित ( अरजस्का ) कन्या को  
दूषित करे उसका हाथ कटवा दिया जाय अथवा उस पर चार-सौ पण दण्ड किया  
जाय । यदि वह बलात्कार के कारण मर जाय तो अपराधी को प्राणदण्ड की सजा  
दी जाय ।

( २ ) यदि कोई व्यक्ति रजस्वला हो चुकी कन्या को दूषित करे तो अपराधी  
की तर्जनी और मध्यमा उगलियाँ कटवा दी जाय अथवा उस पर दो सौ पण दण्ड  
किया जाय और लडकी के पिता को वह हर्जाना ( अवहीन ) दे ।

( ३ ) संभोग के लिए इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करने पर इच्छापूर्ति  
नहीं होती है । संभोग की इच्छा करने वाली स्त्री से गमन करने पर पुरुष को चौवन  
पण और स्त्री को सत्ताईस पण दण्ड किया जाय ।

( ४ ) जिस लडकी की सगाई हो चुकी हो उसके साथ संभोग करने वाले का  
हाथ काट दिया जाय या उस पर चार-सौ पण दण्ड किया जाय और सगाई का  
सारा खर्च उससे बसूल किया जाय ।

( ५ ) सगाई के बाद सात मासिक धर्म होने तक भी यदि लडकी का विवाह न  
किया जाय तो उसका होने वाला पति लडकी को यथेच्छा भोग सकता है, और  
लडकी के पिता को वह हर्जाना भी न दे । क्योंकि मासिकधर्म हो जाने के बाद लडकी  
पर पिता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है ।

(१) त्रिवर्षप्रजातातर्वायास्तुल्यो गन्तुमदोषः । ततः परमतुल्योऽप्यनलङ्कृतायाः । पितृद्रव्यादाने स्तेयं भजेत ।

(२) परमुद्दिश्यान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्डः । न च प्राकाम्यमकामाया लभेत ।

(३) कन्यामन्या दर्शयित्वाऽन्या प्रयच्छतः शस्यो दण्डस्तुल्यायां, हीनाया द्विगुणः ।

(४) प्रकर्मण्यकुमार्याश्चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः । शुल्कव्ययकर्मणी च प्रतिदद्यादवस्थाय तज्जातं पश्चात्कृता द्विगुणं दद्यात् ।

(५) अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः । मिष्याभिशंसितश्च पुंसः । शुल्कव्ययकर्मणी च जीयेत । न च प्राकाम्यमकामायां लभेत ।

(६) स्त्री प्रकृता सकामा समाना द्वादशपर्णं दण्डं दद्यात्, प्रकर्त्री

( १ ) यदि मानिक धर्म होने पर भी कन्या का तीन वर्ष तक विवाह न किया जाय तो उसकी जाति का कोई भी पुरुष उमके साथ सभोग कर सकता है । यदि मासिक धर्म होने हुए तीन वर्ष से अधिक गुजर जाय तो किसी भी जाति का पुरुष उसको अपनी पत्नी बना सकता है इसमें कोई दोष नहीं, किन्तु वह पुरुष लड़की के पिता के बनवाये आभूषण आदि नहीं ले जा सकता है । यदि वह पुरुष लड़की के पिता के आभूषण आदि वापस न करे तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय ।

( २ ) दूसरे के लिए बही हुई स्त्री को 'वह पुरुष मैं ही हूँ' ऐसा कहकर जो अन्य पुरुष उपभोग करे उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । स्त्री की इच्छा न होने पर कोई भी पुरुष उससे सभोग न करे ।

( ३ ) विवाह से पहिले जिस कन्या को दिखाया गया हो, विवाह में यदि उसी जाति की दूसरी कन्या दी जाय तो उस व्यक्ति पर सौ पण दण्ड किया जाय । यदि उसकी जगह कोई नीच जाति की कन्या दी जाय तो दो सौ पण दण्ड किया जाय ।

( ४ ) जो पुरुष क्षतयोनि स्त्री को अक्षतयोनि कहकर दुवारा उसका विवाह कराये उस पर चोवन पण दण्ड किया जाय, और उससे शुल्क तथा अन्य स्वर्चा भी वसूल किया जाय । यदि वह ऐसा ही कह कर तीसरी बार विवाह कराये तो उस पर दुगुना जुर्माना ( १०८ पण ) किया जाय ।

( ५ ) जो स्त्री अपनी योनि-क्षीणता दिखाने के लिए दूसरे का खून अपने कपड़ों पर लगाये उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार जो पुरुष अक्षतयोनि स्त्री को क्षतयोनि बताये उस पर भी दो-सौ पण दण्ड किया जाय तथा शुल्क एवं विवाह ध्यय भी उससे वसूल किया जाय । स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई भी सभोग नहीं कर सकता है ।

( ६ ) सभोग की इच्छा से कोई स्त्री यदि अपने समान जाति वाले पुरुष से

द्विगुणम् । अकामायाः शत्यो दण्डः, आत्मरागार्थं शुल्कदानं च । स्वयं प्रकृता राजदास्यं गच्छेत् ।

(१) बहिर्ग्रामस्य प्रकृतायां मिथ्याभिशंसने च द्विगुणो दण्डः ।

(२) प्रसह्य कन्यामपहरतो द्विशतः, समुवर्णामुत्तमः । बहूनां कन्या-पहारिणां पृथग्यथोक्ता दण्डाः ।

(३) गणिकादुहितरं प्रकुर्वतश्चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः । शुल्कं मातुर्भोगः षोडशगुणः ।

(४) दासस्य दास्या वा दुहितरमदासीं प्रकुर्वतश्चतुर्विंशतिपणो दण्डः, शुल्काबन्धयदानं च । निष्क्रयानुहूपां दासीं प्रकुर्वतो द्वादशपणो दण्डः, वस्त्राबन्धयदानं च ।

(५) साचिष्यावकाशदाने कर्तृसमो दण्डः ।

योनिकत कराये तो उम पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि वह स्वय ही अपनी योनि को क्षत करे तो उम पर चौबीस पण दण्ड किया जाय । पुरुष की इच्छा न रखती हुई भी जो स्त्री क्षणिक आनन्द के लिए किसी पुरुष से अपनी योनि क्षीण कराती है उम पर सो पण दण्ड किया जाय और उस पुरुष को वह सभोग शुल्क दे । जो स्त्री अपनी इच्छा से सभोग कराये, उमको चाहिए कि वह राजदामी बन जाय ।

( १ ) गाँव के बाहर निर्जन स्थान में सभोग कराने वाली स्त्री पर चौबीस पण जुर्माना किया जाय और यदि पुरुष सभोग करके मुक्त जाय तो उस पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय ।

( २ ) किसी कन्या का बलात् अपहरण करने वाले पुरुष पर दो सौ पण दण्ड किया जाय । आभूषणों से मुक्त कन्या का बलात् अपहरण करने वाले को उत्तम साहम दण्ड दिया जाय । अपहरण में यदि अनेक व्यक्तियों का हाथ हो तो प्रत्येक को यही दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) वेश्या की लडकी के साथ बलात्कार करने वाले पर चौवन पण दण्ड किया जाय । और दण्ड से सोलह गुनी फीस ( ६६४ पण ) वह लडकी की माता को अदा करे ।

( ४ ) किसी भी दास या दामी की लडकी के साथ सभोग करने वाले पुरुष पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और उससे शुल्क तथा आभूषण आदि भी वसूल किये जाय । दासता से छुड़ाने के बराबर धन देकर जो व्यक्ति किसी दासी से सभोग करे उस पर बारह पण जुर्माना किया जाय और उससे दामी स्त्री के लिए वस्त्र तथा जेवरात भी वसूल कर लिए जाय ।

( ५ ) कन्या को दूषित करने में जो भी सहायता करे अथवा मौका या जगह दे उसे भी अपराधी के ही समान दण्ड दिया जाय ।

(१) प्रोधितपतिकामपचरन्तीं पतिबन्धुस्तत्पुरुषो वा संगृह्णीयात् । संगृहीता पतिमाकांक्षेत । पतिश्चेत् क्षमेत, विसृज्येतोभयम् । भक्षमायां स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम् । वर्धं जारश्च प्राप्नुयात् ।

(२) जारं चोर इत्यभिहरतः पञ्चशती दण्डः । हिरण्येन मुञ्चत-स्तददृष्टगुणः ।

(३) केशाकेशिकं संग्रहणम् । उपलिङ्गनाद्वा शरीरोपमोगानां तज्जा-तेभ्यः स्त्रीवचनाद्वा ।

(४) परचक्राटवीहृतामोघप्रब्यूढामरण्येषु दुर्भिक्षे वा त्यक्तां प्रेतमावो-त्सृष्टां वा परस्त्रियं निस्तारयित्वा यथासम्भाषितं समुपमुञ्जीत । जाति-विशिष्टामकामामपत्यवतीं निष्क्रयेण दद्यात् ।

(५) चोरहस्तान्नदीवेगाद् दुर्भिक्षाद्देशविध्रमात् ।  
निस्तारयित्वा कान्ताराद्गृह्णां त्यक्तां मृतेति वा ॥

( १ ) जिस स्त्री का पति विदेश में हो, यदि वह व्यभिचार कराये तो उसका देवर या नौकर उसको नियंत्रण में रहे । उनके नियन्त्रण में रहकर वह स्त्री अपने पति के जाने की प्रतीक्षा करे । यदि पति उसके अपराध को क्षमा कर दे तो, जार सहित उसको दण्ड से बरी किया जाय, यदि क्षमा न करे तो स्त्री के नाक कान काट दिये जाय और उसके जार को प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।

( २ ) व्यभिचार छिपाने के लिए यदि कोई रक्षक पुरुष जार को चोर बताये तो उस पर पाँच सौ पण जुरमाना किया जाय । रक्षक पुरुष यदि हिरण्य की रिश्वत लेकर जार को छोड़ दे तो उस पर रिश्वत का अठगुना जुरमाना किया जाय ।

( ३ ) यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ फँसी हो तो उसका पता उसकी इन चेष्टाओं से किया जाय यदि वह रास्ते में चलती हुई दूसरी स्त्री की चुटिया पकड़े, यदि उसके शरीर पर समोग चिह्न लक्षित हो, यदि कामोत्तेजना के लिए अपने शरीर पर उसने चदन आदि का लेप किया हो, यदि वह पुरुषों से इशारों से बात करे, यदि वह बात-चीत से स्वयं ही प्रकट कर दे ।

( ४ ) जो पुरुष शत्रुओं से, जगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जगलों से, दुर्भिक्ष से रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियों का उद्धार करे, वह उस स्त्री को रजामन्दी से उसके माथ तृप्त होकर समोग कर सकता है । यदि वह स्त्री कुलीन हो, समान जाति की होने पर भी वह उद्धारकर्ता से समोग की इच्छा न करे और बाल-बच्चों वाली हो तो उद्धार करने वाला उसको उसके पति के पास सौंप कर उससे यथोचित पुरस्कार प्राप्त करे ।

( ५ ) शत्रुओं से, जगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जगलों से, दुर्भिक्ष से,

भुञ्जीत स्त्रियमन्येषां यथासम्भाषितं नरः ।  
 न तु राजप्रतापेन प्रमुक्तां स्वजनेन वा ॥  
 न चोत्तमां न चाकामां पूर्वापत्यवतीं न च ।  
 ईदृशीं त्वनुरूपेण निष्कुर्येणापवाहयेत् ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे कन्याप्रकर्म नाम द्वादशोऽध्याय ,  
 आदितोऽष्टाशीतितम ।

—: ० :—

परित्यक्ता रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियो को, उद्धार करने वाला व्यक्ति, भोग मकता है, किन्तु राजाज्ञा या स्वजनों से त्यक्त, कुलीन, कामनारहित और बाल-बच्चो वाली स्त्रियो का, आपत्ति से बचाने पर भी, उपभोग नहीं किया जा सकता है, प्रत्युत उचित पुरस्कार प्राप्त कर ऐसी स्त्रियो को उनके घर पहुँचा दिया जाय ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण मे कन्याप्रकर्म नामक  
 बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— . ० . —

- (१) ब्राह्मणमपेयमभक्ष्यं वा संप्रासयत उत्तमो दण्डः । क्षत्रियं मध्यमः, वैश्यं पूर्वं: साहसदण्डः, शूद्रं चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।
- (२) स्वयंप्रसितारो निर्विषयाः कार्याः ।
- (३) परगृहाभिगमने दिवा पूर्वं: साहसदण्डः । रात्रौ मध्यमः । दिवा-रात्रौ वा सशस्त्रस्य प्रविशत उत्तमो दण्डः ।
- (४) भिक्षुकवदेहको मत्तोन्मत्तौ बलादापदि चातिसन्निकृष्टाः प्रवृत्त-प्रवेशाश्चादण्ड्याः । अन्यत्र प्रतिषेधात् ।
- (५) स्ववेशमनो विरात्रादूर्ध्वं परिवार्यमारोहतः पूर्वं: साहसदण्डः । परवेशमनो मध्यमः । ग्रामारामवाटभेदिनश्च ।

### अतिचार का दण्ड

( १ ) जो व्यक्ति, किसी ब्राह्मण को अभक्ष्य या अपेय वस्तु खिलाये पिलाये उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि क्षत्रिय को खिलाये-पिलाये तो मध्यम साहस दण्ड, यदि वैश्य को खिलाये-पिलाये तो प्रथम साहस दण्ड और शूद्र को खिलाये-पिलाये तो चौदत्त पण दण्ड दिया जाय ।

( २ ) यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अभक्ष्य-अपेय वस्तुओं का सेवन करें तो उन्हें देश-निर्वाहन का दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) जो पुरुष दिन में किसी के घर में घुसे उसे प्रथम साहस दण्ड, रात्रि में घुसे तो मध्यम साहस दण्ड और हथियार लेकर रात या दिन में प्रवेश करे तो उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) भिल्लारी, केरी वाले, शराबी, उन्मादी, व्यभिचारी, बधु-बाधव और मित्र आदि एक दूसरे के घर में प्रवेश करे तो दण्डनीय नहीं है, बशर्ते कि उनको किसी पारिवारिक व्यक्ति ने रोका न हो ।

( ५ ) यदि कोई व्यक्ति एक प्रहर रात बीत जाने पर बाहर से अपने ही घर की दीवार पर चढ़ तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यदि इसी हालत में वह दूसरे के घर की दीवार पर चड़े, और गाँव तथा बगीचों की बाड़ को तोड़े तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।

(१) ग्रामेष्वन्तः सार्थिका ज्ञातसारा वसेयुः । मुपितं प्रवासितं चंपाम-  
निर्गतं रात्रौ ग्रामस्वामी दद्यात् । ग्रामान्तेषु चा मुपितं प्रवासितं विवीता-  
ध्यक्षो दद्यात् । अविधीतानां चोररज्जुकः । तथाप्यगुप्तानां सीमावरोध-  
विचयं दद्युः । असीमावरोधे पञ्चग्रामी दशग्रामी वा ।

(२) दुर्बलं वैश्वम गकटमनुत्तद्धमूर्ध्वस्तम्भं शस्त्रमनपाश्वयमप्रतिच्छन्नं  
श्वश्रं कूपं कूटावपातं वा कृत्वा हिंसायां दण्डपाह्यं विद्यात् ।

(३) वृक्षच्छेदने दम्परश्मिहरणे चतुष्पदानामदान्तसेवने वाहने काष्ठ-  
लोष्ठपापाणदण्डबाणबाहुविक्षेपणेषु याने हस्तिना च सङ्घट्टने 'अपेहि'  
इति प्रक्रोशघ्नदण्डचः ।

(४) हस्तिना रोषितेन हतो द्रोणाघ्नं कुम्भं माल्यानुलेपनं दन्तप्रमाजंनं  
च पटं दद्यात् । अश्वमेधावभृथस्नानेन तुल्यो हस्तिना वध इति पादप्रक्षा-  
लनम् । उदासीनवधे यातुहत्तमो दण्डः ।

( १ ) यात्रा करते समय यदि कोई व्यापारी किसी गाँव में ठहरे तो अपने पूरे सामान की सूचना गाँव के मुखिया को दे । रात में उसकी यदि कोई चोरी हो जाय या गाँव में उसकी कोई वस्तु छूट जाय तो उस वस्तु को गाँव का मुखिया दे । यदि कोई वस्तु गाँव के बाहर छूट गई या चोरी गई हो तो उसकी पूर्ति चरागाह का अध्यक्ष ( विवीताध्यक्ष ) करे । यदि वहाँ पर चरागाहों की व्यवस्था न हो तो उस वस्तु को चोर पकड़ने वाले राजपुरुष ( चोर रज्जुक ) अदा करें । यदि फिर भी वस्तु सुरक्षित न रह सके तो जिसकी सीमा में उसकी चोरी हुई हो वही सीमाध्यक्ष उसको दे । यदि फिर भी कोई प्रबन्ध न हो सके तो आस-पास के पाँच दस गाँवों की पचायतों उस वस्तु को ढूँढ कर व्यापारी को दें ।

( २ ) मकान की कच्ची दीवार के कारण, गाड़ी की पटरी की कमजोरी के कारण, हथियार को ठीक तरह से न रखने के कारण, गड़बड़े में पूरे जाने के कारण और बिना जगले के कुएँ के कारण यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु का कारण बन जाय तो उसे दण्डपाह्य प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) पेड़ काटते समय, मारू जानवरों को खोलते समय, जानवरों को पहिले-पहिले सवारी में जोतते समय, अथवा दो दलों में लकड़ो, डेला, पत्थर, बाण आदि चलते समय, हारों की सवारों करते समय और बीच में आने से वारित करते समय यदि किसी का हाथ टूट जाय तो किसी को दण्ड न दिया जाय ।

( ४ ) यदि कोई व्यक्ति क्रुद्ध हाथों के चपेट में आकर मर जाय तो उसके परि-  
वारजनों को यह आवश्यक है कि वे एक द्रोण अघ्न, एक घडा शराव माला, चदन और दाँत साफ करने का वस्त्र उस हाथी को भेंट करें । क्योंकि जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर पवित्र स्नान करने से होता है उतना ही पुण्य हाथी के द्वारा मारे

(१) शृङ्गिणा इष्टिणा वा हिंस्यमानममोक्षयतः स्वामिनः पूर्वः साहसदण्डः । प्रतिश्लष्टस्य द्विगुणः ।

(२) शृङ्गिदंष्ट्रिभ्यामन्योन्यं घातयतस्तच्च तावच्च दण्डः ।

(३) देवपशुमृषभनुक्षणं गोकुमारीं वा बाह्यतः पञ्चशतो दण्डः । प्रवासयत उत्तमः । लोमदोहवाहनप्रजननोपकारिणां क्षुद्रपशूनामादाने तच्च तावच्च दण्डः । प्रवासने च, अन्यत्र देवपितृकार्येभ्यः ।

(४) छिन्ननस्यं भग्नयुगं तिर्यवप्रतिमुखागतं च प्रत्यासरद्वा चक्रयुक्तं यानपशुमनुष्यसम्बाधे वा हिंसायामदण्ड्यः । अन्यथा यथोक्तं मानुषप्राणि-हिंसाया दण्डमभ्यावहेत् । अमानुषप्राणिवधे प्राणिदानं च ।

(५) बाले यातरि यानस्थः स्वामी दण्ड्यः । अस्वामिनि यानस्थः प्राप्तव्यवहारो वा याता । बालाधिष्ठितमपुरुषं वा यानं राजा हरेत् ।

जाने पर होता है, इसीलिए उक्त वस्तुओं द्वारा हाथी के पूजन का विधान बताया गया है । किन्तु यदि कोई व्यक्ति महावत की लापरवाही के कारण मारा जाय तो महावत को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।

( १ ) यदि कोई स्वामी अपने सींग, खुर या दाँत वाले पशुओं द्वारा किसी व्यक्ति को मारते हुए देखकर न छुड़ाये तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । उस व्यक्ति के चिल्लाने पर भी यदि न छुड़ाये तो स्वामी को दुगुना दण्ड दिया जाय ।

( २ ) यदि सींग-दाँत वाले जानवर आपस में लड़कर एक-दूसरे को मार दें तो मारने वाले जानवर का मालिक मरे हुए जानवर की कीमत और उतना ही दण्ड भरे ।

( ३ ) जो कोई व्यक्ति देव निमित्त किसी पशु को, साँड को, बैल को या बछड़ी को हल या गाड़ी में जोते तो उस पर पाँच-सौ पण दण्ड दिया जाय । यदि इन्हें कोई घर से निकाले या दूर छोड़ आवे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । किन्तु उन्हें यदि किसी देवकार्य या पितृकार्य के लिए दूर छोड़ना पड़े तो कोई दोष नहीं है ।

( ४ ) यदि बैल की नाय टूट जाय या जुआ टूट जाय अथवा जुता हुआ बैल ही तिरछा हो जाय या सामने की ओर उल्टा हो जाय या गाड़ियों एव पशुओं की भारी भीड़ हो, ऐसे समय यदि किसी पशु को चोट पहुँच जाय तो गाड़ीवान को दोषी न समझा जाय । ऐसी स्थिति न हो और मनुष्य या पशु को कोई चोट पहुँचे तो, चोट पहुँचाने वाले को पूर्वोक्त यथोचित दण्ड दिया जाय । यदि कोई छोटा पशु दबकर मर जाय तो वही पशु लिया जाय ।

( ५ ) यदि गाड़ीवान नाबालिग हो तो उसका मालिक इन सब दण्डों को भुगतें । यदि मालिक उपस्थित न हो सवारी अथवा दूसरा बालिग गाड़ीवान दण्डों को भुगतें । यदि गाड़ी में बालक के अतिरिक्त कोई न हो तो राजपुरुष उसे जप्त कर लें ।



(१) कृत्याभिचाराभ्यां यत्परमापादयेत्, तदापादयितव्यः ।

(२) कामं भार्यायामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दारार्थिनां भर्तारि भार्यायां वा संवननकरणम् । अन्यथा हिंसाया मध्यमः साहसदण्डः ।

(३) मातापित्रोर्भगिनो मातुलानीमाचार्याणीं स्तुषां दुहितरं भगिनो वाधिचरतस्त्रिलिङ्गच्छेदनं वधश्च । सकामा तदेव लभेत । दासपरिचारकाहितकभुक्ता च ।

(४) ब्राह्मण्यामगुप्तायां क्षत्रियस्योत्तमः, सर्वस्वं वैश्यस्य । शूद्रः कटाग्निना दह्येत । सर्वत्र राजभार्यागमने कुम्भीपाकः ।

(५) श्वपाकीगमने कृतकबन्धाङ्कः परविषयं गच्छेत् । श्वपाकत्वं वा शूद्रः ।

(६) श्वपाकस्वार्यागमने वधः । स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम् ।

(७) प्रव्रजितागमने चतुर्विंशतिपणो दण्डः । सकामा तदेव लभेत ।

( १ ) जो व्यक्ति किसी को कृत्रिम उपायो (कृत्या) या तान्त्रिक प्रयोगो (अभिचार) द्वारा तग करे उसे गिरफ्तार कर लिया जाय ।

( २ ) पति को न चाहने वाली स्त्री पर उसका पति, कन्या को पत्नी बनाने की इच्छा रखने वाला पुरुष और अपने पति पर उमकी पत्नी, यदि बशीकरण आदि प्रयोग करें तो अपराध न माना जाय । इनके अतिरिक्त तान्त्रिक प्रयोग करने वालो को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) जो पुरुष अपनी मौसी, बूआ, मामी, गुरुपत्नी, पुत्रवधू, लडकी और बहिन के साथ व्यवभिचार करे उसका लिंग और अङ्कश काटकर उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय । यदि मासी, बूआ आदि स्वयं ऐसा कराये तो उनके दोनो स्तन काटकर और उनका भग-छेदन कर उन्हें भी प्राणदण्ड की सजा दी जाय । दास और परिचारक यदि व्यवभिचार करें तो उन्हें भी यही दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) लोक-राज से रहने वाली ब्राह्मणी के साथ यदि क्षत्रिय व्यवभिचार करे तो उमे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय, यदि वैश्य करे तो उमकी सारी सम्पत्ति हडप ली जाय, यदि शूद्र करे तो उसको तिनको की आग में जला दिया जाय । राजा की स्त्री के साथ जो कोई भी व्यवभिचार करे उसे तपे भाड में भून दिया जाय ।

( ५ ) चाण्डालिनी के साथ व्यवभिचार करने वाले पुरुष के माथे पर योनि का निशान दाय कर उसे देश-निर्वाचन का दण्ड दिया जाय, यदि ऐसा शूद्र करे तो उसे चाण्डाल बना दिया जाय ।

( ६ ) चाण्डाल यदि किसी आर्या स्त्री के माथे सम्भोग करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय और उस पर स्त्री के नाच कान काट दिये जाय ।

( ७ ) सन्यासिनी के साथ सम्भोग करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय, २६ को०

- (१) हृपाजीवायाः प्रसहोपभोगे द्वादशपणो दण्डः ।  
 (२) बहूनामेकामधिचरतां पृथक् पृथक् चतुर्विंशतिपणो दण्डः ।  
 (३) स्त्रियमयोनी गच्छतः पूर्वं साहसदण्डः । पुरुषमधिमेहतश्च ।  
 (४) मैथने द्वादशपणः तिर्यग्योनिष्वनात्मनः ।  
 दैवतप्रतिमानां च गमने द्विगुणः स्मृतः ॥  
 (५) अदण्डघदण्डने राज्ञो दण्डस्त्रिशद्गुणोऽम्भसि ।  
 वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्ततः परम् ॥  
 (६) तेन तत्पूयते पापं राज्ञो दण्डापचारजम् ।  
 शास्ता हि वरुणो राज्ञां मिथ्या ध्याचरता नृपु ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे अतिचारदण्डो नाम प्रयोदशोऽध्यायः,  
 आदित्त एकोनवत्तितमः ।

—: ० :—

यदि सन्यासिनी कामातुर होकर ऐसा कराये तो उस पर भी चौबीस पण दण्ड किया जाय ।

( १ ) श्रेण्या के साथ बालात् व्यभिचार करने पर वारह पण दण्ड दिया जाय ।

( २ ) यदि अनेक व्यक्ति एक स्त्री के साथ बारी बारी से सभोग करें तो एक-एक को चौबीस-चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।

( ३ ) यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के गुदा या मुख में संभोग करें तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । लोडेबाजी करने पर भी यही दण्ड किया जाय ।

( ४ ) गो आदि पशुओं से समागम करने वाले पातकी पर वारह पण और देव-प्रतिमाओं के साथ गमन करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय ।

( ५ ) जो राजा अदण्डनीय व्यक्ति को दण्ड दे, प्रजा को चाहिए कि वह उस दण्ड का तीस गुना दण्ड राजा से वसूल करे । वह अर्थ दण्ड पहिले वरुण देवता के निमित्त पानी में छोड़ दिया जाय और बाद में ब्राह्मणों को बाँट दिया जाय ।

( ६ ) इस प्रकार अनुचित दण्ड के वसूलने से राजा को जो पाप लगा है वह छूट जाता है, क्योंकि मनुष्यों के ऊपर अनुचित व्यवहार करने वाले राजा पर वरुण-देव ही शासन करता है ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में अतिचारदण्ड नामक  
 तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।

पांचवाँ अधिकरण

•

योगवृत्त

(१) दुर्गराष्ट्रयोः कण्टकशोधनमुक्तम् । राजराज्ययोर्वक्ष्यामः ।

(२) राजानमवगृह्योपजीविनः शत्रुसाधारणा वा ये मुख्यास्तेषु गूढ-  
पुरुषप्रणिधिः कृत्यपक्षोपग्रहो वा सिद्धिः । यथोक्तं पुरस्तादुपजापोऽपसर्पो  
वा यथा च पारग्रामिके वक्ष्यामः ।

(३) राज्योपघातिनस्तु वल्लभाः संहता वा ये मुख्याः प्रकाशमशक्याः  
प्रतिषेद्धुं दूष्याः, तेषु धर्मरुचिरुपांशुदण्डं प्रयुञ्जीत ।

(४) दूष्यमहामात्रभ्रातरं सत्कृतं सत्री प्रोत्साह्य राजानं वशयेत् । तं  
राजा दूष्यद्रव्योपभोगातिसर्गेण दूष्ये विक्रमयेत् । शस्त्रेण रसेन वा विक्रान्तं  
तत्रैव घातयेत् । भ्रातृघातकोऽप्यम् इति ।

### राजद्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में दण्डव्यवस्था

( १ ) दुर्ग और राष्ट्र के अनिष्टकारियों ( कटकों ) के दमन (शोधन) के उपाय  
चाँये अधिकरण में बताये जा चुके हैं । यही बात अब राजा और राज्य के सम्बन्ध  
में कही जायेगी ।

( २ ) राजा से वेतन भोजन पाकर भी उसको नीचा दिखाने वाले अथवा राजा  
के शत्रुओं से मिले हुए जो मन्त्री, पुरोहित आदि प्रधान राजकर्मचारी हों, उन पर  
सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पीछे राजा सुयोग्य मुम पुरुषों  
को तैयार कर दे, राज्यभर में जितने लोग राजा के शत्रुओं से खार खाये बैठे हैं उन्हें  
भी वह अपनी ओर मिला ले, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति का ढग पहिले बताया जा  
चुका है और उसी के सम्बन्ध में कुछ नई बातें आगे पारग्रामिक प्रकरण में  
बताई जायेंगी ।

( ३ ) धर्मप्राण राजा को चाहिए कि वह ऐसे मुख्य राज्यकर्मचारियों तथा मध  
के मुखियों को चुनके से भरवा दे ( स्थागुवध ), जो राजा के खिलाफ बगावत फैलाते  
हों और जिन दुष्टों को सुले तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

( ४ ) दूषित महामात्र ( हस्तपध्यास ) आदि के भाई को, जिनको कि दायभाग  
न मिला हो, समानपूर्वक उभाड़ कर सभी नामक गुप्तचर उसे राजा के पास लाये ।  
राजा उसको दूषणीय का निग्रह करने के लिए हथियार आदि देकर दोनों भाइयों के

(१) तेन पारशवः परिचारिकापुत्रश्च व्याख्यातो ।

(२) दूष्यं महामात्रं वा सत्रिप्रोत्साहितो भ्राता दायं याचेत । तं दूष्य-  
गृहप्रतिद्वारि रात्रावुपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीक्ष्णो हत्वा भ्रूयात्—हतोऽयं  
दायकामुकः इति । ततो हतपक्षं परिगृह्येतरं निगृह्णीयात् ।

(३) दूष्यसमीपस्थां वा सत्रिणो भ्रातरं दायं याचमानं घातेन परि-  
भत्संयेयुः । तं रात्राविति समानम् ।

(४) दूष्यमहामात्रयोर्वा यः पुत्रः पितुः पिता वा पुत्रस्य दारानधि-  
चरति भ्राता वा भ्रातुस्तयोः कापटिकमुखः कलहः पूर्वेण व्याख्यातः ।

(५) दूष्यमहामात्रपुत्रमात्मसम्भावितं वा सत्री—‘राजपुत्रस्त्वं शत्रु-  
भयादिह न्यस्तोऽसि ।’ इत्युपचरेत् । प्रतिपन्नं राजा रहसि पूजयेत्—‘प्राप्त-

बीच भगडा करवा दे । जब वह शस्त्र या विष आदि से अपने भाई की हत्या कर  
डाले तो इस पर भ्रातृ-घात का अपराध लगा कर राजा उसको भी मरवा दे ।

( १ ) यही व्यवहार पारशव ( महामात्र द्वारा नीच वर्ण की स्त्री से पैदा हुआ  
पुत्र ) और परिचारिका पुत्र ( दासी पुत्र ) के साथ किया जाय ।

( २ ) या तो सत्री द्वारा उभाडा हुआ भाई दूषणीय महामात्र से अपने दायभाग  
की माँग करे फिर तीक्ष्ण नामक गुप्तचर दूषणीय के घर के दरवाजे के बाहर सोते या  
अन्यत्र निवास करते हुए रात में उसको मार कर जनता में यह प्रचार करे कि ‘यह  
अपना दायभाग माँगता था इसलिए इसने महामात्र भाई ने इसको मरवा डाला’ ।  
इसके बाद राजा उस मृतक के बन्धु बाधव, सडके, मामा आदि को बुलवा कर  
उनको उकसायें कि यह महामात्र ही भाई का घातक है ! ऐसी युक्ति से राजा उसको  
मरवा डाले ।

( ३ ) अथवा राजद्रोही महामात्र के आसपास रहने वाले लोग दायभाग माँगने  
वाले उसके भाई को ‘हम तुम्हें मार डालेंगे’ कहकर धमकायें । फिर पूर्वोक्त रीति से  
तीक्ष्ण द्वारा उसको मरवा कर यह प्रचारित करवा कर उसको भी मरवा दे कि ‘यह  
महामात्र भाई का हत्यारा है !’

( ४ ) यदि दूष्य और महामात्र का पुत्र अपने पिता की स्त्रियों के साथ, पिता,  
पुत्रों की स्त्रियों के साथ और भाई, भाई की स्त्री के साथ ब्यभिचार करे तो कापटिक  
गुप्तचर द्वारा उनका आपस में भगडा करा दिया जाय और तदनन्तर पूर्वोक्त विधि  
से उनका काम-तनाम करा दिया जाय ।

( ५ ) अपने आप को बहादुर तथा उदार समझने वाले महामात्र के पुत्र के  
पास जाकर सत्री कहें कि ‘तुम तो युवराज हो सकते हो, व्यर्थ ही शत्रु के भय से  
यहाँ पडे हो’ । सत्री के वचनों पर विश्वास करके जब वह राजा के पास आवे तो

यौवराज्यकालं त्वां महामात्रमयान्नाभिमिच्छामि' इति । तं सत्री महामात्र-  
वधे योजयेत् । विक्रान्तं तत्रैव घातयेत्—'पितृघातकोऽप्यम्' इति ।

( १ ) भिक्षुकी वा द्रुष्यभार्या सांवननिकोभिरौषधिभिः संवास्य रसेना-  
तिसन्दध्यात् । इत्याप्यप्रयोगः ।

( २ ) द्रुष्यमहामात्रमदर्थो परग्रामं वा हन्तुं कान्तरव्यवहिते वा देशे  
राष्ट्रपालामन्तपालं वा स्थापयितुं नागरस्थानं वा कुपितमवग्रहीतुं सार्धा-  
त्तिवाह्यं प्रत्यन्ते वा सप्रत्यादेयमादातुं फल्गुवलं तीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत् । रात्रौ  
दिवा वा युद्धे प्रवृत्ते तीक्ष्णाः प्रतिरोधकव्यञ्जना वा हन्युः—'अभियोगे  
हतः' इति ।

( ३ ) यात्राविहारगतो वा द्रुष्यमहामात्रान् दर्शनायाह्वयेत् । ते गूढ-  
शस्त्रस्तीक्ष्णैः सह प्रविष्टा मध्यमकक्षायामात्मविचयमन्तःप्रवेशार्थं दद्युः ।  
ततो दौवारिकाभिर्गृहीतास्तीक्ष्णा 'द्रुष्यप्रयुक्ताः स्म' इति द्रूयुः । ते तदभि-  
विख्याप्य द्रुष्यान् हन्युः । तीक्ष्णस्थाने चान्ये वध्याः ।

एकान्त मे ले जाकर राजा उसका अच्छा सत्कार करे और तदनन्तर कहे 'तुम्हें युवराज  
पद मिलने का समय आ गया है । महामात्र के भय से मैं तुम्हारा अभियेक नहीं कर  
पा रहा हूँ ।' फिर सत्री उम लडके को उसके पिता महामात्र की हत्या करने के लिए  
तैयार करे । जब वह महामात्र की हत्या कर डाले तो पितृघातक का लाइन लगाकर  
राजा उसको भी मरवा दे ।

( १ ) अथवा भिक्षुकी नामक गुप्तचर स्त्री द्रुष्य आदि की स्त्री से कहे कि 'मैं  
वशीकरण की औषधि को जानती हूँ । तुम इस औषधि को अपने पति को खिलाना' ।  
इस प्रकार औषधि की जगह विष देकर राजद्रोहियों को मारा जाय । इस कार्य को  
आप्य प्रयोग कहते हैं ।

( २ ) राजा को चाहिए कि वह द्रुष्य महामात्र, अज्ञान के निरीक्षक और बगा-  
वती गांव को मारने के लिए तीक्ष्ण पुरुषों के साथ थोड़ी-सी सेना इस उद्देश्य या  
बहाने से भेज दे कि अमुक-अमुक्त स्थान-नगरो मे अन्तपाल या राष्ट्रपाल की स्थापना  
करनी है, या अमुक नगर की प्रजा विरुद्ध हो गई है उसको बश मे करना है, अथवा  
सेना भेजने वा यह बहाना बताये कि अमुक राज्य की सीमा पर दूसरे राज्य के  
कृषको ने हमारी भूमि अपने कब्जे मे कर ली है । तदनन्तर रात या दिन मे लडाई  
लगाकर चोर या डाकुओं के वेप मे तीक्ष्ण पुरुष अभीष्ट लोगों को मार डालें, और  
मारने के बाद यह प्रचारित करें लडाई मे मारा गया है ।

( ३ ) तीर्थयात्रा या विहार के लिए प्रस्तुत राजा द्रुष्य महामात्रो को देखने के  
लिए अपने पास बुलाये । शस्त्र छिपाये तीक्ष्ण पुरुष भी उन महामात्रो के साथ-साथ  
राजा के पास भीतर जाय । राजभवन की दूसरी डघोडी पर तलाशी लेकर द्वारपाल

(१) बर्हिबिहारगतो वा दूप्यानासन्नावासान् पूजयेत् । तेषां देवीव्यञ्जना वा दुःस्त्री रात्रावावासेषु गृह्येतेति समानं पूर्वेण ।

(२) दूप्यमहामात्रं वा 'सूदो भक्षकारो वा ते शोभनः' इति स्तवेन भक्ष्यभोज्य याचेत् । बर्हिर्वा क्वचिदध्वगतः पानीयं तदुभयं रसेन योजयित्वा प्रतिस्वादने तावैवोपयोजयेत् । तदभिद्विष्ट्याप्य 'रसदाविति' घातयेत् ।

(३) अभिचारशील वा सिद्धव्यञ्जनो गोघ्राकर्मककंटकूटाना लक्षण्यानामन्यतमप्राशनेन मनोरथानवाप्त्यसीति प्राहमेत् । प्रतिपन्न कर्मणि रसेन लोहमुसलंवा घातयेत् 'कर्मव्यापदा हत' इति ।

(४) चिकित्सकव्यञ्जनो वा दोरात्मिकमसाध्यं वा व्याधि दूप्यस्य स्थापयित्वा भयज्याहारयोगेषु रसेनातिसंदध्यात् ।

उन शस्त्रधारी तीक्ष्ण पुश्या का गिरफ्तार कर लें । वयान म वे कहे कि इन दूप्य लोगो ने राजा को मारने के लिए हमे हथियार लाने को कहा है । तदनन्तर नगर भर मे यह वान फैला दी जाय कि वे महामान राजा को मारना चाहते थे । इस अपराध मे उन्हें प्राण दण्ड दिया गया । उन गिरफ्तार तीक्ष्ण पुश्या के स्थान पर दूसरो को ही मरवा दिया जाय ।

( १ ) अथवा प्रवास के लिए गया हुआ राजा अपने पाम टहरे हुए उन दूप्य लोगो का खूब आदर सत्कार करे । फिर किसी व्यक्तिव्यभचारिणी स्त्री को महारानी के वेप मे उनके पास भेज दे, फिर मिवाहियो से वही पर उन्हें गिरफ्तार करवा ले, और इसी अपराध से उनका वध करवा डाले ।

( २ ) अथवा राजा, दूप्य महामात्र से यह तारीफ करके 'तुम्हारे रसोइये और पक्वान बनाने वाले बडे ही निपुण है' कुछ खाने को मागे । या इसी प्रकार का बहाना बनाकर पीने के लिए पानी मागे, तदनन्तर उनमे विष मिला कर 'लीजिए, पहिले आपही ग्रहण कीजिए' ऐसा कहकर उनको मरवा दे, और तदनन्तर रसोइयो पर विष देन का अपराध लगाकर उन्हें प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।

( ३ ) अथवा सिद्ध पुश्या के वेप मे गुप्तचर महामात्र से कहे 'अच्छी नसल के गाह, कछुआ, केंकड़ा और टूटे हुए मींग वाले हिरण आदि में से किसी एक को यदि अभिचारिक विधि से श्मशान मे पकाकर खाया जाय तो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं । जब महामात्र इसके लिए राजी हो जाय तो उसे जहर मिलाकर या लोहे के मूसल से कूटकर मार दिया जाय और यह प्रचार कराया जाय कि साधना मे व्यक्ति पात हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई ।

( ४ ) अथवा चिकित्सक के वेप मे गुप्तचर महामात्र के पास जाकर कहे कि

(१) सूदारालिकव्यञ्जना वा प्रणिहिता दूष्यं रसेनातिसन्दध्युः । इत्युपनिषत्प्रतिषेधः ।

(२) उभयदूष्यप्रतिषेधस्तु । यत्र दूष्यः प्रतिषेद्धव्यस्तत्र दूष्यमेव फल्गु-बलतीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत्—'गच्छामुष्मिन्दुर्गं राष्ट्रं वा सैन्यमुत्थापय हिरण्यं वा, बल्लभाद्वा हिरण्यमाहारय, बल्लभकन्यां वा प्रसह्यानय । दुर्गंसेतुवणि-वपथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवतकर्मणामन्यतमं वा कारय, राष्ट्रपाल्यमन्त-पाल्यं वा । यश्च त्वा प्रतिषेधयेन्न वा ते साहाय्यं दद्यात्, स बन्धव्यः स्या-दिति । तथैवतरेषां प्रेषयेत्—'अमुष्याविनयः प्रतिषेद्धव्यः' इति । तमेतेषु कलहस्थानेषु कर्मप्रतिधातेषु वा विवदमानं तीक्ष्णाः शस्त्र पातयित्वा प्रच्छन्नं हन्तुः । तेन दोषेषुतरे नियन्तव्याः ।

(३) पुराणा ग्रामाणां कुलानां वा दूष्याणां सीमाक्षेत्रखलवेश्मर्पादानु-द्रव्योपकरणसस्यवाहर्नाहसासु प्रेक्षाकृत्योत्सवेषु वा समुत्पन्ने कलहे तीक्ष्णै-

उसको दुराचार से उत्पन्न या असाध्य रोग हो गया है और चिकित्सा करते समय औषधि या भोजन में विष मिलाकर उसको मार डाले ।

( १ ) अथवा रसोइया तथा हनवाई आदि पकी चीजों में विष मिलाकर उस महामात्र को मार डाले । यहाँ तक गुप्त रूप से दूष्यों के निग्रह के ढंग बताये गये ।

( २ ) दो दूष्य पुरुषों को किस प्रकार एक ही साथ दिनष्ट किया जा सकता है, अब इनका उपाय बताया जाता है । जहाँ एक दूष्य को काबू में करना हो, वहाँ दूसरे दूष्य के साथ घोड़ी-सी सेना और कुछ तीक्ष्ण पुरुष भेजे । उस दूष्य से यह कहा जाय कि अमुक किले या प्रान्त में जाकर वह सेना के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती करे । अथवा उसको आज्ञा दी जाय कि वह सुवर्ण या धन जमा करे या अमुक अध्यक्ष का धन चुराये, या अमुक अध्यक्ष की कन्या को बलात् चुरा ले, या अमुक स्थान पर मकान तथा दुर्ग बनाये, व्यापारियों के मार्ग को ठीक करे, या जंगल में मकान बनाये, अथवा अमुक खानों या लकड़ी हाथी के जंगलों में ऐसा कार्य करे, या राष्ट्रपाल अथवा अतपाल के कार्यों को करे । उसे यह भी ससम्भा दिया जाय कि यदि उसके इन कार्यों में कोई रूकावट डाले या सहयोग न दे तो उसे गिरफ्तार किया जाय । इसी प्रकार दूसरे दूष्यों को मौखिक सूचना भेजी जाय कि वे अमुक व्यक्ति की उद्दण्डना को रोक्के । इस प्रकार उनमें परस्पर विवाद पैदा होने पर झगड़ले दूष्य को तीक्ष्ण नामक गुप्तचर गुप्तरूप से मार डालें । तदनंतर राजा के पुरुष उस हत्या का दोष दूसरे दूष्य पर आरोपित करके उसे भी मरवा दें ।

( ३ ) राजद्रोही नगरो, गावों, कुलों की सीमाओं, खेत, खलिहान, मकानों की सीमा, सुवर्ण, बल्ल, अन्न तथा सवारी आदि का नाश कर देने से, तमाशो उत्सवों में



रत्पादिते वा तीक्ष्णाः शस्त्रं पातयित्वा ब्रूयुः—‘एवं श्रियन्ते येऽमुना कलहा-  
यन्ते’ इति । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।

(१) येषां वा दूष्याणां जातमूलाः कलहाः तेषां क्षेत्रखलवेशमान्यादी-  
पयित्वा बन्धुसम्बन्धिषु वाहनेषु वा तीक्ष्णाः शस्त्रं पातयित्वा तथैव ब्रूयुः—  
‘अमुना प्रयुक्ताः स्मः’ इति । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।

(२) दुर्गराष्ट्रदूष्यान् वा सत्रिणः परस्परस्यावेशनिकान् कारयेयुः ।  
तत्र रसदा रस दद्युः । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।

(३) भिक्षुकी वा दूष्यराष्ट्रमुद्यं दुष्यराष्ट्रमुख्यस्य भार्या स्तुषा दुहिता  
वा कामयत इत्युपजयेत् । प्रतिपन्नस्याभरणमादाय स्वामिने दर्शयेत्—असौ  
ते मुच्यो यौवनोत्सिक्तो भार्या स्तुषा दुहितरं वाभिमन्यते इति । तयोः  
कलहो रात्रौ इति समानम् ।

(४) दूष्यदण्डोपनतेषु तु युवराजः सेनापतिर्वा किञ्चिदुपकृत्यापभ्रान्तो

भगडा होने पर, दूष्य नगरो मे भगडा होने पर, तीक्ष्ण गुप्तचर ही दूष्यो को मार  
डाले और उस हत्या का आरोप दूसरे दूष्यो पर थोप दें । जो भी लडाई-भगडा करेगे,  
उन्हे इसी प्रकार मरवा दिया जायेगा, ऐसा कहकर दूसरे दूष्यो को भी मरवा दिया  
जाय ।

( १ ) तीक्ष्ण गुप्तचरो को चाहिए कि वे ‘आपस मे पुरानी दुश्मनी को लेकर  
आने वाले दूष्य पुष्टयो के घेत, खलिहान, मकान आदि को जलाकर, उनवे बधु बाधवो,  
साथियो और पशुओ को हथियार से मार करके यह प्रचारित करें कि ‘अमुक व्यक्ति  
ने हमे ऐसा कार्य करने के लिए कहा था ।’ उसके बाद वे बताये गए लोप गिरफ्तार  
कर शूली पर चढाये जाय ।

( २ ) सभी गुप्तचर आपसी दुश्मनी रखने वाले दूष्यो को परस्पर मिलाकर एक-  
दूसरे के घर मे डन्हे निमंत्रण दिलवायें और तीक्ष्ण गुप्तचर भोजन मे विष डालकर  
उनमे से एक को मार दें, दूसरे को हत्या के अपराध मे गिरफ्तार कर पाँसी दी जाय ।

( ३ ) अथवा गुप्तचर भिक्षुकी राष्ट्र के किसी उच्चपदस्थ दूष्य से कहे कि ‘अमुक  
दूष्य की पत्नी, पुत्रवधू या लडकी उस पर अनुरक्त है ।’ यदि वह विश्वास कर ले तो  
उससे कोई आभूषण आदि लेकर दूष्य को दिखलाये और ‘वह अमुक महाधिकारी  
जवानी मे मतवाला हो कर तुम्हारी पत्नी, पुत्रवधू आदि को चाहता है ।’ इस प्रकार  
उनका आपस मे भगडा हो जाने के बाद रात मे तीक्ष्ण या चर एक को मार डाले  
और फौना दे कि उसको अमुक दूष्य ने मारा है, इसी अपराध मे उस दूसरे दूष्य को  
भी गिरफ्तार किया जाय ।

( ४ ) दण्डोपरान्त ( सेना द्वारा या मे किये गये ) दूष्यो के साथ युवराज या

विक्रमेत । ततो राजा दूष्यदण्डोपनतानेव प्रेषयेत् । फल्गुबलतीक्ष्णयुक्ता-  
निति समानाः सर्व एव योगाः ।

(१) तेषां च पुत्रेष्वनुक्षिपत्सु यो निविकारः स पितृदायं लभेत । एव-  
मस्य पुत्रपौत्राननुवर्तते राज्यमपास्तपुरुषदोषमिति ।

(२) स्वपक्षे परपक्षे वा तूष्णीं दण्डं प्रयोजयेत् ।  
आयत्यां च तदात्वे च क्षमावानविशङ्कितः ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमाऽधिकरणे दण्डकामिक नाम प्रथमोऽध्यायः ,  
आदितो नवतितमः ।

— ० —

सेनापति पहिले कुछ उपकार करे और बाद मे उनसे अलग होकर उनसे झगडा करता  
रहे । तदनंतर राजा कुछ सेना के साथ उन्हें दूसरे द्रोहियो को शात करने के लिए  
भेजे । तदनंतर उनके साथ पूर्ववत् व्यवहार किया जाय ।

( १ ) बध किये गये द्रोही महामात्रो में वही पुत्र उत्तराधिकारी हो सकता है  
जो राजा की निन्दा न करे और जो राजा से पिता की हत्या का बदला लेने का खयाल  
न करे । यदि कोई पुरुष राजा के विरुद्ध कोई सकल्प मन मे न करे तो उसके पुत्र-  
पौत्र आदि वेस्रटके अपनी पैतृक सपत्नि की भोग सकते हैं ।

( २ ) इस प्रकार क्षमाशील राजा को चाहिए कि वह वर्तमान और भविष्य मे  
बिना किसी शका के उचित रूप से अपने तथा दूसरे के पक्ष मे इस गूढ दण्ड का  
प्रयोग करे ।

योगवृत्त नामक पञ्चम अधिकरण मे दण्डकामिक नामक  
पहला अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

- ( १ ) कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छ्रः संगृह्णीयात् ।  
 ( २ ) जनपदं महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातृकं प्रभूतधान्यं धान्यस्यांशं तृतीयं चतुर्थं वा याचेत । यथासारं मध्यमवरं वा ।  
 ( ३ ) दुर्गसेतुकर्मवर्णिवपथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्मोपकारिणं प्रत्यन्तमल्पप्रमाणं वा न याचेत ।  
 ( ४ ) धान्यपशुहिरण्यादिनिविशमानाय दद्यात् । चतुर्थमंशं धान्यानां बीजभक्तशुद्धं च हिरण्येन क्रीणीयात् ।  
 ( ५ ) अरण्यजातं श्रोत्रियस्वं च परिहरेत् । तदप्यनुग्रहणे क्रीणीयात् ।

### कोप का अधिकाधिक संग्रह

( १ ) खजाने के कम हो जाने या अकस्मात् ही अर्धसङ्घट उपस्थित हो जाने पर राजा को कोप-सञ्चय करना चाहिए ।

( २ ) बड़े या छोटे ऐसे जनपदों से अन्न का सीमरा या चौथा हिस्सा राज्यकर प्रजा की अनुमति से बमूल किया जाय, जहाँ का जीवन दृष्टि पर निर्भर हो और जहाँ काफी अनाज पैदा होता हो । इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के या छोटे जनपदों से भी अन्न संग्रह किया जाय ।

( ३ ) किन्तु जो जनपद निलो, मकानों व्यापारिक मार्गों, खाली मैदानों, खानों और लकड़ी हाथी के जंगलों द्वारा राजा तथा प्रजा का उपकार करते हों, जो प्रदेश राज्य की सीमा पर हों और जिनके पास अन्न आदि बहुत थोड़ा हो, उनसे यह राज्यकर न लिया जाय ।

( ४ ) नये बसने वाले किसानों को अन्न, बैल, पशु और धन सरकार की ओर से सहायता दी जाय । इस तरह के किसानों से राजा उनकी उपज का चौथा हिस्सा खरीद ले और फिर बीज तथा उनके गुजारे लायक छोड़कर बाकी भी खरीद ले ।

( ५ ) जंगल में पैदा हुए तथा श्रोत्रिय द्वारा पैदा किये अन्न में राजा हिस्सा न ले । बीज और खाने योग्य अन्न को छोड़कर उसमें से भी राजा खरीद सकता है ।

(१) तस्याकरणे वा समाहर्तृपुरुषा ग्रीष्मे कर्षकाणामुद्वापं कारयेयुः । प्रमादावस्कन्नस्यात्ययं द्विगुणमुत्ताहरन्तो बीजकाले बीजलेख्यं कुर्युः । निष्पन्ने हरितपत्रवादानं वारयेयुः । अन्यत्र शाककटमङ्गमुष्टिभ्यां देवपितृ-पूजादानार्थं गवार्थं वा भिक्षुकग्रामभृतकार्यं च राशिमूल परिहरेयुः ।

(२) स्वसस्यापहारिणः प्रतिपातोऽष्टगुणः । परसस्यापहारिणः पञ्चा-शद्गुणः सीतात्ययः स्ववर्गस्य बाह्यस्य तु वधः ।

(३) चतुर्थमंशं धान्यानां पठं धन्याना तूललाभाक्षीमवलककार्पास-रौमकौशेयकौपधगन्धपुष्पफलशाकपण्यानां काष्ठवेणुमांसवल्लूराणां च गृह्णीयुः । दन्ताजिनस्यार्धम् । अनिसृष्टं विक्रीणानस्य पूर्वः साहसदण्डः ।

(४) इति कर्षकेषु प्रणयः ।

(५) सुवर्णरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालाश्वहस्तिपण्याः पञ्चाशत्कराः ।

( १ ) यदि श्रोत्रिय खेती न करे तो समाहर्ता आदि अधिकारियों को चाहिए कि उम जमीन को वे गरमी की जुताई-बुआई के लिये दूसरे किसानों को दे दें । यदि किसान की लापरवाही से बीज नष्ट हो जाय तो समाहर्ता उस पर द्रुमुना जुर्माना करे और दूसरी फसल पर उस सारी कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कर दे । फसल की तैयारी होने पर किसानों को कच्चा-पक्का अन्न लाने के लिए रोक दिया जाय । किन्तु वे देवपूजा, पितृपूजा या गाय के लिये मुट्टी भर अनाज या मुट्टी भर पुआल ला सकते हैं । किसानों को चाहिए कि वे भिखारी तथा गाँव के नाई, धोबी, कुम्हार आदि के लिए खलिहान में अन्न-राशि के नीचे का हिस्सा छोड़ दे ।

( २ ) सरकार को पैदावार की कमी दिखाने के लिए यदि किसान अपने ही खेत में चोरी करे तो उससे, चोरी किए हुए अन्न का, अठगुना दण्ड वसूल किया जाय । यदि कोई व्यक्ति अपने ही गाँव में खड़ी फसल की चोरी करे तो उसे चोरी के माल का पचास गुना दण्ड दिया जाय । यदि वह दूसरे गाँव का हो तो उसे प्राण दण्ड की सजा दी जाय ।

( ३ ) धान्यों का चौथा हिस्सा और वन में होने वाले अन्न का तथा रुई, लाख, जूट, छाल, कपाम, जूत, रेशम, औषधि, गन्ध, पुष्प, फल, शाक, लकड़ी, बाँस, सूखा, मांस, आदि का छठा हिस्सा राजकर के रूप में लिया जाय । हाथी दाँत और गाय आदि के चमड़े का आधा हिस्सा राजकर में लिया जाय । जो व्यक्ति इन वस्तुओं को छिपाकर बेचे, उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

( ४ ) यहाँ तक किसानों के प्रति राजा की ओर से कर की याचना के सम्बन्ध में विधान किया गया ।

( ५ ) राजकर : सोना, चाँदी, हीरा, मणि, मोती, मूंगा, घोड़े और हाथी

सूत्रवस्त्रताम्रवृत्तकंसगन्धमैयज्यशीघ्रपण्याश्वत्वारिशत्कराः । घान्यरस-  
लोहपण्याः शकटव्ययहारिणश्च त्रिशत्कराः । काचव्यवहारिणो महाकारवश्च  
विशतिकराः । क्षुद्रकारवो बन्धकीपोपकाश्च दशकराः । काष्ठवेणुपापाण-  
मृद्भाण्डपक्वान्नहरितपण्याः पञ्चकराः ।

(१) कुशीलवा रूपाजीवाश्च वेतनाद्यं दद्याः ।

(२) हिरण्यकरमकर्मण्यानाहारयेयुः । न चंपां कश्चिदपराद्यं परिहरेयुः  
ते ह्यपरगृहीतमभिनीय विक्रीणीरन् ।

(३) इति व्यवहारिषु प्रणयः ।

(४) कुक्कुटसूकरमर्द्यं दद्यात् । क्षुद्रपशवः षड्भागम् । गोमहियाश्व-  
तरखरोष्ट्राश्च दशभागम् । बन्धकीपोपका राजप्रेष्याभिः परमरूपयौवनाभिः  
कोशं संहरेयुः ।

(५) इति योनिपोपकेषु प्रणयः ।

आदि व्यापारिक वस्तुओं पर उनकी लागत का पचासवाँ हिस्सा टैक्स लिया जाय ।  
इसी प्रकार सूत, कपड़ा, ताँबा, पीतल, काँसा, गन्ध, जड़ी-बूटी और शराब पर  
चालीसवाँ हिस्सा, गेहूँ, घान आदि अन्न, तेल, घी, लोहा और बेलगाड़ियों पर तीसवाँ  
हिस्सा, काँच के व्यापारी तथा धैटे-बटे कारीगरों पर बीसवाँ हिस्सा छोटे-छोटे कारी-  
गरों तथा कुलटा छियों को घर में रखने वालों से दसवाँ हिस्सा, और लकड़ी, बाँस,  
पत्थर, मिट्टी के बर्तन, पक्वान तथा हरे शाक आदि पर पाँचवाँ हिस्सा मरकारि  
टैक्स लिया जाय ।

( १ ) मट, नतंक, गायक तथा वेश्यायें अपनी कमाई का आधा हिस्सा राज-  
कर दें ।

( २ ) व्यापारियों से प्रति पुरुष के हिसाब से कुछ नकदी कर रूप में ली जाय  
और इस भय से व्यापार छोड़ देने पर भी उसका कर वसूला जाय । क्योंकि ऐसे  
लोगों से यह भी सम्भव हो सकता है कि वे अपनी वस्तु को दूसरे की बहकर बेचें,  
जिससे कि टैक्स से बच जाय ।

( ३ ) यहाँ तक व्यापारियों से राज्यकर लेने के सम्बन्ध में कहा गया ।

( ४ ) मुर्ग और सूअर पालने वाले, उनकी आमद का आधा हिस्सा टैक्स दें ।  
इसी प्रकार भेड़-बकरी पालने वाले छठा हिस्सा, गाय, भैंसे, खच्चर, गधा तथा ऊँट  
पालने वाले दसवाँ हिस्सा राजकर दें । वेश्याओं के जमादारों को चाहिए कि वे राज-  
अनुमत रूपवती वेश्याओं द्वारा राजकोष के लिए धन जमा करें ।

( ५ ) यहाँ तक जानवर पालने वालों से राज्यकर लेने के सम्बन्ध में कहा  
गया ।

(१) सकृदेव न द्विः प्रयोज्यः । तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदान् भक्षेत । योगपुरुषाश्चात्र पूर्वमतिमात्रं दद्युः । एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान् भिक्षेत । कापटिकाश्चानानल्पं प्रयच्छतः कुरुसयेयुः । सारतो वा हिरण्यमाढधान् याचेत ।

(२) यथोपकारं वा स्ववशा वा यदुपहरेयुः । स्थानच्छत्रवेष्टनविभूपाश्रंपा हिरण्येन प्रयच्छेत् । पाण्डसघद्रव्यमश्रोत्रियभोग्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकराः प्रेतस्य दग्धगृहस्य वा हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयुः ।

(३) देवताध्यक्षो दुर्गराष्ट्रदेवतानां यथास्वमेकस्थं कोशं कुर्यात् । तयैव चाहरेत् । दैवतचैत्यं, सिद्धपुण्यस्थानभूमिवादिकं वा रात्रावृत्थाप्य यात्रासमाजाम्यामाजीवेत् । चैत्योपवनवृक्षेण वा देवताभिगमनमनार्तवपुष्प-फलयुक्तेन ख्यापयेत् । मनुष्यकरं वा वृक्षं रक्षोभयं रूपयित्वा सिद्धव्यञ्जनाः

( १ ) राज्यकर एक बार ही लेना चाहिए, दुबारा नहीं । यदि एक बार कर लेने में खजाने को न बढ़ाया जा सके तो समाहर्ता को चाहिए कि किसी कार्य का बहाना बनाकर वह नगरवासियों और प्रदेशवासियों में धन की याचना करे । इस योजना में मिले हुए लोग जनता को दिखाने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धन दें । इसी बहाने से राजा अपनी प्रजा से धन की याचना करे । यदि कोई थोड़ा धन दे तो राजा के गुमचर उसकी निंदा समाज में फैलायें । धनी व्यक्तियों से उनकी हैसियत के अनुसार धन लिया जाय ।

( २ ) राज्य की ओर से उपकृत लोगों पर उपकार के अनुपात से या जितना धन मिले हुए लोग दें, उतनी ही रकम देने को धनवानों से आग्रह किया जाय । और इस प्रकार उन सहायता देने वाले धनी पुरुषों को अधिकार, उच्चासन, छत्र, वेष्टन ( पगड़ी ) तथा आभूषण आदि देकर सम्मानित किया जाय । किन्तु पाखंडी या पाखंडी समूह की सम्पत्ति को तथा उस मन्दिर की सम्पत्ति को जिसका कोई भी अन्न श्रोत्रिय के पास नहीं जाता है तथा मरे हुए एव घर जले हुए की सम्पत्ति को, उनका कर्म कराने के बहाने, राजकोष में जमा कर लिया जाय ।

( ३ ) देवताध्यक्ष ( देव मन्दिरों का अधिकारी ) को चाहिए कि वह दुर्ग तथा राष्ट्र के देवमन्दिरों की आमदनी को एक स्थान पर जमा करके रखे । उसको फिर राजा को दे दे । किसी प्रसिद्ध पवित्र स्थान में भूमि को फाड़ कर देवता प्रकट हुआ है ऐसी अफवाह फैलाकर रात में वहाँ देवता की एक वेदी बनवा दी जाय और मेला लगवा कर यात्रियों तथा दर्शकों से वहाँ खूब भेंट चढ़वाई जाय, उसको राजा ले ले । बिना मौसम किसी मन्दिर या उपवन में किसी पेड़ पर फल या फूल पैदा कराके यह प्रसिद्धि करवा दी जाय कि वह तो देव-महिमा है । अथवा सिद्धों के वेप में घूमने

पौरजानपदाना हिरण्येन प्रतिकुर्युः । सुहृद्भ्यामुक्ते वा कूपे नागमनियतशिरस्कं हिरण्योपहारेण दशंयेद् नागप्रतिमायामन्तश्छिद्रायाम् । चैत्यच्छिद्रे वल्मीकच्छिद्रे वा सर्पदर्शन आहारेण प्रतिबद्धसंज्ञं कृत्वा श्रद्धघानानादशंयेत् । अश्रद्धघानानानामाचमनप्रोक्षणेषु रसमवपाय्य देवताभिषाणं ब्रूयात् । अभित्यक्तं वा दंशयित्वा योगदर्शनप्रतीकारेण वा कोशामिसंहरणं कुर्यात् ।

( १ ) वैदेहकव्यञ्जनो वा प्रभूतपण्यान्तेवासी व्यवहरेत् । स यदा पण्यमूल्ये निक्षेपप्रयोगं रूपचित्तः स्यात् तदैनं रात्रौ मोपयेत् । एतेन रूपदर्शकः सुवर्णकारश्च व्याख्यातौ ।

( २ ) वैदेहकव्यञ्जनो वा प्रख्यातव्यवहारः प्रवहणनिमित्तं याचितकमवक्रीतकं वा रूप्यसुवर्णमाण्डमनेकं गृह्णीयात् । समाजे वा सर्वपण्य-

वाले गुमचर रात में किसी पेड़ पर बैठ कर 'मुझे प्रतिदिन एक-एक मनुष्य चाहिए । नहीं तो सबको एक ही साथ खा जाऊँगी' ऐसा राक्षस का बानिक बनाया जाय, उसके प्रतिकार के लिए जनता से धन मग़्रह किया जाय और वह धन राजकोष में रखा जाय । अथवा किसी सुरङ्ग वाले कुँए में तीन या पाँच शिर वाले बनावटी नाग को दिलाया जाय और उसको दिखाने के बदले में दशकों से धन लिया जाय, फिर उस धन को राजकोष में जमा कर दिया जाय । या किसी मन्दिर तथा वल्मीक में साँप को अचानक दिखा कर उसे मन्त्र या औपधि से वश में कर लिया जाय, और तब यह कहते हुए श्रद्धालु भक्तों को उसके दर्शन कराये जाय कि 'देखो, देवता की बेंसी महिमा है ?' । जो व्यक्ति इस पर विश्वास न करें उन्हें चरणाभूत के साथ इतना विष दिया जाय, जिससे वे बेहोश हो जायें, और फिर यह प्रसिद्धि की जाय कि 'यह नाम देवता का शाप है ।' जो व्यक्ति देवता को निन्दा करे उन्हें साँप से कटवा दिया जाय और उसको भी देवता का ही शाप कहा जाय । फिर दाद में औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट रीति से चिकित्सा कर उसके विष को दूर कर दिया जाय । इस प्रकार धन संचय करके राजा अपने खजाने को बढ़ाये ।

( १ ) अथवा व्यापारी के वेप में वैदेहक नामक गुमचर प्रचुर वस्तुओं और अनेक सहायकों को लेकर व्यापार करना आरम्भ कर दे । लोगों के बीच जब उसकी सख्त बन जाय और अमानक के रूप में तथा व्याज आदि के लिए लोग उसके पास जब काफी पूँजी जमा कर दें, तब अचानक ही वह चोरी हो जाने वा डिठोरा कर सारा माल राजा के लिए हड़प ले ।

( २ ) इसी प्रकार सरकार द्वारा नियुक्त सिक्को का पारखी और सुनार भी छल-कपट से राजकोष के लिए धन एकत्र करें । अथवा व्यापारी के वेप में राजा के गुमचर जब तेन देन में खूब प्रसिद्ध हो जायें तो एक दिन वे सहभोज के बहाने पास-

सन्दोहेन प्रभूतं हिरण्यसुवर्णमृणं गृह्णीयात् । प्रतिभाण्डमूल्यं च । तदुभयं रात्रौ मोषयेत् ।

(१) साष्टवीव्यञ्जनाभिः स्त्रीभिर्दूष्यानुन्मादयित्वा तासामेव वेश्म-  
स्वभिर्गृह्य सर्वस्वान्पाहरेयुः ।

(२) दूष्यकुल्यानां वा विवादे प्रत्युत्पन्ने रसदाः प्रणिहिता रसं दद्युः ।  
तेन दोषणेतरे पर्यादातव्याः ।

(३) दूष्यमभित्यक्तो वा श्रद्धेयापदेशं पण्यं हिरण्यनिक्षेपमृणप्रयोगं दायं  
वा याचेत् । दासशब्देन वा दूष्यमालम्बेत् । भार्यामस्य स्नुषां द्रुहितरं वा  
दासीशब्देन वा भार्याशब्देन । तं दूष्यगृहप्रतिद्वारि रात्राव्पशयानमन्यत्र  
वा वसन्तं तीक्ष्णो हत्वा ब्रूयात्—‘हतोऽयमित्यं कामुक’ इति । तेन दोषणे-  
तरे पर्यादातव्याः ।

(४) सिद्धव्यञ्जनो वा दूष्यं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयित्वा ब्रूयात्—  
‘अक्षय हिरण्यं राजद्वारिकं स्त्रीहृदयमरिव्याधिकरमायुष्यं पुत्रीयं वा कर्म

पडोस के लोगो से माँगकर या भाडे पर सोने-चाँदी आदि के बर्तन ले आवें या अपना  
माल रखकर उसके बदले में अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी से रुपया या  
सोना ऋण ले आवें, और दूसरे दिन जिनसे अपनी वस्तुएँ बेचनी हैं उनसे प्रतिवस्तु  
का दाम ले आवें । इन दोनों प्रकार के लाने हुए मालो की वह रात्रि में चोरी करवा  
दे, इस प्रकार राजकोप को भरने का यत्न करे ।

( १ ) कुलीन वैप में रहने वाली गुप्तचर स्त्रियों के द्वारा दूष्य पुरुषो को उत्साही  
बनाकर उन स्त्रियों के घरों में ही उनको गिरफ्तार किया जाय और तब उनका  
सर्वस्व छीन लिया जाय ।

( २ ) दूष्य पुरुषो के आपसी झगड़े के समय गुप्तचरो को चाहिए कि उनके पास  
रहते हुए किसी एक को वे विष देकर मार दें । दूसरे दूष्य का घन अपराध में  
अपहरण किया जाय ।

( ३ ) कोई पदच्युत या जातिच्युत व्यक्ति माल, सोने का अमानत, ऋण अथवा  
दायभाग आदि को दूष्य से इस प्रकार माँगे जिससे कि लोगो को विश्वास हो जाय  
कि इनका आपस में घनिष्ट सन्ध है । अथवा वह दूष्य को दास कह कर तथा  
उसकी स्त्री, पुत्री आदि को दासी या पत्नी आदि कह कर माली दे । उस रात वह  
उसके ही द्वार पर या अन्यत्र कहीं सो जाय, फिर तीक्ष्ण पुरुष जाकर उसको मार दें  
और यह अफवाह फैला दें कि ‘यह कामी पुरुष दूष्य के साथ इस प्रकार झगडा करते  
हुए मारा गया ।’ इसी अपराध में राजा, दूष्य का सर्वस्व हर ले ।

( ४ ) अथवा सिद्ध के वैप में गुप्तचर दूष्य को ऐसा कह कर प्रलोभन दे कि  
२७ को०



जानगमि' इति । प्रतिपन्नं चैत्यस्थाने रात्रौ प्रभूतसुरामांसगन्धमुपहारं कारयेत् । एकरूपं चात्र हिरण्यं पूर्वनिखातम् । प्रेताङ्गं प्रेतशिशुर्वा यत्र निहितः स्यात् । ततो हिरण्यस्य दर्शयेदत्यल्पमिति च श्रूयात्—'प्रभूतहिरण्य-हेतोः पुनरुपहारः कर्तव्यः' इति । स्वयमेवैतेन हिरण्येन श्वोभूते प्रभूतमौप-हारिकं श्रीणीहि' इति । तेन हिरण्येनौपहारिकरूपे गृह्येत ।

(१) मातृव्यञ्जनपा वा 'पुत्रो मे त्वया हतः' इत्यवस्थापितः स्यात् । संसिद्धमेवास्य रात्रियागे वनयागे वनश्रीडायां वा प्रवृत्तायां तीक्ष्णा विश-स्याभित्यक्तमतिनयेयुः ।

(२) द्रुप्यस्य वा भृतकव्यञ्जनो वेतनहिरण्ये कूटरूपं प्रक्षिप्य प्ररूपयेत् ।

(३) कर्मकारव्यञ्जनो वा गृहे कर्म कुर्वाणः स्तेनकूटरूपकारकोप-करणमपनिदध्यात् । चिकित्सकव्यञ्जनो वा गरमगरापदेशेन ।

'मैं अपार हिरण्य के खजाने को देखता, राजा को वश में करना, स्त्री को वश में करना, दुश्मन को बीमार करना, आयु को बढ़ाना और सन्तान को पैदा करना आदि चमत्कार जानता हूँ ।' जब द्रुप्य राजी हो जाय तो रात में किसी देवस्थान के पास ले जाकर गुप्तचर उसको धूप मंदिरा, मास, गन्ध आदि देवता को चढ़ाने के लिए कहे, तदनन्तर जहाँ मुर्दे का कोई अङ्ग या मरा हुआ बच्चा गड़ा हो वहाँ से, पहिले गाथा हुआ, पुराना सिक्का निकाल कर उससे कहे कि 'यह बहुत कम है, क्योंकि तुमने कम भेंट चढ़ाई थी । यदि तुम अधिक भेंट चढ़ाना चाहते हो तो यह सोना सो और कल अधिक सामग्री लाकर देवता को अधिक से अधिक भेंट चढ़ाना । जब दूसरे दिन द्रुप्य उस सुवर्ण का सामान खरीदने लगे तभी उसको गिरफ्तार करके उसका सर्वस्व अहरण किया जाय ।

( १ ) अथवा माता-पिता के भेष में कोई गुप्तचर स्त्री द्रुप्य पर यह दोषारोपण करे कि 'तूने मेरा लड़का मारा है' । जब द्रुप्य पुरुष रात्रिहवन, वनयज्ञ और वनश्रीडा को प्रस्थान करे तो तीदण लोग किसी नियुक्त किए पुरुष को मारकर द्रुप्य के रात्रि-हवन आदि के पास उसको गाड़ दें, और इनी अपराध में द्रुप्य को गिरफ्तार कर उसका सर्वस्व अपहरण किया जाय ।

( २ ) अथवा द्रुप्य के पास नौकर के रूप में रहने वाला कोई खुफिया वेतन में जाली सिक्का मिलाकर उसकी सूचना राजा को कर दे ।

( ३ ) अथवा चारक के वेध में द्रुप्य के घर कार्य करता हुआ कोई खुफिया दिये सौर पर जाली सिक्का बनाने के सब साधन वहाँ रख दे । अथवा कोई खुफिया वेध द्रुप्य को औपधि की जगह विध दे दे ।

(१) प्रत्यासन्नो वा दूष्यस्य सत्री प्रणिहितमभिषेकभाण्डममित्रशासनं च । कापटिकमुखेन आवक्षीत, कारणं च ब्रूयात् ।

(२) एवं दूष्येष्वधार्मिकेषु च वर्तेत । नेतरेषु ।

(३) पक्वं पक्वमिवारामात् फलं राज्यादवाप्नुयात् ।  
आत्मच्छेदभयादामं वर्जयेत् कोपकारकम् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे कोशाभिसहरण नाम द्वितीयोऽध्याय ,  
आदित एकनवतितम ।

— ० —

( १ ) अथवा दूष्य के पाम रहता हुआ सत्री नामक गुप्तचर दूष्य के घर में रहे राज्याभिषेक तथा शत्रु के लेख की सूचना कापटिक गुप्तचर के द्वारा राजा तक पहुँचा दे । उसका कारण यह सिद्ध किया जाय कि वह दूष्य राजा को मारकर उसकी जगह अपना अभिषेक कराना चाहता है । इसी अपराध में उसका सब कुछ ले लिया जाय ।

( २ ) अपने कोप को वृद्धि के लिए राजा इस प्रकार के उपायो का प्रयोग दूष्यो और अधार्मिक व्यक्ति पर ही करे, दूसरो पर नहीं ।

( ३ ) राजा को चाहिए कि वह दुष्ट पुरुषो का धन उसी प्रकार ले ले जिस प्रकार घाटिका से पके हुए फल को लिया जाता है, किन्तु धर्मात्मा पुरुषो का धन वह उसी प्रकार छोड़ दे जैसे कच्चे फल को छोड़ दिया जाता है । कच्चे फल के समान धर्मात्मा पुरुषो से वसूला गया धन प्रजा के कोप का कारण बन जाता है ।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में कोशाभिसहरण नामक  
दूसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) दुर्गजनपदशक्त्या भृत्यकर्म समुदयपादेन स्थापयेत् । कार्यसाधन-सहेन वा भृत्यलाभेन शरीरमवेक्षेत, न धर्मार्थी पीडयेत् ।

(२) ऋत्विगाचार्यमन्त्रिपुरोहितसेनापतिगुवराजराजमातृराजमहिष्यो-  
ऽष्टचत्वारिंशत्साहस्राः । एतावता भरणे नानास्वाद्यत्वमकोपकं चैषा  
भवति ।

(३) दौवारिकान्तर्वेशिकप्रशास्तृसमाहृतृसन्निधातारश्चतुर्विंशत्साह-  
स्राः । एतावता कर्मण्या भवन्ति ।

(४) कुमारकुमारमानृनायकपौरव्यावहारिककामान्तिकमन्त्रिपरिप-  
द्राष्ट्रपालान्तपालाश्च द्वादशसाहस्राः । स्वामिपरिवन्धबलसहाया ह्येतावता  
भवन्ति ।

### भृत्यो का भरण पोषण

( १ ) दुर्ग और जनपद की शक्ति के अनुसार नौकरो को रखा जाय और राज्य की आय का चौथा भाग उनके भरण-पोषण पर व्यय किया जाय । अथवा कार्य कुशल भृत्य जितने भी वेतन पर मिलें, उन्हें नियुक्त किया जाय, किन्तु आमदनी के स्तर पर अवश्य ध्यान रखा जाय । कही ऐसा न हो कि आमदनी कम और खर्चा अधिक हो जाय । ऐसा कोई भी कार्य न किया जाय जिससे धर्म और अर्थ की व्यर्थ क्षति हो ।

( २ ) ऋत्विक्, आचार्य, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, गुवराज, राजमाता और पटरानी, इन्हें प्रतिवर्ष अठतालौस हजार पण वेतन ( भृति ) दिया जाय । इनके भरण-पोषण के लिए इतना यथेष्ट है और ऐसी स्थिति में राजा के लिए भारस्वरूप बन कर उसके कोप का कारण भी नहीं हो सकते हैं ।

( ३ ) द्वारपाल ( दौवारिक ), अत पुर रक्षक ( अन्तर्वेशिक ), आनुषाध्यक्ष ( प्रशास्ता ), कर दमूल करने वाला अधिकारी ( समाहर्ता ) और भण्डागाराध्यक्ष ( सन्निधाता ), इनको प्रति वर्ष चौबीस हजार पण वेतन दिया जाय । इतना वेतन देने में ये अपने कार्यों को भली भाँति करते रहेंगे ।

( ४ ) गुवराज के भाई ( कुमार ), उन भाइयो की माताये या धाय ( कुमार

(१) श्रेणीमुख्या हस्त्यश्वरथमुख्याः प्रदेष्टारश्च अष्टसाहस्राः । स्ववर्गानुर्कारिणो ह्येतावता भवन्ति ।

(२) पत्त्यश्वरथहस्त्यध्यक्षाः द्रव्यहस्तिवनपालाश्च चतुःसाहस्राः ।

(३) रथिकानीकस्थचिकित्सकाश्वदमकवर्धकयो योनिपोषकाश्च द्वि-साहस्राः ।

(४) कार्तान्तिकर्नमिक्तिकमौहूर्तिकपौराणिकसूतमागधाः पुरोहित-पुरुषाः सर्वाध्यक्षाश्च साहस्राः ।

(५) शिल्पवन्तः पादाताः सहायकलेखकादिवर्गाः पञ्चशताः ।

(६) कुशीलवास्त्वर्धतृतीयशताः । द्विगुणवेतनाश्रंषां तूर्यकराः ।

(७) कारुशिल्पिनो विंशतिशतिकाः ।

(८) चतुष्पदद्विपदपरिचारकपारिकर्मिकौपस्थायिकपालकविष्टिबन्ध-काः षष्टिवेतनाः ।

माठा), सूबेदार मेजर ( नायक ), शहर कोनवाल ( पौर ), व्यापार का अध्यक्ष ( व्यावहारिक ) कृषि आदि का अध्यक्ष ( कर्मातिक ), मन्त्रिपरिषद के पूर्वोक्त बारह सदस्य, पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट ( राष्ट्रपाल ) और सीमा निरोधक ( अन्तपाल ), इनको बारह हजार पण वेतन प्रति वर्ष दिया जाय । इतना वेतन देने से ये लोग सदा राजा के अनुकूल बने रहेंगे और उसकी सहायता के लिए हर समय तैयार रहेंगे ।

( १ ) इजीनियर ( श्रेणीमुख्य ), हाथी-घोडे-रथों के अध्यक्ष और बटक शोधन अधिकारी ( प्रदेश ), इनको आठ सौ पण वार्षिक वेतन दिया जाय । इतना वेतन दिये जाने पर ये अपने वर्ग ( डिपार्टमेंट ) के कर्मचारियों के सदा अनुकूल बने रहेंगे ।

( २ ) पैदल सेना का अध्यक्ष, अश्वसेना, रथसेना तथा गजसेना के अध्यक्ष और लकड़ी-हाथियों के जगल के अध्यक्षों को चार हजार पण प्रतिवर्ष वेतन दिया जाय ।

( ३ ) रथ शिक्षक, गज-शिक्षक, चिकित्सक, अश्व शिक्षक और मुर्गा, सूअर आदि के पालने वालों का अध्यक्ष, इन सब को दो हजार पण वार्षिक दिया जाय ।

( ४ ) सामुद्रिक ( कार्तान्तिक ), सज्जन बताने वाले ( नैमित्तिक ) ज्योतिषी, कथावाचक, स्तुति-वाचक ( मागध ), पुरोहित के नौकर और सुरा आदि के अध्यक्ष, इनको एक हजार वेतन प्रतिवर्ष दिया जाय ।

( ५ ) चित्रकार, पादाता ( खिलाडी ), गणक ( सहायक ) और लेखक वर्ग के कर्मचारियों को पाँच सौ पण प्रतिवर्ष दिया जाय ।

( ६ ) कुशीलव ( नट, नर्तक, गायक ) आदि को ढाई सौ पण और उनमें जो अच्छा वाजा बजाता है, उन्हें पाँच सौ पण वेतन प्रतिवर्ष दिया जाय ।

( ७ ) दूसरे साधारण कारीगरों को एक सौ बीस पण वेतन दिया जाय ।

( ८ ) वेदनी डाक्टर, डाक्टर या सिविल सर्जनों, परिचारक, गोरक्षक ( ग्वालो ) और वेगारियों ( विष्टिवधक ) आदि को ६० पण वार्षिक वेतन दिया जाय ।

(१) कर्मसु भृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लभेरन् । बालवृद्धव्याधिताश्र-  
पामनुग्राहाः । प्रेतव्याधितसूतिकाकृत्येषु चैपामर्थमानकर्म कुर्यात् ।

(२) अल्पकोशः कुप्यपशुक्षेत्राणि दद्यात् । अल्पं च हिरण्यम् । शून्यं  
वा निवेशयितुमभ्युत्थितो हिरण्यमेव दद्यात्, न ग्रामं ग्रामसञ्जातव्यवहार-  
स्थापनार्थम् ।

(३) एतेन भृतानामभृतानां च विद्याकर्मभ्यां भक्तवेतनविशेषं च  
कुर्यात् । पण्डितवेतनस्याढकं कृत्वा हिरण्यानुहपं भक्तं कुर्यात् ।

(४) पत्यश्वरथद्विपाः सूर्योदये बहिः सन्धिदिवसवज्रं शिल्पयोग्याः  
कुर्युः । तेषु राजा नित्ययुक्तः स्यात् । अभीक्षणं चैषां शिल्पदर्शनं कुर्यात् ।  
कृतनरेन्द्राङ्कं शस्त्रावरणमायुधागारं प्रवेशयेत् । अशस्त्राश्वरेयुरन्यत्र मुद्रा-  
नुज्ञातात् । नष्टं विनष्टं वा द्विगुणं दद्यात् । विध्वस्तगणनां च कुर्यात् ।

अध्यक्ष के अनुशासन में रह कर ठीक तरह से कार्यों को करें। अध्यक्ष भी अनेक होने चाहिए।

( १ ) यदि कार्य करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाय तो उसका वेतन उसके पुत्र पत्नी ले लें। अपने मृत कर्मचारियों के बालको, वृद्धो और बीमार परिजनों पर राजा कृपा दृष्टि बनाये रखे। उनके धरो पर मृत्यु, बीमारी या वच्चा हो जाने पर उसकी आर्थिक तथा मौखिक सहायता करता रहे।

( २ ) यदि खजाने में कमी हो तो आर्थिक सहायता की जगह राजा कुप्य, पशु तथा जमीन आदि से अपने कृपार्थियों की सहायता करे। ऐसी अवस्था में वह सुवर्ण आदि बहुत छोडी मात्रा में दे किन्तु राजा यदि निर्जन मैदानों को आवाद करना चाहे तो सुवर्ण ही अधिक दे, जमीन आदि न दे, जिससे बसे हुए गाँव के मूल्य आदि का निर्णय, व्यवहार की स्थापना के लिए ठीक तौर पर किया जा सके।

( ३ ) इसी प्रकार स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों की योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार कम या ज्यादा वेतन भत्ता दिया जाय। सामान्यतया साठ पण वेतन पाने वालो को एक आढक भर अन्न दिया जाय। इसी क्रम से भक्त भत्ता न्यून या अधिक दिया जाय।

( ४ ) अमावस्या-पूर्णिमासी आदि सधिदिनों को छोडकर सूर्योदय के बाद पैदल, अश्वारोही, रथारोही और गजारोही सेनाओं को कवायद (शिल्पदर्शन) सिखायी जाय। राजा को चाहिए कि वह सेनाओं पर बराबर ध्यान रखे और उनकी कवायद का भी निरीक्षण करता रहे। उसके बाद हथियारो और कवचो को राजमुद्रा से चिह्नित करके ही आयुधागार में प्रविष्ट किया जाय। लाइसेंस ( मुद्रानुज्ञात ) मुद्रा हथियार-वन्दो के अलावा कोई भी सिपाही हथियार लिये इधर-उधर न घूमे। जिससे जो हथि-

(१) सार्थिकानां शस्त्रावरणमन्तपाला गृह्णीयुः, समुद्रमवचारयेयुर्वा । यात्रामभ्युत्थितो वा सेनामुद्योजयेत् । ततो वंदेहकव्यञ्जनाः सर्वपण्यान्या-  
युधीयेभ्यो यात्राकाले द्विगुणप्रत्यादेयानि दद्युः । एवं राजपण्यविक्रयो वेतन-  
प्रत्यादानं च भवति ।

(२) एवमवेक्षितापव्ययः कोशदण्डव्यसनं नावाप्नोति ।

(३) इति भक्तवेतनविकल्पः ।

(४) सत्रिणश्चायुधीयाना वेश्याः कारुकुशीलवाः ।

दण्डवृद्धाश्च जानीयुः शौचाशौचमतन्द्रिताः ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे भृत्यभरणीय नाम तृतीयोऽध्यायः,  
आदित् त्रिनवतितमः ।

—: ० :—

यार लो जाय दा टूट जाय उससे उसका दुगुना मूल्य वसूल किया जाय । आयुधागर  
मे टूटे एव नष्ट हुए हथियारो का पूरा रिकार्ड रहना चाहिए ।

( १ ) विदेश से आने वाले व्यापारियो के हथियार सीमा-निरीक्षक अतपाल ले  
ले । जिनके पास लाइसेंस हो उन्हे हथियार साथ रखकर प्रविष्ट होने दे । चढाई  
करने वाले राजा को चाहिए कि अपनी सेना को वह संगठित कर ले । युद्ध के समय  
व्यापारियो के देय मे फौजियो को दुगुने दाम पर रसद दी जाय । इस प्रकार सरकारी  
वस्तुएँ भी बिक जायेंगी और सिपाहियो को दिये गए वेतन मे से कुछ धन खजाने मे  
वापिस मिल जायेगा ।

( २ ) इस प्रकार आय व्यय पर ध्यान रखने वाले राजा पर कमी भी अधिक  
या सैनिक आपत्तियाँ नहीं आ पाती ।

( ३ ) यहाँ तक भत्ता व वेतन के सबध मे बारीकी से दिवार किया गया ।

( ४ ) सत्री, वेश्या, कारोगर और वृद्ध सिपाहियो को चाहिए कि वे पूरी साव-  
धानी के साथ सैनिको के अच्छे बुरे कार्यों का सदा निरीक्षण करते रहें ।

योगवृत्त नामक पञ्चम अधिकरण मे भृत्यभरणीय नामक  
तीसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) लोकयात्राविद् राजानमात्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नं प्रियहितद्वारेणाश्रयेत् । यं वा मन्येत—यथाहमाश्रयेप्सुरेवमसौ विनयेप्सुराभिगाभिकगुणयुक्त इति, द्रव्यप्रकृतिहीनमप्येनमाश्रयेत् ।

(२) न त्वेवानात्मसम्पन्नम् । अनात्मवान् हि नीतिशास्त्रद्वेषादनय्यसंयोगाद्वा प्राप्यापि महदेश्वर्यं न भवति ।

(३) आत्मवति लब्धावकाशः शास्त्रानुयोगं दद्यात् । अविस्वादाद्धि स्थानस्वर्यमवाप्नोति । भतिकर्मसु पृष्टः तदात्वे च आयत्यां च धर्मार्थसंयुक्तं समर्थं प्रवीणवदपरिपङ्कीढः कथयेत् । ईप्सितः पणेत—धर्मार्थानुयोगम् अविशिष्टेषु बलवत्संयुक्तेषु दण्डधारणं मत्संयोगे तदात्वे च दण्ड-

### राजकर्मचारियो का राजा के प्रति व्यवहार

( १ ) जो व्यक्ति साक्षारिक व्यवहारो में कुशल हो उनको चाहिए कि वे राजा के प्रिय एवं हितैषी व्यक्तियों के द्वारा, सत्कुलीन, बुद्धिमान् एवं योग्य अमात्यो से सम्पन्न राजा का आश्रय प्राप्त करें । यदि ऐसा राजा न मिले तो योग्य व्यक्तियों की तलाश करने वाले आत्मसम्पन्न राजा का आश्रय ग्रहण करें ।

( २ ) भले ही आत्मसम्पन्न राजा के सुयोग्य अमात्य न हों, तब भी उसी का आश्रय लेना चाहिए, किन्तु सुयोग्य अमात्य आदि से सम्पन्न आत्मसंपत्तिरहित राजा का आश्रय कदापि न लेना चाहिए । क्योंकि आत्मसंपत्ति शून्य राजा नीतिशास्त्र को न जानने के कारण अथवा अनर्थकारी मूग्यादयुक्त आदि का ब्यसनी होने के कारण, या इस प्रकार के लोगों की सगति करने के कारण पितृ पितामह के उपलब्ध महान् ऐश्वर्य को भी नष्ट घट्ट कर देता है ।

( ३ ) यदि राजा आत्मसम्पन्न हो तो अवसर आने पर उसको शास्त्रानुसूल समझि दी जाय । शास्त्र के साथ समझि का मिलान जानकर उसको यह विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति नीतिज्ञ है, और तब उसकी नियुक्ति किसी अधिकार पद पर कर दी जाती है । अति आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में राजा जब उससे कुछ प्रश्न पूछे तो उस समय या किसी भी समय वह धर्मार्थविद् अति निपुण लोगों की भाँति निर्भीकतापूर्वक भरी सभा में उत्तर दे । यदि राजा उसको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहे तो राजा के सामने वह इस प्रकार की शर्तें रखे . जो लोग साधारण बुद्धि के हों और धर्म तथा अर्थ के तत्त्वों को न समझते हों, जिज्ञासा के तौर पर भी उनसे कभी भी

धारणमिति न कुर्याः । पक्षं वृत्तिं गुह्यं च मे नोपहन्त्याः । संज्ञया च त्वा कामक्रोधदण्डनेषु वारयेयम् इति ।

(१) आयुक्तप्रदिष्टाया भूमावनुज्ञातः प्रविशेत् । उपविशेच्च पार्श्वतः सन्निकृष्टविप्रकृष्टः । वरासनं विगृह्य कथनमसभ्यमप्रत्यक्षमथद्वेयमनृतं च वाक्यमुच्चरन् रमणिं हासं वातण्ठीवने च शब्दवती न कुर्यात् । मियः कथनमन्येन, जनवादे द्वन्द्वकथन, राज्ञो वैपमुद्धतकुहकानां च, रत्नातिशयप्रकाशाभ्यर्थनम्, एकाक्ष्योष्ठनिर्भोग, झुकुटीकर्म, वाक्यावक्षेपणं च द्रुवति । बलवत्सयुक्तविरोध स्त्रीभिः स्त्रीदर्शिभिः सामन्तदूतद्वेष्यापक्षावक्षिप्तान्ध्यैश्च प्रतिससर्गमेकार्यंचर्या सञ्ज्ञातं च वर्जयेत् ।

(२) अहीनकालं राजार्यं स्वार्यं प्रियहितैः सह ।  
परार्यं देशकाले च द्रुयाद् धर्मार्यसंहितम् ॥

इम विषय मे कुछ न पूछा जाय, बलवान् या बलवान् सहायको बाले शत्रु पर आक्रमण न किया जाय, मेरे सम्बन्ध मे भी सहसा दण्ड-प्रयोग न किया जाय, मेरे पक्ष को, मेरे व्यवहार या मेरे जीविका के रहस्यो को कदापि भी न खोला जाय न तो नष्ट ही किया जाय काम-क्रोध के वशीभूत अनुचित दण्ड देने को प्रस्तुत आपको जब मैं इशारो से बारित करूँगा, तो बुरा न मानते हुए इसका ध्यान रखा जाय । मेरी इन बातों को पूरा करना होगा ।

( १ ) जिस अधिकार पद पर राजा उसे नियुक्त करे उसी पर वह कार्य करे और राजा के समीप अंगल-बगल मे, न तो अधिक दूर और न अधिक नजदोक ही यथोचित आसन पर बैठकर वह कार्य करे । आक्षेप लगाकर, असभ्य, परोक्ष विषयक, अविश्वसनीय और भूठी बात वह कदापि न बोले । बेमौके ऊँची आवाज से न बोले । खोलते हुए खकार या डकार कभी न करे । इसके अतिरिक्त राजा की उपस्थिति मे किसी दूसरे से बातचीत करना, किसी अफवाह को निश्चित रूप से हाँ या ना कहना, राजा का या पालण्डियो का वैष्य धारण करना, राजा के धारण करने योग्य रत्नों के लिए खुले तौर पर प्रार्थना करना, एक आँख या एक ओठ टेढ़ा करने बोलना, भौं चढाना, राजा की बात को बीच मे ही काट देना, बलवान् के सम्बन्धी से झगडा करना, स्त्रियो के साथ, स्त्रियो को चाहने वालो के साथ, विदेशी दूतो के साथ एवम् राजा के दुश्मनो-या अनप्यकारी व्यक्तियो के साथ सम्पर्क रखना, एक ही बात को करते रहना, और गुटबाजी बनाकर रहना, इत्यादि सभी कार्यों का परित्याग कर दे ।

( २ ) राजा के मतलब की बात तत्काल ही राजा से कह देनी चाहिए, अपने मतलब की बात राजा के प्रिय तथा हितकारी व्यक्तियो से कहनी चाहिए, दूसरे के मतलब की बात उचित समय एव स्थान देखकर करनी चाहिए, और जो कुछ भी कहे वह धर्म-अर्थ से समन्वित होना चाहिए ।



- (१) पृष्टः प्रियहितं ब्रूयान्न ब्रूयादहितं प्रियम् ।  
अप्रियं वा हितं ब्रूयाच्छृण्वतोऽनुमतो मियः ॥
- (२) तूष्णीं वा प्रतिवाक्ये स्याद् द्वेष्यादींश्च न वर्णयेत् ।  
अप्रिया अपि दक्षाः स्युस्तद्वावाद् ये बहिष्कृताः ॥  
अनर्थ्याश्च प्रिया दृष्टाश्चित्तज्ञानानुवर्तिनः ।  
अभिहास्येष्वभिहसेद् घोरहासांश्च वर्जयेत् ॥
- (३) परात् संक्रामयेद् घोरं न च घोरं स्वयं वदेत् ।  
तितिक्षेतात्मनश्चैव क्षमावान् पृथिवीसमः ॥
- (४) आत्मरक्षा हि सततं पूर्वं कार्या विजानता ।  
अग्नाविव हि सम्प्रोक्ता वृत्ती राजोपजीविनाम् ॥  
एकदेशं दहेदग्निः शरीरं वा परद्गतः ।  
सपुत्रदारं राजा तु घातयेद् वर्धयेत् वा ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे अनुजीविवृत्त नाम चतुर्थोऽध्याय

आदितस्त्रिनवतितम ।

— ० —

( १ ) राजा के पूछने पर उसकी अनुमति से प्रिय एक हितकारी बात को कह देनी चाहिए, प्रिय होती हुई भी अहितकारी बात को न कहना चाहिए, किन्तु हितकारी बात अप्रिय भी हो तब भी कह देनी चाहिए ।

( २ ) उत्तर देते समय यदि अप्रिय वान सुनाने में डर मालूम हो तो चुप हो जाना चाहिए, राजा के द्वेष्य पुरुषों से सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजा की इच्छा पर न चलने वाले निपुण लोग भी राजा के अप्रिय बन जाते हैं । इसके विपरीत राजा के इच्छानुसार चलने वाले अनर्थकारी लोग भी राजा के प्रिय होते देखे गये हैं । राजा के हँसने पर, काठ की तरह खडा न रहकर, हँसना चाहिये, किन्तु अट्टहास पर सदा नियन्त्रण रखना चाहिए ।

( ३ ) किसी भयावह सदेश को स्वयं न कहकर किसी के द्वारा राजा को कहलावे । यदि अपने ही ऊपर ऐसी किसी बात का दायित्व आ जाय तो पृथ्वी के समान क्षमाशील बनकर उसके परिणाम को सहन करे ।

( ४ ) इसलिए समझदार राजकर्मचारियों को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपनी रक्षा की सोचे, क्योंकि राज्याश्रित व्यक्तियों की स्थिति आग में खेल करने से बढ़कर खतरनाक कही गई है । क्योंकि अग्नि तो शरीर के एक अङ्ग या पूरे शरीर को ही जलाती है, किन्तु राजा समस्त परिवार को भस्म कर सकता है, और यदि अनुकूल हो गया तो सर्वे सम्पन्न भी कर देता है ।

योगवृत्त नामक पञ्चम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

— ० :—

(१) नियुक्तः कर्मसु व्ययविशुद्धमुदयं दर्शयेत् ।

(२) आभ्यन्तरं बाह्यं गुह्यं प्रकाश्यमात्ययिकमुपेक्षितव्यं वा कार्यम् 'इदमेवम्' इति विशेषयेच्च ।

(३) मृगयाद्यूतमस्त्रीषु प्रसक्तं चानुवर्तते प्रशंसाभिः । आसन्नश्रास्य व्यसनोपघाते प्रयतेत । परोपजापातिसन्धानोपधिभ्यश्च रक्षेत् ।

(४) इङ्गिताकारौ चास्य लक्षयेत् । कामद्वेषहर्षदैन्यव्यवसायमयद्वन्द्व-विपर्यासमिङ्गिताकाराभ्यां हि मन्त्रसंवरणार्थमाचरन्ति प्रजाः ।

(५) दर्शाने प्रसीदति । वाक्यं प्रतिगृह्णाति । आसनं ददाति । विविक्ते दर्शयते । शकास्थाने नातिशंक्ते । कथाया रमते । परज्ञाप्येष्टवपेक्षते । पथ्य-

### व्यवस्था का यथोचित पालन

( १ ) अपने अपने कार्यों पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को चाहिए कि वे स्वर्च को घटाकर शुद्ध आमदनी ( उदय ) राजा को दिखायें ।

( २ ) कर्मचारियों को चाहिए कि दुर्ग में होने वाले तथा बाहर होने वाले कार्यों का, खुले रूप में तथा छिपकर होने वाले कार्यों का, विघ्नयुक्त एवं उपेक्षायुक्त कार्यों का विवरण स्पष्टरूप में राजा के सामने पेश करें और उन सभी बातों का लेखा रजिस्टर में दर्ज कर दें ।

( ३ ) यदि राजा शिकार, जुआ या खियों में आसक्त हो तो उसका अनुगामी बन कर, उसकी खुशामद या प्रशंसा बरके उसको दुर्व्यसनों से विमुक्त करने का यत्न करना चाहिए । इसी प्रकार शत्रु के भेदियों, ठगों और विष देने वाले लोगों से भी राजा की रक्षा की जानी चाहिए ।

( ४ ) राजा की चेष्टाओं और आकार प्रकारों को बड़ी कुशलता से हृदयगम करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान् लोग अपने रहस्य को छिपाये रखने के लिए काम, द्वेष, हर्ष, दैन्य, व्यवसाय, भय और सुख-दुःख को चेष्टाओं द्वारा तथा विशेष धातु-तियों से ही प्रकट किया करते हैं ।

( ५ ) राजा की प्रसन्नता को इन बातों से भांपना चाहिए . वह देखने पर ही प्रसन्न हो जाता है, बात को बड़े ध्यान एवं आदर से सुनता है, बैठने के लिये उचित

मुक्तं सहते । स्मयमानो नियुङ्क्ते । हस्तेन स्पृशति । श्लाघ्ये नोपहसति । परोक्षे गुणं ब्रवीति । भक्ष्येषु स्मरति । सह विहारं याति । व्यसनेऽभ्यवपद्यते । तद्भुक्तीन् पूजयति । गुह्यमाचष्टे । मानं वर्धयति । अर्थं करोति । अनर्थं प्रतिहन्ति । इति तुष्टज्ञानम् ।

(१) एतदेव विपरीतमतुष्टस्य । भूयश्च वक्ष्यामः—सन्दर्शने कोपः, वाक्यस्याश्रवणप्रतिषेधौ, आसनचक्षुषोरदानं, वर्णस्वरभेदः, एकाक्षिष्णुकुटघोष्ठनिर्भोगः, स्वेदश्च, श्वासस्मितानामस्थानोत्पत्तिः, परिमन्त्रणम्, अकस्माद् व्रजनम्, वर्धनम् अन्यस्य, भूमिगात्रविलेखनम्, अन्तस्योपतोदनम्, विद्यावणदिशकुत्सा, समनिन्दा, प्रतिदोषनिन्दा, प्रतिलोमस्तवः, सुकृतानवेक्षणम्, दुष्कृतानुकीर्तनम्, पृष्ठावधानम्, अतित्यागः, मिथ्याभिमापणम् । राजदर्शना च तद्वृत्तान्यत्वम् ।

आसन देता है, एकान्त में या अत पुर में ले जाकर मिमता है, विश्वास के कारण शक्ति नहीं होता है, बातलाप में रुचि लेता है, समझी हुई बात में भी सलाह करने की इच्छा रखता है, मुस्कुराता हुआ कार्य पर नियुक्त करता है, हितकर कठोर बात को भी सहन करता है, बात करने में हाथ से छू लेता है, प्रशंसा योग्य कार्यों पर प्रसन्न होता है, गुणों की प्रशंसा परोक्ष में करता है, भोजन के समय स्मरण करता है, यात्रा, विहार में साथ में रहना है, दुःख दूर करने में पूरी सहायता देता है, अनुराग रखने वालों का सम्मान करता है, अपने गुप्त रहस्यों को बता देता है, मानसत्कार बढ़ाता है, इच्छित आर्थिक सहायता देता है और अनर्थ का निवारण करता है ।

( १ ) यदि उक्त सभी बातें राजा में उल्टी पायी जाय तो समझना चाहिए कि वह क्रुद्ध है । इसके अतिरिक्त राजा को अप्रसन्नता को इन बातों से भांपना चाहिए, वह देखते ही कुपित हो उठता है, कही गई बात को नहीं सुनेता या बीच ही में रोक देता है, बैठने के लिए स्थान नहीं देता, उसकी ओर आँख नहीं उठाता, मुख चड़ाकर एव आवाज बदल कर बोलता है, आँख भौं चडाकर या आँख सिकोड़ कर बोलता है, उसे पसीना आ जाता है, साँस फूलने लगती है, अकस्मात् ही मुस्कुराने लगता है, दूसरे के साथ बात करने लगता है, बीच ही में उठकर चला जाता है, दूसरा ही प्रसन्न छेड़ देता है, भूमि एव शरीर को नाखून से कुरेदने लगता है, किसी को मारने लगता है, विद्या, वर्ण तथा देश की निन्दा करने लगता है, दूसरे समान व्यक्ति के दोष की निन्दा करने लगता है, व्याज-स्तुति करने लगता है, अच्छी तरह किये गये कार्य की भी परवाह नहीं करता है, बिगड़े हुए कार्य को सर्वत्र कड़ डालता है, लोटते

- (१) वृत्तिविकारं चावेक्षेताप्यमानुषाणाम् ।
- (२) अपमुच्चैः सिचतीति कात्यायनः प्रवयाज ।
- (३) क्रौंचोऽपसव्यम् इति कणिङ्गो भारद्वाजः ।
- (४) तृणमिति दीर्घश्चारायणः ।
- (५) शीता शाटीति घोटमुखः ।
- (६) हस्ती प्रत्यौक्षीदिति किंजल्कः ।
- (७) रथाश्च प्राशसीदिति पिशुनः ।
- (८) प्रतिरवणे शुनः पिशुनपुत्रः इति ।
- (९) अर्थमानावक्षेपे च परित्यागः । स्वामिशीलमात्मनश्च कित्त्विय-  
मुपलभ्य वा प्रतिकुर्वीत । मित्रमुपकृष्टं वास्य गच्छेत् ।

समय उसको पीछे बड़े ध्यान से देखता है, पास आये तो दूर हटा देता है, उसके साथ व्यर्थ की बातें करता है और अन्य राजकर्मचारियों और उसके व्यवहार में भेद डालता है ।

( १ ) मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षियों के भी मानसिक विकारों एवं चेष्टाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए ।

( २ ) 'यह जल सींचने वाला आज ऊपर से जल सींच रहा है'—यह देखकर मन्त्री कात्यायन अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।

( ३ ) 'क्रौंचपक्षी आज बाँई ओर से उड़ गया'—यह देखकर भारद्वाजगोत्रीय कर्णिक नाम का मन्त्री अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।

( ४ ) तृण को देखकर आचार्य दीर्घ चारायण, राजा को छोड़कर चला गया था ।

( ५ ) कपडा ठंडा है'—यह सुनकर आचार्य घोटमुख अपने राजा को छोड़ कर चला गया था ।

( ६ ) हाथी को ऊपर पानी डालता देख कर किंजल्क नामक आचार्य अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।

( ७ ) रथ के घोड़े की तारीफ सुनकर आचार्य पिशुन अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।

( ८ ) कुत्ते के भूँकने पर आचार्य पिशुन का पुत्र अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।

( ९ ) संपत्ति और सरकार को नष्ट कर देने वाले राजा को भी शरण देना चाहिए । अथवा राजा के स्वभाव और अपने अपराध पर विचार करके राजा को न छोड़ने की इच्छा होने पर, राजा का प्रतीकार करना चाहिए । या राजा के निकटवर्ती सम्बन्धी अथवा मित्र का आश्रय लेकर राजा को प्रसन्न करना चाहिए ।

(१) तत्रस्थो दोषनिर्घातं मित्रैर्भर्तंरि चाचरेत् ।  
ततो भर्तंरि जीवेद् वा मृते वा पुनराव्रजेत् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे समयाचारिक नाम पञ्चमोऽध्याय ,  
आदित पञ्चनवतितम ।

— ० —

( १ ) राजा के पास रहते हुए ही उसके मित्रों द्वारा अपने अपराध की सफाई करानी चाहिए और तब राजा के प्रसन्न हो जाने पर उसके आश्रय में बना रहना चाहिए या जब उसकी मृत्यु हो जाय तब वापिस आना चाहिए ।

योगवृत्त नामक चतुर्थ अधिकरण में समयाचारिक नामक  
आठवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) राजव्यसनमेवममात्य प्रतिकुर्वीत । प्रागेव मरणावाधभयाश्राज प्रियहितोपग्रहेण मासद्विमासान्तर दर्शनं स्यापयेद् । 'देशपीडापहममित्राप-हमायुष्य पुत्रीय वा कर्म राजा साधयति' इत्यपदेशेन राजव्यजनमनुष्प-वेलाया प्रकृतीना दर्शयेत् । मित्रामित्रदूताना च । तंश्च यथोचिता सम्भा-पाम् अमात्यमुखो गच्छेत् । दौवारिकान्तर्वेशिकमुखश्च यथोक्त राजप्रणिधि-मनुवर्तयेत् । अपकारिषु च हेड प्रसाद वा प्रकृतिकान्त दर्शयेत् । प्रसाद-मेवोपकारिषु ।

(२) आप्तपुरुषाधिष्ठितो दुर्गप्रत्यन्तस्थो वा कोशदण्डावेकस्थो कार-येत् । कुल्यकुमारमुष्याश्रान्यापदेशेन ।

(३) यश्च मुख्य पक्षवान् दुर्गटिचीस्थो वा वंगुष्य भजेत तमुपप्राह-येत् । बह्वबाधा वा यात्रा प्रेषयेत् मित्रकुल वा ।

### विपत्तिकाल मे राजपुत्र का अभियेक और

#### एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा

( १ ) अमात्य को चाहिए कि वह राजा पर आई हुई आपत्तियो का प्रतीकार इन तरीको से करे—राजा की आसन मृत्यु समझ कर राजा के मित्रो एव हितैषियो की सलाह लेकर महीने दो महीने बाद राजा के दर्शन की तिथि निश्चित कर दे और यह बहाना बनाय कि आजकल राजा देश की पीडा दूर करने वाले शत्रुनाशक, आयुवद्धक और पुत्र देने वाले कर्म का अनुष्ठान कर रहा है । राजा के दर्शन की निश्चित तिथि पर राजा के वेप म किसी दूसरे पुरुष को प्रजा के सामने खडा कर दे । मित्र मित्रो और दूता को भी उस बनावटी राजा के दर्शन करा दे । उन लोगो को राजा अमात्य के माध्यम से ही उचित वार्तालाप करे । पूर्व प्रवृत्ति राजकार्यो के सबध म द्वारपाल तथा अत पुर रक्षको के द्वारा ही कहलाये । अपकार करने वाले लोगो पर अमात्य की राय से ही कोप या प्रसन्नता प्रकट करे । उपकार करने वाले लोगो पर सदा प्रसन्न ही बना रहे ।

( २ ) दुर्ग सीमांत प्रदेशों की सना और काय को किसी बहाने किसी विश्वस्त व्यक्ति राजा रक्ष म इकट्ठा करा दिया जाय । किसी दूसरे ही बहाने से राज क सगे-संबंधो पर जकुमार और अन्य राजप्रमुखा को एकत्र कराया जाय ।

( ३ ) दुर्ग या अशुभ स्थित कोई प्रधान राजकर्मचारी यदि किसी की सहायता

( १ ) यस्माच्च सामन्तादावार्यं पश्येत्, तमुत्सवविवाहहस्तिबन्धनाश्व-  
पण्यभूमिप्रदानापदेशेन अवप्राहयेत् । स्वमित्रेण वा । ततः सन्धिमुद्ध्यं  
कारयेत् ।

( २ ) आटविकामित्रंर्वा वरं प्राहयेत् । तत्कुलीनमवहृद् वा भूम्येक-  
देशेनोपप्राहयेत् ।

( ३ ) कुल्यकुमारमुख्योपग्रहं कृत्वा वा कुमारमभिषिक्तमेव दर्शयेत् ।  
दाण्डकर्मिकवद् वा राज्यकण्टकानुद्धृत्य राज्यं कारयेत् ।

( ४ ) यदि वा कश्चिन्मुख्यः सामन्तादीनामन्यतमः कोपं भजेत्, तम्  
'एहि राजानं त्वा करिष्यामि' इत्यावाहयित्वा घातयेत् । आपत्प्रतीकारेण  
वा साधयेत् ।

( ५ ) युवराजे वा क्रमेण राज्यभारमारोप्य राजव्यसनं ध्यापयेत् ।

लेकर राजा के विरुद्ध हो जाय तो उसे किसी उपाय से अपने अनुकूल बनाया जाय ।  
अथवा उस समय उसे किसी बाधाबहुल युद्ध में भेज दिया जाय । अथवा सहायता  
माँगने के बहाने किसी मित्र राजा के पास भेज दिया जाय ।

( १ ) यदि किसी समीप के सामन्त राजा से बाधा का भय हो तो उसे उत्सव,  
विवाह, हाथी, घोडा, अन्य माल या भूमि देने के बहाने अपने पास बुलाकर अपने  
अनुकूल बना लिया जाय । अथवा अपने मित्र के द्वारा ही उसको अनुकूल बनाया  
जाय और तब उसके साथ निर्वैर ( अद्वेष्य ) संधि कर ले ।

( २ ) अथवा उस सामन्त को आटविक तथा अपने शत्रु के साथ लड़ा दे । अथवा  
उस सामन्त-परिवार के किसी व्यक्ति को भूमि देकर अपने वश में कर ले और फिर  
उसके द्वारा सामन्त का दमन कराये ।

( ३ ) राजा के मर जाने के बाद अमात्य को चाहिए कि वह राज-परिवार के  
कुमार और राज्य के प्रमुख कर्मचारियों की अनुकूल स्थिति को देखकर अभिषिक्त  
राजकुमार को ही प्रजा के सामने खड़ा करे, वह दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट रीति  
से राज्य के विरोधियों का निर्मूल कर निष्कटक राज्य करे ।

( ४ ) यदि सामन्तमुख्यों में से कोई एक इस बात से कुपित हो जाय तो उससे  
'यह बान्हक तो राज्य के लिए सर्वथा अयोग्य है, आप यहाँ आवें, आपको ही मैं राजा  
बना दूँगा' ऐसा कह कर अपने यहाँ बुलाया जाय और फिर उसका वध करा दिया  
जाय । यदि वह आये नहीं तो आपत्प्रतीकार प्रकरण में निर्दिष्ट तरीके से उसको  
सीधा किया जाय ।

( ५ ) युवराज पर धीरे धीरे राज्य का भार सौंप कर फिर राजा की विपत्ति  
को सबके सामने प्रकट करे ।

(१) परभूमौ राजव्यसने मित्रेणामित्रव्यञ्जनेन शत्रोः सन्धिमवस्थाप्यापगच्छेत् । सामन्तादीनामन्यतमं वास्य दुर्गे स्थापयित्वापगच्छेत् । कुमारमभिपिच्य वा प्रतिव्यूहेत । परेणामिषुक्तो वा यथोक्तमापत्रप्तीकारं कुर्यात् ।

(२) एवमेकैश्वर्यममात्यः कारयेदिति कौटिल्यः ।

(३) नैवमिति भारद्वाजः । प्रन्त्रियमाणे वा राजन्यमात्यः कुल्य-कुमारमुख्यान् परस्परं मुख्येषु वा विक्रामयेत् । विक्रान्तं प्रकृतिकोपेन घातयेत् । कुल्यकुमारमुख्यानुपांशुदण्डेन वा साधयित्वा स्वयं राज्यं गृह्णीयात् । राज्यकारणाद्धि पिता पुत्रान् पुत्राश्च पितरमभिद्रुह्यन्ति; किमङ्ग पुनरमात्यप्रकृतिह्येकप्रग्रहो राज्यस्य । तत् स्वयमुपस्थितं नावमन्येत । स्वमारूढा हि स्त्री त्यज्यमानाभिशापतीति लोकप्रवादः ।

(४) कालश्च सकृदभ्येति य नरं कालकाक्षिणम् ।

दुर्लभः स पुनस्तस्य कालः कर्म चिकीर्षतः ॥

( १ ) यदि राजा की कही दूसरे देश में मृत्यु हो जाय तो अमात्य को चाहिए कि वह बनावटी दुश्मन बने हुए मित्र के साथ शत्रु की सधि कराकर अपने देश में चला आवे । अथवा सामन्त आदि में से किसी एक को उसके दुर्ग में नियुक्त करके चला आये और राजकुमार का राज्याभिषेक करके फिर शत्रु के साथ अभियास्य-त्कर्म प्रकरण में निर्दिष्ट उपायो द्वारा बाहरी भीतरी आपतियों से बचने के लिए प्रतीकार करे ।

( २ ) इस प्रकार अमात्य एकैश्वर्य राज्य का पालन कराये—यह आचार्य कौटिल्य का मत है ।

( ३ ) किन्तु आचार्य भारद्वाज का मत है कि अमात्य इस प्रकार राजपुत्र को एकछत्र राज्य न कराये, बल्कि उचित तो यह है कि राजा की आसन्न मृत्यु समझ कर अमात्य, राजा के वंशज, राजकुमार और मुख्य व्यक्तियों को परस्पर या दूसरे मुख्यों के साथ भिडा दे और फिर प्रजा या राजप्रकृति के कुपित होने के कारण इनको मरवा डाले । अथवा उन राज-वंशज, राजकुमार और मुख्य व्यक्तियों को चुपचाप ( उपाशुदण्ड ) मरवा दे और स्वयं ही सपूर्ण राज्य का स्वामी बन जाय । क्योंकि राज्य के लिए पिता-पुत्र परस्पर अभिद्रोह करते हुए देखे गये हैं । फिर वह अमात्य यदि ऐसा करे, जो सारे राज्य की बागडोर है, तो कुछ भी अनुचित नहीं है । इसलिए स्वयं हाथ में आये हुए राज्य का तिरस्कार न करे, क्योंकि लोक-प्रसिद्धि है कि सभोग की इच्छा लेकर स्वयं ही आई हुई स्त्री को यदि छोड़ दिया जाय तो वह शाप दे देती है ।

( ४ ) चिर-प्रतीक्षित भोका एक बार ही हाथ आता है । उसको चूक जाने पर



(१) प्रकृतिकोपकमर्घामिष्ठमनंकान्तिकं चैतदिति कौटिल्यः । राजपुत्र-मात्मसम्पन्नं राज्ये स्थापयेत् । सम्पन्नाभावे व्यसनिनं कुमारं राजकन्यां गर्भिणीं देवीं वा पुरस्कृत्य महामात्रान् सन्निपात्य ब्रूयात्-‘अयं वो निक्षेपः, पितरमस्यावेक्षध्वं सत्त्वाभिजनमात्मनश्च, ध्वजमात्रोऽयं, भवन्त एव स्वामिनः, कथं वा क्रियताम्’ इति ।

(२) तथा ब्रुवाणं योगपुरुषा ब्रूयुः-‘कोऽन्यो भवत्पुरोगादस्माद् राज-श्र्वातुर्वर्ण्यमर्हति पालयितुम् इति’ । तथेत्यमात्यः कुमारं राजकन्यां गर्भिणीं देवीं वाधिकुर्वीत, बन्धुसम्बन्धिना मित्रामित्रदूताना च दर्शयेत् ।

(३) भक्तवेतनविशेषममात्यानामायुधीयानां च कारयेत् । भूयश्चायं वृद्धः करिष्यतीति ब्रूयात् । एवं दुर्गराष्ट्रमुत्थानामापेत्, यथाहं च मित्रा-

फिर वैसा अवसर हाथ नहीं आता है । साँप के निकल जाने पर लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं होता ।

( १ ) किन्तु भरद्वाज के उक्त मत से कौटिल्य सहमत नहीं है । उसका कथन है कि इस प्रकार की कार्यवाही प्रजा के लिए कष्टकर, अशर्मयुक्त और अनित्य है । इसलिए आत्मसंपन्न राजकुमार को ही अभिषिक्त करना चाहिए । यदि आत्मसंपन्न राजकुमार न मिले तो व्यसनी राजकुमार को, राजकन्या को या गर्भिणी महारानी को आगे करके राष्ट्र के सभी महान् व्यक्तियों के सामने कहा जाय कि ‘यह आप लोगों की ही घरोहर है, इसकी रक्षा का भार आप लोगों पर ही है, इस राजकुमार की वशपरपरा और अपने दायित्वों की ओर गौर करें । यह राजकुमार तो एक पताका के समान है, जो सबसे ऊँचा रहता हुआ फहरता है, किन्तु इसके राज्य का सारा प्रबन्ध आप ही लोगों पर निर्भर है । अब बतलाइये इस सबध में क्या करना चाहिए ?’

( २ ) अमात्य के इस प्रकार कहने पर राष्ट्र के वे सम्मानित व्यक्ति कहें ‘आपके नेतृत्व के अतिरिक्त इस राजकुमार का दूसरा अवलम्ब कौन है, जो इस चातुर्वर्ण्य प्रजा का पालन कर सकने में समर्थ हो ?’ ‘जो आज्ञा’ ऐसा कहकर अमात्य उस राजकुमार या राजकन्या अथवा गर्भिणी महारानी को सिंहासन पर अभिषिक्त कर दे । उसके बाद उसके भाई, बन्धु, सबधो, मित्र, शत्रु तथा दूतों को यह सूचित कर दे कि आज से वही राजा है ।

( ३ ) राजा को चाहिए कि वह अमात्यो तथा सैनिकों के भक्ते और वेतन में वृद्धि कर दे । उस समय अमात्य यह कहे कि ‘बड़ा होकर यह और भी वेतन वृद्धि

मित्रपक्षम् । विनयकर्मणि च कुमारस्य प्रयतेत । कन्यायां समानजातीयाद-  
पत्यमुत्पाद्य वाभिषिचेत् । मातुश्चित्तक्षोभमयात् कुल्यमल्पसत्त्वं छात्रं च  
लक्षण्यमुपनिदध्यात् । ऋतौ चैनां रक्षेत् । न चात्मार्यं कश्चिदुत्कृष्टमुपमोगं  
कारयेत् । राजार्यं तु यानवाहनाभरणवस्त्रस्त्रीवेशमपरिवापान् कारयेत् ।

- (१) यौवनस्थं च याचेत विधमं चित्रकारणात् ।  
परित्यजेददुष्यन्तं तुष्यन्तं चानुपालयेत् ॥
- (२) निवेद्य पुत्ररक्षार्थं गूढसारपरिग्रहान् ।  
अरण्यं दीर्घसत्रं वा सेवेतारुच्यतां गतः ॥
- (३) मुख्यैरवगृहीतं वा राजानं तत्प्रियाश्रितः ।  
इतिहासपुराणाभ्यां बोधयेदर्थशास्त्रवित् ॥

करेगा' । यही आश्वासन वह दुर्ग तथा राज्य के अन्य कर्मचारियों को भी दे, और मित्र तथा शत्रुपक्ष के लोगों से भी यथोचित वार्तालाप करे । राजकुमार की विद्या, विनय और दूसरी प्रकार की शिक्षाओं का भी वह यथोचित प्रवर्ध करे । अथवा किसी समानजातीय पुरुष से राजकन्या में पुत्र उत्पन्न कराके उसे राज्यसिंहासन पर बैठाये । यदि वह महारानी हो तो उसका चित्त स्थिर न हो, इस अर्थ उसके पास कुलीन, अल्पवयस्क, सौम्य वेदाध्यायी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, जिससे कि वह धर्मशास्त्र तथा पुराणों की बातों को सुनाकर उसके ( महारानी के ) चित्त को शान्त बनाये रखे । ऋतुकाल ( मासिक धर्म ) में उसकी पूरी रक्षा की जाय । अमात्य को चाहिए कि वह अपने लिए किसी प्रकार की उत्तम सामग्री संचित न करे । राजा के लिए रथ, घोड़े, आभूषण, वस्त्र, स्त्री, मकान और बड़िया शयनागार का प्रबन्ध करे ।

( १ ) जब राजकुमार युवा हो जाय और राज्यभार सभाल सके तब उसके मनोभावों को जानने के लिए अमात्य उससे अपना मंत्रिपद छोड़ने के लिए कहे । यदि वह स्वीकार कर ले तो अमात्य को वहाँ से चला जाना चाहिए । यदि वह न जाने को कहें तो फिर उसी के पास रहकर पूर्ववत् राजकाज की व्यवस्था करता रहे ।

( २ ) अमात्य पद पर कार्य करने की इच्छा न होने पर अथवा राजा की ओर से कुछ मन मुटाव हो जाने पर अमात्य को चाहिए कि वह राजा के पूर्वजों द्वारा स्थापित गुप्तधरो और खजाना आदि राजकुमार को बताकर तपस्या करने के लिए जगल में चला जाय, अथवा दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञकर्मों का अनुष्ठान करे ।

( ३ ) अथवा मामा, भूषा, आदि मुख्य संबंधियों के वश में हुए राजकुमार को उसके हितेच्छु पुरुषों के आश्रित रहता हुआ ही, तत्त्वविद् अमात्य इतिहास और पुराणों के द्वारा धर्म-अर्थ के तत्वों को समझाता रहे ।

( १ ) सिद्धव्यञ्जनरूपो वा योगमास्थाय पार्थिवम् ।  
लभेत लब्ध्वा दूष्येषु दाण्डकर्मिकमाचरेत् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे राजप्रतिसन्धानमेकैश्वर्यं नाम षष्ठोऽध्याय ,  
आदित पञ्चनवतितमोऽध्याय ॥ ६६ ॥

समाप्तमिद योगवृत्त नाम पञ्चममधिकरणम् ।

— ० —

( १ ) यदि इस प्रकार भी राजा धर्म अर्थ के तत्त्वों को ग्रहण न कर सके तो सिद्ध पुरुष का वेप बनाकर वह राजा को अपने वश में करे, और तदनंतर मामा आदि दूष्य पुरुषों पर दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से उनको दण्डित करे ।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में राजप्रतिसन्धान एकैश्वर्यं नामक  
छठा अध्याय समाप्त

— ० —

छठा अधिकरण

•

मण्डल्योनि

(१) स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः ।

(२) तत्र स्वामिसम्पत्-महाकुलीनो दैवबुद्धिसत्त्वसम्पन्नो वृद्धदर्शी धार्मिकः सत्यवागविसंवादकः कृतज्ञः स्थूललक्षो महोत्साहोऽदीर्घसूत्रः शक्य-सामन्तो दृढबुद्धिरक्षुद्रपरिपत्को विनयकाम इत्याभिगामिका गुणाः ।

(३) शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशाः प्रजा-गुणाः ।

(४) शौर्यममर्षः शीघ्रता दाक्ष्यं चोत्साहगुणाः ।

(५) वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमतिबलवानुदग्रः स्ववग्रहः कृतशिल्पो व्यसने दण्डनाट्युपकारापकारयोर्दृष्टप्रतिकारी ह्रीमानापत्प्रकृत्योर्विनियोक्ता

### प्रकृतियों के गुण

( १ ) प्रकृतियाँ १ स्वामी, २ अमात्य, ३. जनपद, ४ दुर्ग, ५ कोष, ६. दण्ड ( सेना ), और ७ मित्र, ये सात प्रकृतियाँ है ।

( २ ) स्वामी के गुण : महाकुलीन, दैवबुद्धि, धैर्यसम्पन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञ, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी, बड़ा उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला ( अदीर्घ सूत्र ), समन्तों को बश में करने वाला, दृढबुद्धि गुणसंपन्न परिवार वाला और शास्त्र बुद्धि, राजा के ये गुण अभिगामिक गुण कहलाते हैं ।

( ३ ) शास्त्रचर्चा, शास्त्रज्ञान, प्रत्येक बात को ग्रहण कर लेना, ग्रहण की हुई बात को याद रखना, ग्रहण की हुई बात का विशेष ज्ञान रखना, तर्क-वितर्क द्वारा किसी बात की तह को पकड़ना, बुरे पक्ष को त्यागना, और गुणियों के पक्ष को ग्रहण करना, आदि राजा के प्रजागुण कहलाते हैं ।

( ४ ) शौर्य, अमर्ष, क्षिप्रकारिता और दक्षता, ये चार गुण उसके उत्साहगुण कहलाते हैं ।

( ५ ) वाग्मी, प्रगल्भ, स्मरणशील, बलवान्, उन्नतमन, सयमी, निपुण सवार, विपत्तिप्रस्त शत्रु पर आक्रमण करने वाला, विपत्ति के समय सेना की रक्षा करने वाला, किसी के उपकार या अपकार का यथोचित प्रतीकार करने वाला, लज्जावान्, दुर्भिक्ष-सुभिक्ष के समय अन्न आदि का उचित विनियोग करने वाला, दीर्घदर्शी-दूरदर्शी

(१) दुर्गसम्पदुक्ता पुरस्तात् ।

(२) धर्माधिगतः पूर्वः स्वयं वा हेमहृष्यप्रायश्चित्रस्यूलरत्नहिरण्यो दोर्धामप्यापदमनाप्यति सहेतेति कोशसम्पत् ।

(३) पितृपतामहो नित्यो वश्यस्तुष्टभृतपुत्रदारः प्रवासेष्वविसम्पादितः सर्वत्राप्रतिहतो दुःखसहो बहुयुद्धः सर्वयुद्धप्रहरणविद्याविशारदः सहस्रद्विद्विषयिक्त्वादद्वैध्यः क्षत्रप्राय इति दण्डसम्पत् ।

(४) पितृपतामहं नित्यं वश्यमद्वैध्यं महल्लघुसमुत्थमिति मित्रसम्पत् ।

(५) अराजबीजी लुब्धः क्षुद्रपरिपत्को विरक्तप्रकृतिरन्यायवृत्तिरयुक्तो व्यसनी निरुत्साहो दंष्ट्रप्रमाणो यत्किञ्चनकार्यगतिरननुबन्धः क्लीबो नित्यापकारी चेत्यमित्रसम्पत् । एवम्भूतो हि शत्रुः सुखः समुच्छेत्तुं भवति ।

हो और जहाँ प्रेमी एव शुद्ध स्वभाव वाले लोग बसते हों, इन गुणों से युक्त देश जनपद सपन्न कहा जाता है ।

( १ ) दुर्ग के गुण. दुर्ग विधान नामक प्रकरण में दुर्ग-गुणों पर प्रकाश डाला जा चुका है ।

( २ ) कोप के गुण : राजकोप ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों की तथा अपनी धर्म की कमाई संचित हो, इस प्रकार धान्य, सुवर्ण, चाँदी, नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न तथा हिरण्य में भरा-पूरा हो, जो दुश्मिन् एव आपत्ति के समय सारी प्रजा की रक्षा कर सके । इन गुणों से युक्त खजाना कोप सपन्न कहा जाता है ।

( ३ ) दण्ड ( सेना ) के गुण सेना ऐसी होनी चाहिए जिसमें वशानुगत, स्थायी एव बग में रहने वाले सैनिक भर्तों हों, जिनके छोटे पुत्र राजवृत्ति को पाकर पूरी तरह सन्तुष्ट हों, युद्ध के समय जिसको आवश्यक सामग्री से लैस किया जा सके, जो कहीं भी हार न खाता हो, दुश्म को सहने वाला हो, युद्धकौशल से परिचित हो, हर तरह के युद्ध में निपुण हो, राजा के लाभ तथा हानि में हिस्सेदार हो और शत्रियों की अघ्निका हो । इन गुणों से युक्त सेना दण्डमपन्न कही जाती है ।

( ४ ) मित्र के गुण : मित्र ऐसे होने चाहिए, जो बगपरम्परागत हों, स्थायी हों, अपने बश में रह सकें, जिनसे विरोध की संभावना न हो, प्रभु-मन्त्र-उत्साह आदि शक्तियों से युक्त जो समय आने पर सहायता कर सकें । मित्रों में इन गुणों का होना मित्रमपन्न कहा जाता है ।

( ५ ) शत्रु के गुण : जो शुद्ध राजवंश का न हो, लोभी हो, दुष्ट परिवार वाला हो, अमात्य आदि प्रकृतियाँ जिसके अनुकूल न हों, शास्त्र प्रतिकूल आचारण करने वाला हो, अयोग्य हो, व्यसनी हों, जिसमें उत्साह न हो, जो भाग्यवादी हो, बिना विचारे कार्य करने वाला हो । शत्रु में इन गुणों का होना शत्रुमपन्न कहा जाता है । इस प्रकार का शत्रु आसानी से उखाड़ा जा सकता है ।

- (१) अरिवर्जाः प्रकृतयः सप्तैताः स्वगुणोदयाः ।  
उक्ताः प्रत्यङ्गभूतास्ताः प्रकृता राजसम्पदः ॥
- (२) सम्पादयत्यसम्पन्नाः प्रकृतीरात्मवान्मूषः ।  
विवृद्धाश्चानुरक्ताश्च प्रकृतीर्हन्त्यनात्मवान् ॥
- (३) ततः स दुष्टप्रकृतिश्चातुरन्तोऽप्यनात्मवान् ।  
हन्त्यते वा प्रकृतिभिर्याति वा द्विपता वशम् ॥
- (४) आत्मवांस्त्वल्पदेशोऽपि युक्तः प्रकृतिसम्पदा ।  
नयज्ञः पृथिवीं कृत्स्नां जयत्येव न हीयते ॥

इति मण्डलयोनौ षष्ठेऽधिकरणे प्रकृतिसम्पद नाम प्रथमोऽध्यायः,  
आदित एणवतितम ।

— ० :—

( १ ) आत्मसम्पन्न राजा : शत्रु को छोड़कर ( क्योंकि वह राजा होने से स्वामिप्रकृति है ) शेष सात प्रकृतियाँ अपने-अपने गुणों से युक्त बताने दी गई हैं । परस्पर सहायक ये अगभूत प्रकृतियाँ अपने अपने कार्यों में लगी हुई राजसम्पत्ति नाम से कही जाती हैं ।

( २ ) आत्मसम्पन्न राजा गुणहीन प्रकृतियों को भी गुणी बना लेता है, और आत्मसम्पन्नहीन राजा गुणसमृद्ध तथा अनुरक्त प्रकृतियों को भी नष्ट कर देता है ।

( ३ ) यही कारण है कि दुष्ट प्रकृति राजा चारों समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का अधिपति होता हुआ भी या तो अपनी प्रकृतियों द्वारा ही विनष्ट हो जाता है या शत्रु के कब्जे में चला जाता है ।

( ४ ) किन्तु आत्मसम्पन्न नीतिज्ञ राजा थोड़ी भूमि का स्वामी होता हुआ भी आत्मप्रकृति के द्वारा सारी पृथ्वी का अधिपत्य प्राप्त कर लेता है और कभी भी क्षीण नहीं होता है ।

मण्डलयोनि नामक षष्ठ अधिकरण में प्रकृतिसम्पदा नामक  
पहला अध्याय समाप्त ।

— ० :—

(१) शमव्यायामौ योगक्षेमयोर्योनिः ।

(२) कर्मरिम्भाणां योगाराधनो व्यायामः । कर्मफलोपभोगाना क्षेमा-  
राधनः शमः ।

(३) शमव्यायामयोर्योनिः षाड्गुण्यम् ।

(४) क्षयस्थानं वृद्धिरित्युदयास्तस्य ।

(५) मानुषं नयापनयौ दैवमयानयौ ।

(६) दैवमानुषं हि कर्म लोकं यापयति । अदृष्टकारितं दैवम् । तस्मि-  
न्निष्टेन फलेन योगोऽयः । अनिष्टेनानयः ।

(७) दृष्टकारितं मानुषम् । तस्मिन् योगक्षेमनिष्पत्तिर्नयः । विपत्ति-  
रपनयः । तच्चिन्त्यम् । अचिन्त्यं दैवमिति ।

### शांति और उद्योग

( १ ) क्षेम का कारण शांति और योग का कारण व्यायाम है ।

( २ ) दुर्ग सबन्धी तथा सधि आदि कार्यों में कुशल व्यक्तियों को निपुक्त करना ही व्यायाम कहलाता है । दुर्ग तथा सन्धि आदि कर्मकर्मों के उपयोग में विघ्नो के नाश का साधन ही शुभ ( शांति ) है ।

( ३ ) शम और व्यायाम के कारण हैं—सधि, विग्रह, यान, आसन, सन्धय और द्वेषीभाव आदि छह गुण ।

( ४ ) उन्नति ( वृद्धि ), अवनति ( क्षय ) और समानगति ( स्थान ) ये तीन, उक्त छह गुणों के फल हैं ।

( ५ ) इन तीन फलों को प्राप्त करने वाले दो प्रकार के कर्म हैं : मानुष और दैव । नय तथा अपनय मानुषकर्म हैं और अय तथा अनय दैवकर्म हैं ।

( ६ ) ये दैव और मानुष कर्म ही लोक जीवन को चलाने वाले दो पट्टिये हैं । अदृष्ट द्वारा कराया हुआ धम तथा अधर्म रूप कर्म दैव कहाता है । उससे इष्ट फल का सबध जुड़ जाने की स्थिति को अय कहते हैं । यदि प्रतिकूल फल के साथ सम्बन्ध हुआ तो वही अनय की स्थिति है ।

( ७ ) प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति या उल्साहशक्ति आदि के कारण, सधि, विग्रह



(१) भूम्येकान्तरं प्रकृतिमित्रं मातृपितृसम्बन्धं सहजं धनजीवितहेतो-  
राश्रितं कृत्रिममिति ।

(२) अरिविजिगोष्वोभूम्यनन्तरः संहतासंहतयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे  
चासंहतयोर्मध्यमः ।

(३) अरिविजिगोषुमध्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तरः संहतासंह-  
तानामरिविजिगोषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानामुदासीनः ।  
इति प्रकृतयः ।

(४) विजिगोषुमित्रं मित्रमित्रं वास्य प्रकृतयस्तिष्ठः । ताः पञ्चभि-  
रमात्यजनपददुर्गकोशदण्डप्रकृतिभिरेकैकशः संयुक्ता मण्डलमण्डादशकं  
भवति । अनेन मण्डलपृथक्त्वं व्याख्यातमारिमध्यमोदासीनानाम् ।

(५) चतुर्मण्डलसंक्षेपः । द्वादश राजप्रकृतयः, षष्टिर्द्रव्यप्रकृतयः,  
संक्षेपेण द्विसप्ततिः ।

(६) तासां यथास्वं सम्पदः ।

(७) शक्तिः सिद्धिश्च । बलं शक्तिः । सुखं सिद्धिः ।

( १ ) विजिगोषु के राज्य से एक राज्य को छोड़ कर उसके बाद का स्वभावत  
मित्र राजा और विजिगोषु का ममेरा या फुकेरा भाई, ये सहजमित्र हैं । धन या  
जीवन-जीविका के लिए आश्रय लेने वाला कृत्रिममित्र कहलाता है ।

( २ ) अरि और विजिगोषु राजाओं की सधि में सधि का समर्थक और विग्रह  
में विग्रह का समर्थक राजा मध्यम कहलाता है ।

( ३ ) अरि विजिगोषु और मध्यम की प्रकृतियों के अतिरिक्त, शक्तिशाली  
मध्यम राजा से भी बलवान्, अरि, विजिगोषु और मध्यम की सधि में सधि का  
समर्थक और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक राजा उदासीन कहलाता है । इस  
प्रकार बारह राजप्रकृतियों का निरूपण किया गया ।

( ४ ) विजिगोषु, मित्र और मित्रमित्र ये तीन प्रकृति हैं । इन तीनों की अलग-  
अलग अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दण्ड, ये पाँच प्रकृतियाँ, एक साथ मिलकर  
अठारह प्रकृतियों का एक मण्डल होता है । अरि, मध्यम और उदासीन आदि के  
मण्डलों का यही क्रम समझना चाहिए ।

( ५ ) इस प्रकार चार मण्डलों का संक्षेप में निरूपण किया गया । बारह राज-  
प्रकृतियाँ और साठ अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियाँ मिलकर बहतर प्रकृतियाँ कही  
जाती हैं ।

( ६ ) उनकी संपत्तियों का विवेचन पहिले किया जा चुका है ।

( ७ ) इसी प्रकार शक्ति और सिद्धि के सबंध में भी समझना चाहिए । शक्ति  
को बल और सिद्धि को सुख कहा जाता है ।

(१) शक्तिस्त्रिविधा-ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः, कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः, विक्रमबलमुत्साहशक्ति ।

(२) एव सिद्धिस्त्रिविधं च मन्त्रशक्तिसाध्या मन्त्रसिद्धिः, प्रभुशक्तिसाध्या प्रभुसिद्धि उत्साहशक्तिसाध्या उत्साहसिद्धिरिति । तामिरभ्युच्चितो ज्यायान् भवति । अपचितो हीनः । तुल्यशक्तिः समः । तस्माच्छाक्तिसिद्धि च घटेतात्मन्यावेशयितुम् । साधारणो वा द्रव्यप्रकृतिष्वानन्तर्येण शोचवशेन वा दूष्यामित्रान्या वाऽपनष्टं यतेत ।

(३) यदि वा पश्येत्—'अमित्रो मे शक्तिपुक्तो वाग्दण्डपाहृष्यायं दूषणैः प्रकृतीरुपहनियति, सिद्धिपुक्तो वा मृगयाद्यूनमद्यस्त्रीभिः प्रमादं गमिष्यति, स विरक्तप्रकृतिरुपक्षीणः प्रमत्तो वा साध्यो मे भविष्यति, विग्रहामियुक्तो वा सर्वसन्दोहेन कस्यो दुर्गस्थो वा स्यास्यति, स सहतसंन्यो मित्रदुर्गवियुक्तः साध्यो मे भविष्यति, बलवान् वा राजा परतः शत्रुमुच्छेत्कामस्तमुच्छिद्यमानमुच्छिद्यतात्' इति । 'बलवता प्रार्थितस्य मे विपन्नकर्मारम्भस्य वा

( १ ) शक्ति अर्थात् बल के तीन भेद हैं ज्ञानबल, कोषबल और विक्रमबल । ज्ञानबल ही मन्त्रशक्ति है, कोष सेना बल ही प्रभुशक्ति है और विक्रमबल ही उत्साहशक्ति है ।

( २ ) इसी प्रकार सिद्धि के भी तीन भेद हैं मन्त्रसिद्धि, प्रभुसिद्धि और उत्साहसिद्धि । मन्त्रशक्ति से होने वाली सिद्धि मन्त्रसिद्धि, प्रभुशक्ति से होने वाली सिद्धि प्रभुसिद्धि और उत्साहशक्ति से होने वाली सिद्धि उत्साहसिद्धि कहलाती है । इन शक्तियों से मपन्न राजा श्रेष्ठ, उनसे रहित अधम और समान शक्ति वाला मध्यम कहा जाता है । इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपनी शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ाने के लिये निरंतर यत्नशील रहे । जो राजा स्वयं अपनी शक्ति सिद्धि को बढ़ाने में असमर्थ हो वह इस कार्य को अपनी अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियों के द्वारा या अपनी सुविधा के अनुसार सपन्न करे, और दूष्य तथा शत्रु को शक्ति-सिद्धि को नष्ट करने का यत्न करे ।

( ३ ) यदि वह राजा ऐसा देखे कि मेरा शक्तिशाली शत्रुराजा वाक्पाहृष्य, दण्डपाहृष्य और अयं दोष से अपनी अमात्य आदि द्रव्यप्रकृतियों से दूष्ट कर देगा, अथवा वह मृगया, दून और स्त्रियों में आसक्त होकर प्रमादी बन जायेगा, तब निश्चित ही वह प्रकृतियों से विरक्त और प्रमादी शत्रुराजा को 'मैं आसानी से जीत सकूँगा, अथवा जब मैं अपनी संपूर्ण सैन्यशक्ति को लेकर उससे युद्ध करने जाऊँगा तो वह अपनी शक्ति पर शकित हो कर किसी स्थान या दुर्ग में अकेला मेरे मुकाबले की प्रतीक्षा में रहेगा'—ऐसी स्थिति में वह मेरी सेना से घिर जायेगा तथा उसको मित्र एवं दुर्ग से कोई सहायता न मिल पावेगी और तब उसे मैं आसानी से जीत सकूँगा,

साहाय्यं दास्यति, मध्यमलिप्सायां च' इति । एवमादिषु कारणेष्वप्यमित्र-  
स्यापि शक्ति सिद्धिं चेच्छेत् ।

- ( १ ) नेमिमैकान्तरान् राज्ञः कृत्वा चान्तरानरान् ।  
नाभिमात्मानमापच्छेन्नेता प्रकृतिमण्डले ॥  
( २ ) मध्ये ह्युपहितः शत्रुर्नैतुमित्रस्य चोभयोः ।  
उच्छेद्यः पीडनीयो वा बलवानपि जायते ॥

इति मण्डलयोनौ षष्ठाधिकरणे शमव्यायामिक नाम द्वितीयोऽध्यायः ,  
आदित मप्तनवतितम ।

समाप्तमिदं मण्डलयोनिर्नाम षष्ठमधिकरणम्

—: ० :—

अथवा वह बलवान् शत्रुराजा अपने दूसरे शत्रु का उच्छेद करके ही रुक जायेगा,  
अथवा किसी दूसरे बलवान् के साथ युद्ध करने पर मुझे क्षीणशक्ति देख कर, मुझे  
मध्यम राजा बनाने की अभिलाषा से, वह मेरी सहायता करेगा' इत प्रकार की  
विशेष स्थितियों में वह शत्रु की शक्ति सिद्धि की भी सम्भावना करें ।

( १ ) नेता विजिगीषु को चाहिए कि वह राजमंडल स्पी चक्र में अपने मित्र  
राजाओं को नेमि, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थान में समझे ।

( २ ) जो बलवान् शत्रु विजिगीषु और मित्र के बीच में आ जाय वह जीत  
लिया जाता है या बहुत तग किया जाता है ।

मण्डलयोनि नामक षष्ठ अधिकरण में शमव्यायामिक नामक  
दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

सातवाँ अधिकरण

•

षाड्गुण्य

- (१) पाङ्गुण्यस्य प्रकृतिमण्डलं योनिः ।  
 (२) सन्धिविग्रहासनयानद्वैधीभावाः पाङ्गुण्यमित्याचार्याः ।  
 (३) द्वैगुण्यमिति वातव्याधिः, सन्धिविग्रहाभ्यां हि पाङ्गुण्यं सम्प-  
 द्यत इति ।  
 (४) पाङ्गुण्यमेवंतदवस्थाभेदादिति कौटिल्यः ।  
 (५) तत्र पणवन्धः सन्धिः, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्,  
 अभ्युच्चपो यानं, परार्पणं संश्रयः, सन्धिविग्रहोपादानं द्वैधीभाव इति  
 पाङ्गुणाः ।  
 (६) परस्माद्वीयमानः सन्धीत । अभ्युच्चोयमानो विगृह्णीयात् । न  
 मां परो नाहं परमुपहन्तुं शक्त इत्यासीत् । गुणातिशययुक्तो यायात् । शक्ति-  
 हीनः संश्रयेत । सहायसाध्ये कार्ये द्वैधीभावं गच्छेत् ।

छह गुणों का उद्देश और क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय

- ( १ ) सात प्रकृतियाँ और बारह राजमंडल ही छह गुणों के आधार हैं ।  
 ( २ ) पुरातन आचार्यों ने १. सधि, २. विग्रह, ३ यान, ४ आसन, ५. संश्रय  
 और ६. द्वैधीभाव ये छह गुण बताये हैं ।  
 ( ३ ) आचार्य वातव्याधि का कहना है कि गुण तो दो ही हैं सधि और विग्रह,  
 बाकी तो उन्हीं के अवातर भेद हैं ।  
 ( ४ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि गुण तो छह ही हैं, सधि और  
 विग्रह से बाकी चार गुण सर्वथा भिन्न हैं. इसलिए इन दोनों में उनका अन्तर्भाव कैसे  
 सम्भव है ?  
 ( ५ ) उनमें दो राजाओं का कुछ शर्तों पर मेल हो जाना सन्धि, शत्रु का कोई  
 अपकार करना विग्रह, उपेक्षा करना आसन, चढाई करना यान, आत्मसमर्पण  
 करना संश्रय, और सन्धि-विग्रह दोनों से काम लेना द्वैधीभाव कहलाता है—यही  
 छह गुण हैं ।  
 ( ६ ) शत्रु की तुलना में अपने को निर्बल समझने पर सधि कर लेनी चाहिए ।  
 यदि शत्रु की तुलना में स्वयं को बलवान् समझा जाय तो विग्रह कर देना चाहिए ।  
 यदि शत्रुबल और आत्मबल में कोई अन्तर न समझे तो आसन को अपना लेना

(१) इति गुणावस्थापनम् ।

(२) तेषां यस्मिन् वा गुणे स्थितः पश्येत् 'द्वहस्यः शक्यामि दुर्गतेतु-  
कर्मवणिक्पयश्नून्यनिवेशाद्यनिद्रव्यहस्तिवनकर्माण्यात्मनः प्रवर्तयितुं परस्य  
चैतानि कर्माण्युपहन्तुम्' इति तमातिष्ठेत्, सा वृद्धिः ।

(३) 'आशुतरा मे वृद्धिर्भूयस्तरा वृद्धचूदयतरा वा भविष्यति विप-  
रीता परस्य' इति ज्ञात्वा परवृद्धिमुपेक्षेत् । तुल्यकालफलोदयायां वृद्धौ  
सन्धिमुपेयात् ।

(४) यस्मिन् वा गुणे स्थितः स्वकर्मणामुपघातं पश्येन्नेतरस्य तस्मिन्  
तिष्ठेत् । एष क्षयः ।

(५) 'चिरतरेणाल्पतर वृद्धचूदयतरं वा क्षेप्ये, विपरीतं परः' इति  
ज्ञात्वा क्षयमुपेक्षेत् ।

(६) तुल्यकालफलोदये वा क्षये सन्धिमुपेयात् ।

(१) यस्मिन् वा गुणे स्थितः स्वकर्मवृद्धि क्षयं वा नाभिपश्येत्, एत-  
त्स्थानम् ।

(२) 'ह्रस्वतरं वृद्धद्युदयतरं वा स्थास्यामि विपरीतं पर' इति ज्ञात्वा  
स्थानमुपेक्षते ।

(३) तुल्यकालफलोदये वा स्थाने सन्धिमुपेयादित्याचार्याः ।

(४) नंतद्विभाषितमिति कौटिल्यः ।

(५) यदि वा पश्येत्—'सन्धौ' स्थितो महाफलः स्वकर्मभिः परक-  
मन्पुपहनिष्यामि, महाफलानि वा स्वकर्माण्युपभोक्ष्ये, परकर्माणि वा,  
सन्धिविश्वासेन वा योगोपनिषत्प्रणिधिभिः परकर्माण्युपहनिष्यामि, सुखं  
वा सानुग्रहपरिहारसौकर्यं फललाभभूयस्त्वेन स्वकर्मणा परकर्मयोगावहं  
जनमात्रावायिष्यामि, बलिनातिमात्रेण वा संहितः परः स्वकर्मापघातं  
प्राप्स्यति, तेन वा विगृहीतो मया सन्धत्ते, तेन अस्य विग्रहं दोषं करिष्यामि,  
मया वा संहितस्य मद्वेपिणो जनपदं षोडयिष्याति, परोपहतो वास्य जन-

( १ ) अथवा जिस गुण का आश्रय लेने पर अपनी वृद्धि और अपना क्षय कुछ  
भी न देखे, ऐसी समान स्थिति को स्थान कहते हैं ।

( २ ) यदि वह समझे कि 'मेरी ऐसी दशा थोड़े समय तक रहेगी और शत्रु की  
बहुत दिनों तक, मेरी यह दशा उदयोन्मुख होगी और शत्रु की क्षयोन्मुख', ऐसी  
स्थिति में अपनी उस दशा की कोई चिन्ता न करे ।

( ३ ) पुरातन आचार्यों का सुझाव है कि 'यदि शत्रु राजा का भी स्थान सम-  
कालीन और उदयोन्मुखी हो तो उसके साथ सन्धि कर लेनी चाहिए ।'

( ४ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'पूर्वाचार्यों का यह सुझाव बहुत  
ही अनुपयुक्त है ।'

( ५ ) किसी विशेष स्थिति में यदि विजिगीषु राजा यह देखे कि 'सन्धि कर  
लेने पर अपने शक्तिशाली कर्मों से मैं शत्रु के कर्मों का उन्मूलन कर दूँगा, या अपने  
ही महान फलदायक कर्मों की भाँति शत्रु के कर्मों का उपभोग भी सन्धि-विश्वास से  
कर सकूँगा अथवा सन्धि के बहाने गुप्तचरो तथा विष प्रयोगों द्वारा शत्रु के कर्मों को  
नष्ट कर सकूँगा, या सन्धि के बहाने शत्रु के कार्यकुशल व्यक्तियों को उत्तम फल तथा  
पर्याप्त लाभ का प्रलोभन देकर अपने देश में खींच लाऊँगा, जिससे मेरे कृप्य आदि  
कार्य अधिक लाभदायी होंगे, अथवा अधिक बलवान् शत्रु के साथ सन्धि करने पर  
शत्रु को बहुत धन देना पड़ेगा और कोप को क्षीण करने पर वह अपने कर्मों को  
क्षीण कर लेगा, अथवा शत्रु का जिसके साथ विग्रह हो उसके साथ सन्धि करके मैं  
अपने शत्रु के साथ होने वाले विग्रह को अधिक दिनों तक बनाये रखूँगा, अथवा

पदो मामागमिष्यति ततः कर्मसु वृद्धिं प्राप्स्यामि, विपन्नकर्मारम्भो वा विषयस्थः परः कर्मसु न मे विक्रमेत, परतः प्रवृत्तकर्मारम्भो वा ताभ्यां संहितः कर्मसु वृद्धिं प्राप्स्यामि, शत्रुप्रतिबद्धं वा शत्रुणा सन्धि विधाय मण्डलं भेत्स्यामि, भिन्नमवाप्स्यामि, दण्डानुग्रहेण वा शत्रुमुपगृह्य मण्डल-  
लिप्साया विद्वेषं ग्राहयिष्यामि, विद्विष्टं तेनैव घानयिष्यामि' इति सन्धिना वृद्धिमातिष्ठेत् ।

(१) यदि वा पश्येत्—'आयुधीयप्रायः श्रेणोप्रायो वा मे जनपदः शैल-  
वननदीदुर्गैकद्वारारक्षो वा शक्यति पराम्भियोगं प्रतिहन्तुमिति, विषयान्ते  
दुर्गमविषह्यमपाकृतो वा शक्यामि परकर्माण्युपहन्तुमिति, व्यसनपीडोपह-  
तोत्साहो वा परः संप्राप्तकर्मोपघातकाल इति, विगृहीतस्यान्यतो वा  
शक्यामि जनपदमपवाहयितुमिति विग्रहे स्थितो वृद्धिमातिष्ठेत् ।

(२) यदि वा मन्येत—'न मे शक्तः परः कर्माण्युपहन्तुम्, नाहं तस्य



कर्मोपघातो वा, व्यसनमस्य श्ववराहयोरिव कलहे वा स्वकर्मानुष्ठानपरो वा वर्धये' इत्यासनेन वृद्धिमातिष्ठेत् ।

(१) यदि वा मन्येत—'यानसाध्यः कर्मोपघातः शत्रोः प्रतिविहित-स्वकर्मारक्षश्चास्मि' । इति यानेन वृद्धिमातिष्ठेत् ।

(२) यदि वा मन्येत—'नास्मि शक्तः परकर्माण्युपहन्तुं स्वकर्मोपघातं वा त्रातुम्' इति बलवन्तमाश्रितः स्वकर्मानुष्ठानेन क्षयात्स्थानं स्थानाद् वृद्धिं चाकाक्षेत् ।

(३) यदि वा मन्येत—'सन्धिनैकतः स्वकर्माणि प्रवर्तयिष्यामि, विप्रहे-णैकतः परकर्माण्युपहनिष्यामि' इति द्वैधीभावेन वृद्धिमातिष्ठेत् ।

(४) एवं षड्भिर्गुणैरेतैः स्थितः प्रकृतिमण्डले ।  
पर्येते क्षयात् स्थानं स्थानाद् वृद्धिं च कर्मसु ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमोऽधिकरणे षाड्गुण्यसमूहदेशक्षयस्थानवृद्धिनिश्चयो  
नाम प्रथमोऽध्यायः, आदितोऽष्टमवनवतिथमः ।

—: ० :—

तथा सूअरो के समान हमारा विग्रह हो जाने पर भी अपने कर्मों के अनुष्ठान में निरत रह कर मैं अपनी उन्नति कर सकूँगा, तो आसन का आश्रय लेकर वह अपनी उन्नति करे ।

( १ ) अथवा यदि समझे कि 'शत्रु के कर्मों का नाश यान से हो सकेगा और मैंने अपने कर्मों की रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया है' तो यान का आश्रय लेकर अपनी उन्नति करें ।

( २ ) अथवा यदि वह समझे कि मैं शत्रु के कर्मों को नाश कर सकूँगा और अपने कार्यों को उसके आक्रमणों से बचा न पाऊँगा' तो बराबान् का आश्रय लेकर अपने कार्यों का अनुष्ठान करता हुआ वह क्षय से स्थान और स्थान से वृद्धि की आकांक्षा करे ।

( ३ ) और, अथवा ऐसा समझे कि 'मैं एक शत्रु के साथ सन्धि करके अपने कार्यों को पूर्णत्व करता रहूँगा और दूसरे के साथ विग्रह करके उसके कर्मों का नाश कर सकूँगा' तो द्वैधीभाव का आश्रय लेकर अपनी उन्नति का यत्न करे ।

( ४ ) इस प्रकार अमात्य आदि प्रकृतिमण्डल में स्थित राजा को चाहिए कि वह सन्धि, विग्रह आदि छह गुणों का आश्रय लेकर क्षयावस्था को पार करके स्थान की और स्थानावस्था को पार करके वृद्धि की आकांक्षा करे ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

( १ ) सन्धिविग्रहयोस्तुल्याया वृद्धी सन्धिमुपेयात् । विग्रहे हि क्षयव्यय-  
प्रवासप्रत्यवाया भवन्ति ।

( २ ) तेनासनधानयोरासनं व्याख्यातम् ।

( ३ ) द्वैधीभावसंश्रययोर्द्वैधीभावं गच्छेत् । द्वैधीभूतो हि स्वकर्मप्रधान  
आत्मन एवोपकरोति । संश्रितस्तु परस्योपकरोति, नात्मनः ।

( ४ ) यद्वलः सामन्तः तद्विशिष्टबलमाश्रयेत् । तद्विशिष्टबलमावे समे-  
वाश्रितः कोशदण्डभूमिनामन्यतमेनास्योपकर्तुमदृष्टः प्रपतेत् । महादोषो  
हि विशिष्टसमागमो राज्ञामन्यत्रारिबिग्नहोतात् ।

### बलवान् का आश्रय

( १ ) विजिगीषु राजा सन्धि और विग्रह में जब एक समान लाभ होता देखे  
तो अपनी उन्नति के लिए सन्धि का ही अवलम्बन करे, क्योंकि विग्रह करने पर प्रजा  
का नाश, धान्य आदि की क्षति, प्रवास और प्रत्यवाय आदि अनेक प्रकार के कष्ट  
भेदने पड़ते हैं ।

( २ ) इसी प्रकार आसन और यान के द्वारा समान लाभ की स्थिति में आसन  
को ही अपनाना चाहिए ।

( ३ ) द्वैधीभाव और संश्रय के समान लाभ होने पर द्वैधीभाव को ही ग्रहण  
करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर राजा अपने कार्यों को चरता हुआ अपनी  
उन्नति करता है । इसके विपरीत संश्रय का सहारा लेने वाला राजा अपने आश्रय-  
दाता का ही अधिक उपकार करता है, अपना नहीं ।

( ४ ) आश्रय उसका लिया जाना चाहिए, जो अपने शत्रु राजा ( सामन्त ) से  
बलवान् हो । यदि ऐसा बलवान् राजा कोई न मिले तो अपने शत्रु राजा का ही  
आश्रय लेना चाहिए, और दूर से ही वह धन, सेना, भूमि आदि को देकर उसका  
उपकार करे, उसके पास न आये । क्योंकि बलवान् राजा का साथ कभी कभी महान्  
अनर्थकारी सिद्ध होता है । लेकिन उस बलवान् राजा ने यदि किसी शत्रु से दुश्मनी  
ठानी हो तो उसके साथ रहने में कोई हानि नहीं है ।

(१) अशक्ये दण्डोपनतवद् वर्तेत ।

(२) यदा चास्य प्राणहरं व्याधिमन्तःकोपं शत्रुर्वृद्धिं मित्रव्यसनमुपस्थितं वा तन्निमित्तामात्मनश्च वृद्धिं पश्येत्, तदा सम्भाव्यव्याधिधर्मकार्यापदेशेनापयायात् । स्पविपयस्थो वा नोपगच्छेत् । आसन्नो वास्य छिद्रेषु प्रहरेत् ।

(३) बलीयसोर्वा मध्यगतस्त्राणसमर्थमाश्रयेत् । यस्य चानन्तर्धिः स्यात् । उभौ वा । कपालसंश्रयस्तिष्ठेत् । मूलहरमितरस्येतरमपदिशन् भेदमुभयोर्वा परस्परादेशं प्रयुञ्जीत । भिन्नयोर्हपांशुदण्डम् ।

(४) पार्श्वस्थो वा बलस्थयोरासन्नभयात् प्रतिकुर्वीत । दुर्गापाश्रयो वा द्वैधीभूतस्तिष्ठेत् । सन्धिबिग्रहक्रमहेतुभिर्वा चेष्टेत् । दूष्यामित्राटविकानुभयोर्हपगृह्णीयात् । एतयोरन्यतरं गच्छंस्तैरेवान्यतरस्य व्यसने प्रहरेत् ।

( १ ) यदि बलवान् राजा के निकट गये बिना उसको प्रमत्न करना असम्भव जान पड़े तो अपनी सेना देकर उससे मिल-जुल कर नम्रनापूर्वक उसी के पास रहे ।

( २ ) और जब देखे कि वह बलवान् राजा किसी प्राणातक व्याधि से ग्रस्त है, अथवा उसका पुरोहित आदि प्रकृतियों उससे असन्तुष्ट हैं, या उसके शत्रु बहुत बढ़ गये हैं, या अपने मित्र के ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आई है, और इन्हीं कारणों से अपनी उन्नति का मार्ग देखे, तो किसी व्याधि या धर्मकार्य का बहाना कर वहाँ से अपने देश को कूच कर दे । यदि ये सभी व्याधियाँ-विपत्तियाँ स्वयं उसके देश में पैदा हो गई हों तो किसी व्याधि या धर्मकार्य के निमित्त बुलाये जाने पर भी वह अपने देश को न छोड़े । अथवा बलवान् राजा के पास रहकर ही वह उसके छिद्रों पर बराबर आघात करता रहे ।

( ३ ) अथवा दो बलवान् राजाओं के बीच में रहता हुआ वह अपनी रक्षा करने में समर्थ राजा के आश्रय में रहे । अथवा अपने समीपस्थ राजा का आश्रय ले । यदि दोनों ही समीप हों तो कपाल सन्धि के द्वारा दोनों का अनुग्रह प्राप्त करें । दोनों को वह एक-दूसरे का अपकार करने वाला बताता रहे । एक दूसरे के द्रव्य का नाश करने वाला बताकर उन दोनों में वह फूट डाल दे । इस प्रकार फूट डाल कर वह गुप्त उपायों द्वारा कुपचाप उन्हें मरवा दे ।

( ४ ) अथवा उन दोनों बलवान् राजाओं में जिसकी ओर से शीघ्र ही भय की आशका देखे उसके पास रहता हुआ अपनी भावी आपत्ति का प्रतीकार करे । अथवा दुर्ग का आश्रय लेकर द्वैधीभाव द्वारा एक के साथ सन्धि कर दूसरे से विग्रह कर दे । अथवा सन्धि-विग्रह के निमित्तों को लेकर वह अपनी उन्नति का उपाय सोचे । अथवा उन दोनों ही प्रतिद्वन्द्वी राजाओं के दूष्य, शत्रु और आटविक आदि को उच्च दान-

द्वाम्यामुपहितो वा मण्डलापाश्रयस्तिष्ठेत् । मध्यममुदासीनं वा संश्रयेत् ।  
तेन सहैकमुपगृह्णतेरमुच्छिद्यादुभौ वा ।

(१) द्वाम्यामुच्छिन्नो वा मध्यमोदासीनयोस्तत्पक्षीयाणां वा राजा  
न्यायवृत्तिमाश्रयेत् । तुल्याना वा यस्य प्रकृतयः सुल्पेपुरेनं, यत्रस्थो वा  
शकनुयादात्मानमुद्धर्तुं, यत्र पूर्वपुरुषोचिता गतिरासन्नः सम्बन्धो वा मित्राणि  
भूयासीति शक्तिमन्ति वा मयेषु ।

(२) प्रियो यस्य भवेद् यो वाप्रियोऽस्म कतरस्तपोः ।

प्रियो यस्य स त गच्छेदित्याश्रयगतिः परा ॥

इति पाण्डुगुण्य सप्तमऽधिकरणे सश्रयवृत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ,  
आदित एकोनशततमः ।

—: ० :—

सम्मान देकर अपन वश में कर ले । तदनन्तर किसी एक का मुवाबला करता हुआ  
उसके जिस पक्ष को वह कमजोर ममके रूप में आदि के द्वारा उस पर प्रहार कर दे ।  
यदि दोनों ही उसके लिये पीडाकर हो तो वह मण्डल की शरण में चला जाय ।  
अथवा मध्यम या उदासीन राजा का आश्रय ले ले । किसी एक के साथ रहता हुआ  
वह दान समान देकर उसको अपने वश में कर ले और दूसरे का उच्छेद करा दे, यदि  
हो सके तो दोनों का ही उच्छेद कर दे ।

( १ ) अथवा दोनों से पीडित हुआ वह मध्यम, उदासीन या उनके पक्ष के  
किसी न्यायपरायण राजा का आश्रय ले ले । यदि उनमें से अनेक राजा न्यायपरायण  
हो तो जिसकी अमात्य आदि प्रकृतियाँ अपने अनुकूल हो उसी का आश्रय ले । अथवा  
जिसके साथ रहना हुआ वह अपना उद्धार कर सके, अथवा जिसके साथ परम्परा से  
विवाहादि अन्तरंग सम्बन्ध रहे हो, अथवा जहाँ बहुत-से शक्तिशाली मित्र हो, उसका  
आश्रय ले ले ।

( २ ) जो जिसका प्रिय है, वे दोनों एक दूसरे के अवश्य प्रिय होते हैं । इसलिए  
जो जिसका प्रिय हो, वह उसी का आश्रय ले । यही सर्वश्रेष्ठ आश्रयस्थान बताया  
गया है ।

पाण्डुगुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सश्रयवृत्ति नामक

दूसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

## समहीनज्यायसा गुणाभिनिवेशो हीनसन्धयश्च

(१) विजिगीषुः शक्त्यपेक्षया पाङ्गुण्यमुपयुञ्जीत । समज्यायोभ्यामसन्धीयेत् । हीनेन विगृह्णीयात् । विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाभ्युपैति । समेन चाम पात्रमामेनाहतमिवोभयतः क्षयं करोति । कुम्भेनेवाशमा होनेनैकान्तसिद्धिमवाप्नोति ।

(२) ज्यायाश्चेत् सन्धिमिच्छेत्, दण्डोपनतवृत्तमावलीयसं वा योगमातिष्ठेत् ।

(३) समश्चेन्न सन्धिमिच्छेत्, यावन्मात्रमपकुर्यात् तावन्मात्रमस्य प्रत्यपकुर्यात् । तेजो हि सन्धानकारणं, नातप्तं लोहं लोहेन सन्धत इति ।

सम, हीन तथा बलवान् राजाओं के चरित्र; और हीन राजा के साथ सन्धि

( १ ) विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार सन्धि आदि छह गुणों में जिसको उचित समझे उसी को व्यवहार में लाये । उसके लिए उचित यही है कि बराबर तथा बड़ी शक्ति वाले राजा के साथ वह सन्धि कर ले, और शक्तिहीन के साथ विग्रह कर दे । क्योंकि अधिक शक्ति वाले के साथ विग्रह करने पर हीन शक्ति राजा की बही दुर्दशा होती है, जो कि गजारोही सैनिकों के साथ युद्ध में पैदा लड़ने वाली सेना की होती है । और समान बल विक्रम वाले के साथ विग्रह करने पर वे दोनों ही उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दो बच्चे घड़े आपस में भिड़ जाने से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । और हीन शक्ति के साथ विग्रह करने का बही सुपरिणाम होता है जो पत्थर स घड़े पर चोट मारने से होता है ।

( २ ) यदि अधिक शक्तिशाली राजा सन्धि करने के लिए तैयार न हो तो दण्डोपनतवृत्त और आवलीयस अधिकरणों में निर्दिष्ट उपायों का प्रयोग करना चाहिए ।

( ३ ) यदि समान शक्ति वाला राजा सन्धि न करना चाहे तो वह जितना नुकसान पहुँचाये उतना ही नुकसान उसका भी करना चाहिए, क्योंकि तेज ही सन्धि का कारण सिद्ध होता है । बिना तपा लोहा दूसरे लोह के साथ कभी नहीं मिल पाता है ।

(१) हीनश्चेत् सर्वत्रानुप्रणतस्तिष्ठेत् सन्धिमुपेयात् । आरण्योऽग्निरिव हि दुःखामर्षजं तेजो विक्रमयति । मण्डलस्य चानुग्राह्यो भवति ।

(२) संहितश्चेत् 'परप्रकृतयो लुब्धक्षीणापचकिताः प्रत्यादानभयाद्वा नोपगच्छन्ति' इति पश्येद्धीनोऽपि विगृह्णीयात् ।

(३) विगृहीतश्चेत् 'प्रकृतयो लुब्धक्षीणापचरिताः विग्रहोद्विग्ना वा मां नोपगच्छन्ति' इति पश्येत् । ज्यायानपि सन्धीयेत, विग्रहोद्वेगं वा शमयेत् । 'व्यसनयोगपद्ये गुरुव्यसनोऽस्मि, लघुव्यसनः परः सुखेन प्रतिकृत्य व्यसन-मात्मनोऽभियुज्यात्' इति पश्येत् । ज्यायानपि सन्धीयेत ।

(४) सन्धिविग्रहयोश्चेत् परकशनमात्मोपचयं वा नाभिपश्येत्, ज्यायानप्यासीत् ।

(५) परव्यसनमप्रतिकार्यं चेत् पश्येत्, हीनोऽप्यभियायात् ।

(६) अप्रतिकार्यासन्नव्यसनो वा ज्यायानपि सथयेत । सन्धिर्नकतो विग्रहेणैकतश्चेत् कार्यसिद्धिं पश्येत्, ज्यायानपि द्वंद्वोभूतस्तिष्ठेदिति ।

( १ ) यदि हीन शक्ति राजा प्रत्येक विषय में नग्न ही बना रहे तो उससे सन्धि कर लेनी चाहिए । क्योंकि दुःख और अमर्ष से पैदा हुआ तेज जगल में लगी हुई आग के समान है, बहुत संभव है कि विजिगीषु के सन्धि न करने पर हीन शक्ति राजा का तेज उसको विक्रमशाली बना दे और उस दशा में वह मण्डल का कृपापात्र बन जाय ।

( २ ) यदि हीनशक्ति राजा सन्धि कर देने पर भी यह देखे कि 'शत्रु के अमात्य आदि प्रकृतिजन अपनी नीचता या असन्तोष के कारण या बदला लिये जाने के भय से मुझे नहीं अपना रहे हैं' तो विग्रह कर दे ।

( ३ ) अधिक वनसम्पन्न विजिगीषु, हीनशक्ति राजा के साथ विग्रह करने पर यदि देखे कि 'अमात्य आदि प्रकृतिजन लोभी, धीण तथा चरित्रहीन होने के कारण अथवा विग्रह से उद्विग्न होने के कारण मुझसे अनुराग नहीं रखते' तो सन्धि कर ले । या विग्रह से पैदा हुई उद्विग्नता को वह शान्त करे । अथवा जब देखे कि 'मेरे ऊपर भी आपत्ति है और शत्रु के ऊपर भी, मेरी आपत्ति बहुत बड़ी है और शत्रु की बहून् थोड़ी, वह सुगमता से अपनी आपत्ति का प्रतीकार करके मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जायेगा' तो शक्तिहीन के साथ भी सन्धि कर ले ।

( ४ ) यदि अधिक शक्तिशाली विजिगीषु भी यह समझे कि 'सन्धि या विग्रह करने पर शत्रु का ह्रास और मेरी वृद्धि सम्भव न होगी' तो आसन का आश्रय ले ।

( ५ ) यदि हीनशक्ति विजिगीषु भी यह देखे कि 'शत्रु अपनी आपत्ति का प्रतीकार करने में असमर्थ है' तो तत्काल ही उस पर चढ़ाई कर दे ।

( ६ ) प्रतीकार से शान्त न होने वाली आपत्ति को समीप आया देखकर अधिक शक्तिसंपन्न विजिगीषु को भी चाहिए कि वह सथयवृत्ति का अवलम्बन करे । यदि

- (१) एवं सभस्य पाङ्गुण्योपयोगः । तत्र तु प्रतिविशेषः—
- (२) प्रवृत्तचक्रेणाक्रान्तो राज्ञा बलवताबलः ।  
सन्धिनोपनमेत्तूर्णं कोशदण्डात्मभूमिभिः ॥
- (३) स्वयं सख्यातदण्डेन दण्डस्य विभवेन वा ।  
उपस्थातव्यमित्येष सन्धिरात्मामिषो मतः ॥
- (४) सेनापतिकुमाराभ्यामुपस्थातव्यमित्ययम् ।  
पुरुषान्तरसन्धिः स्यान्नात्मनेत्यात्मरक्षणः ॥
- (५) एकेनान्यत्र यातव्यं स्वयं दण्डेन चेत्ययम् ।  
अदृष्टपुरुषः सन्धिदण्डमुख्यात्मरक्षणः ॥
- (६) मुख्यस्त्रीबन्धनं कुर्यात् पूर्वयोः पश्चिमे त्वरिम् ।  
साधयेद् गूढमित्येने दण्डोपनतसन्धयः ॥
- (७) कोशदानेन शेषाणां प्रकृतीनां विमोक्षणम् ।

- परिक्रयो भवेत् सन्धिः स एव च यथासुखम् ॥  
 (१) स्कन्धोपनेयो बहुधा ज्ञेयः सन्धिरूपग्रहः ।  
 निरुद्धो देशकालाभ्यामत्ययः स्यादुपग्रहः ॥  
 विपह्नुदानादायत्या क्षमः स्त्रीबन्धनादपि ।  
 सुवर्णसन्धिर्विश्वासादेकीभावगतो भवेत् ॥  
 (२) विपरीतः कपालः स्यादत्यादानादभाषितः ।  
 पूर्वयोः प्रणयेत् कुप्यं हस्त्यश्वं वा गरान्वितम् ॥  
 (३) तृतीये प्रणयेदर्थं कथयन् कर्मणां क्षयम् ।  
 तिष्ठेच्चतुर्थं इत्येते कोशोपनतसन्धयः ॥  
 (४) भूम्येकदेशत्यागेन देशप्रकृतिरक्षणम् ।  
 आदिष्टसन्धिस्तत्रेष्टो गूढस्तेनोपघातिनः ॥

आदि प्रकृतिजनो को धन देकर छुड़ाया जाय उसे परिक्रयसन्धि कहते हैं । और यही सन्धि जब सुविद्यानुमार किस्तवार धन अदा करने की शर्त पर की जाय तो उपग्रह-सन्धि कहाती है । जब विस्तवार देय धन के लिए समय और स्थान निश्चित किये जाते हैं तब इसी उपग्रहसन्धि को प्रत्ययसन्धि कहते हैं ।

( १ ) सुविद्यानुसार नियत समय में नियमित धन राशि देने के कारण यह सन्धि कन्यादानसन्धि के नाम से भी कही कही प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सन्धि भविष्य में अच्छा फल देनेवाली एव लपे हुए सुवर्ण को आपस में मिला देने के समान शत्रु और विजिगीषु को मिलाने का साधन सिद्ध होती है । इसलिए इसका एक नाम सुवर्ण सन्धि भी दिया गया है ।

( २ ) जिस सन्धि में संपूर्ण धनराशि तत्काल ही अदा कर देने की शर्त होती है उसको कपालसन्धि कहते हैं । शास्त्रों में इस दुरभिसन्धि को कोई स्थान नहीं दिया गया है । उक्त चार सन्धियों में से पहिलो दो सन्धियों में कपडा, कवच, लोहा, तौश आदि वस्तुएँ शत्रु राजा को दे, या उसके इच्छानुसार बड़े हाथी-घोड़े पेश करे, किन्तु उनको ऐसा विप दिया गया हो, जिससे दो तीन दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाय ।

( ३ ) तीसरी सन्धि में देय धन का कुछ हिस्सा देकर कह दे कि 'आजकल मेरे कार्य बहुत विगड गये हैं, इतने ही पर सन्नोप कीजिए' । चौथी कपालिक सन्धि में मध्यम या उदासीन राजा का आश्रय लेकर 'देता हूँ' 'देता हूँ' कहता हुआ समय को टाल दे । इन चारों सन्धियों का एक नाम कोशोपनतसन्धि भी कहा जाता है ।

( ४ ) राष्ट्र और प्रकृति की रक्षा के लिए भूमि का कुछ भाग देकर जो सन्धि की जाती है उसे आदिष्टसन्धि कहते हैं । जो विजिगीषु उस दो हुई भूमि में गूढ पुरुषों और चोरों के द्वारा उपद्रव करने में समर्थ हो उनके लिए यह सन्धि बड़े मोके की है ।



- (१) भूमिनामात्तसारणां मूलवर्जं प्रणामनम् ।  
उच्छिन्नसन्धिस्तत्रैव परव्यसनकाक्षिणः ॥
- (२) फलदानेन भूमिनां मोक्षणं स्यादवक्रयः ।  
फलातिभुक्तो भूमिभ्यः सन्धिः स परद्रूपणः ॥
- (३) कुर्यादवेक्षणं पूर्वा पश्चिमौ त्वबलीयसम् ।  
आदाय फलमित्येते देशोपनतसन्धयः ॥
- (४) स्वकार्याणां वशेनैते देशे काले च भाषिताः ।  
आबलीयसिकाः कार्यास्त्रिविधा हीनसन्धयः ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे समहीनज्यायमा गुणामिनिवेशो  
हीनसन्धिनाम तृतायोऽध्याय ,  
आदित शततम ।

— ० —

( १ ) राजधानी और दुर्गों को छोड़ कर मारहीन भूमि शत्रु को देकर जो सन्धि की जाती है उसको उच्छिन्नसन्धि कहते हैं । यह सन्धि उस राजा के लिए बड़ी हितकर है जो इस इन्तजारी में हो कि कब शत्रु पर विपत्ति पड़े और कब में अपनी भूमि को वापिस ले लें ।

( २ ) जिस सन्धि में भूमि की पैदावार को देकर भूमि को छुड़ा लिया जाय उसका नाम अपक्रयसन्धि है, किन्तु जिस सन्धि में पैदावार के अलावा कुछ और भी देना पड़े उसको परद्रूपणसन्धि कहते हैं ।

( ३ ) इन चारों प्रकार की सन्धियों में पहिली आदिष्ट और उच्छिन्न, दो सन्धियों के समय शत्रु की विपत्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और पिछली दो सन्धियों में भूमि की पैदावार को लेकर अबलीयस प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से शत्रु का प्रतीकार करना चाहिए । भूमि देने के कारण इन चारों सन्धियों को भूम्युपनतसन्धि या देशोपनतसन्धि इन नामों में भी कहा जाता है ।

( ४ ) इस प्रकार निर्बल राजा को उचित है कि वह उक्त दण्डोपनत, कोपोपनत और देशोपनत, इन तीन प्रकार की हीन सन्धियों को अपने कार्य, देश तथा समय के अनुसार उपयोग में लाये ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में हीनसन्धि नामक  
तीसरा अध्याय समाप्त ।

— ० : —

विगृह्यासनं, सन्धायासनं, विगृह्ययानं,  
सन्धाययानं, सम्भूयप्रयाणं च

(१) सन्धिविग्रहयोरासनं यानं च व्याख्यातम् । स्थानमासनमुपेक्षणं चेत्यासनपर्यायाः ।

(२) विशेषस्तु गुणैकदेशे स्थानम् । स्ववृद्धिप्राप्त्यर्थमासनम् । उपायानामप्रयोग उपेक्षणमिति ।

(३) सन्धानकामयोररिविजिगीष्वोरुपहन्तुमशक्तयोर्विगृह्यासनं सन्धाय वा ।

(४) यदा वा पश्येत्—'स्वदण्डैर्मित्राटवीदण्डैर्वा समं ज्यायासं वा कर्शयितुमुत्सहे' इति, तदा वृत्तब्राह्मण्यन्तरकृत्यो विगृह्यासीत् ।

(५) यदा वा पश्येत्—'उत्साहयुक्ता मे प्रकृतयः सहसा विवृद्धाः स्वकर्मण्यव्याहताश्ररिप्यन्ति, परस्य वा कर्माण्युपहनियन्ति' इति, तदा विगृह्यासीत् ।

(१) यदा वा पश्येत्—‘परस्यापचरिताः क्षीणा लुब्धाः स्वचक्रस्तेनाट-  
वीव्यथिता वा प्रकृतयः स्वयमुपजापेन वा मामेप्यन्तीति, सम्पन्ना मे वार्ता  
विपन्ना परस्य तस्य प्रकृतयो दुर्मिक्षोपहता मामेप्यन्ति, विपन्ना मे वार्ता  
सम्पन्ना परस्य तं मे प्रकृतयो न गमिष्यन्ति विगृह्य चास्य धान्यपशुहिर-  
ण्यान्याहरिष्यामि, स्वपण्योपघातीनि वा परपण्यानि निवर्तयिष्यामि, पर-  
वणिक्पथाद्वा सारवन्ति मामेप्यन्ति विगृहीते नेतरं, दूष्यामिन्नाटवीनिप्रहं  
वा विगृहीतो न करिष्यति, तैरेव वा विग्रहं प्राप्स्यति, मित्रं मे मित्रभाव्य-  
मिप्रयातो बह्वल्पकालं तनुक्षयव्ययमर्थं प्राप्स्यति, गुणवतीमादेयां वा भूमिं  
सर्वसन्दोहेन वा मामनादस्य प्रयातुकामः कथं न यायात्’ इति परवृद्धिप्रति  
घातार्थं प्रतापार्थं च विगृह्यासीत् ।

(२) तमेव हि प्रत्यावृत्तो ग्रसत इत्याचार्याः ।

परे मङ्गल पर है, वे उन्नति पर हैं तथा निविरोध करने कर्मों की रक्षा और शत्रु  
के कर्मों को ध्वस्त कर सकेंगी’ तो युद्ध की घोषणा कर चुप बैठ जाय ।

( १ ) अथवा अब देने कि ‘शत्रु का प्रकृति मण्डल तिरस्कृत, क्षीण, लोभी, पार-  
स्परिक कलह से पीड़ित होने से भेद उपायो द्वारा या स्वयमेव मेरे वश मे हो जायेगा ।  
मेरा कृपि, वाणिज्य सुधार पर तथा शत्रु के बिगाड पर हैं, उसका मारा प्रकृति-मण्डल  
दुर्मिक्ष से पीड़ित होकर मेरे पक्ष मे हो जायेगा । अथवा शत्रु की बार्ता समृद्ध और  
मेरी क्षीणावस्था मे है । फिर भी मेरा प्रकृतिमण्डल शत्रु के पक्ष मे न जायेगा, बल्कि  
विग्रह करके मैं शत्रु के धन-धान्य, पशु हिरण्य आदि नष्ट कर सकूंगा । अथवा विग्रह  
करके मैं अपने पण्य ( व्यापार ) को हानि पहुँचाने वाले शत्रु के पण्य को अपने देश  
मे आने से रोक दूँगा । या विग्रह करके शत्रु के व्यापारी भागों से हाथी, घोड़े आदि  
सारवान् वस्तुएँ मेरे पास चली आवेंगी और मेरी वे वस्तुएँ शत्रु के पास न जा  
सकेंगी । या विग्रह करके शत्रु अपने दूष्य शत्रु और आटविकी को वश मे न कर  
सकेगा । या उनके साथ भी इसका विग्रह हो जायेगा । अथवा विग्रह के द्वारा शत्रु  
के कार्यों मे स्वावट डालकर मैं अपने मित्र राजा का थोड़े ही समय मे इतना अधिक  
उपकार कर सकूँगा कि वह धन धान्य मे सम्पन्न हो जायेगा । अथवा इस प्रकार मेरे  
द्वारा अनादृष्ट यह शत्रु राजा अत्यन्त उपजाऊ एव उपयोगी भूमि को लेने के लिए  
कही अपनी सम्पूर्ण सेना को लेकर आक्रमण न कर दे’—इत्यादि अवस्थाओं मे विजि-  
गीपु को चाहिए कि वह अपनी अभ्युन्नति और शत्रु की हानि के लिए विग्रह करके  
आसन का अवलम्बन करे ।

( २ ) पूर्वाचार्यों का इन सबध मे यह सुझाव है कि ‘विजिगीपु द्वारा आक्रमण-  
कारी शत्रु के मार्ग मे बाधा पड जाने के कारण कही ऐमा न हो कि वह कुपित  
होकर विजिगीपु के ऊपर ही दूट पडे और उसका उन्मूलन कर दे । इससे तो भारी  
अनर्थ की सम्भावना है । इसलिए ऐसी अवस्था मे उचिन यह है कि विग्रह करके चुप  
न बैठ जाय ।’

(१) नेति कीटिल्यः । कशनमात्रमस्य कुर्यादव्यसनिनः । परवृद्धघातु  
वृद्धः समुच्छेदनम् ।

(२) एवं परस्य यातव्योऽस्मै साहाय्यमविनष्टः प्रयच्छेत् । तस्मात्  
सर्वसन्दोहप्रकृतं विगृह्यासीत् ।

(३) विगृह्यासनहेतुप्रातिलोम्पे सन्घायासीत् ।

(४) विगृह्यासनहेतुभिरभ्युच्चितः सर्वसन्दोहवर्जं विगृह्य यायात् । यदा  
वा पश्येत्—'व्यसनी परः, प्रकृतिव्यसनं वास्य शेषप्रकृतिभिरप्रकृतिकार्यं,  
स्वचक्रपोडिता विरक्ता चास्य प्रकृतयः कश्चिन्ना निरुत्साहाः परस्परार्द्धनाः  
शक्या लोभयितुम्, अग्न्युदकव्याधिभरकटुभिक्षनिमित्तक्षीणपुण्यपुरुषनिचम-  
रक्षाविधानः परः' इति, तदा विगृह्य यायात् ।

(५) यदा वा पश्येत्—'मित्रमाक्रन्दश्च मे शूरवृद्धानुरक्तप्रकृतिविपरोत-  
प्रकृतिः परः पाणिप्राहृश्चासारश्च, शक्यामि मित्रेणासारमाक्रन्देन  
पाणिप्राहं वा विगृह्य यातुम्' इति, तदा विगृह्य यायात् ।

( १ ) किन्तु आचार्य कीटिल्य का कथन है कि 'कुपित हुआ शत्रु राजा व्यसन-  
रहित विजिगीषु को उखाड़ नहीं सकता है, धोडा-बहुत अनिष्ट अवश्य कर दे । परन्तु  
विजिगीषु यदि उसने आक्रमण में बाधा न डाले तो अपने शत्रुराजा को निविघ्न  
जीतकर वह विजिगीषु को उखाड़ फेंकन में समर्थ हो सकता है ।'

( २ ) इस प्रकार विग्रह करके चुप बैठ जाने का परिणाम यह होगा कि यातव्य  
( जिस पर आक्रमण किया जाय ) राजा अपनी सुरक्षा के लिए विजिगीषु को  
अवश्य सहायना पहुँचायेगा । इसलिए पूरी ताकत के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत राजा  
के साथ विग्रह करके ही आसन का अवलम्बन किया जाय ।

( ३ ) विग्रह करके, आसन के जो हेतु बतलाये गये हैं यदि उनसे विपरीत  
देखें, तो सन्धि करके ही आसन का अवलम्बन करें ।

( ४ ) विग्रह करके यान का अवलम्बन : अथवा जब देखे कि 'शत्रु व्यसनी  
में फँसा है, उसका प्रकृत-मण्डल भी व्यसनी में उलटता है, अपनी सेनाओं से पीड़ित  
उसकी प्रजा उससे विरक्त हो गई है, राजा स्वयं उन्माह्वीत है, प्रकृतिमण्डल में परस्पर  
बलह है, उसको लोभ देशर फोड़ा जा सकता है, शत्रु, अग्नि, जल, व्याधि, सत्रामक  
रोग के कारण वह अपने वाहन, कर्मचारी और कोष की रक्षा न कर सकने के कारण  
क्षीण हो चुका है' तो, ऐसी दशाओं में विग्रह करके चढ़ाई ( यान ) कर दे ।

( ५ ) अथवा जब देखे कि 'मेरे आगे-पीछे के मित्रराजा मुर, अनुभवी एवं अनु-  
रक्त प्रकृति मण्डल से सम्पन्न हैं और शत्रु के मित्र राजा सर्वथा विपद्भावस्था में हैं-  
यही स्थिति पाणिप्राह और आसार राजाओं की भी है, ऐसी दशा में मैं मित्र के  
साथ आसार को और आत्रद के साथ पाणिप्राह को भिड़ाकर शत्रु को जीत सर्वगा'  
तो विग्रह करके चढ़ाई कर दे ।

(१) यदा वा फलमेकहार्यमल्पकालं पश्येत्, तदा पाणिग्राहासाराभ्यां विगृह्य यायात् । विपर्यये सन्धाय यायात् ।

(२) यदा वा पश्येत्—'न शक्यमेकेन यातुमवश्यं च यातव्यम्' इति, तदा समहीनज्यायोभिः सामवायिकैः सम्भूय यायात् । एकत्र निदिष्टेनाशेनानेकत्रानिदिष्टेनाशेन । तेषामसमवाये दण्डमन्यतरस्मिन् निदिष्टाशेन सम्भूयाभिगमनेन वा निविश्येत् । ध्रुवे लाभे निदिष्टेनाध्रुवे लाभाशेन ।

(३) अंशो दण्डसमः पूर्वः प्रयाससम उत्तमः ।

विलोपो वा यथालाभ प्रक्षेपसम एव वा ॥

इति पाङ्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे विगृह्यासन, सन्धाययासन, विगृह्यायान  
सन्धाययान, सम्भूयप्रयाण नाम चतुर्षोऽध्याय,  
आदित एकशततम ।

— ० —

( १ ) अथवा देखे कि 'अकेले ही चढ़ाई करके मैं अभीष्ट फल को प्राप्त कर लूँगा तो पाणिग्राह और आसार के साथ भी विग्रह करके अपन शत्रु पर चढ़ाई कर दे । और यदि देखे कि 'अकेले ही चढ़ाई करके मैं अभीष्ट फल को प्राप्त न कर सकूँगा' तो सन्धि करके चढ़ाई कर दे ।

( २ ) अथवा जब देखे कि 'मैं अकेले ही चढ़ाई करने में असमर्थ हूँ, किन्तु चढ़ाई करनी आवश्यक है' तो ऐसी दशा में सम, हीन तथा अधिक शक्ति वाले राजाओं के साथ गठबन्धन करके चढ़ाई करे । यदि एक ही देश पर चढ़ाई करनी हो तो सहायक राजाओं का हिस्सा निश्चित करके और अनेक देशों पर चढ़ाई करनी हो तो हिस्से का निश्चय किये बिना ही चढ़ाई कर दे । यदि उक्त राजाओं में कोई भी राजा साथ चलने को तैयार न हो तो उनका कुछ हिस्सा निश्चित करके उनसे सेना माँगे । अथवा यह कहे कि इस समय साथ चलकर यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो अवसर आने पर मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा ।' यदि आक्रमण करने पर भूमि मिले तो उसमें से पूर्व निश्चित हिस्सा दे दे और दूसरा सामान मिले तो लाभ के अनुसार हिस्सा दे ।

( ३ ) सैन्य सहायता के अनुसार ही सहायक राजाओं को हिस्सा दिया जाय, यह प्रथम पक्ष है । मेहनत के अनुसार धन दिया जाय, यह उत्तम तरीका है । लूट-पाट में जो जिसके पल्ले पड़ जाय, वह उसी को दिया जाय, यह भी एक पक्ष है । अथवा लड़ाई के समय जिसका जितना खर्च हुआ है उसी के अनुसार उसको हिस्सा दिया जाना चाहिए ।

पाङ्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

— ० —

## यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता, क्षयलोभविरागहेतवः, प्रकृतीनां सामवायिकविपरिमर्शश्च

(१) तुल्यसामन्तव्यसने यातव्यममित्रं वेत्यमित्रमभियायात्, तस्मिन् यातव्यम् । अमित्रसिद्धौ स यातव्यः साहाय्यं दद्यान्नामित्रो यातव्यसिद्धौ ।

(२) गुरुव्यसनं यातव्यं, लघुव्यसनममित्र वेति गुरुव्यसनं सौकर्यतो यापादित्याचार्याः । नेति कौटिल्य.—लघुव्यसनममित्र यायात् । लघ्वपि हि व्यसनमभियुक्तस्य कृच्छ्रं भवति । सत्यं गुर्वपि गुरतरं भवति । अनभियुक्तस्तु लघुव्यसनः सुखेन व्यसनं प्रतिकृत्यामित्रो यातव्यममिसरेत् । पाणि गृह्णीयात् ।

यानसंबन्धी विचार : प्रकृतिमडल के क्षय, लोभ तथा विराग के

हेतु और सहयोगी सामवायिकों का हिस्सा

(१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि यातव्य और शत्रु <sup>बहु</sup> है— सामन्त आदि से उत्पन्न समान व्यसन आ पडा हो ता, ऐसी स्थिति में, पहिले शत्रु पर चढाई की जाय । उसको जीत लेने के बाद फिर यातव्य पर आक्रमण किया जाय । क्योंकि शत्रु को जीत लेने पर यातव्य, विजिगीषु का सहायक हो सकता है, किन्तु यातव्य को जीत लेने पर शत्रु कभी भी सहायक नहीं हो सकता, उसका कारण यह है कि शत्रु हमेशा ही अपकार करने वाला होता है ।

(२) यानसंबन्धी विचार . यदि विजिगीषु के समक्ष 'अधिक व्यसन में फँसे हुए यातव्य पर पहिले चढाई की जाय या थोडे व्यसन में फँसे हुए शत्रु पर पहिले चढाई की जाय' ऐसी विकल्प की स्थिति आये तो उसको उचित है कि अधिक व्यसनी यातव्य पर ही पहिले वह चढाई करे, क्योंकि उसको जीत लेना अधिक मुगम होता है—एसा पूर्वाचार्यों का अभिमत है । किन्तु आचार्य कौटिल्य दस अभिमत से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि 'पहिले शत्रु पर ही चढाई करनी चाहिए, भले ही उस पर थोड़ी विपत्ति क्यों न हो, क्योंकि आक्रमण की स्थिति में छोटे व्यसन का प्रतीकार करना भी कठिन हा जाता है । यद्यपि यातव्य का गुरु व्यसन चढाई कर देने पर अधिक गुरतर हो जायगा और उसको जीत लेना अत्यन्त ही सरल हो जायेगा, तथापि

(१) यातव्ययोगपद्ये गुह्यव्यसनं न्यायवृत्तिं लघुव्यसनमन्यायवृत्तिं विरक्तप्रकृतिं वेति, विरक्तप्रकृतिं यायात् । गुह्यव्यसनं न्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयोऽनुगृह्णन्ति । लघुव्यसनमन्यायवृत्तिमुपेक्षन्ते । विरक्ता बलवन्तमप्युच्छिन्दन्ति । तस्माद्विरक्तप्रकृतिमेव यायात् ।

(२) क्षीणलुब्धप्रकृतिमपचरितप्रकृतिं वेति—क्षीणलुब्धप्रकृतिं यायात् । क्षीणलुब्धा हि प्रकृतयः सुखेनोपजाप पोडा वोपगच्छन्ति, नापचरिताः प्रधानावग्रहसाध्या इत्याचार्याः । नेति कौटिल्यः—क्षीणलुब्धा हि प्रकृतयो भर्तारि स्निग्धा भर्तृंहिते तिष्ठन्ति । उपजाप वा विसवादयन्ति, अनुरागे सार्वगुण्यमिति । तस्मादपचरितप्रकृतिमेव यायात् ।

पहिले लघु व्यसन शत्रु पर ही चढाई करनी चाहिए क्योंकि उस पर यदि चढाई न की जायेगी तो अपने द्योत से व्यसन का शीघ्र ही सरलता से प्रतीकार कर वह यातव्य की सहायता के लिए तैयार हो जायेगा, अथवा पाणिग्राह ( पीछे से आक्रमण करने वाला ) बन जायेगा ।

( १ ) न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला भारी विपत्ति से ग्रस्त यातव्य, अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला थोड़ी विपत्ति से ग्रस्त यातव्य, और जिसका प्रकृति-मण्डल विरक्त हो गया हो, ऐसा यातव्य इस प्रकार के तीन यातव्य यदि एक साथ प्राप्त हो तो उनमें सर्वप्रथम विरक्त-प्रकृति यातव्य पर ही चढाई करनी चाहिए । क्योंकि यदि न्यायपरायण गुह्य व्यसनी यातव्य पर पहिले आक्रमण किया जायगा तो उसका प्रकृतिमण्डल प्राण प्रण से उसकी सहायता करेगा, इसी प्रकार अन्यायवृत्ति लघु-व्यसनी यातव्य पर पहिले आक्रमण किया जायेगा तो उसका प्रकृति मण्डल न तो उसकी सहायता करेगा और न विरोध ही । इनके विपरीत विमुख हुआ प्रकृति-मण्डल बलवान् राजा को भी उखाड़ फेंकता है । इसलिये विरक्त प्रकृति यातव्य पर ही पहिले आक्रमण करना चाहिए ।

( २ ) 'दुर्भिक्ष आदि विपत्तियो से पीडित और लोभी प्रकृति मण्डल से युक्त यातव्य पर पहिले चढाई करनी चाहिए या तिरस्कृत प्रकृति मण्डल वाले यातव्य पर पहिले चढाई करनी चाहिए, ऐसी अवस्था में 'विपत्तिग्रस्त लोभी प्रकृति मण्डल से घिरे हुए यातव्य पर ही पहिले चढाई करनी चाहिए, क्योंकि पीडित एव लोभी प्रकृति मण्डल सरलता से काबू में किया जा सकता है । किन्तु तिरस्कृत प्रकृति मण्डल को बहकाना या सनाना कठिन है, क्योंकि वे किसी की बात मानने के लिए तभी राजी होते हैं, जब उनका प्रधान उस बात को स्वीकार करे ।' पूर्वाचार्य ऐसा कहते हैं । किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'पीडित एव लोभी प्रकृतिजन अपने मातिक में बड़ा अनुराग रखते हैं और उसके हितार्थ वे हर समय तैयार रहते हैं,

(१) बलवन्तमन्यायवृत्ति दुर्बलं वा न्यायवृत्तिमिति, बलवन्तमन्यायवृत्तिं यायात् । बलवन्तमन्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयो नानुगृह्णन्ति, निष्पातयन्त्यमित्रं वास्य भजन्ते । दुर्बलं तु न्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयः परिगृह्णन्ति, अनुनिष्पतन्ति वा ।

(२) अवक्षेपेण हि सतामसतां प्रग्रहेण च ।  
 अभूतानां च हिंसानामधर्म्याणां प्रवर्तनैः ॥  
 उचितानां चरित्राणां धर्मिष्ठानां निवर्तनैः ।  
 अधर्मस्य प्रसङ्गेन धर्मस्यावग्रहेण च ॥  
 अकार्याणां च करणैः कार्याणां च प्रणाशनैः ।  
 अप्रदानंश्च देयानामदेयानां च साधनैः ॥  
 अदण्डनंश्च दण्डयानामदण्डयानां च दण्डनैः ।  
 अप्राह्याणामुपग्राहैर्प्राह्याणां चानभिग्रहैः ॥  
 अनर्थ्यानां च करणैरर्थ्यानां च विघातनैः ।  
 अरक्षणंश्च चौरेभ्यः स्वयं च परिमोषणैः ॥

और यह भी सभव है कि वे जिनके बहकवे में ही न आवें । वे इस बात को भी भलीभाँति जानते हैं कि अपने राजा में अनुराग रखना ही सब गुणों का मूल है । इसलिये अपने प्रकृतिजनो का अनादर करने वाले यातव्य पर ही पहिले आक्रमण करना श्रेयस्कर है ।'

( १ ) 'अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले चलवान् यातव्य पर पहिले आक्रमण करना चाहिए या न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले दुर्बल यातव्य पर ?' ऐसी स्थिति में अन्यायवृत्ति राजा पर ही पहिले आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे यातव्य पर आक्रमण करने पर उसके अमात्य आदि प्रकृतिजन उसकी सहायता करने के बदले उसको दुर्ग से निकाल देते हैं या शत्रु के साथ जाकर मिल जाते हैं । परन्तु न्यायवृत्ति दुर्बल यातव्य पर आक्रमण करने से उसका प्रकृतिमण्डल प्राण प्रण से उसकी सहायता करता है और उसके दुर्ग छोड़ देने पर भी बराबर उसकी कल्याण कामना में ही निरत रहते हैं ।

( २ ) प्रकृतिमण्डल के हेतु : सज्जनों का अनादर करने से, दुर्जनों पर अनुग्रह करने से, अनुचित, अधार्मिक एवं हिंसात्मक कार्यों को करने से, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा सदाचरण का त्याग किये जाने से, अनुचित कार्यों को करने से, उचित कार्यों को बिगाड़ देने से, सुपात्रों को दान न देने से, दुपात्रों की सहायता करने से, अपराधियों को दण्ड न देने से, निरपराधों को कठोर दण्ड देने से, त्याग्य व्यक्तियों को पास रखने से, कुलीन एवं सौम्य व्यक्तियों को दूर हटाने से, अनर्थकारी कार्यों



पार्तैः पुरुषकाराणां कर्मणां गुणदूषणैः ।  
 उपघातैः प्रधानानां भान्यानां चावमाननैः ॥  
 विरोधनंश्च वृद्धानां वैषम्येणानुतेन च ।  
 कृतस्याप्रतिकारेण स्थितस्याकरणेन च ॥  
 राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमवधेन च ।  
 प्रकृतीनां क्षयो लोभो वैराग्यं चोपजायते ॥  
 क्षीणाः प्रकृतयो लोभलुब्धा यान्ति विरागताम् ।  
 विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं घ्नन्ति वा स्वयम् ॥

( १ ) तस्मात् प्रकृतीना क्षयलोभविरागकारणानि नोत्पादयेत् । उत्पन्नानि वा सद्यः प्रतिकुर्वीत ।

( २ ) क्षीणा लुब्धा विरक्ता वा प्रकृतय इति । क्षीणाः पीडनोच्छेदन-भयात् सद्यः सन्धि युद्धं निष्पतनं वा रोचयन्ते । लुब्धा लोभेनासन्तुष्टाः पजाम् लिप्सन्ते । विरक्ताः पराभियोगमभ्युत्तिष्ठन्ते ।

को करने से, अर्थकारी कार्यों को न करने से, चोरो से प्रजा की रक्षा न करने से, चोरी कराने, पुरुषार्थों व्यक्तियों की उपेक्षा करने से, उचित ढंग से सपादित सन्धि-विग्रह आदि कार्यों की निन्दा करने से, अध्यक्ष आदि प्रधान कर्मचारियों पर दोषारोपण करके उन्हें नीच कार्यों में नियुक्त करने से, आचार्य, पुरोहित आदि माननीय व्यक्तियों का तिरस्कार करने से, विषम या मिथ्या बातें कह कर वृद्ध पुरुषों में परस्पर विरोध कराने से, किसी के उपकार को न मानने से, नित्यकर्मों को न करने से, राजा के प्रमाद एव आलस्य से और योग ( किसी वस्तु की प्राप्ति ) तथा क्षेम ( प्राप्त वस्तु की रक्षा ) का नाश होने से अमात्य आदि प्रकृतिजनो का क्षय हो जाता है । वे लोभी हो जाते हैं एव उनमें राजा के प्रति वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है । क्षय हुए प्रकृतिजन लोभी हो जाते हैं, लोभी होकर वे राजा की ओर से उदासीन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वे शत्रु से जा मिलते हैं, अथवा स्वय ही अपने राजा का बध कर डालते हैं ।

( १ ) इसलिए नीतिनिपुण राजा को चाहिए कि वह अपने प्रकृतिजनो में क्षय, लोभ और विराग के कारणो को पैदा ही न होने दें । यदि किसी कारण वे पैदा हो भी जाय तो उनका तत्काल प्रतीकार कर दे ।

( २ ) क्षीण, लुब्ध और विरक्त, इन तीन प्रकार की प्रकृतियों को उत्तरोत्तर गुरु समभना चाहिए । पीडा और उच्छेद के डर से क्षीण हुआ प्रकृति मण्डल शीघ्र ही सन्धि, युद्ध या दुर्ग को छोड़ कर पलायन कर देता है । लोभी प्रकृतिमण्डल अमन्तोप के कारण शत्रु के वश में चला जाता है । विरक्त प्रकृतमगल शत्रु के साथ मिलकर विजिगीषु पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है ।

(१) तासा हिरण्यधान्यक्षयः सर्वोपघातो कृच्छ्रप्रतीकारश्च । युग्य-  
पुरुषक्षयो हिरण्यधान्यसाध्यः ।

(२) लोभ ऐकदेशिको मुख्यायतः परार्येषु शक्यः प्रतिहन्तुमादातुं वा ।

(३) विरागः प्रधानावग्रहसाध्यः । निष्प्रधाना हि प्रकृतयो भोग्या  
भवन्त्यनुपजाप्याश्चान्येषामनापरसहास्तु । प्रकृतिमुख्यप्रग्रहैस्तु बहुधा भिन्ना  
गुप्ता भवन्त्यापत्सहाश्च ।

(४) सामवायिकानामपि सन्धिनिग्रहकारणान्यवेक्ष्य शक्तिशोचपुक्तेन  
सम्भूय यायात् । शक्तिमान् हि पाठिणग्रहणे यात्रासाहाय्यदाने वा शक्तः,  
शुचिः सिद्धौ चासिद्धौ च यथास्थितकारोति ।

(५) तेषा ज्यायसंकेन द्वाभ्या समाभ्या वा सम्भूय यातव्यमिति ।  
द्वाभ्या समाभ्या श्रेयः । ज्यायसा ह्यवगृहीतश्चरति समाभ्यामतिसन्धाना-

( १ ) इन प्रकृतियों के हिरण्य और धान्य का क्षय हो जाना सर्वस्व नष्ट कर देने वाला होता है । इसलिए इसका प्रतीकार करना भी अत्यन्त कठिन हो जाता है । किन्तु हाथी घोड़े और पुरुषों के क्षय का प्रतीकार हिरण्य तथा धान्य आदि के द्वारा सुगमता से हो सकता है ।

( २ ) अमात्य आदि प्रकृतिजनो में किसी एक मुखिया को ही लोभ होता है । शत्रु या यानध्य की सम्पत्ति द्वारा उसका प्रतीकार किया जा सकता है, अथवा मुख्य व्यक्तियों के द्वारा वह वापिस भी लिया जा सकता है ।

( ३ ) परन्तु विराग का प्रतीकार केवल मुख्य पुरुष को वश में करने से ही नहीं हो सकता है । मुखिया रहित प्रकृतिजन शत्रु के वश में हो जाते हैं । वे दूसरे के वश में भी जा सकते हैं, किन्तु वे आपतियों को सहन नहीं कर सकते हैं, आपत्ति के समय वे विजिगीषु को छोड़कर चले जाते हैं, मुखिया के आधीन रहने पर वे शत्रु से नहीं फोटे जा सकते हैं और आक्रमण के समय भी वे विपत्ति को सहन कर लेते हैं ।

( ४ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह सन्धि विग्रह के कारणों को भलीभाँति सोच समझ कर अपने सहयोगी राजाओं की शक्ति एवं पवित्रता को परख कर उनके साथ ही शत्रु पर चढ़ाई कर दे । क्योंकि बलवान् राजा पाणिग्राह राजा के रोकने में सहायता करता है । और विश्वासपात्र राजा युद्ध में सेना आदि देकर उसके कार्यों में सहायता करता है, और निष्कपट राजा कार्यमिच्छि होने या न होने पर न्यायमार्ग का अनुसरण करता है ।

( ५ ) उनमें भी अधिक शक्तिशाली एक राजा के साथ गठबंधन करके चढ़ाई करनी चाहिए या समान शक्ति वाले दो राजाओं के साथ सुलह करके आक्रमण करना चाहिए ? ऐसी दशा में समान शक्ति राजा को साथ लेकर युद्ध करना ही श्रेयस्कर

धिये वा तो हि सुखी भेदयितुम् । दुष्टश्रंको द्वाभ्यां नियन्तुं भेदोपग्रहं  
चोपगन्तुमिति ।

(१) समेनकेन द्वाभ्यां हीनाभ्यां वेति । द्वाभ्यां हीनाभ्यां श्रेयः । तो  
हि द्विकार्यसाधकौ वर्याौ च भवतः ।

(२) कार्यसिद्धौ तु—

कृतार्याज्ज्यायसो गूढः सापदेशमपलवेत् ।  
अशुचेः शुचिवृत्तास्तु प्रतीक्षेताविसर्जनात् ॥

(३) सत्रादपसरेद् यत्तः कलत्रमपनीय वा ।  
समादपि हि लब्धार्याद्विश्वस्तस्य भयं भवेत् ॥

(४) ज्यायस्त्वे चापि लब्धार्यं समो विपरिकल्पते ।  
अभ्युच्चितश्राविश्वास्यो वृद्धिश्रित्तविकारिणो ॥

है । क्योंकि अधिक शक्तिशाली राजा के साथ विजिगीषु को दबकर ही चलना पड़ता है, जबकि ममान शक्तिवाले के सम्बन्ध में यह वान नहीं होनी है । और फिर एक सुविधा यह भी है कि दो बराबर शक्ति वाले राजाओं को आपस में सुगमता से फोड़ा जा सकता है । उनमें से किसी एक ने यदि दुष्टता भी की तो दूष्य आदि के द्वारा उत्तम दमन भी किया जा सकता है ।

( १ ) समशक्ति एक राजा या हीनशक्ति दो राजाओं में से किस के साथ गठ-बधन करने युद्ध किया जाना चाहिए ? हीनशक्ति दो राजाओं को साथ लेकर चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों दो कार्यों को एक साथ कर सकते हैं और विजिगीषु के वश में भी रह सकते हैं ।

( २ ) सहयोगी सामवायिकों का हिस्सा कार्य सिद्ध हो जाने पर कृतार्यं हुए अधिक शक्ति राजा के मन में यदि बेईमानी आ जाय तो मित्र राजा को चाहिए कि वह वहाँ से चुपचाप चल दे । उसकी ईमानदारी और निष्कपटता को दृष्टि में रखकर तब तक मित्र राजा उसके साथ रहे, जब तक वह न छोट ।

( ३ ) कार्यनिष्ठ होने पर मित्र राजा को चाहिए कि दुर्ग आदि सङ्कटमय स्थान में अपने परिवार को साथ लेकर वह दूसरी जगह चला जाय । सफल हुए ममशक्ति राजा से मित्र राजा को भय बना रहना है ।

( ४ ) वास्तविकता यह है कि चाहे अधिकशक्ति राजा हो या समशक्ति राजा हो, कार्य निष्ठ हो जाने पर उसके दिल में फर्क अवश्य आ जाता है । वृद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वह वित्त को विरत कर देती है ।

- (१) विशिष्टादल्पमप्यंसं लब्ध्वा तुष्टमुखो व्रजेत् ।  
अनंशो वा ततोऽस्याङ्गु प्रहृत्य द्विगुणं हरेत् ॥
- (२) कृतार्यस्तु स्वयं नेता विसृजेत् सामवायिकान् ।  
अपि जीयेत न जयेन्मण्डलेष्टस्तथा भवेत् ॥

इति पाण्डुपुत्र सप्तमोऽधिकरणे यातव्यामित्रयोरभिप्रहृचिन्तादि  
नाम पञ्चमोऽध्याय आदितो द्विशततमः ।

— ० —

( १ ) अधिक शक्तिशाली विजयी राजा से मित्र राजा को थोड़ा भी हिस्सा मिले या कुछ भी न मिले तो प्रसन्न होकर वह ले और बाद में उसकी किमी निर्बलता पर प्रहार करके दुगुना धन वसूल करे ।

( २ ) विजयी विजिगीषु को चाहिए कि मफल हो जाने पर वह अपने सहायक मित्र राजाओं को सम्मानपूर्वक विदा करे, भले ही विजय का उसको थोड़ा ही हिस्सा उपलब्ध न हो । ऐसा व्यवहार करने से वह राज-मण्डल का प्रियपात्र हो जाता है ।

पाण्डुपुत्र नामक सप्तम अधिकरण में यातव्यमित्रो के अभिप्रहृचिन्तादि नामक  
पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

## संहितप्रयाणिकं परिपणितापरि- पणितापसृतसन्धयश्च

(१) विजिगीषुद्वितीयां प्रकृतिमेवातिसन्दध्यात् । सामन्तं संहित-  
प्रयाणे योजयेत्—'त्वमितो याहि, अहमितो यास्यामि, समानो लाभ' इति ।

(२) लाभसाम्ये सन्धिः । वैषम्ये विक्रमः ।

(३) सन्धिः परिपणितश्चापरिपणितश्च ।

(४) 'त्वमेतं देशं याह्यहमिमं देशं यास्यामी'ति परिपणितदेशः ।

(५) 'त्वमेतावन्तं कालं चेष्टस्व, अहमेतावन्तं कालं चेष्टिष्य' इति ।  
परिपणितकालः ।

(६) 'त्वमेतावत्कार्यं साधय, अहमेतावत्कार्यं साधयिष्यामीति' परि-  
पणितार्थः ।

### सामूहिक प्रयाण और देश, काल तथा कार्य के अनुसार संधियाँ

( १ ) विजिगीषु राजा को चाहिए कि अपने पड़ोसी दुश्मन राजा ( द्वितीय प्रकृति ) को नीचा दिखाने के लिए सहप्रयाण में वह उससे कहे कि 'आप इधर से आक्रमण करें और मैं इधर से । दोनों ओर से जो भी लाभ होगा हम दोनों का उसमें बराबर हिस्सा होगा ।'

( २ ) यदि दोनों ओर में समान लाभ हो तो विजिगीषु को चाहिये कि वह दूसरे समशक्ति सहयोगी से सन्धि कर ले । यदि विजिगीषु को अधिक लाभ हो तो उससे लड़ाई कर दे ।

( ३ ) सन्धि दो प्रकार की होती है । परिपणित ( जो देश, काल या कार्य की शर्त लगाकर की जाती है ) और अपरिपणित ( जिसमें देश, काल या कार्य की अपेक्षा नहीं रहती है ) ।

( ४ ) 'तुम इस देश पर चढ़ाई करो और मैं उस देश पर' इस प्रकार निश्चित देश का निर्देश कर जो सन्धि की जाती है उसको परिपणित देश सन्धि भी है ।

( ५ ) 'तुम इतने समय तक कार्य करते रहो और मैं इतने समय तक' इस प्रकार निश्चित समय का निर्देश करके जो सन्धि की जाती है उसको परिपणित काल सन्धि कहते हैं ।

( ६ ) 'तुम इतना कार्य करो और मैं इतना कार्य करूँगा' इस प्रकार निश्चित

(१) एवं देशकालयोः कालकार्ययोर्देशकार्ययोर्देशकालकार्याणां चावस्थापनात्सप्तविधः परिपणितः । तस्मिन् प्रागेवारभ्य प्रतिष्ठाप्य च स्वकर्मणि परकर्मसु विक्रमेत ।

(२) व्यसनत्वरारवमानालस्ययुक्तमज्ञं वा शत्रुमतिसन्धातुकामो देशकालकार्याणामनवस्थापनात् । 'सहितौ स्वः' इति सन्धिविश्वासेन परच्छिद्रमासाद्य प्रहरेत् । इत्यपरिपणितः ।

(३) तत्रैतद्भूवति-

सामन्तेनैव सामन्त विद्वानायोज्य विग्रहे ।

ततोऽन्यस्य हरेद्भूमिं छित्त्वा पक्षं समन्ततः ॥

(४) सन्धेरकृतचिकीर्षा कृतश्लेषणं कृतविद्रुषणमवशीर्षाक्रिया च । विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं, कूटयुद्धं, तूष्णीयुद्धम् । इति सन्धिविक्रमौ ।

(५) अपूर्वस्य सन्धेः सानुबन्धः सामादिभिः पर्येषणं समहीनज्यायसा च यथाबलमवस्थापनमकृतचिकीर्षा ।

(६) कृतस्य प्रियहिताभ्यामुभयतः परिपालनं यथासम्भाषितस्य च

( १ ) इसी प्रकार देशकाल, कालकार्य, देशकार्य और देशकालकार्य इन चार सन्धियों को उक्त तीन सन्धियों से मिला देने पर परिपणित सन्धि के सात भेद हुए । विजिगीषु को उचित है कि वह परिपणित सन्धि कर लेने पर पहिले अपने कार्यों को प्रारम्भ करे और उन्हें पूरा कर दे, उसके बाद शत्रु के दुर्ग आदि बायों पर चढ़ाई करे ।

( २ ) विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह, मद्य, द्यूत, आदि व्यग्नो से, जरादी से, तिरस्कार से और आलस्य से युक्त अविचारशील शत्रु राजा के साथ देश, काल तथा कार्य का कुछ भी निश्चय न करके 'हम दोनो आपस में सन्धि करते हैं' ऐसा कहकर सन्धि के बहाने उस पर अपना विश्वास जमाकर तथा उमवे दोषों का पता लगाकर फिर आक्रमण कर दे— इसको अपरिपणित सन्धि कहते हैं ।

( ३ ) विचारशील एवं विद्वान् विजिगीषु को चाहिए कि सन्धि कर लेने के बाद वह एक सामन्त के साथ दूसरे सामन्त को लडा दे और यातव्य की मित्रप्रकृति को नष्ट करके यातव्य की भूमि को अपने कब्जे में कर ले ।

( ४ ) सन्धि के चार धर्म हैं १ अकृतचिकीर्षा, २. कृतश्लेषण ३. कृतविद्रुषण तथा ४ अवशीर्षाक्रिया । इसी प्रकार विग्रह के भी तीन धर्म हैं १. प्रकाशयुद्ध २. कूटयुद्ध और ३ तूष्णीयुद्ध ।

( ५ ) साम, दाम आदि उपायों से नई सन्धि करना और उसके अनुसार ही छोटे, बड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का पूरा ध्यान रखना अकृतचिकीर्षा नामक सन्धिधर्म है ।

( ६ ) जो सन्धि की जाय उसको अच्छे तथा हितकर आचरणों द्वारा बनाये

परित्यज्यान् शंस्यादागतः' इति ज्ञात्वा कल्याणबुद्धिं पूजयेदन्यथाबुद्धिमप-  
कृष्टं वासयेत् ।

(१) स्वदोषेण गतः परदोषेणागतः इत्यकारणाद्गतः कारणादागत-  
स्तर्कयितव्य — 'छिद्र मे पूरयिष्यति, उचितोऽयमस्य वासः, परत्रास्य जनो  
न रमते, मित्रं मे सहितः, शत्रुभिर्विगृहीतः, लुब्धक्रूरादाविग्नः, शत्रुसहिताद्वा  
परस्माद्' इति । ज्ञात्वा यथाबुद्धिं च वस्यापयितव्यः ।

(२) कृतप्रणाशः शक्तिहानिर्विद्यापण्यत्वमाशानिर्वेदो देशलौल्यम-  
विश्वाप्तो बलवद्विग्रहो वा परित्यागस्थानमित्याचार्याः । भयमवृत्तिरमर्षं  
इति कौटिल्यः ।

(३) इहापकारी त्याज्यः । परापकारी सन्धेयः । उभयापकारी तर्क-  
यितव्य इति समानम् ।

प्रकार करनी चाहिए क्या यह शत्रु की प्रेरणा मे मेरा अपकार करने के लिए तो  
नहीं आया है ? या मेरे द्वारा किये गये अपकार का बदला लेने के लिए तो नहीं  
आया ? या अपने वध के भय से तो यहाँ नहीं चला आया है ? या मेरे स्नेह के  
कारण फिर मेरे पास तो नहीं चला आया है ? यदि वह कल्याणकामना से आया हो  
तो उमका सत्कार करे अन्यथा उससे दूर ही रहे ।

( १ ) अपने दोष से स्वामी को छोड़कर गये हुए और शत्रु के दोष से पुन  
वापिस आये हुए—अकारण गत और सकारण आगत—व्यभिक्त की जाँच इस प्रकार  
करनी चाहिए, यहाँ आकर वहाँ मरे दापो की तो नहीं पैलायेगा ? या इस देश का  
निवान अनुकूल जानकर तो नहीं आया है ? अथवा अपने स्त्री पुत्रो की अनिच्छा से  
तो वह परदेश छोड़कर नहीं आया है ? या मेरे मित्रो के साथ तो इमने सन्धि नहीं  
कर ली है ? या शत्रुआ ने तो इसका कुछ अपकार नहीं किया है ? अथवा यह लोभी  
एव क्रूर शत्रु सध से नहीं घबडा गया है ? इन बातो को जानकर यदि कल्याण बुद्धि  
समझें तो रख ले अन्यथा उसको दूर भगा दे ।

( २ ) पूर्वाचार्यो का मन है कि 'जो कृतज्ञ न हो, जिसकी शक्ति गन गयी हो,  
जिमके राज्य मे वस्तुओ की तरह विद्या का विग्रय होता हो, जो आशान्वित होकर  
निराश हो गया हो, जिसके देश म उपद्रव होने हो, जो नौकरो पर विश्वास न करता  
हो अथवा बलवान् राजा से जो विरोध किये हुए हो,' ऐसे राजा का परित्याग करना  
चाहिए । किन्तु कौटिल्य का कथन है कि 'परित्याग उसी राजा का करना चाहिए,  
जा डरपाक, किसी कार्य को आरम्भ न करने वाला और क्रोधी स्वभाव का हो ।'

( ३ ) गतागत पुरुष के सम्यग्ध मे इतना ध्यान और रक्षना चाहिए कि जो  
अपना ( राजा का ) अपकार करके जाये और शत्रु का विना अपकार किये ही वापिस

- (१) असन्धेयेन त्ववश्यं सन्धातव्ये यतः प्रभावः ततः प्रतिविदध्यात् ।  
 (२) सोपकारं व्यवहितं गुप्तमायुःक्षयादिति ।  
 वासयेदरिपक्षीयमवशीर्णक्रियाविधौ ॥  
 (३) विक्रामयेद्भूतं वा सिद्धं वा दण्डचारिणम् ।  
 कुर्यादमित्राटवीषु प्रत्यन्ते बान्यतः क्षिपेत् ॥  
 (४) पण्यं कुर्यादसिद्धं वा सिद्धं वा तेन संवृतम् ।  
 तस्यैव दोषेणादूष्यं परसन्धेयकारणात् ॥  
 (५) अथवा शमयेदेनमापत्यर्थमुपांशुना ।  
 आयत्यां च वधप्रैसुं दृष्ट्वा हन्याद्गतागतम् ॥  
 (६) अरितोभ्यागतो दोषः शत्रुसंवासकारितः ।  
 सर्पसंवासार्धमित्वाद्भित्तयोद्वेगेन दूषितः ॥

चला आये, उसको पुन आश्रय न दिया जाय, और जो शत्रु का अपकार करके आया हो उसे ग्रहण कर लिया जाय । जो दोनो का ही अपकार करने वाला हो उसकी अच्छी तरह जाँच करके उसको रखा जाय या दूर कर दिया जाय ।

( १ ) जो व्यक्ति सन्धि करने के योग्य नहीं है, यदि विशेष परिस्थितिबश उससे सन्धि बननी पड़े तो शत्रु के जिन कारणों से वह व्यक्ति प्रभावित हो, पहिले उनका प्रतीकार किया जाय ।

( २ ) यदि शत्रुपक्ष का कोई व्यक्ति अपने आश्रय में रहकर किसी कारण शत्रु के आश्रय में चला जाय और वहाँ से पुन वापिस चला आये तो ऐसे गतागत को कुछ विशेष सन्धि-नियमों पर ही पुन प्रथय दिया जाना चाहिए । ऐसे व्यक्ति को किसी विश्वस्त भृत्य की देख रेल में आयुपर्यन्त आश्रय दिया जाय ।

( ३ ) यदि वह निष्कपट सावित हो जाय तो उसे स्वामी की परिचर्या में नियुक्त किया जाय । वहाँ भी निष्कपट जँचे तो उसे सेना-विभाग में नियुक्त किया जाय या आटविकों के मुकाबले में अथवा कहीं दूर प्रदेश में नियुक्त किया जाय ।

( ४ ) यदि नियुक्त स्थान पर वह कपटपूर्ण व्यवहार करे तो व्यापार का बहाना करके उसे शत्रुदेश में भेज दिया जाय और इस बहाने से शत्रु के साथ सन्धि करके उसी के दोष से उसको मरवा दिया जाय ।

( ५ ) यदि भविष्य में किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका न हो तो उसको चुपचाप मरवा दिया जाय । भविष्य में वध करने की इच्छा रखने वाले गतागत को सो देखते ही मरवा देना चाहिए ।

( ६ ) शत्रु के आश्रय से आया हुआ व्यक्ति, शत्रु-सहवास के कारण बड़ा जहरीला है, क्योंकि शत्रु-सहवास सर्प के सहवास के समान है । इसलिए ऐसा व्यक्ति निन्दित कहा गया है ।



- ( १ ) जायते प्लक्षबीजाशात् कपोनादिव शाल्मलेः ।  
उद्वेगजननो नित्यं पश्चादपि भयावहः ॥
- ( २ ) प्रकाशयुद्ध निर्दिष्टो देशे काले च विक्रमः ।  
त्रिभीषणमवस्कन्दः प्रमादव्यसनादैनम् ॥  
एकत्र त्यागघातो च कूटयुद्धस्य मातृका ।  
योगगूढोपजापार्यं तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम् ।

इति पाद्गुण्ये सप्तमोऽधिकरणे सहितप्रयाणिक परिपणितापरिपणितापभृतादि  
सन्धिनाम षष्ठोऽध्यायः, आदितस्त्रिपुररत्नम् ।

— ० —

( १ ) जैसे प्लक्ष ( पाखर या बरगद ) का बीज खाने वाला कबूतर सेमल के पेड़ पर जाकर उद्विग्न होता है उनी प्रकार शत्रु पक्ष का व्यक्ति भी विजिगीषु के लिए भयप्रद और बाद में उद्वेगजनक होता है ।

( २ ) किसी देश या समय को निश्चित करके जो युद्ध घोषणा की जाती है उसे प्रकाशयुद्ध कहते हैं । थोड़ी सी सेना को बहुत दिखाकर भय पैदा कर देना, किलो जलाना एवं लूट-पाट कर देना, प्रमाद तथा व्यसन के समय शत्रु को पीड़ित करना एक स्थान का युद्ध छोड़कर दूसरी ओर से धावा बोल देना—यह कूटयुद्ध है । विष और औषधि आदि के प्रयोग तथा गुमचरो के उजाप ( धोला-बहकाना ) आदि के प्रयोग से शत्रु का विनाश करना तूष्णीयुद्ध कहलाता है ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

## द्वैधीभाविकाः सन्धिविक्रमाश्च

(१) विजिगीषुर्द्वितीया प्रकृतिमेवमुपगृह्णीयात् । सामन्त सामन्तेन सम्भूय यायात् । यदि वा मन्येत—'पाणि मे न ग्रहीष्यति, पाणिग्राह वारयिष्यति, यातव्य नाभिसरिष्यति, बलद्वैगुण्य मे भविष्यति, वीवधासारौ मे प्रवर्तयिष्यति, परस्य वारयिष्यति, बह्वावाधे मे पथि कण्टकान् मर्दयिष्यति, दुर्गाटव्यपसारेषु दण्डेन चरिष्यति, यातव्यमविपह्ये दोषे सन्धौ वा स्यापयिष्यति, लब्धलाभाशो वा शत्रूनन्यान्मे विश्वासयिष्यती'ति ।

(२) द्वैधीभूतो वा कोशेन दण्ड दण्डेन कोशं सामन्तानामन्यतमाल्लिप्सेत ।

### द्वैधीभाव सबंधी संधि और विक्रम

( १ ) विजिगीषु राजा को चाहिए कि अपने पड़ोस के शत्रु राजा को वह अपनी सहायता के लिए इन तरीकों से तैयार करे . किसी एक सामंत से मिलकर वह यातव्य सामंत पर चढ़ाई करे । अथवा यदि ऐसा समझे कि 'अपने साथ मिलाया हुआ सामंत मेरी अनुपस्थिति में मेरे देश पर आक्रमण तो नहीं करेगा, दूसरे पाणिग्राह ( पीछे से आक्रमण करने वाले शत्रु ) को रोकेंगा, मेरे यातव्य की ओर जाकर न मिलेगा, इसकी साथ लेकर मेरी शक्ति दुगुनी हो जायेगी, अपने देश में उत्पन्न धान्य तथा मेरे मित्र राजा की सेना को मेरी सहायता के लिय आने देगा, उसे न रोकेंगा, शत्रुदेश में जाने से इन दोनों को रोकेंगा, युद्धकाल में मेरे मार्ग की कठिनाइयों को दूर करेगा, दुर्ग तथा आटवियों पर प्रयाण करने के समय सेना द्वारा मुझे मदद पहुंचाता रहेगा, किसी असह्य अनर्थ या आपत्ति के आ जाने पर यातव्य के साथ मेरी संधि करा देगा, अथवा प्रतिज्ञात अपने लाभों को मुझसे प्राप्त कर मेरे दूसरे शत्रुओं पर भी मेरा विश्वास जमा देगा' इत्यादि ।

( २ ) यदि सामंत को अपने साथ मिलाने में विजिगीषु को विश्वास न हो तो द्वैधीभाव प्रयोग के द्वारा वह पीछे या बगल में रहने वाले किसी एक सामंत को धन देकर, यदि सेना कम हो तो, सेना में और यदि धन कम हो तो सेना देकर धन प्राप्त करने का यत्न करे ।

(१) तेषां ज्यायसोऽधिकेनांशेन समात्समेन हीनाद्धीनेनेति समसन्धिः । विपर्यये विषमसन्धिः । तयोर्विशेषलाभादतिसन्धिः ।

(२) ध्यसनिनमपायस्थाने सक्तमनर्थिनं वा ज्यायांसं हीनो बलसमेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत । अन्यथा सन्दध्यात् ।

(३) एवभूतो हीनशक्तिप्रतापपूरणार्थं संभाव्यार्थाभिसारी मूलपाष्णि-  
त्राणार्थं वा ज्यायांसं हीनो बलसमाद्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितः  
कल्याणबुद्धिमनुगृह्णीयादन्यथा विक्रमेत ।

(४) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमुपस्थितानर्थं वा ज्यायांसं हीनो दुर्गमि-  
प्रतिस्तब्धो वा ह्रस्वमध्वान यातुकामः शत्रुमयुद्धमेकान्तसिद्धिं लाभमादातु-

( १ ) विषमसन्धि के तीन प्रकार है १ अधिक शक्तिशाली सामत को अधिक लाभाश देकर उससे सन्धि करना, २ समान शक्तिशाली सामत को समभाग लाभाश देकर उससे सन्धि करना और ३ कम शक्तिशाली सामत को थोड़ा हिस्सा लाभाश देकर उससे सन्धि करना । इसके विपरीत विषमसन्धि के छह प्रकार हैं १ अधिक शक्तिशाली सामत को बराबर हिस्सा देकर या २ कम हिस्सा देकर ३ समान शक्ति-  
शाली सामत को कम हिस्सा देकर या ४ अधिक हिस्सा देकर तथा ५ हीनशक्ति सामत को बराबर हिस्सा देकर या ६ अधिक हिस्सा देकर । ये दोनों प्रकार की सन्धियों के द्वारा जब प्रतिज्ञात धन से अधिक धन का लाभ हो जाय तो वे अतिसन्धि कहलाती हैं, अर्थात् इन अतिसन्धि भेद में वे ( ३ सम + ६ विषम ) नौ सन्धियाँ अठारह प्रकार की हो जाती हैं ।

( २ ) हीनशक्ति विजिगीषु को चाहिए कि वह व्यसनी, शारीरिक नाश करने में निरत और अनर्थकारी, अधिक शक्ति सामत के साथ, सेना के समान हिस्सा लेकर ही सन्धि करे । इस प्रकार सन्धि करने पर यदि अधिक शक्ति सामत, अपना तिरस्कार करने वाले विजिगीषु का अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा शान्त रहे ।

( ३ ) समसन्धि इस प्रकार व्यसनपीडित हीनशक्ति विजिगीषु को चाहिए कि अपने विनष्ट प्रताप एव शक्ति को पूरा करने के लिए और अपने सम्भावित अर्थ को पूरा करने के लिए अथ च अपने दुर्ग तथा पण्डि की रक्षा करने के लिए सेना की अपेक्षा अधिक हिस्सा देकर अधिक शक्ति सपन्न मामन्त के साथ वह सन्धि कर ले । सन्धि कर लेने पर यदि हीनशक्ति विजिगीषु ईमानदारी से रहे तो अधिक शक्ति सामन्त सदा उस पर अनुग्रह बनाये रखे । अन्यथा उस पर आक्रमण कर दे ।

( ४ ) शिकार आदि व्यसनो में आसक्त, कुपित, लोभी तथा भीष्ट अमात्य, अमात्य प्रकृतिवाले अनर्थकारी अधिकशक्ति सामत के साथ, हीनशक्ति विजिगीषु, अपने मजबूत किलो एव सहायक मित्रों के कारण शक्ति, अथवा अपने नजदीक के किसी शत्रु

कामो बलसमाद्रीनेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत । अन्यथा सन्दध्यात् ।

(१) अरन्ध्रव्यसनो वा ज्यायान् दुरारब्धकर्माणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां योक्तुकामो द्रुष्यदण्डं प्रवासयितुकामो द्रुष्यदण्डमावाहयितुकामो वा पीडनीयमुच्छेदनीय वा हीनेन व्यथयितुकामः सन्धिप्रधानो वा कल्याणबुद्धिः हीनं लाभं प्रतिगृह्णीयात् । कल्याणबुद्धिना सम्भूषार्थं लिप्सेत । अन्यथा विक्रमेत ।

(२) एवं समः सममत्तिसंदध्यादनुगृह्णीयाद्वा ।

(३) परानीकस्य प्रत्यनीकं मित्राटवीनां वा शत्रोर्विभूमीनां देशिकं भूलपार्ष्णित्राणार्थं वा समः समबलेन लाभेन पणेत । पणितः कल्याणबुद्धिमनुगृह्णीयादन्यथा विक्रमेत ।

(४) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमनेकविरुद्धमन्यतो लभमानो वा समः सम-

पर आक्रमण करने वाला बिना लाभ के ही विजय की इच्छा रखने वाला, सेना की अपेक्षा पीडा हिंसा देकर ही सन्धि कर ले । यदि अधिकशक्ति सामत, अपना तिरस्कार करने वाले हीनशक्ति राजा का इस प्रकार की सधि कर लेने पर अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे । अन्यथा सन्धि बनाये रखे ।

( १ ) प्रकृतिकोप एव मृगयादि व्यसनो से पृथक् हुए अपने विरोधी शत्रु को अधिक क्षय-व्यय से ग्रस्त रखने की इच्छा करने वाला, अपनी दूषित सेना को निकालने तथा शत्रु की दूषित सेना को अपने यहाँ बुलाने की इच्छा करने वाला, या पीडित एव विनष्ट करने योग्य शत्रु का हीन शक्ति राजा से पीडन तथा उच्छेदन कराने की इच्छा रखने वाला, अथवा सन्धि गुण की प्रमुख समझने वाला कल्याणबुद्धि अधिकशक्ति सामत होने के कारण थोड़े दिये हुए लाभ को भी स्वीकार कर ले । कल्याणबुद्धि हीन के साथ मिलकर बराबर उसकी सहायता करता रहे । यदि वह हीन दुष्टबुद्धि हो तो उस पर आक्रमण कर दे ।

( २ ) इसी प्रकार समशक्ति सामत, दूसरे समशक्ति सामत के साथ दुष्टबुद्धि और कल्याणबुद्धि देखकर ही निग्रह तथा अनुग्रह करे ।

( ३ ) शत्रु की सेना के साथ तथा शत्रु के मित्र एव आटविको के साथ युद्ध करने में समर्थ, शत्रु के पर्वतीय प्रातरों का नक्शा भलीभाँति समझने वाला, अथवा अपने दुर्ग तथा पार्ष्णि को रक्षा करने के लिए सब सामत की सेना बराबर विजय-लाभाग देकर सन्धि कर ले । सन्धि करने पर यदि समशक्ति सामत कल्याणबुद्धि बना रहे तो उस पर अनुग्रह बनाये रखे, अन्यथा उस पर आक्रमण कर दे ।

( ४ ) मृगया आदि व्यसनो तथा प्राकृतिककोपो से पीडित और दूसरे अनेक सामतों का विरोधी अथवा सहायता बिना ही अन्य उपायो से हुई कार्षितिद्धि, सम-

बलाद्धीनेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् ।

(१) एवंभूतो वा समः सामन्तामत्तकार्यः कर्तव्यबलो वा बलसमा-  
द्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितः कल्याणबुद्धिमनुगृह्णीयादन्यथा विक्रमेत ।

(२) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमभिहन्तुकामः स्वारब्धमेकान्तसिद्धिं वास्य  
कर्मापहन्तुकामो मूले यात्राया वा प्रहर्तुकामो यातव्याद् भूयो लभमानो वा  
ज्यायास हीन सम वा भूयो याचेत । भूयो वा याचितः स्वबलरक्षार्थं दुर्घप-  
मन्यदुर्गमासारमटवीं वा परदण्डेन मर्दितुकामः प्रकृष्टेऽश्वनि काले वा पर-  
दण्ड क्षयव्ययाभ्या योक्तुकामः परदण्डेन वा विवृद्धस्तमेवोच्छेत्तुकामः पर-  
दण्डमादात्तुकामो वा भूयो दद्यात् ।

शक्ति सामत के साथ सेना की अपेक्षा थोड़ा ही लाभान देकर सन्धि कर ले । सन्धि करने के बाद यदि वह उसका उपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे अन्यथा चुपचाप सन्धि कर ले ।

( १ ) मृगयादि व्यसनो और प्रकृति-कोपो से पीड़ित, दूसरे सामत की सहायता करने पर ही अपने कार्यों की सफलता देखने वाला अथवा नई सेना भर्ती करने वाला समशक्ति सामत, दूसरे समशक्ति सामत के साथ सेना की अपेक्षा अधिक लाभ देकर सन्धि कर ले । सन्धि करने पर यदि वह कल्याणबुद्धि बना रहे तो उस पर सदा अनु-ग्रह बनाये रखे, अन्यथा आक्रमण कर दे ।

( २ ) मृगयादि व्यसनो एव प्रकृति प्रकोपो से पीड़ित अधिकशक्तिसंपन्न ( ज्याय ) हीनशक्ति अथवा समशक्ति सामत को नष्ट करने की इच्छा करने वाला या उचित देश-नाल के अनुसार आरभित उसके अवश्यभावी कार्यों को नष्ट करने की इच्छा रखने वाला अथवा विजिगीषु की मात्रा के बाद उसके पीछे से उसके किले आदि पर चढ़ाई करने की कामना वाला, अथवा विजिगीषु की अपेक्षा यातव्य से अधिक धन पा जाने वाला हीन, ज्याय या समशक्ति सामत, उक्त ज्याय, हीन या समशक्ति सामत से अधिक लाभ की माँग करे । इस प्रकार माँग करने पर अपनी सेना की रक्षा के लिए तथा दूसरे के दुर्गम दुर्ग, मिनबल, आटविकी आदि को दूसरे सामत की सेना से कुचल डालने की इच्छा रखने वाला, दूर देश में अधिक समय तक दूसरे सामत की सेना को काम पर लगा क्षय-व्यय से मुक्त करने की इच्छा रखने वाला, या यातव्य की सेना के द्वारा अपनी सेना को बड़ाकर फिर उस अधिक माँगने वाले का उच्छेदन करने की कामना वाला अथवा यातव्य की सेना को उस अधिक माँगने वाले सामत की सहायता से लेने की इच्छा रखने वाला, अवश्यमेव उतना अधिक लाभ दे, जितने की दूसरे सामत माँग करे ।

(१) ज्यायान् वा हीनं यातव्यापदेशेन हस्ते कर्तुकामः परमुच्छिद्य वा तमेवोच्छेत्तुकामः त्यागं वा कृत्वा प्रत्यादातुकामो बलसमाद्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् । यातव्य-संहितो वा लिष्टेत् । दूष्याभिन्नाटवीदण्डं वास्मै दद्यात् ।

(२) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रो वा ज्यायान् हीनं बलसमेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् ।

(३) एवभूतं वा हीनं ज्यायान् बलसमाद्वीनेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् ।

(४) आदौ बुद्धयेत पणितः पणमानश्च कारणम् ।

ततो वितर्क्योभयतो यतः श्रेयस्ततो व्रजेत् ॥

इति पाद्गुण्ये मतमेऽधिकरणे द्विधीभावसन्निधिविक्रमोनाम सप्तमोऽध्यायः,

आदितश्चतुशततम ।

—: ० :—

( १ ) यातव्य के बहाने अपने वश में करने की इच्छा रखने वाला, शत्रु का उच्छेद कर फिर उसी का उच्छेद करने की कामना वाला, या देकर फिर लौटा लाने की इच्छा रखने वाला अधिकशक्ति सामत हीनशक्ति सामत के साथ, अवश्यमेव सेना की अपेक्षा अधिक लाभ देकर, सधि कर ले । सधि हो जाने पर यदि वह उसका अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा चुपचाप सधि बनाये रखे । अथवा यातव्य के साथ सधि करके पूर्ववत् बना रहे । अथवा अपनी शत्रु सेना तथा आटविक सेना को सधि करने वाले अधिक शक्ति सामत को दे दे ।

( २ ) व्यसन पीडित एव आपत्तिग्रस्त अधिक शक्ति सामत के साथ, सेना के बराबर लाभ देकर, सधि कर ले । सधि करने के बाद यदि वह उसका अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा सधि को पूर्ववत् बनाये रखे ।

( ३ ) अधिक शक्ति सामत को चाहिए कि व्यसनी एव विपत्तिग्रस्त हीनशक्ति सामत के साथ वह सेना की अपेक्षा कम लाभ देकर सधि कर ले । यदि वह अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा पूर्ववत् सधि बनाये रखे ।

( ४ ) विजयेच्छु पणित ( जिससे सधि की जाय ) और पणमान ( सधि करने वाला ) दोनों को चाहिए कि वे ऊपर बताई गई सधियों के कारणों को मनीमति समझ लें । उसके बाद सधि तथा विग्रह करने पर लाभ तथा हानि के परिणामों को समझ बूझ कर जिसमें अपना कल्याण भ्रमों उस मार्ग को अपनाये ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

## यातव्यवृत्तिः, अनुग्राह्यमित्रविशेषाश्च

(१) यातव्योऽभिधास्यमानः सन्धिकारणमादातुकामो विहस्तुकामो वा सामवायिकानामन्यतमं लाभद्वैगुण्येन पणेत । प्रपणिता क्षयव्ययप्रवास्त-प्रत्यवायपरोपकारशरीराबाधांश्चास्य वर्णयेत् । प्रतिपन्नमर्थेन योजयेत् । वरं वा परंप्रहियित्वा विसवादयेत् ।

(२) दुरारब्धकर्माणं भूयः क्षयव्ययान्यां योक्तुकामः स्वारध्यायां वा यात्रायां सिद्धिं विघातयितुकामो मूले यात्रायां वा प्रतिहर्तुकामो यातव्य-संहितः पुनर्याचितुकामः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छ्रस्तस्मिन्नविश्वस्तो वा तदात्वे लाभमल्पमिच्छेदापत्यां प्रभूतम् ।

(३) मित्रोपकारममित्रोपघातमर्थानुबन्धमवेक्षमाणः पूर्वोपकारकं कारयितुकामो भूयस्तदात्वे महान्तं लाभमुत्सृज्यायत्यामल्पमिच्छेत् ।

### यातव्य सम्बन्धी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्रति कर्तव्य

( १ ) यातव्य विजिगीषु को चाहिए कि आक्रमण करने से पहिले ही वह, सन्धि के कारणों को मानने वाले या उसकी अपेक्षा न रखने वाले सहायक ( सामवायिक ) के रूप में किमी एक सामन्त के माथ पूर्व निश्चित लाभ से, दुगुना लाभ देकर सन्धि कर ले । तदनन्तर उस साथी सामन्त के समक्ष वह सेनाक्षय, धनव्यय, दूर प्रवास, मार्ग के विघ्न, शत्रुपक्ष में घुसकर उसका उपकार करना और शरीर पीडा आदि दोषो या बाधाओ को खोलकर रख दे । यदि वह इन सब बाधाओ को भेलना स्वीकार कर ले तो उसे प्रतिज्ञात धन दे दे । इसके विपरीत यदि वह सन्धि के कारणों को स्वीकार न करे तो दूसरे सामन्त से उसका विरोध करा कर, उससे अपनी सन्धि तोड दे ।

( २ ) अनुचिन् देश-काल में युद्ध-यात्रा का आरम्भ कर सामन्त को क्षय-व्यय-ग्रस्त करने की इच्छा रखने वाला या उचित देश-काल में युद्ध यात्रा करके अवश्य-म्भावी सिद्धि का विधान करने की इच्छा वाला या यात्रा करने पर दुर्ग आदि के ऊपर आक्रमण करने की इच्छा वाला, या यातव्य से पहिले थोडा ही लेकर सन्धि करके फिर अधिक माँग की इच्छा रखने वाला या आकस्मिक अर्थ-कष्ट से ग्रसित या यातव्य में अविश्वास करने वाला, उस समय थोडा ही लाभ लेकर सन्धि कर ले और फिर भविष्य में अधिक धन लेने की इच्छा करे ।

( ३ ) यदि उसे यह सम्भावना हो कि आगे चलकर मित्र से उसको लाभ होगा;

(१) दूष्यामित्राभ्यां मूलहरेण वा ज्यायसा विगृहीतं त्रातुकामस्तथा-  
विधमुपकारं कारयितुकामः सम्बन्धापेक्षी वा तदात्वे च आयत्यां लाभं न  
प्रतिगृह्णीयात् ।

(२) कृतसन्धिरतिक्रमितुकामः परस्य प्रकृतिकर्शनं मित्रामित्रसन्धि-  
विश्लेषणं वा कर्तुकामः पराभिद्योगाच्छुमानो लाभमप्राप्तमधिकं याचेत् ।  
तमितरस्तदात्वे च आयत्यां च क्रममवेक्षेत । तेन पूर्वं व्याख्याताः ।

(३) अरिविजिगोष्वोस्तु स्वं स्वं मित्रमनुगृह्णीतोः शक्यकल्याणव्या-  
रम्भस्थिरकर्मनिरुक्तप्रकृतिभ्यो विशेषः । शक्यारम्भी विपह्यं कर्मारभेत् ।  
कल्याणरम्भी निर्दोषम् । भव्यारम्भी कल्याणोदयम् । स्थिरकर्मा नासमाप्य  
कर्मोपरमते । अनुरक्तप्रकृतिः सुसहायत्वादल्पेनाप्यनुग्रहेण कार्यं साधयति ।  
त एते कृतार्थाः सुखेन प्रभूतं चोपकुर्वन्ति । अतः प्रतिलोभेनानुग्राह्याः ।

शत्रुओ को वह हानि कर पायेगा, पुराने सहायक पुन सहायता करेंगे, ऐसी स्थिति  
में उम समय अधिक लाभ को छोड़ कर भविष्य में भी वह थोड़े ही लाभ की  
कामना करे ।

( १ ) यदि वह चाहता हो कि दूष्य, शत्रु एव अधिकशक्ति सामन्त से उसके  
साथी सामन्त की रक्षा हो जाय अथवा अपने प्रति भी इसी प्रकार के उपकारो को  
चाहे, और यह चाहे कि यातव्य के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ जाय, तो उस समय  
और भविष्य में भी अपने साथी से कुछ भी लाभ न ले ।

( २ ) यदि वह पहिले की गई सन्धि को तोड़ना चाहे या शत्रुप्रकृति को नष्ट  
करना चाहे या मित्र तथा शत्रु की सन्धि को तोड़ना चाहे या उसे शत्रु के आक्रमण  
को आशंका हो या अप्राप्त पूर्व निश्चित लाभ से अधिक लाभार्थ की माँग करे, ऐसी  
दशा में दूसरे सामन्त को चाहिए, जिससे लाभ की माँग की गई है, कि वह इस  
प्रकार की माँग के सम्बन्ध में उस समय और भविष्य में होने वाले लाभ तथा हानि  
का मलीभाँति विचार करे । इसी प्रकार पूर्वोक्त तीन पक्षों में भी हानि-लाभ का  
विचार समझना चाहिए ।

( ३ ) अपने-अपन मित्रो पर बड़ा अनुग्रह रखने वाले शत्रु और विजिगीषु,  
दोनों को चाहिए कि वे १. शक्यारम्भी २. कल्याणारम्भी ३. भव्यारम्भी ४. स्थिर-  
कर्मा और ५. अनुरक्त प्रकृति, इन पाँच प्रकार के मित्रो पर विशेष अनुग्रह रखें ।  
अपनी शक्ति के अनुसार कर सकने योग्य कार्य को ही आरम्भ करने वाला शक्या-  
रम्भी कहलाता है । दोष रहित कार्य को आरम्भ करने वाला कल्याणारम्भी  
कहलाता है । भविष्य में कल्याणप्रद फल को देने वाले को जो आरम्भ करे उसे  
भव्यारम्भी कहते हैं । आरम्भ किये हुए कार्य को जो समाप्त किये बिना न छोड़े  
उसे स्थिरकर्मा कहते हैं । अच्छे सहायक मिल जाने के कारण थोड़ी-सी सेना आदि  
से कार्य को पूरा कर देने वाला अनुरक्तप्रकृति कहलाता है । यदि इन पाँच प्रकार



(१) तयोरेकगुरुयानुग्रहे यो मित्रं मित्रतरं वानुगृह्णाति सोऽतिसन्धत्ते । मित्रादात्मवर्द्धिं हि प्राप्नोति । क्षयव्ययप्रवासपरोपकारान् इतरः । कृता-  
र्थंश्च शत्रुर्वैगुण्यमेति ।

(२) मध्यमं त्वनुगृह्णतोर्षो मध्यमं मित्र मित्रतरं वानुगृह्णाति सोऽति-  
सन्धत्ते । मित्रादात्मवर्द्धिं हि प्राप्नोति । क्षयव्ययप्रवासपरोपकारानितरः ।  
मध्यमश्चेदनुगृह्णीती विगुणः स्यादमित्रोऽतिसन्धत्ते । कृतप्रयाम हि मध्यमा-  
मित्रमपसृतमेकार्योपगतं प्राप्नोति ।

(३) तेनोदासीनानुग्रहो व्याख्यातः ।

(४) मध्यमोदासीनयोर्बलाशदाने यः शूरं कृतात्नं दुःखतहमनुरक्तं वा  
दण्डं ददाति, सोऽतिसन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते ।

(५) यत्र तु दण्डः प्रतिहतस्तं वा क्षयमन्याश्च साधयति, तत्र मौल-  
भृतश्चेपीमित्राटबोबलानामन्यतममुपलब्धदेशकाल दण्ड दद्यात् । अमित्रा-  
टवोबलं वा च्यवहितदेशकालम् ।

के मित्रों को सहायता देकर कृतार्थ किया जाय तो उनसे विजिगीषु को बहुत सहायता  
मिलती है । इनसे विपरीत ज्ञानधारम्भी आदि पर कदापि भी अनुग्रह न किया जाय ।

( १ ) यदि शत्रु और विजिगीषु दोनों एक ही व्यक्ति पर अनुग्रह करना चाहते  
हों, तो जो मित्र या अतिमित्र ही उस पर ही अनुग्रह किया जाय, क्योंकि वह अत्यन्त  
नाम पहुँचाता है । मित्र से तो सर्वदा हो आत्मवृद्धि होती है, यदि उस पर अनुग्रह भी  
किया जाय तब तो कहना ही क्या है । जो भी मित्र की जगह शत्रु पर अनुग्रह करता  
है उसके पुत्र एव धन का नाश होता है तथा दूर-दूर जाकर उसको शत्रु का उनकार  
करना पड़ता है, और कार्य सध जाने के बाद फिर शत्रु उनसे विगाय कर लेता है ।

( २ ) यदि शत्रु और विजिगीषु मध्यम राजा पर अनुग्रह करना चाहें तब भी  
किन्तु क्षयवा अतिमित्र पर ही अनुग्रह करना ठीक होता है, क्योंकि मित्र से सदा ही  
अपनी सवृद्धि होती है और शत्रु पर अनुग्रह करने वाले को सदा ही क्षय, व्यय,  
प्रयत्न सहना पड़ता है तथा शत्रु का उपकार करना पड़ता है अनुगृहीत मध्यम राजा  
के विपद जाने पर अपने शत्रु को ही विशेष नाम होता है, क्योंकि मित्र बनकर  
विपद जाने के बाद शत्रु बना मध्यम समान कार्य करने वाले विजिगीषु क शत्रु को  
अपना मित्र बना लेता है ।

( ३ ) इसी प्रकार उदासीन राजा पर अनुग्रह करने का सुपत्र चुनन ममत्त  
लेना चाहिए ।

( ४ ) मध्यम और उदासीन राजाओं को सेना की सहायता में जो अपने शत्रु-  
सन्धान में कुशल, दुःखसहिष्णु एव अनुत्कृत सैनिक को दे सकते हैं के घोषा करते  
हैं, और जो ऐसा नहीं करता वह लाभ म रहता है ।

( ५ ) निज कार्य को सम्पन्न करने के लिए एव बार भेरी हुई सेना गट हो

(१) यं तु मन्येत—‘कृतार्थो मे दण्डं गृह्णीयादमित्राटव्यभूम्यनुसुषु वा वासयेदफलं वा कुर्यादि’ति दण्डव्यासङ्गापदेशेन नैनमनुगृह्णीयात् । एवमवश्यं त्वनुहीतव्ये तत्कालसहमस्मै दण्ड दद्यात् । आ समाप्तेश्चैनं वासयेद्योधयेच्च, बलव्यसनेभ्यश्च रक्षेत् । कृतार्थाच्च सापदेशमवलावयेत् । दूष्यामित्राटवोदण्ड वास्मै दद्यात् । यातव्येन वा सन्धार्येनमतिसन्दध्यात् ।

(२) समे हि लाभे सन्धिः स्याद्विषमेषु विक्रमो मतः ।

समहीनविशिष्टानामित्युक्ताः सन्धिविक्रमाः ॥

इति पाङ्गुण्ये सप्तमोऽधिकरणे यातव्यवृत्तिरानुप्राह्यमित्रविशेषो नाम अष्टमोऽध्यायः, आदित पञ्चशततमः ।

— ० —

गई हो उसकी पूर्ति के लिए तथा दूसरे कार्यों की सफलता के लिए ऐसे अवसर पर मौलबल, भूतबल, धैणीबल, मित्रबल और आटवीबल, इन पाँचों में से किसी एक सेना को उचित देश-काल के अनुसार भेज देना चाहिए । अथवा दूर देश और अधिक समय के लिए अमित्रबल या आटवीबल को ही भेजना चाहिए ।

( १ ) जिस उदासीन या मध्यम को यह समझा जाय कि : वह अपना कार्य निकाल लेने के बाद मेरी सेना को अपने वश में कर लेगा, या उसको शत्रु के पास, आटविक के पास, अयुक्त स्थानों तथा ऋतुओं में रहेगा, अथवा मेरी सेना को जीत का कोई हिस्सा न देगा’ उसको क्रुद्ध बहाना बना कर सेना न दी जाय । यदि इस प्रकार के राजा की सहायता करनी परमावश्यक हो तो उतने समय तक के लिए उसको समर्थ सैनिक दिये जायें, जब तक कार्य समाप्त न हो और सुविधाजनक भूमि में सेना रहे तथा अवसर आने पर ही वह युद्ध करे, साथ ही सैनिक आपत्तियों या निरस्त हो जाने की स्थिति से उन्हें सुरक्षित रखे । कार्य हो जाने के बाद बुद्ध बहाना बनाकर सेना वापिस बुला ली जाय । फिर जरूरत पड़ने पर अपनी दूष्यसेना, शत्रु सेना या आटविक सेना को ही देना चाहिए, अथवा यातव्य के साथ मिलकर मध्यम या उदासीन राजा से खूब धन वसूल करे ।

( २ ) बराबर लाभ देने पर सन्धि और लाभांश में ज्यादा-कमी करने पर विग्रह कर देना चाहिए । इस अध्याय में सम, हीन और विशिष्ट राजाओं की सन्धि तथा विक्रम का निरूपण किया गया ।

पाङ्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में यातव्यवृत्ति-अनुप्राह्यमित्रविशेष नामक अष्टवां अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) संहितप्रमाणे मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरो लाभः श्रेयान् । मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्भवतः, मित्रं हिरण्यलाभात् । यो वा लाभः सिद्धः श्रेययोरन्यतरं साधयति ।

(२) 'त्वं चाहं च मित्रं लभावहे' इत्येवमादिः समसन्धिः । 'त्वं मित्रम्' इत्येवमादिर्विषमसन्धिः । तयोर्विशेषलाभादतिसन्धिः ।

(३) समसन्धौ तु यः सम्पन्नं मित्रं मित्रकृच्छ्रे वा मित्रमवाप्नोति, सोऽतिसन्धत्ते । आपद्धि सौहृदस्थैर्यमुत्पादयति ।

(४) मित्रकृच्छ्रेऽपि नित्यमवश्यमनित्यं वश्यं वेति । 'नित्यमवश्यं श्रेयः, तद्वधनुपकुर्वदपि नापकरोति' इत्याचार्याः ।

### मित्रसंधि और हिरण्यसंधि

#### ( संधि-विचार १ )

( १ ) सपुत्र युद्ध-यात्रा में मित्र, हिरण्य और भूमि, इन लाभों में उत्तरोत्तर लाभ श्रेष्ठ है । क्योंकि भूमिलाभ से शेष दोनों लाभ प्राप्त हो सकते हैं और हिरण्य लाभ से मित्रलाभ सुलभ किया जा सकता है । अथवा जिस प्राप्त हुए लाभ से शेष दोनों या उनमें से कोई एक लाभ सिद्ध हो सके, वही श्रेष्ठ समझना चाहिए ।

( २ ) 'तुम और हम, दोनों मिलकर मित्र को लाभ पहुँचायें' इस प्रकार की गई संधि को समसंधि कहते हैं । 'तुम मित्र लाभ प्राप्त करो और मैं हिरण्य का अथवा तुम हिरण्य का लाभ प्राप्त करो और मैं भूमि का' इस प्रकार की गई संधि को विषमसंधि कहते हैं । इन दोनों संधियों में पूर्व लिखित लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हो तो वह अतिसंधि कहलाती है ।

( ३ ) समसंधि में जो सपुत्र मित्र को या विपत्तिग्रस्त मित्र को प्राप्त करता है, वह अतिसंधि के विशेष लाभ को प्राप्त करता है । क्योंकि आपत्ति में मित्रता और भी दृढ़ हो जाती है ।

( ४ ) मित्र के विपत्तिकाल में, अपने वश में न रहने वाले नित्य मित्र का मिलना उत्तम है या अपने वश में रहने वाले अनित्य मित्र का मिलना अच्छा है ? इस सबध में पुरातन आचार्यों का कहना है कि नित्य मित्र का प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उपकार न करे किन्तु अपकार कभी भी नहीं करता है ।

(१) नेति कौटिल्यः—वश्यमनित्यं श्रेयः, यावदुपकरोति तावन्मित्रं भवति । उपकारलक्षणं मित्रमिति ।

(२) वश्ययोरपि महाभोगमनित्यमल्पभोगं वा नित्यमिति । 'महाभोगमनित्यं श्रेयः, महाभोगमनित्यमल्पकालेन महदुपकुर्वन्महान्ति व्ययस्थानानि प्रतिकरोति' इत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । नित्यमल्पभोगं श्रेयः, महाभोगमनित्यमुपकारभयादपक्रामति, उपकृत्य वा प्रत्यादातुमीहते । नित्यमल्पभोगं सातत्यादल्पमुपकुर्वन्महता कालेन महदुपकरोति ।

(४) गुरुसमुत्थं महन्मित्रं लघुसमुत्थमल्पं वेति । 'गुरुसमुत्थं महन्मित्रं प्रतापकरं भवति, यदा चोत्तिष्ठते, तदा कार्यं साधयति' इत्याचार्याः ।

(५) नेति कौटिल्यः—लघुसमुत्थमल्पं श्रेयः, लघुसमुत्थमल्पं मित्रं कार्यकालं नातिपातयति दौर्बल्याच्च यथेष्टभोग्यं भवति, नेतरत् प्रकृष्टभोगम् ।

( १ ) परन्तु कौटिल्य का कहना है कि अपने वश में रहने वाला अनित्य मित्र का प्राप्त होना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक वह उपकार करता रहता है तभी तक मित्र बना रहता है, मित्र का लक्षण ही अपने माधी की भलाई करना है ।

( २ ) 'अपने वश में रहने वाले दो मित्रों में से थोड़े समय के लिए अधिक कर देने वाला मित्र अच्छा है या हमेशा थोड़ा-थोड़ा कर देने वाला मित्र अच्छा है ?' पूर्वाचार्यों का कहना है कि थोड़े दिन तक अधिक कर देने वाला मित्र श्रेष्ठ है, क्योंकि वह थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा धनादि देकर विजिगीषु का महान् उपकार कर देता है, तथा अपनी सहायता से राजकीय व्ययच्छिद्रों का भी प्रतीकार कर देता है ।

( ३ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि सदा के लिए थोड़ा-थोड़ा देने वाला मित्र श्रेष्ठ है, क्योंकि एक साथ अधिक देने के भय से मित्रता भी टूट जाती है और फिर वह अपने दिये गये धन को वापिस करने के लिए यत्न करता है । इसके विपरीत थोड़ा-थोड़ा धन देने वाला मित्र विजिगीषु का बड़ा उपकार करता है ।

( ४ ) बड़ी कठिनाई और बड़े यत्न करने पर शत्रु से युद्ध करने के लिए तैयार होने वाला प्रबल मित्र अच्छा है या सरलता से शीघ्र ही तैयार हो जाने वाला निर्बल मित्र श्रेष्ठ है ? इस पर पूर्वाचार्यों का कहना है कि कठिनता से तैयार होने वाला प्रबल मित्र ही अच्छा है, क्योंकि एक तो वह शत्रुओं का दमन कर सकेगा और दूसरे में कार्य को भी पूरा कर देगा ।

( ५ ) किन्तु कौटिल्य इस ठकं से सहमत नहीं है । उसका कहना है कि सरलता

(१) विक्षिप्तसैन्यमवश्यसैन्यं वेति ? 'विक्षिप्तं सैन्यं शक्यं प्रतिसंहतु' वश्यत्वात्' इत्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः । अवश्यसैन्यं श्रेयः । अवश्यं हि शक्यं सामादि-भिर्धर्यं कर्तुं, नेतरत्कार्यव्यासक्तं प्रतिसहर्तुम् ।

(३) पुरुषभोगं हिरण्यभोगं वा मित्रमिति । 'पुरुषभोगं मित्रं श्रेयः, पुरुषभोगं मित्रं प्रतापकरं भवति । यदा चोत्तिष्ठते तदा कार्यं साधयति' इत्याचार्याः ।

(४) नेति कौटिल्यः । हिरण्यभोगं मित्रं श्रेयः, नित्यो हिरण्येन योगः कदाचित् दण्डेन दण्डश्च हिरण्येनान्ये च कामाः प्राप्यन्त इति ।

से शीघ्र तैयार हो जाने वाला निर्दल मित्र ही उत्तम है, क्योंकि ऐसा मित्र हरेक आवश्यकता पर काम आता है और इच्छानुसार उसको किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है । इसके विपरीत ये सभी बातें दूसरे मित्र में नहीं होती, विशेषतया जब कि वह दूर देश में रहता है ।

( १ ) 'कार्य सिद्धि के लिए अनेक स्थानों में विघटित राजा की बश्य सेना अच्छी है या जिसकी सेना तो अपने वश में न हो लेकिन सब अपने पास हो, ऐसा मित्र अच्छा है ?' पूर्वाचार्यों का इस सबध में यह सुझाव है कि विघटित सेना शीघ्र ही एकत्र की जा सकती है ।

( २ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि अपने पास ही एकत्र अवश्य सेना वाला राजा ही मित्र के लायक है, क्योंकि साम, दाम आदि उपायों से उस सेना को अपने वश में किया जा सकता है और शीघ्र ही इच्छित कार्यों में उसको लगाया जा सकता है । इसके विपरीत दूसरे कार्यों में व्यस्त विखरी हुई सेना को तत्काल एकत्र कर अपने कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है ।

( ३ ) 'आदमियों को सहायता देने वाला मित्र अच्छा है ? या हिरण्य की सहायता देने वाला मित्र अच्छा है ?' इन दोनों में आदमियों की सहायता देने मित्र ही अच्छा है, क्योंकि वह स्वयं ही शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें दबा सकता है, और जब कभी भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो उक्त कार्य को पूरा भी कर डालता है ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है ।

( ४ ) किन्तु कौटिल्य इस बात को नहीं मानता है । उसके मत से हिरण्य आदि की सहायता देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि धन की आवश्यकता सदा ही बनी रहती है, जब कि सेना की आवश्यकता कभी-कभी ही होती है । और फिर धन के द्वारा सेना-संग्रह भी किया जा सकता है तथा दूसरे अभीष्ट कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है ।

(१) हिरण्यभोग भूमिभोग वा मित्रमिति । 'हिरण्यभोग गतिमत्त्वात्सर्वेभ्यप्रतीकारकरम्' इत्याचार्या ।

(२) नेति कौटिल्य — 'मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्भुवत्' इत्युक्त पुरस्तात् । तस्माद्भूमिभोग मित्र श्रेय इति ।

(३) तुल्ये पुरुषभोगे विक्रम क्लेशसहत्वमनुराग सर्वबललाभी वा मित्रकुलाद्विशेष ।

(४) तुल्ये हिरण्यभोगे प्रार्थितार्थता प्राभूत्यमल्पप्रयासता सातत्य च विशेष ।

(५) तत्रैतद्भुवति—

नित्य वश्य लघूत्थान पितृपंतामह महत् ।

अद्वैध्य चेति सम्पन्न मित्र षड्गुणमुच्यते ॥

(६) ऋते यदर्थं प्रणयाद्रक्ष्यते यच्च रक्षति ।

पूर्वोपघितसम्बन्ध तन्मित्र नित्यमुच्यते ॥

(७) सर्वचित्रमहाभोग त्रिविध वश्यमुच्यते ।

( १ ) हिरण्य देने वाला मित्र श्रेष्ठ है या भूमि देने वाला मित्र श्रेष्ठ है ? इस पर पूर्वाचार्यों का कहना है कि हिरण्य देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि धन को जहाँ चाहो इच्छानुसार लगाया जा सकता है और हर तरह का व्यय उससे पूरा किया जा सकता है ।

( २ ) कि तु कौटिल्य का कहना है कि मित्र और हिरण्य दोनों ही भूमि से प्राप्त किए जा सकते हैं' इस बात को पहिले ही बताया जा चुका है । इसलिए भूमि की सहायता देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है ।

( ३ ) यदि दो मित्र समान रूप से पुरषो की सहायता पहुँचाने वाले हो तो उनमें जो पराक्रमी क्लेशमह, अनुरागी और मौलभृत आदि सभी प्रकार की सेनाएँ देने वाला हो वही श्रेष्ठ है ।

( ४ ) इसी प्रकार समानरूप से हिरण्य आदि की सहायता पहुँचाने वाले दो मित्रों में वही मित्र श्रेष्ठ है, जो थोड़ा ही बहने पर बहुत धन दे और निरतर ही ऐसा देता रहे ।

( ५ ) मित्र और उनके गुण गुण भेद से मित्र छह प्रकार के होते हैं नित्य, वश्य, लघूत्थान पितृ-पंतामह महत् और अद्वैध्य ।

( ६ ) निम्बाय भाव से पुराने मन्त्रों के कारण स्नहवश विजिगीषु त्रिमकी रक्षा करता है और जो विजिगीषु की रक्षा करता है उसको नित्यमित्र कहत हैं ।

( ७ ) वश्यमित्र तीन प्रकार का होता है सर्वभोग, चित्रभोग और महाभोग ।

- (१) एकतोभोग्युभयतः सर्वतोभोगि चापरम् ॥  
आदातृ वा दात्रपि वा जीवत्परिषु हितया ।  
मित्रं नित्यमवश्यं तद् दुर्गाटव्यपसारि च ॥
- (२) अन्यतो विगृहीतं यत्लघुव्यसनमेव वा ।  
सन्धत्ते चोपकाराय तन्मित्रं वश्यमध्रुवम् ॥
- (३) एकाथनिर्यसम्बन्धमुपकार्यविकारि च ।  
मित्रभावि भवत्येतन्मित्रमर्द्धैष्यमापदि ॥
- (४) मित्रभावाद्ध्रुवं मित्रं शत्रुसाधारणाच्चलम् ।  
न कस्यचिदुदासीनं द्वयोरुभयभावि तत् ॥

जो सेना, धन, भूमि आदि सभी तरह से विजिगीषु की सहायता करता है वह सर्व-भोग वश्यमित्र, जो केवल सेना एव धन से विजिगीषु का महान् उपकार करे वह महाभोग वश्यमित्र, और जो रत्न, ताँबा, लोहा, लकड़ी के जगल आदि से विजिगीषु की सहायता करता है वह चित्रभोग वश्यमित्र कहलाता है। अनर्थ-निवारण की दृष्टि से वश्यमित्र के तीन भेद और हैं, एकतोभोगी, उभयतोभोगी और सर्वतोभोगी। जो केवल शत्रु का प्रतीकार करे वह एकतोभोगी, जो शत्रु तथा शत्रुमित्र दोनों का प्रतीकार करे वह उभयतोभोगी, और जो शत्रु, शत्रुमित्र तथा आटविक आदि सब का प्रतीकार करे वह सर्वतोभोगी वश्यमित्र कहलाता है।

( १ ) जो विजिगीषु का उपकार न करने पर भी शत्रुओं की लूट-मार करके अपना निर्वाह करता हो और जो दुर्ग एव अटवी में सुरक्षित हो वह वश्यमित्रता हीन नित्यमित्र कहलाता है।

( २ ) किन्तु जिस-जिस पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो, जिस पर थोड़ी विपत्ति आ पडी हो, इसलिए जो सहायतायं विजिगीषु से सन्धि करना चाहता है वह नित्य-मित्रताहीन वश्यमित्र कहलाता है। उपकारक होने से वश्य और अपनी उन्नति-काल तक ही मित्रता रखने के कारण वह अनित्य है।

( ३ ) जो दुःख-सुख को समान रूप से अनुभव करे, सदा उपकार करने वाला हो, कभी भी विमुक्त न हो और जो आपत्तिकाल में साथ न छोड़े वह अर्द्धैष्य मित्र है। उसके साथ मित्रता का नित्य मबध होने के कारण उसको मित्रभावि भी कहते हैं।

( ४ ) जो शत्रु और विजिगीषु, दोनों का उपकार न करे, जो दोनों का समान उपकार करे, जो दुर्बलतावश दोनों वा सेवक बना रहे, वह उभयभावि मित्र कहलाता है।

- (१) विजिगीषोरमित्रं यन्मित्रमन्तर्धितां गतम् ।  
उपकारे निविष्टं वाशक्तं वानुपकारि तत् ॥
- (२) प्रियं परस्य वा रक्ष्यं पूज्यसम्बन्धमेव वा ।  
अनुगृह्णाति यन्मित्रं शत्रुसाधारणं हि तत् ॥
- (३) प्रकृष्टभीमं सन्तुष्टं बलवच्चालसं च यत् ।  
उदासीनं भवत्येतद्व्यसनादवमानितम् ॥
- (४) अरेर्नेतुश्च यद्बुद्धिं दौर्बल्यादनुवर्तते ।  
उभयस्याप्यविद्विष्टं विद्यादुभयभावि तत् ।
- (५) कारणाकरणध्वस्तं कारणाकरणागतम् ।  
यो मित्रं समपेक्षेत स मृत्युमुपगूहति ॥

(६) क्षिप्रमल्पो लाभश्चिरान्महानिति वा । 'क्षिप्रमल्पो लाभः कार्य-  
देशकालसंवादकः श्रेयान्' इत्याचार्याः ।

(७) नेति कौटिल्यः । विरादविनिपाती बीजसधर्मा महान् लाभः  
श्रेयान्, विषयंये पूर्वः ।

( १ ) जो विजिगीषु राजा अमित्र तथा शत्रु-विजिगीषु के बीच होने के कारण मित्र हो तथा इच्छा होने पर भी जो दोनों का उपकार न कर सके वह भी उभय-भावि मित्र है ।

( २ ) जो विजिगीषु का मित्र हो तथा शत्रु का भी प्रिय एवं रक्ष्य ( रक्षा किए जाने योग्य ) हो और शत्रु के साथ जिसका कोई पूज्य सम्बन्ध हो, वह भी उभय-भावि मित्र कहलाता है ।

( ३ ) दूसरे देश में रहने वाला, सन्तोषी, बलवान् और आलस्य एवं व्यसनो के कारण तिरस्कृत मित्र उपकार करने के समय उदासीन हो जाया करता है ।

( ४ ) जो मित्र दुर्बल होने के कारण शत्रु और विजिगीषु दोनों का अनुगामी होता है । किसी से भी द्वेष न करके दोनों की आज्ञा को मानता है वह भी उभय-भावि मित्र कहलाता है ।

( ५ ) अकारण गत और अकारण आगत मित्र को जो आश्रय देता है । वह निश्चय ही अपनी मौत को स्वयं बुलाता है ।

( ६ ) 'शीघ्र होने वाला थोड़ा लाभ अच्छा है या देर में होने वाला बड़ा लाभ अच्छा है ?' इस पर पूर्वाचार्यों का कथन है कि शीघ्र हो जाने वाला थोड़ा लाभ श्रेयस्कर है, क्योंकि उससे देश, काल और कार्य के लाभ को जाना जा सकता है ।

( ७ ) किन्तु कौटिल्य इससे सहमत नहीं है । उसका कहना है कि देर में होने



( १ ) एवं दृष्ट्वा ध्रुवे लाभे लाभोशे च गुणोदयम् ।  
स्वार्थसिद्धिपरो यायात् संहितः सामवायिकः ॥

इति पाङ्गुप्ये सप्तमेऽधिकरणे मित्रहिरण्यभूमिकर्मसन्धिर्नाम नवमोऽध्यायः,  
आदित पटद्वयतमः ।

— ० —

वाला विघ्नरहित बोज आदि का महान लाभ ही उत्तम है । यदि महान लाभ में निघन होने की सम्भावना हो तो शीघ्र मिलनेवाला छोडा ही लाभ श्रेष्ठ है ।

( १ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने निश्चित लाभ या लाभोश के परिणाम को ठीक तरह से जानकर दूसरे राजाओ के साथ सन्धि करके अपनी कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहे ।

पाङ्गुप्य नामक सप्तम अधिकरण में मित्रहिरण्यभूमिकर्मसन्धि नामक नौवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

- (१) 'त्व चाहं च भूमिं लभावहे' इति भूमिसन्धिः ।  
 (२) तयोयंः प्रत्युपस्थितार्यः सम्पन्ना भूमिमवाप्नोति सोऽतिसन्धत्ते ।  
 (३) तुल्ये सम्पन्नालाभे यो बलवन्तमाक्रम्य भूमिमवाप्नोति, सोऽति-  
 सन्धत्ते । भूमिलाभ शत्रुकशेन प्रताप च हि प्राप्नोति । दुर्बलाद्भूमिलाभे  
 सत्य सौकर्यं भवति । दुर्बल एव च भूमिलाभः, तत्सामन्तश्च मित्रममित्र-  
 भाव गच्छति ।  
 (४) तुल्ये बलीयस्त्वे यः स्थिर शत्रुमुत्पाटय भूमिमवाप्नोति, सोऽति-  
 सन्धत्ते । दुर्गावाप्तिर्हि स्वभूमिरक्षणममित्राटवीप्रतिषेधं च करोति ।

### भूमिसन्धि

#### ( सन्धि-विचार-२ )

( १ ) 'तुम और हम मिलकर भूमि को प्राप्त करें' इस प्रकार की गई भूमि-  
 विषयक सन्धि को भूमिसन्धि कहते हैं ।

( २ ) शत्रु और विजिगीषु दोनों में जो भी धन और गुणी भृत्यों को शीघ्र  
 उपस्थित कर सम्पन्न भूमि को प्राप्त करता है, वह विशेष लाभ में रहता है ।

( ३ ) दोनों को समान रूप से सम्पन्न भूमि के प्राप्त हो जाने पर भी जो बल-  
 वान् शत्रु पर आक्रमण करके भूमि को प्राप्त करता है वही विशेष लाभ में रहता है,  
 क्योंकि एक तो उसे भूमि का लाभ होता है और दूसरे अपने बलवान् शत्रु का नाश  
 कर वह अपने प्रताप का भी विस्तार करता है । यद्यपि दुर्बल से भूमि प्राप्त करना  
 नि मन्देह सुगम है, तथापि इस प्रकार का भूमि लाभ निवृष्ट कोटि का होता है  
 क्योंकि यह लाभ दुर्बल की हिंसा करके प्राप्त होता है और दूसरे में दुर्बल के पड़ोसी  
 सामंत तथा विजिगीषु के मित्र भी उसके आचरण से धुब्ध होकर उसके शत्रु बन  
 जाते हैं । इसलिए दुर्बल से भूमि लेना श्रेयस्कर नहीं है ।

( ४ ) दो समान बलशाली शत्रुओं के होने पर, जो विजिगीषु स्थायी शत्रु का  
 नाश कर भूमि प्राप्त करता है, वही विशेष लाभ में है, क्योंकि शत्रु के दुर्ग आदि  
 अपने हाथों में आ जाने पर विजिगीषु की भूमि की रक्षा हो जाती है और आटविको  
 का प्रतीकार करना भी उसके लिए सरल हो जाता है ।

(१) चलामित्राद्भूमिलाभे शक्यसामन्ततो विशेषः । दुर्बलसामन्ता हि क्षिप्राप्यायनयोगक्षेमा भवति । विपरीता बलवत्सामन्ता कोशदण्डावच्छेदनी च भूमिर्भवति ।

(२) सम्पन्ना नित्यामित्रा मन्दगुणा वा भूमिरनित्यामित्रेति । 'सम्पन्ना नित्यामित्रा श्रेयसी भूमिः । सम्पन्ना हि कोशदण्डो सम्पादयति । तौ चामित्रप्रतिघातकौ' इत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः—नित्यामित्रालाभे भूयाञ्छत्रुलाभो भवति । नित्यश्च शत्रुरूपकृते चापकृते च शत्रुरेव भवति । अनित्यस्तु शत्रुरूपकारादनपकाराद्वा शाम्यति ।

(४) यस्या हि भूमेर्वहुदुर्गाश्चोरगणं म्लेच्छाटवीभिर्वा नित्याविरहताः प्रत्यन्ताः, सा नित्यामित्रा । विपर्यये त्वनित्यामित्रेति ।

(५) अल्पा प्रत्यासन्ना महती व्यवहिता वा भूमिरिति । अल्पा प्रत्यासन्ना श्रेयसी । सुखा हि प्राप्तुं पालयितुमभिसारयितुं च भवति । विपरीता व्यवहिता ।

( १ ) चलायमान शत्रु से भूमि लाभ करने पर उसी दशा में विशेष लाभ होता है जब उस चलायमान शत्रु का पड़ोसी दुर्बल हो, क्योंकि ऐसी भूमि विजिगीषु को शीघ्र ही योग क्षेम की देने वाली होती है । इसके विपरीत जिस विजित भूमि का समान्त बलवान् हो वह सर्वदा अनिष्टकर होती है, विजिगीषु के कोश और बल को क्षीण करने वाली होती है ।

( २ ) 'विजिगीषु के लिए सम्पन्न एव नित्य शत्रु की भूमि लेनी श्रेयस्कर है या अल्पसम्पन्न एव अनित्य शत्रु की भूमि लेनी श्रेयस्कर है ?' इस सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों का मन्व्य है कि सम्पन्न एव नित्य शत्रु की भूमि लेना ही उत्तम है, क्योंकि सम्पन्न भूमि के द्वारा कोश तथा सेना, दोनों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि शत्रुओं का उच्छेद किया जा सकता है ।

( ३ ) किन्तु कौटिल्य इस मन्व्य को स्वीकार नहीं करता है । उसका कहना है कि नित्य शत्रु की भूमि लेने से शत्रुता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो नित्य शत्रु है उसका उपकार किया जाय या अपकार, वह रहता शत्रु ही है । किन्तु अनित्य शत्रु का उपकार या अपकार करने पर वह शान्त हो जाता है ।

( ४ ) जिस भूमि के सीमा प्रान्तों के बहुत से दुर्ग चोरो, म्लेच्छो तथा आटविको से मदा धिरे रहते हैं वह भूमि नित्यामित्रा कहलाती है, और इसके विपरीत भूमि अनित्यामित्रा कहलाती है ।

( ५ ) 'प्राप्त होने वाली भूमियों में निश्चयवर्ती थोड़ी भूमि ठीक है या दूर की

(१) व्यवहिताव्यवहितयोरपि दण्डधारणात्मधारणा वा भूमिरिति । आत्मधारणा श्रेयसी । सा हि स्वसमुत्थाभ्यां कोशदण्डाभ्यां धार्यते । विपरीता दण्डधारणा दण्डस्थानमिति ।

(२) बालिशात् प्राज्ञाद् वा भूमिलाभ इति । बालिशाद्भूमिलाभः श्रेयान् । सुप्राप्यानुपाल्या हि भवत्यप्रत्यादेया च । विपरीता प्राज्ञादनुरक्तेति ।

(३) पीडनीयोच्छेदनीययोरुच्छेदनीयाद् भूमिलाभः श्रेयान् । उच्छेदनीयो ह्यनपाश्रयो दुर्बलापाश्रयो वाभियुक्तः कोशदण्डावादायापसर्तुकामः प्रकृतिभिस्त्यज्यते । न पीडनीयो दुर्गमित्त्रप्रतिस्तब्ध इति ।

(४) दुर्गप्रतिस्तब्धयोरपि स्थलनदीदुर्गीयाभ्यां स्थलदुर्गीयाद् भूमि-

बहुत-सी भूमि' ऐसी स्थिति में समीप की छोटी भूमि ही श्रेयस्कर है, क्योंकि सरलता से उसकी प्राप्ति और रक्षा की जा सकती है और विपत्ति काल में उसका आश्रय लिया जा सकता है । परन्तु बहुत दूर की अधिक भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है ।

( १ ) 'दूर और पास की भूमि में पर रक्षित भूमि लेना ठीक है या स्वयं रक्षित भूमि ?' इन दोनों में स्वयं रक्षित भूमि लेना ही उत्तम है, क्योंकि स्वयं स्थापित कोप और सेना द्वारा उसकी रक्षा की जा सकती है । किन्तु पररक्षित भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है, क्योंकि दूसरे के स्थापित कोप और सेना द्वारा उसकी रक्षा की जाती है ।

( २ ) 'मूर्ख शत्रु और बुद्धिमान् शत्रु दोनों में किससे भूमि प्राप्त करना श्रेयस्कर है ?' मूर्खशत्रु राजा से भूमि लेना श्रेयस्कर है, क्योंकि वह बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है और एक तो उसकी रक्षा सुगमता से की जा सकती है तथा दूसरे वह लौटानी भी नहीं पड़ती है । परन्तु बुद्धिमान् शत्रु राजा से प्राप्त भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है, उसके प्रकृतिजन तथा प्रजाजन उसमें सदा ही अनुराग रखने वाले होते हैं ।

( ३ ) पीडनीय और उच्छेदनीय, इन दोनों शत्रु राजाओं में उच्छेदनीय शत्रु की भूमि लेना श्रेयस्कर है, क्योंकि निराश्रय तथा दुर्बल आश्रय का होने के कारण, जब उस पर चढ़ाई की जाती है तो, वह सेना तथा कोप सहित भाग निकलता है । ऐसी दशा में प्रकृति जन उसकी सहायता नहीं करते । परन्तु पीडनीय शत्रु दुर्ग और मित्रों की सहायता प्राप्त करके अपने ही स्थान पर जमा रहता है । उसके प्रकृति जन भी उससे अनुराग रखते हैं ।

( ४ ) दुर्गों से सुरक्षित शत्रुओं में स्थल दुर्ग में रहने वाले शत्रु की भूमि प्राप्त करना ठीक है या नदी दुर्ग में रहने वाले शत्रु की ? स्थल दुर्ग में रहने वाले शत्रु की

लाभः श्रेयान् । स्थलीयं हि सुरोधावमर्दावस्कन्दमनिःस्त्राविशत्रु च । नदी-दुर्गं तु द्विगुणवलेशकरमुदकं च पातघ्यं वृत्तिकरं चामित्रस्य ।

( १ ) नदीपर्वतदुर्गायाम्यां नदीदुर्गायाद् भूमिलाभः श्रेयान् । नदीदुर्गं हि हस्तिस्तम्भसङ्क्रमसेतुबन्धनौभिः साध्यमनित्यगाम्भीर्यमवसाव्युदकं च, पार्वतं तु स्वारक्षं दुरुपरोधि कृच्छ्रारोहणं भग्ने चंकस्मिन् न सर्ववधः, शिलावृक्षप्रमोक्षश्च महापकारिणाम् ।

( २ ) निम्नस्थलयोधिभ्यो निम्नयोधिभ्यो भूलाभः श्रेयान् । निम्नयो-धिना ह्यपरुद्धदेशकालाः, स्थलयोधिनस्तु सर्वदेशकालयोधिनः ।

( ३ ) खनकाकाशयोधिभ्यः खनकेभ्यो भूमिलाभः श्रेयान् । खनका हि खातेन शस्त्रेण चोभयथा युध्यन्ते, शस्त्रेणैवाकाशयोधिनः ।

भूमि लेना ही ठीक है, क्योंकि स्थल-दुर्ग को सरलता से घेरा जा सकता है, उच्छिन्न किया जा सकता है और शत्रु को भी उससे भाग निकलने का सुयोग नहीं मिल पाता है । इसलिए शीघ्र ही वह आक्रमणकारी की आधीनता स्वीकार कर लेता है । परन्तु नदी-दुर्ग को इससे दुगुना कष्ट उठा कर भी काबू में नहीं किया जा सकता है । वहाँ पर जल और जलाधीन अन्न, फल आदि के होने से शत्रु के निर्वाह में कोई बाधा नहीं पड़ती । इसलिए उसका उच्छेद करना कठिन होता है ।

( १ ) नदी दुर्ग और पर्वत दुर्ग दोनों में से नदी दुर्ग में रहने वाले राजा से ही भूमि लाभ होना श्रेष्ठ है, क्योंकि हाथी, लकड़ी, पुल, बाँध और नौकाओं द्वारा पार करके उसको हस्तगत किया जा सकता है । किनारी को तोड़ कर उसके जल को भी निकाला जा सकता है । परन्तु पर्वतीय दुर्ग पत्थर आदि से सुदृढ़ बना होने के कारण न तो उसको सरलता से घेरा जा सकता है और न ही उस पर चढ़ा जा सकता है । अस्त्रों में से एक को ही नष्ट किया जा सकता है बाकी सुरक्षित बने रहते हैं । बड़े शक्ति-शाली आक्रमणकारी का भी, ऊपर से पत्थर, पेड़ आदि गिरा कर प्रतीकार किया जा सकता है ।

( २ ) निम्नयोधी ( नौका में बैठ कर युद्ध करने वाले ) और स्थलयोधी शत्रुओं में निम्नयोधी शत्रु से ही भूमि लाभ श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके युद्ध का निश्चित समय एवं निश्चित स्थान होता है । इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं है । परन्तु स्थलयोधी सभी परिस्थितियों में युद्ध करता है । इसलिए उसको शीघ्र ही नहीं जीता जा सकता है ।

( ३ ) खनकयोधी ( खाई युद्ध करने वाले ) और आकाशयोधी शत्रुओं में खनक योधी शत्रु से ही भूमि लाभ श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके लिए खाई तथा अन्न दोनों की आवश्यकता होती है । कभी-कभी खाई के लिए उचित स्थान न मिलने के कारण वे

(१) एवंविधेभ्यः पृथिवीं लभमानोऽर्थशास्त्रवित् ।  
संहितेभ्यः परेभ्यश्च विशेषमधिगच्छति ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे भूमिसन्धिर्नाम दशमोऽध्यायः,  
आदित सप्तशततमः ।

— . ० :—

युद्ध नहीं करने पाते हैं । इसलिए उनको सरलता से वश में किया जा सकता है । परन्तु आकाशयोधी शत्रु केवल शस्त्र द्वारा ही युद्ध करता है । इसलिए उसको जीतना कठिन है ।

( १ ) इस प्रकार अर्थशास्त्रज्ञ विजिषीपु राजा, ऊपर बताये गए संहित एवं दूसरे राजाओं से, पृथ्वी को प्राप्त करता हुआ अपनी उन्नति करता जाय ।

इति पाद्गुण्ये नामक सप्तम अधिकरण मे भूमिसन्धि नामक  
दसवाँ अध्याय समाप्त ।

— : ० :—

(१) 'त्वं चाह च शून्यं निवेशयावह' इत्यनवसितसन्धिः ।

(२) तयोर्यः प्रत्युपस्थितार्थो यथोक्तगुणा भूमि निवेशयति सोऽति-  
सन्धत्ते ।

(३) तत्रापि स्थलमौदक वेति । महतः स्थलादल्पमौदकं श्रेयः, सात-  
त्यादवस्थितत्वाच्च फलानाम् ।

(४) स्थलयोरपि प्रभूतपूर्वापरसस्यमल्पवर्षंपाकमसत्कारम्भं श्रेयः ।

(५) औदकयोरपि धान्यवापमधान्यवापाच्छ्रेयः । तयोरल्पबहुत्वे  
धान्यकान्तादल्पान्महदधान्यकान्तं श्रेयः । महत्यवकाशे हि स्थाल्याश्रान-  
नूप्याश्रौपधयो भवन्ति । दुर्गादीनि च कर्माणि प्राभूत्येन क्रियन्ते । कृत्रिमा  
हि भूमिगुणाः ।

### अनवसित सधि

#### ( सधि-विचार ३ )

( १ ) 'आजो, तुम और हम मिलकर शून्य भूमि में उपनिवेश बसायें' इस प्रकार से जो सधि की जाय उसको अनवसित ( अनिश्रित ) सधि कहते हैं ।

( २ ) उन दोनों में से जो, पूर्ण साधनों को साथ लेकर पूर्वोक्त मुणमपन्न भूमि में उपनिवेश बसाता है वही विशेष लाभ में रहता है ।

( ३ ) सर्वगुणसपन्न स्थलभूमि और जलभूमि, दोनों में जलभूमि को बसाना ही श्रेष्ठ है । अधिक स्थलभूमि की अवेक्षा थोड़ी ही जलभूमि अच्छी है, क्योंकि सदा ही वह फल-फूल आदि से गुलजार बनी रहनी है ।

( ४ ) दो स्थल भूमियों में भी वही स्थलभूमि अच्छी होती है, जहाँ बसत और शारद को फसलें एक समान अच्छी होती हैं तथा जहाँ थोड़ी ही वृष्टि से फसलें एक कर तैयार हो जाती हैं और जिनको सरलता से जोता-बोया जा सकता है ।

( ५ ) दो जलमय भूमियों में वही भूमि उत्तम है, जहाँ सभी धान्य बोये जा सकें और जहाँ धान्य न हो वह भूमि अच्छी नहीं है । उनमें भी कम ज्यादा को दृष्टि में रखकर उपजाऊ अधिक भूमि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अधिक विस्तार होने से उसके जल स्थल युक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अन्न उपजाये जा सकते हैं । क्योंकि

(१) खनिधान्यभोगयोः खनिभोगः कोशकरः, धान्यभोगः कोशकोष्ठा-  
गारकरः धान्यमूला हि दुर्गादीना कर्मणामारम्भाः । महाविययविक्रयो वा  
खनिभोगः श्रेयान् ।

(२) 'द्रव्यहस्तिवनभोगयोर्द्रव्यवनभोगः सर्वकर्मणा योनिः प्रमूतनिधान-  
क्षमश्च । विपरीतो हस्तिवनभोगः' इत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । शव्यं द्रव्यवनभनेकमनेकस्यां भूमौ वापयितुं न  
हस्तिवन, हस्तिप्रधानो हि परानीकवध इति ।

(४) वारिस्थलपथभोगयोरनित्यो वारिपथभोगः, नित्यः स्थलपथभोग  
इति ।

(५) भिन्नमनुष्या श्रेणीमनुष्या वा भूमिरिति । भिन्नमनुष्या श्रेयसी ।

भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना अपने हाथ में निर्भर है, इसलिए अधिक भूमि को  
लेना ही श्रेष्ठ है ।

( १ ) खानयुक्त तथा धान्ययुक्त भूमियों में खातयुक्त भूमि केवल कोष की वृद्धि  
करती है, किन्तु धान्ययुक्त भूमि कोष और कोष्ठगार दोनों को सपन्न करती है । क्योंकि  
दुर्ग आदि कर्मों की उन्नति भी धान्यमूलक ही है, अतः धान्ययुक्त भूमि ही श्रेयस्कर  
होती है । अथवा खानयुक्त भूमि भी उत्तम है, क्योंकि वहाँ से उत्पन्न वस्तुओं का बड़ा  
भारी व्यापार किया जा सकता है ।

( २ ) 'लकड़ी के जगल और हाथी के जगल, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ?' इस  
सवध में पूर्वाचार्यों का कहना है कि लकड़ियों का जगल ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एक तो  
दुर्ग आदि कर्मों में लकड़ी की बड़ी आवश्यकता होती है और दूसरे उसका अधिक-से  
अधिक सचय सरलता से किया जा सकता है । किन्तु हाथी के जगलों में यह उपयो-  
गिता नहीं होती है ।

( ३ ) आचार्य कौटिल्य इस बात को नहीं मानता है । उसका कथन है कि  
'लकड़ी के जगल अपनी इच्छानुसार बनाये जा सकते हैं, हाथियों के जगल स्वयं नहीं  
बनाये जा सकते हैं । शत्रु की सेना को नाश करने वाले साधनों में हाथी प्रमुख साधन  
है । इसलिए हाथियों के जगल ही श्रेष्ठ हैं ।'

( ४ ) जलमार्ग और स्थलमार्ग में दोनों ही अनित्य ( अस्थायी ) हो तो उनमें  
जलमार्ग ही उत्तम है । यदि दोनों ही नित्य ( स्थायी ) हो तो स्थलमार्ग ही उत्तम  
समझना चाहिए ।

( ५ ) 'भिन्न प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि अच्छी है या समान प्रकृति मनुष्यों  
वाली भूमि श्रेष्ठ है ?' इन दोनों में भिन्न प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि ही श्रेष्ठ समझनी



भिन्नमनुष्याभोग्या भवत्यनुपजाप्या चान्येषाम् । अनापत्सहा तु । विपरीता श्रेणीमनुष्या कोपे महादोषा ।

( १ ) तस्या चातुर्वर्ण्यभिनिवेशे सर्वभोगसहत्वादवरवर्णप्राया श्रेयसी । बाहुल्याद्घ्रुवत्वाच्च कृप्या. कर्षणवती । कृप्याश्रान्येषां चारम्भाणां प्रयोजकत्वाद् गोरक्षकवती । पण्यनिचयर्णानुग्रहादाडचवणिग्वती ।

( २ ) भूमिगुणानामपाश्रयः श्रेयान् ।

( ३ ) दुर्गापाश्रया पुरुषापाश्रया वा भूमिरिति । पुरुषापाश्रया श्रेयसी । पुरुषवद्धि राज्यम् । अपुरुषा गौर्वन्धयेव किं दुहीत ।

( ४ ) महाक्षयव्ययनिवेशा तु भूमिमवाप्तुकामः पूर्वमेव क्रेतारं पणेत । दुर्बलमराजवीजिन निरुत्साहमपक्षमन्यायवर्ति व्यसनिनं दैवप्रमाणं यत्किञ्चनकारिण वा ।

चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि को विजिगीषु शीघ्र ही अपने कब्जे में कर लेता है, और क्योंकि भिन्न प्रकृति के कारण दूसरे शत्रु भी उन्हे बहका नहीं सकते हैं । ऐसे लोग आपत्तिसह भी नहीं होते हैं । किन्तु समान प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि को शत्रु बहका सकते हैं । एकता के कारण वहाँ की प्रजा हर तरह की आपत्तियों को सहन करने के लिए तैयार रहती है और कुपित होने पर राजा का भी उच्छेद कर देती है ।

( १ ) उस भूमि में चारों वर्णों के लोगों की स्थिति के सबध में यह विचार कर लेना चाहिए कि सब तरह के दुःख मुष्ण सहन करने वाले शूद्र, ग्वाने आदि नीची जाति के मनुष्यों वाली भूमि ही श्रेष्ठ होती है । क्योंकि सेती की अधिकता और निश्चित फलवती होने के कारण ऐसी भूमि श्रेयस्कर होती है । कृषि सबधी व्यापार तथा अन्य अनेक कार्य गाय एवं गोपालको पर ही निर्भर हैं । इसलिए गाय और ग्वासो से युक्त भूमि ही श्रेष्ठ है । व्यापार के लिए धान्य आदि का सचय तथा व्याज पर ऋण आदि देकर उपकार करने के कारण व्यापारी और धनवान् व्यक्तियों से युक्त भूमि भी श्रेष्ठ होती है ।

( २ ) भूमि के उक्त सभी गुणों में से आश्रय या रक्षा, उसके सर्वोच्च गुण हैं ।

( ३ ) 'दुर्गों का आश्रय देने वाली भूमि अच्छी होती है या मनुष्यों का ?' इन दोनों में मनुष्यों का सहारा देने वाली भूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य कहते ही उसको है, जहाँ बहुत से पुरुष निवास करते हो, 'पुरुषवद्धि राज्यम्' । पुरुषहीन भूमि तो वन्ध्या गौ के समान है ।

( ४ ) जन धन का अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने वाली भूमि को यदि विजिगीषु प्राप्त करना चाहे तो पहिले वह उस भूमि का ऐसा खरीददार राजा तैयार कर ले, जो दुर्बल, आराजजीवी ( जो किसी राजवश का न हो ), उत्साहहीन, अपक्ष

(१) महाक्षयव्ययनिवेशाया हि भूमौ दुर्बलो राजबीजी निविष्टः सगन्धाभिः प्रकृतिभि सह क्षयव्ययेनावसीदति ।

(२) बलवानराजबीजी क्षयव्ययभयादसगन्धाभिः प्रकृतिभिस्त्यज्यते ।

(३) निरुत्साहस्तु दण्डवानपि दण्डस्याप्रणेता सदण्डः क्षयव्ययेनाव-  
भज्यते ।

(४) कोशवानप्यपक्ष क्षयव्ययानुग्रहहीनत्वात् कुतश्चित्प्राप्नोति ।

(५) अन्यायवृत्तिनिविष्टमप्युत्थापयेत्, स कथमनिविष्ट निवेशयेत् ।

(६) तेन व्यसनी व्याख्यातः ।

(७) दैवप्रमाणो मानुषहीनो निरारम्भो विपन्नकर्मारम्भो वावसीदति ।

(८) यत्किञ्चनकारी न किञ्चिदासादयति । स चैषा पापिष्ठतमो भवति ।

( वेसहारा ) अन्यायवृत्ति, व्यसनी, भाग्यवादी और यत्किञ्चनकारी ( जो मन में आया, कर दिया ) हो ।

( १ ) जन धन आदि का अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने योग्य भूमि में जब शक्तिहीन राजवश में पैदा हुआ राजा उपनिवेश बसाता है तो अत्यधिक पुरुषों का क्षय और धन का व्यय होने के कारण अपने सहायकों सजातीयों और अमात्य आदि प्रकृतियों के साथ वह क्षीण हो जाता है ।

( २ ) राजवश में पैदा न हुए बलवान् राजा को क्षय-व्यय के भय से उसके विज्ञानीय अमात्य आदि सहायक उसको छोड़ देते हैं ।

( ३ ) सेना के होते हुए भी उत्साहहीन राजा उसका यथोचित उपयोग नहीं कर पाता है । इसलिए धन जन का व्यय क्षय हो जाने के कारण सेना के सहित ही वह नष्ट हो जाता है ।

( ४ ) कोपसन्न मित्रहीन राजा क्षय व्यय में उचित सहायता न मिलने के कारण नष्ट हो जाता है ।

( ५ ) प्रजा पर अन्याय करने वाले स्थायी रूप से बसे हुए राजा को जब प्रजा उखाड़ फेंकती है तब नये उपनिवेशों को बसाना उसके लिए कैसे संभव हो सकता है ?

( ६ ) यही हाल व्यसनी राजा का भी होता है ।

( ७ ) भाग्य पर प्ररोमा करने वाला पौरुषहीन राजा किसी नये कार्य को आरम्भ नहीं करता है, यदि आरम्भ करता भी है तो विघ्न के भय से उसे अधूरा ही छोड़ देता है, और इस प्रकार जन धन की व्यर्थ हानि करने के बाद वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है ।

( ८ ) बिना विचारे कार्य करने वाला राजा कभी फूलता फलता नहीं है, किन्तु

(१) 'यत्किञ्चिदारभमाणो हि विजिगीषोः कदाचिच्छिद्रमासादयेत्' इत्याचार्याः ।

(२) 'यथा छिद्रं तथा विनाशमप्यासादयेत्' इति कौटिल्यः ।

(३) तेषामलाभे यथा पाणिप्राहोपग्रहे वक्ष्यामस्तथा भूमिमवस्थापयेत् । इत्यभिहितसन्धिः ।

(४) गुणवतीमादेयां वा भूमिं बलवता ऋपेण याचितः सन्धिमवस्थाप्य दद्यात् । इत्यनिभृतसन्धिः ।

(५) समेन वा याचितः कारणमवेक्ष्य दद्यात् । 'प्रत्यादेया मे भूमिर्वंश्या वा, अनया प्रतिबद्धः परो मे वश्यो भविष्यति, भूमिविक्रयाद्वा मित्र-हिरण्यलाभः कार्यसामर्थ्यं करो मे भविष्यति' इति ।

ऊपर कहे गए सभी राजाओं की अपेक्षा विजिगीषु के लिए वह बहुत खतरनाक सिद्ध होता है ।

( १ ) पूर्वाचार्यों का कहना है कि किसी कार्य को प्रारंभ करता हुआ शत्रु यदि विजिगीषु के किसी दोष का पता लगा ले तो वह यत्किञ्चनकारी राजा के द्वारा विजिगीषु को हानि पहुँचा सकता है, क्योंकि विजिगीषु उसे मूर्ख समझ कर उससे पीठ फेर रहा है ।

( २ ) परन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि वह यत्किञ्चनकारी विजिगीषु के दोषों को जानने की तरह स्वयं को भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि विजिगीषु तो उसके अनेक दोषों से परिचित रहता है ।

( ३ ) यदि इन उपर्युक्त राजाओं में से कोई उस व्यय-क्षयी भूमि को खरीदने के लिए तैयार न हो तो जो तरीका आगे पाणिप्राह के साथ सन्धि के लिए बताया जायेगा उसी के अनुसार उस भूमि को बसाने की व्यवस्था करे । इसीका नाम अभिहितसन्धि है । अभिहितसन्धि, अर्थात् लेन-देन से विचलित न होकर बराबर बनी रहना ।

( ४ ) गुणवती और अदेय भूमि को यदि बलवान् सामंत खरीदना चाहे तो उससे 'अवसर आने पर आप मेरी सहायता करेंगे' ऐसी सामान्य सधि करके वह भूमि उसके हाथ बेच देनी चाहिए, क्योंकि प्रबल सामंत दुर्बल से अविश्वास करके अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ भी सकता है । इसको अनिभृतसन्धि कहते हैं ।

( ५ ) यदि समानशक्ति राजा उस भूमि को खरीदना चाहे तो नीचे लिखे कारणों पर अच्छी तरह विचार करके वह भूमि उसके हाथ बेच देनी चाहिए । वे कारण हैं : बेच देने पर यह भूमि कालान्तर में मेरे पाम जा सकेगी, अथवा बेच देने पर भी मैं इससे लाभ उठाता रहूँगा, अथवा इस भूमि के साथ संबन्ध बना रहने के कारण दूसरा

(१) तेन हीनः क्रेता व्याख्यातः ।

(२) एवं मित्रं हिरण्यं च सजनामजनां च गाम् ।  
लभमानोऽतिसन्धत्ते शास्त्रवित्सामवापिकान् ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणेऽनवसितसन्धिर्नाम एकादशोऽध्यायः,  
आदित्योऽष्टशततमः ।

— . ० —

शत्रु मेरे वश में हो जायेगा, अथवा इसको बेच देने पर मैं मित्र तथा धन-सपत्ति से सपन्न हो जाऊँगा ।'

( १ ) इसी प्रकार हीनशक्ति खरीददार के सबध में भी समझना चाहिए ।

( २ ) अर्थशास्त्रज्ञ राजा इस प्रकार मित्र, धन, सपत्ति, आवाद और वज्र भूमि को प्राप्त करता हुआ दूसरे राजाओं की अपेक्षा सदा ही विशेष लाभ प्राप्त करता है ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में अनवसितसन्धि नामक  
ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

— . ० —

(१) 'त्वं चाहं च दुर्गं कारयावहे' इति कर्मसन्धिः ।

(२) तयोर्यो दैवकृतमविषह्यमल्पपारम्भं दुर्गं कारयति, सोऽति-सन्धस्ते ।

(३) तत्रापि स्थलनदीपर्वतदुर्गाणामुत्तरोत्तरं श्रेयः ।

(४) सेतुबन्धयोरप्याहायोदकात्सहोदकः श्रेयान् । सहोदकयोरपि प्रभूतवापस्थानः श्रेयान् ।

(५) द्रव्यवनयोरपि यो महत् सारवद्द्रव्याटवीकं विषयान्ते नदीमातृकं द्रव्यवनं छेदयति, सोऽतिसन्धस्ते । नदीमातृकं हि स्वाजीवमपाश्रयश्चापदि भवति ।

(६) हस्तिवनयोरपि यो बहुशूरमृगं दुर्बलप्रतिवेशमनन्ताववलेशि विषयान्ते हस्तिवनं बध्नाति, सोऽतिसन्धस्ते ।

### कर्मसन्धि

#### ( सन्धि-विचार ४ )

( १ ) 'आप और मैं मिलकर दुर्गं बनवायें' इस प्रकार किसी कार्य सम्बन्धी वस्तु का नाम लेकर जो सन्धि की जाती है उसको कर्मसन्धि कहते हैं ।

( २ ) इस प्रकार की सन्धि करने वाले विजिगीषु और उसका साथी राजा, दोनों में से वही विशेष लाभ में रहता है जो शत्रुओं से दुर्गमें दुर्गम स्थान में अल्प व्यय करके दुर्ग बनवाता है ।

( ३ ) ऐसे दुर्गों में भी स्थल में बने दुर्ग की अपेक्षा जल में बना दुर्ग श्रेष्ठ है और उससे भी पर्वतीय प्रदेश में बना हुआ दुर्ग श्रेष्ठ होता है ।

( ४ ) सेतुबन्धों में वर्षा जल से भरने वाले की अपेक्षा स्वाभाविक अर्थात् नहर आदि के जल से भरने वाला सेतुबन्ध उत्तम है । उनमें भी वह सेतुबन्ध श्रेष्ठ है जो खेती योग्य पर्याप्त भूमि के निकट हो ।

( ५ ) जो राजा अनेक पदार्थों को पैदा करने वाले जंगलों में नदियों से सींचे जाने योग्य फल-फूलों को पैदा करने वाले अपने सीमाप्रान्त के जंगलों को ठीक करता है । वही विशेष लाभ में रहता है । क्योंकि नदियों से सींचे जाने वाले स्थान आजीविका के साधन होने के साथ-साथ विपत्ति काल में आश्रय देने वाले भी होते हैं ।

( ६ ) हामी और मृग के जंगलों में भी जो राजा शक्तिशाली जंगली जानवरों

(१) तत्रापि 'बहुकुष्ठाल्पशूरधोरल्पशूरं श्रेयः । शूरेषु हि युद्धम् । अल्पाः शूरा बहूनशूरान् भञ्जन्ति, ते भग्नाः स्वसंग्यावघातिनो भवन्ति' इत्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः । कुष्ठा बहवः श्रेयासः, स्कन्धविनिधोगादनेकं कर्म कुर्वाणाः स्वेषामपाधया युद्धे, परेषा दुर्घर्षा विभोयणाश्च ।

(३) बहुषु हि कुष्ठेषु विनयकर्मणा शक्यं शौर्यमाधातुं, न त्वेवाल्पेषु शूरेषु बहुत्वमिति ।

(४) खन्योरपि यः प्रभूतसारामदुर्गं मार्गमल्पव्ययारम्भां खनि खानयति, सोऽतिसन्धत्ते ।

(५) तत्रापि 'महासारमल्पसारं वा प्रभूतमिति । महासारमल्पं श्रेयः । वज्रमणिमुक्ताप्रवालहेमरूप्यधातुर्हि प्रभूतमल्पसारमल्पघेण प्रसते' इत्याचार्याः ।

से युक्त, दुर्बलो के लिए भी सुखकर और अनेक जाने-जाने के मार्गों से युक्त हस्तियनो को अपने प्रदेश में स्थापित करता है वह विशेष लाभ में रहता है ।

( १ ) उन हाथी के जगलो में भी अशक्त अधिक सहायक हस्तियन की अपेक्षा शक्तिशाली थोड़े हाथियों वाले जगल ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बलवान् हाथियों के भरोसे ही युद्ध होता है । इसके विपरीत पुरातन आचार्यों का कहना है कि अल्पमूल्यक शूर हाथी बहुसङ्ख्यक कायर हाथियों को भगा देते हैं और वे तितर-वितर हो कर अपनी ही सेना को कुचल डालते हैं ।

( २ ) किन्तु कौटिल्य इस तर्क से सहमत नहीं हैं । उनका कथन है कि शक्तिहीन बहुत हाथियों का होना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि सेना के अनेक विभागों में उनसे अनेक कार्य लिए जा सकते हैं । इसलिए युद्ध में वे अच्छे सहायक, शत्रुओं को घबड़ा देने वाले ( अधिक होने के कारण ) और शत्रु के वश में न जाने वाले होते हैं ।

( ३ ) सख्या में अधिक हाथी यदि सामर्थ्यहीन भी हों तो कोई हानि नहीं है; क्योंकि युद्ध सम्बन्धी जिज्ञासों के द्वारा उन्हें समर्थ बनाया जा सकता है, किन्तु शक्तिशाली थोड़े हाथियों की सख्या महत्ता बढ़ाई नहीं जा सकती है ।

( ४ ) खानों में भी, जो राजा उत्तम वस्तुएँ देने वाली, दुर्गम मार्गों से युक्त और अल्प व्ययकर खानों को खुदवाना है वह विशेष लाभ प्राप्त करता है ।

( ५ ) उन खानों में भी मणि-माणिक्य आदि बहुमूल्य वस्तुओं को थोड़े परिमाण में उत्पन्न करने वाली खान श्रेष्ठ है ? अथवा अधिक परिमाण वाली अल्पमूल्य की वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली खान श्रेष्ठ है ? इस सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों का कथन है कि 'बहुमूल्य थोड़ी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली खान अच्छी है, क्योंकि हीरा,

(१) नेति कौटिल्यः । चिरादल्पो महासारस्य क्रैना विद्यते । प्रभूतः सातत्यादल्पसारस्य ।

(२) एतेन वणिक्पथो व्याख्यातः ।

(३) तत्रापि 'वारिस्थलपथयोर्वारिपथः श्रेयान्, अल्पव्ययव्यायामः प्रभूतपण्योदयश्च' इत्याचार्याः ।

(४) नेति कौटिल्यः । संखड्गतिरसार्वकालिकः प्रकृष्टमययोर्निन्दप्रतिकारश्च वारिपथः । विपरीतः स्थलपथः ।

(५) वारिपथे तु कूलसंयानपथयोः कूलपथः पण्यपट्टणबाहुल्याच्छ्रेयान् । नदीपथो वा सातत्याद्विपण्याबाधत्वाच्च ।

(६) स्थलपथेऽपि । 'हैमवतो दक्षिणापथाच्छ्रेयान् हस्त्यश्वगन्धदन्ताजिनरूप्यसुवर्णपण्याः सारवत्तराः' इत्याचार्याः ।

मणि, मोती, मूंगा, सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य थोड़ी वस्तुएँ, अल्प मूल्य की अधिक वस्तुओं को भी दबा लेती हैं ।'

( १ ) किन्तु कौटिल्य इस मन्तव्य से सहमत नहीं है । वह कहता है कि 'मूल्यवान् वस्तु का खरीददार बहुत समय बाद कोई विरला ही मिलता है, किन्तु अल्पमूल्य वस्तुओं के खरीददारों की कभी नहीं रहनी है ।'

( २ ) इसी प्रकार व्यापारिक मार्गों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ।

( ३ ) स्थलमार्ग और जलमार्ग में से जलमार्ग द्वारा व्यापार करना श्रेयस्कर है, क्योंकि उसमें धम तथा व्यय अधिक नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा माल आसानी से जाया-ले-जाया जा सकता है—ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है ।

( ४ ) इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य का कथन है कि विपत्तिकाल में जलमार्ग सब ओर से रोक जा सकता है । सभी शत्रुओं में उससे जाना आना भी नहीं हो सकता है । स्थल मार्ग की अपेक्षा वह भयजनक और अप्रतीकारक भी है । किन्तु स्थल मार्ग में ये सभी दिक्कतें नहीं होती हैं । इसलिए स्थलमार्ग ही श्रेष्ठ है ।'

( ५ ) जलमार्ग दो प्रकार का होता है एक तो किनारे-किनारे का मार्ग ( कूलपथ ) और दूसरा जल के बीच का मार्ग ( संयानपथ ) इन दोनों में कूलपथ ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस पर अनेक व्यापारिक नगर बसे होते हैं, जिससे बड़ा लाभ उठाया जा सकता है । अथवा संयानपथ भी उत्तम समझना चाहिए, क्योंकि नदी में निरन्तर पानी भरा रहता है, जिससे मार्ग में कोई उत्कट बाधा उपस्थित नहीं हो पाती है ।

( ६ ) 'स्थलमार्ग में भी दक्षिणापथ की अपेक्षा उत्तरापथ श्रेष्ठ है, क्योंकि उस

(१) नेति कौटिल्यः। कम्बलाजिन<sup>\*</sup>विषण्यवर्ज्याः शंखवज्रमणिमुक्ता-  
सुवर्णपण्याश्च प्रभूततेरा दक्षिणापथे ।

(२) दक्षिणापथेऽपि बहुखनिः सारपण्यः प्रसिद्धगतिरल्पव्यायामो वा  
वणिक्पथः श्रेयान् । प्रभूतविषयो वा फल्गुपण्यः ।

(३) तेन पूर्वः पश्चिमश्च वणिक्पथो व्याख्यातः ।

(४) सत्रापि चक्रपादपथयोश्चक्रपथो विपुलारम्भस्वाच्छ्रेयान् । देश-  
कालसम्भावनो वा खरोष्ट्रपथः ।

(५) आभ्यामसपथो व्याख्यातः ।

(६) परकर्मोदयो नेतुः क्षयो वृद्धिविपर्यये ।

तुल्ये कर्मपथे स्थानं ज्ञेयं स्वं विजिगीषुणा ॥

और हाथी, घोड़े, कस्तूरी, दाँत, चाप, चाँदी और सुवर्ण आदि बहुमूल्य विक्रीय वस्तुएँ अधिकता से मिल जाती हैं ।' यह प्राचीन आचार्यों का मत है ।

( १ ) परन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'बदल, चमड़ा और घोड़े इन वस्तुओं को छोड़ कर हाथी आदि तथा शक, हीरा, मणि, मोती, सुवर्ण आदि अन्य अनेक विक्रीय वस्तुएँ उत्तर की अपेक्षा दक्षिण की ओर अधिक होती हैं । इसलिए दक्षिणापथ ही श्रेष्ठ है ।'

( २ ) दक्षिणापथ में भी वह मार्ग उत्तम समझना चाहिए, जो सान तथा विक्रीय वस्तुओं से युक्त, आने-जाने में सुगम और थोड़े से परिश्रम से सिद्ध होने वाला हो । अथवा वह मार्ग श्रेष्ठ समझना चाहिए जहाँ थोड़े कीमत की वस्तुएँ बहुतायत से मिल सकें या जहाँ बहुमूल्य वस्तुओं से अधिक खरीददार हो ।

( ३ ) इसी प्रकार पूरव और पश्चिम के व्यापारिक मार्गों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ।

( ४ ) इन व्यापारिक मार्गों में भी पैदल मार्ग की अपेक्षा सवारी योग्य मार्ग को उत्तम समझना चाहिए । क्योंकि ऐसे मार्गों से बहुत व्यापार किया जा सकता है । विक्रीय वस्तुएँ अधिक तादाद में लायी ले जायी जा सकती हैं । देश-वाल के अनुसार गधों और ऊँटों का मार्ग भी श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि उनसे भी अधिक व्यापार किया जा सकता है ।

( ५ ) इसी प्रकार कन्धों के द्वारा भार ढोने वाले बैल आदि के व्यापारिक मार्गों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ।

( ६ ) शत्रु का अपने कार्यों से लाभ होना ही विजिगीषु का क्षय समझना चाहिए और अपने कार्यों की मिट्टि में ही सफलता समझनी चाहिए । यदि कार्यफल दोनों को बराबर मिले तो विजिगीषु को पूर्ववत् एक जैसा समझना चाहिए । उसने न तो उन्नति की न तो अवमति ।



- ( १ ) अल्पागमातिव्ययता क्षयो वृद्धिविपर्यये ।  
समायव्ययता स्थानं कर्मसु ज्ञेयमात्मनः ॥
- ( २ ) तस्मादल्पव्ययारम्भं दुर्गादिषु महोदयम् ।  
कर्म लब्ध्वा विशिष्टाः स्यादित्युक्ताः कर्मसन्धयः ॥

इति पाङ्गुण्ये सप्तमेऽधिककरणे कर्मसन्धिर्नाम द्वादशोऽध्याय  
आदितो नवोत्तरशततम ।

— ० —

( १ ) थोड़ी आय तथा अधिक खर्च हो तो क्षय, इसके विपरीत वृद्धि समझनी चाहिए । इसी प्रकार बराबर आय व्यय में समान अवस्था समझनी चाहिए ।

( २ ) इसलिये विजिगीषु को चाहिए कि वह दुर्ग आदि के कार्यों में थोड़ा खर्च करके ही महान् फल प्राप्त करने की चेष्टा करे । महान् फल देने वाले कार्यों को प्राप्त करके ही विजिगीषु अपने शत्रु से बढ सकता है । यही कर्मसन्धि है ।

पाङ्गुण्य नामक सप्तम अधिककरण में कर्मसन्धि नामक  
बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—; ० ;—



(१) सहत्यारिविजिगोष्वोरमित्तयोः परामियोगिनोः पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽतिमन्घत्ते । शक्तिसम्पन्नस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽतिमन्घत्ते । शक्तिसम्पन्नो ह्यमित्त-  
मुच्छिद्य पार्ष्णिप्राहमुच्छिन्द्यात्, न हीनशक्तिरलब्धलाभ इति ।

(२) शक्तिसाम्ये यो विपुलारम्भस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽतिसन्घत्ते ।  
विपुलारम्भो ह्यमित्तमुच्छिद्य पार्ष्णिप्राहमुच्छिन्द्यात्, नालपारम्भः सक्तचक्र  
इति ।

(३) आरम्भसाम्ये यः सर्वसन्दोहेन प्रयातस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽति-  
सन्घत्ते । शून्यमूलो ह्यस्य सुकरो भवति, नकदेशबलप्रयातः कृतपार्ष्णि-  
प्रतिविधान इति ।

(१) बलोपादानसाम्ये यश्चलामित्रं प्रयातस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽति-  
सन्धत्ते । चलामित्रं प्रयातो हि सुखेनावप्तिसिद्धिः पार्ष्णिग्राहमुच्छिन्द्यात्, न  
स्थितामित्रं प्रयातः । असौ हि दुर्गप्रतिहतः । पार्ष्णिग्राहे च प्रतिनिवृत्त-  
स्थितेनामित्रेणावगृह्यते ।

(२) तेन पूर्वं व्याख्याताः ।

(३) शत्रुसाम्ये यो धार्मिकाभियोगिनः पार्ष्णि गृह्णाति सोऽतिसन्धत्ते ।  
धार्मिकाभियोगी हि स्वेषां च द्वेष्यो भवति । अधार्मिकाभियोगी सम्प्रियः ।

(४) तेन मूलहरतादात्विककदर्याभियोगिनां पार्ष्णिग्रहणं व्याख्यातम् ।

(५) मित्राभियोगिनोः पार्ष्णिग्रहणे त एव हेतवः ।

(६) मित्रममित्रं चाभियुञ्जानयोर्यो मित्राभियोगिनः पार्ष्णि गृह्णाति,

कर थोड़ी सेना को साथ ले युद्ध के लिए प्रस्थान किया हो उसको जीतना सरल नहीं  
है । वह अपने पार्ष्णिग्राह का अच्छी तरह प्रतीकार कर सकता है ।

( १ ) धरावर सेनाओं को साथ ले जाने वाले राजाओं में से उसी का पार्ष्णि-  
ग्राह बनना ठीक है, जिसने अपने दुर्गरहित शत्रु पर आक्रमण किया हो । क्योंकि सहज  
ही में अपने दुर्गरहित शत्रु को वश में करके बाद में वह अपने पार्ष्णिग्राह का भी  
उच्छेदन कर सकता है । परन्तु दुर्गसम्पन्न राजा के साथ युद्ध में लगे शत्रु पर चढाई  
करने में कोई लाभ नहीं है, प्रत्युत हानि की संभावना अधिक है । क्योंकि युद्ध से  
त्रिसिया कर जब वह वापिस लौटता है तो पार्ष्णिग्राह के साथ ही युद्ध में जुट जाता  
है, जिससे पार्ष्णिग्राह की हानि ही होती है, लाभ नहीं ।

( २ ) इसी प्रकार हीनशक्ति पार्ष्णिग्राही, अल्पासक्ति पार्ष्णिग्राही और कुछ सेना  
ले जाने वाले पार्ष्णिग्राही राजाओं के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( ३ ) सर्वथा समानशक्ति शत्रुओं में उसी का पार्ष्णिग्राह बनने में विशेष लाभ  
है, जिसने अपने किसी धर्मिणा शत्रु पर आक्रमण किया हो । क्योंकि ऐसा करने पर  
अपने और पराये सभी उससे द्वेष करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में पार्ष्णिग्राह  
सरलता से ही उसको अपने वश में कर सकता है । परन्तु अधर्मी शत्रु पर आक्रमण  
करने वाला राजा सभी का प्रिय हो जाता है और वह निश्चित ही अपने शत्रु को  
जीत लेता है इसलिए ऐसे राजा का पार्ष्णिग्राह बनने में कोई लाभ नहीं है ।

( ४ ) इसी प्रकार मूलहर, तादात्विक और कदर्य राजाओं पर आक्रमण करने  
वाले पार्ष्णिग्राह के लाभालाभ के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए—मूलहर और  
तादात्विक में से मूलहर पर और तादात्विक तथा कदर्य में से कदर्य पर आक्रमण  
करने में विशेष लाभ है ।

( ५ ) मित्रराजाओं का पार्ष्णिग्रहण बनने के भी वे ही नियम समझने चाहिए,  
जो कि अतिसंधि में निर्देश किये गये हैं ।

( ६ ) मित्र और शत्रु पर आक्रमण करने वाले राजाओं में से, जो मित्र पर

सोऽतिसन्धत्ते । मित्राभियोगी हि सुखेनावान्तसिद्धिः पाणिग्राहमुच्छिन्द्यात् । सुकरो हि मित्रेण सन्धिर्नामित्रेणेति ।

(१) मित्रममित्रं चोद्धरतोर्योऽमित्रोद्धारिणः पाणिं गृह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । वृद्धमित्रो ह्यमित्रोद्धारी पाणिग्राहमुच्छिन्द्यात्, नेतरः स्वपक्षोपघाती ।

(२) तयोरलब्धलाभापगमने यस्यामित्रो महतो लाभद्विपुक्तः क्षयव्ययाधिको वा, स पाणिग्राहोऽतिसन्धत्ते । लब्धलाभापगमने यस्यामित्रो लाभेन शक्त्या हीनः, स पाणिग्राहोऽतिसन्धत्ते । यस्य वा यातव्यः शत्रोविग्रहापकारसमर्थः स्यात् ।

(३) पाणिग्राहयोरपि यः शक्यारम्भबलोपादानाधिकः स्थितशत्रुः पार्श्वस्थायी वा सोऽतिसन्धत्ते । पार्श्वस्थायी हि यातव्याभिसारो भूलबाधकश्च भवति । मूलाबाधक एव पश्चात्स्थायी ।

आक्रमण करने वाले राजा का पाणिग्राह बनता है वही विशेष लाभ में रहता है । क्योंकि मित्र पर आक्रमण करने वाला राजा सहज ही में सिद्धि प्राप्त कर लेता है और बलवान् होकर वह पाणिग्राह का भी उच्छेद कर सकता है । इसके विपरीत, क्योंकि मित्र के साथ संधि हो जाना सुकर होता है, शत्रु के साथ कठिनता से ही संधि हो सकती है । अतः शत्रु पर आक्रमण करने वाला राजा न तो सिद्धिलाभ कर सकता है और न तो पाणिग्राह की कुछ हानि कर सकता है ।

(१) मित्र और शत्रु का उन्मूलन (उद्धार) करने वाले राजाओं में से जो शत्रु का उद्धार करने वाले राजा का पाणिग्राह बनता है वही विशेष लाभ में रहता है । क्योंकि शत्रु का उद्धार करने वाला राजा स्वपक्ष और मित्रपक्ष से सपन्न होकर पाणिग्राह का भी उच्छेद कर सकता है । परन्तु दूसरा, जो मित्र का ही उन्मूलन करना चाहता है, अपने ही पक्ष का घातक होने के कारण, कभी भी पाणिग्राह का उच्छेद नहीं कर सकता है ।

(२) मित्र और शत्रु का उन्मूलन करने वाले राजाओं के कोई विशेष लाभ प्राप्त किये वगैर ही लौट आने पर, उनमें से ऐसे शत्रु पर आक्रमण करने में लाभ है, जिसने कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया और जिसका अधिक क्षयव्यय हुआ हो । क्योंकि वह शत्रु को धीन कर पाणिग्राह को भी हानि पहुँचा सकता है । किन्तु विशेष लाभ प्राप्त करके लौट आने पर जिसका शत्रु लाभ तथा शक्ति से हीन हो, ऐसे आक्रमणकारी राजा का पाणिग्राह बनने में लाभ रहता है । क्योंकि लाभ और शक्ति से सपन्न शत्रु को बश में न कर सकने के कारण वह पाणिग्राह का कुछ नहीं विगाड़ पाता है । अथवा जो यातव्य और विजिगीषु के साथ युद्ध करके अपकार करने में असमर्थ हो उसकी पाणि को दबाने वाला राजा भी विशेष लाभ में रहता है ।

(३) दो समान गुण वाले पाणिग्राह राजाओं में वही पाणिग्राह विशेष लाभ

(१) पार्ष्णिग्रहास्त्रयो ज्ञेयाः शत्रुश्रेष्ठानिरोधकाः ।

सामन्ताः पृष्ठतोवर्गं प्रतिवेशी च पार्श्वयोः ॥

(२) अरेनेतुश्च मध्यस्थो दुर्बलोऽन्तर्धिरुच्यते ।

प्रतिघाते बलवतो दुर्गटिव्यपसारवान् ॥

(३) मध्यम त्वरिविजिगोष्वोल्प्समानयोर्मध्यमस्य पार्ष्णि गृह्यतो लब्धलाभापगमने यो मध्यम मित्राद्वियोजयति, अमित्र च मित्रमानोति, सोऽतिसन्धत्ते । सन्धेयश्च शत्रुरूपकुर्वाणो, न मित्र मित्रभावादुत्कान्तम् ।

(४) तेनोदासीनलिप्सा व्याख्याता ।

(५) 'पार्ष्णिग्रहणाभिमानयोस्तु मन्त्रयुद्धादभ्युच्चयः । व्यायामयुद्धे हि क्षपव्ययाभ्यामुमयोरवृद्धिः । जित्वापि हि क्षीणदण्डकोशः पराजितो भवति' इत्याचार्याः ।

में रहता है, जिसके पास कार्यसिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा अधिक सेना हो और जो दुर्ग आदि से संपन्न हो, अथवा जो यानव्य का पड़ोसी हो । क्योंकि निकटवर्ती को यदि विशेष लाभ होता है तो वह यानव्य के साथ मिलकर विजिगीषु के मूलस्थान को भी बाधा पहुँचा सकता है । परन्तु दूर रहनेवाले से बाधा की आशंका नहीं रहती है ।

( १ ) शत्रु के कार्य व्यापार को रोकने वाले पार्ष्णिग्रह तीन प्रकार के होते हैं १ आक्रमण करने वाले राजा के समीपवर्ती २. पीछे रहने वाले और ३ इधर-उधर के, पार्श्ववर्ती ।

( २ ) आक्रमणकारी विजिगीषु और उसके शत्रु के बीच का दुर्बल राजा अन्तर्धि कहलाता है । केवल बलवान् का मुकारला होने पर वह दुर्ग तथा घने जंगल ( अटवी ) में छिप जाता है । इसीलिए उसका ऐसा अन्वयं नाम पडा ।

( ३ ) मध्यम राजा को बश में करने की इच्छा रखने वाले शत्रु और विजिगीषु, दोनों में वही विशेष लाभ में रहना है, जो उसका पार्ष्णिग्रह बनता है, और वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त कर मध्यम राजा को अपने मित्र से अलग कर देता है तथा जो स्वयं अपने शत्रु तक को अपना मित्र बना लेता है । उपकार करने वाले शत्रु के साथ भी सधि कर लेनी चाहिए और मित्रभाव से शून्य अपकार करने वाले मित्र को भी छोड़ देना चाहिए ।

( ४ ) इसी प्रकार उदासीन राजा को बश में कर लेना चाहिए ।

( ५ ) पार्ष्णिग्रह और आक्रमणकारी, इन दोनों राजाओं में वही अधिक उन्नत हो सकता है, जो मन्त्रयुद्ध से शत्रु का नाश करता है । साधारणतया युद्ध दो प्रकार होता है १. व्यायाम युद्ध और २. मन्त्रयुद्ध । युद्धभूमि में उतर कर शस्त्राव्य आदि के उपायो द्वारा शत्रु को विच्छिन्न कर देना व्यायामयुद्ध कहलाता है, और बिना युद्ध-भूमि में गये ही सभी तीक्ष्ण आदि गुणवर्ती द्वारा शत्रु का नाश कराना मन्त्रयुद्ध

(१) नेति कौटिल्यः । सुमहतापि क्षयव्ययेन शत्रुविनाशोऽभ्युपगन्तव्यः ।

(२) तुल्ये क्षयव्यये यः पुरस्ताद् द्रुप्यबलं घातयित्वा निश्शक्त्यः पश्चाद्दृश्यबलो युद्धचेतः, सोऽतिसन्धत्ते ।

(३) द्वयोरपि पुरस्ताद्द्रुप्यबलघातिनोर्यो बहुलतरं शक्तिमत्तरमत्यन्त-द्रुप्यं च घातयेत्, सोऽतिसन्धत्ते ।

(४) तेनाभिप्राटवीबलघातो व्याख्यातः ।

(५) पाणिग्राहोऽभियोक्ता वा यातव्यो वा यदा भवेत् ।  
विजिगीषुस्तदा तत्र नैत्रमेतत्समाचरेत् ॥

(६) पाणिग्राहो भवेन्नेता शत्रोर्मित्राभियोगिनः ।  
विप्राह्य पूर्वमाश्रुद पाणिग्राहाभिसारिणा ॥

(७) आश्रुदेनाभियुञ्जानः पाणिग्राहं निवारयेत् ।  
तथाश्रुदाभिसारेण पाणिग्राहाभिसारिणम् ॥

कहलाता है । इन दोनों में मन्त्रयुद्ध ही उत्तम का कारण है, क्योंकि व्यापार युद्ध में क्षय-व्यय होता है । तर्जुन युद्ध में जीत जाने पर भी सेना और कोष के क्षीण हो जाने के कारण वह राजा प्रायः पराजित-सा ही हो जाता है । यह प्राचीन आचार्यों की राय है ।

( १ ) इससे विपरीत कौटिल्य का कहना है कि चाहे कितना ही क्षय-व्यय क्यों न हो, हर हालत में शत्रु का नाश करना ही उद्देश्य होना चाहिए ।

( २ ) मनुष्य तथा धन की बराबर हानि होने पर जो राजा पहिले अपने द्रुप्य-बल को समाप्त कर फिर निष्पटक हो अपनी नियमित सेना को साथ लेकर युद्ध करता है वही विशेष लाभ में रहता है ।

( ३ ) यदि दोनों राजा पहिले अपने द्रुप्यबल को ही समाप्त कर डालते हैं तो उनमें से वही अधिक लाभ में रहता है, जो पहिले बहुसह्यक शक्तिशाली द्रुप्यबल को समाप्त करवा डालता है ।

( ४ ) द्रुप्यबल की ही भाँति शत्रुबल और अटवीबल के सबध में भी समझ लेना चाहिए ।

( ५ ) विजिगीषु जब पाणिग्राह अभियोक्ता अथवा यातव्य हो, उस समय उसे सीधे बनाये तरीके से नैतृत्व करना चाहिए ।

( ६ ) विजिगीषु को यही उचित है कि वह अपने मित्र पर आक्रमण करने वाले शत्रु के पृष्ठवर्ती मित्र ( आश्रुद ) को पहिले अपने मित्र की सेना के साथ भिटाकर फिर स्वयं उसकी पाणि को ग्रहण करें ।

( ७ ) यदि विजिगीषु स्वयं ही आक्रमणकारी हो तो वह अपने पाणिग्राह को अपने मित्र राजा द्वारा वारित करे और पाणिग्राह की सेना का मुकाबला अपने मित्र की सेना के द्वारा करे ।

- (१) अरिमित्रेण मित्रं च पुरस्तादवघटयेत् ।  
मित्रमित्रमरेश्वापि मित्रमित्रेण वारयेत् ॥
- (२) मित्रेण प्राहयेत्पाणिमभियुक्तोऽभियोगिनः ।  
मित्रमित्रेण चाक्रन्दं पाणिप्रग्राहाशिवारयेत् ॥
- (३) एवं मण्डलमात्मार्थं विजिगीषुनिवेशयेत् ।  
पृष्ठतश्च पुरस्ताच्च मित्रप्रकृतिसम्पदा ॥
- (४) कृत्स्ने च मण्डले नित्यं दूतान् गूढांश्च वासयेत् ।  
मित्रमृतः सपत्नानां हृत्वा हृत्वा च संवृतः ॥
- (५) असंवृतस्य कार्याणि प्राप्तान्यापि विशेषतः ।  
निरसंशयं विपन्नान्ते मित्रम्लव इवोदधी ॥

इति पाङ्गुण्ये सप्तमं अधिकरणं पाणिप्रग्राहचिन्ता नाम त्रयोदशोऽध्यायः  
आदितो दशोत्तरशततमः ।

— ० :—

( १ ) इस प्रकार अपने पीछे का प्रवन्ध कर सामने से कोई शत्रु मुकाबले में आये तो उससे अपने मित्र को भिटा दे । मदद के लिए यदि शत्रु के मित्र का मित्र आवे तो उसका मुकाबला अपने मित्र के मित्र से करे ।

( २ ) यदि विजिगीषु के ऊपर ही चढाई की गई हो तो अपने मित्र को अपने उस आक्रमणकारी का पाणिप्रग्राह बना दे । यदि आक्रमणकारी का कोई मित्र उस पाणिप्रग्राह का मुकाबला करने के लिए आवे तो उस अपने मित्र पाणिप्रग्राह के मित्र द्वारा उसका निवारण करे ।

( ३ ) इस प्रकार विजिगीषु, मित्ररूप प्रकृति की पूर्वोक्त गुणसमृद्धि से युक्त राज-मण्डल को अपनी सहायता के लिए आगे और पीछे ठीक तरह से स्थापित करे ।

( ४ ) अपनी सहायता के लिए स्थापित किये हुए उस संपूर्ण राजमण्डल में गुप्तचरो और दूतों का सदा उत्तम प्रवन्ध रहे और शत्रुओं के साथ ऊपर से मित्रता के भाव रखकर एक एक करके उन्हें मार दे तथा ऊपर से उदासीन एक निष्पक्ष बना रहे ।

( ५ ) जो राजा अपने गुप्त विचारों या गुप्त मन्वणाओं की रक्षा कर नहीं रख सकता है वह सभवायस्या में षड्विकर भी नीचे गिर जाता है । समुद्र में नाव के फट जाने से जो दशा सवार को होती है, ठीक वही दशा मन्त्र के फूट जाने पर राजा की होती है ।

पाङ्गुण्ये नामक सप्तमं अधिकरणं पाणिप्रग्राहचिन्ता नामक  
तेरहवां अध्याय समाप्तः ।

— ० :—

(१) सामवायिकैरेवमभियुक्तो विजिगीषुर्गस्तेषां प्रधानस्तं ब्रूयात्—  
'त्वया मे सन्धिः, इदं हिरण्यमहं च मित्रम्, द्विगुणा ते वृद्धिः, नाहंस्याहम-  
क्षयेण मित्रमुखानमित्रान् वर्धयितुम्, एते हि वृद्धास्त्वामेव परिभविष्यन्ति'।

(२) भेद वा ब्रूयात्—'अनपकारो यथाऽहमेतैः सम्भूयाभियुक्तः तथा  
त्वामप्येते सहितबलाः स्वस्था वयसने वाऽभियोक्ष्यन्ते । बलं हि चित्तं  
विकरोति, तदेषां विघातय' इति ।

(३) मित्रेषु प्रधानमुपगृह्य हीनेषु विक्रमयेत् । हीनाननुप्राह्य वा  
प्रधाने । यथा वा श्रेयोर्ऽभिमन्येत, तथा । वैरं वा परैर्ऽर्षाहयित्वा विसं-  
वादयेत् ।

### दुर्बल विजिगीषु के लिए शक्ति-संचय के साधन

( १ ) यदि अनेक राजा मिलकर विजिगीषु पर एक साथ आक्रमण करें तो विजिगीषु उन राजाओ के मुखिया से इस प्रकार कहे - 'मैं आपसे सधि करना चाहता हूँ, यह रहा हिरण्य । अब से मैं आपका मित्र हूँ । आपका भी दुगुना लाभ हो गया है । इसलिए अपने जन-धन का नुकसान कर इन ऊपरी मित्रों को बढ़ावा देना अब आपको उपयुक्त नहीं है । बाद में ये आप पर ही टूट पड़ेंगे । इसलिए आपको इनका साथ नहीं देना चाहिए ।'

( २ ) यदि ऐसा सम्भव न हो तो उनकी आपस में फूट करा दे । फूट डालने के लिए वह कहे कि 'जैसे मुझ निरपराध पर इन सबने आक्रमण किया है, वैसे स्वयं उन्नत होने पर या आपके विपत्तिबाल ये आप पर भी अवश्य आक्रमण करेंगे क्योंकि एकत्र बल अवश्य ही चित्त को विवृत्त कर देता है । इसलिए आपके लिए उचित यही है कि अभी से आप इनके संगठित बल को धिन्न मित्र कर दें ।'

( ३ ) इस प्रकार जब उनमें फूट हो जाय तब उनमें किसी प्रधान को अप्रसर करके हीनबल वाले शत्रु पर आक्रमण कर दे । अथवा हीनबल वाले राजाओं को अपनी ओर मिलाकर सामवायिकों के प्रधान पर ही पड़ाई कर दे । अथवा जिस तरह अपना काम बन सके, वैसा करे । अथवा उनमें से प्रत्येक के हृदय में परस्पर घृणाभाव पैदा कर उन्हें विघटित कर दे ।



(१) फलभूयस्त्वेन वा प्रधानमुपजाप्य सन्धि कारयेत् । अथोभयवेतनाः फलभूयस्त्वं दर्शयन्तः सामवायिकान् 'अतिसहिताः स्थ' इत्युद्गूढपयेयुः । दुष्टेषु सन्धि दूषयेत् । अथोभयवेतना भूयो भेदमेपां कुर्युः—'एवं तद्यदस्माभिर्दंशितम्' इति । भिन्नोत्पन्न्यतमोपग्रहेण वा चेष्टेत ।

(२) प्रधानाभावे सामवायिकानामुत्साहपितारं स्थिरकर्माणमनुरक्त-प्रकृतिं लोभाद्भ्रूयाद्वा सञ्जातमुपगतं विजिगीषोर्भाति राज्यप्रतिसम्बन्धं मित्रं चलामित्रं वा पूर्वानुत्तराभावे साधयेत् ।

(३) उत्साहपितारमात्मनिसर्गेण, स्थिरकर्माणं सान्त्वप्रणिपातेन, अनुरक्तप्रकृतिं कन्यादानयापनाभ्यां, लुब्धमशङ्कगुण्येन, भीतमेभ्यः कोश-दण्डानुग्रहेण, स्वतो भीतं विश्वासयेत्प्रतिभूप्रदानेन, राज्यप्रतिसम्बन्धमेकी-

( १ ) अथवा बहुत सा धन देकर उस मुखिया को फोड़ ले और खुद जाकर दूसरे राजाओं से चुपचाप सन्धि कर ले । उसके बाद विजिगीषु के उभय वेतन भोगी गुमचर उन सगठित राजाओं से मुखिया को मिली भारी रकम की बात सुनाते हुए उनसे 'तुम सबको उसने ठग लिया है' ऐसा कह कर भडकाये । जब सगठित राजा मुखिया के विरुद्ध हो जाय तो मुखिया के साथ की गई सधि की तोड़ दे । उसके बाद उभयवेतनभोगी गुमचर कहे 'देखो, मैंने पहिले ही कहा था कि मुखिया राजा ने भारी रकम मारी है । तभी तो गडबड हो जाने के कारण हमने विजिगीषु के साथ सधि को तोड़ दिया है । हम इस बात को पहले ही कह चुके थे ।' जब वे आपस में फूट जाय तो दोनों पक्षों में से किसी एक का सहारा लेकर पक्ष के साथ लड़ाई आरम्भ कर दे ।

( २ ) यदि उन सगठित राजाओं से कोई प्रधान न हो तो उनको उत्साहित करने वाला, स्थिरकर्मा, अनुरक्तप्रकृति, लोभ या भय से सधि में शामिल न होने वाला, विजिगीषु से भयभीत, अपने राज्य से सबन्धित, अपना ही मित्र और चक्षु शत्रु हो तो इन्हें ही वश में करना चाहिए । इनमें अगले-अगले राजा को वश में करने का यत्न करे ।

( ३ ) उत्साही राजा से विजिगीषु को कहे 'मैं अपनी सारी प्रकृति और पुत्रादि-सहित आपके अधीन हूँ । अपनी इच्छानुसार जिस कार्य पर चाहें मुझे लगा सकते हैं, किन्तु मेरा उच्छेद न कीजिए ।' इस प्रकार आत्मसमर्पण करके उसको वश में करे । स्थिरकर्मा को 'आपने मुझे भीत लिया है' कह कर वश में करे । अनुरक्तप्रकृति राजा को अपनी कन्या देकर वश में करे । लोभी राजा को दुगुना हिस्सा देकर, अपने आप से ढरे हुए राजा को विश्राम दिला कर वश में करे । इसी प्रकार अपने राज्य से सबंध रखने वाले राजा को—मैं और आप एक ही हूँ । मेरी पराजय में आपकी

भावोपगमनेन, मित्रमुभयतः प्रियहिताभ्यामुपकारत्यागेन वा, चलामित्र-  
मवधृतमनपकारोपकाराभ्याम् ।

(१) यो वा यथायोगं भजेत, तं तथा साधयेत् । सामदानभेददण्डैर्वा  
यथापत्सु व्याख्यास्यामः ।

(२) ध्यसनोपघातत्वरितो वा कोशदण्डाभ्यां देशे काले कार्यं वावधृतं  
सन्धिमुपेयात् । कृन्सन्धिहीनमात्मानं प्रति कुर्वीत ।

(३) पक्षे हीनो बन्धुमित्रपक्षं कुर्वीत, दुर्गमविपक्षं वा । दुर्गमित्रप्रति-  
स्तब्धो हि स्वैषा परेषा च पूज्यो भवति ।

(४) मन्त्रशक्तिहीनः प्राज्ञपुरुषोपचयं विद्यावृद्धसंयोगं वा कुर्वीत ।  
तथाहि सद्यः श्रेयः प्राप्नोति ।

(५) प्रभावहीनः प्रकृतियोगक्षेमसिद्धौ यतेत । जनपदः सर्वकर्मणां  
योनिः, ततः प्रभावः ।

भी पराजय है । दूसरो के साथ मिल कर मुझ पर आक्रमण करना आपको शोभा  
नही देता है ।' ऐसी आत्मीयता का भाव जताकर अपने वश में करे । मित्र राजा को  
प्रिय और हितकर वचनों से तथा उससे लिया गया वर उसे वापिस दे, इस प्रकार  
अपने वश में करे । अस्थिर शत्रु राजा को, उसका उपकार करने तथा अपकार  
न करने की प्रतिज्ञा से, वश में करे ।

( १ ) अथवा इन मगदिन राजाओं में जो जिस तरीके से वश में किया जा सके  
उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, अथवा साम, दाम आदि उपायों से उनको वश में  
करे, जैसा कि आपत्प्रकरण में आगे बताया जायेगा ।

( २ ) अथवा विजिगीषु राजा आसन्न विपत्ति को शीघ्र ही दूर करने की इच्छा  
रखकर मगदिन राजाओं से, भेना और कोप के द्वारा सहायता देने की शर्त पर, सधि  
कर ले और अपनी कमजोरियों को दूर करने का यत्न करे ।

( ३ ) मित्र रहित विजिगीषु को चाहिए कि वह अधिवाधिक राजाओं को  
अपना मित्र बनाये । या अभेद्य दुर्गों को बनवाये, क्योंकि मित्रसपन्न और दुर्गसपन्न  
विजिगीषु के विरोध में कोई लडा नहीं हो सकता है ।

( ४ ) बुद्धिबल ( मन्त्रशक्ति ) से हीन राजा को चाहिए कि वह बुद्धिमान् पुरुषों  
का संप्रहृ कर विद्यावृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों की संपत्ति करे । ऐसा करने से राजा  
शीघ्र ही अपना कल्याण करता है ।

( ५ ) प्रभुशक्ति ( प्रभाव ) से हीन राजा को चाहिए कि वह अपनी अमात्य  
प्रकृति तथा प्रयोजनों के योग-क्षेम के लिए महान् यत्न करे । क्योंकि जनपद ही सभी

- (१) तस्य स्थानमात्मनश्च आपदि दुर्गम् ।
- (२) सेतुबन्धः सस्मानां योनिः । नित्यानुपत्तो हि वर्षगुणलाभः सेतु-  
बापेषु ।
- (३) वणिक्पथः परातिसन्धानस्य योनिः, वणिक्पथेन हि दण्डगूढ-  
पुरुषातिथयनं शस्त्रावरणयानवाहनक्रयश्च क्रियते । प्रवेशो निन्दनं च ।
- (४) छनिः संग्रामोपकरणानां योनिः ।
- (५) द्रव्यवनं दुर्गकर्मणां, यानरथयोश्च ।
- (६) हस्तिवनं हस्तिनाम् ।
- (७) गजाश्वखरोष्ट्राणां च व्रजः ।
- (८) तेषामलाभे बन्धुमित्रकुलेभ्यः समाजंनम् ।
- (९) उत्साहहीनः श्रेणीप्रवीरपुरुषाणां चोरगणाटविक्रम्लेच्छजातीनां  
परापकारिणां गूढपुरुषाणां यथालाभमुपचयं कुर्वीत ।

कार्यों की निष्ठा का मूल है । उसी से कोप तथा सेना का सङ्ग्रह और दुर्गों का निर्माण किया जाता है । तभी प्रभावशाली बना जा सकता है ।

( १ ) उन प्रभाव का मूल दुर्ग ही है और उसी दुर्ग से विपत्तिकाल में अपनी भी रक्षा होती है ।

( २ ) अन्न आदि की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बाँध हैं । क्योंकि जो अन्न हमें केवल वृष्टि के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, बाँधों एक जलाशय के द्वारा उन जलों को जो हम सदा ही प्राप्त कर सकते हैं ।

( ३ ) व्यापारिक मार्ग शत्रुओं को घोरता देने के प्रधान कारण हैं, क्योंकि इन्हीं मार्गों द्वारा शत्रुदेश में सेना, तीक्ष्ण, रमद आदि पुरुषों को तथा अस्त्र, शस्त्र को भेजा जा सकता है और घोड़े आदि के क्रय-विक्रय का कार्य शत्रु देश में किया जा सकता है । इन्हीं मार्गों के द्वारा दूसरे देशों के साथ वस्तु-विनिमय और यातायात होता है ।

( ४ ) युद्ध के सभी उपकरणों का मूल स्थान छान है ।

( ५ ) दुर्गों और राजप्रासंगों के मूल कारण लकड़ियों के जंगल हैं । इसी प्रकार रथ तथा अन्य सवारियों के कारण भी जंगल ही हैं ।

( ६ ) हाथियों की उत्पत्ति के मूल कारण हस्तिवन हैं ।

( ७ ) हाथी, घोड़े, गधे और ऊँट आदि पशुओं की उत्पत्ति का कारण व्रज ( गोष्ठ ) है ।

( ८ ) यदि उपर्युक्त साधन अपने राज्य में उपलब्ध या उत्पन्न न हो तो उन्हें अपने मित्रों तथा बन्धुओं के दुर्गों से प्राप्त करना चाहिए ।

( ९ ) उत्साहहीन राजा को चाहिए कि वह श्रेणीपुरुषों, प्रवीरों, शत्रुओं का

(१) परमिश्रः प्रतीकारमाबलीयसं वा परेषु प्रयुञ्जीत ।

(२) एवं पक्षेण मन्त्रेण द्रव्येण च बलेन च ।  
सम्पन्नः प्रतिनिर्गच्छेत् परावप्रहमात्मनः ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे हीनशक्तिपूरण नाम चतुर्दशोऽध्यायः ,  
आदित एवादशोत्तरशततमः ।

— • —

अपकार करने वाले, चोरो आठविको म्लेच्छो और गुप्तचरो का अपने लाभ के लिए सग्रह करे ।

( १ ) शत्रुओ का बनावटो मित्र बनकर उनका प्रतीकार करता रहे, अथवा पीछे बताये गये आबलीयस अधिकरण के उपायो द्वारा शत्रुओ का प्रतीकार करता रहे ।

( २ ) इस प्रकार बधु, मित्र, विद्यावृद्ध पुरुषो की सगति से तथा दुर्ग, सेतुबध से उत्पन्न द्रव्य द्वारा और श्रेणी आदि बल से अपनी शक्ति को पूर्ण करता हुआ विजिगीषु सदैव अपने शत्रु का प्रतीकार करता रहे ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण मे हीनशक्तिपूरण नामक  
चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

— • —

(१) दुर्बलो राजा बलवताऽभियुक्तस्तद्विशिष्टबलमाश्रयेत्, यमितरो मन्त्रशक्त्या नातिसन्दध्यात् ।

(२) तुल्यबलमन्त्रशक्तीनामायत्तसम्पदो बृद्धसंयोगाद्वा विशेषः ।

(३) विशिष्टबलाभावे समबलैस्तुल्यबलसङ्घर्षा बलवतः सम्भूय तिष्ठेत्, यावन्न मन्त्रप्रभावशक्तिभ्यामतिसन्दध्यात् ।

(४) तुल्यमन्त्रप्रभावशक्तीनां विपुलारम्भतो विशेषः ।

(५) समबलाभावे हीनबलैः शुचिमिश्रत्साहिभिः प्रत्यनीकभूतैर्बलवतः सम्भूय तिष्ठेत्, यावन्न मन्त्रप्रभावोत्साहशक्तिभिरतिसन्दध्यात् । तुल्यो-

### बलवान् शत्रु और विजित शत्रु के साथ व्यवहार

( १ ) यदि कोई बलवान् राजा किसी दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो उस दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपने आक्रमणकारी राजा से भी बलवान् किसी ऐसे राजा का आश्रय प्राप्त करे, जिसको कि वह आक्रमणकारी राजा भी मन्त्रशक्ति आदि से फोड़ न सके ।

( २ ) यदि अनेक समान सैन्यशक्ति और मन्त्रशक्ति के राजा हो तो उनमें उसी का आश्रय प्राप्त किया जाय, जिसका प्रकृतिमण्डल बुद्धिमान् हो । यदि इस तरह के भी बहुत से राजा हों तो उनमें भी उसी का आश्रय लेना चाहिए, जो अत्यन्त अनुभवी विद्वानो से युक्त हो ।

( ३ ) यदि आक्रमणकारी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा आश्रय के लिये न मिले तो विजिगीषु को चाहिए कि वह समान शक्ति वाले या समान सैन्य बल वाले अनेक राजाओं के साथ मिलकर अपने शक्तिशाली आक्रमणकारी का तब तक मुकाबला करता रहे, जब तक कि वह शत्रु उन सब मिले हुए राजाओं को मन्त्रशक्ति तथा प्रभावशक्ति के द्वारा अलग-अलग न कर दे ।

( ४ ) यदि आश्रय लेने योग्य इस प्रकार के अनेक राजा हो तो उनमें से विपुलारम्भ राजा का ही आश्रय प्राप्त किया जाय ।

( ५ ) यदि समशक्ति राजा भी आश्रय के लिए न मिले तो आक्रमणकारी के प्रबल विरोधी उत्साही, पवित्रहृदय, बलवान् और बहुत से हीनशक्ति राजाओं के साथ मिलकर तब तक अपने शत्रु का मुकाबला करता रहे, जब तक कि अपनी सहायता करने वाले इन राजाओं में मन्त्रशक्ति तथा प्रभावशक्ति से भेद डालकर वह

हृत्निष्कामि । स्वयमधिष्ठितेन वा योगप्रणिधानेन क्षयव्ययमेनमुपनेष्यामि । क्षयव्ययप्रवासोपतप्ते वास्य मित्रवर्गे संन्ये वा क्रमेणोपजापं प्राप्स्यामि । वीवधासारप्रसारवधेन वास्य स्कन्धावारावग्रहं करिष्यामि । दण्डोपनयेन वास्य रन्ध्रमुत्थाप्य सर्वसन्दोहेन प्रहरिष्यामि । प्रतिहतोत्साहेन वा यथेष्टं सन्धिमवाप्स्यामि । मयि प्रतिबन्धस्य वा सर्वतः कीपाः समुत्थास्यन्ति । निरातारं वास्य मूलं मित्राटवीदण्डैरुद्धातयिष्यामि । महतो वा देशस्य योग-क्षेमनिहृत्स्थः पालयिष्यामि । स्वविक्षिप्तं मित्रविक्षिप्तं वा मे सैन्यमिहृत्स्थ-स्यंकस्थमविपहृतं भविष्यति । निम्नखातरान्त्रियुद्धविशारदं वा मे सैन्यं पथ्याद्वाधमुक्तमासन्ने कर्मणि करिष्यति । विरुद्धदेशकालमिहागतो वा स्वय-

दुर्गा तो दुर्ग का आश्रय ले । ४ अथवा यदि समझे कि हृदियार, अग्नि, विप आदि का प्रयोग करने वाले गुप्तचरो द्वारा या औपनिषदिक प्रकरण मे निर्दिष्ट प्रयोगों द्वारा पास आये आक्रमणकारी को मरवा डारूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ५ अथवा यदि समझे कि स्वय अधिष्ठित या योगप्रणिधान द्वारा शत्रु का अच्छी तरह क्षय-व्यय कर सकूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ६. अथवा यदि समझे कि क्षय-व्यय और प्रवास से सतप्त शत्रु के मित्रवर्ग तथा सेना मे धीरे-धीरे भेद डाल दूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ७ अथवा यदि समझे कि शत्रु देश मे आने वाले खाद्यपदार्थ, मित्रबल तथा पास, भूसा और ईंधन आदि को वीच मे ही नष्ट करके शत्रु की छावनी को पीड़ित कर सकूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ८ अथवा यदि समझे कि अपनी कुछ सेना को शत्रु की छावनी मे छिपे तौर से ले जाकर उसकी निर्वचताओं का पता लगाऊंगा और तब पूरे सैन्यबल के साथ उस पर हमला बोल दूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ९. अथवा यदि समझे कि किसी तरह शत्रु के उत्साह को दबा करके उसके साथ सधि कर लूंगा, या मुझे पर आक्रमण करने वाले शत्रु पर सारा राज-मडल कुपित हो उठेगा तो दुर्ग का आश्रय ले । १० अथवा यदि समझे कि मित्र द्वारा प्राप्त उसकी सैनिक सहायता को रोक कर उसकी राजधानी को अपने मित्रबल और आट-विको द्वारा रौंदा दूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ११. अथवा यह समझे कि यही रहकर मैं अपने महान् देश का योग-क्षेम करता रहूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । १२. अथवा यदि समझे कि यही पर रह कर मेरे अथवा मित्र के कार्य से अन्यत्र भेजी हुई सेना यहाँ आकर मेरे साथ मिली रहेगी और शत्रु के वश मे न हो सकेगी तो दुर्ग का आश्रय ले । १३ अथवा यदि समझे कि जमीन के नीचे खाई खोदकर और रात मे युद्ध करने मे चतुर मेरी सेना रास्ते को थकावट को दूर करके अवसर आने पर अच्छी तरह कार्य कर सकेगी तो दुर्ग का आश्रय ले । १४ अथवा यदि समझे कि प्रतिब्रूल देश-काल मे आये हुए आक्रमणकारी को अपने आप क्षय-व्यय भूगतता पड़ेगा तो दुर्ग का आश्रय ले । १५. अथवा यदि समझे कि इस देश पर अति क्षय-व्यय सहन करने वाला राजा ही पढाई कर पायेगा, क्योंकि यहाँ दुर्ग, जगत और बहि-

मेव क्षयव्ययाम्या न भविष्यति । महाक्षयव्ययामिगम्योऽयं देशो दुर्गाट्टिय-  
पसारबाहुल्यात्, परेषा व्याधिप्रायः, सन्वव्यायामानामलब्धमौमश्र, तमाप-  
द्गतः प्रवेक्ष्यति । प्रविष्टो वा न निर्गमिष्यति' इति ।

(१) कारणामावे बलसमुच्छ्रये वा परस्य दुर्गमुन्मुच्यापगच्छेत् । अग्नि-  
पतङ्गवदग्निने वा प्रविशेत् । अन्यतरसिद्धिर्हि त्यक्तात्मनो भवतीत्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः । सन्धेयतामात्मनः परस्य चोपलभ्य सन्दधोत ।  
विपर्यये विक्रमेण सिद्धिमपसारं वा लिप्सेत ।

(३) सन्धेयस्य वा दूत प्रेषयेत् । तेन वा प्रेषितमर्थमानाभ्यां सत्कृत्य  
ब्रूयात्—इव राज्ञः पण्यागारम्, इव देवीकुमाराणां देवीकुमारवचनाद्, इदं  
राज्यमहं च त्वदर्पणः इति ।

(४) लब्धसश्रयः समयाचारिकवद्भूतं री वतेत । दुर्गादीनि च कर्मा-  
ण्यावाहविवाहपुत्रामिपेकाश्वपण्यहस्तिग्रहणसत्रयात्राविहारगमनानि चानु-  
जातः कुर्वीत । स्वभूम्यवस्थितप्रकृतिसन्धिमुपघातमपसृतेषु वा सर्वमनुजातः

र्गामी मार्गों की अधिकता है तो दुर्ग का आश्रय ले । १६. और यदि समझे कि  
विदेश से आने वाले लोगों के लिये यह स्थान कष्टकर है । सेनाओं की वचापद के  
लिए भी यहाँ उचित भूमि नहीं है । इसलिये प्रत्येक आक्रमणकारी यहाँ आपद्ग्रस्त  
होगा । यदि किसी तरह वह यहाँ आ भी गया तो फिर उसका बाहर सकुशल निकालना  
कठिन है तो अवश्य ही दुर्ग का आश्रय ले ।

( १ ) यदि उक्त परिस्थितियाँ न हों और शत्रु की सेना बहुत बलवान् एवं बहु-  
संख्यक हो तो पूर्वाचार्यों का कहना है कि या तो दुर्ग छोड़ कर चले जाना चाहिए  
अथवा अग्नि में पतने के समान शत्रु शैल्य पर पिल पडना चाहिए । क्योंकि आत्म-  
मोह छोड़ कर इस प्रकार लड़ाई में वृद्ध पडन पर कभी कभी जीत भी हो जाती है ।

( २ ) इसके विपरीत कौटिल्य का कहना है कि पहिले तो शत्रु की ओर अपनी  
योग्यता को देखकर सधि कर लेनी चाहिए । यदि सधि होनी किसी तरह भी सम्भव  
न हो तो पराक्रम के द्वारा ही सिद्धिलाभ करना चाहिए । अथवा यदि समझे कि सधि  
होनी सर्वथा ही असम्भव है तो स्थान को ही छोड़ दे ।

( ३ ) अथवा उक्त स्थिति में किसी धर्मविजेता शक्तिशाली राजा के पास अपना  
दूत भेज । अथवा उसके भेजे हुए दूत को घन-मान से सतुष्ट कर उससे कहे, यह मेरी  
मूल्यवान् भेंट विजेता के लिए और यह महारानी तथा राजकुमारों की भेंट विजेता  
की महारानी एवं राजकुमारों के लिए लेने जायँ । उनको मेरा यह सदेश भी पहुँचा  
दीजिए कि मेरे तथा इस राज्य के मालिक भी वे ही हैं ।

( ४ ) इस युक्ति से यदि विजेता का आश्रय मिल जाय तो समय को देखते हुए  
उसके साथ विजिगीषु मेवक की तरह व्यवहार करे और दुर्ग आदि कार्यों के निर्माण,  
विवाह, पुत्र का राज्याभिषेक, धोड़े खरीदने, हाथियों को पकडने, यज्ञ करने, तीर्थाटन

कुर्वीत । द्रुष्टपौरजानपदो वा न्यायवृत्तिरन्या भूमिं याचेत् । द्रुप्यवदुपाशु-  
दण्डेन वा प्रतिकुर्वीत । उचिता वा मित्राद् भूमिं दीयमाना न प्रतिगृह्णी-  
यात् । मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजानामन्यतममदृश्यमाने भर्तारि पश्येत् ।

(१) यथाशक्ति चोपकुर्यात् । दैवतस्वस्तिवाचनेषु तत्परा आशिषो  
वाचयेत् । सर्वत्रात्मनिसर्गं गुणं ब्रूयात् ।

(२) समुत्तवलवत्सेवी विरुद्धः शङ्कित्वादिभिः ।  
वर्तेत दण्डोपनतो भर्तार्येवमवस्थितः ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमेश्चिकरणे बलवता विगृह्योपरोधहेतव दण्डोपनतवृत्त नाम  
पञ्चदशोऽध्यायः, आदितो द्वादशोत्तरशततमः ।

—: ० :—

करने और मनोविनोद के लिए बाहर जाने आने आदि सब कार्यों को वह विजेता को अनुमति से करे । अपने राज्य के प्रकृतिमण्डल के साथ सधि आदि या उपघात अथवा दूसरे राज्य में भाग जाने वाले के लिए किसी भी प्रकार की दण्ड व्यवस्था, विजेता राजा की अनुमति से ही करे । यदि ऐसा राजा बन्वायी हो जाय या पौर जनपद उससे विरुद्ध हो जाय तो ऐसी स्थिति में वह अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर अपने निवास के लिए दूसरी भूमि की याचना करे, अथवा दूष्य द्वारा उपगुदण्ड से उसका प्रतीकार किया जाय । यदि विजेता राजा अपने किसी पराजित मित्र राजा को भूमि छीन कर उसको दे तो उसे वह स्वीकार न करे । विजयी राजा की सेवा करते हुए पराजित राजा को चाहिए कि वह अपने मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि किसी को भी सेवक की अवस्था में न दिखे, अर्थात् उसके सेवक जब उसे देखें तो अपने स्वामी के ही रूप में देखें, किसी के सेवक के रूप में नहीं ।

( १ ) पराजित राजा को चाहिए कि समय-समय पर वह अपने मालिक को उपहार देना रहे । देवाराग्न और मागलिक कृत्यों के अवसर पर अपने मालिक के लिए दुर्गायें माँगे । सबके सामने स्वयं को स्वामी का समर्पण बनाने तथा उसके गुणों का कीर्तन करे ।

( २ ) इस प्रकार करने विजेता राजा की सेवा करते हुए विजित राजा को चाहिए कि वह उसके शक्तिशाली अमात्य आदि के साथ सदा अनुकूल वर्तव्य करे और जो विजेता के विरोधी हो या जिन पर उसका शक हो, उनके सदा वह विरुद्ध रहे ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिरूप में पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—



(१) अनुज्ञातस्तद्विरण्योद्वेगकरं बलवान् विजिगीषमाणो, यतः स्व-  
भूमिः स्वतुंबृत्तिश्च स्वसैन्यानामदुर्गापसारः शत्रुरर्पाण्णिरनासारश्च, ततो  
यायात् । विपर्यये कृतप्रतीकारो यायात् ।

(२) सामदानाभ्या बुर्बलानुपनमयेद्, भेददण्डाभ्यां बलवतः ।

(३) नियोगविकल्पसमुच्चयैश्चोपायानामनन्तरैकान्तराः प्रकृतीः  
साधयेत् ।

(४) ग्रामारण्योपजीविव्रजवणिवपथानुपालनमुञ्जितापसृतापकारिणां  
चार्पणमिति सान्त्वमाचरेत् । भूमिद्रव्यकन्यादानमभयस्य चेति दानमाचरेत् ।

### अधीनस्थ राजाओ के प्रति विजेता विजिगीषु का व्यवहार

( १ ) यदि पराजित राजा द्वारा प्रतिज्ञात हिरण्यसधि का उल्लंघन विजेता  
राजा को उद्विग्न करे तो बलवान् विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के उम प्रदेश पर  
चढ़ाई कर दे, जहाँ के रास्ते उसके अपने अधिकार में हों, अपनी सेना के लिए अनुकूल  
समय एवं उसके खाने-पीने की पूरी सुविधा हो, जहाँ न तो शत्रु के दुर्ग हो तथा  
निकल भागने के लिए भी मार्ग न हो, जहाँ पर शत्रु राजा विजिगीषु से पाणिग्रह  
को न मिडा दे, और जहाँ उसके भिन्नबल का अभाव हो । यदि ऐसी कोई भी सुविधा  
न हो तो इन सबका प्रतीकार करके ही वह आक्रमण करे ।

( २ ) दुर्बल राजाओ को शानि या धन देकर अपने वश में करना चाहिए और  
और बलवान् राजा को भेद तथा दण्ड के द्वारा ।

( ३ ) नियोग, विलास और समुच्चय आदि उपायो से शत्रु प्रवृत्ति और भिन्न-  
प्रकृति को वश में करना चाहिए ।

( ४ ) गाँव या जंगल में रहने वाली गाय, भैंसों की एवं जल, स्थल के व्यापारी  
मागों की रक्षा करना, दूगरे राजा के भय से या स्वयं अपकार करके भागे हुए द्रुष्य,  
अमारय आदि प्रकृतियों को खोज-खोज कर के देना, आदि उपकार कार्यों से शत्रु  
राजा के साथ सामरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार भूमिदान,  
द्रव्यदान, कन्यादान, अभयदान आदि उपकारों से दुर्बल राजा के साथ दानरूप उपाय  
का प्रयोग करना चाहिए ।

(१) सामन्ताटविकतकुलीनावरुद्धानामन्यतमोपग्रहेण कोशदण्डभूमि-  
दाययाचनमिति भेदमाचरेत् । प्रकाशकूटतूष्णींयुद्धदुर्गलम्भोपायैरमित्रप्र-  
ग्रहणमिति दण्डमाचरेत् ।

(२) एवमुत्साहवतो दण्डोपकारिणः स्थापयेत्, स्वप्रभाववतः कोशोप-  
कारिणः, प्रज्ञावतो भूम्युपकारिणः ।

(३) तेषां पण्यपत्तनप्रामखनिसञ्जातेन रत्नसारफल्गुकुप्येन द्रव्य-  
हस्तिवनव्रजसमुत्थेन यानवाहनेन वा यद्बहुश उपकरोति तच्चित्रभोग,  
यद्दण्डेन कोशेन वा महदुपकरोति तन्महाभोग, यद्दण्डकोशभूमोरुपकरोति  
तत्सर्वभोगम् ।

( १ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह सामन्त, आटविक, शत्रु राजा का सम्बन्धी, नजरबन्द शत्रु राजा का पुत्र आदि, इनमें से किसी एक को अपने वश में करके उसके द्वारा कोष सत्ता, भूमि और दायभाग की याचना करवा कर बलवान् राजा एव उसके सामन्त आदि के बीच भेद डाल देना चाहिए अर्थात् इन योजनाओं द्वारा भेदरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार प्रकाशयुद्ध ( देश काल की सूचना देकर किया जाने वाला युद्ध ), ब्रूटयुद्ध ( देश-काल की सूचना दिये बिना या गलत सूचना देकर किया जाने वाला युद्ध ) और तूष्णीयुद्ध ( छिपे तौर पर गूढपुरुषों द्वारा शत्रु को मरवा देना ), इन तीन प्रकार के युद्धों द्वारा, तथा दुर्गलम्भोपाय प्रकरण में निश्चि उपायों द्वारा शत्रु को वश में करना चाहिए—यही दण्डरूप उपाय के प्रयोग का तरीका है ।

( २ ) इस प्रकार के उपायों द्वारा अपने अधीन हुए उत्साही एव सेना का उपकार करने वाले राजाओं को सैनिक कार्यों पर नियुक्त किया जाय । इसी प्रकार कोषसंपन्न व्यक्तियों को कोष संबंधी कार्यों पर और सुयोग्य मन्त्रशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों को भूमि सम्बन्धी कार्यों पर नियुक्त किया जाय, जो कि उनकी यथोचित व्यवस्था कर सकें ।

( ३ ) अधीनस्थ मित्र राजाओं में से जो राजा बाजारो, नगरो, गाँवो, खदानो से उत्पादित रत्न एव चंदन आदि पदार्थ, शस्त्र आदि फल्गु पदार्थ तथा वस्त्र आदि द्रव्यों को देकर, अथवा लकड़ियों-हाथियों के जंगल, गाय, रथ, हाथी आदि को देकर विजिगीषु राजा का अत्यन्त उपकार करता है वह मित्र, चित्रभोग कहा जाता है । जो मित्र राजा सेना और कोष के द्वारा विजिगीषु का महान् उपकार करता है वह महाभोग कहलाता है । जो मित्र राजा सेना, कोष और भूमि आदि के द्वारा विजिगीषु का सर्वांगीण उपकार करता है उसको सर्वभोग कहते हैं ।

(१) यदमित्रमेकतः प्रतिकरोति तदेकतोभोगि । यदमित्रमासारं चाप-  
करोति तदुभयतोभोगि । यदमित्रासारप्रतिवेशाटविकान् सर्वतः प्रति-  
करोति तत्सर्वतोभोगि ।

(२) पाणिग्राहश्चाटविकः शत्रुमुख्यः शत्रुर्वा भूमिदानसाध्यः कश्चि-  
दासाद्येत, निर्गुणया भूम्यनमुपग्राहयेत्, अप्रतिसम्बद्धया दुर्गस्थम्, निरूप-  
जीव्ययाटविकम्, प्रत्यादेयया तत्कुलीनम्, शत्रोरूपच्छिन्नया शत्रोरूपरुद्धम्,  
नित्यामित्रया श्रेणीबलम्, बलवत्सामन्तया संहतबलम्, उभाभ्यां युद्धे  
प्रतिलोमम्, अलब्धव्यायामयोत्साहिनम्, शून्ययारिपक्षीयम्, कर्काशतयाप-  
वाहितम्, महाक्षयव्ययनिवेशया गतप्रत्यागतम्, अनुपाश्रयया प्रत्यपसृतम्,  
परेणानधिवास्यया स्वयमेव भर्तारमुपग्राहयेत् ।

( १ ) अनर्थ का निवारण करके उपकार करने वाले मित्र-राजाओं में से जो  
राजा एक ही शत्रु का प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह एकतो-  
भोगी, जो मित्रराजा शत्रु और शत्रुमित्र ( आसार ), इन दोनों का प्रतीकार  
करके विजिगीषु का उपकार करता है वह उभयतोभोगी, और जो मित्रराजा शत्रु,  
शत्रु मित्र, पड़ोसी शत्रुराजा ( प्रतिवेशी ) तथा आटविक आदि सबका प्रतीकार  
करके विजिगीषु का उपकार करता है वह सर्वतोभोगी कहा जाता है ।

( २ ) यदि पाणिग्राह, आटविक, शत्रु की अमात्य प्रकृति अथवा स्वयं शत्रु  
राजा ही भूमि देने पर अधीनता स्वीकार कर ले तो गुणरहित ( ऊमर ) भूमि देकर  
ही उसे अपने अधीन किया जाय । यदि पाणिग्राह आदि दुर्ग में रहते हों तो उन्हें  
ऐसी भूमि दी जाय, जिसका दुर्ग से कोई संबंध न हो । आटविक को ऐसी भूमि दी  
जाय, जिसमें कृषि आदि न हो सके । शत्रुकुल के व्यक्तियों को ऐसी भूमि दी जाय,  
जिसका किसी समय अपहरण किया जा सके । नजरबंद शत्रु के पुत्र आदि को ऐसी  
भूमि दी जाय, जिसको शत्रु से छीना गया हो । श्रेणीबल ( नेतारहित सेना ) को  
ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें नित्य ही उपद्रव होते हों । संहतबल ( नेतासहित सेना )  
को ऐसी भूमि दी जाय, जिसका सामन्त अत्यधिक बलवान् हो । कूट युद्ध करने वाले  
शत्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जहाँ सदा ही उपद्रव होते हैं, तथा जिसका सामन्त भी  
अधिक बलवान् हो । जसाही शत्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें सेना की कवायद  
के लिए स्थान न हो । शत्रुपक्ष के किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि दी जाय, जो कि  
किसी काम की न ( शून्य ) हो । सन्धि करके फिर तोड़ देने वाले राजा को ऐसी  
भूमि दी जाय, जिसमें सदैव शत्रु सेना एवं आटविक के उपद्रव होते हों । एक बार  
शत्रु से मिलकर जो फिर अपने से मिलना चाहे उसको ऐसी भूमि दी जाय, जिसको  
बसने योग्य बनाने के लिए अत्यधिक पुरुषों का दाय एवं धन का व्यय करना पड़े ।

(१) तेषां महोपकारं निर्विकारं चानुवर्तयेत् । प्रतिलोममुपांशुना साधयेत् । उपकारिणमुपकारशक्त्या तोषयेत् । प्रयासलश्रार्यमानौ कुर्यात् । व्यसनेषु चानुग्रहम् । स्वयमागतानां यथेष्टदर्शनं प्रतिविधानं च कुर्यात् । परिमवोपघातकुत्सातिवादांश्रुंषु न प्रयुञ्जीत । दत्त्वा चामयं पितेवानु-गृह्णीयात् । यश्चास्यापकुर्यात्तद्दोषमभिविख्याप्य प्रकाशमेनं घातयेत् । परो-द्वेगकारणाद्वा दाण्डकर्मिकवच्चेष्टेत । न च हतस्य भूमिद्रव्यपुत्रदारानभि-मन्येत । कुल्यानप्यस्य स्वेषु पात्रेषु स्थापयेत् । कर्मणि मृतस्य पुत्रं राज्ये स्थापयेत् ।

शत्रु के डर से अपने देश में शरण पाये पुरुष को ऐसी भूमि देकर वश में करना चाहिए, जो कि दुर्ग आदि से रहित हो । और जिस भूमि में उसके असली मालिक की सेवा में कोई नहीं टिक सकता उस भूमि को उसके असली मालिक को लौटाकर उसे वश में किया जाय ।

( १ ) अपने अधीनस्थ राजाओं में से जो राजा विजेता का महान् उपकार करता हो तथा उसकी ओर से अपने मन में कोई कलुष न रखता हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार रखा जाय जिसमें उसको किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे । किन्तु जो विरुद्ध आचरण करे उसे उपाशुदंड से सीधा किया जाय, क्योंकि प्रकट दण्ड से अन्य बगीभूत राजाओं में उद्वेग फैलने की सम्भावना रहती है । अपना उपकार करने वाले प्रत्येक राजा को सदैव सन्तुष्ट रखा जाय और धर्म सहयोग के अनुहार उसको यथोचित धन-सत्कार दिया जाय । उसके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आ पड़े तो सान्त्वना, सहानुभूति से सदैव उस पर अनुग्रह रखा जाय । यदि ऐसे शुभचिन्तक राजा बिना बुलाये ही अपने राज्य में आ जाय तो उनके साथ अच्छी तरह प्रेमपूर्वक मिला जाय । किन्तु उनकी ओर से किसी भी प्रकार की बुराई की आशंका हो तो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए हर समय सतर्क रहा जाय । इस प्रकार वे अधीनस्थ राजाओं के सम्बन्ध में निरस्कार, कटुवाक्य, निन्दा या अति स्तुति आदि का प्रयोग कभी न किया जाय । अमयदान देकर उन पर पिता के समान अनुग्रह करता जाय । किन्तु उनमें जो भी विजेता का अपकार करे, उसके उस अपराध को सर्वत्र प्रचारित कराके प्रकट रूप में उसका बध करवा दिया जाय । यदि इस बात का भय हो कि प्रकट-दण्ड देने से दूसरे अधीनस्थ राजा भडक उठेंगे तो दाण्डकर्मिक प्रकरण में निदिष्ट उपायों से उसका प्रतीकार किया जाय । अर्थात् उसको उपाशुदंड दिया जाय । किन्तु इस प्रकार से दण्डित राजा की भूमि, द्रव्य, पुत्र, स्त्री आदि का अपहरण न किया जाय । बल्कि उन सबको तथा उनके दूसरे सम्बन्धियों को भी यथोचित नौकरियों पर नियुक्त किया जाय । यदि किसी राजा को वश में करते समय युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्र को राजा बनाया जाय ।

(१) एवमस्य दण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवर्तन्ते ।

(२) यस्तूपनतान् हत्वा बद्ध्वा वा भूमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्येत, तस्यो-  
द्विग्नं मण्डलमभावायोत्तिष्ठते । ये चास्यामात्याः स्वभूमिद्वयापत्तास्ते  
चास्योद्विग्नान् मण्डलमाश्रयन्ते । स्वयं वा राज्यं, प्राणान् चास्याभिमन्यन्ते ।

(३) स्वभूमिषु च राजानस्तस्मात्साम्प्रानुपालिताः ।  
भवन्त्यनुगुणा राज्ञः पुत्रपौत्रानुवर्तिनः ॥

इति पाङ्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे दण्डोपनायिवृत्तं नाम षोडशोऽध्यायः,  
आदितरुण्योदशोत्तरशततमः ।

—: ० :—

( १ ) विजिगीषु राजा के इस प्रकार के सदाचरण से न केवल दण्डोपनत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसके पुत्र और पौत्र आदि के भी अनुगामी बन जाते हैं ।

( २ ) इसके विपरीत जो विजिगीषु राजा दण्डोपनत राजाओं को मार कर या उनको बँद में डाल कर उनसे द्रव्य, स्त्री, पुत्र भूमि आदि का अपहरण करता है उससे कुपित हुआ साग राज-मण्डल उत्तका विध्वंस करने के लिए तैयार हो जाता है । ऐसे विजिगीषु के अमात्य आदि उच्चाधिकारी उससे कुपित होकर बदला लेने की भावना से राज-मण्डल में जा मिलते हैं, अथवा स्वयं ही उसके राज्य या प्राणों पर अधिकार कर लेते हैं ।

( ३ ) इसलिए जो राजा अपनी-अपनी भूमि में रहकर राज्य का उपभोग करते रहते हैं, और जो विजिगीषु नाम उपाय के द्वारा ही उनकी रक्षा करता है, वे उसके अनुकूल बने रहते हैं और उसके पुत्र-पौत्र आदि के भी अनुगामी बने रहते हैं ।

पाङ्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में दण्डोपनायिवृत्त नामक  
सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) शमः सन्धिः समाधिरित्येकोऽर्थः । राज्ञां विश्वासोपगमः शमः सन्धिः समाधिरिति ।

(२) सत्यं शपथो वा चलः सन्धिः । प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा स्थावरः । इत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । सत्यं शपथो वा परत्रेह च स्थावरः सन्धिः, इहार्थं एव प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा बलापेक्षः ।

(४) 'सहिताः स्मः' इति सत्यसन्धाः पूर्वं राजानः सत्येन सन्धिरे ।

(५) तस्यातिक्रमे शपथेन अग्न्युदकसीताप्राकारलोष्टहस्तिस्कन्धाश्व-पृष्ठरथोपस्थशस्त्ररत्नबीजगन्धरससुवर्णहिरण्यान्यालेभिरे-हृन्पुरेतानि त्य-जेयुश्चैनं यः शपथमतिक्रामेदिति ।

### संधिकर्म और संधिमोक्ष

( १ ) 'शम', 'सधि' और 'समाधि' ये तीनों शब्द समानार्थक हैं। वह इसलिए कि इन तीनों के कारण ही राजाओं में परस्पर दृढ़ विश्वास की स्थापना होती है।

( २ ) पूर्वार्चार्थों का मन है कि 'जो सन्धि शपथ की शपथ लेकर की जाती है वह स्थायी नहीं होती है और जो सन्धि जामिन ( प्रतिभू ) रखकर अपना राजपुत्र को बधक ( प्रतिग्रह ) रखकर की जाती है वह स्थायी होती है।'

( ३ ) परन्तु कौटिल्य इस मन्तव्य को नहीं मानता है। उतका कहना है कि 'जो सन्धि सत्यनिष्ठ होकर और शपथपूर्वक की जाती है वह परम विश्वसनीय तथा स्थायी होती है, क्योंकि ऐसी सन्धि तोड़ने वालों को यह भय बना रहता है कि परलोक में नरक तथा इस लोक में बदनामी होगी। इसके विपरीत जो सन्धि जामिन ( प्रतिभू ) और बधक ( प्रतिग्रह ) रखकर की जाती है उसको तोड़ने पर इसी लोक में थोड़ा बहुत अनर्थ होता है, परलोक का नहीं। इसलिए उसको तोड़ने का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त यह सन्धि तभी निभायी जा सकती है, जब प्रतिभू बलवान् तथा प्रतिग्रह अपने दाता का प्रेमपात्र हो।

( ४ ) प्राचीन सत्यवादी राजा लोग 'हम सन्धि करते हैं' मौखिक रूप से इतनी मात्र बात कहकर दृढ़ सन्धि किया करते थे।

( ५ ) सच्चाई का अतिक्रमण करने पर वे लोग अग्नि, जल, भूमि, मकान, शय्ये का कषा, घोड़े की पीठ, रथ में बैठने की जगह, हथियार, रत्न, धान्य के

(१) शपयातिक्रमे महतां तपस्विनां मुख्यानां वा प्रातिभाव्यबन्धः प्रतिभूः । तस्मिन् यः परावग्रहसमर्थान् प्रतिभूवो प्रह्लाति, सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते ।

(२) बन्धुमुख्यप्रग्रहः प्रतिग्रहः । तस्मिन् यो दूष्यामात्यं दूष्यापत्यं वा ददाति सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते । प्रतिग्रहप्रहणविश्वस्तस्य हि परश्छिद्रेषु निरपेक्षः प्रहरति ।

(३) अपत्यसमाधौ तु । कन्यापुत्रदाने ददत्तु कन्यामतिसन्धत्ते । कन्या ह्यदायादा परेषामेवार्थाय क्लेशाय च । विपरीतः पुत्रः ।

(४) पुत्रयोरपि जात्यं प्राज्ञं शूर कृतास्त्रमेकपुत्रं वा ददाति, सोऽतिसन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते । जात्यादजात्यो हि लुप्तदायादसन्तानत्वा-

बीज, चन्दन, घी, सुवर्ण और हिरण्य आदि वस्तुओं को स्पर्श करते हुए 'ये चीजें उन व्यक्ति को नष्ट कर दें, जो इस प्रतिज्ञा का अतिक्रमण करेगा' इस प्रकार शपथ लेकर सन्धि कर लेते थे ।

( १ ) शपथ का अतिक्रमण कर देने पर बड़े-बड़े तपस्वियों या ग्राममुख्यों को प्रतिभू बनाकर सन्धि करनी चाहिये, क्योंकि किसी भी सन्धि को बनाए रखने का दायित्व इन्हीं लोगों पर निर्भर होता है । प्रतिभू बना कर सन्धि करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो प्रतिज्ञा या सन्धि तोड़ने वाले शत्रुओं को दमन करने में ममर्थ व्यक्तियों को अपना प्रतिभू बनाता है । और दूसरा राजा अपने शत्रु से निश्चित ही घोसा खाता है ।

( २ ) किसी दूसरे से, मौखिक प्रतिज्ञा को बनाये रखने के लिए, उस व्यक्ति के भाई, बन्धु या मुख्य पुरुष को सेना प्रतिग्रह कहलाता है । इस प्रकार प्रतिग्रह के द्वारा सन्धि करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो अपने राजद्रोही अमात्य या राजद्रोही पुत्र को सन्धि में देता है और दूसरा राजा ऐसी दशा में निश्चित ही घोसा खाता है । क्योंकि लेने वाला तो यह समझता है कि मेरे पास इसके अमात्य आदि हैं । वह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता । किन्तु देने वाला, लेने वाले की दुर्बलताओं को पकड़ने ही अपने प्रतिग्रहों की अपेक्षा न करता हुआ तत्काल हमला बोल देता है ।

( ३ ) पुत्र आदि को देकर सन्धि करने वाले राजाओं में वही राजा लाभ में रहता है, जो कि पुत्र और कन्या को दिये जाने के विकल्प में कन्या को भेज देता है, क्योंकि कन्या दाय की अधिकारिणी नहीं होती तथा दूसरों के उपभोग्य होती है, पिता के लिए क्लेश का ही कारण होती है, किन्तु पुत्र दायभागी होता है और पिता के क्लेशों को दूर करने वाला भी ।

( ४ ) पुत्रों को देकर सन्धि करने वाले राजाओं में वह राजा अवश्य ही घोसा खाता है, जो कि अपने कुलीन, बुद्धिमान्, शूर, अस्त्र शस्त्र अथवा इकतीते पुत्र को

दाघातुं श्रेयान् । प्राज्ञादप्राज्ञो मन्त्रशक्तिलोपात् । शूरादशूर उत्साहशक्ति-  
लोपात् । कृतास्त्रदकृतास्त्रः प्रहर्तृस्वसम्पल्लोपात् । एकपुत्रादनेकपुत्रो  
निरपेक्षत्वात् ।

(१) जात्यप्राज्ञयोजित्यमप्राज्ञमैश्वर्यप्रकृतिरनुवर्तते । प्राज्ञमजात्यं  
मन्त्राधिकारः । मन्त्राधिकारेऽपि बृद्धसयोगाज्जात्यकः प्राज्ञमतिसन्धत्ते ।

(२) प्राज्ञशूरयोः प्राज्ञमशूर मतिकर्मणां योगोऽनुवर्तते । शूरमप्राज्ञं  
विक्रमाधिकारः । विक्रमाधिकारेऽपि हस्तिनमिव चुब्धकः प्राज्ञः शूरमति-  
सन्धत्ते ।

(३) शूरकृतास्त्रयोः शूरमकृतास्त्रं विक्रमव्यवसायोऽनुवर्तते । कृतास्त्र-  
मशूरं लक्षलम्भाधिकारः । लक्षलम्भाधिकारेऽपि स्थैर्यप्रतिपत्यसम्मोर्षैः  
शूरः कृतास्त्रमतिसन्धत्ते ।

देता है । इसके विपरीत गुण वाले पुत्र को देने वाला राजा लाभ में रहता है ।  
इसलिए समान जातीय पुत्र की अपेक्षा असमानजातीय पुत्र को देना ही अच्छा है,  
क्योंकि उसकी सहायता दास्यभोग की अधिकारिणी होती है । बुद्धिमान् पुत्र की अपेक्षा  
बुद्धिहीन पुत्र देना इसलिए अच्छा होता है कि उसमें विवेक विचार का महत्त्व नहीं  
होता है । इसलिए शत्रु को वह कोई उपयोगी सुझाव नहीं दे पाता है । शूर पुत्र की  
अपेक्षा भीरु पुत्र को देना इसलिए श्रेयस्कर है कि उसमें उत्साह नहीं होता है । वह  
न तो अपना लाभ कर सकता है और न शत्रु की हानि ही । शत्रुजन्तु पुत्र की  
अपेक्षा इससे विपरीत पुत्र को देना इसलिए उचित है कि वह आक्रमण नहीं कर  
पाता है । इकलौते पुत्र की जगह अनेक पुत्रों में से एक को दे देना इसलिए ठीक है  
कि उसके बिना भी कार्य चल जाता है ।

( १ ) कुलीन ( जात्य ) और बुद्धिमान् पुत्रों में से जो पुत्र जात्य, किन्तु  
बुद्धिहीन होता है, राजसपति स्वभावतः उसका अनुगमन करती है । और जो पुत्र  
असमानजातीय किन्तु, बुद्धिमान् होता है, मन्त्रशक्ति स्वभावतः उसका अनुगमन करती  
है । इन दोनों पुत्रों में से मन्त्रशक्ति सपन्न होने पर भी अकुलीन प्राज्ञ की अपेक्षा  
कुलीन अप्राज्ञ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्याधिकारी होने पर वह अपने बृद्ध, अनुभवही,  
एवं बुद्धिमान् पुरुषों की नियुक्ति कर अपनी कमी को पूरी कर लेता है ।

( २ ) इसी प्रकार बुद्धिमान् और शूर पुत्रों में से बुद्धिमान्, किन्तु शूरारहित  
पुत्र का, बुद्धिमत्तापूर्वक किये गये कार्य अनुगमन करते हैं । बुद्धिहीन, किन्तु शूर  
पुत्र पराक्रम के कार्यों को कर सकता है । इन दोनों पुत्रों में से शूर, किन्तु बुद्धिहीन  
पुत्र के पराक्रमी होने पर भी, उसकी अपेक्षा, पराक्रमहीन बुद्धिमान् पुत्र ही श्रेष्ठ  
है । जैसे एक बुद्धिमान् शिकारी शक्तिवाली हाथी को अपने वश में कर लेता है वैसे  
ही बुद्धिमान् पुत्र अपने बुद्धिवल से शूर को भी अपने वश में कर सकता है ।

( ३ ) शूर और कृतास्त्र ( शस्त्रास्त्रनिपुण ) पुत्रों में शस्त्रास्त्र शून्य, किन्तु



(१) बह्वेकपुत्रयोर्बहुपुत्र एकं दत्त्वा शेषवृत्तिस्तद्वधः सन्धिमतिक्रामति नेतरः ।

(२) पुत्रसर्वस्वदाने सन्धिश्चेत्पुत्रफलतो विशेषः । समफलयोः शक्त-प्रजननतो विशेषः । शक्तप्रजननयोरप्युपस्थितप्रजननतो विशेषः ।

(३) शक्तिमत्येकपुत्रे तु लुप्तपुत्रोत्पत्तिरात्मानमादध्यात्, न चैक-पुत्रमिति ।

(४) अभ्युच्चीयमानः समाधिभोक्षं कारयेत् ।

(५) कुमारसप्तः सत्रिणः कारशिल्पिष्वञ्जनाः कर्माणि कुर्वाणाः सुदङ्गया रात्रावुपखानयित्वा कुमारमपहरेयुः । नटनर्तकगायनवादकवाग्जी-वनकुशीलवप्लवकसौभिका वा पूर्वप्रणिहिताः परमुपतिष्ठेरन् । ते कुमारं

घरपुत्र केवल पराक्रम के कार्यों को ही कर सकता है। शूरतारहित, किन्तु शस्त्रास्त्र-निपुण पुत्र अपने लक्ष्य को अच्छी तरह भेदन करने की क्षमता रखता है। इन दोनों में से लक्ष्य को ठीक भेदन करने वाले पराक्रमहीन पुत्र की अपेक्षा पराक्रमी पुत्र ही श्रेष्ठ है क्योंकि अपनी सतकंवृद्धि से वह कृतास्त्र को भी अपने वश में कर लेता है।

( १ ) एक पुत्र और अनेक पुत्रों में से अनेक पुत्रों का होना अच्छा है, क्योंकि एक पुत्र को सधि में दिये जाने पर भी वारों पुत्रों के द्वारा राजा यथावसर सधि को भी तोड़ सकता है, किन्तु जिसका एक ही पुत्र है वह ऐसा नहीं कर सकता है।

( २ ) यदि सधि करने वाले दोनों राजाओं का एक एक ही पुत्र हो और उनके देने पर ही सधि दृढ़ होती हो तो, उन दोनों में से वही अधिक लाभ में रहता है, जिसके पुत्र का भी पुत्र हो गया हो, क्योंकि पुत्र के अभाव में पौत्र भी सिंहासन पर बैठ सकता है। यदि सधि करने वाले दोनों राजाओं के पुत्र पौत्र हो तो उनमें से वही अधिक लाभ में है, जिसका पुत्र अभी युवा है। यदि दोनों के पुत्र युवा हो, तो उनमें से उसी को ही अधिक लाभ है, जिसका पुत्र निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने की स्थिति में है। निष्कर्ष यह है यथाशक्ति पुत्र न देने का यत्न करना चाहिए।

( ३ ) पुत्र पैदा करने की अथवा राज्यभार को संभालने की शक्ति रखने वाले यदि एक ही पुत्र का पुत्र हो और उसकी पुत्रोत्पादन की शक्ति जाती रही हो तो अपने ही आप को राजा, सधि पर चढ़ा दे, किन्तु इतनी पुत्र को कदापि न दे। यहाँ तक सधि को दृढ़ करने के उपायों का निरूपण किया गया।

( ४ ) सधि हो जाने के बाद यदि अपनी शक्ति बढ़ जाय तो दूसरे राजा के यहाँ बधक में रखे हुए पुत्र को मुक्त करा देना चाहिए।

( ५ ) बन्धक में रखे गए राजपुत्र को छुड़ाने के लिए इन उपायों को काम में लाया जाय राजपुत्र के निकट गुप्त वेश में रहने वाले बडई, लुहार, सुतार या मिश्री तथा अन्य लोग, अपने जिम्मे वे कार्यों को करते हुए राजपुत्र के निवास के पास ही एक सुरग छोड़कर रात्रि में वहाँ से उसको लेकर वे भाग जायें। अथवा

परम्परयोपतिष्ठेरन् । तेषामनियनकालप्रवेशस्थाननिर्गमनानि स्यापयेत् ।  
ततस्तद्व्यञ्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत ।

(१) तेन रूपाजीवा भार्याव्यञ्जनाश्च व्याप्राताः ।

(२) तेषां वा तूर्यभाण्डफेला गृहीत्वा निर्गच्छेत् ।

(३) सूदारालिकत्नापकसंवाहकास्तरककल्पकप्रसाधकोदकपरिचारकै-  
र्वा द्वयवस्त्रभाण्डफेलाशयनासनसम्भोगनिर्ह्वयेत् ।

(४) परिचारकच्छन्ना वा किञ्चिदरपवेलायामावाय निर्गच्छेत् ।  
सुरङ्गामुखेन वा निशोपहारेण । तोयाशये वा वारुण योगमातिष्ठेत् ।

(५) वैदेहकव्यञ्जना चा पक्वान्नफलव्यवहारेणारक्षिषु रसमवचार-  
येयुः ।

नट, नर्तक, गायक, वादक, वागीवक ( कथावाचक ), कुगीतक, प्लवक ( तलवार  
आदि का खेल दिखाने वाला ), शौत्रिक ( आकाश में उड़ने वाला ), विजिगीषु के  
ये आठ प्रकार के गुप्तचर पहिले शत्रु राजा के पास जावें और फिर धीरे धीरे उसी  
के यहाँ रहते हुए गिरफ्तार राजकुमार तक पहुँचें । राजकुमार, राजा की अनुमति  
प्राप्त कर, स्वच्छग उक्त गुप्तचरो को अपने यहाँ टिकाने तथा जाने जाने की पूरी  
व्यवस्था कर ले । फिर उन्ही में से किसी का बंध बनाकर रात्रि के समय बाहर  
निकल आवे और उन्ही के साथ अपने देश को पलायन कर दे ।

( १ ) इसी प्रकार बेशमा या पत्नी के रूप में गई गुप्तचर किसी राजकुमार को  
वहाँ से छुड़ा ले आवें ।

( २ ) अथवा नट, नर्तक आदि के राज बाजो या आभूषणो की पेटो को उठा  
कर बाहर निकल आवे ।

( ३ ) अथवा मूढ ( रसोड्या ), आरातक ( हनुवाई ), स्नायक ( स्नान  
कराने वाला ), नवाहक ( मालिश करने वाला ), आस्तरक ( बिस्तर विछाने  
वाला ), कल्पक ( नाई ), प्रसाधक ( बख्ख पहनाने वाला ) और उदक-परिचारक  
( जल देनेवाला ), इन लोगों के द्वारा जब कोई भोजनभक्ष्य, पेटो या विस्तर  
आदि उपयोगी वस्तुयें बाहर ले जाई जाय तो अवसर पाकर उनके साथ राजकुमार  
भी बाहर निकल जाय ।

( ४ ) अथवा राजकुमार ही नौकर के बहाने में अन्धकार के समय किसी चीज  
को लेकर बाहर निकल जाय । अथवा भूतबलि आदि का बहाना कर मुरग द्वारा  
बाहर निकल जाय । अथवा नदी, तालाब आदि किसी बड़े जलाशय में वाह्ययोग  
के प्रयोग द्वारा बाहर निकल जाय ।

( ५ ) अथवा व्यापारी के बंध में रहने वाले गुप्तचर किसी पके अन्न में विष  
मिला कर पहरेदारो को दे दें और जब वे बेहोश हो जाय तो राजकुमार को लेकर  
लेकर वे बाहर निकल जाय ।

(१) वैवतोपहारश्चाद्धप्रह्वणनिमित्तमारक्षिषु मदनयोऽप्युक्तमन्नपानरसं वा प्रयुज्यापगच्छेत् । आरक्षकप्रोत्साहनेन वा ।

(२) नागरककुशीलवचिकित्सकापूपिकव्यञ्जना वा रात्रौ समृद्धगृहान्यादीपयेयुः । ( आरक्षिणां ? ) वैदेहकव्यञ्जना वा पण्यसंस्थामादीपयेयुः ।

(३) अन्यद्वा शरीरं निक्षिप्य स्वगृहमादीपयेदनुपातनयात् । ततः सन्धिच्छेदखातमुरङ्गाभिरपगच्छेत् ।

(४) काचकुम्भभाण्डभारव्यञ्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत । मुण्डजटिलानां प्रवासनान्यनुप्रविष्टो वा रात्रौ तद्व्यञ्जनः प्रतिष्ठेत । विस्पव्याधिकरणारण्यचरच्छन्नामन्यतमेन वा । प्रेतव्यञ्जनो वा गूर्दनिर्हाह्येत । प्रेतं वा स्त्रीवेपेणानुगच्छेत् ।

(५) वनचरव्यञ्जनाश्रममन्यतो यान्तमन्यतोऽपदिशेयुः । ततोऽन्यतो गच्छेत् । चक्रचराणां वा शकटेवाटैरपगच्छेत् ।

( १ ) अथवा देवकार्यं, पितृकार्यं या सहभोज के निमित्त से अन्न या पेय पदार्थों में विप भिवा कर पहरेदारों पर प्रयोग कर उन्हें बेहोश बना देने के बाद राजकुमार रात के समय बाहर निकल आवे । अथवा गुप्तचर, राजकुमार को शव के रूप में अर्था में रख कर बाहर निकल आवे । अथवा किसी मुर्दे के पीछे स्त्री का वेप बनाकर राजकुमार बाहर निकल जाय । अथवा अपनी देख-रेख में पहरेदारों को बहुत-सा धन देने की प्रतिज्ञा से उन्हें सन्तुष्ट कर राजकुमार बाहर निकल आवे ।

( २ ) अथवा नगर-रक्षक, नट, विचित्रक और आपूपिक ( खोमचा लगाने वाला ) के वेप में रात्रि के समय इधर-उधर घूमने वाले गुप्तचर लोग रात में धनी लोगों के घर में आग लगा दें । पहरेदारों तथा व्यापारियों के वेप में दूसरे गुप्तचर भी बाजार तथा दूकानों में आग लगा दें । आग लगने के कारण जब कोलाहल या गडबड हो जाय तो अवसर पाकर राजकुमार बाहर निकल जाय ।

( ३ ) अथवा राजकुमार अपने निवास में आग लगा दे, और वहाँ किसी दूसरे की लाश डलवा दे, जिसमें कि शत्रु लोग उस शव को देख कर यह समझ लें कि राजकुमार जल कर मर गया है, अथवा राजकुमार स्वयं ही किसी सन्धिच्छेद या सुरग के द्वारा बाहर निकल जाय ।

( ४ ) अथवा लकड़हारों ( काचभार ), कहारों ( कुम्भभार ) या साईसों ( भाण्डभार ) के वेश में राजकुमार रात को बाहर हो जाय । अथवा विजिगीषु राजा अपने मुण्ड तथा जटिलों को जब बाहर भेजे तो राजकुमार भी द्विप कर उनमें जा मिले और रात में उन्हीं जैसा वेप बनाकर उनके साथ ही बाहर निकल आवे । या औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा अपनी शकलमूरत को बदल कर या रोगी का वेप बना कर या जगली भील कोलों का वेप बनाकर तब निश्चिन्त होकर राजकुमार अपने देश का जा सकेगा ।

( ५ ) राजकुमार के बाहर निकल जाने पर जब विजिगीषु राजा के कर्मचारों

(१) आसन्ने चानुपाते सत्र वा गृह्णीयात् । सत्रामादे हिरण्यं रसविद्धं वा भक्षजातमुमयतः पन्थानमुत्सृजेत् । ततोऽन्यतोऽगच्छेत् ।

(२) गृहीतो वा सामादिभिरनुपातमतिसन्दध्यात् । रसविद्धेन वा पथ्यदानेन ।

(३) वारुणयोगाग्निदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय शत्रुमभियुञ्जीत—पुत्रो मे त्वया हत इति ।

(४) उपात्तच्छत्रशस्त्रो वा रात्रौ विक्रम्य रक्षिषु ।

शौघ्रपातंरपसरेद् गूढप्रणिहितः सह ॥

इति पाङ्गुष्ये सप्तमऽधिकरणे सन्धिकर्म सन्धिभोक्षो नाम सप्तदशोऽध्यायः ,  
आदितश्चतुर्दशोत्तरशततमः ।

— ० —

उसकी खोज में इधर उधर दौड़ते फिरते तो जंगल में रहने वाले राजकुमार के पक्ष के लोग उन्हें दूसरा ही रास्ता बता दें । अथवा गाड़ीवानो या गाड़ियो के भण्ड के साथ साथ अपने देश की ओर चला जाय ।

( १ ) यदि खोजने वाले लोग बहुत ही नजदीक आ पहुँचें तो वह किसी घने जंगल में छिप जाय । यदि छिपने लायक घना जंगल पाम न हो तो हिरण्य अथवा विपयुक्त खाद्य वस्तु रास्ते के दोनों ओर डाल दें, और उस रास्ते को छोड़ कर किसी रास्ते से निकल जाय ।

( २ ) अथवा यदि वह पकड़ हो लिया जाय तो साम, दाम आदि उपायो से घोखा देकर वह उनसे भाग निकले । अथवा उन्हें विपयुक्त खाना देकर मार दे, या मूर्च्छित कर दे और स्वयं भाग जाय ।

( ३ ) पकड़े जाने के डर से छिपे हुए राजकुमार को भगा ले जाने के लिए पूर्वोक्त वारुणयोग तथा अग्निदाहो के अवसरों पर किसी के शव को वहाँ डाल कर विजिगीषु राजा, शत्रु राजा के ऊपर यह अभियोग लगाये कि उसने मेरे पुत्र को मार डाला है । इससे शत्रु राजा भगने हुए राजकुमार को खोजना बन्द कर देगा और राजकुमार बाहर निकल आवे ।

( ४ ) यदि पूर्वोक्त कोई भी उपाय न किया जा सके तो राजकुमार को चाहिए कि वह रात में पहरेदारों पर सशस्त्र हमला कर दे और उन्हें धायल कर या मार कर द्रुतगामो घोड़ो पर सवार अपने गुप्तचरो के साथ वहाँ से निकल भागे ।

पाङ्गुष्य नामक सप्तम अधिकरण में सन्धिकर्म सन्धिभोक्ष नामक

सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) मध्यमस्यात्मा तृतीया पञ्चमी च प्रकृती प्रकृतयः । द्वितीया च चतुर्थी पष्ठी च विकृतयः । तच्चेदुभय मध्यमोऽनुगृह्णीयात्, विजिगीषु-  
मध्यमानुलोमः स्यात् । न चेदनुगृह्णीयात्प्रकृत्यनुलोमः स्यात् ।

(२) मध्यमश्चेद्विजिगीषोमित्र मित्रभावि लिप्सेत्, मित्रस्यात्मनश्च मित्राण्युत्थाप्य मध्यमाच्च मित्राणि भेदयित्वा मित्रं त्रापेत् । मण्डल वा प्रोत्साहयेत्—‘अतिप्रबृद्धोऽयं मध्यमः सर्वेषां नो विनाशाय अभ्युत्थितः सम्भ्रूयास्य यात्रा विह्वनाम’ इति । तच्चेन्मण्डलमनुगृह्णीयात् मध्यमाव-  
ग्रहेणात्मानमुपबृहयेत् । न चेदनुगृह्णीयात्, कोशदण्डाभ्यां मित्रमनुगृह्य ये मध्यमद्वेषिणो राजानः परस्परानुगृहीता वा बहवस्तिष्ठेपुरेकतिद्धा वा

### मध्यम चरित, उदासीन चरित और मण्डल चरित

( १ ) मध्यम स्वयं और तीसरी तथा पाँचवी प्रकृति ( अर्थात् स्वयं, मित्र और मित्र-मित्र ) ये तीनों मध्यम की प्रकृति कहलाती हैं । इसी प्रकार शत्रु शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र, ये तीनों मध्यम की विकृति कही जाती हैं । मध्यम को चाहिए कि वह इन दोनों प्रकार के राजाओं पर समान अनुग्रह बनाये रखे, और विजिगीषु को चाहिए कि वह सदा मध्यम राजा के अनुकूल बना रहे । यदि मध्यम राजा दोनों प्रकार की प्रकृतियों पर अनुग्रह न कर सके तो आत्मप्रकृति को वह अवश्य ही अपने अनुकूल बनाय रखे ।

( २ ) यदि मध्यम राजा विजिगीषु राजा के मित्रभावी मित्र को अपने अग्रिम करना चाहे तो उस समय विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने मित्र राजाओं के मित्रों और अपने मित्र राजाओं की सहायता करके तथा मध्यम के मित्रों को उनसे फोड़कर अपने मित्र की रक्षा करे । अथवा राजमण्डल को वह मध्यम के विरुद्ध यह कहकर उत्तेजित करे, ‘देखो, अति उन्नत हुआ यह मध्यम राजा हम सब को नष्ट करने पर तुला है । हमको चाहिए कि एक होकर हम इसके आक्रमण को रोकें ।’ इस प्रकार उक्तमाया हुआ राजमण्डल यदि विजिगीषु की सहायता करने के लिए तैयार हो जाय तो उसके सहयोग से मध्यम का निग्रह करके स्वयं को उन्नत बनाये । यदि राजमण्डल विजिगीषु को सहायता देना स्वीकार न करे तो वह धन

बहवः सिद्धेयुः परस्पराद्वा शङ्किता नोत्तिष्ठेरन्, तेषां प्रधानमेकमासन्नं वा सामदानाभ्यां लभेत । द्विगुणो द्वितीयं त्रिगुणस्तृतीयम् । एवमभ्युच्चितो मध्यममवगृह्णीयात् । देशकालातिपत्तौ वा सन्धाय मध्यमेन मित्रस्य साचिव्यं कुर्यात् । दूष्येषु वा कर्मसन्धिम् ।

(१) कर्शनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत, प्रतिस्तम्भयेदेनम्—'अहं त्वा त्रायेय' इत्याकर्शनात् । कर्शितमेनं त्रायेत् ।

(२) उच्छेदनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत, कर्शितमेतं त्रायेत् मध्यमवद्विभयात् ।

(३) उच्छिन्नं वा भूम्यनुग्रहेण हस्ते कुर्यादन्यत्रापसारभयात् ।

तथा सेना के द्वारा अपने मित्र की सहायता करे । जो बहुत से राजा मध्यम के साथ द्वेष रखते हों, अथवा जो आपस में एक-दूसरे की सहायता करके मध्यम का अनिष्ट करना चाहते हों, या मध्यम के शत्रु विजिगीषु के अनुकूल हो जाने पर सब अनुकूल हो जाय, अथवा जो परस्पर सम्मिलित विजय-लाभ की इच्छा रखते हुए भी एक-दूसरे के भय से आक्रमण करने के लिए तैयार न हों, या मध्यम के शत्रु राजाओं में से प्रमुख राजा, या अपने देश के सभी राजाओं को साम, दाम आदि के द्वारा अपने अनुकूल बनाये—इस प्रकार दूसरे राजा की सहायता मिलने में विजिगीषु का बल दुगुना, तीसरे राजा की सहायता मिलने पर तिगुना हो जाता है । इन तरीकों से अपनी शक्ति को बढ़ाकर विजिगीषु, मध्यम को वश में करे । अथवा देश तथा काल के अनुसार विजिगीषु सीधे मध्यम के साथ ही सन्धि कर ले और फिर अपने मित्र-भावी मित्र के साथ उसकी सन्धि करा दे । यदि ऐसा सम्भव न हो तो मध्यम के दूष्य पुरुषों के साथ मिलकर आग लगवा कर या कोई उपद्रव कराके कर्मसन्धि करे ।

( १ ) विजिगीषु को दुर्बल बनाने वाले ( कर्शनीय ) मित्र को यदि मध्यम अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने उस मित्र को सुरक्षा का आशवासन देकर मध्यम से अभय कर दे । परन्तु यह अभय वचन उसी समय तक रहे जब तक कि मध्यम के द्वारा उसे दुर्बल न बना दे । दुर्बल हो जाने पर विजिगीषु उसकी रक्षा करे ।

( २ ) यदि विजिगीषु को तट्ट करके श्रेष्ठ मित्र के मध्यम अपने अधीन करना चाहे, तो विजिगीषु अपने उस मित्र की तब रक्षा करे जब वह मध्यम द्वारा अच्छी तरह घंटा दिया गया हो । उसकी रक्षा इसलिए आवश्यक है कि मध्यम राजा शक्ति प्राप्त कर विजिगीषु को ही न सताने लगे ।

( ३ ) अथवा विनष्ट हुए अपने उस मित्र को भूमि देकर वह अपने वश में कर ले, अथवा यह सम्भव हो सकता है कि वह शत्रुपक्ष में जाकर मिल जाय ।

(१) कर्शनीयोच्छेदनीययोश्चेन्मित्राणि मध्यमस्य साचिव्यकराणि स्युः, पुरुषान्तरेण सन्धोयेत् । विजिगीषोर्वा तयोमित्राण्यवग्रहसमर्थाणि स्युः, सन्धिमुपेयात् ।

(२) अमित्रं वास्य मध्यमो लिप्सेत्, सन्धिमुपेयात् । एवं स्वार्थंश्च कृतो भवति, मध्यमस्य प्रियं च ।

(३) मध्यमश्चेत्स्वमित्रं मित्रभावि लिप्सेत्, पुरुषान्तरेण सन्दध्यात् । सापेक्षं वा 'नार्हसि मित्रमुच्छेत्तुम्' इति वारयेत् । उपेक्षेत वा—मण्डलमस्य कुप्यतु स्वपक्षवधादिति ।

(४) अमित्रमात्मनो वा मध्यमो लिप्सेत्, कोशदण्डाभ्यामेतमदृश्यमानोऽनुगृह्णीयात् ।

( १ ) यदि कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के दूसरे मित्र भी मध्यम की ही सहायता करते हों तो विजिगीषु को चाहिए कि वह भी अपने अमात्य या राजकुमार को विश्वास के लिए बन्धक में रखकर मध्यम से सन्धि कर ले । यदि विजिगीषु, के कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के मित्र मध्यम का मुकाबला करने के लिए तैयार हो तो वह भी मध्यम के साथ सन्धि कर ले ।

( यहाँ तक अपने मित्रों पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका निरूपण किया गया । विजिगीषु के शत्रुओं पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, अब इसका निरूपण किया जाता है । )

( २ ) यदि विजिगीषु के किसी शत्रु राजा को मध्यम अपने वश में करना चाहता है तो विजिगीषु को चाहिए कि वह मध्यम के साथ सन्धि कर ले, क्योंकि ऐसा करने से एक तो अपने शत्रु का नाश हो जाने से अपनी कार्यसिद्धि हो जाती है और दूसरे में वह मध्यम का भी प्रिय हो जाता है ।

( ३ ) यदि मध्यम अपने ही किसी मित्रभावी मित्र को वश में करना चाहे तो उस समय विजिगीषु अपने सेनापति आदि को भेज कर मध्यम की सहायता करे । यदि उससे अपनी कार्यसिद्धि होती देखे तो मध्यम को आक्रमण करने से रोके । ऐसा करने से विजिगीषु दूसरे राजाओं का भी विश्वासपात्र हो जाता है । अथवा यह सोचकर उधर से आँसू फेर ले कि अपने मित्र पर आक्रमण करने वाले मध्यम से सारा राजमण्डल ही कुपित हो जायेगा ।

( ४ ) यदि मध्यम किसी शत्रुराजा को ही अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिये कि कोश तथा सेना द्वारा छिपे शीर पर ही शत्रु की सहायता करे ।

(१) उदासीनां वा मध्यमो लिप्सेत—'उदासीनाद्भिद्यताम्' इति मध्यमोदासीनयोर्यो मण्डलस्याभिप्रेतस्तमाश्रयेत् ।

(२) मध्यमचरितेनोदासीनचरितं व्याख्यातम् । उदासीनश्चेन्मध्यमं लिप्सेत, यतः शत्रुमतिसन्दध्याग्नित्रस्योपकारं कुर्यात्, मध्यममुदासीनं वा दण्डोपकारिणं लभेत, ततः परिणमेत् ।

(३) एवमुपगृह्यात्मानमरिप्रकृतिं कशयेत् । मित्रप्रकृतिं चोपगृह्णीयात् ।

(४) तस्यप्यभिन्नभावे तस्यानात्मवान् नित्यापकारी शत्रुः शत्रुसहितः पाणिप्राहो वा व्यसनी यातव्यो व्यसने वा नेतुरभियोक्तेत्यरिभाविनः ।

(५) एकार्थाभिप्रयातः पृथगर्थाभिप्रयातः सम्भूययात्रिकः संहितप्रयाणिकः स्वार्थाभिप्रयातः सामुत्थायिकः कोशदण्डयोरन्यतरस्य क्रेता विक्रेता द्वैधीभाधिक इति मित्रभाविनः ।

( १ ) यदि मध्यम किसी उदासीन राजा को बग में करना चाहे तो दोनों की फूट को उचिन मानकर वह उन दोनों में जो राजमण्डल का अधिक प्रिय हो उसी से सन्धि करे और उसी की सहायता करे ।

( २ ) मध्यम के ही चरित के समान उदासीन का भी चरित समझ लेना चाहिए । यदि उदासीन राजा किसी मध्यम राजा को अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि इन दोनों में से वह उसके साथ जा मिले, जिसकी सहायता से शत्रु का उच्छेद और मित्र का उपकार हो सके, या इन दोनों को अपनी सैनिक सहायता देकर अपने बग में कर ले ।

( ३ ) इस प्रकार विजिगीषु राजा अपनी वृद्धि करके शत्रु-प्रकृति का नाश और मित्र प्रकृति का उपकार करे ।

( ४ ) 'शत्रु' शब्द से कहे जाने वाले सामन्त तीन प्रकार के हैं : १. अभिन्नभाव रखने वाला सामन्त शत्रुभावि, २ मित्रभाव रखने वाला सामन्त मित्रभावि और ३ भृत्यभाव रखने वाला सामन्त भृत्यभावि । अजितेन्द्रिय, सदा अपकार करने वाला, शत्रुभाव रखने वाला, विजिगीषु के शत्रु की सहायता करने वाला, पाणिप्राह, बन्धु आदि की मृत्यु से दुःखी, यानध्य और विजिगीषु को विपत्ति में फँसा हुआ जान कर उस पर आक्रमण करने वाला सामन्त 'शत्रुभावि' कहलाता है ।

( ५ ) एक ही अर्थसिद्धि के लिए विजिगीषु के साथ चडाई करने वाला, अथवा एक ही भूमि पर दो प्रयोजनों के लिए दोनों का चडाई करना; विजिगीषु की सहमति प्राप्त करके युद्ध करने वाला, विजिगीषु के निमित्त ही चडाई करने वाला, शून्य स्थानों को बसाने के लिए धन और सेना, दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के बदले में खरीदने या बेचने वाला सामन्त 'मित्रभावि' कहलाता है ।



(१) सामन्तो बलवतः प्रतिघातोऽन्तर्धिः प्रतिवेशो वा बलवतः पार्ष्णि-  
ग्रहो वा स्वयमुपनतः प्रतापोपनतो वा दण्डोपनत इति भृत्यभाविनः  
सामन्ताः ।

(२) तंभूम्येकान्तरा व्याख्याताः ।

(३) तेषां शत्रुविरोधे यन्मित्रमेकार्थतां व्रजेत् ।  
शक्त्या तदनुगृह्णीयाद्विपहेत यया परम् ॥

(४) प्रसाध्य शत्रुं यन्मित्रं वृद्धं गच्छेदवश्यताम् ।  
सामन्तैकान्तराभ्यां तत्प्रकृतिभ्यां विरोधयेत् ॥

(५) तत्कुलीनावरुद्धाभ्यां भूमिं वा तस्य हारयेत् ।  
यथा वानुग्रहापेक्षं वश्यं तिष्ठेत्तथाचरेत् ॥

(६) नोपकुर्यादमित्रं वा गच्छेद्यदतिकशितम् ।  
तदहीनमवृद्धं च स्थापयेन्मित्रमर्थवित् ॥

( १ ) सामन्त, बलवान् राजा का मुकाबला करने वाला, अन्तर्धि, ( मध्यम ), प्रतिवेश ( पड़ोस ), बलवान् राजा पर पीछे से आक्रमण करने वाला ( पार्ष्णिग्रह ), स्वय आधित ( स्वय उपनत ), बल द्वारा आधित ( प्रतापोपनत ) और सेना द्वारा अधिकसामन्त 'भृत्यभावि' कहलाता है ।

( २ ) उक्त तीन प्रकार के सामन्तो के समान ही भूम्येकान्तर ( एक देश के व्यवधान से राज्य करने वाले ) मित्रराजाओ के भी १ शत्रुभावि २ मित्रभावि और ३ भृत्यभावि, ये तीन भेद समझ लेने चाहिए ।

( ३ ) उन भूम्येकातर मित्रो मे से किसी पर यदि शत्रु आक्रमण करे तो उस मित्र के साथ सन्धि करने वाले राजा को इतनी सेना और सहायता पहुँचानी चाहिए, जिससे वह आक्रमणकारी शत्रु का दमन कर सके ।

( ४ ) अपने शत्रु को जीतकर उन्नत हुआ जो मित्र, विजिगीषु के वश मे नहीं रहता, किसी भी तरह उसका विरोध, उसके सामन्त और भूम्येकातर मित्रो एव उनकी अमात्य प्रकृति से करा देना चाहिए ।

( ५ ) अथवा उसके बन्धु वान्धवो द्वारा या नजरबन्द किये उसके पुत्र आदि के द्वारा उसकी भूमि का अपहरण करा देना चाहिए । अथवा अपनी सहायता चाहता हुआ वह जिन तरह भी वश मे रह सके, उसी तरह उसके साथ व्यवहार किया जाय ।

( ६ ) क्षीण हुआ जो मित्र विजिगीषु की कोई सहायता न कर सके या शत्रु के साथ मिल जाय, तो विजिगीषु को चाहिए कि उसको ऐसी दशा मे रखे, जिससे न तो वह उन्नत हो सके और न ही मिटने पावे ।

- (१) अर्थयुक्तघा चलं मित्रं सन्धिं यदुपगच्छति ।  
तस्यापगमने हेतुं विहन्यान्न चलेद्यथा ॥
- (२) अरिसाधारणं यद्वा तिष्ठेत्तदरितः शठम् ।  
भेदयेद् भिन्नमुच्छिन्द्यात्ततः शत्रुमनन्तरम् ॥
- (३) उदासीनं च यत्तिष्ठेत्सामन्तंस्तद्विरोधयेत् ।  
ततो विग्रहसन्तप्तमुपकारे निवेशयेत् ॥
- (४) अमित्रं विजिगीषुं च यत्सञ्चरति दुर्बलम् ।  
तद्वलेनानुगृह्णीयाद्यथा स्यान्न पराङ्मुखम् ॥  
अपनीय ततोऽन्यस्यां भूमौ वा सन्निवेशयेत् ।  
निवेश्य पूर्वं तत्रान्यं दण्डानुग्रहेहेतुना ॥
- (५) अपकुर्यात्समर्थं वा नोपकुर्याद्यदापदि ।  
उच्छिन्द्यादेव तन्मित्रं विश्वस्याङ्गमुपस्थितम् ॥

( १ ) जो चञ्चल प्रकृति का मित्र लोभवश सन्धि करे, उससे सन्धि बनाये रखने के लिए विजिगीषु को चाहिए कि, सन्धि नष्ट कर देने वाली उसकी अर्थलिप्सा को, स्वयं ही कुछ धन देकर पूरी कर दे, जिससे वह सन्धि न तोड़ सके ।

( २ ) जो घूर्तं मित्र विजिगीषु के शत्रु के साथ मिलकर रहता हो, पहिले तो उसके और शत्रु के बीच फूट डालनी चाहिए और फिर उसका उन्मूलन करके शत्रु का भी उन्मूलन कर देना चाहिए ।

( ३ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह उदासीन मित्रों का विरोध सामन्त से करा दे । जब वह लड़ाई में फँस जाय और लड़ाई से बहुत तग आ जाय तब उसका उपकार कर दे ।

( ४ ) जो दुर्बल मित्र अपनी शक्ति बढाने के लिए शत्रु और विजिगीषु, दोनों का आश्रय लेना चाहे, विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे दुर्बल मित्र को वह सेना आदि की सहायता देकर उपकृत करता रहे, जिससे वह शत्रु पक्ष में न जा मिले । अथवा उसको उसकी भूमि से उठाकर दूसरी भूमि में बसा दे, अथवा जहाँ शत्रु की सहायता का कोई अदेशा न हो ऐसी अपनी ही भूमि में बसा दे, और उसकी भूमि में, उसके जाने से पूर्व, सेना द्वारा सहायता पहुँचाने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को नियुक्त कर दे ।

( ५ ) जो मित्र विजिगीषु का अपकार करे, या विजिगीषु के ऊपर कोई विपत्ति आने पर समर्थ होकर भी सहायता न करे, विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे मित्र को पहिले खूब विश्वास दिलाये और बाद में उसका उच्छेद कर दे ।

- (१) मित्रव्यसनतो वाऽरिरुत्तिष्ठेद्योऽनवग्रहः ।  
मित्रेणैव भवेत्साध्यशष्ठादितव्यसनेन सः ॥
- (२) अमित्रव्यसनान्मित्रमुत्थितं यद्विरज्यति ।  
अरिव्यसनसिद्ध्या तच्छत्रुणैव प्रसिद्धयति ॥
- (३) वृद्धि क्षयं च स्थानं च कर्शनोच्छेदनं तथा ।  
सर्वोपायान्समादध्यादेतान् यश्चार्यशास्त्रवित् ॥
- (४) एवमन्योन्यसंचारं पाङ्गुण्यं योऽनुपश्यति ।  
स बुद्धिनिगलंबद्वैरिष्टं क्रीडति पार्थिवः ॥

इति पाङ्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे मध्यमधरितोदासीनचरितमण्डलचरितानि  
नाम अष्टादशोऽध्यायः, आदितः पञ्चदशोत्तरशततम ॥

समाप्तमिदं पाङ्गुण्यं नाम सप्तममधिकरणम् ।

— • —

( १ ) यदि विजिगीषु का शत्रु विजिगीषु के मित्र को आपद्ग्रस्त जानकर बिना किसी अवरोध-आक्रमण के उन्नति कर जाय तो अपने मित्र की आपत्ति दूर हो जाने पर उस मित्र के द्वारा ही विजिगीषु शत्रु को वश में करने का यत्न करे ।

( २ ) जो मित्र अपने शत्रु पर आपत्ति आ जाने से उन्नत होकर विजिगीषु के अनुकूल नहीं रहता, उसे उसके शत्रु की आपत्ति दूर हो जाने पर, उसी के द्वारा वश में किया जाय ।

( ३ ) अर्थशास्त्रज्ञ राजा को उचित है कि वह वृद्धि, क्षय, स्थान, कर्शन, और उच्छेदन तथा साम, दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग खूब सोच-विचार कर करे ।

( ४ ) जो राजा इन छह गुणों का विचारपूर्वक प्रयोग करता है, वह निश्चित ही अपनी बुद्धिरूपी शृङ्खला से बाँधे हुए अन्य राजाओं के साथ इच्छानुसार क्रीडा कर सकता है ।

पाङ्गुण्यं नामक सप्तम अधिकरण में मध्यमोदासीनमण्डलचरित नामक

अष्टादशवाँ अध्याय समाप्त ।

— • —

तीसरा खण्ड

आठवाँ अधिकरण

•

व्यसनाधिकारिक

- (१) व्यसनयोग्यद्ये सौकर्यतो यातव्यं रक्षितव्यं वेत्ति व्यसनचिन्ता ।  
 (२) दैवं मानुषं वा प्रकृतिव्यसनमनयापनयाभ्यां सम्भवति ।  
 (३) गुणप्रातिलोम्यमभावः प्रदोषः प्रसङ्गः पीडा वा व्यसनम् । व्यस्य-  
 त्येनं श्रेयस इति व्यसनम् ।  
 (४) स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्रव्यसनानां पूर्वं पूर्वं गरीय  
 इत्याचार्याः ।  
 (५) नेति भारद्वाजः । स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीय इति ।  
 मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्यानुष्ठानमायव्ययकर्म दण्डप्रणयनममित्राटवी-

### प्रकृतियों के व्यसन और उनका प्रतीकार

( १ ) जब शत्रु और विजिगीषु, दोनों पर एक जैसी विपत्ति आ पड़े हो और शत्रु पर आक्रमण करने तथा अपनी रक्षा करने, दोनों में समानता दीखती हो, ऐसी दशा में चढ़ाई करनी चाहिए या आत्मरक्षा करनी चाहिए ? यह विचार सामने आता है । इस हेतु इस अध्याय में पहिले व्यसनो का चिन्तन किया जाता है ।

( २ ) व्यसन दो प्रकार का है एक दैव और दूसरा मानुष । अमात्य आदि प्रकृति वर्ग के ये दोनों व्यसन अनप और अपनय के कारण पैदा होते हैं । सन्धि आदि की उचित व्यवस्था न करना अनप और शत्रुओं से पीडित होते रहना अपनय कहलाना है ।

( ३ ) गुणो की प्रतिकूलता या अभाव, उनका अनुचित उपयोग, प्रकृतिवर्ग में दोषो की अधिकता, विपत्तों में अति आसक्ति और शत्रुओं द्वारा पीडित होना, ये पाँच प्रकार के व्यसन हैं । 'व्यसन' का शब्दार्थ ही यह है जो कल्याण मार्ग से भ्रष्ट कर दे । अर्थात् जो कार्य राजा को नीचे गिरा दे वही उसके लिए व्यसन है ।

( ४ ) कुछ आचार्यों का मत है कि 'स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, इनमें पूर्व पूर्वं की विपत्ति अत्यन्त कष्टकर है ।'

( ५ ) परन्तु आचार्य भारद्वाज का कहना है कि 'यदि स्वामी और अमात्य पर एक साथ व्यसन आ पड़े हो अमात्य का व्यसन ही अधिक भयावह है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का विचार, उसके फलाफल की प्राप्ति का चिन्तन, आवश्यक कार्यों को करना,

प्रतिषेधो राज्यरक्षणं व्यसनप्रतीकारः कुमाररक्षणमभिषेकश्च कुमाराणा-  
मायत्तममात्येषु । तेषामभावे तदभावः । छिन्नपक्षस्येव राज्ञश्चेष्टानाशः ।  
व्यसनेषु चासन्नाः परोपजापाः । वंगुण्ये च प्राणबाधः प्राणान्तिकचरत्वा-  
द्राज्ञ इति ।

(१) नैति कीटिल्यः । मन्त्रिपुरोहितादिभृत्यवर्गमध्यक्षप्रचारं पुरुष-  
द्रव्यप्रकृतिव्यसनप्रतीकारमेघर्नं च राजैव करोति । व्यसनिषु वामात्येषु  
अन्यानव्यसनिनः करोति । पूज्यपूजने दूष्यावप्रहे च नित्ययुक्तस्तिष्ठति ।  
स्वामी च सम्पन्नः स्वसम्पद्भिः प्रकृतीः सम्पादयति । स्वयं यच्छीलस्त-  
च्छीलाः प्रवृत्तयो भवन्ति । उत्थाने प्रमादे च तदायत्तत्वात् । तत्कूटस्था-  
नीयो हि स्वामीति ।

(२) अमात्यजनपदव्यसनपौर्जनपदव्यसनं गरीय इति विशालाक्षः ।

आय-व्यय की व्यवस्था, मंत्र्यमण्डल, मन्त्र तथा आटविको का प्रतीकार, राज्य की सुरक्षा, निपत्तियों का दमन, राजकुमारों की रक्षा और उनका अभिषेक आदि कार्यों की सम्पन्न करना अमात्यो पर ही निर्भर है । इसलिए राजा की अपेक्षा अमात्य का व्यसन अधिक भयप्रद है । अमात्यो के अभाव में सारे राजकार्य नष्ट हो जाते हैं और परमटे पक्षी के समान राजा के सारे कार्यक्रम ही चौपट हो जाते हैं तथा व्यसनो का लाभ उठा कर मन्त्र पडयन्त्रो का जाल बिछा देते हैं । अमात्यो के व्यसनी या विपरीत हो जाने पर राजाओ के प्राण खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि अमात्य, राजाओ के प्राण के समान होते हैं ।

( १ ) इस मत के विरुद्ध आचार्य कीटिल्य का कहना है कि 'मन्त्री, पुरोहित आदि भृत्यवर्ग को, सम्पूर्ण विभागीय अध्यायों के कार्य को, अमात्य तथा सेना आदि प्रकृतिवर्ग की विपत्ति को और जनपद, दुर्ग, कोष आदि द्रव्य प्रकृति की विपत्ति को दूर कर उनकी उन्नति के कार्यों को राजा स्वयं सम्पन्न कर सकता है । अमात्य यदि व्यसनी हो गये हो तो उनके स्थान पर राजा अव्यसनी अमात्यो को नियुक्त कर सकता है । राजा ही पूज्य व्यक्तियों का सम्मान और दुष्ट व्यक्तियों का निग्रह कर सकता है । वही अपने राजयोग्य गुणों से अपनी अमात्य प्रकृति को गुणसम्पन्न बना सकता है, क्योंकि राजा स्वयं जिम स्वभाव का होता है उसकी प्रकृतिमें भी वैसे ही स्वभाव की हो जाती है । राजा पर ही उसी प्रकृतियों का अभ्युदय एव पतन निर्भर होता है । क्योंकि सातों प्रकार की प्रकृतियों में राजा ही प्रधान होता है, इसलिए मूल प्रकृति राजा का जैसा स्वभाव हो उसकी विकृतियों का भी वैसे ही स्वभाव होता है ।'

( २ ) आचार्य विशालाक्ष का अभिमत है कि 'अमात्य के व्यसन की अपेक्षा

कोशो दण्डः कुप्यं विष्टिर्वाहनं निचयाश्च जनपदादुत्तिष्ठन्ते । तेषामभावो जनपदाभावे । स्वाम्यमात्ययोश्चानन्तर इति ।

(१) नेति कौटिल्यः । अमात्यमूलाः सर्वादिभ्यः । जनपदस्य कर्म-सिद्धयः स्वतः परतश्च योगक्षेमसाधनं व्यसनप्रतीकारः शून्यनिवेशोपचयौ दण्डकरानुग्रहश्चेति ।

(२) जनपददुर्गव्यसनयोर्दुर्गव्यसनमिति पाराशराः । दुर्गं हि कोश-दण्डोत्पत्तिरापदि स्थान च जनपदस्य । शक्तिमत्तराश्च पौरा जानपदेभ्यो नित्याश्चापदि सहाया राज्ञः । जानपदास्त्वमित्रसाधारणा इति ।

(३) नेति कौटिल्यः । जनपदमूला दुर्गकोशदण्डसेतुवातरिभ्यः । शौर्यं स्वयं दाक्ष्यं बाहुल्यं च जनपदेषु । पर्वतान्तर्द्वीपाश्च दुर्गा नाप्युच्यन्ते जनपदा-

जनपद पर आया हुआ व्यसन अधिक भयावह होता है, क्योंकि कोप, सेना, बल, लोहा, तर्बा, भृत्यवर्ग, घोड़े, कैट, अन्न, घृत आदि जितना भी सामान है, सभी कुछ जनपद से प्राप्त होता है । जनपद विपत्तिग्रस्त होने के कारण उक्त सभी वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं और उसके बाद अमात्य एव राजा आदि का भी विनाश हो जाता है ।

( १ ) परन्तु कौटिल्य, विद्यानाथ के उक्त मत को नहीं मानता है । वह कहता है कि 'सभी कार्य अमात्यो पर निर्भर होते हैं । दुर्ग तथा कृषि आदि कार्यों की सफलता, राजवश, अन्तपाल और आटविको की ओर से योग क्षेम का साधन, आपतियों का प्रतिकार, उपनिवेशों की स्थापना एव उनकी उन्नति, अपराधियों को दण्ड और राजकर का निग्रह आदि जनपद के सभी कार्य अमात्यो द्वारा ही सम्पन्न होते हैं । इसलिए जनपद की विपत्ति की अपेक्षा अमात्यो की विपत्ति चिन्तनीय है' ।

( २ ) आचार्य पराशर के मातावलम्बी विद्वानो का कथन है कि 'जनपद और दुर्ग, इन दोनों के एक साथ विपत्तिग्रस्त हो जाने पर जनपद की अपेक्षा दुर्ग की विपत्ति अधिक भयावह है, क्योंकि कोप और सेना को दुर्ग में ही रखा जाता है । यदि जनपद पर कोई विपत्ति आ जाय तो दुर्ग ही उस समय आश्रय का एकमात्र स्थान होता है । नगर तथा नागरिकों की अपेक्षा दुर्ग अधिक अजेय तथा स्थायी होते हैं और किसी भी विपत्ति में वह महायुक्त होते हैं । दुर्गों की तुलना में जनपदवासियों को तो शत्रु के समान समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु को भी कर आदि देकर वे उसकी सहायता करते हैं । इसलिए जनपद की विपत्ति की अपेक्षा दुर्गों की विपत्ति अधिक चिन्तनीय समझनी चाहिए ।'

( ३ ) इस मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'दुर्ग, कोप, सेना, सेतुबन्ध और कृषि आदि कार्य जनपद पर ही निर्भर हैं और शूरता, स्थिरता, चतुरता एव अधिकता आदि बातें जनपदों ( जनपद के पुरुषों ) में ही हो सकती हैं । यदि



भावात् । कर्षकप्राये तु दुर्गव्यसनमायुधीयप्राये तु जनपदे जनपदव्यसन-  
मिति ।

(१) दुर्गकोशव्यसनयोः कोशव्यसनमिति पिशुनः । कोशमूलो हि दुर्ग-  
संस्कारो दुर्गरक्षण च । दुर्गः कोशादुपजाप्यः परेषाम् । जनपदमित्रामित्र-  
निग्रहो देशान्तरितानामुत्साहन दण्डबलव्यवहारः । कोशमादाय च व्यसने  
शक्यमपघातु न दुर्गमिति ।

(२) नेति कौटिल्यः । दुर्गापर्णः कोशो दण्डस्तूर्णेषुद्ध स्वपक्षनिग्रहो  
दण्डबलव्यवहारः आसगरप्रतिग्रहः परत्र नाटवीप्रतिषेधश्च । दुर्गमावे च  
कोशः परेषाम् । दृश्यते हि दुर्गवतामनुच्छित्तिरिति ।

(१) कोशदण्डव्यसनयोर्दण्डव्यसनम् इति कौणपदन्तः । दण्डमूलो हि मित्रामित्रनिग्रहः परदण्डोत्साहनं स्वदण्डप्रतिग्रहश्च । दण्डामावे च ध्रुवः कोशाविनाशः । कोशामावे च शक्यः कुप्येन भूम्या परभूमिस्वयंग्रहणेन वा दण्डः पिण्डयितुम् । दण्डवता च कोशः । स्वामिनश्चासन्नवृत्तित्वादमात्य-सघर्मा दण्ड इति ।

(२) नेति कौटिल्यः । कोशमूलो हि दण्डः । कोशामावे दण्डः परं गच्छति, स्वामिन वा हन्ति । सर्वाभियोगकरश्च कोशो घमहेतुः । देशकाल-कार्यवशेन तु कोशदण्डयोरन्यतरः । प्रमाणीभवति । लम्भपालनो हि दण्डः कोशस्य । कोशः कोशस्य दण्डस्य च भवति । सर्वद्वयप्रयोजकत्वात्कोश-व्यसनं गरीय इति ।

( १ ) आचार्य कौणपदन्त ( भीष्म ) का कहना है कि कोप और सेना, दोनों के व्यसनो मे सेना-व्यसन ही अधिक कष्टकर है, क्योंकि शत्रु तथा मित्र का निग्रह सेना द्वारा ही होता है, दूसरे को सेना को अपनी सेना द्वारा ही कार्य पर नियुक्त किया जा सकता है । अपनी सेना का अधिक सग्रह भी सेना के ही द्वारा किया जा सकता है । अपनी सैनिक शक्ति क्षीण हो जाने पर ही विजिगीषु, शत्रु की अपक्षा मे अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ा पाता है । यदि सेना पर विपत्ति पड जाय तो निश्चिन ही कोप भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता है । कोप के अभाव मे भी वक्राभरण के द्वारा, भूमि के द्वारा, बलात् अपहृत शत्रुद्वय के द्वारा सेना का सपठन किया जा सकता है, और तब कोप को भी जमा किया जा सकता है । सदा राजा के समीप रहने के कारण सेना को भी अमात्यो के ही समान उपचारक समझना चाहिए । इसलिए कोप की अपेक्षा सेना व्यसन अधिक भययुक्त है ।'

( २ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य, कौणपदन को उक्त बतौम को स्वीकार नहीं करते हैं । उनका कहना है कि 'सेना का सारा दारोमदार कोप पर ही निर्भर है । उसके अभाव मे या तो सेना शत्रु के अधीन हो जाती है या अपने ही स्वामी का वध कर डालती है । सब सामजो के साथ सेना ही राजा का विरोध करा सकती है, क्योंकि धन देने पर सभी को वश मे किया जा सकता है । लोक में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के साधन का मूल कारण कोप ही है, किन्तु इस सबध मे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश, काल तथा कार्य को दृष्टि में रखकर कोप और सेना, दोनों को प्रधान माना जा सकता है, जिनके द्वारा कि विजिगीषु का कार्य सध सके । सेना केवल कोप की रक्षा कर सकती है, किन्तु कोप से दुर्ग और सेना, दोनों की रक्षा हो जाती है । इसलिए सभी दुर्ग आदि द्रव्य प्रकृतियों की

(१) दण्डमित्रव्यसनयोर्मित्रव्यसनमिति वातव्याधिः । मित्रममृतं व्यवहितं च कर्म करोति, पार्ष्णिप्राहमासारममित्रमाटविकं च प्रतिकरोति, कोशदण्डभूमिभिश्चोपकरोति व्यसनावस्थायोगमिति ।

(२) नेति कौटिल्यः । दण्डवतो मित्र मित्रभावे तिष्ठत्यमित्रो वामित्र-भावे । दण्डमित्रयोस्तु साधारणे कार्ये सारतः स्वयुद्धदेशकाललाभाद्विशेषः । शीघ्राभियाने त्वमित्राटविकाभ्यन्तरकोपे च न मित्र विद्यते । व्यसनयोग-पद्ये परबुद्धौ च मित्रमर्थयुक्तौ तिष्ठति ।

(३) प्रकृतियस्यसनसम्प्रधारणमुक्तमिति ।

(४) प्रकृत्यवयवानां तु व्यसनस्य विशेषतः ।

बहुभावोऽनुरागो वा सारो वा कार्यसाधकः ॥

(५) द्वयोस्तु व्यसने तुल्ये विशेषो गुणतः क्षयात् ।

शेषप्रकृतिसाद्गुण्य यदि स्यान्नाभिधेयकम् ॥

प्रयोजनमिच्छि होने के कारण कोप के ऊपर आई हुई विपत्ति को ही गरीयसी समझना चाहिए ।'

( १ ) आचार्य वातव्याधि ( उद्धव ) का मत है कि 'अपनी सेना और अपने मित्र पर एक साथ पड़ी विपत्ति में मित्र पर पड़ी विपत्ति अधिक कष्टकर है, क्योंकि दूर रहता हुआ भी मित्र बिना कुछ लिए विजिगीषु का कार्य करता है और पार्ष्णिप्राह का, पार्ष्णिप्राह के मित्रबल का, शत्रु का तथा आटविक का सदैव प्रतीकार करने के लिए तैयार रहता है । कोप, सेना और भूमि के द्वारा वह बराबर विजिगीषु की मदद करता रहता है । विपत्ति में साथ नहीं छोड़ता है ।'

( २ ) किन्तु कौटिल्य, वातव्याधि के उक्त सिद्धान्त से सहमत नहीं है । उसका कहना है कि 'जिसके पास अच्छा सैन्यबल होता है, उसके मित्र तो मित्र ही बने रहते हैं, किन्तु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं । सेना और मित्र, इनके साधारण कार्य में लाभ के अनुसार अपने युद्ध, देश और काल की अपेक्षा विशेषता समझनी चाहिए । तत्कालिक आक्रमण पर अथवा शत्रु और आटविकों के द्वारा आभ्यन्तर कोप उत्पन्न करा देने पर मित्र लोग उसका कोई प्रतीकार नहीं करा सकते हैं, बल्कि सेना ही ऐसे अवसरो पर काम आती है । एक साथ विपत्ति आने पर अथवा शत्रु के बढ जाने के कारण मित्र ही अर्थ-सिद्धि में सहायक होता है ।'

( ३ ) यहाँ तक प्रकृति व्यसन का निरूपण किया गया ।

( ४ ) यदि प्रकृति के कुछ अंगों पर विपत्ति आ पड़ी हो तो जिस प्रकृति पर व्यसन पड़ा है उसकी अधिक सहाय, स्वामिभक्ति और विशेष गुणों के अनुसार ही उस विपत्ति को दूर करना चाहिए ।

( ५ ) यदि शत्रु और विजिगीषु दोनों पर एक साथ ही व्यसन आ पड़ा हो तो

(१) शेषप्रकृतिनाशस्तु यत्रैकव्यसनाद्भवेत् ।  
व्यसन तद्गरीयः स्यात्प्रधानस्येतरस्य वा ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमऽधिकरणे प्रकृतिव्यसनवर्गे नाम प्रथमोऽध्यायः,  
आदित पोडशशततम ।

— ० —

एक के गुणशाली और दूसरे के गुणहीन होने पर ही विशेषता समझनी चाहिए, किन्तु जिस प्रकृति पर व्यसन है उनके अतिरिक्त शेष सभी प्रकृति यदि अपनी-अपनी अवस्था में शक्तिशाली बनीं रहे तो पूर्वोक्त विशेषता नहीं समझनी चाहिए ।

( १ ) यदि एक प्रकृति-व्यसन के कारण शेष प्रकृतियों का भी नाश होता हो, तो वह व्यसन भले ही प्रधान-अप्रधान किसी भी प्रकृति से संबद्ध क्यों न हो, पहिले उसी व्यसन का प्रतीकार करना चाहिए ।

व्यसनाधिकारिक नामक अष्टम अधिकरण में प्रकृतिव्यसनवर्ग नामक  
पहला अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेपः ।

(२) राज्ञ आभ्यन्तरो बाह्यो वा कोप इति । अहिमयादाभ्यन्तरः कोपो बाह्यकोपात्पापीयान् । अन्तरमात्यकोपश्चान्तःकोपात् । तस्मात्कोशदण्ड-शक्तिमात्मसंस्था कुर्वीत ।

(३) द्वैराज्यवैराज्ययोर्द्वैराज्यमन्योन्यपक्षद्वेषानुरागाभ्यां परस्परसंघर्षेण वा विनश्यति । वैराज्यं तु प्रकृतिचित्तग्रहणापेक्षि यथास्थितमन्यैर्भुज्यत इत्याचार्याः ।

(४) नेति कौटिल्यः । पितापुत्रयोर्धर्मात्रोर्वा द्वैराज्यं तुल्ययोगक्षेमम-मात्यावग्रहं वर्तयेतेति । वैराज्ये तु जीवतः परस्याच्छिद्य 'नैतन्मम' इति

### राजा और राज्य के व्यसनो पर विचार

( १ ) प्रकृति का सक्षिप्त स्वरूप राजा और राज्य है ।

( २ ) राजा के प्रति राज्य का दो प्रकार से कोप होता है आभ्यन्तर और बाह्य । घर में रहने वाले साँप की तरह आभ्यन्तर कोप बाह्य कोप की अपेक्षा बहुत ही अनयंकारी होता है । यह आभ्यन्तर कोप भी दो प्रकार का है एक अन्तर अमात्य-कोप और दूसरा बाह्य अमात्य कोप । इन दोनों में अन्तर अमात्य-कोप बहुत ही क्षत्रनाक होता है । इसलिए विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह कोप और सेना की सम्पूर्ण शक्ति को अपने ही हाथ में रखे ।

( ३ ) पूर्वाचार्यों का मत है कि 'द्वैराज्य ( जिस राज्य के दो राजा हों ) और वैराज्य ( जिस राज्य में किसी विजित राजा का शासन हो ), इन दोनों में दो राजाओं के पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य एवं स्पर्धा के कारण द्वैराज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, किन्तु प्रजा के विचारों के अनुसार चलाने वाले वैराज्य हमेशा अपनी स्थिति को बनाये रखता है ।'

( ४ ) किन्तु कौटिल्य का कहना है 'क्योंकि पिता, पुत्र तथा दो भाइयों में दायभाग सम्बन्धी विरोध के कारण ही द्वैराज्य की स्थापना होती है, जिसमें दोनों शासकों का योगक्षेम समान होता है, उनके अमात्यों द्वारा दोनों राजाओं का पारस्परिक वैमनस्य शान्त हो सकता है । इस दृष्टि से द्वैराज्य में कोई बड़ा दोष

मन्यमानः कशंयत्यपवाहयति, पण्यं वा करोति, विरक्तं वा परित्यज्याप-  
गच्छतीति ।

(१) अन्धश्रलितशास्त्रो वा राजेति । अशास्त्रचक्षुरन्धो यत्किंचनकारी  
दृढाभिनिवेशी परप्रणेयो वा राज्यमन्यायेनोपहन्ति । चलितशास्त्रस्तु यत्र  
शास्त्राच्चलितमतिभवंति, शक्यानुनयो भवतीत्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः—अन्धो राजा शक्यते सहायसम्पदा यत्र तत्र वा  
पर्यवस्थापयितुमिति । चलितशास्त्रस्तु शास्त्रादन्यथाभिनिविष्टबुद्धिरन्या-  
येन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति ।

(३) व्याधितो नवो वा राजेति ? व्याधितो राजा राज्योपघातम-  
मात्यमूल प्राणाबाध वा राज्यमूलमवाप्नोति । नवस्तु राजा स्वधर्मानुग्रह-  
परिहारदानमानकर्मभिः प्रकृतिरञ्जनोपकारैश्चरतीत्याचार्याः ।

नहीं है । परन्तु वैराग्य में जीवित शत्रु को उच्छिन्न कर, बलपूर्वक उससे राज्य छीन  
कर, विजिगीषु उसको 'यह मेरा नहीं है' ऐसा मानता हुआ जुमाना, टैक्स आदि के  
द्वारा कष्ट पहुँचाता है, अथवा अच्छी रकम लेकर उसे दूसरे के हाथ बेच देता है,  
या वहाँ की प्रजा को विमुख जानकर सर्वस्व अपहरण कर के वहाँ से चला जाता है ।'

( १ ) अन्धशास्त्र ( जित राजा ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है ) और  
चलित शास्त्र ( शास्त्रों का अध्ययन कर के भी तदनुसार आचरण न करने वाला ),  
इन दोनों राजाओं में से कौन सा राजा प्रजा के लिए अधिक कल्याण-प्रद है ? इस  
सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों का कहना है कि 'शास्त्ररूपी चक्षुओं से हीन अन्धा राजा बिना  
विचारे ही कार्य करने वाला, हठबुद्धि, दुष्कर्मरत, या परबुद्धि होकर अन्याय से राज्य  
को नष्ट कर डालता है । उसकी अपेक्षा चलितशास्त्र राजा को, शास्त्रविरुद्ध आचरण  
करने पर अनुनय, विनय के द्वारा रोका जा सकता है । इसलिए अन्धशास्त्र से  
चलितशास्त्र राजा उत्तम है ।'

( २ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'अन्धे राजा को अमात्य आदि  
की हिनकर बुद्धि से स्वेच्छया अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है, किन्तु चलितशास्त्र  
राजा तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करने में अपनी हठ वादिता के कारण अन्याय से स्वयं  
को और अपने राज्य को नष्ट कर डालता है ।'

( ३ ) बीमार राजा और नये राजा, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करते  
हुए प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'व्याधिग्रस्त राजा अपने अमात्यों के यद्गन्ध से  
राज्य को गँवा बैठता है या राज्य के सहित प्राण भी दे बैठता है, किन्तु नया राजा  
अपने धर्म, अनुग्रह, परिहार और मान आदि कार्यों से लोकप्रियता प्राप्त कर राज्य  
का संचालन कर सकता है ।'

(१) नेति कौटिल्यः । व्याधितो राजा यथाप्रवृत्तं राजप्रणिधिमु-  
वर्तयति । नवस्तु राजा 'बलावर्जितं ममेदं राज्यम्' इति यथेष्टमनवप्रह-  
श्र्वरति । सामुत्थायिकं रवगृहीतो वा राज्योपघातं मर्षयति । प्रकृतिष्वरुद्धः  
सुखः समुच्छेस्तुं भवति । व्यधिते विशेषः—पापरोग्यपापरोगी च ।

(२) नवेऽप्यभिजातोऽनभिजात इति । दुर्बलोऽभिजातो बलवाननभि-  
जातो राजेति । दुर्बलस्याभिजातस्योपजापं दीर्बल्यापेक्षाः प्रकृतयः कृच्छ्रे-  
णोपगच्छन्ति । बलवतश्चानभिजातस्य बलापेक्षाः सुखेन इत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । दुर्बलमभिजातं प्रकृतयः स्वयमुपनमन्ति, जात्य-  
मैश्वर्यप्रकृतिरनुवर्तत इति । बलवतश्चानभिजातस्योपजापं विसंवादयन्ति—  
अनुरागे सार्वगुण्यमिति ।

( १ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है 'क्योंकि व्याधिग्रस्त राजा पूर्ववत्  
ही राज्य के व्यापारो को बराबर चलाता रहता है; किन्तु तथा राजा तो बल के  
अभिमान से चूर होकर 'यह मेरा राज्य है' ऐसा समझता हुआ स्वेच्छाचारी बन कर  
मनमाना शासन करता है । अथवा जब कभी उन्नतिशील सामी राजाओं से घिर  
जाता है तो राज्य के नाश को चुपचाप देखता रहता है । प्रजा का अनुराग न होने  
से अनायास ही शत्रुओं के द्वारा उखाड़ दिया जाता है । इसलिए नये राजा को  
अपेक्षा व्याधिग्रस्त राजा ही श्रेष्ठ है । परन्तु इस सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान  
रखने योग्य यह है कि व्याधिग्रस्त राजा भी दो तरह के हो सकते हैं : एक तो पापरोग  
( कोढ़ ) आदि से ग्रस्त और दूसरे अपाप रोग ( साधारण रोग ) से ग्रस्त । इनमें  
अपापरोगी राजा के सम्बन्ध में ही उक्त कथन को समझना चाहिए ।'

( २ ) नये राजाओं में भी उच्च कुलीन राजा उत्तम होता है या नीच कुलीन ?  
उनमें भी उच्च कुल का दुर्बल राजा उत्तम होता है या नीच कुल का बलवान् राजा ?  
इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों का कहना है कि 'कुलीन दुर्बल राजा के अमात्य  
आदि प्रकृतिजन तथा प्रजाजन बड़ी कठिनाई से उसके बश में रहते हैं । किन्तु नीच  
कुलोत्पन्न, परन्तु बलवान् राजा के रोवदाब के कारण सम्पूर्ण प्रजा तथा अमात्य आदि  
उसके बश में हो जाते हैं । इसलिए दुर्बल अभिजात राजा ही श्रेष्ठ है ।'

( ३ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का उक्त मत के विरुद्ध यह कहना है कि 'जो  
राजा उच्च कुलोत्पन्न होता है, वह चाहे दुर्बल भी हो, प्रकृतिजन अपने-आप ही  
उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य की योग्यता उच्च कुलोत्पन्न राजा का ही  
अनुगमन करती है । किन्तु बलवान् होने पर भी नीचकुलोत्पन्न राजा के प्रकृतिजन  
विराग के कारण उसका विरोध करने लगते हैं; क्योंकि अनुराग ही गुणों का  
माश्रय है ।'

- ( १ ) प्रयासवधात्सस्यवधो मुष्टिवधात्पापीयान् ।  
 ( २ ) निराजीवत्वादवृष्टिरतिवृष्टित इति ।  
 ( ३ ) द्वयोर्द्वयोर्व्यसनयोः प्रकृतीना बलाबलात् ।  
 पारम्पर्यक्रमेणोक्तं याने स्थाने च कारणम् ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽधिकरणे राजराज्यव्यसनचिन्ता नाम  
 द्वितीयोऽध्याय, आदितो सप्तदशशततम ।

—: ० :—

( १ ) खेत में बीज न बौने के कारण अत्राभाव से जो कष्ट होता है उसकी अपेक्षा बीज बौने के बाद तैयार हुए अनाज का नष्ट हो जाना अधिक पीडाकर होता है । क्योंकि सारा परिश्रम ही व्यर्थ चला जाता है ।

( २ ) इसी प्रकार अधिक वृष्टि होने की अपेक्षा वृष्टि का सर्वथा न होना अधिक हानिकर है, क्योंकि जीवन की रक्षा जल पर ही निर्भर होती है ।

( ३ ) इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न व्यसनो में प्रकृतियों के बलाबल का निरूपण किया जा चुका है । इसका स्पष्टीकरण इस तरह है विजिगीषु और शत्रु पर व्यसन होने के कारण, यदि शत्रु की अपेक्षा विजिगीषु पर लघु व्यसन हो तो विजिगीषु को चढाई कर देनी चाहिए, और यदि अवस्था इसके विपरीत हो तो विजिगीषु को चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिए ।

व्यसनाधिकारिक नामक अष्टम अधिकरण में राजराज्यव्यसनचिन्ता नामक  
 दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—



(१) अविद्याविनयः पुरुषव्यसनहेतुः । अविनीतो हि व्यसनदोषान्न पश्यति ।

(२) तानुपदेक्ष्याम.—कोपजस्त्रिवर्गः, कामजश्चतुर्वर्गः ।

(३) तयोः कोपो गरीयान् । सर्वत्र हि कोपश्चरति, प्रायशश्च कोपवशा राजानः प्रकृतिकोपैर्हताः श्रूयन्ते, कामवशाः क्षयव्ययनिमित्तमरिव्याधिभिरिति ।

(४) नेति भारद्वाजः । सत्पुरुषाचारः कोपः । वैरयातनमवज्ञावधो भीतमनुष्यता च, नित्यश्च कोपसम्बन्धः पापप्रतिषेधार्थः । कामः सिद्धि-  
लाभः । सान्त्वं त्यागशीलता सम्प्रियभावश्च । नित्यश्च कामेन सम्बन्धः कृत-  
कर्मणः फलोपभोगार्थं इति ।

### सामान्य पुरुषो के व्यसन

( १ ) अशिक्षित व्यक्ति व्यसनी हो जाते हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति व्यसनो से पैदा होने वाले दोषो को नहीं समझ पाता है ।

( २ ) इस प्रकरण में ऐसे ही व्यसनो तथा व्यसनो से पैदा होने वाले दोषो का निरूपण किया जाता है । कोप से उत्पन्न होने वाले तीन दोष होते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिवर्ग कहा गया है । इसी प्रकार काम से उत्पन्न होने वाले चार दोष हैं, इसीलिए उन्हें चतुर्वर्ग कहा गया है ।

( ३ ) दोषो को उत्पन्न करने वाले काम और क्रोध दोनों में से क्रोध ही अधिक भयावह होता है, क्योंकि क्रोध का सर्वत्र प्रवेश है । प्रायः ऐसा सुना गया है कि कोप से वशीभूत हुए राजा अपनी प्रकृतियों के कोप से ही मारे गये । इसी प्रकार काम के वशीभूत हुए राजा, सेना तथा कोप के नष्ट हो जाने या शारीरिक शक्ति के नष्ट हो जाने के कारण शत्रुओं तथा व्याधियों के द्वारा मारे गये सुने गये हैं ।

( ४ ) हम सिद्धान्त के विपरीत आचार्य भारद्वाज का कथन है 'क्योंकि कोप करना श्रेष्ठ लोगो का आचारधर्म है । कोप से ही शत्रु का प्रतीकार और दूसरे के तिरस्कार का बदला लिया जाता है । क्रोधी पुरुष की बुराई करने से सभी लोग डरते हैं । क्रोध छोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा पापियों का

(१) नेति कौटिल्यः । द्वेष्यता शत्रुवेदनं दुःखासङ्गश्च कोपः । परिभवो द्रव्यनाशः पाटच्चरधूतकारसुब्धकगायनवाद्कंश्चानर्थ्यः संयोगः कामः ।

(२) तयोः परिभवाद् द्वेष्यता गरीयसी । परिभूतः स्वैः परैश्चावगृह्यते, द्वेष्यः समुच्छिद्यत इति । द्रव्यनाशाच्छत्रुवेदनं गरीयः, द्रव्यनाशः कोशा-  
बाधकः, शत्रुवेदनं प्राणाबाधकमिति । अनर्थ्यसंयोगाद् दुःखसंयोगो गरी-  
यान् । अनर्थ्यसंयोगो मुहूर्तप्रीतिकरः, दीर्घव्लेशकरो दुःखानामासङ्ग इति ।  
तस्मात्कोपो गरीयान् ।

(३) वाक्पारुष्यमर्थदूषणं दण्डपारुष्यमिति । वाक्पारुष्यार्थदूषणयो-

नियह होता है । इसी प्रकार काम भी सुख को देनेवाला है और उमी के कारण व्यक्ति में सब्चाई, मधुरता, त्याग और सौम्यता जैसे गुण आ बसते हैं । इसके अतिरिक्त अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्रत्येक पुरुष के लिए काम का अवलंबन आवश्यक भी है ।'

( १ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त मत को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि 'कोप और काम कदापि गुणों की कोटि में नहीं रखे जा सकते हैं, वे तो अनेक महान् अनर्थों को पैदा करने वाले हैं, कोप के कारण मनुष्य सबका द्वेषी बन जाता है उसके अनेक शत्रु बन जाते हैं, दुःख उसके धिर पर मँडराया करते हैं, कामी पुरुष का सर्वत्र तिरस्कार होता है, वह धन-नाश करता है, चोर, जुआरी, शराबी आदि अनर्थकारी व्यक्तियों से उसका साथ होता है ।'

( २ ) काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों में से, कामजन्य परिभव ( दोष ) की अपेक्षा क्रोधजन्य द्वेष्यता अधिक हानिकर होती है । तिरस्कृत व्यक्ति अपने या पराये लोगों के द्वारा कभी न कभी अनुगामी बनाया जा सकता है, किन्तु जिससे सभी लोग द्वेष करते हैं वह तो नष्ट ही हो जाता है । इसीलिए तिरस्कृत होने की अपेक्षा द्वेष्य होना अधिक कष्टकर है । द्रव्यनाश हो जाने की अपेक्षा अधिक शत्रुओं का पैदा हो जाना अधिक हानिकर है । द्रव्यनाश होने पर केवल कोप को बाधा पहुँचती है, प्राण सुरक्षित रहते हैं, किन्तु शत्रुओं के बढ़ जाने से प्राण खतरे में पड़ जाते हैं । अनर्थकारी व्यक्तियों से सम्पर्क होने की अपेक्षा दुःखों का संयोग अधिक कष्टकर है । चोर, जुआरी आदि अनर्थकारी व्यक्तियों के सम्बन्ध परिणाम में दुःखदायी होने के बावजूद भी थोड़े समय के लिए प्रसन्न कर देने वाले होते हैं, किन्तु दुःखों का सम्बन्ध लगातार कष्टदायक होता है । इसलिए कामजन्य दोषों की अपेक्षा क्रोधजन्य दोषों को ही अधिक हानिकर समझना चाहिए ।

( ३ ) कोपजन्य त्रिवर्ग : वाक्पारुष्य, अर्थदूषण और दण्डपारुष्य, ये कोपज त्रिवर्ग हैं, आचार्य विशालाक्ष के मत से 'वाक्पारुष्य ही अधिक बलवान् है । क्योंकि

वक्त्राख्यं गरीयः इति विशालाक्षः । परुषमुक्तो हि तेजस्वी तेजसा प्रत्यारो-  
हति, दुहृक्तशल्यं हृदि निखातं तेजःसन्दीपनमिन्द्रियोपतापि च इति ।

( १ ) नेति कौटिल्यः । अर्थपूजा वाक्छल्यमपहन्ति, वृत्तिविलोपस्त्वर्थ-  
दूषणम् । अदानमादानं विनाशः परित्यागो वा अर्थस्येत्यर्थदूषणम् ।

( २ ) अर्थदूषणदण्डपारुष्ययोरर्थदूषण गरीयः इति पाराशराः । अर्थ-  
मूलो धर्मकामो, अर्थप्रतिबन्धश्च लोको वर्तते, तस्योपघातो गरीयान् इति ।

( ३ ) नेति कौटिल्यः । सुमहताऽप्यर्थेन न कश्चन शरीरविनाशमिच्छेत् ।  
दण्डपारुष्याच्च तमेव दोषमन्येभ्यः प्राप्नोति । इति कोपजस्त्रिवर्गः ।

( ४ ) कामजस्तु—मृगया सूतं स्त्रियः पानमिति चतुर्वर्गः । तस्य मृग-  
यासूतयोर्मृगया गरीयसी इति पिशुनः स्तेनामित्रव्यालदावप्रस्खलनभय-

अपने तिरस्कार को सहन न करने वाले पुरुष के साथ कठोर वाक्यों का व्यवहार करने पर वह निश्चित ही कठोरभाषी व्यक्ति पर अपने तेज के द्वारा आक्रमण करता है । हृदय में गड़ा हुआ दुर्वचन भीतरी तेज को उभाड़ने वाला और इन्द्रियो को सतप्त करने वाला होता है । इसलिए अर्थदूषण की अपेक्षा वाक्पारुष्य की ही अधिक हानिकर समझना चाहिए ।'

( १ ) किन्तु, विशालाक्ष के मत के विरुद्ध कौटिल्य का कहना है कि 'अर्थ द्वारा की गई पूजा दुर्वचनरूपी शल्य को नष्ट कर देती है, किन्तु वाणी द्वारा की गई पूजा अर्थदूषण को नहीं हटा सकती है, किसी की जीविका मारना ही अर्थदूषण है । प्रिय वचन जीविका के विघात को पूरा नहीं कर सकते हैं । अर्थदूषण चार प्रकार का होता है । १ अदान ( कार्य करने पर भी वेतन न देना ) २ आदान ( दण्ड आदि के द्वारा धन खींच लेना ) ३ विनाश ( देश को पीटा पहुँचाना ) और ४ अर्थत्याग ( रक्षा योग्य अर्थ की रक्षा न करना ) ।'

( २ ) आचार्य पराशर के अनुयायियों का कहना है कि 'अर्थदूषण और दण्ड-  
पारुष्य में अर्थदूषण ही बलवान् होता है, क्योंकि धर्म, काम और लोकनिर्वाह सभी अर्थ पर निर्भर होते हैं । इसलिए अर्थ का उपघात ( दूषण ) होना अत्यन्त ही आपत्ति-  
जनक है । इसलिए दण्डपारुष्य की अपेक्षा अर्थदूषण को ही बड़ा समझना चाहिए ।'

( ३ ) किन्तु कौटिल्य उक्त मत को युक्तिसंगत नहीं मानता है । उसका कहना है कि 'अत्यधिक धन प्राप्ति के बदले में कोई भी अपने को नष्ट नहीं करना चाहता है, पुन दण्डपारुष्य से आत्मरक्षा के लिए वह उतनी ही धन-राशि खर्च करने के लिए तैयार रहता है । इसलिए अर्थदूषण की अपेक्षा दण्डपारुष्य को ही अधिक कष्ट-  
कर समझना चाहिए ।' यहाँ तक कोपजन्य त्रिवर्ग का निरूपण किया गया ।

( ४ ) कामजन्य चतुर्वर्गः : मृगया, सूत, स्त्री और मदिरापान, ये कामज चार

दिङ्मोहाः क्षुत्पिपासे च प्राणाबाधस्तस्याम् । द्यूते तु जितमेवाक्षविदुषा यथा  
जयत्सेनदुर्योधनाभ्यामिति ।

(१) नेति नौटिल्यः । तयोरप्यन्यतरपराजयोऽस्तीति नलयुधिष्ठि-  
राभ्यां व्याख्यातं, तदेव विजितद्रव्यमामिषं, वंरबन्धश्च, सतोऽर्थस्य विप्रति-  
पत्तिरसतश्चाजंनमप्रतिभुक्तनाशो मूत्रपुरीषघारणबुभुक्षादिभिश्च व्याधिलाभ  
इति द्यूतदोषः । मृगयाया तु व्यायामः श्लेष्मपित्तमेदःस्वेदनाशश्चले स्थिरे  
च काये लक्षपरिचयः कोपभयस्थानेहितेषु च मृगाणां चित्तज्ञानमनित्यपानं  
चेति ।

(२) द्यूतस्त्रीव्यसनयोः कंठव्यसनम् इति कौणपदन्तः । सातत्येन हि  
निशि प्रदीपे मातरि च मृतापां दीव्यत्येव कितवः, कृच्छ्रे च प्रतिपृष्टः

दोष है । 'इस कामजन्य चतुर्वर्ग मे मृगया और द्यूत, इन दोनों मे से मृगया दोष  
अधिक हानिकर होता है'—ऐसा आचार्य नारद ( पिशुन ) का कहना है । 'क्योंकि  
मृगया दोष मे सर्वथा चोर, शत्रु, साँप, दावाग्नि और गिरने का भय बना रहता है,  
दिशाओ के भूल जाने से तथा भूल-प्याय से कभी-कभी प्राणान्तक कष्ट भी उपस्थित  
हो जाता है । परन्तु बढिया खिलाडी जुए में अवश्य ही विजयी होता है, जैसे जयसेन  
और दुर्योधन ने नल और युधिष्ठिर को जुए मे जीत लिया था । इसलिए जुए की  
अपेक्षा शिकार मे अधिक कष्ट है ।'

( १ ) किन्तु उक्त सिद्धान्त के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'मृगया  
की भाँति जुए मे भी अनेक दोष हैं । जुआ खेलने वालो मे एक की अवश्य ही हार  
होती है, जैसे नल और युधिष्ठिर जुए मे हार गए थे । जुए मे जीता हुआ धन पराये  
मास की तरह है और हारने वाला जुआरी जीते हुए जुआरी से वर भी ठान लेता  
है । धर्मपूर्वक कमाये हुए धन का दुरुपयोग होता है और अधर्मपूर्वक जुए से धन का  
संग्रह होता है । संग्रह किया हुआ धन फिर जुए मे ही गँवा दिया जाता है । जुआ  
खेलते समय पेगाब, पाखाना और भूख रोकने से अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं ।  
जुए की अपेक्षा मृगया मे व्यायाम, कफ-पित्त का नाश, मेदा का न बढना, पसीना  
निकलने से देह का हल्का होना, चलते हुए या बैठे हुए शरीर पर निशाना बाँधने  
का अभ्यास होना, क्रोध तथा भय से उत्पन्न होने वाले जगली जानवरो के चित्त की  
भिन्न-भिन्न चेष्टाओ का ज्ञान होना और किसी खास अवसर पर ही मृगया का समय  
निश्चित होना—ये सब गुण ऐसे हैं, जो द्यूत मे असम्भव है ।'

( २ ) आचार्य कौणपदंत का मत है कि 'द्यूत-व्यसन और स्त्री-व्यसन, दोनों मे  
द्यूत-व्यसन अधिक हानिकर है, क्योंकि जुआरी रात मे भी दीपक जला कर जुआ  
खेलता है, माता के मर जाने पर उसकी दाहक्रिया आदि की कुछ भी परवाह न

कुप्यति । स्त्रीव्यसनेषु तु स्नानप्रतिकर्मभोजनभूमिषु भवत्येव धर्मार्थपरि-  
प्रश्नः । शक्या च स्त्री राजहिते नियोक्तुम् । उपायुदण्डेन व्याधिना वा  
व्यावर्तयितुमवलावयितुं वा इति ।

(१) नेति कौटिल्यः । सप्रत्यादेय द्यूतम्, निष्प्रत्यादेयं स्त्रीव्यसनम् ।  
अदर्शनं, कार्यनिर्वेदः, कालातिपातनादनर्थधर्मलोपश्च, तन्त्रदोर्बतयं, पाना-  
नुबन्धश्चेति ।

(२) स्त्रीपानव्यसनयोः स्त्रीव्यसनम् इति वातव्याधिः । स्त्रीषु हि  
वालित्श्यमनेकविध निशान्तप्रणिधौ व्याट्यातम् । पाने तु शब्दादीनामिन्द्रि-  
यार्थानामुपमोगः प्रीतिदानं परिजनपूजनं कर्मश्रमवधश्चेति ।

करके जुए में जुटा हुआ रहता है और किसी मकड़ कालीन स्थिति में उससे जब कोई  
बुद्ध कहना चाहता है तो वह कुपित हो जाता है । इसके विपरीत स्त्री व्यसनी राजा  
स स्नान व ममय वस्त्र पहनते हुए या भोजन आदि के समय धर्म-अर्थ के सम्बन्ध में  
पूछा तथा बतलाया जा सकता है, जिस स्त्री पर राजा आसक्त हो उसको भी  
अमात्यो व द्वारा राजा के ध्येय कार्यों की ओर मोटा जा सकता है । यदि वह स्त्री  
अमात्यो का कहना न माने तो उसका उपायुबध भी कराया जा सकता है । यदि ऐसा  
भी सम्भव न हो तो विषयुक्त औषधियों से उसमें व्याधि उपजा कर इलाज के बहाने  
उसको दूसरी जगह भेजा जा सकता है । इसलिए स्त्री व्यसन की अपेक्षा द्यूत-व्यसन  
ही अधिक हानिकर है ।'

( १ ) किन्तु उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'जुए में  
जो चान हार ही जाय उसका फिर जुए में ही जीता जा जा सकता है, किन्तु स्त्री  
व्यसन में तो जो धोत्र हाथ से निरुल गई उसका वापिस मिलना सम्भव नहीं होता  
है । स्त्री-व्यसन में आसक्त राजा अपने मन्त्रियों तक से नहीं मिल पाता है, जिसकी  
वजह से मन्त्रिवर्ग भी राजकार्य की ओर उदासीन हो जाता है और इस प्रकार कुछ  
समय बाद राजा के अर्थ धर्म, दोनों ही विलुप्त हो जाते हैं । इतना ही नहीं, उसका  
राज्यतन्त्र भी दुर्बल हो जाता है । स्त्री-व्यसन के सहकारी व्यसन मद्यपान, जुआ  
आदि भी उसके पीछे लग जाते हैं । इसलिए द्यूत-व्यसन की अपेक्षा स्त्री-व्यसन ही  
अधिक हानिकर समझना चाहिए ।

( २ ) आचार्य वानव्याधि के मत से 'स्त्री-व्यसन और मद्यपान, दोनों में से  
स्त्री व्यसन ही अधिक कष्टकर है, क्योंकि स्त्रियों में अनेक प्रकार की भूलतार्प होती  
हैं, जिनका वर्णन पीछे निशातप्रणिधि प्रकरण में किया गया है, यहाँ तक कि वे  
अपने पतियों के वध करन तक का पदयन्त्र रच देती हैं । मद्यपान में तो इन्द्रियों के  
विषयभूत शब्द आदि का ही उपयोग किया जाता है । उससे प्रेम का विस्तार, तथा

(१) नेति कौटिल्यः । स्त्रीव्यसने भवत्यपत्योत्पत्तिरात्मरक्षणं चान्त-  
दरिषु, विपर्ययो वा बाह्येषु, अगम्येषु सर्वोच्छ्रितः । तदुभयं पानव्यसने ।  
पानसम्पत्—संज्ञानाशः अनुन्मत्तस्योन्मत्तत्वमप्रेतस्य प्रेतत्वं कौपीनदर्शनं  
धृतप्रजाप्राणवित्तमित्रहानिः सद्भिवियोगोऽनर्थ्यसंयोगस्तन्त्रीगीतनैपुण्येषु  
चार्यघ्नेषु प्रसङ्ग इति ।

(२) द्यूतमद्ययोर्धृतमेकेषाम् । पणनिमित्तो जयः पराजयो वा, प्राणिषु  
निश्चेतनेषु वा पक्षद्वंद्वेन प्रकृतिकोपं करोति, विशेषतश्च सङ्घाना सङ्घ-  
र्षमिणां च राजकुलाना द्यूतनिमित्तो भेदः, तन्निमित्तो विनाश इति ।  
असत्प्रग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनाना तन्त्रदौर्बल्यादिति ।

तथा परिजनो का सत्कार करने को प्रवृत्ति घडती है और अधिक कार्य करने से  
उत्पन्न थकावट दूर हो जाती है । इसलिए मद्यपान की अपेक्षा स्त्री-व्यसन अधिक  
दुःखदायी है ।'

( १ ) किन्तु उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'यदि स्त्री-  
व्यसन अपनी पत्नियों तक ही सीमित है तब तो पुत्रों को पैदा कर उनके द्वारा आत्म-  
रक्षा होना, यह तो लाभ की ही बात है । यदि वह व्यसन गणिका आदि स्त्रियों में  
हो तो उससे उक्त लाभ नहीं होता और यदि वह अन्य कुलीन स्त्रियों तक असीमित  
हो जाय तो उससे राजा का सर्वनाश हो जाता है, इसीलिए बाह्य स्त्रियों और कुलीन  
स्त्रियों में आसक्ति होने के कारण ही स्त्री-व्यसन को सदोष माना गया है । किन्तु  
मद्यपान-व्यसन में न तो पुत्र आदि के पैदा होने की कोई सम्भावना है और उसमें  
सर्वनाश का ही अधिक खतरा रहता है । इसके अतिरिक्त मद्यपान करने से नीचे  
लिखे अनेक दोष पैदा हो जाते हैं विवेक-बुद्धि नष्ट हो जाती है, अच्छा व्यक्ति भी  
उन्मत्त के समान हो जाता है, जीता हुआ भी मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो जाता  
है; उसके गुप्तपापों का पता लग जाता है, उसका शास्त्रज्ञान तथा उसकी संस्कृत  
बुद्धि, बल, धन और मित्र आदि सभी वस्तुओं का विनाश हो जाता है, सज्जनों की  
संगति से वह दूर हो जाता है, सर्वदा अनर्थकारी व्यक्तियों से उसका ससर्ग हो जाता  
है, धन को नष्ट करने वाले गीत, वाद्य आदि में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है ।'

( २ ) कुछ आचार्यों का कहना है कि 'द्यूत और मद्य, इन दोनों व्यसनो में से  
द्यूत ही अधिक कष्टकर है, क्योंकि दाव लगाने पर जय तथा पराजय और प्राणी  
तथा अप्राणी विषयक द्यूतों में परस्पर विरुद्ध दो पक्षों का वैर हो जाने के कारण  
प्रकृतियों में कोप को पैदा कर देते हैं और विशेषतः एक साथ रहने वाले एक विचार-  
बुद्धि के राजकुलों में भी द्यूत के कारण परस्पर मतभेद हो जाता है, जिससे कि  
उनका विनाश हो जाता है । यह असत्प्रग्रह ( जिस व्यसन में दुर्जनों का सत्कार

- (१) असता प्रग्रहः कामः कोपश्चावग्रहः सताम् ।  
व्यसन दोषबाहुल्यादत्यन्तमुभयं मतम् ॥
- (२) तस्मात्कोप च काम च व्यसनारम्भमात्मवान् ।  
परित्यजेन्मूलहर वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽध्यायेऽधिकरणे पुरुषव्यसनवर्गो नाम तृतीयोऽध्यायः ,  
आदितोऽष्टाविंशतिशततमः ।

—: ० —

किया जाता है ) अर्थात् मछपान व्यसन अन्य सभी व्यसनो में अत्यन्त पापिष्ठ है, क्योंकि उससे सारी राज्य-व्यवस्था दुर्बल हो जाती है ।

( १ ) काम और क्रोध, ये दोनों ही गाने-बजाने का व्यवसाय करने वाले दुर्जनो के सत्कार के हेतु तथा सज्जनों के तिरस्कार के हेतु होते हैं । दोषो की अधिकता के कारण काम-क्रोध को महान् व्यसन माना गया है ।

( २ ) इसलिए धैर्यशाली, वृद्धसेवी और जितेन्द्रिय राजा को चाहिए कि वह, प्राणो तक का नाश करने वाले तथा दुःखोत्पादक काम और क्रोध का सर्वथा परित्याग कर दे ।

व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में पुरुषव्यसनवर्ग नामक तीसरा अध्याय समाप्त ॥

— ० —

## पीडनवर्गः स्तम्भवर्गः कोशसङ्गवर्गश्च

(१) दैवपीडनमग्निउदकं व्याधिदुर्भिक्षं मरक इति ।

(२) अग्न्युदकयोरग्निपीडनमप्रतिकार्यं सर्वदाहि च, शक्योपगमनं तार्याबाधमुदकपीडनमित्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । अग्निग्राममघंघ्रामं वा दहति, उदकवेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीति ।

(४) व्याधिदुर्भिक्षयोर्व्याधिः प्रेतव्याधितोपसृष्टपरिचारकव्यायामो-  
परोधेन कर्माण्युपहन्ति, दुर्भिक्षं पुनरकर्मोपघाति हिरण्यपशुकरदायि च  
इत्याचार्याः ।

### पीडनवर्ग, स्तम्भवर्ग और कोपसंगवर्ग

( १ ) पीडनवर्ग : राष्ट्र पर आने वाली देवी विपत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं १ अग्नि २ जल ३ व्याधि ४ दुर्भिक्ष और ५ महामारी ।

( २ ) प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'अग्नि और जल से उत्पन्न होने वाली आपत्तियो मे से अग्निजन्य आपत्ति ही अधिक कष्टकर होती है, क्योंकि आग लग जाने पर उसका सरलता से कोई प्रतीकार नहीं किया जा सकता है और आग सब वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है । किन्तु जल मे यह बात नहीं है, क्योंकि शीतल होने से उसका स्पर्श सह्य होता और नौका आदि साधनों के द्वारा उससे अपना काम भी लिया जा सकता है ।'

( ३ ) उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है 'अग्नि किसी एक ही गाँव या आधे ही गाँव को जला सकती है किन्तु जल का प्रवाह एक साथ ही सैकड़ों गाँवों को बहा ले जाता है ।'

( ४ ) पूर्वाचार्यों का कहना है कि 'व्याधि और दुर्भिक्ष इन दोनों मे से व्याधि ही अधिक कष्टप्रद होती है, क्योंकि उससे लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कृषि आदि कार्य सब ठप हो जाते हैं । परन्तु दुर्भिक्ष के कारण ये सब बाधाएँ नहीं होने पाती । अन्न के अभाव मे हिरण्य आदि के द्वारा सरकारी कर चुकाया जा सकता है ।'



(१) नेति कौटिल्य—एकदेशपीडनो व्याधिः शक्यप्रतीकारश्च, सर्वदेश-  
पीडनं दुर्भिक्ष प्राणिनामजीवनायेति ।

(२) तेन मरको व्याख्यातः ।

(३) क्षुद्रकमुत्पक्षययोः क्षुद्रकक्षयः कर्मणामयोगक्षेम करोति, मुत्प-  
क्षयः कर्मानुष्ठानोपरोधघर्मा इत्याचार्याः ।

(४) नेति कौटिल्य । शक्यः क्षुद्रकक्षयः प्रतिसन्धातुं बाहुल्यात् क्षुद्र-  
काणा, न मुत्पक्षयः । सहस्रेषु हि मुत्पयो भगवत्येको न वा सत्त्वप्रज्ञाधिकव्या-  
दाश्रयत्वात् क्षुद्रकाणामिति ।

(५) स्वचक्रपरचक्रयोः स्वचक्रमतिमात्राभ्यां दण्डकराभ्यां पीडयत्य-  
शक्यं च वारयितुं, परचक्र तु शक्यं प्रतियोद्धमपसारेण सन्धिना वा मोक्ष-  
यितुमित्याचार्याः ।

(६) नेति कौटिल्यः । स्वचक्रपीडनं प्रकृतिपुरुषमुत्पयोपग्रहविघाताभ्यां

( १ ) किन्तु कौटिल्य पूर्वाचार्यों के मत को युक्तिमग्न नहीं मानना है । वह बहूता है कि 'व्याधि से किसी एक ही देश की हानि होती है और औपधि आदि के द्वारा उसका प्रतीकार भी किया जा सकता है । किन्तु दुर्भिक्ष के कारण सारा राष्ट्र पीडित हो जाता है और प्राणिमात्र का जीवन संकट में पड़ जाता है ।'

( २ ) इसी प्रकार महामारी के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( ३ ) प्राचीन आचार्यों का विचार है कि 'छोटे कर्मचारियों और प्रमुख कार्य-  
कर्ताओं में से छोटे कर्मचारियों का क्षय होना अधिक हानिकर है, क्योंकि कर्मचारियों  
के अभाव में कार्यो का योग-क्षेम मिट्ट नहीं होना है । किन्तु प्रमुख कार्यकर्ताओं का  
क्षय केवल कार्यो की निगरानी में ही बाधा डाल सकता है ।

( ४ ) किन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'छोटे कर्मचारियों की कमी को दूसरी  
नियुक्तियों कर के पूरा किया जा सकता है, किन्तु प्रमुख कार्यकर्ता हजारों में से एक  
मिलता है या कभी कभी वह भी नहीं मिलता, अपने बल-बुद्धि की अधिकता के  
के कारण छोटे कर्मचारियों का वह आश्रय होता है ।'

( ५ ) प्राचीन आचार्यों का मत है कि स्वचक्र ( अपने देश का विप्लव ) और  
परचक्र ( दूसरे देश द्वारा विप्लव ), इन दोनों में से स्वचक्र ही अधिक भयङ्कर होता  
है, क्योंकि वह जुरमाना एवं दंड आदि के द्वारा प्रजा को पीडित करता है और  
अपने ही देश का होने के कारण उसका प्रतीकार भी नहीं किया जा सकता है, किन्तु  
परचक्र का प्रतीकार, उस देश को छोड़ देने से भी किया जा सकता है या कुछ धन  
देकर भी सन्धि की जा सकती है ।'

( ६ ) किन्तु कौटिल्य का कथन है कि 'स्वचक्र को पीड़ा का प्रतीकार अमात्य

शक्यते वारयितुम्, एकदेशं वा पीडयति । सर्वदेशपीडनं तु परचक्रं विलोप-  
पातदाहविष्वंसनापवाहनं : पीडयतीति ।

(१) प्रकृतिराजविवादयोः प्रकृतिविवादः प्रकृतीनां भेदकः पराभि-  
योगानाग्रहति । राजविवादस्तु प्रकृतीनां द्विगुणभक्तवेतनपरिहारकरो  
भवतीत्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः । शक्यः प्रकृतिविवादः प्रकृतिमुद्ध्योपग्रहेण कलह-  
स्थानापनयनेन वा वारयितुं, विजयमानास्तु प्रकृतयः परस्परसंघर्षोप-  
कुर्वन्ति । राजविवादस्तु पीडनोच्छेदनाय प्रकृतीनां द्विगुणव्यायामसाध्य  
इति ।

(३) देशराजविहारयोर्देशविहारस्त्रैकाल्येन कर्मफलोपघातं करोति,  
राजविहारस्तु कारुशिल्पिकुशोलववाग्जीवनरूपाजीवावैदेहकोपकारं करोति  
इत्याचार्याः ।

आदि मुख्य व्यक्तियों को अनुकूल बनाकर या उनका जातमा कर देने पर भी किया जा सकता है । स्वचक्र से किसी एक धन-धान्य सम्पन्न देश को ही पीडा पहुँचती है । किन्तु परचक्र के द्वारा तो लूटने, मारने, बाग लगाने, अन्य प्रकार से पीडा पहुँचाने और अपने देश से निकाल देने आदि द्वारा अनेक प्रकार की पीडाएँ सारे राष्ट्र को उठानी पड़ती हैं ।

( १ ) आचार्यों का मत है कि 'प्रकृतिविवाद और राजविवाद, इन दोनों में से प्रकृति-विवाद ही अधिक हानिकर होता है, क्योंकि वह अमात्य आदि में परस्पर फूट डालने वाला और शत्रु के कार्यों को सहारा देने वाला होता है । परन्तु राज विवाद के कारण प्रकृतियों का दुगुना धेतन, भत्ता बढ़ जाता है और प्रजा के सारे कर माफ कर दिये जाते हैं ।'

( २ ) किन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'अमात्य आदि मुख्य प्रकृतियों को अनुकूल बनाकर और कलह के कारणों को मिटा देने से प्रकृति-विवाद को शान्त किया जा सकता है । दूसरी बात यह भी है कि परस्पर विरुद्ध प्रकृति जन स्पर्धावश राजा का का उपकार ही करते हैं । किन्तु प्रजा की सारी शक्ति और सम्पूर्ण समृद्धि राजविवाद में नष्ट हो जाती है । उसको शान्त करने के लिए दुगुना मत्न करना पड़ता है ।'

( ३ ) प्राचीन आचार्यों का कहना है कि 'देश-विहार ( हूनी सेल में फँसा हुआ देश ) और राजविहार ( हूनी-सेल में फँसा हुआ राजा ), इन दोनों में से देशविहार अधिक हानिकर होता है; क्योंकि प्रजाजनों के सेल-रूढ़ में फँसे रहने के कारण कृषि-कार्यों के क्रम में विघ्न हो जाता है । किन्तु राज-विहार से सबद्ध बढई, सुनार, गाने बाने, भाट, वेश्या और व्यापारी आदि व्यक्तियों का बड़ा भला होता है ।'

(१) नेति कौटिल्यः । देशविहारः कर्मश्रमवधायंमल्पं भक्षयति, भक्षयित्वा च भूय कर्मसु योग गच्छति । राजविहारस्तु स्वयं वल्लभैश्च स्वयंप्राहप्रणयपण्यागारकार्योपग्रहैः पीडयति इति ।

(२) सुमगाकुमारयोः कुमारः स्वयं वल्लभैश्च स्वयंप्राहप्रणयपण्यागारकार्योपग्रहैः पीडयति । सुमगा विलासोपभोगेनेत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । शक्यः कुमारो मत्रिपुरोहिताभ्यां वारयितुं न सुमगा, बालिश्यादनव्यंजनसयोगाच्चेति ।

(४) श्रेणोमुख्ययोः श्रेणो बाहुल्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाम्या पीडयति, मुख्यः कार्यानुग्रहविघाताभ्यामित्याचार्याः ।

( १ ) किन्तु उक्त मन के विरोध में कौटिल्य का कहना है कि 'प्रजाजनो का मनोविनोद थोड़े ही व्यय में हो जाता है और वह मनोविनोद उन्हें ताजगी देकर दुगुने उत्साह से फिर काम करने में जुटा देता है । किन्तु राजविहार में तो स्वयं राजा के द्वारा तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों के द्वारा जनपद की इच्छा के विरुद्ध धन की लूट मार की जाती है । पण्यशाला से तथा अतिरिक्त कार्यों को पूरा करने के लिए रिश्वत आदि से धन लेकर प्रजा को पीड़ित किया जाता है ।'

( २ ) प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'रानी विहार और युवराज विहार, इन दोनों में से युवराज विहार अधिक कष्टकर होता है, क्योंकि युवराज के द्वारा तथा उसके खुशामदी व्यक्तियों के द्वारा जनपद की इच्छा के विरुद्ध धन लेकर पण्यशाला तथा अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए रिश्वत लेकर प्रजा को पीड़ित किया जाता है । किन्तु विलास प्रिय रानी केवल भोग विलास की सामग्री द्वारा ही प्रजा को पीड़ित करती है ।'

( ३ ) किन्तु कौटिल्य उक्त मत से सहमत नहीं है, उनका कहना है कि 'युवराज को इस प्रकार के अनर्थकारी कार्यों से अमात्य आदि रोक सकते हैं । परन्तु रानियों के सम्बन्ध में यह बात नहीं हो सकती है, क्योंकि उनमें प्रायः भूर्त्ता अधिक होती है और फिर अनर्थकारी नीच पुरुषों का रसगम होने के कारण उन्हें समझाना बहुत कठिन होता है ।'

( ४ ) प्राचीन आचार्यों के मतानुसार 'श्रेणी ( आयुधजीवी तथा कृषिजीवी व्यक्तियों का मध्य ) और मुख्य ( प्रधान कर्मचारियों का समूह ), इन दोनों में से श्रेणी पुरुष ही अधिककष्टकर है, क्योंकि वही चोरी डाका आदि से प्रजा को कष्ट पहुँचाने हैं और उनकी सहायता इतनी अधिक होती है कि उन्हें रोकना भी नहीं जा सकता है । किन्तु मुख्य पुरुष केवल रिश्वत के मिलने न मिलने के कारण ही कार्यों बनाने-बिगाड़ने के द्वारा प्रजा को तड़क करते हैं ।'

(१) नेति कौटिल्यः । सुव्यावर्त्या श्रेणी समानशीलव्यसनत्वात्, श्रेणीमुख्यं कदेशोपग्रहेण वा । स्तम्भयुक्तो मुख्यः परप्राणद्रव्योपघाताभ्यां पीडयतीति ।

(२) सन्निधातृसमाहर्त्रोः सन्निधाता कृतविदूषणात्ययाभ्यां पीडयति । समाहर्ता करणाधिष्ठितः प्रदिष्टफलोपभोगी भवतीत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । सन्निधाता कृतावस्थमन्यैः कोशप्रवेश्यं प्रतिगृह्णाति । समाहर्ता तु पूर्वमर्थमात्मनः कृत्वा पश्चाद् राजार्थं करोति प्रणाशयति वा, परस्वादाने च स्वप्रत्ययश्चरतीति ।

(४) अन्तपालवन्देहकयोरन्तपालश्चोरप्रसगदेयात्यादाताभ्यां बणिवपयं पीडयति । वन्देहकास्तु पण्यप्रतिपण्यानुग्रहैः प्रसाधयन्ति । इत्याचार्याः ।

(५) नेति कौटिल्यः । अन्तपालः पण्यसम्पातानुग्रहेण वर्तयति । वन्देह-

( १ ) परन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'श्रेणी पुरुषो को चोरी, डाका आदि से सहज ही में रोका जा सकता है, क्योंकि जहाँ वे चोरी-डाका करते हैं वे लोग भी उन्हीं के स्वभाव एवं व्यवसाय के होते हैं । उनके मुखिया को बल में करके भी उनको चोरी आदि से रोका जा सकता है । परन्तु राजकीय मुख्य पुरुष बड़े अभिमानी होते हैं और वे प्राण तथा धन का अपहरण करके दूसरो को बहुत कष्ट पहुँचाते हैं ।'

( २ ) प्राचीन आचार्य, सन्निधाता और समाहर्ता, दोनों में से सन्निधाता को अधिक कष्टकर समझते हैं, क्योंकि वह कार्य विगाडकर और प्रजा से अनुचित कर वसूल कर प्रजा को तग करता है । परन्तु समाहर्ता अपने ठीक हिसाब से कार्य करता हुआ नियमित नौकरी को भोगने वाला होता है ।

( ३ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना कुछ और ही है । उनका कथन है कि 'सन्निधाता तो दूसरे कर्मचारियों द्वारा वसूल किए हुए धन को एकत्र कर कोष में जमा कर देता है । किन्तु समाहर्ता पहिले अपनी रिश्वत लेकर फिर राजकर को वसूल करता है । अथवा उसमें से भी कुछ चुरा लेता है और स्वेच्छया सब कुछ करता है ।'

( ४ ) प्राचीन आचार्य के मत से 'अन्तपाल और वन्देहक, इन दोनों में से अन्तपाल ही अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि वह चोरी द्वारा राहगीरो को लुटवाता है, रास्ते का टैक्स मनमाना वसूल करता है, और व्यापारिक भागों पर चलने वाले पधिको को अधिक कष्ट पहुँचाता है । परन्तु वन्देहक क्रय विक्रय पर अधिक लाभ पहुँचा कर देश को व्यापारिक भागों को उन्नत बनाता है ।'

( ५ ) इसके विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'अन्तपाल एक साथ लामे ३७ को०

कास्तु सम्भूय पण्यानामुत्कर्षापकर्षं कुर्वाणाः पणं पणशतं कुम्भे कुम्भशत-  
मित्याजीवन्ति ।

(१) अभिजातोपरुद्धा भूमिः पशुव्रजोपरुद्धा वेति । अभिजातोपरुद्धा  
भूमिः महाफलाप्यायुधीयोपकारिणी न क्षमा मोक्षयितुं, व्यसनाबाधमयात् ।  
पशुव्रजोपरुद्धा तु कृषियोग्या क्षमा मोक्षयितुं, विवितं हि क्षेत्रेण बाध्यते ।  
इत्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः । अभिजातोपरुद्धा भूमिरत्यन्तमहोपकारापि क्षमा  
मोक्षयितुं व्यसनाबाधमयात् । पशुव्रजोपरुद्धा तु कौशवाहनोपकारिणी न  
क्षमा मोक्षयितुमन्यत्र सत्यवापोपरोधादिति ।

(३) प्रतिरोधकाटविकयोः प्रतिरोधका रात्रिसत्रचराः शरीराक्रमिणो  
नित्याः शतसहस्रापहारिणः प्रधानकोपकाश्च । व्यवहिताः प्रत्यन्तारण्य-  
चराश्चाटविकाः प्रकाशा दृश्याश्चरन्त्येकदेशघातकाश्च इत्याचार्याः ।

विशेष पदार्थों पर उचित बर्तनी ( व्यापारी भागों का टैक्स ) लेकर व्यापारिक  
भागों को उन्नत एवं लाभप्रद बनाता है । किन्तु वैदेहक तो व्यापस में सलाह करके  
व्यापारी माल के मूल्य को घटा-बढ़ाकर एक पण के सौ पण और एक कुम्भ के सौ  
कुम्भ लाभ उठाते हैं ।'

( १ ) 'विजिगीषु के पारिवारिक पुरुषों से घिरी हुई भूमि को छोड़ना उचित है  
या गो आदि पशुओं से घिरी हुई भूमि को छोड़ना ठीक है ?' इस मवध में प्राचीन  
आचार्यों का मत है कि 'यदि विजिगीषु की भूमि अत्यन्त उपजाऊ, लाभदायक और  
सैनिकों को देकर उपकार करनेवाली हो तो उमको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि  
आक्रमण के समय सैनिक पुरुषों के अभाव में ऐसी भूमि कष्टकर होती है । पशुओं  
से घिरी भूमि यदि कृषियोग्य हो तो छोड़ी जा सकती है, क्योंकि चारागाह की  
अपेक्षा खेती से अधिक लाभ हो सकता है ।'

( २ ) किन्तु मन के विरुद्ध कौटिल्य का कहना है कि 'विजिगीषु के पारि-  
वारिक पुरुषों की भूमि सैन्य दृष्टि से उपकारक होने पर भी छोड़ी जा सकती है,  
क्योंकि उससे सदा ही भय बना रहता है । किन्तु पशुओं की भूमि कोप-संग्रह योग्य  
घृत तथा बैल आदि को देकर अत्यन्त उपकार करने वाली होती है । इसलिए छोड़ने  
योग्य नहीं है । किन्तु उसके पास यदि अनाज के भेद हों और चारागाह के कारण  
उनका नुकसान होता हो तो उसे भी छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं ।'

( ३ ) प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में 'प्रतिरोधक ( सुटेरे ) और आटविक  
( जगली ), इन दोनों में से प्रतिरोधक पुरुष ही प्रजा के लिए अधिक कष्टप्रद है,  
क्योंकि प्रतिरोधक रात्रि में तथा घने जगली में घूमने वाले, राहगीर पर आक्रमण

(१) नेति कौटिल्यः । प्रतिरोधकाः प्रमत्तस्यापहरन्ति, अल्पाः कुण्ठाः सुखा ज्ञातुं ग्रहीतुं च । स्वदेशस्थाः प्रभूता विक्रान्ताश्चाटविकाः । प्रकाश-योधिनोऽपहर्तारो हन्तारश्च देशानां राजसधर्माण इति ।

(२) मृगहस्तिवनयोर्मृगाः प्रभूताः प्रभूतमासचर्मोपकारिणो मन्द-प्रासावकलेशिनः सुनियम्याश्च । विपरीता हस्तिनो ग्रह्यमाणा दुष्टाश्च देश-विनाशायेति ।

(३) स्वपरस्थानीयोपकारयोः स्वस्थानीयोपकारो धान्यपशुहिरण्य-कुप्योपकारो जानपदानामापद्यात्मधारणः । विपरीत परस्थानीयोपकारः । इति पीडनानि ।

करने वाले, मदा ही पास रहने वाले, बँकडो हजारो का धन अपहरण करने वाले वाले और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को लूट के द्वारा कपिन कर देने वाले होते हैं । इसके विपरीत आटविक दूर रहने वाले, सीमा के जंगलो में घूमने वाले, प्रकट रूप में रहने वाले होते हैं । उनसे देश के किसी एक ही भाग को नुकसान पहुँचाता है और पता चल जाने पर लोग उनसे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं ।

( १ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'प्रतिरोधक पुष्प असावधान व्यक्ति के यहाँ से ही चोरी करते हैं । ये लोग अल्प सख्या में होने के कारण सरलता से पहिचाने जा सकते हैं । किन्तु आटविको के अपने देश होते हैं और सख्या में भी वे अधिक होते हैं । बहादुर होने के कारण वे बड़ी कठिनाई से कब्जे में आते हैं । वे प्रकट रूप में युद्ध करते हैं, प्राणो का अपहरण करने वाले होते हैं और निरकुश होने के कारण उनकी स्थिति राजाओं के समान होती है ।'

( २ ) मृगवन और हस्तिवन इन दोनों में से मृगवन उत्तम होना है क्योंकि मृगो में मास और चाम अधिक मात्रा में मिलता है । वे थोड़ा खाने वाले, भागते समय जल्दी थक जाने वाले और पकड़े जाने पर जल्दी ही वश में आने वाले होते हैं । उनके विपरीत हाथी सख्या में कम होते हैं, उन पर बहुत कम चमड़ा और मास निकलता है, वे अधिक खाते हैं, पकते भी नहीं हैं, मुश्किल में पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर मार भी डालते हैं ।

( ३ ) अपने नगर का उपकार करना और पराये नगर का अपकार करना. इन दोनों में से अपने नगर का उपकार करना, अर्थात् धान्य, पशु, हिरण्य और कुप्य आदि पदार्थों का क्रय-विक्रय करना, जनपदवासियों के विपत्तिकाल में उनकी आत्मरक्षा करना—श्रेष्ठ है । किन्तु दूसरे नगर में क्रय-विक्रय का व्यवहार करके उसे लाभ पहुँचाने से विपरीत ही परिणाम होना है । यहाँ तक पीडनवर्ग का निरूपण किया गया ।

(१) आभ्यन्तरो मुख्यस्तम्भो बाह्यो मित्राटवीस्तम्भः । इति स्तम्भ-  
वर्गः ।

(२) ताम्या पीडनैर्यथोक्तंश्च पीडितः सक्तो मुख्येषु परिहारोपहतः  
प्रकीर्णो भिव्यासहतः सामन्ताटवीहत इति कोपसङ्गाः ।

(३) पीडनानामनुत्पत्तावुत्पन्नाना च वारणे ।

यतेत देशवृद्धचर्यं माशे च स्तम्भसगयो ॥ १ ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽध्यायने पीडनवर्गं स्तम्भवर्गं कोपसगवर्गं

नाम चतुर्थोऽध्याय , आवित एकनविंशतिशततम ।

— ० —

( १ ) स्तम्भवर्गं स्तम्भ दो प्रकार का होता है । आभ्यन्तर और बाह्य । अपने ही मुख्य सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अर्थ का रोका जाना आभ्यन्तर स्तम्भ और मित्र तथा आटविक पुरुषों द्वारा अर्थ का रोका जाना बाह्य स्तम्भ कहलाता है । इस प्रकार स्तम्भवर्ग का निरूपण हुआ ।

( २ ) कोपसग उक्त दोनों प्रकार के स्तम्भों तथा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उचित आमदनी की मात्रा से घटाया हुआ, छोटे कर्मचारियों से कर वसूली लेकर मुख्य कर्मचारियों द्वारा गवन किया हुआ, राजाशा से माफ़ी के कारण कम हुआ, इधर-उधर बिखरा हुआ, उचित परिमाण से कम ज्यादा रूप में इकट्ठा किया हुआ और सामन्त तथा आटविक पुरुषों के द्वारा अपहरण किया हुआ धन खजाने में न पहुँच कर बीच ही में नष्ट हो जाता है । उसी का नाम कोपसग है । इस प्रकार कोपसग वर्ग का निरूपण किया गया ।

( ३ ) देश की सुख समृद्धि के लिए राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में पीडनवर्ग को उत्पन्न न होने दे, अथवा उत्पन्न होने पर उनका निवारण करे । स्तम्भवर्ग और कोपसग को नष्ट करने के लिए भी राजा को सतत यत्नवान् रहना चाहिए ।

इति व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में पीडनवर्ग-स्तम्भवर्ग-

कोपसगवर्ग नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

— ० —

## बलव्यसनवर्गः मित्रव्यसनवर्गश्च

(१) बलव्यसनानि । अमानितं विमानितम् अभृतं व्याधितं नवागतं दूरायातं परिश्रान्तं परिक्षीणं प्रतिहतं हताप्रवेगम् अनृतुप्राप्तम् अभूमि-  
प्राप्तम् आशानिर्वेदि परिसृतं कलत्रगर्हि अन्तश्शल्पं कुपितमूलं मित्रगर्भम्  
अपसृतम् अतिक्षिप्तम् उपनिविष्टं समाप्तम् उपरुद्धं परिक्षिप्तं छिन्नधान्य-  
पुरुषबीवधं स्वविक्षिप्तं मित्रविक्षिप्तं दूष्ययुक्तं दुष्टपार्ष्णिग्राहं शून्यमूलम्  
अस्वामिसंहतं भिन्नकूटम् अन्धमिति ।

(२) तेषाममानितविमानितयोरमानितं कृतार्थमानं युष्येत, न विमा-  
नितमन्तःकोपम् ।

(३) अभृतव्याधितयोरभृतं तवात्वकृतवेतनं युष्येत, न व्याधितम-  
कर्मण्यम् ।

(४) नवागतदूरायातयोर्नवागतमन्यत उपलब्धदेशमनवमिश्रं युष्येत, न  
दूरायातमायतगतपरिव्लेशम् ।

### सेना-व्यसन और मित्र-व्यसन

( १ ) सेना के व्यसन : अमानित, विमानित, अभृत, व्याधित, नवागत, दूरायात, परिश्रान्त, परिक्षीण, प्रतिहत, हताप्रवेग, अनृतुप्राप्त, अभूमिप्राप्त, आशानिर्वेदी, परिसृत, कलत्रगर्ही, अन्त शल्प, कुपितमूल, मित्रगर्भ, अपसृत, अतिक्षिप्त, उपनिविष्ट, समाप्त, उपरुद्ध, परिक्षिप्त, छिन्नधान्य, छिन्नपुरुषबीवध, स्वविक्षिप्त, मित्रविक्षिप्त, दूष्ययुक्त, दुष्टपार्ष्णिग्राह, शून्यमूल, अस्वामिसंहत, भिन्नकूट और अन्ध-  
ये चौतीस सेना के व्यसन हैं ।

( २ ) उक्त सैन्य-व्यसनो मे अमानित ( असत्कृत ) और निमानित ( तिरस्कृत ), इन दो सेनाओं मे अमानित सेना सत्कार पाने के बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, किन्तु निमानित सेना नहीं, क्योंकि तिरस्कार के कारण वह अन्दर-ही-अन्दर कुपित रहती है ।

( ३ ) अभृत ( जिसे वेतन न दिया गया हो ) और व्याधित ( रोगी ) इन दोनों सेनाओं मे अभृत सेना वेतन, भत्ता दिये जाने पर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु व्याधित सेना नहीं, क्योंकि वह बीमारी के कारण कार्य करने मे असमर्थ रहती है ।

( ४ ) नवागत ( नई भरती ) और दूरायात ( दूर से आई हुई ), इन दो



(१) परिश्रान्तपरिक्षीणयोः परिश्रान्तं स्नानभोजनस्वप्नलब्धविधमं युष्येत, न परिक्षीणमन्यत्राहवे क्षीणयुग्यपुरुषम् ।

(२) प्रतिहतहताप्रवेगयोः प्रतिहतमग्रपातभग्नं प्रवीरपुरुषसंहतं युष्यते, न हताप्रवेगमग्रपातहतप्रवीरम् ।

(३) अनृत्वभूमिप्राप्तयोरनृतुप्राप्तं यथर्तुयोग्ययुग्धशस्त्रावरणं युष्येत, नाभूमिप्राप्तमवरुद्धप्रसारध्यायामम् ।

(४) आशानिवेदिपरिसृप्तयोराशानिवेदि लब्धाभिप्रायं युष्येत, न परिसृप्तमपसृतमुष्यम् ।

(५) कलत्रगर्हान्तरशल्ययोः कलत्रगर्हान्मुमुक्ष्य कलत्रं युष्येत, नान्त-शल्यमन्तरमित्रम् ।

सेनाओ मे नवागत सेना दूसरे अनुभवी व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करके तथा पुराने आदमियों के साथ मिलकर युद्ध कर सकती है, किन्तु दूरायात सेना नहीं, क्योंकि वह लम्बी यात्रा से थकी हुई होने के कारण असमर्थ रहती है ।

( १ ) परिश्रान्त ( थकी हुई ) और परिक्षीण ( योग्य सैनिकों से हीन ), इन दोनों सेनाओ मे परिश्रान्त सेना स्नान, भोजन, निद्रा आदि विधाम प्राप्त कर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु परिक्षीण सेना नहीं, क्योंकि उसके योग्य पुरुषों का नाश हो चुका होता है ।

( २ ) प्रतिहत ( पराजित ) और हताप्रवेग ( हतोत्साह ) इन दोनों सेनाओं मे प्रतिहत सेना युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु हताप्रवेग नहीं, क्योंकि वीर सैनिकों के खो देने से युद्ध में जाने के लिए उसका उत्साह जाता रहता है ।

( ३ ) अनृतुप्राप्त ( जिसको युद्ध के योग्य समय न मिले ) और अभूमिप्राप्त ( जिसको कवायद के लिए भूमि प्राप्त न हो ) इन दोनों मे अनृतुप्राप्त सेना विपरीत समय मे भी युद्धोपयोगी साधन प्राप्त कर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु अभूमिप्राप्त सेना नहीं, क्योंकि वह अनुपयुक्त भूमि में फँस कर चलने फिरने तथा युद्धसम्बन्धी कार्यों को करने मे असमर्थ रहती है ।

( ४ ) आशानिवेदी ( आशारहित ) और परिसृत ( नेतृत्वहीन ) इन दोनों सेनाओ मे आशानिवेदी अपना स्वार्थलाभ देखकर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु परिसृत नहीं, क्योंकि उसका मुख्य नेता नहीं होता है ।

( ५ ) कलत्रगर्ही ( कलत्र आदि की निन्दा करने वाला ) और अन्तःशल्य ( अन्दर से शत्रुता रखने वाला ) इन दोनों सैन्यों मे कलत्रगर्ही अपने स्त्री-पुरुषों की समुचित व्यवस्था करके युद्ध के लिए तैयार हो सकता है, किन्तु अन्तःशल्य सैन्य नहीं, क्योंकि यह अन्दर से शत्रुता रखता है ।

(१) कुपितमूलभिन्नगर्भयोः कुपितमूलं प्रशमितकोपं सामादिभिर्युध्येत, न भिन्नगर्भमन्योन्यस्माद् भिन्नम् ।

(२) अपसृतातिक्षिप्तयोरपसृतमेकराज्यातिक्रान्तं मन्त्रव्यायामाभ्यां सत्रमित्रापाश्रयं युध्येत, नातिक्षिप्तमनेकराज्यातिक्रान्तं बह्वाबाधत्वात् ।

(३) उपनिविष्टसमाप्तयोपरुपनिविष्टं पृथग्यानस्थानमतिसन्धातारं युध्येत, न समाप्तमरिणंकस्थानयानम् ।

(४) उपरुद्धपरिक्षिप्तयोरुपरुद्धमन्यतो निष्क्रम्योपरोपद्वारं प्रतियुध्येत, न परिक्षिप्त सर्वतः प्रतिरुद्धम् ।

(५) छिन्नधान्यपुरुषवीवधयोः छिन्नधान्यमन्यतो धान्यमानीय जङ्गम-  
स्थावराहारं वा युध्येत, न छिन्नपुरुषवीवधमनिसारम् ।

( १ ) कुपितमूल ( क्रोधोली सेना ) और भिन्नगर्भ ( आपसी वैर रखने वाली सेना ) इन दोनों में से कुपितमूल सेना को साम आदि के द्वारा शान्त करके युद्ध के तैयार किया जा सकता है, किन्तु भिन्नगर्भ सेना को नहीं, क्योंकि उसकी आपस में ही अनबन रहती है ।

( २ ) अपसृत ( एक ही राज्य में दूसरी सेना द्वारा कष्ट पायी सेना ) और अति-क्षिप्त ( अनेक राज्यों में दूसरी अनेक सेनाओं द्वारा कष्ट पायी हुई सेना ), इन दोनों में से अपसृत सेना को, विशेष उपायो तथा क्वायद आदि के द्वारा जगल और मित्र का सहारा देकर, युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है, किन्तु अतिक्षिप्त सेना को नहीं, क्योंकि उसे अनेक राज्यों के बहुत से कष्टों का अनुभव रहता है ।

( ३ ) उपनिविष्ट ( शत्रु के समीप ठहरने वाली किन्तु शत्रु विमुख सेना ) और समाप्त ( शत्रु के साथ ही ठहरने तथा आक्रमण करने वाली सेना ), इन दोनों में से उपनिविष्ट सेना भिन्न भिन्न स्थानों में युद्ध करने का अनुभव प्राप्त करने में छावनी के अतिरिक्त अन्यत्र भी युद्ध कर सकती है, किन्तु समाप्त सेना नहीं, क्योंकि शत्रु के सहयोग में रहने के कारण उसके सब भेद शत्रु को मालूम होते हैं ।

( ४ ) उपरुद्ध ( एक ओर से घिरी हुई ) और परिक्षिप्त ( चारों ओर से घिरी हुई ), इन दोनों में से उपरुद्ध सेना दूसरी ओर से निकल कर आक्रमण कर सकती है, किन्तु परिक्षिप्त सेना नहीं, क्योंकि वह चारों ओर से घिरी होती है ।

( ५ ) छिन्नधान्य ( जिस सेना का अपने देश से धान्य आदि भँगाने का सम्बन्ध टूट गया हो ) और विच्छिन्नपुरुषवीवध ( जिस सेना का अपने देश से खाद्य पदार्थ तथा सैनिक सम्बन्ध टूट गया हो ), इन दोनों में से छिन्नधान्य सेना अन्यत्र में अनाज, साग सब्जी तथा मांस आदि भँगाकर युद्ध कर सकती है, किन्तु विच्छिन्नपुरुषवीवध सेना नहीं, क्योंकि वह सब तरह से असहाय होती है ।

(१) स्वविक्षिप्तमित्रविक्षिप्तयोः स्वविक्षिप्तं स्वभूमौ विक्षिप्तं सैन्य-  
मापदि शक्यमवसावपितुं, न मित्रविक्षिप्तं विप्रकृष्टदेशकालत्वात् ।

(२) द्रुप्ययुक्तदुष्टपाणिग्राहयोर्द्रुप्ययुक्तमाप्तपुरुषाधिष्ठितमसंहतं यु-  
ध्येत, न दुष्टपाणिग्राहं पृष्ठाभिघातत्रस्तम् ।

(३) शून्यमूलास्वामिसंहतयोः शून्यमूलं कृतपौरजानपदारक्षं सर्वसन्दो-  
हेन युध्येत, नास्वामिसंहतं राजसेनापतिहीनम् ।

(४) भिन्नकूटान्धयोर्भिन्नकूटमन्याधिष्ठितं युध्येत, नान्धमदेशिक-  
मिति ।

(५) दोषयुद्धिर्बलावापः सत्रस्थानातिसंहतम् ।  
सन्धिश्चोत्तरपक्षस्य बलव्यसनसाधनम् ॥

(६) रक्षेत् स्वदण्डं व्यसने शत्रुभ्यो नित्यमुत्थितः ।  
प्रहरेद् दण्डरन्ध्रेषु शत्रूणां नित्यमुत्थितः ॥

( १ ) स्वविक्षिप्त ( अपने ही देश में द्धर-उधर भेजी ) और मित्रविक्षिप्त ( मित्र  
देश को भेजी हुई ), इन दोनों सेनाओं में से स्वविक्षिप्त सेना आवश्यकतानुसार आसानी  
से एकत्र की जा सकती है, किन्तु मित्रविक्षिप्त सेना नहीं, क्योंकि दूर होने के कारण  
वह समय पर काम नहीं आ सकती ।

( २ ) द्रुप्ययुक्त ( राजद्रोहियों से सम्बद्ध ) और दुष्ट पाणिग्राह ( जिसके पीछे  
दुष्ट सेना हो ) इन दोनों में से द्रुप्ययुक्त सेना, द्रुप्य पुरषो की सेवा में विश्वस्त पुरुषो  
को नियुक्त कर, युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु दुष्टपाणिग्राह नहीं, क्योंकि  
उसको पीछे के आक्रमण का सदा भय बना रहता है ।

( ३ ) शून्यमूल ( राजधानी की अत्यल्प सेना ) और अस्वामिसंहत ( राजा तथा  
सेनापति रहित सेना ), इन दोनों में से शून्यमूल सेना नगरनिवासियों तथा जनपद-  
निवासियों की सहायता से युद्ध कर सकती है, किन्तु अस्वामिसंहत सेना नहीं, क्योंकि  
वह अपने नेता से रहित होती है ।

( ४ ) भिन्नकूट ( प्रधान सेनापति से रहित ) और अन्ध ( शत्रु के व्यवहारों से  
सर्वथा अपरिचित ), इन दोनों सेनाओं में से भिन्नकूट सेना किसी दूसरे सेनापति के  
शासन से युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु अन्ध सेना नहीं, क्योंकि उसमें शत्रु  
के व्यवहारों से सर्वथा अपरिचित सैनिक रहते हैं ।

( ५ ) सैनिक व्यसनो के परिहार का उपाय : अमानन, विमानन, आदि  
दोषों का प्रायश्चित्त करना, दोषरहित सेना को दूसरी सेना के साथ ठहराना, जगती  
स्थानों में सेना की स्थिति बनाये रखना, क्रूर उपायों से शत्रुसेना का भेदन करना  
और अपने से बलवान् पक्ष के साथ सन्धि करना, ये सेनासम्बन्धी व्यसनो (बल-व्यसनो)  
को दूर करने के उपाय हैं ।

( ६ ) विजिगीषु को चाहिए कि सदा सजग रहता हुआ वह व्यसनकाल में शत्रु

- (१) अभियातं स्वयं मित्रं सम्भूयान्यवशेन वा ।  
परित्यक्तमशक्त्या वा लोभेन प्रणयेन वा ॥
- (२) विक्रीतमभियुञ्जाने सङ्ग्रामे वापवर्तिता ।  
द्वैधीभावेन वा मित्रं यास्यता वान्यमन्यतः ॥
- (३) पृथग्वा सहायाने वा विश्वासेनातिसंहितम् ।  
भयावमानालस्यैर्वा व्यसनान्न प्रमोक्षितम् ॥
- (४) अवहृद्धं स्वभूमिभ्यः समीपाद् वा भयाद् गतम् ।  
आच्छेदनाददानाद् वा दत्त्वा वाप्यवमानितम् ॥
- (५) आत्याहारितमर्थं वा स्वयं परमुखेन वा ।  
अतिभारे नियुक्तं वा भङ्क्त्वा परमवस्थितम् ॥

सेना से अपनी सेना की रक्षा करे और बड़ी चतुरता से शत्रुसेना की निर्बलताओं का पता लगा कर उन पर सदा प्रहार करता रहे ।

( १ ) मित्रव्यसन : जब विजिगीषु असमर्थ होने के कारण या लोभ तथा स्नेह के कारण अपने प्रयोजन से अथवा किमी बन्धु आदि के प्रयोजन से शत्रु के साथ मिल कर शत्रु पर आक्रमण करने वाले अपने मित्र की सहायता नहीं करता तो वह बिछुड़ा हुआ मित्र फिर बड़ी मुश्किल से उसके वश में आता है ।

( २ ) युद्ध के दौरान में ही शत्रु से कुछ धन आदि लेकर अपनी सहायता को पूरा न करके विजिगीषु द्वारा बोच ही में छोड़ा हुआ मित्र, अथवा द्वैधीभाव द्वारा अपने यातव्य पर आक्रमण कर देने के कारण वेचा हुआ मित्र, अथवा 'तुम इस ओर आक्रमण करो और मैं इस ओर' इस प्रकार परस्पर अपने मित्र के शत्रु के साथ सधि करके किसी दूसरे ही अपने शत्रु पर आक्रमण करने वाले विजिगीषु ने ठगा हुआ मित्र फिर बड़ी मुश्किल से उसके वश में आता है ।

( ३ ) पृथक् आक्रमण करने या एक साथ आक्रमण करने पर पहले विश्वास दिलाकर और बाद में छिपे तौर से मित्र के शत्रु के साथ सधि करके विजिगीषु द्वारा खोया हुआ मित्र, अथवा मित्र के सम्बन्ध में तिरस्कार की भावना रखने के कारण या अपने ही आलस्य के कारण आपत्ति से न छुड़ाया गया मित्र बड़ी मुश्किल से वश में आता है ।

( ४ ) विजिगीषु के देश में जाने से रोका गया मित्र अथवा घघ बन्धन के भय से विजिगीषु के पास से गया हुआ मित्र अथवा बलपूर्वक द्रव्य का अपहरण करने से तिरस्कृत हुआ मित्र, अथवा देने योग्य वस्तु न देने के कारण या देकर फिर तिरस्कृत हुआ मित्र बड़ी कठिनाई से वश में आता है ।

( ५ ) विजिगीषु के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा धन का सर्वथा अपहरण किया गया या कराया गया मित्र, अथवा विजिगीषु के शत्रु को जीतकर आया हुआ और तत्काल ही किसी दूसरे दु साध्य कार्य पर लगाया हुआ मित्र बिगड़ जाने पर बड़ी मुश्किल से वश में आता है ।

- (१) उपेक्षितमशक्त्या वा प्रार्थयित्वा विरोधितम् ।  
कृच्छ्रेण साध्यते मित्रं सिद्धं चाशु विरज्यति ॥
- (२) कृतप्रयासं मान्यं वा मोहान्मित्रममानितम् ।  
मानितं वा न सदृशं भक्तितो वा निवारितम् ॥
- (३) मित्रोपघातवस्तं वा शङ्कितं वारिसंहितात् ।  
दूर्यर्था भेदितं मित्रं साध्यं सिद्धं च तिष्ठति ॥
- (४) तस्मान्नोत्पादयेदेनान् दोषान् मित्रोपघातकान् ।  
उत्पन्नान् वा प्रशमयेद् गुणोदोषोपघातिभिः ॥
- (५) यतो निमित्तं व्यसनं प्रकृतीनामवाप्नुयात् ।  
प्रागेव प्रतिकूर्वात तन्निमित्तमतन्द्रितः ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽधिवरणे बलव्यसन-मित्रव्यसनवर्गो  
नाम पञ्चमोऽध्यायः, आदितो विंशतिशततमः ।

समाप्तमिदमष्टमं व्यसनाधिकारिक नामाधिकरणम् ।

—: ० :—

( १ ) असमर्थ होने के कारण ठुकराया गया मित्र, अथवा मित्रता के लिए प्रार्थना करके फिर विरुद्ध किया गया मित्र बड़ी कठिनाई से वश में आता है ।

( २ ) जिस मित्र ने विजिगीषु के लिए अत्यन्त कठिन सग्राम किया हो, भ्रम या प्रमाद से तिरस्चुत हुआ ऐसा पूजा योग्य मित्र अथवा परिश्रम के योग्य सत्कार न किया हुआ मित्र, अथवा विजिगीषु में अनुराग होने के कारण विजिगीषु के शत्रुओं से दुत्कारा गया मित्र, शीघ्र ही फिर विजिगीषु के वश में हो जाता है ।

( ३ ) विजिगीषु के द्वारा किसी दूसरे मित्र पर किये गये आघात को देखकर डरा हुआ मित्र अथवा विजिगीषु द्वारा शत्रु के साथ सन्धि कर लेने पर शक्ति हुआ मित्र, शीघ्र ही विजिगीषु के वश में हो जाता है ।

( ४ ) इसलिए विजिगीषु को चाहिए कि वह मित्रों के साथ भेद डालने वाले उक्त दोषों को अपने में कभी पनपने ही न दे । यदि कोई दोष पैदा भी हो जायें तो उन्हें शोषनाशक गुणों के द्वारा तत्काल ही शान्त कर देना चाहिए ।

( ५ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह आलस्य का परित्याग कर अपने प्रवृत्तिवर्ग में, व्यसनों के पैदा होने से पहिले ही, उनके कारणों का प्रतिकार कर दे ।

इति व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में बलव्यसन मित्रव्यसनवर्ग-  
नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्तः ।

—: ० :—

नौवाँ अधिकरण

•

अभियारज्यत्वर्म्म

(१) विजिगीषुरात्मनः परस्य च बलावलं शक्तिदेशकालयात्राकाल-  
बलसमुत्थानकालपश्चात्कोपक्षयव्ययलाभापदां ज्ञात्वा विशिष्टबलो यायात् ।  
अन्यथासीत् ।

(२) उत्साहप्रभावयोस्तसाहः श्रेयान् । स्वयं हि राजा शूरो बलवान-  
रोगः कृतास्त्रो दण्डद्वितीयोऽपि शक्तः प्रभाववन्तं राजानं जेतुम्, अल्पोऽपि  
चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवति । निरुत्साहस्तु प्रभाववान् राजा विक्र-  
माभिपन्नो नश्यति इत्याचार्याः ।

(३) नेति कौटिल्यः । प्रभाववानुत्साहवन्तं राजानं प्रभावेणाति-  
सन्धत्ते । तद्विशिष्टमन्यं राजानमावाह्य हत्वा क्रीत्वा प्रवीरपुरुषान् ।  
प्रभूतप्रभावहयहस्तिरथोपकरणसम्पन्नश्चास्य दण्डः सर्वत्राप्रतिहतश्चरति ।

शक्ति, देश, काल के बलावल का ज्ञान और आक्रमण का समय

( १ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने और शत्रु के बीच शक्ति, देश, काल,  
युद्धकाल, सेना की उन्नति का समय ( बलसमुत्थानकाल ), परचात्कोप ( अपनी सेना-  
रहित राजधानी में पाणिप्राह के आक्रमण की आशंका ), क्षय, व्यय, लाभ और  
आपत्ति आदि बलावल के सम्बन्ध में भलीभाँति जानकर शत्रु की अपेक्षा अधिक सेना  
लेकर उस पर आक्रमण करे । यदि अधिक सैन्यबल का प्रबन्ध न हो सके तो चुपचाप  
बैठा रहे ।

( २ ) शक्ति : प्राचीन आचार्यों का कहना है कि उत्साहशक्ति और प्रभावशक्ति  
इन दोनों में से उत्साहशक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि शूर, बलवान्, नीरोग, शस्त्रास्त्र चलाने  
में निपुण, केवल अपनी ही सेना की सहायता पर निर्भर रहने वाला उत्साहशक्ति-  
सम्पन्न राजा, प्रभावशक्तिसम्पन्न राजा को अच्छी तरह जीत सकता है । उसके तेज  
से उसकी थोड़ी सेना भी हर तरह का कार्य करने के लिए तैयार रहती है । प्रभाव-  
सम्पन्न, किन्तु उत्साहहीन राजा पराक्रम के समय अपनी रक्षा नहीं कर पाता है ।

( ३ ) पूर्वाचार्यों के उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि  
'प्रभावशाली राजा उत्साही राजा को अपने प्रभाव से पराभूत कर लेता है । अपने  
प्रभाव से वह अधिक उत्साही किसी दूसरे राजा को अपने पक्ष में कर सकता है ।

उत्साहवतश्च प्रभाववन्तो जित्वा त्रैत्वा च स्त्रियो बालाः पद्भ्रवोग्धाश्च पृथिवीं जिग्युः इति ।

(१) प्रभावमन्त्रयोः प्रभावः श्रेयान् । मन्त्रशक्तिसम्पन्नो हि बन्ध्यबुद्धि-  
रप्रभावो भवति, मन्त्रकर्म चास्य निश्चितमप्रभावो गर्भधान्यमवृष्टिरिवोप-  
हन्ति इत्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः । मन्त्रशक्तिः श्रेयसी । प्रजाशास्त्रवर्षाह राजा  
अल्पेनापि प्रयत्नेन मन्त्रमाघातु शक्तः, परानुत्साहप्रभाववतश्च सामादिमि-  
र्योगोपनिषद्बुधा चातिसन्धातुम् । एवमुत्साहप्रभावमन्त्रशक्तीनामुत्तरोत्तरा-  
धिर्कोऽतिसन्धत्ते ।

(३) देशः पृथिवी । तस्यां हिमवत्समुद्रान्तरमुदीचीर्नं योजनसहस्रपरि-  
माणं तिर्यक् चक्रवर्तक्षेत्रम् । तत्रारण्यो ग्राम्यः पार्वत औदको भौमः समो

बहादुर आदमियो को भत्ता, वेतन, धन आदि देकर वह अपने वश में कर सकता है । घोडा, हाथी, रथ तथा शस्त्रास्त्र आदि साधनों से युक्त उसकी सेना निश्चय होकर विचरण कर सकती है । इतिहास हमें बताता है कि स्त्री, बालक, लँगड़े और अग्ने प्रभावशक्तिसम्पन्न राजाओं ने अपने प्रभाव के कारण उत्साहशक्तिसम्पन्न राजाओं को जीतकर अथवा अपने वश में करके पृथिवी पर विजय प्राप्त की थी ।

( १ ) प्राचीन आचार्यों का अभिमत है कि 'प्रभावशक्तिसम्पन्न और मन्त्रशक्ति-  
सम्पन्न इन दोनों राजाओं में से प्रभावशक्तिसम्पन्न राजा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मन्त्रशक्तिसम्पन्न होकर भी राजा यदि प्रभावशक्ति रहित हुआ तो उसका मन्त्र सफल नहीं होता । उसके सुविचारित कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वृष्टि की अपेक्षा रखता हुआ गर्भस्य धान्य वर्षा न होने के कारण नष्ट हो जाता है ।'

( २ ) उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'प्रभावशक्ति की अपेक्षा मन्त्रशक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस राजा के पास बुद्धि तथा शास्त्ररूपी नेत्र हैं वह घोडा प्रयत्न करने पर ही मन्त्र का अच्छी तरह अनुष्ठान कर सकता है और उत्साह, प्रभाव, साम तथा औपनिषदिक उपायों द्वारा शत्रुओं को वश में कर सकता है । इसी प्रकार उत्साह, प्रभाव और मन्त्र, तीनों शक्तियाँ उत्तरोत्तर बलवान् हैं । अर्थात् उत्तरोत्तर शक्ति से सम्पन्न राजा पूर्व पूर्व शक्ति से सम्पन्न राजा को वश में कर सकता है ।'

( ३ ) देश . देश कहते हैं पृथ्वी को । हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र पर्यन्त-पूर्व पश्चिम दिशाओं में एक हजार योजन तक फैला हुआ और पूर्व-पश्चिम की सीमाओं के बीच का भू भाग चक्रवर्ती क्षेत्र कहलाता है, अर्थात् इतनी पृथ्वी पर राज्य करने वाला राजा चक्रवर्ती होता है । उस चक्रवर्ती क्षेत्र में जंगल, आबादी, पहाड़ी इलाका,



(१) नेति कौटिल्यः । परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः ।

(२) तैरभ्युच्चितः तृतीयं चतुर्थं वा दण्डस्यांशं भूले पाष्ण्यां प्रत्यन्ताट-  
वीषु च रक्षां विधाय कार्यसाधनसहं कोशदण्डं चादाय क्षीणपुराणभक्तम-  
गूहीतनवभक्तमसंस्कृतदुर्गममित्रं, वार्षिकं चास्य सस्यं हेमनं च भुष्टिमुप-  
हन्तुं मार्गशीर्षी यात्रां यायात् । क्षीणतृणकाष्ठोदकमसंस्कृतदुर्गममित्रं वास-  
न्तिकं चास्य सस्यं वार्षिकीं वा भुष्टिमुपहन्तुं ज्येष्ठाभूलीयां यात्रां यायात् ।

(३) अत्युष्णमल्पयवसेन्धनोदकं वा देशं हेमन्ते यायात् ।

(४) तुषारदुर्दिनमगाधनिम्नप्रायं गहनतृणवृक्षं वा देशं ग्रीष्मे यायात् ।

हे 'क्योकि यह समय का ही प्रभाव है कि दिन में कौवा उल्लू को मार लेता है, रात में उल्लू कौए को ।'

( १ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य इस प्रकार के भेद को नहीं मानता है । उसका कहना है कि 'शक्ति, देश, काल, ये तीनों ही प्रबल और एक दूसरे के पूरक हैं ।'

( २ ) यात्राकाल : विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह शक्ति, देश, काल से सम्पन्न होकर आवश्यकतानुसार सेना के तिहाई या चौथाई भाग को अपनी राजधानी, अपने पाष्णि और अपने सरहदी इलाकों की रक्षा के लिए नियुक्त कर यथेष्ट कोष तथा सेना को साथ लेकर शत्रु पर विजय करने के लिए अगहन मास में युद्ध के लिए प्रस्थान करे, क्योकि इस समय शत्रु का पुराना अन्न-संचय समाप्ति पर होता है, नई फसल के अन्न को संग्रह करने का समय बही होता है, और वर्षा के बाद किलो की मरम्मत नहीं हुई रहती है । यही समय है जब कि वर्षा ऋतु से उत्पन्न फसल को और आगे हेमन्त ऋतु में पैदा होने वाली फसल दोनों को नष्ट किया जा सकता है । इसी प्रकार हेमन्त ऋतु की पैदावार को आगे वसन्तऋतु में होने वाली पैदावार को नष्ट करने के लिए उपयुक्त युद्ध प्रमाण-काल चैत्रमास में है । यात्रा का यह दूसरा समय है । इसी प्रकार वसन्त की पैदावार को और आगे की होने वाली वर्षाकाल की फसल को नष्ट करने का उपयुक्त समय ज्येष्ठ मास में है । क्योकि इस समय घास, फूस, लकड़ी, जल आदि सभी क्षीण हुए रहते हैं और इसलिए शत्रु अपने दुर्ग की मरम्मत नहीं कर पाता है । यात्राकाल का यह तीसरा अवसर है । ये तीनों यात्रा-काल शत्रु को हानि पहुँचाने के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं ।

( ३ ) जो देश अत्यन्त गरम हो, जहाँ यवस ( पशुओं की खाद्य सामग्री ), ईधन तथा जल की कमी हो वहाँ हेमन्त ऋतु में युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए ।

( ४ ) जिस देश में लगातार बरफ पड़ती या वारिस होती हो, जहाँ बड़े-बड़े तालाब एवं घने जंगल हो वहाँ ग्रीष्म ऋतु में युद्ध के लिए जाना चाहिए ।

(१) स्वसैन्यध्यायामयोग्यं परस्यायोग्यं वर्षति यायात् ।

(२) मार्गशीर्षं तैषीं चान्तरेण दीर्घकालां यात्रां यायात् । चैत्रं वैशाखं चान्तरेण मध्यमकालां, ज्येष्ठामूलीयमाषाढं चान्तरेण ह्रस्वकालामुपोष्यन् । व्यसने चतुर्थीम् । व्यसनाभियानं विगृह्ययाने ध्याख्यातम् ।

(३) प्रायशश्चाचार्याः परव्यसने यातव्यमित्युपदिशन्ति ।

(४) शक्त्युदये यातव्यमनं कान्तिकत्वाद्द्वचसनानाम् इति कौटिल्यः ।

(५) यदा वा प्रयातः कर्षयितुमुच्छेत्तुं वा शक्नुयादमित्रं, तदा यायात् ।

(६) अत्युष्णोपक्षीणे कालेऽहस्तिबलप्रायो यायात् । हस्तिनो ह्यन्तःस्वेदाः कुष्ठिनो भवन्ति । अनवगाहमानारतोयमपि वन्तश्चान्तरवक्षाराश्चाग्धीभवन्ति । तस्मात्प्रभूतोदके देशे, वर्षति च हस्तिबलप्रायो यायात् । विषयं ये खरोष्ट्राश्वबलप्रायः । देशमल्पवर्षं पङ्कम् वर्षति महप्रायं चतुरङ्गबलो यायात् ।

( १ ) जो अपनी सेना के क्वायद करने के लिए उपयुक्त और शत्रुसेना के लिए अनुपयुक्त हो ऐसे देश पर वर्षाञ्छतु में आक्रमण करना चाहिए ।

( २ ) जब किसी दूर देश के आक्रमण में अधिक समय लग जाने की संभावना हो तो वहाँ मार्गशीर्ष और पौष इन दो महीनों में यात्रा करनी चाहिए । मध्यमकालीन यात्रा चैत्र वैशाख के बीच करनी चाहिए । जहाँ अल्पकालिक यात्रा हो वहाँ ज्येष्ठ आषाढ में प्रस्थान किया जाना चाहिए । जब कभी शत्रु पर व्यसन आया दिखाई दे तब समय की बिना अपेक्षा किये चढ़ाई कर देनी चाहिए । यह चौथी यात्रा है । व्यसन पीड़ित शत्रु पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में विगृह्ययान नामक प्रकरण में निर्देश किया जा चुका है ।

( ३ ) प्राचीन आचार्यों का प्रायः कहना यही है कि 'जब भी शत्रु पर आपत्ति आई जान पड़े तभी आक्रमण कर देना चाहिए ।'

( ४ ) इसके ठीक विपरीत आचार्य कौटिल्य का कहना है कि विजिगीषु जब भी अधिक शक्तिसम्पन्नावस्था में हो तभी आक्रमण करना चाहिए ।

( ५ ) अथवा जिस समय भी शत्रु को निर्बल किया जा सके या शत्रु को विनष्ट किया जा सके तभी चढ़ाई कर देनी चाहिए ।

( ६ ) अत्यन्त गर्मी के मौसम में हाथियों को छोड़कर ऊँट आदि की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए । क्योंकि पानी के अभाव में अत्यधिक उष्ण प्रदेशों में हाथी कोड़ी हो जाया करते हैं, स्नान के अभाव से और पीने के लिए पर्याप्त पानी न मिलने के कारण अन्दर का दाह बढ जाने से हाथी अंधे हो जाते हैं । इसलिए जिस देश में पर्याप्त जल हो और वर्षा होती हो वही हाथियों की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए ।

- (१) समविषमनिम्नस्थलह्रस्वदीर्घवशेन वाध्वनो यात्रां विभजेत् ।  
 (२) सर्वा वा ह्रस्वकालाः स्युर्पातध्याः कार्यलाघवात् ।  
 दीर्घाः कार्यगुरुत्वाद्वा वर्षावासः परत्र च ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमाऽधिकरणे शक्तिदेशकालबलाञ्जलज्ञान यात्राकाला  
 नाम प्रथमोऽध्यायः, आदित एकविंशत्युत्तरशततमः ।

—: ० :—

जहाँ जल का स्थायी प्रबन्ध न हो और वर्षा भी न होती हो ऐसे देशों में घघा, ऊँट तथा घोड़ों की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए । जिस देश में वर्षा होने पर भी कीचड़ कम होता हो, ऐसे रेगिस्तानी देशों में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चतुरंग सेना को लेकर भी आक्रमण किया जा सकता है ।

( १ ) अथवा समतल, ऊबड़ खाबड़, जलमय, स्थलमय, अल्पकालीन और दीर्घ-कालीन आदि परिस्थितियों को देखकर यात्राकाल को विभक्त किया जा सकता है ।

( २ ) छोटे कार्यों की विधि के लिए समय की भी कम आवश्यकता होती है । इसी प्रकार बड़े कार्यों को सम्पन्न करने के लिए यात्रा भी दीर्घकालीन होती है । कभी-कभी वर्षा ऋतु में भी कार्याधिक्य के कारण दूसरे देश में रहना पड़ता है । इसलिए कार्यों के छोटे बड़े होने के हिसाब से यात्राएँ भी छोटी बड़ी समझनी चाहिए ।

अभियास्यत्कर्म नामक नवम अधिकरण में शक्त्यादिज्ञान और यात्राकाल नामक पहला अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) मौलभृतकश्रेणीमित्रामित्राटवीवलाना समुद्धानकालः ।

(२) मूलरक्षणादतिरिक्तं मौलबलम्, अत्यावापयुक्ता वा मौला मूले विकुर्वोरभिति, बहुलानुरक्तमौलबलः सारबलो वा प्रतियोद्धा व्यापामेन योद्धव्यमिति, प्रकृष्टेऽश्वनि काले वा क्षयव्ययसहृत्वाङ्गमौलानामिति, बहुलानुरक्तसम्पाते च यातव्यस्योपजापमयादन्यसंन्यानां भृतादीनामविश्वासे, बलक्षये वा सर्वसंन्यानामिति मौलबलकालः ।

सैन्य-संग्रह का समय; सैन्य-संगठन; और शत्रुसेना से मुकाबला

( १ ) इस अध्याय में—मौलबल (राजधानी की रक्षा करने वाली सेना), भृतकबल (सर्वतनिक सेना), श्रेणीबल (विभिन्न कार्यों में नियुक्त शस्त्रास्त्र में निपुण सेना), मित्रबल (मित्र राजा की सेना) अमित्रबल (शत्रु राजा की सेना) और अटवीबल (आटविक सेना), इन विभिन्न सेनाओं को किन किस अवसर पर युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए—इसका निरूपण किया जायेगा ।

( २ ) मौलबल मूलस्थान अर्थात् राजधानी की रक्षा के लिए जितनी सेना की अपेक्षा हो, उसके अतिरिक्त सेना को युद्ध में ले जाना चाहिए, अथवा मौलबल के बग़वत कर देने की संभावना हो तो उसको युद्ध आदि कार्यों में साथ ले जाना चाहिए, या मुकाबले में आगे हुए शत्रु पर मौलबल के अनुराग की संभावना जान पड़े तो उसको साथ ले जाना चाहिए, अथवा शत्रु किसी शक्तिशाली सैन्य को लेकर युद्ध करने के लिए आया है, तब भी मौलबल को साथ ले जाना चाहिए, अथवा दूर देश, दीर्घकालीन युद्ध, क्षय व्यय की अवस्था में भी मौलबल को साथ रखना चाहिए, अथवा स्वामिभक्त शत्रु के दूत मंत्री सेना में भेद डालने का यत्न करेंगे तथा दूसरी सेनाओं पर पूरा विश्वास न होने की स्थिति में भी मौलबल को लेकर युद्ध में जाना चाहिए, क्योंकि मौलबल अत्यन्त स्वामिभक्त होने के कारण फोड़ा नहीं जा सकता है, अथवा अन्य सेनाओं के प्रधान पुरुषों का नाश हो जाने पर यदि विजिगीषु के सेना के सेन छोड़कर भाग जाने का भय हो तो मौलबल को युद्धक्षेत्र में साथ ले जाना चाहिए ।

(१) प्रभूतं मे भृतबलमल्पं च मौलबलमिति, परस्याल्पं विरक्तं वा मौलबलं फल्गुप्रायमसारं वा भृतसैन्यमिति, मन्त्रेण योद्धव्यमल्पव्यायामे-  
नेति, ह्रस्वो देशः कालो वा तनुक्षयव्ययः इति, अल्पसम्पातं शान्तोपजापं  
विश्वस्तं वा मे सैन्यमिति, परस्याल्पः प्रसारो हन्तव्यः इति, भृतबलकालः।

(२) प्रभूतं मे श्रेणीबलं शक्यं मूले यात्रायां चाघातुमिति, ह्रस्वप्रवासः,  
श्रेणीबलप्रायः प्रतियोद्धा, मन्त्रव्यायामाम्भ्यां प्रतियोद्धुकामो दण्डबलव्यव-  
हारः, इति श्रेणीबलकालः ।

(३) प्रभूतं मे मित्रबलं शक्यं मूले यात्रायां चाघातुम्, अल्पः प्रवासो  
मन्त्रयुद्धाच्च भूयो व्यापामयुद्धम् इति, मित्रबलेन वा पूर्वमटवो नगरी-  
स्थानमासारं वा योधयित्वा पश्चात्स्वबलेन योधयिष्यामि, मित्रसाधारणं

( १ ) भृतकबल . यदि विजिगीषु राजा यह समझे कि मौलबल की अपेक्षा मेरा भृतकबल अधिक है, अथवा शत्रु का मौलबल थोड़ा तथा अविश्वासी है, अथवा शत्रु का भृतकबल कमजोर या न होने के बराबर है, अथवा इस समय शत्रु के साथ तूष्णी युद्ध करना पड़ेगा, अथवा थोड़े ही श्रम से कार्य संपन्न हो जायगा, अथवा युद्ध का शतव्य देश दूर नहीं है, समय भी थोड़ा ही लगेगा और अधिक क्षय-व्यय की भी सम्भावना नहीं है, अथवा शत्रु के गुप्तचर मेरी सेना में बहुत कम प्रवेश कर सकेंगे और वे भी भेद न डाल सकेंगे, यदि उन्होंने भेद डाल भी दिया तो अपनी विश्वस्त सेना को मैं अपने काबू में कर सकूंगा अथवा शत्रु के थोड़े ही कार्यों की शक्ति करनी है'—तो ऐसी स्थितियों में एव अवसरों पर भृतकबल को साथ लेकर उसको युद्ध में जाना चाहिए ।

( २ ) श्रेणीबल . यदि विजिगीषु को यह विश्वास हो कि 'मेरे पास श्रेणीबल इतना पोखता है कि उसको राजधानी की रक्षा में भी लगाया जा सकता है और शत्रु के साथ युद्ध करने के समय भी उनको साथ लिया जा सकता है, अथवा सफर कम है, मुकाबले की सेना भी प्रायः श्रेणीबल के साथ युद्ध करने लायक है, अथवा शत्रु तूष्णी-युद्ध ( मन्त्र ) अथवा प्रकाशयुद्ध ( व्यापाम ) से मुकाबला करना चाहता है, अथवा दण्ड से डरा हुआ होने के कारण शत्रु अपनी सेना को किसी राजा के अधीन करने की सोच रहा है'—ऐसी स्थितियों एव ऐसे अवसरों पर श्रेणीबल को साथ लेकर युद्ध करना चाहिए ।

( ३ ) मित्रबल . यदि विजिगीषु राजा यह समझे कि 'उसका मित्रबल इतना पोखता है कि वह राजधानी की रक्षा करने में और शत्रु पर चढ़ाई करने में भी समर्थ है, अथवा सफर भी कम है, तूष्णी युद्ध की अपेक्षा वहाँ प्रकाश युद्ध ही अधिक होगा, जिससे क्षय-व्यय की कम सम्भावना है, अथवा शत्रुसेना या शत्रु के देश में सभी आड-

वा मे कार्यं, मित्रायत्ता वा मे कार्यसिद्धिः, आसन्नमनुप्राह्यं वा मे मित्रम्, अत्याघातं वास्य साधयिष्यामि इति मित्रबलकालः ।

(१) प्रभूतं मे शत्रुबलं शत्रुबलेन योधयिष्यामि नगरस्थानम्, अटवीं वा । तत्र मे श्ववराहयोः कलहे चण्डालस्यैवान्यतरसिद्धिर्भविष्यति; आसाराणामटवीना वा कण्टकमर्दनमेतत्करिष्यामि; अत्युपचितं वा कोपमयान्नित्यमासन्नमरिबलं वासयेदन्यत्राभ्यन्तरकोपशङ्कायाः, शत्रुयुद्धावरयुद्धकालश्च । इत्यमित्रबलकालः ।

(२) तेनाटवीबलकालो व्याख्यातः ।

(३) मागदेशिक परभूमियोग्यमरियुद्धप्रतिलोममटवीबलप्रायः शत्रुर्विबलं बिल्वेन हन्यताम् अल्पः प्रसारो हन्तव्यः इत्यटवीबलकालः ।

विक सेना या मित्रसेना को पहिले अपनी मित्र-सेना से भिडा कर फिर अपनी सेना से लडाऊंगा, अथवा इस युद्धादि कार्य में मित्र का तथा अपना समान प्रयोजन है, इस कार्य की सिद्धि मित्र के हाथ में है, अथवा अपने समीपस्थ अन्तरण मित्र का अवश्य ही उपकार करना है, अथवा अपने मित्र से द्रोह रखने वाली सेना ( दूष्य सेना ) को शत्रु सेना के साथ भिडा कर मरवा डालूंगा—ऐसे अवसरों या ऐसी स्थितियों में मित्र सेना को युद्ध में साथ ले जाना चाहिए ।

( १ ) अमित्रबल यदि विजिगीषु यह समझे कि उसकी शत्रु सेना अत्यधिक है, जो कि उसके नगर में ही ठहरी हुई है और जिसको वह अपने दूसरे शत्रु के साथ भिडा सकता है, अथवा उसको आटविक सेना के साथ भिडा सकता है, इस प्रकार दोनों शत्रु सेनाओं के लड जाने पर उसका अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा वैसे ही जैसे कि कुत्ते और सुअर की लडाईं में किसी भी एक के मर जाने पर बाण्डाल का लाभ होता है, अथवा अपने मित्र तथा आटविक की सेना के कटको का इस रीति से उन्मूलन हो सकेगा, अथवा बहुत बढ़ी हुई शत्रु सेना को विजिगीषु कुपित हो जाने के भय से सदा ही अपने पास रहे, किन्तु उसको पास रखने में यदि अमात्य, पुरोहित आदि के कुपित हो जाने का भय हो तो उसे अपने पास न रखे, अथवा यदि विजिगीषु वा शत्रु अपने किसी दूसरे शत्रु के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस युद्ध में समाप्त हो जाने पर दूसरे युद्ध के अवसर पर शत्रुसेना को ही दूसरे शत्रु के मुकाबले में भिडा दें— ऐसी स्थितियों एवं ऐसे अवसरों पर शत्रुसेना को ही युद्ध में भेजना चाहिए ।

( २ ) अटवीबल उक्त विवेचन के अनुसार ही आटविक सेना को युद्ध में भेजने के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( ३ ) यदि विजिगीषु यह समझे कि गतव्य स्थान को बताने के लिए प्रथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होगी, अथवा आटविक सेना शत्रु की युद्धभूमि में लडने योग्य आयुर्घों

(१) सैन्यमनेकमनेकजातीयस्थमुक्तमनुक्तं वा विलोपार्थं यदुत्तिष्ठति, तदौत्साहिकम् । भक्तवेतनविलोपविष्टिप्रतापकरं भेद्यं परेषाम्, अभेद्यं तुल्यदेशजातिशिल्पप्रायं संहतं महत् । इति वलोपादानकालाः ।

(२) तेषां कुप्यभृतममित्राटवीबलं विलोपभृतं वा कुर्यात् ।

(३) अमित्रस्य वा बलकाले प्रत्युत्पन्ने शत्रुमवगृह्णीयात् । अन्यत्र वा प्रेषयेत् । अफलं वा कुर्यात् । विक्षिप्तं वा वासयेत् । काले वातिक्रान्ते विमृजेत् । परस्य चैतद्वलसमुद्दानं विघातयेद्, आत्मनः सम्पादयेत् ।

की शिशा मे निपुण है, अथवा विजिगीषु की बिना आज्ञा से ही आटविक सेना शत्रुसेना के साथ युद्ध में प्रवृत्त हो सरेगी, जैसे एक बिल्वफल दूसरे बिल्वफल के साथ टकरा कर फोडा जाता है वैसे ही शत्रु सेना से आटविक सेना ही मुठभेड करने में समर्थ है, अथवा शत्रु भी आटविक सेना को लेकर ही युद्धभूमि में उतर रहा है, अथवा शत्रु के अल्प अनिष्ट के लिए आटविक सेना ही उपयुक्त होगी—ऐसी स्थितियों एव ऐसे अवसरों पर आटविक सेना को लेकर युद्ध में जाना चाहिए ।

( १ ) औत्साहिकबल उक्त छह सेनाओं के अतिरिक्त औत्साहिक नामक सातवीं सेना भी होती है । नेतृत्वहीन, भिन्न-भिन्न देशों में रहने वाली, राजा की स्वीकृति या अस्वीकृति से ही दूसरे देशों पर लूटमार करने वाली सेना को ही औत्साहिक बल कहते हैं । उसके दो भेद हैं, भेद और अभेद्य । दैनिक भत्ता या मासिक वेतन लेकर शत्रु के देश में सूटपाट करने वाली; दुर्गों में काम करने वाली, और राजा की सामयिक आज्ञाओं का पालन करने वाली औत्साहिक सेना भेद्य कहलाती है । भेद्य अर्थात् अधिक भत्ता देकर भेद ( फोडने ) किये जाने योग्य । किन्तु जो औत्साहिक सेना प्रायः एक ही देश की, एक ही जाति की और एक ही व्यवसाय की होती है वह अभेद्य कहलाती है । उसको वेतन आदि का प्रलोभन देकर फोडा नहीं जा सकता है । उसे अपने देश का अधिक ध्यान रहता है । वह बड़ी संगठित होती है । इसलिए इस सेना को उपयुक्त समय के लिए सग्रह करके रखना चाहिए ।

( २ ) उक्त सात प्रकार की सेनाओं में से शत्रु सेना तथा आटविक सेना को नियमित मासिक वेतन न देकर उसके ओडने, विघटने तथा पहनने के लिए शत्रु देश से जीता हुआ या लूटा हुआ माल ही वेतन के रूप में देना चाहिए ।

( ३ ) सेना के सम्बन्ध में जो स्थितियाँ और जैसे अवसर विजिगीषु के लिए उत्पन्न हो सकते हैं, यदि वही स्थितियाँ और जैसे ही अवसर शत्रु के लिए भी उपस्थित हों तो उस समय विजिगीषु को चाहिए कि जो शत्रुसेना उसके पास सहायता के लिए आयी है उसको वह अपने अधीन रखे या किसी कार्य का बहाना बना कर उसको वह अन्यत्र भेज दे । यदि ऐसे अवसरों पर शत्रु की सेना को छोड़ना ही

- (१) पूर्वं पूर्वं चेपां श्रेयः सन्नाहयितुम् ।
- (२) तद्भ्रातृभ्रातृवन्तित्यसत्कारानुगमाच्च मौलबलं भृतबलाच्छ्रेयः।
- (३) नित्यानन्तरं क्षिप्रोत्थायि वश्यं च भृतबलं श्रेणीबलाच्छ्रेयः ।
- (४) जानपदमेकार्थोपगतं तुल्यसंघर्षामयंसिद्धिलाभं च श्रेणीबलं मित्र-बलाच्छ्रेयः ।
- (५) अपरिमितदेशकालमेकार्थोपगमाच्च मित्रबलममित्रबलाच्छ्रेयः ।
- (६) आर्याधिष्ठितममित्रबलमटवीबलाच्छ्रेयः । तदुभयं विलोपार्यम् । अविलोपे व्यसने च ताभ्यामहिभय स्यात् ।

पड जाय तो, कार्य करने के बदले में उसकी जो सहायता देने की पहिले प्रतिज्ञा की गई थी उसको न देकर ही छोड़ दे, अथवा उसको छोटे-छोटे फिरकी में बाँट कर अलग अलग छावनियो में रख दे, अथवा जब शत्रु की सहायता का समय बीत जाये तब उस मेना को छोड़ दे, अथवा जब-जब शत्रु अपने सेना सग्रह का आयोजन करे तभी तभी विजिगीषु उसके मार्ग में बाधायेँ खड़ी कर दे और शत्रु द्वारा खड़ी की गयी बाधाओ का प्रतीकार करते हुए वह अपनी सेना का संगठन करता रहे ।

( १ ) उक्त सात प्रकार की सेना में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व की सेना का सग्रह करना अधिक लाभप्रद है ।

( २ ) सदैव अपने स्वामी के साथ बने रहने के कारण तथा सदा ही सेना के सम्बन्ध में स्वामी की सत्कार बुद्धि होने के कारण और सदा ही स्वामी के सम्बन्ध में सेना का अनुराग होने के कारण भृतकबल की अपेक्षा मौलबल श्रेष्ठ होता है ।

( ३ ) इसी प्रकार श्रेणीबल की अपेक्षा भृतकबल अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह सदैव राजा के समीप रहता है, अविलम्ब ही युद्ध के लिए तैयार हो सकता है और राजा के अधीन रहता है, किन्तु श्रेणीबल में ये बातें नहीं होती हैं ।

( ४ ) मित्रबल की अपेक्षा श्रेणीबल अधिक उत्तम होता है, क्योंकि वह अपने राजा के देश का होना है, एक ही प्रयोजन के लिए उसका सग्रह किया जाता है, मालिक का जिसके साथ संघर्ष तथा क्रोध होता है श्रेणीबल की भी उसके साथ संघर्ष तथा वैर होता है, वह अपने मालिक की अभीष्ट सिद्धि में ही अपनी अभीष्टसिद्धि समझता है । परन्तु मित्रबल में ये बातें नहीं होती हैं ।

( ५ ) अमित्रबल की अपेक्षा मित्रबल अधिक श्रेयस्कर होता है, क्योंकि मित्रबल हर समय हर स्थिति में सहायक होता है, विजिगीषु के प्रयोजन के अनुसार ही मित्रबल का भी प्रयोजन होता है । इसके विपरीत अमित्रबल में ये बातें नहीं होती हैं ।

( ६ ) अटवीबल की अपेक्षा अमित्रबल अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह



(१) ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रसैन्यानां तेजःप्राधान्यात्पूर्वं पूर्वं श्रेयः सन्नाह-  
यितुमित्याचार्याः ।

(२) नेति कौटिल्यः । प्रणिपातेन ब्राह्मणबलं परेऽग्निहारयेत् । प्रहरण-  
विद्याविनीतं तु क्षत्रियबलं श्रेयः, बहुलसारं वा वैश्यशूद्रबलमिति ।

(३) तस्माद् 'एवंबलः परः, तस्यैतत्प्रतिबलम्' इति बलसमुद्धानं  
कुर्यात् ।

(४) हस्तियन्त्रशकटगर्भकुन्तप्रासहाटकवेणुशाल्यवद्धस्तिबलस्य प्रति-  
बलम् ।

(५) तद्वै पाषाणलगुडावरणाङ्कुशकचप्रहणीप्रायं रथबलस्य प्रतिबलम् ।

आर्यगुणो से सपत्न एव विश्वस्त पुरुषो के नेतृत्व मे रहता है; किन्तु अटवीबल के सम्बन्ध मे ऐसा नही है । ये दोनो सेनायें शत्रुदेश को लूटने के लिए बड़ी उपयुक्त हैं । क्योंकि यदि उन्हें युद्ध मे लगाया जाय या विपत्ति मे सहायनार्थं नियुक्त किया जाय, तो अस्त्रीन के साथ की तरह सदा ही उनसे भय बना रहता है ।

( १ ) प्राचीन आचार्यों का मत है कि तेज की अतिशयता होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारो वर्णों की सेनाओ मे उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व की सेना अधिक श्रेष्ठ है ।

( २ ) इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य का मत है कि 'शत्रुपक्ष ब्राह्मणसेना के समक्ष नमस्कार कर या शिर झुका कर उसको अपने वश मे कर लेता है । इसलिये युद्धविद्या मे निपुण क्षत्रिय सेना को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए, अपवा वैश्य सेना तथा शूद्रसेना को भी श्रेष्ठ समझना चाहिए, यदि उनमे बौर पुरुषो की अधिकता हो ।

( ३ ) सेनाओं के सबन्ध मे पूर्वोक्त पारस्परिक श्रेष्ठता को समझने के बाद शत्रु-सेना के सबन्ध मे भी विचार कर लेना चाहिए और अमुक शत्रुसेना के साथ अमुक सेना उपयुक्त होगी, इन सभी बातों का विचार कर उपयुक्त सेनाओ का संग्रह करना चाहिए ।

( ४ ) हस्तिसेना के मुकाबले के लिए हाथी, जामदग्न्य यन्त्र, शकटगर्भ ( शकट के समान मध्यभाग वाला अस्त्र ), भाला ( कुन्त ), बरछा ( प्रास ), त्रिशूल ( हाटक ), लाठी ( वेणु ), बल्लम ( शल्य ) आदि साधनो से युक्त सेना की आवश्यकता हाती है ।

( ५ ) उक्त हस्तिसेना यदि पाषाण, गदा ( लशुड ), कवच ( आवरण ), अकुश और कचप्राही ( लबी लोहे की छड़, जिसके अग्रभाग मे बाल पकड़ने का हुक लगा रहता है ) आदि साधनो से युक्त हो तो वह रथ-सवार सेना का मुकाबला ( प्रतिबल ) करनेवाली समझता चाहिए ।

(१) तदेवाश्वानां प्रतिबलम् ।

(२) वर्मिणो वा हस्तिनोऽश्वा वा वर्मिणः कवचिनो रथा आवरणिनः  
पत्तयश्चतुरङ्गबलस्य प्रतिबलम् ।

(३) एवं बलसमुद्धानं परसैन्यनिवारणम् ।

विभवेन स्वसैन्यानां कुर्याद्विकल्पशः ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे बलोपादानकाला सन्नाहगुणा प्रतिबलकर्म  
नाम द्वितीयोऽध्याय, आदितो द्वाविंशत्युत्तरशततम ।

— ० . —

( १ ) इसी सेना को सड़सवार ( अश्वबल ) सेना का भी प्रतिबल समझना चाहिए ।

( २ ) कवचधारी हाथी या कवचधारी घोड़े, मजदूर सौहे की पतों से मड़े हुए रथ और कवचधारी पैदल सेना, इन चारों को क्रमशः, हस्तिबल, अश्वारोही, रथारोही और पदाति, इस चतुरंग सेना का प्रतिबल समझना चाहिए ।

( ३ ) इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से सेनाओं को पारस्परिक श्रेष्ठता, गुरुता, लघुता का विचार करके ही उपयुक्त सेनाओं का संग्रह करना चाहिए । इसी प्रकार मीलभृत आदि अपनी सेनाओं की शक्ति के अनुसार एव सेनाओं के अगभूत साधन हाथी, घोड़े, शस्त्र आदि की अधिकता-अल्पता को दृष्टि में रख कर अलग-अलग विभागों के अनुसार ही सेना का संग्रह तथा शत्रु का प्रतिकार करना चाहिए ।

अभियास्यत्कर्म नामक नवम अधिकरण में बलप्रतिबलकर्म नामक  
दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

## पश्चात्कोपचिन्ता, बाह्यान्तर- प्रकृतिकोपप्रतीकारश्च

(१) अल्पः पश्चात्कोपो महान् पुरस्ताल्लाम इति । अल्पः पश्चात्कोपो गरीयान् । अल्पं पश्चात्कोपं प्रयातस्य दूष्यामित्राटविका हि सर्वतः समेघ-  
यन्ति, प्रकृतिकोपो वा । लब्धमपि च महान्तं पुरस्ताल्लाममेवंभूते भृत्य-  
मित्रक्षयव्यया असन्ते । तस्मात्साहस्रैकीयः पुरस्ताल्लामस्यायोगः शतैकीयो  
वा पश्चात्कोप इति न यायात् । सूचीमुखा ह्यनर्था इति लोकप्रवादः ।

(२) पश्चात्कोपे सामदानभेददण्डान्प्रयुञ्जीत । पुरस्ताल्लामे सेनापति  
कुमारं वा दण्डचारिणं कुर्वीत ।

### पश्चात्कोपचिन्ता और बाह्यान्तर प्रकृति के कोप का प्रतीकार

( १ ) यदि थोड़ा पश्चात्कोप और अधिक भावी लाभ हो तो दोनों में से थोड़ा पश्चात्कोप ही गुह्यतर है, क्योंकि विजिगीषु के गुह्य में चले जाने के कारण थोड़े पश्चात्कोप को भी राजद्रोही और शत्रुविक्रम बहुत बढ़ा देते हैं, अथवा विजिगीषु की की अनुपस्थिति में उसका कुपित प्रकृतिवर्ग थोड़े भी पश्चात्कोप को अधिक बढ़ा देता है । यदि पश्चात्कोप की लापरवाही करके आक्रमण से होने वाले बड़े लाभ को प्राप्त कर लिया जाय तो उस बड़े हुए पश्चात्कोप के प्रतीकार के लिए जो भूय तथा मित्रसंबन्धी दाय-व्यय करना पड़ता है, उसमें वह महान लाभ सब बराबर हो जाता है । इसलिए जब भावी लाभ की सफलता प्रति सहस्र एक अश मात्र होनेवाली हो तो उसकी अपेक्षा पश्चात्कोप से होने वाला अनर्थ प्रतिशत एक अश समझना चाहिए, अर्थात् पश्चात्कोपजन्य अनर्थ की अपेक्षा भावी लाभ में दसगुनी अक्षरता होनी है । लोकप्रसिद्धि है कि अनर्थ सदा सूचीमुख हुआ करते हैं, अर्थात् पहिले तो उनका रूप मुई के मुँह जितना सूदम होता है, किन्तु बाद में वे भयावह रूप धारण कर लेते हैं ।

( २ ) यदि पश्चात्कोप की अधिक सम्भावना हो तो साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायो से किसी भी प्रकार उसका प्रतीकार करना चाहिए । यदि भावी लाभ को भी न छोड़ना हो तो सेनापति या युवराज के संक्षरण में सेना को विजययात्रा के लिए भेजना चाहिए ।

(१) बलवान् वा राजा पश्चात्कोपावग्रहसमर्थः पुरस्तात्लाभमादातुं यायात् । अभ्यन्तरकोपशङ्कायां शङ्कितानादाय यायात् ।

(२) बाह्यकोपशङ्कायां वा पुत्रदारमेयामभ्यन्तरावग्रहं कृत्वा शून्यपालमनेकबलवर्गमनेकमुख्यं च स्थापयित्वा यायात् । न वा यायात् । 'अभ्यन्तरकोपो बाह्यकोपात्पापीयान्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

(३) मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजानामन्यतमकोपोऽभ्यन्तरकोपः । तमात्मदोषत्यागेन परशक्त्यपराधवशेन वा साधयेत् ।

(४) महापराधेऽपि पुरोहिते संरोधनमवस्त्रावणं वा सिद्धिः, युवराजे संरोधनं निग्रहो वा गुणवत्यन्यस्मिन्सति पुत्रे ।

( १ ) अथवा जो शक्तिसपन्न राजा पश्चात्कोप का प्रतीकार करने में समर्थ हो और उसका यह विश्वास हो कि वह पश्चात्कोप को पूरी तरह शांत कर सकेगा, तो थोड़ी-सी सेना पीछे छोड़कर विजिगीषु स्वयं भी यात्रा में जा सकता है । यदि ऐसी स्थिति में भीतरी कोप की आशंका हो तो उन आशंकित व्यक्तियों को साथ लेकर विजिगीषु को युद्ध में जाना चाहिए ।

( २ ) अथवा यदि बाह्यकोप की आशंका हो तो विजिगीषु के लिए उचित है वह उन बाह्यकोपकारी अतपाल आदि के पुत्र तथा स्त्रियों को अपने अमात्यो के अधीन करके युद्ध में जाय । यदि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों की ओर से उपद्रव की आशंका हो तो पीछे बताई गई मौलभृत आदि सात प्रकार की सेनाओं तथा अनेक मुख्य सेनापतियों से युक्त शून्यपाल को राजधानी की रक्षा के लिए नियुक्त करके विजययात्रा करनी चाहिए । इतने इतजाम में भी यदि आभ्यन्तर विद्रोह की आशंका बनी रहे तो विजिगीषु कदापि न जाय क्योंकि आभ्यन्तर कोप, बाह्यकोप की अपेक्षा अत्यन्त हानिकर होता है, इस बात को पहिले ही कहा जा चुका है ।

( ३ ) मन्त्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज इन चारों में से किसी एक के द्वारा किए जाने वाले उपद्रव को आभ्यन्तरकोप कहते हैं । यह आभ्यन्तरकोप यदि विजिगीषु के किसी दोष के कारण पैदा हुआ हो तो उस दोष का परित्याग कर आभ्यन्तर कोप को शान्त करना चाहिए । यदि वह मन्त्री, पुरोहित आदि के कारण उत्पन्न हुआ हो तो उनको अपराध के अनुसार प्राणदण्ड, बन्धन तथा अर्धदण्ड आदि के द्वारा सीधा करना चाहिए ।

( ४ ) यदि पुरोहित से ऐसा कोई महान् अपराध हो जाय तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध निषिद्ध है । इसलिए उसको या तो कैद में डाल दिया जाय अथवा देग-निर्वासन का दण्ड दिया जाय । यदि युवराज इस तरह

(१) ताम्यां मन्त्रिसेनापती व्याख्यातौ ।

(२) पुत्रं घ्रातरमन्यं वा कुल्यं राज्यप्राहिणमुत्साहेन साधयेत् । उत्साहभावे गृहीतानुवर्तनसन्धिकर्मभ्यामरिसन्धानभयात् । अन्येभ्यस्तद्विधेभ्यो वा भूमिदानैर्विश्वासयेदेनम् । तद्विशिष्ट स्वयग्राहं दण्डं वा प्रेषयेत्, सामन्तादृविकान् वा । तद्विगृहीतमतिसन्देह्यात् । अवरुद्धादानं पारप्रामिकं वा योगमातिष्ठेत् ।

(३) एतेन मन्त्रिसेनापती व्याख्यातौ ।

(४) मन्त्र्यादिवर्जानामन्तरमात्यानामन्यतमकोपोऽन्तरमात्यकोपः तत्रापि यथाहंमुपायान् प्रयुञ्जीत ।

का महान् अपराध कर डाले तो उसे या तो आजन्म कैद मे डाल दिया जाय या प्राणदण्ड दिया जाय, किन्तु यह प्राणदण्ड उसी दशा मे दिया जाय जब कि दूसरा कोई गुणवान् पुत्र विद्यमान हो ।

( १ ) पुरोहित और युवराज के समान ही मन्त्री और सेनापति का भी उनके अपराध के अनुसार वध या बन्धन का दण्ड समझना चाहिए ।

( २ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने पुत्र, भाई या किसी खानदानी व्यक्ति को, जो राज्य लेने की इच्छा करे, उसको उसके योग्य उच्च अधिकारपदी पर नियुक्त कर के अपने वश मे करे । क्योंकि यदि उन्हें वश मे न किया गया तो यह आशका नित्य ही बनी रहती है कि कहीं वे शत्रु राजा के साथ जाकर न मिल जाय । अथवा इसी तरह के दूसरे खानदानी व्यक्तियों को जमीन आदि देकर अपने अधीन कर लेना चाहिए । अथवा ऐसे व्यक्तियों को स्वय ग्राह सेना का सेनापति बनाकर कही बाहर युद्ध के लिए भेज देना चाहिए । अथवा उन्हें सामत तथा आदविको की सेना का अध्यक्ष नियुक्त कर के बाहर भेज देना चाहिए और फिर उस स्वय ग्राह सेना तथा उन सामत आदविको के साथ झगडा कराके उसको कैद मे डाल देना चाहिए । स्वय ग्राह सेना द्वारा गिरफ्तार उस व्यक्ति को राजा स्वय ले ले अथवा दुर्गलम्भोपाय प्रकरण मे निर्दिष्ट उपायो द्वारा उसे वश मे करे ।

( ३ ) इसी प्रकार मन्त्री और सेनापति के द्वारा पैदा किये गये उपद्रव तथा उसके प्रतीकार का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिए ।

( ४ ) मन्त्री, पुरोहित, युवराज और सेनापति के अतिरिक्त अन्य अन्तरमात्य अर्थात् द्वारपाल या रनिवास के कर्मचारी आदि मे से किसी एक द्वारा उठाये गये कोप को अन्तरमात्यकोप कहते हैं । ऐसे कोप को शान्त करने के लिए उपर्युक्त उपायो को ही काम मे लाना चाहिए ।

(१) राष्ट्रमुख्यान्तपालाटविकदण्डोपनतानामन्यतमकोपो बाह्यकोपः । तमन्योन्येनावप्राहयेत् । अतिदुर्गप्रतिस्तब्धं वा सामन्ताटविकतत्कुलोनावरुद्धानामन्यतमेनावप्राहयेत् । मित्रेणोपप्राहयेद्वा, यथा नामित्रं गच्छेत् ।

(२) अमित्राद्वा सत्री भेदयेदेनम्—‘अयं त्वा योगपुरुष मन्यमानो भर्त-  
र्येव विक्रमयिष्यति, अवाप्तार्थो दण्डचारिणममित्राटविकेषु कृच्छ्रे वा प्रवासे  
योक्ष्यति, विपुत्रदारमन्ते वा वासयिष्यति, प्रतिहतविक्रमं त्वा भर्तारि पण्यं  
करिष्यति, त्वया वा सन्धिं कृत्वा भर्तारमेव प्रसादयिष्यति, मित्रमुपकृष्टं  
वास्य गच्छेद्’ इति ।

(३) प्रतिपन्नमिष्टामिप्रायैः पूजयेत् ।

(४) अप्रतिपन्नस्य संश्रयं भेदयेद्—‘असौ ते योगपुरुषः प्रणिहितः’  
इति ।

( १ ) राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति, अन्तपाल, आटविक और बलपूर्वक अधीन किये गये व्यक्ति ( दण्डोपनत ) आदि में से किसी एक के द्वारा उठाये गये उपद्रव को बाह्यकोप कहते हैं । ऐसे कोप को शान्त करने का यही तरीका है कि उन कोपकारी को एक-दूसरे के साथ लडा कर शान्त किया जाय । बाह्यकोप को उठाने वाले राष्ट्र-मुख या अन्तपाल आदि को सामन्त, आटविक या उनके कुल के किसी गिरपतार राजकुमार द्वारा पकडवा दिया जाय, अथवा अपने भिन के साथ उसकी मित्रता जोड दी जाय, जिससे कि वह शत्रुपक्ष में न मिल जाय ।

( २ ) सत्री नामक गुप्तचर को चाहिए कि वह बाह्य कोपकारी राष्ट्रमुख आदि व्यक्तियों को यह कह कर मित्र बनाये रखे कि ‘तुम जिसके साथ मिलना चाहते हो वह तुमको विजिगीषु का गुप्तचर समझ कर तुमको तुम्हारे मित्र से लडने को कहेगा और उस आक्रमण के परिणाम को देख कर तुमको अपनी सेना का नायक बनाकर अपने शत्रु या आटविक के मुकाबले में किसी दुष्कर आक्रमण के लिए नियुक्त करेगा, अथवा तुमको तुम्हारे स्त्री-पुत्री से विमुक्त कर अपने किसी सरहदी इलाके में नियुक्त कर देगा, अथवा अपने ही मालिक के मुकाबले में यदि तुम हार गए तो तुम्हारे मालिक से धन लेकर वह उसी के हाथ तुम्हें बेच देगा, अथवा तुम्हारे स्वामी के हाथ तुम्हें ही शर्तनामा के रूप में गिरवी रख कर सन्धि कर लेगा, अथवा तुम्हें शर्त में रखकर अपने किसी मित्र के साथ तुम्हारे स्वामी की सन्धि करा देगा ।’

( ३ ) यदि सत्री के इस भेद भरे उपदेश को यह बाह्यकोपकारी स्वीकार कर ले तो उसको उसकी मनचाही वस्तुएँ देकर सम्मानित किया जाय ।

( ४ ) यदि स्वीकार न करे तो सश्रयनीति के द्वारा उसे यह कहकर भिन्न कर

(१) सत्री चैनमभित्यक्तशसनेर्घातयेद् गूढपुरुषैर्वा । सहप्रस्थामिनो वास्य प्रवीरपुरुषान् यथाभिप्रायकरणेनावाहयेत् । तेन प्रणिहितान् सत्री ब्रूयात् । इति सिद्धिः । परस्य चैनान्कोपानुत्थापयेत् । आत्मनश्च शमयेत् ।

(२) यः कोपं कतुं शमयितुं वा शक्तः, तत्रोपजापः कार्यः । यः सत्य-सन्धः शक्तः कर्मणि फलावाप्तौ चानुग्रहीतुं विनिपाते च त्रातुं, तत्र प्रति-जापः कार्यः । तर्कयितव्यश्च—कल्याणबुद्धिरुताहो शठ इति ।

(३) शठो हि बाह्योऽभ्यन्तरमेवमुपजपति—भर्तारं चेद्वत्वा मां प्रति-पादयिष्यति शत्रुबधो भूमिलामश्च मे द्विविधो लाभो भविष्यति, अथवा

दिया जाय कि 'जो व्यक्ति तुम्हारे आश्रय में है वह दूसरे का गुप्तचर है, उससे तुम्हें सम्बल कर रहना चाहिए ।'

( १ ) अथवा सत्री को चाहिए कि बध के लिए नियुक्त व्यक्ति ( अभित्यक्त ) के हाथ जाली पत्र भेजवा कर—जिसमें शत्रु को छिपकर भार डालने का निर्देश हो—शत्रु के मन में सन्देह पैदा कर उसी के द्वारा उस बाह्यकोपकारी का बध करा दे, अथवा गुप्तचरो के द्वारा ही उसका बध करा दिया जाय । अथवा शत्रु का आश्रय लेने के लिए उन बाह्यकोपकारी राष्ट्रमुख, अन्तपाल आदि के साथ जो वीर पुरुष जाने को तैयार हो, उनकी मनचाही मुराद पूरी कर के उन्हें अपनी ओर मिला ले । यदि वे वीर पुरुष मिलने के लिए तैयार न हों तो उनके सम्बन्ध में शत्रु राजा के यहाँ जाकर सत्री इन प्रकार कहे 'ये सभी वीर पुरुष विजिगीषु ने तुम्हारे बध के लिए भेजे हैं, ये सभी गुप्तचर हैं' और इस प्रकार शत्रु को समझा कर उसी के द्वारा उनको मरवा डाले । शत्रु के पक्ष में अन्तर-बाह्यकोप पैदा करे और अपने पक्ष के कौर्षों का प्रतीकार करे ।

( २ ) जो व्यक्ति कोप को उत्पन्न करने और शान्त करने में समर्थ हो उसी पर उपजाप का प्रयोग कर दूसरे के साथ उसकी फूट डाल देनी चाहिए । जो पुरुष सत्य-प्रतिज्ञ हो, कार्य तथा फलसिद्धि के समय अनुग्रह करने वाला हो और अपति के समय रक्षा कर सके उसके साथ प्रतिजाप ( उपजाप को स्वीकार कर लेना प्रतिजाप है ) का प्रयोग करना चाहिए । यदि उपजाप करने वाले व्यक्ति के प्रति उपजाप को स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति को यह आशंका हो कि कहीं वह ठगने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहा है तो उसकी कल्याण बुद्धि या शठबुद्धि की परीक्षा लेकर भली भाँति विचार विनिमय कर ले ।

( ३ ) जो बाह्य शठबुद्धि होते हैं वे अभ्यन्तर के प्रति यह सोचकर उपजाप करते हैं कि मेरे द्वारा बहकाया गया मंत्री यदि अपने राजा को भारकर उसके स्थान पर मुझे राजा बना देगा तो शत्रु का नाश और भूमि का लाभ, ये दोनों फायदे मुझे एक

शत्रुरेनमाहनिष्यति हतबन्धुपक्षस्तुल्यदोषदण्डेन वा उद्विग्नश्च, मे भूयान् कृत्यपक्षो भविष्यति तद्विधे वान्यस्मिन्नपि शङ्कितो भविष्यति अन्यमन्यं चास्य मुह्यमभित्यक्तशासनेन घातयिष्यामि इति ।

(१) अभ्यन्तरो वा शठो बाह्यमेवमुपजपति—कोपमस्य हरिष्यामि, दण्डं वास्य हनिष्यामि, दुष्टं वा भर्तारमनेन घातयिष्यामि, प्रतिपन्नं बाह्यममित्राटविकेषु विक्रमयिष्यामि चक्रमस्य सज्यतां वैरमस्य प्रसज्यतां ततः स्वाधीनो मे भविष्यति, ततो भर्तारमेव प्रसादयिष्यामि, स्वयं वा राज्यं ग्रहीष्यामि, बद्ध्वा वा बाह्यभूमिं चोभयमवाप्स्यामि, विरुद्धं वावाहयित्वा बाह्यं विश्वस्तं घातयिष्यामि शून्यं वास्य मूलं हरिष्यामि इति ।

(२) कल्याणबुद्धिस्तु सहजीव्ययंमुपजपति । कल्याणबुद्धिना सन्दधीत । शठं 'तथा' इति प्रतिगृह्यातिसन्दध्यात् । इति ॥

(३) एवमुपलभ्य,

साथ हो जायेगे, अथवा यदि शत्रु ही मंत्री को मार डालेगा तो मंत्री का बन्धुवर्ग तथा दूसरे क्रुद्ध या लुब्ध लोग राजा के शत्रु बन जायेगे और तब बड़ी सरलता से उन्हें मैं अपने वश में कर सकूंगा, इस प्रकार दूसरे कर्मचारियों पर से भी राजा का विश्वास उठ जायगा और उस दशा में मैं, एक-एक करके सभी प्रमुख कर्मचारियों के नाम अभित्यक्त व्यक्तियों के हाथ जाली पत्र भेजकर, उनको भी मरवा डालूंगा ।'

( १ ) इसी प्रकार जो अभ्यन्तर शठ होते हैं वे बाह्य के प्रति यह सोचकर उपजाप करते हैं कि, 'इस बाह्य के कोप का मैं अपहरण कर सकूंगा अथवा इसकी सेना को मार डालूंगा, या अपने दुष्ट राजा को इसके द्वारा मरवा डालूंगा, या जब यह मेरे राजा को मारना स्वीकार कर लेगा तो उस समय इसे शत्रुओं तथा आटविकों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूंगा, तब इसकी सारी सेना वही युद्ध में फँसी रहेगी, उसका आपस में वैर बढ़ता रहेगा, उम अवस्था में यह मेरे अधीन हो जायेगा और ऐसा कार्य करके मैं अपने मालिक को प्रसन्न कर लूंगा, अथवा बाह्य को वश में करके उसका राज्य मैं स्वयं हड़प लूंगा, अथवा उसको कैद में डालकर उसकी भूमि को और अपने मालिक की भूमि को अपने अधिकार में कर लूंगा, अथवा बाह्य के किसी विरोधी से मिलकर उसके द्वारा इस बाह्य को मरवा डालूंगा, अथवा जब यह युद्ध में फँसा हो तब इसकी सूची राजधानी को भेजूंगा ।

( २ ) जो कल्याणबुद्धि होता है वह अपनी आजीविका को सुरक्षित रखते हुए साथी बनकर ही उपजाप किया करता है । इसलिए विजिगीषु जो चाहिए कि वह कल्याणबुद्धि के साथ सन्धि कर ले शठबुद्धि की बात को मानकर पीछे अवसर आने पर धोखा दे दे ।

( ३ ) इस प्रकार कल्याणबुद्धि और शठबुद्धि का निम्नय करके,



( १ ) परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्य स्वतः परे ।  
रक्षयाः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यमात्मा विपश्चिता ॥

इति अभिप्रास्यतरुमेणि नवमेऽधिरुणे पञ्चात्कोपचिन्ता बाह्याभ्यन्तरप्रकृति-  
कोपप्रतीकारश्चेति तृतीयोऽध्यायः , आदितस्त्रयोविरणमुत्तरशततम ।

— ० —

( १ ) कार्यतत्त्व को जानने वाले विद्वान् विजिगीषु को चाहिए कि वह जिन दूसरों को शठ समझता है उनकी बात को दूसरों पर प्रकट न होने दे । और जो अपने शठ हैं उनकी बात अपने पर भी प्रकट न होने दे, इसी प्रकार दोनों प्रकार के शठों पर एक दूसरे की बात को प्रकट न होने दे, अपने शठों की वह परार्थों से रक्षा करे और उनके अनुकूल या प्रतिकूल अभिप्राय को वह अपनी ओर से प्रकट न करे ।

अभिप्रास्यतरुमं नामरु नौवें अधिकरण में बाह्यकोपप्रतीकार नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

— १० : —

## क्षयव्ययलाभविपरिमर्शः

- (१) युग्यपुरुषापचयः क्षयः । हिरण्यधान्यापचयो व्ययः ।
- (२) ताभ्या बहुगुणविशिष्टे लाभे यायात् ।
- (३) आदेयः, प्रत्यादेयः, प्रसादकः प्रकोपको, ह्रस्वकालः, तनुक्षयः, अल्पव्ययो, महान्, वृद्धचुदयः, कल्पो, घर्म्यः, पुरोगश्चेति लाभसम्पत् ।
- (४) सुप्राप्यानुपालप्रः परेषामप्रत्यादेय इत्यादेयः ।
- (५) विपर्यये प्रत्यादेयः । तमादहनस्तत्रस्थो वा विनाशं प्राप्नोति ।
- (६) यदि वा पश्येत्—'प्रत्यादेयमादाय कोशदण्डनिचयरक्षाविधानान्यवस्त्रावयिष्यामि, खनिद्रव्यहस्तिवनसेतुबन्धवणिवपथानुद्धूतसारान्करि-

### क्षय, व्यय और लाभ का विचार

( १ ) हाथी घोड़े आदि सवारियों और राज-कर्मचारियों के नाश को क्षय कहते हैं । हिरण्य और धान्य आदि के नाश को व्यय कहते हैं ।

( २ ) विजिगीषु को चाहिए कि क्षय और व्यय का ध्यान रखकर जिस समय वह बहुगुणविशिष्ट लाभ की सम्भावना समझे उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान कर दे ।

( ३ ) लाभ के विशिष्ट बारह गुणों के नाम हैं १. आदेय २. प्रत्यादेय ३. प्रसादक ४. प्रकोपक ५. ह्रस्वकाल ६. तनुक्षय ७. अल्पव्यय ८. महान् ९. वृद्धचुदय १०. कल्प ११. घर्म्य और १२. पुरोग ।

( ४ ) जो बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सके, प्राप्ति के बाद सरलता से जिसकी रक्षा की जा सके और कालान्तर में भी जिसको सन्तुष्टी न सके । ऐसे लाभ को आदेय कहते हैं ।

( ५ ) आदेय से विपरीत लाभ को प्रत्यादेय कहते हैं । जो इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करता है अथवा उसी पर जीवन-निर्वाह करता है वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होता है ।

( ६ ) यदि विजिगीषु यह समझे कि 'प्रत्यादेय लाभ को प्राप्त कर मैं अपने शत्रु के कोप, सेना, अन्न-सचय और दुर्ग आदि के सुरक्षण साधनों को नष्ट कर सकूँगा, अथवा शत्रु के सान, द्रव्यवन, हस्तिवन, सेतुबन्ध और व्यापारी मार्ग आदि का शोषण

प्यामि; प्रकृतीरस्य कर्शयिष्यामि; आवाहयिष्यामि, आयोगेनाराघयिष्यामि वा, ताः परः प्रतियोगेन कोपयिष्यति; प्रतिपक्षे वास्य पण्यमेनं करिष्यामि; मित्रमवरुद्धं वास्य प्रतिपादयिष्यामि; मित्रस्य स्वस्व वा देशस्य षोडामत्रस्थस्तस्करेभ्यः परेभ्यश्च प्रतिकरिष्यामि; मित्रमाश्रयं वास्य वंगुण्यं ग्राहयिष्यामि, तदमित्रविरक्तं तत्कुलीनं प्रतिपत्स्यते; सत्कृत्य वास्मै भूमिं दास्यामि, इति, सहितसमुत्थितं मित्रं मे चिरायं भविष्यति' इति प्रत्यादेयमपि लाभमादधीत । इत्यादेयप्रत्यादेयो व्याख्यातौ ।

(१) अघामिकाधामिकस्य लाभो लभ्यमानः स्वेषां परेषां च प्रसादको भवति । विपरीतः प्रकोपक इति । मन्त्रिणामुपदेशाल्लामोऽलभ्यमानः कोपको भवति, 'अयमस्मानिः क्षयव्ययी ग्राहितः' इति । दूष्यमन्त्रिणामनादराल्लामो लभ्यमानः कोपको भवति, 'सिद्धार्थोऽयमस्मान् विनाशयिष्यति' इति । विपरीतः प्रसादकः । इति प्रसादककोपको व्याख्यातौ ।

कर उन्हें मारहीन बना दूँगा, या शत्रु के प्रकृतिमडल को कष्ट पहुँचा कर निर्बल बना दूँगा, या शत्रु की भूमि को प्राप्त करके उसके उपभोग के लिए शत्रु की प्रजा को लाकर बसा दूँगा, अथवा इच्छानुसार मुझ-साग्रनो की सुविधा देकर उन्हें अपने वध में कर लूँगा, या मरे द्वारा प्राप्त भूमि के पुनः छिन जाने पर अपने प्रतिद्वल आचरण से शत्रु वहाँ की प्रजा को कुपित कर देगा, या उस प्राप्त भूमि को शत्रु के हाथ बेच दूँगा, अथवा विशेष लाभ रहित उस भूमि में अपने मित्र या अपने पुत्र को स्थापित कर दूँगा, अथवा स्वयं ही उस भूमि का शासन करना हुआ मैं चोरो और शत्रुओं से अपने मित्र देश की रक्षा करूँगा, अथवा इस शत्रु के मित्र तथा आश्रय को इसके विरुद्ध उभाड़ दूँगा अथवा उस भूमि का शासन कर मैं ठीक-ठीक कर लेकर शत्रु की अयोग्यता और प्रजा की षोडा के सम्बन्ध में आश्रयभूत राजा से बहुत कुछ कहूँगा, जिससे किसी दूररे योग्य व्यक्ति को वहाँ का राज्यमिहामन मिलेगा, अथवा उस प्राप्त भूमि को मैं ही सम्मानपूर्वक शत्रु को वापिस कर दूँगा, इस सधि के कारण वह मेरा पक्का मित्र बन जायेगा'—ऐसी अवस्थाओं में विजिगीषु को चाहिए कि वह प्रत्यादेय लाभ को भी ले ले । यहाँ तक आदेय और प्रत्यादेय लाभ के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

( १ ) जो लाभ अघामिक राजा से धामिक राजा को प्राप्त हो तथा जो अपने तथा पराये लोका की प्रसन्नता का कारण हों उसे प्रसादक कहते हैं । इसके विपरीत लाभ को प्रकोपक कहते हैं । प्रकोपक लाभ भी दो प्रकार का होता है —मन्त्रियों के अनुसार कार्य करने पर भी लाभ का न होना प्रकोपक कहलाता है और जिस कार्य में व्यय का क्षय व्यय करके मन्त्रियों को पश्चात्ताप करना पड़े वह लाभ ग्राहित कह-

- (१) गमनमात्रसाध्यत्वाद्घ्नस्वकालः ।
- (२) मन्त्रसाध्यत्वात्तनुक्षयः ।
- (३) भक्तमात्रव्ययत्वादल्पव्ययः ।
- (४) तदात्ववंपुल्यान्महान् ।
- (५) अर्थानुबन्धकत्वाद् वृद्धचुदयः ।
- (६) निराबाधकत्वात्कल्यः ।
- (७) प्रशस्तोपादानाद्धर्म्यः ।
- (८) सामवायिकानामनिर्वन्धगामित्वात्पुरोग इति ।
- (९) तुल्ये लाभे, देशकाली शक्त्युपायौ प्रियाप्रियौ जवाजबौ सामीप्य-  
विप्रकर्षौ तदात्वानुबन्धौ सारत्वसातत्ये बाहुल्यबाहुगुण्ये च विमृश्य बहुगुण-  
युक्त लाभमाददीत ।

लाता है । राजद्रोही मंत्रियो के अनादर से जो लाभ प्राप्त हो वह भी प्रकोपक है, क्योंकि मंत्रियो के मन में यह शका हो जाती है कि सिद्धि लाभ करके अवश्य ही राजा उनको नष्ट कर देगा । प्रकोपक लाभ से विपरीत गुणसपन्न लाभ प्रसादक है । यहाँ तक प्रसादक और प्रकोपक के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

- ( १ ) अल्पधर्म और अल्पकालीन लाभ से प्राप्त लाभ ह्रस्वकाल कहा जाता है ।
- ( २ ) जो लाभ केवल उपजाय आदि से ही प्राप्त हो उसे तनुक्षय कहते हैं ।
- ( ३ ) जो लाभ केवल भोजन-भक्ता व्यय करके ही प्राप्त हो उसे अल्पव्यय कहते हैं ।
- ( ४ ) जो लाभ अत्यधिक मात्रा में तत्काल ही प्राप्त हो उसे महान् कहते हैं ।
- ( ५ ) जो लाभ भविष्य में भी अत्यधिक अर्थ प्राप्त कराने वाला हो उसे वृद्धचुदय कहते हैं ।
- ( ६ ) जिस लाभ में बागे किसी तरह की बाधा उपस्थित न हो उसे कल्य कहते हैं ।
- ( ७ ) जो लाभ प्रकाशयुद्ध आदि उपादानों से धर्मपूर्वक प्राप्त किया गया हो उसे धर्म्य कहते हैं ।
- ( ८ ) जो लाभ मित्रराजाओं ने निर्बाध रूप से बिना किसी शर्त के प्राप्त किया हो उसे पुरोग कहते हैं ।
- ( ९ ) यदि दोनों पक्षों में बराबर लाभ दिखाई दे तो ऐसा बहुगुणविशिष्ट लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसमें देश, काल, शक्ति, उपाय, प्रियाप्रिय, जवाजब, समीप-  
दूर, तात्कालिक, भविष्य में लगातार होना, बहुमूल्य, उपयोगी, अधिक और अत्युत्तम  
आदि गुण विद्यमान हो ।

(१) लामविघ्नाः—कामः कोपः साध्वसं कारुष्यं ह्योः अनार्यभावो मानः सानुश्रोता परलोकापेक्षा दाम्भिकत्वम् अत्याशित्वं दैन्यम् असूया हस्तगतावमानो दौरात्मिकमविश्वासो भयमतिकारः शीतोष्णवर्षाणामाक्षय्यं मङ्गलतिथिनक्षत्रोष्टित्वमिति ।

(२) नक्षत्रमतिपृच्छन्तं वालमर्योऽतिवर्तते ।  
अर्यो ह्यर्यस्य नक्षत्रं किं करिष्यन्ति तारकाः ॥

(३) नाधनाः प्राप्नुवन्त्यर्यान्निरा यत्नशतंरपि ।  
अर्यैरर्याः प्रवध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव ॥

इति अभियास्यत्वमंणि नवमऽधिकरणे क्षयव्ययलामविपरिमर्शो नाम  
चतुर्थोऽध्यायः, आदितश्चतुर्विंशत्युत्तरशततमः ।

— ० —

( १ ) लाम-विघ्न लाम मे इस प्रकार के विघ्न उपस्थित हो सकते हैं - काम, क्रोध, अग्रगल्भता ( साध्वस ), कृष्णा, लग्ना ( ह्यो ), विश्रामघ्नान ( अनार्य-भाव ) अहकार, दयाभाव ( सानुश्रोता ), परलोकमय ( परलोकापेक्षा ), दमभाव अन्याय से अधिक लाम प्राप्त करना ( अत्याशित्व ), दोनता असूया, हाथ में आयी चीज का तिरस्कार करना ( हस्तगतावमान ), दुर्भ्रंशहार ( दौरात्मिक ), अविश्वास, भय, शत्रु का तिरस्कार न करना ( अतिकार ), सर्दी, गर्मी तथा वर्षा आदि का सहन न करना और मंगल कार्यों के आरम्भ में तिथि, नक्षत्र आदि को देखना-ये सभी बात लाम के लिए वात्रास्वरूप हैं ।

( २ ) कार्य को आरम्भ करने में जो राजा नक्षत्र, तिथि, लग्न, मुहूर्त आदि आदि की अनुकूलता को अधिक पूछता है वह प्रमादी राजा कभी भी अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता है । प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त धन और आवश्यक साधनों को ही नक्षत्र समझना चाहिए, इस नक्षत्र-गणना से कुछ भी बनता विगडता नहीं है ।

( ३ ) धन और आवश्यक उपायों से रहित व्यक्ति मँकड़ो यत्न करने पर भी अपने अभीष्ट फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं । अर्यों का ही अर्यों के साथ सम्बन्ध होता है, जैसे एक हाथी के द्वारा दूसरे हाथी को बस में किया जाता है ।

अभियास्यत्वमं नामक नौवें अधिकरण में क्षयव्ययलामविपरिमर्शो नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

— ० —

- (१) सन्ध्यादीनामयथोद्देशावस्थापनमपनयः । तस्मादापदः सम्भवन्ति ।  
 (२) बाह्योत्पत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्तिर्बाह्यप्रतिजापा ।  
 बाह्योत्पत्तिर्बाह्यप्रतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा । इत्यापदः ।  
 (३) यत्र बाह्या अभ्यन्तरानुपजपन्ति, अभ्यन्तरा वा बाह्यान् तत्रोभय-  
 योगे प्रतिजपतः सिद्धिर्विशेषवती । सुव्याजा हि प्रतिजपितारो भवन्ति,  
 नोपजपितारः । तेषु प्रशान्तेषु नान्याञ्चशवनपुरुषजपितुमुपजपितारः ।  
 कृच्छ्रोपजापा हि बाह्यानामभ्यन्तरास्तेयामितरे वा । महतश्च प्रयत्नस्य  
 वधः, परेषामर्थानुबन्धश्चात्मनोज्य इति ।

### बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ

( १ ) सन्धि, विग्रह आदि छ गुणों का उनके उचित स्थानों पर उपयोग न करना ही अपनय है । इस अपनय के कारण ही सारी विपत्तियाँ पैदा होती हैं ।

( २ ) बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ चार तरह से पैदा होती हैं । १ राष्ट्र-मुख्य तथा अन्तपाल आदि बाह्य लोगों के द्वारा उत्पन्न और मन्त्री, पुरोहित आदि आभ्यन्तर लोगों के द्वारा प्रोत्साहित पहिली आपत्ति है, २ आभ्यन्तर लोगों के द्वारा उत्पन्न और बाह्य लोगों के द्वारा प्रोत्साहित दूसरी आपत्ति है, ३ बाह्य लोगों के द्वारा उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित तीसरी आपत्ति है, इसी प्रकार ४ आभ्यन्तर लोगों के द्वारा उत्पन्न और उन्हीं से प्रोत्साहित चौथी आपत्ति है ।

( ३ ) जहाँ अपने देश के लोग विदेशियों से या विदेशी लोग अपने देश के लोगों से मिलकर पड़्यन्त्र रचते हैं, उनमें से जो लोग पड़्यन्त्र करने के लिए बहकाये गये ( प्रतिजापिता ) हैं उनको साम, दाम आदि उपायों से अपने वश में कर लेना अधिक लाभप्रद है, क्योंकि ऐसे लोगों का उद्देश्य धन लेना होता है । किन्तु पड़्यन्त्र के लिए बहकाने वाले ( उपजपिता ) लोगों को सहज ही में वश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके उद्देश्य का पता लगाना बड़ा कठिन होता है । इस प्रकार प्रतिजापित लोगों को यदि एक बार शान्त कर दिया जाय तो उपजपित फिर दूसरे लोगों को, भेद फूट जाने के भय से, उनको जगह संभार करने का साहस नहीं कर पाते हैं । ऐसी स्थिति में बाह्य लोगों का आभ्यन्तर लोगों से और आभ्यन्तर लोगों

(१) अभ्यन्तरेषु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुञ्जीत । स्थानमानकर्म सान्त्वम् । अनुग्रहपरिहारौ कर्मस्वायोगो वा दानम् ।

(२) बाह्येषु प्रतिजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सत्रिणो मित्रव्यञ्जना वा बाह्यानां चारमेवां द्रूपुः—'अयं वो राजा द्रुष्यव्यञ्जनैरतिसन्धातुकामो, बुध्यध्वम्' इति । द्रुपेषु वाद्रुष्यव्यञ्जनाः प्रणिहिता द्रुष्यान् बाह्यं भेदयेयुः, बाह्यान् वा द्रुष्यैः । द्रुष्याननुप्रविष्टा वा तीक्ष्णाः शस्त्ररसाभ्यां हन्युः । आहूय वा बाह्यान् घातयेयुरिति ।

(३) यत्र बाह्या बाह्यानुपजपन्ति, अभ्यन्तरानभ्यन्तरा वाः तत्रैकान्त-

का बाह्य लोगो से उपजाप करना बड़ा कठिन हो जाता है । उपजाप को स्वीकार करके यदि फिर वह फूट जाय तो उपजापिता का बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके एक महान् प्रयत्न को हत्या हो जाती है । इस तरह पड़्यन्त्र का भडाफोड हो जाने पर उपजाप्य व्यक्ति तो अपने स्वामी की प्रसन्नता से अभीष्ट लाभ को प्राप्त करता है और उपजापिता व्यक्ति अपने स्वामी की अप्रसन्नता से अनर्थ का भागी होता है ।

( १ ) यदि मन्त्री, पुरोहित आदि आभ्यन्तर व्यक्ति ही पड़्यन्त्रकारियों को प्रोत्साहित करने वाले हो तो उन्हें साम और दान उपायो से शान्त कर देना चाहिए । विशेषाधिकार स्थानो पर नियुक्त करना तथा विशेष सम्मान देना साम कहलाता है, और धन देना, कर्जा तथा कर आदि से मुक्त कर देना एव विशेष कार्यों में प्राप्त सम्पूर्ण फल को दे देना दान कहलाता है ।

( २ ) यदि पड़्यन्त्र को प्रोत्साहित करने वाले लोग बाहरी हो तो उन्हें शान्त करने के लिए भेद और दण्ड का प्रयोग करना चाहिए । मित्र के छद्मवेश में रहने वाले गुप्तचर सभी उन बाहरी लोगो से राजा के गुप्त भेद का यह कह कर उद्घाटन करें कि 'आपका यह राजा राजद्रोहियों के द्वारा आपको मध्यस्थ बनाकर धोखा देना चाहता है । इस रहस्य पर ध्यान देते हुए आप कभी भी इस कार्य में ब्रह्म न रखें ।' अथवा राजद्रोहियों के गुप्त वेप में रहकर विजिगीषु के गुप्तचर भीतरी राजद्रोहियों से बाहरी लोगो का और बाहरी लोगो से भीतरी राजद्रोहियों से का भेद डाल दें । अथवा तीक्ष्ण गुप्तचर राजद्रोहियों के बीच में घुमकर शस्त्र या विष के द्वारा उनका घघ कर डाले, अथवा किसी बहाने से बाह्य को अलग ले जा कर चुपचाप उसका वध कर दिया जाय ।

( ३ ) यदि बाहरी, बाहरी लोगो के साथ और आभ्यन्तर, आभ्यन्तर लोगो के साथ पड़्यन्त्र रचें और वहाँ यदि समानजातीय पड़्यन्त्रकारी हो तो उनमें जो उपजा-

योग उपजपितुः सिद्धिविशेषवती । दोषशुद्धौ हि द्रूप्या न विद्यन्ते । द्रूप्य-  
शुद्धौ हि दोषः पुनरन्यान् द्रूपयति ।

(१) तस्माद्बाह्येषूपजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सत्रिणो मित्रव्यञ्जना  
वा द्रूप्युः—'अयं वो राजा स्वयमादातुकामः, विगृहीताः स्य अनेन राजा,  
बुध्यध्वम्' इति । प्रतिजपितुर्वा ततो दूतदण्डाननुप्रविष्टास्तीक्ष्णाः शस्त्रर-  
सादिभिरेषां छिद्रेषु प्रहरेयुः । ततः सत्रिणः प्रतिजपितारमभिशंसेयुः ।

(२) अभ्यन्तरानभ्यन्तरेषूपजपत्सु यथाहंमुपायं प्रयुञ्जीत । तुष्टलिङ्ग-  
मत्तुष्टं विपरीतं वा साम प्रयुञ्जीत ।

(३) शौचसामर्थ्यापदेशेन व्यसनाभ्युदयापेक्षणेन वा प्रतिपूजनमिति  
दानम् ।

(४) मित्रव्यञ्जनो वा द्रूयादेतान्—'चित्तज्ञानार्थमुपधास्यति वो राजा,

पिता हो उसे अपने पक्ष में कर लेना लाभप्रद होता है, क्योंकि उसके न रहने पर  
पड़्यन्त्र आगे नहीं बढ़ पाता है । द्रूप्य व्यक्तियों को यदि शान्त किया जाय तो उनके  
दोष दूसरे अनेक लोगों को राजद्रोही बनाने में सहायक होते हैं ।

( १ ) इसलिए पड़्यन्त्रकारी बाह्य लोगों को भेद और दण्ड के द्वारा दवाना  
चाहिए । विद्रोहियों के मित्रवैप में रहने वाले गुप्तचर उनसे कहें 'आपको समझ लेना  
चाहिए कि यह राजा आप लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा गिरफ्तार कराना चाहता  
है । इसलिए आप लोगों को उचित है कि इस राजा से विश्रह कर दें ।' अथवा  
पड़्यन्त्रकारी के पास किसी बहाने में जाकर छद्मवैप गुप्तचर शस्त्र या विप आदि के  
द्वारा उसको मार डालें । उसके बाद गुप्तचर इस बात का प्रचार करें कि उपजा-  
पिताओं की प्रतिजापिताओं ने मारा है, जिससे कि उनमें परस्पर अविश्वास पैदा  
हो जाय ।

( २ ) इसी प्रकार भीतरी लोगों के साथ पड़्यन्त्र रचनेवाले भीतरी लोगों में भी  
आवश्यकतानुसार साम आदि उपायों का प्रयोग किया जाय । अवस्था को देखते हुए  
उन पर सतोप के सूचक, पर वस्तुतः असतोपप्रद साम का अथवा असतोप के सूचक,  
पर वस्तुतः सतोपजनक साम का प्रयोग किया जाय ।

( ३ ) शौच या सामर्थ्य के बहाने, तथा बहु-वियोग आदि के दुःखमय अवसर  
पर या पुत्रोत्सव आदि के सुखमय अवसर पर वस्त्र तथा आभरण के द्वारा किया गया  
सत्कार ही दान के प्रयोग का तरीका कहलाता है ।

( ४ ) अथवा बनाबटो मित्र बने हुए खुफिया लोग उन आभ्यन्तर पड़्यन्त्रकारियों  
से कहें 'तुम्हारे हृदयस्थ भावों को जानने के लिए धन देकर राजा तुम्हारी परीक्षा



तदस्याख्यातव्यम्' इति । परस्पराद्वा भेदयेद्वेनान्-असौ चासौ च वो राज-  
न्येवमुपजपति । इति भेदः ।

(१) दाण्डकर्मिकवच्च दण्डः ।

(२) एतासा चतसृणामापदामभ्यन्तरामेव पूर्वं साधयेत् । 'अहिभया-  
दभ्यन्तरकोपो बाह्यकोपात्पापीयान्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

(३) पूर्वा पूर्वा विजानीयाल्लघ्वीमापदमापदाम् ।  
उत्थिता बलवद्भूयो वा गुर्वी लघ्वी विपर्यये ॥

इति अभियाम्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे बाह्याभ्यन्तराश्रापदो नाम पञ्चमोऽध्यायः,  
आदितः पञ्चविंशत्युत्तरशततमः ।

— ० :—

लेया । इसलिए तुम्हें अपने मन की बात सच सच कह देनी चाहिए ।' इस प्रकार  
कह देने से वे डर जायेंगे । अथवा उनकी आपस में यह कहकर कि 'अमुक-अमुक  
व्यक्ति राजा से तुम्हारी शिकायत कर रहा था' फूट डलवा दे ।

( १ ) ऐसे प्रसङ्गों में दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपाशुदण्ड का प्रयोग  
करना चाहिए ।

( २ ) उक्त चारों प्रकार की आपत्तियों में सर्वप्रथम आभ्यन्तर आपत्ति का प्रती-  
कार करना चाहिए, क्योंकि वह अधिक अनर्थकारी होती है । पहले भी इस बात का  
संकेत दिया जा चुका है कि बाह्यकोप की अपेक्षा आभ्यन्तर कोप घर के साँप की  
तरह अधिक भयानक होता है ।

( ३ ) पूर्वोक्त आपत्तियों में क्रमशः पूर्व-पूर्व की आपत्ति अपेक्षया लघु होती है,  
फिर भी जिस आपत्ति के पीछे बलवान् का हाथ हो उसका प्रतीकार पहिले करना  
चाहिए और इसी प्रकार निर्वल शत्रु के द्वारा पैदा की गयी सबसे बड़ी आपत्ति को  
लघु ही समझना चाहिए ।

अभियाम्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में बाह्याभ्यन्तरापद नामक  
पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० .—

(१) दूष्येभ्यः शत्रुभ्यश्च द्विविधाः शुद्धाः ।

(२) दूष्यशुद्धाया पौरुषेण जानपदेषु वा दण्डवर्जानुपायान् प्रयुञ्जीत । दण्डो महाजने क्षेप्तुमशक्यः, क्षिप्तो वा तं चार्यं न कुपति । अन्यं चानर्थ-मुत्पादयेत् । मुखेषु त्वेषां दाण्डकमिकवच्चेष्टेतेति ।

(३) शत्रुशुद्धायां यतः शत्रुः प्रधानः कार्यो वा, ततः सामादिभिः सिद्धि-लिप्सेत ।

(४) स्वामिन्यायत्ता प्रधानसिद्धिः, मन्त्रिष्वायत्तायत्तसिद्धिः, उभया-यत्ता प्रधानायत्तसिद्धिः ।

### राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ

( १ ) राजद्रोहियो और शत्रुओ द्वारा उत्पन्न दो प्रकार की आपत्तियाँ हैं एक दूष्यशुद्धा और दूसरी शत्रुशुद्धा ।

( २ ) दूष्यशुद्धा आपत्तियो के प्रतीकार के लिए नगरनिवासियो को तथा जनपद निवासियो को, राजद्रोहियो पर, दण्ड को छोड कर बाकी सभी साम, दान, भेद आदि उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बडे आदमियो पर सहसा दण्ड का प्रयोग कर देना असम्भव हुआ करता है । यदि उन पर दण्ड का प्रयोग किया भी जाय तो उससे अभीष्ट की सिद्धि नही हो पाती, वरन् उससे कुछ दूसरा ही अनर्थ हो जाता है । इस प्रकार यदि साम आदि उपायो द्वारा उन प्रमुख राजद्रोहियो को शांत न किया जा सके तो उन पर दाण्डकमिक प्रकरण में निदिष्ट नियमों के अनुसार उपाशु-दण्ड का प्रयोग किया जाय ।

( ३ ) शत्रुशुद्धा अर्थात् शत्रुद्वारा उत्पन्न की गई किसी भी प्रकारकी आपत्ति को दूर करने के लिए उन सामलो पर साम आदि उपायो का प्रयोग किया जाय, शत्रु-मत्री या अमात्य आदि जिनके अधीन हो ।

( ४ ) मत्री द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति का प्रतीकार स्वयं राजा को ही करना चाहिए । नायत्तसिद्धि अर्थात् कार्य शब्द से कहे गये अमात्य आदि की आपत्ति का प्रतीकार मत्रियो द्वारा की जानो चाहिए । इसी प्रकार मत्री और अमात्य, दोनों के द्वारा की गई आपत्ति का प्रतीकार राजा और मत्री की करना चाहिए ।

(१) द्रूप्याद्रूप्याणामामिथितत्वादामिथा । आमिथायामद्रूप्यतः सिद्धिः । आलम्बनाभावे ह्यालम्बिता न विद्यते । मित्रामित्राणामेकीभावात्परमिथा । परमिथायां मित्रतः सिद्धिः । सुकरो हि मित्रेण सन्धिर्नामित्रेणेति ।

(२) मित्र चेन्न सन्धिमिच्छेदभीष्णमुपजपेत्, ततः सत्रिभिरमित्राद्भेदयित्वा मित्र लभेत । मित्रामित्रसङ्घस्य वा योऽन्तस्थायी तं लभेत । अन्तस्थायिनि लब्धे मध्यस्थायिनो मिद्यन्ते । मध्यस्थायिनं वा लभेत । मध्यस्थायिनि वा लब्धे नान्तस्थायिनः सहन्यन्ते । यथा चंपामाश्रयभेदस्तानुपायान्प्रयुञ्जीत ।

(३) धार्मिकं जातिकुलश्रुतवृत्तस्तवेन सम्बन्धेन पूर्वेषा अंकालयोपकारानपकाराभ्या वा सान्त्वयेत् ।

(४) निवृत्तोत्साहं विप्रहृथान्तं प्रतिहतोपायं क्षयव्ययाम्या प्रवासेन

( १ ) द्रूप्य और अद्रूप्य, दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति को आमिथ्र या मिथ्रित कहते हैं । आमिथ्र आपत्ति का प्रतीकार करने के लिए अद्रूप्य को ही साम आदि उपायों के द्वारा अनुकूल बनाना चाहिए, क्योंकि अद्रूप्यो ( राजभक्तो ) का सहारा लेकर ही द्रूप्य ( राजद्रोही ) आपत्तिजनक होना है । उनका सहारा न पाकर द्रूप्य अपने आप शात हो जाता है । मित्र और शत्रु, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति को परमिथ्र या शत्रुमिथ्र कहते हैं । परमिथ्र आपत्ति में शत्रु के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मित्र के साथ सधि हो जाना सरल होता है और शत्रु के साथ इस तरह सधि होना कठिन रहता है ।

( २ ) मित्र यदि सधि करने के लिए राजी न हो तो बार-बार उसे शत्रु से मित्र करने का उपाय करना चाहिए । सत्री आदि गुप्तचरों के द्वारा भेद डलवाकर मित्र को अपनी ओर करना चाहिए । मित्र और शत्रु सधि के अंत में रहने वाले सामंत को अपनी ओर मिलाना चाहिए, क्योंकि अंत में रहने वाले सामंत के वश में हो जाने पर मध्यस्थ राजा अपने आप फूट जाते हैं । अथवा मध्यस्थ सामंत को ही अपने वश में कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको वश में कर लेने पर अंत में रहने वाले राजा आपस में नहीं मिल पाते हैं । अथवा जिस उपाय से भी शत्रु और मित्र अपने शक्तिशाली आश्रयदाता से भिन्न रह सकें वैसे उपाय करना चाहिए ।

( ३ ) जाति, कुल, श्रुत ( शास्त्र ज्ञान ) और वृत्त ( सदाचार ) आदि के स्तुति वचनों से तथा उनके कुलवृद्धों का सदा उपकार या अनपकार के द्वारा धार्मिक राजा को शात करना चाहिए ।

( ४ ) उत्साहहीन, युद्धविमुख, निष्फल उपाय, क्षय, व्यय और प्रवास से सतप्त,

घोपतप्तं शौचेनान्यं लिप्समानमन्यस्माद्वा शङ्कमानं मैत्रीप्रधानं वा कल्याण-  
बुद्धिं साम्ना साधयेत् ।

( १ ) लुब्ध क्षीण वा तपस्विमुत्प्यावस्थापनापूर्वं दानेन साधयेत् ।

( २ ) तत् पञ्चविधम्—देयविसर्गो, गृहीतानुवर्तनम्, आत्तप्रतिदानम्,  
स्वद्रव्यदानमपूर्वम्, परस्वेषु स्वयंग्राहदानं चेति दानकर्म ।

( ३ ) परस्परद्वेषवैरभूमिहरणशङ्कितमतोऽन्यतमेन भेदयेत् । भीहं वा  
प्रतिघातेन, 'कृतसन्धिरेष त्वयि कर्म करिष्यति, मित्रमस्य निसृष्टं; सन्धौ  
वा नाभ्यन्तर' इति ।

( ४ ) यस्य वा स्वदेशादन्यदेशाद्वा पण्यानि पण्यागारतयागच्छेयुः,  
तान्यस्य 'यातव्याल्लब्धानि' इति सत्रिणश्चारयेयुः । बहुलीभूते शासनम-  
भिव्यक्तं प्रेषयेत्—'एतत्ते पण्यं, पण्यागारं वा मया ते प्रेषितं, सामवायि-

ईमानदारी से किसी दूसरे राजा को अपना मित्र बनाने को इच्छुक, हमारे पर विश्वास  
न करने वाले और सबके साथ मित्र-भाव का व्यवहार करने वाले कल्याणबुद्धि राजा  
को साम उपाय के द्वारा ही शांत करना चाहिए ।

( १ ) लोभी अथवा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को  
जामिन बनाकर दान के द्वारा वश में करना चाहिए ।

( २ ) वह दान पाँच प्रकार का होता है १. देयविसर्ग ( ग्रहण की हुई भूमि में  
ब्राह्मण आदि के लिए छोड़ा गया कुछ भाग ) २. गृहीतानुवर्तन ( पूर्वजों द्वारा गृहीत  
भूमियों के लिए प्रतिपेध न करना ) ३. आत्त प्रतिदान ( गृहीत भूमि को फिर  
वापस दे देना ) ४. नये सिरे से स्वयं ही देना और ५. शत्रुदेश से लूटे हुए धन को  
लूटने वालों को ही दे देना ।

( ३ ) जो राजा आपसी द्वेष, वैर रखता हो तथा जिसके प्रति भूमि का अपहरण  
करने की आशका हो उसे इन्हीं द्वेष्य आदि किसी एक के द्वारा भिन्न कर देना चाहिए ।  
भीरु राजा को प्राणघात का भय देकर भिन्न कर देना चाहिए, अथवा यह कह कर  
उसको अलग कर देना चाहिए कि इस समय तो बलवान् राजा तुमसे सधि कर लेगा  
पर बाद में तुम्हो पर आक्रमण कर देगा । क्योंकि सधि करने के लिए विजिगीषु के  
पास भी उसने अपना आदमी भेज दिया है । अथवा यह कह कर अलग कर दे कि  
शत्रु तथा मित्र के साथ सधि करते समय उसने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था ।

( ४ ) अपने देश या शत्रु के देश से बाजार में बिकने के लिए यदि कोई चीज  
आये तो सत्री गुप्तचर उसके सबध में यह अफवाह उड़ा दें कि यह सामान छिपे तौर  
पर सधि करने की इच्छा रखने वाले यातन्य से आया है । जब यह अफवाह सर्वत्र  
फैल जाय तब वध के लिए निश्चित पुरुष ( अभिव्यक्त ) के हाथ एक जाली पत्र

केषु विक्रमस्व, अपगच्छ वा, ततः पणशेषमवाप्स्यसि' इति । ततः सत्रिणः परेषु ग्राह्येषुरेतदरिप्रदत्तमिति ।

(१) शत्रुप्रख्यातं वा पण्यमविज्ञातं विजिगीषुं गच्छेत् । तदस्य वंदेहक-व्यञ्जनाः शत्रुमुख्येषु विक्रीणीरन् । ततः सत्रिणः परेषु ग्राह्येषुः—'एतत्पण्य-मरिप्रदत्तम्' इति ।

(२) महापराधानर्थमानाभ्यामुपगृह्य वा शस्त्ररसाग्निभिरमित्रे प्रणि-दध्यात् । अर्थकममात्यं निष्पातयेत् । तस्य पुत्रदारमुपगृह्य राज्ञौ हतमिति ख्यापयेत् । अथामात्यः शत्रोस्तानेकैकशः प्ररूपयेत् । ते चेद्यथोक्तं कुर्युर्न चैनान्प्राहयेत् । अशक्तिमतो वा प्राहयेत् । आप्तभावोपगतो मुख्यादस्या-

लिखकर भेजना चाहिए । उस पत्र का आशय हो 'यह थोड़ा-बहुत सामान जो मैंने आपके लिए भेजा है और साथ ही बाजार में विकने योग्य बड़ा सामान भी भेज रहा हूँ । मेरे शत्रु की सहायता करने वाले राजाओं पर तुम आक्रमण करो अथवा उन्हें छोड़कर मेरी सहायता के लिए तैयार बने रहो । शर्तनामे का बाकी धन तुम्हें 'चढ़ाई कर देने के बाद मिलेगा ।' उसके बाद सत्री गुप्तचर अन्य सामवायिक राजाओं को यह विश्वास दिला दें कि यह पत्र उनके शत्रु द्वारा ही भेजा गया है ।

( १ ) अथवा सामवायिक राजाओं से किसी एक के साथ सबध जोड़कर, रत्न आदि बाजारू सामान बिना किसी के जाने हुए किसी तरह विजिगीषु के पास पहुँचा दिया जाय । उसके बाद व्यापारियों के वेप में रहने वाले गुप्तचर सामवायिक राजाओं में से किसी एक के हाथ उसको बेच दे, उसके बाद सत्री गुप्तचर दूसरे सामवायिक राजाओं के यहाँ जाकर पुलिस द्वारा उस सामान को बरामद करा दे और तब यह सिद्ध करे कि 'यह सामान आपके शत्रु द्वारा यहाँ अमुक-अमुक व्यक्तियों के पास बेचने के लिए भेजा गया है ।' इसका परिणाम यह होगा कि सामवायिक राजाओं को यह विश्वास हो जायेगा कि हम में से कोई राजा विजिगीषु के साथ मिला हुआ है । इस प्रकार उनमें परस्पर फूट पड़ जायेगी ।

( २ ) विजिगीषु को चाहिए कि अपने महापराधी अमात्य आदि को भूमि, हिरण्य आदि धन तथा मान-समान देकर अपने वश में करे और फिर उन्हें शत्रु पर शस्त्र, रस आदि के द्वारा आक्रमण करने के लिए नियुक्त कर दे । पहिले इस प्रकार के महापराधी एक ही अमात्य को शत्रु के यहाँ भेजे । उसके चले जाने के बाद उसके स्त्री-पुत्रों को किसी एकांत स्थान में छिपा कर यह अफवाह फैला दे कि राजा ने उनको रात में मरवा डाला है । जब उस अमात्य पर शत्रु का पूरा विश्वास जम जाय तो वह, विजिगीषु के यहाँ से आये हुए अन्य अमात्यों का एक-एक करके राजा से यह परिचय करा दे कि ये लोप विजिगीषु के द्वेष के कारण निकल भागे हैं और

त्मानं रक्षणीयं कथयेत्; अथामित्रशासनं मुष्पापोपघाताय प्रेषितमुभय-  
चेतनो ग्राहयेत् ।

(१) उत्साहशक्तिमतो वा प्रेषयेत्—‘अमुष्य राज्यं गृहाण यथास्थितो  
न सन्धिः’ इति । ततः सत्रिणः परेषु ग्राहयेयुः ।

(२) एकस्य स्कन्धावार विवधमासार वा घातयेयुः, इतरेषु मैत्रौ  
द्रुवाणाः । त सत्रिणः ‘त्वमेतेषा घातयितव्यः’ इत्युपजपेयुः ।

(३) यस्य वा प्रवीरपुरुषो हस्ती ह्यो वा म्रियेत, गूढपुरुष्यर्हन्येत ह्रियेत  
वा, त सत्रिणः परस्परोपहत यूयुः । ततः शासनमभिशस्तस्य प्रेषयेत्—  
‘भूयः कुरु ततः पणशेषमवाप्स्यसि’ इति । तदुभयचेतना ग्राहयेयुः ।

आपकी सेवा में रहने योग्य हैं । यदि वे अमात्य आदि विजिगीषु की आज्ञानुसार  
शस्त्र, विष आदि का ठीक ठीक प्रयोग कर दें तो उनका भेद गुप्त बना रहने दे और  
यदि वे शत्रु को मारने में अपनी असमर्थता प्रकट करें तो उनका भेद खोलकर शत्रु  
द्वारा ही उन्हें गिरफ्तार करा दे । विजिगीषु द्वारा निकाला हुआ वह अमात्य साम-  
वायिक राजाओं के प्रमुख से, यह कह कर भेद डाले कि ‘आपको सामवायिक राजाओं  
के प्रमुखों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग विश्वास योग्य नहीं हैं ।’  
उसके बाद साधारण सामवायिक राजाओं के उच्छेद के लिए शत्रु द्वारा भेजी हुई पूर्व  
लिखित कूट आज्ञा को उभयचेतन भोगी व्यक्तियों द्वारा प्रमुख सामवायिक राजाओं  
के पास पहुँचा दे ।

( १ ) अथवा किसी उत्साही, शक्ति-संपन्न एक ही सामवायिक के पास उस कूट  
आज्ञा को भिजवाये । उस आज्ञापत्र का मसविदा इस प्रकार होना चाहिए ‘आप उस  
मुख्य सामवायिक राजा के राज्य को ले लें, पूर्व निश्चित सधि अब स्वीकार नहीं की  
जा सकती है ।’ इसके बाद सत्री गुप्तचर दूसरे सामवायिकों को यह सूचित कर दे कि  
अमुक मुख्य सामवायिक के पास इस आशय का एक पत्र आया है ।

( २ ) अथवा सत्री गुप्तचर किसी एक सामवायिक राजा की छावनी ( स्कन्धा-  
वार ), आयात निर्यात के मार्ग तथा उसके मित्रबल को नष्ट कर दें । दूसरे साम-  
वायिक राजाओं से वे अपनी मित्रता बनाये रखें, जिससे कि उनको गुप्त रहस्य का  
पता न लगे । उसके बाद वह सत्री गुप्तचर उम सामवायिक राजा की दूसरे सामवा-  
यिक राजाओं से यह कह कर फूट डाल दे कि ‘ये सामवायिक राजा उसे मारना  
चाहते हैं । ऐसी अवस्था में उनके साथ तुम्हारी सधि कैसे मजबूत है ?’

( ३ ) अथवा सामवायिक राजाओं में किसी राजा का कोई वीर सैनिक, हाथी  
या घोड़ा मर जाय या गुप्तचरों द्वारा मार दिया जाय अथवा अपहरण कर लिया  
जाय, तो सत्री गुप्तचर उसको किसी दूसरे सामवायिक द्वारा मारा गया बतायें ।

(१) भिन्नेष्वन्यतमं लभेत ।

(२) तेन सेनापतिकुमारदण्डचारिणो व्याख्याताः ।

(३) साङ्घिकं च भेदं प्रयुञ्जीत । इति भेदकर्म ।

(४) तीक्ष्णमुत्साहिनं व्यसनिनं स्थितशत्रुं वा गूढपुरुषाः शस्त्राग्निरसादिभिः साधयेयुः । सौकर्यतो वा तेषामन्यतमः । तीक्ष्णो ह्येकः शस्त्ररसाग्निभिः साधयेत् । अयं सर्वसन्दोहकर्म विशिष्टं वा करोति । इत्युपायचतुर्वर्गः ।

(५) पूर्वः पूर्वश्रास्य लघिष्ठः । सान्त्वमेकगुणम् । दानं द्विगुणं सान्त्वपूर्वम् । भेदस्त्रिगुणः सान्त्वदानपूर्वः । दण्डश्चतुर्गुणः सान्त्वदानभेदपूर्वः ।

मारनेवालो मे जिस सामवायिक राजा का नाम लिया जाय उसके पास एक बनावटी पत्र भेजा जाय, जिसका मजमून इस प्रकार हो 'इसी प्रकार तुम दूसरे सामवायिक राजाओ का नुकसान करते रहो । उसके बाद तुम्हे बाकी धन दे दिया जायेगा ।' उस पत्र को उभयवेदनभोगी गुप्तचर सामवायिक राजाओ तक पहुँचा दें । इस प्रकार सामवायिक राजाओ के बीच फूट डालने का यत्न किया जाय ।

( १ ) इस प्रकार जब सामवायिक राजाओ मे फूट पड जाय तो उनमे से किसी एक राजा को अपने वश मे कर लेना चाहिए ।

( २ ) भेद डालने के लिए जो उपाय सामवायिक राजाओ के सबध मे ऊपर बताये गये हैं वही उपाय सेनापति, युवराज तथा अन्य सैनिक अधिकारियो के लिए भी उपयोग मे लाने चाहिए ।

( ३ ) सघवृत्त प्रकरण मे निरूपित उपायो का आवश्यकतानुसार, यहाँ भी प्रयोग किया जा सकता है । यहाँ तक भेद-कार्यों का निरूपण किया गया ।

( ४ ) असह्यशील, उत्साही, व्यसनी तथा दुर्ग-सपन्न शक्तिशाली शत्रु को गुप्तचर मिलकर शस्त्र, अग्नि तथा विष के प्रयोगो द्वारा मार डालें । अथवा उनमे से कोई एक ही समर्थ गुप्तचर ऐसे शत्रुओ को मार डाले, क्योंकि एक ही गुप्तचर पूर्वोक्त अनेक प्रकार के उपायो द्वारा सब प्रकार के शत्रुओ को अकेले ही मार सकता है । इस प्रकार का एक गुप्तचर वह कार्य कर सकता है, जो अनेक गुप्तचर मिलकर भी नहीं कर पाते हैं । यहाँ तक साम, दान, भेद और दण्ड, इस चतुर्वर्ग का निरूपण किया गया ।

( ५ ) उक्त चारो उपायो मे पूर्व-पूर्व उपाय लघु होते हैं । साम मे एक ही गुण होता है, दान मे दो गुण होते हैं क्योंकि 'सान्त्वना' और 'दान', इसके दो अवयव हैं । भेद मे तीन गुण होते हैं, क्योंकि 'साम', 'दान' और 'भेद', उसके तीन अंग हैं । इसी प्रकार दण्ड के चार अवयव होते हैं, तीन पहिले के और एक वह स्वय ।

(१) इत्यभियुञ्जानेपूक्तम् । स्वभूमिष्ठेषु तु त एवोपायाः । विशेषस्तु । स्वभूमिष्ठानामन्यतमस्य पण्यागारैरभिज्ञातान्द्रुतमुख्यानभीक्षणं प्रेषयेत्, त एन सन्धौ परहिंसाया वा योजयेयुः, अप्रतिपद्यमानं कृतो नः सन्धिः इत्या-  
वेदयेयुः । तमितरभेषामुभयवेतनाः सङ्क्रामयेयुः—अय वो राजा दुष्टः इति ।

(२) यस्य वा यस्माद्भयं वैरं द्वेषो वा, तं तस्माद्भेदयेयुः—‘अय ते शत्रुणा सन्धत्ते, पुरा त्वामतिसन्धत्ते, क्षिप्रतरं सन्धीयस्व, निग्रहे चास्य प्रयतस्व’ इति ।

(३) आवाहविवाहाभ्या वा कृत्वा संयोगमसंयुक्ताभेदयेत् ।

(४) सामन्तादविकतत्कुलीनावरुद्धैश्चैषा राज्यं निघातयेत् । सार्य-  
वजाटवीर्षा । दण्डं वाभिसृतम् । परस्परापाश्र्वयाश्चैषां जातिसङ्घाशिष्ठद्रेषु  
प्रहरेयुः । गूढाश्रान्निरसशस्त्रेण ।

( १ ) आक्रमणकारी शत्रु तथा मित्र आदि सामवायिको को भी इन्ही उपायो के द्वारा शांत किया जा सकता है । इन पर तभी उक्त उपायो का प्रयोग किया जाय, जब तक कि आक्रमण के लिए प्रस्थान न करके अपनी ही भूमि में स्थित हो । उनके सबध में विशेष बात यह है कि आक्रमण करने से पूर्व जब वे अपनी ही भूमि में वर्तमान हो उस समय अच्छी जानकारी रखनेवाले दूत-मुख्य उनमें से किसी एक के पास भणि मुक्ता लेकर जायें और उसको अपने साथ सन्धि करने या दूसरे को मारने के लिए राजी करें । यदि वह सन्धि करना स्वीकार न भी करे तब भी दूतमुख्य यह अफवाह फैला दे कि अमुक राजा ने हमारे साथ सन्धि कर ली है । उस अफवाह को उभयवेतनभोगी व्यक्ति दूसरे मित्र राजाओं अथवा शत्रु-राजाओं तक पहुँचा दें; और कहे, कि ‘अमुक राजा बड़ा दुष्ट है । उसने आप से कुछ न कह कर विजिगीषु राजा से चुपचाप सन्धि कर ली है ।’

( २ ) इस प्रकार गुप्तचर जिस राजा से शत्रुता, द्वेष या भय की आशका रखने हों उसको अन्य राजाओं से मित्र कर दे, वल्कि उनसे यह कहे कि ‘देखो, यह राजा आपके शत्रु से सधि करता है । बाद में यह तुम्हें भी दबा लेगा । इसलिए आप जल्दी से अपने शत्रु विजिगीषु से सधि कर लें और इस अपने घोखेवाज मित्र को काबू में करने का प्रवध करें ।

( ३ ) अक्राह ( कन्या स्वीकार करण ) अथवा विवाह ( कन्यादान करना ) आदि के द्वारा सबध जोडकर ऐसे सबधरहित दूसरे राजाओं में फूट उत्पन्न करना चाहिए ।

( ४ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह सामंत, आटविक या उनके मित्रों अथवा उनके शत्रुओं के कुल में पैदा हुए अवरुद्ध राजकुमारों के द्वारा उनके राज्य को हानि पहुँचाने का यत्न सोचे । अथवा उनके व्यापार-भार को ढोने वाले पशुओं, दूसरे गाय-



( १ ) वित्तसगिलवच्चारीन् योगंराचरितैः शठः ।  
घातयेत्परमिश्राया विश्वासेनामिषेण च ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे दूष्यशत्रुसयुक्ता नाम षष्ठोऽध्यायः ,  
आदित सप्तविंशत्युत्तरशततमः ।

— ० —

भैंसा तथा द्रव्यवनो या हस्तिवनो को नष्ट-भ्रष्ट करवा दे, अथवा रक्षा करने वाली सेना को ही नष्ट करवा दे, और परस्पर अलग किये गये जानिसघ इन मित्र या शत्रु के प्रमादस्थानो पर बराबर प्रहार करते रहें । इसी प्रकार अन्य तीक्ष्ण, रसद आदि गुप्तचर भी अग्नि, विष आदि के द्वारा प्रहार करते रह ।

( १ ) परमिश्र ( मित्र और शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति में ), शठ, विजिगीषु वित्त ( पक्षियों के ठगने के लिए चित्र विचित्र रंगोवाला शरीर को ढकने वाला वस्त्र ), और गिल ( खाने योग्य मांस ) आदि के समान प्रयुक्त किए गए कपट उपायों के द्वारा, अपने ऊपर विश्वास पैदा कराके तथा कुछ सारवस्तु देकर, अपने शत्रुओं को वश में करना चाहिए ।

इति अभियास्यत्वर्मे नामक नौवें अधिकरण में दूष्यशत्रुसयुक्त नामक  
छठा अध्याय समाप्त

— ० . —

## अर्थानर्थसंशययुक्ताः तासामुपाय- विकल्पजाः सिद्धयश्च

(१) कामादिहृत्सेकः स्वाः प्रकृतौः कोपयति, अपनयो बाह्याः । तदु-  
भयमासुरी वृत्तिः । स्वजनविकारः कोपः परवृद्धिहेतुष्वापदर्थोऽनर्थः सशय  
इति ।

(२) योऽर्थः शत्रुवृद्धिमप्राप्तः करोति, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषां भवति,  
प्राप्यमाणो वा क्षयव्ययोदयो भवति, स भवत्यापदर्थः यथा—सामन्ताना-  
मामिषभूतः, सामन्तव्यसनजो लामः, शत्रुप्राथितो वा स्वभावाधिगम्यो  
लामः, पश्चात्कोपेन पाणिप्राहेण वा विगृहीतः पुरस्ताल्लामः; मित्रोच्छे-  
देन सन्धिघ्यतिश्रमेण वा मण्डलविरुद्धो लाम इत्यापदर्थः ।

अर्थ, अनर्थ तथा सशय संघर्षो आपत्तियाँ और उनके प्रतीकार के उपायो  
से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ

( १ ) काम, क्रोधादि दोषो के बढ जाने पर राजा की अपनी ही प्रकृतियाँ  
कुपित हो जाया करती हैं । अपनय अर्थात् नीतिभ्रष्ट हो जाने से परराष्ट्र सबधी बाह्य  
प्रकृतियाँ कुपित हो जाती हैं । इसलिए कामक्रोधादि दोषो और अपनय, इन दोनों  
को आसुरी वृत्ति कहा गया है । अपनी प्रकृतियों का कोप शत्रु की उन्नति के अवसर  
पर आपत्ति का रूप धारण कर लेता है, जो कि अर्थ, अनर्थ और सशय, इन तीनों  
रूपो में प्रकट होता है ।

( २ ) जो अर्थ अपनी लापरवाही से गँवाया हुआ शत्रु की वृद्धि करता है, जो  
अर्थ अपने हाथ में आ जाने पर भी दूसरो को लौटाया जाता है, और इसी प्रकार जो  
अर्थ प्राप्त होने पर भी क्षय-व्यय करने वाला होता है, उसे आपदर्थ, अर्थात्, अर्थरूप  
आपत्ति कहते हैं । जैसे : अनेक सामंतों द्वारा भोगी जाने योग्य वस्तु एक ही सामन  
को मिल जाय, तो वह अन्य सामंतों के द्वारा मिलकर लौटाये जाने के कारण आपत्ति-  
जनक हो जाती है, इसी प्रकार व्यसन-पीडित सामन्त से छीना हुआ लाभ, स्वभावत  
प्राप्त होने योग्य शत्रु से माँगा हुआ लाभ, पश्चात्कोष तथा पाणिप्राह के द्वारा बाधा  
पहुँचाये जाने पर यातव्य राजा से प्राप्त हुआ लाभ, मित्र का उच्छेदन करने तथा सधि  
को उल्लंघन करने के कारण, राजमण्डल की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुआ लाभ—  
ये सब ही आपदर्थ हैं ।

(१) स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरित्यनर्थः ।

(२) तयो. 'अर्थो न वा' इति, 'अनर्थो न वा' इति, 'अर्थोऽनर्थः' इति, 'अनर्थः अर्थः' इति संशयः ।

(३) शत्रुमित्रभुत्साहयितुमर्थो न वेति संशयः । शत्रुबलमर्थमानाभ्या-  
मावाहयितुमनर्थो न वेति संशयः । बलवत्सामन्ताना भूमिमादातुमर्थोऽनर्थः  
इति संशयः । ज्यायसा सम्भूययानमनर्थोऽर्थः इति संशयः ।

(४) तेषामर्थसशयमुगच्छेत् ।

(५) अर्थोऽर्थानुबन्धः, अर्थो निरनुबन्धः अर्थोऽनर्थानुबन्धः, अनर्थो-  
ऽर्थानुबन्धः, अनर्थो निरनुबन्धः, अनर्थोऽनर्थानुबन्ध इत्यनुबन्धपङ्क्तिः ।

(६) शत्रुमुत्पाद्य पाणिप्राहादानमर्थोऽर्थानुबन्धः ।

(७) उदासीनस्य वण्डानुग्रहः फलेन अर्थो निरनुबन्धः ।

( १ ) स्वयं या दूसरे किसी से प्राप्त हुए अर्थ के कारण जो भय की उत्पत्ति होती है, उसको अनर्थरूप आपत्ति कहते हैं ।

( २ ) १. यह अर्थ है या नहीं ? २. यह अनर्थ है या नहीं ? ३. यह अर्थ है या अनर्थ ? और ४. यह अनर्थ है या अर्थ ? इस प्रकार अर्थ और अनर्थ को लेकर चार प्रकार से उत्पन्न संशयरूप आपत्ति कहलाती है ।

( ३ ) शत्रु के मित्र को शत्रु के साथ ही लड़ाने के लिए तैयार करते समय पहिला सशय होता है । शत्रु की सेना को धन तथा सत्कार के द्वारा बुलाने पर दूसरा संशय होता है । बलवान् सामन्त की भूमि को लेने में तीसरा संशय होता है । बलवान् सामन्त के साथ मिलकर यातव्य पर आक्रमण करने में चौथा संशय होता है ।

( ४ ) इस दृष्टि से विजिगीषु को चाहिए कि उक्त चारों प्रकार के संशयों में जो संशय अर्थ विषयक हो और अनर्थ के साथ जिसका कतई सम्बन्ध न हो, ऐसे संशय के विषय में उद्योग करे ।

( ५ ) प्रत्येक अर्थ और अनर्थ के साथ अनुबन्ध का योग करने तथा न करने से उसके छह भेद होते हैं, जिन्हें अनुबन्धपङ्क्ति कहते हैं । उसके भेद इस प्रकार हैं, १. अर्थानुबन्ध अर्थ, २. निरनुबन्ध अर्थ, ३. अनर्थानुबन्ध अर्थ, ( ये तीन अर्थ के भेद हैं ), और ४. अर्थानुबन्ध अनर्थ ५. निरनुबन्ध अनर्थ तथा ६. अनर्थानुबन्ध अनर्थ ( ये तीन अनर्थ के भेद हैं ) ।

( ६ ) शत्रु का उच्छेद कर पाणिप्राह को भी अपने वश में कर लेना अर्थानु-  
बन्ध अर्थ कहलाता है ।

( ७ ) उदासीन राजा से धन आदि लेकर उसको सेना की सहायता देना निर-  
नुबन्ध अर्थ कहलाता है ।

- (१) परस्यान्तरुच्छेदनमर्थोऽनर्थानुबन्धः ।
- (२) शत्रुप्रतिवेशस्यानुग्रहः कोशदण्डाम्यामनर्थोऽर्थानुबन्धः ।
- (३) हीनशक्तिमुत्साह्य निवृत्तिरनर्थो निरनुबन्धः ।
- (४) ज्यायासमुत्थाप्य निवृत्तिरनर्थोऽनर्थानुबन्धः ।
- (५) तस्य पूर्वं पूर्वं श्रेयानुपसम्प्राप्तुम् । इति कार्यावस्थापनम् ।
- (६) समन्ततो युगपदर्थोत्पत्तिः समन्ततोऽर्थापद्भवति ।
- (७) संव पाणिग्राहविगृहीता समन्ततोऽर्थसंशयापद्भवति ।
- (८) तयोमित्राक्रन्दोपग्रहात्सिद्धिः ।
- (९) समन्ततः शत्रुभ्यो भयोत्पत्तिः समन्ततोऽनर्थापद्भवति ।
- (१०) संव मित्रविगृहीता समन्ततोऽनर्थसंशयापद्भवति ।
- (११) तयोश्चलामित्राक्रन्दोपग्रहात्सिद्धिः । परमिश्राप्रतीकारो वा ।

( १ ) शत्रु के अन्तर्द्धि राजा का उच्छेद कर देना अनर्थानुबन्ध अर्थ है ।  
 ( २ ) कोष और सेना के द्वारा शत्रु के पडोसी की सहायता करना अर्थानुबन्ध अनर्थ कहलाता है ।

( ३ ) हीनशक्ति राजा को सहायता का वचन देकर उसे लडने के लिए तैयार कर फिर उसकी मदद न करना निरनुबन्ध अनर्थ कहलाता है ।

( ४ ) अधिक शक्तिशाली राजा को सहायता का वचन देकर फिर उसकी मदद न करना अनर्थानुबन्ध अनर्थ कहलाता है ।

( ५ ) उक्त अनुबन्ध पद्वर्ग में पूर्व पूर्व का अर्थ अधिक श्रेयस्कर है । यहाँ तक अर्थ-अनर्थ रूप कार्यों का प्रतिपादन किया गया ।

( ६ ) एक साथ चारों ओर से अर्थों की उत्पत्ति होने लगे तो उसको समतत अर्थापत् कहते हैं ।

( ७ ) यदि उस समतल अर्थापत् में पाणिग्राह द्वारा विरोध किया जाय तो उसको समतत अर्थसंशयापत् कहते हैं ।

( ८ ) उक्त दोनों प्रकार की आपत्तियों का प्रतीकार मित्र और आक्रन्द की सहायता से किया जा सकता है ।

( ९ ) चारों ओर से शत्रुओं द्वारा भय उत्पन्न होना समतत, अनर्थापत् कहलाता है ।

( १० ) यदि उक्त भय में मित्र विघ्न उपस्थित करे तो उसको समतत अनर्थ-संशयापत् कहते हैं ।

( ११ ) इन दोनों भयों का प्रतीकार चलशत्रु और आक्रन्द को अनुकूल बनाकर किया जा सकता है । अथवा नवम अधिकरण में परमिश्रा आपत्ति का जो प्रतीकार बताया गया है उसको भी यहाँ प्रयोग में लाया जाय ।

(१) इतो लाभ इतरतो लाभ इत्युभयतोऽर्थापद्भूवति । तस्यां समन्ततोऽर्थायां च लाभगुणयुक्तमर्थमादातुं यायात् । तुल्ये लाभगुणे प्रधानमासन्नमनतिपातिनम्, ऊनो वा येन भवेत्तमादातुं यायात् ।

(२) इतोऽनर्थं इतरतोऽनर्थं इत्युभयतोऽनर्थापत् । तस्यां समन्ततोऽनर्थायां च मित्रेभ्यः सिद्धिं लिप्सेत ।

(३) मित्राभावे प्रकृतीनां लघीयस्यंकतोऽनर्था साधयेत् । उभयतोऽनर्था ज्यायस्या । समन्ततोऽनर्था मूलेन प्रतिकुर्यात् । अशक्ये सर्वमुत्सृज्यापगच्छेत् । दृष्टा हि जीवता पुनरापत्तिः, यथा सुयात्रोदयनाभ्याम् ।

(४) इतो लाभ इतरतो राज्याभिमर्शं इत्युभयतोऽर्थापद्भूवति । तस्यामनर्थसाधको योऽर्थस्तमादातुं यायात्, अन्यथा हि राज्याभिमर्शं वारयेत् ।

(५) एतया समन्ततोऽनर्थापद्व्याख्याता ।

( १ ) जहाँ पर दोनों से अर्थविषयक आपत्ति प्राप्त हो उसे उभयतः अर्थापद् कहते हैं । उभयत अर्थापद् और समन्तत अर्थापद् में से किसी एक में यदि आदेय, प्रत्यादेय आदि लाभ-गुणों से युक्त अर्थ के प्राप्त होने की सम्भावना हो तो उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए अवश्य जाना चाहिए । यदि दोनों ओर लाभगुण समान ही हो तो उनमें जो श्रेष्ठ फल देने वाला हो, या अपने देश के नजदीक हो, या थोड़े ही समय में प्राप्त किया जाने योग्य हो, या जिसके प्राप्त न करने पर अपनी हानि हो, उस अर्थ को लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए ।

( २ ) यदि दोनों ओर से अनर्थ की ही उत्पत्ति होती हो तो उसे उभयत. अनर्थापद् कहते हैं ; उभयत अनर्थापद् और समन्तत. अनर्थापद् दोनों में मित्रों द्वारा सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

( ३ ) ऐसी स्थिति में यदि मित्रों से सहायता प्राप्त न हो तो अपनी लघु प्रकृतियों ( साधारण राजकर्मचारों ) द्वारा ही एकतः अनर्थापद् का प्रतीकार किया जा सकता है । इसी प्रकार उभयत अनर्थापद् का प्रतीकार ज्येष्ठ प्रकृति द्वारा और समन्तत अनर्थापद् का प्रतीकार राजघानों को छोड़कर किया जा सकता है । यदि इतने पर भी इन आपदाओं को शांति न किया जा सके तो अपना सर्वस्व त्याग कर चला जाना चाहिए । जीवन रहने पर अपने छोटे हुए स्थान को पुन प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि राजा मल और वत्सराज उदयन के जीवनचरित से स्पष्ट है ।

( ४ ) एक ओर से लाभ और दूसरी ओर से अपने राज्य पर आक्रमण किये जाने वाली अर्थ और अनर्थ युक्त स्थिति को उभयतः अर्थ-अनर्थापद् कहते हैं । इन दोनों स्थितियों में यदि अर्थ से अनर्थ का भी प्रतीकार किया जा सके तो अर्थ-प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए, अन्यथा अर्थ को छोड़कर अनर्थ का ही प्रतीकार करना चाहिए ।

( ५ ) इसी प्रकार समन्तत. अनर्थापद् के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ।

(१) इतोऽनर्थ इतरतोऽर्थसंशय इत्युभयतोऽनर्थार्थसंशया । तस्यां पूर्व-  
मनर्थं साधयेत्, तत्सिद्धावर्थसंशयम् ।

(२) एतया समन्ततोऽनर्थार्थसंशया व्याख्याता ।

(३) इतोऽर्थ इतरतोऽनर्थसंशय इत्युभयतोऽर्थानर्थसंशयापत् ।

(४) एतया समन्ततोऽर्थानर्थसंशया व्याख्याता ।

(५) तस्यां पूर्वा पूर्वा प्रकृतीनामनर्थसंशयान्मोक्षयितुं यत्नेत । श्रेयो हि  
मित्रमनर्थसंशये तिष्ठन्न दण्डः, दण्डो वा न कोश इति ।

(६) समग्रमोक्षणाभावे प्रकृतीनामवयवान्मोक्षयितुं यत्नेत । तत्र पुरुष-  
प्रकृतीनां च बहुलमनुरक्त वा तीक्ष्णलुब्धवर्जम् । द्रव्यप्रकृतीनां सारं महोप-  
कार वा । सन्धिनाऽऽसनेन द्वैधीभावेन वा लघूनि विपर्ययैर्गुणैः ।

( १ ) एक ओर से अनर्थ का होना और दूसरी ओर से अर्थ में संशय का होना  
उभयत अनर्थार्थसंशयापद् कहलाता है । इस आपत्ति में पहले अनर्थ का और बाद  
में अर्थसंशय का प्रतीकार करना चाहिए ।

( २ ) इसी प्रकार समतत अनर्थार्थसंशयापद् के सम्बन्ध में भी समझना  
चाहिए ।

( ३ ) एक ओर से अर्थ और दूसरी ओर से अनर्थ का संशय होने पर उभयत-  
अर्थानर्थ-संशयापद् कहलाता है ।

( ४ ) इसी के समान समतत अर्थानर्थ-संशयापद् भी समझना चाहिए ।

( ५ ) इन विपत्तियों में पहले अनर्थसंशय को हटाकर फिर अर्थ के लिए यत्न  
करना चाहिए । स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोप, दण्ड और मित्र, इन प्रकृतियों  
में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व प्रकृति के अनर्थ का प्रतीकार करना चाहिए ।  
मित्र की ओर से यदि अनर्थसंशय हो तो वह सेना की ओर से होने वाले अनर्थसंशय  
की अपेक्षा सुकर है, क्योंकि मित्र सेना की अपेक्षा अधिक कष्टकर नहीं होता है ।  
इसी प्रकार सेना की ओर से होने वाला अनर्थसंशय, कोप से होने वाले अनर्थसंशय  
की अपेक्षा अधिक कष्टकर नहीं है । इसलिए कोप से होने वाले अनर्थसंशय का ही पहिले  
प्रतीकार करना चाहिए ।

( ६ ) यदि समग्र प्रकृतियों का अनर्थसंशय एक बार ही दूर न किया जा सके  
तो उनमें से कुछ का ही अनर्थसंशय दूर किया जाय । ऐसी स्थिति में पुरुष प्रकृतियों  
में से तीक्ष्ण और सोभी पुरुषों को छोड़कर पहिले उनके ही अनर्थसंशय का प्रतीकार  
किया जाय जो बहुसह्यक होने के साथ साथ अनुराग भी रखते हैं । द्रव्य प्रकृतियों में  
से अधिक मूल्यवान् एव अत्यन्त उपकारक द्रव्यों को ही अनर्थसंशय से मुक्त करना  
चाहिए । सधि, आसन तथा द्वैधीभाव के द्वारा लघुद्रव्यों को छुड़ाने का और विग्रह  
तथा सयय के द्वारा गुरु द्रव्यों को छुड़ाने का यत्न करना चाहिए ।

(१) क्षयस्थानवृद्धीनां चोत्तरोत्तरं लिप्सेत् । प्रातिलोभ्येन वा क्षयादीनाम् । आयत्या विशेष्यं पश्येत् ।

(२) इति देशावस्थापनम् ।

(३) एतेन यात्रादिमध्यान्तेष्वर्थानर्थसंशयानामुपसंप्राप्तिर्व्याख्याता ।

(४) निरन्तरयोगित्वाच्चार्यानर्थसंशयानां यात्रादावर्थः श्रेयानुपसंप्राप्तुं पाप्पिग्राहासारप्रतिघाते क्षयव्ययप्रवासप्रत्यादेयमूलरक्षणेषु च भवति । तयानर्थः संशयो वा स्वभूमिष्ठस्य विपद्यो भवति ।

(५) एतेन यात्रामध्येऽर्थानर्थसंशयानामुपसंप्राप्तिर्व्याख्याता ।

(६) यात्रान्ते तु कर्शनीयमुच्छेदनीयं वा कर्शयित्वाच्छिद्यं वायः श्रेयानुपसंप्राप्तुं नानर्थः संशयो वा पराबाधभयात् ।

(७) सामवायिकानामपुरोगस्य तु यात्रामध्यान्तगोऽनर्थः संशयो वा श्रेयानुपसंप्राप्तुमनिबन्धगामित्वात् ।

( १ ) क्षय ( शक्ति और सिद्धि की क्षीणता ), स्थान ( शक्ति और सिद्धि की एकावस्था ) और वृद्धि ( शक्ति और निद्धि का उपचय ), इनमें से उत्तरोत्तर को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । अथवा यदि भविष्य में किसी वृद्धि की अतिशय सम्भावना हो तो वृद्धि से स्थान और स्थान से क्षय, इस प्रतिशोभ गति से ही उसे प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए ।

( २ ) यहाँ तक देश-निमित्तक आपत्तियों का निरूपण किया गया ।

( ३ ) देशनिमित्तक आपत्तियों के स्वरूप और प्रतीकार के समान ही युद्धयात्रा के आदि, अन्त तथा मध्य में होने वाले अर्थ, अनर्थ और संशयो की प्राप्ति तथा प्रतीकार का भी निरूपण समझना चाहिए ।

( ४ ) यदि युद्धयात्रा के आदि में अर्थ, अनर्थ और संशय एक साथ ही उत्पन्न हो जायें तो उनमें से पहिले अर्थग्रहण करना ही श्रेयस्कर होता है । पाप्पिग्राह तथा आसार के प्रतिघात के लिए और क्षय, व्यय, प्रवास, प्रत्यादेय तथा मूल स्थान इन सबकी रक्षा के लिए अर्थ ही मूल कारण होता है । यदि युद्ध यात्रा के आरम्भ में अर्थ के समान ही अनर्थ और संशय भी उपस्थित हो तो अपनी भूमि में स्थित राजा उनका प्रतीकार सरलता से कर सकता है ।

( ५ ) इसी प्रकार युद्धयात्रा के मध्य में उत्पन्न अर्थ, अनर्थ और संशय की प्राप्ति तथा प्रतीकार का व्याख्यान भी समझ लेना चाहिए ।

( ६ ) यात्रा के अन्त में, परभूमि में स्थित विजिगीषु के लिए निर्बल एवं उच्छेदनीय शत्रु का ही अर्थग्रहण करना श्रेष्ठ है । ऐसी स्थिति में अनर्थ या संशय का ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे समय शत्रु की ओर से बाधा पहुँचने की पूरी सम्भावना बनी रहती है ।

( ७ ) यदि राजमदल ने किसी अप्रधान राजा पर आक्रमण किया जाय तो उस

(१) अर्थो धर्मः काम इत्यर्थत्रिवर्गः । तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयानुपसम्प्राप्तुम् ।

(२) अनर्थोऽधर्मः शोक इत्यनर्थत्रिवर्गः । तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयान् प्रति-कर्तुम् ।

(३) अर्थोऽनर्थ इति, धर्मोऽधर्म इति, कामः शोक इति संशयत्रिवर्गः । तस्योत्तरपक्षसिद्धौ पूर्वपक्षः श्रेयानुपसंप्राप्तुम् ।

(४) इति कालावस्थापनम् । इत्यापदः ।

(५) तासां सिद्धिः पुत्रघ्रातृबन्धुषु सामदानाम्यां सिद्धिरनुरूपा, पौर-जानपददण्डमुख्येषु दानभेदानाम्या, सामन्ताटविकेषु भेददण्डाभ्याम् ।

(६) एयाऽनुलोमा विपर्यये प्रतिलोमा । मित्रामित्रेषु व्यामिश्रा सिद्धिः । परस्परसाधका ह्युपायाः ।

समय यात्रा के मध्य में और अन्त में होने वाले अनर्थ तथा संशय का प्रतीकार करना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि प्रधान राजा उस समय नेतृत्व में ही फँसे रहते हैं और अप्रधान राजा प्रतिबन्धरहित होने के कारण कहीं भी जा सकता है ।

( १ ) अर्थ, धर्म और काम, इनको अर्थत्रिवर्ग कहा जाता है । इस अर्थत्रिवर्ग में पूर्व-पूर्व का ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर है ।

( २ ) अनर्थ, अधर्म और शोक, इनको अनर्थत्रिवर्ग कहा जाता है । इस अनर्थत्रिवर्ग में पूर्व-पूर्व का प्रतीकार करना अधिक कल्याणप्रद है ।

( ३ ) अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म और काम शोक इनमें परस्पर संशय का होना संशयत्रिवर्ग कहा जाता है । इस संशयत्रिवर्ग में अनर्थ, अधर्म और शोक का प्रतीकार होने पर अर्थ, धर्म और काम का ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर है ।

( ४ ) यहाँ तक यात्राकाल के आदि, मध्य तथा अन्त आदि के अर्थों एवं अनर्थों की व्याख्या और अर्थ, अनर्थ तथा संशययुक्त सभी प्रकार की विपर्ययो का निरूपण किया गया ।

( ५ ) पुत्र, भाई और बन्धु-बांधवों के संबन्ध में साम तथा दान के अनुसूच प्रतीकार करना ही उचित समझा गया है । इसी प्रकार नागरिकों, जनपदवासियों, सैनिकों और राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों के विषय में दान तथा भेद उपायों का प्रयोग करना ही उचित है । सामन्त और आटविकों के संबन्ध में भेद तथा दण्ड के उपायों का प्रयोग करना उचित है ।

( ६ ) इस रीति से किया गया प्रतीकार अनुलोम कहलाता है और इसके विपरीत होने पर वह प्रतिलोम कहा जाता है । मित्र तथा शत्रुओं के विषय में आवश्यकतानुसार मिले-जुले ( व्यामिश्र ) उपायों द्वारा प्रतीकार करना चाहिए, क्योंकि सभी उपाय परस्पर एक-दूसरे के सहायक ही होते हैं ।



(१) शत्रोः शङ्कितामात्येषु सान्त्वं प्रयुक्तं शेषप्रयोगं निवर्तयति ।  
दूष्यामात्येषु दानम् । सघातेषु भेदः । शक्तिमत्सु दण्ड इति ।

(२) गुरुलाघवयोगाच्चापदां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति ।

(३) 'अनेनैवोपायेन नान्येन' इति नियोगः ।

(४) 'अनेन वाऽन्येन वा' इति विकल्पः ।

(५) 'अनेनान्येन च' इति समुच्चयः ।

(६) तेषामेकयोगाश्चत्वारस्त्रियोगाश्च, द्वियोगाः षट्, एकश्चतुर्थयोग इति पञ्चदशोपायाः । तावन्तः प्रतिलोमाः ।

(७) तेषामेकेनोपायेन सिद्धिरेकसिद्धिः, द्वाभ्यां द्विसिद्धिः, त्रिभिस्त्रिसिद्धिः, चतुर्भिश्चतुःसिद्धिरिति ।

( १ ) अपने जिन अमात्यो पर शत्रु सदेह करता है उन पर किया गया साम प्रयोग अन्य सभी उपायो का निवारण कर देता है । इसी प्रकार शत्रु के दूष्य अमात्यो मे दान, आपस मे मिले हुए अमात्यो मे भेद और शक्तिमान्-अमात्यो मे दण्ड का प्रयोग शेष सभी उपायो को निवृत्त कर देता है ।

( २ ) छोटी बड़ी आपतियो के अनुसार ही उपायो के नियोग, विकल्प और समुच्चय हुआ करते हैं ।

( ३ ) केवल इसी उपाय से कार्यसिद्धि हो सकेगी, दूसरे से नहीं, इसी का नाम नियोग है ।

( ४ ) इस उपाय से कार्यसिद्धि होगी या दूसरे उपाय से इसका नाम विकल्प है ।

( ५ ) इस उपाय को तथा दूसरे उपाय को मिलाकर कार्यसिद्धि होगी, इसका नाम समुच्चय है ।

( ६ ) साम आदि चारो उपायो को अलग-अलग, दो-दो, तीन तीन या चार चार एक साथ मिलाकर पन्द्रह तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है । जैसे—सामदानभेद, सामदानदण्ड, सामभेददण्ड और दानभेददण्ड—ये चार, केवल साम, केवल दान, केवल भेद और केवल दण्ड—ये चार, सामदान, सामभेद, सामदण्ड, दानभेद, दानदण्ड और भेददण्ड—ये छह और सामदानदण्डभेद, इन चारो को मिलाकर एक, इस प्रकार ( ४ + ४ + ६ + १ ) पन्द्रह प्रयोग होते हैं । पन्द्रह प्रकार के प्रतिलोम उपाय भी होते हैं, जैसे—दण्ड, भेद, दान, साम—ये चार, दण्डभेददान, दण्डभेदसाम, भेददानसाम, दण्डदानसाम—ये चार, दण्डभेद, दण्डदान, दण्डसाम, भेददान, भेदसाम, दानसाम—ये छह और दण्ड आदि चारो एक साथ मिलाकर पन्द्रह प्रतिलोम उपाय होते हैं ।

( ७ ) उक्त उपायो मे से एक ही उपाय के द्वारा जो कार्यसिद्धि होती है उसे

(१) धर्ममूलत्वात्कामफलत्वाच्चार्यस्य धर्मार्थिकामानुबन्धा याऽर्थस्य सिद्धिः सा सर्वार्थसिद्धिः ।

(२) इति सिद्धयः ।

(३) दैवाद्ग्निरुदकं व्याधिः प्रमारो विद्रवो दुर्भिक्षमासुरी सृष्टिः इत्यापदः ।

(४) तासां दैवतब्राह्मणप्रणिपाततः सिद्धिः ।

(५) अवृष्टिरतिवृष्टिर्वा सृष्टिर्वा याऽऽसुरी भवेत् ।  
तस्यामाथर्वणं कर्म सिद्धारम्भाश्च सिद्धयः ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे अर्थानर्थसंशययुक्तास्तासामुपायविकल्पना सिद्धयश्चेति सप्तमोऽध्यायः, आदित सप्तविंशत्युत्तरशततमः ।

समाप्तमिदमभियास्यत्कर्म नाम नवममधिकरणम् ।

— ० —

एकसिद्धि कहते हैं । इसी प्रकार दो उपायो से हुई सिद्धि को द्विसिद्धि तीन उपायो से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि और चार उपायो से हुई सिद्धि को चतु सिद्धि कहते हैं ।

( १ ) इन सिद्धियों में प्रतीकारस्वरूप होने वाले अनेक लाभो में से धर्म, काम और अर्थ का साधक होने के कारण अर्थ-लाभ ही सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को सर्वार्थ-सिद्धि के नाम से कहा जाता है ।

( २ ) यहाँ तक मानुषी आपत्तियो को लेकर सिद्धियो का निरूपण किया गया ।

( ३ ) अग्नि, जल, व्याधि, महामारी, राष्ट्रविप्लव, दुर्भिक्ष और आसुरी सृष्टि ये सब दैवी आपत्तियाँ हैं ।

( ४ ) इन दैवी आपत्तियो का प्रतीकार देवता और ब्राह्मणो को अभिवादन करने से किया जा सकता है ।

( ५ ) अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा आसुरी सृष्टि आदि के कारण जो आपत्तियाँ उत्पन्न हो उनके प्रतीकारार्थ अथर्ववेद में निरूपित शान्तिकर्मों के अनुष्ठान द्वारा किया जाना चाहिए । सिद्ध, तपस्वी, महात्मा पुरयो द्वारा आरम्भ किये गये शान्तिकर्मों द्वारा भी इन आपत्तियो का प्रतीकार सम्भूना चाहिए ।

इति अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में अर्थानर्थसंशय विचार नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।

दसवाँ अधिकरण

•

साङ्ग्रामिक

(१) वास्तुकप्रशस्ते वास्तुनि नायकवर्धकिमौहृतिका. स्कन्धावारं वृत्तं दीर्घं चतुरस्रं वा, भूमिवशेन वा, चतुर्द्वारं षट्पथं नवसंस्थानभाषयेषुः । छातवप्रसालद्वारादृलकसम्पन्न मये स्थाने च ।

(२) मध्यमस्योत्तरे नवभागे राजवास्तुकं धनुःशतापाममर्धविस्तारं पश्चिमार्धे तस्यान्तःपुरम् । अन्तर्वेशिकसंग्य चान्ते निवेशेत । पुरस्तादुपस्थान, दक्षिणतः कोशशासनकार्यकरणानि, वामतो राजौपवाह्याना हस्त्यश्वरथाना स्थानम् । अतो धनुःशतान्तराश्रित्वारः शकटमेयीप्रततिस्तम्भ-

### छावनी का निर्माण

( १ ) भवन निर्माण-कला के विशेषज्ञों द्वारा प्रशसित क्षेत्र में सेनापति (नायक), कारीगर ( वर्धकि ) और ज्योतिषी ( मौहूर्तिक ) ये तीनों पारस्परिक परामर्श से मोलाकार, लंबा, चौकोर या जैसी भूमि हो उसी के अनुसार चारों दिशाओं में चार दरवाजों, छह मार्गों और नौ संस्थानों ( डिभिजन्स = बगों ) से युक्त सैनिक छावनी ( स्कन्धावार ) का निर्माण करायें । छान्द, सफ़ील, परकोटा, एक प्रधान द्वार और अट्टालिशियों से युक्त स्कन्धावार उसी अवस्था में बनवाया जाय, जबकि आक्रमण का भय तथा अधिक समय तक वहाँ टिके रहने की संभावना हो ।

( २ ) स्कन्धावार के बीच में उत्तर की ओर नौवें हिस्से में सौ धनुष लंबा तथा पचास धनुष चौड़ा और राजा का निवास स्थान बनवाया जाय । उसके आधे हिस्से में पश्चिम की ओर अंतःपुर का निर्माण कराया जाय और अन्तःपुर के समीप ही अन्तःपुरद्वारों के लिए भी स्थान बनवाये जाय । राजगृह के सामने राजा का विधामस्थान ( उपस्थान ) होना चाहिए । राजगृह की दाहिनी ओर खाना, सेन्ट्रिट्रिएट ( सामनकरण ) और कार्य निरीक्षकों ( तार्यकरण ) के स्थान बनवाये जाय । राजगृह के बाईं ओर हाथी, घोड़ा, रथ आदि वाहनों के लिए स्थान होना चाहिए । राजगृह के कुछ दूर चारों ओर रक्षाएँ चार बाड़ बनवाये जाय, जिनमें पहली बाड़ गाड़ियों की, दूसरी बाड़ कैंदिदार लताओं की, तीसरी बाड़ मजबूत

सालपरिक्षेपाः प्रथमे पुरस्तान्मन्त्रिपुरोहितौ, दक्षिणत. कोष्ठागार महानसं च, वामतः कुप्यायुधगारम्, द्वितीये मौलभृतानां स्थानम्, अश्वरथाना, सेनापतेश्च । तृतीये हस्तिन श्रेण्य. प्रशास्ता च । चतुर्थे विष्टिर्नायको मित्रा-मित्राटवीवल स्वपुरुपाधिष्ठितम् । वणिजो रूपाजीवाश्रानुमहापथम् । बाह्यतो लुब्धकश्वगणिनः सूर्याग्नियो गूढाश्वारक्षाः ।

(१) शत्रूणांमापते कूपकूटावपातकण्टकिनीश्च स्यापयेत् । अष्टादश-वर्गानामारक्षविपर्यास कारयेत् । दिवायाम च कारयेदपसर्पज्ञानार्थम् ।

(२) विवादसौरिकसमाजहृतवारण च कारयेत् । मुद्गारक्षण च । सेना-निवृत्तमायुधीयमशासन शून्यपालीऽनुबध्नीयात् ।

लकड़ी के खम्भों की ओर चौड़ी बाड़ मजबूत चहार दीवारी के ढग की होनी चाहिए । प्रत्येक बाड़ का फासला सौ सौ धनुष का होना चाहिए । पहली बाड़ के बीच में सामने की ओर मंत्रियों और पुरोहितों के स्थान बनवाने चाहिए । दाहिनी ओर भोजन भंडार और रसोईघर होने चाहिए । बाईं ओर लोहा, ताँबा, लकड़ी आदि रखने की जगह और आयुधगार होने चाहिए । दूसरी बाड़ के बीच में मौलभृत आदि सेनाओं के स्थान और घोड़ों तथा सेनापति के स्थान होने चाहिए । इसी प्रकार बाड़ के तीसरे घेरे में हाथियों, श्रेणीवल तथा प्रशास्ता ( कटकशोधन का अध्यक्ष ) के स्थान होने चाहिए । बाड़ के चौथे घेरे में कर्मचारीवर्ग ( विष्टि ), नायक ( दस सेनापतियों का प्रधान ) और अपने विश्वस्त अधिकारी से सरसित मित्रसेना शत्रुसेना तथा आटविकसेना के स्थान बनवाये जाय । व्यापारी और वेप्याओं के स्थान, बड़े बाजार ( महापथ ) में बनवाये जाय । बहेलिये, शिकारी, बाजे तथा अग्नि आदि के इशारे से शत्रु के आगमन की सूचना देने वाले और ग्वाले आदि के वेप में रहने वाले रक्षकों को सबसे बाहर की ओर बसाया जाय ।

( १ ) जिस मार्ग के शत्रु के आने की सम्भावना हो वहाँ कुएँ, गड्ढे आदि खोदकर और लोहे की कीलों या काँटों से मुक्त तस्ती को विछाकर शत्रु को रोकने का प्रबन्ध किया जाय । हर समय पहरे के लिए अठारह वर्गों को बारी-बारी से नियुक्त किया जाय । शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाने के लिए दिन-रात अपने आदमियों को घूमने के लिए नियुक्त करना चाहिए ।

( २ ) आपसी झगड़ों, मदिरापान और जुआ आदि खेलने से सैनिकों को सर्वथा रोक लिया जाय । द्वाबनी के भीतर-बाहर आने-आने के लिए राजकीय मुहर का पास बनाया जाय । राजा की लिखित आज्ञापत्र के बिना युद्धभूमि में लौटने वाले सैनिकों को, शून्यपाल ( राजधानी का रक्षण-अधिकारी ) गिरफ्तार कर ले ।

( १ ) पुरस्तादध्वनः सम्यक्प्रशास्ता रक्षणानि च ।  
यापाद्वर्षंकिविष्टिभ्यामुदकानि च कारयेत् ॥

इति साम्प्रामिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धावारनिवेशो नाम प्रथमोऽध्यायः;  
आदितोऽष्टाविंशदुत्तरराततमः ।

— ० —

( १ ) प्रशास्ता ( कटकशोधन-अधिकारी ) को चाहिए कि वह सेना और राजा के प्रस्थान करने से पहिले कारीगरों, मजदूरों तथा अध्यायकों को साथ लेकर चला जाय और मार्ग-रक्षा का तथा आवश्यकतानुसार जल आदि का बच्छी तरह प्रबंध करे ।

इति साम्प्रामिक नामक दसवें अधिकरण में स्कन्धावारनिवेश नामक  
पहला अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) ग्रामारण्यानामध्वनि निवेशान् यवसेन्धनोदकवशेन परिसंत्पाय स्थानासनगमनकालं च यात्रां यायात् । तत्प्रतीकारद्विगुणं भक्तोपकरणं वाहयेत् । अशक्तो वा सैन्येष्वायोजयेत् । अन्तरेषु वा निचिनुपात् ।

(२) पुरस्ताद्घायकः । मध्ये कलत्रं स्वामी च । पार्श्वयोश्च ब्राह्म-  
त्सारः । चक्रान्तेषु हस्तिनः । प्रसारवृद्धिर्वा सर्वतः । वनाजीवः प्रसारः ।  
स्वदेशादन्वायतिर्बोधः । मित्रबलमासारः । कलत्रस्थानमपसारः । पश्चा-  
त्सेनापतिः पर्यापान्निविशेत् ।

### छावनी का प्रमाण और आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा

( १ ) गावों, जंगलों तथा मार्गों में ठहरने योग्य स्थानों का घास, सबड़ी तथा जल आदि के अनुमार निर्णय कर और वहाँ पर पहुँचने, ठहरने, वहाँ से जाने आदि का पहिले ही में समय का निश्चय करके फिर बिजिगीषु को यात्रा के लिए घर से निकलना चाहिए । उस यात्रा में खाने-पीने और पहनने ओढ़ने के लिए जितने सामान की आवश्यकता हो, उससे दुगुना सामान साथ रखना चाहिए । यदि इतना सब सामान सवारियों पर ही न जा सके तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा सैनिकों को दिया जाय । अथवा पडाव के लिए नियुक्त स्थानों से आवश्यक सामान को सग्रह करके साथ ले जाना चाहिए ।

( २ ) सेना के सबसे आगे दस सेनापतियों के प्रमुख नायक को चलना चाहिए, बीच में अन्त पुर तथा राजा चले, अगल-वगल में भुजाओं से ही शत्रु के आघात को रोकने वाली धुडमवारसेना चले, पिछले भाग में हाथी चरें, और अन्न, घास, भूमा आदि सब सामान चारों ओर से ले जाया जाय । जंगल में पैदा होने वाले अन्न, घास आदि आजीविका-योग्य वस्तुओं को प्रसार कहते हैं । अपने ही देश से अनाज आदि द्रव्यों के आयात को वीवध कहते हैं । मित्र की सेना को आसार बहा जाता है । रातियों के ठहरने के स्थान को अपसार कहते हैं । यात्राकाल में अपनी-अपनी सेना के सबसे पीछे सेनापति रहे ।

(१) हस्तिस्तम्भसंक्रमसेतुबन्धनीकाष्ठवेणुसंघातैः अलाबुचर्मकरण्ड-  
दृतिप्लवगण्डिकावेणिकाभिश्चोदकानि तारयेत् ।

(२) तीर्थभिप्रहे हस्त्यश्वैरन्यतो रात्रावुत्तार्य सत्रं गृह्णीयात् ।

(३) अनुदके चक्रिचतुष्पदं चाध्वप्रमाणेन शक्त्योदकं वाहयेत् ।

(४) दीर्घकान्तरमनुदकं यवसेन्धनोदकहीनं वा कृच्छ्राध्वानमभियोग-  
प्रस्कन्नं क्षुत्पिपासाध्ववलान्तं पङ्क्तोयगभीराणां वा नदीदरीशैलानामुद्या-  
नापयाने व्यासक्तम् । एकायनमार्गं शैलविषमे सङ्कटे वा बहुलीभूतं निवेशे  
प्रस्थिते विसन्नाहं भोजनव्यासक्तम् । आयतगतपरिश्रान्तमवसुप्तं व्याधि-  
मरकदुर्भिक्षपीडितं ध्याधितपत्त्यश्वद्विपमभूमिष्ठं वा बलव्यसनेषु वा स्वसंन्यं  
रक्षेत् । परसंन्यं चाभिहन्यात् ।

अथवा युद्ध के बिना ही शत्रु मेरे अभिप्राय को पूरा कर देगा, तब धीरे-धीरे यात्रा  
करे । इसके विपरीत अवस्थाओं में शीघ्रता से ही यात्रा करनी चाहिए ।

( १ ) यात्राकाल में हाथियों, लकड़ी के खम्भों, भूलों, पुलों, नौकाओं, लकड़ी  
तथा बांस के वेडों, तूबियों, चर्मकाण्डों, चमड़े की तूबियों, मोमजामा के तकियों,  
काग की लकड़ी के वेडों और मजबूत रस्सियों से सेनाओं को नदी पार उतारा जाय ।

( २ ) नदी के घाट यदि शत्रु के कब्जे में हो तो हाथी और घोडों के द्वारा रात में  
दूसरी ओर से बिना घाट के ही अपनी सेनाओं को पार उतार कर शत्रु के स्थानों  
पर कब्जा कर लेना चाहिए ।

( ३ ) जिस प्रदेश में जल न हो वहाँ गाड़ी, बैल आदि चौपायों द्वारा पास में  
पर्याप्त जल रखकर मार्ग तय किया जाय ।

( ४ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह लम्बा रास्ता तय करने वाली तथा जगलो  
से होकर सफर करने वाली अपनी सेना की भरसक रक्षा करे । मार्ग में जल न पाने  
वाली, घान, भूसा, ईधन, लकड़ी आदि से हीन, कठिन मार्ग में चलनेवाली, लम्बे  
समय युद्ध में रहने के कारण खिन्न, भूख, प्यास तथा सफर के कारण बेचैन, भारी  
दलदल, गहरे पानी, नदी, गुफा तथा पर्वत आदि के पार करने एवं चढ़ने-उतरने में  
सतन्न, तंग रास्ते में, विषम स्थान में या पहाड़ी किलों में एकत्र, लम्बा सफर करने  
से थकी, नींद लेती हुई, ज्वर, महामारी तथा दुर्भिक्ष से पीडित, बीमार, पैदल हाथी  
घोडों से युक्त, प्रतिकूल भूमि में ठहरी, सैनिक आपत्तियों से परत, आदि जितनी भी  
कठिनाइयाँ हैं उनमें विजिगीषु को अपनी सेना की रक्षा करनी चाहिए । साथ ही  
विजिगीषु को चाहिए कि उक्त अवस्थाओं को प्राप्त हुई शत्रु की सेना को नष्ट-भ्रष्ट  
कर डाले ।



(१) एकायनमार्गप्रयातस्य सेनानिश्चारप्रासाहारशय्याप्रस्ताराग्नि-  
निघानध्वजायुधसह्यानेन परवलज्ञानम् । तदात्मनो गूहयेत् ।

(२) पार्वत वनदुर्गं वा सापसारप्रतिप्रहम् ।  
स्वभूमौ पृष्ठतः कृत्वा युध्येत निविशेत च ॥

इति मात्प्रामिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धादारप्रयाण बलव्यसनावस्कन्दकालरक्षण  
चेति द्वितीयोऽध्याय , आदित एकोनत्रिंशदुत्तरशततम ।

— ० —

( १ ) जब शत्रु एक ही जान योग्य तय रास्ते से जा रहा हो उस समय एक एक करके जाते हुए सैनिकों की, उनकी सवारियों की, भोजन आदि सामग्रियों की, सोने के स्थान की, भोजन पकाने के चूल्हों की और अस्त्र शस्त्रों की गिनती कर शत्रु सेना की इपत्ता का पता लगा लेना चाहिए । अपनी सेना की इपत्ता का पता देने वाले साधनों को छिपा देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए ।

( २ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपसार ( भागे हुए या पराजित के छिपने की जगह ) और प्रतिप्रह ( आक्रमण करती हुई शत्रुसेना को गिरफ्तार करने की जगह ) के युक्त पहाड़ी तथा जगली दुर्ग अच्छी तरह तैयार करके और सर्वथा अनुकूल भूमि में ठहर कर युद्ध करे अपना निश्चिन्त होकर निवास करे ।

साङ्ग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) बलविशिष्टः कृतोपजापः प्रतिविहितर्तुः स्वभूम्यां प्रकाशयुद्ध-  
मुपेयात् विपर्यये कूटयुद्धम् ।

(२) बलव्यसनावस्कन्दकालेषु परमभिहन्यात् । अभूमिष्ठं वा स्वभूमि-  
मिष्ठः । प्रकृतिप्रग्रहो वा स्वभूमिष्ठं दूष्यामित्राटवीबलैर्वा भङ्गं दत्त्वा  
विभूमिप्राप्तं हन्यात् । संहतानीकं हस्तिभिर्भेदयेत् ।

(३) पूर्वं भङ्गप्रदानेनानुप्रलीनं भिन्नमभिन्नं प्रतिनिवृत्य हन्यात् । पुर-  
स्तादभिहत्य प्रचलं विमुखं वा पृष्ठतो हस्त्यश्वेनाभिहन्यात् । पृष्ठतोऽभि-  
हत्य प्रचलं विमुखं वा पुस्तात्सारबलेनाभिहन्यात् ।

### कूटयुद्ध के भेद, अपनी सेना का प्रोत्साहन और अपनी तथा पराई सेना का प्रयोग

( १ ) बलवान् एव वृहद् सेना से युक्त, शत्रुपक्ष को फोड़ने में समर्थ और युद्ध  
योग्य समय को अपने अनुकूल बनाने वाले विजिगीषु को चाहिए कि वह अपनी  
अनुकूल भूमि में ही प्रकाश-युद्ध करना स्वीकार करे । यदि इसके विपरीत व्यवस्था  
हो तो कूटयुद्ध ही करना चाहिए ।

( २ ) व्यगनापन्न सेना पर या लम्बे सफर, जंगल के सफर अथवा जलामाव  
की अवस्था में शत्रु के ऊपर आक्रमण किया जाय । अथवा शत्रु की विरुद्ध स्थिति  
और अपनी अनुकूल स्थिति होने पर आक्रमण करे । अथवा शत्रु की अमात्य आदि  
प्रकृतियों को बश में करके तब आक्रमण किया जाय अथवा राजद्रोहिण्यो, शत्रुओं और  
जागतिकों को अपनी पराजय का विश्वास दिलाकर जब वे अपना स्थान छोड़ दें तब  
उन पर आक्रमण किया जाय । अनुकूल भूमि में एक स्थान पर ठहरी हुई शत्रु-सेना  
को हाथियों द्वारा छिन्न भिन्न किया जाय ।

( ३ ) पूर्वं पराजय के कारण तितर-बितर हुई शत्रु की सेना को विजिगीषु की  
एकत्र सेना लौट कर फिर मारे । सामने की ओर से आक्रमण करने के कारण तितर-  
बितर अथवा भागी हुई शत्रु सेना को पीछे की ओर से घुड़सवारों और हाथियों के  
द्वारा नष्ट करा दिया जाय । पीछे की ओर से आक्रमण करने के कारण छिन्न-भिन्न  
या उलटी भागी हुई शत्रु सेना को सामने की ओर से बहादुर सैनिकों के द्वारा नष्ट-  
घट्ट करा दिया जाय ।

(१) ताभ्यां पार्श्वभिघातौ व्याख्यातौ । यतो वा द्रुष्यफल्गुबलं ततोऽभिहन्यात् ।

(२) पुरस्ताद्विपमायां पृष्ठतोऽभिहन्यात् । पृष्ठतो विपमायां पुरस्तादभिहन्यात् । पार्श्वतो विपमायामितरतोऽभिहन्यात् ।

(३) द्रुष्यामित्राटवीबलैर्वा पूर्वं योधयित्वा श्रान्तमश्रान्तः परमभिहन्यात् । द्रुष्यबलेन वा स्वयं भङ्गं बत्त्वा 'जितम्' इति विश्वस्तमविश्वस्तः सत्रापश्रयोऽभिहन्यात् । सार्थबजस्कन्धावारसंवाहविलोपप्रमत्तमप्रमत्तोऽभिहन्यात् । फल्गुबलावच्छन्नः सारबलो वा परवीराननुप्रविश्य हन्यात् । गोप्रहणेन श्वापदवधेन वा परवीरानाकृष्य सत्रच्छन्नोऽभिहन्यात् ।

(४) रात्राववस्कन्देन जागरयित्वाऽग्निद्वारश्लान्तानवमुप्तान् वा दिवा हन्यात् । सपादचर्मकोशैर्वा हस्तिभिः सौप्तिकं दद्यात् । अहः सप्ताहपरिश्रान्तानपराह्लेऽभिहन्यात् ।

( १ ) आगे-पीछे से किये गये आक्रमणों के अनुसार ही अगल-बगल से किये जाने वाले आक्रमणों के सम्बन्ध में भी ज्ञान लेना चाहिए । अथवा जिस ओर शत्रु की राजद्रोही या निर्बल सेना हो उमी ओर से आक्रमण करना चाहिए ।

( २ ) यदि सामने की ओर से आक्रमण करना अपने अनुकूल न हो तो पीछे की ओर से आक्रमण करना चाहिए और पीछे की ओर से असुविधा हो तो आगे की ओर से आक्रमण करना चाहिए । अगल-बगल के आक्रमण में जिस ओर से सुविधा हो उसी ओर से आक्रमण किया जाय ।

( ३ ) अथवा अपनी द्रुष्यसेना, शत्रुसेना तथा आटविक सेना के साथ शत्रु को लड़ाकर फिर विजिगीषु स्वयं ही उस पर आक्रमण करे । अथवा अपनी द्रुष्य सेना को नडाकर स्वयं को विजिगीषु पराजित करार दे और तब शत्रु का आश्रय लेकर उस पर धावा बोल दे जब शत्रु व्यापारी वर्ग, गायों के समूह तथा छावनियों की रक्षा में और उनको लुटता देख प्रमादी बना हुआ हो, तब उस पर आक्रमण किया जाय । अथवा बाहर की ओर अपनी निर्बल सेना को बाँध कर और बीच में बहादुर सैनिकों को रख कर शत्रु की सेना को नष्ट-भ्रष्ट किया जाय । अथवा शत्रु देश से गाय, आदि का अपहरण करने और व्याघ्र, चरगह आदि का शिकार करने के बहाने शत्रु के वीर पुरुषों को प्रलोभन देकर सत्र में छिप कर मार डाला जाय ।

( ४ ) रात में लूट-मार, डाका-चोरी आदि के भय से शत्रु के सैनिकों को जगाकर और फिर जब वे दिन में सोयें तो उन्हें मार डाला जाय । पैरों पर चमड़े का छोल पहनाये हुए हाथियों द्वारा सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया जाय । कवायद करने के बाद पके हुए सैनिकों को दोपहर के बाद भरवा दिया जाय ।

(१) शुष्कचर्मवृत्तशर्कराकोशकैर्गोमहिषोष्ट्रयूथैर्वा त्रस्तुभिरकृतहस्त्य-  
श्वं मिश्रमभिन्नः प्रतिनिवृत्तं हन्यात् । प्रतिसूर्यवातं वा सर्वमभिहन्यात् ।

(२) धान्वनवनसङ्कटपङ्कशैलनिम्नविपमनावो गावः शकटेषूहो  
नोहारो रात्रिरिति सत्राणि ।

(३) पूर्वे च प्रहरणकालाः कूटयुद्धहेतवः ।

(४) संग्रामस्तु निर्दिष्टदेशकालो धर्मिष्ठः ।

(५) संहृत्य दण्डं ब्रूयात्—‘तुल्यवेतनोऽस्मि, भवद्भिः सह भोग्यमिदं  
राज्यं, मयाभिहितः परोऽभिहन्तव्यः’ इति । वेदेष्वप्यनुभूयते समाप्त-  
दक्षिणानां यज्ञानामवभृथेषु—‘सा ते गतिर्या शूराणाम्’ इति । अपीह श्लोकौ  
भवतः—

(६) यान् यज्ञसंघंस्तपसा च विप्राः स्वर्गं धिणः पात्रचर्यंश्च यान्ति ।

क्षणैः तामप्यतियान्ति शूराः प्राणान्सुपुद्गेषु परित्यजन्तः ॥

( १ ) सूखे चमड़े से बँधे हुए मिट्टी के छोटे छोटे डेलों से या पबड़ा जाने वाले  
गाय, भँसों और उँटों के झुंडों के द्वारा हाथी घोड़े रहित शत्रु की छिन्न-भिन्न हुई सेना  
को अपनी एकत्र सेना के द्वारा मरवा दिया जाय । सूर्य और हवा के सामने आयी हुई  
सभी तरह की सेना को नष्ट कर डालना चाहिए ।

( २ ) महस्यल का दुर्ग ( धान्वन ), जगल का दुर्ग, कटकाकीर्ण भाड़ियों वाले  
स्थान ( शकट ), दलदल भूमि, पहाड़ी इलाके, तराई क्षेत्र, ऊबड़ खावड़ भूमि,  
नौकाएँ, गायों के झुंड, शकटयूद्ध, कुहरा और रात्रि इन सब को सत्र कहा जाता  
है । इन स्थानों में छिप कर युद्ध करना चाहिए ।

( ३ ) पूर्व प्रहार करने के समय और सत्र स्थान कूट युद्धों के कारण हुआ करते हैं ।

( ४ ) यहाँ तक कूट युद्ध के विभिन्न प्रकारों का निरूपण किया गया ।

( ५ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपनी संगठित सेना से कहे कि ‘मैं भी  
आपके ही समान वेतनभोगी नौकर हूँ । आप लोगों के साथ ही मैं इस राज्य का  
उपयोग कर सकता हूँ । इसलिए जिसका मैं शत्रु बताऊँ वह आप लोगों के हाथों  
अवश्य मारा जाना चाहिए ।’ इस प्रकार सेना को उत्साहित करना चाहिए । तदनंतर  
मन्त्रियों और पुरोहितों द्वारा सेना को यह वह कर उत्साहित कराये कि वेदों में ऐसा  
लिखा हुआ है कि यज्ञ, अनुष्ठान समाप्त हो जाने के बाद और दक्षिणा दिये जाने के  
बाद यज्ञमान को जो फल मिलता है । वही फल युद्धक्षेत्र में वीर्यति पाये हुए सैनिक  
को मिलता है । इसी सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों के दो श्लोक हैं कि—

( ६ ) अनेक यज्ञों को करके, कठिन तप करके और अनेक सुपात्रों को दान

(१) नवं शरावं सलिलस्य पूर्णं सुसंस्कृतं दमंकृतोत्तरीयम् ।

तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो भर्तृपिण्डस्य कृते न मुध्येत् ॥

(२) इति मन्त्रिपुरोहिताभ्यामुत्साहयेद्योधान् ।

(३) व्यूहसम्पदा कार्तान्तिकादिश्रास्य वागैः सर्वज्ञदेवसंयोगख्यापनाभ्यां स्वपक्षमुद्धर्येत् । परपक्षे चोद्वेजयेत् । 'श्वो युद्धम्' इति कृतोपवासः शस्त्र-वाहनं चानुशयीत । अथवंमिश्र जुहुयात् । द्विजययुक्ताः स्वर्गीयाश्चाशिषो वाचयेत् । ब्राह्मणेभ्यश्चात्मानमतिमृजेत् ।

(४) शौर्यशिल्पाभिजनानुरागयुक्तमर्थमानाभ्यामविसंवादितमनीकगर्भं कुर्वीत । पितृपुत्रस्रातृकाणामायुधीयानामध्वजं मुण्डानीकं राजस्थानम् । हस्ती रथो वा राजवाहनमश्वानुबन्धे । यत्प्रायः संन्यो, यत्र वा विनीतः स्यात्, तदधिरोहयेत् । राजव्यञ्जनो व्यूहार्थिष्ठानमायोज्यः ।

देकर ब्राह्मण नोय जिस उच्च गति को प्राप्त करते हैं, शूरवीर क्षत्रिय धर्मयुद्ध में प्राणोत्सर्ग करके उससे भी उच्च-गति को प्राप्त करते हैं ।

( १ ) 'मन्त्रो से संस्कृत, जल से भरा हुआ और दर्भ से आच्छादित नई शराब का छलछलाता शकोरा उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता और वह नरक में जाता है, जो अपने स्वामी के लिए प्राणों की बाजी नहीं लगाता ।'

( २ ) इस प्रकार मनी और पुरोहितों के द्वारा सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाय ।

( ३ ) विजिगीषु राजा के ज्योतिर्विद् एव शकुनशास्त्री व्यक्तियों को चाहिए कि वे अलग-अलग व्यूहों की विशेष रचना द्वारा अपनी सर्वज्ञता को और दैव-साक्षात्कार होने की प्रसिद्धि को फैलाकर अपने पक्ष के सैनिकों को उत्साहित करते रहें तथा शत्रु के सैनिकों को देखेन बनाये रहें । 'कल युद्ध है' ऐसा निश्चय हो जाने पर विजिगीषु को चाहिए कि उस दिन उपवास करता हुआ वह अपने रथ, हाथी, घोड़े आदि सवारियों के पास ही शयन करे, और अधर्बवेद में बताये गये शत्रु ध्वस्तक मथों का जप तथा अनुष्ठान करता रहे । शत्रु के हार जाने पर अपनी विजय के अनुकूल और अपने ही सैनिकों की वीरगति प्राप्त होने पर ब्राह्मणों से स्वर्गीय आशीर्वादों का वाचन कराये । अपनी रक्षा के लिए स्वयं को वह ब्राह्मणों को अर्पण कर दे ।

( ४ ) बहादुर, कारीगर, खानदानी तथा अनुस्त और धन, मान आदि से सदा अनुकूल बनाई गई सेना को अपनी बड़ी सेना में रक्षा के निमित्त नियुक्त किया जाना चाहिए । राजा के पिता, पुत्र, भाई आदि अन्तरंग सवधियों के निवास स्थान को और राजा के अङ्गरक्षक तथा प्रच्छन्न वेप धारण किये प्रधान सेना के निवास-स्थान को राजा के निवास स्थान के समीप ही ठिकाया जाय । राजा हाथी या रथ

(१) सूतमागधाः शूराणां स्वर्गमस्वर्गं भोरूणां जातिसङ्घकुलकर्मवृत्त-  
स्तवं च योघानां वर्णयेसुः । पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं ब्रूयुः । सत्रिक-  
वधंकिमोर्हृत्तिकाः स्वकर्मसिद्धिमसिद्धिं परेषाम् ।

(२) सेनापतिरर्थमानाम्यामभिसंस्कृतमनीकमामापेत—'शतसाहस्रो  
राजवधः । पञ्चाशत्साहस्रः सेनापतिकुमारवधः । दशसाहस्रः प्रवीरमुख्य-  
वधः । पञ्चसाहस्रो हस्तिरथवधः । साहस्रोऽश्ववधः । शत्यः पत्तिमुख्यवधः ।  
शिरो विशतिकम् । भोगद्वैगुण्यं स्वयं ग्राह्यंति । तदेया दशवर्गाधिपतयो  
विद्युः ।

पर सवार होकर चले और उसकी रक्षा के लिए साथ में अश्वारोही सैनिक हो ।  
अथवा जिन सवारियों पर प्रायः सेना चल रही हो उसी प्रकार की सवारी में या  
जिस सवारी में चढ़ने का राजा का अच्छा अभ्यास हो, उसमें चढ़कर चले । व्यूह-  
रचना का अधिष्ठाता किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय, जो राजा से अविकल  
रूप में मिलता-जुलता हो ।

( १ ) सूतों ( ऐतिहासिक गाथाओं के गायकों ) और मागधों ( स्तुतिवाचकों )  
को चाहिए कि वे—शूर-वीर सैनिकों को स्वर्ग, कायरों को नरक और अन्य जाति  
संधी ( वटातिपत्नी ) को उनके कुल, कर्म, शील, स्वभाव तथा व्यवहार के अनुसार-  
ओज्रोमयो उत्साहवर्धक वाणी सुनाकर स्तुतिगान करें । पुरोहितों को चाहिए कि वे  
अथर्ववेद में निदिष्ट शत्रुनाशक कृत्याभिचार का अनुष्ठान करें । सत्री, बढई और  
ज्योतिषियों को चाहिए कि वे सदा ही अपने कार्यों की सिद्धि और शत्रुकार्यों की  
असफलता के सम्बन्ध में प्रचार करते रहे ।

( २ ) युद्ध के लिए तैयार, घन सत्कार से सर्वद्वित सेना को ललकार कर सेना-  
पति यो कहे, 'आप लोगों में से जो भी सैनिक शत्रुराजा को मार डालेगा उसे एक  
लाख स्वर्णमुद्राएँ पुरस्कार में दी जायेंगी । जो सैनिक शत्रु के सेनापति या राजकुमार  
को मार डालेगा, उसे पचास हजार स्वर्णमुद्राएँ इनाम में दी जायेंगी । इस प्रकार शत्रु  
के वीर सैनिकों में से मुख्य सैनिकों को मारने वाले को दस हजार, हाथी तथा रथों  
को नष्ट करने वाले को पाँच हजार, घुड़सवारों को नष्ट करने वाले को एक हजार,  
पैदल सेना के मुख्य सैनिकों को नष्ट करने वाले को एक सौ और साधारण सिपाहों  
का शिर काट कर लाने वाले को बीस स्वर्ण मुद्राएँ इनाम में दी जायेंगी । इसके  
अतिरिक्त युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक सैनिक का वेतन, भत्ता दुगुना कर दिया  
जायेगा और शत्रु के यहाँ से लूट पाट में मिला हुआ सारा माल भी उन्हें ही दिया  
जायेगा ।' इस प्रकार बताये गये राजवध का समाचार केवल पदिक सेनापति और  
नामक ही जान पायें ।

(१) चिकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्ताः, स्त्रियश्वाज्ञपान-  
रक्षिष्यः पुहपागामुद्धर्षणीयाः पृष्ठतस्तिष्ठेषुः ।

(२) अदक्षिणामुखं पृष्ठतः सूर्यमनुलोमघातमनीकं स्वभूमौ व्यूहेत ।  
परभूमिव्यूहे चाश्वांश्चारयेयुः ।

(३) यत्र स्थानं प्रजवश्चानूमि व्यूहस्य, तत्र स्थितः प्रजवितश्चोभयया  
जीयेत । विपर्यये जयति । उभयया स्थाने प्रजवे च ।

(४) समा विपमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति । पुरस्तात्पार्श्वभ्यां पश्चाच्च  
ज्ञेया । समायां दण्डमण्डलव्यूहाः, विपमायां भोगसंहतव्यूहाः । व्यामिश्रायां  
विपमव्यूहाः ।

(५) विशिष्टबलं भङ्क्त्वा सन्धिं याचेत् । समबलेन याचितः सन्द-  
धीत् । हीनमनुहन्यात् । न त्वैव स्वभूमिप्राप्तं त्यक्त्वात्मानं वा ।

(१) पुनरावर्तमानस्य निराशस्य च जीविते ।  
अघार्यो जायते वेगस्तस्माद्भूग्न न पीडयेत् ॥

इति साग्रामिके दशमेऽधिकरणे कूटयुद्धविकल्पा स्वसैन्योत्साहन स्वबलान्य-  
वलव्यायोगश्चेति तृतीयोऽध्यायः, आर्दितस्त्रिशदुत्तरसततमः ।

— ० —

नष्ट-घ्नष्ट कर फिर स्वय ही उससे सधि के लिए प्रार्थना करे । यदि शत्रु समान शक्ति का हो तो उसकी प्रार्थना करने पर ही विजिगीषू सधि के लिए तैयार हो । अपने से हीन शक्ति राजा को तो ऐसा तहस-नहस कर देना चाहिए कि फिर कभी भी वह उठ न सके । किन्तु यदि हीनशक्ति राजा अनुकूल स्थान पर हो या जीवन से निराश हो चुका हो तो उसको न मारा जाय ।

( १ ) जीवन से निराश हुआ शत्रु यदि युद्धक्षेत्र से बचकर वापिस आता है तो उसका युद्धविशेष ठंडा पड जाता है । इसलिए पहिले ही से निराश एवं कमजोर शत्रु को पीडा पहुँचा कर कुपित नहीं करना चाहिए ।

साग्रामिक नामक दसवें अधिकरण मे कूटयुद्ध सैन्यव्यायोग नामक  
तीसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —



## युद्धभूमयः, पत्यश्वरथहस्तिकर्माणि च

(१) स्वभूमिः पत्यश्वरथद्विपानामिष्टा युद्धे निवेशे च ।

(२) घान्वनवननिम्नस्थलयोधिनां खनकाकाशदिवारात्रियोधिनां च पुरुषाणां नादेयपार्वतानूपसारसानां च हस्तिनामश्वानां च यथास्वमिष्टा युद्धभूमयः कालश्च ।

(३) समा स्थिरामिकाशा निरुत्खातिन्यचक्रधुराज्जक्षप्राहिणी अवृक्ष-गुल्मप्रततिस्तम्भकेदारश्वभ्रवल्मीकसिकतापङ्कमङ्गुरा दरणहीना च रथभूमिः ।

(४) हस्त्यश्वयोर्मुप्याणां च समे विपमे हिता युद्धे निवेशे च ।

(५) अण्वश्ववृक्षा ह्रस्वलङ्घनीयश्वशा मन्ददरणदोषाचाश्वभूमिः । स्थूलस्थाण्वश्ववृक्षप्रततिवल्मीकगुल्मा पदातिभूमिः । गम्यशैलनिम्नविपमा मर्दनीयवृक्षा छेदनीयप्रततिः पङ्कमङ्गुरदरणहीना च हस्तिभूमिः ।

### युद्धयोग्य भूमि और पदाति, अश्व, रथ तथा हाथी आदि सेनाओं के कार्य

( १ ) पैदल, घुड़सवार, रथारोही तथा हस्त्यारोही सैनिकों को युद्ध के लिए और ठहरने के लिए उपयुक्त भूमि का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

( २ ) घान्वनदुर्ग, वनदुर्ग, जल, स्थल, खाई, आकाश, दिन-रात, नदी, पहाड़, जलमय प्रदेश तथा तालाब आदि में युद्ध करने वाले हस्त्यारोही और अश्वारोही सैनिकों के लिए अनुकूल युद्धयोग्य भूमि तथा उपयुक्त ऋतु आदि का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

( ३ ) समतल, दलदल रहित एकदम ठोस, साफ-सुथरी, चिकनी, घनी बेलों से अच्छादित, खाई-खदक से रहित, म्फुस्फुट, टूँठ, क्यारियाँ, बाँधी, गड्डे, रेत, कीचड़ और टेडेपन आदि से रहित जमीन एवं दरों से रहित ( दरणहीना ) भूमि रथसेना के युद्धार्थ उपयुक्त समझनी चाहिए ।

( ४ ) उपर्युक्त रथयोग्य भूमि ही अश्वारोही, हस्त्यारोही और पदाति सेनाओं के लिए भी सम, विपम देश में युद्ध के लिए उपयुक्त समझनी चाहिए ।

( ५ ) छोटे-छोटे कंकड़ तथा वृक्षों से युक्त, छोटे-छोटे लाँघने योग्य गड्डों से युक्त और इधर-उधर छोटे-छोटे दरों से युक्त भूमि अश्वारोही सेना के ठहरने—युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है । मोटे-मोटे पेड़ों के टूँठ, मोटे-मोटे पत्थर वा कंकड़,

(१) अकण्टकिन्यबहुवियमा प्रत्यासारवतीति पदातीनामतिशयः ।

(२) द्विगुणप्रत्यासारा कर्दमोदकखञ्जनहीना निःशकरेति वाजिना-  
मतिशयः ।

(३) पासुकर्दमोदकनलशाराधानवती श्वदंष्ट्राहीना महावृक्षशाखाघात-  
वियुक्तेति हस्तिनामतिशयः ।

(४) तोयाशमाश्रयवती निरुत्खातिनी केदारहीना व्यावर्तनसमर्थेति  
रथानामतिशयः । उक्ता सर्वेषां भूमिः ।

(५) एतया सर्वबलनिवेशा युद्धानि च व्याख्यातानि भवन्ति ।

(६) भूमिवासवनविचयो वियमतोयतीर्थवातरश्मिग्रहणं वीवघासा-  
रयोर्घातो रक्षा वा, विशुद्धिः स्थापना च बलस्य, प्रसारवृद्धिर्बाहूत्सारः,

वृक्ष, लता, बाँधी तथा झुरमुट आदि से युक्त भूमि पंदल सैनिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हाथियों के चढ़ सकने योग्य पहाड़, ऊँची नीची जमीन, हाथियों के झुजलाने योग्य वृक्षों से युक्त, काटने योग्य लताओं से पूर्ण और गढ़ों एवं दरारों से रहित भूमि हाथियों के लिए अधिक उपयुक्त है।

( १ ) कटकरहित, न अधिक ऊँची न अधिक नीची और अवसर जाने पर लौट आने की सुविधा वाली भूमि पंदल सेना के पड़ाव युद्ध के लिए अत्यन्त उत्तम है।

( २ ) जिस भूमि में आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे लौटने में अधिक सुविधा रहती है और जिसमें कीचड़, जल, दलदल तथा ककरीली मिट्टी का सर्वथा अभाव हो वह भूमि अश्वारोही सेना के लिए अतीव उत्तम है।

( ३ ) घूल, कीचड़, जल, नरसल, मूँज और नरसल-मूँज की जड़ से युक्त तथा गोखुहड़ों से रहित एवं बड़े-बड़े घने वृक्षों से रहित भूमि हस्त्यारोही सेना के लिए अति उत्तम है।

( ४ ) स्नान योग्य जलाशयों, विधाम करने योग्य स्थानों से युक्त, ऊबड़-खाबड़ रहित, प्यारियों से रहित, अवसर के समय में लौटने की सुविधाओं वाली भूमि रथ-सेना के लिए अधिक उपयोगी है। यहाँ तक उपयुक्त युद्धभूमि के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।

( ५ ) इसी प्रकार सेनाओं के ठहरने और युद्धादि कार्यों के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना चाहिए।

( ६ ) भूमि, निवास तथा वन की सफाई षोडशों के द्वारा की जानी चाहिए। ( छिन्ने हुए शत्रु को हटाना भूमिनिचय, सेना के पड़ाव में उपद्रव को दूर करना वासनिचय, और जंगली मार्गों में चोरों को साफ करना वननिचय कहलाता है )। विषम ( जहाँ पर शत्रु आक्रमण न कर सके ), तोय ( जहाँ पर जल से भरे तालाव हों ), तीर्थ ( नदी के घाट ), वात ( जहाँ पर शुद्ध वायु आ-जा सके ) और रश्मि

पूर्वप्रहारो व्यावेशनं, व्यावेधनमाश्वासो, ग्रहणं, मोक्षणं, मार्गानुसारविनि-  
मयः, कोशकुमाराभिहरणं, जघनकोटचभिघातो, हीनानुसारणमनुयानं,  
समाजकर्मैत्पश्वकर्माणि ।

( १ ) पुरोयानमकृतमार्गंवासतीर्थकर्म बाहूत्सारस्तोयतरणावतरणे  
स्थानगमनावतरण विपमसम्बाधप्रवेशोऽग्निदानशमनमेकाङ्गविजयः, भिन्न-  
सन्धानमभिन्नभेदनं व्यसने त्राणमभिघातो विभीषिका त्रासनमौदार्यं ग्रहणं  
मोक्षणं सालद्वाराट्टालकमञ्जनं कोशवाहनापवाहनमिति हस्तिकर्माणि ।

( जहाँ सूर्य का पूर्ण प्रकाश हो ) आदि सुविधाजनक स्थानों को पहिले ही मे अपने  
कच्चे मे कर लेना चाहिए, शत्रुदेश से आने वाले जीविकोपार्जन योग्य पदार्थों तथा  
शत्रु के मित्र की सेना का नाश और अपने पदार्थों एव सेना की रक्षा, छिपकर  
प्रविष्ट हुई शत्रुसेना की सफाई और अपनी सेना की दृढ़ स्थिति, धान्य तथा घास  
आदि का सग्रह, शत्रु सेना को तितर-वितर करना, भुजाओं के समान शत्रुसेना को  
हटाना, शत्रुसेना पर पहिले चढाई करना, शत्रुसेना मे घुसकर उसको चौका देना,  
शत्रुसेना को तरह-तरह की तकलीफ देना, अपनी सेना को धैर्य देना, शत्रुसेना को  
घेरना, शत्रुद्वारा गिरपतार अपने सैनिकों को छुड़ाना. अपनी सेना के मार्ग पर शत्रुओं  
के अधिकार करने पर शत्रुसेना के मार्ग को अपने अधीन कर लेना, शत्रु के कोप तथा  
राजकुमार का अपहरण करना, पीछे तथा सामने की ओर आक्रमण करना, जिनके  
घोडे मर गये हो, ऐसे सैनिकों का पीछा करना, भागी हुई शत्रुसेना का पीछा करना  
और बिखरी हुई अपनी सेना को सगठित करना—ये सभी कार्य घोड़ों के द्वारा  
आसानी से कराये जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अश्वकर्म कहते हैं ।

( १ ) अपनी सेना के आगे-आगे चलना, पहिले से तैयार न हुए मार्ग, निवास  
घाट आदि का बनाना, भुजाओं के समान शत्रुसेना को तितर वितर करना, नदी की  
गहराई बताने के लिए उसके भीतर प्रवेश करना, पक्षि मे स्रष्टा होकर शत्रु के  
आक्रमण को रोकना, इसी प्रकार मार्ग मे चलना, इसी प्रकार नीचे उतरना, घने  
जंगली तथा शत्रु की सेना मे घुसना, शत्रु के पडाव मे आग लगाना और अपने पडाव  
मे लगी हुई आग को बुझाना, अकेले ही शत्रु पर विजय प्राप्त करना, अपनी बिखरी  
हुई सेना को सगठित करना, शत्रु की सगठित सेना को तितर-वितर करना, आपत्ति  
के समय अपनी सेना की रक्षा करना और शत्रु की सेना को कुचलना, अपने को  
दिखाने मात्र से ही शत्रु को घबडा देना, मरबिह्वल होकर शत्रु को विचलित कर  
देना, अपने अस्तित्व से अपनी सेना के महत्त्व को प्रकट करना, शत्रु के योद्धाओं को  
पकडना, अपने योद्धाओं को छुड़ाना, शत्रु के परकोटे, प्रधान द्वार तथा अटारी आदि  
को ध्वस्त करना, शत्रु के कोप तथा सवारी आदि को भगा ले जाना, ये सभी कार्य  
हाथियों के द्वारा संपादित होने के कारण हस्तिकर्म के नाम से कहे जाते हैं ।

(१) स्वबलरक्षा चतुरङ्गबलप्रतिषेध. सप्रामे ग्रहणं मोक्षण भिन्नसन्धानमभिन्नभेदन त्रासनमौदार्यं भीमघोषश्चेति रथकर्माणि ।

(२) सर्वदेशकालशस्त्रवहन व्यायामश्चेति पदातिकर्माणि ।

(३) शिविरभागंसेतुकूपतीर्थशोधनकर्म यन्त्रायुधावरणोपकरणप्राप्तवहनमायोधनाच्च प्रहरणावरणप्रतिविद्धापनयनमिति विष्टिकर्माणि ।

(४) कुर्याद्गवाश्वध्यायोग रथेष्वल्पहयो नृपः ।

खरोष्ट्रशकटाना वा गर्भमल्पगजस्तथा ॥

इति साप्रामिके दशमेऽधिकरणे युद्धभूमय पत्यश्वरथहस्तिकर्माणि नाम चतुर्थोऽध्यायः, आदिन एकत्रिंशदुत्तरशततमः ।

— ० —

( १ ) अपनी सेना की रक्षा करना, आक्रमण के समय शत्रु सेना को रोकना, शत्रु के बलवान् सैनिकों को पकड़ना, अपने गिरफ्तार सैनिकों को छुड़ाना, अपनी सेना को संगठित करना तथा शत्रु सेना को तितर वितर करना, भयभीत करके शत्रु की सेना को घबड़ाना, अपनी सेना का महत्त्व प्रकट करना और भयकर आवाज करना, ये सभी कार्य रथकर्म अर्थात् रथसेना के द्वारा संपादित होते हैं ।

( २ ) सम विषम आदि सभी स्थानों और वर्षा शरद् आदि सभी ऋतुओं में युद्ध के लिए तैयार हो जाना, नियम पूर्वक कवायद करना और अवसर आने पर युद्ध करना, ये सब कार्य पदाति सेना के हैं ।

( ३ ) अस्त्र शस्त्र न रखकर फौज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विष्टिक कहा जाता है । सैनिक शिविर बनाना, सैनिक मार्ग, नदी के पुल, बाँध, कुएँ, घाट आदि तैयार करना, घास आदि उखाड़ कर मैदान साफ करना, युद्ध की मशीनों, अस्त्र शस्त्र, कवच आदि युद्धोपयोगी सामान तथा हाथी, घोड़ों के लिए घास द्रोता, उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना, युद्धभूमि में कवच, हथियार तथा घायल आदि सैनिकों को दूसरी जगह ले जाना, ये सभी कार्य विष्टि नामक कर्मचारियों के हैं ।

( ४ ) जिस राजा के पास घोड़ों की तादाद कम हो उसको चाहिए कि वह घोड़ों के साथ रथों में बैलों को भी जोड़ कर काम ले । इसी प्रकार जिस राजा के पास हाथियों का अभाव हो वह अपनी सेना को गधों या ऊँटों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों के बीच में सुरक्षित रखे ।

साप्रामिक नामक दसवें अधिकरण में युद्धभूमि-पत्यश्वरथहस्तिकर्म नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

## पक्षकक्षोरस्यानां वलाग्रतो व्यूहविभागः सारफल्गुवलविभागः, पत्त्यश्वरथहस्तियुद्धानि च

(१) पञ्चधनुःशतावकृष्टदुर्गमवस्थाप्य युद्धमुपेयाद्, भूमिवशेन वा । विभक्तमुद्यमचक्षुर्विषये मोक्षयित्वा सेना सेनापतिनायकौ व्यूहेयाताम् ।

(२) शमान्तरं पत्ति स्थापयेत् । त्रिशमान्तरमश्वम् । पञ्चशमान्तरं रथं, हस्तिनं वा । द्विगुणान्तरं त्रिगुणान्तरं वा व्यूहेत । एवं यथासुखम-सम्बाधं युध्येत ।

(३) पञ्चारत्नि धनुः, तस्मिन् धन्विनं स्थापयेत् । त्रिधनुष्यश्वम् । पञ्चधनुषि रथं हस्तिनं वा । पञ्चधनुरनीकसन्धिः पक्षकक्षोरस्यानाम् ।

पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहो का सेना के परिणाम के अनुसार व्यूहविभाग; सार तथा फल्गु-बलो का विभाग; और चतुरंग सेना का युद्ध

( १ ) युद्ध-भूमि से पाँच सौ धनुष के फासले पर छावनी डालनी चाहिए, अथवा भूमि के अनुसार भी छावनी की दूरी इससे ज्यादा या कम की जा सकती है । मुख्य सैनिकों को अलग अलग करके उन्हें इस प्रकार छिपाया जाय, जिससे शत्रुओं को कुछ भी पता न लगने पावे । उसके बाद सेनापति और नायक, दोनों उस सेना की व्यूह-रचना को यथोचित ढंग से सम्पन्न करें ।

( २ ) पैदल ( पत्ति ) सेना के प्रत्येक सिपाही को एक-एक शम ( चौदह अगुल ) के फासले पर खड़ा किया जाय । इसी प्रकार घुड़सवार सिपाहियों को तीन-तीन शम के फासले पर, और रथारोहियों तथा हस्त्यारोहियों को पाँच-पाँच शम के अन्तर पर खड़ा किया जाय अथवा भूमि की सुविधानुसार ही उनका फासला कम या ज्यादा किया जाय । ऐसी व्यूह रचना करके निर्भीक होकर सुखपूर्वक युद्ध किया जाय ।

( ३ ) पाँच अरत्नि ( हाथ ) का एक धनुष होता है । धनुर्धारी योद्धाओं को पाँच हाथ के फासले पर खड़ा किया जाय । तीन धनुष ( पन्द्रह हाथ ) के फासले पर अश्वारोहियों को और पाँच धनुष ( पच्चीस हाथ ) के फासले पर रथारोहियों को तथा हस्त्यारोहियों को खड़ा किया जाय । पक्ष ( आगे बगल में खड़े होकर लड़ने वाली ), कक्ष ( आगे अग्रान्तर भाग में खड़े होकर लड़ने वाली ) और उरस्य ( बीच में खड़े होकर लड़ने वाली ) पाँचों सेनाओं को पाँच-पाँच धनुष के फासले पर खड़ा किया जाय ।

(१) अश्वस्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः, पञ्चदश रथस्य, हस्तिनो वा, पञ्च चाश्वाः । तावन्तः पादगोपाः वाजिरथद्विपानां विधेयाः ।

(२) त्रीणि त्रिकाण्यनीकं रथानामुरस्यं स्थापयेत् । तावत् कक्षं पक्षं चोभयतः । पञ्चचत्वारिंशदेवं रथा व्यूहे भवन्ति ।

(३) द्वे शते पञ्चविंशतिश्चाश्वाः, पट्शतानि पञ्चसप्ततिश्च पुरुषाः प्रतियोद्धारः । तावन्तः पादगोपा वाजिरथद्विपानाम् ।

(४) एष समव्यूहः । तस्य द्विरथोत्तरा वृद्धिरा एकविंशतिरथादित्येवमोजा दश समव्यूहप्रकृतयो भवन्ति ।

(५) पक्षकक्षोरस्यानामतो विषमसंख्याने विषमव्यूहः । तस्यापि द्विरथोत्तरा वृद्धिरा एकविंशतिरथादित्येवमोजा दशविषमव्यूहप्रकृतयो भवन्ति ।

( १ ) घुडमवार सैनिक के आगे-आगे सहायताार्थं तीन प्रतियोद्धाओं को नियुक्त किया जाय । इसी प्रकार रथारोहियों या हस्त्यारोहियों के आगे पन्द्रह-पन्द्रह प्रतियोद्धाओं अथवा पाँच-पाँच घुडमवार सैनिकों को खड़ा किया जाय । हस्ति तथा अश्व के सैनिकों के उतने ही ( पाँच ) खिदमतगार ( पादगोपा ) नियुक्त किए जाय । इसी प्रकार एक-एक रथ के आगे पाँच घोड़े, और एक एक घोड़े के आगे तीन-तीन आदमी मिलाकर कुल पन्द्रह प्रतियोद्धा आगे चलने वाले और पाँच सईम, उसी तरह, हाथी के साथ भी समझने चाहिए ।

( २ ) व्यूहरचना के मध्यभाग (उरस्य) में इस प्रकार के नौ रथों ( ३ × ३ = ९ ) की नियुक्ति करनी चाहिए, अर्थात् तीन-तीन रथों की एक-एक पक्ति बनाकर, तीन पक्तियों में नौ रथों को खड़ा किया जाय । इसी प्रकार कक्ष और पक्ष स्थानों में दोनों ओर नौ-नौ रथों को खड़ा किया जाय । इस तरह एक व्यूह-रचना में ( ९ उरस्य, १८ कक्ष और १८ पक्ष = ४५ ) पैंतालीस रथ हो जाते हैं ।

( ३ ) प्रत्येक रथ के आगे पाँच-पाँच घोड़े होने के कारण पैंतालीस रथों के आगे दो सौ-पच्चीस घोड़े होने चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक रथ के आगे पन्द्रह सैनिक होने के कारण पैंतालीस रथों के आगे छ सौ पचहत्तर सैनिक एक-दूसरे की सहायताार्थं नियुक्त होने चाहिए । घोड़े, रथ और हाथियों के उतने ही सार्दम भी होने चाहिए ।

( ४ ) इस ढंग में तैयार किये गये व्यूह को समव्यूह कहते हैं । ऐसे व्यूह में दो-दो रथ बढ़ाकर इक्कीस रथों तक की वृद्धि की जा सकती है । इस प्रकार वे अयुग्म में तीन रथों में लेकर इक्कीस रथों तक दस तरह की समव्यूह रचना की जा सकती है ।

( ५ ) आगे पीछे और बीच में स्थानों में यदि रथों की विषम संख्या हो जाय तो उसको विषमव्यूह कहते हैं । ऐसे व्यूह में भी उक्त रीति में दो-दो रथ बढ़ाकर

(१) अतः सैन्यानां व्यूहशेषमावापः कार्यः । रथानां द्वौ त्रिभागावङ्गे-  
त्वावापयेत् । शेषमुरस्यं स्थापयेत् । एवं त्रिभागोना रथानामावापः कार्यः ।  
तेन हस्तिनामश्वानामावापो व्याख्यातः ।

(२) यावदश्वरथद्विपानां युद्धसम्बाधं न कुर्यात्, तावदावापः कार्यः ।

(३) दण्डबाहुल्यमावापः । पत्तिबाहुल्यं प्रत्यावापः । एकाङ्गबाहुल्य-  
मन्वावापः । द्वूप्यबाहुल्यमत्यावापः ।

(४) परावापात् प्रत्यावापादाक्षतुर्गुणादाष्टगुणादिति वा विभवतः  
सैन्यानामावापः कार्यः ।

(५) रथव्यूहेन हस्तिव्यूहो व्याख्यातः । व्यामिश्रो वा हस्तिरथाश्वाना-  
नाम् । चक्रान्तयोर्हस्तिनः, पार्श्वयोरश्वमुख्याः, रथा उरस्ये । हस्तिनामुरस्यं  
रथानां कक्षावश्वाना पक्षाविति मध्यभेदी । विपरीतोऽन्तर्भेदी ।

इत्थीस रथो तक की वृद्धि कर अयुग्म रूप से दस विषमव्यूहो की रचना की जा  
सकती है ।

( १ ) इस प्रकार की व्यूह-रचना करने के बाद जो सेना बची रह जाय उसको  
भी व्यूह के भीतर इधर-उधर नियुक्त कर देना चाहिए । उस बची हुई सेना का दो-  
तिहाई भाग तो आगे-पीछे और बाकी एक हिस्सा बीच में रख देना चाहिए । रथसैन्य  
में यदि कुछ बचे हुए रथ बाद में मिलाने पड़ जायें तो उनकी सहाय, व्यूह की सेना  
में एक तिहाई कम होनी चाहिए । इसी तरह बचे हुए हाथी और घोडों को मिलाने  
के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( २ ) जब तक युद्धकाल में घोडे, रथ और हाथियों की पर्याप्त भीड़ न हो जाय  
तब तक उनमें बची हुई सेना को मिलाते रहना चाहिए ।

( ३ ) व्यूह-रचना के बाद बची हुई सेना को फिर से व्यूह में मिला लेने को  
अवाप कहते हैं । इस प्रकार केवल पैदल सेना ही मिलाई जाय तो उसे प्रत्यावाप  
कहते हैं । घोडे, रथ या हाथी, इन तीनों में से किसी एक बचे हुए अंग की व्यूह-  
रचना के बाद उसमें मिला देने को अन्वावाप कहते हैं । इसी प्रकार राजद्रोही  
सैनिकों के द्वारा व्यूहसेना बढ़ाये जाने का नाम अत्यावाप है ।

( ४ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रुसेना की अपेक्षा चौगुने से लेकर अठगुने  
तक अपनी सेना में सैनिकों का अवाप करे, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार अवाप  
द्वारा ही सेना को बढ़ाये ।

( ५ ) रथों की उक्त व्यूह-रचना के अनुसार ही हाथियों की व्यूह-रचना भी  
समझ लेनी चाहिए । अथवा हाथी, रथ और घोडों को मिलाकर इस प्रकार की  
व्यूह-रचना की जानी चाहिए सेना के सामने दोनों ओर हाथियों को खड़ा कर  
दिया जाय, पीछे के दोनों हिस्सों में बड़िया घोडों को खड़ा किया जाय, और बीच में

(१) हस्तिनामेव तु शुद्धः । साम्राज्यानामुरस्यम्, औपवाह्यानां जघनं, व्यालानां कोटघाविति ।

(२) अश्वव्यूहो धर्मिणामुरस्यं शुद्धानां कक्षपक्षाविति ।

(३) पत्तिव्यूहः पुरस्तादावरणिनः पृष्ठतो घन्विन इति । शुद्धाः ।

(४) पत्तयः पक्षयोरश्वः पार्श्वयोः, हस्तिनः पृष्ठतो रथाः पुरस्तात्, परव्यूहवशेन वा विपर्यास इति । द्व्यङ्गुलविभागः । तेन त्र्यङ्गुलविभागो व्याख्यातः ।

(५) दण्डसम्पत् सारबलं पुंसाम् ।

(६) हस्त्यश्वयोर्विशेषः । कुलं जातिः सत्त्वं वयःस्थिता प्राणो वर्त्म जवस्तेजः शिल्पं स्व्ययंमुदग्रता विधेयत्वं सुव्यञ्जनाचारतेति ।

रथों को खड़ा किया जाय । इसी व्यूह-रचना का एक दूसरा ढग यह भी है कि मध्य में हाथी, पीछे की ओर रथ और आगे की ओर घोड़े खड़े किए जायें । इस व्यूह-रचना में हाथियों को मध्य भाग में रखने के कारण मध्यमेदी कहते हैं । इनके विपरीत—पीछे हाथी, बीच में घोड़े और आगे रथों की व्यूह-रचना को अन्तर्मेदी कहते हैं ।

( १ ) केवल हाथियों द्वारा की गई व्यूह-रचना को शुद्ध कहते हैं । ऐसे व्यूह में युद्ध योग्य हाथियों को बीच में रखा जाय और जो उन्नत एवं दुष्ट स्वभाव के हों उन्हें आगे के दोनों भागों में नियुक्त किया जाय ।

( २ ) घोड़ों के शुद्ध व्यूह में कवचधारी घोड़ों को बीच में और कवचरहित घोड़ों को आगे पीछे रखना चाहिए ।

( ३ ) इसी प्रकार पैदल सेना के शुद्ध व्यूह में कवचधारी सैनिकों को आगे के दोनों भागों में और धनुर्धारी सैनिकों को पीछे के दोनों भागों में खड़ा किया जाय ।

( ४ ) मिश्र व्यूहों में सेना के दो-दो अंगों को मिलाकर पैदल सिपाहियों को आगे के दोनों भागों में और घोड़ों को पीछे के दोनों भागों में रखा जाय, अथवा हाथियों को पीछे की ओर और रथों को आगे की ओर नियुक्त किया जाय, या शत्रु की व्यूह-रचना के विपरीत में जैसा भी उचित हो वैसा किया जाय । इस प्रकार सेना के दो अंगों द्वारा तीन प्रकार की व्यूह-रचना की जा सकती है और इसी प्रकार सेना के तीन अंगों को लेकर व्यूह-रचना का विभाग किया जा सकता है ।

( ५ ) जो पैदल सेना वज्र-परम्परा से नियमित रूप से चली आ रही हो, जो नित्य तथा वश में रहने वाली हो उसे सारबल कहते हैं ।

( ६ ) कुल, जाति, धर्म, कार्यक्षमता, आयु, शारीरिक बल, ऊँचाई, चौड़ाई,



(१) पत्यश्वरथद्विपानां सारत्रिभागमुरस्यं स्थापयेद्, द्वौ त्रिभागौ कक्षं पक्ष चोभयतः । अनुलोममनुसारम् । प्रतिलोमं तृतीयसारम् । फल्गु प्रतिलोमम् । एव सर्वमुपयोगं गमयेत् ।

(२) फल्गुबलमन्तेष्ववधाय वेगोऽभिहृतो भवति । सारबलमग्रतः कृत्वा कोटीष्वनुसारं कुर्यात् । जघने तृतीयसारं, मध्ये फल्गुबलमेतत् सहिष्णु भवति ।

(३) व्यूहं तु स्थापयित्वा पक्षकक्षीरस्यानामेकेन द्वाम्यां वा प्रहरेत् । शेषः प्रतिगृह्णीयात् ।

(४) यत्परस्य दुर्बलं वीतहस्त्यश्वं द्रुप्याभात्यकं कृतोपजापं वा, तत्प्रभू-तसारेणाभिहन्यात् । यद्वा परस्य सारिष्टं तद्विगुणसारेणाभिहन्यात् । यद-

वेग, पराक्रम, युद्धनैपुण्य, स्थिरता, उन्नतचिर ( उदग्रता ), आज्ञाकारी, अनेक शुभ लक्षणों और शुभ चेष्टाओं आदि विशेष गुणों से युक्त हाथी और घोड़ों की सेना को सारबल कहते हैं ।

( १ ) पैदल, घोड़े, रथ, हाथी के सारभूत बल के एक-तिहाई भाग को बीच में और बाकी दो तिहाई भाग को आगे-पीछे स्थापित किया जाय । यह सर्वोत्तम सेना के छठे होने का प्रकार है । उत्तम सेना की अपेक्षा जो सेना न्यूनशक्ति हो, उसे अनुसार कहा जाना है, ऐसी सेना के सारबल को पीछे की ओर खड़ा करना चाहिए । इनसे भी कुछ न्यूनशक्ति वाली तृतीयसार नामक सेना के सारबल को आगे की ओर खड़ा करना चाहिए । उससे भी निर्बल या बग-परम्परा से चले आते फल्गुबल को तृतीयसार सेना के आगे खड़ा करना चाहिए । इस प्रकार सभी तरह की सेनाओं को उपयोग में लाना चाहिए ।

( २ ) फल्गुबल को आगे की ओर खड़ा करने से शत्रु के आक्रमण का सारा वेग उसी के ऊपर शान्त हो जाता है । सारबल को आगे, अनुसारबल को बगल ( कोटि ), तृतीयसार को पीछे और फल्गुबल को बीच में करके भी व्यूह की रचना की जा सकती है, यह व्यूह भी शत्रु के आक्रमण को सहन करने वाला होता है ।

( ३ ) आगे, पीछे तथा बीच में व्यूह की यथोचित रचना करके तदनन्तर सेना के एक अंग द्वारा या दो अंगों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए और सेना के बाकी अंगों से शत्रु के आक्रमण को रोकना चाहिए ।

( ४ ) शत्रु की दुर्बल, हाथी-घोड़ों से रहित, राजद्रोही अमात्यों से युक्त भेद दानों हुई सेना को सारभूत सेना के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए, और शत्रु की सारभूत सेना को अपनी दुगुनी सारभूत सेना के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए । अपनी

ङ्गमल्पसारमात्मनस्तद्बहुनोर्पचिनुयात् । यतः परस्यापचयस्ततोऽभ्याशे व्यूहेत, यतो वा भयं स्यात् ।

(१) अभिसृतं परिसृतमत्तिसृतमपसृतमुन्मथ्यावधानं वलयो गोमूत्रिका मण्डल प्रकीर्णिका व्यावृत्तपृष्ठमनुवशमग्रतः पार्श्वभ्यां पृष्ठतो भग्नाक्ष भग्नानुपातः इत्यश्वयुद्धानि ।

(२) प्रकीर्णिकावर्जान्येतान्येव, चतुर्णामङ्गानां व्यस्तसमस्तानां वा धातः । पक्षकक्षोरस्यानां च प्रभञ्जनमवस्कन्दः सौप्तिकं चेति हस्ति-युद्धानि ।

(३) उन्मथ्यावधानवर्जान्येतान्येव स्वभूमावभियानापयानस्थितयुद्धानीति रथयुद्धानि ।

(४) सर्वदेशकालप्रहरणमुपांशुदण्डश्चेति पत्तियुद्धानि ।

सेना के निर्वल अग की सहायता के लिए अधिक सेना की नियुक्ति की जानी चाहिए । शत्रु सेना का जो निर्वल छोर हो उसी ओर से आक्रमण करना चाहिए, या जिस ओर से अपने ऊपर आक्रमण का भय हो उधर से ही ब्यूह-रचना करनी चाहिए ।

( १ ) अभिसृत ( अपनी सेना से शत्रु की सेना की ओर जाना ), परिसृत ( शत्रु की सेना के चारों ओर घूम कर प्रहार करना ), अत्तिसृत ( शत्रु की सेना के बीच से सुई की तरह वेध कर निकल जाना ), अपसृत ( उसी मार्ग से दुबारा निकलना ), बहुत से घोड़ों के द्वारा शत्रु सेना का भयन करके फिर एकत्र हो जाना, दो तरफ से सुई के समान मार्ग बनाकर जाना, गोमूत्र के समान टेढ़ी गति से जाना ( गोमूत्रिका ), मंडल ( शत्रु सेना के बीच से निकल कर उसे घेर लेना ), प्रकीर्णिका ( सभी तरह की चालों का प्रयोग करना ), अनुवश ( शत्रुसेना के सामने गयी हुई अपनी सेना का अनुगमन करना ) और भग्नानुपात ( छिन्न-भिन्न हुई शत्रुसेना का पीछा करना ), ये तेरह प्रकार के अश्वयुद्ध होते हैं ।

( २ ) घोड़ों की प्रकीर्णिका गति को छोड़ कर शेष सभी युद्ध, बिखरे हुए या इकट्ठा हुए सेना के चारों ओर का हनन करना, आगे, पीछे तथा मध्य में खड़ी हुई सेना को नष्ट करना, शत्रुसेना की निर्वलता पर प्रहार करना और सोती हुई शत्रुसेना को मार डालना, ये सब हस्तियुद्ध हैं ।

( ३ ) उन्मथ्यावधान ( अनेक हाथियों के द्वारा शत्रुसेना को उन्मथित करके फिर टुकड़ा-टुकड़ा हो जाना ) को छोड़ कर बाकी सभी तरह के हस्तियुद्ध, अशुक्ल भूमि में रह कर शत्रु पर आक्रमण करना, शत्रु सेना को पराजित कर भाग जाना, सुरक्षित शत्रुसेना के चारों ओर घेरा डाल कर उससे युद्ध करना, ये सब रथ-युद्ध हैं ।

( ४ ) हर समय तथा हर स्थान में हथियारों को धारण करना और चुपचाप शत्रु सेना को नष्ट करना, ये सब पदाति ( पैदल ) युद्ध हैं ।

- (१) एतेन विधिना व्यूहानोजान् युग्मांश्च कारयेत् ।  
विभवो यावदज्ञानां चतुर्णां सदृशो भवेत् ॥
- (२) द्वे शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठेत् प्रतिग्रहे ।  
भिन्नसङ्घातनं तस्मात्तु युध्येताप्रतिग्रहः ॥

इति साग्रामिके दशमेऽधिकरणे पक्षकक्षोरस्थाना बलाग्रतो व्यूहविभाग.  
सारफल्गुबलविभाग पत्यम्बरथहस्तियुद्धानि चेति  
पञ्चमोऽध्यायः, आदितो द्वात्रिंशदुत्तरशततमः ।

— . ० —

( १ ) इस प्रकार विजिषीषु राजा को अयुग्म तथा युग्म व्यूहों की रचना करनी चाहिए । अपने हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल अंगों के अनुसार ही अपने व्यूहों की रचना करनी चाहिए ।

( २ ) राजा को चाहिए कि युद्ध आरम्भ हो जाने पर वह युद्धभूमि से दो-सी धनुष की दूरी पर ठहरे । ऐसी स्थिति में वह शत्रु द्वारा छिन्न-भिन्न अपनी सेना को फिर एकत्र कर सकता है । इसलिए सेना के पृष्ठ भाग का आश्रय लिये बिना राजा को कदापि युद्ध न करना चाहिए ।

साग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

— . ० :—

## दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनं तस्य प्रतिव्यूहस्थापनं च

(१) पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्योशनसो व्यूहविभागः । पक्षो कक्षावुरस्यं प्रतिग्रहः इति बार्हस्पत्यः ।

(२) प्रपक्षकक्षोरस्या उभयोर्दण्डभोगमण्डलासंहताः प्रकृतिव्यूहाः । तत्र तिर्यग्वृत्तिर्दण्डः । समस्तानामन्वावृत्तिर्भोगः । सरतां सर्वतोवृत्तिर्भण्डलः । स्थितानां पृथगनीकवृत्तिरसंहतः ।

(३) पक्षकक्षोरस्यं समं वर्तमानो दण्डः । स कक्षाभिक्रान्तः प्रदरः; स एव पक्षाभ्यां प्रतिक्रान्तो दृढकः; स एवातिक्रान्तः पक्षाभ्यामसह्यः; पक्षाव-

### प्रकृतिव्यूह; विकृतिव्यूह और प्रतिव्यूह की स्थापना

( १ ) आगे के दो हिस्से, बीच का एक हिस्सा और पीछे का एक हिस्सा—व्यूह के चार विभाग शुक्राचार्य ( उशना ) ने किये हैं । आगे का एक हिस्सा, पीछे दोनों ओर के दो दो हिस्से, बीच का एक हिस्सा और पीछे का एक हिस्सा—व्यूह के ये छ विभाग आचार्य बृहस्पति ने किये हैं ।

( २ ) शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों आचार्यों के मत से आगे, पीछे तथा बीच में अलग-अलग खड़ी होने वाली सेनाओं के दण्ड, भोग, मण्डल और असहत नामों से चार प्रकार के व्यूह हुआ करते हैं । ये व्यूह प्रकृतिव्यूह के नाम से कहे जाते हैं । उनमें से सेना को तिरछे में खड़ा करके जो व्यूह बनाया जाता है उसे दण्डव्यूह कहते हैं । दोनों आचार्यों के उक्त चार और छ विभागों द्वारा लगातार कई बार घुमाव डाल कर जो व्यूह बनाया जाता है उसे भोगव्यूह कहते हैं । शत्रु को ओर जाती हुई सेनाओं का चारों ओर से घिर कर आक्रमण करना मण्डलव्यूह कहलाता है । आक्रमण के लिए छोटी-छोटी सेनाओं को अलग-अलग टुकड़ियों में खड़ा करना असहतव्यूह कहलाता है ।

( ३ ) आगे, पीछे तथा बीच में समानरूप से नियुक्त सेनाओं के व्यूह को दण्ड-व्यूह कहते हैं । जब आगे के दोनों भागों से शत्रु पर आक्रमण किया जाता है तो उस दण्डव्यूह को प्रदरव्यूह कहते हैं । जब पीछे की सेना मुड़ कर शत्रु पर चार करे तो दण्डव्यूह की वह स्थिति दृढकव्यूह के नाम से कही जाती है । पीछे की सेना जब बड़े वेग से शत्रु सेना के बीच में घुस जाय तब उस दृढकव्यूह को असह्यव्यूह

वस्थाप्योरस्याभिक्रान्तः श्येनः; विपर्यये चापं चापकुक्षिः प्रतिष्ठः सुप्रति-  
ष्ठश्च । चापपक्षः सञ्जयः; स एवोरस्यातिक्रान्तो विजयः; स्थूलकर्णपक्षः  
स्थूलकर्णः; द्विगुणपक्षस्थूलो विशालविजयः; त्र्यभिक्रान्तपक्षश्चमूमुखः;  
विपर्यये श्वास्यः । ऊर्ध्वराजिर्दण्डः सूची; द्वौ दण्डौ बलयः; चत्वारो  
दुर्जयः । इति दण्डव्यूहाः ।

(१) पक्षकक्षोरस्यैविषमं वर्तमानो भोगः । स सर्पसारी गोमूत्रिका वा ।  
स युगमोरस्यो दण्डपक्षः शकटः; विपर्यये मकरः; हस्त्यश्वरथैर्व्यतिकोर्णः  
शकटः पारिपतन्तकः । इति भोगव्यूहाः ।

(२) पक्षकक्षोरस्यानामेकीभावे मण्डलः । स सर्वतोमुखः सर्वतोभद्रः;  
अष्टानोको दुर्जयः । इति मण्डलव्यूहाः ।

कहते हैं । आगे-पीछे के उपयुक्त भागों पर सेना को रखकर जब मध्यभाग के द्वारा  
सेना पर आक्रमण किया जाता है तब उस व्यूह को श्येनव्यूह कहते हैं । इन चार  
व्यूहों के सर्वथा विपरीत व्यूहों का नाम है क्रमशः चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ और  
सुप्रतिष्ठ । जिस व्यूह के पिछले भाग चाप ( धनुष ) के समान हो वह संजयव्यूह  
कहलाता है । जब बीच से शत्रु पर आक्रमण करके उसके बीच प्रवेश कर दिया जाता  
है, दण्डव्यूह की वह स्थिति विजयव्यूह कहलाती है । विजयव्यूह की अपेक्षा जिसके  
पिछले हिस्से दुगुने बड़े हो वह विशाल विजयव्यूह कहलाता है । जिस व्यूह के  
अगला, दो पिछले और मध्यभाग, तीनों बराबर हो वह चमूमुखव्यूह कहलाता है ।  
इसके विपरीत होने पर वही चमूमुखव्यूह श्वास्य व्यूह कहलाता है । जिस व्यूह  
की सेना ऊँची होकर शत्रुसेना पर आक्रमण करती है उस दण्डव्यूह को सूचीव्यूह  
कहते हैं । जब आगे, पीछे और मध्य, तीनों स्थानों में दो दण्डव्यूहों को तिरछा खड़ा  
किया जाय तब उसको बलय व्यूह कहते हैं । यदि इसी प्रकार चार दण्डव्यूहों को  
खड़ा कर दिया जाय तो उसको दुर्जयव्यूह कहते हैं । यहाँ तक दण्डव्यूहों का  
निरूपण हुआ ।

( १ ) आगे-पीछे आदि स्थानों के द्वारा विषम संख्या में रचा हुआ व्यूह भोग-  
व्यूह कहलाता है । भोगव्यूह दो प्रकार का होता है—एक सर्पहारी और दूसरा  
गोमूत्रिका । जब उसका मध्य भाग दो भागों में बँटकर दण्डाकार दोनों ओर स्थित  
हो जाता है उस स्थिति में उसको शकटव्यूह कहा जाता है । इसकी विपरीतावस्था  
में वही व्यूह मकरव्यूह कहलाता है । हाथी, घोड़े और रथों से युक्त शकटव्यूह को  
पारिपतन्तकव्यूह कहते हैं । यहाँ तक भोगव्यूहों का निरूपण हुआ ।

( २ ) जिस व्यूह में आगे-पीछे और बीच के सभी विभाग एक साथ मिल जायें  
उसको मंडलव्यूह कहते हैं । जब चारों ओर से शत्रु पर आक्रमण किया जाय तब वही

(१) पक्षकक्षोरस्यानाम् असंहतादसंहतः । स पञ्चानीकानामाकृति-  
स्यापनाद्वज्रो गोधा वा । चतुर्णामुद्यानकः काकपदी वा । त्रयाणामर्घचन्द्रिकः  
कर्कटकशृङ्गी वा । इत्यसंहतव्यूहाः ।

(२) रथोरस्यो हस्तिकक्षोऽश्वपृष्ठोऽरिष्टः ।

(३) पत्तयोऽश्वे रथा हस्तिनश्चानुपृष्ठमचलः ।

(४) हस्तिनोऽश्वे रथाः पत्तयश्चानुपृष्ठमप्रतिहतः ।

(५) तेषां प्रदरं दृढकेन घातयेत्; दृढकमसह्येन, श्येनं चापेन, प्रतिष्ठं  
मुप्रतिष्ठेन, सञ्जयं विजयेन, स्थूलकर्णं विशालविजयेन, पारिपतन्तकं  
सर्वतोभद्रेण । दुर्जयेन सर्वान् प्रतिव्यूहेत ।

मण्डलव्यूह की स्थिति सर्वतोभद्रव्यूह कहलाती है और जब उस व्यूह में आठ सेनायें  
मिलकर शत्रु पर आक्रमण करें तो वही व्यूह दुर्जयव्यूह कहलाता है । यहाँ तक  
मण्डलव्यूहों का निरूपण हुआ ।

( १ ) आगे पीछे आदि की सेनाओं को तितर-वितर कर जो युद्ध किया जाता  
है उसे असंहतव्यूह कहते हैं । उसने दो प्रकार हैं एक वज्र और दूसरा गोधा ।  
जब आगे-पीछे की सभी सेनाओं को वज्र के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब  
उसे वज्रव्यूह और जब उन्हें गोधे के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब उसे  
गोधाव्यूह कहते हैं । जब कि आगे के दोनो हिस्से, बीच का एक हिस्सा और अंत  
का एक हिस्सा इन चार स्थानों में उक्त प्रकार से सेना को खड़ा कर दिया जाता है  
तब उस असंहत व्यूह को उद्यानकव्यूह या काकपक्षीव्यूह कहते हैं । जब आगे के  
दोनों हिस्सों और बीच के एक हिस्से में सेना को खड़ा कर दिया जाता है तब उस  
व्यूह को अर्घचन्द्रिक या कर्कटकशृङ्गीव्यूह कहते हैं । असंहत व्यूह के यही प्रमुख  
भेद हैं ।

( २ ) व्यूहों के तीन भेद और हैं : अरिष्ट, अचल और अप्रतिहत । जिस व्यूह  
के मध्य में रथ, अंत में घोड़े और आदि में हाथी हों उसको अरिष्टव्यूह कहते हैं ।

( ३ ) जिस व्यूह में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ एक-दूसरे के पीछे हों, उसे  
अचलव्यूह कहते हैं ।

( ४ ) जिस व्यूह में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल एक-दूसरे के पीछे हों, उसे  
अप्रतिहतव्यूह कहते हैं ।

( ५ ) उक्त व्यूहों में से प्रदर को दृढक से, दृढक को असह्य से, श्येन को चाप  
से, प्रतिष्ठ को मुप्रतिष्ठ से, सजय को विजय से, स्थूलकर्ण को विशालविजय से और  
पारिपतन्तक को सर्वतोभद्र से तोड़ा जाना चाहिए । दुर्जयव्यूह के द्वारा सभी व्यूहों को  
तोड़ा जाना चाहिए ।

(१) पत्यश्वरथद्विपानां पूर्वं पूर्वमुत्तरेण घातयेत् । हीनाङ्गमधिकाङ्गेन चेति ।

(२) अङ्गदशकस्यैकः पतिः पदिकः, पदिकदशकस्यैकः सेनापतिः, तद्दशकस्यैको नायक इति । स तूर्यघोषध्वजपताकाभिर्व्यूहाङ्गानां सजाः स्थापयेद् अङ्गविभागे सङ्घाते स्थाने गमने व्यावर्तने प्रहरणे च ।

(३) समे व्यूहे देशकालसारयोगात् सिद्धिः ।

(४) यन्त्रैरुपनिषद्योगंस्तोक्षणं व्यासक्तघातिभिः ।

भायाभिर्देवसंयोगैः शकटैर्हस्तिभूपणैः ॥

(५) दूष्यप्रकोपं गौर्यैः स्कन्धावारप्रदीपनैः ।

कोटीजघनघातैर्वा दूतव्यञ्जनभेदनैः ॥

(६) दुर्गं दग्धं हृतं वा ते कोपः कुल्यः समुत्थितः ।

शत्रुराटविको वेति परस्योद्वेगमाचरेत् ॥

( १ ) पैदल, घोडा, रथ तथा हाथी इनको उत्तरोत्तर अग से नष्ट करना चाहिए और हीन अग को अधिक बलवान् अङ्ग से नष्ट करना चाहिए ।

( २ ) दस रथ और दस हाथियों के अधिकारी को पदिक, दस पदिकों के अधिकारी को सेनापति, और दस सेनापतियों के अधिकारी को नायक कहा जाता है । उस सर्वोच्चमत्ताधारी नायक को चाहिए कि वह विशेष वाद्य शब्दों द्वारा अथवा पनाका ध्वजाओं द्वारा व्यूह में खड़ी सेना के लिए साकेतिक इशारों की व्यवस्था करे । युद्ध में खड़ी सेना को बिखराने के लिए, बिखरी हुई सेना को एकत्र करने के लिए, चमती हुई सेना को रोकने के लिए, रुकी हुई सेना को चलाने के लिए तथा आक्रमण करती हुई सेना को लौट आने के लिए तथा प्रहार करने के निश्च यथावसर उक्त संकेतों का प्रयोग किया जाय ।

( ३ ) शत्रु सेना और अपनी सेना में बराबर की व्यूह रचना होने पर देश, काल और योग के अनुसार विजय प्राप्त की जानी चाहिए ।

( ४ ) जामदग्न्य आदि यत्र, औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपाय, तोक्षण आदि गुप्तचरो, छल, कपट, ज्योतिष और हाथी के योग्य वेपों से ढके हुए रथ आदि के द्वारा शत्रु सेना को उद्विग्न करना चाहिए ।

( ५ ) शत्रु के दूष्यों में कोप पैदा करके, आगे गाथों का भूँड खड़ा करके, छावनी में आग लगाकर, सेना के आगे-पीछे छापा मारकर, गुप्तचरो को शत्रु सेना में घुसाकर शत्रु सेना को बेचैन करना चाहिए ।

( ६ ) तेरे दुर्ग को आग लगा दो गई है, तेरे दुर्ग को जीत लिया गया है, तेरे कुल का ही कोई व्यक्ति तेरे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, तेरा साम्रत युद्ध के लिए तैयार

(१) एक हन्यात्र वा हन्याद्विपुः क्षिप्तो धनुष्मता ।  
प्राज्ञेन तु मति क्षिप्ता हन्याद् गर्भगतानपि ॥

इति साप्रामिके दशमेऽधिकरणे दण्डभोगमण्डलासहस्रव्यूहव्यूहन तस्य प्रतिव्यूहस्थापन  
चेति षष्ठोऽध्यायः, आदितस्त्रयस्त्रिंशदधिकशततमः ।

समाप्तमिदं साप्रामिकं दशममधिकरणम् ।

— ० —

हो गया है तेरा आटविक तरे विरुद्ध उठ आया है, आदि अफवाहों को उड़ाकर भी  
विद्रिगीपु शत्रु सेना का उद्विग्न कर सकता है ।

( १ ) धनुर्धारी के धनुष से छोड़ा गया बाण, सभ्य है किसी एक व्यक्ति को ही  
मार डाले या न भी मारे, किन्तु बुद्धिमान् व्यक्ति के द्वारा किया गया बुद्धि का प्रयोग  
गर्भस्य प्राणिमो को भी नष्ट कर देता है । इसलिए युद्ध की अपेक्षा बुद्धि की ही अधिक  
शक्ति-संपन्न समझना चाहिए ।

साप्रामिक नामक दसवें अधिकरण में व्यूहप्रतिव्यूहस्थापना नामक  
छठा अध्याय समाप्त ।

— ० —



ग्यारहवाँ अधिकरण

•

सङ्घवृत्त

## भेदोपादानानि, उपाशुदण्डश्च

(१) सङ्घलाभो दण्डमित्रलाभानामुत्तमः । सङ्घा हि सहतत्त्वादधुष्याः परेयाम् । ताननुगुणान् भुञ्जीत सामदानाभ्याम् । विगुणान् भेददण्डाभ्याम् ।

(२) काम्बोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः । लिच्छिविकव्रजिकमल्लकमद्रकुकुरपाञ्चालादयो राजशब्दोपजीविनः ।

(३) सर्वेयामासन्नाः सत्रिणः । सङ्घाना परस्परन्यङ्गद्वेषवैरकलहस्थानान्युपलभ्य क्रमाभिनीत भेदमुपचारयेयुः—‘असौ त्वा विजल्पति’ इति । एवमुभयतः । बद्धरोयाणा विद्याशिल्पद्यूतवैहारिकेष्वाचार्यव्यञ्जना बालकलहानुत्पादयेयुः । वेशशौण्डिकेषु वा प्रतिलोमप्रशंसाभिः सङ्घमुख्यमनुष्णार्णा तीक्ष्णाः फलहानुत्पादयेयुः । कृत्यपक्षोपग्रहेण वा ।

### भेदक प्रयोग और उपाशुदण्ड

( १ ) भेदक प्रयोग - सघलाभ, सेनालाभ और मित्रलाभ, इन तीनों में सघलाभ उत्तम है, क्योंकि संगठित होने से सघों को शत्रु दबा नहीं पाता है । इन सघों के अनुकूल होने पर विजिगीषु को साम और दान के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए और प्रतिकूलावस्था में भेद तथा दण्ड के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए ।

( २ ) कम्बाज और सौराष्ट्र देशों के क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्गों के सघ कृषि, व्यापार और शास्त्र के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं । लिच्छिविक, व्रजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुण और पांचाल देशों के राजाओं के केवल नाममात्र के सघ होते हैं ।

( ३ ) विजिगीषु को चाहिए कि उक्त सभी प्रकार के सघों में अपने सभी नामक गुप्तचरों को नियुक्त करे और वे सघों के पारस्परिक दोष, द्वेष, वैर और कलह के कारणों को पकड़ कर धीरे धीरे उन्हें प्रकाश में लाकर उन सघों में इस तरीके से कि ‘अमुक सघ आप की ऐसी निंदा करता है’ भेद डाल दे । इसी प्रकार दूसरे को भी पहिले के विरुद्ध भड़काने का पल्ल करे । परस्पर द्वेष रखने वाले सघों के राजकुमारों के कपटो आचार्य बनकर गुप्तचर विद्या, शिल्प, द्यूत और प्रश्नोत्तर आदि के विषय में कलह उत्पन्न करा दे । अथवा वेश्या तथा सुरापान आदि में आसक्त सघ के मुख्य व्यक्तियों की उठती प्रशंसा कराकर तीक्ष्ण गुप्तचर उनमें कलह उत्पन्न करा दें । अथवा सघमुख्यों के प्रति जो कुछ लुब्ध या भीत आदि भ्रष्ट व्यक्ति हो उनको अपने वश में करके फिर सघों के साथ उनका कलह करा दे ।

(१) कुमारकान् विशिष्टच्छन्दिकया हीनच्छन्दिकानुत्साहयेयुः ।

(२) विशिष्टानां चैकपात्रं विवाहं हीनेभ्यो वारयेयुः । हीनान् वा विशिष्टैरेकपात्रे विवाहे वा योजयेयुः । अवहीनान् वा तुल्यभावोपगमने कुलतः पौरुषतः स्थानविपर्यसितो वा । व्यवहारमवस्थितं वा प्रतिलोम-स्थापनेन निशामयेयुः । विवादपदेषु वा द्रव्यपशुमनुष्याभिघातेन रात्रौ तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयुः । सर्वेषु च कलहस्थानेषु हीनपक्षं राजा कोश-दण्डाभ्यामुपगृह्य प्रतिपक्षवधे योजयेत्, भिन्नानपवाहयेद्वा । एकदेशे सम-स्तान् वा निवेश्य भूमौ चेया पञ्चकुलीं दशकुलीं वा कृष्यां निवेशयेत् । एकस्था हि शस्त्रग्रहणसमर्याः स्युः । समवाये चैयामत्ययं स्थापयेत् ।

(३) राजशब्दिभिरवरुद्धमवक्षिप्तं वा कुल्यमभिजातं राजपुत्रत्वे स्था-

( १ ) सध के राजकुमारो मे जो अधिक साधनसपन्न होकर सुसुपूर्वक रहते हो उनके मुकाबले मे असपन्न राजकुमारो को भडका दे ।

( २ ) गुप्तचरो को चाहिए कि वे सध के विशिष्ट व्यक्तियो को उनकी अपेक्षा हीन व्यक्तियो के साथ एक पक्ति मे बैठ कर भोजन करने तथा विवाहादि सबध करने से वञ्चित करें । अथवा हीन व्यक्तियो को विशिष्ट व्यक्तियो के साथ एक पक्ति मे भोजन करने तथा विवाहादि सबध के लिए प्रेरित करें । अथवा छोटी हैसियत के व्यक्तियो को बड़ी हैसियत के व्यक्तियो के बराबर खानदानी या बहादुरी या स्वाना-तर के लिए उत्साहित करें । अथवा सध द्वारा किसी विवादास्पद विषय का निर्णय किये जाने पर जो निर्णय हुआ हो उसके विपरीत ही वादी को जाकर सुनायें । अथवा रात मे तीक्ष्ण गुप्तचर स्वय ही किसी सध के द्रव्य, पशु तथा मनुष्यो को नष्ट कर उसको दूसरे सध वालो का कार्य बताकर प्रचार करे और इस प्रकार के विवादास्पद विषयो को उठाकर उनको आपस मे लडा दे । जब इस प्रकार के कलह सधो मे उत्पन्न हो, तो विजिगीषु को चाहिए कि वह किसी पक्षपात रहित सध के व्यक्ति को कोप तथा दण्ड के द्वारा अपने वश मे कर उससे अपने शत्रु का वध करा डाले । अथवा सध के विरुद्ध हुए उन व्यक्तियो को मध से अलग करा दे । अथवा उनको किसी एक प्रदेश मे इकट्ठा कर पाँच पाँच, दस-दस समूहो के छोटे-छोटे गाँवो मे बसा दे । क्योकि यदि उन्हें एक साथ ही बसा दिया जायगा तो सभव है वे लोग फिर कभी अवसर आने पर विजिगीषु के विरुद्ध हथियार उठाने मे समर्थ हो सकें, इसलिए उनकी आबादी के बीच मे घोड़ी-घोड़ी सेना नियुक्त कर दे ।

( ३ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह नाममात्र को राजा कहलाने वाले लिच्छिवी आदि क्षत्रिय-सधो मे अवरुद्ध या तिरस्कृत, उच्चकुलोत्पन्न गुणी व्यक्ति को राजपुत्र

पयेत् । कार्तान्तिकादिश्चास्य वर्गो राजलक्षण्यतां सङ्घेषु प्रकाशयेत् । सङ्घ-  
मुख्यांश्च धामिष्ठानुपजयेत्—‘स्वधर्मममुष्य राजः पुत्रे भ्रातरि वा प्रतिपद्य-  
ध्वम्’ इति । प्रतिपद्येषु कृत्यपक्षोपग्रहार्थमर्थं दण्डं च प्रेषयेत् ।

(१) विक्रमकाले शौण्डिकव्यञ्जनाः । पुत्रदारप्रेतापदेशेन ‘नैपेच-  
निकम्’ इति मदनरसयुक्तान् मद्यकुम्भान् शतशः प्रयच्छेयुः ।

(२) चैत्यद्वैतद्वाररक्षास्थानेषु च सत्रिणः समयकर्मनिक्षेपं सहिरण्या-  
भिज्ञानमुद्राणि हिरण्यभाजनानि च प्ररूपयेयुः, दृश्यमानेषु च सङ्घेषु ‘राज-  
कीयाः’ इत्यावेदयेयुः । अथावस्कन्द दद्यात् ।

(३) सङ्घानां वा वाहनहिरण्ये कार्तिके गृहीत्वा संघमुख्याय प्रख्यातं  
द्रव्यं प्रयच्छेत् । तदेषा याचिते ‘दत्तममुष्मै मुख्याय’ इति ब्रूयात् ।

के रूप में नियुक्त करे और सबधित ज्योतिषी तथा सामुद्रिक लिच्छिवी-सघो में जाकर उस राजपुत्र को राज-लक्षणो से युक्त प्रकाशित करें । उन सघो के जो मुख्य धार्मिक व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार बहकाया जाय कि ‘अमुक राजपुत्र या राजमाता को सघ के लोग कैद में डाल कर बहुत कष्ट दे रहे हैं, आप ही इस बीच धर्मरामा व्यक्ति हैं, इसलिए आप ही उस निर्दोष राजपुत्र की रक्षा करें ।’ जब सघ के मुख्य लोग इस बात को स्वीकार कर लें तब क्रुद्ध, लुब्ध एवं भीत कृत्य व्यक्तियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए सघ के मुख्य व्यक्तियों के पास सहायतार्थं धन तथा सेना भेजी जाय ।

( १ ) जब युद्ध की तैयारी हो जाय, तब शराव बेचने वाले छत्रवेप गुप्तचर अपने स्त्री पुत्रो के मर जाने का बहाना बनाकर ‘यह नैपेचनिक मद्य है, अपने दिवगत स्त्री-पुत्रो के निमित्त इसको हम आप लोगों के लिए भेंट करते हैं’ ऐसा कह कर विप-  
रस से भरे हुए सँकड़ो घटे लाकर उन्हें थमा दें ।

( २ ) देवालय तथा अन्य पवित्र स्थानों के दरवाजो पर और रक्षास्थानों के सभी गुप्तचर सघ के मुखिया के साथ शर्त के तौर पर अमानत के रूप में दिया जाने वाला धन, अभिज्ञात सुवर्ण मुद्रा सहित तथा अन्य सुवर्ण के पात्र आदि वस्तुओ को सघ के अन्य व्यक्तियों के समक्ष इस प्रकार प्रकट करें कि वे इस बात को जान लें । बात के धुल जाने पर जब सघ के लोग यह पूछें कि ‘यह सुवर्ण का सामान किसका है ?’ तब उनको उत्तर दिया जाय कि ‘यह राजा का है ।’ इस प्रकार सघो में पारस्परिक फूट पड जाने के बाद विजिगीषु फौरन उन पर धावा बोल दे ।

( ३ ) अथवा सभी गुप्तचर किसी बहाने से सघ के लोगों से घोडे, सवारी तथा हिरण्य आदि को नियत समय पर वापिस कर देने के वायदे पर लें ले, और समय आने पर सब लोगों के सामने उस सामान को सघ के मुखिया को वापिस कर दे ।

(१) एतेन स्कन्धावाराटवीभेदो व्याख्यातः ।

(२) सङ्घमुख्यपुत्रमात्मसमावितं वा सत्री प्राहयेंत्—'अमुष्य राज्ञः पुत्र-स्त्वं शत्रुभयादिह न्यस्तोऽसि' इति । प्रतिपन्नं राजा कौशदण्डाभ्यामुपगृह्य सङ्घेषु विक्रमयेत्; अवाप्तार्थंस्तमपि प्रवासयेत् ।

(३) बन्धकोपोषकाः प्लवकनटनर्तकसौभिका वा प्रणिहिताः स्त्रीभिः परमरूपयौवनाभिः सङ्घमुख्यानुन्मादयेयुः । जातकामानामन्यतमस्य प्रत्ययं कृत्वाऽन्यत्र गमनेन प्रसमहरणेन वा कलहानुत्पादयेयुः । कलहे तीक्ष्णाः कर्म कुर्युः—हतोऽपमित्य कामुकः' इति ।

(४) विसंवादिता वा भयंयमाणमभिसृत्वा स्त्री ब्रूयात्—असौ मां मुख्य-स्त्वपि जातकामा घाघते, तस्मिन् जीवति नेह स्यास्यामि' इति घातमस्य प्रयोजयेत् ।

जब वे लोग उससे अपना सामान मांगे तो कह दे कि 'वह सामान मुखिया को वापिस कर दिया गया है ।' इस रीति से सभी गुप्तचर, सघ के लोगों और मुखिया के बीच भेद डाल दें ।

( १ ) अपनी छावनी में प्रविष्ट आटविक लोगों को परस्पर फोड़ने के लिए भी उक्त उपायो को ही उपयोग में लाना चाहिए ।

( २ ) उपाशुवध : सघमुख्य के अभिमानी पुत्र को सभी गुप्तचर यह कह कर बहकायें कि 'तू अमुक राजा का पुत्र है, शत्रु भय से यहाँ रख दिया गया है' । यदि सघ मुख्य का पुत्र इस बात को मान जाय तो उसको कोष और सेना की सहायता देकर सघो के ऊपर आक्रमण के लिए भेज दिया जाय । उसके द्वारा जब अपने कार्य की सिद्धि हो जाय तो बाद में उसको भी प्रवासित कर दिया जाय या मार दिया जाय ।

( ३ ) कुलटा स्त्रियों का पालन पोषण करने वाले या प्लवक, नट, नर्तक और सौभिक बेष में रहने वाले गुप्तचर अत्यंत सुन्दरी यौवन-सपन्न स्त्रियों के द्वारा सघमुख्यो को प्रमादी बनायें । जब स्त्रियों में बहुत से सघमुख्यो की आसक्ति हो जाय तो उनमें से किसी एक को किसी सांकेतिक स्थान पर स्त्री से मिलने का वायदा कर, ठीक समय पर उस स्त्री को वहाँ से किसी दूसरे सघमुख्य के द्वारा अन्यत्र भिजवा दें या उसके द्वारा अपहरण करा दें और बाद में इसी निमित्त उन सघमुख्यो का परस्पर झगडा करा दें । झगडा होने पर तीक्ष्ण गुप्तचर उनमें से किसी एक सघ मुख्य को मार डालें और बाद में यह अफवाह उडा दें कि एक कामी पुरुष ने दूसरे कामी पुरुष का वध कर डाला है ।

( ४ ) यदि उन सघमुख्यो में एक व्यक्ति स्त्री के लिए झगडा न करना चाहे तो

(१) प्रसह्यापहृता वा वनान्ते श्रीडागृहे चापहतरिं रात्रौ तीक्ष्णेन घातयेत् । स्वयं वा रसेन । ततः प्रकाशयेद्—'अमुना मे प्रियो हतः' इति ।

(२) जातकामं वा सिद्धव्यञ्जनः सांबननिकीभिरोपघ्नीभिः संवास्य रसेनातिसन्धापापगच्छेत् । तस्मिन्नपक्रान्ते सत्रिणः परप्रयोगमभिशंसेयुः ।

(३) आदचविधवा गूढाजीवा योगस्त्रियो वा दापनिक्षेपार्थं विवद-मानाः संघमुख्यानुन्मादयेयुः इति । अदितिर्कौशिकस्त्रियो नर्तकीगायना वा प्रतिपन्नान् गूढवेश्मसु रात्रिसमागमप्रविष्टान्तीक्ष्णा हन्युर्बद्ध्वा हरेयुर्वा ।

(४) सत्री वा स्त्रीलोलुपं सङ्घमुद्यं प्ररूपयेत्—'अमुष्मिन् ग्रामे दरिद्र-कुलमपसृतं, तस्य स्त्री राजार्हा, गृहाणं नाम्' इति । गृहीतायामघंमासान्तरं

उसके पास जाकर वह स्त्री कहे 'आपके प्रति मेरी दिली इनाहिश होने पर भी अमुक सधमुख्य मुझे आपके पास आने से रोकता है। उसके जीवित रहते मैं आपके पास न आ सकूँगी', इस प्रकार दूसरे संघमुख्य के वध का आयोजन किया जाय।

(१) अथवा बलात् अपहृत स्त्री तीक्ष्ण गुप्तचर द्वारा अपने अपहरण करने वाले व्यक्ति को मरवा डाले, अथवा स्वयं ही उसे विष देकर मार डाले। तदनन्तर यह अपवाह फैलाये कि 'अमुक संघमुख्य कामुक व्यक्ति ने मेरे प्रियतम को मार डाला है।'

(२) अथवा संघमुख्य जब उस स्त्री पर आसक्त हो जाय तो सिद्ध के बेग में रहने वाला गुप्तचर उस स्त्री पर बशीकरण मन्त्र प्रयोग करने के बहाने सधमुख्य व्यक्ति को विषमिश्रित औषधियाँ देकर मार डाले और स्वयं वहाँ से भाग जाय। उसके भाग जाने पर सभी गुप्तचर इस अपवाह को उड़ायें कि 'प्रतिद्वंद्वी किसी कामी पुरुष की प्रेरणा से ही सिद्ध-मुख्य के द्वारा इसको विष देकर मारा है।'

(३) कोई धनी विधवा, गूढाजीवा ( गरीबी के कारण व्यभिचार करने वाली सधवा ), या स्त्री का कपटवेष धारण करने वाले पुरुष दापभाग या अमानत आदि का विवाद लेकर निर्णय के बहाने संघमुख्यों के पास जाकर उन्हें अपने वस में कर ले। अथवा अदिति ( तरह-तरह के देवताओं के चित्र दिखाकर जीविका कमाने वाली ) स्त्रियाँ, या कौशिक स्त्रियाँ ( सँपेरी की स्त्रियाँ ) या नाचने-गाने वाली स्त्रियाँ ही सधमुख्यों को अपने वस में करें। जब सधमुख्य उन स्त्रियों के जाल में फँस जायें और उनसे सम्भोग करने के लिए किसी निश्चित स्थान का संकेत कर दें, तब एकान्त में उन स्थानों पर रात में सम्भोग करते हुए सधमुख्यों को तीक्ष्ण गुप्तचर मार डाले या बाँध कर उनका अपहरण कर लें।

(४) अथवा स्त्रीलोलुप संघमुख्य को सभी गुप्तचर यह कह कर बहकायें कि 'अमुक गाँव का एक गरीब व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए विदेश चला गया है।

सिद्धव्यञ्जनो दूष्यः सङ्घमुख्यमध्ये प्रकोशेत्—‘असौ मे मुरयां भार्या स्नुषां भगिनीं दुहितरं वाधिचरति’ इति । तं चेत्सङ्घो निगृह्णीयात्, राजनमुपगृह्य विगुणेषु विक्रमयेत् । अनिगृहीते सिद्धव्यञ्जनं हि रात्रौ तीक्ष्णाः प्रवास-येयुः । ततस्तद्व्यञ्जनां प्रकोशेयुः—असौ ब्रह्महा ब्राह्मणोजारश्र्व’ इति ।

(१) कार्तान्तिकव्यञ्जनो वा कन्यामन्येन वृतामन्यस्य प्ररूपयेत्—‘अमुष्य कन्या राजपत्नी राजप्रसविनी च भविष्यति, सर्वस्वेन प्रसह्य वनां लभस्व’ इति । अलभ्यमानाया परपक्षमुद्धर्पयेत् । लब्धायां सिद्धः कलहः ।

(२) भिक्षुकी वा प्रियभार्यं मुख्यं धूयात्—‘असौ ते मुख्यो यौवनोत्सिक्तो भार्याया मा प्राहिणोत्; तस्याहं भयात्लेख्यमाभरणं गृहीत्वाऽऽगतास्मि,

उसको रूपवती स्त्री राजा के योग्य है । आप उसको ले लें ।’ यदि वह सधमुख्य उस स्त्री को ग्रहण कर ले तो पन्द्रह दिन के बाद सिद्ध-वेषधारी दूष्य पुरुष सधमुख्यो के पास आकर शोर मचाता हुआ इस प्रकार कहे ‘यह सधमुख्य मेरी पत्नी या पुत्रवधू या वहिन या लड़की को बलात् उपभोग करता है ।’ इस बात को सुनकर सध के लोग यदि उस सधमुख्य को गिरफ्तार कर लें तो विजिगीषु राजा उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी ओर मिलाकर, विरोधी सधो के साथ उसको युद्ध करने के लिए खड़ा कर दे । यदि उसको गिरफ्तार न किया जाय तो सिद्ध के वेष में आये हुए उस दूष्य पुरुष को तीक्ष्ण गुप्तचर रात में मार डालें । उसके बाद वही तीक्ष्ण गुप्तचर सिद्ध का वेष धारण कर यह शोर मचाये कि ‘अमुक सधमुख्य ब्रह्म हत्यारा है । यह ब्राह्मणी का बलात् उपभोग करता है और इसी ने ब्राह्मण को भी मार डाला है ।’

( १ ) ज्योतिषी के वेष में रहने वाले सभी गुप्तचर किसी दूसरे सधमुख्य द्वारा वरण की हुई कन्या को किसी दूसरे ही सधमुख्य के लिए बतलाकर उससे कहे कि ‘अमुक व्यक्ति की कन्या से जो ब्याह करेगा वह राजा होगा और उससे जो पुत्र होगा वह भी राजा बनेगा । इसलिए अपना सर्वस्व लगाकर अथवा बलात्कार द्वारा ही उसको अवश्य प्राप्त करो ।’ इसके बाद यत्न करने पर भी यदि वह सधमुख्य उस कन्या को प्राप्त न कर सकें तो जिस घर में उस कन्या का विवाह हुआ है उन लोगों को इसके विरुद्ध उभाढे । यदि वह कन्या को प्राप्त कर ले तब दोनों सधमुख्यो में झगडा होना निश्चित है ।

( २ ) अथवा भिक्षुकी के वेष में रहने वाली गुप्तचर पर किसी ऐसे सधमुख्य के पास, जो कि अपनी स्त्री पर बुरी तरह आसक्त है, जाकर यह कहे ‘अपने यौवन के अभिमान में अमुक सधमुख्य ने आपकी स्त्री के साथ समापम करने की इच्छा से दूती बनाकर मुझे भेजा है, भय से विवश होकर वह प्रेमपत्र और यह आभूषण

निर्दोषा ते भार्या; गूढमस्मिन् प्रतिकर्तव्यम् । अहमपि तावत्प्रतिपत्स्यामि'  
इति । एवमादिषु कलहस्थानेषु स्वयमुत्पन्ने वा कलहे तीक्ष्णैरुत्पादिते वा  
होनपक्षं राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य विगुणेषु विक्रमयेदपवाहयेद् वा ।

(१) सङ्घेष्वेवमेकराजो वर्तेत । सङ्घराश्राप्येवमेकराजावेतेभ्योऽतिस-  
न्धानेभ्यो रक्षयेयुः ।

(२) सङ्घमुत्पन्नश्च सङ्घेषु न्यायवृत्तिहितः प्रियः ।

दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेत्सर्वचिन्तानुवर्तकः ॥

इति सधवृत्ते एकादशेऽधिकरणे भेदोपादानानि उपाशुदण्डश्चेति प्रथमोऽध्याय ,  
आदितश्चतुस्त्रिंशदधिकशततम ।

समाप्तमिदं सधवृत्तं नाम एकादशमधिकरणम् ।

—: ० :—

आदि उपहार लेकर मुझे यहाँ आना पडा है । आपकी पत्नी सर्वथा निर्दोष है ।  
इसलिए आप चुपचाप ही उस सधमुख्य का वध कर डालें । जब तक उसकी हत्या  
नहीं की जायगी तब तक डर के मारे मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती हूँ ।' इस प्रकार  
कलह के कारणों के उत्पन्न होने पर अथवा तीक्ष्ण आदि गुप्तचरो द्वारा उत्पन्न किये  
जाने पर कमजोर सधमुख्य को विजिगीषु कोष तथा सेना की यथोचित सहायता  
देकर अपने वश में कर ले और अबसर आने पर उसे विरोधी सधमुख्यो के मुकाबले  
में युद्ध के लिए तैयार कर दे । यदि वह युद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे अपने देश  
से बाहर कर दे ।

( १ ) इस प्रकार विजिगीषु उन सधमुख्यो पर अपना आधिपत्य जमाये रखे और  
सधो को भी उचित है कि वे इस प्रकार की चेष्टा करने वालो तथा उनके द्वारा  
फँलाये गये पड्यन्त्रो से अपनी रक्षा करते रहें ।

( २ ) अतः सधमुख्य को चाहिए कि वह सधो के बीच में न्यायपूर्ण हितकारी  
और प्रिय व्यवहार करे । कभी भी उद्धत होकर बर्ताव न करे और अपने अनुकूल  
व्यक्तियों को सदा अपने समीप रखे तथा सब सधो के व्यक्तियों की राय से राज-  
व्यवहार चलाये ।

सधवृत्त नामक ग्यारहवें अधिकरण में भेदोपादान-उपाशुदण्ड नामक  
पहला अध्याय समाप्त ।

—: ० :—



•

बारहवाँ अधिकरण

•

आबलीयस

(१) बलीयसाऽभियुक्तो दुर्बलः सर्वत्रानुप्रणतो घेतसधर्मा तिष्ठेत् ।  
'इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमति' इति भारद्वाजः ।

(२) 'सर्वसन्दोहेन बलानां युध्येत, पराक्रमो हि व्यसनमपहन्ति ।  
स्वधर्मश्चैव क्षत्रियस्य, युद्धे जयः पराजयो वा' इति विशालाक्षः ।

(३) नेति कौटिल्यः । सर्वत्रानुप्रणतः कुलंडक इव निराशो जीविते  
वसति । युध्यमानश्चाल्पसैन्यः समुद्रमिवाप्लवोऽवगाहमानः सीदति । तद्वि-  
शिष्टं तु राजानमाधितो दुर्गमविपह्यं वा चेष्टेत ।

### दूतकर्म

( १ ) 'जब किसी दुर्बल राजा पर कोई बलवान् राजा आक्रमण करे तो उसे चाहिए कि वह हर प्रकार का अपमान सहन करता हुआ उसके सामने बैठ की तरह झुक जाय । जो अपने से बलवान् राजा के सामने झुकता है, वह दंड के सामने झुकता है'—यह आचार्य भारद्वाज का मत है ।

( २ ) किन्तु इसके विरुद्ध आचार्य विशालाक्ष की राय है कि 'दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपनी सारी सैन्य-शक्ति को लगाकर बलवान् राजा के साथ युद्ध करे; क्योंकि पराक्रम ही आपत्तियों को नष्ट करता है और पराक्रम तो क्षत्रिय का धर्म है । युद्ध में विजय हो या पराजय, क्षत्रिय को अपने क्षात्रधर्म का पालन करना चाहिए; शत्रु के आगे कदापि न झुकना चाहिए ।'

( ३ ) किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त दोनों मतों से सहमत नहीं है । उसका कहना है कि 'जो दुर्बल राजा हर तरह का अपमान होने पर भी नम्र ही बना रहता है उसका जीवन बँगा हो दूधर हो जाता है, जैसा कि अपने समूह से अलग हुए मेंढे का । इसी प्रकार घोड़ी सेना को लेकर जो युद्ध में जाता है उसकी वही स्थिति है, जो लेंगे के साधनों को भाग लिये बिना ही समुद्र में बूढ़ पड़ता है । इसलिए दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी राजा के सामने या उससे भी अधिक शक्तिशाली किसी दूसरे राजा का आश्रय प्राप्त करे । अपना ऐसे दुर्ग में जाकर शत्रु का मुकाबला करे, जो कि अभेद्य हो ।

(१) त्रयोऽभियोक्तारो धर्मलोभासुरविजयिन इति । तेषामभ्यवपस्या धर्मविजयी तुष्यति; तमभ्यवपद्येत परेषामपि भयात् । भूमिद्रव्यहरणेन लोभविजयी तुष्यति; तमर्थेनाभ्यवपद्येत । भूमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणेन असुरविजयी, तं भूमिद्रव्याभ्यामुपगृह्याग्राह्यः प्रतिकुर्वीत ।

(२) तेषामुत्तिष्ठमानं सन्धिना मंत्रयुद्धेन कूटयुद्धेन वा प्रतिव्यूहेत । शत्रुपक्षमस्य सामदानाभ्यां, स्वपक्षं भेददण्डाभ्याम् । दुर्गं राष्ट्रं स्कन्धावारं वास्य मूढाः शस्त्ररसाग्निभिः साधयेयुः ।

(३) सर्वतः पार्ष्णिमस्य ग्राहयेत्, अटवीभिर्वा राज्यं घातयेत्, तत्कुली-नावरुद्धाभ्यां वा हारयेत् ।

(४) अपकारान्तेषु चास्य दूतं प्रेषयेत् । अनपकृत्य वा सन्धानम् । तथा-प्यभिप्रयान्तं कोशदण्डयोः पादोत्तरमहोरात्रोत्तरं वा सन्धिं याचेत ।

( १ ) दुर्बल राजा पर आक्रमण करने वाला बलवान् राजा तीन प्रकार का होता है १ धर्मविजयी २. लोभविजयी और ३. असुरविजयी । उनमें धर्मविजयी तो आत्मसमर्पण करने से सतुष्ट हो जाता है । उस धर्मविजयी राजा की शाखा में जाने से दुर्बल राजा अपने वर्तमान सकट को तो दूर कर ही लेता है, वरन् दूसरे बलवान् राजाओं से भी वह अपनी रक्षा कर लेता है । लोभविजयी राजा भूमि और धन देने से सतुष्ट हो जाता है । इसलिए दुर्बल राजा धनादि देकर उसको सतुष्ट करे । किन्तु असुरविजयी राजा तो भूमि, द्रव्य, स्त्री, पुत्र और प्राणों तक ले लेने के बाद ही सूझना है । इसलिए उससे दूर रहकर ही उसको भूमि आदि देकर अपने अनुकूल बनाना चाहिए या सन्धि आदि के द्वारा उसका प्रतीकार करना चाहिए ।

( २ ) यदि उक्त राजाओं में से कोई राजा दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो सन्धि, मंत्र-युद्ध अथवा कूट-युद्ध के द्वारा उसका मुकाबला करना चाहिए । उस बलवान् अभियोक्ता के शत्रुपक्ष को साम तथा दाम द्वारा अपने अनुकूल बनाना चाहिए और अपने प्रकृतिवर्ग को भेद तथा दण्ड द्वारा अपने वश में रखना चाहिए । उस प्रबल राजा के दुर्ग, राष्ट्र तथा छावनियों को अपने गुप्तपुरुषों द्वारा शस्त्र, विष तथा अग्नि आदि से नष्ट कर देना चाहिए ।

( ३ ) यथावसर उसके आगे-पीछे, अगल-वगल से छापा मारना चाहिये; अथवा आटविक पुरुषों द्वारा उसके दुर्ग, जनपद को नष्ट करवा देना चाहिए, अथवा उसके द्वारा अवच्छेद उसके किसी बधु-बाधव द्वारा ही उसके राज्य का अपहरण करवा देना चाहिए ।

( ४ ) इस प्रकार उसका अनिष्ट कर देने के बाद सन्धि के लिए उसके पास अपना दूत भेजना चाहिए । अथवा यदि उसका अनिष्ट न किया जा सके तो उससे

(१) स चेद्दण्डसन्धि याचेत्, कुण्ठमस्मै हस्त्यखं दद्यात् । उत्साहितं वा गरयुक्तम् ।

(२) पुरुषसन्धि याचेत्, द्रुप्यामित्राटवीबलमस्मै दद्याद्योगपुरुषाधिष्ठितम् । तथा कुर्याद्यथोभयविनाशः स्यात् । तीक्ष्णबल वाऽस्मै दद्यात्, यदवमानितं विकुर्वीत । मौलमनुरक्तं वा, यदस्य व्यसनेऽपकुर्यात् ।

(३) कोशसन्धि याचेत्, सारमस्मै दद्यात् । यस्य क्रेतारं नाधिगच्छेत्; कुप्यमयुद्धयोग्यं वा ।

(४) भूमिसन्धि याचेत्, प्रत्यादेया नित्यामित्रामनपाश्रया महाक्षयव्ययनिवेशा वास्मै भूमिं दद्यात् ।

(५) सर्वस्वेन वा राजधानीवर्जेन सन्धि याचेत् बलीयसः ।

सधि की याचना करनी चाहिए । यदि वह इतने पर भी रजामद न हो और चढाई करने पर ही आमादा हो तो पूर्वप्रतिज्ञात धन में अपने कोष तथा सेना का चौथाई भाग अधिक बढ़ाकर उससे सधि के लिए याचना करनी चाहिए ।

( १ ) यदि वह बलवान् अभियोक्ता सधि की शर्तों में केवल सेना को ही लेना चाहे तो सर्वथा अशक्त हाथी, घोड़े अथवा विष खिलाकर सशक्त हाथी, घोड़े देकर सधि कर लेनी चाहिए ।

( २ ) यदि वह सधि की शर्तों में पैदल सेना की माँग करे तो अपने गुप्तचरो को साथ मिलाकर द्रुष्यबल, शत्रुबल तथा आटविकबल शर्तनामा में देने चाहिए और इस प्रकार का प्रवचन करे कि अपनी वे द्रुप्य आदि सेनायें तथा शत्रु की सेनायें नष्ट हो जायें । अथवा ऐसे तीक्ष्ण बल को देना चाहिए जो थोड़ी सी धात पर विगड लड़े और शत्रु का अपकार करने के लिए तैयार हो जाय । अथवा बशपरपरा से चली आती अनुरक्त तथा विषवासी सेना को सधि में देना चाहिए, जो आपत्ति के समय शत्रु का अपकार कर सके ।

( ३ ) यदि अभियोक्ता सधि के बदले में धन लेना पसन्द करे तो ऐसे बहुमूल्य रत्न आदि दिये जायें, जिन्हे कोई न खरीद सके अथवा ऐसा सामान दिया जाय जो युद्ध में काम न आ सके ।

( ४ ) यदि अभियोक्ता भूमिसधि की माँग करे तो उसको ऐसी भूमि दी जाय, जिसको आसानी से वापस लिया जा सके अथवा जिसके स्थायी शत्रु हो या जिसमें कोई दुर्ग न हो और जिसमें अधिक क्षय व्यय की आशंका हो ।

( ५ ) अथवा जो अत्यन्त बलवान् अभियोक्ता हो उसको राजधानी के अलावा अपना सर्वस्व देकर, उससे सधि कर लेनी चाहिए ।

(१) यत्प्रसह्य हरेदग्न्यस्तत्प्रयच्छेदुपायतः ।  
रक्षोत्स्वदेहं न धनं का ह्यनित्ये धने दया ॥

इति आदलीयसनाम्नि द्वादशोऽधिकरणे दूतकर्मणि सन्धियाचन नाम  
प्रथमोऽध्यायः, आदितः पञ्चत्रिंशदधिकशततमः ।

— ० —

( १ ) यदि कोई बलवान् अभियोक्ता किसी दुर्बल राजा से बलात् धन आदि का अपहरण करे तो वह धन मधि आदि के बहान उमी का दे देना चाहिए । धन की ओ अपना अपन प्राणों की अधिक रक्षा करना चाहिए, क्योंकि अनित्य धन पर अधिक मोह करना ठीक नहीं है । यदि जीवन रहगा तो नष्ट हुआ धन फिर से पैदा किया जा सकता है ।

आदलीयस नामक बारहवें अधिकरण में दूतकर्म नामक  
पहला अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) स चेत्सन्धी नावतिष्ठेत, ब्रूयादेनम्—‘इमे पड्वर्गवशगा राजानो विनष्टाः, तेषामनात्मवतां नार्हसि नार्गमनुगन्तुम्, धर्ममर्थं चावेक्षस्व, मित्र-मुखा ह्यमित्रास्ते ये त्वां साहसधर्ममर्थान्ति क्रमं व ग्राहयन्ति, शूरैस्त्यक्ता-त्मनिः सह योद्धुं साहसं जनक्षयमुभयतः कर्तुमधर्मः; दृष्टमर्थं मित्रमदुष्टं च त्यक्तुमर्थान्ति क्रमः । मित्रवांश्च स राजा भूयश्चैतेन अर्थेन मित्राण्युद्योज-यिष्यति, यानि त्वा सर्वलोऽभियास्यन्ति । न च मध्यमोदासीनयोर्मण्डलस्य वा परित्यक्तः, भवांस्तु परित्यक्तो ये त्वां समुद्युक्तमुपप्रेक्षन्ते—‘भूयः क्षय-व्ययाभ्यां युज्यतां, मित्राञ्च भिक्षताम्, अर्थेन परित्यक्तमूलं सुखेनोच्छे-त्स्याम’ इति । स भवान् नार्हति मित्रमुखानाममित्राणां श्योतुं मित्राण्युद्धेज-

### मन्त्रयुद्ध

( १ ) यदि प्रबल अभियोक्ता सधि के लिए राजी न हो तो उससे कहा जाय कि ‘देखिए, काम, क्रोधादि अरि पड्वर्ग के चगुल में फँस कर इन विनष्ट हुए राजाओं का उदाहरण आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपको ऐसे नीच-राजाओं का अनुसरण करना शोभा नहीं देता है, अपने धर्म और अर्थ की ओर तो देखिए । आपके ये ऊपरी मित्र वस्तुतः आपके भीतरी शत्रु हैं, जो आपको युद्ध, अधर्म और अपव्यय की ओर प्रेरित कर रहे हैं, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर दूसरे बलवान् राजा के साथ युद्ध करना ही तो साहस है, उसमें दोनों ओर के आदमियों का नाश होता है, यही तो अधर्म है, विद्यमान धन और अत्यन्त सज्जन मित्र को छोड़ने के लिए आपको जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, वही तो धन का अपव्यय है; उस राजा के और भी मित्र हैं, इसी धन से वह अपने उन मित्रों को साथ लेकर आप पर ही आक्रमण कर देगा, मध्यम और उदासीन राजा भी उसकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं; लेकिन आपको तो उन्होंने त्याग दिया है, युद्ध के लिए तैयार आपको वे लोग चुपचाप देख रहे हैं कि आपके प्रभूत जन-धन का नाश हो जाय और आपका अपने मित्र के साथ मतभेद हो जाय, इस प्रकार जब आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जायेगी और जब आप अपनी राजधानी को छोड़कर युद्ध में चले जायेंगे तो वे बड़ी सरलता से आपका उच्छेद कर देंगे, इसलिए आपके लिए यही उचित है कि ऊपर से मित्र बने

यितुम्, अमित्रांश्च श्रेयसा योक्तुम्, प्राणसंशयमनर्थं चोपगन्तुम्' इति । यच्छेत् ।

(१) तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेद् यथा संघवृत्ते व्याख्यातं, योगवामने च । तीक्ष्णरसदप्रयोगं च । यदुक्तमात्मरक्षितके रक्ष्यं, तत्र तीक्ष्णान् रसदांश्च प्रयुञ्जीत ।

(२) बन्धकीपोषकाः परमरूपयीवनाभिः स्त्रीभिः सेनामुख्यानुन्मादयेयुः । बहूनामेकस्यां द्वयोर्वा मुख्ययोः कामे जाते तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयुः । कलहै पराजितपक्षं परत्रापगमने यात्रासाहाय्यदाने वा मर्त्योर्जायेयुः ।

(३) कामवशान् वा सिद्धव्यञ्जनाः सांवननिकीभिरोपधिभिरतिसन्धानाय मुख्येषु रसं दापयेयुः ।

(४) वैदेहकव्यञ्जनो वा राजमहिष्याः सुभगायाः प्रेथ्यामासन्नां काम-

उन भीतरी शत्रुओं का आप विश्वास न करें, अपने मित्रों को खिन्न कर शत्रुओं के कल्याण साधन मत बनायें, अपने प्राणों को विपत्ति में डालकर अपने धन का इस प्रकार अपव्यय न कीजिए ।' इस प्रकार समझाये गये राजा को जिस शर्त पर सधि के लिए तैयार किया जाय, उस शर्त को पूरा करके सधि को पक्की बनाने के लिए यत्न किया जाना चाहिए ।

( १ ) यदि इस प्रकार समझाने बुझाने पर भी वह राजी न हो और युद्ध के लिए तैयार हो तो संघवृत्त तथा योगवृत्त अधिकरणों में निर्दिष्ट उपायों के द्वारा उसके प्रकृतिमडल को कुपित कर देना चाहिए । उस आक्रमणकारी को मारने के लिए तीक्ष्ण तथा रसद गुप्तचर नियुक्त किये जाय । आत्मरक्षित प्रकरण में जिन रक्षायोग्य स्थानों का निरूपण किया गया है वहाँ पर तीक्ष्ण तथा रसद आदि गुप्तचरों को नियुक्त कर उस राजा का काम तमाम कर देना चाहिए ।

( २ ) कुलटा स्त्रियों का पालन-पोषण करने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि वे सुन्दर रूपवती युवती स्त्रियों के द्वारा सेना के प्रमुख व्यक्तियों को प्रमादी बनवा दें, जब बहुत सारे अथवा दो सेनामुख्यों को एक ही स्त्री में कामासक्ति हो जाय तब तीक्ष्ण गुप्तचर उनमें परस्पर कलह पैदा कर दें । आपसी झगड़े में जो हार जाय उसको विजिगीषु के पक्ष में भेज दिया जाय और जब विजिगीषु आक्रमण करने लगे तब सहाय्यतायें उसको नियुक्त किया जाय ।

( ३ ) अथवा जो सेना मुख्य कामावत हो, उन्हें सिद्ध के वेश में रहने वाले गुप्तचर वशीकरण द्वारा उस सुन्दरी युवती को वश में करने के उपायों का बहाना करके विपमिश्रित औषधि खिलाकर मार डालें ।

( ४ ) व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर अति सुन्दरी पटरानी की अवतरण

निमित्तमर्थनाभिद्वय परित्यजेत् । तस्यैव परिचारकव्यञ्जनोपदिष्टः सिद्ध-  
व्यञ्जनः सावननिकौमोपधि दद्याद्, वंदेहकशरीरेऽवघातव्येति । सिद्धे सुभ-  
गाया अध्येनं योगमुपदिशेद्—राजशरीरेऽवघातव्या इति । ततो रसेनाति-  
सन्दध्यात् ।

(१) कार्तान्तिकव्यञ्जनो वा महामात्रं राजलक्षणसम्पन्नं क्रमाभिनीतं  
ब्रूयात् । भार्यामस्य भिक्षुकी—'राजपत्नी राजप्रसविनी वा भविष्यति'  
इति ।

(२) भार्याव्यञ्जना वा महामात्रं ब्रूयात्—'राजा किल मामवरोध-  
यिष्यति, तवान्तिकाय पत्रलेख्यमामरणं चेदं परिवाजिकयाऽऽहतम्' इति ।

(३) सूदारालिकव्यञ्जनो वा रसप्रयोगार्थं राजवचनामर्थं चास्य

सेविका को प्रचुर धन दे कर अपने उपभोग के लिए उसे फुसलाये और एक बार  
उसका भोग कर दुबारा उससे पास न जाने । फिर उसी गुप्तचर से प्रेरित होकर  
दूसरा सिद्ध वेपथारी उस पटरानी की सेविका को वनीकरण औपधि देकर उससे  
कहे कि 'इस औपधो को अपने व्यापारी प्रेमी के शरीर पर छिद्रक देना, वह तुम्हारे  
वश में हो जायेगा ।' जब दिखावा मात्र के लिए वह व्यापारी वेपथारी गुप्तचर उस  
सेविका के वश में हो जाय तब उस मुन्दरी पटरानी को भी वनीकरण के प्रयोग का  
उपदेश दिया जाय । उसने कहा जाय कि 'इस औपधि को राजा के शरीर पर  
छिद्रक देने से वह तुम्हारे कबू में हो जायेगा ।' उस वनीकरण योग में बिय मिलाकर  
इस प्रकार राजा का वध कर दिया जाय ।

( १ ) अथवा ज्योतिषी ( कार्तान्तिक ) के वेश में रहने वाली गुप्तचर,  
विश्वासी राजलक्षण-नपन्न महामात्र को यह कहकर फुसलाये कि 'तुम अवश्य ही  
राजा बनोगे ।' और भिक्षुकी गुप्तचर स्त्री द्वारा उस महामात्र की पत्नी को कहला  
दिया जाय कि 'तुम पटरानी बनोगी और तुम राजा होने योग्य पुत्र को पैदा  
करोगी ।' इस प्रकार राजा बनने की इच्छा रखने वाले महामात्र का राजा से विरोध  
हो जायेगा ।

( २ ) अथवा महामात्र की स्त्री बनकर रहने वाली छद्मवेष स्त्री उससे कहे  
कि 'राजा मुझे अवश्य ही अपने अंत पुर में रोक लेगा । दूती द्वारा लगे गये तुम्हारे  
नाम के इस पत्र और इन आभरणों से यह साफ जाहिर होता है ।' ऐसा करने से भी  
महामात्र का राजा के साथ विरोध हो जायगा ।

( ३ ) अथवा रमोश्मा ( सूद ) और मास बनाने वाली ( आरालिक ) के वेश  
में रहने वाले गुप्तचर बिय का प्रयोग करने के लिए राजा के गुप्त कथन को तथा इस  
लोभ में डालने के लिए दिये हुए राजा के धन को कि, महामात्र को मारना है,



लोभनीयमभिनयेत् । तदस्य वंदेहकव्यञ्जनः प्रतिसन्दध्यात्, कार्यसिद्धिं च  
 ज्ञेयात् । एवमेकेन द्वाभ्यां त्रिभिरित्युपायैरेकैकमस्य महामात्रं विक्रमायाप-  
 नमनाय वा योजयेदिति ।

(१) दुर्गेषु चास्य शून्यपालासन्नाः सत्रिणः पौरजानपदेषु मैत्रीनिमित्त-  
 मावेदयेयुः—‘शून्यपालेनोक्ता योधाश्च अधिकरणस्थाश्च—‘कृच्छ्रगतो राजा  
 जीवन्नागमिष्यति न वा; प्रसह्य वित्तमार्जयध्वममित्रांश्च हत’ इति । बहुली-  
 भूते तोक्षणाः पौरान् निशास्वाहारयेयुः, मुख्यांश्चाभिहन्त्युः—‘एवं क्रियन्ते, ये  
 शून्यपालस्य न शुभ्रपन्ते’ इति । शून्यपालस्थानेषु च सशोणितानि ‘शस्त्र-  
 वित्तबन्धनान्युत्सृजेयुः । ततः सत्रिणः—‘शून्यपालो घातयति विलोपयति च’  
 इत्यावेदयेयुः ।

(२) एवं जानपदान्समाहर्तुर्भेदयेयुः ।

महामात्र के सामने प्रकट कर दें । ठीक उसी समय व्यापारी के देय में रहने वाला  
 गुप्तचर महामात्र के पास आकर माक्षी रूप में बहे कि ‘राजा के बहने से मैंने तुम्हारे  
 सूद और आरालिक को विप दिया था, मैं नहीं जानता कि वे किस उद्देश्य के लिए ले  
 गये थे ।’ और यह भी बता दे कि ‘इस विप से तत्काल ही मृत्यु हो सकती है ।’ इस  
 प्रकार विजिगीषु के गुप्तचर एक, दो या तीनो प्रयोगों से महामात्र को राजा के विरुद्ध  
 बनाकर दोनों को युद्ध के लिए उभाड़ दें ।

( १ ) शत्रु के स्थानीय दुर्गों में रहने वाले शून्यपाल की ओर सभी गुप्तचर  
 नगरवासियों तथा जनपदवासियों से बहे ‘शून्यपाल ने सेनाओं और राजकर्मचारियों  
 से कहा है कि राजा महान् विपत्ति में फँस गया है । कहा नहीं जा सकता कि वह  
 जीवित सौट भी सकेगा या नहीं । इसलिए बलपूर्वक आप यथेच्छया जनता से धन  
 सूटें और जो बाधा डाले उसको मार डालें ।’ जब शून्यपाल की यह आज्ञा सर्वत्र फैल  
 जाय तब तीक्ष्ण गुप्तचर अपने आदमियों को रात में नगर की लूट पाट करने के लिए  
 प्रेरित करें और नगर के प्रमुख व्यक्तियों को धरवा डालें । सब जगह इस बात को  
 फैला दें कि ‘जो शून्यपाल का कहना न मानेंगे उनकी यही हालत की जायेगी ।’ इसी  
 बीच वे रक्त से भीगे अन्न शस्त्र तथा रस्सी आदि को शून्यपाल के स्थान में रखवा  
 दें । तदनन्तर सभी गुप्तचर इस बात का प्रचार करें कि ‘यह शून्यपाल ही सब लोगों  
 को मरवाता तथा लुटवाता है’ इस तरीके से शून्यपाल तथा प्रजा में लड़ाई करा  
 दी जाय ।

( २ ) इसी प्रकार समाहर्ता ( टैक्स कलेक्टर ) और जनपदवासियों के बीच  
 फूट डाली जाय ।

(१) समाहर्तृपुरुषांस्तु ग्राममध्येषु रात्रौ तीक्ष्णा हत्वा ब्रूयुः—‘एवं क्रियन्ते, ये जनपदमधर्मेण बाधन्ते’ इति ।

(२) समुत्पन्ने दोषे शून्यपालं समाहर्तारं वा प्रकृतिकोपेन घातयेयुः । तत्कुलीनमवरुद्धं वा प्रतिपादयेयुः ।

(३) अन्तःपुरपुरद्वारद्वयधान्यपरिग्रहान् ।  
दहेयुस्तांश्च हन्युर्वा ब्रूयुरस्यातंवादिनः ॥

इति आबलीयसे द्वादशोऽधिकरणे मन्त्रयुद्ध नाम द्वितीयोऽध्याय ,  
आदित पङ्क्तिशदधिकशततम ।

— ० —

( १ ) समाहर्ता के आदमियों को रात के समय गाँव के मध्य में मारकर तीक्ष्ण गुप्तचर यह प्रचार करें कि ‘जो लोग अधर्मपूर्वक प्रजावर्ग को पीड़ित करते हैं उनकी यही दशा होती है ।’

( २ ) जब शून्यपाल और समाहर्ता, दोनों के ऐसे कुकर्म सर्वत्र फैल जायें और उनसे प्रजाजन पूरी तरह कुपित हो जायें, तब सभी गुप्तचर उनका भी वध कर डालें और उस शत्रु राजा के किसी बन्धु-बाधव, को या नजरबन्द राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दें ।

( ३ ) उसके बाद तीक्ष्ण गुप्तचर अंत पुर, पुरद्वार ( नगर का प्रधान द्वार ), द्रव्य परिग्रह ( लकड़ी वल्ह के गोदाम ) और धान्य परिग्रह ( अन्नभंडार ) आदि को जला दें तथा उन स्थानों के रक्षकों को मार डालें । तदनन्तर स्वयं इस दुर्घटना के लिए हादिक दुःख प्रकट करते हुए, इस कार्य को नगर या गाँव के लोगों का किया हुआ बतायें ।

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में मन्त्रयुद्ध नामक  
दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

## सेनामुख्यवधः मण्डलप्रोत्साहनं च

(१) राज्ञो राजवल्लभानां चासन्नाः सत्रिणः पर्यभरयद्विपमुष्यानां 'राजा क्रुद्धः' इति सुहृद्विवासेन मित्रस्थानीयेषु कथयेयुः। बहुलीभूते तीक्ष्णाः कृतरात्रिचारप्रतीकाराः गृहेषु 'स्वामिवचनेन आगम्यताम्' इति ब्रूयुः सत्रिगच्छन्त एवामिहन्व्युः। 'स्वामिसन्देशः' इति चासन्नान् ब्रूयुः। ये च प्रवासितास्तान् सत्रिणो ब्रूयुः—'एतत्तद् यदस्माभिः कथितं जीवितुकामेन अपक्रान्तव्यम्' इति।

(२) येभ्यश्च राजा याचितो न ददाति तान् सत्रिणो ब्रूयुः—'उक्तः शून्यपालो राजा—अपाध्यमयं मत्तो चासौ मा याचते, मया प्रत्याख्याताः शत्रुसंहिताः, तेषामुद्धरणे प्रयतस्व' इति। ततः पूर्ववदाचरेत्।

### सेनापतियों का वध और राजमण्डल की सहायता

(१) राजा तथा राजा के प्रियजनो के निकट मित्र बनकर रहने वाले सभी गुप्तचर पंडल, घुडसवार, रथसवार तथा हाथीसवार सेनाओं के अध्यक्षों और महामात्रों के मित्रों के यहाँ जाकर अत्यन्त विश्वासी मित्रों की तरह उसमें बहें कि 'सेनाध्यक्ष आदि पर राजा क्रुद्ध हो गया है।' जब यह प्रवाद सर्वत्र फैल जाय तब, रात्रिभ्रमण की निषेधाज्ञा में भ्रमण करने की अनुमति प्राप्त कर सभी गुप्तचर घर-घर में जाकर सेनाध्यक्ष आदि से कहे कि 'स्वामी की आज्ञा से आप लोगों को तत्काल स्वामी के पास जाना चाहिए।' और जब वे बाहर निकलें तो उन्हें भरवा डालें। तदनन्तर मित्र के वेप में रहने वाले तीक्ष्ण गुप्तचर सभी गुप्तचरों से कहे कि हमने यह सब कार्य स्वामी की आज्ञा से किया है। जो सेनापति आदि पहिले ही राजा को छोड़ कर चले गये हैं उनसे सभी गुप्तचर कहें 'देखिए, जो हमने कहा था वही हुआ न, कि जो भी अपनी जान बचाना चाहे वह यहाँ से भाग जाय।'।

(२) किसी के द्वारा कोई वस्तु माँगी जाने पर राजा जब उस वस्तु को न दे तो उस माँगने वाले से सभी गुप्तचर यों कहे 'राजा ने शून्यपाल से कह दिया है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने मुझ से न माँगी जाने योग्य वस्तुएँ माँगी हैं। मैंने देने से इनकार कर दिया। इसलिए कि वे लोग शत्रु से मिल गये हैं। अतः उनको नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहो।' ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय;

(१) येभ्यश्च राजा याचितो ददाति, तान् सत्रिणो ब्रूयुः—'उक्तः शून्यपालो राज्ञा—अयाच्यमर्थमसौ चासौ च मा याचते, तेभ्यो मया सोऽर्थो विश्वासार्यं दत्तः, शत्रुसहिताः । तेषामुद्धरणे प्रयतस्व' इति । ततः पूर्ववदाचरेत् ।

(२) ये चैनं याच्यमर्थं न याचन्ते, तान् सत्रिणो ब्रूयुः—'उक्तः शून्यपालो राज्ञा—याच्यमर्थमसौ चासौ च मा न याचते; किमन्यत् स्वदोषशङ्कितत्वात्, तेषामुद्धरणे प्रयतस्व इति । ततः पूर्ववदाचरेत् ।

(३) एतेन सर्वः कृत्यपक्षो व्याख्यातः ।

(४) प्रत्यासन्नो वा राजानं सत्री ग्राहयेत् 'असौ चासौ च ते महामात्रः शत्रुपुर्ह्यः सम्भाषते' इति । प्रतिपन्ने दूष्यानस्य शासनहरान् बर्षयेत्—'एतत्सत्' इति ।

(५) सेनामुद्घप्रकृतिपुरुषान् वा भूम्या हिरण्येन वा लोभयित्वा स्वेषु

अर्थात् तीक्ष्ण गुप्तचर रात मे कुछ आदमियों को मार दें, जिनको न मारें उनको बघ का मय दिखाकर राजा से फोड़ दें ।

( १ ) माँगने पर जिन्हें राजा कोई वस्तु दे दे उनसे सभी गुप्तचर कहे कि राजा ने शून्यपाल से कहा है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने मुझसे न माँगने योग्य वस्तु माँगी है, मैंने उनको वह वस्तु इसलिए दे दी है कि उनका मुझ पर विश्वास बना रहे, किन्तु वे व्यक्ति शत्रु से मिले हैं, अतः उनका बघ करने के लिए तुम्हें यत्नशील रहना चाहिए' ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय ।

( २ ) जो महामात्र आदि माँगने योग्य वस्तु भी राजा से नहीं माँगते उनसे सभी गुप्तचर कहें 'राजा ने शून्यपाल को कह दिया है कि अमुक-अमुक व्यक्ति मुझसे माँगने योग्य वस्तुओं को भी नहीं माँगने । इसका कारण इसके सिवा दूसरा क्या हो सकता है कि वे अपने दोषों के कारण मुझसे शक्ति रहते हैं और इसलिए मेरे पास नहीं आते हैं । तुम उनका बघ करने के लिए यत्नशील रहो ।' ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय ।

( ३ ) इसी प्रकार क्रुद्ध, सुब्ध, भीत आदि कृत्यपक्ष के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( ४ ) अथवा राजा के अतः कण्टपूर्वक रहने वाले सभी गुप्तचर राजा से कहें कि 'अमुक-अमुक महामात्र तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं ।' जब राजा को इस बात पर विश्वास हो जाय तो सभी राजद्रोहियों द्वारा महामात्र का सन्देश ले जाने हुए दिखा दे और कहे 'देखिए, वही बात हुई, जो मैंने आपसे कही थी ।'

( ५ ) अथवा सेना के अध्यक्षों, अमात्य आदि प्रकृतियों और अन्य राजकर्मचारियों को सभी गुप्तचर घन तथा भूमि आदि के लोभ में फँसाकर उनके अपने ही

विक्रमवेदपवाहयेद्वा । योऽस्य पुत्रः समीपे दूर्गे वा प्रतिवसति, तं सत्रिणोप-  
जापयेत्—‘आत्मसम्पन्नतरस्त्वं पुत्रः तथाप्यन्तर्हितः, तत् किमुपेक्षसे । विक्रम्य  
गृहाण, पुरा त्वा युवराजो विनाशयति’ इति ।

( १ ) तत्कुलीनमवरुद्धं वा हिरण्येन प्रतिलोभ्य द्रूयात्—‘अन्तर्बलं प्रत्यन्त-  
स्कन्धमन्यं वास्य प्रमृद्नीहि’ इति ।

( २ ) आटविकानर्थमानाभ्यामुपगृह्य राज्यमस्य घातयेत् ।

( ३ ) पाण्डिग्राहं वास्य द्रूयाद्—‘एष खलु राजा मामुच्छेद्य त्वामुच्छे-  
त्स्यति; पाण्डिमस्य गृहाण; त्वयि निवृत्तस्याहं पाण्डिं ग्रहीष्यामि’ इति ।  
मित्राणि वास्य द्रूयात्—‘अहं वः सेतुः, मयि विभिन्ने सर्वानपि वो राजाऽप्ला-  
यिष्यति’ इति । ‘सम्भूय वास्य यात्रां विहनाम’ इति । तत्संहतानां च प्रेय-

वादमियो पर उनके द्वारा चढ़ाई करा दे, या उनको राजा के यहाँ से कहीं दूसरी जगह भगा दें । तदनन्तर सभी गुप्तचर राजधानी में या अन्तपाल के पास दुर्ग में रहने वाले राजकुमार को इस प्रकार फुसलाएँ ‘राजा ने जिस पुत्र को युवराज बनाया है, तुम्हारी योग्यता उससे किसी कदर कम नहीं है, फिर भी राजा ने तुम्हें नियन्त्रित कर रखा है । अब तुम इस बात की लापरवाही न करके राजा पर घावा बोल दो और राज्य को अपने अधीन कर लो । अन्यथा बहुत सम्भव है कि युवराज तुम्हें ही मार डाले ।’

( १ ) अथवा शत्रु के किसी बन्धु-बाधव को या नजरबन्द राजकुमार को घन का प्रलोभन देकर सभी गुप्तचर इस प्रकार फुसलाएँ ‘तुम राजा के भौलबल को या सीमा पर नियुक्त सेना को अथवा दूसरी किसी सेना को नष्ट कर डालो और आटविको को घन तथा सत्कार से वश में करके उन्हीं के द्वारा शत्रु के राज्य पर चढ़ाई करा दो ।’

( २ ) आटविको को घन तथा सत्कार से वश में करके शत्रु के राज्य को उन्हीं के द्वारा नष्ट करवा दे । यहाँ तक सेनामुख्यो को वश में करने की युक्तियों का निरूपण किया गया है ।

( ३ ) विजिगीषु राजा शत्रु राजा के पाण्डिग्राह से कहें—‘देखो, यह राजा मेरा उच्छेद करके फिर तुम्हारा भी अवश्यमेव उच्छेद करेगा । अतः तुम इसके पाण्डिग्राह बनकर पीछे से इस पर आक्रमण करो । जब वह तुम पर आक्रमण करेगा तब मैं उसकी पाण्डिं ग्रहण कर उस पर आक्रमण कर दूँगा ।’ अथवा विजिगीषु शत्रु के मित्रों से कहें ‘मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ । मेरे नष्ट हो जाने पर यह राजा तुमको भी नष्ट कर डालेगा । इसलिए हम सब मिलकर इसके आक्रमण का मुकाबला करें ।’ तदनन्तर विजिगीषु राजा अपने शत्रु के मित्रों तथा शत्रुओं को यह सन्देश भेजे कि ‘निश्चित

येत्—‘एष खलु राजा मामुत्पादय भवत्सु कर्म करिष्यति । बुध्यध्वम्, अहं वः श्रेयानभ्यवपत्तुम्’ इति ।

( १ ) मध्यमस्य प्रहिणुषादुदासीनस्य वा पुनः ।  
यथासन्नस्य मोक्षार्थं सर्वस्वेन तदर्पणम् ॥

इति आबलीयसे द्वादशोऽधिकरणे सेनामुख्यवध मण्डलप्रोत्साहन चेति  
तृतीयोऽध्याय , आदितो सप्तत्रिंशदुत्तरणततम ।

—: ० :—

ही यह राजा मेरा उच्छेद कर के तुम्हारा भी उच्छेद कर डालेगा । अत आप लोग विचार करें और समझें कि इस आपत्ति में आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए या नहीं ।’

( १ ) दुर्बल राजा को चाहिए कि बलवान् शत्रु से अपनी रक्षा के लिए वह मध्यम, उदासीन और अपने समीपस्थ सभी राजाओं को यह सदेश भेजे कि ‘सर्वस्व देकर मैं आप लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर चुका हूँ । मैं आप लोगों के आश्रय से अलग नहीं हो सकता हूँ । अत यथाशक्ति आप लोगों को मेरी रक्षा करनी चाहिए ।’

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में सेनामुख्यवध मण्डलप्रोत्साहन नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) ये चास्य दुर्गेषु वंदेहकव्यञ्जनाः, ग्रामेषु गृहपतिकव्यञ्जनाः, जनपदसन्धिषु गोरक्षकतापसव्यञ्जनाः, ते सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धानां पण्यागारपूर्वं प्रेषयेयुः—‘अयं देशो हार्य’ इति । आगतांश्रुषां दुर्गे गूढपुरुषानयंमानाभ्याम् अभिसत्कृत्य प्रकृतिच्छिद्राणि प्रदर्शयेयुः । तेषु तैः सह प्रहरेयुः ।

(२) स्कन्धावारे वास्य शीषिडकव्यञ्जनः पुत्रमभित्यक्तं स्थापयित्वा अवस्कन्दकाले रसेन प्रवासयित्वा ‘नैपेचनिकम्’ इति मदनरसपुक्तान् मद्यकुम्भाच्छतशः प्रयच्छेत् । शुद्धं वा मद्यं पाद्यं वा मद्यं दद्यादेकमहः, उत्तरं रससिद्धं प्रयच्छेत् । शुद्धं वा मद्यं दण्डमुख्येभ्यः प्रदाय भद्रकाले रससिद्धं प्रयच्छेत् ।

शस्त्र, अग्नि तथा रसों का गूढ प्रयोग, और वीवध, आसार  
तथा प्रसार का नाश

( १ ) शत्रु राजा के दुर्गों में जो वंदेहक, गाँवों में जो गृहपतिक, सरहद्दी इलाकों में जो ग्वाले और तापस आदि के वेप विजिगीषु के गुप्तचर नियुक्त हों, उन्हें चाहिए कि वे शत्रु के साथ स्वभावत ही वैर रखने वाले सामंत, आटविक, शत्रु के बन्धु-बान्धव और नजरबंद राजकुमार आदि हो, कुछ भेंट सामग्री रख कर, उनके पास यह सदेश भेजें कि ‘शत्रु के अमुक दुर्बल प्रदेश का आप लोग सहज ही में अपहरण कर सकते हैं ।’ इस बात के लिए उद्यत होकर जब उन सामंत आदि के गुप्तचर आ जायें तो उनका धन-मान से सत्कार नरके तब उनके सामने शत्रु राजा के प्रकृतिवर्ग के समस्त दीपों को खोल कर रखा जाय । जब शत्रु के सभी दीप उनकी जात हो जायें तो उनकी सहायता प्राप्त कर शत्रु पर आक्रमण किया जाय ।

( २ ) अथवा शत्रु की छावनी में शराब बेंचने वाले सभी गुप्तचर किसी बध्य पुरुष को अपना पुत्र बताकर रात्रि के अंतिम प्रहर में विष देकर उसकी हत्या कर लें और तब अपने मृतक पुत्र के निमित्त ‘यह नैपेचनिक द्रव्य है’ ऐसा कह कर विषमिश्रित शराब के सैकड़ों घड़े फौजियों को पिला दे, अथवा विश्वास के लिए पहिले दिन विपरहित ही शराब दे, अथवा पहिले दिन चौथाई हिस्सा विषमिश्रित शराब दे और बाक में पर्याप्त विषमिश्रित शराब पिलाये अथवा सेना के अध्यक्षों

(१) दण्डमुख्यव्यञ्जनो वा 'पुत्रमभित्यक्तम्' इति-समानम् ।

(२) पक्वमांसिकौदनिकशौण्डिकापूपिकव्यञ्जना वा पण्यविशेषभव-  
घोषयित्वा परस्परसङ्घर्षेण कालिकं समर्घतरमिति वा परानाहूय रसेन  
स्वपण्यान्यपचारयेयुः ।

(३) सुराक्षीरदधिसर्पिस्तैलानि वा तद्वचवहर्तृहस्तेषु गृहीत्वा स्त्रियो  
बालाश्च रसयुक्तेषु स्वभाजनेषु परिकिरेयुः, 'अनेनार्घेण विशिष्टं वा भ्रूयो  
दीयताम्' इति तत्रैवावकिरेयुः ।

(४) एतान्येव वंदेहकव्यञ्जनाः पण्यविक्रयेणाहर्तारो वा हस्त्यश्वानां  
विधायवसेषु रसमासन्ना दद्युः ।

(५) कर्मकरव्यञ्जना वा रसात्तं पवसमुदकं वा विक्रीणीरन् । चिर-  
संसृष्टा वा गोवाणिजका गवामजावीनां वा यूथान्यवस्कन्दकालेषु परेषां  
मोहस्थानेषु प्रमुञ्चेयुः । अश्वखरोष्ट्रमहिषादीनां कुष्ठाश्च तद्वचञ्जना वा

को पहिले विपरहित शराब दे और बाद मे जब वे बेहोश हो जायें तब उन्हें विप-  
मिश्रित शराब दे ।

( १ ) अथवा सेनामुख्य के बेप मे सभी गुप्तचर किसी वध्य पुरुष को अपना  
पुत्र बताकर बाकी कार्य उपर्युक्त विधि से सपन्न करे ।

( २ ) अथवा पका मास, पका अन्न, शराब तथा विविध व्यजन और मालपुजा  
या पकौडे आदि बेचने के बेप मे सभी गुप्तचर एक-दूसरे मे होड लगाकर अपनी-  
अपनी दूकानो की खूब तारीफ कर कम-अ्यादे मूल्य पर अथवा उधार ही शत्रु के  
आदमियो को विप मिने पदार्थ खिला दें ।

( ३ ) स्त्री तथा बालक शराब, दूध, घी, दही तथा तेल आदि का व्यवहार  
करने वाले लोगो के हाथ से लेकर इन वस्तुओ को अपने जहरीले वर्तनो मे डलवा  
दे और बाद मे उनके साथ यह क्षगडा करें कि 'अमुक वस्तु हमे इतने मूल्य पर दो,  
नही तो हम खरीदा हुआ सामान भी लौटा देंगे ।' जब दुकानदार इस बात पर  
राज्जी न हो तो उन, शराब, दूध आदि वस्तुओ को उन्ही दुकानदारो के वर्तनो मे  
उलट दें, ऐसा करने से सभी चीजें जहरीली हो जायेंगी ।

( ४ ) फिर छावनी के साथ व्यापारी बेप मे रहने वाले गुप्तचर या शराब  
बेचने के बहाने दूसरे लोग इन्ही सब जहरीली वस्तुओ को हाथो घोडो के रासन में  
मिलाकर उन्हे खिला दें ।

( ५ ) अथवा मजदूर के बेप मे रहने वाले गुप्तचर विपमिश्रित घास अथवा जल  
बेचें, अथवा बहुत समय से मित्र बनकर रहने वाले गुप्तचर अपने गाय, बकरी के  
समूहो को मध्य रात्रि मे मोहप्रस्त ( निद्राप्रस्त ) शत्रुओ को व्याकुल करने के लिए  
छोड दें । इसी प्रकार व्यापारी बेप मे रहने वाले गुप्तचर अपने घोडा, गधा, ऊँट



चुचुन्दरीशोणिताक्ताक्षान्, सुब्धकव्यञ्जना वा द्यालमृगान् पञ्जरेभ्यः प्रमुञ्चेयुः; सर्पग्राहा वा सर्पानुप्रविषान्, हस्तिजीविनो वा हस्तिनः ।

(१) अग्निजीविनो वा अग्निमवसृजेयुः ।

(२) गूढपुरुषा वा विमुषान् पत्यश्वरयद्विपमुप्यानभिहन्युः; आदीपयेयुर्वा मुह्यवासात् । दूप्यामित्राटविकव्यञ्जनाः प्रणिहिताः पृष्ठाभिघातमवस्कन्दप्रतिग्रह वा कुर्युः । वनगूढा वा प्रत्यन्तस्कन्धमुपनिष्कृप्याभिहन्युः ।

(३) एकापने वीवधासारप्रसारान् वा । ससङ्केत वा रात्रिपुद्धे धूरितूर्यमाहत्य द्रूयुः—'अनुप्रविष्टाः स्मो, लब्धं राज्यम्' इति । राजावासमनुप्रविष्टा वा सङ्कुलेषु राजानं हन्युः ।

(४) सर्वतो वा प्रयातमेन म्लेच्छाटविकदण्डचारिणः सत्रापाश्रयाः स्तम्भवाटापाश्रया वा हन्युः । सुब्धकव्यञ्जना वावस्कन्दसङ्कुलेषु गूढयुद्धहेतुभिरभिहन्युः ।

तथा गाय भैंस आदि चौकने वाले जानवरो की बाँसों में छल्लुन्दर के खून वा लज्जन लगाकर छोड़ दें, इसी प्रकार शिकारी के वेप में रहने वाले गुप्तचर अपने हिंसक जानवरो को छोड़ दें, मपेरो के वेप में रहने वाले गुप्तचर अपने जहरीले साँपो को, और हाथियों के व्यापारी गुप्तचर अपने हाथियों को छोड़ दें ।

( १ ) इसी प्रकार रसोइये, लुहर आदि, जो गुप्तचर आग से अपनी जीविका चलाते हो, वे शत्रु की छावनी में आग लगा दें ।

( २ ) गुप्तचरों को चाहिए कि वे युद्ध से विमुख हुए पैदल, घुड़सवार, रथसवार तथा हाथीसवार सेनाओं के अध्यक्षां को मार डालें, अथवा उनके घरों में आग लगा दें, अथवा दूप्य, शत्रु या आटविक के वेप में रहने वाले गुप्तचर युद्ध से लौटी हुई सेना के पीछे से धावा बोल दें, अथवा मोते समय उसको नष्ट कर दें, अथवा उसका मुकाबला करें, अथवा वन में छिप कर रहने वाले गुप्तचर सरहद्दी इलाकों की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना को किसी बहाने अपनी ओर खींच कर मार डालें ।

( ३ ) जिस समय दौवघ ( घातक ), आसार ( मित्रभेदा ) और प्रसार ( सक्की घास ) आदि को किसी तय रास्ते से ले जाया जा रहा हो उस समय उसे नष्ट कर दिया जाय, अथवा रात्रि युद्ध में विजेय सक्केतो के साथ बाजों को खूब जोर से बजाते हुए इस प्रकार की घोषणा की जाय कि 'हम लोग शत्रु दल को चीर कर भीतर शक्ति हो गये हैं, हमने राज्य को प्राप्त कर लिया है' इत्यादि । अथवा राजा के घर में प्रविष्ट होकर उसको मार दिया जाय ।

( ४ ) त्रिम और से भी राजा भागे, वहीं में सत्र तथा स्तम्भवाट को लेकर सैनिक के वेप में घूमने वाले म्लेच्छ और आटविक उसको मार डालें, अथवा शिकारी

(१) एकायने वा शूलस्तम्भवाटपञ्जनान्तरुदके वा स्वभूमिबलेना-  
भिहन्युः । नदीसरस्तटाकसेतुबन्धभेदवेगेन वाप्लावयेयुः । धान्वनवननिम्न-  
दुर्गस्थं वा योगाग्निधूमाम्भ्यां नाशयेयुः ।

(२) सङ्कटगतमग्निना, धान्वनगतं धूमेन, निधानगतं रसेन, तोयाव-  
गाढं दुष्टप्राहैरुदकचरणैर्वा तीक्ष्णाः साधयेयुः ।

(३) आदीप्तावासात् निष्पतन्तं वा—

योगवामनयोगाम्भ्यां योगेनान्यतमेन वा ।

अमित्रमतिसन्दध्यात् सक्तमुक्तासु भूमियु ॥

इति आबलीयसे द्वादशोऽधिकरणे शस्त्राग्निरसप्रणिधयो वीवधासारप्रसार-  
वधश्चेति चतुर्षोऽध्याय , आदितोऽष्टत्रिंशदधिकशततम ।

— ० . —

के वैय मे रहने वाले गुप्तचर रात में इकट्ठा सोते समय कूटयुद्ध प्रकरण में निदिष्ट  
उपायो से शत्रुओं को मार डालें ।

( १ ) अथवा पहाड़ी रास्ते से या ऊबड़-खाबड़, दलदल तथा जल से गुजरती  
हुई शत्रुसेना को नष्ट किया जाय, अथवा यथावसर नदी, भील तथा बड़े बड़े तालाबों  
के बाँधों को तोड़ कर शत्रुसेना को उसमें बहा दिया जाय, अथवा धान्वनदुर्ग, वनदुर्ग  
तथा निम्नदुर्ग में ठहरे हुए शत्रुदल को योगाग्नि ( विशेष द्रव्यों के योग से उत्पन्न  
कपट अग्नि ) और योगधूम ( विपैली गैस ) के द्वारा नष्ट किया जाय ।

( २ ) कटककीर्ण तथा दुर्गम प्रदेश में प्रविष्ट हुई शत्रुसेना को अग्नि के द्वारा,  
धान्वन दुर्ग में ठहरे शत्रुदल को विशेष गैस द्वारा, गुप्तप्रदेश में छिपे हुए शत्रुओं को  
विष के द्वारा, जल के भीतर छिपे हुए शत्रु को भयकर मगरमच्छ आदि जल-जन्तुओं  
के द्वारा अथवा जल में जाने योग्य अन्य साधनों के द्वारा तीक्ष्ण गुप्तचर उनको कैद  
कर लें या नष्ट कर दें ।

( ३ ) अथवा आग लगे हुए घर से भागते हुए राजा को तथा अपनी रक्षा के  
लिए धान्वन आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रु को योगवामन और योग के द्वारा अथवा  
केवल योग के द्वारा वश में किया जाय ।

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में शस्त्राग्निरसप्रधिधि-

वीवधासारप्रसारवध नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

१

(१) देवतेज्यायां यात्रायामभिन्नस्य बहूनि पूज्यागमस्यानानि भक्तितः ।  
तत्रास्य योगमुद्जयेत् ।

(२) देवतागृहप्रविष्टस्योपरि यन्त्रमोक्षणेन गूढभित्ति शिलां वा पात-  
येत् । शिलाशस्त्रवर्षमुत्तमागारात्कपाटमवपातितं वा भित्तिप्रणिहितमेक-  
देशबन्धं वा परिधं मोक्षयेत् । देवतादेहस्यप्रहरणानि वास्योपरिष्ठात्पात-  
येत् । स्थानासनगमनभूमिषु वास्य गोमयप्रदेहेन गन्धोदकावसेकेन वा रस-  
मत्तिचारयेत् पुष्पचूर्णोपहारेण वा । गन्धप्रतिच्छन्नं वास्य तीक्ष्णं धूममति-  
नयेत् । शूलकूपमवपातनं वा शयनासनस्याघस्ताद् यन्त्रबद्धतलमेन कील-

### कपट उपायों या दण्ड प्रयोगों द्वारा और आक्रमण के द्वारा विजयोपलब्धि

( १ ) देवपूजन अथवा देवयात्रा के ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब कि शत्रु  
राजा अपनी भक्ति के अनुसार पूजा के लिए वहाँ आता जाता है, ऐसे ही अवसरों  
पर कूट उपायों द्वारा उसके विनाश का यत्न करना चाहिए ।

( २ ) जब शत्रुराजा देवगृह के अन्दर प्रविष्ट हो तब उसके ऊपर यन्त्र को छोड़  
कर गूढभित्ति और शिला को गिरा दिया जाय, अथवा भकान की छत से उसके  
ऊपर पत्थरों तथा हथियारों की वर्षा की जाय, या किवाड़ों को उखाड़ कर उस पर  
फेंक दिया जाय, अथवा दीवार से छिपे हुए तथा एक ओर से बँधे हुए अगला को  
ही उस पर गिराया जाय; या देवता की देह पर बँधे हुए हथियार उस पर गिरा  
दिये जायें, अथवा उसके ठहरने, उठने तथा बैठने के स्थानों में विषमिश्रित गोबर का  
लेप किया जाय, या देवता के प्रसाद के रूप में उसे विष मिली फूलों की बुकनी दी  
जाय; अथवा विष की गन्ध को मारने वाली तीव्र गैस उसको मुँघायी जाय; अथवा  
उसके सोने या बैठने के स्थान के नीचे एक छिपे हुए गढ़े में तेज शमाकाएँ गाड़कर  
उसके ऊपर शत्रु राजा की चारपाई या कुर्सी आदि को यन्त्र के द्वारा अघर पर बाँध  
दिया जाय और जब वह उस पर सोये या बैठे तब उस यन्त्रकील को खोच कर  
चारपाई या कुर्सी समेत उसको गढ़े में डाल दिया जाय, अथवा यदि शत्रु अपने  
निकटस्थ देश का हो तो अपने कार्य में बाधा डालने वाले उसके जनपदवासियों को

मोक्षणेन प्रवेशयेत् । प्रत्यासन्ने वामित्रे जनपदाज्जनमवरोधक्षममतिनयेत् । दुर्गाच्चानवरोधक्षममपनयेत् । प्रत्यादेयमरिविषयं च प्रेषयेत् । जनपदं चकस्थं शैलवननदीदुर्गोष्वटवीव्यवहितेषु वा पुत्रभ्रातृपरिगृहीतं स्थापयेत् ।

(१) उपरोधहेतवो दण्डोपनतवृत्ते व्याख्याताः ।

(२) तृणकाष्ठम् आ योजनाद् दाहयेत् । उदकानि च दूषयेद्; अवाला-  
वयेच्च । कूटकूपावपातकण्टकिनीश्च बहिरुब्जयेत् ।

(३) सुरङ्गामित्रस्थाने बहुमुखीं कृत्वा विषयमुत्थानमिहारयेद्, अमित्रं वा । परप्रयुक्तायां वा सुरङ्गायां परिखामुदकान्तिकीं खानयेत्, कूप-  
शालामनुसालं वा । अतोयकुम्भान् कांस्यभाण्डानि वा शङ्खास्थानेषु स्थाप-  
येत् खातामिज्ञानार्थम् । ज्ञाते सुरङ्गापथे प्रतिसुरङ्गां कारयेत् । मध्यं भित्त्वा  
धूममुदकं वा प्रयच्छेत् ।

एकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जाय, और बाधा पहुँचाने में असमर्थ शत्रु की जेल में बन्द हुए व्यक्तियों को छोड़ा दिया जाय । शत्रुदेश के ऐसे व्यक्ति को, जिसे अवश्यमेव लौटाना पड़े, स्वयं ही शत्रु देश को भेज दिया जाय । जिन जनपदों पर शत्रु राजा का एकच्छत्र राज्य हो वहाँ के पर्वतदुर्गों, नदीदुर्गों और वनदुर्गों को तथा घने जंगलों से घिरे दूसरे प्रदेशों को शत्रु राजा के पुत्र या बन्धुओं के अधिकार में करा देना चाहिए ।

( १ ) उपरोध ( घेरा डालना ) के उपायों का निरूपण दण्डोपनत नामक प्रकरण में यथास्थान किया जा चुका है ।

( २ ) शत्रु के सैनिक पड़ाव के चारों ओर चार कोस तक की सब घास, लकड़ी आदि जला देनी चाहिए और पानी को विष मिला कर दूषित कर देना चाहिए । उस स्थान के आस-पास के जितने तालाब या बाँध हैं उनको तोड़कर सब पानी बाहर बहा देना चाहिए और शत्रु सेना के मार्ग में अँधेरे कुँए, घास-फूस से ढके गड्डे तथा जगह-जगह काँटेदार लोहे के जाल बिछा देने चाहिए ।

( ३ ) शत्रु के सैन्य शिविर में एक बहुमुखी सुरंग बनाकर शत्रु के प्रधान व्यक्तियों को उसमें फँसा देना चाहिए; अथवा अवसर आने पर शत्रु राजा को भी उसी में फँसा देना चाहिए । यदि विजिगोषु के दुर्ग में आने के लिए शत्रु सुरंग बनाये तो दुर्ग के चारों ओर इतनी गहरी खाई खुदवानी चाहिए कि नीचे का पानी निकल आवे । यदि ऐसा करने में अधिक असुविधा हो तो परकोटे के चारों ओर गहरे-गहरे कुँए खुदवाये जायें । अथवा जिन स्थानों में सुरंग बनाये जाने की आशंका हो वहाँ खाली घड़ों को या काँसे के छोटे-छोटे खभों या काँसे के टुकड़ों को रख दिया जाय; जिससे कि सुरंग खोदने का पता लग जाय । शत्रु की सुरंग का पता लग जाने पर दूसरी

(१) प्रतिविहितदुर्गो वा मूले दायार्धं कृत्वा प्रतिलोमामस्य दिशं गच्छेत्—यतो वा मित्रंबन्धुभिराटविकैर्वा संसृज्येत, परस्यामित्रैर्दूष्यैर्वा महद्भिः; यतो वा गतोऽस्य मित्रैर्वियोगं कुर्यात्, पाणिषि वा गृह्णीयात्, राज्यं वास्य हारयेत्, वीवधासारप्रसारान् वा वारयेत्; यतो वा शत्रुनुपाद् आक्षि-  
कवदपक्षेपेणास्य प्रहृतुं; यतो वा स्वं राज्यं त्रायेत्, मूलस्योपचयं वा कुर्यात्।  
यतः सन्धिमभिप्रैतं लभते, ततो वा गच्छेत् ।

(२) सहप्रस्थापिनो वास्य प्रेषयेयुः—'अयं ते शत्रुरस्माकं हस्तगतः; पण्यं विप्रकारं वापदिश्य हिरण्यमन्तस्तारबलं प्रेषयस्व, एनमपयेन बद्धं प्रवासितं वा' इति । प्रतिपन्ने हिरण्यं सारबलं चाददौत ।

(३) अन्तपालो वा दुर्गसम्प्रदानेन बलकदेशमतिनीय विरवस्तं घातयेत्।

सुरग खुदवा देनी चाहिए अथवा उसको बीच ही में तोड़ कर उसमें विपैला घुआ या पानी भर देना चाहिए ।

( १ ) अथवा पूरी शक्ति लगा देने पर भी यदि दुर्ग की रक्षा असम्भव जान पड़े तो दुर्बल राजा को चाहिए कि राजधानी में अपने पुत्र को नियुक्त करके वह शत्रु की ऐसी प्रतिकूल दिशा में चला जाय, जहाँ से वह शत्रु का अपकार कर सके, अथवा जिस दिशा में जाकर वह अपने मित्रों, बन्धु-बाधवों और आटविकों की सहायता लेकर शत्रु की हानि कर सके, अथवा शत्रु के शत्रु और अत्यन्त बलवान् उसके दूष्य पुरुषों से मिलकर शत्रु का नुकसान कर सके, अथवा जहाँ जाकर शत्रु के मित्रों को उससे अलग करवा सके; अथवा शत्रु पर पीछे से आक्रमण कर सके, अथवा शत्रु के राज्य का अपहरण कर सके, अथवा जहाँ जाकर शत्रु के वीवध, आसार और प्रसार को शत्रु के पास तक न पहुँचने दे; अथवा जिस दिशा से वह जुआरी की तरह कपट प्रयोगों के द्वारा शत्रु पर प्रहार कर सके, अथवा जहाँ जाकर वह अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध कर सके; अथवा अपनी राजधानी को समृद्ध बना सके, अथवा जहाँ से उसको इच्छानुसार सन्धि करने का अवसर मिल सके, उस दिशा में चला जाय ।

( २ ) अथवा दुर्बल राजा के साथ साथ जाने वाले गुप्तचर शत्रु के पास इस प्रकार का संदेश भेजें : 'यह तुम्हारा शत्रु इस समय हमारे कब्जे में है, इसलिए तुम किसी सौदे के बहाने धन भेजकर और किसी अपकार के बहाने अन्त सार सेना को हमारे पास भेज दो । उसके बाद कैद किये या मारे गये इस शत्रु को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे ।' जब शत्रु राजा इस बात पर राजी होकर धन और सेना भेज दें तो दुर्बल राजा उसको अपने अधीन कर ले ।

( ३ ) अथवा अन्तपाल को चाहिए कि वह अपना दुर्ग शत्रु के सुपुर्द करके उसकी

(१) जनपदमेकस्यं वा घातयितुमभिन्नानीकमावाहयेत्; तदवहृद्देश-  
मतिनीय विश्वस्तं घातयेत् ।

(२) मित्रव्यञ्जनो वा बाह्यस्य प्रेषयेत्—'क्षीणमस्मिन्दुर्गं धान्यं स्नेहाः  
क्षारो लवण वा; तदमुष्मिन्देशे काले च प्रवेक्ष्यति, तद्रूपगूहाण' इति । ततो  
रसविद्ध धान्य स्नेह क्षीर लवणं वा दूष्यामित्राटविकाः प्रवेशयेदुः, अन्ये  
वा अभित्यक्ताः ।

(३) तेन सर्वभाण्डबीवघ्रग्रहणं व्याख्यातम् ।

(४) सन्धि वा कृत्वा हिरण्यैकदेशमस्मै दद्यात् । विलम्बमानः शेषम् ।  
ततो रक्षाविधानान्यवस्त्रावयेत्, अग्निरसशस्त्रैर्वा प्रहरेत्, हिरण्यप्रतिप्राहिणो  
वास्य वल्लभाननुगृह्णीयात् ।

(५) परिक्षीणो चास्मै दुर्गं दत्त्वा निर्गच्छेत्सुरहृद्भया । कुक्षिप्रदरेण वा  
प्राकारभेदेन निर्गच्छेत् ।

सेना के कुछ भाग को ऐसी जगह ले जाय, जहाँ से उसका लौटना असम्भव हो और  
विश्वासघान कर उसे वहीं मरवा डाले ।

( १ ) अथवा किसी एकत्र हुए उच्छृङ्खल जनपद को काबू में करने के लिए  
अन्तपाल शत्रुसेना को बुलाये और उसके बाद उस सेना को ऐसे देश में ले जाय, जहाँ  
से वह वापस न लौट सके, वहाँ ले जाकर उसको मरवा डाले ।

( २ ) अथवा मित्र के वेप में रहने वाले सभी गुप्तचर शत्रुराजा के पास इस  
प्रकार का सन्देश भिजवायें शत्रु के इस दुर्ग में अन्न, धी, तेल, गुड तथा नमक आदि  
सब यदार्थ समाप्त हो चुके हैं। यह सब सामान अमुक स्थान से अमुक समय में ले  
जाया जायेगा । तुम उसको रास्ते में ही छूट लेना ।' तदनन्तर विजिगीषु के दूष्य,  
शत्रु तथा आटविक विपमिश्रित उक्त सामान को उसी समय उन्ही भागों से लेकर  
गुजरें अथवा दूसरे वध्य पुरुष उस सामान को ले जायें ।

( ३ ) इसी प्रकार दूसरे विपयुक्त खाद्यपदार्थों को शत्रु राजा तक पहुँचाने के  
सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( ४ ) अथवा दुर्बल राजा, शत्रु राजा के साथ सन्धि करके प्रतिज्ञात धन का  
कुछ हिस्सा तत्काल ही उसे दे दे और शेष भाग को विलम्ब से देने का वादा कर,  
उसे भी ठीक समय पर अदा कर दे । इस प्रकार जब शत्रु का उस पर विश्वास हो  
जाय तो अपनी रक्षा के लिए चारों ओर तैनात शत्रुसेना को वह हटा ले और स्वतन्त्र  
होकर विय, अग्नि तथा शस्त्रों द्वारा शत्रु पर प्रहार करे, अथवा काबू में आने वाले  
शत्रु के अवरुद्ध बन्धु बाधवों को धन देकर उन्हीं के द्वारा शत्रु को मरवा दे ।

( ५ ) अथवा यदि दुर्बल राजा शत्रु का प्रतीकार करने में सर्वथा असमर्थ हो तो

(१) रात्राववस्कन्दं दत्त्वा सिद्धस्तिष्ठेत्, असिद्धः पार्श्वेनापगच्छेत्, पापण्डच्छयना मन्दपरिवारो निर्गच्छेत्, प्रेतव्यञ्जनो वा गूढनिर्हायेत, स्त्रीवेषधारी वा प्रेतमनुगच्छेत् ।

(२) दैवतोपहारश्चाद्धप्रवहणेऽप्यु वा रसविद्धमन्नपानमवसृज्य कृतोपजापो दूष्यव्यञ्जननिष्पत्य गूढसंन्योऽभिहन्यात् ।

(३) एवं गूहीतदुर्गो वा प्राश्यप्राशं चैत्यमुपस्थाप्य दैवतप्रतिमाच्छिद्रं प्रविश्यासीत्, गूढभित्ति वा दैवतप्रतिमायुक्तं भूमिगृहम् । विस्मृते सुरङ्गया रात्रौ राजावासमनुप्रविश्य सुप्तममित्रं हन्यात् । यन्त्रविश्लेषणं वा विश्लेष्याधस्तादवपातयेत् । रसाग्नियोगेनावलिप्तं गृहं जतुगृहं वाधिशयानममित्रमादीपयेत् ।

(४) प्रमदवनविहारानामन्यतमे वा विहारस्थाने प्रमत्तं भूमिगृहसुरुङ्गागूढभित्तिप्रविष्टास्तीक्ष्णा हन्युः, गूढप्रणिहिता वा रसेन । स्वपतो वा निरुद्धे देशे गूढाः स्त्रियः संपरस्ताग्निधूमानुपरि मुञ्च्युः ।

अपना दुर्गं वह शत्रु को देकर सुरग के रास्ते बाहर निकल जाय, अथवा सुरग न होने पर जहाँ से परकोटे की दीवार कच्ची हो उसको तोड़ कर बाहर निकल जाय ।

( १ ) रात में सोते समय शत्रु के ऊपर छापा मारने में यदि कार्यसिद्धि सम्भव हो तो दुर्बल राजा अपने दुर्ग में डटा रहे और यदि ऐसी आशा न हो तो पास से होकर निकल भागे । बाहर निकलने के लिए उसको चाहिए कि पापण्डो का वेष बनाकर थोडा-सा परिवार साथ लेकर अथवा अर्थी पर रखकर गुप्तचरो के द्वारा या स्त्री का वेष धारण कर किसी मृतक की अर्थी के पीछे—इन तरीकों से वह बाहर निकल जाय ।

( २ ) देवबलि ( दैवतोपहार ), याद्ध तथा पाटियों (प्रवहण) आदि के अवसरो पर शत्रु को विपाक्त अन्नादि देकर; या दूष्य गुप्तचरो द्वारा शत्रुपक्ष का उपजाप करके छिपी हुई सेना को लेकर दुर्बल राजा अपने शत्रु पर धावा बोल दे ।

( ३ ) इस प्रकार शत्रु के द्वारा अपना दुर्ग ले लिये जाने पर विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह पर्याप्त साधसामग्री रखकर किसी देवालय की प्रतिमा में छेद करके उसके भीतर घुस कर बैठ जाय; अथवा किसी दीवार पर छेद करके वहाँ बैठ जाय, या किसी देवप्रतिमा से युक्त तहखाने ( भूमिगृह ) में बैठ जाय । जब शत्रु राजा, विजिगीषु को सर्वथा नष्ट हुआ जानकर सर्वथा भुला दे तब सुरग के द्वारा रात में राजा के शयनागार में प्रविष्ट होकर वह राजा को मार डाले, अथवा शयनागार में लगे यन्त्र को डीला करके उसको राजा के ऊपर गिरा दे, अथवा अग्निरक्षित घर में या साक्ष के घर में सोते हुए शत्रु राजा को मार डाले ।

( ४ ) अथवा प्रमदवन और विहार में या केवल विहार में मदविह्वल शत्रु राजा

(१) प्रत्युत्पन्ने वा कारणे यद्यदुपपद्येत तत्तदमित्रेऽन्तःपुरगते गूढ-  
सञ्चारः प्रयुञ्जीत, ततो गूढमेवापगच्छेत्, स्वजनसंज्ञां च प्ररूपयेत् ।

(२) द्वाःस्थान् वर्षवरांश्चान्यान् निगूढोपहितान् परे ।  
तूर्यसंज्ञामिराह्य द्विषच्छ्रेयाणि घातयेत् ॥

इति आबलीयसे द्वादशेऽधिककरणे योगातिसन्धान दण्डातिसन्धानम्  
एकविजयश्चेति पञ्चमोऽध्यायः , आदित एकोनचत्वारिं-  
शदधिकशततमोऽध्यायः ।

समाप्तमिदमाबलीयसं नाम द्वादशमधिकरणम् ।

—: ० :—

को सुरंगो या तहखानो मे छिपे हुए गुप्तचर मार डालें, अथवा छिपकर रहने वाले रसोइया तथा मास बनाने वाले गुप्तचर विष देकर शत्रु को मार डालें; या किसी निपिद्ध एकान्त में सोते हुए राजा के ऊपर गुप्त वेपधारी स्त्री, सर्प, विष या अग्नि का प्रयोग कर उसको मार डाले ।

( १ ) अथवा समयानुसार जैसे कारण उपस्थित हों उन्ही के अनुकूल उपायो द्वारा विजिगीषु अन्त पुर में गये हुए शत्रु राजा को छिपकर मार डाले और छिपकर ही बाहर निकल आवे । अपने छिपे हुए व्यक्तियों को वह इशारो से उक्त अभिप्राय को समझा दे ।

( २ ) द्वारपाल, नपुंसक तथा अन्त पुर आदि के अन्य गुप्तचर वेपधारी कर्म-  
चारियों को तथा शत्रु के ऊपर छिपे तौर पर नियुक्त दूसरे गुप्तचरो को बाजे आदि के विशेष संकेतो द्वारा बुलाकर शत्रु के बाकी आदमियों को भी मार डाला जाय ।

आबलीयम नामक बारहवें अधिकरण में योगातिसन्धान-  
दण्डातिसन्धान-एकविजय नामक  
पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

—: ० :—



तेरहवाँ अधिकरण

•

दुर्गलम्भोपाय

(१) विजिगीषु परग्रामवाप्तुकामः सर्वज्ञदेवतसंयोगख्यापनाभ्यां स्वपक्षमुद्धर्षयेत्, परपक्षं चोद्वेजयेत् ।

(२) सर्वज्ञरूपायनं तु—गृहगुह्यप्रवृत्तिज्ञानेन प्रत्यादेशो मुख्यानां, कण्टक-शोधनापसर्पागमेन प्रकाशनं राजद्विष्टकारिणां, विज्ञाप्योपायनख्यापनम-दृष्टसंसर्गविद्यासंज्ञादिभिः, विदेशप्रवृत्तिज्ञानं तदहरेव गृहकपोतेन मुद्रा-संयुक्तेन ।

(३) देवतसंयोगख्यापनं तु—सुरुद्धामुखेनाग्निचैत्यदेवतप्रतिमाच्छिद्रानु-प्रविष्टैरग्निचैत्यदेवतव्यञ्जनैः सम्भाषणं पूजनं च, उदकादुत्थितैर्वा नाग-वरुणव्यञ्जनैः सम्भाषा पूजनं च, रात्रावन्तरुदके समुद्रवालुकाकोशं प्रणि-

### उपजाप

( १ ) यदि विजिगीषु राजा अपने शत्रु के गांव या शहर पर अधिकार करने का इच्छुक हो तो उसे चाहिए कि वह स्वयं को सर्वज्ञ तथा देवता का साक्षात्कार करने वाला प्रमिद्ध करके अपने पक्ष को उत्साहित करे और शत्रुपक्ष में वैचैनी फैला दे ।

( २ ) सर्वज्ञता की प्रसिद्धि के तरीके : अपनी सर्वज्ञता का प्रचार-प्रसार करने के लिये विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने गुप्तचरो द्वारा, प्रमुख व्यक्तियों के घरों में छिपे तौर पर होने वाले बुरे कार्यों का पता लगाकर, उन प्रमुख व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने से वर्जित करे । कण्टक शोधन अधिकरण में निर्दिष्ट अपसर्पोपदेश के द्वारा अपने शत्रुओं के गुप्त-भेदों को जानकर उन्हें उनके सामने प्रकट करे और ऐसा करने से उन लोगों को रोके । दूसरे लोगों से अज्ञात संसर्ग विद्या ( नाचना, गाना ) के सकेतों द्वारा अथवा गुप्तचरो से पता लगाकर राजा के लिए भेंटस्वरूप आने वाली वस्तुओं को वह पहिले ही बतला दे । विदेश में घटित होने वाली घटना को वह मुद्रायुक्त कपोत के द्वारा अपने घर पर बैठा ही बतला दे ।

( ३ ) देवसाक्षात्कार की प्रसिद्धि के तरीके : अपने देव-साक्षात्कार के प्रचार-प्रसार के लिए विजिगीषु को चाहिए कि सुरग के द्वारा आग के बीच में तथा देवताओं की पौली प्रतिमाओं के बीच में शीर समाधि ( चैत्य ) के बीच में गुप्तचरो को भेजकर राजा उनसे बातचीत करे एवं उनका पूजन करे; अथवा पानी से निकले

घायाग्निमालादर्शनम्, शिलाशिवयावगृहीते प्लवके स्थानम्, उदकवस्तिना जरायुणा वा शिरोऽवगूढनासः पृषतान्त्रकुलीरनक्रशिशुमारोद्रवसाभिर्वा शतपाक्य तैल नस्तः प्रयोगः तेन रात्रिगणशश्वरति इत्युदकचरणानि, तैर्वरुणनागकन्यावाक्यक्रिया सम्भाषणं च, कोपस्थानेषु मुखादग्नि-धूमोत्सर्गः ।

( १ ) तदस्य स्वविषये कार्तान्तिकर्नमित्तिकमौर्हृत्कपौराणिकेक्षणिक-गूढपुरुषाः साचिव्यकरास्तर्द्वाशनश्च प्रकाशयेयुः । परस्य विषये दैवतदर्शनं दिव्यकोशदण्डोत्पत्तिं च अस्य ब्रूयुः । दैवतप्रश्ननिमित्तवायसाङ्गविद्यास्वप्न-मृगपक्षिव्याहारेषु चास्य विजयं ब्रूयुः, विपरोतममित्रस्य सदुद्भूमिमुल्का च परस्य नक्षत्रे दर्शयेयुः ।

नागदेव तथा वरुण के वेप में रहने वाले गुप्तचर से बातचीत करे और उनकी पूजा भी करे । रात में मजबूत एव जिनके भीतर पानी प्रवेश न कर सके, ऐसी पेटियों में रेता भर कर उनको पानी में डिपा दिया जाय और फिर उसके द्वारा पानी में आग लगाकर दिखाया जाय । रस्सियों में पत्थर बाँध कर उनको नाव के नीचे से पानी में लटका दिया जाय, जिससे कि तेज धारा में नाव स्थिर खड़ी रह जाय । उदकवस्ती ( वाटरप्रूफ वपडा ) अथवा जरायु ( गर्भाशय के समान बनी हुई चमड़े की घँती ) से शिर और नासिका ढककर, सौंभर की बाँत ( पृषतान्त्र ), कंकडा ( कुलीर ), मगर ( नक्र ), शिरस नामक मछली ( शिशुमार ) और हूड ( उद्र ) नाम की मछली की चर्चा के साथ तेल को सौ बार पका कर उसका जो घोल तैयार हो उसको नाक में डाल दिया जाय । ऐसा करने से रात में भूड के भूड पुरुष जल में सतरण कर सकते हैं । जल में तैरते हुए वे पुरुष वरुण या नाग की कन्याओं जैसी आवाज निकालें और राजा उनके साथ बातचीत करे । क्रोधावेश प्रकट करते समय राजा औपधियों के द्वारा अपने मुँह से आग और धुआँ उगले ।

( १ ) राजा की उक्त आश्चर्यमयी बातों को उसके सहायक तथा दैवज्ञ ( कार्तान्तिक ), शुभाशुभ फल बोलने वाले ( नैमित्तिक ), ज्योतिषी ( मौर्हृत्तिक ), कथा-वाचक ( पौराणिक ), प्रश्नवक्ता ( ईक्षणिक ) और गुप्तपुरुष सर्वत्र प्रचारित करें । शत्रुदेश में भी ये लोग राजा के दैव-साक्षात्कार तथा स्वेच्छया दिव्यकोप एव दिव्य सेना को पैदा कर देने की सनसनीपूर्ण खबर फैला दें । दैवतप्रश्न ( भाग्यप्रश्न ), शकुन ( निमित्त ), काकविद्या ( वायसविद्या ), अग को देखकर फलाफल का निर्देश ( अगविद्या ), स्वप्न, पशु-पक्षी आदि सभी निमित्तों से राजा की विजय को सूचित किया जाय और उल्कापात आदि को दिखाकर यह प्रसिद्धि करें कि शत्रु का कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है ।

(१) परस्य मुख्यान्मित्रत्वेनापदिशन्तो दूतव्यञ्जनाः स्वामिसत्कारं ब्रूयुः । स्वपक्षबलाधान परपक्षप्रतिघातं च तुल्ययोगक्षेमममात्यानामायुधीयाना च कथयेयुः । येयु व्यसनाभ्युदयावेक्षणमपत्यपूजनं प्रयुञ्जीत ।

(२) तेन परपक्षमुत्साहयेद्यथोक्तं पुरस्तात् । भूयश्च वक्ष्यामः—साधारणगदंभेन दक्षान्, लकुटशाखाहननाभ्यां दण्डचारिणः, कुलंडकेन चोद्विग्नान् अशनिवर्षेण विमानितान्, विदुलेनावकेशिना वायसपिण्डेन कंसवजमेघेन वा विहताशान्, दुर्भंगालङ्कारेण द्वेषिणोति पूजाफलान्, व्याघ्रचर्मणा मृत्युकूटेन चोपहितान्, पीलुविखादनेन करकयोष्ट्र्या गदंभीक्षीराभिमग्न्यनेनेति ध्रुवापकारिण इति ।

( १ ) शत्रुमुख्यों के साथ मित्ररूप में रहने वाले गुप्तचर उनके सामने अपने स्वामी के द्वारा प्राप्त अपने आदर-सत्कार की खूब बड़ाई करें । शत्रु-प्रकृति तथा शत्रु-सेना के सामने वे गुप्तचर अपने पक्ष की सेना की उन्नति और शत्रुपक्ष की सेना के ह्ताम अथवा दोनो के समान योगक्षेम की चर्चा करें । अमात्यो और सैनिको के सामने वे कहें कि उनका राजा विपत्ति के समय अपने अनुचरो की पूरी सहायता करता है तथा अभ्युदय के समय दान, मान, समान से सबको खुश करता है । किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के मर जाने पर उसके पुत्रो को सत्कृत करता है ।

( २ ) उक्त सभी कारणो का वखान कर शत्रु के अधीनस्थ कर्मचारियों को उससे भिन्न कर दिया जाय । शत्रुपक्ष में भेद डालने के लिए कुछ उपायो का वर्णन पीछे कर दिया गया है और कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं कार्यपटु एवं कर्मठ व्यक्तियों से यह कह दिया जाय कि राजा ने तुमको बिल्कुल गधा बना दिया है । इसी प्रकार सैनिको से कहा जाय कि राजा ने उन्हें लठैत बना रखा है । शत्रु राजा से भयभीत कर्मचारियों को कहा जाय कि उन्हें भुङ्ग से बिछड़े हुए या जीवन से निराश एक मेडे या बकरे की तरह बना दिया है । निरस्कृत व्यक्तियों को कहा जाय कि किस प्रकार उन्होंने इतने बखपात के समान अपमान को चुपचाप पी लिया है । सर्वथा निराश व्यक्तियों को फलहीन बेंत, अस्त्राद्य अन्नपिण्ड या न बरसने वाले बादल की उपमा देकर स्वामी राजा के विरोध में उकसाया जाय । सममान आभूषण आदि देकर पुरस्कृत व्यक्तियों से कहा जाय कि व्यभिचारिणी स्त्री को गहना पहनाने से क्या लाभ ? शत्रु द्वारा ठगे गये व्यक्तियों को मृत्यु स्थान, बनावटी व्याघ्र जैसे राजा का उदाहरण दिया जाय । शत्रु के निकटवर्ती सदा ही अपकार करने वाले व्यक्तियों को कहा जाय कि उन्हें तो पीलु वृक्ष का फल खिलाकर, बोले दिलाकर, ऊँटनी तथा गदही का दूध मषने का काम दिया गया है ।

(१) प्रतिपन्नान् अर्थमानाम्प्यां योजयेत् । द्रव्यमक्तच्छिद्रेषु चैनान् द्रव्यमक्तदानैरनुगृह्णीयात् । अप्रतिगृह्णतां स्त्रीकुमारालङ्कारानभिहरेयुः ।

(२) दुर्भिक्षस्तेनाटव्युपघातेषु च पौरजानपवानुत्साहयन्तः सत्रिणो ब्रूयुः—'राजानमनुग्रहं याचामहे, निरनुग्रहाः परत्र गच्छामः' इति ।

(३) तथेति प्रतिपन्नेषु द्रव्यधान्यपरिग्रहैः ।

साचिव्यं कार्यमित्येतदुपजापाद्भुतं महत् ॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशोऽधिकरणे उपजापो नाम प्रथमोऽध्यायः ,  
आदितश्चत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

—: ० :—

( १ ) जो लोग उक्तसाने मे आकर शत्रु राजा का विरोध करने लगेँ उन्हे अच्छी तरह संस्कृत किया जाय और उन पर धन-अन्न का सकट थाने पर उनकी पूरी सहायता की जाय । यदि वे लोग गौरव नष्ट होने के विचार से इस प्रकार अन्न-धन की सहायता लेना मजूर न करें तो उनके स्त्री पुत्रो के लिए आभूषण बना कर भेज दिये जायें ।

( २ ) दुर्भिक्ष के समय चोर और आटबिको की लूट-मार की दशा मे गुप्तचर शत्रु राजा के ग्रामवासियो, नगरवासियो तथा जनपदवासियो को उत्साहित करते हुए कहे कि 'हम लोग राजा से सहायता की याचना करें । यदि राजा हमारी सहायता नहीं करता है तो हम लोगो को दूसरे राजा के आश्रय मे चला जाना चाहिए ।' इस प्रकार शत्रु देश की प्रजा को राजा से भिन्न किया जाय ।

( ३ ) जब शत्रु देश की प्रजा गुप्तचरो की बात से राजी हो जाय तो विजिगीषु राजा को चाहिये कि धन, धान्य और निवास की सुविधा देकर उनकी सहायता करें । शत्रुपक्ष को शत्रु से भिन्न करने का यह अद्भुत उपाय है ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण मे उपजाप नामक  
प्रथम अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) मुण्डो जटिलो वा पवंतगुहावासी चतुर्वंशतायुर्बुवाणः प्रभूत-जटिलान्तेवासी नगराभ्याशे तिष्ठेत् । शिष्याश्चास्य मूलफलोपगमनंर-मात्यान् राजानं च भगवद्दर्शनाय योजयेयुः । समागतश्च राजा पूर्वराजदेशा-भिज्ञानानि कथयेत्—'शते शते च वर्षाणां पूर्णोऽहर्माग्निं प्रविश्य पुनर्बालो भवामि, तदिह भवत्समीपे चतुर्थंमग्निं प्रवेक्ष्यामि । अवश्यं मे भवान्मान-पितव्यः, त्रीन् वरान् वृणीष्व' इति । प्रतिपन्नं ब्रूयात्—'सप्तरात्रमिह सपुत्र-दारेण प्रेक्षाप्रहवणपूर्वं वस्तव्यम्' इति । वसन्तमवस्कन्देत् ।

(२) मुण्डो वा जटिलो वा स्थानिकव्यञ्जनः प्रभूतजटिलान्तेवासी वस्तशोणितदिग्धां वेणुशलाकां सुवर्णचूर्णनादलिप्य बल्मीके निवध्यादुपजि-ह्विकानुसरणार्थं, स्वर्णनालिका वा । ततः सत्री राज्ञः कथयेत्—'असौ सिद्धः

### कपट उपायो द्वारा राजा को लुभाना

( १ ) मुण्डित या जटाधारी साधु के वेश में पहाड़ की गुफा में अपने अनेक शिष्यों सहित रहने वाले गुप्तचर अपनी आयु को चार सौ वर्ष की बताकर नगर के समीप डेरा डालें । वे शिष्य लोग राजा तथा उसके अमात्यो को कन्द, मूल, फल लेकर उस भगवत्स्वरूप सिद्ध पुरुष के दर्शन करने के लिए उत्साहित करें । जब राजा उसके दर्शनार्थ जाये तब वह साधुवेशधारी गुप्तचर प्राचीन राजाओं और देशों के संबंध में अनेक बातें बताये तथा कहे 'मैं सौ वर्षों जीत जाने पर अग्नि में प्रवेश करके फिर बालक बन जाता हूँ । अब यहाँ पर आपके सामने चौथो बार अग्नि में प्रवेश करूँगा । कुछ वरदान देकर मैं आपको समानित करना चाहता हूँ । अपने इच्छानुसार आप मुझसे तीन वर माँग सकते हैं ।' यदि राजा इन बातों को मान ले तो आगे कहे 'आप अपने स्त्री-पुत्रों सहित सात रात्रि तक खेल तमाशा कराते हुए तथा उत्सव मनाते हुए यहाँ मेरे आश्रम पर निवास करें ।' जब वह राजा सपरिवार वहाँ रहने लगे तो सोते समय चुपके से उसको मार दिया जाय ।

( २ ) अथवा मुण्डित या जटाधारी के वेश में अनेक शिष्यों सहित किसी स्थान में रहने वाला मठाधीश गुप्तचर बकरे के खून से सनी तथा स्वर्ण चूर्ण से लिपटी, या सुवर्ण युक्त एक बाँस की नली को जंगल में जाकर पहिचान के लिए किसी बाँबी से रख दे । वह बाँस की नली ऐसे स्थान पर रख दी जाय जिससे साँप आसानी से

पुष्पितं निर्धि जानाति' इति । स राज्ञा पृष्टः 'तथा' इति ब्रूयात् । तच्च-  
भिज्ञानं दर्शयेत् । भूयो वा हिरण्यमन्तराधाय ब्रूयाच्चैनम्—'नागरक्षितोऽयं  
निधिः प्रणिपातसाध्यः इति । प्रतिपन्नं ब्रूयात्—'सप्तरात्रम्' इति समानम् ।

(१) स्थानिकव्यञ्जनं वा रात्रौ तेजनानिगमयुक्तमेकान्ते सिष्ठन्तं  
सत्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः—'असौ सिद्धः सामेधिकः' इति । तं  
राजा यमर्थं याचेत, तमस्य करिष्यमाणः 'सप्तरात्रम्' इति समानम् ।

(२) सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयेत् । 'तं राजा'  
इति समानम् ।

(३) सिद्धव्यञ्जनो वा देशदेवतामभ्यहितामाश्रित्य प्रहवर्णरभोक्षणं  
प्रकृतिमुख्यानभिसंवाप्त्य क्रमेण राजानमतिसन्दध्यात् ।

(४) जटिलव्यञ्जनमन्तरुदकवासिनं वा सर्वश्वेतं तदसुरुद्धामूमिगूहा-  
पसरणं वरुण नागराजं वा सत्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः । 'तं राजा'  
इति समानम् ।

भीत्रर-बाहर आ-जा सके । तदनतर सत्री गुप्तचर राजा से जाकर कहे 'अमुक सिद्ध  
पुरुष जमीन मे गढे हुए खजाने को बता मवता है ।' राजा के पूछने पर अपनी  
अभिज्ञता को स्वीकार कर ले और तत्पश्चात् कुछ चिह्न भी बताये । अथवा वहाँ और  
भी घन गाडकर राजा से कहे कि 'यह खजाना साँपो से सुरक्षित है । इसलिए इनको  
बड़ी तजवीज से ही प्राप्त किया जा सकता है ।' जब राजा, सिद्ध को बातों को मान  
ले तब उससे कहे 'आपको सात रात तक सपरिवार मेरे समीप रहना होगा ।' तद-  
नन्तर सोते समय रात मे उसको मार डाला जाय ।

( १ ) अथवा रात्रि के एकांत मे अपने शरीर को अग्नि के समान प्रज्वलित कर  
बैठे हुए उस सिद्ध महात्मा को सत्री गुप्तचर राजा को दिखायें तथा राजा से कहे कि  
'यह सिद्ध पुरुष भावी समृद्धि को बता सकता है ।' तदनन्तर राजा उस सिद्ध पुरुष से  
जिस समृद्धि की याचना करे उसको भविष्य मे पूरा कर देने का वायदा कर राजा को  
सात रात्रि तक सपरिवार आश्रम में रहने के लिए कहा जाय और फिर पूर्ववत्  
उसको मार डाला जाय ।

( २ ) अथवा सिद्ध के वेप मे रहने वाला गुप्तचर राजा को बपट विद्याओं से  
प्रलोभन मे फँसाकर पूर्ववत् मार डाले ।

( ३ ) अथवा सिद्ध के वेश मे रहने वाला गुप्तचर किसी प्रसिद्ध देवता के मंदिर  
मे रहकर निरन्तर सहभोज और उत्सव के द्वारा राजा की अमात्यप्रकृति को अपने  
वश मे करके उस प्रवृत्तिवर्ग के ही द्वारा राजा को मरवा डाले ।

( ४ ) इसी प्रकार मुण्डित या जटाधारी गुप्तचर उदकचरी विद्याओं के

(१) जनपदान्तेवासी सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं शत्रुदर्शनाय योजयेत् ।  
प्रतिपन्न बिम्बं कृत्वा शत्रुमावाहयित्वा निरुद्धे देशे घातयेत् ।

(२) अश्वपण्योपपाता वंदेहकव्यञ्जनाः पण्योपायननिमित्तमाहूय  
राजानं पण्यपरीक्षापामासक्तमश्वव्यतिकीर्णं वा हन्युः, अश्वैश्च प्रहरेयुः ।

(३) नगराभ्याशे वा चैत्यमाहूय रात्रौ तीक्ष्णाः कुम्भेषु नालीन् वा  
विदलानि घमन्तः—'स्वामिनो मुह्यानां वा मांसानि भक्षयिष्यामः, पूजा नो  
वर्तताम्' इत्यव्यक्तं ब्रूयुः । तदेपां नैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जनाः ख्यापयेयुः ।

(४) मङ्गल्ये वा ह्रुदे तटाकमध्ये वा रात्रौ तेजनतंलाभ्यक्ता नागहृदिपिणः  
शक्तिमुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथैव ब्रूयुः । ऋक्षचर्मकञ्चुकिनी वा  
अग्निधूमोत्सर्गयुक्ता रक्षोरूपं बहन्तस्त्रिरपसव्य नगरं कुर्वाणाः श्वशृगाल-

द्वारा अपने आप को जल के भीतर छिपा कर अपने स्वरूप को स्वच्छ, श्वेत एवं  
दिव्य, देवता के रूप की तरह बना लें । फिर सत्री गुप्तचर उसको बरुण देवता या  
नागराज कहकर उसका प्रचार करे । जब राजा उस पर विश्वास कर अपनी मनो-  
कामना पूर्ण करने की याचना करे तो उसे पूर्ववत् मार डाला जाय ।

( १ ) अथवा जनपद की सीमा में रहने वाला सिद्धवेप गुप्तचर वहाँ के राजा  
को शत्रु राजा से मिला देने का प्रपच रहे । जब राजा इस पर राजी हो जाय  
तो पूर्व निर्धारित साकेतिक चिह्नों के द्वारा शत्रु राजा को वहाँ बुलाकर फिर उस  
फँसाये गये राजा को एकात में मार दिया जाय ।

( २ ) घोड़ों के व्यापारी गुप्तचर अच्छे अच्छे घोड़ों को लेकर शत्रु राज्य में  
जायें और सौदे के बहाने शत्रु को अपने पास बुलायें । जब राजा घोड़ों की परीक्षा  
कर ले या घोड़ों से घिर जाय तब उसको मार दिया जाय और उन्हीं घोड़ों पर  
सवार होकर उसकी राजधानी पर हमला बोल दिया जाय ।

( ३ ) अथवा नगर के समीपस्थ किसी समाधि या इमशान में सड़े वृक्ष पर  
चढ़ कर सत्री गुप्तचर रात में अव्यक्त रूप से इस प्रकार बोलें 'हम इस राजा के या  
इसकी मुख्य प्रकृतियों के मास को अवश्य खायेंगे, हमारी पूजा होनी चाहिए ।' इस  
इस बात को शकुनवक्ता ( नैमित्तिक ) तथा ज्योतिषी ( मौहूर्तिक ) के वेप में  
रहने वाले गुप्तचर सर्वत्र प्रकाशित कर दें ।

( ४ ) अथवा किसी मार्गलिक गहरे जलाशय में रात के समय वे गुप्तचर नाग  
का रूप बनाकर तथा शरीर में जलने वाले तेल की मालिश कर हाथ में लोहे की  
बनी हुई शक्ति और भूसल लेकर उन्हें परस्पर रगड़ते हुए चिल्लायें कि हम राजा  
और उसके मंत्रियों का मास खायेंगे, हमारी पूजा होनी चाहिए' । अथवा रोख की  
खाल को ओढ़ कर राससों का वेप बनाये मुँह में आग-धुआँ उगलते हुए, नगर के



वाशितान्तरेषु तथैव ब्रूयुः । चैत्यदेवप्रतिमाओं तेजनर्तलेनाभ्रपटलच्छन्नेनाग्निना वा रात्रौ प्रद्वंश्यात्य तथैव ब्रूयुः । तदन्ये स्थापयेयुः ।

(१) देवतप्रतिमानां भूम्यांहितानां वा शौणितेन प्रस्त्रावमतिमात्रं कुर्युः । तदन्ये देवर्षधिरसंवाये संग्रामे पराजयं ब्रूयुः ।

(२) सन्धिरात्रियु श्मशानप्रमुखे वा चैत्यमूर्ध्वभक्षितं मनुष्यैः प्रहृषयेयुः । ततो रक्षोरूपी मनुष्यकं याचेत । यश्चात्र शूरवादिकोऽन्यतमो वा द्रष्टुमागच्छेत् तमन्ये लोहमुसलं हन्युः, यथा रक्षोभिर्हत इति ज्ञायेत । तदद्भुतं राजस्तद्दृशिनः सत्रिणश्च कथयेयुः । ततो नैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जनाः शान्तिं प्रायश्चित्तं ब्रूयुः—‘अन्यथा महदकुशलं राज्ञो देशस्य च’ इति । प्रतिपन्नम्—‘एतेषु सप्तरात्रमेकं कमन्त्रबलिहोम स्वयं राजा कर्तव्यम्’ इति ब्रूयुः । ततः समानम् ।

चारो ओर बाई ओर से तीन परिक्रमा करते हुए वे गुप्तचर कुत्तो तथा सियारो की भाषा में ऊपर की तरफ आवाज लगाये । अथवा जलने वाले तेल ( तेजनर्तल ) में अभ्रक मिलाकर उसके बीच में श्मशान के देवता की ढकी हुई मूर्ति को रात में जलाकर वे गुप्त पुरुष राजा तथा उसके मंत्रियों को खा जाने की बात कहे । दूसरे सभी गुप्तचर इन बातों को नगर भर में फैला दें ।

( १ ) अथवा गुप्तचर देवप्रतिमाओं के भीतर से बकरे आदि के खून को इस प्रकार वहाये कि देखने वालो को ऐसा प्रतीत हो कि देवप्रतिमाएँ स्वयं ही खून उगल रही हैं । तदनन्तर गुप्तचर इस अपशकुन को नगर भर में यह कह कर प्रचारित करे कि संग्राम में अवश्य ही राजा की पराजय होगी ।

( २ ) अथवा पूणिमा या अमावस की रातों में ऊपर के भाग जिनके छाये गये हैं ऐसे मनुष्यों द्वारा चिंता के चिह्नो को दिखाया जाय । तदनन्तर राक्षस बना हुआ कोई गुप्तचर वही प्रकट होकर अपने भोजन के लिए एक पुरुष को मंगि । अपने आप को बहादुर बहने वाला जो कोई भी व्यक्ति वहाँ देखने के लिए आया हो उसको दूसरे सभी गुप्तचर लोहे के मुसलो से मार डालें, जिससे सब लोगो को यही मालूम हो कि अमुक व्यक्ति को राक्षसो ने मार डाला है । इस अद्भुत घटना को देखने वाले लोग तथा गुप्तचर इस बात को राजा तक पहुँचायें । तदनन्तर गुप्तचरो के वेप में रहने वाले नैमित्तिक तथा मौहूर्तिक लोग राजा से शान्ति और प्रायश्चित्त के लिए कहें कि यदि ऐसा न किया गया तो राजा-भ्रजा का बड़ा अनिष्ट होगा । जब राजा इस बात को स्वीकार कर ले तो उस दुर्निमित्त शान्ति के लिए राजा को सात रात्रि तक बलि, मन्त्र तथा होम करने की राजी कर पूर्ववत् उसका वध किया जाय ।

(१) एतान् वा योगानात्मनि दर्शयित्वा प्रतिकुर्वीत, परेषामुपदेशार्थम् । ततः प्रयोजयेद्योगान् । योगदर्शनप्रतीकारेण वा कोशाभिसंहरणं कुर्यात् ।

(२) हस्तिकामं वा नागवनपाला हस्तितना लक्षण्येन प्रलोभयेयुः, प्रतिपन्नं गहनमेकायनं वाऽतिनीय घातयेयुः, बद्ध्वा वापहरेयुः ।

(३) तेन मृगयाकामो व्याख्यातः ।

(४) द्रव्यस्त्रीलोलुपमाढघविधवाभिर्वा परमरूपयौवनाभिः स्त्रीभिर्दायादनिक्षेपायंमुपनीताभिः सत्रिणः प्रलोभयेयुः । प्रतिपन्नं रात्रौ सत्रिच्छन्नाः समागमे शस्त्ररसाभ्यां घातयेयुः ।

(५) सिद्धप्रव्रजितचंत्पस्तृपदं वतप्रतिमानामभीक्ष्णाभिगमनेषु वा भूमि-गृहसुरुङ्गागूढभित्तिप्रविष्टास्तीक्ष्णाः परमभिहन्युः ।

(६) येषु देशेषु याः प्रेक्षाः प्रेक्षते पार्थिवः स्वयम् ।

यात्राधिहारे रमते यत्र क्रीडति वाम्भसि ॥

( १ ) विजिगीषु राजा को चाहिए कि उषत सभी योगो को वह स्वय तथा अपने गुप्तचरो, अपने सहायको को तिललाये और तब अपने ऊपर किये जाने वाले इस प्रकार के योगो का प्रतीकार कराये । यथावसर उन प्रयोगो द्वारा शत्रु को अपने वश मे करे । अथवा इन्ही प्रयोगो के द्वारा अपना कोप बढाये ।

( २ ) अथवा विजिगीषु के हस्तिकामो के रक्षक पुरुष अच्छे हाथियो को दिखाकर, हाथी की इच्छा रखने वाले शत्रु राजा को, प्रलोभन दे । जब वह इस बात पर राजी हो जाय तो घने जंगल मे ले जाकर उसको मार दिया जाय; अथवा गिरपतार कर अपने राजा के पास ले आवे ।

( ३ ) इसी प्रकार शिवार की इच्छा रखने वाले शत्रुराजा के सबध मे भी समझना चाहिए ।

( ४ ) अथवा जो राजा धन तथा स्त्रियो की कामना करता हो उसको रात्री गुप्तचर धनसंपन्न विधवा स्त्रियो के द्वारा या दायभाग तथा अमानत के मुबदमो के बहाने वहाँ साथी गयी अत्यत रूपयती जवान स्त्रियो के जाल मे फँसा दिया जाय । जब राजा उनके काबू मे हो जाय तब सयोग के लिए किसी एवान स्थान को नियुक्त कर, वहाँ रात के समय शस्त्र या विष के द्वारा उस राजा को मार दिया जाय ।

( ५ ) अथवा ऐसे अयसरो पर जबकि राजा किसी सिद्ध पुरुष, किसी उच्च भिक्षु या शमशान के स्तूप, या देवताओ के दर्शनार्थ बार-बार आये-जाये उस समय सुरग, भूमिगृह तथा गूढभित्तियो मे छिपे हुए गुप्तचर उसको मार डालें ।

( ६ ) शत्रुराजा जिन देशो मे नाप, घाना, या तमाशा आदि को देखने जाता हो तथा उस्तयो मे शामिल होता हो अथवा जहाँ जलप्रीडा करता हो; अथवा जहाँ

चाद्रूक्त्यादिषु कृत्येषु यज्ञप्रहवणेषु वा ।  
 सूतिकाप्रेतरोगेषु प्रीतिशोकमयेषु वा ॥  
 प्रमाद याति यस्मिन्वा विश्वासात्स्वजनोत्सवे ।  
 यत्रास्यारक्षिसञ्चारो दुदिने सङ्कुलेषु वा ॥  
 विप्रस्थाने प्रदीप्ते वा प्रविष्टे निर्जनेऽपि वा ।  
 वस्त्राभरणमाल्याना फेलाभिः शयनासनैः ॥  
 मद्यभोजनफेलाभिस्तूर्यैर्वाभिहतैः सह ।  
 प्रहरेयुररींस्तीक्ष्णाः पूर्वप्रणिहितैः सह ॥  
 (१) यथैव प्रविशेषुश्च द्विपतः सत्रहेतुभिः ।  
 तथैव चापगच्छेयुरित्युक्त योगवामनम् ॥

इति दुर्गलम्भापाये षोडशोऽधिकरणे योगवामन नाम द्वितीयोऽध्यायः ,  
 आदित एचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

— ० —

पर धिक्कार के योग्य कार्य करता हो, या यज्ञ, उत्सव, सूतिका, मृत्यु, रोग, प्रीति, शोक भय आदि में प्रसन्न, दुःखी और भयभीत होता हो, अथवा जब किसी समे-सवधी के यहाँ उत्सव में सम्मिलित होकर प्रमत्त हो जाता हो अथवा जहाँ रसित पुरुषों के बिना ही जाता आता हो, अथवा किसी दुर्दिन या भीड़ भिडाके के अवसरो पर, अथवा निर्जन स्थान में, अथवा नगर में आग लग जाने पर, या नीरव घने जंगल में शत्रु के प्रविष्ट हो जाने पर—ऐसी स्थितियों में पहिले ही से छिपे हुए गुप्तचर, ज्यो ही इशारे के लिए वस्त्र, आभरण माला, शयन, आसन, मद्य, भोजन आदि अवसरो पर तूर्यधोप हो, वैसे ही वे धावा बोल दें ।

( १ ) जिस प्रकार सत्री आदि गुप्तचर शत्रुओं के बीच में प्रविष्ट हुए हो, उसी छल से वे बाहर निकल आवें, अन्यथा उनके पकड़े जाने की सम्भावना हो सकती है । यहाँ तक योगवामन ( कपट उपायो द्वारा राजा को लुभाना ) का निरूपण किया गया ।

दुर्गलम्भापाय नामक तेरहवें अधिकरण में योगवामन नामक  
 दूसरा अध्याय समाप्त

— ० :—

(१) श्रेणीमुख्यमाप्तं निष्पातयेत् । स परमाश्रित्य पक्षापदेशेन स्वविप-  
यात् साचिव्यकरणसहायोपादानं कुर्वीत । कृतापसर्पोपचयो वा परमनुमान्य  
स्वामिनो दूष्यग्रामं वीतहस्त्यश्वं दूष्यामात्यं दण्डमाक्रन्दं वा हत्वा परस्य  
प्रेषयेत् । जनपदैकदेशं श्रेणीमटवीं वा सहायोपादानार्थं संश्रयेत् । विश्वास-  
मुपगतः स्वामिनः प्रेषयेत् । ततः स्वामी हस्तिबन्धनमटवीघातं वापदिश्य  
गूढमेव प्रहरेत् ।

(२) एतेनामात्याटविका व्याख्याताः ।

(३) शणुणा मैत्रौ कृत्वा अमात्यानवक्षिपेत् । ते तच्छत्रोः प्रेषयेयुः—  
'भर्तारं नः प्रसादय' इति । स यं दूतं प्रेषयेत् । तमुपालभेत—'भर्ता ते माम-

### गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास

(१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने किसी अत्यन्त विश्वस्त श्रेणी-  
मुख्य को बनावटी शत्रुतावश अपने राज्य से निकाल दे । वह शत्रु-राजा की शरण  
में जाकर उसका विश्वास प्राप्त करे और उसके कार्य का बहाना बनाकर छिपे तीर  
से अपने देश की युद्धोपयोगी सहायक वस्तुओं का संग्रह करे । सहाय्यतार्थ जब उसके  
पास पर्याप्त गुप्तचर एकत्र हो जायें तब वह शत्रु राजा की अनुमति से अपने राजा  
के किसी दूष्यवर्ग या मित्र पर आक्रमण कर वहाँ से विजित हाथी, घोड़े, राजद्रोही  
अमात्य, सैनिक और मित्र आदि को गिरफ्तार कर शत्रु-राजा के पास भेज दे ।  
विजिगीषु के उस विश्वस्त व्यक्ति को चाहिए कि वह जनपद के किसी एक देश, सघ  
या आटविक पुरुषों को अपने उस बनावटी स्वामी की सहायता के लिए तैयार करके  
फिर उनके साथ गुप्त-मन्त्रणा करे । जब गुप्त-मन्त्रणा द्वारा वे लोग वस्तुस्थिति को  
जानकर पूरी तरह सहमत हो जायें तब उन्हें अपने असली स्वामी के सहाय्यतार्थ  
उसके पास भेज दे । तदनन्तर हाथियों को पकड़ने या जंगल को नष्ट करने का  
बहाना बनाकर विजिगीषु राजा अपने असावधान शत्रु पर आक्रमण कर दे ।

(२) इसी प्रकार अमात्य तथा आटविक को गुप्तचर बनाकर शत्रु-देश में भेज  
 देने की रीति को भी समझ लेना चाहिए ।

(३) विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने शत्रु राजा के साथ बनावटी  
 मित्रता करके अपने अमात्यों का तिरस्कार कर दे, वे अमात्य उस शत्रु-राजा के

मात्यं भेदयति, न च पुनरिहागन्तव्यम्' इति । अर्थकममात्यं निष्पातयेत् । स परमाश्रित्य योगापसर्परक्तदूष्यानशक्तिमतः स्तेनाटविकानुभयोपघातकान् वा परस्योपहरेत् । आप्तभावोपगतः प्रवीरपुरुषोपघातमस्योपहरेत् । अन्तपालमाटविक दण्डचारिणं वा—'दृढमसौ चासौ च ते शत्रुणा सन्धत्ते' इति । अयं पञ्चादमित्यक्तशासनं रेनाघातयेत् ।

(१) दण्डबलव्यवहारेण वा शत्रुमुद्योग्यं घातयेत् ।

(२) कृत्यपक्षोपग्रहेण वा परस्याभिन्नं राजानमात्मन्यपकारयित्वाभियुञ्जीत । ततः परस्य प्रेषयेत् । 'असौ ते वंशी ममापकरोति, तमेहि सम्भूय हनिष्यावः । भूमौ हिरण्ये वा ते परिग्रहः' इति । प्रतिपन्नमभिसत्कृत्यागत-

पास अग्न दूत को इस प्रकार का सदेश लेकर भेजे कि 'आप हमारे स्वामी को प्रसन्न करा दीजिए ।' उसके बाद जब शत्रु राजा अपने जिस दूत को विजिगीषु राजा के पास भेजे, उसको विजिगीषु राजा यह कह कर धमका दे कि 'तुम्हारा राजा, हमारे अमात्यो को हमसे अलग करना चाहता है । खबरदार ! ऐसा सदेश लेकर मेरे पास फिर कभी न आना ।' इसके बाद विजिगीषु राजा उन अमात्यो मे से एक अमात्य को अपने यहाँ से निकाल दे । वह अमात्य शत्रु-राजा की शरण मे जाकर अपने राजा के गुप्तचर, गूढ पुरुष, दूष्य पुरुष, चोर तथा 'आटविक आदि को साथ ले जाकर शत्रु-राजा के पास जाये और उससे बहे कि, 'मैंने आपके लिए इतने सहायक तैयार कर दिये हैं' जब शत्रु राजा उस अमात्य पर पूरा विश्वास करने लगे तो वह अमात्य शत्रु-राजा के शक्तिशाली पुरुषो का मरवा डाले । वह अमात्य शत्रु-राजा से बहे कि 'आपके ये आटविक और सैनिक लोग बडे दुष्ट हो गए हैं । मैं निश्चयपूर्वक वह सकता हूँ कि अमुक आटविक या अमुक सैनिक आपके शत्रु-राजा के साथ सधि कर रहे हैं ।' तदनन्तर वह अमात्य बध्य पुरुषो के पास आटविक और विजिगीषु की पारस्परिक मित्रता की प्रवट करने वाले कपट सेखों को उस शत्रु राजा को दिखाकर उन अन्त पाल आदि को मरवा डाले ।

( १ ) अथवा वह अमात्य शत्रु को सैनिक सहायता देने का वायदा कर उसको उसके शत्रु से भिडा दे और बाद मे उसकी सहायता न कर उसके शत्रु द्वारा ही उसको मरवा डाले ।

( २ ) अथवा विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के कूट, लुब्ध तथा भीत आदि प्रतिपक्ष को अपने अनुकूल बनाकर शत्रु के शत्रु राजा द्वारा अपना कुछ अपकार कराये और फिर उस पर चढाई कर दे । उसके बाद विजिगीषु शत्रु राजा के पास अपने दूत द्वारा यह सदेश भेजे कि 'यह तुम्हारा शत्रु राजा बराबर मेरा अपकार कर रहा है, आजो, हम दोनो मिलकर उस पर चढाई कर दें । इस विजय मे जो

मवस्कन्देन प्रकाशयुद्धेन वा शत्रुणा घातयेत् । अभिविश्वासनार्थं भूमिदान-  
पुत्राभिषेकरक्षापदेशेन वा प्राहयेत् । अविषह्यमुपाशुदण्डेन वा घातयेत् ।  
स चेदण्ड दद्यात् न स्वयमागच्छेत्' तमस्य वैरिणा घातयेत् । दण्डेन वा  
प्रयातुमिच्छेत् न विजिगीषुणा' तथाप्येनमुभयतः संपीडनेन घातयेत् ।

(१) अविश्वस्तो वा प्रत्येकशो यातुमिच्छेत्, राज्यैकदेशं वा यातव्यस्य  
आदातुकामः, तथाप्येन वैरिणा सर्वसन्दोहेन वा घातयेत् । वैरिणा वा  
सक्तस्य दण्डोपनयेन मूलमन्यतो हारयेत् ।

(२) शत्रुभूम्या वा मित्रं पणेत मित्रभूम्या वा शत्रुम् । ततः शत्रुभूमि-  
लिप्तायां मित्रेणात्मन्यपकारयित्वाभियुञ्जीत । इति समानाः पूर्वेषु सर्व  
एव योगाः ।

भूमि और हिरण्य प्राप्त होगा उसमें तुम्हें भी हिस्सा दिया जायेगा । जब शत्रु-राजा  
इस बात को स्वीकार कर विजिगीषु राजा के पास आ जाय तो पहले उसका अच्छा  
स्वानत-सत्कार किया जाय और बाद में सोते समय द्विपकर उसका वध कर दिया  
जाय, अथवा प्रकानयुद्ध के समय शत्रु के द्वारा ही उसको मरवा दिया जाय । यदि  
विजिगीषु की विजय हो जाय तो अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार जीते हुए हिरण्य  
तथा भूमि देने या पुत्र के राज्याभिषेक करने अथवा अपनी रक्षा करने के बहाने  
उस सहयोगी शत्रु-राजा को बुलाकर उसे कैद कर ले । यदि शत्रु इस प्रकार  
भी काबू में न आये तो उपाशु दंड द्वारा उसका वध करा दिया जाय । यदि विजिगीषु  
की सहायता के लिए शत्रु राजा स्वयं न आकर अपनी सेना को ही भेज दे तो उस  
सेना को मुकाबले में लडाकर मरवा दिया जाय । यदि विजिगीषु के सहायतायें  
आया हुआ शत्रु राजा अपनी सेना के साथ ही युद्ध भूमि में आना चाहे, तब भी दोनों  
ओर से घेरा डालकर उसको मरवा दिया जाय ।

( १ ) यदि विजिगीषु के अविश्वास के कारण सहायतार्थ आया हुआ वह शत्रु-  
राजा इस नीयत से युद्ध में जाये कि अमुक हिस्से को जीत कर मैं अपने वश में कर  
लूँगा तब भी विजिगीषु उस शत्रु-राजा को उसके शत्रु राजा द्वारा अपनी सम्पूर्ण  
सैनिक शक्ति के द्वारा अवश्यमेव मरवा डाले, अथवा लडाई में व्यस्त उस शत्रु-राजा  
की राजप्रान्ती में भेजकर विजिगीषु उसका अपहरण करवा डाले ।

( २ ) अथवा विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने मित्र के साथ छिपे  
तौर पर यह कह कर सधि कर ले कि 'यदि हम दोनों ने मिलकर शत्रु पर विजय  
प्राप्त कर ली तो उसकी भूमि को हम आपस में आधा-आधा बाँट लेंगे ।' इसी प्रकार  
विजिगीषु शत्रु-राजा के साथ भी छिपे तौर पर यह सधि कर ले कि 'हम दोनों मिल  
कर तुम्हारे अमुक शत्रु पर विजय प्राप्त करके उसकी भूमि को आपस में बराबर बाँट

(१) शत्रुं वा मित्रभूमिलिप्सायां प्रतिपन्नं दण्डेनानुगृह्णीयात्, ततो मित्रगतमतिस्वदध्यात् । कृतप्रतिविधानो वा व्यसनमात्मनो दर्शयित्वा मित्रेणामित्रमुत्साहयित्वा आत्मानमभियोजयेत् । ततः संपीडनेन घातयेत्, जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत् । मित्रेणाहृतश्चेच्चत्रुरग्राहो स्थातु-मिच्छेत्, सामन्तादिभिर्मूलमस्य हारयेत्, दण्डेन वा त्रातुमिच्छेत्, तमस्य घातयेत् ।

(२) तौ चेन्न मिद्येयातां प्रकाशमेवान्योन्यस्य भूम्या पणेत, ततः परस्पर मित्रव्यञ्जनोभयवेतना वा दूतान् प्रेषयेयुः—‘अयं ते राजा भूमि लिप्सते शत्रुसहितः’ इति । तयोरन्यतरो जाताशङ्कारोपः पूर्ववच्छेषेत ।

(३) दुर्गराष्ट्रदण्डमुष्ट्यान् वा कृत्यपक्षहेतुभिरभिविख्याप्य प्रवाजयेत्,

लेंगे’ इसी प्रकार विजिगीषु राजा जब शत्रु को जीतने की इच्छा करे तो मित्र के द्वारा अपना कुछ अपकार कराके इसी बहाने से उसके ऊपर आक्रमण कर दे । इसके बाद आगे का कार्य पूर्ववत् किया जाय ।

( १ ) अथवा जब शत्रु राजा विजिगीषु के मित्र राजा पर आक्रमण करने की इच्छा करे तो विजिगीषु अपनी ओर से सैनिक सहायता देने की प्रतिज्ञा कर उसको युद्ध में भिडा दे । जब सेनाएँ मित्र देश में युद्ध के लिए चली जायँ तो वहाँ मित्र से मिलकर उस आक्रमणकारी शत्रु को ही मरवा दिया जाय । अथवा उसके ऊपर कोई बनावटी विपत्ति दिखाकर अपने मित्र के द्वारा शत्रु को उत्साहित करके विजिगीषु अपने ऊपर चढाई करा दे । जब शत्रु-राजा विजिगीषु राजा पर चढाई कर दे तो विजिगीषु और उसका मित्र दोनों ही उस आक्रमणकारी शत्रु को बीच में घेरकर मार डालें । अथवा उसको कैद में डालकर उसकी जगह अपने आज्ञाकारी उसके पुत्र या अन्य किसी सम्बन्धी का राज्याभिषेक कर दें । यदि विजिगीषु के मित्र द्वारा बुलाया हुआ वह शत्रु अलग रहकर ही विजिगीषु पर आक्रमण करना चाहे तो जिस समय वह शत्रु-राजा विजिगीषु के साथ युद्ध में फँसा हो, उस समय सामन्त राजा के द्वारा उसकी राजधानी को लुटवा दिया जाय । यदि सेना के द्वारा वह अपनी रक्षा करना चाहे तो उस सेना को ही मरवा दिया जाय ।

( २ ) यदि शत्रु और उसका मित्र आपस में मिले रहें तो उन्हें प्रकट रूप में भूमि तथा राज्य देने का प्रलोभन दिया जाय । तदनन्तर विजिगीषु और मित्र के उपश्रवतनभोगी मध्यस्थ दूतों के द्वारा यह सन्देश भेजा जाय कि ‘यह राजा शत्रु से मिलकर तुम्हारे राज्य को लेना चाहता है ।’ इस तरह दोनों में फूट और सदेह पैदा कर विजिगीषु राजा आक्रमणकारी शत्रु को मार डाले ।

( ३ ) अथवा विजिगीषु अपने दुर्ग, राष्ट्र और सेना के मुख्य पुरुषों को यह

ते युद्धावस्कन्दावरोधव्यसनेषु शत्रुमतिसन्दध्युः, भेदं वास्य स्ववर्गैभ्यः कुर्युः, अभित्यक्तशासनैः प्रतिसमानयेयुः ।

(१) लुब्धकव्यञ्जना वा मासविक्रयेण द्वाःस्था दीवारिकापाश्रयाश्वो-  
राम्यागम परस्य द्विस्त्रिरिति निवेद्य लब्धप्रत्यया भर्तुरनीकं द्विधा निवेश्य  
ग्रामवधेऽवस्कन्दे च द्विपतो ब्रूयुः—‘आसन्नश्वोरगणः, महाश्वारुन्दः,  
प्रभूतं सैन्यमागच्छतु’ इति । तदर्पयित्वा ग्रामघातदण्डस्य सैन्यमितरदादाय  
रात्रौ दुर्गद्वारेषु ब्रूयुः—‘हतश्वोरगणः, सिद्धयात्रमिदं सैन्यमागतं, द्वारम-  
पात्रियताम्’ इति पूर्वप्रणिहिता वा द्वाराणि दद्युः, तैः सह प्रहरेयुः ।

(२) काहशिल्पपायण्डकुशीलवर्षदेहकव्यञ्जनानामुधोयान् वा परदुर्गे  
प्रणिदध्यात् । तेषां गृहपतिकव्यञ्जनाः काष्ठतृणधान्यपश्याशकटैः प्रहरणा-

वहाना कर अपने यहाँ से निकाल दे कि वे लोग विजिमीषु के कृत्य पक्ष की सहायता करते हैं । निकाले हुए वे लोग शत्रु की शरण में जाकर युद्ध के समय, सोते समय, अन्त पुर में रहते समय या किसी आपत्ति के समय मौका पाकर शत्रु को मार डालें । अथवा शत्रु राजा और उसके अमात्यो के बीच फूट पैदा कर दें और वध्य पुरुषो के द्वारा लाये गये कपट लेखो के प्रमाण से शत्रु-राजा तथा उसके अमात्यो की फूट को अधिक बड़ा दें ।

( १ ) अथवा शिकारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर माम बेचने के वहाने दरवाजे पर ठहर कर पहरेदारों से मित्रता करके दो तीन बार चिल्लाकर कहें कि ‘शत्रु के गाँव में चोर आते हैं’ । जब शत्रु राजा को उनकी बातों पर विश्वास हो जाय तो वे गुप्तचर अपने राजा की सेना को ग्रामवध और लूटमार करने ( अवस्कन्द ) के लिए दो भागों में बाँट कर शत्रु राजा से कहे कि ‘चोरो का समूह विलकुल नजदीक आ गया है, उनकी सख्या बहुत है, अत मुकाबले के लिए आपकी बहुत-सी सेना हमारे साथ जानी चाहिए ।’ जब शत्रु राजा चोरो को दण्ड देने के लिए अपनी सेना भेज दे तो वे ही गुप्तचर अपने राजा की सेना के दूसरे हिस्से को लेकर रात के समय दुर्ग के दरवाजों पर आकर चिल्ला चिल्ला कर कहे कि ‘हमने चोरो के समूह को मार डाला है, यह सेना अपने कार्य को सफल करके यहाँ पहुँच गयी है, इसलिए दुर्ग के दरवाजो को खोल दिया जाय’ । अथवा पहिले नियुक्त हुए गुप्तचर ही इशारा पाकर दरवाजे खोल दें और उस सेना के सहित वे गुप्तचर दुर्ग पर हमला बोल दें ।

( २ ) अथवा काष्ठ, शिल्पी, पाषण्डो, कुशीलव और वर्षदेहक आदि के वेप में रहने वाले या आयुधजीवियों के वेप में रहने वाले गुप्तचरो को भेदिया बनाकर दुर्ग में बसा देना चाहिए । उनमें से गृहस्थ के वेप में रहने वाले गुप्तचर दूसरे गुप्तचरो को लकड़ी, घास, अनाज आदि की गाँडियों में हथियार तथा कवच आदि पहुँचाते रहें ।



वरणान्यभिहरेयुः, देवध्वजप्रतिमाभिर्वा । ततस्तद्वधञ्जनाः प्रमत्तवधमव-  
स्कन्दप्रतिग्रहमभिप्रहरणं पृष्ठतः शङ्खदुन्दुभिःशब्देन वा प्रविष्टमित्यावेद-  
येयुः । प्राकारद्वाराट्टालकदानमनोकभेद घातं वा कुर्युः ।

(१) सार्यगणवासिभिरातिवाहिकैः कन्यावाहिकं रश्वपण्यव्यवहारिभि-  
रुपकरणहारकैर्घान्यकेतृविकेतृभिर्वा प्रव्रजितलिङ्गिभिर्दूतैश्चदण्डातिनयनं  
सन्धिकर्म विश्वासनार्थम् ।

(२) इति राजापसर्पाः ।

(३) एत एवाटवीनामपसर्पाः कण्टकशोधनोक्ताश्च । व्रजमटव्यासन्न-  
मपसर्पाः सार्यं वा चोरैर्घातयेयुः । कृतसङ्कृतमन्नपानं चात्र मदनरसविद्धं वा  
कृत्वाऽपगच्छेयुः । गोपालकवैदेहकाश्च ततश्चोरान् गृहीतलोप्त्रभाराः मदन-  
रसविकारकालेऽवस्कन्दयेयुः । सङ्कूर्णद्वैवतीयो वा मुण्डजटिलव्यञ्जनः

अथवा देवताओं को ध्वजाओं तथा प्रतिमाओं के साथ वे हथियार वहाँ पहुँचाये जायें ।  
उसके बाद कारु आदि के वेप में रहने वाले गुप्तचर प्रमादी पुरुषों के वध, बलात्कार,  
लूट-मार और चारों ओर के आक्रमण के सम्बन्ध में शस्त्र तथा नगाड़े आदि बजाकर  
पीछे की ओर से हमला हो जाने की सूचना दें । जब शत्रु उनका प्रतीकार करने के  
लिए सेना लेकर पीछे की ओर से जाय तो इधर से वे गुप्तचर परकोटा प्रधान दरवाजा  
तथा उसके ऊपर की अटारी तोड़ने के साथ ही शत्रु ही सेना को पूर्ववत् विभक्त कर  
यथावसर उसको नष्ट कर दें ।

( १ ) उन्हीं गुप्तचरों को चाहिए कि दुर्गम मार्गों से पार करने वाले व्यापारियों  
के झुंड में रहते हुए, कन्याओं को ले जाते हुए, घोड़ों का व्यापार करते हुए,  
तदस्तम्बन्धी दूसरे सौदों को बेचते हुए, सामान को इधर-उधर ढोने हुए, अनाज आदि  
की खरीद-फरोख्त करते हुए और गन्यासिपों के वेप में रहते हुए अपनी सेनाओं को  
दुर्गम रास्तों से निकालकर बाहर ले आवें तथा शत्रु के विश्वास के लिए सन्धि की  
शर्तों का पूरा-पूरा ध्यान रखें ।

( २ ) इस प्रकार यहाँ तक राजाओं के गुप्त-पुरुषों का निरूपण किया गया ।

( ३ ) कण्टकशोधन अधिकरण में और इस अध्याय में कहे गए गुप्तचर ही  
आटविकों के भी समझने चाहिए । अर्थात् आवश्यकता होने पर आटविकों में भी  
वही गुप्तचर कार्य करें । आटविकों के बीच में रहने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि वे  
जंगल के पास की गोशालाओं तथा राहगीरों को आटविकों के साथ मिलकर लूट  
ढालें या नष्ट कर डालें, उसके बाद सकेत पाते ही उनके स्थान-पीने की वस्तुओं में  
विष मिलाकर वहाँ से भाग निकलें । फिर खाली और व्यापारियों के वेश में रहने  
वाले गुप्तचर चोरों द्वारा धुराये गये उस माल को स्वयं लेकर विष खाने से बेहोश

प्रह्वणकर्मणा मदनरसयोगाभ्यामतिसन्दध्यात् । अथावस्कन्दं दद्यात् ।  
शौण्डिकव्यञ्जनो वा दैवतप्रेतकार्योत्सवसमाजेष्व्वाटविकान् सुराविक्रयो-  
पायननिमित्तं मदनरसयोगाभ्यामतिसन्दध्यात् । अथावस्कन्दं दद्यात् ।

(१) ग्रामघातप्रविष्टां वा विक्षिप्य बहुधाऽटवीम् ।  
घातयेदिति चोराणामपसर्पाः प्रकीर्त्ताः ॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे अपसर्पंप्रणिधिर्नाम तृतीयोऽध्यायः,  
आदितो द्विचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

—: ० :—

उन आटविको को गिरफ्तार कर ले, अथवा सकर्यण देवता के मानने वाले (मदिराप्रियो) मुण्डित तथा जटाधारियों के वेप में रहने वाले गुप्तचर उत्सव या सहभोज आदि के बहाने विप देकर या दूसरे तरीकों से उन आटविको को अपने वश में कर लें, उसके बाद जब वे बेहोश हो जायें तो उन्हें गिरफ्तार कर लें, अथवा शराब विक्रेताओं के वेप में रहने वाले गुप्तचर किसी देवकार्य, प्रेतकार्य, उत्सव तथा अन्य सामाजिक भोजों के अवसर पर अपनी विक्रयार्थ शराब में विपले रसों का प्रयोग कर आटविको को अपने वश में करें और जब वे बेहोश हो जायें तो उन्हें गिरफ्तार कर लें ।

( १ ) गाँव को नष्ट करने की नियत से गाँव में प्रविष्ट हुए आटविको के हृदय में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न कर उन्हें नष्ट कर दिया जाय । यहाँ तक आटविको ( चोरो ) के सम्बन्ध में गुप्तचरो के कार्यों का निरूपण किया गया ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में अपसर्पंप्रणिधि नामक

तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ।

—: ० :—

(१) कर्शनपूर्वं पर्युपासनकर्म । जनपदं यथानिविष्टममध्ये स्थापयेत् । उत्थितमनुग्रहपरिहाराम्ना निवेशयेदन्यत्रापसरतः, समग्रमन्यस्या भूमौ निवेशयेदेकस्या वा धासयेत् । न ह्यजनो जनपदो राज्यमजनपदं वा भवतीति कौटिल्यः ।

(२) विपमस्यस्य मुष्टिं सस्यं वा हन्याद्वीवधप्रसारी च ।

(३) प्रसारवीवधच्छेदान्मुष्टिसस्यवधादपि ।

वमनाद् गूढघाताच्च जायते प्रकृतिक्षयः ॥

(४) 'प्रभूतगुणवद्धान्पकुप्ययन्त्रशस्त्रावरणविष्टिरश्मिसमग्रं मे संन्य-

### शत्रु के दुर्ग को घेर कर अपने अधिकार में करना

( १ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के कोप, संन्य और अमात्य आदि का नाश करने के साथ ही उसके दुर्ग को चारों ओर से घेर दे । किन्तु ऐसी स्थिति में विजिगीषु को ध्यान रखना चाहिए कि जनपद को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे, वरन्, उसकी रक्षा का सुप्रबध करे । यदि जनपद विजिगीषु के विरुद्ध आदोलन करे तो उसे धन देकर या कर माफ करके शांत किया जाय । किन्तु ऐसा यत्न उसी दशा में करना चाहिए जब जनपद अपने स्थान पर बना रहे, अन्यथा उसकी कुछ भी सहायता न की जाय । उस जनपद के विभिन्न भागों में अधिकाधिक आदमियों को बसाया जाय अथवा एक ही भाग में अधिक आदमियों को बसाया जाय, क्योंकि मनुष्यों से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता और जनपदरहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती । इसीलिए कौटिल्य का कहना है कि 'यदि जनपद न होगा तो राज्य किस पर किया जायगा ?'

( २ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह विपत्तिग्रस्त शत्रु के अन्न, फसल, वीवध और प्रसार आदि सबको नष्ट कर दे ।

( ३ ) वीवध, प्रसार आदि का उच्छेद कर देने से तथा फसल, अनाज, व्यापार आदि को नष्ट कर देने से और अमात्य आदि प्रकृतिवर्ग कहीं दूसरी जगह से जाने से या चुपचाप उन्हें मार देने से राजा का अपने आप क्षय हो जाता है ।

( ४ ) जब विजिगीषु यह समझे कि 'प्रभूत गुणा से मपन्न धान्य, सोहा, तावा,

मृतुश्च पुरस्तात्, अपर्तुः परस्य व्याधिदुर्भिक्षनिचयरक्षाक्षयः श्रौतबलनिर्वेदो मित्रबलनिर्वेदश्च' इति पर्युपासोत ।

(१) कृत्वा स्कन्धावारस्य रक्षां वीवधासारयोः पथश्च, परिक्षिप्य दुर्गं छातसालाभ्यां, दूषयित्वोदकमवस्त्राव्य परिखाः सम्पूरयित्वा वा, सुहृद्भा- बलकुटिकाभ्यां वप्रप्राकारौ हारयेत् ।

(२) दारं च गुलेन निम्नं वा पांसुमालयाऽऽच्छादयेत् । बहुलारक्षं यन्त्रै- र्घतियेत् । निष्करादुपनिष्कृष्याश्वैश्च प्रहरेयुः । विक्रमान्तरेषु च नियोग- विकल्पसमुच्चयं श्रोपायानां सिद्धिं लिप्सेत । दुर्गवासिनः ।

(३) श्येनकाकनप्तृमासशुकशारिकोलूककपोतान् ग्राहयित्वा पुच्छेष्व- नियोगयुक्तान् परदुर्गे विसृजेयुः ।

वस्त्र, मशीन, हथियार, कबच, श्रमिक और रस्ती आदि सभी उपयोगी सामग्री से अपनी सेना युक्त है और ऋतु भी अपने अनुकूल है, किन्तु शत्रु का देश बीमारी, दुर्भिक्ष से अभिभूत, धन-धान्य तथा रक्षक पुरुषों से अभावग्रस्त है, उसको वेतनभोगी सेना सहायता देने से इनकार करती हो, मित्रसेना भी खिन्न हो चुकी हो और ऋतु भी उसके प्रतिकूल हो, ऐसी अवस्था में यह शत्रु के दुर्ग पर घेरा डाल दे ।

( १ ) शत्रु-दुर्ग पर घेरा डालने के लिए विजिगीषु को चाहिए कि पहिले वह अपनी छावनी, वीवध, असार और अपने मार्ग की रक्षा करे, फिर खाई तथा पर-कोटे के अनुसार दुर्ग को चारों ओर से घेरा डाल दे, तदनन्तर शत्रु के पानी में विष मिला दे या बाँध तोड़ कर उसे बहा दे, और अन्त में खाइयों को मिट्टी से पाट कर या किले की दीवारों तथा अटारियों पर सुरंग बनाकर दुर्ग पर आक्रमण कर दे ।

( २ ) दुर्ग की दरारों को ककरीट से तथा नीची-गहरी जगहों को मिट्टी से पाट दिया जाय । दुर्ग के जिस भाग में रक्षा का अधिक प्रबन्ध हो उसे मशीनों द्वारा नष्ट कर दिया जाय । कपट से रक्षक पुरुषों को बाहर निकाल कर घोड़ों तथा हाथियों द्वारा उन पर हमला बोल दिया जाय । जब युद्धक्षेत्र में शत्रु की सेना अधिक पराक्रम-शाली जान पड़े तो साम, दान आदि उपायों के द्वारा या अवसर के अनुसार वैसा ही उपाय का प्रयोग करे या एक उपाय की जगह दूसरे उपाय को काम में लाकर बखवा अनेक उपायों को एक साथ उपयोग में लाकर दुर्गवासी शत्रु पर विजय-लाभ की चेष्टा करनी चाहिए ।

( ३ ) बाज, कौवा, नत्ता ( भुगों के समान ), गिद्ध, तोता, मैना, उल्लू और कबूतर आदि पक्षियों को पकड़ कर उनकी पूँछ में आग लगाने वाली जीपधियों को मल कर उन्हें शत्रु के दुर्ग में छोड़ दिया जाय, जिससे कि वहाँ आग लग जाय ।

(१) अपकृष्टस्कन्धावाराद्बुच्छित्तध्वजधन्वारक्षा वा मानुषेणाग्निना मरदुर्गमादीपयेत् ।

(२) गूढपुरुषाश्चान्तदुर्गपालका नकुलधानरविडालशुनां पुच्छेष्वग्नि-योगमाधाय काण्डनिचयरक्षाविधानवेशमसु विसृजेयुः ।

(३) शुष्कमत्स्यानामुदरेष्वग्निमाधाय बल्लूरे वा वायसोपहारेण वयो-मिहारियेयुः ।

(४) सरलदेवदारूपतितृणगुग्गुलश्रीवेष्टकसजेरसलाक्षागुलिकाः खरो-ष्ट्राजादीनां लण्डं चाग्निधारणम् ।

(५) प्रियालचूर्णंमवल्लुजमपीमधूच्छिष्टमश्वखरोष्ट्रगोलण्डमित्येव क्षे-प्योऽग्नियोगः ।

(६) सर्वलोहचूर्णंमग्निवर्णं वा कुम्भीसीसत्रपुचूर्णं वा पारिमद्रक-

( १ ) शत्रु-दुर्ग के बाहर नीचे की ओर खड़ी विजिगीषु की सेना को चाहिए कि वह अपनी छावनी से शत्रु के दुर्ग पर आग फेंकने के लिए ध्वज, धनुष-बाण उठाये हुये सैनिक मानुष अग्नि ( मारे हुए आदमी की हड्डी को चितकबरे बाँस के साथ रगड़ने से उत्पन्न हुई आग ) के द्वारा शत्रु-दुर्ग में आग लगा दें या पहरेदार ही इस कार्य को करें ।

( २ ) किले के अन्दर अन्तपाल या दुर्गपाल के वेश में रहने वाले गुप्तचरो को चाहिए कि नेबला, बन्दर, बिल्ली और कुत्ते की पूँछ में वे आग लगा देने वाली औपधियों को लगा कर उन्हें शत्रु के उन घरों में छोड़ दें, जहाँ दुर्गरक्षा सबधी सामग्री रखी हो ।

( ३ ) सूखी मछली के पेट में या सूखे मास के अन्दर आग लगा देने वाली औप-धियाँ ( अनियोग ) रखकर उमको पक्षियों को खिलाने के बहाने या पक्षियों के द्वारा शत्रु-दुर्ग में पहुँचा कर वहाँ आग लगा दी जाय ।

( ४ ) सरई ( सरल ), देवदारु, गुलवनफशा ( पूतितृण ), गूगल, तारपीन ( श्रीवेष्टक ), कुल्लू की गोद ( सर्जरस ) और साख इन सब चीजों की गोतियाँ, तपा गया, जेंट, बकरा और मेढा, इनकी लीद इनके द्वारा आसानी से आग लगाई जा सकती है ।

( ५ ) चिरोँजी ( प्रियाल ) का चूर्ण, बागुधी ( अवल्लु ) का दरदरा चूर्ण, सहद तथा घोडा, गघा, जेंट और बँल की लीद, इन सबको मिलाकर बनाया गया अग्नियोग आग लगाने के लिए उपयोगी है ।

( ६ ) अथवा अग्निवर्ण सोहे का चूर्ण, नीम कुभी, जस्ता, सीसा और रौंया का चूर्ण नीम तथा पसाणपुष्प का चूर्ण, तेल, सहद, तारपीन आदि वस्तुओं को एक साथ

पलाशपुष्पकेशमपीतं लमघृच्छिष्टकथ्रीवेष्टकयुक्तोऽग्नियोगो विश्वासघातो वा । तेनावलिप्तः शणत्रपुसवल्कवेष्टितो बाण इत्यग्नियोगः ।

(१) नत्वेव विद्यमाने पराक्रमेऽग्निमवसृजेत् । अविश्वास्थो ह्यग्निः दैवपीडनं च, अप्रतिसख्यातप्राणिधान्यपशुहिरण्यकुम्पद्रव्यक्षयकरः । क्षीण-निचयं चावाप्तमपि राज्यं क्षयायैव भवति ।

(२) इति पर्युपासनकर्म ।

(३) 'सर्वारम्भोपकरणविष्टिसम्पन्नोऽस्मि, व्याधितः पर उपधाविरुद्ध-प्रकृतिरकृतदुर्गकर्मनिचयो वा निरासारः सासारो वा पुरा मित्रं: सन्धत्ते' इत्यवमर्दकालः ।

(४) स्वयमग्नीं जाते समुत्थापिते वा प्रह्वणे प्रेक्षानीकदर्शनसङ्ग-सौरिककलहेषु नित्ययुद्धश्रान्तबले बहुलयुद्धप्रतिबद्धप्रेतपुरुषे जागरण-फलान्तमुप्तजने दुर्दिने नदीवेगे वा नीहारसम्प्लवे वानमृद्नीपात् ।

मिलाकर बनाया गया अग्नियोग निश्चय ही विश्वासघाती होता है । ( अर्थात् जहाँ आग लगने की कतई भी सम्भावना न हो, वहाँ भी इसका प्रयोग करने पर आग लग जाती है । अचूक अग्नियोग होने के कारण ही इसको विश्वासघात कहा गया है । ) उक्त सभी वस्तुओं के योग से सना हुआ और सन तथा ककड़ी की बेल की छाल से सपेटा हुआ बाण भी अग्नियोग होता है, अर्थात् जहाँ मारा जाता है वही आग लगा देता है ।

( १ ) युद्ध के प्रारम्भ में इन अग्नियों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अग्नि का कोई विश्वास नहीं है और फिर उसे दैवपीडन कहा गया है । अग्निदाह से असह्य प्राणियों, घन, धान्य, पशु एवं अनेक प्रकार के द्रव्यों का नाश हो जाता है । ऐसा मष्ट षष्ट राज्य अपने हाथ में आ जाने पर भी क्षय का ही कारण होता है ।

( २ ) यहाँ तक शत्रु-दुर्ग को घेरने के सबंध में निरूपण किया गया ।

( ३ ) जब विजिगीषु वह समझ ले कि 'वह सब प्रकार की युद्धोपयोगी सामग्री से संपन्न है, सभी तरह के कार्य करने वाले आदमी उसके पास मौजूद हैं, उधर शत्रु व्याधिग्रस्त है, उसकी प्रकृतियाँ घोखा देने वाली हैं, दुर्ग आदि की मरम्मत तथा धान्य आदि का सग्रह भी उसने नहीं किया है, मित्र की सहायता की भी सम्भावना नहीं है, अथवा सहायता सम्भव होने पर भी अभी तक वह संधि करने में ही फँसा हुआ है'—ऐसे शत्रु पर फौरन चढ़ाई कर देनी चाहिए ।

( ४ ) अथवा विजिगीषु जब देखे कि 'शत्रु के दुर्ग में अपने आप आग लग गई है, या सब लोग पाठियों तथा उत्सवों में व्यस्त हैं या खेल तमाशों तथा चाँदमारी में आमक्त हैं या शरावियों ने कोई उपद्रव खड़ा कर दिया है या लगातार के युद्ध में शत्रु

(१) स्कन्धावारमुत्सृज्य वा वनगूढः शत्रुः सत्रान्निष्क्रान्तं घातयेत् ।

(२) मित्रासारमुख्यव्यञ्जनो वा संरुद्धेन मैत्रीं कृत्वा द्रुतममित्यक्तं प्रेषयेत्—‘इदं ते छिद्रम्, इमे द्रुप्याः, संरोद्धुर्वा छिद्रमयं ते कृत्यपक्षः’ इति । तं प्रतिद्रुतमादाय निर्गच्छन्तं विजिगीषुर्गृहीत्वा दोषमभिविख्याप्य प्रवास्यापगच्छेत् ततः । मित्रासारव्यञ्जनो वा संरुद्धं ब्रूयात्—‘मां त्रातुमुपनिर्गच्छ, मया वा सह संरोद्धारं जहि’ इति । प्रतिपन्नमुभयतः संपीडनेन घातयेत्, जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत्, नगरं वास्य प्रमृद्नीयात्, सारबलं वास्य वमयित्वाऽभिहन्यात् ।

सेना थक गई है, या लगे मुद्द के कारण शत्रु के बहुत से आदमी जल्मी हो गये हैं या मर गये हैं, या रातभर जागने तथा थक जाने के कारण लोग सोये हैं, या आकाश में दुदिन छाया है, या नदी में बाढ आ गई है, या भीषण तुपारापात हुआ है—ऐसी अवस्था में शत्रु पर एकदम धावा बोल देना चाहिए ।

( १ ) अथवा छावनी या पडाव न डाल कर जगल में जाकर छिपा जाय और जैसे ही शत्रुदल जगल से निकलने लगे कि उसके ऊपर विजिगीषु की सेना एकदम बरस पड़े ।

( २ ) मित्र के वेप में रहने वाला या मित्र की सेना में मुखिया के वेप में रहने वाले विजिगीषु के गुप्तचर को चाहिए कि वह घिरे हुए शत्रु राजा के साथ मित्रता करके अपने किसी वध्य पुरुष के द्वारा उसके लिए इस आशय का एक सदेश भेजे कि ‘तुम्हारे अदर अमुक-अमुक दोष हैं, अमुक-अमुक व्यक्ति तुम्हारे द्रोही हैं, घेरा डालने वाले विजिगीषु की अमुक अमुक कमजोरियाँ हैं, और विजिगीषु के लुब्ध, क्रुद्ध, भीत आदि अमुक-अमुक लोग तुम्हारे मित्र हैं ।’ जब वह दूत शत्रु-राजा का उत्तर लेकर लौट रहा हो तो विजिगीषु उसको रास्ते में ही पकड़ कर उस पर अपकारी होने का दोष लगावे और इसी अपराध में उसको मार कर वहाँ से ( उस उत्तर लेखपत्र को साथ लेकर ) चला जाय ! अथवा मित्र के वेप में या मित्र सेना के प्रमुख के वेप में रहने वाला वह गुप्तचर उस घिरे हुए राजा से कहे कि ‘मेरी रक्षा के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, अथवा हम दोनों मिल कर तुमको रोकने वाले विजिगीषु को मार डालें ।’ जब वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो दोनों ओर से घेर कर उसको मार दिया जाय अथवा उसको गिरफ्तार कर उसकी जगह उसके किसी पुत्र बाधव को अभिषिक्त किया जाय या उसकी राजधानी को बरबाद कर दिया जाय । अथवा उसने सारबल को दुर्ग से बाहर निकाल कर उसको मार दिया जाय ।

(१) तेन दण्डोपनताटविका व्याख्याताः ।

(२) दण्डोपनताटविकयोरन्यतरो वा संरुद्धस्य प्रेषयेत्—‘अयं संरोद्धा व्याधितः, पाष्णिग्राहेणाऽभियुक्तः, छिद्रमन्यदुत्थितम्, अन्यस्यां भूमावप-  
यातुकामः’ इति । प्रतिपन्ने संरोद्धा स्कन्धावारमादीप्यापयायात् । ततः  
पूर्ववदाचरेत् ।

(३) पण्यसम्पातं वा कृत्वा पण्येनैनं रसविद्धेनातिसन्दध्यात् ।

(४) आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य दूतं प्रेषयेत्—‘मया बाह्यमभिहत-  
मुपनिर्गच्छाभिहन्तुम्’ इति । प्रतिपन्नं पूर्ववदाचरेत् ।

(५) मित्रं बन्धुं वापदिश्य योगपुरुषाः शासनमुद्राहस्ताः प्रविश्य दुर्गं  
प्राहयेयुः ।

(६) आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य प्रेषयेत्—‘अमुष्मिन् देशे काले च

( १ ) इसी प्रकार दण्डोपनत और आटविको के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

( २ ) अथवा उन दण्डोपनत ( बलपूर्वक वश में किये गये राजा ) और आटविक ( जंगली राजा ) दोनों में से किसी एक द्वारा उस घिरे हुए शत्रु-राजा के पास यह सदेश भेजा जाय कि ‘यह घेरा डालने वाला विजिगीषु आजकल व्याधिग्रस्त है, पाष्णिग्राह ने भी उस पर हमला कर दिया है, ऐसी स्थिति में वह यहाँ से अन्यत्र भाग जाने को तैयार है ।’ जब घिरा हुआ शत्रु-राजा इन बातों से सहमत हो जाय तब विजिगीषु अपनी छावनी में आग लगाकर वहाँ से चला जाय । उसके बाद पूर्ववत् शत्रु-राजा को बीच में घेर कर समाप्त कर दिया जाय ।

( ३ ) अथवा व्यापारियों के सघ द्वारा उपहारस्वरूप भेजे गये द्रव्यों में विष मिला कर उन्हें किले में पहुँचा दिया जाय ।

( ४ ) अथवा मित्र की सेना में प्रमुख अधिकारी के धेप में रहने वाला गुप्तचर घिरे हुए शत्रु-राजा के पास इस प्रकार का संदेश लेकर दूत को भेजे कि ‘मैंने तुम्हारे इस बाह्य शत्रु को एकदम शक्तिहीन बना दिया है । अब इसको सर्वथा नष्ट करने के लिए तुम दुर्ग से बाहर निकल आओ ।’ जब शत्रु इस विश्वास पर बाहर निकल आवे तो उसे दोनों ओर से घेर कर पूर्ववत् मार दिया जाय ।

( ५ ) अथवा अपने-आपको मित्र का बंधु बताकर मुहर लगे बनावटी लेखपत्र को हाथ में लेकर गुप्तचर दुर्ग के भीतर प्रवेश कर दें और वहाँ किसी उपाय से फाटक आदि खोलकर उस दुर्ग को विजिगीषु के अधिकार में कर दें ।

( ६ ) अथवा मित्र सेना के प्रमुख अधिकारी के धेप में रहने वाला गुप्तचर उस घिरे हुए शत्रुराजा के पास यह सदेश भेजे कि ‘मैं अमुक समय और अमुक स्थान में



स्कन्धादारमभिहनिष्यामि, युष्माभिरपि षोडश्व्यम्' इति । प्रतिपन्नं ययोक्त-  
मभ्याघातसंकुलं दर्शयित्वा रात्रौ दुर्गान्निष्क्रान्तं घातयेत् ।

(१) यद्वा मित्रमावाहयेदाटविक वा, तमुत्साहयेत्—'विक्रम्य संरुद्धे  
भूमिमस्य प्रतिपद्यस्व' इति । विक्रान्तं प्रकृतिभिर्दूष्यमुष्पावग्रहेण वा घात-  
येत्, स्वयं वा रसेन । 'मित्रघातकोऽयम्' इत्यवाप्तार्थः ।

(२) विक्रमितुकामं वा मित्रव्यञ्जनः परस्याभिशंसेत् । आप्तभावोप-  
गतः प्रवीरपुरुषानस्योपघातयेत् ।

(३) सन्धिं वा कृत्वा जनपदमेनं निवेशयेत्, निविष्टमन्यजनपदम-  
विजातो हन्यात् ।

(४) अपकारयित्वा दूष्याटविकेषु वा बलं कदेशमतिनीय दुर्गमवस्कन्देन  
हारयेत् ।

शत्रु की छावनी पर हमला करेंगा । तुमको उस समय मेरी सहायता करनी होगी ।'  
शत्रु जब इस बात को स्वीकार कर ले तो ठीक इसी समय और उसी स्थान पर  
विजिगीषु की छावनी में घमामान युद्ध छेड़ दिया जाय । उसे देखकर जब शत्रु रात  
में बाहर निकल आवे तो उसे बीच में ही घेर कर मार दिया जाय ।

( १ ) अथवा विजिगीषु अपने मित्र या आटविक को वहाँ बुलाकर उसको इस  
प्रकार उबमाये कि 'देखो, अच्छा मौका है, तुम इस घिरे शत्रु पर आक्रमण करके  
उसके राज्य को हथिया लो ।' जब वह ऐसा करने के लिए राजी हो जाय तो युद्ध  
में उसके प्रकृतिवर्ग को या दूष्यवर्ग को अपने अधीन कर उसको मरवा दिया जाय,  
या स्वयं ही विप आदि देकर उसको मार डाले । बाद में 'इस शत्रु ने मेरे मित्र या  
आटविक को मार डाला है', ऐसी अफवाह फैलाकर अपनी कार्यसिद्ध करे ।

( २ ) अथवा मित्र के घेप में रहने वाला गुप्तचर शत्रु राजा से जाकर कहे कि  
'तुम्हारे ऊपर विजिगीषु आक्रमण करने वाला है' । ऐसी बातें बताकर जब वह शत्रु  
राजा को अपने प्रति निश्चिन्त कर दे तब उसके प्रमुख वहादुर सैनिकों को मरवा डाले ।

( ३ ) अथवा शत्रु के साथ सन्धि करके उसे उसी जनपद में रहने दिया जाय,  
या उसके द्वारा दूसरे जनपद को आबाद कराया जाय और बाद में उस आबाद हुए  
जनपद को विजिगीषु छिपकर बरबाद कर दे ।

( ४ ) अथवा अपने दूष्य या आटविकों द्वारा अपना कुछ अपकार करा कर उन  
पर आक्रमण करने के बहाने शत्रु की सेना के कुछ भाग को बहुत दूर ले जाया जाय  
और फिर अल्प सैन्ययुक्त शत्रु के दुर्ग पर हमला कर जबरदस्ती उसको छीन  
लिया जाय ।

(१) दूष्यामित्राटविकद्वेष्यप्रत्यपसृताश्च कृतार्थमानसंज्ञाचिह्नाः परदुर्ग-  
मवस्कन्देयः ।

(२) परदुर्गमवस्कन्द्य स्कन्धावारं वा पतितपराङ्मुखाभिपन्नमुक्तकेश-  
शस्त्रमयविरूपेभ्यश्चाभयमयुध्यमानेभ्यश्च दद्युः । परदुर्गमवाप्य विशुद्धशत्रु-  
पक्षः कृतोपांशुदण्डप्रतीकारमन्तर्बहिश्च प्रविशेत् ।

(३) एवं विजिगीपुरमित्रभूमि लब्ध्वा मध्यमं लिप्सेत् । तत्सिद्धावु-  
दासीनम् । एष प्रथमो मार्गः पृथिवीं जेतुम् ।

(४) मध्यमोदासीनयोरभावे गुणातिशयेनारिप्रकृतीः साधयेत् । तत्  
उत्तराः प्रकृतीः । एष द्वितीयो मार्गः ।

(५) मण्डलस्याभावे शत्रुणा मित्रं मित्रेण वा शत्रुमुभयतः सम्पीडनेन  
साधयेत् । एष तृतीयो मार्गः ।

( १ ) शत्रु के दुर्ग का अपहरण करते समय शत्रु के राजद्रोही, शत्रु, आटविक, शत्रु के पाम से एक बार जाकर फिर वापिस आने वाले, विजिगीपु द्वारा धन-मान से सम्मानित और आक्रमण के समय तथा स्थान से परिचित आदि बड़े महायक होते हैं ।

( २ ) विजिगीपु को चाहिए कि जब शत्रु की छावनी पर अधिकार कर ले तो ऐसे सैनिकों को अभयदान दे दे, जो युद्धक्षेत्र में जहमी पड़े ही, जो युद्ध से भाग गए हों, जो अधिक विपद्ग्रस्त हों, जिनके बाल-शस्त्र अस्त-व्यस्त हों, जिनके मुख भय से विकृत हो गये हों और जो युद्ध में शामिल न हुए हों । शत्रु के दुर्ग को प्राप्त करके और वहाँ से शत्रुपक्ष के सभी व्यक्तियों की सफाई करने के बाद विजिगीपु को चाहिए कि वह अपना विरोध करने वाले व्यक्तियों का उपाशु वध करके दुर्ग के बाहर और भीतर प्रवेश करे ।

( ३ ) इस प्रकार शत्रु राज्य जो स्वायत्त करने के बाद विजिगीपु, मध्यम राजा को जीतने की कोशिश करे और उसको स्वायत्त कर लेने के बाद वह उदासीन राजा पर विजय प्राप्त करे । पृथिवी का साम्राज्य प्राप्त करने का यह पहिला मार्ग है ।

( ४ ) मध्यम और उदासीन राजाओं के न होने पर विजिगीपु अपने गुण बाहुल्य के द्वारा शत्रु के प्रकृतिवर्ग को अपने अनुकूल बनाये और उसके बाद शत्रु की सेना तथा कौष को अपने अधिकार में करे । पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करने का यह दूसरा मार्ग है ।

( ५ ) यदि राजमण्डल का अभाव हो तो शत्रु के द्वारा मित्र को और मित्र के द्वारा शत्रु को दोनों ओर से घेर कर या दबा कर उन्हें विजिगीपु अपने वश में करे । पृथिवी को विजय करने का यह तीसरा मार्ग है ।

( १ ) शक्यमेकं वा सामन्तं साधयेत्, तेन द्विगुणो द्वितीयं, त्रिगुणस्तृतीयम् । एष चतुर्थो मार्गः पृथिवीं जेतुम् ।

( २ ) जित्वा च पृथिवीं विभक्तवर्णाश्रमां स्वधर्मेण भुञ्जीत ।

( ३ ) उपजापोऽपसर्पो वा वामनं पर्युपासनम् ।  
अवमर्दश्च पञ्चैते दुर्गलम्भस्य हेतवः ।

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशोऽधिकरणे पर्युपासनकर्म अवमर्दश्चेति चतुर्थोऽध्यायः,  
आदितस्त्रिचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

— ० —

( १ ) अथवा जीतने योग्य समीपस्थ सामन्त को ही पहिले अपने अनुकूल बनाया जाय । उसको मिलाकर जब अपनी शक्ति दुगुनी हो जाय तब दूसरे सामन्त को अपने अनुकूल बनाने का यत्न किया जाय । उसको भी मिलाकर जब अपनी शक्ति तिगुनी हो जाय तब विजिगीषु तीसरे सामन्त को अपने वश में करने का यत्न करे । पृथ्वी को विजय करने का यह चौथा मार्ग है ।

( २ ) इस प्रकार सारी पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त कर उस शक्तिशाली सम्राट् को चाहिए कि वह अपने साम्राज्य में वर्णों और आश्रमों की यथोचित व्यवस्था कर धर्मपूर्वक पृथिवी के राज्य का उपभोग करे ।

( ३ ) उपजाप ( बहकाना ), अपसर्प ( गुप्तचरो द्वारा शत्रुनाश ), वामन ( विष प्रयोग ), पर्युपासन ( पैरा डालना ) और अवमर्द ( विध्वंस ), ये पाँच उपाय हैं, जिनके द्वारा शत्रु के दुर्ग को जीता जा सकता है ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में पर्युपासनकर्म अवमर्द नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

— ० —

- (१) द्विविधं विजिगीषोः समुत्थानम्, अटव्यादिकमेकप्रामादिकं च ।  
 (२) त्रिविधश्चास्य लम्भः—नवो, भूतपूर्वः, पित्र्य इति ।  
 (३) नवमवाप्य लम्भं परदोषान् स्वगुणैश्छावयेत् गुणान् गुणद्वैगुण्येन ।  
 स्वधर्मकर्मानुग्रहपरिहारदानमानकर्मभिश्च प्रकृतिप्रियहितान्यनुवर्तेत ।  
 यथासम्भाषितं च कृत्यपक्षमुपग्राहयेत् । भूयश्च कृतप्रयासम् । अविश्वास्यो  
 हि विसंवादकः स्वेषां परेषां च भवति । प्रकृतिविहङ्गाचारश्च । तस्मात्स-  
 मानशीलवेषभाषाचारतामुपगच्छेत् । देशदैवतसमाजोत्सवविहारेषु च  
 भक्तिमनुवर्तेत ।

### विजित देश में शान्ति की स्थापना

( १ ) विजिगीषु का उद्योग ( समुत्थान ) दो रूपों में फलित होता है । एक जगल आदि के रूप में और दूसरा गाँव आदि के रूप में ।

( २ ) विजिगीषु का लाभ तीन प्रकार का होता है । १ नव २. भूतपूर्व और ३. पित्र्य ।

( ३ ) नवलाभ : विजिगीषु को चाहिए कि नए राज्य को प्राप्त कर वह शत्रु के दोषों को अपने गुणों से ढक दे और शत्रु के गुणों को अपने दुगुने गुणों से पराभूत कर दे । विजिगीषु सदा अपने धर्म, कर्म, अनुग्रह, परिहार ( करमाफी ), दान और सम्मान आदि श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा प्रजा के अनुकूल कल्याणकारी कार्यों के करने में लगा रहे । अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कृत्यपक्ष को धन आदि देकर वह सदा प्रसन्न बनाये रखे और जिस प्रजाजन या मित्र ने उसके अम्पुदय में अधिक परिश्रम किया हो उसे विपुल धन देकर खूब प्रमन्न कर दे क्योंकि पहिले प्रतिज्ञा कर बाद में उससे मुकर जाने वाला अपने प्रजावर्ग के विरुद्ध आचरण करने वाला राजा अपने तथा पराये सभी का विश्वास खो बँठता है । इसलिए राजा को उचित है कि वह अपने प्रजाजनों के समान ही शील, वेष, भाषा तथा आचरण का व्यवहार करे और प्रजा के विश्वासों की तरह राष्ट्रदेवता, समाजोत्सव तथा विहारों में अपनी भक्तिभावना रखे ।

(१) देशप्रामजातिसङ्घमुख्येषु चाभीक्ष्णं सत्रिणः परस्यापचारं दर्शयेयुः । माहाभाग्यं भक्तिं च तेषु स्वामिनः स्वामिसत्कारं च विद्यमानम् । उचितं श्रानान् भोगपरिहाररक्षावेक्षणं भुञ्जीत । सर्वदेवताधमपूजनं च विद्यावाक्यधर्मशूरपुरघाणां च भूमिद्रव्यदानपरिहारान् कारयेत् । सर्वबन्धन-भोक्षणमनुग्रहं दीनानाथव्याधितानां च । चातुर्मास्येष्वर्धमासिकमघातं, पौर्णमासीषु च चातूरात्रिकं राजदेशनक्षत्रेकरात्रिकम् । योनिवालवर्धं पुंस्त्वोपघातं च प्रतिषेधयेत् । यच्च कौशदण्डोपघातिकमघमिष्ठं वा चरित्रं मन्येत, तदपनीय धर्म्यव्यवहारं स्थापयेत् । चोरप्रकृतीनां म्लेच्छजातीनां च स्थानविपर्यासमनेकस्थं कारयेद् दुर्गराष्ट्रदण्डमुख्यानां च । परोपगूही-ताना च मन्त्रिपुरोहितादीनां परस्य प्रत्यन्तेष्वनेकस्थं वासं कारयेत् । अप-

( १ ) विजिगीषु के गुप्तचरो को चाहिए कि वे देश, ग्राम, जाति, सघ और सघ-मुख्यों के पास जाकर प्रजा के प्रति किये गये शत्रु के अपकारों को बराबर दिखायें, और साथ ही देश आदि के प्रति किये गये नये विजिगीषु के उदारता, प्रेम तथा सत्कार आदि कार्यों को अच्छी तरह खोलकर रखें । विजिगीषु राजा, समुचित राज-भाग, करमाफी ( परिहार ) और सुख-सुविधायें ( रक्षाक्षण ) देकर प्रजा की रक्षा करे । विजिगीषु को चाहिए कि वह सभी घर्मों के देवताओं तथा आश्रमों की पूजा कराये और विद्वानों, वक्ताओं एवं धर्मप्राण व्यक्तियों को भूमि तथा द्रव्य देकर उनसे किसी प्रकार का राजकर वसूल न करे । जो दीन, अनाथ तथा व्याधिग्रस्त प्रजाजन हैं उनकी हर तरह से सहायता करे और कारागार में बन्द सभी अपराधियों को मुक्त कर दे । चार-चार महीने में पन्द्रह दिन ऐसे रखे, जिनमें किसी को प्राणदण्ड न दिया जाय । इसी प्रकार वर्ष भर में चार पूर्णमासियाँ ऐसी छोट ले, जिनमें किसी का वध न किया जाय । राज्याभिषेक और राज्यविजय के नक्षत्रों में किसी का वध न किया जाय । बच्चे पैदा करने वाले मादा जानवरों तथा शिशु जानवरों के वध का सर्वथा निषेध किया जाय, और नर जानवरों की वधिया ( पुस्त्वहीन ) न बनाये जाने की भी निषेधाज्ञा कर दी जाय । जिस आचरण को विजिगीषु राजा कोप और सेना के लिए हानिकर तथा घर्माचरण बिह्व सभ्रभे उसको दूर कर धर्मयुक्त सदाचार की स्थापना करे । चोर प्रकृति म्लेच्छ जातियों तथा दुर्ग, राष्ट्र और सेना के मुख्य अधि-कारियों को परस्पर दूर-दूर स्थानों में नियुक्त करके उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय । शत्रु का उपकार करने वाले मन्त्री, पुरोहित आदि को शत्रु के सीमा-प्रदेशों के भिन्न-भिन्न स्थानों में नियुक्त किया जाय, जिसमें कि वे परस्पर न मिलने पायें । जो व्यक्ति विजिगीषु का अपकार करने में समर्थ हो अथवा विजिगीषु का विनाश करने

कारसमर्थानिनु क्षियतो वा भर्तृविनाशमुपांशुदण्डेन प्रशमयेत् । स्वदेशीयान् वा परेण वावरुद्धानपवाहितस्थानेषु स्थापयेत् ।

( १ ) यश्च तत्कुलीनः प्रत्यादेयमादातुं शक्तः प्रत्यन्ताटवीस्थो वा प्रबाधितुमभिजातः, तस्मै विगुणां प्रयच्छेत्; गुणवत्याश्चतुर्भागं वा कोशदण्ड-दानमवस्थाप्य, यदुपकुर्वाणः पौरजानपदान् कोपयेत् । कुपितं स्तैरेनं घातयेत्, प्रकृतिभिरुपक्रुष्टमपनयेदौपघातिके वा देशे निवेशयेदिति ।

( २ ) भूतपूर्वं येन दोषेणापवृत्तः, तं प्रकृतिदोषं छादयेत् । येन च गुणे-नोपावृत्तः, तं तीव्रीकुर्यादिति ।

( ३ ) पित्र्ये पितृदोषाञ् छादयेत् । गुणांश्च प्रकाशयेदिति ।

की प्रवृत्ति से उसके यहाँ रहते हों। उन्हें उपाशुदण्ड देकर समाप्त कर दिया जाय । अपने देश के तथा शत्रु द्वारा बन्दी बनाये गये लोगों को विजयी राजा उन अधिकार-पदों पर नियुक्त करे, जो शत्रु पक्ष के पुरुषों को पदच्युत करने से रिक्त हुए हों ।

( १ ) शत्रु से छीने हुए राज्य को यदि कोई शत्रुवशज वापिस लेने में समर्थ हो, अथवा सीमांत प्रदेश के सामन्त या आटविक के द्वारा उस राज्य पर बाधा पहुँचाये जाने की सभावना हो तो विजिगीषु राजा उन्हें किसी गुणहीन ( उसर ) भूमि का कुछ हिस्सा दे दे, अथवा उन्हें गुणवती ( उर्वर ) भूमि का चौथा हिस्सा इस शर्त पर दे कि वह सामन्त विजिगीषु का अधिकाधिक कोष और सेना देता रहेगा । ऐसा कराने का यह परिणाम होगा कि धन तथा सेना को इकट्ठा करने में सामन्त अपनी प्रजा को कुपित कर देगा । इस प्रकार प्रजाजनों के कुपित हो जाने पर बाद में इन्हीं के द्वारा उस सामन्त का वध कराया जाय । अथवा अमात्य आदि प्रकृतियों के द्वारा निन्दा की जाने पर उस सामन्त को वहाँ से हटा दिया जाय । या उसको ऐसे प्रदेश में भेज दिया जाय, जहाँ उसके विनाश के अनेक साधन विद्यमान हों ।

( २ ) भूतपूर्व लाभ : अपने अपहृत भूतपूर्व राज्य को पुनः प्राप्त कर विजिगीषु राजा को चाहिए कि अपने उस दोष का वह परित्याग कर दे, जिसके कारण उसका राज्य उसके हाथ से निकल गया था और अपने जिन गुणों के कारण उसने शत्रु के हाथ से अपना राज्य पुनः प्राप्त किया हो, उनको अधिक बढ़ाये ।

( ३ ) पित्र्य लाभ : यदि पिता के दोषों के कारण राज्य शत्रु के कब्जे में गया हो तो विजिगीषु को उचित है कि पिता के उन दोषों को छिपा दे, जिनके कारण राज्य पर शत्रु ने अधिकार कर लिया था और पिता के जो अच्छे गुण रहे हों, उनको प्रवृत्त करता रहे ।

( १ ) चरित्रमकृत धर्म्यं कृत चान्यैः प्रवर्तयेत् ।  
प्रवर्तयेन्न चाधर्म्यं कृत चान्यैर्निवर्तयेत् ॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशोऽधिकरणे लब्धप्रशमन नाम पञ्चमोऽध्याय ,  
आदितश्चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततम ।

समाप्तमिदं दुर्गलम्भोपायनामकं त्रयोदशमधिकरणम् ।

— ० —

( १ ) विजिगीषु राजा को चाहिए कि विजित राज्य में वह उन धर्मयुक्त आचार-  
व्यवहारों का प्रचलन करे, जिसका अब तक वहाँ अभाव था, तथा जो धर्मप्रवृत्त  
लोग रहे हों उन्हें प्रोत्साहित करे । अधर्मयुक्त आचार-व्यवहारों को वह कतई न  
पनपने दे तथा जो लोग अधर्मप्रवृत्त रहे हों उन्हें यत्नपूर्वक रोके ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में लब्धप्रशमन नामक  
पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

— ० —

चौदहवाँ अधिकरण

•

औपनिषदिक



(१) चातुर्वर्ण्यरक्षार्थमौपनिषदिकमघमिच्छेषु प्रयुञ्जीत ।

(२) कालकूटादिविषवर्गः श्रद्धेयदेशवेषशिल्पभाजनापदेशैः कुञ्जवामन-  
किरातमूकबधिरजडान्धच्छन्मिः स्लेच्छजातीयैरभिप्रेतैः स्त्रीभिः पुम्भिश्च  
परशरीरोपमोगेत्वाघातव्यः ।

(३) राजक्रीडामाण्डनिधानद्रव्योपमोगेषु गूढाः शस्त्रनिधानं कुर्युः,  
सत्राजीविनश्च रात्रिचारिणोऽग्निजीविनश्चाग्निनिधानम् ।

(४) चित्रभेककौण्डिन्यककृकणपञ्चकुष्ठशतपदीचूर्णमुच्चिदिङ्गकम्बलि-  
शतकन्देष्टमकृकलासचूर्णं गृहगौलिकान्धाहिककृकणकपूतिकोटगोमारिका-  
चूर्णं भल्लातकावल्गुकारसंयुक्तं सद्यःप्राणहरमेतेषा वा धूमः ।

### शत्रुवध का प्रयोग

( १ ) विजिगीषु राजा को चाहिए कि चारो वर्णों की रक्षा के लिए वह अध्या-  
त्मिक व्यक्तियों पर औपनिषदिक प्रयोग करे ।

( २ ) बरसनाम, हलाहल ( कालकूट ) आदि जो भयकर विष हैं उनको, अपने  
विश्वसनीय देश, बंध, शिल्प और योग्यता को प्रकट करने वाले कुबडे, बीने, छिगने,  
गूँगे, बहरे, मूर्ख तथा अंधे आदि अनेक व्यक्तियों में रहने वाले स्लेच्छजाति के प्रिय पुरुषों  
तथा गिन्यों द्वारा शत्रु के शरीर पर धारण किये जाने योग्य वस्त्रों में किसी प्रकार  
छिद्रक दिया जाय ।

( ३ ) जहाँ शत्रु राजा का क्रीडा सबन्धी सामान रखा जाता है वहाँ एव गहने  
रखने के स्थान में या सुगन्धित पदार्थों को रखने की जगह में गुप्तचर पुरुष हथियार  
छिपा कर रहें । इसी प्रकार रात में इधर उधर घूमने वाले गुप्तचर या सुहार  
आदि अग्निजीवी पुरुष शत्रु के स्थान में अग्नि का प्रयोग करें ।

( ४ ) भिलावा ( भल्लातक ) तथा बकुची ( बल्गुक ) के रस में चितकबरा  
भेदक, कौण्डिन्यक ( जिसका पेशाब तथा फाखाना विषयुक्त होता है ), जगली तीतर  
( कृकण ), कूट के पाँचों अंग ( पचकुष्ठ ) और कानसजुरा ( शतपदी ) इन सब  
चौबों का चूर्ण, अथवा उच्चिदिग नामक कीड़ा ( बिच्छू ? ), कवली कीड़ा ( जो  
एक इंच लम्बा होता है, शरीर को सिकोड कर चलता है तथा शरीर में गड़ जाने से  
जिसके रोएँ खुजली पैदा करते हैं ), शतावः ( शत ), जिमीकद, पलाश की सकडी

(१) कीटो वान्यतमस्तप्तः कृष्णसर्पंप्रियङ्गुभिः ।

शोषयेदेथ संयोगः सद्यः प्राणहरो भतः ॥

(२) धामार्गवयातुधानमूलं भस्लातकपुष्पचूर्णंपुक्तमाधंमासिकः ।

(३) व्याघातकमूलं भस्लातकपुष्पचूर्णंपुक्तं कीटयोगो मासिकः । कला-  
मात्रं पुरुषाणां द्विगुणं छरगंधानां चतुर्गुणं हस्त्युदट्टाणाम् ।

(४) शतकर्मोच्चिदिङ्गकरवीरकटुतुम्बोमत्स्यधूमो मदनकोद्रवपला-  
लेन हस्तिकर्णपलाशपललेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मा-  
रयति ।

(५) पूतिकोटमत्स्यकटुतुम्बोशतकर्मधेन्वगोपचूर्णं पूतिकोपक्षुद्रा-  
रालाहेमविदारीचूर्णं वा वस्तभृङ्गखुरचूर्णंपुक्तमग्नीकरो धूमः ।

(इध्म), गिरगिट ( इकलास ), द्विपकली ( गृहगोधिका ), अघा या विपरहित साँप  
( अघाहिक ), जगली तीतर ( इकण ), पूतिकोट नामक कीडा तथा गोमारिका  
नामक औषधि, इन सब का चूर्ण मिलाया जाय तो उसका धुआँ तत्काल ही प्राणान्त  
कर देता है ।

( १ ) उक्त कीडो में से किसी भी एक को यदि आग में तपाकर सूप लिया  
जाय तो उससे शरीर सूख जाता है । यदि काले साँप को कागुन के साथ मिलाकर  
उसका धुआँ किया जाय तो वह भी तत्काल प्राणांत कर डालता है ।

( २ ) यदि कडवी तोरई और यातुधान नामक औषधि की जड़ों को भिलावा के  
फूलों के चूर्ण के साथ मिला लिया जाय तो वह योग पंद्रह दिन में ही प्राण ले  
लेता है ।

( ३ ) यदि अमलतास की जड़ को भिलावे के पुष्पचूर्ण के साथ मिलाकर उसमें  
पूर्वोक्त किसी तपे हुए ऋषी के का योग कर दिया जाय तो उसका प्रयोग एक मास में  
प्राण हर लेता है । इस कीटयोग की मात्रा मनुष्य को एक कला, गधे को उससे  
दुगुना और हाथी ऊँटों को उसका चोगुना देना चाहिए ।

( ४ ) शतावरी, कर्म ( अगर, तगर, केसर, वस्तूरी, कुकुम और कपूर का  
पीसा हुआ लेप ), उच्चिदिग ( विच्छू ? ), कनेर, कडवी तुबी और मछली, इसका  
धुआँ, अथवा घटूरा, कोदो और धान के पुआल के साथ, अथवा धनिया, ढाक तथा  
पुआल के साथ धुआँ किया जाय और उसको तेज हवा में रस दिया जाय तो जहाँ  
तक वह जायगा वहाँ तक के प्राणियों को मार डालेगा ।

( ५ ) पूतिकोट ( पात विच्छी ), मछली, कडवी तुबी, शतावरी, कर्म, ढाक  
की लकड़ी और इद्रगोप ( बीर बहूटी ), इन सबका चूर्ण; अथवा पूतिकोट, कटेरी,  
राल, घटूरा और विदारी वद इन सबका चूर्ण यदि बकरे के सींग और सुर के चूर्ण  
के साथ मिला दिया जाय तो उनका धुआँ अघा बना देता है ।

(१) पूतिकरञ्जपत्रहरितालमनःशिलागुञ्जारक्तकार्पासपलालान्यास्फोटकाचगोशकृद्रसपिष्टमन्धीकरो धूमः ।

(२) सर्पनिर्मोकं गोश्वपुरीषमन्धाहिकशिरश्चान्धीकरो धूमः ।

(३) पारावतप्लवकक्रव्यादानां हस्तिनरवराहाणां च मूत्रपुरीषं काशीसहिङ्गुयवतुपकणतण्डुलाः कार्पासकुटजकोशातकीनां च बीजानि गोमूत्रिकाभाण्डीमूलं निम्बशिश्रुफणिज्जकाक्षीबपीलुकभङ्गः सर्पशफरीचर्मं हस्तिनखशृङ्गचूर्णमित्येष धूमो मदनकोद्रवपलालेन हस्तिकर्णपलाशपलालेन वा प्रणीतः प्रत्येकशो यावच्चरति तावन्मारयति ।

(४) कालीकुष्ठनडशतावरीमूलं सर्पप्रचलाककृकणपञ्चकुष्ठचूर्णं वा धूमः पूर्वकल्पेनाद्रं शुष्कपलाले वा प्रणीतः संग्रामावतरणावस्कन्दनसंकुलेषु कृततेजनोदकाक्षिप्रतीकारैः प्रणीतः सर्वप्राणिनां नेत्रघ्नः ।

( १ ) काँटेदार कजा के पत्ते ( पूतिकरजपत्र ), हरताल, मनसिल, लाल धुपची ( गुजा रक्त ), कपास और पुआल ( पलल ), इन सबको मदार ( आस्फोट ), काँच तथा गोबर के रस में पीसा जाय और फिर उसका धुआँ कर दिया जाय तो वह अघा कर देता है ।

( २ ) सर्प की कँचुल, गाय का गोबर, घोड़े की लीद और दो मुँहे सर्प का मस्तक इनका योग भी लोगों को अघा कर देता है ।

( ३ ) कवूतर ( पारावत ), बत्तख ( प्लवक ), गीघ ( क्रव्य ), हायी, मनुष्य और सूअर का पेशाब तथा पालाना, या काशीस ( काशीस ), हीग, जो का छिनका ( यवतुप ), दाना ( कण ) और कपास, केसरैया ( कुटक ), कडवी लौकी के बीज या गोमूत्रिका ( गाय के मूत्र की तरह जमीन पर टेढ़ो-मेढ़ी फैलने वाली घास ), और मजीठ की जड़ ( भाडी मूल ), या नीम, सेंहजन, नागफनी ( फणिज ), जभीरी नीबू ( काक्षीब ) और पीलु, इन पाँचो पेड़ो का छिलका, या साँप और मछली की खाल, या हायी के दाँतो और मारतून का चूरा, इन सब चीजो का धुआँ, यदि धतूरा, कोदो और पुआल के साथ, या धनिया, पलाश और पुआल के साथ किया जाय तो जितनी दूर तक वह धुआँ फैलेगा वहाँ तक के सब प्राणी मर जाते हैं ।

( ४ ) धकोतरा ( काली ), कूट, नरसल और शतावरी, इन चीजो की जड़ का या साँप, मोर की पूँछ, जगली तीतर और कूट नामक वृक्ष के पाँचो अंग को पहिले बताये गये योग के साथ मिला कर जो धुआँ बनाया जाता है वह अघा कर देता है, या अघसूखे पुआल के साथ जो धुआँ बनाया जाता है, वह भी अघा कर देता है । इसलिए युद्ध करते समय या किला घेरते समय ऐसा धुआँ करने से पूर्व पिछले प्रकरण में बताये गये अजन जल से अपनी गाँखो को बचाने का प्रबंध किया जाय, अन्यथा वे भी अघे हो जायेंगे ।

(१) शारिकाकपोतयकवलाकालण्डमर्काक्षिपीलुकस्नुहिक्षीरपिष्टमन्धी-  
करणमञ्जनमुदकद्वूपण च ।

(२) यवकशालिमूलमदनफलजातीपत्रनरमूत्रयोगाः प्लक्षविदारिमूल-  
युक्तो मूकोदुम्बरमदनकोद्रवववाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाशववाथयुक्तो वा  
मदनयोगः । शृङ्गीगौतमवृक्षकण्टकारमयूरपदीयोगो गुञ्जालाङ्गलीविष-  
मूलिकेङ्गुदीयोगः करवीराक्षिपीलुकार्कमृगमारणीयोगो मदनकोद्रवववाथ-  
युक्तो हस्तिकर्णपलाशववाथयुक्तो वा मदनयोगः । समस्ता वा यवसेन्धनो-  
दकद्वूपणा ।

(३) कृतकण्डलकृकलासगूहगौलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमुन्माद च  
करोति ।

(४) कृकलासगूहगौलिकायोगः कुष्ठकरः ।

(५) स एव चित्रभेकान्त्रमधुमुक्तः प्रमेहमापादयति, मनुष्यलोहितमुक्तः  
शोषम् ।

( १ ) मैदा, बजूर, बगना और वगली इन पक्षियों की बिटा को आक, अक्षी  
पीलु तथा सेंहुड ( स्नुही ) के दूध में मिला कर जो अजन बनाया जाता है वह  
प्राणियों को अघा करने वाला तथा जल को विपाकन कर देने वाला होता है ।

( २ ) जो ( यव ), घान ( शाली ), इन दोनों की जड़, तथा मैतफल, चमेली,  
जावित्री और आदमी का पेजाव इन सब चीजों को मिलाकर फिर उनमें पित्तखन  
या लास देने वाले पीपल तथा विदारी की जड़ों का योग कर दिया जाय, अथवा  
गदे पानी में बने हुए गुलर, धतूरा और कोदों के क्वाथ का योग कर दिया जाय, या  
घनियाँ तथा पलाश के क्वाथ का योग कर दिया जाय तो मदनरस तैयार हो जाता  
है जो कि आदमी को पागल या बेहोश बना देता है । शृंगी नामक मछली का पित्त  
( शृंगिपीतम ), लोध, सेंमल तथा अजमोदा का योग, अथवा रत्ती, जल पीपल या  
नारियल, बालकूट आदि विष, तथा इगुदी का योग, अथवा कनेर ( करवीर ),  
अक्षी ( बहेडे के जंसा पेड ), पीलु, आक तथा मृगमारिणी औषधि का योग, धतूरा  
और कोदो के क्वाथ के साथ, या घनियाँ और पलाश के क्वाथ के साथ मिलाकर  
मदनयोग तैयार होता है । इस प्रकार के मदनयोग उन्माद पैदा करते हैं तथा घास,  
तबड़ी और पानी को विषयुक्त बना देते हैं ।

( ३ ) पकायी गयी नस नाटियों वाले गिरगिट, छिपकली और अधग्रहिक का  
धुआँ अघा तथा पागल बना देता है ।

( ४ ) गिरगिट और छिपकली का मिश्रित धुआँ कोढ़ पैदा कर देता है ।

( ५ ) यदि गिरगिट और छिपकली का उक्त योग चित्रकबरे मेदक तथा राहूद  
में मिला दिया जाय तो उससे प्रमेह पैदा हो जाता है । यदि इमी योग में मनुष्य का  
रून मिला दिया जाय तो उससे दादरोग पैदा हो जाता है ।

(१) दूषीवियं मदनकोद्रवचूर्णमुपजिह्विकायोगः मातृवाहकाञ्जलिकारप्रचलाकभेकाक्षिपीलुकयोगो विपूचिकाकरः ।

(२) पञ्चकुष्ठककौण्डिन्यकराजवृक्षपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः ।

(३) भासनकुलजिह्वाग्रन्यिकायोगः खरीक्षीरपिष्टो मूकबधिरकरो मासाधर्मसासिकः । कलामात्रं पुरुषाणामिति समानं पूर्वेण ।

(४) मङ्गलवायोपनयनमौषधानां चूर्णं प्राणभृताम् । सर्वेषां वा क्वाथोपनयनम्, एवं वीर्यवत्तरं भवति । इति योगसम्पत् ।

(५) शाल्मलीविदारोघान्यसिद्धो मूलवत्सनामसंयुक्तश्चुन्दरीशोणितप्रलेपेन दिग्धो बाणो यं विध्यति, स विद्धोऽन्यान् दश पुरुषान् दशति, ते दष्टा दशान्यान् दशन्ति पुरुषान् ।

(६) भल्लातकयातुधानापामार्गबाणानां पुष्परैलकाक्षिगुगुसुहालाहलाना च कपायं वस्तनरशोणितयुक्तं दंशयोगः । ततोऽर्धघरणिको योगः

( १ ) औषधियों से शुद्ध किया हुआ विप, धनूरा और कीदो का चूर्ण दीमक ( उपजिह्विका ) के साथ मिलाकर फिर मातृवाह पक्षी, अजलिकार औषधि, मोरपेंच ( प्रचालक ), मेढक, सहिजन और पीलु के साथ तैयार किया हुआ योग हैजा पैदा कर देता है ।

( २ ) कूट वृक्ष के पाँचो अंग, कौण्डिन्य नामक कीडा, अमलतास ( राजवृक्ष ), शहद और महुआ ( पुष्पमधु ), इन सब चीजों का योग ज्वर उत्पन्न कर देता है ।

( ३ ) यदि गिद्ध, नेबला और मजीठ का योग गधी के दूध में पीसा जाय तो वह योग महीने या पन्द्रह दिन के भीतर मनुष्य को गुँगा और बहिरा बना देता है । इन सभी योगों की मात्रा मनुष्य के लिए एक कला, घोड़े, गधे के लिए उससे दुगुनी और हाथी, ऊँट आदि के लिए उससे चौगुनी होनी चाहिए ।

( ४ ) ऊपर बताये गये सभी योगों में जो औषधियाँ हैं कूट-कूट कर उनका क्वाथ बनाना चाहिए । प्राणियों के उपयोग के लिए उसका चूर्ण या क्वाथ बनाकर उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से औषधि अधिक प्रभावकारी हो जाती है । यहाँ तक विशेष-विशेष योगों का निरूपण किया गया ।

( ५ ) सेगर, विदारो और धनियाँ की भावना देकर तथा पिप्पलीमूल एव वत्सनाम से युक्त और छद्मन्दर के रक्त से लेप किया हुआ बाण जिसको लयता है वह व्यक्ति दूसरे दस व्यक्तियों को काट लेता है, और वे दस व्यक्ति दूसरे दस-व्यक्तियों को काट खाते हैं । इस प्रकार विप के फैल जाने से सारी शत्रु सेना नष्ट हो जाती है ।

( ६ ) भिलावा, यातुधान, अपामार्ग और अर्जुन वृक्ष ( बाण ), इन सब चीजों के फूलों से सिद्ध किया हुआ, इलायची, अक्षी, गुगल तथा हलाहल को मिलाकर बनाया हुआ काढा यदि बकरे और मनुष्य के रक्त में मिला दिया जाय तो वह दश-

सक्तुपिण्याकाभ्यामुदके प्रणीतो धनुःशतायाममुदकाशयं दूषयति, मत्स्य-  
परम्परा ह्येतेन दष्टाऽभिमृष्टा वा विपीभवति, यश्चैतदुदकं पिबति  
स्युशति वा ।

(१) रक्तश्वेतसर्पपंगोघा त्रिपक्षमुष्टिकाया भूमौ निखातायां निहिता  
वध्येनोद्धृता यावत्पश्यति, तावन्मारयति । कृष्णः सर्पो वा ।

(२) विद्युत्प्रदग्धोऽङ्गारोऽङ्गालो वा विद्युत्प्रदग्धः फाटैर्गृहीतश्चानु-  
वासितः कृत्तिकासु भरणीषु वा रौद्रेण कर्मणाभिहुतोऽग्निः प्रणीतश्च निष्प्र-  
तीकारो दहति ।

(३) कर्मारादग्निमाहृत्य क्षौद्रेण जुहुयात् पृथक् ।  
सुरया शौण्डिकादग्निं भाग्याप्योग्निं घृतेन च ॥

(४) माल्येन चंकपत्न्याग्निं पुंश्रुत्याग्निं च सर्पपंगः ।  
दध्ना च सूतिकास्वग्निमाहितान्निं च तण्डुलैः ॥

योग अर्थात् काटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला योग है । यह काड़ा जिसके भी शरीर में चला जाय, वह भी दूसरे अनेक व्यक्तियों को काट कर विषमय बना देता है । उस काड़े में आधा घरणिक प्रमाण ( एक तोला ) सत्तू और तिलकुट को जल में भिलाकर बनाया हुआ योग सौ धनुष परिमाण तम्बे चौड़े जलाशय को विषमय बना देता है । वहाँ की रहने वाली मछलियाँ एक दूसरे को स्पर्श करने या काटने से विपरीत हो जाती हैं, और जो भी उस जल को पीता, स्पर्श करता या उसमें स्नान करता है वह भी विषमय बन जाता है ।

( १ ) लाल तथा सफ़ेद सरसों के साथ एक गोहू को घड़े में करके जहाँ ऊँट बाँधे जाते हो उस जगह गढा खोदकर पँतालीस दिन तक गाड़ा जाय और उसके बाद किसी बध्य पुरुष से यह गढा खुदवा कर उस घड़े को निकलवा दिया जाय । निकालते ही यह गोहू तत्काल निकालने वाले व्यक्ति को मार देती है । उसी तरह यदि काले सर्प को भी गाड़ा जाय तो वह भी आदमी को मार डालता है ।

( २ ) अथवा विद्युत् से जले हुए लपट रहित अगारे की आग को यदि बिजली से ही जली हुई लकड़ियों के द्वारा सुलगाया जाय, और कृत्तिका अथवा भरणी नक्षत्र में रुद्र देवता के पूजनार्थ उस अग्नि में हवन किया जाय तो इस प्रकार बनायी गयी अग्नि को किसी भी प्रकार बुझाया नहीं जा सकता है ।

( ३ ) कुम्हार के यहाँ से आग लेकर, आगे बताया जाने वाली अग्नियों को छोड़ कर उस में शहद से हवन किया जाय, इसी प्रकार शराब बेचने वाले के घर से आग लेकर उस में शराब से हवन किया जाय और सुहार के यहाँ से आग लेकर उसमें भारगी नामक औषधि का हवन किया जाय ।

( ४ ) पतिव्रता स्त्री के घर से लायी गयी अग्नि में फूलों की माला से हवन

(१) चण्डालाग्निं च मांसेन चित्ताग्निं मानुषेण च ।  
समस्तान् बस्तवसया मानुषेण ध्रुवेण च ॥  
जुहुयादग्निमन्त्रेण राजवृक्षकदारुभिः ।  
एष निष्प्रतिकारोऽग्निद्विषतां नेत्रमोहनः ॥

(२) अदिते ! नमस्ते, अनुमते ! नमस्ते, सरस्वति ! नमस्ते, देव !  
सवितर्नमस्ते । अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा ।

इति औपनिषदिके चतुर्दशाऽधिकरणे परघातप्रयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ,  
आदित् पञ्चचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

— ० :—

किया जाय, व्यभिचारिणी स्त्री के घर से लायी गयी अग्नि में सरसों से हवन किया जाय, मृतिका गृह से लायी गयी अग्नि में दही से हवन किया जाय, अग्निहोत्री के घर से लायी गयी अग्नि में चावलों से हवन किया जाय ।

( १ ) चाण्डाल के यहाँ से लायी गयी अग्नि में मांस से हवन किया जाय; चित्ता से लायी गयी अग्नि में मनुष्य से हवन किया जाय, और तदनन्तर इन सब अग्नियों को एकत्र करके उनमें बकरी की चर्बी से सूखी बरगद की लकड़ियों से हवन किया जाय; तदनन्तर अग्नि के स्तुतिवाचक मंत्रों द्वारा अमलतास की लकड़ियों द्वारा हवन किया जाय । इस प्रकार की अग्नि का फिर कोई प्रतीकार नहीं है । यह अग्नि केवल दुर्ग आदि को ही नहीं जलाती, वरन् उसको देखने मात्र से ही शत्रुओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ।

( २ ) इन मंत्रों से हवन किया जाय—आदिते ! नमस्ते । अनुमते ! नमस्ते । सरस्वति ! नमस्ते । देव ! सवितर्नमस्ते । अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । भू-स्वाहा । भुव स्वाहा ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में परघातप्रयोग नामक  
पहला अध्याय समाप्त

— ० :—

- (१) शिरीषीदुम्बरशमीचूर्णं सापिषा संहृत्यार्धमासिकक्षुद्योगः ।  
 (२) कशेरुकोत्पलकन्देक्षुमूलविसद्वर्षाक्षीरघृतमण्डसिद्धो मासिकः ।  
 (३) मापयवकुलत्थदधंभूलचूर्णं वा क्षीरघृताभ्यां, वल्लीक्षीरघृतं वा समसिद्धं सालपृश्निपर्णीमूलकल्कं पयसा पीत्वा, पयो वा तत्सिद्धं मधुघृताभ्यामशित्वा, मासमुपवसति ।  
 (४) श्वेतबस्तमूत्रे सप्तशत्रोपितं: सिद्धार्थकैः सिद्धं तंलं फटुकालावो मासार्धमासस्थितं चतुष्पदद्विपदाना विरूपकरणम् ।  
 (५) तक्रयवभक्षस्य सप्तरात्रादूर्ध्वं श्वेतगर्दभस्य लण्डयवः सिद्धं गौर-सर्पपतंल विरूपकरणम् ।

प्रलम्भन योग मे अद्भुत उत्पादन

( १ ) सिरण ( शिरीष ), गूलर और शमी इन तीनों के चूर्ण को घी के साथ मिलाकर खाने से पन्द्रह दिन तक भूख नहीं लगती है ।

( २ ) कसेह, कमल की जड़, गन्ने की जड़, कमल डडी, दूध, दूध, घी और माद, इन सबको एक साथ मिलाकर खाने से एक महीने तक भूख नहीं लगती है ।

( ३ ) उडद, जी, कुलषी और कुशा की जड़ इन सब को दूध घी के साथ मिलाकर पीने से एक मास तक भूखा रहा जा सकता है, अथवा अजमोद, दूध और घी को बराबर मिलाकर पी लेने पर भी एक महीने तक भूख नहीं लगती है । इसी प्रकार शालपर्णी ( शालवन ) और पृश्निपर्णी ( पिठवन ) की जड़ों के कल्क को दूध के साथ पीने से या शालपर्णी और पृश्निपर्णी के साथ दूध को पकाकर उसे शहद के साथ खाने से भी एक मास तक भूख नहीं लगती है ।

( ४ ) यदि सफेद बकरे के पेशाब में सात रात तक रखी हुई सरसो से निकाला हुआ तेल एक मास या पन्द्रह दिन तक लूंबी में रखा जाय तो उसके बाद जिन बीषायो या दुषायो पर वह तेल लगाया जायेगा, उनका रूप बदल जायेगा; इसको विरूपकरण ( दूसरा रूप बनाना ) योग कहते हैं ।

( ५ ) इसी तरह किसी आदमी को यदि सात दिन तक मट्टा और जो खिलाकर सफेद गधे की लीद तथा जी के साथ पकाये हुये सफेद सरसो के तेल को लगाने या खाने को दिया जाय तो उसकी शक्ल बदल जाती है ।



(१) एतयोरन्यतरस्य मूत्रलण्डरससिद्धं सिद्धार्थकतैलमर्कतूलपतङ्ग-  
चूर्णप्रतिवापं श्वेतीकरणम् ।

(२) श्वेतकुबकुटाजगरलण्डयोगः श्वेतीकरणम् ।

(३) श्वेतवस्तमूत्रे श्वेतसर्पयाः सप्तरात्रोपितास्तक्रमर्कक्षीरमर्कतूल-  
कटुकमत्स्यविलङ्गाश्च । एष पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम् ।

(४) समुद्रमण्डूकीशङ्खसुधाकदलीक्षारतक्रयोगः श्वेतीकरणम् ।

(५) कदल्यवलगुजक्षाररसशुक्ताः सुरायुक्तास्तक्रार्कतूलस्तुहिलवणं  
घान्याम्लं च पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम् ।

(६) कटुकालावौ वल्लीगते नगरमर्धमासस्थितं गौरसर्पपिष्टं रोम्णां  
श्वेतीकरणम् ।

(७) अर्कतूलोऽर्जुने कीटः श्वेता च गृहगौलिका ।

एतेन पिष्टेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्खपाण्डराः ॥

( १ ) सफेद गधा या सफेद बकरे के पेशाब तथा लीद के रस के साथ पकाये हुए सरसो के तेल को आक, पतास, पीपल और घान के चूर्ण के साथ मिलाकर श्वेतीकरण योग बनाया जाता है, इसके लगाने या खाने से श्वेत सूरत सफेद हो जाती है ।

( २ ) सफेद मुर्गा और अजगर साँप, इन दोनों की विष्ठा को मिलाकर तैयार किया हुआ योग भी सफेद बना देता है ।

( ३ ) यदि सफेद बकरे के पेशाब में सात रात तक सफेद सरसो को रखा जाय और तदनन्तर पन्द्रह दिन तक उस सरसो को मठा, आक का दूध, आक, पारस पीपल, कडवा परवल ( पटोल ), मछली तथा चायबिड़ग के चूर्ण के साथ मिलाकर बनाया जाय तो वह भी आकृति को सफेद बना देता है ।

( ४ ) समुद्री मेढकी, शख, सुधा, केला, जवालार और मठा, इन सब चीजों का योग भी सफेद कर देता है ।

( ५ ) केला, बकुची, जवाहार, पारा, और कोई खट्टा फल, इन सबको शराब में भिगो दिया जाय, तदनन्तर छाछ, आक, पारसपीपल, सेंहुड, नमक और कजा को उसमें मिलाकर पन्द्रह दिन तक रखा रहने दिया जाय । इस तरह का योग भी सफेद बना देता है ।

( ६ ) बेल में लगी हुई कडवी तूम्बी में सोठ भरकर उसे पन्द्रह दिन तक रख दिया जाय और बाद में उसको बगा सरसो के साथ पीस लिया जाय, यह भी श्वेतीकरण योग है ।

( ७ ) आक, पारसपीपल, अर्जुन कीट और सफेद धिपकली, इन सबको एक साथ पीस कर यदि बालों में लगाया जाय तो बाल शख के समान श्वेत हो जाते हैं ।

(१) गोमयेन तिन्दुकारिष्टकल्केन मदिताङ्गस्य भल्लातकरसा-  
नुलिप्तस्य मासिकः कुष्ठयोगः ।

(२) कृष्णसर्पमुखे गृहगौलिकामुखे वा सप्तराश्रोपिता गुञ्जाः कुष्ठ-  
योगः ।

(३) शुक्रपित्ताण्डरसाभ्यङ्गः कुष्ठयोगः ।

(४) कुष्ठस्य प्रियालवल्ककपायः प्रतीकारः ।

(५) कुक्कुटोकोशातकीशतावरीमूलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो  
भवति ।

(६) घटकपायस्नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भवति ।

(७) शकुनकङ्गुलंलयुक्ता हरितालमनःशिलाः श्यामीकरणम् ।

(८) खद्योतचूर्णं सर्पपतलंलयुक्तं रात्रौ ज्वलति ।

(९) खद्योतगण्डूपद्मचूर्णं समुद्रजन्तूनां मृङ्गकपालानां खदिरकणिका-  
राणां पुष्पचूर्णं वा शकुनकङ्गुलंलयुक्तं तेजनचूर्णं पारिमद्रकत्वड्मयी  
मण्डूकवसया युक्ता गात्रप्रज्वालनमग्निना ।

( १ ) गोबर, छोटा तदुआ और नीम के कल्क से शरीर पर मालिश करने के बाद, यदि भिलावा और पारा मिला कर शरीर में लगा दिया जाय तो एक महीने के अन्दर कोड उपजाता है ।

( २ ) कानेर रस के या छिपकली के मुँह में सात रात तक रखी हुई रती को यदि देह पर रखा जाय तो कोड हो जाता है ।

( ३ ) तोत के पित्ते तथा अडे के रस से शरीर पर मालिश करने से कोड हो जाता है ।

( ४ ) चिरीजी के कल्क से बनाया हुआ काढ़ा कृष्ण रोग का प्रतीकार है ।

( ५ ) मुर्गी, कड़वी तोरई, परवल और शतावरी की जड़ को एक मास तक खाने से शरीर गौरवर्ण हो जाता है ।

( ६ ) यदि वरगद के काँडे से स्नान कर फिर पियावास के कल्क की मालिश की जाय तो शरीर काला पड़ जाता है ।

( ७ ) गिद्ध और काँगनी के तेल में हडताल तथा मैगसिल मिलाकर मालिश करने से भी शरीर सफ़ला हो जाता है ।

( ८ ) यदि जुगनू का चूर्ण सरसो के तेल के साथ मिला दिया जाय तो वह रात में जलने लगता है ।

( ९ ) जुगनू और गेंडुए का चूर्ण तथा इसी प्रकार के छोटे छोटे समुद्री जानवरों का चूर्ण भृगु नामक पक्षी के सिर की हड्डियों का चूर्ण, खैर तथा कनेर के फूलों का चूर्ण, गिद्ध तथा काँगनी के तेल में मिला बाँस का चूर्ण और मेढक की चर्बी से मिली

- (१) पारिभद्रकत्वग्ज्वकदलीतिलकल्कप्रदिग्धं शरीरमग्निना ज्वलति ।  
 (२) पीलुत्वङ्मपीमयः पिण्डो हस्ते ज्वलति । मण्डूकवसादिग्धोऽग्निना ज्वलति ।

(३) तेन प्रदिग्धमङ्गं कुशाअफलतैलसिक्तं समुद्रमण्डूकीफेनकसर्जरस-  
 चूर्णयुक्त वा ज्वलति ।

(४) मण्डूकवसासिद्धेन पयसा कुलीरादीनां वसया समभागं तैलं सिद्ध-  
 मभ्यङ्गो गात्राणामग्निप्रज्वालनम् । मण्डूकवसादिग्धोऽग्निना ज्वलति ।

(५) वेणुमूलशंवललिप्तमङ्ग मण्डूकवसादिग्धमग्निना ज्वलति ।

(६) पारिभद्रकप्रतिबलावञ्जुलवञ्जकदलीमूलकल्केन मण्डूकवसा-  
 दिग्धेन तैलेनाभ्यक्तपादोऽङ्गारेषु गच्छति ।

(७) उपोदका प्रतिबला वञ्जुलः पारिभद्रकः ।

एतेषा मूलकल्केन मण्डूकवसया सह ॥

नीम की छाल की स्याही, इनमे से प्रत्येक चूर्ण को देह पर मलने से बिना किसी पीडा या जलन के शरीर पर आग जलने लगती है ।

( १ ) नीम की छाल, घूहर, केला और तिल के कल्क से पोते हुए शरीर पर बिना किसी पीडा के अग्नि जलने लगती है ।

( २ ) पीलु वृक्ष की छाल की स्याही का बना हुआ गोला, बिना अग्नि ससर्ग के ही, हाथ मे जलने लगता है । मेढक की चर्बी से सना हुआ वही गोला आग के ससर्ग से जलने लगता है ।

( ३ ) उस गोले को अग मे लपेट कर कुशा के तेल और आम की गुठली के तेल से शरीर मे चुपडे अथवा समुद्री मेढकी, समुद्रपेज और राल, इन सब के चूर्ण को देह मे लगाया जाय तो अग्नि का ससर्ग होते ही देह जलने लगती है ।

( ४ ) मेढक की चर्बी के साथ पके हुए दूध तथा कंकडे की चर्बी मे उतना ही तेल मिलाकर यदि उससे मालिश की जाय तो शरीर मे अग्नि की लपटें उठने लगती हैं । मेढक की चर्बी से सना हुआ व्यक्ति अग्नि का ससर्ग पाते ही जल उठता है ।

( ५ ) बांस की जड और सेंवार से लिपा हुआ अग तथा मेढक की चर्बी से लिपा हुआ अग अग्नि के ससर्ग से जलने लगता है ।

( ६ ) नीम ( पारिभद्रक ), खरेंटी ( प्रतिबला ), वजुल ( तेंदुआ, बेत, अशोक ) घूहर और केला, इन सब पेडों की जडों का कल्क बनाकर तथा उसमे मेढक की चर्बी एव तेल मिला लिया जाय और तब उस योग की पैरो मे मालिस की जाय तो अगारों के ऊपर धला जा सकता है ।

( ७ ) पोदीना ( उपोदका ), खरेंटी, वजुल और नीम, इनके पेडों की जडों का कल्क बनाकर उसमे मेढक की चर्बी मिला दी जाय तो उस तेल का साफ पैरो

साधयेत्तलमेतेन पादावभ्यज्य निर्मली ।

अङ्गरराशौ विचरेद्यथा कुमुमसन्धये ॥

(१) हंसक्रीञ्चमपूराणामण्डेपां वा महाशकुनीनामुदकप्लवानां पुच्छेषु बद्धा नलदीपिका रात्रावुत्कादर्शनम् ।

(२) वंद्यत भस्माग्निशमनम् ।

(३) स्त्रीपुष्पपायिता माया व्रजकुलीमूलं मण्डूकवसामिधं चुल्यां दीप्तायामपाचनम् । चुल्लीशोधन प्रतीकारः ।

(४) पीलुमयो मणिर्गर्भः सुवचंलामूलप्रणियः सूत्रप्रणिवर्षा पित्तु-परिवेष्टितो मुखादग्निधूमोत्सर्गः ।

(५) कुशाभ्रफलतैलसिक्तोऽग्निर्वपंप्रवातेषु ज्वलति ।

(६) समुद्रफेनकस्तैल्युक्तोऽम्भसि प्लवमानो ज्वलति ।

(७) प्लवङ्गमानामस्थिषु कल्माषवेणुना निर्मथितोऽग्निर्नोदकेन शाम्यति, उदकेन च ज्वलति ।

मे मालिश करने से घघकते अगारो के ढेर में बैसे ही घूमा जा सकता है, जैसे कि फूलो के ढेर में ।

( १ ) यदि हंस, क्रीञ्च, मयूर और अन्य वत्तल आदि जलचर पक्षियों की पूंछों पर नलदीपिका ( नरकट पर रखी हुई छोटी सी जलती हुई बत्ती ) लगायी जाय तो वह रात में दूर से भयप्रद उल्ला के समान दिखाई देती है ।

( २ ) बिजली गिरने से जली हुई लकड़ी की राख अग्नि को शांत कर देती है ।

( ३ ) स्त्री के रज से मिले हुए उडद और भेडक को चर्वों से मिली हुई गोष्ठ ( गायो की जगह ) में पैदा होने वाली बड़े कटहल की जड़, इन दोनों को आग पर चढाकर कितना भी पकाया जाय, पर नहीं पकती । चूल्हे से उतार कर इनको साफ कर देना ही इनका प्रतीकार है ।

( ४ ) पीलु की लकड़ी से बना हुआ मटका अग्निगर्भ ( तत्काल ही अग्नि को खींचने वाला ) होता है । अलसी की जड़ की गाँठ या अलसी के सूतो की गाँठ हई से सपेट देने पर मुँह से आग और घुआँ छोड़ने का साधन है ।

( ५ ) कुश, आम और तेल के सहारे जलायी हूयी आग आँधी और वर्षा में भी जलती रहती ।

( ६ ) पानी में तैरते हुए समुद्र भाग में यदि तेल मिला दिया जाय तो वह जलते हुए तैरता रहेगा ।

( ७ ) बदर की हड्डियों में विचित्र वाँस के मयन से पैदा की गई अग्नि जल से नहीं बुझ सकती है, बल्कि जल के ससर्ग से वह और भी घघकने लगती है ।

(१) शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुरुषस्य वामपार्श्वपशुंकास्थियु कल्माषवेणुना निर्मथितोऽग्निः, स्त्रियाः पुरुषस्य वास्थियु मनुष्यपशुकया निर्मथितोऽग्निर्घत्र त्रिरपसव्यं गच्छति, न चात्रान्योऽग्निर्ज्वलति ।

(२) चुचुन्दरी खञ्जरीटः खारकोटश्च पिप्यते ।

अभ्रमूत्रेण संसृष्टा निगलानां तु भञ्जनम् ॥

(३) अयस्कान्तो वा पापाणः ।

(४) कुलीराण्डदुर्खारकोटसाप्रदेहेन द्विगुणो दारकगर्भः कङ्कभास-पाश्वोत्पलोदकपिष्टश्चतुष्पदद्विपदाना पादलेपः, उलूकगृध्रवसाम्यामुष्ट्र-चर्मोपानहावभ्यज्य वटपत्रैः प्रतिच्छाद्य पश्चाशद्योजनान्यश्रान्तो गच्छति । श्येनकङ्ककाकगृध्रहंसक्रीञ्चवीचिरल्लानां मज्जानो रैतासि वा योजन-शताय । सिंहव्याघ्रद्वीपिकाकोलूकानां मज्जानो रैतासि वा, सार्ववर्णिकानि गर्भपतनान्युष्ट्रिकायामभिपूय श्मशाने प्रेशिशून् वा तत्समुत्थितं मेदो योजनशताय ।

( १ ) तलवार, भाला या त्रिशूल आदि से मारे हुए पुरुष की बाईं पसली की हड्डियों में विचित्र बांस के मयन से पैदा की गई अग्नि, या स्त्री अथवा पुरुष की हड्डियों में मनुष्यों की पसली से मयन कर पैदा हुई अग्नि, इन दोनों अग्नियों को जहाँ पर तीन बार बाईं ओर से धुमा दिया जाय, वहाँ पर कोई आग नहीं जल सकती है ।

( २ ) छलून्दर, खजन और खारकोट, इन तीनों को थोड़े के पेशाब के साथ अलग-अलग पीस कर फिर एक साथ मिला दिया जाय तो वह मिश्रण वेटी, हथकड़ी, आदि तोड़ने के काम में आ सकता है ।

( ३ ) अथवा अयस्कान्त नामक मणि से भी लोहे की जजीरें तोड़ी जा सकती हैं ।

( ४ ) कंकड़े के अडे, मेढक, खारकोट की चर्बी से बढाये हुए सूकरगर्भ को कक पक्षी, गिद्ध की पसलियों तथा कमल के जल से पीस कर, उस औषधि को चौपायो या दुपायो के पैरों में लेप कर दिया जाय तो बिना थकावट के पचास योजन तक चला जा सकता है, उल्लू, तथा गिद्ध की चर्बी को ऊँट के चमड़े से बने जूते वट कुण्ड कट और बरगद के श्लो से डेँककट फिर ऊँही जूते को सहित कर पचास योजन तक बिना थकावट के सफर किया जा सकता है, बाज, सफेद चील ( कक ), कौआ, गीघ, हस, क्राँच और वीचिरल्ल की चर्बी और घीयं को मिलाकर पूर्वोक्त ढग से पैरों तथा जूतों में लेप किया जाय तो बिना थके-अलसाये सौ योजन सफर किया जा सकता है, शेर, बाघ, भेड़िया, कौआ और उल्लू, इन सबकी चर्बी तथा घीयं, अथवा सभी वर्णों के गिरे हुए गर्भों को मिट्टी के किसी बर्तन में अथवा

( १ ) अनिष्टैरद्भुतोत्पातैः परस्योद्वेगमाचरेत् ।  
आराज्यायेति निर्वाहः समानः कोप उच्यते ॥

इति औपनिषदिके चतुर्दशेऽधिकरणे प्रलम्भनेऽद्भुतोत्पादन नाम द्वितीयोऽध्यायः ;  
आदित पट्चत्वारिंशदधिकशततमः ।

—: ० :—

मरे हुए छोटे बच्चों को श्मशान भूमि में ही अभिषव करके उनके शरीर से निकली हुई चर्बी को पैर, जूते आदि में लेप करके बिना थकावट ही सौ योजन तक जाया जा सकता है ।

( १ ) इस प्रकार विजिगीषु राजा को चाहिए कि इन आश्चर्यजनक अद्भुत तथा अनिष्टकारक उत्पातों से वह अपने शत्रु को अच्छी तरह बेचैन करे । यद्यपि इस प्रकार का व्यापार अनिष्टकारी, और कलकित कर देने वाला होता है, फिर भी पारस्परिक वैमनस्य बढ़ जाने के कारण, उसको उपयोग में लाना ही पड़ता है । इसलिए यहाँ पर इसका निरूपण किया गया ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में अद्भुतोत्पादन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: ० :—

(१) मार्जारोष्ट्रबुकवराहश्वाविद्वागुलीनष्टृकाकोलूकानामग्रेषां वा निशाचराणां सत्त्वानामेकस्य द्वयोर्वहूनां वा दक्षिणानि वामानि वाक्षीणि गृहीत्वा द्विधा चूर्णं कारयेत् । ततो दक्षिणं वामेन वामं दक्षिणेन समभ्यज्य रात्रौ तमसि च पश्यति ।

(२) एकाम्लकं वराहाक्षि खद्योतः कालशारिबा ।

एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रौ रूपाणि पश्यति ॥

(३) त्रिरात्रोषोपितः पुष्ये शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः-कपाले मृत्तिकायां यवानावास्याविक्षीरेण सेचयेत्, ततो यवविरूढमालामा-वृष्य नष्टच्छायारूपश्चरति ।

(४) त्रिरात्रोषोपितः पुष्येण श्वमार्जारोलूकवागुलीनां दक्षिणानि वामानि वाक्षीणि द्विधा चूर्णं कारयेत् । ततो यथास्वमभ्यक्ताक्षो नष्ट-च्छायारूपश्चरति ।

### प्रलम्बन योग में औषधि तथा मंत्र का प्रयोग

( १ ) रात में घूमनेवाले : बिल्ली, ऊँट, भेड़िया, सूअर, साही, बागुली, नत्ता, कौआ और उल्लू अथवा रात्रि में विचरण करने वाले इसी प्रकार के दूसरे प्राणी, इनमें से एक, दो या अनेको की दोनों आँखों को निकाल कर उनका अलग-अलग चूर्ण बनाया जाय । तदनन्तर बाईं आँखों से बना चूर्ण दाईं आँख पर और दाईं आँख से बना चूर्ण बाईं आँख पर अञ्जन कर देने से मनुष्य भी रात के समय घोर अंधकार में प्रत्येक वस्तु को देख सकता है ।

( २ ) एक बडहल ( अम्लक ), सूअर की आँख, जुगुनु और काली शारिबा नामक औषधि को एक साथ मिलाकर आँख में लगाने से रात में सभी चीजें दिखाई देती हैं ।

( ३ ) तीन रात तक उपवास करने वाला व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में हृषिपार से मारे हुए अथवा फाँसी पर चढ़ाये गये बादमी की खोपड़ी में मिट्टी भर कर उसमें जी बो दे और उसको मँड के दूध से मोचला जाय । जब वे जी उग आते हैं तब उनकी माता पहिन कर चलने वाले व्यक्ति को न तो छाया दिखाई देती है और न रूप ही ।

( ४ ) अथवा तीन रात तक उपवास करने वाला व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में कुत्ता,

(१) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुरुषघातिनः काण्डकस्य शलाकामञ्जनीं च कारयेत्, ततोऽन्यतमेनाक्षिचूर्णेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति ।

(२) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण कालायसीमामञ्जनीं शलाकां च कारयेत्; ततो निशाचराणां सत्त्वानामन्यतमस्य शिरःकपालमञ्जनेन पूरयित्वा मृतायाः स्त्रिया योनौ प्रवेश्य दाहयेत्; तदञ्जनं पुष्येणोद्भूय तस्यामञ्जन्यां निदध्यात् । तेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति ।

(३) यत्र ब्राह्मणमाहिताग्निं दग्धं दह्यमानं वा पश्येत्, तत्र त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण स्वयंमृतस्य वाससा प्रसेवं कृत्वा चिताभस्मना पूरयित्वा समावध्य नष्टच्छायारूपश्चरति ।

(४) ब्राह्मणस्य प्रेतकार्ये या गौर्मायंते, तस्या अस्थिमज्जाचूर्णपूर्णाहि-भस्मना पशूनामन्तर्धानम् ।

बिल्ली, उल्लू और बागुली इन चारों जानवरों की दोनों आँखों का अलग-अलग चूर्ण बनाये । तदनन्तर दाईं आँखों से बने चूर्ण को दाईं आँख पर और बाईं आँखों से बने चूर्ण को बाईं आँख पर लगाने वाले व्यक्ति की छाया और काया नहीं दिखाई देती है ।

( १ ) अथवा तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में जिस बाण से कोई व्यक्ति मारा गया हो उसी बाण के लोहे की एक सलाई और सुरमादानी बनवा कर कुत्ता, बिल्ली, उल्लू और बागुली इनमें से किसी की भी दाईं बाईं आँख का अलग-अलग चूर्ण बनाकर उसी सलाई तथा सुरमादानी के द्वारा आँखों में लगाने वाला पुरुष रूप तथा छाया से रहित होकर विचरण कर सकता है ।

( २ ) अथवा तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में फौलाद के लोहे की सुरमादानी-सलाई बना दी जाय और रात में घूमने वाले किसी भी जानवर की खोपड़ी को अञ्जन से भरकर उसे किसी मरी हुई स्त्री की योनि में डाल कर जला दिया जाय । तदनन्तर पुष्य नक्षत्र में उस अञ्जन को उक्त लोहे की सुरमादानी में भर दिया जाय और उसी सलाई से उस अञ्जन को आँखों में लगाने में भी रूप तथा छाया से रहित होकर विचरण किया जा सकता है ।

( ३ ) अथवा जहाँ पर कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण जलाया गया हो या जलाया जा रहा हो, उस स्थान पर तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में अपनी मृत्यु से मरे हुए किसी व्यक्ति के वस्त्र से एक थैली बनाकर उसमें उसी मनुष्य की चिता की राख भर दी जाय और उस पोटली को अपने किसी अंग पर बाँध दिया जाय, ऐसा करने से वह पुरुष छाया-रूप से रहित यथेच्छ कहीं भी विचरण कर सकता है ।

( ४ ) ब्राह्मण के घाटकार्य में जो गाय मारी जाय उसकी हड्डी और मज्जा



- (१) सर्पदष्टस्य भस्मना पूर्णां प्रचलाकभस्त्रा मृगाणामन्तर्धानम् ।  
 (२) उलूकबागुलीपुच्छपुरीषजान्वस्थिचूर्णपूर्णाहिमस्त्रा पक्षिणामन्त-  
 र्धानम् ।  
 (३) इत्यष्टावन्तर्धानयोगाः ।  
 (४) बलि वैरोचनं घन्दे शतमायं च शम्बरम् ।  
 भण्डीरपाकं नरकं निकुम्भं कुम्भमेव च ॥  
 देवलं नारदं घन्दे घन्दे सावर्णिगालवम् ।  
 एतेषामनुयोगेन कृतं ते स्वापनं महत् ॥  
 यथा स्वपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि चमूखलाः ।  
 तथा स्वपन्तु पुरुषा ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥  
 भण्डकानां सहस्रेण रयनेमिशतेन च ।  
 इमं गृहं प्रवेक्ष्यामि तूष्णीमासन्तु भाण्डकाः ॥  
 नमस्कृत्वा च मनवे बद्ध्वा शुनकफेलकाः ।  
 ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥  
 अध्ययनपारगाः सिद्धा ये च कालासतापसाः ।  
 एते च सर्वसिद्धेभ्यः कृतं ते स्वापनं महत् ॥  
 अतिगच्छति च मग्यपगच्छन्तु संहताः ।  
 अलिते बलिते मनवे स्वाहा ॥

(५) एतस्य प्रयोगः—त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुर्दश्यां पुष्ययोगिन्यां

के चूर्ण से भरी हुई साँप की कँचुल को यदि किसी पशु पर बाँध दिया जाय तो उसको भी कोई नहीं देख पाता है ।

( १ ) यदि सर्प से कटे हुए किसी जानवर की राख को मोरपेंच की बनी हुई पँती में भर दिया जाय और वह पँती किसी जगली जानवर के अङ्ग पर बाँध दी जाय तो वह जानवर दृष्टि से अन्तर्धान हो जाता है ।

( २ ) यदि उल्लू तथा बागुली दोनों की पूँछ, बिष्ठा, टाँग और हड्डियों के चूर्ण को साँप की कँचुल में भर दिया जाय तो यह सभी पक्षियों के अन्तर्धान का योग है ।

( ३ ) यहाँ तक अन्तर्धान होने के संबंध में आठ प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है ।

( ४ ) प्रस्वापन मंत्र : ( 'बलि वैरोचनम्' आदि ये जो मंत्र दिये गये हैं इनका संबंध आगे बताये गये चार प्रकार के प्रस्वापन ( सबको सुता देने वाले ) योगों से है । अर्थ की दृष्टि से ये मंत्र सर्वथा सुबोध हैं और अर्थ की अपेक्षा उनका उपयोग उनके मूलपाठ में ही है ।

( ५ ) उक्त मंत्रों के प्रयोग का अकार : तीन रात तक उपवास करने के ४८ कौ०

श्वपाकीहस्ताद्बिलखावलेखनं क्रीणीयात् । तन्मायैः सह कण्डोलिकायां कृत्वा असङ्कीर्णं आदहने निखानयेत् । द्वितीयस्यां चतुर्दश्यामुद्धृत्य कुमारीं पेययित्वा गुलिकाः कारयेत् । तत एकां गुलिकामभिमन्त्रयित्वा यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

(१) एतेनैव कल्पेन श्वाविधः शल्यकं त्रिकालं त्रिश्वेतमसङ्कीर्णं आदहने निखानयेत् । द्वितीयस्यां चतुर्दश्यामुद्धृत्यादहनमस्मना सह यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

सुवर्णपुष्पीं ब्रह्मणीं ब्रह्मणं च कुशध्वजम् ।

सर्वांश्च देवता वन्दे वन्दे सर्वांश्च तापसान् ॥

वशं मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च क्षत्रियाः ।

वशं वंरयाश्च शूद्राश्च वशतां यान्तु मे सदा ।

स्वाहा । अमिले किमिले वसुजारे प्रयोगे फवके वयुह्वे विहाले दन्त-कटके स्वाहा ।

सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ।

श्वविधः शल्यकं चैतत्रिश्वेतं ब्रह्मनिर्मितम् ॥

प्रसुप्ताः सर्वसिद्धा हि एतत्ते स्वापनं कृतम् ।

यावद् ग्रामस्य सोमान्तः सूर्यस्योद्गमनादिति ॥ स्वाहा ।

(२) एतस्य प्रयोगः—श्वविधः शल्यकानि त्रिश्वेतानि । सप्तरात्रो-पोषितः कृष्णचतुर्दश्या खादिरामिः समिधाभिरग्निमेतेन मन्त्रेणाष्टशत-

बाद कृष्ण पक्ष के पुष्य नक्षत्र में किसी चण्डाल की स्त्री के हाथ से चूहे का एक टुकड़ा खरीद लिया जाय । उसको उड़दों के साथ एक डिब्बे में बन्द कर किसी खुले श्मशान में गड़ा खोदकर उसमें गाड़ दिया जाय । अगली चतुर्दशी को उस डिब्बे को गड़े से निकाल कर किसी कुमारी के द्वारा उसको पिसवा दिया जाय और उस चूर्ण की गोलियाँ बना दी जाय । उसके बाद एक-एक गोली को उक्त मंत्रों से अभिमन्त्रित कर जिस स्थान पर फेंक दिया जाय उस स्थान के सभी प्राणी सो जाते हैं । यह पहिला योग है ।

( १ ) ऊपर बताये नियम के अनुसार किसी चाण्डालिनी के हाथ से साही के ऐसे बटि खरीदे जाय, जो तीन जगह से सफेद और तीन जगह से काले हों । उन काँटों को पूर्ववत् किसी खुले श्मशान में गाड़ दिया जाय । १५ दिन के बाद अगली चतुर्दशी को उसे उखाड़ कर श्मशान की राख के साथ उपर्युक्त मंत्रों से अभिमन्त्रित करके जिस स्थान पर वह काँटा फेंका जायेगा वहाँ के सभी प्राणी सो जायेंगे । यह दूसरा योग है । तीसरे प्रस्वापन योग के लिए 'सुवर्णपुष्पी' आदि मंत्रों का विधान है—

( २ ) प्रयोग-विधि : पूर्वोक्त विधि के अनुसार तीन स्थानों से सफेद साही के

सम्पातं कृत्वा मधुघृताभ्यामभिजुहुयात् । तत एकमेतेन मन्त्रेण ग्रामद्वारि गृहद्वारि वा यत्र निखन्यते, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

बलि वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम् ।  
निकुम्भं नरकं कुम्भं तन्तुकच्छं महासुरम् ॥  
अर्मालिवं प्रमीलं च मण्डोलूकं घटोबलम् ।  
कृष्णकंसोपचारं च पौलोमीं च यशस्विनीम् ॥  
अभिमन्त्रयित्वा गृह्णामि सिद्धार्यं शवशारिकाम् ।

जयतु जयति च नमः शलकभूतेभ्यः स्वाहा ।

सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ।

सुखं स्वपन्तु सिद्धार्या यमर्थं मार्गयामहे ॥

यावदस्तमयाद्बुदयो यावदर्थं फलं मम ॥ इति स्वाहा । -

(१) एतस्य प्रयोगः—चतुर्भक्तोपवासी कृष्णचतुर्दश्यामसङ्कीर्ण आदहने बलि कृत्वा एतेन मन्त्रेण शवशारिका गृहीत्वा पोत्रीपोट्टलिका बध्नीयात् । तन्मध्ये श्वाविधः शल्यकेन विद्ध्वा यत्रैतेन मन्त्रेण निखन्यते, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

(२) उपैमि शरणं चाग्निं दैवतानि दिशो दश ।

अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यान्तु मे सदा ॥ स्वाहा ।

(३) एतस्य प्रयोगः—त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शर्करा एकाविंशति-

काँटो को श्मशान भूमि में गाड़ दिया जाय । तदनन्तर सात रात्रि तक उपवास रखने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को खैर आदि की समिधाओं से उक्त मन्त्रों द्वारा शहद तथा घी मिलाकर उससे १०८ बार अग्नि में हवन किया जाय । उसके बाद श्मशान में गढे हुए उन काँटो को उखाड कर उनको उक्त मन्त्रों द्वारा अभिमन्त्रित कर घर, गाँव या दरवाजा, जहाँ पर भी गाड़ दिया जाता है वहाँ के सब लोग निद्राप्रस्त हो जाते हैं । यह तीसरा योग है । चौथे प्रस्वापन योग के लिए 'बलि वैरोचनम्' आदि मन्त्रों का उपयोग किया जाय ।

(१) प्रयोग विधि : चार रात तक उपवास करने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को खुले हुए श्मशान के मैदान में पशुबलि देकर एक मरी हुई मर्दा को कपडे की पोटरुी में बाँध लिया जाय । उसके बीच में साही का एक काँटा छेद कर उपर्युक्त मन्त्र को पढते हुए उस पोटरुी को जिस स्थान में भी गाड़ दिया जाय वहाँ के सब प्राणी सो जायेंगे । यह चौथा योग है ।

(२) द्वार खोलने का मन्त्र : बंद दरवाजा खोलने के लिए 'उपैमि शरणम्' आदि मन्त्र का प्रयोग किया जाय ।

(३) प्रयोग-विधि : तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र काँस

सम्पातं कृत्वा मधुघृताभ्यामभिमज्जुह्यात् । ततो गन्धमाल्येन पूजयित्वा निखानयेत् । द्वितीयेन पुष्येणोद्घृत्यैकां शर्करामभिमन्त्रयित्वा कवाटमाह्न्यात् । अभ्यन्तरं चतसृणां शर्कराणां द्वारमपाद्वियते ।

(१) चतुर्भक्तोपवासी कृष्णचतुर्दश्या भग्नस्य पुरुषस्यास्थना ऋषभं कारयेत्; अभिमन्त्रयेच्चैतेन, द्विगोयुक्तं गोयानमाहृतं भवति; ततः परमाकाशे विक्रामति ।

(२) सदा रविरविः सगण्डपरिघाति सर्वं भणति । चण्डालीकुम्बोत्तम्बकटुकसारीधः सनारीभगोऽसि स्वाहा ।

(३) तालोद्घाटनं प्रस्वापनं च ।

(४) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः-कपाले मृत्तिकाया तुवरीरावास्योदकेन सेचयेत् । जातानां पुष्येणैव गृहीत्वा रज्जुकां वर्तयेत् । ततः सज्यानां धनुषां यन्त्राणां च पुरस्ताच्छेदनं ज्याच्छेदनं करोति ।

मे बहुत-सी खोपडियो या ककडियो को लेकर उनके ऊपर अग्नि में शहद और घी से इक्कीस बार आहुति डाल कर हवन किया जाय । उसने बाद गधमाल्य से उनकी पूजा करके एक गढा खोद कर उसमे उन्हें गाड दिया जाय । दूसरे पुष्य नक्षत्र मे उन्हें उखाड कर उनमे से एक ककडी को उपर्युक्त मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके बंद दरवाजे पर मार दिया जाय । उसके मारने से चार ककडी के बराबर किवाड मे छेद हो जायेगा । इसी प्रकार सारे दरवाजे पर छेद करके उसको तोडा या खोला जा सकता है ।

( १ ) चार रात तक उपवास करने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को किसी पुरुष की टूटी हुई हड्डी पर घैल की मूर्ति बनायी जाय । तदनन्तर उपर्युक्त विधि एव उपर्युक्त मन्त्र के द्वारा होम-पूजा आदि करके उस मूर्ति को अभिमन्त्रित किया जाय । ऐसा करने से वो बँलो से जुती हुई गाडी वहाँ उपस्थित हो जाती है । उसके द्वारा वह सायव आकाश या पृथ्वी पर कही भी घूम सकता है । -

( २ ) ताला तोडने तथा सुला देने का मन्त्र : 'सदा रविरवि.' आदि मन्त्र के प्रयोग की वही विधि है, जो दरवाजा खोलने वाले मन्त्र के प्रसंग मे बताया गया है ।

( ३ ) उक्त मन्त्र को विधिवत् सिद्ध करके ताला तोडा जा सकता है और सुलाया भी जा सकता है ।

( ४ ) धनुष की डोरी काटने का प्रयोग : तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्यनक्षत्र काल मे किसी ऐसे पुरुष की खोपडी मे, जो हथियार से मारा गया हो या शूली पर बँदाया गया हो, मिट्टी भर कर उसमे तोर या अरहर बी

(१) उदकाहिमस्त्रामुच्छ्वासमृत्तिकया स्त्रियाः पुह्यस्य वा पूरयेत्, नासिकाबन्धनं मुखग्रहश्च ।

(२) वराहवस्तिमुच्छ्वासमृत्तिकया पूरयित्वा मर्कटस्नायुनावबन्धीयाद्, आनाहकारणम् ।

(३) कृष्णचतुर्दश्यां शस्त्रहताया गोः कपिलायाः पित्तेन राजवृक्षमयीममित्रप्रतिमामञ्ज्यात्, अन्धीकरणम् ।

(४) चतुर्भक्तोपवासी कृष्णचतुर्दश्यां बलिं कृत्वा शूलप्रोतस्य पुह्यस्यास्थना कीलकान्कारयेत् । एतेषामेकः पुरीषे भूत्रे वा निखात आनाहं करोति; पादेऽस्यासने वा निखातः शोषेण मारयति; आपणे क्षेत्रे गृहे वा वृत्तिच्छेदं करोति ।

(५) एतेन कल्पेन विद्युद्दग्धस्य वृक्षस्य कीलका व्याख्याताः ।

दिया जाय और उसको जल से निरतर सींचा जाय । जब उसमें अकुर निकल आयें तो दूसरे पुष्पनक्षत्र काल में उसको उखाड़ कर उसको रस्सी बनवाई जाय । उस रस्सी के द्वारा धनुष की डोरी और यत्रो का भी छेदन किया जा सकता है ।

( १ ) जल में रहने वाले साँप की कँचुल को किसी छो या पुह्य की चिता के ऊपर की मिट्टी से भर लिया जाय । यह योग जिस पर भी प्रयोग किया जाय उसका मुँह और नाक बंद हो जाते हैं ।

( २ ) इसी तरह सूजर की आँत में चिता के ऊपर की मिट्टी भर कर उसे किसी बन्दर की नाडी से बाँध दिया जाय तो उस योग के प्रयोग से पाखाना रुका रह जाता है ।

( ३ ) यदि कृष्ण चतुर्दशी की तिथि में हथियार से मारी गयी कपिला के पित्त को अमलतास की शलाका से शत्रु की प्रतिमा की आँखों पर अजन की तरह लगाया जाय तो शत्रु अघा हो जाता है ।

( ४ ) चार रात तक उपवास करने के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में विधिपूर्वक बलि देकर फाँसी से भरे हुए किसी आदमी की हड्डी से बहुत-सी कीलें बनवायी जाय । उनमें से एक कील को जिसके भी पेशाब या पाखाने में गाड़ दिया जाता है उसका पाखाना पेशाब बंद हो जाता है । यदि किसी के जूते या आसन में इस कील को गाड़ दिया जाय तो वह व्यक्ति सूख-सूख कर मर जाता है । जिसकी दूकान, खेत या घर में यह कील गाड़ दी जाय उसकी आजीविका नष्ट हो जाती है ।

( ५ ) इसी प्रकार बज्र पड़े पैड़ की लकड़ी से बनाई गई कीलों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ।

- (१) पुनर्नवमवाचीनं निम्बः काकमधुश्च यः ।  
 कपिरोम मनुष्यास्य बद्ध्वा मृतकवाससा ॥  
 निखन्यते गृहे यस्य पिष्ट्वा वा घं प्रपापयेत् ।  
 सपुत्रदारः सघनस्त्रीन्पक्षान्नातिवर्तते ।
- (२) पुनर्नवमवाचीनं निम्बः काकमधुश्च यः ।  
 स्वयंगुप्ता मनुष्यास्य पदे यस्य निखन्यते ॥  
 द्वारे गृहस्य सेनाया ग्रामस्य नगरस्य वा ।  
 सपुत्रदारः सघनस्त्रीन् पक्षान्नातिवर्तते ॥
- (३) अजमकंटरोमाणि भार्जारनकुलस्य च ।  
 ब्राह्मणानां श्वपाकानां काकोलूकस्य चाहरेत् ॥  
 एतेन विष्टावक्षुण्णा सद्य उरसादकारिका ।
- (४) प्रेतनिर्मालिका किष्वं रोमाणि नकुलस्य च ॥  
 वृश्चिकाल्यहिकृत्तिश्च पदे यस्य निखन्यते ।  
 भवत्यपुरुषः सद्यो यावत्तन्नापनीयते ॥
- (५) त्रिरात्रोषोषितः पुष्येण शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः-  
 कपाले मृत्तिकायां गुञ्जा आवास्योदकेन च सेचयेत् । जातानामभावास्यायां

( १ ) दक्षिण की ओर पैदा होने वाला पुनर्नवा तथा जिसका फल कौबो के लिए स्वादुकर होता है, ऐसा काकमधु, नीम, बन्दर के बाल और मनुष्य की हड्डी, इन सबको मरे हुए आदमी के कपड़े में बाँध कर जिसके घर में गाड़ दिया जाता है अथवा जिसको पीस कर पिला दिया जाता है वह पुरुष डेढ़ मास के भीतर ही समस्त धन-जन के सहित विनष्ट हो जाता है ।

( २ ) दक्षिण की ओर पैदा होने वाला पुनर्नवा, काकमधु, नीम, घमासा ( स्वयंगुप्ता ) और मनुष्य की हड्डी, इन सबको जिसके घर, सेना, गाँव, नगर या दरवाजे पर गाड़ दिया जाता है वह व्यक्ति डेढ़ मास के भीतर समस्त धन-जन के सहित विनष्ट हो जाता है ।

( ३ ) बकरा, बन्दर, बिल्ली, नेवला, ब्राह्मण, चाण्डाल, कौआ और उल्लू, इन सबके बालों को इकट्ठा करके तथा जिसको भारना हो उसका पाखाता इन बालों के साथ मिलाकर उसका स्पर्श कराते ही उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है ।

( ४ ) मुँह पर ढाली गई माला, भुराबीज और नेवले के बाल इन सबको यदि बिच्छु, भौरा और साँप, इन तीनों की खाल के साथ मिलाकर किसी के स्थान पर गाड़ दिया जाय तो वह पुरुष तब तक नपुंसक बना रहता है, जब तक कि उसके स्थान से उन गडों हुई चीजों को न निकाला जाय ।

( ५ ) तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में हृदियार से मारे हुए

पौर्णमास्या वा पुष्ययोगिन्या गुञ्जावल्लीप्राहियित्वा मण्डलिकानि कारयेत् । तेष्वन्नपानभाजनानि न्यस्तानि न क्षीयन्ते ।

(१) रात्रिप्रेक्षाया प्रवृत्ताया प्रदीपाग्निषु मृतधेनो. स्तनानुत्कृत्य दाहयेत् । दग्धान् वृषभूत्रेण पेययित्वा नवकुम्भमन्तर्लेपयेत्; त ग्राममपसव्य परिणीय तत्र न्यस्त नवनीतमेपा तत्सर्वभागच्छतीति ।

(२) कृष्णचतुर्दश्या पुष्ययोगिन्यां शुनो लग्नकस्य योनौ कालापसीं मुद्रिका प्रेषयेत्; ता स्वय पतिता गृह्णीयात्, तथा वृक्षफलान्याकारितान्यागच्छन्ति ।

(३) मन्त्रभैषज्यसयुक्ता योगा मायाकृताश्च ये ।

उपहन्यादमित्रास्तैः स्वजन चाभिपालयेत् ॥

इति औपनिषदिके चतुर्दशोऽधिकरणे प्रलम्भने भैषज्यमन्त्रप्रयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ,  
आदित सप्तचत्वारिंशदधिकशततम ।

— ० —

या फाँसी लगे व्यक्ति की खोपड़ी में मिट्टी भर कर उसमें रती ( गुजा ) को दिये जाँय और उन्हें निरंतर सींचा जाय । जब उसमें लताएँ निकल आवें तब पुष्य नक्षत्र की अमावस्या या पूर्णमासी को उन गुजा की बेलों को उखाड़ कर उनका गोल घेरा बना दिया जाय । उस घेरे के बीच में रखी हुई खाने-पीने की सामग्री कभी खतम ही नहीं होती है ।

( १ ) रात में जिस समय कोई तमाशा हो रहा हो तब, मसाल की बाग से मरी हुई गाय के भ्रूलसे हुए धनो को काट कर उन्हें बैल के पेशाब के साथ पीसने के बाद एक कोरे घड़े के भीतर चारा और लीप दिया जाय । उस घड़े को बाईं ओर से गाँव की परिक्रमा करा के जिस जगह पर रखा जाय, गाँव भर का सारा मक्खन उस घड़े में स्रिंचा चला आता है ।

( २ ) पुष्य नक्षत्र की कृष्ण चतुर्दशी में किसी कामासक्त कुतिया की योनि में लोहे की एक अगूठी लगा दी जाय और जब वह अगूठी अपने आप गिर पड़े तो उसे ले लिया जाय । उसके बाद उस अगूठी के द्वारा जिस पेड़ का फल बुलाना हो फौरन अपने पास चला आता है ।

( ३ ) मन्त्र, औपधि और माया से युक्त ऊपर जिन योगों का निरूपण किया गया है, उनसे शत्रु का नाश और स्वजनो का उपकार करना चाहिए ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में भैषज्यमन्त्रप्रयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

— ० —

(१) स्वपक्षे परप्रयुक्तानां दूषिविषगराणां प्रतीकारे श्लेष्मातककपित्थ्यदन्तिदन्तशठगोजीशरीरपाटलीबलास्योनाकपुनर्नवाश्वेतावरणक्वायपुक्तं चन्दनसालावृकीलोहितयुक्तं तेजनोदकं राजोपभोग्यानां गुहाप्रक्षालनं स्त्रीणां सेनायाश्च विषप्रतीकारः ।

(२) पृषतनकुलनीलकण्ठगोधापित्तयुक्तं मयीराजिचूर्णं सिन्दुवारितवरणवारुणीतण्डुलीयकशतपर्वाप्रपिण्डीतकयोगो मदनदोषहरः ।

(३) सृगालविभ्रामदनसिन्दुवारितवरणवारुणवल्लीमूलकपापाणामन्यतमस्य समस्तानां वा क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम् ।

### शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगो का प्रतीकार

( १ ) शत्रु द्वारा किये गये दूषक तथा विष आदि के घातक प्रयोगो का प्रतीकार इस प्रकार करना चाहिए लहसोडा ( श्लेष्मातक ), कैंथा ( कपित्थ ), जमालषोटा ( दती ), जम्भीरी नींबू ( दतशठ ), गोभी ( गोजी ), सिरस ( सिरिष ), काली पादरी या पाटल ( पाटली ), खरैटी ( बला ), सोनापाठा ( स्मोनाक ), पुनर्नवा, शराव और वरनावृक्ष का काड़ा बना कर चदन, सालावृको ( बदरिया या सियारिन या कुतिया ) के रस से साफ कर बाँस के पानी ( तेजनोदक ) से राजा के उपयोग में आने वाली स्त्रियों की योनि, स्तन आदि गुहागो को साफ कराया जाय और सेना में प्रयुक्त विष का प्रतीकार किया जाय ।

( २ ) दागीमूग ( पृषतन ), नेवला, मोर और बोह के पित्त को काले सभासू ( मपी ) तथा राई के चूर्ण में मिलाकर बनाये गये योग से पागल बना देने वाले विषों का प्रतीकार किया जाय । सभासू, वरना, दूब ( बाहणी ), चौलाई, बाँस का अग्रभाग ( शतपर्वाप्र ) और मैनफल, इन सब चीजों का योग भी उन्मादजन्य दोषों का उपशमन करने वाला होता है ।

( ३ ) शृगालविभ्राम औषधि, धतूरा ( मदन ), संभासू ( सिधुवारित ), वरना ( वरण ) और गजपीपल ( वारुणवल्लीमूल ) इन सबकी जड़ों को मिलाकर अथवा उनका अलग-अलग काड़ा, दूध के साथ पीने से उन्माद पैदा करने वाले विषयोगो को शांत कर देता है ।



- (१) तूर्याणा तैः प्रलिप्ताना शब्दो विषविनाशनः ।  
लिप्तध्वज पताकां वा दृष्ट्वा भवति निर्विषः ॥
- (२) एतैः कृत्वा प्रतीकारं स्वसंन्यानामयात्मनः ।  
अमित्रेषु प्रयुञ्जीत विषधूमाम्बुदुषणान् ॥

इति औपनिषदिके चतुर्दशोऽधिकरणे स्वबलापघातप्रतीकारो नाम चतुर्थोऽध्यायः,  
आदिताऽष्टत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

समाप्तमिदमौपनिषदिकं चतुर्दशमधिकरणम् ।

— . ० . —

( १ ) गिलोय आदि औषधियों से चुपड़े गये वाद्यों का शब्द विष की नष्ट करने वाला होता है । इसी प्रकार इन्हीं औषधियों से लिप्त ध्वजाओं को देखकर भी विष का प्रभाव जाता रहता है ।

( २ ) विजिगीषु राजा को चाहिए कि उक्त सभी प्रकार की औषधियों द्वारा वह अपनी सेना की तथा अपनी रक्षा करके विपक्षी घुंए का और विपाक्त पानी का प्रयोग सदा अपने शत्रुओं पर करता रहे ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में स्वबलापघातप्रतीकार नामक  
चौथा अध्याय समाप्त

— . ० . —

पन्द्रहवाँ अधिकरण

•

तन्त्रयुक्ति

(१) मनुष्याणा वृत्तिरर्थं , मनुष्यवती भूमिरित्यर्थं , तस्या पृथिव्या लाभपालनोपाय शास्त्रमर्थशास्त्रमिति ।

(२) तद् द्वात्रिंशद्युक्तियुक्तम्—अधिकरण, विधान, योग, पदार्थ, हेत्वर्थ, उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, प्रदेश, उपमानम्, अर्थापत्ति, सशय, प्रसङ्ग, विपर्यय, वाक्यशेष, अनुमतम्, व्याख्यानम्, निर्वचन, निदर्शनम्, अपवर्ग, स्वसज्ञा, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, एकान्त, अनागतावेक्षणम्, अतिक्रान्तावेक्षणम्, नियोग, विकल्प समुच्चय, ऊह्यमिति ।

(३) यमर्थमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्—'पृथिव्या लामे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्ये प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि सहृत्पंकमिदमर्थशास्त्र कृतम्' ( अधि० १ अध्या० १ ) इति ।

### अर्थशास्त्र की युक्तियाँ

( १ ) मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं । मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं । इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है ।

( २ ) वह अर्थशास्त्र बत्तीस प्रकार की युक्तियों से समन्वित है जिनकी नामावली इस प्रकार है १ अधिकरण २ विधान ३ योग ४ पदार्थ ५ हेत्वर्थ ६ उद्देश्य ७ निर्देश ८ उपदेश ९ अपदेश १० अतिदेश ११ प्रदेश १२ उपमान १३ अर्थापत्ति १४ सशय १५ प्रसङ्ग १६ विपर्यय १७ वाक्यशेष १८ अनुमत १९ व्याख्यान २० निर्वचन २१ निदर्शन २२ अपवर्ग २३ स्वसज्ञा २४ पूर्वपक्ष २५ उत्तरपक्ष २६ एकान्त २७ अनागतावेक्षण २८ अतिक्रान्तावेक्षण २९ नियोग ३० विकल्प ३१ समुच्चय और ३२ ऊह्य ।

( ३ ) अधिकारपूर्वक कहे गये अर्थ का नाम अधिकरण है ग्रन्थारम्भ में जैसे सम्पूर्ण पृथिवी को प्राप्त करने तथा पालन करने का कथन कर संपूर्ण शास्त्र को एक अधिकरण बताया गया है । इसी प्रकार अपने-अपने अर्थों को अधिकारपूर्वक निरूपण करने वाले विनयाधिकारिक अध्यक्षप्रचार आदि अधिकरण हैं ।

(१) शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वो विधानम्—‘विद्यासमुद्देशः, वृद्धसंयोगः, इन्द्रियजयः, अमात्योत्पत्तिः’ (अधि० १. अध्या० १) इत्येवमादिकमिति ।

(२) वाक्ययोजना योगः—‘चतुर्वर्णाश्रमो लोकः’ (अधि० १. अध्या० ४) इति ।

(३) पदावधिकः पदार्थः—‘मूलहरः’ इति पदम् । ‘यः पितृपंतामहमर्थ-मन्यायेन भक्षयति स मूलहरः’ (अधि० २. अध्या० ९) इत्यर्थः ।

(४) हेतुरर्थसाधको हेत्वर्थः—‘अर्थमूलौ हि धर्मकामौ’ (अधि० १. अध्या० ७) इति ।

(५) समासवाक्यमुद्देशः—‘विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः’ (अधि० १. अध्या० ६) इति ।

(६) व्यासवाक्यं निर्देशः—‘कर्णस्वर्गाक्षिजिह्वाघ्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्श-रूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः’ (अधि० १ अध्या० ६) इति ।

(७) एवं वर्तितव्यमित्युपदेशः—‘धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत, न निःसुखः स्यात्’ (अधि० १, अध्या० ७) इति ।

(१) प्रकरण के अनुसार शास्त्र की आनुपूर्वी का कथन करना विधान कहा जाता है जैसे विद्यासमुद्देश, वृद्धसंयोग, इन्द्रियजय और अमात्योत्पत्ति आदि ।

(२) वाक्य-योजना को योग कहते हैं, जैसे ‘चतुर्वर्णाश्रमो लोक’ चारों वर्णाश्रम के लोग ।

(३) केवल पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, जैसे ‘मूलहर’ यह एक पद है उसका यह अर्थ कि ‘पितृक सम्पत्ति को अन्याय से नष्ट कर दे या अपहरण कर ले’ । यह ‘मूलहर’ पद का अर्थ है ।

(४) अर्थ को सिद्ध करने वाला हेतु हेत्वर्थ कहलाता है, जैसे धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर है ।

(५) सक्षिप्त वाक्य का कथन उद्देश कहलाता है, जैसे विद्या और विनय इन्द्रियजय पर निर्भर है ।

(६) विस्तृत वाक्य का कथन करना निर्देश कहलाता है, जैसे ‘नाक, रस, आँस, जीभ, कान को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि की ओर से बचाना ही इन्द्रियजय है ।

(७) ‘इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए’ ऐसा कहना उपदेश कहलाता है, जैसे : धर्म और अर्थ के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, इसके प्रतिकूल चलने वाला सुखी नहीं रहता है ।

(१) एवमसावाहेत्यपदेशः—'मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वीतेति मानवाः, षोडशेति बाहंस्पत्याः, विशतिमित्यौशनसाः, यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः' (अधि० १. अध्या० १५) ।

(२) उक्तेन साधनमतिदेशः—'दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम्' (अधि० ३. अध्या० १६) इति ।

(३) वक्तव्येन साधनं प्रवेशः—'सामदानभेददण्डैर्वा यथापत्सु व्याख्यास्यामः' (अधि० ७. अध्या० १४) इति ।

(४) दृष्टेनादृष्टस्य साधनमुपमानम्—'निवृत्तपरिहारान् पितेवानुगृह्णीयात्' (अधि० २. अध्या० १) इति ।

(५) यदनुक्तमर्यादापद्यते सार्थापत्तिः—'लोकयात्राविद् राजानमात्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नं प्रियहितद्वारेणाश्रयेत्' (अधि० ५. अध्या० ४) नाप्रियहितद्वारेणाश्रयेतेत्यर्यादापन्नं भवतीति ।

( १ ) 'अमुक व्यक्ति ने इस विषय में ऐसा कहा है' इस प्रकार दूसरे के मत को प्रकट करना अपदेश कहलाता है, जैसे मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि मन्त्रि-परिषद् में बारह अमात्य होने चाहिए । बृहस्पति के अनुयायियों के मत से उनकी सख्या सोलह उशना के अनुयायियों के मत से बीस और कौटिल्य के मत से सामर्थ्य के अनुसार अमात्यों की सख्या होनी चाहिए ।

( २ ) कही हुई बात से, न कही हुई बात को सिद्ध कर देना अतिदेश कहलाता है जैसे, दो गई वस्तुओं को न लौटाने पर श्रणदान-विषयक नियमों को समझ लेना चाहिए ।

( ३ ) आगे कही जाने वाली बात से न कही गई बात को सिद्ध कर देना प्रदेश कहलाता है, जैसे साम, दान, भेद और दण्ड के द्वारा वसा ही करना चाहिए, जैसे आपत्प्रकरण अध्याय में आगे कहा जायेगा ।

( ४ ) देखी हुई वस्तु से न देखी हुई वस्तु को सिद्ध करना उपमान कहलाता है, जैसे . यदि पुरवासी उस परिहार द्रव्य को चुकता कर दें तो राजा को पिता के समान उन पर अनुग्रह करना चाहिए ।

( ५ ) न कही हुई जो बात अर्थ से ही प्राप्त हो जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैं, जैसे लोक व्यवहार में पटु व्यक्तियों को चाहिए कि वे आत्मद्रव्य-प्रकृतिसपन्न राजा का आश्रय उसके प्रिय और हितैषी लोगों के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करें । अर्थात् 'अप्रिय और अहितकर लोगों के द्वारा आश्रय न लें', यह आशय उक्त सूत्र में अर्थापत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है ।

(१) उभयतो हेतुमानर्थः संशयः—क्षीणलुब्धप्रकृतिमपचरितप्रकृति वा' (अधि० ७. अध्या० ५) इति ।

(२) प्रकरणान्तरेण समानोऽर्थः प्रसङ्गः—'कृषिकर्मप्रदिष्टायां भ्रूमाविति समानं पूर्वण' ( अधि १. अध्या० ११ ) इति ।

(३) प्रतिलोभेन साधनं विपर्ययः—'विपरीतमतुष्टस्य' ( अधि० १. अ० १६ ) इति ।

(४) येन वाक्यं समाप्यते, स वाक्यशेषः—'छिन्नपक्षस्येव राजश्रेष्ठानाशश्रेति' (अधि० ८. अध्या० १) । तत्र शकुनेरिति वाक्यशेषः ।

(५) परवाक्यमप्रतिषिद्धमनुमतम्—'पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्योशनसो व्यूहविभागः' (अधि० १०. अध्या० ६) इति ।

(६) अतिशयवर्णना व्याख्यानम्—'विशेषतश्च सङ्घानां सङ्घघमिणां च राजकुलानां द्यूतनिमित्तो भेदः तन्निमित्तो विनाश इत्यसत्प्रग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्नदोर्वल्यात्' (अधि० ८. अध्या० ३) इति ।

(७) गुणतः शब्दनिष्पत्तिनिर्वचनम्—'व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम्' (अधि० ८. अध्या० १) इति ।

( १ ) एक ही बात जब दोनों विरोधी पक्षों की ओर से समान लगे तो उसे संशय कहते हैं, जैसे क्षीण-लुब्ध-प्रकृति और अपचरित प्रकृति, इन दोनों राजाओं में से पहिले किस राजा पर आक्रमण करना चाहिए ?

( २ ) दूसरे प्रकरण के साथ अर्थ की समानता होना प्रसंग कहलाता है, जैसे : छेत्री के लिए निर्दिष्ट भूमि के सबंध में पूर्ववत् नियम समझना चाहिए ।

( ३ ) विपरीत बातों से किसी वस्तु का निर्देश करना विपर्यय कहलाता है, जैसे इसमें विपरीत भाव होने पर उसको अपने से प्रसन्न समझे ।

( ४ ) जिससे वाक्य की समाप्ति हो उसे वाक्यशेष कहते हैं, जैसे . पक्ष बटे पक्षी की तरह राजा की समस्त चेष्टायें नष्ट हो जाती हैं । यहाँ पर 'पक्षी' ( शकुनि ) पर वाक्यशेष है ।

( ५ ) प्रतिषेध न किया हुआ दूसरे का वाक्य अनुमत कहलाता है, जैसे 'पक्ष, उरस्य और प्रतिग्रह इस प्रकार का व्यूह-विभाग उगना आचार्य ने किया है ।

( ६ ) सिद्ध अर्थ का अनेक मुक्तियों के द्वारा समर्थन करना व्याख्यान कहलाता है, जैसे : और विशेषत एकमत होकर एक साथ रहने वाले राजकुलों का द्यूत के कारण मतभेद हो जाने से दोनों का नाश हो जाता है । दुर्जन लोगों का साथ या सत्कार तथा मद्यपान अन्य सभी व्यसनों से बड़ा व्यसन है; क्योंकि उससे राजा का सारा शासनतन्त्र दुर्बल हो जाता है ।

( ७ ) अर्थान्वयपूर्वक किसी शब्द की सिद्धि करना निर्वचन कहलाता है, जैसे :

(१) दृष्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो निदर्शनम्—'विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाभ्युपैति' (अधि० ७. अध्या० ३) इति ।

(२) अभिप्लुतव्यपकरणमपवर्गः—'नित्यमासन्नमरिबलं वासयेदन्यत्राम्यन्तरकोपशङ्कायाः' (अधि० ९. अध्या० २) इति ।

(३) परंरसमितः शब्दः स्वसज्ञा—प्रथमा प्रकृतिस्तस्य भूम्यन्तरा द्वितीया भूम्येकान्तरा तृतीया (अधि० ६. अध्या० २) इति ।

(४) प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः—'स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीयः' (अधि० ८. अध्या० १) इति ।

(५) तस्य निर्णयनवाक्यमुत्तरपक्षः—'तदापत्तत्वात्, तत्कूटस्थानीयो हि स्वामी' (अधि० ८. अध्या० १) ।

(६) सर्वत्रायत्तमेकान्तः—'तस्माद्दुत्यानमात्मनः कुर्वीत' (अधि० १. अध्या० १९) इति ।

व्यसन शब्द का अर्थ ही यह है कि जो कल्याण मार्ग से भ्रष्ट कर दे—व्यस्यति एन श्रेयस इति व्यसनम् ।

( १ ) दृष्टांत देकर किसी बात का स्पष्टीकरण करना निदर्शन कहलाता है । जैसे - किसी शक्तिशाली से लड़ना ऐसा ही है, जैसे हाथी पर चढ़े हुए व्यक्ति से जमीन पर छड़े होकर युद्ध करना ।

( २ ) किसी नियम का सामान्यतया व्यापक निरूपण करते हुए उसके विषय को सङ्कुचित बना देना अपवर्ग कहलाता है, जैसे अपने राज्य के सीमांत प्रदेश में शत्रु-सेना को रहने दिया जाय, किन्तु यदि राज्य-क्रांति होने की सम्भावना हो तो उसको कदापि न टिकने दिया जाय ।

( ३ ) दूसरों के द्वारा सकेत न किये गये शब्द-प्रयोग को स्वसज्ञा कहते हैं, जैसे विजिगीषु के राष्ट्र के समीप जो राष्ट्र हो उसे प्रथमा प्रकृति, उसके बाद जो राष्ट्र हो उसे द्वितीया प्रकृति और उसके बाद भी जो राष्ट्र हो उसे तृतीया प्रकृति कहते हैं ।

( ४ ) प्रतिषेध किया जाने वाला वाक्य पूर्वपक्ष कहलाता है, जैसे : स्वामी और अमात्य-सबधी विपत्ति में अमात्य सबधी विपत्ति अधिक अनिष्टकर है ।

( ५ ) पूर्वपक्ष का निषेध करने वाला वाक्य उत्तरपक्ष कहलाता है, जैसे : अमात्य आदि प्रकृतियों का उत्थान-पतन राजा पर ही निर्भर होता है, क्योंकि सातो प्रकार की प्रकृतियों में राजा ही प्रधान ( कूटस्थानीय ) होता है ।

( ६ ) जो अर्थ किसी भी देश काल में न छोड़ा जा सके उमको एकांत कहते हैं, जैसे राजा को चाहिए कि वह सदा अपने को उन्नतिशील बनाने का यत्न करता रहे ।

(१) पञ्चादेवं विहितमित्यनागतावेक्षणम्—'तुलाप्रतिमानं पीतवाध्यक्ष वक्ष्यामः' (अधि० २. अध्या० १३) इति ।

(२) पुरस्तादेवं विहितमित्यतिक्रान्तावेक्षणम्—'अमात्यसम्पदुक्ता पुरस्तात्' (अधि० ६. अध्या० १) इति ।

(३) एवं नान्यथेति नियोगः—'तस्माद् धर्ममयं चास्योपदिशेन्नाधर्ममनयं च' (अधि० १. अध्या० १७) इति ।

(४) अनेन चानेन चेति विकल्पः—'दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः' (अधि० ३. अध्या० ५) इति ।

(५) अनेन चानेन चेति समुच्चयः—'स्वसञ्जातः पितृबन्धूनां च दायादः' (अधि० ३. अध्या० ७) इति ।

(६) अनुक्तकरणमूह्यम्—'यथावद् दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतौ स्यातां, तयानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः' (अधि० ३. अध्या० १६) इति ।

(७) एवं शास्त्रमिदं युक्तमेतामिस्तन्त्रयुक्तिभिः ।  
अवाप्तौ पालने चोक्तं लोकस्यास्य परस्य च ॥

( १ ) 'पीछे से इस प्रकार का विधान किया जायेगा', इस प्रकार कहना अनागतावेक्षण कहलाता है, जैसे तौलने के तरीकों का निरूपण आगे पीतवाध्यक्ष प्रकरण में किया जायेगा ।

( २ ) 'इस का निरूपण पहिले किया जा चुका है' ऐसा कहना अतिक्रान्तावेक्षण कहलाता है, जैसे . अमात्यो के गुणों का निरूपण पहिले किया जा चुका है ।

( ३ ) 'अमुक कार्यं इस ढंग से करना चाहिये, अन्यथा नहीं' ऐसा कहना नियोग कहलाता है, जैसे . इसलिये सरल बुद्धि बालको को सदा धर्म और अर्थ का ही उपदेश करना चाहिए; अधर्म और अनर्थ का कदापि नहीं ।

( ४ ) 'अमुक कार्यं इस तरह से किया जाना चाहिए अथवा इस तरह से?', ऐसा कहना विकल्प कहलाता है, जैसे उस सम्पत्ति के अधिकारी उसके पुत्र हों अथवा वे लड़कियाँ, जो धार्मिक विवाहों से पैदा हुई हैं ?

( ५ ) 'अमुक कार्यं इस तरह भी हो सकता है, और इस तरह भी' ऐसा कहना समुच्चय कहलाता है, जैसे पिता या उसके बान्धवों से उत्पन्न किया हुआ बालक उन दोनों की सम्पत्ति का दायभागी होता है ।

( ६ ) न कही हुई बात को कर लेना ऊह्य कहलाता है, जैसे : निपुण धर्मस्य व्यक्तियों को उचित है कि वे अनुरूप ( दान ) का इस प्रकार निर्णय करें, जिससे देने और लेने वाले, दोनों को कोई हानि न पहुँचे ।

( ७ ) इस प्रकार इस शास्त्र में बत्तीस तन्त्र-युक्तियों का निरूपण किया गया



- (१) धर्ममर्थं च कामं च प्रवर्तयति पाति च ।  
अधर्मानर्थं विद्वेषानिदं शास्त्रं निहन्ति च ॥
- (२) येन शास्त्रं च शास्त्रं च नन्दराजगता च भूः ।  
अमर्षेणोद्घृतान्याद्यु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥
- (३) दृष्ट्वा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम् ।  
स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च ॥

इति कौटिलीये अर्थशास्त्रे तन्त्रयुक्तौ पञ्चदशाधिकरणे तन्त्रयुक्तिर्नाम  
प्रथमोऽध्यायः, आदितश्चतुःशततमः ।

—: ० :—

एतावता कौटिलीयस्यार्थशास्त्रस्य तन्त्रयुक्तिः  
पञ्चदशमधिकरणं समाप्तम्

— ० —

है। इस लोक और परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा करने में यही शास्त्र सहायक बताया गया है ।

( १ ) यही अर्थशास्त्र धर्म, अर्थ तथा काम में प्रवृत्त करता है, उनकी रक्षा करता है और अर्थ के विरोधी अधर्मों को नष्ट करता है ।

( २ ) जिसने शास्त्र, शस्त्र और नन्दराजा के अधीनस्थ भूमि का शीघ्र उद्धार अपने क्रोध किया है, उसी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थ की रचना की है ।

( ३ ) प्राचीन अर्थ-शास्त्रों में बहुधा भाष्यकारों के मतभेदों को देखकर स्वयं ही विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र के सूत्रों और उनके भाष्य का निर्माण किया है ।

तन्त्रयुक्ति नामक पन्द्रहवें अधिकरण में तन्त्रयुक्ति नामक  
पहला अध्याय समाप्त

—: ० :—

चाणक्य-प्रणीत सूत्र

## चाणक्य-प्रणीत सूत्र

सुखस्य मूलं धर्मः ॥ १ ॥ धर्मस्य मूलमर्थः ॥ २ ॥ अर्थस्य मूलं राज्यम् ॥ ३ ॥ राज्यमूलमिन्द्रियजयः ॥ ४ ॥ इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः ॥ ५ ॥ विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा ॥ ६ ॥ वृद्धसेवाया विज्ञानम् ॥ ७ ॥ विज्ञाने-  
नात्मानं सम्पादयेत् ॥ ८ ॥ सम्पादितात्मा जितात्मा भवति ॥ ९ ॥ जितात्मा सर्वार्थैः संपुज्येत ॥ १० ॥ अर्थसम्पत्प्रकृतिसम्पदं करोति ॥ ११ ॥ प्रकृतिसम्पदा ह्यनायकमपि राज्यं नीयते ॥ १२ ॥ प्रकृतिकोपः सर्वकोपे-  
भ्यो गरीयान् ॥ १३ ॥

अविनीतस्वामिलाभादस्वामिलाभः श्रेयान् ॥ १४ ॥ सम्पाद्यात्मान-  
मन्विच्छेत् सहायवान् ॥ १५ ॥ नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः ॥ १६ ॥ नैकं चक्रं  
परिभ्रमयति ॥ १७ ॥ सहायः समसुखदुःखः ॥ १८ ॥

मानो प्रतिमानिनमात्मनि द्वितीयं मन्त्रमुत्पादयेत् ॥ १९ ॥ अविनीतं  
स्नेहमात्रेण न मन्त्रे कुर्वीत ॥ २० ॥ श्रुतवन्तमुपघाशुद्धं मन्त्रिणं कुर्वीत  
॥ २१ ॥ मन्त्रमूलाः सर्वरिम्भाः ॥ २२ ॥ मन्त्ररक्षणे कार्यसिद्धिर्भवति

सुख का मूल धर्म है ॥ १ ॥ धर्म का मूल अर्थ है ॥ २ ॥ अर्थ का मूल राज्य है  
॥ ३ ॥ राज्य का मूल इन्द्रियजय है ॥ ४ ॥ इन्द्रियजय का मूल विनय ( नम्रता )  
है ॥ ५ ॥ विनय का मूल वृद्धों की सेवा है ॥ ६ ॥ वृद्धों की सेवा का मूल विज्ञान  
है ॥ ७ ॥ इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को विज्ञान से सम्पन्न बनाए  
( आत्मोन्नति करे ) ॥ ८ ॥ जो पुरुष विज्ञान से सम्पन्न होता है वह स्वयं को भी  
जीत सकता है ॥ ९ ॥ अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य समस्त अर्थों से सम्पन्न  
होता है ॥ १० ॥ अर्थ-सम्पत्ति अमात्य आदि प्रकृति सम्पत्ति को देने वाली होती  
है ॥ ११ ॥ प्रकृति-सम्पत्ति, के द्वारा नेता-रहित राज्य का भी संचालन किया जा  
सकता है ॥ १२ ॥ अमात्य आदि का कोप सब कोपों में बड़ा होता है ॥ १३ ॥

अविनीत स्वामी के प्राप्त होने की अपेक्षा, स्वामी का न मिलना श्रेयस्कर है  
॥ १४ ॥ अपने आपको सर्व-सम्पन्न बना लेने के बाद ही सहायकों की इच्छा करनी  
चाहिए ॥ १५ ॥ सहायकहीन व्यक्ति के विचार अनिश्चित होते हैं ॥ १६ ॥ एक  
पहिये से गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता ॥ १७ ॥ सहायक वही है, जो अपने  
सुख-दुःख में सदा साथ रहे ॥ १८ ॥

मनस्वी राजा को चाहिए कि वह, अपने समान दूसरे मनस्वी व्यक्ति को ही  
अपना सलाहकार नियुक्त करे ॥ १९ ॥ विनयहीन व्यक्ति को, एकमात्र स्नेह के  
कारण, कभी भी सलाह के समय सम्मिलित नहीं करना चाहिए ॥ २० ॥ बहुश्रुत  
एवं सब तरह से परोक्षित व्यक्ति को ही मन्त्री नियुक्त करना चाहिए ॥ २१ ॥ समस्त

॥ २३ ॥ मन्त्रवित्रावी कार्यं नाशयति ॥ २४ ॥ प्रमादाद् द्विपता वशमुप-  
यास्यति ॥ २५ ॥ सर्वद्वारेभ्यो मन्त्रो रक्षितव्यः ॥ २६ ॥ मन्त्रसम्पदा  
राज्यं वर्धते ॥ २७ ॥ श्रेष्ठतमां मन्त्रमुप्तिमाहूः ॥ २८ ॥ कार्यान्धस्य  
प्रदीपो मन्त्रः ॥ २९ ॥ मन्त्रचक्षुषा परिच्छिद्राण्यवलोकयन्ति ॥ ३० ॥

मन्त्रकाले न मत्सरः कर्तव्यः ॥ ३१ ॥ त्रयाणामेकवाक्ये सम्प्रत्ययः  
॥ ३२ ॥ कार्याकार्यतत्त्वायं दशिनो मन्त्रिणः ॥ ३३ ॥ षट्कर्णाद् भिद्यते  
मन्त्रः ॥ ३४ ॥

आपत्सु स्नेहसंयुक्तं मित्रम् ॥ ३५ ॥ मित्रसंग्रहणे बलं संपद्यते ॥ ३६ ॥  
बलवानलब्धलामे प्रयतते ॥ ३७ ॥ अलब्धलामो नालसस्य ॥ ३८ ॥  
अलसस्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्यते ॥ ३९ ॥ न चालसस्य रक्षितं विवर्धते  
॥ ४० ॥ न मृत्यान् प्रेषयति ॥ ४१ ॥

अलब्धलामादिचतुष्टयं राज्यतन्त्रम् ॥ ४२ ॥ राज्यतन्त्रायत्तं नीति-  
शास्त्रम् ॥ ४३ ॥ राज्यतन्त्रेवायत्तो तन्त्रावापो ॥ ४४ ॥ तन्त्रं स्वविषय-  
कृत्येवायत्तम् ॥ ४५ ॥ आवापो मण्डलनिविष्टः ॥ ४६ ॥ सन्धिविग्रह-

कार्य-व्यापार मन्त्र पर ही निर्भर है ॥ २२ ॥ मन्त्र की रक्षा करने से ही कार्य की  
सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ मन्त्र का भेद खोल देने वाला व्यक्ति कार्य को नष्ट कर देना  
है ॥ २४ ॥ प्रमाद करने से ( व्यक्ति ) शत्रु के वश में चला जाता है ॥ २५ ॥ इस-  
लिए सभी प्रकार से मन्त्र की रक्षा करनी चाहिए ॥ २६ ॥ मन्त्र की सुरक्षा से राज्य  
की सहाय्य होती है ॥ २७ ॥ मन्त्र को गुप्त रखना बड़े महत्त्व की बात है ॥ २८ ॥  
वर्णव्यावर्तन के ज्ञान से रहित राजा के लिए मन्त्र दीपक के तुल्य है ॥ २९ ॥  
मन्त्ररूपी आँसु से राजा अपने शत्रु के दोषों को देख लेता है ॥ ३० ॥

मन्त्र के समय ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ॥ ३१ ॥ तीन व्यक्तियों की एक राय  
होने पर किसी विषय का निश्चय किया जा सकता है ॥ ३२ ॥ कार्य और अवार्थ की  
वास्तविकता को देखने वाले मन्त्री होते हैं ॥ ३३ ॥ छह धारों में जाते ही मन्त्र का  
भेद प्रकट हो जाता है ॥ ३४ ॥

जो व्यक्ति आपत्ति के समय, स्नेह से अपने साथ बना रहे, वही मित्र है ॥ ३५ ॥  
अधिक मित्रों के बना लेने से अपना बल बढ जाता है ॥ ३६ ॥

बलवान् व्यक्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करता है ॥ ३७ ॥ आलसी  
व्यक्ति अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है ॥ ३८ ॥ यदि कदाचित् उसको प्राप्त  
हो जाये तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाता ॥ ३९ ॥ उसके द्वारा रक्षित वस्तु बढ़ती  
नहीं है ॥ ४० ॥ न वह अपने मृत्युवर्ण को ही वितरित करता है ॥ ४१ ॥

अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का मरक्षण, सरक्षित का सर्वद्वेन और सर्वद्वित का  
वितरण—ये चार ही राज्य के सर्वस्व हैं ॥ ४२ ॥ राज्यतन्त्र ( राजस्थिति ) का  
आधार नीतिशास्त्र है ॥ ४३ ॥ तन्त्र और आवाप राज्यतन्त्र के अधीन होते हैं

योनिर्मण्डलः ॥ ४७ ॥ नीतिशास्त्रानुगो राजा ॥४८॥ अनन्तरप्रकृतिः शत्रुः  
॥ ४९ ॥ एकान्तरितं मित्रमिष्यते ॥ ५० ॥ हेतुतः शत्रुमित्रे भविष्यतः  
॥ ५१ ॥ हीपमानः सन्धि कुर्वीत ॥ ५२ ॥ तेजो हि सन्धानहेतुस्तदर्थानाम्  
॥ ५३ ॥ नातप्तलोहो लोहेन संघीयते ॥ ५४ ॥

बलवान् हीनेन विगृह्णीयात् ॥ ५५ ॥ न ज्यायसा समेन वा ॥ ५६ ॥  
गजपादयुद्धमिव बलवद्विग्रहः ॥ ५७ ॥ आमपात्रमामेन सह विनश्यति  
॥ ५८ ॥ अरिप्रयत्नमभिसमीक्षेत ॥ ५९ ॥ सन्धायकतो वा ॥ ६० ॥

अमित्रविरोधादात्मरक्षामावसेत् ॥ ६१ ॥

शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत् ॥ ६२ ॥ दुर्बलाश्रयो दुःखमावहति ॥ ६३ ॥  
अग्निवद्भ्राजानमाश्रयेत् ॥ ६४ ॥ राज्ञः प्रतिकूल नाचरेत् ॥ ६५ ॥ उद्धत-  
वेपधरो न भवेत् ॥ ६६ ॥ न देवचरितं चरेत् ॥ ६७ ॥

॥ ४४ ॥ अपने देश में सामदामादि उपायो का प्रयोग ही 'आयत्त' कहलाता है  
॥ ४५ ॥ बाहरी राज्यमण्डल में प्रयुक्त सामदामादि उपायो को ही 'आवाप' कहते हैं  
॥ ४६ ॥ सन्धि और विग्रह का निर्णय मण्डल पर निर्भर होता है ॥ ४७ ॥ राजा  
उसको कहते हैं, जो नीति शास्त्र के अनुसार राज्य का संचालन करे ॥ ४८ ॥ अपने  
देश से जुड़ो हुई राज्य सीमा का राजा अपना शत्रु है ॥ ४९ ॥ एक राज्य के बाद  
अगला राजा अपना मित्र है ॥ ५० ॥ किसी कारणवश ही कोई राजा शत्रु या मित्र  
बनता है ॥ ५१ ॥ कमजोर को सन्धि कर लेनी चाहिए ॥ ५२ ॥ तज से ही कार्य-  
सिद्धि होती है ॥ ५३ ॥ ठंडा लोहा गरम लोहे से नहीं जुड़ता है ॥ ५४ ॥

बलवान् राजा को चाहिए कि वह दुर्बल राजा से झगडा कर ले ॥ ५५ ॥ अपने  
से बड़े या बराबर वाले के साथ झगडा न करे ॥ ५६ ॥ बलवान् के साथ किया गया  
विग्रह वैसा ही होता है, जैसे गज सैन्य से पदाति सैन्य का मुकाबला ॥ ५७ ॥ कच्चा  
वर्तन, कच्चे वर्तन के साथ मिडकर टूट जाता है । इसलिए बराबर वाले के साथ भी  
लड़ाई नहीं करनी चाहिए ॥ ५८ ॥ शत्रु के प्रयत्न का सदा भलीभाँति निरीक्षण  
करते रहना चाहिए ॥ ५९ ॥ अनेक शत्रु होने पर एक शत्रु से सधि कर लेनी  
चाहिए ॥ ६० ॥

शत्रु के विरोध को भली प्रकार तजबीजना चाहिए, या तो अनेक शत्रु होने पर,  
एक शत्रु से सन्धि कर लेनी चाहिए । शत्रु के द्वारा किये जाने वाले विरोध से अपनी  
रक्षा करनी चाहिए ॥ ६१ ॥

शक्तिहीन राजा को चाहिये कि वह बलवान् का आश्रय ले ले ॥ ६२ ॥ दुर्बल  
का आश्रय लेने वाला राजा सदा दुःख उठाता है ॥ ६३ ॥ आश्रयी राजा के समीप  
उसी प्रकार रहना चाहिए, जैसे आग के समीप रखा जाता है ॥ ६४ ॥ राजा के  
प्रतिकूल कभी भी आचरण न करे ॥ ६५ ॥ उद्धत वेग धारण न करे ॥ ६६ ॥  
देवताओं के चरित्र की नकल न करे ॥ ६७ ॥

द्वयोरपीर्ष्यतोर्द्वेषीभावं कुर्वीत ॥ ६८ ॥

न व्यसनपरस्य कार्यावाप्तिः ॥ ६९ ॥ इन्द्रियवशवर्ती चतुरङ्गवानपि विनश्यति ॥ ७० ॥ नास्ति कार्यं द्यूतप्रवृत्तस्य ॥ ७१ ॥ मृगयापरस्य धर्माथो विनश्यत ॥ ७२ ॥ अर्थपणा न व्यसनेषु गण्यते ॥ ७३ ॥ न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम् ॥ ७४ ॥ अग्निदाहादपि विशिष्ट वाक्पारुष्यम् ॥ ७५ ॥ दण्डपारुष्यात् सर्वजनद्वेष्यो भवति ॥ ७६ ॥ अर्थतोषिणं धीः परित्यजति ॥ ७७ ॥

अमित्रो दण्डनीत्यामायत्त ॥ ७८ ॥ दण्डनीतिमघितिष्ठन् प्रजाः संरक्षति ॥ ७९ ॥ दण्डं सम्पदा योजयति ॥ ८० ॥ दण्डामावे मन्त्रिवर्गामावः ॥ ८१ ॥ न दण्डादकार्याणि कुर्वन्ति ॥ ८२ ॥ दण्डनीत्यामायत्तमात्मरक्षणम् ॥ ८३ ॥ आत्मनि रक्षिते सर्वं रक्षितं भवति ॥ ८४ ॥ आत्मायत्तौ वृद्धि-विनाशी ॥ ८५ ॥ दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयते ॥ ८६ ॥ दुर्बलोऽपि राजा नावमन्तव्यः ॥ ८७ ॥ नास्त्यग्नेदौर्बल्यम् ॥ ८८ ॥

दण्डे प्रतीयते वृत्तिः ॥ ८९ ॥ वृत्तिमूलमर्थलाभः ॥ ९० ॥ अर्थमूलौ

अपने से बँर रखने वाले दो राजाओ के बीच फूट डाल दे ॥ ६८ ॥

व्यसनो के चगुल में पड़े हुए राजा की कभी भी कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ ६९ ॥ इन्द्रयो के वश में पड़ा हुआ राजा, चतुरंग सेना के होने पर भी, विनष्ट हो जाता है ॥ ७० ॥ जुये में फँसे हुए राजा की कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ ७१ ॥ शिकार में व्यसन रखने वाले राजा के धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ७२ ॥ अर्थ की अभिलाषा को व्यसन में नहीं गिना जाता ॥ ७३ ॥ कामासक्त राजा का कोई कार्य नहीं बन पाता ॥ ७४ ॥ धाणी की कठोरता अग्निदाह से भी बढ कर होती है ॥ ७५ ॥ कठोर दण्ड वाला राजा समस्त प्रजा का शत्रु हो जाता है ॥ ७६ ॥ अर्थतोषो राजा को लक्ष्मी छोड देती है ॥ ७७ ॥

शत्रु को वश में करना दण्डनीति पर निर्भर है ॥ ७८ ॥ दण्डनीति का आश्रय लेता हुआ राजा समस्त प्रजा की रक्षा करता है ॥ ७९ ॥ दण्ड से सम्पत्ति बढती है ॥ ८० ॥ दण्डशक्ति के अभाव में मन्त्रिसमूह विच्छिन्न हो जाता है ॥ ८१ ॥ दण्डशक्ति के कारण वे लोग न करने योग्य कार्यों को नहीं करते हैं ॥ ८२ ॥ अपनी सुरक्षा भी दण्डनीति पर निर्भर है ॥ ८३ ॥ अपनी सुरक्षा किये जाने के बाद ही दूसरे की रक्षा की जा सकती है ॥ ८४ ॥ उत्पान और विनाश, दोनों अपने ही हाथों में हैं ॥ ८५ ॥ भली भाँति सोच विचार करके दण्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए ॥ ८६ ॥ किसी राजा को दुर्बल समझ कर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ ८७ ॥ अग्नि को कौन दुर्बल कह सकता है ॥ ८८ ॥

दण्ड के आधार पर ही व्यवहार का ज्ञान होता है ॥ ८९ ॥ अर्थ की प्राप्ति

धर्मकामौ ॥ ९१ ॥ अर्थमूलं कार्यम् ॥ ९२ ॥ यदल्पप्रयत्नात् कार्यसिद्धि-  
र्भवति ॥ ९३ ॥ उपायपूर्वं न दुष्करं स्यात् ॥ ९४ ॥ अनुपायपूर्वं कार्यं  
कृतमपि नश्यति ॥ ९५ ॥ कार्यार्थिनामुपाय एव सहायः ॥ ९६ ॥ कार्यं  
पुरुषकारेण लक्ष्यं सम्पद्यते ॥ ९७ ॥ पुरुषकारमनुवर्तते दैवम् ॥ ९८ ॥  
दैवं विनाऽतिप्रयत्नं करोति यत् तद् विफलम् ॥ ९९ ॥ असमाहितस्य  
वृत्तिर्न विद्यते ॥ १०० ॥

पूर्वं निश्चित्य पश्चात् कार्यमारभेत ॥ १०१ ॥ कार्यान्तरे दीर्घसूत्रता  
न कर्तव्या ॥ १०२ ॥ न चलचित्तस्य कार्यावाप्तिः ॥ १०३ ॥ हस्तगता-  
वमाननात् कार्यव्यतिक्रमो भवति ॥ १०४ ॥ दोषवर्जितानि कार्याणि दुर्ल-  
भानि ॥ १०५ ॥ दुरनुबन्धं कार्यं नारभेत ॥ १०६ ॥

कालवित् कार्यं साधयेत् ॥ १०७ ॥ कालातिक्रमात् काल एव फलं  
पिबति ॥ १०८ ॥ क्षणं प्रति कालविक्षेपं न कुर्यात् सर्वकृत्येषु ॥ १०९ ॥  
देशफलविभागौ ज्ञात्वा कार्यमारभेत ॥ ११० ॥ दैवहीनं कार्यं सुसाधमपि  
दुःसाधं भवति ॥ १११ ॥

नीतिज्ञो देशकालौ परीक्षेत ॥ ११२ ॥ परीक्ष्यकारिणि श्रीश्वरं

व्यवहारमूलक है ॥ ९० ॥ धर्म और काम अर्थमूलक होते हैं ॥ ९१ ॥ कार्य ही अर्थ  
का मूल है ॥ ९२ ॥ इसी से थोड़ा भी प्रयत्न करने पर कार्य की सिद्धि हो जाती है  
॥ ९३ ॥ उपाय से किया जाने वाला कोई भी कार्य कठिन नहीं होता ॥ ९४ ॥ जो कार्य  
उपाय से नहीं किया जाता वह किया कराया भी नष्ट हो जाता है ॥ ९५ ॥ कार्य-  
सिद्धि चाहने वाले लोगों के लिए उपाय ही परम सहायक है ॥ ९६ ॥ पुरुषार्थ से कार्य  
को लक्ष्य बनाया जा सकता है ॥ ९७ ॥ भाग्य भी पुरुषार्थ का अनुगमन करता  
है ॥ ९८ ॥ भाग्य के बिना, बड़े प्रयत्न से किया गया कार्य भी विफल हो जाता  
है ॥ ९९ ॥ असावधान व्यक्ति में व्यवहारकुशलता नहीं होती ॥ १०० ॥

निश्चय करने के बाद ही कार्य को आरम्भ करे ॥ १०१ ॥ एक के बाद दूसरे  
कार्य को करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए ॥ १०२ ॥ चल चित्त वाले व्यक्ति  
की कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ १०३ ॥ हाथ में आयी हुई वस्तु का तिरस्कार कर देने  
पर काम बिगड़ जाता है ॥ १०४ ॥ बिरले ही ऐसे कार्य हैं, जो दोषरहित हो ॥ १०५ ॥  
दुःखपूर्ण तथा कष्टसाध्य कार्यों को आरम्भ ही नहीं करना चाहिए ॥ १०६ ॥

समय की गति-विधि जानने वाला व्यक्ति कार्य को सिद्ध करे ॥ १०७ ॥ कार्य  
की अवधि बीत जाने पर काल ही उस कार्य के फल को पी जाता है ॥ १०८ ॥  
अतः किसी भी कार्य में क्षण-भर का विलम्ब न करे ॥ १०९ ॥ देश और फल का  
विवेचन करके ही कार्य का आरंभ करे ॥ ११० ॥ दैव के विपरीत होने पर सरल  
कार्य भी कठिन हो जाता है ॥ १११ ॥

नीतिज्ञ व्यक्ति को चाहिये कि वह देश-काल का भलीभाँति विचार कर

तिष्ठति ॥ ११३ ॥ सर्वाश्च सम्पदः सर्वोपायेन परिग्रहेत् ॥ ११४ ॥ माय-  
घन्तमपरोक्षकारिणं श्रीः परित्यजति ॥ ११५ ॥ ज्ञानानुमानंश्च परोक्षा  
कर्तव्या ॥ ११६ ॥

यो यस्मिन् कर्मणि कुशलस्तं तस्मिन्नेव योजयेत् ॥ ११७ ॥ दुःसाध-  
मपि सुसाधं करोत्युपायज्ञः ॥ ११८ ॥ अज्ञानिना कृतमपि न बहु मन्त-  
व्यम् ॥ ११९ ॥ यादृच्छिक्त्यात् कृमिरपि रूपान्तराणि करोति ॥ १२० ॥  
सिद्धस्यैव कार्यस्य प्रकारानं कर्तव्यम् ॥ १२१ ॥

ज्ञानवतामपि देवमानुषदोषात् कार्याणि दुष्यन्ति ॥ १२२ ॥ देवं  
शान्तिकर्मणा प्रतिषेद्धव्यम् ॥ १२३ ॥ मानुषीं कार्यविपत्तिं कौशलेन विनि-  
वारयेत् ॥ १२४ ॥ कार्यविपत्तौ दोषान् वर्णयन्ति बालिशाः ॥ १२५ ॥

कार्यायिना दाक्षिण्यं न कर्तव्यम् ॥ १२६ ॥ क्षीरार्थो घत्सो मातुह्यः  
प्रतिहन्ति ॥ १२७ ॥ अग्रयत्नात् कार्यविपत्तिर्भवेत् ॥ १२८ ॥ न देव-  
प्रमाणानां कार्यसिद्धिः ॥ १२९ ॥ कार्यबाह्यो न पोषयत्याश्रितान् ॥ १३० ॥  
यः कार्यं न पश्यति सोऽन्धः ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्षपरोक्षानुमानैः कार्याणि  
परीक्षेत ॥ १३२ ॥ अपरोक्षकारिणं श्रीः परित्यजति ॥ १३३ ॥ परोक्ष

ले ॥ ११० ॥ विचारशील व्यक्ति के पास लक्ष्मी चिरकाय तक बनी रहती है ॥ ११३ ॥  
साम्रामादि सब उपायों के द्वारा लक्ष्मी प्रकारकी सम्पत्ति का सचय करे ॥ ११४ ॥  
भाग्यशाली होने पर भी अविचारशील व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ ११५ ॥  
प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा प्रत्येक वस्तु को परीक्षा करना चाहिए ॥ ११६ ॥

जो जिस कार्य को करने में निपुण हो उसको उसी कार्य में नियुक्त करना  
चाहिए ॥ ११७ ॥ उपायों का जानने वाला व्यक्ति कठिन कार्य को भी सहज बना  
देता है ॥ ११८ ॥ अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्य को अधिक महत्त्व नहीं  
देना चाहिए ॥ ११९ ॥ कभी-कभी एक साधारण कीटा भी रूप बदल लेता है ॥ १२० ॥  
जो कार्य सफल हो गया हो उसको ही प्रमाणित किया जाना चाहिए ॥ १२१ ॥

विज्ञ पुरुषों के भी कार्य देवदोष तथा मानुषदोषों से दूषित ( अक्षय ) हो  
जाते हैं ॥ १२२ ॥ शांति-कर्मों के अनुष्ठान द्वारा देव का प्रतीकार करना चाहिए ॥ १२३ ॥  
मानुष विपत्तियों का निवारण अपने कौशल से करना चाहिए ॥ १२४ ॥ किसी कार्य  
में विपत्ति के आ जाने पर मूर्ख व्यक्ति उसमें दोष दिखाते हैं ॥ १२५ ॥

कार्यसिद्धि के वाक्यांश की व्यक्ति को चाहिए कि वह भोला भाला न बना रहे  
॥ १२६ ॥ बड़का भी दुध के लिए माता के अयनों ( दुध ) पर आघात करता है  
॥ १२७ ॥ प्रयत्न न करने पर निश्चित ही कार्यों में विपत्ति आ जाती है ॥ १२८ ॥  
देव को प्रमाण मानने वाले की कभी भी कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ १२९ ॥ कार्य से  
पृथक् रहने वाला व्यक्ति अपने आश्रितों का पोषण नहीं कर सकता ॥ १३० ॥ जो  
जो अपने कार्यों को नहीं देखता वह अंधा है ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान



तार्या विपत्तिः ॥ १३४ ॥ स्वर्शाक्तं ज्ञात्वा कार्यमारभेत ॥ १३५ ॥ स्वजनं तर्पयित्वा यः शेषमोजी सोऽमृतमोजी ॥ १३६ ॥ सर्वानुष्ठानादायमुखानि वर्धन्ते ॥ १३७ ॥

नास्ति भीरोः कार्यचिन्ता ॥ १३८ ॥

स्वामिनः शीलं ज्ञात्वा कार्यार्यो कार्यं साधयेत् ॥ १३९ ॥ धेनोः शीलज्ञः क्षीरं भुङ्क्ते ॥ १४० ॥

सुद्रे गुह्यप्रकाशनमात्मवान् न कुर्यात् ॥ १४१ ॥ आश्रितैरप्यवमन्यते मृदुस्वभावः ॥ १४२ ॥ तोक्ष्णदण्डः सर्वद्वेजनीयो भवति ॥ १४३ ॥ ययार्हदण्डकारी स्यात् ॥ १४४ ॥ अल्पसारं श्रुतवन्तमपि न बहु मन्यते लोकः ॥ १४५ ॥ अतिमारः पुरुषमवसादयति ॥ १४६ ॥

यः ससदि परदोषं शंसति स स्वदोषं प्रत्यापयति ॥ १४७ ॥ आत्मानमेव नाशयत्यनात्मवता कोपः ॥ १४८ ॥

नास्त्यप्राप्यं सत्यवताम् ॥ १४९ ॥ साहसेन न कार्यसिद्धिर्भवति

प्रमाणो से कार्यो की परीक्षा करनी चाहिए ॥ १३२ ॥ बिना विचारे कार्यं करने वाले पुरुष को लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ १३३ ॥ भली भाँति विचार करके विपत्ति को दूर करना चाहिए ॥ १३४ ॥ अपनी शक्ति का अन्दाजा लगा कर ही किसी कार्य को आरम्भ करना चाहिए ॥ १३५ ॥ स्वजनो ( पारिवारिक तथा भृत्य ) को भरपेट भोजन कराके जो अवशिष्ट अन्न को खाता है वह अमृत को खाता है ॥ १३६ ॥ सब तरह के कार्यों को करने से आमदनी के रास्ते खुल जाते हैं ॥ १३७ ॥

कामचोर या अनुद्यमी व्यक्ति को अपने कार्यों की कोई चिन्ता नहीं होती ॥ १३८ ॥

कार्यार्यो को चाहिए कि वह अपने स्वामी के स्वभाव को जान कर ही कार्यं को सफल बनाये ॥ १३९ ॥ जो व्यक्ति गाय के स्वभाव से परिचित होता है, वही उसके दूध का उपभोग करता है ॥ १४० ॥

विचारवान् व्यक्ति को चाहिए कि वह क्षुद्र विचार के व्यक्तियों पर अपनी गुह्य बातों को प्रकट न करे ॥ १४१ ॥ सरल स्वभाव के राजा का उसके आश्रित व्यक्ति ही तिरस्कार कर देते हैं ॥ १४२ ॥ तीव्र स्वभाव के राजा से सभी व्यक्ति बचैन रहते हैं ॥ १४३ ॥ अतः राजा ऐसा होना चाहिए, जो उचित दण्ड का निर्धारण करे ॥ १४४ ॥ शास्त्रज्ञ, किन्तु दुर्बल राजा का प्रजा अधिक सम्मान नहीं करती ॥ १४५ ॥ अधिक भार पुरुष को क्षिप्त कर देता है ॥ १४६ ॥

जो व्यक्ति सभासफल पर किसी दूसरे व्यक्ति के अवगुणों का प्रख्यापन करने की चेष्टा करता है वह प्रकारान्तर से अपनी ही अयोग्यता का परिचय देता है ॥ १४७ ॥ स्वयं को वश में न रखने वाले श्रेष्ठी पुरुष को उसका श्रेष्ठ ही नष्ट कर डालता है ॥ १४८ ॥

सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्लभ बुद्ध नहीं है ॥ १४९ ॥

॥ १५० ॥ व्यसनार्तो विस्मरत्यप्रवेशेन ॥ १५१ ॥ नास्त्यनन्तरायः काल-  
विक्षेपे ॥ १५२ ॥ असंशयविनाशात् सशयविनाशः श्रेयान् ॥ १५३ ॥

परधनानि निक्षेप्तुः केवल स्वार्थम् ॥ १५४ ॥

दानं धर्मः ॥ १५५ ॥ नार्यागतोऽर्थवद् विपरीतोऽनर्थभावः ॥ १५६ ॥  
यो धर्माथो न विवर्धयति स कामः ॥ १५७ ॥ तद्विपरीतोऽनर्थसेवी ॥ १५८ ॥

ऋजुस्वभावपरो जनेषु दुर्लभः ॥ १५९ ॥ अवमानेनागतमैश्वर्यमव-  
मन्यते साधुः ॥ १६० ॥ बहूनपि गुणानेको दोषो प्रसति ॥ १६१ ॥ महा-  
त्मना परेण साहसं न कर्तव्यम् ॥ १६२ ॥ कदाचिदपि चरित्र न लङ्घयेत्  
॥ १६३ ॥ क्षुधार्तो न तृण चरति सिंहः ॥ १६४ ॥ प्राणादपि प्रत्ययो  
रक्षितव्यः ॥ १६५ ॥ पिशुनः श्रोता पुत्रदारैरपि त्यज्यते ॥ १६६ ॥

बालादप्यर्थजात शृणुयात् ॥ १६७ ॥ सत्यमप्यध्रद्धेयं न वदेत् ॥ १६८ ॥  
नाल्पदोषाद् बहुगुणास्त्यज्यन्ते ॥ १६९ ॥ विपश्चित्स्वपि सुलभा दोषाः  
॥ १७० ॥ नास्ति रत्नमखण्डितम् ॥ १७१ ॥ मर्यादातीतं न कदाचिदपि

केवल साहस से कार्य सिद्ध नहीं होते ॥ १५० ॥ विपत्तियो के टल जाने पर विपद्ग्रस्त  
पुरुष विपत्तियो को भूल जाता है ॥ १५१ ॥ अवसर चूक जाने पर कार्यों में अवश्य  
ही बाधा उपस्थित हो जाती है ॥ १५२ ॥ अवश्यभावी ( असंशय ) विनाश की  
अपेक्षा सविद्य ( सशययुक्त ) विनाश अच्छा है ॥ १५३ ॥

किसी स्वार्थवश ही दूसरे के धन को अमानत पर रखा जाता है ॥ १५४ ॥

दान करना धर्म है ॥ १५५ ॥ वंश्य वृत्ति से किया हुआ यह धर्म ( दान देना )  
सफल नहीं होता । मनुष्य के लिए दान धर्म का न करना सर्वथा अनर्थकारी है  
॥ १५६ ॥ जो, धर्म और अर्थ का अपकर्ष नहीं करता उसी को 'काम' कहा जाता  
है ॥ १५७ ॥ धर्म और अर्थ के अपकर्षक काम के आसेवन से निश्चित ही अनर्थ  
होता है ॥ १५८ ॥

मनुष्यो में ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है, जो सर्वथा सरल स्वभाव का हो ॥ १५९ ॥  
तिरस्कार से उपलब्ध ऐश्वर्य को, सत्पुरुष, ठुकरा देते हैं ॥ १६० ॥ अनेक गुणों को  
एक ही दोष प्रसित कर लेता है ॥ १६१ ॥ श्रेष्ठ धर्मात्मा शत्रु के साथ युद्ध नहीं  
करना चाहिए ॥ १६२ ॥ सदाचार का उल्लंघन न करना चाहिए ॥ १६३ ॥ यद्यपि  
सिंह भूखा हो तब भी जिनके नहीं खाता ॥ १६४ ॥ प्राणों की बलि देकर भी अपने  
विश्वास की रक्षा करनी चाहिए ॥ १६५ ॥ धुगली करने और मुनने वाले पुरुष को  
उसके स्त्री-पुत्र भी छोड़ देते हैं ॥ १६६ ॥

बालक की भी उचित बात को ग्रहण करना चाहिए ॥ १६७ ॥ ऐसी सच्चाई  
नहीं बरतनी चाहिए, जिसका विश्वास ही न किया जा सके ॥ १६८ ॥ थोड़े से दोष  
से बहुत सारे गुणों को नहीं छोड़ा जा सकता ॥ १६९ ॥ विद्वान् पुरुषों में भी दोष  
का हो जाना सम्भव है ॥ १७० ॥ ( उसी प्रकार जैसे ) कोई भी रत्न समूचा नहीं

विश्वसेत् ॥ १७२ ॥ अप्रिये कृतं प्रियमपि द्वेष्यं भवति ॥ १७३ ॥ नम-  
न्यपि तुलाकोटिः कूपोदक्क्षयं करोति ॥ १७४ ॥

सतां मतं नातिक्रमेत् ॥ १७५ ॥ गुणवदाश्रयाश्रिगुणोऽपि गुणी भवति  
॥ १७६ ॥ क्षीराश्रितं जलं क्षीरमेव भवति ॥ १७७ ॥ मृत्पिण्डोऽपि पाटलि-  
गन्धमुत्पादयति ॥ १७८ ॥ रजतं कनकसङ्गात् कनकं भवति ॥ १७९ ॥

उपकर्तार्यंपकर्तुमिच्छत्यबुधः ॥ १८० ॥ न पापकर्मणामात्रोशमयम्  
॥ १८१ ॥ उत्साहवता शत्रवोऽपि वशीभवन्ति ॥ १८२ ॥ विक्रमघना  
राजानः ॥ १८३ ॥ नास्त्यलसस्यैहिकामुष्मिकम् ॥ १८४ ॥ निरुत्साहाद्  
दैवं पतति ॥ १८५ ॥ मत्स्यार्योऽपि जलमुपयुज्यार्थं गृह्णीयात् ॥ १८६ ॥  
अविश्वस्तेषु विश्वासो न कर्तव्यः ॥ १८७ ॥ विषं विषमेव सर्वकालम्  
॥ १८८ ॥

अर्थसमादाने वीरिणां सङ्ग एव न कर्तव्यः ॥ १८९ ॥ अर्थसिद्धौ वीरिणं  
न विश्वसेत् ॥ १९० ॥ अर्थाधीन एव नियतसम्बन्धः ॥ १९१ ॥ शत्रोरपि  
सुतः सखा रक्षितव्यः ॥ १९२ ॥

होता ॥ १७१ ॥ मर्यादा से अधिक विश्वास कभी न करना चाहिए ॥ १७२ ॥ शत्रु  
सबध में किया गया अच्छा कार्य, बुरा ही समझा जाता है ॥ १७३ ॥ भुकती हुई  
भी ढींकली की बल्ली कुएँ के जल को उलीच देती है ॥ १७४ ॥

श्रेष्ठ पुरुषों के अभिमत का अतिक्रमण न करना चाहिए ॥ १७५ ॥ गुणी पुरुष  
के आश्रय से गुणहीन भी गुणी हो जाता है ॥ १७६ ॥ दूध में मिला हुआ जल भी  
दूध ही हो जाता है ॥ १७७ ॥ मिट्टी का टैला पाटलि पुष्प के ससर्ग से उसकी  
गंध को उत्पन्न करता है ॥ १७८ ॥ चाँदी भी, सोने के साथ मिलकर सोना ही हो  
जाती है ॥ १७९ ॥

मूर्ख व्यक्ति उपकारक व्यक्ति का भी अपकार करना चाहता है ॥ १८० ॥ पाप-  
कर्म करने वाले को निन्दा-भय नहीं होता ॥ १८१ ॥ उत्साही पुरुषों के शत्रु भी वश  
में हो जाते हैं ॥ १८२ ॥ राजाओं का मुख्य धन है विक्रम ( बल ) ॥ १८३ ॥  
आलसी व्यक्ति को न ऐहिक सुख प्राप्त होता है और न पारलौकिक ॥ १८४ ॥  
उत्साहहीन होने पर भाग्य भी साथ नहीं देता ॥ १८५ ॥ उपयोग में आने योग्य अर्थ  
को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए, जैसे मछियारा मछली को ॥ १८६ ॥ अविश्वस्त  
पुरुष पर कभी विश्वास न करना चाहिए ॥ १८७ ॥ विष तो प्रत्येक अवस्था में विष  
ही रहता है ॥ १८८ ॥

अर्थ संप्रह करते समय शत्रु को कदापि भी साथ न रखना चाहिए ॥ १८९ ॥  
अर्थमिद्ध हो जाने पर भी शत्रु का विश्वास न करना चाहिए ॥ १९० ॥ नियत  
सम्बन्ध अर्थ के ही अधीन होता है ॥ १९१ ॥ यदि शत्रु का भी पुत्र अपना मित्र हो  
तो उसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ १९२ ॥

यावच्छत्रोश्छिद्रं पश्यति तावद्धस्तेन वा स्कन्धेन वा बाह्यः ॥ १९३ ॥  
 शत्रु छिद्रे प्रहरेत् ॥ १९४ ॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत् ॥ १९५ ॥  
 छिद्रप्रहारिणः शत्रवः ॥ १९६ ॥ हस्तगतमपि शत्रुं न विश्वसेत् ॥ १९७ ॥  
 स्वजनस्य दुर्वृत्तं निवारयेत् ॥ १९८ ॥ स्वजनावमानोऽपि मनस्विनां दुःख-  
 मावहति ॥ १९९ ॥ एकाङ्गदोषः पुरुषमवसादयति ॥ २०० ॥  
 शत्रुं जयति सुवृत्तता ॥ २०१ ॥ निकृतिप्रिया नीचाः ॥ २०२ ॥  
 नीचस्य मतिर्न दातव्या ॥ २०३ ॥ तेषु विश्वाप्तो न कर्तव्यः ॥ २०४ ॥  
 सुपूजितोऽपि दुर्जनः पीडयत्येव ॥ २०५ ॥ चन्दनादीनपि दावोऽग्निर्दह-  
 त्येव ॥ २०६ ॥

कदाऽपि पुरुषं नावमन्येत ॥ २०७ ॥ क्षन्तव्यमिति पुरुषं न वाधेत  
 ॥ २०८ ॥

भर्त्राधिकं रहस्युक्तं वक्तुमिच्छन्त्यबुद्धयः ॥ २०९ ॥ अनुरागस्तु फलेन  
 सूच्यते ॥ २१० ॥ आज्ञाफलमैश्वर्यम् ॥ २११ ॥ दातव्यमपि बालिशः  
 परिश्लेशेन दास्यति ॥ २१२ ॥ महर्दश्वर्यं प्राप्याप्यघृतिमान् विनश्यति  
 ॥ २१३ ॥ नास्त्यघृतेरैहिकामुष्मिकम् ॥ २१४ ॥

जब तक शत्रु के दोष या निबलता ( छिद्र ) का पता नहीं लग जाता तब तक उसको हाथ-कंधी पर रखना चाहिए ॥ १९३ ॥

जहाँ भी शत्रु की दुबलता दिखायी दे वहीं उस पर प्रहार करना चाहिये ॥ १९४ ॥ अपने दोष या अपनी दुबलता को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए ॥ १९५ ॥ जो दोष या दुबलता पर प्रहार करते हैं उन्हें घत्र समझना चाहिए ॥ १९६ ॥ अपनी मुट्ठी में भी आये हुए शत्रु का विश्वास न करना चाहिए ॥ १९७ ॥ स्वजनो के दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए ॥ १९८ ॥ स्वजनो का अपमान भी श्रेष्ठ पुरुषो के लिए दुःखदायी होता है ॥ १९९ ॥ एक साधारण दोष भी पुरुष को नष्ट कर देता है ॥ २०० ॥

सद्व्यवहार से शत्रु को भी जीना जा सकता है ॥ २०१ ॥ नीच पुरुषो को अपमानित होता ही भला लगता है ॥ २०२ ॥ नीच पुरुष को कभी भी सुमति न देनी चाहिए ॥ २०३ ॥ उन पर विश्वास भी न करना चाहिए ॥ २०४ ॥ सत्कार किये जाने पर भी दुर्जन पीडा ही पहुँचाता है ॥ २०५ ॥ जगल में लगी आग चन्दन आदि को भी जला ही लेती है ॥ २०६ ॥

किसी भी पुरुष का कभी भी तिरस्कार न करना चाहिए ॥ २०७ ॥ किसी भी पुरुष को कभी भी वाधित न करके समा कर देना चाहिए ॥ २०८ ॥

एकान्त में कही गयी अपने मालिक की बात को, मूर्ख व्यक्ति, बड़ा बड़ा कर कहता है ॥ २०९ ॥ प्रेम का परिचय उसके फल से सूचित होता है ॥ २१० ॥ बुद्धि का ही पल ऐश्वर्य है ॥ २११ ॥ देने योग्य वस्तु को भी मूर्ख पुरुष बड़े बड़े से दे

न दुर्जनैः सह संसर्गः कर्तव्यः ॥ २१५ ॥ शौण्डहस्तगतं पयोऽप्यव-  
मन्येत ॥ २१६ ॥ कार्यसंकटेऽप्यव्यवसायिनो बुद्धिः ॥ २१७ ॥

मितभोजनं स्वास्थ्यम् ॥ २१८ ॥ पथ्यमपथ्यं वाऽजीर्णं नाशनीयात्  
॥ २१९ ॥ जीर्णभोजनं व्याधिर्नोपसर्पति ॥ २२० ॥ जीर्णशरीरे वर्धमानं  
व्याधि नोपेक्षेत ॥ २२१ ॥ अजीर्णं भोजनं दुःखम् ॥ २२२ ॥ शत्रोरपि  
विशिष्यते व्याधिः ॥ २२३ ॥

दानं निधानमनुगामि ॥ २२४ ॥ पटुतरे तृष्णापरे सुलभमतिस्नधानम्  
॥ २२५ ॥ तृष्णया मतिश्छाद्यते ॥ २२६ ॥ कार्यबहुत्वे बहुफलभायतिकं  
कुर्यात् ॥ २२७ ॥ स्वयमेवावस्कन्नं कार्यं निरीक्षंत ॥ २२८ ॥

मूर्खेषु साहसं नियतम् ॥ २२९ ॥ मूर्खेषु विवादो न कर्तव्यः ॥ २३० ॥  
मूर्खेषु मूर्खवत्कथयेत् ॥ २३१ ॥ आयसंरायसं छेद्यम् ॥ २३२ ॥ नास्त्य-  
धीमतः सखा ॥ २३३ ॥

पाता है ॥ २१२ ॥ धैर्यहीन व्यक्ति महान् ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी नष्ट हो  
जाता है ॥ २१३ ॥ धैर्यहीन पुरुष को न तो ऐहिक सुख प्राप्त होता है और न पार-  
लौकिक ॥ २१४ ॥

दुर्जन की संगति न करना चाहिए ॥ २१५ ॥ कलाल के हाथ में यदि दूध भी  
हो तो उसकी कद्र नहीं होती ॥ २१६ ॥ कार्यों में सक्कट उपस्थित हो जाने पर जो  
बुद्धि अर्थ का निश्चय करती है, वही वास्तविक बुद्धि है ॥ २१७ ॥

परिमित भोजन करना ही स्वास्थ्य का लक्षण है ॥ २१८ ॥ अजीर्ण (बदहजमी)  
होने पर पथ्य या अपथ्य कुछ भी न खाना चाहिए ॥ २१९ ॥ एक बार का भोजन  
पच जाने के बाद जो भोजन करता है उसको कोई भी व्याधि नहीं लगती ॥ २२० ॥  
बुद्ध शरीर में बढ़ती हुई व्याधि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ २२१ ॥ अजीर्णा-  
वस्था में भोजन करना दुःखदायी होता है ॥ २२२ ॥ व्याधि शत्रु से भी बढ़कर कष्ट-  
कर होती है ॥ २२३ ॥

जैसा कोप हो वैसा ही दान दिया जाना चाहिए ॥ २२४ ॥ अति तृष्णा  
वाले व्यक्ति को वस में कर लेना आसान होता है ॥ २२५ ॥ तृष्णा, बुद्धि को ढक लेती  
है ॥ २२६ ॥ अनेक कार्यों के उपस्थित हो जाने पर उसी कार्य को पहले करना  
चाहिए, जो भविष्य में अधिक फल देने वाला है ॥ २२७ ॥ आक्रमण आदि के कार्य  
का राजा को स्वयमेव निरीक्षण करना चाहिए ॥ २२८ ॥

मूर्खों में लड़ाई भगडा करने का माहा (साहस) अवश्य होता है ॥ २२९ ॥  
मूर्खों से विवाद न करना चाहिए ॥ २३० ॥ मूर्खों के साथ मूर्ख की तरह बहना  
चाहिए ॥ २३१ ॥ सोहे को सोहे से ही काटा जा सकता है ॥ २३२ ॥ बुद्धिहीन  
व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता ॥ २३३ ॥

धर्मेण धार्यते लोकः ॥ २३४ ॥ प्रेतमपि धर्माधर्माविनुगच्छतः ॥ २३५ ॥  
 दया धर्मस्य जन्मभूमिः ॥ २३६ ॥ धर्ममूले सत्यदाने ॥ २३७ ॥ धर्मेण  
 जयति लोकान् ॥ २३८ ॥ मृत्युरपि धर्मिष्ठं रक्षति ॥ २३९ ॥ धर्माद्वि-  
 परीतं पापं यत्र प्रसज्यते तत्र धर्माधर्मतिर्महती प्रसज्यते ॥ २४० ॥ उप-  
 स्थितविनाशानां प्रकृत्या कारणे कार्येण लक्ष्यते ॥ २४१ ॥ आत्मविनाशं  
 सूचयत्यधर्मबुद्धिः ॥ २४२ ॥ पिशुनवादिनो न रहस्यम् ॥ २४३ ॥ पर-  
 रहस्यं नैव श्रोतव्यम् ॥ २४४ ॥ वल्लभस्य कारकत्वमधर्मयुक्तम् ॥ २४५ ॥  
 स्वजनेष्वतिक्रमो न कर्तव्यः ॥ २४६ ॥ माताऽपि दुष्टा त्याज्या  
 ॥ २४७ ॥ स्वहस्तोऽपि विषदिग्धश्छेद्यः ॥ २४८ ॥ परोऽपि च हितो बन्धुः  
 ॥ २४९ ॥ कक्षादप्यौषधं गृह्यते ॥ २५० ॥ नास्ति चोरेषु विश्वासः  
 ॥ २५१ ॥ अप्रतीकारेष्वनादरो न कर्तव्यः ॥ २५२ ॥ व्यसनं मनागपि  
 बाधते ॥ २५३ ॥

अमरवदर्थं जातमर्जयेत् ॥ २५४ ॥ अर्थवान् सर्वलोकस्य बहुमतः  
 ॥ २५५ ॥ महेन्द्रमप्यर्थहीनं न बहु मन्यते लोकः ॥ २५६ ॥ दारिद्र्यं खलु  
 पुरुषस्य जीवितं मरणम् ॥ २५७ ॥ विरूपोऽर्थवान् सुरूपः ॥ २५८ ॥  
 अदातारमप्यर्थवन्तमर्थिनो न त्यजन्ति ॥ २५९ ॥ अकुलीनोऽपि धनी

धर्म ही मसार को धारण किये हुए है ॥ २३४ ॥ धर्म और अधर्म दोनों मृत  
 पुरुष के साथ जाते हैं ॥ २३५ ॥ दया ही धर्म की जन्मभूमि है ॥ २३६ ॥ राज्य  
 और दान धर्ममूलक होते हैं ॥ २३७ ॥ धर्म के द्वारा प्राणियों को जीता जा सकता  
 है ॥ २३८ ॥ मृत्यु भी धर्मात्मा पुरुष की रक्षा करती है ॥ २३९ ॥ जहाँ-जहाँ धर्म  
 के विरुद्ध पाप का प्रसार होता है वहाँ-वहाँ धर्म का बड़ा अपकार होता है ॥ २४० ॥  
 स्वभाव या कार्य से आसन्न विनाश की परिस्थिति को जाना जाता है ॥ २४१ ॥  
 अधर्मबुद्धि ही अधर्मात्मा के विनाश की सूचना दे देती है ॥ २४२ ॥ चुगुलखोर व्यक्ति की  
 बात छिपी नहीं रहती ॥ २४३ ॥ दूसरे की गुप्त बात को न सुनना चाहिए ॥ २४४ ॥  
 स्वामी का कठोर होना अधर्मयुक्त है ॥ २४५ ॥

स्वजनों का अतिक्रमण न करना चाहिए ॥ २४६ ॥ माता भी यदि दुष्ट हो तो  
 उसको छोड़ देना चाहिए ॥ २४७ ॥ विष से भरा हुआ यदि अपना हाथ भी हो तो  
 उसे काट देना चाहिए ॥ २४८ ॥ हित करने वाला बाहरी व्यक्ति भी अपना भाई है  
 ॥ २४९ ॥ सूखे जंगल से भी औषधि को प्राप्त किया जा सकता है ॥ २५० ॥ चोरो  
 पर विश्वास नहीं करना चाहिए ॥ २५१ ॥ बाधारहित कर्म के करने में उपेक्षा न  
 करनी चाहिए ॥ २५२ ॥ थोड़ा भी व्यसन बड़ा बष्टकर होता है ॥ २५३ ॥

स्वयं को अमर समझ कर अर्थों का अर्जन करना चाहिए ॥ २५४ ॥ धनवान्  
 व्यक्ति सबका माम्र होता है ॥ २५५ ॥ अर्थहीन इन्द्र को भी संसार बड़ा नहीं  
 समझता ॥ २५६ ॥ पुरुष की दरिद्रता, जीवितावस्था में ही मृत्यु है ॥ २५७ ॥ कुरूप

कुलीनाद्विशिष्टः ॥ २६० ॥ नास्त्यवमानभयमनार्यस्य ॥ २६१ ॥ न चेतन-  
यतां वृत्तिभयम् ॥ २६२ ॥ न जितेन्द्रियाणां विषयभयम् ॥ २६३ ॥ न  
कृतार्थानां मरणभयम् ॥ २६४ ॥

कस्यचिदर्थं स्वमिव मन्यते साधुः ॥ २६५ ॥ परविभवेश्वादरो न  
कर्तव्यः ॥ २६६ ॥ परविभवेश्वादरोऽपि नाशमूलम् ॥ २६७ ॥ पलालमपि  
परद्रव्यं न हर्तव्यम् ॥ २६८ ॥ परद्रव्यापहरणमात्मद्रव्यनाशहेतुः ॥ २६९ ॥  
न क्षीयति परं मृत्युपाशः ॥ २७० ॥ यवागूरपि प्राणधारणं करोति काले  
॥ २७१ ॥ न मृतस्योषधं प्रयोजनम् ॥ २७२ ॥ समकाले स्वयमपि प्रभु-  
स्यस्य प्रयोजनं भवति ॥ २७३ ॥

नीत्तस्य विद्याः पापकर्मणि योजयन्ति ॥ २७४ ॥ पयःपातमपि विप-  
वर्धनं भुजङ्गस्य नामृतं स्यात् ॥ २७५ ॥ न हि धान्यसमो ह्यर्थः ॥ २७६ ॥  
न क्षुधासमः शत्रुः ॥ २७७ ॥ अकृतेनियता क्षुत् ॥ २७८ ॥ नास्त्यमक्षयं  
क्षुधितस्य ॥ २७९ ॥

इन्द्रियाणि जरावशं कुर्वन्ति ॥ २८० ॥ सानुक्रीशं भर्तारमाजीयेत्

धनवान् भी रूपवान् समभा जाता है ॥ २५८ ॥ न देने वाले धनवान् को भी याचक  
लोग नहीं छोड़ने ॥ २५९ ॥ निम्नकुल मे पैदा हुषा भी धनी पुरुष उच्चकुलोत्पन्न  
पुरुष से बडा समभा जाता है ॥ २६० ॥ नीच पुरुष को अपने निरस्कार का भय  
नही होना ॥ २६१ ॥ पतुर पुरुष को जीविका का भय नही होता ॥ २६२ ॥  
जितेन्द्रिय पुरुष को विषयो का भय नही होना ॥ २६३ ॥ आशमर्ता पुरुष को मृत्यु  
का भय नही होता ॥ २६४ ॥

जो सज्जन पुरुष होना है यह पराने अर्थ को अपने ही अर्थ की भाँति मानता है  
॥ २६५ ॥ दूसरे के वैभव की लिप्सा न बरनी चाहिए ॥ २६६ ॥ दूसरे के वैभव की  
लिप्सा करना भी नाश का कारण होना है ॥ २६७ ॥ पतालमान भी ( पौडा भी )  
दूसरे के द्रव्य का अपहरण न करना चाहिए ॥ २६८ ॥ दूसरे के द्रव्य का अपहरण  
करना अपने द्रव्य का नाश करना है ॥ २६९ ॥ चोरी से बड़कर कोई भी दुतदायी  
बन्धन नही है ॥ २७० ॥ उचित समय पर प्राप्त सपत्नी ( यवागूर ) भी प्राणरक्षा  
होती है ॥ २७१ ॥ मृतक व्यक्ति का औषधि से कोई प्रयोजन नही होता ॥ २७२ ॥  
समय आने पर ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है ॥ २७३ ॥

नीच पुरुष की विद्यायें उसे पापकर्म के प्रवृत्त करती हैं ॥ २७४ ॥ सर्व को दूध  
पिताने पर उसका विष ही बड़ता है, वह अमृत नही बनता ॥ २७५ ॥ अन्न से  
बड़कर दूसरा धन नही है ॥ २७६ ॥ भूरा से बड़कर दूसरा शत्रु नहीं है ॥ २७७ ॥  
अकर्मण्य व्यक्ति को बभी-न-कभी भूरा का कष्ट भोगना ही पडता है ॥ २७८ ॥ भूषे  
मनुष्य के लिए कुक्ष भी अभव्य नही है ॥ २७९ ॥

इन्द्रियाँ मनुष्य को बुझावस्था मे अपने वश मे कर लेती हैं ॥ २८० ॥ कृपाशु

॥ २८१ ॥ लुब्धसेवी पावकेच्छया खद्योतं घमति ॥ २८२ ॥ विशेषतं स्वामिनमाश्रयेत् ॥ २८३ ॥

पुरुषस्य मैथुनं जरा ॥ २८४ ॥ स्त्रीणाममैथुनं जरा ॥ २८५ ॥ न नीचोत्तमयोर्वैवाहः ॥ २८६ ॥ अगम्यागमनादायुर्यशःपुण्यानि क्षीयन्ते ॥ २८७ ॥

नास्त्यहंकारसमः शत्रुः ॥ २८८ ॥ संसदि शत्रुं न परिक्रोशेत् ॥ २८९ ॥ शत्रुव्यसनं ध्वणसुखम् ॥ २९० ॥ अघनस्य बुद्धिर्न विद्यते ॥ २९१ ॥ हितमप्यघनस्य वाक्यं न गृह्यते ॥ २९२ ॥ अघनः स्वभार्ययाऽप्यवमन्यते ॥ २९३ ॥ पुष्पहीनं सहकारमपि नोपासते छमराः ॥ २९४ ॥ विद्याघनमघनानाम् ॥ २९५ ॥ विद्या चौरैरपि न ग्राह्या ॥ २९६ ॥ विद्यया ह्यापिता ह्यातिः ॥ २९७ ॥ यशःशरीरं न विनश्यति ॥ २९८ ॥

यः परार्यमुपसर्पति स सत्पुरुषः ॥ २९९ ॥ इन्द्रियाणां प्रशमं शास्त्रम् ॥ ३०० ॥ अशास्त्रकार्यवृत्तौ शास्त्रांकुशं निवारयति ॥ ३०१ ॥ नीचस्य विद्या नोपेतव्या ॥ ३०२ ॥ स्लेच्छभाषणं न शिक्षेत ॥ ३०३ ॥ स्लेच्छानामपि सुवृत्तं ग्राह्यम् ॥ ३०४ ॥ गुणे न मत्सरः कर्तव्यः ॥ ३०५ ॥ शत्रोरपि सुगुणो ग्राह्यः ॥ ३०६ ॥ विषादप्यमृतं ग्राह्यम् ॥ ३०७ ॥

स्वामी की सेवा करके जीविकोपार्जन करना चाहिए ॥ २८१ ॥ कृपण स्वामी के सेवक की वही दशा होती है जो आग प्राप्त करने के लिए जुगुनु को पखे से ऋलने वाले की होती है ॥ २८२ ॥ विद्वान् (विशेषज्ञ) स्वामी का आश्रय प्राप्त करना चाहिए ॥ २८३ ॥

अधिक मैथुन से पुरुष शीघ्र ही वृद्ध हो जाता है ॥ २८४ ॥ मैथुन न करने से स्त्री शीघ्र वृद्ध हो जाती है ॥ २८५ ॥ नीच और उच्च व्यक्तियों में परस्पर विवाह-संबन्ध नहीं हो सकता ॥ २८६ ॥ वेश्या आदि (अगम्य) स्त्रियों के साथ सहवास करने से आयु, यश और पुण्य नष्ट हो जाते हैं ॥ २८७ ॥

अहंकार से बढकर दूसरा शत्रु नहीं है ॥ २८८ ॥ सभा में शत्रु की निन्दा न करनी चाहिए ॥ २८९ ॥ शत्रु का दुःख सुनकर कानों को आनन्द मिलता है ॥ २९० ॥ निर्धन पुरुष की बुद्धि नहीं होती ॥ २९१ ॥ धनहीन व्यक्ति की हितकर बात को भी नहीं सुना जाता ॥ २९२ ॥ निर्धन व्यक्ति की स्त्री भी पति का अरमान कर बैठती है ॥ २९३ ॥ पुष्परहित आम के पास भौरे नहीं जाते ॥ २९४ ॥ निर्धन के लिए विद्या ही एकमात्र धन है ॥ २९५ ॥ विद्याघन की चोर भी नहीं चुरा सकता ॥ २९६ ॥ विद्या के द्वारा ही ह्याति प्राप्त होती है ॥ २९७ ॥ यशरूपी शरीर का कभी नाश नहीं होता ॥ २९८ ॥

जो मनुष्य परोपकार के लिए आगे बढता है, वही सत्पुरुष है ॥ २९९ ॥ शास्त्र-ज्ञान से इन्द्रियां शान्त होती हैं ॥ ३०० ॥ अयुक्त कार्यों में प्रवृत्त व्यक्ति को शास्त्र का अकुण ही समय में लगाता है ॥ ३०१ ॥ नीच पुरुष की विद्या की अवहेलना नहीं करनी चाहिए ॥ ३०२ ॥ स्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ३०३ ॥



अवस्थया पुरुषः सम्मान्यते ॥३०८॥ स्यान् एव नराः पूज्यन्ते ॥३०९॥  
आर्यवृत्तमनुतिष्ठेत् ॥ ३१० ॥ कदापि मर्यादां नातिक्रमेत् ॥ ३११ ॥  
नास्त्यर्थः पुरुषरत्नस्य ॥ ३१२ ॥ न स्त्रीरत्नसमं रत्नम् ॥ ३१३ ॥ सुदुर्लभं  
रत्नम् ॥ ३१४ ॥

अयशोभयं भयेषु ॥ ३१५ ॥ नास्त्यलसस्य शास्त्रागमः ॥ ३१६ ॥ न  
स्त्रैणस्य स्वर्गाप्तिर्घर्मकृत्यं च ॥ ३१७ ॥

स्त्रियोऽपि स्त्रैणमवमन्यते ॥ ३१८ ॥ न पुण्यायां सिचति शुक्तरत्नम्  
॥ ३१९ ॥ अद्रव्यप्रयत्नो बालुकाक्वयनादनन्यः ॥ ३२० ॥ न महाजन-  
हासः कर्तव्यः ॥ ३२१ ॥ कार्यसम्पदं निमित्तानि सूचयन्ति ॥ ३२२ ॥  
नक्षत्रादपि निमित्तानि विशेषयन्ति ॥ ३२३ ॥ न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा  
॥ ३२४ ॥

परिचये शोषा न छाद्यन्ते ॥३२५॥ स्वयमशुद्धः परानाशङ्कते ॥३२६॥  
स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ३२७ ॥

म्लेच्छ व्यक्ति की भी अच्छी बात को अपना लेना चाहिए ॥ ३०४ ॥ दूसरे के अच्छे  
गुणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ॥ ३०५ ॥ शत्रु में भी यदि अच्छे गुण दिखायी दें  
तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ३०६ ॥ विष में यदि अमृत हो तो उसे भी ले  
लेना चाहिए ॥ ३०७ ॥

अवस्था के अनुसार ही पुरुष को सम्मान प्राप्त होता है ॥ ३०८ ॥ अपने स्थान  
पर बने रहने से ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है ॥ ३०९ ॥ मनुष्य को चाहिए कि  
वह सदा थोड़ा पुरुषों के आचरण का अनुसरण करे ॥ ३१० ॥ मर्यादा का कभी भी  
उल्लंघन न करना चाहिए ॥ ३११ ॥ पुरुषरत्न का कोई मूल्य नहीं है ॥ ३१२ ॥  
स्त्रीरत्न से बड़कर दूसरा रत्न नहीं है ॥ ३१३ ॥ रत्न का मिलना बड़ा कठिन  
होता है ॥ ३१४ ॥

समस्त भयों में अपयश का भय बड़ा है ॥ ३१५ ॥ आतसी पुरुष को कभी शास्त्र  
की प्राप्ति नहीं होती ॥ ३१६ ॥ स्त्री में आसक्त पुरुष को न तो स्वर्ग मिलता है और  
न उसके द्वारा कोई धर्मकार्य हो पाता है ॥ ३१७ ॥

स्त्रियाँ भी स्त्रैण पुरुष का अपमान कर देती हैं ॥ ३१८ ॥ फूलों का इच्छुन  
व्यक्ति मूँचे पेंड को नहीं छींचता ॥ ३१९ ॥ धन के बिना किसी कार्य का उद्योग  
करना बालू से तेल निकालने के समान है ॥ ३२० ॥ महापुरुषों का उपहास नहीं  
करना चाहिए ॥ ३२१ ॥ किसी कार्य के लक्षण ही उसकी सिद्धि या असिद्धि की  
सूचना दे देते हैं ॥ ३२२ ॥ इसी प्रकार नक्षत्रों से भी भावी सिद्धि या असिद्धि की  
सूचना मिल जाती है ॥ ३२३ ॥ अपने कार्य की सिद्धि शीघ्र चाहने वाला व्यक्ति  
नक्षत्रपणना पर अपने भाग्य की परीक्षा नहीं करता ॥ ३२४ ॥

पतिव्रत हो जाने पर दौघ दिने नहीं रह सकते ॥ ३२५ ॥ अशुद्ध विचारों का

अपराधानुरूपो दण्डः ॥ ३२८ ॥ कथानुरूपं प्रतिवचनम् ॥ ३२९ ॥  
विभवानुरूपमाभरणम् ॥ ३३० ॥ कुलानुरूपं वृत्तम् ॥ ३३१ ॥ कार्यानुरूपः  
प्रयत्नः ॥ ३३२ ॥ पात्रानुरूपं दानम् ॥ ३३३ ॥ वयोऽनुरूपो वेपः ॥ ३३४ ॥  
स्वाम्यनुकूलो भृत्यः ॥ ३३५ ॥

भर्तृवशवर्तिनी भार्या ॥ ३३६ ॥ गुरुवशानुवर्ती, शिष्यः ॥ ३३७ ॥  
पितृवशानुवर्ती पुत्रः ॥ ३३८ ॥ अत्युपचारः शङ्कितव्यः ॥ ३३९ ॥ स्वामिन-  
मेवानुवर्तेत ॥ ३४० ॥

मातृताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति ॥ ३४१ ॥

स्नेहवतः स्वल्पो हि रोषः ॥ ३४२ ॥ आत्मच्छिद्रं न पश्यति परच्छिद्र-  
मेव पश्यति वालिशः ॥ ३४३ ॥

सोपचारः कंतवः ॥ ३४४ ॥ काम्यविशेष्यैरुपचरणमुपचारः ॥ ३४५ ॥  
चिरपरिचतानामत्युपचारः शङ्कितव्यः ॥ ३४६ ॥ गौर्दुष्कराश्वसहस्रादेका-  
किनी श्रेयसी ॥ ३४७ ॥ श्वो मयूरादद्य कपोतो वरः ॥ ३४८ ॥

व्यक्ति दूसरो पर भी सन्देह करता है ॥ ३२६ ॥ स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है ॥ ३२७ ॥

अपराध के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए ॥ ३२८ ॥ प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए ॥ ३२९ ॥ संपत्ति के अनुसार ही आभूषण धारण करने चाहिए ॥ ३३० ॥ अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए ॥ ३३१ ॥ कार्य के अनुसार ही प्रयत्न करना चाहिए ॥ ३३२ ॥ पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिए ॥ ३३३ ॥ अवस्था के अनुसार ही वेप धारण करना चाहिए ॥ ३३४ ॥ स्वामी के अनुसार ही सेवक को कार्य करना चाहिए ॥ ३३५ ॥

पति के वश में रहने वाली पत्नी ही भार्या (भरण-पोषण की अधिकारिणी) होती है ॥ ३३६ ॥ शिष्य को सदा गुरु के अधीन रहना चाहिए ॥ ३३७ ॥ पुत्र को सदा पिता के अधीन रहना चाहिए ॥ ३३८ ॥ अत्यधिक आदर भ्रका का कारण होता है ॥ ३३९ ॥ सेवक को सदा स्वामी की आज्ञा का अनुगमन करना चाहिए ॥ ३४० ॥

माता के द्वारा ताडित बच्चा, माता के ही आगे रोता है ॥ ३४१ ॥

स्नेही व्यक्ति का रोष क्षणिक होता है ॥ ३४२ ॥ मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को नहीं, दूसरों के ही दोषों को देखता है ॥ ३४३ ॥

उपचार के साथ छल होता है ॥ ३४४ ॥ किसी विशेष अमिताया की पूति के लिए की जाने वाली सेवा को 'उपचार' कहते हैं ॥ ३४५ ॥ उपरिचित व्यक्ति का अतिशय आदर-दर्शन सशयकारी होता है ॥ ३४६ ॥ एक साधारण गाय भी सौ कुत्तों से बढकर होती है ॥ ३४७ ॥ कल मिलने वाले मोर की अपेक्षा आज मिलने वाला कबूतर ही अच्छा है ॥ ३४८ ॥

अतिसंगो दोषमुत्पादयति ॥ ३४९ ॥ सर्वं जयत्यक्रोधः ॥ ३५० ॥  
यद्यपकारिणि कोपः कोपे कोप एव कर्तव्यः ॥ ३५१ ॥ मतिमत्सु मूर्खमित्र-  
गुरुवल्लभेषु विवादो न कर्तव्यः ॥ ३५२ ॥

नास्त्यपिशाचमैश्वर्यम् ॥ ३५३ ॥ नास्ति धनवतां शुभकर्मसु श्रमः  
॥ ३५४ ॥ नास्ति गतिश्रमो यानवताम् ॥ ३५५ ॥ अलौहमयं निगडं कल-  
त्रम् ॥ ३५६ ॥ यो यस्मिन् कुशलः स तस्मिन् योक्तव्यः ॥ ३५७ ॥ दुष्क-  
लत्रं मनस्विनां शरीरकर्शनम् ॥ ३५८ ॥ अप्रमत्तो दाराङ्घ्रिरीक्षेत ॥ ३५९ ॥  
स्त्रीषु किञ्चिदपि न विश्वसेत् ॥ ३६० ॥ न समाधिः स्त्रीषु लोकज्ञता च  
॥ ३६१ ॥ गुरुणां माता गरीयसी ॥ ३६२ ॥ सर्वावस्थासु माता भर्तव्या  
॥ ३६३ ॥

वैदुष्यमलंकारेणाच्छाद्यते ॥ ३६४ ॥ स्त्रीणां भूपणं लज्जा ॥ ३६५ ॥  
विप्राणां भूपणं वेदः ॥ ३६६ ॥ सर्वेषां भूपणं धर्मः ॥ ३६७ ॥ भूपणानां  
भूपणं सविनया विद्या ॥ ३६८ ॥

अनुपद्रवं देशमावसेत् ॥ ३६९ ॥ साधुजनबहुलो देशः ॥ ३७० ॥ राज्ञो  
भैतव्यं सार्वकालम् ॥ ३७१ ॥ न राज्ञः परं दैवतम् ॥ ३७२ ॥ सूदूरमपि

अत्यधिक साथ से बुराई पैदा हो जाती है ॥ ३४९ ॥ क्रोध न करने वाले व्यक्ति  
की सर्वत्र विजय होती है ॥ ३५० ॥ यदि अपकारी व्यक्ति पर क्रोध करना हो तो  
पहले क्रोध पर ही क्रोध करना चाहिए ॥ ३५१ ॥ बुद्धिमान् मनुष्य, मूर्ख, मित्र, गुरु  
और प्रियजनो के साथ व्यर्थ का विवाद न करे ॥ ३५२ ॥

ऐश्वर्य में पैशाचिकता होती है ॥ ३५३ ॥ धनिको को शुभकार्य करने में श्रम  
नहीं करना पड़ता ॥ ३५४ ॥ सवारी पर चलने वाले को थकावट का अनुभव नहीं  
होता ॥ ३५५ ॥ स्त्री बिना लोहे की बेड़ी है ॥ ३५६ ॥

जो मनुष्य जिस कार्य में निपुण हो, उसको उसी काम में नियुक्त करना चाहिए  
॥ ३५७ ॥ दुष्ट स्त्री मनस्वी पुरुष के शरीर को कृश बना देती है ॥ ३५८ ॥  
अप्रमत्त होकर सदा स्त्री का निरीक्षण करना चाहिए ॥ ३५९ ॥ स्त्रियो पर जरा भी  
विश्वास न करना चाहिए ॥ ३६० ॥ स्त्रियो में न विवेक होता है और न लोक-  
व्यवहार का ज्ञान ॥ ३६१ ॥ गुरुजनों में माता का स्थान सर्वोच्च होता है ॥ ३६२ ॥  
अतएव प्रत्येक अवस्था में माता का भरण-पोषण करना चाहिए ॥ ३६३ ॥

अलंकार ( बनावटीपन ), पाण्डित्य को ढाँप देता है ॥ ३६४ ॥ स्त्री का आभूषण  
सज्जा है ॥ ३६५ ॥ ब्राह्मणों का आभूषण वेद ( ज्ञान ) है ॥ ३६६ ॥ सब लोगो  
का आभूषण धर्म है ॥ ३६७ ॥ समस्त आभूषणों का आभूषण विनयसपन्न  
विद्या है ॥ ३६८ ॥

जिस देश में उपद्रव न हो, वहाँ बसना चाहिए ॥ ३६९ ॥ जिस देश में सज्जन  
पुरुषों का निवास हो वही बसना चाहिए ॥ ३७० ॥ राजा से सदा डरना चाहिए

दहति राजवह्नि ॥ ३७३ ॥ रिक्तहस्तो न राजानमभिगच्छेत् ॥ ३७४ ॥  
गुरु च दैव च ॥ ३७५ ॥ कुटुम्बिनो भेतव्यम् ॥ ३७६ ॥ गन्तव्य च सदा  
राजकुलम् ॥ ३७७ ॥ राजपुरुषं सम्बन्ध कुर्यात् ॥ ३७८ ॥ राजदासी न  
सेवितव्या ॥ ३७९ ॥ न चक्षुषाऽपि राजान निरीक्षेत् ॥ ३८० ॥

पुत्रे गुणवति कुटुम्बिन स्वर्गं ॥ ३८१ ॥ पुत्रा विद्याना पार गमयि-  
तव्या ॥ ३८२ ॥ जनपदार्यं ग्राम त्यजेत् ॥ ३८३ ॥ ग्रामार्यं कुटुम्बस्त्य  
ज्यते ॥ ३८४ ॥ अतिलाम पुत्रलाम ॥ ३८५ ॥ दुर्गते पितरौ रक्षति स  
पुत्र ॥ ३८६ ॥ कुल प्रख्यापयति पुत्र ॥ ३८७ ॥ नानपत्यस्य स्वर्गं ॥ ३८८ ॥

या प्रसूते सा भार्या ॥ ३८९ ॥ तीर्थसमवाये पुत्रवतीमनुगच्छेत् ॥ ३९० ॥  
सतीर्भागमनाद् ब्रह्मचर्यं नश्यति ॥ ३९१ ॥ न परक्षेत्रे बीज विनिक्षिपेत्  
॥ ३९२ ॥ पुत्रार्या हि स्त्रिय ॥ ३९३ ॥ स्वदासीपरिग्रहो हि दासभाव  
॥ ३९४ ॥

उपस्थितविनाश पथ्यवाक्य न शृणोति ॥ ३९५ ॥ नास्ति देहिना  
सुखदुःखाभाव ॥ ३९६ ॥ मातरमिव वत्सा सुखदुःखानि कर्तारमेवानु-  
गच्छन्ति ॥ ३९७ ॥

॥ ३७१ ॥ राजा से बड़ा कोई देवता नहीं है ॥ ३७२ ॥ राजवह्नि दूर से ही भस्म  
कर डालती है ॥ ३७३ ॥ राजा देवता और गुरु के पास खाती हाथ न जाना  
चाहिए ॥ ३७४ ३७५ ॥ कुटुम्ब के व्यक्ति से सदा डरना चाहिए ॥ ३७६ ॥ राज  
दरवार में हमेशा जाना चाहिए ॥ ३७७ ॥ राजपुरुषों से सम्बन्ध बनाये रखना  
चाहिए ॥ ३७८ ॥ राजदासी से किसी तरह का सम्बन्ध न रखना चाहिए ॥ ३७९ ॥  
राजा की ओर आँख उठाकर न देखना चाहिए ॥ ३८० ॥

गुणवान् पुत्र से परिवार स्वर्ग बन जाता है ॥ ३८१ ॥ पुत्र को सब विद्याओं में  
पारगढ़ बनाना चाहिए ॥ ३८२ ॥ जनपद के हित के अग्रे ग्रामहित को त्याग देना  
चाहिए ॥ ३८३ ॥ ग्रामहित के लिए परिवार हित की उपेक्षा कर देनी चाहिए  
॥ ३८४ ॥ पुत्रलाम सर्वोच्च लाभ है ॥ ३८५ ॥ दुर्गति से माता पिता की रक्षा  
करने वाला पुत्र ही होता है ॥ ३८६ ॥ सुपुत्र से ही कुल की ख्याति होती है ॥ ३८७ ॥  
पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता ॥ ३८८ ॥

सतान को जन्म देने वाली स्त्री ही भार्या है ॥ ३८९ ॥ अनेक स्त्रियाँ के एक  
साथ श्रमभन्ती होने पर उस स्त्री के पास जाना चाहिए जो पहले पुत्रवती हो ॥ ३९० ॥  
रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है ॥ ३९१ ॥ परस्त्री के  
सम में वीर्य का निक्षेप नहीं करना चाहिए ॥ ३९२ ॥ पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों  
का वरण किया जाता है ॥ ३९३ ॥ अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को  
दास बना लेना है ॥ ३९४ ॥

जिसका विनाश निकट होता है, वह हित की बात को नहीं सुनता ॥ ३९५ ॥

तिलमात्रमप्युपकारं शैलवन्मन्यते साधुः ॥ ३९८ ॥ उपकारोऽनाप्येव-  
कर्तव्यः ॥ ३९९ ॥ प्रत्युपकारमयादनार्यः शत्रुर्भवति ॥ ४०० ॥ स्वल्प-  
मप्युपकारकृते प्रत्युपकारं कर्तुमार्यो न स्वपिति ॥ ४०१ ॥ न कदाऽपि  
देवताऽवमन्तव्या ॥ ४०२ ॥

न चक्षुषः समं ज्योतिरस्ति ॥ ४०३ ॥ चक्षुर्हि शरीरिणां नेता ॥ ४०४ ॥  
अपचक्षुषः किं शरीरेण ॥ ४०५ ॥

नाप्सु मूत्रं कुर्यात् ॥ ४०६ ॥ न नग्नो जलं प्रविशेत् ॥ ४०७ ॥ यथा  
शरीरं तथा ज्ञानम् ॥ ४०८ ॥ यथा बुद्धिस्तथा विभवः ॥ ४०९ ॥ अग्ना-  
वग्निं न निक्षिपेत् ॥ ४१० ॥ तपस्विनः पूजनीयाः ॥ ४११ ॥ परदारान्न  
गच्छेत् ॥ ४१२ ॥ अन्नदानं भ्रूणहत्यामपि मार्ष्टि ॥ ४१३ ॥ न वेदबाह्यो  
धर्मः ॥ ४१४ ॥ कदाचिदपि धर्मं निषेवेत् ॥ ४१५ ॥

स्वर्गं नपति सूनृतम् ॥ ४१६ ॥ नास्ति सत्यात् परं तपः ॥ ४१७ ॥  
सत्यं स्वर्गस्य साधनम् ॥ ४१८ ॥ सत्येन धार्यते लोकः ॥ ४१९ ॥ सत्याद्  
देवो व्यर्षति ॥ ४२० ॥

प्रत्येक देहधारी व्यक्ति के लिए सुख और दुख लगे रहते हैं ॥ ३९६ ॥ जैसे बछड़ा  
माता के पास जा पहुँचता है वैसे ही सुख और दुख अपने कर्ता के पास जा  
पहुँचते हैं ॥ ३९७ ॥

सज्जन पुरुष तिलतुल्य उपकार की पहाड़ जैसा मानता है ॥ ३९८ ॥ दुष्ट पुरुष  
का उपकार न करना चाहिए ॥ ३९९ ॥ क्योंकि प्रत्युपकारमय से दुष्ट पुरुष शत्रु  
बन जाता है ॥ ४०० ॥ सज्जन पुरुष थोड़े भी उपकार का महान् प्रत्युपकार करने  
के लिए उत्तम रहता है ॥ ४०१ ॥ देवता का कभी भी अपमान न करना  
चाहिए ॥ ४०२ ॥

आँख के समान दूसरी ज्योति नहीं है ॥ ४०३ ॥ नेत्र, देहधारियों का नेता है  
॥ ४०४ ॥ नेत्रहीन व्यक्ति का शरीर धारण करना व्यर्थ है ॥ ४०५ ॥

जल में मूत्रत्याग नहीं करना चाहिए ॥ ४०६ ॥ नग्न होकर पानी में न उतरना  
चाहिए ॥ ४०७ ॥ जैसा शरीर होता है, उसमें वैसा ही ज्ञान रहता है ॥ ४०८ ॥  
जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही विभव प्राप्त होता है ॥ ४०९ ॥ आग में आग न डालनी  
चाहिए ( तेजस्वी पर क्रोध न करना चाहिए ) ॥ ४१० ॥ तपस्वियों की सदा पूजा  
करनी चाहिए ॥ ४११ ॥ पराई स्त्री के साथ समागम न करना चाहिए ॥ ४१२ ॥  
अन्नदान से भ्रूण ( गर्भस्थ शिशु ) हत्या का भी पाप मिट जाता है ॥ ४१३ ॥ वेद-  
स्वोट्ट धर्म ही वास्तविक धर्म है ॥ ४१४ ॥ जिस तरह भी हो, धर्म का आचरण  
करना चाहिए ॥ ४१५ ॥

मीठी और सब्जी बाणी मनुष्य को स्वर्ग ले जाती है ॥ ४१६ ॥ सत्य से बढ़कर  
कोई तप नहीं है ॥ ४१७ ॥ सत्य ही स्वर्ग का साधन है ॥ ४१८ ॥ सत्य पर ही  
ससार टिका है ॥ ४१९ ॥ सत्य से ही इन्द्र जल बरसाता है ॥ ४२० ॥

नानृतात् पातकं परम् ॥ ४२१ ॥ न मीमांस्या गुरवः ॥ ४२२ ॥ खलत्वं  
नोपेयात् ॥ ४२३ ॥ नास्ति खलस्य मित्रम् ॥ ४२४ ॥ लोकयात्रा दरिद्रं  
वाधते ॥ ४२५ ॥

अतिशूरो दानशूरः ॥ ४२६ ॥ गुरुदेवब्राह्मणेषु भक्तिभूषणम् ॥ ४२७ ॥  
सर्वस्य भूषणं विनयः ॥ ४२८ ॥ अकुलीनोऽपि विनीतः कुलीनाद् विशिष्टः  
॥ ४२९ ॥

आचारादापुर्वंधंते कीर्तिश्च ॥ ४३० ॥ प्रियमप्यहितं न वक्तव्यम्  
॥ ४३१ ॥ बहुजनविद्वद्भेकं नानुवर्तेत ॥ ४३२ ॥ न दुर्जनेषु भागधेयः  
कर्तव्यः ॥ ४३३ ॥ न कृतायेषु नीचेषु सम्बन्धः ॥ ४३४ ॥ ऋणशत्रुध्या-  
धिष्वशेषः कर्तव्यः ॥ ४३५ ॥ भृत्यानुवर्तनं पुरुषस्य रसायनम् ॥ ४३६ ॥  
नार्थत्ववज्ञा कार्या ॥ ४३७ ॥ दुष्करं कर्म कारयित्वा कर्तारमवगन्तते  
नीचः ॥ ४३८ ॥ नाकृतज्ञस्य नरकान्निवर्तनम् ॥ ४३९ ॥

जिह्वायत्ती वृद्धिविनाशी ॥ ४४० ॥ विषामृतयोरकरि जिह्वा  
॥ ४४१ ॥ प्रियवादिनो न शत्रुः ॥ ४४२ ॥ स्तुता अपि देवतास्तुष्यन्ति  
॥ ४४३ ॥ अनुत्तमपि दुर्वचनं चिरं तिष्ठति ॥ ४४४ ॥ राजद्विष्टं न च  
वक्तव्यम् ॥ ४४५ ॥ श्रुतिमुखात्कोकिलालापात् तुष्यन्ति ॥ ४४६ ॥

झूठ से बढकर कोई पाप नहीं है ॥ ४२१ ॥ गुरुजनो की आलोचना नहीं करनी  
चाहिए ॥ ४२२ ॥ दुष्टता को अगीकार न करना चाहिए ॥ ४२३ ॥ दुष्ट मनुष्य का  
कोई मित्र नहीं होता ॥ ४२४ ॥ दरिद्र मनुष्य को जीवन-निर्वाह करना कठिन होता  
है ॥ ४२५ ॥

दानवीर ही सबसे बडा वीर है ॥ ४२६ ॥ गुरु, देवता और ब्राह्मणो मे भक्ति  
रखना मानवता का आभूषण है ॥ ४२७ ॥ विनय सबका आभूषण है ॥ ४२८ ॥  
जो कुलीन न होता हुआ भी विनीत हो वह अविनीत कुलीन की अपेक्षा बडा है  
॥ ४२९ ॥

सदाचार से आयु और यश दोनों की वृद्धि होती है ॥ ४३० ॥ प्रिय होने पर  
भी अहितकर वाणी को न बोलना चाहिए ॥ ४३१ ॥ अनेक लोगो के विरोधी एक  
व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए ॥ ४३२ ॥ दुर्जन व्यक्तियों के साथ अपना  
भाग्य नहीं जोडना चाहिए ॥ ४३३ ॥ कृतायं (सफल) नीच पुरुष से सम्बन्ध न  
करना चाहिए ॥ ४३४ ॥ ऋण, शत्रु और रोग को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए  
॥ ४३५ ॥ बलघाण मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए उत्तम रसायन है ॥ ४३६ ॥

याचक से घृणा न करनी चाहिए ॥ ४३७ ॥ नीच मनुष्य दुष्कर्म कराके, कर्ता  
को अपमानित करता है ॥ ४३८ ॥ कृतघ्न मनुष्य के लिए नरक के अतिरिक्त कोई  
गति नहीं है ॥ ४३९ ॥

अपनी उन्नति और अवनति अपनी वाणी के अधीन है ॥ ४४० ॥ वाणी ही विष  
तथा अमृत की खान है ॥ ४४१ ॥ प्रिय वचन बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं है

स्वधर्महेतुः सत्पुरुषः ॥ ४४७ ॥ नास्त्यर्थिनो गौरवम् ॥ ४४८ ॥  
स्त्रीणां भूषणं सौभाग्यम् ॥ ४४९ ॥ शत्रोरपि न पातनीया वृत्तिः ॥ ४५० ॥  
अप्रयत्नोदकं क्षेत्रम् ॥ ४५१ ॥ एरण्डमवलम्ब्य कुञ्जरं न कोपयेत् ॥ ४५२ ॥  
अतिप्रवृद्धा शात्मली वारणस्तम्भो न भवति ॥ ४५३ ॥ अतिदीर्घोऽपि  
कर्णिकारो न मुसली ॥ ४५४ ॥ अतिदीप्तोऽपि खद्योतो न पावकः ॥ ४५५ ॥  
न प्रवृद्धत्वं गुणहेतुः ॥ ४५६ ॥

सुजीर्णोऽपि पिचुमन्दो न शङ्कुलायते ॥ ४५७ ॥ यथा बीजं तथा  
निष्पत्तिः ॥ ४५८ ॥ यथा धृतं तथा बुद्धिः ॥ ४५९ ॥ यथा कुलं तथाऽऽ-  
चारः ॥ ४६० ॥ संस्कृतः पिचुमन्दः सहकारो न भवति ॥ ४६१ ॥ न  
चागतं सुखं त्यजेत् ॥ ४६२ ॥ स्वयमेव दुःखमधिगच्छति ॥ ४६३ ॥

रात्रिचारणं न कुर्यात् ॥ ४६४ ॥ न चार्थरात्रं स्वपेत् ॥ ४६५ ॥ तद्  
विद्विद्भिः परीक्षेत ॥ ४६६ ॥ परगृहमकारणतो न प्रविशेत् ॥ ४६७ ॥  
ज्ञात्वाऽपि दोषमेव करोति लोकः ॥ ४६८ ॥

॥ ४४२ ॥ स्तुति से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ४४३ ॥ असत्य दुर्वचन चिर-  
काल तक स्मरण होता रहता है ॥ ४४४ ॥ राजा से द्वेष करने वाली बात न बोलनी  
चाहिए ॥ ४४५ ॥ काली कोयल के भी, कानो को सुख देने वाले वचन सबको भाते  
हैं ( कोयल के समान, कानों को सुख देने वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए )  
॥ ४४६ ॥

स्वधर्म पर अवस्थित रहने के कारण पुरुष भी सत्यपुरुष हो जाता है ॥ ४४७ ॥  
याचक का कोई गौरव नहीं होता ॥ ४४८ ॥ मुहाग स्त्री का आभूषण है ॥ ४४९ ॥  
शत्रु की भी जीविका को नष्ट न करना चाहिए ॥ ४५० ॥ जहाँ बिना प्रयत्न के जल  
सुलभ हो वही अपना क्षेत्र है ॥ ४५१ ॥ एरण्ड वृक्ष के सहारे पर हाथी को फुटित  
करना उचित नहीं है ॥ ४५२ ॥ बहुत बड़ा होने पर भी समतल के वृक्ष से हाथी को  
नहीं बाँधा जा सकता ॥ ४५३ ॥ बहुत बड़ा हुआ भी कनेर का वृक्ष मूसल बनाने के  
काम में नहीं आता ॥ ४५४ ॥ जुयुतू कितना भी अधिक चमकीला बयो न हो, आग  
का काम नहीं दे सकता ॥ ४५५ ॥ बहुत बड़ा समृद्धिशाली हो जाने पर भी कोई  
गुणवान् नहीं हो पाता ॥ ४५६ ॥

बहुत पुराना होने पर भी नीम के वृक्ष का सरोठा नहीं बन सकता ॥ ४५७ ॥  
जैसा बीज होता है वैसा ही उससे फल उत्पन्न होता है ॥ ४५८ ॥ योग्यता के ही  
बनुरूप बुद्धि होती है ॥ ४५९ ॥ जैसा कुल होता है वैसा ही आचार होता है  
॥ ४६० ॥ कितना ही संस्कार क्यों न किया जाय, नीम आम नहीं बन सकता  
॥ ४६१ ॥ जो सुख प्राप्त हो उसको न छोड़ना चाहिए ॥ ४६२ ॥ कर्मनुसार ही  
मनुष्य को दुःख मिलता है ॥ ४६३ ॥

रात के समय व्यर्थ न घूमना चाहिए ॥ ४६४ ॥ आधी रात को शयन न करना

शास्त्रप्रधाना लोकवृत्तिः ॥ ४६९ ॥ शास्त्राभावे शिष्टाचारमनुपच्छेत्  
॥ ४७० ॥ नाचरिताच्छास्त्रं गरीयः ॥ ४७१ ॥

दूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजा ॥ ४७२ ॥ गतानुगतिको लोकः  
॥ ४७३ ॥

यमनुजीवेत् तं नापवदेत् ॥ ४७४ ॥ तपःसार इन्द्रियनिग्रहः ॥ ४७५ ॥  
दुर्लभः स्त्रीबन्धनान्मोक्षः ॥ ४७६ ॥ स्त्री नाम सर्वाशुमानां क्षेत्रम्  
॥ ४७७ ॥

न च स्त्रीणां पुरुषपरीक्षा ॥ ४७८ ॥ स्त्रीणां मनः क्षणिकम् ॥ ४७९ ॥  
अशुभद्वेषिणः स्त्रीषु न प्रसक्ताः ॥ ४८० ॥

यज्ञफलज्ञास्त्रिवेदविदः ॥ ४८१ ॥ स्वर्गस्यानं न शाश्वतं यावत् पुण्य-  
फलम् ॥ ४८२ ॥ न च स्वर्गपतनात् परं दुःखम् ॥ ४८३ ॥ देही देहं  
त्यक्त्वा ऐन्द्रं पदं न वाञ्छति ॥ ४८४ ॥ दुःखानामौषधं निर्वाणम् ॥ ४८५ ॥

अनायंसम्बन्धाद्वरमार्यशत्रुता ॥ ४८६ ॥ निहन्ति दुर्वचनं कुलम् ॥ ४८७ ॥  
न पुत्रसंस्पर्शात् परं सुखम् ॥ ४८८ ॥

चाहिए ॥ ४६५ ॥ विद्वानो के सामने ब्रह्म की घर्षा करनी चाहिए ॥ ४६६ ॥  
अकारण दूसरे के घर में न जाना चाहिए ॥ ४६७ ॥ जान-बूझकर भी लोग अपराध  
ही करते हैं ॥ ४६८ ॥

लोकव्यवहार शास्त्रानुकूल होना चाहिए ॥ ४६९ ॥ शास्त्रज्ञान न होने पर श्रेष्ठ  
पुरुषों के आचरण का अनुगमन करना चाहिए ॥ ४७० ॥ सदाचार से बढकर कोई  
शास्त्र नहीं है ॥ ४७१ ॥

शुभचरों के द्वारा राजा दूर की वस्तु को देख लेता है ॥ ४७२ ॥ लोक, परम्परा  
का अनुगमन करता है ॥ ४७३ ॥

जिसके द्वारा जीविकोपार्जन होता है उसकी निन्दा न करनी चाहिए ॥ ४७४ ॥  
इन्द्रियनिग्रह तप का सार है ॥ ४७५ ॥

स्त्री के बन्धन से छुटता बड़ा दुष्कर है ॥ ४७६ ॥ स्त्री समस्त अशुभों की जन्म-  
दात्री है ॥ ४७७ ॥

स्त्री, पुरुष की परीक्षा नहीं कर सकती ॥ ४७८ ॥ स्त्री का मन क्षण-क्षण बद-  
लता रहता है ॥ ४७९ ॥ अशुभ कर्मों को न चाहने वाले लोग स्त्रियों में आसक्त  
नहीं होते ॥ ४८० ॥

वेदत्रयी ( श्रुति, यजु, साम ) को जानने वाला ही यज्ञ के फल को जानता है  
॥ ४८१ ॥ स्वर्गप्राप्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसकी अवधि तब तक होती है,  
जब तक पुण्य का फल शेष रहता है ॥ ४८२ ॥ स्वर्गपतन से बढकर दुःख नहीं है  
॥ ४८३ ॥ शरीर त्याग करके जीव इन्द्रासन को नहीं चाहता ॥ ४८४ ॥ समस्त  
दुःखों की औषधि मोक्ष है ॥ ४८५ ॥



विवादे धर्ममनुस्मरेत् ॥ ४८९ ॥ निशान्ते कार्यं चिन्तयेत् ॥ ४९० ॥  
 प्रदोषे न संयोगः कर्तव्यः ॥ ४९१ ॥ उपस्थितविनाशो दुर्नय मन्यते  
 ॥ ४९२ ॥ क्षीरायिनः किं करिष्या ॥ ४९३ ॥ न दानसमं वश्यम् ॥ ४९४ ॥  
 परायत्तेषूत्कृष्टां न कुर्यात् ॥ ४९५ ॥ असत्समृद्धिरसद्भिरेव भुज्यते  
 ॥ ४९६ ॥ निम्बफलं कारुंरेव भुज्यते ॥ ४९७ ॥ नान्भोघिस्तृष्णामपोहति  
 ॥ ४९८ ॥

वालुका अपि स्वगुणमाश्रयन्ते ॥ ४९९ ॥ सन्तोऽमत्सु न रमन्ते ॥ ५०० ॥  
 हंसः प्रेतवने न रमते ॥ ५०१ ॥

अर्यायै प्रवर्तते लोकः ॥ ५०२ ॥ आशया बध्यने लोकः ॥ ५०३ ॥ न  
 चाशापरैः श्रोः सह तिष्ठति ॥ ५०४ ॥ आशापरे न धैर्यम् ॥ ५०५ ॥

दैन्यान्मरणमुत्तमम् ॥ ५०६ ॥ आशा लज्जा व्यपोहति ॥ ५०७ ॥

न मात्रा सह वासः कर्तव्यः ॥ ५०८ ॥ आत्मा न स्तोतव्यः ॥ ५०९ ॥  
 न दिवा स्वप्नं कुर्यात् ॥ ५१० ॥ न चातन्नमपि परमत्पञ्चर्याग्यो न शृणो-  
 तोष्टं वाक्यम् ॥ ५११ ॥

स्त्रीणां न भर्तुः परं दैवतम् ॥ ५१२ ॥ तदनुवर्तनमुभयसुखम् ॥ ५१३ ॥  
 अतिधिमभ्यागतं पूजयेद् यथाविधिः ॥ ५१४ ॥ नास्ति हृदयस्य व्याघातः  
 ॥ ५१५ ॥ शत्रुमित्रवत् प्रतिभाति ॥ ५१६ ॥ भृगतृष्णा जलवद् भाति  
 ॥ ५१७ ॥ दुर्मैघसामसच्छास्त्रं मोहयति ॥ ५१८ ॥ सत्संगः स्वर्गवासः  
 ॥ ५१९ ॥ आर्यः स्वमिव परं मन्यते ॥ ५२० ॥ रूपानुवर्ती गुणः ॥ ५२१ ॥  
 यत्र सुखेन वर्तते तदेव स्थानम् ॥ ५२२ ॥

विश्वासघातिनो न निष्कृतिः ॥ ५२३ ॥ दैवायत्तं न शोचेत् ॥ ५२४ ॥  
 आश्रितदुःखमात्मन इव मन्यते साधुः ॥ ५२५ ॥ हृद्गतमाच्छाद्यान्मद् बद्ध-  
 त्यनार्यः ॥ ५२६ ॥ बुद्धिहीनः पिशाचतुल्यः ॥ ५२७ ॥ असहायः पथि न  
 गच्छेत् ॥ ५२८ ॥ पुत्रो न स्तोतव्यः ॥ ५२९ ॥

स्वामी स्तोतव्योऽनुजीविभिः ॥ ५३० ॥ धर्मकृत्येष्वपि स्वामिन एव  
 घोषयेत् ॥ ५३१ ॥ राजाज्ञां नातिलङ्घयेत् ॥ ५३२ ॥ ययाऽऽज्ञप्तं तथा  
 कुर्यात् ॥ ५३३ ॥

नास्ति बुद्धिमतां शत्रुः ॥ ५३४ ॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत् ॥ ५३५ ॥

श्री के लिए पति बढकर कोई देवता नहीं है ॥ ५१२ ॥ पति के इच्छानुसार चलने वाली स्त्री को इहलोक और परलोक, दोनों का सुख प्राप्त होगा है ॥ ५१३ ॥ अपने यहाँ आये हुए अनियमि का विधिबद् सत्कार करना चाहिए ॥ ५१४ ॥ देवताओं के निमित्त से दिया हुआ द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता ॥ ५१५ ॥ शत्रु भी कभी मित्र के समान दिखायी देता है ॥ ५१६ ॥ तृष्णा के कारण मृग चमकती हुई बालू को जल समझ बैठता है ॥ ५१७ ॥ दुर्बुद्धि मनुष्य को असत् शास्त्र मोह लेते हैं ॥ ५१८ ॥ सत्संग ही स्वर्गवास है ॥ ५१९ ॥ श्रेष्ठ व्यक्ति सबको अपने ही समान समझता है ॥ ५२० ॥ रूप के अनुसार ही मनुष्य में गुण होता है ॥ ५२१ ॥ जहाँ सुख से रहा जा सके, वही उत्तम स्थान है ॥ ५२२ ॥

विश्वामघाती मनुष्य के उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं ॥ ५२३ ॥ जो बात दैव के अधीन है उसके सम्बन्ध में सोच विचार न करना चाहिए ॥ ५२४ ॥ सज्जन व्यक्ति आश्रितों के दुःख को अपना ही दुःख समझते हैं ॥ ५२५ ॥ हृदय की बात को छिपाकर बनावटी बातें करने वाला अनार्य है ॥ ५२६ ॥ बुद्धिहीन मनुष्य पिशाच के समान है ॥ ५२७ ॥ बिना साय के यात्रा न करनी चाहिए ॥ ५२८ ॥ अपने पुत्र की प्रशंसा न करनी चाहिए ॥ ५२९ ॥

सैवक लोगो को चाहिए कि वे अपने स्वामी का गुणगान करते रहें ॥ ५३० ॥ अपने धर्मकार्यों में भी वे स्वामी का गुणगान करते रहे ॥ ५३१ ॥ राजा की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करना चाहिए ॥ ५३२ ॥ उसकी जैसी आज्ञा हो तदनुसार करना चाहिए ॥ ५३३ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है ॥ ५३४ ॥ अपनी गुप्त बात किसी पर

क्षमावानेव सर्वं साधयति ॥ ५३६ ॥ आपदर्थं धनं रक्षेत् ॥ ५३७ ॥ साहस-  
वतां प्रियं कर्तव्यम् ॥ ५३८ ॥

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत ॥ ५३९ ॥ अपराह्लिकं पूर्वाह्लि एव कर्तव्यम्  
॥ ५४० ॥

व्यवहारानुलोमो धर्मः ॥ ५४१ ॥ सर्वज्ञता लोकज्ञता ॥ ५४२ ॥ शास्त्र-  
ज्ञोऽप्यलोकज्ञो मूर्खतुल्यः ॥ ५४३ ॥ शास्त्रप्रयोजनं तत्त्वदर्शनम् ॥ ५४४ ॥  
तत्त्वज्ञानं कार्यमेव प्रकाशयति ॥ ५४५ ॥

व्यवहारे पक्षपातो न कार्यः ॥ ५४६ ॥ धर्मादपि व्यवहारो गरीयान्  
॥ ५४७ ॥ आत्मा हि व्यवहारस्य साक्षी ॥ ५४८ ॥ सर्वसाक्षी ह्यात्मा  
॥ ५४९ ॥ न स्यात् कूटसाक्षी ॥ ५५० ॥ कूटसाक्षिणो नरके पतन्ति  
॥ ५५१ ॥ प्रच्छन्नपापानां साक्षिणो महाभूतानि ॥ ५५२ ॥ आत्मनः  
पापमात्मैव प्रकाशयति ॥ ५५३ ॥ व्यवहारेऽन्तर्गतमाचारः सूचयति  
॥ ५५४ ॥

आकारसंवरणं देवानामशक्यम् ॥ ५५५ ॥

चोरराजपुरुषेभ्यो वित्तं रक्षेत् ॥ ५५६ ॥ दुर्वशना हि राजानः प्रजाः  
नाशयन्ति ॥ ५५७ ॥

प्रकट न करनी चाहिए ॥ ५३५ ॥ क्षमाशील मनुष्य अपना सब कार्य साध लेता है  
॥ ५३६ ॥ आपत्काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए ॥ ५३७ ॥ साहसी पुरुष  
कर्तव्यप्रिय होता है ॥ ५३८ ॥

जो कार्य कल करना है, उसको आज ही कर लेना चाहिए ॥ ५३९ ॥ जो कार्य  
दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए ॥ ५४० ॥

व्यवहार के अनुसार ही धर्म होता है ॥ ५४१ ॥ सासारिक बातों का ज्ञाता ही  
सर्वज्ञ कहलाता है ॥ ५४२ ॥ शास्त्रज्ञ होता हुआ भी जो लोकज्ञ न हो, वह मूर्ख के  
समान है ॥ ५४३ ॥ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है ॥ ५४४ ॥ कार्य  
ही यथार्थ ज्ञान के प्रकाशक हैं ॥ ५४५ ॥

व्यवहार ( न्याय ) में पक्षपात न करना चाहिए ॥ ५४६ ॥ व्यवहार धर्म में  
भी बड़ा होता है ॥ ५४७ ॥ व्यवहार का साक्षी आत्मा है ॥ ५४८ ॥ समस्त प्राणियों  
में आत्मा साक्षीरूप में विद्यमान रहता है ॥ ५४९ ॥ कूट साक्षी न होना चाहिए  
॥ ५५० ॥ झूठे साक्षी नरक में जाते हैं ॥ ५५१ ॥ छिपकर किये गये पापों के साक्षी  
पच महाभूत ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ) हैं ॥ ५५२ ॥ अपने पापों को  
पापी स्वयमेव प्रकट करता है ॥ ५५३ ॥ व्यवहार के समय मन की बात को आकृति  
ही प्रकट कर देती है ॥ ५५४ ॥

मनोगत भावों की अभिसूचक आकृति को देवता भी नहीं छिपा सकते ॥ ५५५ ॥

चोरों और राजपुरुषों से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए ॥ ५५६ ॥ जिन

सुदर्शना हि राजानः प्रजा रञ्जयन्ति ॥ ५५८ ॥ न्याययुक्तं राजानं  
मातरं मन्यन्ते प्रजाः ॥ ५५९ ॥ तादृशः स राजा इह सुखं ततः स्वर्ग-  
माप्नोति ॥ ५६० ॥

अहिंसालक्षणो धर्मः ॥ ५६१ ॥ स्वशरीरमपि परशरीरं मन्यते साधुः  
॥ ५६२ ॥ मासभक्षणमयुक्तं सर्वेषाम् ॥ ५६३ ॥

न संसारभयं ज्ञानवताम् ॥ ५६४ ॥ विज्ञानदीपेन संसारभयं निवर्तते  
॥ ५६५ ॥

सर्वमनित्यं भवति ॥ ५६६ ॥ कृमिशकृन्मूत्रभाजनं शरीरं पुण्यपाप-  
जन्महेतुः ॥ ५६७ ॥ जन्ममरणादिषु दुःखमेव ॥ ५६८ ॥

तेभ्यस्ततुं प्रयतेत ॥ ५६९ ॥ तपसा स्वर्गमाप्नोति ॥ ५७० ॥ क्षमा-  
युक्तस्य तपो विवर्धते ॥ ५७१ ॥ तस्मात् सर्वेषां कार्यसिद्धिर्भवति ॥ ५७२ ॥

इति चाणक्यसूत्राणि

—: ० :—

राजाओं के दर्शन, प्रजा को कठिनाई से प्राप्त होते हैं उसकी प्रजा नष्ट हो जाती  
है ॥ ५५७ ॥

जो राजा बराबर प्रजा के सुख-दुःख को सुनते हैं उनसे प्रजा प्रसन्न रहती है  
॥ ५५८ ॥ न्यायपरायण राजा को, प्रजा माता के समान मानती है ॥ ५५९ ॥ इस  
प्रकार का प्रजाप्रिय राजा ऐहिक सुख और पारलौकिक स्वर्ग को प्राप्त करता  
है ॥ ५६० ॥

अहिंसा ही धर्म है ॥ ५६१ ॥ सज्जन पुरुष अपने शरीर को भी पराया ही  
मानते हैं ॥ ५६२ ॥ मास-भक्षण सबके लिए अनृचित है ॥ ५६३ ॥ ज्ञानी पुरुषों को  
संसार का भय नहीं होता ॥ ५६४ ॥ विज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) के दीपक से संसार-भय  
भाग जाता है ॥ ५६५ ॥

यह दिखायी देने वाला सब कुछ अनित्य है ॥ ५६६ ॥ कृमि-कीट तथा मल-  
मूत्र का घर शरीर पुण्य-पाप का जन्मस्थल है ॥ ५६७ ॥ यह जन्म-मरण आदि दुःख  
ही दुःख है ॥ ५६८ ॥

इस जन्म-मरणादि से छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए ॥ ५६९ ॥ सब से  
स्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥ ५७० ॥ क्षमाशील पुरुष का तप बढ़ता रहता है ॥ ५७१ ॥  
तपश्चर्या से सबके कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ५७२ ॥

चाणक्यसूत्र समाप्त

—: ० :—

## पारिभाषिक शब्दावली

प्राचीन भारत की राजनीति और शासन के क्षेत्र में आचार्य कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र एक विश्वकोश जितना महत्व रखता है। उसमें धर्म, कर्म, शिक्षा, नीति, समाज, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा और यहाँ तक कि मन्त्र तन्त्र आदि जितने भी विषय हैं उन सभी का समावेश है। इस सर्वांगीण और सर्वतोमुखी विशिष्टता के कारण अर्थशास्त्र की शब्दावली में अनेकता के दर्शन होते हैं।

अर्थशास्त्र-विषयक पुरातन उद्देश्य को दृष्टि में रख कर यहाँ लगभग पौने आठ सौ शब्दों की एक सूची इस हेतु दी जा रही है कि शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर जो भारतीय भाषाओं और विशेषतया संस्कृत भाषा के शब्दों का नवीनीकरण हुआ है, अर्थशास्त्र के पाठकों को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

प्राचीन अर्थशास्त्र का महत्व वर्तमान शासन-संबंधी सभी कार्यक्षेत्रों में व्याप्त है। इस दृष्टि से और आचार्य कौटिल्य की सर्वथा वैयक्तिक विचारधारा को समझने के लिए भी यह पारिभाषिक शब्दावली उपयोगी सिद्ध होगी।

यह शब्दावली सरकार के शिक्षा विभाग से तैयार की गयी पारिभाषिक शब्द-सूचियों, श्री मोनियर विलियम्स, श्री वामन शिवराम आष्टे, श्री लक्ष्मण शास्त्री, राहुलजी तथा डा० रघुवीर के शब्दकोशों, डा० शामशास्त्री, एव महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवादों और डा० जयसवाल की पुस्तक हिन्दू पॉलिटि पर आधारित है।

अ

अकनो—लेखनी—पेंसिल  
अकल्पित—गुहर लगा पत्र—स्टाण्ड  
अकेलित लेखा—लेखा परीक्षक द्वारा जाँच किया हुआ हिसाब—ऑडिटेड एकाउंट  
अगरक्षक—शरीररक्षक—बॉडीगार्ड  
अतप्रस्त—विपत्तिप्रस्त—इवाल्व्ड  
अतपाल राज्य—दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित राज्य—बफर स्टेट  
अंतरंग सचिव—निजी सचिव—प्राइवेट सेक्रेटरी  
अतर्बाणिज्य—आभ्यन्तर व्यापार—इन्टर-नल ट्रेड  
५१ को०

अतिमेत्यम्—अतिम चेतावनी—अल्टिमेटम  
अशधर—हिस्सेदार—शेयर होल्डर  
अकृतक्षेत्र—कृषि के अयोग्य भूमि  
अकृषित—जो भूमि जोती-बोई न गई हो—अनकल्तिवेटेड  
अस—धुरी—एक्सिस  
असपटल—आय व्यय के लेखे का प्रधान, विभाग या कर्मचारी  
{ पटल—अधिदेवन् }  
असपटलाध्यक्ष—महागणक, महागणनिक—एकाउंटेंट जनरल  
असशाला—सुवर्ण आदि का शोधन करने एव गणना करने वालों का स्थान

अग्निवारक—अग्नि का प्रभाव रोकने वाला—फायरप्रूफ  
 अग्निशामक—अग्नि को शांत करने वाला—फायरब्रिगेड  
 अप्रदाय—इम्प्रेस्ट  
 अप्रदाय धन—इम्प्रेस्ट मनी  
 अप्रसर—आगे बढ़ा हुआ—फारवर्ड  
 अप्रसारित—आगे बढ़ा दिया गया पत्र आदि—फॉरवर्डेड  
 अटचीवल—कोल मील लोगों की सेना  
 अणुदर्शी—सूक्ष्मदर्शी—माइक्रोस्कोप  
 अति उत्पादन—खपत या माँग से अधिक मात्रा में पण्य वस्तुओं का उत्पादन—ओवर प्रॉडक्शन  
 अतिचरण—सीमा का उल्लंघन—टास-ग्रेसन  
 अत्यय—वैध अयं दण्ड  
 अद्यावधिक—आज तक का—अप टु-डे  
 अधमर्ण—जिसने किसी से ऋण लिया हो कर्जदार—डेटर  
 अधिकर—अतिरिक्त कर—सुपर टैक्स  
 अधिकरण—आधार विषय  
 अधिकर्ता—निदेशक; सचालक—डाइरेक्टर  
 अधिकर्मी—अधिकारी—ओवरसीयर  
 अधिकार—कार्यभार—सर चार्ज  
 अधिकारपत्र—शासन द्वारा प्राप्त पत्र—चार्टर  
 अधिकारिक सेना—विजित देश पर तब तक अधिकार बनाये रखनेवाली सेना, जब तक कि नियमित शासन व्यवस्था कायम नहीं हो जाती—आरमी आफ आकुपेशन  
 अधिकारी—पदाधिकारी—अफसर

अधिकारी राज्य—कर्मचारी तन्त्र—ब्यूरोक्रेसी  
 अधिकौष—क्षय जमा करने और माँगने पर व्याज सहित लौटा देने वाली सन्ध्या—बैंक  
 अधिग्रहण—अधिकार या अधियाचन द्वारा किसी की संपत्ति आदि को ले लेना—ऐक्विजिशन  
 अधिदेय—भत्ता—अलाउन्स  
 अधिनायक—तानाशाह—डिक्टेटर  
 अधिनियम—पारित विधि—ऐक्ट  
 अधिपत्र—लिखित आदेश—वारंट  
 अधिप्रभार—निर्धारित परिणाम से अधिक मुल्क—ओवरचार्ज  
 अधिभार—अधिक कर—सरचार्ज  
 अधिमास—मलमास—लीप ईयर  
 अधियुक्त—नियोजित—एम्प्लॉयड  
 अधिराज्य—स्वतंत्र उपनिवेश—डोमी-नियन  
 अधिवक्ता—वकील—एडवोकेट  
 अधिवारन—डामिसियल  
 अधिविप्रा—प्रथम विवाहिता पत्नी  
 अधिशिक्षक—मुख्य अधिगता—रेक्टर  
 अधिशेष—बचत—सरप्लस  
 अधिष्ठाता—नियामक अधिकारी—प्रसाइ-डिंग आफिसर  
 असूचिचना—अधिकृत सूचना—नोटिफिकेशन  
 अधीक्षक—कार्यालय या विभाग का अधिकारी—सुपरिंटेंडेंट  
 अप्यक्ष—प्रमुख—चेयरमैन  
 अप्यार्थित—क्लेम्ड  
 अप्यर्थी—दावेदार—क्लेमेड

अध्यादेश—विशेष स्थिति में लागू किया गया आदेश—आर्डिनंस  
 अध्यारोप—इम्प्रूव्मण्टेशन  
 अनप—दुष्टनीति  
 अनहंता—अयोग्यता—डिस्क्वालिफिकेशन  
 अनाहूद—पैदल—डिस्माउण्टेड  
 अनावर्तक—जो (अनुदान) एक ही बार दिया जाय—नॉन-रेकरिंग  
 अनावर्ती—फिर न लौटनेवाला—एपोरिओ-डिक  
 अनौक्स्थ—निपुण हस्तिशिक्षक  
 अनौकिनी—सेना का सबसे बड़ा भाग, जिसमें १०-१५ हजार सैनिक हों—डिवीजन  
 अनुग्रह—राजा के द्वारा प्रजा को प्रदत्त उपकार  
 अनुग्रह परिहार—आर्थिक रियायतें  
 अनुग्रहघन—सेवा का उपहार—ग्रेचुइटी  
 अनुच्छेद—सविदा आदि का वह विशिष्ट अंश, जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों आदि का उल्लेख हो—पैराग्राफ  
 अनुज्ञप्ति—अनुज्ञापत्र—साइसेंस  
 अनुज्ञाधारी—साइसेंसदार  
 अनुदेश—हिदायत—इस्ट्रक्शन  
 अनुपूरक—छूट या कमी को पूरा करने के लिए बाद में बढ़ाया हुआ—सप्लि-मेंटरी  
 अनुबन्ध—बंधन—कॉन्ट्रैक्ट  
 अनुबन्ध पत्र—करारनामा—इंटेचर  
 अनुबल—ग्यूरलरक सेना—रेपरगार्ड  
 अनुभाजन—एपोर्शन  
 अनुरक्षक—एस्कोर्ट

अनुवेशपत्र—परीक्षित पारपत्र—वीजा  
 अनुशय—त्रय विक्रय—संबन्धी विवाद  
 अनूप—जलमय प्रदेश  
 अनैतिक—इम्मोरल  
 अनौपचारिक—इनफारमल  
 अन्तपाल—सीमान्त अधिकारी  
 अन्तर्बंशिक—अन्तःपुर का प्रमुख अधिकारी  
 अन्तर्धि—शत्रु तथा विजिगीयु के बीच का राज्य  
 अपचारक—दूसरे की सीमा में अनधिकार प्रवेश—ट्रेसपासर  
 अपर न्यायाधीश—अतिरिक्त न्यायाधीश—एडीशनल जज  
 अपर सचिव—अतिरिक्त सचिव—एडिशनल सेक्रेटरी  
 अपराधी—दोषी—गिल्टी  
 अपरिदेय—जिसकी बदला-बदली न की जा सके—नॉन-ट्रांसफरेबल  
 अपलाभ—अनुचित लाभ—प्रोफिटियरिङ्ग  
 अपहार—प्राप्त आय को खाते में न चढाना निर्धारित धन का व्यय न करना और बचत धन का अपव्यय करना  
 अपेक्षानूमि—परती भूमि—फालोर्लैंड  
 अप्रतिभाव्य—वह अपराध, जिसमें किसी के जामिन बनने या जमानत देने को तैयार होने पर भी अपराधी को अस्थायी रूप से रिहा कर देने की गुआयदा न हो—नॉन-बेनेबिल  
 अप्रत्यक्षकर—जो वर विक्रय वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत के रूप में उपभोक्ताओं से लिया जाता है—इण्डाइ-रेक्ट टैक्स  
 अप्रत्यादेश—जो फिर प्राप्त या बमूल न किया जा सके—इरिक्वैरेबिल

अप्राप्त्यपहार—जावालिय  
 अनक्ति—अथवा—डिम्पोपन्टी  
 अभिवचन—अप्रमाणित आराप—गलेगेशन  
 अभिकरण—अभिकर्ता के कार्य करने का  
 स्थान—एजेंसी  
 अभिकर्ता—कार्यवाहक, घटक—एजेंट  
 अभिग्रहण—अपना कहकर स्वीकार  
 करना—एकत्रात्रीजन  
 अभिज्ञा—मान्यता—रेकॉग्निशन, आइडे-  
 न्टिटी  
 अभिज्ञान—मान्यता प्राप्त—रेकॉग्नाइज्ड  
 अभिज्ञान—पहिचान—आइडेन्टिफिकेशन  
 अभिज्ञापक—उद्घायक—एनाउंसर  
 अभिज्ञापत्र—गृहबान पत्र—आइडेन्टिटी  
 कार्ड  
 अभिधान—वचन—एग्जीकुटिव्स  
 अभिनिर्णय—अन्तिम निर्णय—फाइनल  
 अभिन्यास—किन्हीं योजना के अनुसार  
 गृह, उद्यान आदि का निर्माण  
 करना—ले-आउट  
 अभिभावक—भरक्षक—गार्डियन  
 अभिपन्ता—अन्तर्विद—इन्वीनियर  
 अभिपान—आक्रमण करने की क्रिया  
 अभियोक्ता—वादी—क्वॉम्प्लेनेट  
 अभिषेक—दोषारोपण—एक्ज्यूजेसन  
 अभिवक्ता—बकीर—प्लीडर  
 अभिरक्षक—भुरक्षा की दृष्टि से किन्हीं  
 वस्तु या व्यक्ति को अपन सुरक्षण म  
 रखने वाला—कम्प्लोडियन  
 अभिरक्षा—द्विरासत—कम्प्लोडी  
 अभिलेख—रिकार्ड  
 अभिलेख कार्यालय—रिकार्ड आफिस  
 अभिलेखपाठ—कीपर आफ रिकार्ड्स

अभिपद्—मीनेट की प्रबन्ध समिति  
 —सिण्डिकेट  
 अभिमूचना—हिदायत—इस्ट्रक्शन  
 अभिसावणी—भट्टी—डिस्टलरी  
 अमुक्त—त्रिभुजा उपभोग या भुगतान न  
 किया गया हो—अनकॅम्ब  
 अन्यदा—निपताण—कोटा  
 अन्यस्त अपराधी—आदनन दोषी  
 —हैबिजुअल ऑफिंडर  
 अन्युक्ति—टीका—रिमाक  
 अन्युदेश—रिफ्रेन्स  
 अम्ल—तेजाव—एसिड  
 अभिरक्षण—धन के प्रमुख दोष  
 अय—अभीष्ट फल की प्राप्ति  
 अराजक—बिना शासक वाली आदर्श-  
 वादियों की शासन-प्रणाली  
 अयंदुपण—आर्थिक क्षति  
 अयंसास्त्र—पृथिवी की प्राप्ति और पालन  
 का प्रतिपादन करने वाली विद्या  
 अर्पापन—व्याख्या—इंटरप्रेटेशन  
 अर्हता—योग्यता—क्वालिफिकेशन  
 अवकाशग्रहण—विधायक लेना—रिटायरमेंट  
 अवज्ञा—अवहेनना—डिस्-ओबिडियंस  
 अवघाता—बहु व्यक्ति जो असली मासिक  
 की अविद्यमानता में मकान  
 आदि की निगरानी करे—नेयरटेकर  
 अवघापी सरकार—अवघायक सरकार  
 बहु सरकार, जो निर्वाचन होने के  
 बाद नई सरकार के कार्यभार ग्रहण  
 कर लेने तक शासन-व्यवस्था की  
 निगरानी करती है—केयरटेकर  
 गवर्नमेंट  
 अवघान—द्वेषमान—वेनर



अवधायक अधिकारी—किसी कार्य या कार्यालय का अधिकारी—आफिस इनचार्ज

अवमान—अवज्ञा—कटेस्ट

अवमूल्यन—किसी सरकार द्वारा अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाना—डीवैल्युएशन

अवयस्क—नाबालिग (१८ वर्ष से कम) —माइनर

अवर—जूनियर

अवरागार—लोकसभा—लोअर हाउस

अवबद्ध—नजरबन्द

अवरोधन भत्ता—रूफोनी भत्ता—डिंटेशन असाउस

अवशेष—बचा हुआ—वैलेंस ओपरनिंग

अवैक्षण—लुक आउट

अवैतनिक—अनरेरी

अवैध—नियमविरुद्ध—इल्सीगल

अवसर ग्रहण—अवसर प्राप्त—रिटायरमेण्ट

अवस्थान प्रक्रम—ठहरने का स्थान—स्टेशन

अवहार—छूट ( कर )—रिबेट

अव्ययित शेष—किसी काम के लिए निर्धारित या जमा किये हुए धन का वह अंश, जो व्यय न किये जाने के कारण बच गया हो—अनस्पेंड बैलेंस  
अशोधित शेष—किसी ऋण आदि का वह बचा हुआ अंश जिसका भुगतान या अदायगी न हुई हो—अनरिडीम्ड बैलेंस

अष्टकुल—आठ सदस्यों की न्यायकारी काउंसिल

असैनिक—सिविल

असैनिकीकरण—किसी स्थान या क्षेत्र को सैन्यविहीन कर देना—डीमिलिटै-रिजेशन

अस्थायी सधि—आमिस्टिस  
आ

आकाशो—एरियल

आक्रय—फेरीवाला—हॉकर

आख्यापक—अनाउसर

आख्यापना—अनाउसमेण्ट

आज्ञप्ति—दीवानी मुकदम में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय—डिग्री

आतिथ्य शुल्क—आयात माल पर कर

आतंक युद्ध—प्रचार आदि के द्वारा ऐसा आतंक उत्पन्न कर देना कि जिससे शत्रु का साहस और युद्ध क्षमता शीघ्र पड़ जाय—वार ऑफ नव्ज

आवेद्य—वह धन, जो दूसरों से मिलना हो या जो अपनी संपत्ति बेच कर प्राप्त किया जाय—असेट्स

आधि—धरोहर—पॉन

आधिकारिक—सरकारी—ऑफिसियल

आन्वीक्षकी—आत्मविद्या

आपत्तहायकार्य—दुष्काल या बाढ़, भूकंप आदि के सकट-काल में, आतं तथा असहाय जनता की सहायता के लिए आरम्भ किया गया सार्वजनिक निर्माण कार्य—रिलीफ वर्क

आपात—आवृत्तिक सकट—इमर्जेन्सी

आपृच्छा—रेफरेंडम

आषकारी—एक्साइज

आभारोक्ति—एकनैजमेण्ट

आयकर—इनकम टैक्स

आयकर अधिकारी—इनकम टैक्स  
 आफिसर  
 आयात शुल्क—इम्पोर्ट ड्यूटी  
 आयात—इम्पोर्ट  
 आधाम—माप—डाइमेन्शन्स  
 आयव्ययक—किसी निश्चित अवधि के  
 आय-व्यय का लेखा—बजट  
 आयुक्त—कमिश्नरी का प्रधान अधिकारी  
 —कमिश्नर  
 आयुग—किसी विशेष कार्य को संपन्न  
 करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का  
 मंडल—कमीशन  
 आयोजना—प्लानिंग  
 आरक्षक—आरक्षी—पुलिस  
 आरक्षण—रिजर्वेशन  
 आरक्षित शायिका—रिजर्व्ड बयं  
 आलोचना—गुण-दोष विवेचन—कॉमिट  
 खासक—इनवार्ड  
 आवत्तं—रिवोलूशन  
 आवत्तंक—आवर्ती, बार बार दिया जाने  
 वाला (अनुदान)—रेकरिंग  
 आविस पत्र—मैनिफेस्टो  
 आक्षुपत्र—एक्सप्रेस नेटर  
 आक्षुलिक—स्टेनोग्राफर  
 आहर्ता—ड्रावर  
 आक्षेप—कुर्की—अर्टेचमेट  
 आहार्यी—ड्रावी  
 आह्वान पत्र—समन—समस  
 इ  
 इतिवृत्त पत्रक—हिस्ट्री शीट  
 इतिशेष—वैलेंस क्लोजिंग  
 उ  
 उच्च न्यायालय—हाईकोर्ट

उच्चाधिकारी—हाई कमान  
 उच्चायुक्त—हाई कमिश्नर  
 उरकोच—रिशवत—ग्राइड  
 उत्तमणं—महाजन—क्रैडिटर  
 उत्तराधिकारी—हेयर  
 उत्तोलक—ऊपर उठाकर तोलने वाला  
 यन्त्र—सीवर  
 उत्पानक—ऊपर-नीचे चढाने-उतारने  
 वाला विजली का मासन—लिफ्ट  
 उद्ग्रहण—उगाहना—लेवी  
 उद्योगशाला—कारखाना—फैक्ट्री  
 उन्मोचन—बन्धनमुक्त या ऋणमुक्त  
 —डिसचार्ज  
 उप—डिप्टी  
 उप उच्चायुक्त—डिप्टी हाई कमिश्नर  
 उपकर—एक तरह का छोटा कर, जो  
 विविध वस्तुओं पर विभिन्न  
 स्थितियों में लगाया जाता है—सेस  
 उपकुलपति—कुलपति के मातहत—प्रो-  
 वाइसचांसलर  
 उपजोध—मानना या धर्म आदि का  
 पालन करना (राज शब्दोपजीवी—  
 राजा की उपाधि धारण करने  
 वाला सध, शस्त्रोपजीवी—जो सध  
 अस्त्र-शस्त्रों का व्यवहार करता था  
 अथवा युद्धकला में निपुण होता था)  
 उपनिदेशक—डिप्टी डाइरेक्टर  
 उपनिवेश—दूसरे देशों में अपनी बस्ती  
 बसाना या नई बस्ती बसाना—कॉलो-  
 निजेशन  
 उपनोबलाध्यक्ष—वाइस एडमिरल  
 उपपजोयक—सब रजिस्ट्रार  
 उपपत्ति—ध्योरी

उपप्रस्ताव—मोशन  
 उपमुख्य—डिप्टी चीफ  
 उपमुख्य लेखा-अधिकारी—डिप्टी चीफ  
 अकाउण्ट आफिसर  
 उपबन्ध—शर्तक—काडिगन  
 उपयोजक—एडाप्टर  
 उपशुल्क—उपकर—रेण्ट  
 उपसञ्चालक—डिप्टी डायरेक्टर  
 उपसहरण—घटाना, कम करना—आवेद  
 उपस्कर—मगाना—इक्वुप्मेण्ट  
 श्रु  
 श्रुणवन्धनपत्र—स्कटा—प्रो-नोट  
 औ  
 औपचारिक—दिखाऊ—फारमल  
 औरस—विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र  
 क  
 कक्ष—सेना के पश्चाद् भाग के दोनों  
 पार्श्व  
 कण्टकशोधन—समाज-अहितकारी  
 लोगों का दमन  
 कण्टिका—आजपीन—पिन  
 कण्टिकाधार—पिनकुशन  
 कर—चुङ्गी—इम्पोस्ट  
 करण—न्यायालय में बयान लिखने  
 वाला—क्लर्क  
 करणिक—क्लर्क  
 करणिक प्रधान—हेडक्लर्क  
 करणिक मुख्य—चीफ क्लर्क  
 करणिक सहायक—असिस्टेण्ट क्लर्क  
 कर निर्धारक—असेसर  
 कर्णपाल—क्वाटर मास्टर  
 कर्मक—यसंनल ( वगं )  
 कर्मकार—वर्कमैन

कर्मशाला—वर्कशाप  
 कर्मन्त—कारखाना  
 कल्पना—दन्तकथा पुराणकथा—मेथ  
 कारागारिक—कारापाल—जेलर  
 कार्तान्तिक—यमपट दिखाकर जीविको-  
 पार्जन करने वाला ज्योतिषी  
 कार्मिक—गणना विभाग का कर्मचारी  
 कार्यकारी अभिकर्ता—ऐक्टिङ्ग एजेण्ट  
 कार्यनायक—चाज डी एफेयर्स  
 कार्य-परिषद्—कारुनिगत आफ ऐवगन  
 कार्यपुस्तक—काल बुक  
 कार्यभारी—इन्चार्ज  
 कार्यवाहक—ऐक्टिङ्ग  
 कार्यवाहक प्रभारी—इन्चार्ज  
 कुटीर शिल्प—छोटा उद्योग—काटेज  
 इडस्ट्री  
 कुलपति—वाइसचांसलर  
 कुलिक—पौर का न्यायाधीश, गणराज्य  
 में निर्णय करने वाली संस्था  
 कूटरूप—जाली सिक्का  
 कूटशासन—कपट लेख या जानी  
 दस्तावेज  
 कूटसाक्षी—मूठा गवाह  
 कृतित्त्वामित्व—सर्वाधिकार—कॉपीराइट  
 कृत्य—जो भूमि जोती-बोई जा सके  
 -कल्टिवेटेबिल  
 केन्द्र निदेशक—स्टेशन डायरेक्टर  
 कोशसपत—राजकोश के उत्कृष्ट गुण  
 कोष्ठागार—सरकारी भवनसमूह का स्थान  
 क्षति सर्वेक्षण—डेमेज सर्वे  
 क्षय—अल्प भाग और अधिक व्यय  
 क्षेत्रीय न्यायालय—रीजनल कोर्ट  
 स  
 सण्ड निरोधक—ब्लॉक इन्स्पेक्टर

स्वापना—ऐलान-अनाउसमेट

ग

गण—सस्था, सिनेट, कंपनी

गणक, गणनिक—आय ध्यय सेखक—

एकाउण्टेण्ट

गणना—सेखा-अकउण्ट

गणनाफलक—खिडकी-कारण्टर

गणिकाध्यक्ष—वेश्याओ पर अनुशासन

रखने वाला अधिकारी

गति निदेशक—मूवमेट डाइरेक्टर

गुटिकाधार—बाल वेयरिंग

गुणाकन—स्कोरिंग

गुल्म—रक्षकदल—प्लाटून

गृहपति—छात्राभिरक्षक—वार्डन

गृहरक्षक—होमगार्ड

ग्रन्थागारिक—पुस्तकालय का अध्यक्ष

—लाइब्रेरियन

ग्रन्थि—गिस्टी—ग्लैंड

ग्रामकूट—गाँव का मुखिया

ग्राम गामणिक—किसी गाँव या नगर का

निर्वाचित राजा या सभापति

ग्रामणी—गाँव का मुखिया

ग्रामिक—ग्रामपाल

घ

घट्टकर—नावकर—फेरी टॉल

घ

घनू—मण्डल-डिवीजन

घारक—हुवासात

घालक—ड्राइवर

चिकित्सा अधिकारी—मेडिकल आफिसर

चित्राधार—अलबम

छ

छब—मत-वोट

छदक—संमति—रेफरेन्डम (Referendum)

छदाधिकार—मताधिकार

छयनाम—कपटनाम—प्यूडोनिक

छपयुद्ध—कपट युद्ध—शॉम फाइट

ज

जनित्र—जेनेरेटर

जनन—उत्पादन—रिप्रोडक्शन

जनसम्पर्काधिकार—जनता से सम्पर्क

बनाये रखनेवाला सरकारी अधि-

कारी—पब्लिक रिलेशन आफिसर

जल परिवहन विधि—एडमिरेलिटो ला

जानपद—देशसध

जानपद संग्रह—देशरक्षक सेना—मिलीशिया

जीवनरक्षक पेटो—हूवने से बचने के लिए

बाँधी जाने वाली ऐसी पेटो जिसमे

हुवा भरती रहती है या बडा सा कारक

लटकता रहता है—लाइफ वेस्ट

ज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति—सूचना

ज्ञात कुल—डिस्ट्रिक्ट

ज्वलनांक—फायर पोइंट

ज्वालक—बनर

ड

टकशाला—टकसाल—मिंट

ड

डमर—विप्लव

डिम्ब—प्रजा-विप्लव

त

तर्जनी—देशिनी प्रदेशिनी—इण्डेक्स

फिंगर

तीर्थ—विभागीय अध्यक्ष

तुलनाय—दर्जी

तुलनपत्र—वैलेंस शीट

द

दण्डपाल—सेनाध्यक्ष  
 दण्डाधीश—दण्डाधिकारी—मजिस्ट्रेट  
 दसकुलो—दस परिवारों का सघ  
 दसप्राणी—दस गाँवों का समुदाय  
 दाति—वितरण—डेलीवरी  
 दाय—रिक्थ—इन्हेरिटेंस  
 दापाद—पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी  
 दिक्सूचक—कुतुबनुमा—कम्पास  
 दिविर—मुली—रजिस्ट्रार—एम्बुअरी  
 दुरनियोजन—किमी को हानि पहुँचाने  
 के लिये फी जाने वाली गुप्त कार्य  
 वाही—प्लाट  
 दुर्ग रक्षक सेना—दुर्गनिवेश—गारिजन  
 दूरमुद्रक—टेलिप्रिटर  
 दूष्य—राजशोही  
 द्रावक—फ्लस्क  
 द्विनेत्री—दूरबीन—बाइनोकुलर  
 द्वैराज्य—दो शासकों वाला राज  
 ध  
 धनादेश—चेक  
 धरण—सहारा—गर्डर  
 धर्मस्थ—दीवानी कचहरी का न्यायाधीश  
 धर्मस्व—प्राभृत—इन्डोमेट  
 धारक—कौपर  
 धारणिक—कजंदार  
 धारा—दफा—सेक्शन  
 धारिता—मता—कंपैमिटी  
 धारक—विपरिण  
 धात्री—दायी—मिडवाइफ  
 ध्वजबद्ध—फ्लेग स्टाफ  
 ध्वजपति—फ्लेग अफसर  
 ध्वजपोत—फ्लेगशिप

न

नगरपाल—सिटी फादर  
 नगररक्षक—सिविल गार्ड  
 नामन्—जाख्य—नॉमिनेशन  
 नामपत्र—लेबल  
 नामिका—पेनल  
 नायक—दलनेता—कैप्टिन  
 नाविक—पोतारोही—डेक हैड  
 निकाय—बर्ग—बॉडो  
 नियम—पोर सघ—कॉर्पोरेशन  
 निष्पकर्ता—समाप्तक, सक्षेपकर्ता  
 —अश्वेविक्टर  
 निजी सचिव—निजी कामों की देखभाल  
 करने वाला सचिव—प्राइवेट सेक्रेटरी  
 निदेश—ट्रिदायत—डाइरेक्शन  
 निदेशक—डाइरेक्टर ( प्रशासन )  
 निबंधक—पजीयक—रजिस्ट्रार  
 निबंधन—पजीयन—रजिस्ट्रेशन  
 नियंत्रक—कंट्रोलिंग—आफिसर  
 नियामक—अवरोधक—रेगुलेटर  
 नियोजता—नियोजिता—एम्प्लायर  
 निरकुरा राजतंत्र—अवसोल्यूट—मोनाकी  
 निरसन—किसी विधि भादि को अधि-  
 कारपूर्वक या वैधरीति से रद्द कर  
 देना—रिपील्ड  
 निरीक्षक—इस्पेक्टर  
 निर्देशक—डाइरेक्टर ( प्रोग्राम )  
 निर्माता—श्रॉअक्टर  
 निर्वीत—वेक्पूम  
 निलंबित—मुअत्तिल—नार्स्पेडिड  
 निबन्धक—मुनीम  
 निशान्त—राजभवन  
 निष्कासिका—आउटलेट

निष्क्रान्त—इवक्यूई  
 निष्क्रिय लेखा—डेड अकाउंट  
 निष्पादक—एक्जिक्यूटिव  
 निमृष्टि—राज्य का प्रमाण पत्र  
 निस्तारण—वाम पूरा करने की क्रिया  
 -डिसपोजल  
 निस्पदक—फिल्टर  
 नि स्वामिक भूमि—वह परती भूमि जो  
 किमी के अधिकार में न हो—नो  
 मेंस लैंड  
 नौबी—आय व्यय के खाद का बचा हुआ  
 धन  
 नैगम—नगर-व्यापारियों की सभा  
 नैमित्तिक—असाधारण-काजल  
 नौतरण—बहुन जलयात्रा-नैविगेशन  
 नौबलाध्यक्ष—नौसेना का प्रधान  
 सेनापति—एडमिरल  
 नौभार—कारगो  
 न्यायसम्य—जूरी  
 न्यायिक—जुडिसियल  
 न्यास—निगम—ट्रस्ट  
 न्यासधन—ट्रस्टमनी  
 प  
 पञ्जी—रजिस्टर  
 पञ्जीयन—दर्ज करना—रजिस्ट्रेशन  
 पक्ष—सना के अग्रभाग के दोनों पार्श्व  
 पञ्चगामी—पाँच गाँवा का कर-सग्रह करने  
 वाला अधिकारी  
 पण—दत्त, राज्याभिषेक के समय राजा  
 से इस बात की शपथ करायी जाती  
 थी कि वह धर्म या कानून के  
 अनुसार शासन करेगा  
 पण्य—व्यवहार योग्य—कॉमोडिटी

पण्यक्षेत्र—पण्यभूमि, बाजार—मार्केट  
 पण्यगृह—गोदामघर  
 पण्यशाला—मठार—इम्पोरियम  
 पत्तनपति—हार्बर मास्टर  
 पत्नी—पार्टी  
 पत्रवाहक पत्नी—पियन बुक  
 पयकर—मार्गकर—टॉल  
 पदक्रम—ग्रेड  
 पदक्षेप—मार्क टाइम  
 पदाति—पैदल सेना—इन्फैन्ट्री  
 परजीवी—पैरासाइटिक  
 परराष्ट्र मंत्री—फारेन मिनिस्टर  
 परिचर—सेवक—अटेंडेंट  
 परिचायक—डिटेक्टर  
 परिचालक—आपरेटर  
 परिदर्शन—इन्स्पेक्शन ( चिकित्सा )  
 परिधि—सरकल  
 परिपय—सरक्यूट  
 परिपृच्छा—पूछ-छाछ-इनक्वाइरी  
 परिभाव्य धन—काउशन मनी  
 परिदक्षक—परजरवेटिव ( चिकित्सा )  
 परिवर्तक—कॉन्वर्टर  
 परिवहन—ट्रांसपोर्ट  
 परिवार—शिकायत—कॉम्प्लेंट  
 परिवीक्षा—परस-प्रोवेसन  
 परिव्यय—सागत—कॉस्ट  
 परिपद्—काउन्सिल  
 परिष्ठा—हैसिमत—स्टेट्स  
 परितपति—असेसमेण्ट  
 परीक्षक—टेस्टर  
 परीक्षण—टेस्ट  
 परीहार—करमुक्ति से सम्बद्ध राजाशा-पत्र  
 परिणका—नूपन

पथवेक्षक—सुपरवाइजर  
 पलायो—फरार—एव्सकोण्डर  
 पशु-चिकित्सा निरीक्षक—वैटरनरी-  
 इस्पेक्टर  
 पारणक—अनुमतिपत्र—पास  
 पारपत्र—अनुज्ञापत्र—पारापोर्ट  
 पारित—स्वीकृत—पासड  
 पारिषद्—काउन्सिलर  
 पाठर्ष—वैक प्राउण्ड  
 पाठधरलक्ष सेना—फर्लकगाई  
 पात्रतो पत्र—रसीद—एकनॉलेजमेण्ट  
 पीठस्थधिर—कुलमधिव—रजिस्ट्रार  
 पुनर्वास—फिर से बसाना—रिहैबिलिटेशन  
 पुस्त—बहीखाता  
 पूग—धार्मिक सभ  
 पूगपामणिक—शिल्प-सम्बन्धी किसी गण  
 या सभ के सभापति  
 पूर्णविकारी—वितरण का व्यवस्थापक  
 सप्लाइ आफिसर  
 पूर्वक्षण—पूर्व  
 पौर—नगर-निवासियों की सभा या  
 सस्था, राजधानी के निवासियों की  
 सभा या सस्था—म्युनिसिपल-व्यवस्था  
 पौर मुख्य—नगर मजिस्ट्रेट  
 प्रकाश स्तम्भ—रात में विमानों का पथ-  
 प्रदर्शन करने के लिए हवाई अड्डे  
 पर दायें बायें घूमने वाला प्रकाश-  
 लाइट हाउस या सर्वलाइट  
 प्रकोण—उभाकश—साँवो  
 प्रतिधि—गुप्तचर—सोक्रेट एजेण्ट  
 प्रतिकार—मुआवजा—कम्पेनसेशन  
 प्रतिजोषाणुक—ऐंटीसेप्टिक  
 प्रतिज्ञा—राज्याभिषेक के समय की शपथ

प्रतिनिधि—डेलिगेट  
 प्रतिपत्रक—रसीद  
 प्रतिभाष्य—जमानत—बेलेबिल  
 प्रतिभू—जामिन  
 प्रतिभू—जमानत देने वाला—श्यूस्टी  
 प्रतिभूति—धारण्टी  
 प्रतिरक्षा—इमुनिटी  
 प्रतिलोम—कन्वर्स  
 प्रतिवर्षक—नमूना  
 प्रतिवर्ष—रिपलैन्स  
 प्रतिवेदन—आख्या—रिपोर्ट  
 प्रति श्रवण—प्लेबैक  
 प्रतिष्ठाता—प्रवर्तक सत्यापक—फाउण्डर  
 प्रतीक्षालप—वेटिंग रूम  
 प्रत्यक्ष प्रभार—डाइरेक्ट चार्ज  
 प्रत्यय—साख—क्रेडिट  
 प्रत्ययपत्र—क्रिडेंशियल्स  
 प्रत्याय—प्रतिकल—रिटर्न  
 प्रत्यापित—सबाददाता—एक्जिडिटेड  
 प्रत्यावर्तक—रल्टरनेटर  
 प्रत्यावर्ती—लुप ( आकाशी )  
 प्रवर्षक—एक्जिक्टर  
 प्रदर्शिका—गाइडबुक  
 प्रदेष्टा—फौजदारी कचहरी का न्यायाधीश  
 प्रधान—मुख्य—चीफ  
 प्रधान निदेशक—डाइरेक्टर जनरल  
 प्रधान निवाहक—हैट रेगुलेटर  
 प्रधान मन्त्री—प्राइम मिनिस्टर  
 प्रधान सकेतक—हैट सिग्नलर  
 प्रधान सचिव—महासचिव—सेक्रेटरी  
 जनरल  
 प्रधान सैनिक केन्द्र—जनरल हेडक्वार्टर्स  
 प्रपत्र—फार्म

प्रबधक—मैनेजर

प्रभार—चारज (कार्यभार)-चारज (भाडा)

प्रभारी—उत्तरदायी—इञ्चारज

प्रभुसत्ता—पूर्णसत्ता—साव्हरेनटी

प्रमण्डल—सध-कपनी

प्रयोजना—प्रोजेक्ट

प्रयोज्य—लागू ऐप्लिकेडुल

प्रलेख—डाकूमेन्ट

प्रदक्ता—अधिकार प्राप्त बोलने वाला

प्रतिनिधि—स्पोक्समैन

प्रवर—उच्च-सीनियर

प्रवर समिति—सेलेक्ट कमेटी

प्रवर्तक—ओरिजिनेटर

प्रवर्धक—एम्प्लिफायर

प्रवाहिका—डिस्टेंटी

प्रविधि—विशेष ढंग—टेकनीक

प्रशास्ता—कारागार अधिकारी

प्रशोतन—रेफिजीरेशन

प्रशीतित्र—रेफ्रिजरेटर

प्रशुल्क—आयात निर्यात की वस्तुओं पर

लगने वाला कर—टैरिफ

प्रसवादी—हारमोनिक

प्रस्तुति—प्रजेंटेशन

प्रवृत्त—लागू—इनफोर्स

प्रशासक—शासन या भू-संपत्ति का प्रबध

करने वाला अधिकारी—ऐडमिनिस्ट्रेटर

प्रशासन—ऐडमिनिस्ट्रेशन

प्रहरक—वाचमैन

प्रतपति—राज्यपाल—गवर्नर

प्राक्कलन—सभावित व्यय का अनुमान

—एस्टिमेट

प्रतराश—नाशना—ब्रेकफास्ट

प्राधिकार—प्रिभिलेज

प्राधिकारी—अयॉटो

प्राप्त्यवहार—वयस्क

प्रासाधिकार—विशेषाधिकार—प्रिभिलेज

प्राप्तानुश—आज्ञापन—साइसेंस

प्राप्ति और दाति—रिसीप्ट एंड डेलीवरी

प्राभिकर्ता—अटॉर्नी

प्राभियोग—महाभियोग—इम्पीचमेन्ट

प्रारक्षण—रिजर्व

प्राहृप—मसौदा—ड्राफ्ट

प्राविधिक—किसी कला, शिल्प आदि की

विशेष कार्यविधि—टेक्निकल

पृतना—ब्रिगेड

पृतनापति—ब्रिगेडियर

प्रेक्षण—ऑब्जर्व

प्रेयी—पानेवाला—ऐड्रेसी

ब

बाहिनी—बटालियन

भ

भंडार नियंत्रक—क्वेट्रोल आफ स्टोर्स

मयद—खतरा—डेंजरस

मलक—भक्ता—अलाउस

भाडागार—गोदाम—गुडोन

भाडारिक—स्वाधिक विक्री के लिए बहुत

सी चीजें अपनी दूकान या गोदाम

में रखने वाला—स्टॉकिस्ट

भाग्यदा—लाटरी

भारतीय दण्ड संहिता—इण्डियन पेनल

कोड

भारिक—पोटर

भूयोजन—अर्थ

भृति—मजदूरी—वेज

भृति भोगी—रूपये के सालच से किसी

की सेवा करने वाला—मर्सिनरी



म

मण्डल—डिवीजन  
 मण्डल अधीक्षक—डिवीजनल—मुनिस्ट्रैट  
 मण्डल मुख्यालय—डिवीजन हेड क्वार्टर्स  
 मन्त्रणा—कौंसल  
 मन्त्रणाकार—सलाहकार—ऐडवाइजर  
 मन्त्रालय—मिनिस्ट्री  
 मन्त्रपरिषद्—मन्त्रियों की गोपनीय सभा  
 मन्त्रि-परिषद्—राष्ट्र के कार्यों का विवेचन करनेवाली परिषद्  
 मन्त्री—अमात्य ( एक साथ रहनेवाला )  
 मन्त्रस्यन्याय—आतनायियों का उपद्रव  
 महागणनाध्यक्ष—महालेखनाल—अकाउंट-प्टेण्ट जनरल  
 महाधिबक्ता—एडवोकेट जनरल  
 महानिरीक्षक—इन्स्पेक्टर जनरल  
 महान्यायवादी, महाशक्तिर्ता—ऐटर्नी जनरल  
 महापत्रपाल—पोस्ट मास्टर जनरल  
 महापरिषद्—जनरल कौंसिल  
 महाबलाधिहृत—फील्ड मार्शल  
 महामहिम—टिब्र एक्सेलेंसी  
 महामात्य—प्रधानमन्त्री  
 महामान्य—टिब्र मैजिस्ट्री  
 महालेखापरीक्षक—आडिटर जनरल  
 मानक—स्टैंडर्ड  
 माननीय—ओनरेबुल  
 मासपत्र—मैगजिन  
 मार्गाधिकार—राइट-आफ-वे  
 मित्र शक्ति—मित्रराष्ट्र एलाइड पावर  
 मुख्यकरगिरि—हेड क्लर्क  
 मुख्य न्यायापिपति—चीफ जस्टिस  
 मुख्य न्यायायोग—चीफ जज

य

यत्र—मशीन  
 यत्रज्ञात—मशीनरी  
 यत्रशाला—मशीनघर  
 यात्रिक—मिक्सी—मिक्सेनिक  
 यान पथ—हैरेज-वे  
 युक्त—आपकारी या अफसर  
 युक्त कम चायुक्तन्य—जो व्यक्ति अफसर या अधिकारी नहीं है, उसका किया हुआ ऐसा कार्य जो किसी अधिकारी या अफसर को करना चाहिए ।  
 युक्ताहार—वैलेंड डाइट  
 युग्मन—समुजन-कॉन्जुगेशन  
 योजक—ऑर्गनाइजर-क्पलर  
 र  
 रक्षित—गार्ड  
 रक्षी—क्वर्ड  
 राजक—मयुक्त कौंसिल  
 राजतन्त्र—मोनार्की  
 राजदया—बनेमेसी  
 राजदूत—अम्बेसेडर  
 राजनयिक—डिप्लोमेसी  
 राजनयिक सहायदाता—डिप्लोमेटिक करिसोर्डिट  
 राजपत्र—गजट  
 राजपथ—राजमार्ग—हाईवे  
 राजशास्त्रिन् सथ—बहु प्रजातन्त्र जिसमें राज् द्वा राजा की वसाजि शरण की जाती है  
 राजशासन—उदाशा  
 राष्ट्रमुख्य—जनपद के प्रमुख पुरय  
 राजस्व—रेवेन्यू  
 राजा—शासक, राजा को शासक इसलिए

कहा गया है उसका कर्तव्य अच्छे शासन के द्वारा अपनी प्रजा का रक्षण करना अथवा उसे प्रमत्त करना होता है

राज्य परिषद्—कौंसिल ऑफ स्टेट  
राष्ट्रपति, अध्यक्ष—प्रजातन्त्री राष्ट्र द्वारा चुना हुआ प्रधान शासक—प्रेमिडेण्ट

राष्ट्रमण्डल—कॉमनवेल्थ

राष्ट्रसभ—लोग आफ नेशंस

रिक्ति—वेकेंसी

रिषय—सम्पदा—इस्टेट

रोधक—ब्रेक

ल

लक्षण—राजकीय चिह्न

लक्षणाध्यक्ष—सिक्के ढालने वाला प्रधान अधिकारी

लाभारा—बोनस

लेखा—हिसाब—अकाउण्ट

लेखा करणिक—एकाउण्ट क्लर्क

लेखा पुस्तिका—बहीखाता—एकाउण्ट बुक

व

वनरक्षक—फारेस्ट रेक्षर

वन्धपत्र—प्रतिज्ञापत्र—वौण्ड

वर्णन—हुलिया—डिस्क्रिप्शन

वर्तिप्रह—बर्नर

वलय मार्ग—रिङ्ग रोड

वहन अभिकर्ता—वेरिङ्ग एजेण्ट

वातानुकूलित—एयरकण्डीशण्ड

वायुपत्र—वॉयलर

वाहक—वेयरर ( चेक )

वाहिनी—सेना—ब्रिगेड

वाहिनीपति—सेनापति—ब्रिगेडियर

विगोपन—एक्सपोजर

विज्ञप्ति—कॉम्युनिक

वित्त विधेयक—फाइनेन्स बिल

विद्युत आवेश—इलेक्ट्रिक चार्ज

विधिक—कानूनन—लीगल

विधेयक—बिल

विषण्य—मार्किटेबल

विद्योजन—फैनाब—डिस्पेशन

विलम्ब शूलक—डेमरेज

विलय—मर्ज

विवरण—कॉम्प्ट्री

विशालन—डिक्वॉन्ट

विधकम्भक—इण्टरल्यूड

विधि—धर्मिक सभ

विधीत—गोचर

वेदक—अभियोक्ता मा फरियादी

वृत्तक—हैड आउट

वृत्त रूपक—न्यूज फीचर

वृत्तपत्र—यूज लेटर

वेधक—बोरर

वैध—वैलिड

वैमानिक—हवाई

वैराज्य शासन प्रणाली—बिना राजा की

अथवा राजारहित शासन—प्रणाली

व्यक्तिगत—पर्सनल

व्यवहार निरीक्षक—कोर्ट इस्पेक्टर

व्यवहारपटल—काउटर

व्युत्पान—बगावत—रिवोल्ट

श

शलक—फायर ( आग )

शलक नियन्त्रण केन्द्र—फायर कण्ट्रोल

शलककार—गोलाबारी करने वाला फायर

शलकावा—मतपत्र

शलकावाग्रहण—एक प्रकार के रंगे हुए

टिकटों द्वारा मत (छद्म) एकत्र करना

शायिका—बर्ष  
 शालाकी—सर्जन  
 शासन—राज क्षेत्र  
 शिल्पज्ञ—टेक्निशियन  
 शिल्पविद्या—टेक्नोलॉजी  
 शिल्पसघ—श्रमिक निकाय—गिल्ड  
 शिष्टमण्डल—डेलिगेशन  
 शूक—पिन  
 शूकघानी—पिनकुशा  
 शून्यपाल—प्रातीय शासक  
 शैलिक प्रशिक्षण केन्द्र—टेक्निकल ट्रेनिंग  
 सेंटर  
 श्रमसघ—श्रमिकों का सघ—लेबर यूनियन  
 श्रेष्ठिन्—प्रधान—मेयर  
 श्रेणी—शिल्पियों और व्यावसायिकों का  
 सघ  
 श्लोणि—हिप  
 स  
 सकलन अधिकारी—कॉम्प्लेशन अधिकारी  
 सकलनकर्ता—कॉम्प्लयर  
 सकेतक—सिगनल  
 सक्रमण—इन्फेक्शन  
 सगणित—कल्कुलेटेड  
 सगलक—इलेक्ट्रिक फ्यूज  
 सग्राहक—रिसीप्टर  
 सपाही—रिसीवर ( आकाशी )  
 सघ—बहुत से लोगों की मिलकर बनाई  
 समिति, सभा या सस्था—फेडरेशन  
 सघ—यँश्यों तथा क्षत्रियों का विशेष  
 समुदाय  
 सघनक—सघारित्र सघनित्र—कॉन्डेन्सर  
 सचालक—ऑपरेटर, कडक्टर, डाइरेक्टर  
 सहायक—सहाइ—ऐडवाइज

सदेशहर—सदेशवाहक—मेसेंजर  
 सभाग—पोर्टफोलियो  
 सयामक—गवर्नर ( आकाशी )  
 सवर्ग—ब्लॉक  
 सवातन—वॉटिलेटर  
 सवातो—वॉटिलेटर  
 सवादनियत्रक—सेंसर  
 सविद्—करार करके बनाये हुए नियम  
 सविदा—समझौता—कंट्रैक्ट  
 सविधान—कार्स्टिट्यूशन  
 सविधान सभा—कार्स्टिट्यूएण्ट ऐसेम्बली  
 सविधि—विधान सभा द्वारा स्वीकृत वह  
 लिखित विधान जो स्थायी कानून के  
 रूप में हो—स्टैट्यूट  
 सवेष्टिका—पैकेट  
 ससर्गज—सासर्गिक कॉन्टेगियस  
 सहिता—कोड  
 सदाशय—बोनाफाइड  
 सन्न—सहायक कृषि अधिकारी  
 सन्निधाता—राजकोष का सग्राहक एव  
 सरक्षक  
 सन्निधातृ—सग्रहित, राजकोष का अध्यक्ष  
 समक्ष नियोक्ता—एम्प्लायमेंट आफिसर  
 समय—सामूहिक सस्थाएँ ( अर्थात् ऐसे  
 नियम या निश्चय जो सब लोगों के  
 समूह में स्वीकृत हुआ करते थे )  
 समय सारिणी—टाइम टेबुल  
 समरणनिधि—सुविधायक कोष—प्रॉवि-  
 डेंट फंड  
 समवरोधक—नाकाबदी—ब्लॉकेड  
 समवाय—कंपनी  
 समादेश—कमांड  
 समालाप—इन्टरव्यू

समाहर्ता—दुर्ग-राष्ट्र की राजकीय आय को एकत्र करने वाला मुख्य अधिकारी	सूचना सहायक—इन्फारमेशन असिस्टेंट
समाहर्ता, समाहर्तु—भागदुह, राजनर का सग्रह करने वाला—रन्वेक्टर	सूत्र—फारमूला
समुदाय—मेस	सेनानायक—कॉमार्डेंट कॉमांडर
समूह—सघटित सभा या सस्था	सेनामुख—सेवशन
सर्वेक्षण—सर्वे	सैनिक न्यायालय—कोर्ट मार्शल
सर्वोच्च न्यायालय—सुप्रीम कोर्ट	सैन्यदल—रेजिमेंट
सहायक उच्चायुक्त—असिस्टेंट हाई कमिश्नर	सैन्यनायक—जनरल
सहायक निदेशक—असिस्टेंट डाइरेक्टर	स्कष—गोदाम, दाल का भंडार स्टोक
सहायक लेखा परीक्षक—असिस्टेंट ऑडीटर	स्वधावार—सिविर—कैंप
सहायक सचिव—असिस्टेंट सेक्रेटरी	स्वाधिक—स्टाकिस्ट
सहायक सूचना अधिकारी—असिस्टेंट इन्फारमेशन आफिसर	स्तभ—राज्यघन का गवन
सांघातिक—फेटल	स्तभ—कॉलम
साधारणीकरण—जेनरैलिसेशन	स्यानिक—समाहर्ता का अधीनस्थ अधि-कारी एव जनपद तथा नगर के चतुर्थांश का शासक
सार्य—ध्यापारियों का सघ	स्त्रीधन—ज्वाइधर
सार्य—सेना—कॉन्वाय	स्यायिवत्—कनासी परमानेंट
सीमांत—फ्रांटियर	स्यायिवित्ता—कनासी परमानेंसी
सीमागुल्म—सीमा पर स्थित चौकी-बरियर	स्फटिक—फ्रेस्टल
सीमा शुल्क—कस्टमड्यूटी	स्फुरण—पलटर
सुश्रावक—माइक्रोफोन	स्वचल—आटोमेटिक
सूचक—अलाम	स्वयतथ्य—एक्मियन
	स्वामिभू—जागीर—मैनर
	स्वायत्तरासन—ऑटोनोमी
	ह
	हस्तक—हैंडिल
	हीनमुद्रा—छोटा सिक्का—कोइन वेस

## शब्दानुक्रमणिका

अ		अनवसितसन्धि	५०५	अपविद्ध	२८२
अग	८४	अनागतावेक्षण	७६५	अपशब्द	१२४
अगुल	१८०	अनाय	६३	अपसर्ग	७२०
असपय	५१४	अनिभृतसन्धि	५०९	अपसारक	१३४
अकान्ति	१२४	अनीकम्प	७८	अपसृत	५८१
अकृतचिकीर्षा	४७९	अनुजीविवृत्त	४२५	अप्रतिहत	६६४
अक्षपटल	१०३	अनुबन्धपद्वर्ग	६२६	अभाव	५३६
अक्षशाल	१४३	अनुमत	७६५	अभिजात	५६४
अग्नि	५७३	अनुरक्तप्रकृति	४९०	अभिजातोपरुद्ध	५७८
अग्निजीवी	६९४	अनुलोमा	६३१	अभिगामिकगुण	४४१
अचल	६६४	अनुशासन	६४	अभियान	५१९
अटवीबल	५९७	अनुसार	६५९	अभियोक्ता	५२०
अतिक्रम	१२१	अनुप्राप्त	५८१	अभिरक्षीव	६६
अतिक्रान्तावेक्षण	७६५	अन्तपाल	७७ ९४	अभिसारी	५२०
अतिक्षिप्त	५८१	४०७ ४२० ५७७	६९८ ७१६	अभिहितसन्धि	५०९
अतिचार	३९८	अन्त पुर	६३७	अभूमिप्रान्त	५८१
अतिदेश	७६५	अन्त पुरमाजनीय	१७७	अभृत	५८१
अतिसन्धि	४९३	अन्त पुरभाजनी	१७६	अभेद्य	५९८
अत्यय	४६४	अन्तर्घनियोग	७६३	अभ्युपपत्ति	१२१
अपववेद	१०	अन्तर्घनोदी	६५७	अमात्य २० २१	२५५
अदण्डकर	७७	अन्तर्घात	५८१		४४१
अदृष्टपुरुष	४६३	अन्तर्घात	५८१	अमात्यकर्म	२४
अद्वैद्य	४९६	अन्तर्घात	५८१	अमात्यसपत २३	४४२
अधिकरण	७६५	अन्तर्घात	५८१		७७०
अधिष्ठाता	१६५	अन्तर्घात	५८१	अमानित	५८१
अध्यय ६६ ७८	१५७	अपदेश	७६५	अमित्र	४४६ ४७०
१६४ १६५ १७०		अपनय	४४५ ५५५	अमित्रबल	५९९
१९२ ४२१ ४२२		अपर	२८२	अम्बुष्ट	२८३
अनभिजात	५६४	अपरभाग	१७४	अम्बरीय	- १७
अनय	४४५ ५५५	अपरान्त	८४	अय	४४५
अनर्थनिवर्ण	६३१	अपरिपणित	४७७	अयन	- १८२
अनर्थोऽनर्थानुबन्ध	६२६	अपवर्ग	७६५	अरुच्यथर	७७

अरलि	१८०	असहतब्यूह	६६४	आढक	१७८
अराजबीजी	४४३	असह्य	६६२	आतिपातिक	३२०
अरि	५२१	असुरविजयी	६७८	आत्तप्रतिदान	६१९
अरिप्रकृति	४४६	अस्वामिसह्य	५८१	आत्मसम्पत्	४४२
अरिमित्र	४४६ ५२१	अहि	५३	आत्मानिय	४६३
अरिष्ट	२०१ ६६४	आ		आत्मोपनिधान	१२३
अर्जुन	१७	आकर	७९ ३४९	आदिष्टसन्धि	४६४
अर्थ	७६५	आकराध्यक्ष	१३६	आदेय	६०९
अर्थकृत	१२१	आकारोद्गत	१४३	आधिवेदनिक	२६१
अर्थत्रिवर्ग	६३१	आक्रन्द	५१ ४४६	आनीकस्य	४२१
अर्थदूषण	५६८		५२०	आनुशय	३२०
अर्थना	१२१	आक्रन्दासार	४४६	आन्तर्वांशिक	४२०
अर्थशास्त्र १	१५ ७६५	आख्यात	१२०	आन्वीक्षकी	८ ९
अर्थानुबन्ध	६२६	आख्यान	१२१	आपद्	६१३ ६३३
अर्थोपति	७६५	आख्यायिका	१५	आपदयं	६२५
अर्थोपधा	२५	आगार	१७०	आपमित्यक	१५८
अर्थवाकणी	१४०	आचार्य	१२ २७ ६२	आपूपिक	३६१ ५४२
अर्थवर्ण	१४०		६३ ७७ ११५	आपूपिक व्यञ्जन	६९३
अर्थहार	१२६	२७७	३१६ ३२९	आभ्यन्तर	५६२ ५८०
अर्थदण्ड	१२	३३६	३३९ ४२०	आमिभ्रा	६१८
अल्पव्ययं	६०९ ६११	४२२	४५३ ४५५	आम्भीय	५५
अवक्रय	४६५	४६७	४७१ ४८१	आयति प्रदर्शन	१२३
अवच्छेदन	१५५	४९४	४९५ ५०१	आयमान	१७७
अवमर्दकाल	७२५	५०६	५०९ ५१२	आयुधन	१७०
अवहृद्भवत्	५९	५१३	५१९ ५३०	आयुधागार	९५
अवशीर्णक्रिया	४७९	५३७	५५५ ५६२	आयुधीय	४२४
अवाप	६५७	५६४	५७३-५७८	आयुधीयप्राय	४२४
अव्यवहार	८०	५९०	५९१ ५९३	आयुधय	४५६
अश्व	६२ ४१३ ४२१	आजविन्दु	१६	आयोगव	२८४
अश्वकर्म	६५३	आज्ञा	१२१	आरालिक	३३ ५४१
अश्वत्य	६६	आटविक	२५ ५१	आयं	२६१
अश्वदमक	७८ ४२१		५३४ ५७९ ६९०	आवन्ध्य	२६२
अश्वार्थ्यक्ष	२२२		७१५	आशानिवेदी	५८१
अष्टादशकर्म	३७८	आटवी	४९२ ७२०	आनुमृतक	३७२
असह्य	६६२	आटवीबल	५९७	आसन	४५३ ४५८ ४६६

आसव	२०२	उद्देश	७६५	एकतोभोगी	४९७	५३४
आसार	५१	उन्मत्त	३६१	एकसिद्धि		६३२
आसारव्यञ्जन	७२७	उपकरण	१७३	एकागवध		३८६
आसुर	२६१	उपगत	२८३	एकान्त		७६५
आस्तरक	३३ ५४१	उपजाप	७०५		औ	
	इ	उपदेश	७६५	औत्साहिक		५९८
इतिवृत्त	१५	उपनिधि	३०५	औदक		८५
इक्षुरस	१५९	उपनिधिभोक्ता	३०५	औदनिक		३६१
इतिहास	१० १५	उपनिपात	३२० ३५६	औदार्य		१२०
	४३६	उपनिविष्ट	५८१	औद्र		१३३
इन्द्र	३८ ४७	उपप्रदान	१२३	औपवाह्य		२३२
इन्द्रकोश	८७	उपमान	७६५	औपस्थायिक		४२१
इन्द्रच्छन्द	१२६	उपरुद्ध	५८१	औपपादिक		२५
इन्द्रियजय	१६	उपसर्ग	१२०	औपायनिक		१५७
	उ	उपस्थान	६३७	औरघ्नक		५४
उग्र	२८३	उपाशुदण्ड	४५९	औरस		२८२
उच्छिन्नसन्धि	४६५	उपाय	११२	औशनस	४७	१०५
उच्छेदनीय	५०२	उपालम्भ	१२१	२७६	३०३	३२८
उत्तम	२०७	उपेक्षण	४६६	६५४	७६७	७६८
उत्तम देश	५९१	उभयत	४९७	औपधवर्ग		१६८
उत्तमसाहसदण्ड	३२९	उभयतोऽनर्थापत्	६२८		क	
उत्तमागार	८९	उभयतोऽनर्थार्थसंशया	६२९	कस	१८०	४१४
उत्तरपक्ष	७६५	उभयतोभोगी	५३४	कञ्चुक		६९
उत्तराध्यक्ष	११७	उभयभावि	४९७ ४९८	कटुमान		१४७
उत्साह	५२९	उल्लेखन	१५५	कणिक		४३०
उत्सग	१५७	उशनस	८	कदर्य		११६
उत्साहगुण	४४१	उष्णीस्	६९	कनिष्ठ		२०७
उत्सेध	८८	ऊह्य	७६५	कन्याकुमार		६६
उदक	५७३		श्र	कन्यापकर्म		३९३
उदकचरण	७०६	श्रग्	१०	कपाल		४६४
उदकनातिका	३७८	श्रतु	१८२	कम्बोज		६६९
उदकपरिचारक	३३ ५४१	श्रत्वक्	६२ ७७ ४२०	कर		१५७
			ए	करप्रतिकर		२१६
उदासीन	४४७ ४९१	एक	५९१	कराल		१६
उदास्थित	२० ४२२			करुशज		८४

कर्मक	५३	२४५	३६१	३८७	कुष्ठयोग	७४६
कर्मकर	७९	४२१	५४०	७१९	कुष्ठहर	७६१
कर्मकरकल्प	३१६	कारागिक	३९	३६१	कुहक	३६१
कर्मकरव्यञ्जना	६९३	कारागिक	४२०		कूटयुद्ध	४७९ ४८३
कर्मचतुष्क	३७८	कार्युंक	१७२			६४४
कर्मसवत्सर	१०४	कार्यकरण	६३७		कूलपथ	५१३
कर्मसन्धि	५११	बाल	१८२	५११	कृतक	२८३
वर्मान्त	७९	कालमान	१८१		कृतश्लेषण	४७९-४८०
कर्य	१७४	काशिक	१३४		कृतविदूषण	४७९-४८०
कलत्र	६४०	काशिकाज	६७		कृत्याभिचार	६४८
कलत्र गर्ही	५८१	कग्यु	४१४		कृत्रिम	४४६
कला	१८१	कायफलक	३४६		कृष्णा	१३३
कलिंग	८४	कायु	१८२		कोदण्ड	१७२
कल्प	१०	विजलक	४३०		कोपजनिवर्ग	५६६
कल्पक	३३ ५४१	किरात	३३ ६९		कोश	४४१
कल्प	६०९ ६११	किष्कु	१८०		कोशदण्डबल	४४८
कल्याणमुद्रि	६०७	कुकुर	६६९		कोशगृह	९५
कल्पारम्भो	४९०	कुक्कुटव	२८४		कोशसम्पद	४४३
काच	५४२	कुडव	१७८		कोशोपनत सन्धि	४६४
काचव्यवहारी	४१४	कुपितमूल	५८१		कोपक्षय	१०९
कात्यायन	४३०	कुप्य	१६७		कोपवृद्धि	१०९
कानीन	२८२	कुप्यगृह	९५		कोपाध्यक्ष	१२५
कापटिक	२६ २९	कुप्यवनहस्त	१८१		कोष्ठागार	९५ १५७
	४२२	कुप्यवर्ग	१६७			६३८
कामजचतुर्वर्ग	५६६	कुञ्ज	३३		कौटिल्य	८ १९ २२
कापिसायन	२०२	कुमार	५९ ६६ ४२०			२७ ४६ ५४ ५५
कामोपघा	२६		४६३ ५७६		१०५ ११५	२८२
काम्बुक	१४४	कुमारमाता	४२०		३०४ ३१६	३२८
कार	१० १९२	कुमारीपुर	९०		३२९ ३३६	४३४
कारकरक्षण	३४५	कुम्म	१७८ ५४२		४३५ ४५३	४५५
कारकर्म	१५१	कुशीलव	३३ ५९ ७२		४६८ ४७०	४७१
कारकुशीलव	४२४		८१ २८४ ३५०		४८१ ४९४	४९५
काररारी	१४०		३६१ ३८७ ४२१		४९६ ५०१	५०६
कारुण	६७		५४० ५४२ ७१९		५०९ ५१२	५१३
कारुचित्ती	५९ १९३	कुशीलव कर्म	१०		५१४ ५२०	५२८



५३७	५५६	५५७	सावैटिक	७७	घोटमुख	४३०
५५८	५५९	५६०	ग		च	
५६२	५६३	५६७	गज	८४	चकोर	६६
५६८	५६९	५७०	गणिका	३९५	चक्रघर	३६१
५७१	५७३	५७४	गणिकाध्यक्ष	२०७	चक्रवर्तिक्षेत्र	५९०
५७५	५७६	५७७	गन्ध	४१४	चतु सिद्धि	६३२
५७८	५७९	५८९	गाढपेटक	१५३	चतुष्पद	४२१
५९०	५९२	५९३	गान्धर्व	२६१	चत्वारिंशतकर	४१४
	६००	६८०	गायन ३३	८० ५४०	चन्द्रोत्तरा	१३२
कोणपदन्त	२१	५४	गार्हपत्य	१८१	चमूमुख	६६३
	५५९	५६९	गुच्छ	१२६	चलयन्त्र	१७१
कोष्ठेयक		१५७	गुण	१४६	चलित	५६३
क्षता		२८४	गुणसकीर्तन	१२३	चलितशास्त्र	५६३
क्षत्रिय		१०	गूढज	२८२	चारुवालिक	१४४
क्षत्रियबल		१००	गूढपुरुष	५९ ६२	चाण्डाल	७७ २८४
क्षत्रियश्रेणी		६६९	गूढाजीव	३६३		७४३
क्षय	४४५	६०९	गूढाजीवी	३६१	चापकुक्षि	६६३
क्षीण		४७३	गृहपतिका	३० ४२२	चारण	३५१ ३६१
क्षीरघृतसञ्जात		२१६	गृहपतिकाव्यञ्जना	६९२	चारसचारी	४२२
क्षुद्रक	१४६	५७४	गृहवास्तुक	२८६	चार्या	८७
क्षुद्राकारक		४१४	गृहस्थ	१०	चिकित्सक	५९ ६२
क्षेत्रज		२८२	गृहीतानुवर्तन	६१९		७८ ३६१ ४२१
क्षेत्रपथ		९१	गोऽध्यक्ष	२१६	चित्र	४९६
क्षेपण		१४६	गोकुमारी	४००	चित्रपात	३६७
क्षीम		१३४	गोप	७८ २४१	चित्रभोग	५३३
क्रयिक		१५७	गोपुर	८९	चीनपट्ट	१३५
क्रीत		२८३	गोरक्षक	६९२	चोदना	१२१
क्रुद्धवर्ग	४०	४१	गोरुत	१८१	चोर	३७६ ३९६
क्रौञ्च		६६	गोडिक	१४४	घ	
क्लेमदण्ड		३९२	ग्राम	७७	घन्द	१०
	ख		ग्रामपथ	९१	छायापुरुष	१८०
खनि		९९	ग्रामभृतक	४२२	द्विप्रधान्य	५८१
खरोष्ट्रपथ		५१४	ग्रामवृद्ध	८०	ज	
खातपोरुष्य		१८१	घ		जङ्घाकारक	७८
खारी		१७८	घुण	५४	जटिल	३८ ५४२ ७०९

जहान्य	३३	३६१	त्रयी	८	१०	दुर्जय	६६३	
जनपद	८०	२५५	त्रिपुटक		१५२	दुर्मिष	५७३	
		४४१	त्रिपुटकापसारित		१५२	दुष्टपाणिग्राह	४२०	
जनपदसम्पत्		४४२	त्रिसिद्धि		६३२	दुर्योधन	१६	
जनमेजय		१६		४		दूत	७२	
जायलीविद्		७१	दण्ड	१२४	१८१	दूतधर्म	५०	
जातरूप		१४३		४४१	६६३	दूतप्रणिधि	४९	
जातद्रोणि का		१३१	दण्डनीति	८	१२	३३१	दूतव्यजन	७०५
जामदग्न्य		१७	दण्डपाह्व्य	३३४	५६७	दूरायत	५८१	
जाम्बूनन्द		१४३			५६८	दूष्ययुक्त	५८१	
जार		३९६	दण्डमुख्यव्यजन		६९३	दूष्यशुद्धा	६१७	
जानूय		६७	दण्डदृढ		४२४	दृढक	६६२	
जीवजीवक		६६	दण्डव्यूह		६६३	देयविसर्ग	६१९	
जीवन्ती		६६	दण्डसम्पद्		४४३	देवच्छन्द	१२६	
ज्ञानबल		४४८	दण्डोपनतसधि		४६३	देवताध्यक्ष	४१५	
ज्यायान्		४४८	दत्त		२८३	देवताश्रम	६३	
ज्योतिष		१०	दम्य		२३२	देवी	६७	
	क्र		दशकुलीवाट		९३	देश	५७९ ५९१	
क्रपास्य		६६३	दशधामी		२९०	देशमान	१८१	
	त		दशाणं		८४	देशविहार	५७९	
ततुवाय		३४६	दाण्डकर्मिक		४०५	देशोपनतसन्धि	४६५	
तक्षण		१८१	दाण्डक्य		१६	दैव २६१	४४५ ५५५	
तनुक्षय		६०९	दान		६१४	दोषहर	७६०	
तपस्विन्		६३	दायक		७८	दौवारिक	६९ ५२०	
तादात्विक		११६	दायविभाग		२७५	द्यत ५६८	५६९ ५७१	
तापस	३०	३६१	दारुवर्ग		१६७	द्यूताध्यक्ष	३३९	
	४२२	६९२	दासकर्मकर		३११	द्रव्य	७९	
ताम्र		४१४	दासकल्प		३१४	द्रव्यहस्ति	४२१	
तीक्ष्ण ३२	४१८	४२२	दिवस		१८२	द्रुण	१७२	
तीक्ष्णदणक		१२	दीर्घचारायण		४३०	द्रोण	१७७	
तुट		१८१	दुर्ग	५१	८५	९४	द्रोणमुख ९१	२५५
तुत्योद्गत		१४४			९९	४४१	द्रावुपरिनिबन्ध	३७८
तुला		८८	दुर्गनिवेश		९१		द्विनालिक	१८२
तूर्यकर		४२१	दुर्गसम्पद्		४४३		द्विपद	४२१
तूर्णोद्ग	४७९	४८३	दुर्गापाश्रय		५०७		द्विसिद्धि	६३२

द्विधीभाव	४५३	४५८	नाम	१२०	पण्याध्यक्ष	१६४	३५४
द्वैराज्य		५६२	नायक	४२०	६३८	पति	४२१
द्रोणमुख		९१		६४०	६६५	पतिमुख्य	६४८
	घ		नावध्यक्ष		२१२	पतिपुद्ग	६६०
घनु		१८१	नालिका	१८१	१८२	पत्यध्यक्ष	२३६
घनुग्रह		१८०	निचय		२७	पय	७९
घनुमुष्टि		१८०	नित्य	४९६	४९७	पद	१८०
घरण		१७४	नित्यमित्रा		५०१	पदातिकर्म	६५४
घर्मविजयी		६८०	नित्यमुख		४२२	पदार्थ	७६५
घर्मशास्त्र		१५	निदर्शन		७६५	पदिक	६६५
घर्मस्थ	२५५	३४२	निन्दा		१२१	पयस	७०
	३८२	३८३	निपात		१२०	परचक्र	५७४
घर्मस्थीय		३८३	निमेष		१८१	परदूषण	४६४
घर्मोपधा		२५	नियोग		६३२	परमाणु	१८०
घर्म्यं	६०९	६११	निरनुबन्ध	६२६	६२७	परस्पररोपकारसन्दर्शन	
घान्वन		८५	निश्चत		१०		१२३
धेनु	५४	६२	निर्वचन		७६५	पराशर	२०
ध्वज		५४	निर्वर्तन		१८१	परिकुट्टन	१५५
	न		निशान्त		६५	परिक्षिप्त	५८१
नकुल		६६	निषाद		२८३	परिक्षीण	५८१
नक्षत्रमाला		१२६	निमृष्टार्थ		४९	परिक्रय	४६४
नट	३३	८०	निमृष्टि		१२२	परिचारक	४२१
नदीपथ		५१३	नीवी		१०१	परिदान	१२१
नन्दराज		७७१	नेता		५२०	परिदेश	१८१
नय		४४५	नैमित्तिक	३९	३६१	परिपणित	४७७
नर्तक	३३	५४०			४२१	परिपूर्णता	१२०
नर्तन		८०		प		परिमर्दन	१५५
नल		५६९	पञ्चग्रामी		२९०	परिमाणी	१७६
नलसूल		१३३	पञ्चदशोपाय		६३२	परिमितार्थ	४९
नव	५६३	७३१	पक्वाश्र		४१४	परमिथा	६१८
नवागत		५८१	पक्ष		१८२	परित्य	१८०
नष्ट		२१६	पण		१४०	परिवर्तक	१५७
नागरक		५४२	पण्य	१६४	१६५	परिव्राजक	११
नागरिक		२४५	पण्यगृह		९५	परिव्राजिका	२६
नागवन		८२-८३	पण्यपत्तन		७९		३२
नाभाग		१७				परिव्रान्त	५८१

परिसृप्त	५८१	विद्युत्पुत्र	४३०	प्रकृति	३३१	५७५
परिहार	१२१	पीडनीय	५०२	प्रकृतिसय		७७२
पर्युपासनकर्म	७२५	पुत्रविभाग	२८२	प्रकृतिमण्डल	१	४५७
पर्युपित	१०१	पुत्रिकापुत्र	२८२	प्रकृतिव्यूह	१	६६२
पल	१७४ १७६	पुद्गत	११५०	प्रकृतिसम्पद		४४१
पशुपथ	९१	पुनरुक्त	१२४	प्रकोपक	६०९	६१०
पशुपत्रोपरुद्ध	५७८	पुराण	१५ ४२६	प्रचार		७९
पश्चात्कोप	६०२	पुरषवीवध	५८१	प्रच्छन्दक		३६१
पाचाल	६८९	पुरुषादिव्यसन	१२१	प्रजा		६४
पाक्वभासिक	३६१	पुरुषापाश्रय	५०७	प्रज्ञापना		१२१
पाञ्चनद	८४	पुरोग	६०९ ६११	प्रणिधि		६५
पाद	१४०	पुरोहित	६२ ६३	प्रतिच्छन्ना		२३१
पादात्ता	४२१		७७ ४२०	प्रतिबल		६००
पान	५६८	पुरोहितपुरुष	४२१	प्रतिरीघक		५७८
पानव्यसन	५७०	पुलिन्द	७७	प्रतिलेस		१२१
पारशव	२८३	पुल्कस	२८४	प्रतिलोमा		६३१
पाराशर	४५ ५३	पुष्करिणीद्वार	८९	प्रतिपिद्ध		३०२
	१०५ ५५७ ५६८	पूर्व	१८२ ५२०	प्रतिपेघ		१२१
पारिकर्मिक	४२१	पूर्वपथ	७६५	प्रतिष्ठ		६६३
पारिहीनिक	१५७	पूर्वसाहसदण्ड	३२८	प्रतिहत		५८१
पारोक्षिक	१४१	पूर्वाचार्य	१	प्रतोली	८७	८८
पार्वत	८५	पृच्छा	१२१	प्रत्याख्यान		१२१
पार्व	१५७	पृथिवी	५९०	प्रत्यादेय		६०९
पार्ष्णिग्रहण	५१९	पृथतोत्सर्ग	६६	प्रत्यावाप		६५७
पार्ष्णिग्राह	४४६ ४८४	पंशाच	२६२	प्रदर		६६२
	५२० ६९०	पौण्ड्रक	१३४	प्रदेश		७६५
पार्ष्णिग्राहासार	४४६	पोतवाध्यस	१७४	प्रदेष्टा	२४२	३८०
पालक	४२१	पौनर्भव	२८२		३८३ ३८८	४२१
पापण्ड	७१९	पौर	४२०	प्रघावितिका		८७
पापान	४१४	पौरजानपद	६१ ७८	प्रभाव	५८९	५९०
पिण्डकर	१५७	पौराणिक	४२१	प्रभावहीन		५२४
पितृपंतामह	४९६	पौरुष	१८९	प्रयाग		१७७
पिथ्य	७३१	प्रकाशयुद्ध	४७९ ४८३	प्रवाल		४१३
पिद्युन	४३ ५४ ४३०	प्रकीर्णक	३४०	प्रव्रजित		३६१
	५५८ ५६८			प्रशास्ता	४२०	६३९

प्रसंग	७६५	भन्नोत्तुष्टक	२१६	भोज	१६
प्रसन्ना	२०१	भद्रसेन	६७	म	
प्रसादक	६०९ ६१०	भयोपघा	२७	मणि	४१३
प्रसाधक	३३ ५४१	भर्त्सना	१२१	मणिघातु	१३९
प्रस्थ	१७८	भव्यारम्भी	४९०	मण्डल	४४७ ५२१
प्राच्य	८४	भागानुप्रविष्टक	२१९	५३६ ५४४	६३२
प्राजापत्य	२६१	भाजनी	१७६		७२९
प्राजापत्यहस्त	१८०	भाण्डभार	५४२	मण्डनव्यूह	६६३
प्रामित्यक	१५८	भार	१७६	मत्तकोकिल	६६
प्रावृत्तिक	१२१	भारद्वाज	२० ४४ ५३	मदन	७६०
प्लवक	५४०	४३० ४३४	५५५	मद्रक	६६९
फ		५६१	६७९	मद्य	५७१
फल्गुबल	६९९	भिगिसी	१३४	मद्यु	७० २०२
व		भिष्कु	३५१	मध्यभेदी	६५७
वधिर	३३ ३६१	भिष्कुकी	४२२	मध्यम	२०७ ४४७
वन्धकी पोषक	४१४	भिन्नकूट	५८१		५९१
वन्धनागार	९५	भिन्नगर्भ	५८१	मध्यमगाहृतदण्ड	३२८
वसवान्	५०८	भिषक्	७१	मध्यमा	८४
वलि	१५७	भीतवर्ग	४० ४१	मनीक	७२
वाहस्पत्य	८ १०५	भूतपूर्व	७३१	मनु	३७
३०४ ३२९	६६२	भूमि	६५२ ७६५	मनुष्यपथ	९१
	७६७	भूमिसन्धि	५००	मन्व	५९०
बाल	६३	भृङ्ग राज	६६	मन्त्रयुद्ध	६८३
बाहुदन्ती	२२	भृगु	१६	मन्त्रशक्तिहीन	५२४
बाह्य	५६२ ५७९	भृत	५९५	मन्त्राधिकार	५३९
बाह्यकोष	६०५	भृतकव्यञ्जन	४१८	मन्त्रिपरिषद्	४७ ६२
बृपती	३२	भृतकाधिकार	३१७	७२ ४२०	७६७
बृहस्पति	१ ५५	भृत्य	६१	मन्त्री	२२ ४२०
ब्रह्मचारिन्	१०	भृत्यकर्म	४२०	मयूर	६६ ७०
ब्रह्मदेय	७७	भृतवत्	५९६	मरक	५७३
ब्राह्म	२६१	भेद	१२३	मल्लक	६६९
ब्राह्मण	१०	भेद्य	५९८	महत्	४९६
ब्राह्मणवत्	६००	भैषज्य	४१४	महाकारव	४१४
म		भोग	६६२	महान्	६०९ ६११
भक्तववेतन	४३५	भोगव्यूह	६६३	महाभोग	५३३

मागध	२८४	४२१	मूलहर	११६	४९०	रथकार	२८४
		६४८	मृग		५७९	रथपथ	९१
माणव	३६४		मृगया		५६८	रथभूमि	६५१
माणवक	४२२		मृदुदण्ड		१२	रथयुद्ध	६६०
मातृव्यजना	४१८		मृद्गाण्ड		४१४	रथाध्यक्ष	२३६
मायुर्म	१२०		मेदक	२०१	२०२	रथिक	४२१
मानव	४७	१०५	मैरेय		२०१	रथ्य	९१
	३०४	३२८	मौलभृत		४९१	रसद ३२	३३ ४२२
ज्ञानव्याजी	१६५		मौलबल		५९५	रसविद्ध	१४३
मानाध्यक्ष	१८०		मौहूर्तिक	३९	६०	रश्मिकलाप	१२६
मानिवर्ग	४१	४२		३६१	४२१	राक्षस	२६१
मानुष	४४५	५५५			५	राज	५७५
मार्जार	६६		यजुप्		१०	राजपुत्र	५८
मायक	१४०		यज्ञ		६३	राजप्रणिधि	६१
मास	१८२		यम		३८	राजमहिषी	४२०
माहानतिक	६२	६९	यवमध्य		१८०	राजमार्ग	९१
मित्र	५१	४४१	यातव्य	४७०	४८४	राजमाता	४२०
	४९१	४९६		४८९	५२०	राजविवाद	५७५
मित्रप्रकृति	४४६		यान		४५३	राजबीजी	५०८
मित्रबल	५९६	५९९	युक्तारोहक		४२२	राजवृत्ति	५४
मित्रभावि	४९७		युग		१८२	राजशब्दी	६७०
मित्रमित्र	४४६	५२१	युधिष्ठिर		५६९	राजशब्दोपजीवी	६६९
मित्रसम्पत्	४४३		युवराज	४१०	४२०	राजसम्पद	४४४
मुख्य	४२१	५७४	यूकामध्य		१८०	राजा ११	१५ १६
		५७६	योग	८	४४५	६१ ६३ ६४	६९
मुख्यक्षय	५७४		योगपुरुष	७३	४३५	७८ ७९ ८१	२९०
मुण्ड	३८	५४२	योजन		१८१	३५७ ३६५	३७९
मुण्डकदार	९०		योनिपोषक		४२१	३८५	४११ ४१५
मुण्डा	३२				२	४२३	४४६ ४४८
मुक्ता	४१३		रजक		३४६	५६२	५६३ ६०३
मुद्राध्यक्ष	२३९		रजत		४१३		६१५
मुष्ककमुष्प	६६		रज्जु		१८१	राजपजीवी	४२७
मुष्टि	१८०		रज्जुमान		१८१	राज्य	५६२
मुहूर्त	१८२		रथ	६२	७२	रात्रि	१८२
मूक	३३	३६१	रथकर्म		६५४	रावण	१६

राष्ट्र	९१	९९	१५७	वनदुर्ग	८५	वास्तुविक्रय	२८९
राष्ट्रपाल	४०७	४२०		वनपाल	४२१	विकल्प	६३२ ७६५
रूपदर्शक		४१६		वनविचय	६५२	विकृति	५४४
रूपजीवी	६७	३४०		वप्र	८९	विक्रमबल	४४८
	४०२	४१४	५४१	वयस	७०	विक्रमाधिकार	५३९
रूप्यमापक		१७४		वर्णक	१४४	विग्रह	४५३ ४५८
ल				वर्तमान	१०१	विचिति	१०
लक्षण		१५०		वर्तिनी	१८७	विजय	६६३
लक्षणाध्यक्ष		१४०		वर्षक	६३७	विजयचन्द्र	१२६
लक्षलम्भाधिकार		५३९		वलय	६६३	विजिगीषु	४४६ ५२०
लघूत्थान		४९६		वलीवर्द्ध	७९	विडूरय	६७
लम्भ		७३१		वल्कवर्ग	१६८	वितस्ति	१८०
लव		१८१		वल्लीवर्ग	१६७	विद्या	८
लाभ		६०९		वश्य	४९६ ४९७	विद्यावान्	४२२
लाभसम्पद्		६०९		वस्त्र	४१४	निघान	७९५
लिय		७०		वह	१७८	विनष्ट	२१६
लिक्षा		१८०		वाक्पारुष्य	३३१ ५६७	विपरीत	५९१
लिच्छिविक		६६९		वाक्यकर्मनिुयोग	३७६	विपर्यय	७६५
लिपि		१४		वाक्यशेष	७६५	विमानित	५८१
सुग्ध		४७३		वागुरिक	७७	विरक्त	४७३
सुग्धक		७२		वाग्जीवन	३३ ५९	विवाहधर्म	२६१
सुग्धवर्ग		४१ ४२			८१ ५४०	विवाहपदनिबन्ध	२५५
सुग्धकव्यंजना		६९४		वाजिन्	६५२	विवीत	२९६ ३९१
लेखक	११९	३८३		वातव्यधि	२१ ५४	विवीतपय	९१
		४२१			४५३ ५६० ५७०	विवीताध्यक्ष	२३९
लोकायत		८		वायक	३३ ८१ ५४०	विशालविजय	६६३
लोमविजयी		६८०		वालप्रत्य	११	विशानाक्ष	२० ४४
व				वापी	८८		५३ ५५६
वज्र		४१३		वामन	३३ ६९	विशिक्षा	१५०
वज्रघरण		१७५		वारिपय	५१३	विप	१६८
वणिकृ पय	७९	९९		वारिस्थल	७९	विपवर्ग	१६८
		५१३		वार्ता	८ १३ ६७०	विपमव्यूह	६४९ ६५६
वत्स		५४		वास	६५२	विपमसन्धि	४८५ ४९३
वत्सस्थान		५४		वासगृह	६५	विपमा	६४९
वन		७९ ९९		वास्तु	२८६		

विपयुक्त	७०	व्ययप्रत्याय	१०१	१५८	शासन	६३७
विष्टिकर्म	६५४	व्यवहारस्थापना	२५५		शासनहूर	२९
विष्टिवन्धक	४२१	व्यसन	५५५		शासनाधिकार	११९
विस्त्रावण	१५३	व्याकरण	१०		शिक्षा	१०
वृत्त	४१४	व्याख्यान	७६५		शिल्प	६४७
वृत्तपुच्छ	१३३	व्याज	१७३		शिल्पदर्शन	२२३
वृत्ति	२६२ ३३१	व्याजी	१४१		शिल्पवान	४२१
वृत्तिर्दण्ड	६६२	व्याघात	१२४		शिल्पी	७२
वृद्ध	६३	व्याधित	६३ ५६३		शीघ्रपण्य	४१४
वृद्धि	४४५		५७३ ५८१		शुक	६६
वृद्धमुदय	६०९ ६११	व्यामिश्रा	६४९		शुक्र	१
मृपम	६२	व्यायाम	४४५		शुद्धवध	३८०
वृष्णिसध	१७	व्याल	८३ २३२		शुल्कव्यवहार	१८९
वेणु	४१४	व्यावहारिक	११७ ४२१		शुल्काध्यक्ष	१८५
वेणुवर्ग	१६७	व्यावहारिकी	१७६		शुल्बापसारित	१५२
वेतनोपग्राहिक	२१६	व्यूह	९१		शूद्र	१० २८३
वेद	१०	व्यूहमंपद	६४७		शूद्रबल	६००
वेल्लकापसारित	१५२	व्रज ७९ ९९	५२५		शून्यपाल	६३८ ६८६
वेशशौण्डि	३६१	व्रजपर्यग्र	२१६			६८७ ६८९
वेशया	४२४	व्रजिक	६६९		शून्यमूल	५८१
वैकृन्तकधातु	१३९	व्रात्य	२८४		शृङ्गिशुक्तिज	१४३
वैणव	१४३			श	शैलखनक	४२२
वैदेह	१६	शक्ति	४८७ ५९१		शौण्डिक	६९३
वैदेहक	३० २८४	शक्यारम्भी	४९०		शौण्डिकव्यत्न	६९२
	३६१ ४१६ ४२२	शतवर्ग	४२२		श्मशान	९१
	५७७ ७१९	शत्रु	५२०		श्मशानवाट	९३
वैराज्य	५६२	शत्रुबल	५९७		श्येन	६६३
वैरन्वय	६७	शत्रुशुद्धा	६१७		श्रेणी	४९१ ५७६
वैवस्वत	३७	शबर	७७		श्रुत	४०४
वैश्य	१०	शम १८० ४४५	५३५		श्रेणीप्राय	४५६
व्यजन	३६१ ४१६	शरीर	३३१		श्रेणीबल	५९६ ५९९
	४२२ ४२४ ६९२	शाल	१८०		श्रेणीमनुष्य	५०६
	७०९ ७११	शस्त्रोपजीवी	६६९		श्रेणीमुख्य	४२१
व्यतिकीर्णमासा	२३१	शातकुम्भ	१४३		श्रोत्रिय	७७
व्यय	६०९	शाला	८८		श्रपाक	२८४



श्वेता	६६	समन्ततोऽर्थापत्	६२७	सहज	४६६
श्वेतमुरा	२०४	समन्ततोऽनर्थार्थिसंशयापत्	६२७	सहस्रवर्ग	४२२
ष		-	६२७	सहस्राक्ष	४७
षट्-दण्ड	३७८	समन्ततोऽनर्थार्थापत्	६२७	सहोड	२८२
षट् भाग	१३७	सम	४४८	साह्वय	८
स		समकक्ष्या	२३१	साध्वीव्यजना	४१७
सख्यायक	४२१	समतल्पतला	२३१	सान्त्व	१२१ ६१४
सप्रहण	७७ ३५५	समयाचारिक	४२८	साप्राह	२३२
संपमुख्य	६७५	समदृता	१७५	साम	१०
सषभूत	३१७	समव्यूह	६३६	सामन्त	२५ ५८ ७२
सधलाभ	६६९	समसन्धि	४९३	२८६ ४५८ ४७९	
सचार	३२	समा	६४९	सामवायिक	५२२ ५२३
सजय	६६३	समाप्त	५८१	सारबल	६५९
सजातलोहित	२३१	समाधि	५३७	सारिका	६६
सपानपथ	५१३	समाहर्ता	२७ २४१	साहस	३२८
सयानीय	९१	३८० ४१३ ४१५		सिंहनिका	१५८
सवस्तर	१८२	४२० ५७७ ६८६		सिद्ध	३६१
सवाहक	३३ ५४१	६८७		सिद्धव्यजन	३६४ ४१५
सशय	६२६ ७६५	समुच्चय	६३२ ७६५	४१७ ७१०	
सशयत्रिवर्ग	६३१	समुदय	१०९	सिद्धि	४४७
सशय	४५८	सम्पद	६४	सीताध्यक्ष	१५५ १९५
सहृतव्यूह	६४९	सम्प्लव	१२४	सीमागृह	८८
सचिव	१९	सम्बन्ध	११९	सुभगा	५७६
सत्री	३२ ५० ४२२	सम्बन्धोपाख्यान	१२३	सुराध्यक्ष	२००
	४२४	सम्भारयोग	२०३	सुराष्ट्र	६६९
सन्धि	४५३ ४५८	सरस्वति	७४३	सुवर्ण	१७४ ४१३
	४६३ ५३५	सर्प	६६	सुवर्णकार	३४७
सन्धिकर्म	५३५	सर्पविष	६६	सुवर्णसन्धि	४६४
सन्धिमोक्ष	५३५	सर्वत्रग	१२१	सुवर्णमासक	१७४
सन्धिरूपग्रह	४६४	सर्वभोग	५३३	सुवर्णाध्यक्ष	१४३
सन्निधाटा	२७ ९८	सर्वतोभोगी	४९७ ५३४	सूची	६६३
	४२०	सर्वविषहर	७६१	सूत	२८४ ४२१ ६४८
सप्तकथा	३७८	सर्वाप्यक्ष	४२१	सूत्र	१९२ ४१४
सप्तासद	३२२	सर्वार्थसिद्धि	६३३	सूद	३३ ५४१
समून्ततोऽर्थसंशयापत्	६२७	सर्वोपस्थायिन	४२२	सूनाध्यक्ष	२०५

सेतु	१९	स्थानिक	७८ २४५	हस्ति	६२ ७९ ९१
सेतुवन	९१	स्थानीय	७७ ९१ २५५		४१३ ४२१ ५७९
सेनापति	४१० ४२०	स्थितयन्त्र	१७०	हस्तिकर्म	६५३
	४६३ ६४८ ६६५	स्थिरकर्मा	४९०	हस्तिभूमि	६५१
सौभिक	५४०	स्थूलकर्ण	६६३	हस्तिमुद्र	६६०
सौराष्ट्रिक	८४	सनापक	३३ ५४१	हस्तिवन	८२
सौर्धणिक	१५०	स्रष्टत्व	१२०	हस्त्यध्यक्ष	२२९
सौवीर	१६ ६७	स्रचक्र	५७४	हस्ती	७२ ८३
स्कन्धावार	६३७	स्वद्रव्यदान	६१९	हाटक	१४३
स्तोय	३२८	स्वयग्राहदान	६१९	हारहूरक	२०२
स्त्री	६६ ५६८ ५७०	स्वविशिष्ट	५८१	हीन	४४८
स्त्रीघन	२६२	स्वसजा	७६५	हेत्वयं	७६५
स्त्रीघनकल्प	२६१	स्वामी	४४१ ६४०	हेमापसारित	१५२
स्त्रीव्यसन	५६९		ह	हैहय	१७
स्थलपथ	५१३	हरण	१५२	ह्रस्वकाल	६०९
स्पविर	६७	हरितपण्य	४१३		
स्थान	४४५ ४६७	हलमुख	१७१		

